

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

डा. एम. एल. सेठ

मुद्रा

एवं

बैंकिंग

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार

विदेशी विनिमय

राष्ट्रीय आय

तथा

सोडपार सिद्धान्त अदि

मुद्रा एवं बैंकिंग

(MONEY AND BANKING)

[विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों को बी० ए०, बी० कॉम०
एव टी० डी० सी० कक्षाओं के स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार]

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार,

प्रकाशक :

शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी

अस्पताल रोड, आगरा—3

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ-संख्या

पण्ड 1

मुद्रा

1	मुद्रा तथा उसके कार्य	3
2	मुद्रा का वर्गीकरण	22
3	मुद्रामान	40
4	स्वर्णमान	55
5	बागजी मुद्रामान अथवा प्ररग्नित मुद्रामान	85
6	मुद्रा के मिट्टान	103
7	स्फीति, अस्फीति, प्रत्यस्फीति एवं अस्फीति	139
8	सूचकांक	173

पण्ड 2

बैंकिंग

9	माय	185
10	बैंको के कार्य	197
11	आधुनिक बैंको के विभिन्न रूप	208
12	बैंको की कार्य प्रणाली	217
13	केन्द्रीय बैंकिंग	235
14	अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-बोय (शांकर सबट मन्त्रि)	255
15	अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक एवं अन्य संस्थाएँ	295

पण्ड 3

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार

16	अन्तरराष्ट्रीय व्यापार	305
17	अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक मिट्टान	321
18	भुगतान का मन्तुलन	333
19	मुक्त व्यापार बनाम नरक्षण	339
20	भारत की सट-वर नीति	348
21	भारत का विदेशी व्यापार	359

पण्ड 4

विदेशी विनिमय

22	विदेशी विनिमय	373
23	विनिमय नियन्त्रण	395

खण्ड 5

भारतीय मुद्रा एवं बैंकिंग का इतिहास एवं समस्याएँ

24	भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (1)	411
25	भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (2)	419
26	भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (3)	429
27	भारतीय रुपये का अवमूल्यन (1)	440
28	भारतीय रुपये का अवमूल्यन (2)	447
29	भारत की कागजी मुद्रा प्रणाली का इतिहास	460
30	भारतीय बैंकिंग का इतिहास एवं समस्याएँ (राष्ट्रीयकरण सहित)	467
31	भारतीय मुद्रा बाजार	490
32	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	502
33	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	526
34	भारत में व्यापारिक बैंक	533
35	भारत में विदेशी विनिमय बैंक	541
36	भारत में देशी बैंक	547
37	भारत में बैंकिंग विधान	553

खण्ड 6

रोजगार एवं राष्ट्रीय आय

38	बचत एवं निवेश	565
39	पूर्ण रोजगार की समस्या	570
40	राष्ट्रीय आय	584

खण्ड 7

राजवित्त

41	राजवित्त	603
42	राजवित्त का सिद्धान्त	608
43	सार्वजनिक आय	613
44	करवाह्यता (करापात) की समस्या	635
45	सार्वजनिक व्यय	647
46	सार्वजनिक ऋण	655
47	प्रिन्सीपल प्रशासन	667
48	भारतीय राजवित्त	673
49	भारत सरकार का वित्त	686
50	राज्य सरकार का वित्त	697
51	स्थानीय वित्त	711
52	भारत का सार्वजनिक ऋण	717
	परिशिष्ट (परीक्षा भवन में अर्थात् उत्तर वेंस लियें)	725

"Every branch of knowledge has its fundamental discovery. In Mechanics, it is the wheel, in Science the fire, in Politics the vote. Similarly, in Economics in the whole commercial side of man's social existence money is the essential invention on which all the rest is based."

—CROWTHER

प्रथम खण्ड

मुद्रा

(MONEY)

- | | |
|----------|---|
| अध्याय 1 | मुद्रा तथा उसके भाव |
| अध्याय 2 | मुद्रा का वर्गीकरण |
| अध्याय 3 | मुद्रामान |
| अध्याय 4 | स्वणमान |
| अध्याय 5 | बागजी मुद्रामान अथवा प्रचलित मुद्रामान |
| अध्याय 6 | मुद्रा के सिद्धान्त |
| अध्याय 7 | स्फीति, अवस्फीति प्रत्यवस्फीति एवं अपस्फीति |
| अध्याय 8 | सूचकांक |

खण्ड 5

भारतीय मुद्रा एवं बैंकिंग का इतिहास एवं समस्याएँ

24	भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (1)	411
25	भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (2)	419
26	भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (3)	429
27	भारतीय रुपये का अवमूल्यन (1)	440
28	भारतीय रुपये का अवमूल्यन (2)	447
29	भारत की कागजी मुद्रा प्रणाली का इतिहास	460
30	भारतीय बैंकिंग का इतिहास एवं समस्याएँ (राष्ट्रीयकरण सहित)	467
31	भारतीय मुद्रा बाजार	490
32	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया	502
33	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	526
34	भारत में व्यापारिक बैंक	533
35	भारत में विदेशी विनिमय बैंक	541
36	भारत में देशी बैंकर्स	547
37	भारत में बैंकिंग विधान	553

खण्ड 6

रोजगार एवं राष्ट्रीय आय

38	बचत एवं निवेश	565
39	पूर्ण रोजगार की समस्या	570
40	राष्ट्रीय आय	584

खण्ड 7

राजवित्त

41	राजवित्त	603
42	राजवित्त का सिद्धान्त	609
43	सार्वजनिक आय	613
44	करबाध्यता (करापात) की समस्या	635
45	सार्वजनिक व्यय	647
46	सार्वजनिक ऋण	655
47	विस्तीय प्रशासन	667
48	भारतीय राजवित्त	673
49	भारत सरकार का वित्त	686
50	राज्य सरकारों का वित्त	697
51	स्वामीय वित्त	711
52	भारत का सार्वजनिक ऋण	717
	परिशिष्ट (परीक्षा भवन में अच्छा उत्तर कैसे लिखें)	725

"Every branch of knowledge has its fundamental discovery. In Mechanics, it is the wheel; in Science the fire; in Politics the vote. Similarly, in Economics in the whole commercial side of man's social existence, money is the essential invention on which all the rest is based."

—CROWTHER

प्रथम खण्ड

मुद्रा

(MONEY)

- | | |
|----------|--|
| अध्याय 1 | मुद्रा तथा उसके कार्य |
| अध्याय 2 | मुद्रा का वर्गीकरण |
| अध्याय 3 | मुद्रामान |
| अध्याय 4 | स्वर्णमान |
| अध्याय 5 | कागजी मुद्रामान अथवा प्रबन्धित मुद्रामान |
| अध्याय 6 | मुद्रा के सिद्धान्त |
| अध्याय 7 | स्फीति, अवस्फीति, प्रत्यवस्फीति एवं अपस्फीति |
| अध्याय 8 | सूचकांक |

मुद्रा-सम्बन्धी कुछ स्मरणीय उद्धरण



- 1 "Money is the pivot around which economic science clusters."
— Marshall
- 2 "Money is a commodity which is used to denote anything which is widely accepted in payment of goods or in discharge of other business obligations"
— Robertson
- 3 "Money includes all those things which are (at any time or place generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities and services and of defraying expenses"
— Marshall
- 4 "Money is that by the delivery of which debt contracts and price contracts are discharged and in the shape of which a store of general purchasing power is held"
— Keynes
- 5 "Money now-a days in advanced communities means Bank Deposits, metallic and paper money play a diminishing role."
— Leffieldt
- 6 "The one obvious instrument of measurement available in social life is money."
— A C Pigou
- 7 "The Quantity Theory of Money states that the value of money, other things being the same varies inversely as its quantity, every increase of quantity lowers the value and every diminution raising it in a ratio exactly equivalent"
— Mill
- 8 "The value of money may be regarded as the reciprocal of the general level of prices, for example, if the general level of prices has doubled this means that the value of money has halved"
— Benham
- 9 "Gold Standard is a jealous God It will work provided it is given exclusive devotion"
— Crowther
10. "Inflation exists when money income is expanding more than in proportion to income-earning activity"
— A C Pigou
- 11 "Reflation may be defined as Inflation deliberately undertaken to relieve depression"
— S D H Cole
- 12 "Deflation . . . becomes a state in which the value of money is rising i e., prices are falling"
— Crowther
13. "Gresham's Law is that an inferior currency, if not limited in amount, will drive out superior currency"
— Marshall

1

मुद्रा तथा उसके कार्य (Money and Its Functions)

मुद्रा का उद्गम और विकास

(Origin and Development of Money)

यह कहना कठिन है कि मुद्रा का आविष्कार किस समय और किस परिस्थितियों में हुआ। जैसा विदित है आरम्भ में वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्राथमिक थी अर्थात् एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ विनिमय हुआ करता था। परन्तु कालांतर में वस्तु विनिमय प्रणाली से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगीं और यह प्रणाली अत्यंत अमुविधाजनक बन गयी। वस्तु विनिमय प्रणाली की इन अमुविधाओं से बचने के लिए ही मुद्रा का आविष्कार किया गया था। मुद्रा के उद्गम के बारे में मुख्यतः दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गये हैं।

(1) मुद्रा का आकस्मिक जन्म सिद्धान्त—इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की किसी व्यक्ति द्वारा खोज नहीं की गयी बल्कि यह तो मानव का संयोगवश ही मिल गयी। प्रा० स्पार्डिंग (Spalding) ने 'ग्री सिद्धांत' का समर्थन किया है। उनसे अनुसार जंग जैते विनिमय का प्रचलन बढ़ता गया वैसा वैसा जागना विना विनिमय के माध्यम का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार किसी एक वस्तु का मुद्रा मान लिया गया और उसी के माध्यम से विनिमय-योग सम्पूर्ण होने लगा। परन्तु कालांतर में एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक उपयुक्त प्रतीत होने लगी। उस वस्तु में पुरानी वस्तु का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रा का अस्तित्व में लाने के लिए मानव ने अपनी ओर से कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया बल्कि यह तो स्वतः ही अस्तित्व में आ गयी थी।

(2) मुद्रा का आवश्यकता-अनुसंधान सिद्धान्त—इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का आविष्कार, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों, एवं अमुविधाओं, को ध्यान में रखते हुए अत्यंत धारणापूर्वक किया गया था अर्थात् मुद्रा का अस्तित्व में लाने के लिए मनुष्य द्वारा सचेत प्रयत्न (conscious effort) किया गया था। जैसा विदित है वस्तु विनिमय के अतिसंगत मुख्य कठिनाई वस्तुओं का मूल्य आबन की थी अर्थात् इस प्रणाली के अतिसंगत वस्तुओं के मूल्य आंकने के लिए किसी एक सामूहिक मापक का अभाव था। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया था। आरम्भ में जिन वस्तुओं को मुद्रा का कार्य करने के लिए चुना गया, वे केवल सामूहिक मापक का ही काम देती थी। सभी वस्तुओं के मूल्य मुद्रा के लिए चुनी गयी वस्तु के रूप में व्यक्त किए जाते थे। प्रो० क्राउथर (Crowther) इसी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। उनसे अनुसार मुद्रा निस्सन्देह एक आविष्कार ही था।

उक्त दोनों सिद्धांतों के समर्थन तथा विरोध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के विवाद से कोई व्यावहारिक लाभ नहीं निकलता। हमारे लिये तो इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि किसी न किसी प्रकार मुद्रा अस्तित्व में आयी और कालांतर में इसका विकास होता चला गया।

मुद्रा निम्नलिखित चरणों (Stages) में से होकर विकसित हुई है :

(क) वस्तु-मुद्रा—प्रारम्भिक काल में, जैसा ऊपर बताया गया है, किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य सम्पन्न करने के लिए चुन लिया गया था। आखेट युग (Hunting Stage) में पशुओं की खालों, हड्डियों एवं बालों को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया गया। चरागाह युग (Pastoral Stage) में पशुओं को मुद्रा का कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया गया था। भारत में ऋग्वेदिक काल में गाय ही मुद्रा का कार्य सम्पन्न करती थी। अमीना के कुछ देशों में दकरी को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया गया। कृषि युग (Agricultural Stage) में कृषि-पदार्थों अर्थात् गेहूँ, चावल आदि को मुद्रा का कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया गया था। इस प्रकार विभिन्न समयों पर विभिन्न वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया था।

(ख) धातु-मुद्रा—प्राचीनकाल में मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाने वाली उक्त वस्तुओं में कई प्रकार के दोष व त्रुटियाँ पायी जाती थीं। उदाहरणार्थ, उक्त वस्तुओं में विभाज्यता (divisibility), स्वल्पता (scarcity) तथा अक्षयशीलता (imperishability) आदि वे गुण नहीं पाये जाते थे। अतः मुद्रा-वस्तुओं में इन गुणों के अभाव के कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों व असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। कालान्तर में मनुष्य ने कुछ ऐसी वस्तुओं की खोज करनी आरम्भ की जिनमें मुद्रा के उक्त गुण विद्यमान थे। इस खोज के परिणामस्वरूप अब धातुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग होने लगा। प्रारम्भ में लोहा, पीतल, तँबे आदि का प्रयोग किया गया और इन धातुओं के टुकड़े विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलित होने लगे। बाद में चलकर इन धातुओं का स्थान अन्य धातुओं अर्थात् सोने, चाँदी ने ले लिया। अब सोने, चाँदी के टुकड़े ही मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होने लगे। धीरे-धीरे यह अनुभव किया जाने लगा कि सोने-चाँदी के ये टुकड़े न केवल भड़े ही हैं, बल्कि धालाक ध्यक्त उनमें से धातुओं के कुछ अणु निकल भी लेते हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे धातुओं के टुकड़ों के बजाय उनके सिक्का का प्रयोग होने लगा। कहा जाता है कि धातु-सिक्कों का प्रयोग सर्वप्रथम लिडिया (Lydia) और मिस्र (Egypt) में किया गया था। इस प्रकार पर्याप्त समय तक धातु-सिक्कों का प्रयोग होता रहा, परन्तु अब धीरे-धीरे धातु-सिक्कों के प्रयोग में भी कुछ कठिनाइयाँ अनुभव होने लगीं। धातु-सिक्के न केवल भारी ही थे, बल्कि उनके प्रयोग से देश को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती थी क्योंकि लगातार प्रचलन के कारण वे काफी घिस जाते थे। इसीलिए कागजी मुद्रा (Paper Currency) का आविष्कार किया गया, क्योंकि कागजी मुद्रा में बहनीयता (portability) तथा मितव्ययता (economy) के दोनों ही गुण विद्यमान थे। कागजी मुद्रा न केवल हल्की होती है, बल्कि इसके प्रयोग से देश को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति भी नहीं उठानी पड़ती। इस प्रकार धीरे-धीरे सभी देशों में कागजी मुद्रा का प्रयोग बढ़ने लगा। परन्तु प्रारम्भ में कागजी मुद्रा धातु-सिक्कों में परिवर्तनशील (convertible) थी, अर्थात् कागजी नोटों के बदले धातु-सिक्के प्राप्त किये जा सकते थे। परन्तु धीरे-धीरे यह अनुभव किया जान लगा कि विनिमय (परिवर्तनशील) कागजी मुद्रा (Convertible Paper Currency) में लोच का पूर्ण अभाव रहता है। परिवर्तनशील कागजी मुद्रा का निर्गम (issue) तभी सम्भव हो सकता है जबकि उतनी राशि के धातु-सिक्के मुद्रा अधिकरण (monetary authority) के पास सुरक्षित रखे जायें। इससे कागजी मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त, यह भी उचित नहीं समझा जाता था कि धातु सिक्कों को प्रारक्षित निधि (Reserve Fund) में देकर रखा जाय। इस प्रकार अविनिमय (अपरिवर्तनशील) कागजी मुद्रा (Inconvertible Paper Currency) का आविर्भाव हुआ। अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा धातु-सिक्कों के नहीं बदनी जा सकती, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर सभी देशों में आजकल इसका प्रचलन है, क्योंकि लोगों को अपनी सरकार में पूर्ण विश्वास है और इसी विश्वास के आधार पर ही अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा प्रचलित रहती है। पश्चिमी देशों में तो मुद्रा का और भी अधिक विकास हो चुका है। वहाँ पर तो कागजी मुद्रा से भी अधिक महत्व साध-मुद्रा (Credit Money) को दिया जाता है। अधिकांश भुगतान (payments) बैंकों, हण्डियों आदि जैसे साधनों के माध्यम से ही किये जाते हैं। यह मुद्रा का नवीनतम रूप है।

मुद्रा की परिभाषाएँ (Definitions of Money)

मुद्रा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'मनी' (money) है। यह शब्द लैटिन भाषा के 'मोनेटा'

(moneta) शब्द से निकाला गया है। मोनेटा, देवी जूनो (Goddess Juno) का ही दूसरा नाम है। कहा जाता है कि प्राचीनकाल में रोम में सिकके या टक्कर देवी जूनो के मन्दिर में ही हुआ करता था। प्राचीन रोम निवासी देवी जूनो को 'स्वर्ण की रानी' कहकर सम्बोधित किया करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि मुद्रा में रोमन लोग स्वर्गीय आनन्द की कल्पना किया करते थे। इसलिए मुद्रा का निमाण देवी जूनो के मन्दिर में किया जाता था।

विभिन्न लेखकों द्वारा 'मुद्रा' शब्द की विभिन्न परिभाषाएँ की गयी हैं किन्तु हम इन परिभाषाओं की मुख्यतः दो वर्गों में बाँट सकते हैं (क) विस्तार के आधार पर की गयी परिभाषाएँ, और (ख) प्रकृति के आधार पर की गयी परिभाषाएँ।

(क) विस्तार के आधार पर की गयी परिभाषाएँ—विस्तार के आधार पर की गयी परिभाषाएँ तीन प्रकार की हैं

- (1) विस्तृत परिभाषाएँ,
- (2) सङ्कुचित परिभाषाएँ, और
- (3) उचित परिभाषाएँ।

(1) विस्तृत परिभाषाएँ—इस वर्ग में हम प्रो० हार्टले विदर्स (Hartley Withers) की परिभाषा को सम्मिलित कर सकते हैं। हार्टले विदर्स के कथनानुसार, "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है।¹ मुद्रा की यह परिभाषा काफी व्यापक है। इस परिभाषा के अनुसार उन सभी वस्तुओं को हम मुद्रा में सम्मिलित कर सकते हैं जो मुद्रा के कार्य को सम्पन्न करती हैं। इस प्रकार धातु-सिकके एव वर्रेसी नोट ही मुद्रा नहीं हैं, बल्कि चैक, हण्डियाँ, विनिमय-पत्र इत्यादि भी मुद्रा में सम्मिलित किये जा सकते हैं क्योंकि चैक, हण्डियाँ, विनिमय-पत्र आदि सभी मुद्रा के कार्य सम्पन्न करते हैं। इस परिभाषा ने मुद्रा के क्षेत्र को काफी विस्तृत कर दिया है। परन्तु कुछ अर्थशास्त्री इस परिभाषा से सहमत नहीं हैं। उनका विचार है कि इस परिभाषा ने मुद्रा के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक विस्तृत कर दिया है।

(2) सङ्कुचित परिभाषाएँ—प्रो० रॉबर्टसन (Robertson) की परिभाषा सङ्कुचित परिभाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है। रॉबर्टसन के कथनानुसार, "मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के भूत्यों के भ्रगतान में या दूसरे व्यावसायिक कार्यों को निबटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है।² यदि इस परिभाषा का विशेषण किया जाय तो केवल धातु-मुद्रा (metallic money) ही वास्तव में, मुद्रा कहलाने की अधिकारी है, क्योंकि केवल धातु-मुद्रा को ही विस्तृत रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार रॉबर्टसन के अनुसार केवल धातु-सिकके को ही मुद्रा की श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु अधिकांश अर्थशास्त्री इस परिभाषा से सहमत नहीं हैं, क्योंकि उनका विचारानुसार रॉबर्टसन की उक्त परिभाषा मुद्रा के क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक सङ्कुचित बना देती है।

(3) उचित परिभाषाएँ—कुछ अर्थशास्त्रियों ने न तो हार्टले विदर्स की विस्तृत परिभाषा और न ही रॉबर्टसन की सङ्कुचित परिभाषा को स्वीकार किया है। उन्होंने इन दोनों परिभाषाओं के बीच के विचार को अपनाया है। प्रो० एली (Ely) तथा डॉ० मार्शल (Marshall) जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसी प्रकार का मत व्यक्त किया है। प्रो० एली के कथनानुसार, "मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तांतरण होता है और जो सामान्यतः ऋणों के अन्तिम भ्रगतान में ग्रहण की जाती है।"³ डॉ० मार्शल ने भी इससे मिलती-जुलती परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार, "मुद्रा में वे सभी वस्तुएँ सम्मिलित हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना किसी प्रकार के सन्देह अथवा विशेष जाँच के वस्तुओं तथा

1 "Money is what money does "

—Hartley Withers, *The Meaning of Money*

2 "A commodity which is used to denote anything which is widely accepted in payment of goods or in discharge of other business obligations "

—Robertson, *Money*

3 "Money is anything that passes freely from hand to hand as medium of exchange and is generally received in final discharge of debts "

—Ely, *Elementary Principles of Economics*

के रूप में तो मार्कें मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार जर्मनी में उस समय दो प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था—अमरीकी डालर मूल्य-मापक के रूप में और मार्कें मुद्रा विनिमय-माध्यम के रूप में। दूसरे विश्व युद्ध के परवात् चीन में भी ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। चीनी मुद्रा का इतनी तेजी के साथ प्रसार हुआ था कि उसका प्रयोग मूल्य मापक के रूप में लगभग बन्द हो गया था। साधारणतः दीर्घकालीन प्रसिद्धि अमरीकी डालरों के रूप में किये जाते थे, जबकि विनिमय माध्यम के रूप में चीनी मुद्रा का ही प्रयोग होता था।

(ख) गौण कार्य—इस शीर्षक के अन्तर्गत हम मुद्रा के सहायक अथवा गौण कार्यों का अध्ययन करेंगे।

(1) मुद्रा स्थगित भुगतानों (Deferred Payments) का मान है—वस्तु विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत उधार का लेना व देना प्रायः एक कठिन समस्या हुआ करती थी। मुद्रा के अभाव में लिया गया उधार वस्तुओं व सेवाओं के रूप में ही लौटाया जाता था, परन्तु आधुनिक द्रव्य-प्रणाली के अन्तर्गत उधार लेने व देने में बहुत सुविधा हो गयी है। अब उधार मुद्रा के रूप में ही लिया जाता है और मुद्रा में ही लौटाया जाता है, अर्थात् मुद्रा स्थगित भुगतानों के मान का कार्य कर रही है। निम्न तीन कारणों से मुद्रा इस कार्य को सम्पन्न करने में अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध हुई है।

(अ) अन्य वस्तुओं की तुलना में मुद्रा का मूल्य अधिक स्थिर होता है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन ही नहीं होते, परन्तु यह निश्चित ही है कि दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा के मूल्य में कम परिवर्तन होते हैं। यही मुख्य कारण है कि स्थगित भुगतानों के लिए मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता है। इससे भुगतान लेने अथवा देने वाले दोनों पक्षों को ही आर्थिक हानि का कम भय रहता है।

(आ) अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा में टिकाऊपन भी अधिक होता है। इसलिए स्थगित भुगतानों के मान के रूप में इसका प्रयोग उपयुक्त रहा है।

(इ) मुद्रा में सर्वसाह्यता (general acceptability) का गुण होता है जिसके कारण हर समय लोगों को इसकी आवश्यकता बनी रहती है।

मुद्रा का स्थगित भुगतानों के मान के रूप में बड़ा महत्व है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, मुद्रा के कारण उधार लेना व देना आसान हो गया है और इससे अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला है।

परन्तु स्थगित भुगतानों के मान के रूप में मुद्रा में कुछ दोष भी पाये जाते हैं। मुद्रा का मुख्य दोष यह है कि इसके अपने ही मूल्य में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं जिनसे कभी ऋणियों (debtors) तथा कभी-कभी ऋणदाताओं (creditors) को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। उदाहरणार्थ, यदि कीमतों में बढ़ जाने से मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो ऋणदाताओं को हानि होती है और ऋणियों को लाभ होता है। इसके विपरीत यदि कीमतों में गिर जाने से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तो इससे ऋणदाताओं को लाभ होता है परन्तु ऋणियों को हानि उठानी पड़ती है।

(2) मुद्रा कय-शक्ति का सचय है—जैसा चिदित है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत बचतें (savings) प्रायः निरवसाहित होती थीं। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय मुद्रा के अभाव के कारण लोग अपने वस्तुओं के रूप में किया करते थे। वस्तुएँ प्रायः नश्वर (perishable) होती हैं, इसलिए उस समय लोगों द्वारा की गयी बचतें भी स्थायी नहीं होती थीं। इसके अतिरिक्त, वस्तुओं के रूप में बचत करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता भी पड़ती थी। इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली के अधीन बचतों की दर बहुत कम होती थी। परन्तु मुद्रा के आविष्कार के फलस्वरूप अब ऐसी बात नहीं रही। अब लोगों द्वारा बचतें वस्तुओं के रूप में नहीं बल्कि मुद्रा के रूप में की जाती हैं। इसीलिए अब वे (बचतें) स्थायी होती हैं। इसके अतिरिक्त, मुद्रा के रूप में बचत करने से बहुत कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन बहुत कम होते हैं। अतः मुद्रा के रूप में की गयी बचतें वस्तुओं के रूप में की गयी बचतों की तुलना में अधिक सुरक्षित रहती हैं। इसके अतिरिक्त, मुद्रा के आविष्कार ने पूँजी सचय को सम्भव बना दिया है और पूँजी-सचय पर ही, जैसा

विदित है, देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा के आविष्कार ने ही आर्थिक विकास को सम्भव बनाया है।

(3) मुद्रा ऋण-शक्ति को हस्तान्तरित करने का साधन है—आर्थिक विकास के साथ ही साथ विनिमय के क्षेत्र में भी विस्तार होता चला गया। वस्तुओं का ऋण-विक्रय अब दूर-दूर तक होने लगा। इस तरह ऋण-शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तान्तरित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। मुद्रा ने इस कार्य को बड़ी सुगमता व कुशलता से सम्पन्न किया। चूंकि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण विद्यमान है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी सम्पत्ति को बेचकर किसी अन्य स्थान पर नयी सम्पत्ति खरीद सकता है। इसने अतिरिक्त, मुद्रा के ही रूप में धन का लेन-देन होता है। मुद्रा के इस गुण के कारण ही ऋण-शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित किया जा सकता है। मुद्रा के इस कार्य का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में बड़ा महत्व है। इसी के कारण कुछ लोगों के पास पड़ा हुआ बेकार धन ब्याज देकर अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है।

(ग) आकस्मिक कार्य—मुद्रा के इन कार्यों का वर्णन प्रो० किन्ले (Kinley) द्वारा किया गया है। उनके कथनानुसार उन्नत तथा विकसित देशों में उपरोक्त कार्यों के अलावा मुद्रा द्वारा कुछ अन्य कार्य भी सम्पन्न किये जाते हैं। इन्हें मुद्रा के आकस्मिक कार्य कहा जाता है। जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होता जाता है, वैसे-वैसे ही उस देश में मुद्रा के इन कार्यों का महत्व भी बढ़ता जाता है। मुद्रा के आकस्मिक कार्य निम्नलिखित हैं

(1) मुद्रा साख का आधार है—वर्तमान युग में सभी देशों में साख का महत्व बहुत बढ़ चुका है। सभी देशों में आजकल साखपत्रों (credit instruments) का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होता है। विशेषकर पश्चिम के विकसित देशों में बैंकों विनिमय पत्रों आदि का प्रयोग तो बहुत बढ़ गया है। परन्तु स्मरण रहे कि साखपत्रों के प्रचलन का आधार मुद्रा ही है। बिना मुद्रा के साखपत्र प्रचलन में नहीं रह सकते। उदाहरणार्थ एक जमाकर्ता (depositor) बैंक का प्रयोग तभी कर सकता है जबकि बैंक में उसके लेखे (account) में पर्याप्त मुद्रा हो। इसी प्रकार देश का केन्द्रीय बैंक भी नोटों का निर्गमन तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि उन नोटों के पीछे पर्याप्त मात्रा में नकद कोष (cash reserves) न हो। व्यापारिक बैंक भी साख का सृजन नकद कोष के आधार पर ही कर सकते हैं।

(2) मुद्रा सामाजिक आय के वितरण को सरल बनाती है—वस्तु विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा के अभाव में सामाजिक आय के वितरण का कार्य बहुत जटिल हुआ करता था। परन्तु मुद्रा के आविष्कार ने इस कार्य को अब सरल बना दिया है। जैसा विदित है, आधुनिक उत्पादन विभिन्न साधनों द्वारा सामूहिक आधार पर किया जाता है, अर्थात् उत्पादन के विभिन्न साधन अब मिलकर उत्पादन-कार्य करते हैं। इस प्रकार कुल उत्पादन में से प्रत्येक साधन का हिस्सा मुद्रा में निश्चित किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक साधन को उसके काम के बदले में दिया जाने वाला पारितोषिक (reward) मुद्रा के रूप में ही प्रकट किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा के आविष्कार से सामाजिक आय को विभिन्न साधनों में वितरित करने का कार्य सुगम हो गया है।

(3) मुद्रा सीमान्त उपयोगिताओं एवं सीमान्त उत्पादकताओं में समानता लाने में सहायक होती है—जैसा विदित है प्रत्येक उपभोक्ता अपने व्यय में से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। उसे अधिकतम सन्तुष्टि तभी प्राप्त हो सकती है जबकि वह विभिन्न वस्तुओं पर व्यय इस ढंग से करे कि सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर हों। जब तक सभी वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताओं में समानता स्थापित नहीं होती तब तक वह अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। अब इन सीमान्त उपयोगिताओं को बराबर करने में मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्योंकि सभी वस्तुओं की कीमतें मुद्रा के रूप में ही व्यक्त की जाती हैं।

केवल यही नहीं, मुद्रा सीमान्त उत्पादकताओं में समानता लाने में भी सहायक सिद्ध होती है। जैसा हम जानते हैं, प्रत्येक उत्पादक अपन व्यवसाय में से अधिकतम उत्पत्ति (maximum output) प्राप्त करना चाहता है। परन्तु ऐसा करने के लिए उसे उत्पादन के विभिन्न साधनों का

इस ढंग से प्रयोग करना चाहिए कि सभी साधनों की सीमान्त उत्पादकतायें बराबर हों। अब सीमान्त उत्पादकताओं को बराबर करने में मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्योंकि सभी साधनों की सीमान्त उत्पादकतायें मुद्रा द्वारा ही मापी जाती हैं।

(4) मुद्रा पूंजी को उत्पादकता को बढ़ाती है—जैसा हम जानते हैं, पूंजी कई प्रकार की होती है, परन्तु मुद्रा पूंजी का तरलतम (most liquid) रूप है, अर्थात् मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है। मुद्रा को इस तरलता (liquidity) के कारण ही पूंजी को कम लाभपूर्ण उपयोगों में से निकालकर अधिक लाभपूर्ण उपयोगों में लगाया जा सकता है। मुद्रा को इस तरलता के कारण ही पूंजी की गतिशीलता (mobility) में वृद्धि हो गयी है। अब पूंजी को एक कम लाभपूर्ण स्थान से दूसरे अधिक लाभपूर्ण स्थान पर ले जाया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा के कारण ही पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

(घ) अन्य कार्य—मुद्रा के उक्त कार्यों के अतिरिक्त कुछ और कार्य भी हैं, जो निम्न-लिखित हैं :

(1) मुद्रा शोधन-क्षमता बनाये रखने में सहायक होती है—मुद्रा का यह कार्य वर्तमान युग में बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। जब कोई फर्म अपने दायित्वों (liabilities) को मुद्रा के रूप में चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो वह अपने आपको दिवालिया घोषित कर देती है, हालाँकि यह सम्भव है कि उस फर्म की परिसम्पत्ति (assets) उसके दायित्वों से अधिक हो। भविष्य में भुगतान करने का वचन मुद्रा से ही सम्बन्धित होता है। इसलिए अपनी शोधन-क्षमता को बनाये रखने के लिए प्रत्येक फर्म को तरल मुद्रा के रूप में कुछ न कुछ अवश्य जमा रखना पड़ता है। ऐसा करने से उसकी शोधन क्षमता भी सुरक्षित हो जाती है। इसी तरह बैंकों, बीमा कम्पनियों एवं सरकारी को अपनी शोधन-क्षमता बनाये रखने के लिये मुद्रा के रूप में कुछ न कुछ अवश्य रखना पड़ता है।

(2) मुद्रा निर्णय का वाहक है—प्रो० ग्राहम (Graham) ने मुद्रा के इस कार्य पर विशेष बल दिया है। मुद्रा के रूप में संचित ऋण-शक्ति का किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि मुद्रा को उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया जाय जिसके लिए वह बचायी गयी थी। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति भविष्य में मकान बनाने के लिए वचन करता है तो यह आवश्यक नहीं कि वह उस वचन को केवल मकान बनाने के लिए ही व्यय करे। हाँ सकता है कि वह उस वचन को मकान पर व्यय न कर, अपने बच्चों की शिक्षा पर व्यय करे। जैसा हम जानते हैं, भविष्य सदैव अनिश्चित होता है। जिस उद्देश्य के लिए मुद्रा संचित की जाती है, वह आवश्यक नहीं कि उसी उद्देश्य पर व्यय की जाय। उद्देश्य बदलते रहते हैं। यदि व्यक्ति का उद्देश्य बदल जाता है तो उसे कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मुद्रा निर्णय का वाहक है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा को भविष्य में किसी भी वस्तु को खरीदने में लगाया जा सकता है।

(3) मुद्रा पूंजी को तरलतम रूप प्रदान करती है—मुद्रा पूंजी का तरलतम रूप है। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से मुद्रा का भारी महत्व है। पूंजी का तरल रूप में रखना अत्यन्त आवश्यक होता है। प्रो० जे० एम० केन्ज (J M Keynes) के अनुसार पूंजी को कई उद्देश्यों (motives) से तरल रूप में रखना आवश्यक होता है।

(क) आय उद्देश्य (income motive) से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ मुद्रा अपने पास रखनी पड़ती है। उसे वेतन तो महीने या सप्ताह के पश्चात् मिलता है किन्तु उसका व्यय तो प्रतिदिन होता रहता है। अतः इस व्यय को करने के लिए उसे कुछ मुद्रा अवश्य अपने पास रखनी पड़ती है।

(ख) एक व्यवसायी को भी अपना प्रतिदिन का काम चलाने के लिए कुछ पूंजी मुद्रा के रूप में अवश्य रखनी पड़ती है क्योंकि उसे न केवल कच्चा माल ही खरीदना पड़ता है, बल्कि व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी भी चुकानी होती है। इसे सोदा उद्देश्य (transactions motive) कहते हैं।

(ग) इसी प्रकार मनुष्य अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए भी कुछ न कुछ मुद्रा सदैव अपने पास रखता है। प्रो० केन्ज के अनुसार इसे सुरक्षा उद्देश्य (precautionary motive) कहा जाता है।

(घ) पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में अनेक व्यवसायी सट्टा करने हेतु पूँजी को तरल रूप में रखना चाहते हैं। प्रो० वेन्ज ने इसे सट्टा उद्देश्य (speculative motive) कहा है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूँजी को तरल रूप में रखना आवश्यक होता है और मुद्रा इसके लिए सर्वोत्तम साधन है।

जैसा हमने ऊपर देखा, आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करती है। आर्थिक विकास के साथ साथ मुद्रा द्वारा किये गये कार्यों में भी वृद्धि होती चली गयी है, परन्तु आज भी मुद्रा के मुख्य कार्य चार ही माने जाते हैं—विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, स्थगित भुगतानों का मान और क्रय-शक्ति के सचय का साधन। मुद्रा के ये चारों मुख्य कार्य एक-दूसरे पर निर्भर हैं। मुद्रा के रूप में सचय इसलिए किया जाता है क्योंकि यह विनिमय का माध्यम है तथा स्थगित भुगतानों का मान है। इसी तरह विनिमय का माध्यम होने के कारण ही मुद्रा का लेखे की इकाई (unit of account) या मूल्य मापक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

मुद्रा का स्वरूप

(Nature of Money)

मुद्रा के स्वरूप की व्याख्या करते समय यह बताना आवश्यक है कि मुद्रा केवल साधन (means) है, साध्य (end) नहीं। जैसा विदित है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा करता है। वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत इन वस्तुओं एवं सेवाओं को केवल मुद्रा से ही खरीदा जा सकता है, अर्थात् मुद्रा मनुष्य की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि का एक साधन है और इसी माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मुद्रा का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। मुद्रा की टूट्टा तो इसलिए की जाती है क्योंकि इसके द्वारा मानव अपने आवश्यकताओं की सन्तुष्टि कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा केवल साधन ही है, साध्य नहीं।

मुद्रा और चलाय

(Money and Currency)

संघारण भाषा में मुद्रा तथा चलाय में कोई अन्तर नहीं किया जाता है, परन्तु अर्थशास्त्र में इन शब्दों का अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। 'चलाय' शब्द से अभिप्राय केवल धातु सिक्कों तथा विधिप्राप्त (legal tender) मुद्रा से ही होता है। चलाय के अन्तर्गत धातु सिक्कों एवं कागजी मुद्रा को सम्मिलित किया जा सकता है। इन्हें चलाय इसलिए कहा जाता है, क्योंकि कानूनी दृष्टिकोण से इन्हीं का देश के भीतर प्रचलन होता है। परन्तु 'मुद्रा' शब्द को अधिक विस्तृत अर्थ दिया गया है। मुद्रा में धातु सिक्के एवं कागजी मुद्रा तो सम्मिलित होती ही हैं परन्तु इनके अतिरिक्त साखरानों आदि को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार 'मुद्रा' शब्द का क्षेत्र 'चलाय' शब्द की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। मुद्रा तथा चलाय के अन्तर को यह कहकर और भी स्पष्ट किया जा सकता है कि सभी चलाय तो मुद्रा होते हैं परन्तु सभी मुद्राओं को चलाय नहीं कहा जा सकता (All currency is money but all money is not currency)।

मुद्रा का महत्त्व

(Importance of Money)

आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा के अभाव में आधुनिक अर्थ व्यवस्था प्रचलित ही नहीं हो सकती। अर्थशास्त्र की सभी शाखाओं—उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राज्य वित्त—में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा डॉ० मार्शल ने कहा है, "मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है।" वास्तव में, मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। प्रो० क्रोथर (Crowther) के शब्दों में, 'मुद्रा मानवीय आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है।' ज्ञान की प्रत्येक शाखा में एक न एक महत्वपूर्ण आविष्कार होता है जैसे यन्त्रकला (mechanics) में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीति शास्त्र में मताधिकार। इसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मानव के नाभ्यात्मिक जीवन के व्यापारिक पक्ष में मुद्रा एक आवश्यक आविष्कार है और इसी पर अन्य सभी बातें आधारित हैं। वर्तमान अर्थ व्यवस्था में मुद्रा का महत्त्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट किया जा सकता है

सबसे अधिक स्थायी होता है। दोनों पक्ष जानते हैं कि निकट भविष्य में मुद्रा के मूल्य में कोई विशेष फेर-बदल नहीं होगा। अतः भावी सौदे मुद्रा के रूप में ही तय किये जाते हैं।

(7) मुद्रा ने सामाजिक स्वतन्त्रता के क्षेत्र में वृद्धि की है—वस्तु विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत मजदूरों को उनकी मजदूरियाँ वस्तुओं के रूप में ही दी जाती थीं जिससे उनकी स्थिति गुलामों जैसी थी। मालिकों द्वारा मजदूरों को वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी दिया जाता था, उसे मजदूरों को अनिवार्य रूप में स्वीकार करना पड़ता था। परन्तु मुद्रा के आविष्कार के परिणाम-स्वरूप अब मजदूरों वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि मुद्रा में चुकाई जाती है। मुद्रा के रूप में दी गयी मजदूरियों से श्रमिक अब प्रतचाही वस्तुएँ खरीद सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा ने मजदूरों को अपनी परम्परागत दासता (slavery) से मुक्ति दिलायी है।

(8) राष्ट्रीय एकता में सहायता—मुद्रा के कारण राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा के परिणामस्वरूप सामाजिक अलगाव (social isolation) कम हो गया है। मुद्रा ने वाणिज्य एवं व्यापार को प्रोत्साहित किया है। अब दूर स्थित क्षेत्रों के लोग व्यापार हेतु एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, जिससे उनके आपसी सम्बन्ध मजबूत होते हैं और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।

(9) मुद्रा सामाजिक कल्याण की मापक है—मुद्रा के माध्यम से सामाजिक कल्याण को मापा जा सकता है। अमुक व्यक्ति का किसी वस्तु के उपभोग से कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है इसे केवल मुद्रा द्वारा ही मापा जा सकता है। मुद्रा के अभाव में समूचे अधशास्त्र में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो जायगा।

(10) मुद्रा भौतिक प्रगति को सम्भव बनाती है—वर्तमान भौतिक प्रगति का आधार औद्योगीकरण ही है परन्तु यह औद्योगीकरण बिना पूँजी संचयन (capital accumulation) के सम्भव नहीं हो सकता और पूँजी संचयन केवल मुद्रा के द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

निष्कर्ष—जैसा पहले कहा जा चुका है मुद्रा आधुनिक अर्थ व्यवस्था का अभिन्न अंग है। आधुनिक अर्थ व्यवस्था बिना मुद्रा के मुचार्क रूप से कार्य ही नहीं कर सकती। वास्तव में मुद्रा के अभाव में ही इसका महत्त्व अनुभव किया जा सकता है। प्रो० राबर्टसन (Robertson) के अनुसार उत्पादन सम्बन्धी सभी निर्णय मुद्रा के माध्यम से ही किये जाते हैं। किस वस्तु का उत्पादन किया जाय और कितना उत्पादन किया जाय—ये सभी बातें मुद्रा के माध्यम से ही निश्चित की जाती हैं। इसके साथ ही साथ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का अनुकूलन करने में भी मुद्रा महत्वपूर्ण योग देती है। देश की अर्थ व्यवस्था भी मुद्रा प्रणाली के स्वरूप से प्रभावित होती है। मुद्रा के मूल्य में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों से अर्थ-व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देश में होने वाली स्फीति (inflation) तथा अवस्फीति (deflation) के परिणाम दूरगामी (far-reaching) होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि बिना मुद्रा के हम आधुनिक जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। यह सत्य है कि मुद्रा में बहुत से दोष पाये जाते हैं परन्तु इनके बावजूद मुद्रा मानव की सर्वांगीण उन्नति का मूल कारण है।

मुद्रा के दोष

(Evils of Money)

जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है मुद्रा में कई प्रकार के दोष पाये जाते हैं। इनका अध्ययन हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे

(1) आर्थिक दोष—मुद्रा के दोष निम्नलिखित हैं

(क) मुद्रा व्यापार चक्रों (trade cycles) को जन्म देती है—जैसा विदित है पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में सदैव व्यापार चक्र चलता रहता है। कभी मन्दी (slump) आती है और कभी तेजी (boom)। इसी व्यापार चक्र के कारण अर्थ व्यवस्था में स्थिरता का अभाव हो जाता है और जनता के विभिन्न वर्गों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में, मुद्रा ही व्यापार चक्र के लिए उत्तरदायी है। प्रो० केज (Keynes) के अनुसार बचत (saving) तथा निवेश (investment) में असमानता होने के कारण ही व्यापार चक्र प्रचलित होता है। स्पष्ट है, बचत

(1) मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ—मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ता को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। अब यदि उपभोक्ता चाहे तो वह अपनी माँग को सुगमता से स्थगित कर सकता है। यदि उपभोक्ता देखता है कि किसी वस्तु की कीमत बहुत ऊँची है तो वह उस वस्तु के त्रय को तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक कि उसकी कीमत फिर से नहीं गिर जाती। मुद्रा में निहित क्रय शक्ति का प्रयोग उपभोक्ता जब चाहे कर सकता है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह मुद्रा की उसी समय खर्च करे जिस समय वह इसे प्राप्त करता है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति एवं तुलनात्मक स्थायित्व (comparative stability) के कारण इसका प्रयोग उपभोक्ता जब चाहे कर सकता है। इसमें उपभोक्ता को भारी लाभ हुआ है।

इसके अतिरिक्त मुद्रा उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिताओं को एक-दूसरे के बराबर करने में भी सहायता देती है। जैसा विदित है प्रत्येक उपभोक्ता अपने व्यय से अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यह केवल तभी सम्भव हो सकता है जबकि व्यय की विभिन्न मरदों से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिताएँ समान हों। इन सीमान्त उपयोगिताओं में समानता स्थापित करने में मुद्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती है।

(2) मुद्रा से उत्पादक को लाभ—उत्पादक के लिए भी मुद्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उत्पादक को उत्पादन के विभिन्न साधनों को जुटाने कच्चा माल खरीदने पूँजी उधार लेने एवं विज्ञापन तथा प्रचार करने आदि में मुद्रा सहायता देती है। बिना मुद्रा के ये सभी उत्पादन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नहीं किये जा सकते। केवल यही नहीं उत्पादन सम्बन्धी गणनाया (calculations) में भी मुद्रा महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। प्रत्येक उत्पादक को उत्पादन आरम्भ करने में पूर्व कई प्रकार की गणनाएँ करनी पड़ती हैं। उदाहरणार्थ उत्पादन-व्यय कितना होगा वस्तु का सम्भावित मूल्य कितना होगा एवं लाभ की मात्रा क्या होगी? स्पष्ट है कि बिना मुद्रा की सहायता के ये सभी महत्वपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी गणनाएँ सम्भव नहीं हैं।

(3) मुद्रा के कारण ही भ्रम विभाजन एवं विशेषज्ञता सम्भव हो सके हैं—प्राग्निव औद्योगिक प्रणाली में भ्रम विभाजन एवं विशेषज्ञता (specialisation) का महत्वपूर्ण स्थान है। बिना मुद्रा के भ्रम विभाजन एवं विशेषज्ञता सम्भव ही नहीं हो सकते थे। जैसा विदित है भ्रम विभाजन का अन्तगत उत्पादन कार्य को अनेक विधियों (processes) एवं उपविधियाँ (sub-processes) में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक विधि एवं उपविधि जगत् अलग भ्रम-समूहा द्वारा सम्पन्न की जाती है। चकि विभिन्न विधियाँ एवं उपविधियाँ में लगान्तियों का मुद्रा के रूप में पारितापिक (reward) दिया जाता है इसलिए वे अलग अलग रूप में काम कर सकते हैं। मुद्रा के अभाव में भ्रम विभाजन प्रणाली सम्भव नही हो सकती।

(4) मुद्रा पूँजी को गतिशीलता प्रदान करके अधिक उत्पादक बनाती है—जैसा हम जानते हैं मुद्रा पूँजी को तरलता (liquidity) प्रदान करती है और इसी तरलता के परिणामस्वरूप पूँजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है। मुद्रा के कारण ही पूँजी को कम लाभपूण उद्योगों में सन्तुष्ट कर अधिक लाभपूण उद्योगों में लगाया जा सकता है। इसी मुद्रा के कारण ही पूँजी को कम लाभपूण स्थान से अधिक लाभपूण स्थान का स्थानांतरित किया जा सकता है। सक्षम में मुद्रा ने पूँजी को अधिक गतिशील (mobile) बनाया है और पूँजी की इसी गतिशीलता के कारण ही आर्थिक विकास सम्भव हो सका है।

(5) मुद्रा वस्तु विनियम प्रणाली के सभी दोषों को दूर करती है—मुद्रा के कारण वस्तु विनियम प्रणाली की सभी कठिनाइयाँ अब दूर हो गयी हैं। अब दो व्यक्तियों की आवश्यकताओं के पारस्परिक संयोग का अभाव नहीं रहा। अब मूल्यों की सुगमता से माप हो सकती है। अविभाज्य वस्तुओं के विनियम में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और किसी भी वस्तु के बढ़ने में कोई अन्य वस्तु खरीदने में कोई असुविधा नहीं रहती और न ही क्रय शक्ति को संचित करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव किया जाता है।

(6) मुद्रा के कारण भावी सौदे बतमाल में ही किये जा सकते हैं—पूँजीवादी अथ व्यवस्था में भावी सौदे (future transactions) का विशेष महत्व है। भावी सौदे में कीमतों का तो बतमान में ही निश्चित कर लिया जाता है परन्तु माल का लेन देन एवं कीमतों का भुगतान भविष्य में ही किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि सब वस्तुओं की तुलना में मुद्रा का मूल्य

तथा निवेश दोनों ही मुद्रा से सम्बन्धित हैं। मुद्रा-रहित अर्थ-व्यवस्था में व्यापार-चक्र समाप्त हो जाता है, न तेजी रहती है और न मन्दी।

(ख) मुद्रा अति-पूँजीकरण (Over-capitalisation) एवं अति-उत्पादन (Over-production) को प्रोत्साहन देती है—मुद्रा के आविष्कार के फलस्वरूप ही उधार देना व लेना सुगम हुआ है। उधार की सुगमता के कारण अति-पूँजीकरण की समस्या उत्पन्न हो गयी है, अर्थात् कुछ उद्योग-धन्धों में आवश्यकता से अधिक पूँजी का प्रयोग किया जाता है। अति-पूँजीकरण के कारण ही अति-उत्पादन की समस्या उत्पन्न होती है। जब किसी अर्थ-व्यवस्था में आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाता है तो कीमतें गिर जाने से अस्थिरता या जातावरण उत्पन्न हो जाता है जो आर्थिक प्रगति के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध होता है।

(ग) मुद्रा के मूल्य में स्थिरता का अभाव रहता है—जैसा सर्वत्रिचित है, मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता, बल्कि नमय-समय पर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा का प्रयोग किया जाना है। आज शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसमें कागजी मुद्रा का प्रयोग बड़े पैमाने पर न होता हो। जब कागजी मुद्रा आवश्यकता से अधिक मात्रा में निर्गमित (issuc) की जाती है तो इससे स्फीति (inflation) की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, कीमतें बढ़ने लगती हैं और उपभोक्ताओं को आर्थिक यथिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, जब कागजी मुद्रा आवश्यकता से कम मात्रा में जारी की जाती है तो इससे अवरस्फीति की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, कीमतें गिरने लगती हैं और उत्पादकों को हानि होती है। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। कुछ को लाभ होता है और कुछ को हानि। परन्तु स्मरण रहे कि मुद्रा के मूल्य में यह अस्थिरता व्यापार और उद्योग के लिए बहुत हानिकारक होती है।

(घ) मुद्रा पूँजीवादी प्रणाली को सशक्त बनाती है—मुद्रा की एक श्रुति यह भी है कि यह पूँजीवादी प्रणाली को सुदृढ़ बनाती है। जैसा स्पष्ट है, मुद्रा के कारण ही साख अस्तित्व में आती है और इसी साख ने ही कारण धनी व्यक्तियों को धन उधार मिल जाता है। दूसरे शब्दों में, साख के कारण धनी लोग और अधिक धनी हो जाते हैं और उनके हाथों में पूँजी का अधिकाधिक केन्द्रीयकरण (concentration) होता जाता है। इस प्रकार देश में अल्प तथा सम्पत्ति सम्बन्धी विषमताएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनसे जनता में असन्तोष की आग भड़क उठती है। कर्मो-कर्मों तो यह हिंसक क्रान्तियों का रूप भी धारण कर लेती है।

(ङ) मुद्रा और ऋण-शक्ति कर्मो-कर्मों पर्यायवाची नहीं होते—साधारणतः मुद्रा और ऋण-शक्ति एक ही बात मानी जाती है, अर्थात् जब किसी व्यक्ति के पास मुद्रा होती है, तो उसके पास ऋण-शक्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि मुद्रा में ही ऋण-शक्ति होती है। परन्तु कभी कभी असाधारण परिस्थितियों में मुद्रा और ऋण-शक्ति एक ही बात नहीं होती। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास मुद्रा तो हो परन्तु ऋण-शक्ति का अभाव हो। ऐसी परिस्थिति प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में उत्पन्न हुई थी। महान स्फीति (Great Inflation) के कारण वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गयी थीं और जर्मन मार्क मुद्रा का मूल्य लगभग शून्य के बराबर हो गया था। उस समय जर्मन लोगों के पास मुद्रा होते हुए भी ऋण-शक्ति का अभाव था। ऐसी परिस्थितियों में मुद्रा जनता के लिए एक वरदान (blessing) के बजाय अभिशाप (curse) बन जाती है।

(च) मुद्रा सेविका से स्वामिनी बन जाती है—जब तक मुद्रा को नियन्त्रण में रखा जाता है तब तक यह मानव के लिए अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होती है और मानव की सेविका या कार्य करती है। परन्तु जब मुद्रा नियन्त्रण से बाहर हो जाती है तो समूची अर्थ-व्यवस्था के लिए अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में, जब मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से बहुत अधिक हो जाती है तो इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं और सेविका के बजाय यह मानव की स्वामिनी बन जाती है।

मुद्रा के उपरोक्त दोषों को देखते हुए कुछ विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि मुद्रा का उन्मूलन (abolition) ही कर दिया जाय। परन्तु यह सुझाव वर्तमान युग में व्यावहारिक नहीं है। बिना मुद्रा के पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा और एक बार फिर हमें

वस्तु-विनिमय की प्राचीन प्रणाली को बठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में तो मुद्रा के बिना शायद काम चल सकता है, परन्तु वहाँ पर भी लेखे की इकाई (unit of account) के रूप में मुद्रा का प्रयोग अनिवार्य होता है। अतः हम उक्त मुद्राव से सहमत नहीं हैं। बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि मुद्रा का उन्मूलन करने के बजाय उसके दोषों को दूर या कम किया जाय। मुद्रा के दोषों को एक सुसंचालित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रामान प्रणाली द्वारा कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि मुद्रा के गुणों व दोषों की तुलना की जाय तो हम देखेंगे कि दोषों की अपेक्षा मुद्रा के गुण अधिक हैं। वास्तव में, मुद्रा मानव के लिए हितकारण सत्त्वा (institution) सिद्ध हुई है। अतः इसके उन्मूलन अथवा परित्याग का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) सामाजिक दोष— मुद्रा के सामाजिक दोष निम्नलिखित हैं

(क) मुद्रा के कारण आध्यात्मवाद (spiritualism) का ह्रास होता है और भौतिकवाद (materialism) को प्रोत्साहन मिलता है।

(ख) मुद्रा ने लोगों में लालच और भोह को बढ़ावा दिया है।

(ग) मुद्रा धोखेबाजी, ठगी, चोरी, डकैती, हत्या को प्रोत्साहन देती है।

(घ) मुद्रा मनुष्यों में दूसरों का शोषण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज मुद्रा सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ बन गयी है। इसी कारण आज लोगों का नैतिक पतन हो गया है और मुद्रा समाज के लिए अभिशाप बन गयी है। परन्तु यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि उक्त दोष मुद्रा के नहीं, बल्कि मानव स्वभाव के हैं।

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का स्थान

(Place of Money in a Capitalist Economy)

जैसा विदित है, पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में निजी सम्पत्ति को मान्यता दी जाती है। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में चयन करने प्रसविदा करने एवं उद्यम को पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। निजी व्यक्ति जिस तरह चाहे अपनी सम्पत्ति का प्रयोग कर सकते हैं। वे उत्पादन के साधनों को जिस उद्योग में चाहे लगा सकते हैं। साधारणतः उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता। लेकिन उत्पादन के साधनों का विभिन्न उद्योग-धन्धों में लगाने हेतु वे कीमत सयन्त्र (price-mechanism) से मार्ग-दर्शन (Guidance) प्राप्त करने का प्रयास करते हैं अर्थात् वे देखते हैं कि किस उद्योग में कीमतें एवं लाभ दर ऊँची है। यथासम्भव वे उसी उद्योग में अपना धन, अथवा साधन लगाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे शब्दों में, कीमत-सयन्त्र के बिना वे उत्पादन-सम्बन्धी निर्णय नहीं ले सकते। अब कीमत-सयन्त्र बवल मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था को सुचारु ढंग से चलाने के लिए भौतिक प्रणाली अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में बचत, निवेश, साख, ब्याज आदि मुद्रा के माध्यम से ही निर्धारित होते हैं। मुद्रा के बिना पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था एक दिन भी नहीं टिक सकती। इस प्रकार मुद्रा पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का जीवन-रक्त (life-blood) है।

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का स्थान

(Place of Money in a Socialistic Economy)

जैसा ऊपर कहा गया है, मुद्रा पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इसके बिना पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था सुचारु ढंग से काम ही नहीं कर सकती। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में कीमत-सयन्त्र (price mechanism) का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी सहायता से दुर्लभ आर्थिक साधनों का विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों में वितरण किया जाता है। किन्तु यह कीमत सयन्त्र मुद्रा के ही रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार बिना मुद्रा के कीमत सयन्त्र भी क्रियाशील नहीं हो सकता। बिना कीमत-सयन्त्र के पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था कार्य करना बन्द कर देगी। स्पष्ट है कि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के लिए मुद्रा अनिवार्य ही प्रतीत होता है।

परन्तु कुछ समाजवादी लेखकों का विचार है कि समाजवादी समाज में मुद्रा का कुछ भी महत्व नहीं है। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था बिना मुद्रा के सुचारु रूप से कार्य कर सकती है। अतः

समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का परित्याग कर दिया जाना चाहिए।¹ परन्तु समाजवादी लेखकों का यह विचार हमें उचित प्रतीत नहीं होता। समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का लगभग उतना ही महत्व है जितना कि पूंजीवादी समाज में। रूस व चीन (जो इस समय विश्व के दो प्रमुख समाजवादी देश हैं) के उदाहरण लीजिए। इन दोनों देशों में मुद्रा महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करती है। वास्तव में, यह समझना कुछ रूठिन प्रतीत होता है कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था बिना मुद्रा के कैसे क्रियाशील हो सकती है। पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की भांति समाजवादी अर्थ व्यवस्था में भी आर्थिक साधनों की दुर्लभता की समस्या होती है। वहाँ पर भी दुर्लभ आर्थिक साधनों के उचित एवं मितव्ययतापूर्ण उपयोग का प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब जैसा स्पष्ट है, आर्थिक गणनाओं (economic calculations) के बिना दुर्लभ साधनों का उचित एवं मितव्ययतापूर्ण उपयोग सम्भव नहीं हो सकता। आर्थिक गणनाओं को सम्भव बनाने के लिए मुद्रा लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में। रूस की समाजवादी क्रांति के नेता लेनिन (Lenin) ने भी स्वीकार किया था कि मुद्रा का परित्याग करके समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। हमारे विचार में प्रो० ए० पी० लर्नर (A P Lerner) ने ठीक ही कहा है कि अर्थ-व्यवस्था चाहे कौसी ही, पूंजीवादी अथवा समाजवादी, बिना मौद्रिक कीमत संयंत्र (monetary price mechanism) के सुचारु रूप में काम नहीं कर सकती। दुर्लभ साधनों का अपव्यय (wastage) ही होगा। इन सभी बातों पर विचार करते हुए प्रो० जॉर्ज हॉलम (George Halm) ने ठीक ही कहा है कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था, वास्तव में, मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था ही होगी।

नियोजित अर्थ व्यवस्था में मुद्रा का स्थान (Place of Money in a Planned Economy)

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अर्थ व्यवस्था कौसी भी हो बिना मुद्रा के सुचारु ढंग से कार्य नहीं कर सकती। एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि कोई पिछड़ा हुआ एवं अ विकसित देश अपने जीवन-स्तर को उँचा उठाने के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लेता है तो निश्चय ही उसे आर्थिक विकास की गति तीव्र करने हेतु मुद्रा अथवा मौद्रिक संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी। प्रायः पिछड़े हुए देशों में वास्तविक संसाधन की इतनी कमी नहीं होती जितनी मौद्रिक संसाधनों की। देश के सुप्त (dormant) वास्तविक संसाधनों को काम में लगाने के लिए मौद्रिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः आर्थिक विकास को सम्भव बनाने के लिए देश को सरकार की पर्याप्त वित्त (मुद्रा) की व्यवस्था करनी पड़ती है। स्मरण रहे कि बिना पर्याप्त वित्त के देश के वास्तविक संसाधन बेकार ही पड़े रहेंगे। अतः सभी सम्भव साधनों से पर्याप्त वित्त का प्रबन्ध किया जाता है। जनता पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर लगाये जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण भी लोगों से लिये जाते हैं। यदि कराधान (taxation) और ऋणों से उपलब्ध वित्त भी अपर्याप्त रहता है, तो अन्त में सरकार विवश होकर हीनाय प्रबन्धन (deficit financing) का सहारा लेती है, अर्थात्

¹ समाजवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने अपने अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त (Theory of Surplus Value) में मुद्रा को शोषण का माध्यम बताया था और कहा था कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा का उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। सभी लेन-देन वस्तुओं के रूप में किया जाना चाहिए। सन् 1917 की बोलशेविक क्रांति (Bolshevik Revolution) के बाद रूस में जो आर्थिक प्रणाली स्थापित की गयी थी, उसमें मुद्रा को कुछ भी स्थान नहीं दिया गया था। किन्तु शीघ्र ही मुद्रा उन्मूलन की नीति का परित्याग कर दिया गया। रूसी सरकार ने अनुभव किया कि आर्थिक योजनाओं की सफलता के लिए आर्थिक गणनाओं (economic calculations) का किया जाना अनिवार्य है। किन्तु मुद्रा इकाई के बिना आर्थिक गणनाएँ नहीं की जा सकती थीं। अतः विवश होकर रूसी सरकार ने मुद्रा प्रणाली को पुनः अपनाया था।

सोवियत रूस में आज मुद्रा लगभग वे सभी कार्य सम्पन्न करती है जो इसके द्वारा पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में किये जाते हैं अर्थात् यह सेसे की इकाई है, विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है।

विकास सम्बन्धी मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार बड़े पैमाने पर अविनिमय (अपरिवर्तनीय) कागजी मुद्रा का निर्गमन करती है। इससे कीमतें बढ़ जाती हैं, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तथा आवश्यक वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि अल्प-विकसित देश की सरकार को हीनार्य प्रबन्धन का न्यूनतम प्रयोग ही करना चाहिए।

आन्तरिक वित्त के साथ-साथ अल्प-विकसित देश की सरकार को यथासम्भव बाह्य वित्त (external finance) अथवा विदेशी विनिमय (foreign exchange) का भी प्रबन्ध करना पड़ता है। विदेशों से मशीनें एवं अन्य पूंजीगत माल आयात करने के लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विदेशी व्यापारी अपने माल के बदले देशी मुद्रा को स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार सरकार अनावश्यक आयातों (imports) का कम कर और निर्यातों को बढ़ाकर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को अर्जित करती है ताकि आवश्यक मशीनें एवं पूंजीगत माल विदेशों से मंगवाया जा सके। ऐसा करने के लिए सरकार तरह-तरह के नियन्त्रण लगाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अल्प-विकसित देश की सरकार को आर्थिक विकास की गति तीव्र करने हेतु पर्याप्त मात्रा में मौद्रिक साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1 मुद्रा का जन्म कैसे हुआ ? (आगरा, 1956 पृ०)
[संकेत—यहाँ पर मुद्रा के जन्म के सम्बन्ध में प्रतिपादित दो सिद्धान्तों की विवेचना की जाए और यह भी बताइए कि मुद्रा किन किन चरणों में से होकर गुजरी है।]
- 2 स्पष्टतः समझाइए कि किस प्रकार एवं किस सीमा तक विनिमय व्यवहारों में मुद्रा का प्रयोग करने से वस्तु-विनिमय की कठिनाइयाँ दूर हो गयीं ? (राजस्थान, 1958)
[संकेत—पहले वस्तु-विनिमय की मुख्य कठिनाइयों का उल्लेख की जाए। तदुपरान्त, यह समझाइए कि मुद्रा के प्रयोग से ये कठिनाइयाँ कैसे दूर हो गयीं।]
- 3 मुद्रा की परिभाषा और उसके कार्यों की व्याख्या की जाए। (आगरा, बी० कॉम, 1962 पृ०)
अथवा
मुद्रा की परिभाषा की जाए। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं ? (आगरा, 1975)
[संकेत—प्रथम भाग में मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओं की व्याख्या करते हुए उनकी श्रुटियों पर प्रकाश डालिए और बनाइए कि मुद्रा की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए। दूसरे भाग में मुद्रा के मुख्य गौण, आकस्मिक तथा अन्य कार्यों की विवेचना की जाए।]
- 4 “मुद्रा अर्थशास्त्र की गति केन्द्र है” विस्तारपूर्वक व्याख्या की जाए। (आगरा, बी० कॉम०, 1961)
अथवा
“मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है।” चर्चा की जाए। (विक्रम, 1969, आगरा 1975)
[संकेत—यहाँ पर देश की अर्थ व्यवस्था में मुद्रा के महत्त्व की विस्तारपूर्वक व्याख्या की जाए।]
- 5 “मुद्रा एक अच्छी सेविका है, किन्तु बुरी स्वामिनी है।” (आगरा, 1966, सागर, 1957)
अथवा
“मुद्रा जो कि भानवता के लिए अनेक बरदानों का स्रोत है, नियन्त्रण में न रखने पर सकृद फल कारण भी बन जाती है।” (डी० एच० रॉबर्टसन) विवेचना की जाए। (आगरा, 1969)
[संकेत—यहाँ पर मुद्रा के गुणों एवं अवगुणों (दोषों) की विस्तारपूर्वक व्याख्या की जाए और स्पष्ट की जाए कि जब तक मुद्रा को नियन्त्रण में रखा जाता है तब तक इससे अनेक लाभ होते हैं। परन्तु जब मुद्रा मनुष्य के नियन्त्रण से बाहर हो जाती है तो यह अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में, जब मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्गमन (issue) होता है तब मुद्रा स्फीति की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और समूची अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है।]
- 6 मुद्रा के प्रमुख कार्यों की गणना और उनका महत्त्व बताइए। (विक्रम, 1969)

अथवा

मुद्रा के कार्यों को पूर्णतया समझाइए। उत्पादकों और उपभोक्ताओं को इससे मिलने वाले लाभों का भी वर्णन कीजिए। (आगरा, 1967)

[सकेत—प्रथम भाग में, मुद्रा के मुख्य, गौण, आकस्मिक एवं अन्य कार्यों की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, मुद्रा के गुणों का वर्णन कीजिए। मुद्रा की सहायता से उपभोक्ता अपने माँग को स्थगित कर सकता है और विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिताओं में समानता स्थापित कर सकता है। इसी प्रकार उत्पादक भी मुद्रा के माध्यम से उत्पादन-सम्बन्धी कार्यों को उचित ढंग से सम्पन्न कर सकता है। उत्पादन के साधनों को जुटाने, बच्चा माल खरीदने, पूँजी उधार लेने आदि में मुद्रा सहायक सिद्ध होती है।]

- 7 मुद्रा के कार्यों का वर्गीकरण एवं विवेचन कीजिए और यह दिखाइए कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा उत्पादन एवं विनिमय किस प्रकार आसान हो गये हैं? (बिहार, 1958)

[सकेत—प्रथम भाग में, मुद्रा द्वारा किये गये कार्यों को चार वर्गों—मुख्य, गौण, आकस्मिक तथा अन्य—में विभाजित करते हुए उनका उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि किस प्रकार मुद्रा उत्पादन तथा विनिमय-कार्यों में सहायता देती है। इसके लिए उक्त अध्याय में 'मुद्रा का महत्व' नामक उप-शीर्षक देखिए।]

- 8 आधुनिक आर्थिक जीवन में द्रव्य क्यों आवश्यक है? द्रव्य का किन कार्यों में उपयोग होता है? (सागर, बी० कॉम० 1961)

[सकेत—प्रथम भाग में, द्रव्य (मुद्रा) द्वारा की गयी सेवाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में, द्रव्य के कार्यों की विवेचना कीजिए।]

- 9 नियोजित अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के महत्व को संक्षेप में लिखिए। (विक्रम, 1967)

[सकेत—उपर्युक्त अध्याय में इस नाम के शीर्षक को देखिए।]

- 10 (अ) मुद्रा की परिभाषा दीजिए। (ब) मुद्रा तथा चलन में क्या अन्तर है? (आगरा, 1970)

[सकेत—(अ) यहाँ पर मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओं की व्याख्या करते हुए उनकी श्रुतियों पर प्रकाश डालिए और बताइए कि मुद्रा की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए। (ब) 'चलन' क अर्थगत केवल धातु सिक्कों एवं कागजी मुद्रा को ही सम्मिलित किया जाता है। परन्तु 'मुद्रा' शब्द को अधिक विस्तृत अर्थ दिया जाता है। इसके अन्तर्गत धातु-सिक्कों एवं कागजी मुद्रा के अलावा साख-पत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है।]

- 11 "मुद्रा सब दोषों की जड़ है।" स्पष्ट कीजिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। (आगरा, 1974)

[सकेत—यहाँ पर मुद्रा के आर्थिक एवं सामाजिक दोषों की विस्तृत व्याख्या करने के उपरान्त यह बताइए कि उक्त विचार एकपक्षीय है। यद्यपि इससे बहुत सी बुराइयाँ उत्पन्न हुई हैं लेकिन फिर भी मुद्रा ने मानव की महान् सेवा की है। वास्तव में, मानव की सर्वांगीण उन्नति का मूल कारण मुद्रा ही है।]

2

मुद्रा का वर्गीकरण (Classification of Money)

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर मुद्रा का वर्गीकरण किया है। मुद्रा के प्रमुख वर्गीकरण निम्नलिखित हैं

✓ प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण

प्रकृति के आधार पर प्रो० जे० एम० केन्ज (J M Keynes) ने मुद्रा को दो उपशीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया है

(क) वास्तविक मुद्रा,

(ख) हिसाब (लेखे) की मुद्रा।

(क) वास्तविक मुद्रा (Actual Money)—वास्तविक मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो किसी देश में, वास्तव में प्रचलित होती है। यह मुद्रा विनिमय का माध्यम और स्वीकृत भुगतानों का आधार होती है। इसी की सहायता से बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय होता है। वास्तविक मुद्रा के ही रूप में ऋण शक्ति का संचय किया जाता है। उदाहरणार्थ, भारत में 1 पैसा और 1 रुपया दोनों ही वास्तविक मुद्रा हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही विभिन्न प्रकार के भुगतान (Payments) किये जाते हैं।

(ख) हिसाब (लेखे) की मुद्रा (Money of Account)—हिसाब की मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जिसमें सभी प्रकार के हिसाब किताब (Accounts) रखे जाते हैं। इसी मुद्रा में ऋणों की मात्रा, कीमतों एवं ऋण-शक्ति को व्यक्त किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार की मुद्रा, वास्तव में, प्रचलन (circulation) में हो। साधारणतः हिसाब की मुद्रा तथा वास्तविक मुद्रा एक ही होती है, परन्तु सकट काल में वे अलग-अलग भी हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् जर्मनी में वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा अलग-अलग हो गयी थी। वास्तविक मुद्रा तो जर्मन मार्क (German Mark) ही थी। सभी प्रकार के भुगतान अथवा लेन देन मार्क के ही रूप में किये जाते थे। परन्तु हिसाब की मुद्रा फ्रैंक फ्रैंक (Franc) अथवा अमरीकी डॉलर (Dollar) थी, अर्थात् हिसाब किताब प्रायः इन मुद्राओं में रखे जाते थे क्योंकि जर्मन मार्क की तुलना में इन मुद्राओं के मूल्य अधिक स्थिर थे। इसी प्रकार सन् 1933 में अमरीका में हिसाब की मुद्रा तो स्वर्ण डॉलर (gold dollar) थी परन्तु वास्तविक भुगतान कागजी मुद्रा, तब के सिक्कों अथवा गिल्ट के सिक्कों में किये जाते थे।

वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब की मुद्रा का उक्त अन्तर भारतीय उदाहरण से भी स्पष्ट किया जा सकता है। भारतीय रुपये के इतिहास में कई परिवर्तन हुए हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय रुपया चाँदी का बना होता था, लेकिन अब रुपया कागज अथवा गिल्ट का बना हुआ है। इस प्रकार वास्तविक रुपये में तो अन्तर आ गया है, परन्तु रुपया आज भी लेखे या हिसाब की मुद्रा है।

प्रो० जे० एम० केज ने आगे चलकर वास्तविक मुद्रा को भी दो उपवर्गों में विभाजित किया है—(अ) पदार्थ मुद्रा, (आ) प्रतिनिधि मुद्रा। पदार्थ मुद्रा (Commodity Money) सर्वत्र किसी न किसी धातु की बनी होती है और उसका अंकित मूल्य (face value) उसके यथार्थ मूल्य (intrinsic value) के बराबर होता है। पदार्थ मुद्रा को पूर्णकाय मुद्रा (Full bodied-Money) भी कहा जाता है। पदार्थ मुद्रा न केवल विनिमय का माध्यम होती है, बल्कि त्रय शक्ति का सचय भी इसी में किया जाता है। जैसा कहा गया है, पदार्थ मुद्रा का धात्विक मूल्य इसके अंकित मूल्य के बराबर होता है।

इसके विपरीत, प्रतिनिधि मुद्रा (Representative Money) वह मुद्रा होती है जो प्रचलित होती है और विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, परन्तु त्रय शक्ति का उसमें सचय नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधि मुद्रा को पदार्थ मुद्रा में बदलने की सुविधा प्रायः सरकार द्वारा दी जाती है। कोई भी व्यक्ति जब चाहे प्रतिनिधि मुद्रा को पदार्थ मुद्रा में बदलवा सकता है। प्रतिनिधि मुद्रा त्रय शक्ति के सचय के लिए उपयुक्त नहीं होती क्योंकि इसका यथार्थ मूल्य कुछ भी नहीं होता। कागजी मुद्रा प्रतिनिधि मुद्रा का ही उदाहरण है। प्रतिनिधि (कागजी) मुद्रा भी आगे चलकर दो उपवर्गों में विभाजित की जाती है। प्रथम विनिमय (परिवर्तनीय) प्रतिनिधि मुद्रा और द्वितीय, अविनिमय (अपरिवर्तनीय) प्रतिनिधि मुद्रा। विनिमय मुद्रा (Convertible Money) से अभिप्राय उस मुद्रा से है जिसे सरकार अथवा निर्गमन करने वाली संस्था (issuing authority) पदार्थ-मुद्रा में बदलने के लिए कटिबद्ध होती है। इसके विपरीत, अविनिमय मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से है जिसे पदार्थ मुद्रा में बदलने के लिए सरकार अथवा निर्गमन करने वाली संस्था बाध्य नहीं होती।

प्रो० सेलिगमैन (Seligman) ने उपरोक्त दो प्रकार की मुद्राओं (अर्थात् वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब की मुद्रा) को वास्तविक मुद्रा तथा आदर्श मुद्रा (Ideal Money) कहकर सम्बोधित किया है। इसी प्रकार प्रो० बेनहम (Benham) ने उन्हें चलन की इकाई (Unit of Currency) तथा लेखे की इकाई (Unit of Account) कहकर पुकारा है।

वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण

वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है

(क) बंध (विधिप्राप्त) मुद्रा,

(ख) ऐच्छिक मुद्रा।

(क) बंध (विधिप्राप्त) मुद्रा (Legal Tender Money) — यह वह मुद्रा होती है जिसे भुगतान के साधन रूप में जनता एवं सरकार दोनों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसके पीछे कानून की शक्ति होती है और इसी आधार पर यह मुद्रा जनसाधारण द्वारा स्वीकार की जाती है। कोई भी व्यक्ति भुगतान के रूप में इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसे सरकार द्वारा दण्डित किया जाता है। इसीलिए इसे बंध मुद्रा कहते हैं।

बंध मुद्रा को आगे चलकर दो श्रेणियाँ में विभाजित किया जाता है—(i) सीमित बंध मुद्रा, (ii) असीमित बंध मुद्रा।

(i) सीमित बंध मुद्रा (Limited Legal Tender)—यह वह मुद्रा है जिसको किसी एक निश्चित सीमा के ऊपर स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता। सरकार इस प्रकार की मुद्रा की अनिवार्य स्वीकृति की सीमा कानून द्वारा निश्चित कर देती है। इस सीमा से अधिक भुगतान स्वीकार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, भारत में 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के केवल 25 रुपये तक ही बंध (विधिप्राप्त) हैं। परिणामतः यदि किसी व्यक्ति को 25 रुपये से अधिक रजगारी दी जाती है तो वह इसे अस्वीकार कर सकता है। परन्तु 25 रुपये तक उसे ये छोटे सिक्के स्वीकार करने ही पड़ेंगे।

(ii) असीमित बंध मुद्रा (Unlimited Legal Tender)—यह वह मुद्रा है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक एक ही बार में भुगतान में स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, अर्थात् यह मुद्रा असीमित मात्रा में जनता द्वारा स्वीकार की जाती है। यदि कोई व्यक्ति असीमित

मात्रा में इसे स्वीकार करने से इन्कार करता है ता सरकार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर उसे दण्डित कर सकती है। उदाहरणार्थ, भारत में 50 पैसे तथा 1 रुपय के सिक्के तथा सभी प्रकार की कागजी मुद्रा (नोट) असीमित बंध मुद्रा हैं।

(ख) ऐच्छिक मुद्रा (Optional Money)—यह वह मुद्रा है जो साधारणतः जनता द्वारा स्वीकार तो की जाती है, परन्तु कानूनन किसी व्यक्ति को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वह इस प्रकार की मुद्रा स्वीकार करे अथवा नहीं। यदि मुद्रा देने वाले व्यक्ति की बाजार में साथ ऊँची है तो इस प्रकार की मुद्रा को प्रायः सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। परन्तु किसी भी व्यक्ति को किसी भी दशा में इस प्रकार की मुद्रा का स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता इसीलिए ता इसे ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। विभिन्न प्रकार के साक्ष्यपत्र जैसे—बैंक, ट्रेजरी, विनिमय पत्र (bills of exchange) इत्यादि ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं।

मुद्रा-पदाथ के आधार पर वर्गीकरण

मुद्रा-पदाथ के आधार पर मुद्रा को दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है :

(क) धातु मुद्रा,

(ख) कागजी मुद्रा।

(क) धातु-मुद्रा (Metallic Money)—यह मुद्रा किसी धातु (सोना, चाँदी, इत्यादि) की बनी होती है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि धातु मुद्रा किन-किन अवस्थाओं में से होकर गुजरी है। धातु मुद्रा भी तीन प्रकार की होती है (अ) मानक (प्रामाणिक) मुद्रा, (ब) प्रतीक (साक्षेतिक) मुद्रा (स) गौण मुद्रा।

(अ) मानक (प्रामाणिक) मुद्रा (Standard Money)—इसे प्रधान, पूर्णकाय तथा सर्वांग मुद्रा भी कहते हैं। इनके पिछले प्रायः सोने व चाँदी के बनाये जाते हैं। ये सिक्के कानून के अनुसार एक निश्चित बज्रन तथा गुणवत्ता (fineness) के बनाये जाते हैं। मानक मुद्रा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(i) मानक सिक्का देश का प्रमुख सिक्का होता है—अब यह विनिमय का माध्यम माना है और इसी में हिसाब किताब रक्ख जाना है। जब देश में मानक सिक्का एक ही धातु का बनाया जाना है तो इसे एक धातुमान (Monometallism) कहते हैं। यदि यह धातु सोना होती है तो इसे स्वर्ण एक धातुमान (Gold Monometallism) कहते हैं। इसके विपरीत, यदि यह धातु चाँदी होती है तो इसे रजत एक धातुमान (Silver Monometallism) कहा जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मानक सिक्का दो धातुओं अर्थात् सोने व चाँदी का बनाया जाता है। हमारे शब्दों में, दो प्रकार के मानक सिक्के होते हैं—एक सोने का और दूसरा चाँदी का बना होता है। ऐसी प्रणाली को द्विधातुमान (Bimetallism) कहते हैं।

(ii) मानक मुद्रा का अंकित मूल्य तथा यथार्थ मूल्य बराबर होते हैं—मानक मुद्रा का अंकित मूल्य (face value) सदैव इसके यथार्थ अथवा धात्विक मूल्य (intrinsic value) के बराबर रहता है। हमारे शब्दों में, मानक सिक्के में उसका अंकित मूल्य के बराबर ही धातु रक्खी जाती है। यदि कोई मानक सिक्के गलाकर बेचना है तो उस कोई हानि नहीं होती क्योंकि अंकित मूल्य के बराबर ही उस धातु प्राप्त होती है। इसलिए इसे पूर्णकाय मुद्रा (full-bodied money) कहा गया है। उदाहरणार्थ, सन 1893 से पूर्व भारतीय रुपया मानक सिक्का था। इसमें इसके अंकित मूल्य के बराबर ही चाँदी डाली जाती थी। इसी प्रकार सितम्बर 1931 से पूर्व ग्रेट ब्रिटेन में सोवरेन (sovereign) मानक सिक्का था। परन्तु सितम्बर 1931 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा स्वर्णमान प्रणाली का परिचय करने पर ब्रिटिश मुद्रा मानक नहीं रही।

(iii) मानक सिक्को की खुली ढलाई होती है—मानक सिक्को की यह विशेषता होती है कि उनकी ढलाई स्वतन्त्र अथवा खुली होती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि खुली सिक्का ढलाई (free coinage) क्या होती है? मंत्रों में, हम कह सकते हैं कि जब किसी देश की जनता को सोना व चाँदी मन्त (mint) में ले जाकर उन्हें सिक्को में ढलवाने का अधिकार प्राप्त होता

है तब ऐसी प्रणाली को खुली सिक्का ढलाई कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इस प्रणाली के अन्तर्गत टंकाल जनता के लिए खुली होती है। इस सवा के लिए सरकार जनता से कभी ढलाई शुल्क लेती है और कभी नहीं। इस प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि दश में सिक्कों का अभाव नहीं होने पाता। जब कभी जनता सिक्कों के अभाव को अनुभव करती है तो तुरन्त वह सोना व चाँदी टंकाल में ले जाकर उनके सिक्के ढलवा सकती है।

(iv) मानक मुद्रा असीमित वैध (विधिप्राह्य) मुद्रा होती है—मानक मुद्रा की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी असीमित वैधता होती है और ऐसा होना अनिवार्य है, क्योंकि मानक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होता है। इसी नाते बड़े-बड़े भुगतान (payments) इसी में असीमित मात्रा में किये जाते हैं।

(ब) प्रतीक (साकेतिक) मुद्रा (Token Money)—यह मुद्रा प्रायः छोटे-छोटे भुगतानों में प्रयुक्त की जाती है। यह मानक मुद्रा के लिए सहायक का काम देती है। प्रतीक मुद्रा प्रायः घटिया एवं हल्की किस्म की धातुओं से बनायी जाती है, जैसे तांबा, गिल्ट, निकल इत्यादि। इस मुद्रा की विशेषताएँ मानक मुद्रा की विशेषताओं में सवधा भिन्न होती है।

(i) प्रतीक मुद्रा की ढलाई खुली नहीं होती—प्रतीक सिक्कों की ढलाई केवल सरकार द्वारा ही की जाती है। जनता का यह अधिकार नहीं होता कि वह धातुओं को टंकाल में ले जाकर उन्हें सिक्कों में ढलवा सके।

(ii) प्रतीक मुद्रा का अंकित मूल्य उसके यथार्थ अथवा धात्विक मूल्य से अधिक होता है—प्रतीक सिक्कों पर अंकित मूल्य उनके भीतर रखी गयी धातु के मूल्य से अधिक होता है। उदाहरणार्थ, एक 25 पैसे के सिक्के में डाली गयी धातु का मूल्य 25 पैसे से कम होता है। यदि ऐसा न हो तो लोग प्रतीक सिक्कों को गलाकर धातु के रूप में बेचना आरम्भ कर दे। इसीलिए प्रतीक मुद्रा का अंकित मूल्य उसके धात्विक मूल्य से सदैव अधिक रखा जाता है। इसी कारण प्रतीक मुद्रा को प्रादिष्ट मुद्रा (Fiat Money) कहा जाता है।

(iii) प्रतीक मुद्रा सीमित वैध मुद्रा होती है—जटा पूरा कहा जा चुका है, प्रतीक सिक्का का केवल सीमित मात्रा में ही भुगतान के रूप में दिया जा सकता है। इन्हें एक समय पर एक निश्चित मात्रा से अधिक स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति का वाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, भारत में 1 पैसे 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों को केवल 25 रुपये तक ही किसी व्यक्ति का स्वीकार करने के लिए विवश किया जा सकता है।

(iv) प्रतीक मुद्रा मानक मुद्रा की सहायक होती है—प्रतीक सिक्के छोटे छोटे सौदा (small transactions) के भुगतान में ही प्रायः प्रयुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार ये मानक सिक्कों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि प्रतीक सिक्क क्या जारी किये जाते हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं

(1) कभी-कभी सरकार के पास सिक्कों में प्रयोग की जाने वाली धातुओं का अभाव हो जाता है। अतः इन धातुओं का बचतपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रतीक सिक्कों को प्रचलित किया जाता है। प्रतीक सिक्का में वैसा जपर कहा जा चुका है धातु की मात्रा उनके अंकित मूल्य से कम रखी जाती है। इस तरह थोड़ी सी धातु से अधिक मात्रा में सिक्के तैयार हो जाते हैं।

(2) कभी-कभी धातु का मूल्य में वृद्धि का फलस्वरूप लोग सिक्का का गलाना आरम्भ कर देते हैं और उन्हें धातु के रूप में बाजार में बेचकर लाभ कमाते हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार सरकार में धातु की मात्रा का घटा देती है। उदाहरणार्थ सन् 1940 से पूर्व भारतीय रुपया (जो चाँदा का बना हुआ था) पूरुणाय सिक्का था। परन्तु दूसरे विश्व युद्ध का छिड़ जाना में चाँदी का बाजार मूल्य बढ गया और इसने परिणामस्वरूप चाँदी न रुपया को गला कर उसकी चाँदी को धातु के रूप में बाजार में बेचकर लाभ कमाता आरम्भ कर दिया था। फलतः रुपये का सिक्का का बड़ा अभाव हो गया था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने चाँदी के रुपये का अमूर्तीकरण (demonetisation) कर दिया और उससे स्थान पर एक नये रुपये का

चलन किया जिसमें चाँदी का 50% कम कर दिया गया था। बाद में चलकर सन् 1946 में तो रुपया गिल्ट का बनने लगा था। चाँदी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था।

परन्तु प्रतीक सिक्को को जारी करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण तो छोटे छोटे सौदों में भुगतान को सम्भव बनाना है। इनकी अनुपस्थिति में जनता का काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः सभी देशों में प्रतीक मुद्रा अनिवार्य-सी बन गयी है और इसके बिना लोगों के व्यावसायिक सौदे सम्पन्न नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रतीक सिक्को के चलन से मूल्यवान् धातुओं का बचतपूर्ण उपयोग होता है और फिर इनमें लोचकता (elasticity) का गुण भी विद्यमान है, अर्थात् इनकी मात्रा को आवश्यकतानुसार मानक सिक्को की अपेक्षा आसानी से बढ़ाया जा सकता है।

मानक सिक्को के गुण—मानक सिक्का के गुण निम्नलिखित हैं

(1) अधिक विश्वास—चूँकि मानक सिक्के पूर्णकाय सिक्के होते हैं (अर्थात् उनका यथायुक्त मूल्य उनके अंकित मूल्य के बराबर होता है) इसलिए जनता का उनमें अधिक विश्वास होता है।

(2) ऋय शक्ति के सचय के साधन—मानक सिक्के पूर्णकाय होने के कारण ऋय शक्ति का सचय करने के लिए उत्तम साधन होते हैं।

(3) विदेशों में ग्राह्यता—चूँकि मानक सिक्का का अंकित मूल्य उनका धात्विक मूल्य के बराबर होता है इसलिए उह विदेशों में भी भुगतान के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।

(4) स्फीति का भय नहीं होता—मानक सिक्को के प्रयोग से देश में स्फीति (inflation) का भय जाता रहता है। जैसा विदित है स्फीति की दशा तो तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की निकासी अत्यधिक मात्रा में होती है। परन्तु मानक सिक्को (standard coins) के अत्यधिक मात्रा में निर्यात किये जाने का कोई भय नहीं होता क्योंकि धातुएँ प्रायः असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती।

मानक सिक्को के अवगुण—इनके अवगुण निम्नलिखित हैं

(1) मानक सिक्के बचतपूर्ण नहीं होते—जैसा स्पष्ट है, मानक सिक्को को बनाने में मूल्यवान् धातुओं का प्रयोग किया जाता है। चलन में काफी समय रहने के बाद इनमें घिसावट होती है जो एक प्रकार की राष्ट्रीय क्षति है। इस प्रकार मानक सिक्को से धातुओं का अपव्यय (wastage) होता है।

(2) मानक मुद्रा बेलेच्छ होती है—मानक सिक्का में लोच का सचय अभाव रहता है। इन सिक्को की मात्रा को इनकी माँग के अनुसार बढ़ाया नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, यदि माँग बढ़ जाती है तो इनकी मात्रा को उसी अनुपात में बढ़ाना कठिन हो जाता है, क्योंकि इनकी मात्रा तो देश में उपलब्ध धातुओं पर निर्भर करती है।

प्रतीक सिक्को के गुण—इनके गुण निम्नलिखित हैं

(1) धातुओं का बचतपूर्ण उपयोग—चूँकि प्रतीक सिक्को में मूल्यवान् धातुओं का प्रयोग नहीं किया जाता इसलिये य मानक सिक्को की तुलना में अर्थव्ययी (economical) होता है। प्रतीक सिक्को के उपयोग के परिणामस्वरूप मूल्यवान् धातुओं को अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया जा सकता है।

(2) प्रतीक मुद्रा अधिक लोचपूर्ण होती है—प्रतीक सिक्को की मात्रा को उनकी माँग के अनुसार मानक सिक्को की अपेक्षा आसानी से बढ़ाया जा सकता है क्योंकि उनमें प्रयोग की जाने वाली धातुएँ अधिक सस्ती व सुलभ होती हैं।

प्रतीक सिक्को के अवगुण—इनके अवगुण निम्नलिखित हैं

(1) कम विश्वास—चूँकि प्रतीक सिक्के पूर्णकाय सिक्के नहीं होते इसलिए जनता का उनमें विश्वास प्रायः कम होता है।

(2) ऋय शक्ति के सचय के लिए अनुपयुक्त—प्रतीक सिक्के ऋय शक्ति के सचय के लिए इतने उपयुक्त नहीं होते जितने कि मानक सिक्के होते हैं।

(3) अत्यधिक निकासी का भय—चूंकि प्रतीक सिक्के सरती एव सुलभ धातुओं के बने होते हैं, इसलिए इनकी अत्यधिक निकासी का भय बना रहता है।

(4) देश के भीतर प्राह्यता—प्रतीक सिक्का का चलन क्षेत्र देश की भीतरी सीमाओं तक ही सीमित होता है। विदेशों में इन्हें भुगतान के रूप में कोई भी स्वीकार नहीं करता।

(5) सीमित वैधता—चूंकि प्रतीक सिक्के सीमित विधिग्राह्य होते हैं, इसलिए इनका केवल छोटे-छोटे सौदों के भुगतान में ही प्रयोग किया जा सकता है।

इस प्रकार हमने देखा कि मानक सिक्को तथा प्रतीक सिक्को में गुण तथा अङ्गुण दोनों ही हैं।

परन्तु वारतविक्रता ता यह है कि मानक तथा प्रतीक सिक्के प्रतिस्पर्द्धी (rivals) न होकर एक-दूसरे के पूरक हैं, अर्थात् देश की मुद्रा प्रणाली में इन दोनों ही सिक्कों की आवश्यकता पड़ती है। ये विनिमय की दो अलग-अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

व्या भारतीय रुपया मानक-प्रतीक सिक्का है ?—भारतीय रुपये के स्वरूप के बारे में कुछ अस्पष्टता-सी है। क्या भारतीय रुपया मानक सिक्का है अथवा प्रतीक ? इसमें सन्देह नहीं कि सन् 1893 से पूर्व भारतीय रुपया पूर्ण अर्थों में मानक सिक्का था। वह चाँदी का बना हुआ था और इसकी ढलाई खुले रूप में होती थी। इसका अंकित मूल्य इसके यथार्थ मूल्य के बराबर हुआ करता था। परन्तु आज यह परिस्थिति नहीं है। अब रुपया न तो चाँदी का बना हुआ है और न ही यह पूर्णकाय सिक्का है, अर्थात् आज रुपये का अंकित मूल्य इसके यथार्थ मूल्य से बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त भारतीय रुपये की ढलाई भी स्वतन्त्र तथा खुले रूप में नहीं होती। इसलिए कुछ विद्वानों का बहना है कि भारतीय रुपया प्रतीक सिक्का है क्योंकि इसमें प्रतीक मुद्रा के लक्षण पाये जाते हैं। परन्तु यह विचार पूर्णतः सत्य नहीं है। भारतीय रुपये में मानक मुद्रा के भी कुछ गुण पाये जाते हैं। प्रथम, रुपया देश की प्रधान मुद्रा है। सभी वस्तुओं के मूल्य एव कर (taxes) आदि रुपयों में ही निर्धारित किये जाते हैं। यह हिसाब तथा लेखे की इकाई है। दूसरे, विदेशी मुद्राओं के मूल्य भी रुपये के रूप में व्यक्त किये जाते हैं। तीसरे रुपया असोमित विधिग्राह्य (बंध) (unlimited legal tender) मुद्रा है। ये तीनों गुण मानक मुद्रा में पाये जाते हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय रुपये में मानक एव प्रतीक दोनों ही प्रकार की मुद्राओं के गुण पाये जाते हैं। अतः भारतीय रुपये को मानक-प्रतीक सिक्का (standard token coin) कहना ही उचित होगा। आज विश्व के लगभग सभी देशों में यही परिस्थिति पायी जाती है, अर्थात् सभी देशों के मानक सिक्को के अंकित मूल्य उनके यथार्थ मूल्यों से अधिक हैं।

(स) गौण मुद्रा (Subsidiary Money)- गौण सिक्को का निगमन (issue) अत्यन्त छोटे छोटे भुगतानों के सुविधाएँ किया जाता है। इनकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

(अ) ये अत्यन्त अल्प-मूल्य के सिक्क होते हैं और हल्की धातुओं से बनाये जाते हैं।

(आ) ये कम मूल्य वाली वस्तुओं एव प्वाओं के विनिमय को सरल बनाते हैं।

(इ) इन सिक्को की ढलाई (टक्कण) स्वतन्त्र अथवा खुले रूप में नहीं होती, अर्थात् इनकी निकासी सरकार द्वारा की जाती है।

(ई) गौण सिक्के सभी प्रतीक होते हैं।

(उ) मानक सिक्को से इनका सम्बन्ध सरकार द्वारा कानूनी आधार पर निश्चित किया जाता है।

(ऊ) गौण सिक्के सीमित विधिग्राह्य होते हैं।

सिक्का ढलाई अथवा मुद्रा-टक्कण (Coinage)

ऊपर हमने विभिन्न प्रकार के सिक्को का अध्ययन किया है। अब सिक्को के उपयोग के साथ यह जानना भी आवश्यक है कि सिक्को की ढलाई कैसे की जाती है। सर्वप्रथम, लिडिया (Lydia) में सिक्का-ढलाई का कार्य आरम्भ किया गया था। उसके बाद मिस्र (Egypt) में यह

काम अपने हाथों में लिया था। धीरे धीरे विश्व के अ्य देशों में भी सिक्का ढलाई का काम आरम्भ किया गया था।

प्रारम्भिक काल में धातु के टुकड़े को ही मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया गया परन्तु शीघ्र ही इनके प्रयोग से कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगीं क्योंकि सभी धातु के टुकड़ों का न तो वजन (weight) ही समान था और न ही उनकी शुद्धता (fineness)। परिणाम यह हुआ कि उन्हें स्वीकार करते समय प्रत्येक बार उनका वजन एवं उनकी शुद्धता की जांच करनी पड़ती थी। इससे लोगों को भारी असुविधा होती थी कभी कभी तो सीधे सादे व्यक्ति चालाक लोगों द्वारा ठगें भी जाते थे। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य ने सिक्का ढलाई का काम अपने हाथों में ले लिया। प्रारम्भ में सिक्का के निष्पादन का काम राज्य ने निजी टकसालों (private mints) एवं कारखानों को सौंपा था। इन टकसालों एवं कारखानों में सिक्का-ढलाई का काम सरकार की देख रेख में होता था। परन्तु इससे भी कुछ कठिनाइयाँ होने लगीं। सिक्का में एकरूपता (uniformity) तथा शुद्धता का अभाव होने लगा। अन्ततः राज्य ने सिक्का-ढलाई का काम पूणतः अपने हाथों में ले लिया और मुद्रा टकसाल राज्य एकाधिकार (state monopoly) हो गया।

सिक्का ढलाई के उद्देश्य—सिक्का-ढलाई के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) सिक्का में एकरूपता (uniformity) एवं परिचयशीलता (cognoscibility) के गुण होने चाहिए। ये सभी सम्भव हो सकते हैं जब सिक्के समान वजन तथा समान शुद्धता के बनाये जायें। स्मरण रहे कि धोखेबाजी तथा जालसाजी से बचने के लिए सिक्कों में एकरूपता तथा परिचयशीलता का होना अनिवार्य है।

(2) सिक्के इतने बड़े अथवा सघन होने चाहिए कि परिचलन में उनकी धातु की घिसावट न्यूनतम हो। इसलिए सिक्कों को सघन बनाने के लिए धातु के साथ थोड़ा टाँका मिला दिया जाता है।

(3) सिक्के दस ढंग से बनाये जाने चाहिए कि उनसे धातु न बाटी जा सके और न ही सिक्का को गलाकर उनमें से धातु निकाली जा सके।

(4) सिक्का पर अंकित किये गये चिह्न इस प्रकार के हाने चाहिए कि आसानी से उनकी नकल न की जा सके।

(5) सिक्के तम ढंग से गले जायें कि देखने में वे सुन्दर तथा कलापूर्ण हों और देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सकें।

(6) अन्त में सिक्का ढलाई से सरकार का पर्याप्त आय प्राप्त होनी चाहिए।

सिक्का-ढलाई की प्रणालियाँ—विश्व में सिक्का-ढलाई की दो प्रमुख प्रणालियाँ हैं

(क) स्वतंत्र अथवा खली सिक्का ढलाई

(ख) सीमित सिक्का ढलाई।

(क) स्वतंत्र अथवा खली सिक्का ढलाई (Free Coinage)—जब राज्य द्वारा जनता को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वह जितनी मात्रा में चाहे मयवान धातु (सोना अथवा चांदी जिसके सिक्के प्रचलित हों) टकसाल में ले जाकर उसके सिक्के ढलवाए तब इस प्रणाली को खली सिक्का ढलाई कहते हैं। दूसरे शब्दों में टकसाल जनता के लिए खली होती है। यह सिक्का ढलाई सशर्क भी हो सकती है और निशर्क भी अर्थात् सिक्कों को ढालने के लिए सरकार कभी तो लोगों से शर्क लेती है और कभी नहीं। परन्तु लोगों को असीमित मात्रा में धातु देकर सिक्का ढलवाने की पूण स्वतंत्रता होती है सरकार जिस दर (rate) पर धातु के बदले सिक्के देती है उस टकसाली मूल्य (mint price) कहते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक देशों में यही प्रणाली प्रचलित थी लोग अपनी आवश्यकतानुसार टकसालों में धातु सिक्के ढलवाया करते थे। भारत में सन् 1893 तक और ग्रैंट रिटर्न में सन् 1931 तक यही प्रणाली प्रचलित रही थी।

खली सिक्का ढलाई के रूप में खली सिक्का ढलाई के दो प्रमुख रूप हैं—(अ) निशुल्क सिक्का ढलाई (आ) सशुल्क सिक्का ढलाई।

(अ) निशुल्क सिक्का ढलाई (Gratu tous Coinage) जसा पहले कहा जा चुका है

धातु को सिक्को में ढलवाने के लिए सरकार जनता से कभी शुल्क लेती है और कभी नहीं। जब सरकार जनता से सिक्के ढालने का कुछ भी शुल्क अथवा व्यय नहीं लेती, तब उसे निःशुल्क सिक्का ढलाई कहते हैं। सिक्का ढलाई का जो व्यय होता है, सरकार उसे अपनी आय से चुकाती है, परन्तु जनता से इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ब्रिटेन तथा अमरीका में पूर्ण-काय सिक्को को इसी प्रणाली के अन्तर्गत ढाला जाता था। आजकल इस प्रणाली का प्रचलन सभी देशों में बन्द हो चुका है।

(आ) सशुल्क सिक्का-ढलाई (Non gratuitous Coinage)—जब सरकार सिक्का-ढलाई के लिए जनता से शुल्क लेती है, तब इसे सशुल्क सिक्का ढलाई कहते हैं। सशुल्क सिक्का ढलाई भी दो प्रकार की होती है—(i) ढलाई अथवा टकण व्यय, (ii) सिक्का-ढलाई मुनाफा या टकण लाभ।

(i) ढलाई अथवा टकण व्यय (Brassage)—जब सरकार जनता से सिक्का ढलाई सम्बन्धी सेवा के लिए ठीक उतना ही शुल्क लेती है जितना स्वयं उसे व्यय करना पड़ता है, तब इस प्रकार के शुल्क को ढलाई अथवा टकण व्यय कहते हैं। इस प्रकार सरकार सिक्का-ढलाई से कोई लाभ अथवा मुनाफा नहीं कमाती।

(ii) सिक्का ढलाई मुनाफा अथवा टकण लाभ (Seigniorage)—जब सरकार जनता से धातु को सिक्को में ढालने पर किये गये व्यय से अधिक शुल्क लेती है, तब इसे सिक्का ढलाई मुनाफा या टकण लाभ कहते हैं। अर्थात् जनता के प्रति की गई अपनी सेवा के लिए सरकार अपने व्यय से भी अधिक शुल्क लेती है।

इस प्रकार का शुल्क सरकार दो प्रकार से लेती है। प्रथम, सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपना शुल्क लेती है। दूसरे प्रत्यक्ष शुल्क न लेकर सरकार धातु में टाँका अथवा खोट मिला देती है।

(ख) सीमित सिक्का ढलाई (Limited Coinage)—जब सरकार जनता को यह अधिकार नहीं देती कि वह अपनी धातुएँ टकणाल में ले जाकर सिक्के ढलवाये, तब इसे सीमित सिक्का-ढलाई कहते हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत सिक्के ढालने का अधिकार सरकार अपने हाथों में सुरक्षित रखती है। सरकार स्वयं धातुएँ खरीदकर देश की आवश्यकतानुसार सिक्के ढालती है। जनता को सिक्के ढलवाने का अधिकार नहीं होता। विश्व के सभी देशों में आजकल यही प्रणाली प्रचलित है। सन् 1893 के पश्चात् भारत में भी यही प्रणाली लागू कर दी गई थी। इस समय भारत में भी इसी प्रणाली के अधीन सिक्के ढाले जा रहे हैं।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उक्त दोनों प्रणालियों में से कौन-सी प्रणाली श्रेष्ठ है। निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि इन दोनों में से कौन सी अच्छी है। दोनों के समर्थन में कुछ न कुछ कहा जा सकता है। खुली सिक्का-ढलाई प्रणाली के समर्थकों का विचार है कि इसके अन्तर्गत अत्यधिक निकासी (over issue) का भय नहीं रहता। जैसा पहले कहा जा चुका है, अत्यधिक निकासी के फलस्वरूप देश में मुद्रा स्फीति (currency inflation) की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और अथ व्यवस्था के लिए नये खतरे पैदा हो जाते हैं। खुली सिक्का-ढलाई के अन्तर्गत तो उतने ही सिक्के ढाले जाते हैं जितनी धातु की मात्रा होती है, उससे अधिक नहीं। चूँकि धातु की मात्रा सीमित होती है इसलिए सिक्के असीमित मात्रा में नहीं ढाले जा सकते। अतः अत्यधिक निकासी की सम्भावना नहीं रहती। इसके विपरीत सीमित सिक्का ढलाई प्रणाली के पक्षपातियों का कहना है कि इसके अन्तर्गत सरकार प्रतीक सिक्के निकादकर मूल्यवान् धातुओं के उपयोग में बचत कर सकती है।

परन्तु जैसा ऊपर कहा गया है खुली सिक्का ढलाई विश्व के सभी देशों में सत्ताप्त हो चुकी है। सभी देशों में अब सीमित सिक्का प्रणाली का ही चलन है।

सिक्को की मूल्यहीनता (निकृष्टता) (Debasement of Coins)

जब सिक्को की तोल शुद्धता अथवा वजन को ही कम कर दिया जाता है तब इसे सिक्को की मूल्यहीनता (निकृष्टता) कहते हैं। इस प्रकार सिक्को को निकृष्ट बनाने के दो तरीके हैं

(क) सिक्कों की शुद्धता को कम करना—जब सिक्के में शुद्ध धातु के अनुपात को कम कर दिया जाता है तब इसे हीनमूल्य अथवा निहृष्ट सिक्का कहते हैं। जैसा पहलू बड़ा गया है मानक सिक्का में शुद्ध धातु का प्रयोग किया जाता है। परन्तु जब सरकार शुद्ध धातु की कमी के कारण सिक्के में इस धातु का अनुपात कम कर देती है या इसमें किसी मसूरी धातु का कुछ अंश मिला देती है तब इसमें सिक्का हीनमूल्य (निहृष्ट) हो जाता है। उदाहरणार्थ दूसरे विश्व युद्ध में भारत सरकार ने रुपये में शुद्ध चांदी की मात्रा कम कर दी थी और इसके स्थान पर रुपये में गिफ्ट मिला दिया था जिसमें रुपया निहृष्ट सिक्का हो गया था।

(ख) सिक्कों की तोल में कमी करना—जब किसी सिक्के की गैर-कानूनी तरीके से तोल (वजन) कम कर दी जाती है तब इसे निहृष्ट सिक्का कहते हैं। यह कार्य प्रायः चांगा द्वारा गैर कानूनी तरीका से किया जाता है। समाज विरोधी नवा न सिक्कों की तोल का कम करने के निम्नलिखित तरीके निकाले हैं।

(1) किनारों को कटाई (Clipping)—सिक्का के किनारे को काटकर उनका वजन कम कर लिया जाता है। इनको रोकने के लिए सिक्का के किनारे पर धारियाँ बना दी जाती हैं।

(2) घिसाई—यदि सिक्को को किसी धैरी में डालकर जोर से हिलाया जाय तो सिक्को में से कुछ न कुछ धातु घिसकर धैरी में एकत्रित हो जाती है। इसका रोकने के लिए धातु को कड़े बनावत वाले पदार्थ सिक्का में मिला दिया जाते हैं।

(3) जलाई (तजाव से वजन कम करना)—सिक्को को तेजाव या अन्य रासायनिक पदार्थों में डालकर उनका वजन कम कर दिया जाता है। इनको रोकने के लिए सरकार ने सिक्का पर चिह्न अंकित किया है जो जलाई से घटने पर पड़ जाते हैं।

(4) जाली सिक्के बनाना—कभी-कभी समाज विरोधी नवा द्वारा जाली अथवा नक्ली सिक्के भी बनाए जाते हैं। इन सिक्का में धातु का मात्रा सरकारी सिक्कों की तुलना में कम रखी जाती है। जाली सिक्का को बनाने वाले व्यक्तियों का सरकार द्वारा कठोर दण्ड दिया जाता है। सिक्के बनाते समय टक्साण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सिक्के ऐसे बनाये जायें जिनकी नक्ल न हो सके। परन्तु ऐसा हास्य भूषण भा जाते सिक्के बनाने का काम नगभग सभी देशों में बराबर चलता ही रहता है।

मुद्रा को विनिमय दर को कम करना (Devaluation)

कभी-कभी सरकार मुद्रा की विनिमय-दर को कम कर देती है। इसका उद्देश्य निर्यातों को बढ़ाना तथा आयातों को कम करना होता है। परन्तु स्मरण रहे कि मुद्रा की विनिमय-दर (rate of exchange) कम करते समय सिक्का का वजन एवं उसकी शुद्धता पहले जैसी ही रहती है। 17 सितम्बर 1949 को भारत सरकार ने रुपये की विनिमय-दर को कम कर दिया था। उस समय ब्रिटन ने भी अपने पौण्ड स्टर्लिंग का विनिमय-दर कम कर दी थी। पौण्ड स्टर्लिंग जो पहले 4 03 अमरीकी डालर के बराबर था—अब घटाकर 2 8 अमरीकी डालरों के बराबर कर दिया गया। ब्रिटन का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने भी रुपये की विनिमय-दर कम कर दी थी। भारतीय रुपया जो पहले 30 225 अमरीकी सेंटों के बराबर था अब घटाकर 21 सेंटों के बराबर कर लिया गया। 6 जून 1966 को भारतीय रुपये की विनिमय-दर को और भी घटा दिया गया था। अब भारतीय रुपया केवल 13 अमरीकी सेंटों (cents) के बराबर ही रह गया था।

Jan 1985 No. 3 पृष्ठ 1

मुद्रा अवमूल्यन (Depreciation of Money)—कागजी मुद्रा तथा अन्य सिक्कों के अत्यधिक निगमन के परिणामस्वरूप यदि देश में मुद्रा का मूल्य घट जाता है (अर्थात् यदि वस्तुओं तथा सेवाओं की सामान्य कीमतें बढ़ जाती हैं) तो ऐसा परिस्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। स्मरण रहे कि मुद्रा-अवमूल्यन से मुद्रा में धातु की मात्रा में कोई कमी नहीं की जाती जैसा मुद्रा की निहृष्टता की दशा में होता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तथा उसके बाद लगभग सभी देशों में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। युद्ध का व्यय पूरा करने के लिए लगभग सभी सरकारों ने बड़े पैमाने पर कागज के नोट छापे थे। इस प्रकार मुद्रा की स्थिति की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी।

वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें आकाश को छूने लगी थी। इसी कारण मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। मुद्रा-अवमूल्यन की प्रक्रिया आज भी लगभग सभी देशों में चल रही है।

कागजी मुद्रा (Paper Money)

कागजी मुद्रा का एक लम्बा इतिहास है। सर्वप्रथम, कागजी मुद्रा का उपयोग नवीं शताब्दी में चीन में किया गया था। वहाँ से धीरे-धीरे इसका विस्तार अन्य देशों में हुआ। परन्तु कागजी मुद्रा का बड़े पैमाने पर उपयोग 17वीं व 18वीं शताब्दी में ही होने लगा था। भारत में कागजी मुद्रा का उपयोग 19वीं शताब्दी में आरम्भ हुआ था। सर्वप्रथम, बैंक ऑफ बंगाल ने सन् 1806 में कागजी मुद्रा का निर्गमन किया था।

प्रो० क्रउथर (Crowther) के अनुसार कागजी मुद्रा चार अवस्थाओं में से होकर गुजरी है

प्रथम अवस्था—इसमें कुछ सुविध्यत बैंक जमाकर्ताओं (depositors) को जमा की हुई रकम के बदले में प्रमाणपत्र (certificates) दे दिया करते थे। उन प्रमाणपत्रों को पेश करके जमाकर्ता उन बैंकों या उनकी शाखाओं से रकम प्राप्त कर सकते थे।

दूसरी अवस्था—इसमें कुछ प्रसिद्ध बैंकों को सरकार द्वारा नोट जारी करने का अधिकार दे दिया गया था। ये नोट इन बैंकों द्वारा केवल अपने जमाकर्ताओं को ही दिये जा सकते थे। इस प्रकार इन नोटों का चलन क्षेत्र सीमित ही था।

तीसरी अवस्था—इसमें बैंकों को अपनी जमा (deposits) से भी अधिक नोट जारी करने का अधिकार सरकार द्वारा दे दिया गया, अर्थात् अब बैंक अपनी जमा से भी अधिक मात्रा में नोट छाप सकते थे। यह इस विश्वास पर किया गया था कि जमाकर्ता सामान्यतः अपनी समूची जमा को एक ही समय पर बैंक से नहीं निकलवाते।

चौथी अवस्था—यह नोट निगमन की वर्तमान अवस्था है। इसमें नोट जारी करने का अधिकार सभी बैंकों को न देकर केवल देश के केन्द्रीय बैंक को ही दिया गया है और केन्द्रीय बैंक ही कागजी मुद्रा का निगमन करता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किये गये नोटों को मानक सिक्कों में बदलने का वचन भी दिया जाता है। इस प्रकार कागजी नोट पूर्णतः मुद्रा का कार्य करते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी की गयी कागजी मुद्रा पर सरकार अपना पूर्ण नियन्त्रण रखती है। विभिन्न देशों में कागजी मुद्रा में भिन्न भिन्न मूल्यों के नोट होते हैं। भारत में इस समय 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के नोट प्रचलित हैं।

कागजी मुद्रा के भेद (Types of Paper Money)

कागजी मुद्रा चार प्रकार की होती है—(क) प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, (ख) विनियम कागजी मुद्रा, (ग) अतिविशेष कागजी मुद्रा, (घ) अविष्ट मुद्रा।

(क) प्रतिनिधि कागजी मुद्रा (Representative Paper Money)—जब कागजी मुद्रा के पीछे ठीक इसके मूल्य के बराबर सोना व चाँदी प्रारक्षित निधि (reserve fund) के रूप में रखे जाते हैं, तब इस प्रकार की मुद्रा को प्रतिनिधि कागजी मुद्रा कहते हैं। प्रारम्भिक काल में नोट जारी करने का मुख्य उद्देश्य सिक्कों की घिसावट से होने वाली हानि से बचना था। इसलिए जितने नोट जारी किये जाते थे, ठीक उन्हीं के मूल्य के बराबर खजाने में सोने व चाँदी को प्रतिनिधि-स्वरूप रखा जाता था। जब नाटों की सिक्कों में बदलने की मांग की जाती थी उस समय इस माँग को पूरा करने के लिए उसी सोने व चाँदी का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार प्रतिनिधि कागजी मुद्रा के अन्तर्गत नाटों के मूल्य के बराबर सोना व चाँदी अवश्य ही कोष में रखे जाते थे। सन् 1925 में हिल्टन यंग आयोग (Hilton Young Commission) ने भारत के लिए इसी प्रकार की कागजी मुद्रा की सिफारिश की थी परन्तु कुछ कारणों से आयोग की यह सिफारिश क्रियान्वित नहीं की जा सकी। अमरीका में भी सोने तथा चाँदी के प्रमाणपत्रों के रूप में यह प्रथा प्रचलित रही थी। अमरीकी सरकार इन प्रमाणपत्रों के मूल्य के बराबर सोना व चाँदी प्रारक्षित निधि में रख लेती थी, ताकि माँग होने पर प्रमाणपत्रों को धातुओं में बदला जा सके।

प्रतिनिधि कागजी मुद्रा के गुण निम्नलिखित हैं :

(1) मुद्रा-स्फीति का भय नहीं रहता—इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा-स्फीति का भय समाप्त हो जाता है। कारण यह है कि इस प्रणाली के अधीन कागजी मुद्रा का निर्गमन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि उतने ही मूल्य का सोना व चाँदी प्रारक्षित निधि में सुरक्षित न रखा जाय। चूँकि सोना व चाँदी अपरिमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, इसलिए नोटों के अत्यधिक मात्रा में जारी किये जाने की सम्भावना नहीं रहती। परिणामतः मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न नहीं हो सकती।

(2) मूल्यवान धातुओं की बचत—इस प्रणाली के अन्तर्गत सिक्के सोने या चाँदी के नहीं बने होते। सोने-चाँदी को तो धातुओं के रूप में प्रारक्षित निधि में ही रखा जाता है। मुद्रा के कार्य कागजी नोटों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। इस प्रकार देश को मूल्यवान धातुओं की घिसावट से होने वाली हानि से बचाया जा सकता है।

(3) जनता का विश्वास—इस प्रणाली के अन्तर्गत लोगों का कागजी नोटों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। कारण यह है कि लोग इस तथ्य को जानते हैं कि सभी जारी किये गये नोटों के पीछे प्रारक्षित निधि में शत प्रतिशत सोना व चाँदी रखा गया है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार आसानी से नोटों के बदले सोना व चाँदी दे सकती है।

इस प्रणाली के दोष निम्नलिखित हैं

(1) इस प्रणाली में सोने व चाँदी की कोई विशेष बचत नहीं होती—जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस प्रणाली के अन्तर्गत जारी किये गये नोटों के मूल्य के बराबर सोना व चाँदी प्रारक्षित निधि में रखे जाते हैं। इनको किसी अन्य प्रयोग में नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार इस प्रथा से सोने व चाँदी की कोई विशेष बचत नहीं होती।

(2) इस प्रणाली में लोच का अभाव रहता है—इस प्रणाली के अधीन नोटों की मात्रा तब तक नहीं बढ़ायी जा सकती, जब तक कि उतने ही मूल्य का सोना व चाँदी प्रारक्षित निधि में न रखा जाय। इस प्रकार इस प्रणाली में लोच का अभाव रहता है। यदि देश में अधिक मुद्रा की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो भी तब तक मुद्रा की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि उतने ही मूल्य की धातुएँ सरकार के पास उपलब्ध न हों। परिणामतः आवश्यकता पड़ने पर भी सरकार मुद्रा की मात्रा को नहीं बढ़ा सकती।

(3) यह प्रणाली निधन देशों के लिये उपयुक्त नहीं है—चूँकि निधन देशों के पास सोने व चाँदी का प्रायः अभाव रहता है इसलिए वे इस प्रथा को अपनाने में असमर्थ रहते हैं। यह प्रणाली तो केवल धनी देशों द्वारा ही अपनायी जा सकती है।

(ख) विनिमेय कागजी मुद्रा (Convertible Paper Money)—जब किसी देश में कागजी नोट इस प्रकार जारी किये जाते हैं कि उनको जनता किसी समय मानक सिक्कों में बदल सकती है, तब इस प्रकार की कागजी मुद्रा को विनिमेय कागजी मुद्रा या परिवर्तनशील कागजी मुद्रा कहते हैं। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं

(1) कागजी नोटों के पीछे सोना व चाँदी प्रारक्षित निधि में रखे जाते हैं, परन्तु इन धातुओं का मूल्य जारी किये गये नोटों के मूल्य से कम होता है। इस प्रणाली का अर्थसिद्धान्त यह है कि जारी किये गये सभी नोट सामान्यतः एक ही समय पर भुनाने के लिए जनता द्वारा पेश नहीं किये जाते। इसीलिए सरकार प्रारक्षित निधि में जारी किये गये नोटों के मूल्य से कम मात्रा में सोना चाँदी रखती है।

(2) सरकार द्वारा लोगों को यह आश्वासन दिया जाता है कि वे जब चाहे, अपने नोटों के बदले खजाने से सोना व चाँदी ले सकते हैं।

(3) प्रारक्षित निधि में सोना व चाँदी के अतिरिक्त कुछ मात्रा में मानक सिक्के प्रतीक सिक्के तथा प्रमाणित ऋणपत्र (approved securities) भी रखे जाते हैं। ये ऋणपत्र प्रायः उत्तम श्रेणी के होते हैं और इन्हें किसी समय भुनाया (encash) जा सकता है। इस प्रकार प्रारक्षित निधि में कागजी मुद्रा के मूल्य के बराबर सोना व चाँदी नहीं रखे जाते, बल्कि इससे कुछ कम मात्रा

में रखे जाते हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रारक्षित निधि के दो भाग होते हैं—प्रथम, धात्विक भाग (metallic portion) इसमें सोना, चाँदी तथा सिक्के सम्मिलित होते हैं, दूसरा, अरक्षित भाग (fiduciary portion) कहलाता है। इसमें केवल प्रमाणित ऋणपत्र ही सम्मिलित होते हैं।

(4) इस प्रणाली के अन्तर्गत, लोगों को विदेशी भुगतानों (foreign payments) के लिए सरकार द्वारा कागजी मुद्रा के बदले सोना व चाँदी दिया जाता है।

(5) सरकार एक पूर्व निश्चिन दर पर सदैव सोना-चाँदी खरीदने व बेचने के लिए तैयार रहती है।

इस प्रणाली के गुण निम्नलिखित हैं

(1) बहुमूल्य धातुओं में बचत—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत, कागजी नोटों का चलन होता है, इसलिए मूल्यवान धातुओं की पितावट में होने वाली हानि से बचा जा सकता है।

(2) यह प्रणाली लोचदार है—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत, कागजी नोटों के पीछे शत-प्रतिशत सोना व चाँदी नहीं रखे जाते इसलिए इसमें प्रतिनिधि कागजी मुद्रा प्रणाली की अपेक्षा अधिक लोच (elasticity) रहती है। आवश्यकता पड़ने पर शत-प्रतिशत सोना-चाँदी प्रारक्षित निधि में रखे बिना ही सरकार कागजी मुद्रा को बढ़ा सकती है।

(3) इस प्रणाली में जनता का विश्वास होता है—चूँकि नोट जारी करते समय सरकार उसके पीछे कुछ न कुछ धात्विक कोष (metallic reserves) अवश्य रखती है, इसलिए जनता का नोटों में विश्वास बना रहता है। इसके अतिरिक्त, नोटों को सोने व चाँदी में बदलने की गारण्टी भी सरकार द्वारा दी जाती है।

(4) विदेशी व्यापार में सुविधा—जैसा ऊपर बताया गया है, विदेशी भुगतानों के लिए सरकार लोगों को एक निश्चित दर पर कागजी मुद्रा के बदले सोना व चाँदी देने के लिए सदैव तैयार रहती है। इससे व्यापारियों को विदेशी भुगतानों को चुकाने में सुविधा रहती है और देश के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है।

इस प्रणाली के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं

(1) इसमें अत्यधिक मुद्रा के जारी किये जाने का भय रहता है—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी नोटों के पीछे शत प्रतिशत धात्विक कोष नहीं रखा जाता, इसलिए नोटों के अत्यधिक मात्रा में जारी किये जाने की संभावना बनी रहती है। संकटकाल में सरकार वाम्बविक आवश्यकता में भी अधिक नोट छाप लेती है, जिससे मुद्रा स्फीति की दशा उत्पन्न हो सकती है।

(2) इस प्रणाली में लोगों का इतना अधिक विश्वास नहीं होता जितना कि प्रतिनिधि कागजी मुद्रा प्रणाली में होता है—इसका कारण यह है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत नोटों के पीछे शत प्रतिशत धात्विक कोष नहीं रखा जाता, बल्कि जोर से किये गये नोटों के मूल्य से कुछ कम धात्विक कोष रखा जाता है। परिणामतः इस प्रणाली में लोगों का विश्वास इतना घुट्ट नहीं होता जितना कि प्रतिनिधि मुद्रा प्रणाली में होता है।

यह प्रथा विभिन्न समयों पर विभिन्न देशों द्वारा अपनायी गयी थी। सन् 1915 में ब्रिटेन तथा फ्रांस दोनों ने ही इस प्रणाली को अपनाया था। परन्तु आजकल इस प्रणाली की लोकप्रियता में ह्रास हुआ है। अब अधिकांश देशों में अविनिमेय कागजी मुद्रा प्रणाली का ही चलन है।

(ग) अविनिमेय कागजी मुद्रा (Inconvertible Paper Money)—जब किसी देश में कागजी नोट इस प्रकार जारी किये जाते हैं कि सरकार उन्हें सिक्कों अथवा मूल्यवान धातुओं में बदलने की कोई गारण्टी नहीं देती, तब इस प्रकार की मुद्रा को अविनिमेय कागजी मुद्रा या अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, नोटों को सिक्कों में बदलने की सरकार द्वारा कोई गारण्टी नहीं दी जाती। इस प्रकार की मुद्रा तो केवल सरकार की साख (credit) के आधार पर ही प्रचलित रहती है। इस प्रणाली की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं

(1) इस प्रणाली के अन्तर्गत नोटों के पीछे किसी भी प्रकार की धात्विक निधि (metallic reserves) नहीं रखी जाती और न ही सरकार नोटों को धातुओं या सिक्कों में बदलने का

आश्वासन देती है। यह हो सकता है कि सरकार जारी किये गये नोटों के पीछे ऋणपत्रों (securities), कोषागार विपत्रों (treasury bills) एव बॉण्ड्स (bonds) की आड़ (cover) रहे।

(2) इस प्रकार की मुद्रा का निर्गमन प्रायः एक सीमित मात्रा में किया जाता है, परन्तु यदि आवश्यकता पड़े तो सरकार इसकी मात्रा में वृद्धि भी कर सकती है।

इस प्रणाली के गुण निम्नलिखित हैं

(1) धातुओं की बचत—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रारक्षित निधि (reserve fund) में धातुओं को बिलकुल नहीं रखा जाता, इसलिए देश को धातुओं के प्रयोग में बचत हाती है। धातुओं को बेकार प्रारक्षित निधि में रखने के बजाय अधिक लाभदायक प्रयोगों में लगाया जा सकता है।

(2) यह प्रणाली लोचदार है—इस प्रणाली में बड़े पैमाने पर लोच (elasticity) का अंश विद्यमान रहता है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार जब चाहे और जितनी मात्रा में चाहे, बिना प्रारक्षित निधि में सोना व चाँदी रखे नोट जारी कर सकती है।

इस प्रणाली के दोष निम्नलिखित हैं

(1) इसमें मुद्रा-स्फीति का भय सदैव बना रहता है—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रारक्षित निधि में नोटों के पीछे धातुओं के रखने की बिलकुल आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सरकार मनचाही मात्रा में नोटों का निर्गमन कर सकती है। विशेषकर संकट के समय तो सरकार कभी-कभी आवश्यकता से भी अधिक नोट छाप लेती है, जिससे परिणामस्वरूप देश में मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है। इससे लोगों के कुछ वर्गों को बहुत हानि होती है। इसके अतिरिक्त, देशी मुद्रा की विदेशी विनिमय-दर (exchange rate) भी कम हो जाती है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं।

(2) इस प्रणाली में जनता का विश्वास कम रहता है—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत जारी किये गये नोटों के पीछे धात्विक कोष बिलकुल नहीं होता, इसलिए इस प्रणाली में जनता का इतना विश्वास नहीं होना जितना कि प्रतिनिधि कागजी मुद्रा प्रणाली में। वास्तव में, इस प्रणाली के अन्तर्गत जारी की गयी कागजी मुद्रा एक प्रकार का लोगों से जबदस्ती लिया गया ऋण (forced loan) होता है।

दूसरे विश्व युद्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये एक रुपये वाले नोट अविनिमेय कागजी मुद्रा का उदाहरण हैं। इन्हे रुपये के सिक्कों में नहीं बदला जा सकता। भारत की भाँति बहुत-से अन्य देशों में भी युद्धकाल में अविनिमेय कागजी मुद्रा का निर्गमन किया गया था।

(घ) प्राविष्ट मुद्रा (Fiat Money)—प्राविष्ट मुद्रा अविनिमेय कागजी मुद्रा का ही एक रूप है। प्राविष्ट मुद्रा प्रायः संकटकाल में ही जारी की जाती है। इसलिए इसे कभी-कभी संकट कालीन मुद्रा (emergency currency) भी कहा जाता है। प्राविष्ट मुद्रा के पीछे किसी प्रकार की प्रारक्षित निधि नहीं होती, अर्थात् इसके पीछे न तो धात्विक कोष ही होता है और न ही किसी अन्य प्रकार की कागजी आड़ (fiduciary cover) होती है। इस प्रकार की मुद्रा को धातु-सिक्कों में बदलने के लिए सरकार किसी प्रकार की गारण्टी नहीं देती। इस मुद्रा को मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं

(अ) इस मुद्रा का निर्गमन सीमित मात्रा में किया जाता है।

(आ) यह मुद्रा संकट के समय जारी की जाती है।

(इ) इस मुद्रा के पीछे किसी प्रकार की आड़ (cover) नहीं होती।

वास्तव में, यह मुद्रा एक असाधारण प्रकार की मुद्रा (extra-ordinary money) है और केवल विशेष परिस्थितियों में ही सरकार इसे जारी करती है। स्मरण रहे कि यह मुद्रा पूर्ण रूप से असंयमित विधिप्राह्य (वैध) होती है। चूँकि इस प्रकार की मुद्रा के पीछे किसी प्रकार की आड़ नहीं होती, इसलिए सरकार इसे केवल सीमित मात्रा में ही निकालती है।

प्राविष्ट मुद्रा में एक बड़ा गुण यह है कि यदि इसे नियन्त्रित ढंग से प्रचलित किया जाय तो यह देश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी सहायता दे सकती है। जैसा विदित है, पिछड़े तथा अल्प-विकासित देशों में प्रायः वित्त (finance) का अभाव रहता है और इसी वित्त के अभाव के कारण देश का आर्थिक विकास अवस्य हो जाता है। परन्तु प्राविष्ट मुद्रा से इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। इससे विपरीत, आलोचकों का कहना है कि प्राविष्ट मुद्रा में दो गम्भीर दोष पाये जाते हैं—प्रथम, इस मुद्रा में स्फीति (inflation) का सदैव भय रहता है। चूंकि कागजी मुद्रा के पीछे किसी प्रकार का धात्विक कोष नहीं रखा जाता, इसलिए इसके अत्यधिक मात्रा में जारी किये जाने की सम्भावना बनी रहती है और मुद्रा-स्फीति का भय सदैव विद्यमान रहता है। दूसरे, इस प्रकार की मुद्रा में जनता का प्रायः विल्कुल ही विश्वास नहीं होता, क्योंकि जारी किये गये नोटों को सिक्कों में बदलने की सरकार द्वारा कोई गारण्टी नहीं दी जाती।

जैसा पहले कहा जा चुका है, प्राविष्ट मुद्रा केवल सकटकाल में ही जारी की जाती है। इसलिए इतिहास में इस मुद्रा के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। अमरीका में गृहयुद्ध के दौरान ग्रीनबैक्स (Greenbacks) नामक मुद्रा जारी की गयी थी जो प्राविष्ट मुद्रा का प्रमुख उदाहरण है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् जर्मनी में भी मार्क नामक मुद्रा जारी की गयी जो एक प्रकार से प्राविष्ट मुद्रा ही थी।

कागजी मुद्रा के लाभ (Advantages of Paper Money)

कागजी मुद्रा के चलन से अनेक लाभ होते हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं

(1) धातुओं की बचत—कागजी मुद्रा के प्रयोग से धातुओं की मात्रा में बचत हो जाती है और इस प्रकार की धातुएँ औद्योगिक कार्यों एवं विदेशी व्यापार में इस्तेमाल की जा सकती हैं।

(2) धातुओं की घिसावट नहीं होती—कागजी मुद्रा के प्रयोग से धातु सिक्कों की घिसावट नहीं होती, क्योंकि वे प्रायः प्रारक्षित निधि में ही रक्खे जाते हैं और मुद्रा-सम्बन्धी कार्य नोटों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं।

(3) मितव्ययता (Economy)—कागजी मुद्रा की उत्पादन-लागत बहुत कम होती है। इसे बनाने के लिए किसी मूल्यवान् वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः कागजी मुद्रा निर्धन देशों के लिए विशेषकर लाभदायक होती है क्योंकि वे मूल्यवान् धातुओं के सिक्कों का व्यय सहन नहीं कर सकते।

(4) मुद्रा-पूर्ति में लोच (Elasticity in Money Supply)—कागजी मुद्रा की मात्रा में नाँग के अनुसार घटा-बढ़ी की जा सकती है। परन्तु धातु मुद्रा में ऐसा करना सम्भव नहीं होता क्योंकि धातुओं का उत्पादन परिमित मात्रा में होता है और इसके साथ ही साथ ये धातुएँ बहुत मूल्यवान् भी होती हैं। इस प्रकार कागजी मुद्रा लोचदार होती है।

(5) सकट काल में सुविधा—आर्थिक सकट के समय जब सरकार को मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है और उसके पास साने चाँदी जैसी मूल्यवान् धातुओं की कमी होती है तो ऐसे समय पर सरकार कागजी नोट छापकर अपना काम चला सकती है।

कागजी मुद्रा के दोष (Disadvantages of Paper Money)

इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) मुद्रा-स्फीति का भय—कागजी मुद्रा का सबसे बड़ा दोष यह है कि सकटकाल में देश में मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न होने का भय रहता है। सकट के समय सरकार अपनी इच्छानुसार कागजी मुद्रा में वृद्धि कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे कागजी नोटों के पीछे किसी प्रकार का धात्विक कोष नहीं रखना पड़ना (स्मरण रहे कि प्रतिनिधि कागजी मुद्रा में इस प्रकार का भय नहीं होता, परन्तु अन्य सभी कागजी मुद्राओं में यह भय सदैव बना रहता है)। जैसा हम जानते हैं, जब मुद्रा अत्यधिक मात्रा में जारी की जाती है तो उसके बहुत गम्भीर परिणाम होते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और समाज के कुछ वर्गों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। कभी-कभी तो कागजी मुद्रा इतनी अत्यधिक मात्रा में जारी की जाती है कि मुद्रा का

मूल्य लगभग शून्य के बराबर हो जाता है। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् जर्मनी में उत्पन्न हुई थी, जबकि जर्मनी की मार्क मुद्रा का मूल्य लगभग शून्य के बराबर हो गया था।

(2) कागजी मुद्रा का चलन-क्षेत्र सीमित होता है—कागजी मुद्रा का चलन केवल उसी देश में होता है जिसमें वह जारी की जाती है। विदेशियों द्वारा कागजी मुद्रा प्रायः स्वीकार नहीं की जाती। इस प्रकार कागजी मुद्रा का चलन-क्षेत्र सीमित होता है।

(3) नाशवानता (Perishability)—कागजी मुद्रा में अविनाशिता का गुण नहीं है। यह प्रायः शीघ्र ही खराब हो जाती है। नोटों के फटने अथवा गीले होने का भी डर रहता है। धातु सिक्कों की भाँति यह चिरस्थायी नहीं होती।

(4) कागजी मुद्रा के मूल्य में अनिश्चितता बनी रहती है—चूँकि कागजी मुद्रा की मात्रा में अकस्मात् ही परिवर्तन किये जाते हैं, इसलिए इसके मूल्य में स्थिरता का अभाव रहता है। जब कागजी मुद्रा अत्यधिक मात्रा में जारी की जाती है, तब वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के परिणामस्वरूप मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और मुद्रा-स्फीति की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार यदि कागजी मुद्रा की मात्रा में अकस्मात् कमी कर दी जाती है तो उससे वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं अथवा मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और देश में अवस्फीति (deflation) की दशा उत्पन्न हो जाती है। कुछ बर्गों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार कागजी मुद्रा के मूल्य में सदैव उतार-चढ़ाव होते रहते हैं जो देश की आर्थिक प्रगति के लिए हानिकारक होते हैं।

(5) सट्टेबाजी (Speculation) को प्रोत्साहन—चूँकि कागजी मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, इसलिए देश में एक प्रकार का अनिश्चित वातावरण उत्पन्न हो जाता है और यह अनिश्चित वातावरण सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करता है।

(6) विमुद्रीकरण (Demonetisation) की अवस्था में कागजी मुद्रा का मूल्य शून्य हो जाता है—जब सरकार द्वारा कागजी नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया जाता है, तब उनका मूल्य शून्य हो जाता है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का यथार्थ मूल्य (intrinsic value) नहीं होता। कागजी मुद्रा वास्तविक मुद्रा (real money) नहीं होती। इसका चलन तो केवल सरकार की साख (credit) पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष—कागजी मुद्रा के उपर्युक्त गुण दोषों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसके गुण, दोषों की तुलना में बहुत अधिक हैं और वास्तव में, कागजी मुद्रा मानव के लिए एक बरदान (blessing) सिद्ध हुई है। कागजी मुद्रा के जो दोष बताये जाते हैं, वे वास्तव में, कागजी मुद्रा के दोष नहीं हैं। ये तथाकथित दोष तो कागजी मुद्रा के प्रभावपूर्ण नियन्त्रण के अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। जब सरकार द्वारा कागजी मुद्रा का उचित नियन्त्रण नहीं किया जाता तो इससे अनेक बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। परन्तु यदि इसे उचित ढंग से नियन्त्रित किया जाय तो कागजी मुद्रा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योग दे सकती है।

अच्छे मुद्रा-पदार्थ के गुण

(Qualities of a Good Money Material)

किसी विशेष पदार्थ के मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होने के लिए उसमें निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है

(1) सर्वमान्यता (General Acceptability)—मुद्रा के रूप में चुना गया पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। यदि कोई पदार्थ देश के सभी लोगों द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता तो वह मुद्रा का काम नहीं दे सकता। इस दृष्टि से सोना व चाँदी आदर्श पदार्थ हैं। विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सोने और चाँदी को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो। यहाँ तक कि अफ्रीका के घने जंगलों में निवास करने वाला हब्शी (Negro) भी इन धातुओं से परिचित है और उन्हें स्वीकार कर लेता है। परन्तु यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि सर्वमान्यता का उक्त गुण किसी वस्तु में तभी हो सकता है जब उस वस्तु की लोगों के लिए कुछ उपयोगिता हो। उदाहरणार्थ, सोने एव चाँदी में अपनी निजी उपयोगिता होती है, क्योंकि इन दोनों धातुओं का आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि किसी वस्तु में उपयोगिता का अभाव है तो उस धातु में सर्वमान्यता का गुण नहीं हो सकता है।

(2) परिचयता (पहचाने जाने की योग्यता) (Cognoscibility)—यदि किसी पदार्थ का मुद्रा के लिए प्रयाग करना है तो वह ऐसा होना चाहिए कि उसे आसानी से पहचाना जा सके। यदि वह आसानी से पहचाना नहीं जा सकता तो जनता के लिए अत्यन्त असुविधाजनक होगा। इसके अतिरिक्त, इस पदार्थ के प्रयोग से धोखेबाजी व ठगी की सम्भावना भी बनी रहेगी। सोना और चाँदी अच्छे मुद्रा पदार्थ का काम दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें अन्य वस्तुओं की उपेक्षा अधिक आसानी से पहचाना जा सकता है।

(3) अक्षयशीलता (Indestructibility)—मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ अनश्वर होना चाहिए। यह एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसमें बिना किसी आशका के त्रय-शक्ति को संचित किया जा सके। गेहूँ मुद्रा का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह कुछ वर्षों के पश्चात सड़-गलकर नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत, सोना व चाँदी अनश्वर धातुएँ हैं तथा दीर्घकाल तक टिकाऊ रह सकती हैं।

(4) वहनीयता (Portability)—चूँकि मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ता है, इसलिए यह ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो सुगमता से वहनीय हो। यह पदार्थ छोटे परिमाण (small bulk) में अधिक मूल्यवान होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से सोना व चाँदी उत्तम मुद्रा पदार्थ माने जा सकते हैं। कागजी मुद्रा में वहनीयता का बहुत महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है। इसे यात्रियों द्वारा बिना किसी कठिनाई के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है।

(5) विभाज्यता (Divisibility)—मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसे बिना हानि के विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया जा सके। पशु मुद्रा का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वे विभाज्य नहीं होते। इसके विपरीत, सोना व चाँदी बिना किसी प्रकार की हानि के छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किये जा सकते हैं।

(6) ढलाऊपन (Malleability)—मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसे गलाकर किसी भी रूप में ढाला जा सके तथा उस पर चिह्न अथवा अक्षर आसानी से अंकित किये जा सकें। इस लिए मुद्रा पदार्थ न तो बहुत कड़ा और न ही बहुत मुलायम होना चाहिए। सोने और चाँदी में ढलाऊपन का गुण विद्यमान है। इनको गलाकर आवश्यकतानुसार सिक्के तैयार किये जा सकते हैं।

(7) समरूपता (Uniformity)—इससे अभिप्राय यह है कि पदार्थ की विभिन्न इकाइयों में गुणों की समानता हो अर्थात् पदार्थ के प्रत्येक अणु के गुण समान होने चाहिए। सोना व चाँदी समरूप होते हैं तथा उनसे बनाये गये सिक्के एक जैसे होते हैं। इसके विपरीत, सभी प्रकार के गेहूँ एक जैसे नहीं होते और न सभी पशु ही एक जैसे होते हैं।

(8) मूल्य की स्थिरता (Stability of Value)—मुद्रा-पदार्थ का सबसे आवश्यक गुण तो उसके मूल्य की स्थिरता है अर्थात् मुद्रा-पदार्थ का मूल्य यथासम्भव स्थिर होना चाहिए। इसका कारण यह है कि मुद्रा, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा क्रय शक्ति के सचय के साधन के कार्य करती है। यदि मुद्रा के अपने मूल्य में ही परिवर्तन होते रहते हैं तो वह इन कार्यों को भलीभाँति सम्पन्न नहीं कर सकती। यदि मुद्रा के मूल्य में समय-समय पर परिवर्तन होते हैं अथवा कीमती में उतार-चढ़ाव होते हैं तो इससे समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रा पदार्थ के मूल्य में परिवर्तनों का एक परिणाम यह भी होता है कि साधारण लोग मुद्रा को पिघलाने तथा संचित करने लगते हैं जिससे चलन में मुद्रा की कमी हो जाती है। युद्धकाल में धातुओं के मूल्यों के बढ़ जाने के फलस्वरूप लोग प्रायः सिक्कों को पिघलाकर उन्हें धातु के रूप में बेचकर लाभ कमाते हैं। अतः मुद्रा पदार्थ के मूल्य में स्थायित्व का होना आवश्यक है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मुद्रा पदार्थ के ये लगभग सभी गुण सोने और चाँदी में पाये जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन समय से इन धातुओं के सिक्के बनाये जाते रहे हैं। तबूदा तथा गिल्ट जैसी धातुओं का भी सिक्कों के निर्माण में प्रयोग होता है, परन्तु इनमें सोने चाँदी की अपेक्षा मुद्रा-पदार्थ के बहुत कम गुण पाये जाते हैं।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त सकेत

1. कागजी मुद्रा के गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। (आगरा, बी० कॉम, 1964)
अथवा
कागजी मुद्रा के क्या गुण हैं ? इनके दोष क्या हैं ? (विन्नम, 1969)
[सकेत—यहाँ पर कागजी मुद्रा की परिभाषा दीजिए और इसके मुख्य भेदों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तदुपरान्त, कागजी मुद्रा के लाभ और दोषों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]
2. विभिन्न प्रकार की मुद्राओं की व्याख्या कीजिए तथा उनकी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। (आगरा, बी० कॉम०, 1963 पू०)
[सकेत—यहाँ पर मुद्रा के विभिन्न आधारों पर किये गये वर्गीकरणों की व्याख्या कीजिए और विभिन्न प्रकार की मुद्राओं की विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मुख्यतः यहाँ पर धातु-मुद्रा तथा कागजी मुद्रा, वास्तविक मुद्रा तथा लेखे की मुद्रा, बैंध मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा का वर्णन कीजिए।]
3. कागजी मुद्रा कितने प्रकार की होती है ? कागजी मुद्रा के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए। (आगरा, 1975)
[सकेत—यहाँ पर पहले कागजी मुद्रा के मुख्य चार भेदों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तदुपरान्त, उनके गुण-दोषों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए।]
4. निम्न में भेद कीजिए
(अ) वास्तविक मुद्रा एव हिसाब की मुद्रा।
(ब) पदार्थ मुद्रा एव प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा।
(स) विधिग्राह्य मुद्रा एव ऐच्छिक मुद्रा। (राजस्थान, बी० कॉम०, 1960)
[सकेत—उत्तर में मुद्रा के तीन आधारों पर किये गये उक्त वर्गीकरणों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए और समुचित उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए।]
5. निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए
(क) नि शुल्क टिकट, (ख) प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा। (विक्रम बी० कॉम०, 1960)
[सकेत—उक्त दोनों विषयों पर उदाहरण सहित संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।]
6. निम्न से आप क्या समझते हैं
(क) चलन की इकाई और हिसाब की इकाई।
(ख) प्रामाणिक मुद्रा और साकेतिक मुद्रा।
उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रुपये की स्थिति बताइए। (आगरा, बी० कॉम०, 1960)
[सकेत—(क) के उत्तर में वास्तविक मुद्रा तथा हिसाब की मुद्रा का उदाहरण सहित अन्तर बताइए। (ख) के उत्तर में प्रामाणिक मुद्रा तथा साकेतिक मुद्रा का उदाहरण सहित अन्तर स्पष्ट कीजिए और यह बताइए कि किस प्रकार भारतीय रुपया प्रामाणिक-साकेतिक सिक्का (Standard Token Coin) है। जहाँ तक (क) का सम्बन्ध है, भारतीय रुपया इस समय चलन की इकाई तथा हिसाब की इकाई दोनों ही है।]
7. अन्तर स्पष्ट कीजिए
(अ) प्रतिनिधि कागजी मुद्रा एव विनिमय कागजी मुद्रा।
(ब) प्रादिष्ट मुद्रा एव गौण मुद्रा।
(स) धातु-मुद्रा एव कागजी-मुद्रा।
(द) म्बतन्त्र सिक्का ढलाई एवं सीमित सिक्का ढलाई। (आगरा, 1972)

[संकेत—(अ) प्रतिनिधि कागजी मुद्रा वह होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है परन्तु ऋय-शक्ति का उसमें संचय नहीं किया जा सकता। इस मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत धातु-कोष रखा जाता है। विनिमय मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जिसे सरकार पदार्थ-मुद्रा में बदलने के लिए कटिबद्ध होती है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसके पीछे शत-प्रतिशत धातु-कोष रखा जाय।

(ब) प्रादिष्ट मुद्रा अविनिमय कागजी मुद्रा का ही एक रूप है। यह प्रायः सफटवाल में जारी की जाती है। इसके पीछे कोई धातु-कोष नहीं होता। गौण-मुद्रा छोटे-छोटे सिक्कों की होती है। छोटे-छोटे भुगतानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

(स) धातु मुद्रा धातुओं की बनी होती है जबकि कागजी मुद्रा कागज की बनी होती है।

(द) जब सरकार जनता से सिक्के ढालने का कुछ भी शुल्क अथवा व्यय नहीं लेती, तब उसे स्वतन्त्र सिक्का ढलाई कहते हैं। जब सरकार जनता को यह अधिकार नहीं देती कि वह अपनी धातुएँ टकसाल में ले जाकर सिक्के ढलवायें, तब इसे सीमित सिक्का ढलाई कहते हैं।]

3

मुद्रामान (Monetary Standard)

जिस व्यवस्था द्वारा मुद्रा का मूल्य (अथवा क्रय-शक्ति) व्यक्त किया जाता है, उसे मुद्रामान कहते हैं। आधुनिक युग में मुद्रामान का बड़ा महत्त्व है। किसी भी देश का आर्थिक विकास बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रामान पर निर्भर करता है। एक अच्छा मुद्रामान देश की आर्थिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक प्रगति में बहुमूल्य योग देता है।

मुद्रामान तथा मूल्यमान में अन्तर (Distinction Between Monetary Standard and Standard of Value)

ऊपरी तौर पर देखने में मुद्रामान तथा मूल्यमान में कुछ भी अन्तर दिखायी नहीं पड़ता और कभी-कभी तो अर्थशास्त्री भी दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। परन्तु वास्तव में इन दोनों शब्दों में बहुत अन्तर है। मूल्यमान से अभिप्राय उस मुद्रा की इकाई से होता है, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें व्यक्त की जाती हैं। उदाहरणार्थ, भारत में रुपया, ग्रेट ब्रिटेन में पाउण्ड (Pound), अमरीका में डॉलर (Dollar) तथा रूस में रूबल (Rouble) मूल्यमान के कार्य सम्पन्न करते हैं। इसके विपरीत, मुद्रामान अधिक व्यापक शब्द है। इसमें मूल्यमान के अतिरिक्त अन्य भी बहुत-सी बातें सम्मिलित होती हैं। वास्तव में, मुद्रामान के अन्तर्गत सभी प्रकार के मुद्रा सम्बन्धी नियम सम्मिलित किये जा सकते हैं। जैसा विदित है, प्रत्येक देश में मानक सिक्कों के अतिरिक्त कई प्रकार के प्रतीक सिक्के भी प्रचलित होते हैं। इनके साथ ही साथ कागजी नोटों का भी चलन होता है। मूल्यमान में ये सभी प्रकार की गौण मुद्राएँ सम्मिलित नहीं होतीं। मूल्यमान तो केवल प्रधान मुद्रा से ही सम्बन्धित होता है। मुद्रामान में मुद्रा-नियन्त्रण सम्बन्धी सभी प्रकार के नियम, मूल्यमान में धातुओं के क्रय-विक्रय तथा उनकी आयात-निर्यात सम्बन्धी व्यवस्थाएँ सम्मिलित होती हैं। इसके अतिरिक्त मौद्रिक नीति भी मुद्रामान का ही एक अंग होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रामान मूल्यमान की अपेक्षा अधिक विस्तृत शब्द है। वास्तव में, मूल्यमान मुद्रामान का ही अंग होता है।

मुद्रामान के भेद (Types of Monetary Standard)

मुद्रामान के दो भेद हैं—(क) धातुमान (Metallic Standard), (ख) कागजी मान (Paper Standard)। धातुमान के अन्तर्गत, किसी धातु को ही मूल्यमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। परन्तु कागजी मान में कागजी मुद्रा ही मूल्य के मान के रूप में इस्तेमाल की जाती है। धातुमान का प्रमुख रूप निम्नलिखित है

(1) एक-धातुमान (Monometallism)—एक-धातुमान के अन्तर्गत केवल एक ही धातु का मूल्यमान के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(क) जैसा कहा जा चुका है, एक-धातुमान के अन्तर्गत केवल एक ही धातु का मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। यह धातु प्रायः सोना अथवा चाँदी ही होती है।

(ख) देश का मुख्य सिक्का सोने अथवा चाँदी का बना होता है। लेकिन छोटे छोटे साँदों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हल्की धातुओं से बने हुए कई प्रकार के प्रतीक सिक्के भी होते हैं।

(ग) देश का प्रधान सिक्का असिमित विधिप्राप्त होता है, परन्तु प्रतीक सिक्के केवल सीमित विधिप्राप्त ही होते हैं।

(घ) प्रमुख सिक्के का टुकड़ा खुली सिक्का डलाई प्रणाली के आधार पर किया जाता है, अर्थात् जनता को यह अधिकार होता है कि मनचाही मात्रा में धातुएँ ले जाकर टुकड़ाल में सिक्के डबवा ले।

(ङ) यदि देश का प्रधान सिक्का सोने का बना होता है तो मुद्रा-प्रणाली को स्वर्णमान (Gold Standard) कहा जाता है। इसके विपरीत, यदि देश का प्रमुख सिक्का चाँदी का बना होता है तो मुद्रा प्रणाली को रजतमान (Silver Standard) कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में सन् 1931 तक स्वर्णमान प्रचलित था और भारत में सन् 1893 तक रजतमान क्रियाशील था।

एक-धातुमान के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(क) सरलता—एक धातुमान में सरलता का गुण होता है। चूँकि इसके अन्तर्गत एक ही धातु का मुख्यमान के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए साधारण जनता के लिए इसे समझना आसान है।

(ख) जनता का विश्वास—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत देश का प्रधान सिक्का सोने अथवा चाँदी का बना होता है, इसलिए जनता का इसमें अधिक विश्वास होता है।

(ग) विदेशी व्यापार में सुविधा—जब इस प्रणाली को बहुत-से देशों द्वारा एक साथ अपनाया जाता है तो इससे विदेशी व्यापार में बड़ी सुविधा रहती है। जैसा विदित है, स्वर्णमान के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला था।

(घ) प्रेशम का नियम (Gresham's Law) क्रियाशील नहीं होता—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रधान सिक्के एक ही मुद्रा के बने हुए होते हैं इसलिए इसमें प्रेशम के नियम की क्रियाशीलता का भय कम रहता है। इसके विपरीत, द्विधातुमान (Bimetallism) के अन्तर्गत तो प्रेशम का नियम लगभग अनिवार्य रूप से क्रियाशील होता है।

एक-धातुमान के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं

(क) एक-धातुमान विश्व के सभी देशों द्वारा नहीं अपनाया जा सकता—चूँकि विश्व में सोने अथवा चाँदी की कुल मात्रा सभी देशों की मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए विश्व के सभी देश एक साथ इस प्रणाली को नहीं अपना सकते।

(ख) कीमत-स्तर में अस्थिरता—इस प्रणाली के अन्तर्गत देश के आन्तरिक कीमत-स्तर में प्रायः स्थिरता का अभाव रहता है। इसका कारण यह है कि किसी एक धातु की कीमत पूर्णतः स्थिर नहीं होती। समय-समय पर माँग तथा पूर्ति में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप धातु की कीमत में परिवर्तन होते रहते हैं। जब मुद्रा धातु की कीमत में परिवर्तन होते हैं तो फिर मुद्रा के मूल्य में स्थिरता कैसे रह सकती है? अर्थात् सामान्य कीमतों में स्थिरता बनाये रखना असम्भव हो जाता है। यदि हम विश्व के 19वीं शताब्दी के आर्थिक इतिहास का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि समय-समय पर सोने अथवा चाँदी की कीमतों में भारी परिवर्तन होते रहे हैं। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन हुए और आन्तरिक कीमत स्तर में भारी उतार-चढ़ाव आये।

(ग) लोच का अभाव—एक अच्छी मुद्रा प्रणाली में लोच (elasticity) का होना आवश्यक होता है अर्थात् मुद्रा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उसके अधीन आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा का विस्तार एवं सकुचन सुगमता से किया जा सके। परन्तु एक धातुमान प्रणाली में लोच के इस गुण का अभाव रहता है। आवश्यकता पड़ने पर इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार मुद्रा की पूर्ति

को नहीं बढ़ा सकती जब तक कि उससे पास सोना अथवा चाँदी जैसी मूल्यवान धातुएँ उपलब्ध न हों। सकटकाल में तो इस प्रणाली में कभी-कभी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे समय में सरकार प्रायः मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना आवश्यक समझते हुए भी ऐसा नहीं कर सकती। इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ देशों को स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा था।

(2) द्विधातुमान (Bimetallism)—जब किसी देश में दो धातुओं (अर्थात् सोना व चाँदी) के मानक सिक्के एक साथ चलन में होते हैं तो इस प्रकार की प्रणाली को द्विधातुमान कहते हैं। द्विधातुमान की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(क) इस प्रणाली के अन्तर्गत देश के मानक सिक्के सोने तथा चाँदी के बने हुए होते हैं और ये दोनों सिक्के एक साथ चलन में रहते हैं।

(ख) इन सिक्कों को एक-दूसरे में बदलने की दर सरकार द्वारा पहले से ही घोषित कर दी जाती है।

(ग) ये दोनों सिक्के असिमित विधिप्राप्त होते हैं और ऋणी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी सिक्के में ऋण का भुगतान कर सकते हैं।

(घ) ये दोनों सिक्के पूर्णकाय मुद्रा (full-bodied money) होते हैं, अर्थात् इनके अंकित एव यथार्थ मूल्य बराबर होते हैं।

(ङ) इन दोनों प्रकार के सिक्कों का टक्का खुली सिक्का ढलाई प्रणाली के आधार पर होता है। जनता को यह अधिकार होता है कि दोनों धातुओं या उनमें से किसी एक धातु को टकसाल में ले जाकर उसके मानक सिक्के ढलवा ले।

(च) सोने तथा चाँदी के आयात व निर्यात पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता।

19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों में तथा संयुक्त राज्य अमरीका में द्विधातुमान प्रणाली प्रचलित रही। सर्वप्रथम सन् 1742 में अमरीका ने द्विधातुमान को अपनाया था। परन्तु सन् 1879 में इसका अमरीका द्वारा परित्याग कर दिया गया था। सन् 1803 में फ्रांस ने इस प्रणाली को अपनाया था। सन् 1853 तक यह प्रणाली फ्रांस में सफलतापूर्वक कार्य करती रही थी। सन् 1865 में फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड, बेल्जियम, इटली जैसे देशों ने अपना एक मौद्रिक सघ (Monetary Union) बनाया और द्विधातुमान प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया। परन्तु चाँदी की पूर्ति में अकस्मात् वृद्धि होने के परिणामस्वरूप शीघ्र ही इन देशों में ग्रेगम का नियम क्रियाशील होने लगा। स्वर्ण मुद्रा चलन से अदृश्य हो गयी और केवल चाँदी की मुद्रा ही चलन में रह गयी। इस प्रकार इन यूरोपीय देशों का उक्त सघ भंग हो गया। 19वीं शताब्दी के अन्त में दो बड़े अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-सम्मेलनों ने द्विधातुमान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने की सिफारिश की थी। परन्तु ग्रेट ब्रिटेन जैसे स्वर्णमान वाले देशों ने द्विधातुमान का कड़ा विरोध किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सिफारिश क्रियान्वित नहीं जा सकी। अब 20वीं शताब्दी में द्विधातुमान का कुछ भी महत्त्व नहीं रहा है और यह केवल एक इतिहास का विषय बनकर ही रह गया है।

द्विधातुमान के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(क) द्विधातुमान के अन्तर्गत पर्याप्त प्रारक्षित निधि की व्यवस्था की जा सकती है—जैसा स्पष्ट है, एक-धातुमान के अन्तर्गत पर्याप्त प्रारक्षित निधि (reserve fund) की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसका कारण है कि एक-धातुमान के अधीन केवल एक ही धातु प्रारक्षित निधि में रखी जाती है। चूँकि एक धातु (सोना अथवा चाँदी) की पूर्ति पर्याप्त नहीं हो सकती इसलिए एक धातुमान के अन्तर्गत कभी-कभी मुद्रा की परिवर्तनशीलता (Convertibility) को स्थगित कर दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई बार स्वर्णमान वाले देशों ने स्वर्ण कोष की कमी के कारण मुद्रा की परिवर्तनशीलता का परित्याग किया, जिससे जनता का इन देशों की मुद्राओं में विश्वास कम हो गया था। परन्तु द्विधातुमान के अन्तर्गत यह कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। द्विधातुमान के अधीन प्रारक्षित निधि में सोना व चाँदी दोनों ही रखे जाते हैं जिससे मुद्रा की परिवर्तनशीलता को बनाये रखना आसान हो जाता है। एक धातुमान में चूँकि एक ही

धातु का प्रयोग किया जाता है, इसलिये धातु-पूति की कमी के कारण मुद्रा की परिवर्तनशीलता को बनाये रखना कठिन हो जाता है। इस प्रकार द्विधातुमान में प्रारक्षित निधि की पर्याप्तता के फलस्वरूप मुद्रा की परिवर्तनशीलता को बनाये रखना आसान होता है।

(ख) कीमत-स्तर में स्थिरता—एक अच्छे मुद्रामान में मुद्रा का मूल्य यथासम्भव स्थिर रहना चाहिए, अर्थात् कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव नहीं होने चाहिए। इस दृष्टिकोण से द्विधातुमान प्रणाली आदर्श मानी जाती है, क्योंकि इसके अन्तर्गत कीमत स्तर में स्थिरता लायी जा सकती है। जब द्विधातुमान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाता है, तब सोने व चाँदी में से किसी एक धातु की कमी का दूसरी धातु के उत्पादन से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों धातुओं के मूल्यों में स्थिरता लायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में प्रो० जेवन्स (Jevons) ने एक बहुत ही सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार यदि नये में चूर दो शराबी व्यक्ति साथ-साथ सड़क पर चलते हैं तो वे अवश्य ही गिरेंगे। हो सकता है कि एक बायीं ओर को गिरे और दूसरा दायीं ओर को। परन्तु इन दोनों व्यक्तियों को आपस में बाँध दिया जाय तो फिर वे गिर नहीं सकते, क्योंकि यदि एक व्यक्ति दायीं ओर को गिरता है तो दूसरा बायीं ओर को गिरेगा जिससे दोनों का सन्तुलन बना रहेगा और गिरने नहीं पायेंगे। इसी प्रकार द्विधातुमान के अन्तर्गत चाँदी की कमी सोने के अधिक उत्पादन से या सोने की कमी चाँदी के अधिक उत्पादन से दूर की जा सकती है। परिणामतः द्विधातुमान के अन्तर्गत कीमतों में स्थिरता बनी रहती है। इसके विपरीत, एक-धातुमान के अन्तर्गत धातु की पूति में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मुद्रा की पूति में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इससे कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित नहीं की जा सकती।

(ग) विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन—द्विधातुमान के अन्तर्गत विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। इसके दो मुख्य कारण हैं—प्रथम, द्विधातुमान में सोने व चाँदी दोनों ही धातुओं के मानक सिक्के प्रचलित होते हैं। अतः द्विधातुमान वाला देश स्वर्णमान एवं रजतमान वाले दोनों ही प्रकार के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। द्विधातुमान वाले देशों को दोनों ही प्रकार के देशों (अर्थात् स्वर्णमान तथा रजतमान वाले देशों) की मुद्राओं के साथ विनिमय-दर निश्चित करने में सुविधा रहती है। दूसरे, चूँकि द्विधातुमान के अन्तर्गत देश के आयातों व निर्यातों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, इसलिए विनिमय दर में भारी परिवर्तन नहीं होते, अर्थात् विनिमय दर में स्थिरता स्थापित की जा सकती है। इससे देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

(घ) इसके अन्तर्गत बैंक अपने कोषों का निर्धारण किफायत पूर्वक कर सके हैं और इसके साथ ही साथ व्याज की दर में भी कमी हो जाती है—द्विधातुमान के अन्तर्गत देश के बैंक अपने कोषों की व्यवस्था बहुत आसानी तथा किफायतपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि द्विधातुमान के अधीन सोने तथा चाँदी दोनों ही धातुओं के सिक्के असीमित विधिग्राह्य होते हैं। बैंक अपनी इच्छानुसार अपने कोषों में दोनों या दोनों में से किसी एक मुद्रा को रखने में स्वतन्त्र होते हैं। इसके अतिरिक्त, चूँकि द्विधातुमान के अन्तर्गत मुद्रा दो अलग-अलग धातुओं की बनी होती है, इसलिए मुद्रा की पूति प्रायः अधिक रहती है जिसके परिणामस्वरूप व्याज की दरें कम हो जाती हैं और बैंक व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को कम व्याज की दरों पर ऋण दे सकते हैं। इससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है।

द्विधातुमान के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं।

(क) द्विधातुमान में प्रेशम का नियम क्रियाशील होता है—द्विधातुमान, वास्तव में एक अस्थायी मान है। कोई भी देश दीर्घकाल तक इसे नहीं चला सकता। द्विधातुमान तभी स्थायी हो सकता है जब इसे सभी देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाय। यदि द्विधातुमान केवल एक ही देश द्वारा अपनाया जाता है तो शोध ही प्रेशम के नियम की क्रियाशीलता के कारण उसे द्विधातुमान का परित्याग करना पड़ेगा। मान लीजिए, किसी देश में सोने व चाँदी के दो प्रकार के मानक सिक्के हैं और सरकार द्वारा इनको एक दूसरे में बदलने की दर 15 निश्चित की गयी है, अर्थात् सोने का एक सिक्का चाँदी के 15 सिक्कों से बदला जा सकता है। इसको हम टकराल दर (Mint Rate) कह सकते हैं। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि इन धातुओं की बाजार दर (Market Rate) भी 15 होगी। यदि बाजार दर 16 हो जाती है तो

द्विधातुमान अधिक समय तक चल नहीं सकता, क्योंकि इस दर पर सोने का बाजार मूल्य टकसाल मूल्य की तुलना में बढ़ जाता है। अतः सोने की मुद्रा एक अच्छी मुद्रा बन जाती है और चाँदी की मुद्रा घटिया मुद्रा हो जाती है। ग्रेशम का नियम क्रियाशील हो जाता है और घटिया मुद्रा (चाँदी की) अच्छी मुद्रा (सोने की) को चलन से बाहर निकाल देती है, अर्थात् सोने के सिक्के लुप्त हो जाते हैं और चाँदी के सिक्के चलन में शेष रह जाते हैं। इस प्रकार द्विधातुमान अन्ततः एक धातुमान में परिवर्तित हो जाता है। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि द्विधातुमान तब तक ही जारी रह सकता है जब तक कि दोनों धातुओं की टकसाल दर व बाजार दर एक समान रहे। चूँकि बाजार दर को नियन्त्रित करना एक देश के लिए सम्भव नहीं होता, इसलिए सभी देशों को मिलकर सोने व चाँदी की बाजार दर पर नियन्त्रण रखना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रीय द्विधातुमान (national bimetalism) सम्भव नहीं हो सकता। केवल अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान (international bimetalism) ही सम्भव हो सकता है।

(ख) लेन-देन में असुविधा—द्विधातुमान के अन्तर्गत जब टकसाल दर तथा बाजार दर में अन्तर हो जाता है तो उस समय ऋणी (debtors) अपने ऋणों का भुगतान सस्ती धातु में करना चाहते हैं, जबकि ऋणदाता (creditor) ऋणों का भुगतान महँगी धातु में लेना पसन्द करते हैं। फलतः ऋण भुगतान के कार्यों में उलझन उत्पन्न हो जाती है।

(ग) टकसाल दर तथा बाजार दर में समानता बनाये रखना कठिन होता है—जैसा पहले कहा जा चुका है, द्विधातुमान सफलतापूर्वक तभी चल सकता है जबकि टकसाल दर तथा बाजार दर में समानता बनी रहे। परन्तु व्यवहार में इन दोनों दरों के बीच समानता बनाये रखना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होता है।

(घ) सट्टेबाजी को प्रोत्साहन—द्विधातुमान के अन्तर्गत जब दोनों धातुओं की बाजार दर तथा टकसाल दर में अन्तर उत्पन्न हो जाता है तो इससे सट्टेबाजी (speculation) की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। सटोरिये इन दरों के अन्तर का लाभ उठाते हुए सट्टे की प्रोत्साहन देते हैं।

द्विधातुमान के दोषों को दूर करने के उपाय—जैसा ऊपर बताया गया है, द्विधातुमान के मुख्य दोष ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अतः द्विधातुमान के पक्षपातियों ने इसके दोषों के निवारण के दो निम्नलिखित उपाय सुझाये हैं

(क) टकसाल दर को बाजार दर के अनुसार परिवर्तित किया जाय—द्विधातुमान को स्थायी बनाने के लिए प्रथम सुझाव तो यह है कि जब कभी बाजार दर तथा टकसाल दर में असमानता उत्पन्न हो जाय तब टकसाल दर को बाजार दर के अनुसार ही परिवर्तित कर देना चाहिये। सन् 1847-48 में फ्रांस ने, सोने की पूर्ति बढ़ जाने पर टकसाल दर में बाजार दर के अनुसार परिवर्तन करके द्विधातुमान को स्थिर बनाने का प्रयत्न किया था।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान की स्थापना की जाय—जैसा पहले कहा जा चुका है, राष्ट्रीय द्विधातुमान सफल नहीं हो सकता। द्विधातुमान को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाय। जब विश्व के प्रमुख देश द्विधातुमान को एक साथ अपना लेते हैं तब टकसाल दर तथा बाजार दर में समानता स्थापित करना आसान हो जाता है। इसका मुख्य कारण द्विधातुमान की क्षतिपूरक क्रिया (compensating action) है। अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान में क्षतिपूरक क्रिया के परिणामस्वरूप द्विधातुमान वाले सभी देशों में बाजार दर अन्ततः टकसाल दर के बराबर हो जाती है जिससे सभी देशों में द्विधातुमान सफलतापूर्वक कार्य करता रहता है। इसलिए द्विधातुमान प्रणाली के दोषों का निवारण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान की स्थापना का सुझाव 19वीं शताब्दी के अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलनों द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

अन्तरराष्ट्रीय द्विधातुमान के अन्तर्गत क्षतिपूरक क्रिया की कार्यशीलता

(Working of the Compensatory Action Under Bimetalism)

अब हम यह देखेंगे द्विधातुमान के अन्तर्गत क्षतिपूरक क्रिया किस प्रकार कार्यशील होती

है। मान लीजिए, किसी द्विधातुमान वाले देश में सोने तथा चाँदी दोनों के ही सिक्के प्रचलित हैं और सोने व चाँदी की टकसाल दर उनकी बाजार दर के बराबर है, अर्थात् यह दर 1 15 है। अब मान लीजिए कि सोने व चाँदी की टकसाल दर तो व्यों की व्यों बनी रहती है, परन्तु इनकी बाजार दर में चाँदी की पूँति में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप परिवर्तन हो जाता है और यह दर अब 1 15 के बजाय 1 16 हो जाती है। इस परिस्थिति में, जैसा स्पष्ट है, सोने का टकसाल मूल्य (mint price) कम हो जाता है। बाजार में 1 इकाई सोने के बदले 16 इकाइयाँ चाँदी की उपलब्ध होती है जबकि टकसाल दर के अनुसार 1 इकाई सोने के बदले केवल 15 इकाइयाँ ही चाँदी की उपलब्ध होती हैं। स्पष्ट है कि सोने का बाजार मूल्य बढ़ गया है। इस बढ़े हुए मूल्य का लाभ उठाने हेतु अब लोग सोने के सिक्कों को गलाकर बाजार में इसके बदले चाँदी खरीदना शुरू कर देंगे और चाँदी को टकसाल में सिक्का ढलाई के लिए पेश करेंगे। इस प्रकार बाजार में धीरे-धीरे चाँदी का अभाव हो जायगा क्योंकि इसका उपयोग अधिकाधिक मात्रा में अब सिक्के ढलवाने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत, बाजार में सोने की बहुतायत हो जायगी, यहाँ इसे सिक्का-ढलाई के लिए टकसाल नहीं भेजा जाता बल्कि, जैसा पूर्व कहा गया है, सोने के सिक्कों को गलाकर बाजार में लाया जाता है। इस प्रकार सोने की अधिकता और चाँदी के अभाव के कारण बाजार में इन दोनों धातुओं की विनिमय-दर धीरे-धीरे कम होने लगेगी। दूसरे शब्दों में, 1 इकाई सोने के बदले में बाजार में चाँदी 16 इकाइयों से कम मिलने लगेगी और अन्त में, इन दोनों धातुओं की बाजार दर इनकी टकसाल दर के बराबर हो जायगी। इस प्रकार बाजार से चाँदी का सिक्का ढलवाने के लिए टकसाल को जाना और सोने का टकसाल से बाजार में सौट आना क्षतिपूर्क क्रिया कहलाती है और यह क्रिया उस समय तक कार्यशील रहती है जब तक कि बाजार दर अन्ततः टकसाल दर के बराबर नहीं हो जाती।

परन्तु यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि क्षतिपूर्क क्रिया अभी कार्यशील होती है जबकि सभी देशों में सोने व चाँदी की बाजार दर एकसमान रहे, न कि केवल एक ही देश में। जब द्विधातुमान अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर अपना लिया जाता है और सोने व चाँदी के आयात तथा निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता तब सभी देशों में सोने चाँदी की बाजार दर एकसी रहती है। यदि किसी एक देश में सोने व चाँदी की बाजार दर में परिवर्तन हो जाता है तब विदेशों से इन धातुओं के आयात अथवा निर्यात द्वारा उस देश में पुनः बाजार दर टकसाल दर के बराबर हो जाती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान के अन्तर्गत एक देश की सोने व चाँदी की बाजार दर किसी दूसरे देश से अधिक समय तक भिन्न नहीं रह सकती। यदि किसी देश में सोने का मूल्य अधिक हो जाता है तो सभी देशों से सोना उस देश को आने लगेगा और चाँदी के सिक्के विदेशों को जाने लगेंगे, जिसके परिणामस्वरूप उस देश में सोने का मूल्य कम हो जायगा।

निष्कर्ष—अतः हृद्य इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्विधातुमान अभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है जबकि सभी प्रमुख देशों द्वारा इसे अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर अपनाया जाय। परन्तु आज की दुनिया में अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान के अपनाये जाने की बिलकुल ही सम्भावना नहीं है। आज तो सभी देशों में कागजी मान प्रचलित है और दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आज विश्व में शायद ही कोई देश द्विधातुमान को अपनायने के लिए तैयार हो। सन् 1944 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था। अतः द्विधातुमान का आज केवल ऐतिहासिक महत्त्व ही रह गया है।

पंगु द्विधातुमान (Lumping Standard)

इस मान में द्विधातुमान की भाँति सोने व चाँदी दोनों के ही सिक्के प्रचलित होते हैं। दोनों सिक्के मानक सिक्के होते हैं और दोनों ही असंगित विधिग्राह्य होते हैं। दोनों के बीच की विनिमय-दर भी सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है। इस प्रकार यह मान द्विधातुमान की तरह ही है, परन्तु इसमें एक आधारभूत अन्तर होता है। जैसा हम देख चुके हैं, द्विधातुमान के अधीन तो दोनों धातुओं का टकसाल खुली सिक्का ढलाई (Free Coinage) प्रणाली के आधार पर होता है। परन्तु पंगु द्विधातुमान में किसी एक धातु के सिक्के की ढलाई खुली सिक्का ढलाई प्रणाली के आधार पर होती है और दूसरे सिक्के की ढलाई खुली सिक्का ढलाई प्रणाली पर नहीं होती,

अर्थात् एक सिक्के का टक्कण तो स्वतन्त्र होता है परन्तु दूसरे सिक्के का टक्कण स्वतन्त्र नहीं होता। इस मान को पगु द्विधातुमान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अन्तर्गत एक सिक्के की ढलाई स्वतन्त्र नहीं होती और यह सिक्का बड़ी कठिनाई से चालू रहता है, अर्थात् यह गिक्का लेंगडाकर चलता है। साधारणतः इस मान में मोने के सिक्को का टक्कण खुली सिक्का ढलाई व आधार पर होता है। परन्तु चाँदी के सिक्को का टक्कण पूर्णतः सरकार अपने लिये मुरधित रखती है। दूसरे शब्दों में, चाँदी का सिक्का मानक सिक्का होते हुए भी स्वतन्त्र रूप में नहीं ढाला जाता, अर्थात् साधारण जनता को चाँदी टक्काल में ले जाकर सिक्के ढलवाने का अधिकार नहीं होता। इस मान का केवल एक ही उदाहरण हमारे पास है। सन् 1803 में इस प्रकार के मान को फ्रांस द्वारा धोडे समय के लिए अपनाया गया था।

व्यकल्पित अथवा समांतर द्विधातुमान (Parallel Bimetallic Standard)

इस मान में द्विधातुमान की भाँति सोने और चाँदी दोनों धातुओं के सिक्के प्रचलित होते हैं। दोनों सिक्के मानक सिक्के होते हैं और दोनों ही असोमित विधिग्राह्य होते हैं। दोनों सिक्को की ढलाई भी खुली सिक्का ढलाई प्रणाली (Free Coinage) के आधार पर होती है, अर्थात् साधारण जनता को दोनों धातुओं के सिक्के ढलवाने का अधिकार होता है। परन्तु द्विधातुमान की भाँति इस मान में दोनों सिक्का के बीच की विनिमय-दर सरकार द्वारा स्थायी आधार पर निश्चिन नहो की जाती बल्कि यह समय-समय पर सरकार द्वारा बाजार दर के बराबर लायी जाती है। इस प्रकार दोनों सिक्को के बीच की टक्काल दर स्थिर नहीं रहती, बल्कि इसमें दोनों धातुआ की कीमतों में परिवर्तनों के साथ-साथ फेर बदल होते रहते हैं। चूँकि इस मान में चाँदी के सिक्के मोने के सिक्को के साथ बाजार मूल्यों पर बदले जाते हैं, इसलिए ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होता। परन्तु इस मान की सबसे बड़ी ब्रुटि यह है कि दोनों सिक्को की टक्काली विनिमय-दर निश्चित नहो होनी, जिसके कारण इसमें समय-समय पर भारी परिवर्तन होते रहते हैं और व्यापारिया को कठिनाइयो एव अमुविधाओं का सामना करना पडता है।

बहु-धातुमान (Multi metallism)

बहु धातुमान प्रणाली के अन्तर्गत कई धातुआ का एक साथ मूल्यमान के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक धातु के सिक्को का टक्कण खुली सिक्का ढलाई प्रणाली के आधार पर किया जाता है। सभी सिक्के मानक एव असोमित विधिग्राह्य होते हैं। सभी प्रकार के सिक्को के बीच की विनिमय-दर सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है और ऋणियों (debtors) को किसी भी सिक्के में ऋण चुकाने का अधिकार होता है।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से बहु धातुमान प्रणाली ठीक ही प्रतीत होती है। परन्तु व्यवहार में इस प्रणाली में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। बहु धातुमान के अधीन विभिन्न प्रकार के सिक्को के बीच की विनिमय-दर को बनाय रखना बहुत कठिन हाता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न धातुओं की कीमतों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। यही कारण है कि बहु धातुमान प्रणाली को अभी तक किसी भी देश में नहीं अपनाया है, यद्यपि इस मान में कीमतों की स्थिरता को बनाये रखने की बहुत बड़ी सम्भावना होनी है।

मिश्रित धातुमान (Symmetallism)

इस मान का मुझाव सर्वप्रथम सन् 1881 में डॉ० मार्शल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जैसा हम देख चुके हैं द्विधातुमान के असफल होने का मुख्य कारण ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता था। वास्तव में, डॉ० मार्शल एव ऐसा मान प्रतिपादित करना चाहते थे जिसमें द्विधातुमान के तो सभी गुण विद्यमान हों परन्तु ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता की सम्भावना न रहे। इसी उद्देश्य को सामने रखकर उन्होंने मिश्रित धातुमान का मुझाव दिया था। उनके मतानुसार मिश्रित धातुमान में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होनी चाहिए

(क) सोने तथा चाँदी—दोनों धातुओं का एक ही साथ मूल्यमान के रूप में प्रयोग किया जाय ।

(ख) राष्ट्रधारण जनता को मुद्रा को सोने तथा चाँदी में बदलने की सुविधा नहीं होनी चाहिए ।

(ग) सोने व चाँदी दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक छड़ (bar) तैयार की जाय और लोगों को मुद्रा को केवल इसी छड़ में बदलने की सुविधा दी जाय । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कामजी मुद्रा के बदले में दोनों ही धातुओं को अनिवार्य रूप में ग्रहण करना पड़ेगा । परिणामतः प्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं हो सकेगा, क्योंकि सोने तथा चाँदी की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का इस मान पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

डॉ० मार्शल का यह सुझाव सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से अच्छा है परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से नहीं । इसलिए किसी देश द्वारा मिश्रित धातुमान को नहीं अपनाया गया है ।

सूचकांक मान

(Tabular or Index Number Standard)

इस प्रकार के मान का सुझाव सर्वप्रथम एक अमरीकी अर्थशास्त्री प्रो० फिशर (Fisher) द्वारा प्रस्तुत किया गया था । प्रो० फिशर के अनुसार एक अच्छा मुद्रामान वह होता है जो देश में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में स्थिरता बनाये रखे । इसी को ध्यान में रखते हुए प्रो० फिशर ने सूचकांक मान का सुझाव दिया था । उनके अनुसार केवल इसी मान के अन्तर्गत कीमत-स्तर में स्थिरता बनाये रखी जा सकती है । इस प्रणाली के अनुसार एक आधार वर्ष (base year) चुन लिया जाता है और इसी वर्ष की कीमतों को आधार मानते हुए देश में सामान्य कीमतों के सूचकांक (General Price Index Number) बना लिये जाते हैं । भविष्य में इन्हीं सूचकांकों के अनुसार मुद्रा का मूल्य निश्चित किया जाता है । परन्तु स्मरण रहे कि एक बार निश्चित किया गया मुद्रा मूल्य सदा के लिये स्थिर नहीं रहता, बल्कि समय-समय पर कीमतों के परिवर्तनों के अनुसार उसमें भी परिवर्तन किये जाते हैं । इससे लाभ यह होता है कि स्थगित भ्रमगतानों में एक प्रकार की समता बनी रहती है और देश के किसी भी वर्ष (ऋणदाताओं तथा ऋणियों) को आर्थिक हानि नहीं होती । मान लीजिए कि देश में कीमतों का सूचकांक 5 प्रतिशत बढ़ जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि मुद्रा का मूल्य 5 प्रतिशत घट गया है । ऐसी परिस्थिति में सूचकांक मान के अन्तर्गत सरकार सोने के मूल्य को नियमानुसार 5 प्रतिशत कम कर देगी । इससे देश में मुद्रा की मात्रा में स्वतः ही कमी हो जायेगी । इसके परिणामस्वरूप कीमतें गिर जायेंगी और मुद्रा का मूल्य बढ़ जायेगा । इसी प्रकार यदि कीमतों का सूचकांक 5 प्रतिशत घट जाता है तो इसका अभिप्राय यह है कि मुद्रा का मूल्य 5 प्रतिशत बढ़ गया है । ऐसी परिस्थिति में सरकार सोने के मूल्य को नियमानुसार 5 प्रतिशत बढ़ा देगी । इससे देश में मुद्रा की मात्रा में स्वतः ही वृद्धि हो जायेगी, कीमतें बढ़ जायेंगी और मुद्रा का मूल्य कम हो जायेगा ।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके अन्तर्गत सामान्य कीमतों तथा मुद्रा के मूल्य में स्थिरता स्थापित की जा सकती है । इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा । व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहन मिलेगा । परन्तु इस प्रणाली की मुख्य कठिनाई यह है कि इसे व्यवहार में कौंसे लाया जाय । प्रथम सामान्य कीमतों के सूचकांक बनाने में सरकार को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । यदि सामान्य कीमतों के सूचकांक बना भी लिये जायें तो भी इस बात की कोई गारण्टी नहीं कि वे कीमतों के बारे में सही-सही जानकारी प्रस्तुत करेंगे । जब सामान्य कीमतों के सूचकांक ही विश्वसनीय नहीं हैं, तब उनके आधार पर सरकार सोने के मूल्य में कैसे परिवर्तन कर सकती है । दूसरे, सामान्य कीमतों के सूचकांक केवल भूतकाल से ही सम्बन्धित होते हैं । वर्तमान तथा भविष्य के लिए उनका प्रयोग कोई विशेष महत्व नहीं रखता । इन्हीं श्रुतियों के कारण सूचकांक मान को असन्तोषजनक माना गया है और आज तक किसी भी देश में इसे अपनाने का प्रयत्न नहीं किया है ।

प्रादिष्ट मान (Fiat Standard)

धातुमान में (चाहे वह किसी प्रकार का हो) मानक सिक्के की कीमत धातु की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखी जाती है। परन्तु प्रादिष्ट मान के अन्तर्गत मुद्रा की इकाई की कीमत किसी धातु की एक निश्चित मात्रा के बराबर नहीं रखी जाती। दूसरे शब्दों में, मुद्रा की इकाई का धातु के साथ किसी प्रकार कोई सम्बन्ध नहीं होता। प्रो० केंट (Kent) के अनुसार प्रादिष्ट मुद्रा में तीन मुख्य विशेषताएँ पायी जाती हैं

(क) इस मुद्रा का यथार्थ मूल्य (intrinsic value) लगभग शून्य होता है।

(ख) इसको ऐसी किसी वस्तु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता जिसका मूल्य इस मुद्रा के अंकित मूल्य (face value) के बराबर हो।

(ग) इसकी क्रय शक्ति को सोने अथवा अन्य किसी वस्तु की कीमत के बराबर नहीं रखा जाता।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रादिष्ट मुद्रा एक ऐसी कागजी मुद्रा होती है जिसको न तो सोने में और न किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी न्य शक्ति भी सोने अथवा अन्य किसी वस्तु से निश्चित नहीं की जाती। यदि कोई मुद्रा सोने में तो परिवर्तनशील नहीं है परन्तु इसके मूल्य को सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखा जाता है, तब इस प्रकार की मुद्रा प्रादिष्ट मुद्रा नहीं कहला सकती। जैसा पहले कहा गया है, प्रादिष्ट मुद्रा का धातु से बिलकुल किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं होता।

प्रादिष्ट मुद्रा की स्थापना दो प्रकार से की जा सकती है

(क) सरकार स्वयं ऐसे कागजी नोटों का निगमन करती है जो किसी भी अवस्था में सोने अथवा अन्य किसी वस्तु में परिवर्तनशील नहीं होते, अर्थात् प्रादिष्ट मान की स्थापना अपरिवर्तनशील (अविनिमेय) कागजी मुद्रा को जारी करके की जा सकती है।

(ख) धातुमान वाले देश में कागजी मुद्रा की धातु में परिवर्तनशीलता को समाप्त करके भी प्रादिष्ट मान की स्थापना की जा सकती है। सन् 1862 से लेकर सन् 1879 तक अमरीका में प्रादिष्ट मान प्रचलित रहा था। इस अवधि में अमरीकी सरकार द्वारा ग्रीनबैक (Greenbacks) नामक मुद्रा जारी की गयी थी। यह मुद्रा न तो सोने में और न ही किसी अन्य वस्तु में परिवर्तनशील थी और न ही इसकी कीमत सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर रखी गयी थी। इस तरह ग्रीनबैक सही अर्थों में प्रादिष्ट मुद्रा थी।

प्रादिष्ट मान के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(1) धातुमान की अपेक्षा इसमें अधिक लोच होती है—धातुमान की अपेक्षा प्रादिष्ट मान में अधिक लोच होती है। जैसा पहले कहा गया है, मुद्रा प्रणाली में लोच का होना एक आवश्यक गुण माना गया है। धातुमान के अन्तर्गत, अतिरिक्त (additional) मुद्रा का निर्गमन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि धातु का अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध न हो। कभी-कभी तो धातुमान वाले देश में आवश्यकता होने पर भी अतिरिक्त धातु-स्टॉक के अभाव में अधिक मुद्रा जारी नहीं की जा सकती, स्पष्ट है कि मुद्रा की इस अन्तर्लक्ष्यता (inelasticity) के कारण देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परन्तु प्रादिष्ट मान के अन्तर्गत ऐसा नहीं होता। यदि देश में अधिक मुद्रा की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो तुरन्त ही अधिक मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है क्योंकि अतिरिक्त मुद्रा के निर्गमन का धातुओं की उपलब्धता से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

(2) प्रबन्ध की स्वतन्त्रता—प्रादिष्ट मान का एक गुण यह भी है कि इसने अन्तर्गत सरकार को मुद्रा-सम्बन्धी कार्य में पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। बाहरी शक्तियाँ सरकार की इस स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार देश की आवश्यकताओं के अनुसार एक स्वतन्त्र आर्थिक एवं मौद्रिक नीति अपना सकती है और देश के आर्थिक विकास की गति को तीव्र कर सकती है।

(3) मुद्रा की अपरिवर्तनशीलता प्रादिष्ट मान की, त्रुटि नहीं मानो जा सकती—आलोचकों द्वारा प्रायः कहा जाता है कि प्रादिष्ट मान के अन्तर्गत कागजी मुद्रा को धातु-सिक्के

में बदलने की कोई गारण्टी नहीं दी जाती जबकि धातुमान में कागजी मुद्रा को सिक्को में बदलने का सरकार द्वारा पूरा आश्वासन दिया जाता है। इस प्रकार धातुमान प्रादिष्ट मान की तुलना में श्रेष्ठ प्रणाली है। परन्तु यदि वास्तविक स्थिति का विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि धातुमान का उक्त गुण कोई विशेष गुण नहीं है। साधारण समयों में तो धातुमान के अतगत बहुत कम व्यक्ति कागजी मुद्रा को धातु सिक्को में बदलने के लिए टकसाल अथवा खजाने में प्रस्तुत करते हैं। जनता को साधारण समयों में सरकार पर लगभग पूरा विश्वास होता है। उसीलिए कागजी मुद्रा को धातु सिक्का में बदलने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता। परन्तु असाधारण समयों में (जैसे युद्धकाल में) जनता का सरकार में विश्वास कम हो जाता है और लोग प्रायः अपनी कागजी मुद्रा को धातु सिक्का में बदलने का प्रयत्न करते हैं। सरकार भी नोटों के बदले धातु सिक्क देती है। परन्तु यहाँ धातु सिक्को की माग बहुत बढ़ जाती है और सरकार के पास दली हुई माग का सन्तुष्ट करने के लिए धातुओं का स्टॉक अपर्याप्त होता है जो उसे माग में सन्तुष्ट कागजी नोटों का परिवर्तनशीलता को कानून द्वारा समाप्त कर देती है अथवा कागजी नोटों के परिवर्तनशीलता घटा दिया जाता है। युद्धकाल में प्रायः कागजी मुद्रा की परिवर्तनशीलता को समाप्त कर दिया जाता है। हमारे सामने अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब सरकारों ने धातु कोष के अभाव में कागजी मुद्रा को अपरिवर्तनशील करार दे दिया था। इस प्रकार धातुमान तक में कागजी मुद्रा की धातु में परिवर्तनशीलता समाप्त कर दी जाती है। जब वह प्रश्न उत्पन्न होता है कि असाधारण समयों में धातुमान तथा प्रादिष्ट मान में अंतर ही क्या रह जाता है? वास्तव में धातुमान में अतगत मुद्रा की परिवर्तनशीलता एक प्रकार का भ्रम ही है।

प्रादिष्ट मान के दोष

(1) मुद्रा स्फीति का भय—चूँकि प्रादिष्ट मान के अतगत कागजी नोटों के पीछे किसी प्रकार का धातु-कोष नहीं रखा जाता इसलिए इसमें मुद्रा के अत्यधिक मात्रा में जारी किये जाने की संदेह सम्भावना रहती है। यदि आवश्यकता से अधिक मुद्रा जारी कर दी जाती है तो मुद्रा स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। समाज के कुछ वर्गों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है जिससे देश में अशांति पकती है अथवा जनता का मुद्रा में से विश्वास उठ जाता है। परन्तु वास्तुमान में मुद्रा स्फीति की बिलकुल सम्भावना नहीं होती।

(2) विनिमय दर में अस्थिरता—चूँकि प्रादिष्ट मान में कागजी मुद्रा का प्रत्यक्ष रूप से बिलकुल कोई सम्बन्ध नहीं रहता इसलिए देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दर (foreign exchange rate) में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। परागमता देश के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को भारी धक्का लगता है। जैसा विदित है अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए देश की विदेशी विनिमय-दर में निश्चितता एवं स्थिरता का होना नितांत आवश्यक है।

ग्रेशम का नियम

(Gresham's Law)

ग्रेशम के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम थॉमस ग्रेशम (Sir Thomas Gresham) द्वारा किया गया था। सर थॉमस ग्रेशम महारानी ऐलिजाबेथ के आर्थिक सलाहकार थे। महारानी ऐलिजाबेथ उस समय ब्रिटेन में प्रचलित निवृष्ट सिक्को से बहुत चिंतित थीं। वह पुराने तथा घिरे हुए सिक्को के स्थान पर नये पूर्णकाम सिक्को के चलू करना चाहती थीं। इसी विचार से महारानी ऐलिजाबेथ ने पुगने तथा घिरे हुए सिक्का को चलाना बंद निकालने के लिए नये पूर्णकाम सिक्को को चालू किया। उनका विचार था कि साथ ही धीरे धीरे पुराने व घिरे हुए सिक्को का परिवर्तन कर देंगे तथा नये पूर्णकाम सिक्को को अपना लेंगे। परन्तु उनकी यह आशा पूरा नहीं हुई। जैसे ही नये सिक्को को चालू किया गया वैसे ही वे बाजार से अदृश्य हो गये और पुराने तथा निवृष्ट सिक्के बराबर चलते रहे। महारानी ऐलिजाबेथ ने सर थॉमस ग्रेशम से इस घटना का कारण पूछा। सर थॉमस ग्रेशम ने इस घटना का स्पष्टीकरण करते हुए कहा 'बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देती है। (Bad money drives good money out of circulation)। ग्रेशम के इस कथन को ग्रेशम का नियम कहा जाता है।

अच्छी मुद्रा से अभिप्राय नये तथा पूर्णकाय सिक्को से है जिनका वजन एवं शुद्धता ठीक सरकारी कानूनो के अनुसार होती है। जहाँ तक कागजी मुद्रा का सम्बन्ध है, अच्छी मुद्रा से अभिप्राय उन नोटों से है जो अच्छी हालत में हैं तथा धातु सिक्को में परिवर्तनशील हैं। इसके विपरीत, बुरी मुद्रा से अभिप्राय पुराने वजन में कम धिसे हुए और जाली सिक्को से है। जहाँ तक कागजी मुद्रा का सम्बन्ध है, बुरी मुद्रा से तात्पर्य फटे-पुराने तथा अपरिवर्तनशील नोटों से है। प्रेशम के कथनानुसार जब अच्छी तथा बुरी मुद्राएँ एक साथ चलन में होती हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देती है।

डॉ० मार्शल (Marshall) ने इस नियम की परिभाषा इन शब्दों में की है, "यदि बुरी मुद्रा मात्रा में सीमित नहीं है, तो वह अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देगी।" डॉ० मार्शल ने नियम की इस परिभाषा में इसको परिसीमाओं का भी उल्लेख किया है। डॉ० मार्शल के अनुसार यदि किसी देश में समान मूल्य की दो मुद्राएँ (जिनकी उत्तमता में अन्तर है) एक साथ प्रचलन में हैं तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देती है।

अर्थशास्त्र के अन्य नियमों की भाँति प्रेशम का नियम भी केवल प्रवृत्ति मात्र है। यह आवश्यक नहीं कि सभी दशाओं में प्रेशम का नियम क्रियाशील हो। परन्तु साधारणतः इस नियम के क्रियाशील होने की सम्भावना रहती है। वास्तव में, प्रेशम का नियम मानव की प्रकृति (human nature) पर आधारित है। जब कोई साधारण व्यक्ति किसी वस्तु को लेता है, तो वह सबसे बढ़िया इकाई छाँटकर लेता है और जब उसे कोई वस्तु देनी होती है तो वह सबसे घटिया इकाई देने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार जब हम सिक्को को लेते हैं तब हमारा प्रयत्न यही होता है कि नये पूर्णकाय सिक्का को प्राप्त किया जाय और जब हम अपने सिक्को को दूसरों को देते हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि घटिया व धिसे हुए सिक्को को दिया जाय। जब समाज में सभी व्यक्तियों का यही आचरण हाता है तो अच्छे पूर्णकाय सिक्के प्रचलन से लुप्त हो जाते हैं और केवल धिसे हुए तथा खराब सिक्के प्रचलन में शेष रह जाते हैं।

प्रेशम का नियम क्यों लागू होता है ?—प्रेशम का नियम निम्न तीन कारणों से क्रियाशील होता है

(1) मुद्रा का सग्रह (Hoarding of Money)—साधारण जनता में मुद्रा को जमा करने की प्रवृत्ति पायी जाती है। ऐसा करने के लिए लोग प्रायः नये तथा पूर्णकाय सिक्को तथा अच्छे कागजी नोटों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अच्छे सिक्के तथा अच्छे कागजी नोट प्रचलन से प्रायः लुप्त हो जाते हैं और केवल निकुण्ट सिक्के तथा फटे पुराने नोट ही प्रचलन में शेष रह जाते हैं।

(2) सिक्को का पिघलाना—जभी-कभी धातुओं के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप लोग सिक्को को गन्नाकर धातु के रूप में बेचते हैं और लाभ कमाते हैं। परन्तु ऐसा करने के लिए नये तथा पूर्णकाय सिक्को को ही चुना जाता है क्योंकि धिसे हुए सिक्को अथवा प्रतीक सिक्को को गलाने से कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार नये पूर्णकाय सिक्के प्रचलन से अदृश्य हो जाते हैं।

(3) विदेशी भुगतान तथा निर्यात—विदेशों में प्रायः देश की मुद्रा को उसके अंकित मूल्य (face value) पर स्वीकार नहीं किया जाता। उसे तो केवल उसके यथाथ मूल्य (intrinsic value) पर ही ग्रहण किया जाता है अर्थात् देश के बाहर सिक्को को वजन तथा शुद्धता के हिसाब से लिया जाता है। यही कारण है कि विदेशी भुगतानों के लिए नये व पूर्णकाय सिक्को का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार नये पूर्णकाय सिक्के प्रचलन से लुप्त हो जाते हैं।

नियम का क्षेत्र (Scope of the Law)—प्रेशम का नियम निम्नलिखित दशाओं में क्रियाशील होता है

(1) एक-धातुमान प्रणाली के अन्तर्गत—जैसा विदित है, इस प्रणाली के अधीन केवल एक ही धातु के सिक्के चलन में होते हैं परन्तु इन सिक्को में तोल तथा शुद्धता के अन्तर हो सकते हैं। एक-धातुमान की निम्न परिस्थितियाँ विचार के योग्य हैं

(क) जब देश में केवल मानक अथवा पूर्णकाय सिक्के प्रचलित होते हैं तब इन सिक्कों में

से कुछ तो नये होते हैं तथा कुछ पुराने। पुराने सिक्के बुरी मुद्रा कहलाते हैं और नये सिक्के अच्छी मुद्रा। प्रेशम के नियम के अनुसार पुराने सिक्के नये सिक्कों को प्रचलन से बाहर निकाल देते हैं।

(ख) जब मानक (पूर्णकाम) तथा प्रतीक सिक्के साथ-साथ प्रचलन में होते हैं तब ऐसी परिस्थिति में प्रतीक सिक्के बुरी मुद्रा बन जाते हैं और मानक सिक्के अच्छी मुद्रा। प्रतीक सिक्के मानक सिक्कों को चलन से बाहर निकाल देते हैं। भारत में जब रानी विक्टोरिया तथा जॉर्ज पट्टम के सिक्के एक साथ चलन में थे, तब विक्टोरिया के रूपों में जॉर्ज पट्टम के रूपों की तुलना में चाँदी की मात्रा अधिक होने के कारण विक्टोरिया के रूपों सुप्त हो गये थे। लोगों ने विक्टोरिया के रूपों का सग्रह करना आरम्भ कर दिया था और जॉर्ज पट्टम के रूपों ही शेष चलन में रह गये थे, अर्थात् विक्टोरिया के रूपों 'अच्छी' तथा जॉर्ज पट्टम के रूपों 'बुरी' मुद्रा बन गये थे।

(2) द्विधातुमान प्रणाली के अन्तर्गत—जैसा पहले कहा जा चुका है, द्विधातुमान के अन्तर्गत सोने व चाँदी के मानक सिक्के एक साथ प्रचलित होते हैं। ये दोनों ही असीमित द्विदिशाएँ होते हैं और दोनों का टकसाल सुली सिक्का ढलाई प्रणाली के आधार पर किया जाता है। दोनों सिक्कों के बीच की विनिमय-दर सरकार द्वारा निश्चित कर दी जाती है। द्विधातुमान के अधीन यदि एक धातु की कीमत में दूसरी धातु की अपेक्षा अधिक परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी दशा में दोनों धातुओं की बाजार विनिमय-दर (market rate) टकसाल दर (mint rate) से भिन्न हो जाती है। इससे एक धातु के सिक्कों का अतिमूल्यन (over-valuation) और दूसरी धातु के सिक्कों का अवमूल्यन (under-valuation) हो जाता है। अवमूल्यित मुद्रा अतिमूल्यित मुद्रा की तुलना में अच्छी होती है। इसलिए अतिमूल्यित मुद्रा अवमूल्यित मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देती है।

इसे निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—मान लीजिए कि किसी द्विधातुमान वाले देश में सोने तथा चाँदी के एक ही वजन के अर्थात् एक-एक तोले के पूर्णकाम सिक्के हैं और इन दोनों के बीच की विनिमय दर 1 : 15 है। अब मान लीजिए कि चाँदी की पूर्ति में वृद्धि होने के कारण इसकी बाजार कीमत कम हो जाती है, परन्तु सोने की कीमत ज्यों की त्यों बनी रहती है। परिणामतः सोने व चाँदी की बाजार विनिमय-दर 1 : 16 हो जाती है, जबकि टकसाल विनिमय दर अब भी 1 : 15 ही है। इस दशा में चाँदी के सिक्कों को टकसाल दर में अधिक मूल्य दिया गया है। टकसाल दर के अनुसार चाँदी की 15 इकाइयाँ 1 इकाई सोने के बराबर हैं जबकि बाजार दर के अनुसार चाँदी की 16 इकाइयाँ 1 इकाई सोने के बराबर हैं, अर्थात् टकसाल दर में चाँदी की अधिक मूल्य प्रदान किया गया है। दूसरे शब्दों में, चाँदी के सिक्कों का अतिमूल्यन (over valuation) हो गया है। इसके विपरीत, सोने के सिक्कों को टकसाल विनिमय दर में कम मूल्य दिया गया है। टकसाल दर के अनुसार 1 इकाई सोना 15 इकाई चाँदी के बराबर है, जबकि बाजार दर के अनुसार 1 इकाई सोना 16 इकाई चाँदी के बराबर है, अर्थात् टकसाल दर में सोने को कम मूल्य प्रदान किया गया है। इस प्रकार सोने के सिक्कों का अवमूल्यन हो गया है। अब चाँदी के सिक्के बुरी मुद्रा बन जायेंगे और सोने के सिक्के अच्छी मुद्रा। प्रेशम के नियम की क्रियाशीलता के कारण सोने के सिक्के चलन से सुप्त हो जायेंगे। अब लोग सोने के सिक्कों को पिघलाना आरम्भ कर देंगे, क्योंकि एक सोने के सिक्के को गलाकर एक तोला सोना मिल जाता है जिसे बेचकर बाजार में 16 तोले चाँदी प्राप्त की जा सकती है। परन्तु टकसाल दर के अनुसार 1 तोले सोने के सिक्के के बदले में केवल 15 तोले चाँदी ही प्राप्त होती है। इस प्रकार सोने के सिक्कों को गलाकर उन्हें धातु के रूप में बेचकर लोग लाभ कमायेंगे। सोने के सिक्के अदृश्य हो जायेंगे, परन्तु चाँदी के सिक्के बराबर प्रचलन में जारी रहेंगे।

(3) सिक्को तथा कागजी मुद्रा के एक साथ प्रचलन में—यदि किसी देश में धातु के सिक्के तथा कागजी नोट साथ-साथ प्रचलित हैं, तो उस देश में धातु के सिक्के अच्छी मुद्रा बन जायेंगे और कागजी नोट बुरी मुद्रा। लोग धातु के सिक्कों का सग्रह करेंगे तथा उन्हें गलाकर धातु के रूप में बेचेंगे। फलतः धातु के सिक्के धीरे धीरे प्रचलन से बाहर चले जायेंगे और केवल कागज के नोट ही प्रचलन में शेष रह जायेंगे। धातु के प्रतीक सिक्के भी कागजी नोटों की तुलना में अच्छी मुद्रा होते हैं, क्योंकि उनको गलाकर फिर भी कुछ न कुछ धातु प्राप्त हो जाती है। परन्तु

कागज के नोटों का यथार्थ मूल्य (intrinsic value) नगण्य होता है। प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान ग्रेट ब्रिटेन में ग्रेशम का नियम क्रियाशील हुआ था। उस समय ग्रेट ब्रिटेन में सोने के सिक्कों के साथ-साथ कागजी नोट भी प्रचलित थे। परन्तु ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता के परिणामस्वरूप सोने के सिक्के लुप्त हो गये थे और प्रचलन में शेष कागजी मुद्रा ही रह गयी थी।

(4) कागजी मुद्रा-प्रणाली में—कागजी मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत भी यह नियम लागू होता है। इस प्रणाली के अधीन ग्रेशम का नियम निम्न दशाओं में इस प्रकार लागू होता है

(क) यदि देश में एक ही प्रकार की कागजी मुद्रा प्रचलित है तो गन्दे तथा फटे-पुराने नोट बुरी मुद्रा बन जायेंगे और अच्छे, साफ तथा नये नोट अच्छी मुद्रा बन जायेंगे। लोग प्रायः अच्छे नोटों का सग्रह करेंगे और बुरे नोट प्रचलन में बने रहेंगे।

(ख) यदि देश में प्रतिनिधि कागजी मुद्रा तथा विनिमय कागजी मुद्रा एक साथ प्रचलित होती हैं तो प्रतिनिधि कागजी मुद्रा अच्छी मुद्रा बन जायेंगे और विनिमय कागजी मुद्रा बुरी मुद्रा। विनिमय कागजी मुद्रा प्रतिनिधि कागजी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देगी।

(ग) यदि किसी देश में विनिमय कागजी मुद्रा तथा अविनिमय कागजी मुद्रा दोनों एक साथ प्रचलित हैं तो विनिमय कागजी मुद्रा अच्छी मुद्रा तथा अविनिमय कागजी मुद्रा बुरी मुद्रा बन जायेंगी। फलतः अविनिमय कागजी मुद्रा विनिमय कागजी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देगी।

(घ) यदि किसी देश में अविनिमय कागजी मुद्रा तथा प्रादिष्ट मुद्रा एक साथ प्रचलित है तो प्रादिष्ट मुद्रा बुरी मुद्रा तथा अविनिमय कागजी मुद्रा अच्छी मुद्रा बन जायेंगी। परिणामतः प्रादिष्ट मुद्रा अविनिमय मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देगी।

नियम की परिसीमायें (Limitations of the Law)—ग्रेशम के नियम की परिसीमायें निम्नलिखित हैं

(1) जब मुद्रा की कुल मात्रा देश की आवश्यकताओं से कम होती है तब ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होता। यदि देश में अच्छी व बुरी दोनों ही प्रकार की मुद्राएँ कुल मिलाकर देश की व्यावसायिक आवश्यकताओं से कम हैं तो ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होगा। प्रत्येक देश में व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। यदि कुल मुद्रा इस न्यूनतम मात्रा से कम है तो विनिमय सम्बन्धी कार्यों में कठिनाइयाँ होने लगनी हैं और पूँत की कमी के कारण अच्छी तथा बुरी दोनों प्रकार की मुद्राएँ एक साथ प्रचलन में रहती हैं।

(2) जब बुरी मुद्रा बहुत ही खराब दशा में होती है तब ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होता। यदि देश में प्रचलित बुरी मुद्रा इतनी विकृत हो चुकी है कि लोग उसे किसी भी दशा में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो ऐसी परिस्थिति में अच्छी मुद्रा के बजाय बुरी मुद्रा ही प्रचलन से बाहर चली जायेंगी, अर्थात् ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होगा। उदाहरणार्थ, अत्यन्त घिसे हुए तथा वजन में कम सिक्के और फटे-पुराने नोट लोगों द्वारा प्रायः स्वीकार नहीं किये जाते और वे स्वयं ही प्रचलन से बाहर निकल आते हैं। उन्हें राक्षकोष (treasury) में लौटा दिया जाता है।

(3) जब सभी लोग बुरी मुद्रा को बहिष्कार कर देते हैं तब ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होता। जब सभी लोग मिलकर निश्चय कर लेते हैं कि वे बुरी मुद्रा का स्वीकार नहीं करेंगे तब ग्रेशम का नियम लागू नहीं हो सकेगा अर्थात् अच्छी मुद्रा के बजाय बुरी मुद्रा ही प्रचलन से बाहर निकल जायेंगी।

(4) जब द्विधातुमान को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों द्वारा अपना लिया जाता है, तब ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होता। जैसा पहले बतलाया गया है, द्विधातुमान को यदि अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों द्वारा अपना लिया जाय तो ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होगा। एक देश में द्विधातुमान के अन्तर्गत ग्रेशम का नियम इसलिए क्रियाशील होता है क्योंकि एक देश के लिए धातुओं की टुकसाल दर (mint rate) तथा बाजार दर (market rate) में समानता बनाये रखना कठिन होता है। परन्तु यदि द्विधातुमान को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों द्वारा

अपना लिया जाता है तो दोनों धातुओं की टकसाल दर तथा बाजार दर में समानता बनाये रखना आसान हो जाता है। जब धातुओं की टकसाल दर तथा बाजार दर में समानता बनी रहती है, तब ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय द्विधातुमान के अन्तर्गत ग्रेशम के नियम को लागू होने से रोका जा सकता है।

(5) जब बुरी मुद्रा प्रतीक सिक्कों के रूप में तथा परिमित मात्रा में होती है तब ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होता। यदि बुरी मुद्रा प्रतीक सिक्कों के रूप में है और उसकी मात्रा भी परिमित है तो ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं हो सकेगा। इसका कारण यह है कि बुरी मुद्रा को मात्रा में कमी होने के कारण लोग सभी भुगतान (payments) इसके रूप में नहीं कर सकेंगे। उन्हें भुगतान करने के लिए अच्छी मुद्रा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, बुरी मुद्रा की पूंज पर भी सरकार अपना नियन्त्रण रखती है और आवश्यकता से अधिक उसका निर्गमन नहीं होने देती।

(6) जब विभिन्न मुद्राएँ विभिन्न उद्देश्यों के लिए होती हैं तब ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होता। जब देश में प्रचलित मानक मुद्रा विनिमय सम्बन्धी भिन्न-भिन्न प्रकार की मात्रा को पूरा करती हैं तब प्रतीक मुद्रा बुरी मुद्रा होने पर भी मानक मुद्रा के साथ-साथ प्रचलन में रहती है और ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होने पाता। प्रतीक मुद्रा छोटे-छोटे सौदों के लिए उपयुक्त होती है और मानक मुद्रा बड़े-बड़े सौदों के लिए। दोनों के उद्देश्य अलग-अलग हैं। अतः दोनों मुद्राएँ साथ-साथ चलन में रहेंगी।

(7) जब देश की बैंकिंग प्रणाली पर्याप्त मात्रा में उन्नत हो जाती है, तब ग्रेशम का नियम क्रियाशील नहीं होता। जब देश की बैंकिंग प्रणाली इतनी उन्नत हो जाती है कि सभी भुगतान (payments) मुद्राओं में नहीं, बल्कि चंको के रूप में किये जाते हैं, तब ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

निष्कर्ष—जैसा हमने ऊपर देखा है, ग्रेशम का नियम कोई काल्पनिक नियम नहीं है। हमारे पास बहुत-से ऐसे उदाहरण हैं जबकि विभिन्न परिस्थितियों में ग्रेशम का नियम क्रियाशील हुआ था। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में द्विधातुमान प्रणाली के अन्तर्गत ग्रेशम का नियम विशेष रूप में क्रियाशील हुआ था। वास्तव में, द्विधातुमान प्रणाली के पतन का मुख्य कारण ग्रेशम के नियम की क्रियाशीलता ही थी। एक-धातुमान प्रणाली के अन्तर्गत भी ग्रेशम का नियम लागू होता रहा है। प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान लगभग सभी देशों में ग्रेशम का नियम क्रियाशील हुआ था, क्योंकि अविनिमय कागजी मुद्रा के जारी किये जाने के फलस्वरूप धातु-मुद्राएँ चलन से बाहर निकल गयीं और केवल अविनिमय कागजी मुद्रा ही पीछे रह गयी थी। भारत में भी दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान ग्रेशम का नियम क्रियाशील हुआ था। ब्रिटेन के चाँदी के रूप प्रचलन से अदृश्य हो गये थे और केवल जॉर्ज पट्टम के रूप ही (जिनमें चाँदी की मात्रा कम थी) प्रचलन में रह गये थे। इस प्रकार ग्रेशम का नियम बड़े महत्व का नियम है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. द्विधातुमान से क्या अभिप्राय है ? इसके गुणों व अवगुणों का विवेचन कीजिए।
(विज्ञान, 1959, गोरखपुर, 1959, आगरा, 1959)
[संकेत—प्रथम भाग में, द्विधातुमान की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, द्विधातुमान के गुणों व अवगुणों का विवेचन कीजिए।]
2. द्विधातुमान और एक-धातुमान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए और बताइए कि द्विधातुमान, एक धातुमान की अपेक्षा मूल्य-स्तर को स्थायी रखता है।
(आगरा की० वॉ०, 1961, राजस्थान, 1955)
[संकेत—प्रथम भाग में, द्विधातुमान तथा एक-धातुमान की परिभाषाएँ देते हुए उनकी मुख्य विशेषताओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि एक-धातुमान की अपेक्षा द्विधातुमान मूल्य-स्तर को अधिक स्थायी बनाये रख

राजता है, क्योंकि द्विधातुमान के अन्तर्गत एक वे बजाय दो धातुओं के मानक सिक्के बनाये जाते हैं, एक धातु की पूर्ति की कमी को दूसरी धातु के अधिक उत्पादन से पूरा किया जा सकता है। परिणामतः मुद्रा की कुल पूर्ति में भारी उतार-चढ़ाव नहीं हो सकते और मूल्य-स्तर में स्थायित्व बनाये रखा जा सकता है।]

3. विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए, “आधुनिक जीवन में धातु-मुद्रा ने अपना महत्त्व खो दिया।”
(आगरा, बी० कॉम०, 1951)

[संकेत—यहाँ पर धातु-मुद्रा के अवगुणों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए और कागजी मुद्रा के गुणों की विवेचना कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि अपने इन गुणों के कारण कागजी मुद्रा धीरे-धीरे धातु-मुद्रा का स्थान ग्रहण कर रही है।]

4. द्विधातवीय मौद्रिक प्रवृत्ति की मुख्य दुर्बलता प्रेशम का नियम प्रवर्तन होने पर प्रतीत होती है—समझाइए।
(आगरा, 1961)

[संकेत—यहाँ पर द्विधातुमान की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तदुपरान्त, यह दर्शाइए कि द्विधातुमान का मुख्य दोष प्रेशम के नियम की क्रियाशीलता है और इसी के कारण इसका पतन हुआ था।]

5. “बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है।” व्याख्या कीजिए।
(नागपुर, 1960)

अथवा

प्रेशम के नियम पर टिप्पणी लिखिए।
(आगरा, 1968)

अथवा

“यदि हीन मुद्रा परिमाण में सीमित नहीं तो वह उत्तम मुद्रा को चलन से निकाल देती है।”
(भारत) इस कथन की व्याख्या कीजिए।
(आगरा, 1974)

[संकेत—यहाँ पर प्रेशम के नियम की परिभाषा देते हुए विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए और यह बताइए कि यह नियम किन-किन परिस्थितियों में क्रियाशील होता है। अन्त में, इसकी परिसीमाओं की भी विवेचना कीजिए।]

6. प्रेशम का नियम लागू होने की क्या परिस्थितियाँ होती हैं?
(आगरा, 1970)

[संकेत—प्रारम्भ में, प्रेशम के नियम की परिभाषा देते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। तदुपरान्त, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें यह नियम लागू होता है। उक्त अध्याय में देखिए ‘नियम का क्षेत्र’ नामक उपविभाग।]

7. द्विधातुमान के दोषों को दूर करने के क्या-क्या उपाय हैं?

[संकेत—प्रारम्भ में, द्विधातुमान की परिभाषा देते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तदुपरान्त, यह बताइए कि इसके दोषों को दूर करने के दो उपाय हैं—प्रथम, टकसाल दर को बाजार दर के अनुसार परिवर्तित किया जाये। दूसरे, अन्तरराष्ट्रीय द्विधातुमान की स्थापना की जाय।]

4

स्वर्णमान (Gold Standard)

जैसा पिछले अध्याय में कहा गया है एक धातुमान के दो मुख्य रूप होते हैं—रजतमान (Silver Standard) तथा स्वर्णमान (Gold Standard)। रजतमान स्वर्णमान की तुलना में अधिक पुरानी प्रणाली है। यह प्रणाली कई वर्षों तक चीन में प्रचलित रही थी। 19वीं शताब्दी में भारत में भी रजतमान का प्रचलन रहा था। स्वर्णमान, सर्वप्रथम, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अपनाया गया था। तदुपरान्त, धीरे-धीरे यूरोप के अन्य देशों ने भी इसे अपनाया था। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में यूरोप के लगभग सभी देशों ने स्वर्णमान को अपना रखा था। अमरीका में भी स्वर्णमान का प्रचलन था। प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान ग्रेट ब्रिटेन ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया था। इसके उपरान्त अन्य देशों में भी धीरे-धीरे स्वर्णमान का लोप हो गया था।

स्वर्णमान की परिभाषा तथा अर्थ

(Definition and Meaning of Gold Standard)

स्वर्णमान की अनेक परिभाषाएँ की गयी हैं। इन परिभाषाओं में स्वर्णमान की विभिन्न विशेषताओं पर बल दिया गया है। प्रो० हाबरलर (Haberler) ने स्वर्णमान की परिभाषा इन शब्दों में की है “स्वर्णमान सङ्कुचित अर्थ में ऐसी मुद्रा-प्रणाली है जिसमें मानक स्वरूप वाले सिक्के अथवा स्वर्णपत्र (जिनके पीछे शत-प्रतिशत स्वर्णकोष रहता है) प्रचलन में होते हैं।”¹ प्रो० हाबरलर की यह परिभाषा, वास्तव में, सही परिभाषा नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उन्होंने स्वर्णमान को अत्यन्त सङ्कुचित अर्थों में लिया है। प्रो० हाबरलर के अनुसार किसी देश में स्वर्णमान प्रणाली तभी प्रचलित की जा सकती है जब उस देश में स्वर्ण के पूर्णकोष सिक्के तथा शत प्रतिशत स्वर्णकोष के आधार पर जारी किये गये स्वर्णपत्र चलन में हों। परन्तु प्रो० हाबरलर का यह दृष्टिकोण, वास्तव में, अत्यन्त सङ्कुचित है। स्वर्णमान के लिए यह आवश्यक नहीं कि विनिमय माध्यम के रूप में सोने के पूर्णकोष सिक्के प्रचलन में हों। इसके साथ ही यह भी जरूरी नहीं है कि जो कागजी मुद्रा चलन में हों, उसके पीछे स्वर्ण का शत-प्रतिशत कोष रखा जाय। अतः हम प्रो० हाबरलर की उक्त परिभाषा से सहमत नहीं हैं। अन्य मुद्राशास्त्रियों ने भी स्वर्णमान की परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं

(1) प्रो० रॉबर्टसन (Robertson) के अनुसार, “स्वर्णमान वह स्थिति है जिसमें कोई एक, देण अपना मुद्रा की इकाई का मूल्य तथा स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा का मूल्य एक दूसरे के बराबर रखता है।”²

1 A gold standard in a narrow sense signifies a monetary system under which gold coins of standard specifications or gold certificates with 100% gold backing form the circulating medium”
—Haberler

2 “Gold standard is a state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and the value of a defined weight of gold at an equality with one another”

—Robertson

(2) प्रो० कॅमरर (Kemmerer) के मतानुसार, "स्वर्णमान वह मौद्रिक प्रणाली है जिसके अन्तर्गत मूल्य की इकाई जिसमें बीमती, मजदूरियों तथा ऋणों को व्यक्त तथा उनका भुगतान किया जाता है, स्वतन्त्र स्वर्ण-बाजार में सोने की एक निश्चित राशि के बराबर होती है।"¹

(3) प्रो० टॉमस (Thomas) के अनुसार, "एक देश स्वर्णमान पर उस समय होता है जब उसकी चलन-इकाई कानून के अनुसार स्वर्ण के निश्चित वजन के बराबर रखी जाती है और उसमें परिवर्तनीय होती है।"²

(4) प्रो० कोलबोर्न (Coulborn) के अनुसार, "स्वर्णमान एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी देश की मुख्य मुद्रा की इकाई एक निश्चित श्रेणी के स्वर्ण की एक निर्धारित मात्रा में परिवर्तनीय होती है।"³

उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि प्रो० रॉबर्टसन तथा प्रो० कॅमरर की परिभाषाएँ स्वर्णमान को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करती हैं। इनके अनुसार यदि किसी देश की मुख्य मुद्रा कानून के अन्तर्गत स्वर्ण की निश्चित मात्रा के बराबर रखी जाती है तो वह देश निश्चय ही स्वर्णमान पर होता है। यह आवश्यक नहीं कि उस देश की मुद्रा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वर्ण में परिवर्तनीय हो। इस प्रकार प्रो० रॉबर्टसन तथा प्रो० कॅमरर देश की मुख्य मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता पर जोर नहीं देते। उनके अनुसार मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता स्वर्णमान की कोई आवश्यक शर्त नहीं है। परन्तु प्रो० टॉमस तथा प्रो० कोलबोर्न के अनुसार, मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता स्वर्णमान की एक मुख्य विशेषता है। उनके अनुसार देश की मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय होनी चाहिए। इसीलिए वे स्वर्ण निधिमान (Gold Reserve Standard) तथा स्वर्ण समतामान (Gold Parity Standard) को, वास्तव में, स्वर्णमान स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि इन दोनों प्रणालियों में देश की मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होती। वास्तव में, स्वर्णमान दो प्रकार का होता है—प्रथम, राष्ट्रीय या घरेलू स्वर्णमान (Domestic Gold Standard) द्वितीय, अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान (International Gold Standard)। राष्ट्रीय अथवा घरेलू स्वर्णमान में तो देश की मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। देश की मुद्रा का स्वर्ण से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। इस दृष्टिकोण से स्वर्ण मुद्रामान (Gold Currency Standard), स्वर्ण भाशामान (Gold Bullion Standard) तथा स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard) राष्ट्रीय स्वर्णमान के उदाहरण हैं, क्योंकि इन तीनों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में देश की मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। इसके विपरीत, स्वर्ण निधिमान (Gold Reserve Standard) तथा स्वर्ण समतामान (Gold Parity Standard) अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के उदाहरण हैं क्योंकि इन दोनों में मुद्रा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होती है।

स्वर्णमान की विशेषताएँ—स्वर्णमान के पाँच मुख्य रूप हैं और इन पाँचों में कुछ न कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी विशेषताएँ हैं जो स्वर्णमान के सभी रूपों में पायी जाती हैं। ये विशेषताएँ निम्नांकित हैं

(1) प्रधान मुद्रा की स्वर्ण में परिभाषा—स्वर्णमान के अन्तर्गत, देश की सरकार मानक मुद्रा की इकाई के मूल्य तथा उसके वजन एवं शुद्धता आदि को स्वर्ण में परिभाषित करती है। मुद्रा की स्वर्ण में परिभाषित करने की दो रीतियाँ हैं—प्रथम, मुद्रा की इकाई में शुद्ध स्वर्ण की

1 "Gold standard is a monetary system where the unit of value in which prices and wages and debts are customarily expressed and paid consists of the value, of a fixed quantity of gold in a free gold market" —Kemmerer

2 "A country is said to be on the gold standard when its currency unit is exchangeable for and kept at par with a legally fixed rate of gold" —S E Thomas

3 "The gold standard is an arrangement whereby the chief piece of money of a country is exchangeable with a fixed quantity of gold of a specific quality." —Coulborn

माना को घोषित कर दिया जाता है। दूसरे, स्वर्ण का टुकसाल मूल्य (mint price) निश्चित कर दिया जाता है। प्रथम रीति ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अपनायी गयी थी। दूसरी रीति अमरीका तथा भारत द्वारा अपनायी गयी थी। भारत में एक तोले स्वर्ण का टुकसाल मूल्य 21 रुपये 7 आने, 10 पैसे रखा गया था। इस प्रकार देश की मुद्रा की इकाई को स्वर्ण में परिभाषित करना स्वर्णमान के अन्तर्गत अनिवार्य होता है।

(2) स्वर्ण-मुद्रा असंमित विधिग्राह्य होती है—स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण-मुद्रा की इकाई सभी प्रकार के भुगतानों के लिए असंमित विधिग्राह्य होती है। सभी प्रकार के ऋणों का भुगतान स्वर्ण-मुद्रा अथवा उस मुद्रा में होना है जो स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है।

(3) सरकार (अथवा मुद्रा अधिकरण) द्वारा स्वर्ण का क्रय-विक्रय—द्रा प्रणाली के अन्तर्गत सरकार (मुद्रा अधिकरण) निश्चित कीमत पर असंमित मात्रा में सोने का क्रय-विक्रय करती है, अर्थात् जनता असंमित मात्रा में निश्चित कीमत पर सरकार से सोना खरीद भी सकती है और उसे सरकार को बेच भी सकती है। कभी-कभी अशुविधा से बचने के लिए सरकार सोने का क्रय-विक्रय एक निश्चित सीमा से कम मात्रा में नहीं करती।

(4) स्वर्ण की खुली सिक्का ढलाई—द्रा प्रणाली के अन्तर्गत सोने के सिक्कों की ढलाई स्वतन्त्र होती है, अर्थात् टुकसाल जनता के लिए खुली रहती है और जनता मनचाही मात्रा में सोने के बदले सिक्के ढलवा सकती है।

(5) अन्य मुद्राओं को स्वर्ण में परिवर्तनशीलता—स्वर्णमान में स्वर्ण सिक्कों के अतिरिक्त हल्की धातुओं के सिक्के तथा कागजी नोट भी प्रचलित होते हैं। परन्तु सभी प्रकार की मुद्राओं का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में स्वर्ण से सम्बन्ध होता है, अथवा सभी प्रकार के प्रतीक सिक्के तथा कागजी नोट अन्ततः स्वर्ण में परिवर्तनीय होते हैं।

(6) स्वर्ण का आयात-निर्गत स्वतन्त्र होता है—द्रा प्रणाली के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय सेन-देन के लिए स्वर्ण का आयात तथा निर्गत स्वतन्त्र होता है, अर्थात् स्वर्ण के आयात-निर्गत पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है।

स्वर्णमान के कार्य

(Functions of Gold Standard)

स्वर्णमान के दो प्रमुख कार्य हैं

(1) आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता बनाये रखना—यह स्वर्णमान का महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। स्वर्णमान देश के आन्तरिक कीमत स्तर को स्थिर बनाये रखने में महत्वपूर्ण योग देता है। जैसा विदित है, स्वर्णमान के अन्तर्गत अतिरिक्त मुद्रा (additional currency) का तब तक निर्गमन नहीं किया जा सकता जब तक कि अतिरिक्त स्वर्ण-कोष उपलब्ध न हो। स्वर्णमान के अन्तर्गत जैसा पहले कहा गया है, मुद्रा का स्वर्ण से सीधा सम्बन्ध होता है। इस प्रकार अतिरिक्त मुद्रा जारी करने के लिए अतिरिक्त सोने के कोष की आवश्यकता पड़ती है। बैंक सोने का स्टॉक अपरिमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए स्वर्णमान के अन्तर्गत मुद्रा के अत्यधिक निर्गमन का भय नहीं होता और देश में मुद्रा-स्थिति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार स्वर्णमान के अन्तर्गत कीमत-स्तर में अपेक्षाकृत अधिक स्थिरता रहती है।

(2) विदेशी विनिमय-दरों में स्थायित्व बनाये रखना—स्वर्णमान विदेशी विनिमय-दरों में स्थायित्व बनाये रखने में महत्वपूर्ण योग देता है जिससे देश के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, स्वर्णमान के अन्तर्गत निश्चित कीमत पर मुद्रा अधिकरण (monetary authority) जनता का स्वर्ण बेचता है और जनता मनचाही मात्रा में मुद्रा अधिकरण से स्वर्ण खरीद सकती है। यदि देश का अदायगी शेष (balance of payments) प्रतिकूल हो जाता है, अर्थात् निर्यात (exports) की अपेक्षा आयात (imports) अधिक होते हैं तो आयातकर्ता (importers) विदेशी भुगतानों को विदेशी मुद्रा में करने के बजाय सोने के रूप में करना अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि सरकार निश्चित मूल्य पर सोना बेचने के लिए सदैव तैयार रहती है। जब आयातकर्ता विदेशी भुगतानों को स्वर्ण के रूप में करते हैं तब इससे विदेशी मुद्राओं की

माँग में वृद्धि नहीं होती। परिणामतः उनके मूल्यों में भी वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार विदेशी विनिमय-दरों में स्थायित्व बना रहता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्वर्णमान देश की अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता बनाये रखता है। यह देश को आन्तरिक कीमत-स्तर में होने वाले भारी परिवर्तनों से बचाता है और इस प्रकार देश की आर्थिक प्रगति में योग देता है। इसके साथ ही साथ स्वर्णमान विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता स्थापित करके देश के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करता है।

स्वर्णमान के विभिन्न रूप (Types of Gold Standard)

स्वर्णमान के पाँच महत्त्वपूर्ण रूप हैं—(क) स्वर्ण मुद्रामान (स्वण चलनमान), (ख) स्वर्ण मात्रामान (स्वर्ण पाटमान), (ग) स्वर्ण विनिमय मान, (घ) स्वर्ण निधिमान, (ङ) स्वर्ण समतामान।

(क) स्वर्ण मुद्रामान (Gold Currency Standard)

यह स्वर्णमान का सबसे पुराना रूप है। प्रथम विश्व-युद्ध से पूर्व यह प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा अमरीका में प्रचलित थी। परन्तु प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान इन सभी देशों के लिए स्वर्ण मुद्रामान को बनाये रखना कठिन हो गया था। युद्ध के पश्चात् अमरीका को छोड़कर अन्य सभी देश इस प्रणाली को पुनः अपनाने में असमर्थ रहे थे। स्वर्ण मुद्रामान प्रणाली को स्वर्ण टकमान (Gold Coin Standard), कट्टर स्वर्णमान (Orthodox Gold Standard), परम्परागत स्वर्णमान (Traditional Gold Standard) तथा पूर्ण स्वर्णमान (Full Gold Standard) कहकर भी सम्बोधित किया जाता है।

स्वर्ण मुद्रामान की विशेषताएँ—इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(1) स्वर्ण-सिक्कों का चलन—स्वर्ण मुद्रामान प्रणाली में सोने के सिक्कों का वास्तव में प्रचलन होता है। कानून द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि मुद्रा इकाई में सोने की कितनी मात्रा रखी जायगी। उदाहरणार्थ, सन् 1914 से पहले ग्रेट ब्रिटेन में सोने का सिक्का सॉवरेन (Sovereign) कहलाता था। इसका वजन 123 17447 ग्रेन था और इसकी शुद्धता $\frac{3}{4}$ थी, अर्थात् एक सॉवरेन सिक्के में 113 $\frac{1}{2}$ ग्रेन शुद्ध सोना हुआ करता था और शेष उसमें टाँका डाला जाता था। एक सॉवरेन का मूल्य 3 पौण्ड 17 शिलिंग 10 $\frac{1}{2}$ पेंस था। बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड 1 औंस सोने के बदले में 3 पौण्ड 17 शिलिंग 9 पेंस दिया करता था। सॉवरेन मानक सिक्का था, अर्थात् उसका अंकित तथा यथार्थ मूल्य बराबर था और यह असीमित विधिग्राह्य था।

(2) कागजी तथा अन्य मुद्राओं का प्रचलन—स्वर्ण मुद्रामान प्रणाली के अन्तर्गत स्वर्ण भी वचत के लिए कागजी मुद्रा तथा प्रतीक सिक्के भी प्रचलन में रहते हैं। परन्तु ये सभी मुद्राएँ हर समय स्वर्ण में परिवर्तनीय होती हैं। इनका स्वर्ण मुद्रा से एक निश्चित सम्बन्ध रहता है। ये मुद्राएँ निश्चित दरों पर एक-दूसरे में भी परिवर्तनीय होती हैं।

(3) खुली सिक्का ढलाई (Free Coinage)—स्वर्ण मुद्रामान में सिक्कों का टकण खुली सिक्का ढलाई प्रणाली के आधार पर होता है। टकसाल जनता के लिए खुली रहती है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह स्वर्ण ले जाकर टकसाल से इसके बदले में सिक्के प्राप्त कर ले।

(4) सरकार द्वारा स्वर्ण का क्रय-विक्रय—स्वर्ण मुद्रामान के अन्तर्गत सरकार साने को एक निश्चित दर पर खरीदती व बेचती है। ग्रेट ब्रिटेन में सरकार 1 औंस सोना 3 पौण्ड 17 शिलिंग 9 पेंस पर खरीदती थी और $\frac{3}{4}$ शुद्धता का 1 औंस सोना 3 पौण्ड 17 शिलिंग 10 $\frac{1}{2}$ पेंस पर बेचती थी। इस प्रकार सरकार 1 $\frac{1}{4}$ पेंस प्रति औंस सिक्का ढलाई का शुल्क लिया करती थी। इससे सरकार सॉवरेन (Sovereign) की कीमत 113 $\frac{1}{2}$ ग्रेन शुद्ध सोने की कीमत के बराबर रखने में सफल हो जाती थी। मान लीजिए कि बाजार में 1 औंस सोने का मूल्य 1 औंस सोने के सिक्के से बढ़ जाता है। इस परिस्थिति में जनता सोने के सिक्कों को गलाकर धातु के रूप में बेचना शुरू कर देगी। फलतः बाजार में स्वर्ण की पूर्ति बढ़ जायगी। स्वर्ण का मूल्य कम हो जायगा और यह अपने पहले वाले स्तर के बराबर हो जायगा। इसके विपरीत,

यदि बाजार में 1 औंस सोने का मूल्य 2 औंस सोने के सिक्के से कम हो जाता है तब जनता स्वर्ण को टुकड़ाल में ले जाकर उससे सिक्के ढलाना आरम्भ कर देगी, क्योंकि ऐसा करने से उसे अधिक लाभ होता है। बाजार में स्वर्ण की पूर्ति कम हो जायगी और इसका मूल्य बढ़ जायगा। फलतः सोने का मूल्य पुनः अपने पुराने स्तर के बराबर हो जायगा। इस प्रकार स्वर्ण मुद्रामान के अधीन सरकार सोने के क्रय-विक्रय द्वारा मानक सिक्के के अंकित तथा यथार्थ मूल्य में समानता बनाये रखने में सफल हो जाती थी।

(5) स्वर्ण का स्वतन्त्र आयात-निर्यात—स्वर्ण मुद्रामान के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात-निर्यात पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता। स्वर्ण बाजार पूर्णतः स्वतन्त्र रहता है। जनता अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनचाही मात्रा में सोना खरीद सकती है। सोने के सिक्कों को गला सकती है और दूसरे (सोने के) सिक्के ढलवा सकती है।

(6) स्वर्ण मूल्य-भापन का कार्य करता है—सभी प्रकार के मूल्यों को स्वर्ण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सभी प्रकार के भुगतानों के लिए स्वर्ण मुद्रा असीमित विधिप्राह्य होती है। देश में मुद्रा की मात्रा स्वर्ण प्रारक्षणो (gold reserves) पर निर्भर करती है।

स्वर्ण मुद्रामान के गुण—स्वर्ण मुद्रामान के गुण निम्नलिखित हैं

(1) सरलता—स्वर्ण मुद्रामान स्वर्णमान का सरलतम रूप है। इसमें किसी प्रकार की जटिलताएँ नहीं होती। साधारण जनता के लिए इसे समझना भी आसान होता है। इसमें सोने के सिक्के का प्रचलन होता है, जिन्हें पहचानने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होती है। अतः इस प्रणाली में धोखेबाजी अथवा ठगी के लिए कोई गुजाइश नहीं होती।

(2) जनता का विश्वास—इस प्रणाली में जनता का पूर्ण विश्वास होता है। सोने के सिक्के प्रचलन में होते हैं और सोना सर्वप्राह्य है। इस प्रणाली में जनता का विश्वास अन्य प्रणालियों की अपेक्षा अधिक होने के कारण इस प्रकार है—प्रथम, इसके अन्तर्गत सिक्को का अंकित तथा यथार्थ मूल्य बराबर होता है, अर्थात् सिक्को के अंकित मूल्य के बराबर ही उनमें धातुएँ डाली जाती हैं। द्वितीय, यदि सोने के सिक्के का विमुद्रीकरण (demonetisation) भी कर दिया जाय तो भी जनता को कोई आर्थिक हानि नहीं होती, क्योंकि इन सिक्कों को गलाकर धातु के रूप में बेचा जा सकता है। तृतीय, यद्यपि इस मान में कागजी मुद्रा तथा प्रतीक मुद्रा का भी प्रचलन होता है लेकिन ये दोनों मुद्राएँ स्वर्ण में पूर्णतः परिवर्तनीय होती हैं। चतुर्थ, चूँकि मुद्रा की पूर्ति स्वर्ण प्रारक्षणो (gold reserves) पर निर्भर करती है, इसलिए मुद्रा के अत्यधिक मात्रा में जारी किये जाने की सम्भावना नहीं रहती और न ही मुद्रा-स्फीति का भय रहता है। इस प्रकार इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा के मूल्य में कमी होने की बहुत कम सम्भावना रहती है।

(3) यह मान स्वयंचालक (automatic) है—इस मान का सबसे बड़ा गुण इसकी स्वयंचालकता (automaticity) है। इस मान को चालू रखने के लिये सरकार को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता है। यह मान तो स्वयंचालित है। इस मान की स्वयंचालकता की व्याख्या एक उदाहरण द्वारा की जा सकती है। जैसा पूर्व कहा गया है, इस मान में अधीन मुद्रा की मात्रा स्वर्ण प्रारक्षणो (gold reserves) पर निर्भर करती है। मुद्रा की मात्रा में स्वर्ण प्रारक्षणो में परिवर्तनों के अनुसार ही परिवर्तन किये जा सकते हैं। यदि स्वर्ण प्रारक्षणो की मात्रा में वृद्धि होती है, तो मुद्रा की मात्रा को भी उसी अनुपात में बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि स्वर्ण प्रारक्षणो की मात्रा में कमी होती है तो उसी अनुपात में मुद्रा की मात्रा को भी घटाया जा सकता है। मान लीजिये कि देश के आयात, निर्यातों की अपेक्षा अधिक हो जाते हैं, अर्थात् देश का अदायगी शेष (balance of payments) प्रतिकूल हो जाता है, तब देश को अपने ऋण भुगतान के लिए विदेशों को सोना भेजना पड़ेगा। सोने के निर्यात के फलस्वरूप देश के स्वर्ण प्रारक्षणो (gold reserves) में कमी हो जायगी और मुद्रा की मात्रा को उसी अनुपात में कम करना पड़ेगा। परिणामतः देश का आन्तरिक कीमत-स्तर गिर जायगा। कीमतों के गिर जाने से अब देश के निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा और आयातों में कमी हो जायगी। इसके फलस्वरूप अब देश का अदायगी शेष (balance of payments) अनुकूल हो जायगा। विदेशों को अपने ऋण-भुगतान के लिए उस देश को सोना भेजना पड़ेगा। देश में सोने के आयात के परिणामस्वरूप मुद्रा

की मात्रा बढ़ेगी और आन्तरिक कीमत-स्तर ऊँचा हो जायगा। इस प्रकार स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा विश्व-कीमतों में समानता स्थापित हो जायगी। जैसा स्पष्ट है, यह कार्य बिना किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप के स्वयं होता रहता है। इसी को स्वर्ण मुद्रामान की स्वयंचालकता कहते हैं। स्वर्ण मुद्रामान के इसी गुण के कारण प्रो० कैनन ने इसे “मूर्ख सिद्ध एव मक्कार-सिद्ध” (Fool-proof and Knave-proof) कहकर सम्बोधित किया है।

(4) आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता—एक अच्छी मुद्रा प्रणाली में आन्तरिक कीमतों में स्थिरता बनाए रखने की पोष्यता होनी चाहिये। इस दृष्टिकोण से स्वर्ण मुद्रामान एक आदर्श प्रणाली है, क्योंकि इसके अन्तर्गत आन्तरिक कीमतों में स्थिरता स्थापित की जा सकती है। जैसा विदित है, सोने की पूति में प्रायः अधिक परिवर्तन नहीं होते। सोने का वार्षिक उत्पादन सोने की वर्तमान मात्रा का एक छोटा-सा अंश होता है। इस प्रकार सोने की पूति में वार्षिक परिवर्तनों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। परिणामतः सोने के मूल्य में सामयिक तथा अल्पकालीन परिवर्तन नहीं होते। इसके फलस्वरूप मुद्रा की पूति में भी उतार-चढ़ाव नहीं हो सकते। इस प्रकार देश के आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता बनी रहती है।

(5) विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता—स्वर्ण मुद्रामान के अधीन मुद्रा की विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता बनी रहती है। जैसा विदित है, विदेशी व्यापार के विकास के लिए मुद्रा की विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता का होना नितान्त आवश्यक है। यदि विदेशी विनिमय-दरों में समय-समय पर भारी परिवर्तन होते हैं तो इससे देश के विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् यूरोपीय देशों के द्वारा स्वर्णमान का परित्याग करने पर विदेशी विनिमय-दरों में भारी उतार-चढ़ाव हुए थे जिनके परिणामस्वरूप इन देशों में विदेशी व्यापार को भारी धक्का लगा था। स्वर्ण मुद्रामान में यह गुण है कि यह विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता बनाये रखने में बहुत बड़ा योग देता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि स्वर्ण-मुद्रामान विदेशी विनिमय-दरों में कैसे स्थिरता बनाये रखता है? प्रथम, स्वर्ण मुद्रामान के अन्तर्गत सभी देशों की मुद्राएँ स्वर्ण से सम्बन्धित होती हैं। चूंकि स्वर्ण के मूल्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होते, इसलिए इन मुद्राओं के मूल्य में भी कोई विशेष फेर-बदल नहीं हो सकते, अर्थात् इन मुद्राओं के मूल्य स्थिर रहते हैं। परिणामतः विदेशी विनिमय-दरों में अस्थिरता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। द्वितीय, स्वर्ण मुद्रामान के अन्तर्गत सोने की आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता। देश के अदायगी श्रेय में होने वाले परिवर्तनों का विदेशी विनिमय दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सोने के निर्यात द्वारा विदेशी ऋणों को चुकाया जा सकता है। इस प्रकार विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनी रहती है।

स्वर्ण मुद्रामान के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) स्वर्ण का अपव्यय—स्वर्ण मुद्रामान प्रणाली में सोने का अपव्यय होता है, क्योंकि सोने के सिक्के प्रचलन में रहते हैं तथा उनकी घिसावट से राष्ट्र को अनावश्यक हानि उठानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण मुद्रामान में विनिमय कायजी मुद्रा के पीछे भी 100% स्वर्ण-कोष रखे जाते हैं। इस प्रकार कोष में सोना बेकार पड़ा रहता है। स्वर्ण मुद्रामान प्रणाली को अपनाते के लिए इतनी मात्रा में सोने की आवश्यकता पड़ती है कि गरीब देश तो इसे अपनाते की सोच भी नहीं सकते। वास्तव में, अच्छी मुद्रा-प्रणाली वह होती है जो मितव्ययी (economical) विनिमय का माध्यम प्रदान करे। इस दृष्टिकोण से स्वर्ण मुद्रामान एक आदर्श मान नहीं समझा जा सकता।

(2) यह मान सङ्कट के समय साथ नहीं देता—जैसा कि कहा गया है स्वर्ण मुद्रामान केवल अनुकूल परिस्थितियाँ का ही मान है। यह एक ऐसे मित्र की भाँति है जो आवश्यकता के समय साथ नहीं देता (fair weather friend)। आर्थिक सङ्कट (economic crisis) के समय स्वर्ण मुद्रामान प्रायः कार्यशील नहीं रहता और इसी कारण ऐसे समय में इसका परित्याग करना पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि सङ्कट के समय स्वर्ण मुद्रामान कार्यशील क्यों नहीं होता? इसका मुख्य कारण यह है कि इस मुद्रा प्रणाली में लोच (elasticity) का अभाव रहता है, अर्थात् इसके अधीन आवश्यकतानुसार सरकार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकती। जैसा पूर्व कहा गया है, स्वर्ण मुद्रामान प्रणाली के अन्तर्गत स्वर्ण प्रारक्षणों (gold reserves) की मात्रा को

बढ़ाये बिना मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती। परन्तु सकट के समय स्वर्ण प्रारक्षणों की मात्रा को बढ़ाता बहुत कठिन होता है। अतः ऐसे समय मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती, यद्यपि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना ऐसे समय नितान्त आवश्यक होता है। परिणामतः सकट के समय स्वर्ण मुद्रामान की बेलाचकता (inelasticity) के कारण ही सरकार को इसे छोड़ना पड़ता है।

(3) अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के अभाव में इसकी स्वयंचालकता (automaticity) समाप्त हो जाती है—जैसा ऊपर बताया गया है, स्वर्ण मुद्रामान का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह स्वयंचालित (automatic) होता है। परन्तु आर्थिक सकट के समय इस प्रणाली का यह गुण लुप्त हो जाता है। यह सत्य है कि प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व यह प्रणाली स्वयंचालक थी, परन्तु युद्ध के पश्चात् इस प्रणाली में स्वयंचालकता का यह गुण समाप्त हो गया था। वास्तव में, स्वयंचालकता का यह गुण स्वर्ण मुद्रामान में तब तक ही रह सकता है जब तक कि इस मान को बनाये रखने के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग उपलब्ध हो। प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान इस अन्तरराष्ट्रीय सहयोग का अभाव रहा जिसके कारण इस प्रणाली की स्वयंचालकता समाप्त हो गयी। कुछ देशों ने अपने स्वार्थवश स्वर्ण मुद्रा-प्रणाली के नियमों की अवहेलना की थी। युद्धकाल में कुछ देशों ने सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये और स्वर्ण प्रारक्षणों की मात्रा में हुए परिवर्तनों के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन नहीं किये। कुछ देशों ने सोने का बहुत बड़ा भण्डार जमा कर लेने के बाद भी मुद्रा की मात्रा में उसी अनुपात में विस्तार नहीं किया था। इसी प्रकार कुछ देशों ने स्वर्ण प्रारक्षणों में हुई कमी के बावजूद मुद्रा की मात्रा में कमी नहीं की थी। इस तरह स्वर्ण मुद्रामान के नियमों की अवहेलना करने पर ही इसकी स्वयंचालकता समाप्त हो गयी थी और यह प्रणाली स्वयंचालित न रहकर, प्रबन्धित प्रणाली (managed system) हो गयी थी।

(4) इस प्रणाली के अन्तर्गत आन्तरिक कीमतों की स्थिरता प्रायः काल्पनिक होती है—स्वर्ण मुद्रामान प्रणाली के समर्थकों के कथनानुसार यह प्रणाली आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता बनाये रखती है। परन्तु आलोचकों का मत है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत कीमत-स्तर में होने वाली स्थिरता प्रायः काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं। इसका कारण यह है कि सोने की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर देश के कीमत-स्तर में भी अवश्य ही परिवर्तन होते हैं। सोने की कीमत में होने वाले परिवर्तनों को रोकना कठिन होता है। सोने की कीमत में परिवर्तन कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे नयी सोने की खानों की खोज, सोना निकालने की विधियों में सुधार, सोन की उत्पादन-लागत में परिवर्तन, सोने के उपयोग में परिवर्तन तथा सोने के आयात-निर्यात में होने वाले परिवर्तन। इस प्रकार सोने की माँग और पूर्ति में परिवर्तन हो जाने से सोन की कीमत में भी परिवर्तन होते हैं। जब सोने की कीमत में परिवर्तन होते हैं, तब देश का कीमत-स्तर स्थिर कैसे रह सकता है।

(5) कीमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय-दरों की स्थिरता को बनाये रखने के लिए स्वर्ण मुद्रामान आवश्यक नहीं है—कुछ आलोचकों का कहना है कि कीमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता बनाये रखने के लिए स्वर्ण मुद्रामान कोई अनिवार्य प्रणाली नहीं है, बल्कि इन उद्देश्यों की पूर्ति तो स्वर्णमान के बिना भी हो सकती है। आलोचकों का कहना है कि कीमत स्तर तथा विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाये रखने के लिए स्वर्णमान की अपेक्षा प्रबन्धित मुद्रा-प्रणाली (Managed Currency System) अधिक उपयुक्त रहती है, क्योंकि प्रबन्धित प्रणाली के अन्तर्गत विश्व के विभिन्न देशों में मौद्रिक सहयोग अधिक प्रभावशाली ढंग में प्राप्त किया जा सकता है।

(6) यह प्रणाली प्रायः अवस्फीति को प्रोत्साहित करती है—श्रीमती जॉन रोबिन्सन (Mrs Joan Robinson) के अनुसार स्वर्ण मुद्रामान में एक अन्य दोष भी पाया जाता है। उनके अनुसार स्वर्ण मुद्रामान में मुद्रा-अवस्फीति (currency deflation) की प्रवृत्ति पायी जाती है। जब किसी देश का अदायगी शेष (balance of payments) प्रतिकूल हो जाता है तो वह देश स्वर्ण के निर्यात के कारण मुद्रा की मात्रा को स्वर्ण प्रारक्षणों (gold reserves) के अनुसार घटा देता है। परन्तु स्वर्ण का आयात करने वाला देश स्वर्ण प्रारक्षणों में हुई वृद्धि के अनुसार मुद्रा की

पूति में वृद्धि नहीं करता। इस प्रकार इस प्रणाली का झुकाव मुद्रा-अवस्फीति की ओर ही होता है।

उपयुक्त दोषों के कारण कुछ अर्थशास्त्रियों ने स्वर्ण मुद्रामान की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। प्रो० रॉबर्टसन (Robertson) के अनुसार स्वर्ण मुद्रामान जंगली लीगो की रचि को सन्तुष्ट करता है। प्रो० हाट्ट्रे (Hawtrey) के अनुसार स्वर्ण मुद्रामान साख के नियन्त्रण में एक प्रकार की अराजकता (anarchy) उत्पन्न कर देता है।

(ख) स्वर्ण मात्रामान अथवा स्वर्ण पाटमान (Gold Bullion Standard)

इतिहास—स्वर्ण मात्रामान स्वर्ण मुद्रामान का ही सर्वाधिक रूप है। इसका विकास प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् हुआ था। यूरोप के बहुत-से देशों ने इसे स्वीकार किया था। जैसा ऊपर बताया गया है, प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान यूरोप के कुछ देशों ने स्वर्ण मुद्रामान की वेलोचकता (Inelasticity) के कारण इसका परित्याग कर दिया था। कारण यह था कि युद्ध को लड़ने के लिए इन देशों ने अधिक मुद्रा की आवश्यकता अनुभव की थी। परन्तु सोने के कोप के अभाव में ये देश मुद्रा की पूति में विस्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्वर्ण मुद्रामान के अन्तर्गत मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तभी की जा सकती है जबकि सोने के कोप में उसी अनुपात में वृद्धि हो। इस प्रकार इन देशों के लिए एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गयी थी। अन्त में, इन देशों ने स्वर्ण मुद्रामान का परित्याग करना ही उचित समझा। स्वर्ण मुद्रामान के परित्याग के उपरान्त इन देशों ने मनचाही मात्रा में मुद्रा की पूति में वृद्धि की थी। युद्ध के उपरान्त ये देश स्वर्णमान की पुनः स्थापना करना चाहते थे परन्तु स्वर्णमान की पुनः स्थापना करने की केवल दो ही विधियाँ थीं। प्रथम, देश में बढ़ी हुई मुद्रा के पीछे शत-प्रतिशत सोने का कोप रखा जाय, परन्तु यह विधि उनके लिए व्यावहारिक नहीं थी। युद्ध के दौरान इन देशों में कागजी मुद्रा का बहुत विस्तार हो चुका था। इस मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत सोने की आड (cover) रखना इन देशों के लिए सम्भव नहीं था क्योंकि इनके पास सोने का स्टॉक परिमित था। द्वितीय, ये देश अपने सीमित सोने के स्टॉक के अनुसार मुद्रा की पूति में कमी कर सकते थे, परन्तु यह विधि भी इन देशों के लिए व्यावहारिक नहीं थी, क्योंकि युद्धकाल में मुद्रा की पूति में काफी विस्तार हो चुका था। अब उस मुद्रा में कमी करना उनके हित में न था। मुद्रा में कमी करने से इन देशों में अवस्फीति (deflation) की दशा उत्पन्न हो सकती थी और जैसा विदित है मुद्रा अवस्फीति के परिणाम देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत गम्भीर होते हैं। इस प्रकार यूरोप के इन देशों के लिए स्वर्ण मुद्रामान की पुनः स्थापना व्यावहारिक नहीं थी। अतएव इन देशों ने स्वर्णमान के एक नये रूप का विकास किया जिसे स्वर्ण मात्रामान कहकर सम्बोधित किया गया था। इस प्रणाली के अन्तर्गत स्वर्ण मुद्रा-प्रणाली की तुलना में कम स्वर्ण प्रारक्षणों (gold reserves) की आवश्यकता पड़ती है और आन्तरिक कीमत-स्तर में भारी परिवर्तन किये बिना ही स्वर्णमान स्थापित किया जा सकता है।

स्वर्ण मात्रामान की विशेषताएँ—उनकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(1) इसमें सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता—स्वर्ण मात्रामान के अन्तर्गत सोने के बने हुए सिक्कों का प्रचलन नहीं होता। देश के भीतर हल्की धातुओं के सिक्कों तथा कागजी मुद्रा का अधिक प्रचलन होता है। परन्तु इन सिक्कों तथा कागजी नोटों की कीमत क्रो-स्वर्ण में परिभाषित किया जाता है।

(2) सोने की दलाई खूली नहीं होती—इस प्रणाली में सोने की दलाई स्वतन्त्र नहीं होती अर्थात् जनता को टक्काल में सोना ले जाकर सिक्के दलवाने का अधिकार नहीं होता।

(3) कागजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत स्वर्ण कोप नहीं होता—स्वर्ण मुद्रा-प्रणाली की भाँति इस प्रणाली में कागजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत स्वर्ण कोप नहीं होता, बल्कि कागजी मुद्रा का एक निश्चित प्रतिशत ही स्वर्ण के रूप में कोप में रखा जाता है। परन्तु कागजी मुद्रा निश्चित दर पर स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह केन्द्रीय बैंक अथवा राजकोष (treasury) से कागजी मुद्रा के बदले सोना खरीद ले। इस प्रणाली में, जैसा कहा गया है कागजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत स्वर्ण कोप नहीं रखा जाता, परन्तु इसके बावजूद सरकार कागजी मुद्रा की परिवर्तनीयता की पूर्ण गारण्टी देती है। सरकार के लिए ऐसी

गारप्टी देना इसलिए सम्भव हो जाता है क्योंकि किसी विशेष समय में कुल कागजी मुद्रा का एक छोटा-सा भाग ही स्वर्ण में बदलने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

(4) निर्धारित कीमत पर सोने का क्रय-विक्रय—इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार हर समय असीमित मात्रा में निश्चित दर पर सोना खरीदने व बेचने के लिए तैयार रहती है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति सरकार से किसी भी मात्रा में सोना खरीद सकता है, परन्तु व्यवहार में सरकार अपनी सुविधा को देखते हुए सोना बेचने की एक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर देती है, अर्थात् सरकार इस मात्रा से कम सोना बेचने के लिए तैयार नहीं होती। ग्रेट ब्रिटेन में यह न्यूनतम सीमा 400 औंस रखी गयी थी और भारत में 1056 तोले निश्चित की गयी थी। स्मरण रहे कि इस प्रणाली में सरकार लोगों को बेचने सोने की मिल्लियाँ या छड़ें (bars) ही बेचती है।

(5) स्वर्ण के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता—स्वर्ण मुद्रामान की भाँति इस प्रणाली के अन्तर्गत भी सोने के आयात तथा निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता। विदेशों को भुगतान करने के लिए सरकार जनता को देशी मुद्रा के बदले स्वर्ण देने के लिए सदैव तैयार रहती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल विदेशी भुगतानों के लिए ही सोना दिया जाता है। वास्तव में, जनता सरकार से किसी भी उपयोग के लिए विदेशी मुद्रा के बदले सोना प्राप्त कर सकती है।

इस प्रकार स्वर्ण मात्रामान में सोने के सिक्को का प्रचलन नहीं होता। देश के भीतर तो केवल प्रतीक सिक्के तथा कागज के नोट ही प्रचलित होते हैं। परन्तु सभी प्रकार की मुद्राएँ अन्ततः सोने की मिल्लियो अथवा छड़ों में परिवर्तनीय होती हैं।

स्वर्ण मात्रामान को, सर्वप्रथम, ग्रेट ब्रिटेन ने सन् 1925 में अपनाया था। उस देश में कागजी नोटों को 3 वीष्ट 17 शिलिंग 10½ पेम प्रति औंस की दर पर 400-400 औंस की सोने की मिल्लियो में परिवर्तित करने की व्यवस्था की गयी थी। भारत में यह मान सन् 1927 में अपनाया था। भारत सरकार ने देशी मुद्रा को 21 रुपये 7 आना 10 पैसे प्रति तोला की दर पर 400-400 औंस की सोने की मिल्लियो में बदलने की व्यवस्था की थी। इन दोनों देशों में यह प्रणाली सन् 1931 तक कार्यशील रही, परन्तु सितम्बर 1931 में ग्रेट ब्रिटेन ने इस प्रणाली का परित्याग कर दिया था। भारत ने भी उसी समय इसे त्याग दिया था। धीरे-धीरे अन्य देशों ने भी इस प्रणाली को छोड़ दिया। सन् 1933 में अमरीका ने भी इसका चलन समाप्त कर दिया था।

स्वर्ण मात्रामान के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(1) स्वर्ण के उपयोग में मितव्ययता—इस मुद्रामान में स्वर्ण के उपयोग में मितव्ययता (economy) होती है। स्वर्ण मुद्रामान की भाँति इस प्रणाली में सोने के सिक्को का प्रचलन नहीं होता। इस प्रकार सिक्को की घिसावट से होने वाली राष्ट्रीय हानि से बचा जा सकता है। दूसरे, सोने के सिक्को की डलाई लागत कागजी मुद्रा की लागत की तुलना में अधिक होती है, किन्तु स्वर्ण मात्रामान में सोने के सिक्को का प्रचलन न होने के कारण इस अपव्यय (wastage) से बचा जा सकता है। तीसरे, स्वर्ण मात्रामान में कागजी मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनीयता को बनाये रखने के लिए शत-प्रतिशत स्वर्ण प्रारक्षणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार स्वर्ण को बेपरार प्रारक्षणों (reserves) में रखने की आवश्यकता नहीं रहती।

(2) मुद्रा प्रणाली में लोच—एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली में लोच का होना अति आवश्यक होता है। स्वर्ण मात्रामान में लोच का यह गुण विद्यमान है। कारण यह है कि स्वर्ण मात्रामान के अन्तर्गत कागजी मुद्रा के पीछे शत-प्रतिशत स्वर्ण प्रारक्षण नहीं रखा जाता। अतः स्वर्ण प्रारक्षण में थोड़ी सी वृद्धि करने पर ही मुद्रा की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।

(3) स्वर्ण का उपयोग सार्वजनिक हित में होता है—जैसा हम देख चुके हैं, स्वर्ण मुद्रामान के अन्तर्गत स्वर्ण व्यक्तिगत कोषों में वेकाए रखा रहता है और इसका सावधान्य उपयोग नहीं किया जा सकता, परन्तु स्वर्ण मात्रामान में संपूर्ण स्वर्ण व्यक्तिगत कोषों में न रहकर सरकारी कोष में संचित रहता है। सरकारी कोष में रहे इस स्वर्ण का उपयोग आवश्यकतानुसार सार्वजनिक हित में किया जा सकता है।

(4) विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता—चूँकि स्वर्ण मुद्रामान के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता, इसलिए विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता बनाये रखना आसान हो जाता है। विदेशी विनिमय की माँग में होने वाले परिवर्तनों को स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा तटस्थ (neutralised) किया जा सकता है।

(5) इस मान में स्वयंचालकता का गुण होता है—स्वर्ण मुद्रामान की भाँति इस मान में भी स्वयंचालकता का गुण पाया जाता है। जब मुद्रा की माँग कम हो जाती है तब जनता सोना खरीदना आरम्भ कर देती है। इससे एक ओर तो स्वर्ण प्रारक्षण में सोने की मात्रा कम हो जाती है और दूसरी ओर चलन में मुद्रा की मात्रा भी कम हो जाती है और अन्ततः मुद्रा की मात्रा इसकी माँग के बराबर हो जाती है। इसके विपरीत जब मुद्रा की माँग अधिक होती है तब जनता अपना सोना बेचना आरम्भ कर देती है और यह सोना सरकार के स्वर्ण प्रारक्षण में जमा हो जाता है। स्वर्ण प्रारक्षण की मात्रा बढ़ जाने से मुद्रा की मात्रा में भी वृद्धि होती है और इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग के बराबर हो जाती है। दूसरे शब्दों में स्वर्ण मानामान की स्वयंचालकता के कारण देश की मुद्रा की माँग और पूर्ति का स्वन ही सन्तुलन बना रहता है। फलतः देश के कीमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता यनी रहना है।

(6) सरलता—यह मुद्रा-प्रणाली स्वर्णमान का सरलतम रूप है। इसे समझना साधारण जनता के लिए आसान होता है और इस मान पर अधिक व्यय भी नहीं किया जाता है।

(7) जनता का अधिक विश्वास—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार जनता द्वारा माँग करने पर कागजी मुद्रा तथा प्रतीक सिक्कों को सदैव स्वर्ण में बदलने के लिए तैयार रहती है, इसलिए स्वर्ण मानामान में जनता का विश्वास अधिक होता है।

स्वर्ण मानामान के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) यह मुद्रा-प्रणाली सकट के समय साथ नहीं देती—स्वर्ण मुद्रामान की भाँति स्वर्ण मानामान प्रणाली भी सकट के समय साथ नहीं देती, अर्थात् यह प्रणाली सकटकाल में ठीक ढंग से कार्यशील नहीं होती और विवश होकर सरकार को इसका परित्याग करना पड़ना है। विशेषकर युद्ध के समय जब जनता की स्वर्ण सम्बन्धी माँग बहुत बढ़ जाती है और इस वृद्धि हुई माँग को सन्तुष्ट करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त स्वर्ण प्रारक्षण (gold reserves) नहीं होते, तब तबे समय सरकार विवश होकर इस प्रणाली का त्याग देनी है। इस प्रकार स्वर्ण मानामान प्रणाली केवल साधारण समयों में ही सुचारु रूप में कार्यशील रहती है।

(2) इस प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता रहती है—आलोचकों का कहना है कि स्वर्ण मानामान प्रणाली में स्वयंचालकता (automatic working) का गुण उतना नहीं पाया जाता जितना कि स्वर्णमान में। उनका मत है कि स्वर्ण मानामान एक प्रकार की नियन्त्रित अथवा प्रवृत्त प्रणाली होती है क्योंकि इसके अन्तर्गत सरकार कागजी मुद्रा प्रतीक मुद्रा तथा स्वर्ण प्रारक्षणों का स्वयंचालन करती है। इस प्रकार बिना सरकारी हस्तक्षेप के स्वर्ण मानामान सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकता।

(3) यह प्रणाली मितव्ययी नहीं होती—इस प्रणाली के अन्तर्गत बहुत बड़ी मात्रा में सोना स्वर्ण प्रारक्षणों (gold reserves) में बेकार पड़ा रहता है और उसे किसी लाभदायक उपयोग में नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार इस मान का प्रवृत्त करने से भी सरकार को बहुत व्यय करना पड़ता है। अतएव यह एक खर्चीला मान है।

(4) जनता का इसमें विश्वास अपेक्षाकृत कम होता है—स्वर्ण मुद्रामान की अपेक्षा इस मान में जनता का विश्वास प्रायः कम होता है। इसका कारण यह है कि इस मान के अन्तर्गत सोने के सिक्के प्रचलन में नहीं होते और विनिमय सम्बन्धी कार्यों को कागजी मुद्रा तथा प्रतीक सिक्कों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इस मान के अधीन कागजी मुद्रा तथा प्रतीक सिक्का का प्रायः विदेशी भूगतियों के लिए ही स्वर्ण में बदला जाता है, धरलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं।

(5) स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard)

इस प्रणाली का विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ था, परन्तु भारत तथा अन्य कुछ देशों ने इस प्रणाली को 20वीं शताब्दी के आरम्भ में ही अपनाया था। इस प्रणाली के अन्तर्गत,

सरकार देशी मुद्रा को धरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वर्ण में बदलने का अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं लेती। इससे अधीन तो सरकार देशी मुद्रा को किसी दूसरे ऐसे देश की मुद्रा में परिवर्तित करने का आशवासन देती है जो स्वयं स्वर्णमान पर होता है। इस प्रकार स्वर्ण विनिमय मान प्रणाली के अन्तर्गत देश की मुद्रा का स्वर्ण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु देशी मुद्रा को एक निश्चित विनिमय-दर पर किसी ऐसी विदेशी मुद्रा से जोड़ दिया जाता है जो स्वयं स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है। इस प्रणाली में निश्चित विनिमय-दर पर सरकार देशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने का आशवासन देती है। सरकार देशी मुद्रा के बदले में धरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोना नहीं देती, परन्तु देश की मुद्रा को निश्चित दर पर विदेशी मुद्रा में बदलने के लिए सर्वत्र तत्पर रहती है। इस प्रकार इस प्रणाली में देशी मुद्रा का सोने से केवल अप्रत्यक्ष सम्बन्ध ही होता है।

इस प्रणाली में आन्तरिक मुद्रा, कागजी मुद्रा तथा हल्की धातुओं के बने हुए सिक्कों की होती है। जैसे ऊपर कहा गया है, कागजी मुद्रा तथा प्रतीक सिक्कों को धरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोने में नहीं बदला जा सकता। परन्तु विदेशों को भुगतान करने के लिए देश की आन्तरिक मुद्रा निश्चित दर पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तनशील होती है। स्मरण रहे कि देशी मुद्रा उस विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय होती है जो स्वयं सोने में बदली जा सकती है।

स्वर्ण विनिमय मान के दो सम्भव रूप हो सकते हैं—प्रथम रूप में देश के भीतर स्वर्ण प्रारक्षण (gold reserves) नहीं रहे जाते। स्वर्ण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश उस देश के स्वर्ण प्रारक्षणा पर निर्भर रहता है, जिसकी मुद्रा से देश की मुद्रा सम्बन्धित होती है। दूसरे रूप में स्वर्ण विनिमय मान वाला देश अपना कुछ कोष विदेशी विनिमय के रूप में उस देश में रखता है जिसकी मुद्रा के साथ देश की मुद्रा जुड़ी हुई होती है। दूसरे प्रकार के स्वर्णमान को कुछ मुद्रा-अर्थशास्त्री स्वर्ण विनिमय मान स्वीकार नहीं करते। किन्तु, वास्तव में दोनों रूप ही स्वर्ण विनिमय मान हैं।

स्वर्ण विनिमय मान की कार्य-प्रणाली—जैसा ऊपर कहा गया है, स्वर्ण विनिमय मान के अन्तर्गत देशी मुद्रा के पीछे सोने का नहीं बल्कि विदेशी विनिमय का कोष रखा जाता है। सरकार देशी मुद्रा के बदले विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करती है। जब सरकार विदेशी विनिमय को खरीदती है तब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत, जब सरकार विदेशी विनिमय को बेचती है तो देश में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा की मात्रा विदेशी व्यापार की स्थिति पर निर्भर करती है। जब देश का अदायगी शेष (balance of payments) प्रतिकूल हो जाता है तो विदेशी ऋण भुगतान के लिए सरकार व्यापारियों को विदेशी विनिमय बेचती है। इसके विपरीत जब देश का अदायगी शेष अनुकूल (favourable) होता है, तब सरकार व्यापारियों से विदेशी विनिमय खरीद लेती है। इस प्रणाली में इस प्रकार विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय द्वारा सरकार कुछ लाभ भी कमाती है, क्योंकि विदेशी विनिमय को खरीदने व बेचने की दरों में प्रायः अन्तर होता है।

स्वर्ण विनिमय मान का विकास सर्वप्रथम, डेविड रिकार्डो (David Ricardo) ने स्वर्ण विनिमय मान प्रणाली का उल्लेख किया था। सन् 1877 में हॉलैण्ड (Holland) ने इसे अपनाया था। सन् 1892 में रूस ने भी इसका आशय लिया था और उसी वर्ष आस्ट्रिया-हंगरी (Austria Hungary) ने भी इस प्रणाली को ग्रहण किया था। भारत में सन् 1900 में इस मान को अपनाया गया था। उस समय भारतीय रुपये को ब्रिटिश पौण्ड से जोड़ दिया गया था। भारतीय रुपये की विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस (1s 4d) प्रति रुपये निश्चित की गयी थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत सरकार ने इस मान को कठिनाइयों के बावजूद चालू रखा था। परन्तु सन् 1917 में भारत सरकार ने इसे त्याग दिया। सन् 1920 में युद्ध की समाप्ति पर भारत सरकार ने इसे पुनः अपना लिया था। किन्तु रुपये की विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस प्रति रुपये के बजाय 2 शिलिंग प्रति रुपये रखी गयी थी। परन्तु इस नयी विनिमय-दर को बनाये रखने में भारत सरकार असफल रही। इसका कारण यह था कि एक ओर चाँदी का मूल्य बहुत गिर गया था और दूसरी ओर देश का अदायगी शेष (balance of payments) प्रतिकूल हो गया था जिसके फलस्वरूप भारत सरकार भारतीय व्यापारियों की बढ़ी हुई ब्रिटिश मुद्रा की माँग को सन्तुष्ट

करने में असमर्थ रही थी। अन्ततः सन् 1927 में भारत सरकार ने स्वर्ण विनिमय मान का परित्याग कर स्वर्ण मात्रामान को अपना लिया था।

स्वर्ण विनिमय मान को बनाये रखने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (Secretary of State) ने लन्दन में काउन्सिल बिल्स (Council Bills) अथवा रुपया बिल्स (Rupee Bills) नाम के पत्रों को ब्रिटेन में ऐसे व्यक्तियों को बेचना आरम्भ कर दिया जो भारतीय व्यापारियों को भुगतान करना चाहते थे। मान लीजिये कि किसी ब्रिटिश आयातकर्ता को भारत में भुगतान करना है तो वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाकर ब्रिटिश मुद्रा के बदले काउन्सिल बिल्स (Council Bills) खरीद लिया करता था और इन्हीं बिलों को भारतीय व्यापारी को भेज देता था। भारतीय व्यापारी इन्हीं बिलों के आधार पर भारत सरकार से निश्चित दर पर रुपया ले लेता था। इसी प्रकार भारत सरकार रिवर्स काउन्सिल बिल्स (Reverse Council Bills) या स्टर्लिंग बिल्स (Sterling Bills) उन भारतीय व्यापारियों को बेचती थी जो ब्रिटिश व्यापारियों को भुगतान करना चाहते थे। भारतीय व्यापारी देशी मुद्रा के बदले निश्चित दर पर सरकार से रिवर्स काउन्सिल बिल खरीद लेते थे और इन्हीं बिलों को ब्रिटिश व्यापारियों को भेज देते थे। ब्रिटिश व्यापारी इन बिलों के आधार पर ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश मुद्रा ले लेते थे। इस प्रकार काउन्सिल बिलों तथा रिवर्स काउन्सिल बिलों की सहायता से ब्रिटेन और भारत के व्यापारियों को एक दूसरे को भुगतान करने में आसानी रहती थी। इन बिलों का त्रय त्रय इस ढंग से किया जाता था कि दोनों मुद्राओं के बीच विनिमय दर 1 गिनिंग 4 पेंस प्रति रुपया बनी रहे। इस प्रकार भारत में स्वर्ण विनिमय मान के प्रचलन में काउन्सिल बिलों तथा रिवर्स काउन्सिल बिलों ने बहुत योग दिया था।

भारत के अलावा डेनमार्क जर्मनी पोलैण्ड चिली बोलिविया, पनामा, मेक्सिको, फिलीपाइंस तथा आस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी स्वर्ण विनिमय मान को विभिन्न समयों में अपनाया था।

स्वर्ण विनिमय मान की विशेषतायें—इसकी विशेषतायें निम्नलिखित हैं।

(1) अविनिमय कागजी मुद्रा तथा प्रतीक सिक्कों का प्रचलन इस प्रणाली के अन्तर्गत देश में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता और न ही कागजी मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। देश की आन्तरिक मुद्रा अविनिमय कागजी मुद्रा तथा हल्की धातुओं के बने हुए प्रतीक सिक्कों की होती है।

(2) मुद्रा का स्वर्ण से केवल अप्रत्यक्ष सम्बन्ध ही होता है—इस प्रणाली में देशी मुद्रा का स्वर्ण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। देशी मुद्रा केवल अप्रत्यक्ष रूप में ही स्वर्ण से सम्बन्धित होती है, अर्थात् देशी मुद्रा प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण में नहीं बदली जा सकती, बल्कि एक निश्चित दर पर उस देश की मुद्रा में बदली जा सकती है जो स्वर्ण मुद्रामान या स्वर्ण मात्रामान पर आधारित होता है।

(3) विदेशी भुगतानों के लिए सोना दिया जाता है इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार देशी मुद्रा को विदेशी भुगतानों के लिए ही सोने में बदलने के लिए उत्तरदायी होती है। स्मरण रहे, देशी मुद्रा के बदले में प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा सोना नहीं दिया जाता। देशी मुद्रा के बदले तो सरकार केवल विदेशी विनिमय ही देती है। परन्तु विदेशी विनिमय आगे चल कर स्वर्ण में परिवर्तनीय होता है।

(4) वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें अप्रत्यक्ष रूप में सोने से निश्चित होती हैं—इस प्रणाली के अधीन, जैसा पहले कहा गया है सोने का उपयोग न तो विनिमय माध्यम के रूप में और न मूल्यमान के रूप में ही किया जाता है किन्तु फिर भी सभी प्रकार की वस्तुओं एव सेवाओं की कीमतें परोक्ष रूप में सोने की कीमतों से निश्चित होती हैं।

(5) विदेशों से भुगतान सोने अथवा स्वीकृत विदेशी मुद्राओं में लिये जाते हैं विदेशों से लिये जाने वाले भुगतान सोने अथवा स्वीकृत विदेशी मुद्राओं में ही ग्रहण किये जाते हैं।

(6) स्वर्ण में स्वतन्त्र बाजार का अभाव—इस प्रणाली के अन्तर्गत सोने में स्वतन्त्र बाजार

(free market) नहीं होता। सरकार द्वारा स्वर्ण बाजार को पूर्णतः नियन्त्रित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति सोने का आयात या निर्यात नहीं कर सकता।

स्वर्ण विनिमय मान के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं :

(1) यह प्रणाली मितव्ययी होती है—यह प्रणाली कई कारणों से कम खर्चीली होती है। प्रथम, इस प्रणाली में सोने के सिक्को का प्रचलन नहीं होता जिसके कारण सोने की पिसाबट से होने वाली राष्ट्रीय हानि से देश को बचाया जा सकता है। दूसरे, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कागजी मुद्रा तथा प्रतीक मुद्रा के बदले स्वर्ण देने का सरकार पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। इसलिए सोने को कोप में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसे अन्य लाभदायक उपयोगों में लगाया जा सकता है। तीसरे, इस प्रणाली के अन्तर्गत, जैसा ऊपर कहा गया है, सोने का स्वतन्त्र बाजार नहीं होता जिसके फलस्वरूप न तो सोने का आयात हो सकता है और न ही निर्यात। इसमें सोने के आयात-निर्यात पर होने वाले व्यय से बचा जा सकता है। इन्हीं कारणों से यह प्रणाली मितव्ययतापूर्ण होती है।

(2) मुद्रा-पूर्ति में लोच—चूंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत, कागजी मुद्रा के पीछे स्वर्ण प्रारक्षण (gold reserves) रखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सरकार व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार अधिक मुद्रा जारी कर सकती है। अतएव यह मान बहुत लोचपूर्ण होता है।

(3) सरकार को लाभ—इस मान से देश की सरकार को भी आर्थिक लाभ होता है। प्रथम, विदेशों में जो कोप रखे जाते हैं, उन पर सरकार को व्याज की प्राप्ति होती है। दूसरे, सरकार विदेशों विनिमय की छरीद, तथा बेचने की दरो में कुछ अन्तर अवश्य रखती है जिससे सरकार को लाभ होता है।

(4) विदेशी विनिमय-दर में स्थिरता—इस प्रणाली में विदेशी विनिमय की दर को स्थिर बनाये रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। विनिमय-दर को स्थिर बनाये रखने के लिए सरकार अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करती है। विदेशी विनिमय-दर की इस स्थिरता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय भ्रमताओं में आसानी रहती है, जिसके फलस्वरूप देश के विदेशों व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है।

(5) स्वर्णमान के सभी लाभ प्राप्त होते हैं—इस प्रणाली के अन्तर्गत सोने के सिक्को को प्रचलित किये बिना ही स्वर्णमान के सभी लाभ उठाये जा सकते हैं। अतएव यह प्रणाली पिछड़े तथा अ विकसित देशों के लिए बहुत उपयुक्त रहती है।

स्वर्ण विनिमय मान के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) जटिलता—स्वर्ण विनिमय मान एक अत्यन्त कठिन व जटिल प्रणाली होती है और साधारण जनता के लिए इसे समझना आसान नहीं होता।

(2) इसमें जनता का विश्वास कम होता है—स्वर्ण मुद्रामान की अपेक्षा स्वर्ण विनिमय मान में जनता का विश्वास कम होता है। इसका कारण यह है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार देशी मुद्रा के बदले सोना नहीं देती। केवल विदेशों को भ्रमलान करने के लिए सरकार देशी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा देती है जो स्वर्ण में परिवर्तनीय होती है। इस प्रकार देशी मुद्रा का सोने से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता।

(3) स्वयंचालकता का अभाव—यह प्रणाली स्वयंचालित (automatic) नहीं है, बल्कि इसको प्रचलित रखने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसलिए इसे प्रबन्धित मान (managed standard) कहना अधिक उपयुक्त होगा।

(4) इस प्रणाली में लोच का अभाव रहता है—इस प्रणाली में लोच का अभाव रहता है। इस मान के अन्तर्गत मुद्रा की पूर्ति में विस्तार करना तो आसान होता है (क्योंकि इसके पीछे स्वर्ण प्रारक्षण की आवश्यकता नहीं होती) परन्तु मुद्रा का संकुचन करना अति कठिन होता है। भारत में स्वर्ण विनिमय मान का अनुभव इस बात की पुष्टि करता है।

(5) इस मान में कोषों की अधिकता होती है—यह प्रणाली, वास्तव में, एक खर्चीली

प्रणाली है। इसे प्रचलित रखने के लिए कई प्रकार के कोषों की आवश्यकता पड़ती है और उनका व्यवस्था पर बहुत खर्च भी करना पड़ता है। भारत में स्वर्ण विनिमय मान को चलाने के लिए तीन प्रकार के कोष रखे गये थे। प्रथम, स्वर्णमान कोष (Gold Standard Reserve), द्वितीय, कागजी मुद्रा कोष (Paper Currency Reserve), और तृतीय, भारत सरकार का ब्रिटेन और भारत में जमा किया गया कोष। हिल्टन यंग आयोग (Hilton Young Commission) ने स्वर्ण विनिमय मान के इस खर्चिलिपन के कारण ही इसकी आलोचना की थी।

(6) देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा पर आश्रित रहती है—इस मान के अन्तर्गत देश की मौद्रिक स्वतन्त्रता (monetary freedom) प्रायः समाप्त हो जाती है और इस मान को अपनाने वाले देश को आधार-देश (planet country) की मुद्रा-नीति से शासित होना पड़ता है। यदि किसी कारण आधार-देश स्वर्णमान को त्याग देता है तो इस परिस्थिति में उस देश की मुद्रा से सम्बन्धित सभी देशों को स्वर्ण विनिमय मान का परित्याग करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि ऐसी परिस्थिति में आधार-देश से सम्बन्धित सभी देशों की मुद्राएँ स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं रहती। इस प्रकार स्वर्ण विनिमय मान को अपनाने वाला देश, व्यापार, वाणिज्य तथा निवेशों (investments) के लिए आधार-देश पर सदा के लिए निर्भर हो जाता है।

(7) आधार-देश की मुद्रा प्रणाली असुरक्षित रहती है—इस प्रणाली के अन्तर्गत आधार-देश की मुद्रा-प्रणाली में सदैव असुरक्षा की भावना बनी रहती है। उसका कारण यह है कि आधार-देश के पास स्वर्ण प्रारक्षण सीमित मात्रा में ही होता है, परन्तु इस सीमित प्रारक्षण पर आधार-देश के अतिरिक्त उन सभी देशों का बोझ पड़ता है जिन्होंने अपनी मुद्रा को आधार देश की मुद्रा से जोड़ रखा होता है। यदि आधार देश तथा इसके साथ जुड़े हुए देशों की स्वर्ण सम्बन्धी माँग बढ़ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में आधार-देश की मुद्रा प्रणाली सिकट में पड़ जाती है। इस प्रकार स्वर्ण विनिमय मान के अन्तर्गत आधार-देश की मुद्रा-प्रणाली के लिए सदैव खतरा बना रहता है।

(8) विदेशों में स्वर्ण कोष जमा करने वाले देश को हानि का भय रहता है—जैसा ऊपर कहा गया है, स्वर्ण विनिमय मान अपनाने वाले देश को विदेशी भूगतानों की सुविधा के लिए किसी विदेशी बैंक में स्वर्ण प्रारक्षण रखना पड़ता है। यदि किसी कारणवश यह बैंक फेल हो जाता है तो उस देश को बहुत हानि उठानी पड़ती है।

स्वर्ण विनिमय मान की उपयुक्त वृत्तियों के कारण हिल्टन यंग आयोग (Hilton Young Commission) ने इस मान को भारत के लिए अनुपयुक्त घोषित किया था और आयोग के सुझाव पर भारत सरकार ने सन् 1927 में इसका परित्याग कर दिया था।

स्वर्ण मुद्रामान तथा स्वर्ण मात्रामान की तुलना

स्वर्ण मुद्रामान	स्वर्ण मात्रामान
(1) इस मान के अन्तर्गत, स्वर्ण का विनिमय माध्यम तथा मूल्यमान दोनों के ही रूप में उपयोग किया जाता है।	(1) इस मान के अन्तर्गत, स्वर्ण का केवल मूल्यमान के रूप में ही उपयोग किया जाता है, विनिमय माध्यम के रूप में नहीं।
(2) इसके अन्तर्गत स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में होते हैं तथा उनका टकण खुली सिक्का ढलाई प्रणाली के आधार पर होता है।	(2) इसके अन्तर्गत, स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में नहीं होते और उनके टकण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
(3) इस मान के अन्तर्गत, देश में प्रतिनिधि कागजी मुद्रा का प्रचलन होता है और सरकार इस मुद्रा को अपरिमित मात्रा में स्वर्ण के सिक्कों में बदलने का आश्वासन देती है।	(3) इस मान के अन्तर्गत, देश में कागजी मुद्रा का प्रचलन होता है जिसे सरकार निश्चित दर पर स्वर्ण में बदलने का आश्वासन देती है। परन्तु व्यवहार में सरकार स्वर्ण बेचने की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित कर देती है। उस सीमा से कम मात्रा में सरकार किसी को भी स्वर्ण बेचने के लिए तैयार नहीं होती।

(4) इस मान के अन्तर्गत, स्वर्ण का उपयोग देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के भुगतानों के लिए किया जाता है।

(5) यह प्रणाली स्वमचालित होती है। इसे प्रचलित रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(6) इस प्रणाली में देश के आन्तरिक कीमत-स्तर की स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

(4) इस मान के अन्तर्गत, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो स्वर्ण सरकार से किसी भी उद्देश्य के लिए खरीदा जा सकता है, परन्तु व्यवहार में स्वर्ण सरकार द्वारा केवल विदेशी भुगतानों के लिए ही दिया जाता है।

(5) इस प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप की बहुत आवश्यकता रहती है।

(6) इस प्रणाली में विदेशी विनिमय-दरों की स्थिरता पर अधिक बल दिया जाता है।

स्वर्ण विनिमय मान तथा स्वर्ण मात्रामान की तुलना

स्वर्ण विनिमय मान	स्वर्ण मात्रामान
<p>(1) इस मान में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता। सोने का उपयोग न तो विनिमय के माध्यम के रूप में और न ही मूल्यमान के रूप में होता है।</p>	<p>(1) इस मान में भी सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता अर्थात् सोना विनिमय माध्यम का कार्य नहीं करता, परन्तु मूल्यमान के रूप में सोने का उपयोग किया जाता है।</p>
<p>(2) इस मान में देशी मुद्रा को सोने में बदलने की सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई गारण्टी नहीं दी जाती। इसके अतिरिक्त, देश में अविनिमय कागजी मुद्रा का प्रचलन होता है।</p>	<p>(2) इस मान में देशी मुद्रा को निश्चित दरों पर सोने में बदलने की सरकार द्वारा गारण्टी दी जाती है और देश में विनिमय कागजी मुद्रा का प्रचलन होता है।</p>
<p>(3) इस प्रणाली में सरकार के लिए स्वर्ण प्रारक्षण का रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कागजी मुद्रा को सोने में बदलने की सरकार द्वारा कोई गारण्टी नहीं दी जाती। सरकार तो केवल निश्चित विनिमय-दर पर देशी मुद्रा को किसी ऐसी विदेशी मुद्रा में बदलने का आश्वासन देती है जो स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है।</p>	<p>(3) इस प्रणाली में चूंकि कागजी मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है, इसलिए सरकार के लिए स्वर्ण प्रारक्षण रखना अनिवार्य होता है, परन्तु स्वर्ण प्रारक्षण ही कमल जारी नहीं गयी कुल कागजी मुद्रा से कम होती है।</p>
<p>(4) इस प्रणाली में सरकार साना खरीदने व बेचने की अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती।</p>	<p>(4) इस प्रणाली में सरकार निश्चित दर पर तथा अपरिमित मात्रा में सोना खरीदने व बेचने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है।</p>
<p>(5) इस प्रणाली में देशी मुद्रा अप्रत्यक्ष रूप में ही सोने से सम्बन्धित होती है।</p>	<p>(5) इस प्रणाली में देशी मुद्रा प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण से सम्बन्धित होती है।</p>

स्वर्ण मुद्रामान तथा स्वर्ण विनिमय मान की तुलना

स्वर्ण मुद्रामान

(1) इस मान में सोने का विनिमय माध्यम तथा मूल्यमान दोनों ही रूपों में उपयोग किया जाता है।

(2) इस प्रणाली में सोने के सिक्कों का प्रचलन होता है और इनका टुकण खुली सिक्का ब्लाई के आधार पर होता है।

(3) इस प्रणाली में प्रतिनिधि कागजी मुद्रा का प्रचलन होता है और सरकार अपरिमित मात्रा में इस मुद्रा को सोने में बदलने का आश्वासन देती है।

(4) यह प्रणाली स्वयंचालित होती है और इसमें किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(5) इस प्रणाली में देश के आन्तरिक कीमत-स्तर की स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

(6) इस प्रणाली में देश अपने लिए एक स्वतन्त्र मौद्रिक नीति निर्धारित कर सकता है।

स्वर्ण विनिमय मान

(1) इस मान में सोने का उपयोग न तो विनिमय माध्यम और न ही मूल्यमान के रूप में किया जाता है।

(2) इस प्रणाली में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता। अतः उनके टुकण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) इस प्रणाली में अविनिमेय कागजी मुद्रा का प्रचलन होता है। इस मुद्रा को सोने में बदलने की सरकार द्वारा कोई गारण्टी नहीं दी जाती। इसीलिए सरकार अपने पास स्वर्ण प्रारक्षण भी नहीं रखती। परन्तु सरकार देशी मुद्रा को किसी ऐसी विदेशी मुद्रा में बदलने की गारण्टी देती है जो स्वयं स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है।

(4) यह प्रणाली स्वयंचालित नहीं है और इसे चालू रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है।

(5) इस प्रणाली में केवल विदेशी विनिमय-दरों की स्थिरता पर ही जोर दिया जाता है।

(6) इस प्रणाली में देश को स्वतन्त्र मौद्रिक नीति अपनाने का अवसर नहीं मिल सकता, क्योंकि देश की मौद्रिक नीति आधार-देश की मौद्रिक नीति से शासित होती है।

(घ) स्वर्ण प्रारक्षण मान अथवा स्वर्ण कोष मान (Gold Standard Reserve)

इस मान का विकास सन् 1936 में किया गया था। सन् 1936 से लेकर सन् 1939 तक यह मान पश्चिमी देशों में कार्यशील रहा था। इस मान का उद्देश्य विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता स्थापित करना था। जसा पहले कहा जा चुका है, ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका तथा फ्रांस द्वारा क्रमशः सन् 1931, 1933, 1936 में स्वर्णमान का परिष्कार कर दिया गया था। स्वर्णमान के इस सामान्य (general) परिष्कार के परिणामस्वरूप इन देशों की विदेशी विनिमय दरों में भारी अस्थिरता उत्पन्न हो गयी थी, जिससे इन देशों के विदेशी व्यापार को बहुत धक्का लगा था। अतः विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता स्थापित करने के लिए सन् 1936 में अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच एक त्रिपक्षीय मौद्रिक समझौता (Tripartite Monetary Agreement) हुआ था। बाद में चलकर हॉलैण्ड, बेल्जियम तथा स्विटजरलैण्ड भी इस समझौते में शामिल हो गये थे। इस समझौते के अन्तर्गत, इन देशों द्वारा जो मुद्रा प्रणाली अपनायी गयी थी उसे स्वर्ण प्रारक्षण मान (अथवा स्वर्ण कोष मान) कहते हैं। जैसा कहा गया है, इस प्रणाली का उद्देश्य विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता स्थापित करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति में इस प्रणाली को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई थी। परन्तु यह प्रणाली अधिक समय तक प्रचलित न रह सकी और सन् 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के छिड़ जाने से यह समाप्त हो गयी।

स्वर्ण प्रारक्षण मान की विशेषताएँ—इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(1) देशी मुद्रा का स्वर्ण से कोई सम्बन्ध नहीं होता—इस प्रणाली के अन्तर्गत, स्वर्ण न तो विनिमय का माध्यम होता है और न ही मूल्य का मापक, अर्थात् देश के भीतर कागजी मुद्रा तथा हल्की धातुओं के बने हुए सिक्कों का प्रयोग होता है। इन मुद्राओं को स्वर्ण में बदलने की सरकार द्वारा कोई गारण्टी नहीं दी जाती।

(2) स्वर्ण का आयात-निर्यात स्वतन्त्र नहीं होता—इस प्रणाली में सोने का आयात तथा निर्यात निजी व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि सोने के आयात निर्यात पर सरकार का पूर्ण एकाधिकार (monopoly) होता है और केवल मुद्रा-सम्बन्धी कार्यों के लिए ही सोने का आयात-निर्यात किया जाता है।

(3) विनिमय समानीकरण कोषों की स्थापना—इस प्रणाली के अन्तर्गत, विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता बनाये रखने के लिए समझौते में सम्मिलित प्रत्येक देश को विनिमय समानीकरण कोष (Exchange Equalisation Fund) की स्थापना करनी पड़ती है। विनिमय समानीकरण कोष को विनिमय समानीकरण लेखा (Exchange Equalisation Account) तथा विनिमय कोष (Exchange Fund) भी कहा जाता है। विनिमय समानीकरण कोष का मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता बनाये रखना है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोष में देशी मुद्रा के साथ-साथ विदेशी विनिमय (foreign exchange) तथा स्वर्ण भी रखा जाता है। यदि किसी विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है तो उस मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में बढ़ जाता है परन्तु ऐसी परिस्थिति में विनिमय समानीकरण कोष के अधिकारी उस विदेशी मुद्रा का बाजार में बेचकर उसके मूल्य को अधिक बढ़ने से रोक सकते हैं।

इस प्रणाली में यह भी व्यवस्था होती है कि यदि किसी देश के विनिमय समानीकरण कोष में किसी विदेशी मुद्रा की पूर्ति अत्यधिक बढ़ जाती है तो वह देश उस देश से उसकी मुद्रा के बदले सोना ले सकता है। मान लीजिए कि फ्रांस के विनिमय समानीकरण कोष में ब्रिटेन की स्टर्लिंग मुद्रा की पूर्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। तब ऐसी परिस्थिति में फ्रांस की सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्टर्लिंग मुद्रा के बदले ब्रिटेन की सरकार से सोना प्राप्त कर ले और ब्रिटिश सरकार को यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी मुद्रा के बदले में फ्रांस की सरकार को उसी कीमत का सोना दे। इस प्रकार इस प्रणाली के अन्तर्गत एक देश के कोष से दूसरे देश के कोष को सोने का स्थानांतरण होता रहता था। इसलिए इस प्रणाली को स्वर्ण प्रारक्षण मान का नाम दिया गया था।

(4) बाँटो की गोपनीयता—इस प्रणाली के अन्तर्गत एक देश के कोष से दूसरे देश के कोष को होने वाले स्वर्ण के स्थानांतरण को गोपनीय रखा जाता था और जनता को इस बारे में विल्कुल विचारों प्रकार की जानकारी नहीं होती थी कि उस देश का कोष क्या खरीद रहा है और क्या बेच रहा है, और न ही जनता को इस बात की जानकारी होती थी कि देश के कोष में कितना सोना और कितनी विदेशी मुद्राएँ हैं।

(5) आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था से बिना किसी हस्तक्षेप के विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता—इस मान की एक विशेषता यह भी थी इसके अन्तर्गत देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में बिना किसी हस्तक्षेप के विदेशी विनिमय-दरों को स्थिर बनाया जा सकता था। इसका कारण स्पष्ट है। सरकारें विदेशी विनिमय की माँग तथा पूर्ति का समन्वय विनिमय समानीकरण कोषों द्वारा आसानी से कर लिया करती थी। इस प्रकार विदेशी विनिमय की माँग तथा पूर्ति का सन्तुलन आन्तरिक अर्थ व्यवस्था में बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के बनाये रखा जा सकता था।

स्वर्ण प्रारक्षण प्रणाली ने दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व लगभग तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य किया था। इसके अन्तर्गत, विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता स्थापित की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप उक्त देशों के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। परन्तु दूसरे विश्व युद्ध के छिड़ जान में इन देशों में कुछ असाधारण परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी थी, जिनके कारण यह प्रणाली अचिर समय तक न टिक सकी और अन्ततः इसका पतन हो गया।

(ड) स्वर्ण समतामान (Gold Parity Standard)

स्वर्ण समतामान विस्तृत अर्थ में स्वर्णमान का आधुनिकतम रूप है। आज की बदली हुई परिस्थितियों में पुराना परम्परागत स्वर्णमान त्रियाशील नहीं हो सकता। अतएव एक नयी किस्म के स्वर्णमान की आवश्यकता अनुभव की गयी, जिसे स्वर्ण समतामान का नाम दिया गया है। सन् 1946 में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) की स्थापना के साथ स्वर्ण समतामान अस्तित्व में आया था। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपनी मुद्रा को स्वर्ण में परिभाषित करना पड़ता है, अर्थात् प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के बराबर घोषित करना पड़ता है और इसी घोषित मूल्य के आधार पर उस देश की मुद्रा का दूसरे देशों की मुद्राओं के साथ विनिमय सम्बन्ध निर्धारित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, उस देश की मुद्रा को दूसरे देशों की मुद्राओं के साथ विनिमय-दर उसी घोषित मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस मान की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

(1) देशों मुद्रा का स्वर्ण से कोई सम्बन्ध नहीं होता—इस प्रणाली के अन्तर्गत, स्वर्ण देश में तो विनिमय का माध्यम और न ही मूल्य का मापक होता है, अर्थात् इस मान के अन्तर्गत देश में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता। देश में कागजी मुद्रा तथा हल्की धातुओं के बने हुए सिक्कों का ही प्रचलन होता है। देशों मुद्रा न तो सोने के सिक्कों में, न ही सोने की छड़ों (bars) में और न ही किसी ऐसी विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय होती है जो स्वयं स्वर्ण में परिवर्तनीय हो।

(2) मुद्रा की स्वर्ण में परिमाणा—इस प्रणाली के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा के मूल्य को स्वर्ण में परिभाषित करना अनिवार्य होता है और इसी परिभाषित मूल्य के आधार पर देश की मुद्रा का दूसरे देशों की मुद्राओं से सम्बन्ध निर्धारित किया जाता है।

(3) प्रत्येक देश को मौद्रिक नीति स्वतन्त्र होती है—इस मान को अपनाने वाले प्रत्येक देश को आन्तरिक मौद्रिक विषयों में पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। एक देश की मौद्रिक नीति का दूसरे देश की मौद्रिक नीति से कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। मौद्रिक क्षेत्र में विभिन्न देशों का आन्तरिक सहयोग विदेशी विनिमय दरों की स्थिरता को बनाये रखने के लिए ही होता है। विभिन्न देशों के आन्तरिक मौद्रिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

(4) विनिमय-दरों में लोच—इस प्रणाली के अन्तर्गत सदस्य देशों की विदेशी विनिमय-दरों में लोचकता (elasticity) का अर्थ पाया जाता है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.) के विधान के अनुसार सदस्य-देश कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी मुद्रा का स्वर्ण में घोषित किया गया मूल्य परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात् सदस्य-देश कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय-दर को बदल सकते हैं।

(5) अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य-देशों को ऋण देने की व्यवस्था—इस प्रणाली के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता बनाये रखने के लिए सदस्य देशों को विदेशी मुद्राओं के रूप में ऋण देने की सुविधा भी प्रदान करता है।

कुछ रुढ़िवादी अर्थशास्त्री स्वर्ण समतामान की स्वर्णमान मानने से ही इन्कार करते हैं। उनका कथनानुसार चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत सोने को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए इस मान की स्वर्णमान का दर्जा देना उचित नहीं। परन्तु यह कहना असत्य न होगा कि इस प्रणाली के अन्तर्गत सोने को महत्वपूर्ण स्थान न दिये जाने के बावजूद विभिन्न देशों की मुद्राओं की एक-दूसरे की विनिमय-दरों स्वर्ण के माध्यम से ही निश्चित होती हैं। अतएव स्वर्ण समतामान स्वर्णमान का नवीनतम रूप माना जाता है।

स्वर्णमान के नियम (Rules of Gold Standard)

प्रा० क्राउथर (Crowther) के अनुसार, "स्वर्णमान ईर्ष्यालु देव है। यह उसी परिस्थिति में काय करता है जब इसकी तन मन से साधना की जाय।"¹ दूसरे शब्दों में, स्वर्णमान प्रणाली

1 'The Gold Standard is a jealous God It will work, provided it is given exclusive devo-
(son) —Crowther

के लाभ तभी उपलब्ध होते हैं जब स्वर्णमान के नियमों का उचित ढंग से परिपालन किया जाय। स्वर्णमान के नियम निम्नलिखित हैं

(1) मुक्त व्यापार (Free Trade) की नीति अपनायी जाय—स्वर्णमान सुचारु ढंग से तभी कार्य कर सकता है जबकि देश में पूर्ण व्यापारिक स्वतन्त्रता हो। दूसरे शब्दों में, सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि सरकार आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाती है तो इससे स्वर्णमान की क्रिया शीघ्रता में बाधायें उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरणार्थ, यदि देश की सरकार संरक्षणवादी नीति (Protectionist Policy) अपनाती है और वस्तुओं के आयात व स्वर्ण के निर्यात पर कौटा (quota) तथा लाइसेंस (licence) आदि के रूप में प्रतिबन्ध लगाती है तो इससे देश के व्यापारिक भुगतानों में असमानता उत्पन्न हो जायगी। देश का अदायगी शेष (balance of payments) स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा संतुलित न हो सकेगा। अतएव अदायगी शेष की त्रुटियों तथा स्वर्ण के अन्तरराष्ट्रीय वितरण की असमानताओं को ठीक करने के लिए यह आवश्यक है कि देश के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया जाय क्योंकि ऐसा करने से स्वर्णमान की स्वयंचालकता ही समाप्त हो जाती है।

(2) स्वर्ण का आयात-निर्यात स्वतन्त्र होना चाहिए—स्वर्णमान के प्रभावपूर्ण संचालन के लिए यह भी आवश्यक है कि स्वर्ण के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। स्वर्ण का एक देश में दूसरे देश को स्वतन्त्र आवागमन होना चाहिए। यदि कोई देश आयातित स्वर्ण (imported gold) को रोक लेता है और उतका निर्यात नहीं होने देता तो स्वर्ण के अभाव में दूसरे देशों को स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ेगा। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि स्वर्णमान वाले देश स्वर्ण के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार की रोक न लगायें।

(3) देश की अर्थ-व्यवस्था लोचपूर्ण होनी चाहिए—स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए यह भी आवश्यक है कि देश की अर्थ-व्यवस्था लोचपूर्ण होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, देश की सरकार सोने के आयात-निर्यात से आन्तरिक कीमत स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का किसी भी प्रकार कम करने का प्रयत्न न करे। देश के स्वर्ण प्रारक्षण (gold reserves) में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार ही मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन करे। उदाहरणार्थ, जब किसी देश में निर्यातों की अपेक्षा आयात अधिक होते हैं, तब उस देश का अदायगी शेष (balance of payments) प्रतिकूल हो जायगा। ऐसी अवस्था में अदायगी शेष को ठीक करने के लिए देश को सोने का निर्यात करना चाहिए। सोने का निर्यात के फलस्वरूप उस देश में स्वर्ण प्रारक्षण की मात्रा कम हो जाती है और अन्ततः देश की सरकार को मुद्रा की पूर्ति भी उन्हीं अनुपात में कम करनी पड़ती है। स्वर्णमान के अन्तर्गत जैसा हम जानते हैं मुद्रा की पूर्ति स्वर्ण प्रारक्षणों पर निर्भर करती है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाने से देश का आन्तरिक कीमत स्तर नीचे गिर जाता है जिससे निर्यातों का प्रोत्साहन मिलता है और आयात हतोत्साहित हात है। परिणामतः अदायगी शेष की प्रतिकूलता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब देश स्वर्ण का आयात करता है उसे अपने स्वर्ण प्रारक्षणों में हुई वृद्धि के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करनी पड़ती है जिससे अन्ततः उस देश का कीमत स्तर ऊँचा हो जाता है। कीमत स्तर के ऊँचे हो जाने से देश के आयात अधिक और निर्यात कम हो जाते हैं। परिणामतः उस देश का अदायगी शेष अनुकूल हो जाता है। इस प्रकार सोने के आयात-निर्यात से स्वर्ण प्रारक्षण में परिवर्तन होने हैं और उन्हीं परिवर्तनों के अनुसार देश की मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन किये जाते हैं। देश के कीमत स्तर में भी उसी अनुपात में उतार-चढ़ाव होने हैं। इस प्रकार स्वर्णमान का नियम यह है कि जब किसी देश में सोने का आयात हो रहा हो तब उस देश को मुद्रा व साख का विस्तार करना चाहिए। इसके विपरीत जब किसी देश से सोने का निर्यात हो रहा हो तब उस देश को मुद्रा व साख का संकुचन करना चाहिए। जब किसी देश की अर्थ-व्यवस्था इस नियम का पालन करने में समर्थ होती है तब उस देश की अर्थ-व्यवस्था को लोचपूर्ण कहा जाता है। इस प्रकार स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए देश की अर्थ-व्यवस्था का लोचपूर्ण होना नितान्त आवश्यक है।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए उपयुक्त तीनों नियमों का परिपालन करना स्वर्णमान वाले देशों के लिए अनिवार्य है। यदि इन नियमों

का पालन नहीं किया जाता तो स्वर्णमान का संचालन सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। वास्तव में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वर्णमान के इन नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया और इसी कारण स्वर्णमान का पतन हुआ था।

स्वर्णमान का पतन (Downfall of Gold Standard)

ग्रेट ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अप्रैल 1925 में स्वर्णमान को पुनः अपनाया था। परन्तु 6 वर्ष बाद सितम्बर 1931 में उसे स्वर्णमान से त्यागना पड़ा। इसके बाद अन्य देशों जैसे स्वीडन, यूनान, पुर्तगाल, दक्षिणी अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों ने भी स्वर्णमान का परित्याग कर दिया था। सन् 1936 में अमरीका ने भी स्वर्णमान को छोड़ दिया था। फ्रांस ने कुछ समय तक स्वर्णमान को बनाये रखने का प्रयत्न किया, परन्तु सन् 1936 में फ्रांस ने भी इसे त्याग दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्धोत्तरकाल में एक-एक करके विश्व के सभी देशों ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया था। स्वर्णमान के इस पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

(1) स्वर्णमान के नियमों का उल्लंघन—जैसा ऊपर कहा जा चुका है, स्वर्णमान के पतन का मुख्य कारण विभिन्न देशों द्वारा स्वर्णमान के नियमों का उल्लंघन करना था। स्वर्णमान के नियमों की इस अवहेलना के कारण स्वर्णमान की स्वयंचालकता लगभग समाप्त हो गयी थी। हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्णमान वाले देशों ने इस मान के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया था।

(क) स्वर्णमान के प्रथम नियम के अनुसार देश को मुक्त व्यापार (Free Trade) की नीति अपनानी चाहिए—परन्तु युद्धोत्तरकाल में बहुत-से देशों ने इस नियम का पालन नहीं किया। सर्वप्रथम, फ्रांस और अमरीका ने इस नियम का उल्लंघन किया था। देश में आने वाली वस्तुओं तथा देश से निर्यात किये जाने वाले स्वर्ण पर इन देशों द्वारा तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये थे। आयातों पर ऊँचे-ऊँचे कर लगाये गये थे। केवल यही नहीं, आयातों में कमी करने के लिए कौटा प्रणाली तथा लाइसेंस प्रणाली का प्रयोग तक किया गया था। बाद में चलकर ब्रिटेन ने भी इसी नीति का अनुसरण किया और अपने आयातों पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये। परिणामतः ऋणी देशों को अपने ऋणों का भुगतान इन देशों की वस्तुओं के वजाय स्वर्ण के रूप में करना पड़ा। उनके स्वर्ण-कोष कम हो गये और विवश होकर उन्हें स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा।

(ख) स्वर्णमान का दूसरा नियम यह है कि देश की अर्थ-व्यवस्था सौचपूर्ण हो और मुद्रा-पूर्ति में देश के स्वर्ण प्रारक्षणों में हुए परिवर्तनों के अनुसार ही परिवर्तन किये जायें—परन्तु सभी देशों ने स्वर्णमान के इस महत्वपूर्ण नियम की अवहेलना की और मुद्रा-पूर्ति को स्वर्ण प्रारक्षणों में हुए परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तित नहीं किया। उदाहरणार्थ, अप्रैल 1925 में जब ब्रिटेन ने स्वर्णमान को पुनः अपनाया तब उस समय ब्रिटिश मुद्रा स्टर्लिंग (sterling) का स्वर्ण में अति मूल्यन (over-valuation) कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन का अदायगी शेष (balance of payments) प्रतिकूल हो गया था, अर्थात् ब्रिटेन के आयात (imports) उसके निर्यातों (exports) की तुलना में बहुत बढ़ गये थे। परिणामतः ऋण-भुगतान के लिए सोना बराबर ब्रिटेन से बाहर जाना आरम्भ हो गया। स्वर्णमान के उक्त नियम के अनुसार ऐसी अवस्था में ब्रिटेन को अपनी मुद्रा-पूर्ति में संकुचन करना चाहिए था, ताकि उसका कीमत-स्तर नीचे गिर जाय और उसका अदायगी शेष पुनः सन्तुलित हो जाय। परन्तु ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया, अर्थात् अपनी मुद्रा-पूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी और इस प्रकार आन्तरिक कीमतों को गिरने से रोके रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि ऊँची कीमतों के कारण ब्रिटेन का माल विदेशों में जाकर न बिक सका, परन्तु ब्रिटेन के आयात निरन्तर बढ़ते चले गये। परिणामतः सोना ब्रिटेन से बराबर बाहर जाता रहा और सोने की इस क्षति के कारण ब्रिटेन को विवश होकर स्वर्णमान त्यागना पड़ा।

इसने विपरीत, फ्रांस ने स्वर्णमान को पुनः अपनाते समय अपनी मुद्रा फ्रैंक (Franc) का मूल्य स्वर्ण में अवमूल्यित (undervalued) कर दिया था जिससे फ्रांस का अदायगी शेष

उसके अनुकूल हो गया, अर्थात् फ्रांस के आयातों की तुलना में उसके निर्यात तेजी से बढ़ रहे थे और बड़ी मात्रा में फ्रांस स्वर्ण का आयात कर रहा था। परन्तु फ्रेंच सरकार ने बाहर से आयात किये गये इस सोने को प्रभावहीन (ineffective) बना दिया, अर्थात् आयातित सोने से स्वर्ण कोषों में हुई वृद्धि के अनुसार फ्रेंच सरकार ने मुद्रा की पूति में विस्तार नहीं होने दिया। जैसा ऊपर कहा गया है, स्वर्णमान के अधीन स्वर्ण आयात करने वाले देश को अपने स्वर्ण-कोषों में हुई वृद्धि के अनुसार मुद्रा की पूति में विस्तार करना चाहिए। परन्तु फ्रेंच सरकार ने स्वर्णमान के इस नियम की अवहेलना करते हुए ऐसा नहीं होने दिया। परिणामतः फ्रांस का अदायगी शेष (balance of payments) अनुकूल बना रहा और फ्रांस में सोने का आयात बराबर होता रहा। अमरीका ने भी फ्रांस का ही अनुकरण किया और देश में आयात किये गये सोने को प्रभावहीन बना दिया, अर्थात् आयातित सोने (imported gold) का देश की मुद्रा-पूति पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया। परिणामतः अन्य देशों की अदायगी शेषों में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगीं और सोने का अन्तरराष्ट्रीय वितरण असमान हो गया। इसके साथ ही स्वर्णमान की स्वयंचालकता भी समाप्त हो गयी।

(2) स्वर्ण-कोषों का असन्तुलित वितरण—जैसा ऊपर कहा गया है, विभिन्न देशों द्वारा स्वर्णमान के नियमों की अवहेलना के परिणामस्वरूप सोने का वितरण असमान हो गया था। एक ओर तो अमरीका और फ्रांस में अत्यधिक मात्रा में सोना केन्द्रित हो गया था और दूसरी ओर जर्मनी तथा पूर्वी यूरोप के कुछ देशों के पास सोने की बहुत कमी हो गयी थी। जिन देशों में सोने की कमी हो गयी थी उन्होंने सोने की पूति को और अधिक कम होने से बचाने के लिये इसके निर्यात पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा दिये ताकि वे स्वर्णमान को बनाये रख सकें, परन्तु जिन देशों में पास सोना अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो गया था उन्होंने इसे पूर्णतः प्रभावहीन बना दिया था, अर्थात् इसे अपने कीमत-स्तरों का प्रभावित नहीं करने दिया था। सोने की कमी वाले देशों में सोने के निर्यात पर लगाये गये अनेक प्रतिबन्धों के बावजूद इसकी पूति को बढ़ाया नहीं जा सका, बल्कि इन देशों में सोने की पूति निरन्तर कम होती चली गयी। अन्ततः इन देशों को विवश होकर स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा था।

(3) प्रथम विश्व युद्ध की क्षति-पूति का भुगतान—प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी और उसने शांति सन्धि के अनुसार विजेता देशों को युद्ध सम्बन्धी क्षति-पूति (Payment of war-reparations) का भुगतान करने का वायदा किया था। यह क्षति-पूति विशेषतः अमरीका और फ्रांस को मिलनी थी। जर्मनी इस क्षति-पूति का भुगतान वस्तुओं के रूप में करना चाहता था, परन्तु अमरीका और फ्रांस ने वस्तुओं के रूप में क्षति-पूति का भुगतान स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें जर्मनी द्वारा की जाने वाली क्षति-पूति स्वर्ण के रूप में ही की जाय। इस प्रकार क्षति पूति करने के लिए जर्मनी को सोने की बड़े पैमाने पर आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण जर्मनी में स्वर्णमान का पतन हो गया। जर्मनी के पास अब स्वर्ण कोष इतना नहीं था कि वह स्वर्णमान को बनाये रखता। इसके अतिरिक्त, अमरीका और फ्रांस ने युद्धकाल में कुछ देशों को दिये गये ऋणों की अदायगी ऋणी देशों से सोने के रूप में किये जाने की माँग की थी। परिणामतः इन देशों में भी सोने की पूति कम हो गयी और उनके लिए स्वर्णमान को बनाये रखना असम्भव हो गया। अतः उन्हें विवश होकर स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा।

(4) आर्थिक राष्ट्रीयवाद का उदय (Rise of Economic Nationalism) - स्वर्णमान के पतन का यह एक मुख्य कारण माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यूरोप के राष्ट्र अनेक आवश्यक वस्तुओं के लिये एक-दूसरे पर निर्भर रहा करते थे। परन्तु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यापार की कठिनाइयों के कारण इन देशों ने आवश्यक वस्तुओं में अपने आगक आत्मनिर्भर बना लिया था। ऐसा करने के लिए इन देशों ने सार्वथात्मक नीति (Protectionist Policy) को अपनाया और स्वदेशी उपयोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार के कदम उठाये थे। इस प्रकार युद्ध के दौरान अथवा इसके बाद इन देशों में आर्थिक राष्ट्रीयवाद की एक लहर दौड़ गयी। अब ये देश यथासम्भव अपनी आवश्यकताओं को अपने आन्तरिक साधनों से ही पूरा करने लगे और विदेशों पर व्यापारिक निर्भरता कम होने लगी। आर्थिक राष्ट्रीयवाद की यह प्रवृत्ति स्वर्णमान

के नियमों के विरुद्ध थी, क्योंकि स्वर्णमान के अन्तर्गत वस्तुओं के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाते। इस प्रकार आर्थिक राष्ट्रीयवाद के उदय से स्वर्णमान की स्वयंचालकता समाप्त हो गयी थी।

(5) अल्पकालीन अथवा शरणार्थी पूंजी का आतक (Havoc Caused by Short-term or Refugee Capital)—प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यूरोप के बहुत-से देश अपने अल्पकालीन कोषों (short-term funds) का विदेशों में निवेश (investment) किया करते थे। परन्तु प्रथम युद्ध के पश्चात् यूरोप के लगभग सभी देशों ने विदेशी पूंजी पर तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगा दिये थे। उदाहरणार्थ, कुछ देशों ने विदेशी निवेश पर कमाये गये व्याज के भुगतान पर प्रतिबन्ध लगा दिया यहाँ तक कि मूलधन की वापसी पर भी पाबन्दी लगा दी गयी। कुछ देशों ने विदेशी विनिमय-दरों में परिवर्तन करके भी विदेशी निवेशकर्ताओं को हानि पहुँचाने का प्रयास किया। इन सब प्रतिबन्धों का यह परिणाम हुआ कि अल्पकालीन विदेशी पूंजी अब भयभीत हो गयी और सुरक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश को जाने लगी। जिस देश में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा पायी जाती थी, विदेशी पूंजी उसी देश की ओर आकर्षित होने लगती, इस प्रकार सुरक्षा की तलाश में मारे-मारे फिरने के कारण ही उसे शरणार्थी पूंजी (Refugee Capital) कहा जाने लगा। परन्तु शरणार्थी पूंजी के एक देश से दूसरे देश को प्रकायक जाने से दोनों देशों की अर्थ-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो जाती थी और बहुत-से देश शरणार्थी-पूंजी के आयात-निर्यात के अनुसार आन्तरिक कीमतों में परिवर्तन करने में असमर्थ रहते थे। उदाहरणार्थ जब फ्रांस ने युद्धोत्तरकाल में स्वर्णमान को पुनः अपनाया तब उसने अपनी मुद्रा की स्वर्ण में कीमत घटा दी थी। इसके परिणामस्वरूप फ्रांस पूंजीपतियों की ब्रिटेन में लगायी गयी पूंजी की मात्रा बढ़ गयी और उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी पूंजी ब्रिटेन से वापस मँगानी आरम्भ कर दी। परन्तु अपने सीमित स्वर्ण प्रारक्षणों (gold reserves) के कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड फ्रांस के पूंजीपतियों को अधिक मात्रा में अल्पकालीन पूंजी के भुगतान में साना देने की स्थिति में नहीं था। परिणामतः विवश होकर ब्रिटेन नवम्बर 1931 में स्वर्णमान का परित्याग कर दिया था।

(6) सन् 1929 की महान मन्दी (Great Depression of 1929) - स्वर्णमान को सबसे बड़ा धक्का सन् 1929 की महान मन्दी से लगा था। यह मन्दी अमरीका में सन् 1929 के वालस्ट्रीट सवट (Wall Street Crisis) से आरम्भ हुई और तेजी के साथ विश्व के सभी देशों में फैल गयी। इस मन्दी के कारण सभी देशों में कीमत-स्तर गिरने लगा और उत्पादकों का बहुत हानि होना लगी। इस मन्दी के परिणामस्वरूप आस्ट्रिया (Austria) का केन्द्रीय बैंक फेल हो गया क्योंकि उस बैंक ने अपन धन का अधिकांश भाग उद्योग धन्धों में लगा रखा था। मन्दी के कारण उद्योग धन्धों को बहुत हानि हुई और आस्ट्रिया के केन्द्रीय बैंक से प्राप्त किये गये ऋणों को वे लौटाने में असमर्थ रहे। आस्ट्रिया के इस बैंक के फेल हो जाने से जनता के विश्वास को बड़ा धक्का लगा और लोगों ने बड़े पैमाने पर देशी मुद्रा को स्वर्ण में बदलने की माँग की। परन्तु सरकार स्वर्ण की इस बड़ी हुई माँग को सन्तुष्ट न कर सकी और विवश होकर उसे स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा। आस्ट्रिया के केन्द्रीय बैंक के फेल हो जाने से अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा और वहाँ भी जनता ने स्वदेशी मुद्राओं के बदले में स्वर्ण की माँग की, परन्तु इन देशों में सरकारों जनता की इस माँग को पूरा करने में असमर्थ रही और एक-एक करके सभी ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया।

(7) युद्धोत्तरकाल में स्वर्ण मुद्रामान का परित्याग—जैसा पहले कहा गया है युद्धोत्तरकाल में यूरोप के लगभग सभी देशों ने स्वर्ण मात्रामान अथवा स्वर्ण विनिमय मान को अपनाया था। परन्तु स्वर्ण मुद्रामान की भाँति इन दोनों प्रणालियों में स्वयंचालकता का गुण विद्यमान नहीं था। परिणामतः विभिन्न देशों की सरकारों ने इन प्रणालियों के संचालन में हस्तक्षेप द्वारा बहुत गड़बड़ी की जिससे स्वर्णमान का पतन अतिवाय हो गया।

(8) राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability) युद्धोत्तरकाल में विश्व के कुछ देशों में राजनीतिक अस्थिरता रही जिसके कारण स्वर्णमान को बहुत क्षति हुई। राजनीतिक अस्थिरता के अभाव में इन देशों में पूंजी का स्थानान्तरण पहले की भाँति न हो सका और विवश होकर इन देशों ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया।

(9) सोने के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध—युद्धोत्तरकाल में विश्व की आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल जाने के कारण स्वर्ण के निर्बाध आवागमन में बाधाएँ उपस्थित होने लगीं। परिवहन तथा बीमे के व्यय में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप सोने का आयात-निर्यात पहले की अपेक्षा आसान हो गया था और विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण ही सोने का एक देश से दूसरे देश को आयात-निर्यात बढ़ने लगा। ऐसी परिस्थितियों में गरीब देशों ने अपनी सोने की कमी को देखते हुए सोने के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने शुरू कर दिये। ये प्रतिबन्ध स्वर्णमान के नियमों के विरुद्ध थे और इन्होंने स्वर्णमान के पतन में सहायता दी।

(10) संकटकाल में स्वर्णमान ने साथ नहीं दिया—जैसा पहले भी कहा जा चुका है, स्वर्णमान एक ऐसे मित्र की भाँति है जो संकट के समय साथ छोड़ देता है। वास्तव में, स्वर्णमान प्रणाली तो केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही प्रचलित रहती है। संकटकाल में यह प्रणाली प्रायः साथ नहीं देती। अतः बहुत-से देशों को संकट के समय विवश होकर इस मान का परित्याग करना पड़ा।

(11) युद्धोत्तर काल में आन्तरिक कीमतों में लोच का अभाव—जैसा विदित है, स्वर्णमान की सफलता के लिए आन्तरिक कीमत-स्तर में लोच (elasticity) का होना आवश्यक है। जब देश के स्वर्ण प्रारक्षण में स्वर्ण की मात्रा घट जाती है तो उसी अनुपात में मुद्रा को संकुचित करके कीमतों को घटाना आवश्यक होता है, परन्तु युद्धोत्तरकाल में उत्पादन लागतों की कमी करना कठिन हो गया था, क्योंकि श्रमिक संघ (Trade Unions) मजदूरी में कटौती किये जाने का तीव्र विरोध करते थे। यही कारण था कि सन् 1925 में ब्रिटेन के श्रमिक संघों के विरोध के परिणाम-स्वरूप उत्पादन लागतों में कमी करना सम्भव नहीं हो सका। दूसरे शब्दों में, स्वर्ण प्रारक्षण में सोने की मात्रा के कम हो जाने पर भी आन्तरिक कीमतों में कोई कमी नहीं की जा सकी। इस प्रकार स्पष्ट है कि युद्धोत्तरकाल में स्वर्णमान वाले देशों की आन्तरिक कीमतों में एक प्रकार की वेलोचकता (inelasticity) उत्पन्न हो गयी थी। यह वेलोचकता स्वर्णमान के लिए घातक सिद्ध हुई।

(12) स्वर्णमान के अन्तर्गत सभी देशों की पारस्परिक निर्भरता—जैसा हम जानते हैं, स्वर्णमान पर आधारित एक देश की आर्थिक स्थिति अन्य स्वर्णमान वाले देशों पर अपना प्रभाव अवश्य ही डालती है। यदि किसी स्वर्णमान वाले देश में मुद्रा-स्फीति (currency inflation) अथवा अवस्फीति (deflation) होती है तो अवश्य ही इस स्थिति का प्रभाव स्वर्णमान वाले अन्य देशों पर पड़ेगा, अर्थात् यदि एक देश में मुद्रा स्फीति हो जाती है तो अन्य देशों में भी मुद्रा-स्फीति के उत्पन्न होने का भय हो जाता है। स्वर्णमान के इस अवगुण के कारण कुछ देशों ने इसका परित्याग कर दिया क्योंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत उन्हें दूसरे देशों की नीतियों पर आश्रित रहना पड़ता था।

(13) विश्व के देशों में सहयोग का अभाव—जैसा विदित है स्वर्णमान की सफलता की एक आवश्यक शर्त यह है कि स्वर्णमान वाले सभी देशों ने बीच आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग हो और सभी देश मिल-जुलकर काम करें। परन्तु युद्धोत्तरकाल में स्वर्णमान वाले देशों में सहयोग का प्रायः अभाव ही रहा। प्रत्येक देश अपने स्वार्थों की पूर्ति में ही रूचि रखता था और किसी ने भी अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में स्वर्णमान का पतन अनिवार्य ही था।

स्वर्णमान एक स्वयंचालित मान था अथवा एक प्रबन्धित मान

(Was Gold Standard an Automatic or A Managed Standard ?)

स्वर्णमान एक स्वयंचालित मान था अथवा एक प्रबन्धित मान—इस विषय पर अर्थशास्त्रियों में एक प्रकार का विवाद चल रहा है। स्वर्णमान के समर्थकों का यह विचार है कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व स्वर्णमान पूर्णतः एक स्वयंचालित मान था, यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् इस मान की स्वयंचालकता में कुछ कमी हो गयी थी। (स्वर्णमान कैसे स्वयंचालित था, इसकी व्याख्या "स्वर्णमान के नियम" नामक उपविभाग में की गयी है) परन्तु स्वर्णमान के आलोचकों का यह विचार है कि यह मान कभी पूर्णतः स्वयंचालित नहीं रहा, बल्कि समय-समय पर इसको

संचालित करने के लिए सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। अतः उनके विचार से स्वर्णमान एक स्वयंचालित मान न होकर, एक प्रबन्धित मान ही था। उनके कथनानुसार इस मान के अन्तर्गत स्वर्ण या आयात-निर्यात बहुत कुछ केन्द्रीय बैंक की बैंक-दर-नीति (Bank Rate Policy) पर निर्भर करता था। इसी प्रकार देश के आन्तरिक कीमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय-दरों में पायी जाने वाली स्थिरता भी इस मान की स्वयंचालकता के कारण नहीं, बल्कि केन्द्रीय बैंक के हस्तक्षेप का ही परिणाम थी। आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता केन्द्रीय बैंक द्वारा अपनायी गयी खुले बाजार की नीति (open market operations) का ही परिणाम थी। युद्धोत्तरकाल में तो केन्द्रीय बैंको ने इस नीति का बड़े पैमाने पर उपयोग किया था। इस नीति को अपनाकर ही केन्द्रीय बैंको ने सोने के आयात-निर्यात का अपने देशों की आर्थिक स्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वर्णमान को संचालित रखने में देश के केन्द्रीय बैंक का बहुत बड़ा भाग रहता था। यह तो सत्य है कि स्वर्णमान के प्रारम्भिक काल में इसके संचालन में प्रबन्ध का अंश बहुत कम था। परन्तु समय बीतने के साथ-साथ इस मान को जारी रखने में केन्द्रीय बैंको का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। अतः यह स्पष्ट है कि स्वर्णमान एक स्वयंचालित मान न होकर एक प्रबन्धित मान ही था।

अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान (International Gold Standard)

स्वर्णमान के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि इसका घरेलू पहलू (domestic aspect) इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि इसका अन्तरराष्ट्रीय पहलू (international aspect) अर्थात् देशी मुद्रा के आधार के रूप में स्वर्णमान इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि अन्तरराष्ट्रीय मूल्यमान तथा विनिमय माध्यम के रूप में। जहाँ तक आन्तरिक मुद्रा का सम्बन्ध है, प्रत्येक देश अपनी मौद्रिक आवश्यकताओं को कागजी मुद्रा द्वारा सन्तुष्ट कर सकता था क्योंकि कागजी मुद्रा देश के नागरिकों द्वारा बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार की जाती थी। देश के नागरिकों को अपनी सरकार की वित्तीय क्षमता (financial capacity) में प्रायः पूर्ण विश्वास होता था और वे कागजी मुद्रा को सोने में बदलने पर प्रायः जोर नहीं देते थे। इस प्रकार जहाँ तक आन्तरिक मुद्रा का सम्बन्ध है वह तो बिना स्वर्ण के सिक्का के भी चलायी जा सकती थी। अतः देशी मुद्रा के रूप में स्वर्णमान का इतना उपयोग तथा महत्व नहीं था, परन्तु अन्तरराष्ट्रीय मूल्यमान तथा विनिमय माध्यम के रूप में स्वर्णमान का महत्व था। इसका कारण यह है कि कोई भी देश अपनी कागजी मुद्रा द्वारा अन्तरराष्ट्रीय भुगतान (international payments) नहीं कर सकता क्योंकि विदेशी लोग उसकी कागजी मुद्रा में प्रायः विश्वास नहीं रखते और उस अपनी वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। यही कारण था कि कुछ देशों ने आन्तरिक कठिनाइयाँ होने के नाते अन्तरराष्ट्रीय विनिमय माध्यम तथा अन्तरराष्ट्रीय मूल्य मापक है। इस प्रकार स्वर्णमान का महत्त्व उसकी अन्तरराष्ट्रीय उपयोगिता के कारण ही था।

अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(1) स्वर्ण अन्तरराष्ट्रीय विनिमय के माध्यम तथा मूल्यांकन का कार्य करता है—चूँकि स्वर्ण में सघनता का गुण है इसलिए यह अन्तरराष्ट्रीय विनिमय के माध्यम तथा मूल्यांकन का कार्य करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अन्तरराष्ट्रीय भुगतानों में स्वर्ण के प्रयोग से बहुत सुविधा रहती है। जिस देश के पास स्वर्ण कोष होता है उसे विदेशों से वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती।

(2) इस मान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता स्थापित की जा सकती है—अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाये रखी जा सकती है। इस मान के अधीन प्रत्येक देश अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के बराबर घोषित कर देता है और इसी मूल्य के आधार पर उस देश की मुद्रा की अन्य देशों की मुद्राओं से विनिमय दर निश्चित की जाती है। इस प्रकार विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि सभी देशों की मुद्राओं के मूल्य स्वर्ण में व्यक्त किये जाते हैं और स्वर्ण की कीमत में कोई

अधिक परिवर्तन नहीं होते। इसके अतिरिक्त, इस मान के अन्तर्गत एक पूर्व-निश्चित दर पर सरकार स्वर्ण के क्रय-विक्रय का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लेती है। परिणामतः यदि विदेशी विनिमय-दरों में उतार-चढ़ाव होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में स्वर्ण का स्थान्तरण होने लगता है और विनिमय-दरों में पुनः स्थिरता स्थापित हो जाती है। विनिमय-दरों की इस स्थिरता के कारण निर्यात-कर्ताओं तथा बैंकों आदि सभी को लाभ होता है।

(3) कीमत-स्तर में स्थिरता रहती है—अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के अन्तर्गत कीमतों में भी स्थिरता बनी रहती है जिससे देश के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। इसका कारण यह है कि इस मान के अधीन स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा अन्तरराष्ट्रीय कीमत-स्तर में संतुलन स्थापित हो जाता है।

(4) मुद्रा-स्फीति पर रोक—अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के अन्तर्गत देश में मुद्रा-स्फीति का भय नहीं रहता। इसका कारण यह है कि देश की मुद्रा स्वर्ण अथवा स्वर्ण पर आधारित मुद्रा में परिवर्तनशील होती है। इसलिए मुद्रा की पूर्ति सोने की पूर्ति से शासित होती है। इसी कारण अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान में जनता का विश्वास अधिक होता है।

(6) स्वयंचालकता—अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान स्वयंचालित होता है। इसमें सरकारी हस्तक्षेप की कोई विषय आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी देश अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के नियमों से परिचित होते हैं और उनका पालन करते हुए स्वर्णमान के संचालन में उन्हें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता।

(7) स्वर्ण का उचित वितरण—अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के परिणामस्वरूप विश्व के सभी देशों के बीच स्वर्ण का वितरण न्यायपूर्ण हो जाता है। जब तक ये देश ईमानदारी से स्वर्णमान के नियमों का पालन करते हैं तब तक इनमें स्वर्ण के कुवितरण (mal-distribution) का कोई भय नहीं रहता। परन्तु जब इन देशों द्वारा स्वर्णमान के नियमों की उल्लंघना की जाती है, तभी स्वर्ण के अन्यायपूर्ण वितरण की सम्भावना उत्पन्न होती है।

अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के अवगुण — इसके अवगुण निम्नलिखित हैं

(1) इसके अन्तर्गत आन्तरिक कीमत-स्तर की उपेक्षा की जाती है और विदेशी विनिमय-दरों की स्थिरता पर अधिक बल दिया जाता है—अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के आलोचकों का विचार है कि इसके अन्तर्गत विभिन्न देश विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता बनाये रखने के लिए आन्तरिक कीमत-स्तर में समन्वय-समय पर इस उद्देश्य से परिवर्तन करते रहते हैं कि इसका अन्तरराष्ट्रीय कीमत-स्तर से समन्वय बिया जा सके। इसका कारण यह है कि इस मान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय-दरों में अधिक परिवर्तन नहीं हो सकते, क्योंकि यदि विदेशी विनिमय-दरों में अधिक परिवर्तन होते हैं तो उन्हें स्वर्ण के हस्तान्तरण द्वारा सीमित किया जा सकता है। जब देश की विदेशी विनिमय-दर में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को देश के आन्तरिक कीमत-स्तर में समुचित परिवर्तन करके ठीक करना पड़ता है। जब अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान वाले देशों के आन्तरिक कीमत-स्तरों में अन्तर हो जाता है तब उन्हें विदेशी विनिमय-दरों की स्थिरता बनाये रखने के लिए अपने कीमत स्तरों में समानता लानी पड़ती है। इस प्रकार यदि किसी देश में कीमते दूसरे देशों की अपेक्षा नीचे गिर जाती हैं, तो उस देश को दूसरे देशों की कीमतों के साथ समानता स्थापित करने के लिए अपने कीमत-स्तर को ऊँचा करना पड़ता है। इस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय-दरों की स्थिरता बनाये रखने के लिए आन्तरिक कीमतों की स्थिरता की बलि देनी पड़ती है।

(2) इसके अन्तर्गत एक देश की आर्थिक स्थिरता दूसरे देश को स्थान्तरित हो जाती है—इस प्रणाली का एक बड़ा दोष यह है कि इसके अन्तर्गत स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा एक देश की आर्थिक अस्थिरता दूसरे देश को स्थान्तरित हो जाती है। यदि किसी देश से सोने का निर्यात होता है तो इस प्रणाली के अन्तर्गत उस देश में मुद्रा को सकुचित करना पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप उस देश की आन्तरिक कीमतें गिर जायेंगी और देश के निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके विपरीत, यदि किसी देश में सोने का आयात होता है तो इस प्रणाली के अन्तर्गत उस देश में मुद्रा का विस्तार करना पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप आन्तरिक कीमतें बढ़ जायेंगी

और देश के आयातों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा निर्यात हतोत्साहित होंगे। परिमाणत उस देश से स्वर्ण का निर्यात होने लगेगा। इस प्रकार सोने के आयात-निर्यात से आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, श्रमिकों में अशान्ति फैलती है, व्याज की दरों में परिवर्तन होते हैं तथा एक देश से दूसरे देश का पूँजी का स्थानान्तरण होने लगता है। इस प्रकार स्वर्णमान के अन्तर्गत सोने का निर्यात केवल उस देश को ही प्रभावित नहीं करता जिससे यह सम्बन्धित होता है, बल्कि स्वर्ण प्राप्त करने वाले देश की अर्थ-व्यवस्था को भी प्रभावित करता है।

(3) स्वर्ण की पूर्ति में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कीमतों में परिवर्तन होते रहते हैं—स्वर्णमान के अन्तर्गत देशों की आन्तरिक कीमतों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि नयी खानों की खोज के परिणामस्वरूप स्वर्ण के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तो इससे कीमतों में भी वृद्धि हो जायेगी। इसके विपरीत, यदि किसी कारणवश स्वर्ण के उत्पादन में कमी हो जाती है तो देश की आन्तरिक कीमतों में भी कमी हो जायेगी। 19वीं शताब्दी में आस्ट्रेलिया तथा अमरीका में सोने की नयी खानों की खोज के परिणामस्वरूप विश्व में सोने की पूर्ति बढ़ गयी थी फलतः सभी देशों में आन्तरिक कीमतें बढ़ गयी थी। इस प्रकार अन्तर-राष्ट्रीय स्वर्णमान (International Gold Standard) के अन्तर्गत विभिन्न देशों के आन्तरिक कीमत-स्तरो में स्थिरता का अभाव बना रहता है।

(4) इस मान के अन्तर्गत देश की आन्तरिक मुद्रा-नीति स्वतन्त्र नहीं रह सकती—इस मान का दोष यह भी है कि इसके अधीन कोई भी देश अपने हितों के अनुसार स्वतन्त्र मुद्रा-नीति नहीं अपना सकता, बल्कि उसकी मुद्रा-नीति पर बाहरी तत्वों का समय-समय पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है।

(5) यह प्रणाली खर्चीली तथा बेलाचदार है—यह प्रणाली अन्य प्रणालियों की तुलना में अधिक खर्चीली होती है क्योंकि इसके अन्तर्गत स्वर्ण, मुद्रा का आधार होता है। इसके साथ ही साथ इस प्रणाली में लोचकता का भी अभाव रहता है। इसका कारण यह है कि इसके अन्तर्गत मुद्रा की पूर्ति स्वर्ण की मात्रा से शासित होती है। दूसरे शब्दों में, बिना अधिक स्वर्ण कोष के अधिक मुद्रा का निर्गमन नहीं किया जा सकता।

स्वर्णमान का भविष्य

जैसा विदित है, सन 1931 में स्वर्णमान के सामान्य परित्याग के कुछ ही वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। युद्ध के दौरान लगभग सभी देशों में बड़े पैमाने पर अविनिमेय कागजी मुद्रा (Inconvertible Paper Currency) जारी की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप सभी देशों की आन्तरिक कीमतों में बहुत अस्थिरता उत्पन्न हो गयी थी। दूसरे विश्व युद्ध के अन्तिम वर्षों में युद्ध के पश्चात् स्थायी आधार पर शान्ति स्थापित करने की योजनायें बनायीं जाने लगीं। उस समय यह भी प्रश्न उठा कि विभिन्न देशों में मौद्रिक सहयोग (monetary co-operation) कैसे स्थापित किया जाय। इसी विषय के संदर्भ में कुछ लोगों द्वारा स्वर्णमान को पुनः स्थापित करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था। परन्तु युद्धोत्तरकाल में इस सुझाव को कार्यरूप में परिणत करना सम्भव न हो सका। इसका कारण यह था कि स्वर्णमान की पुनः स्थापना के लिए कुछ आधारभूत शर्तों को पूरा करना आवश्यक था। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं की जाती तब तक स्वर्णमान की कोई सम्भावना नहीं हो सकती थी। स्वर्णमान की पुनः स्थापना की आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं।

(1) स्वर्णमान को बहुत-से देशों द्वारा अपनाया जाय—स्वर्णमान तभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है जब इसे बहुत-से देशों (विशेषकर बड़े-बड़े देशों) द्वारा एक साथ अपनाया जाय। जैसा विदित है, स्वर्णमान अन्तरराष्ट्रीय विनिमय माध्यम तथा मूल्य मापन के रूप में बहुत ही उपयोगी कार्य कर सकता है। अतः इसे एक साथ बहुत-से देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

(2) विभिन्न देशों के स्वर्ण प्रारक्षण पर्याप्त होने चाहिए तथा सोने का अन्तरराष्ट्रीय बितरण अधिक समान होना चाहिए—स्वर्णमान की पुनः स्थापना के लिए यह भी आवश्यक है कि विभिन्न देशों के पास सोने के पर्याप्त प्रारक्षण होने चाहिए, क्योंकि सोने की पर्याप्त पूर्ति के

बिना कोई भी देश स्वर्णमान को नहीं अपना सकता। जिस देश के पास स्वर्ण का अभाव रहता है वह स्वर्णमान के अन्तर्गत अपने अन्तरराष्ट्रीय भुगतान नहीं कर सकता। अतः स्वर्णमान के लिए यह भी आवश्यक है कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच सोने का अधिक समान तथा न्यायपूर्ण वितरण हो।

(3) स्वर्णमान के नियमों का पालन किया जाय—जैसा हम देख चुके हैं, स्वर्णमान के पालन का मुख्य कारण यह था कि विभिन्न देशों ने ईमानदारी से स्वर्णमान के नियमों का पालन नहीं किया था। अतएव अब इसकी पुनः स्थापना के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि विभिन्न देशों द्वारा इसके नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाय। स्वर्ण के आयात-निर्यात पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाय तथा विभिन्न देशों के स्वर्ण प्रारक्षणों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार उनकी मुद्रा-पूर्तियों में भी परिवर्तन किये जायें, अर्थात् स्वर्ण के आयात-निर्यात का देश की आन्तरिक कीमतों पर पूर्ण प्रभाव पड़ने दिया जाय। इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न देशों की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था लोचपूर्ण हो।

(4) विदेशी व्यापार की स्वतन्त्रता—स्वर्णमान की पुनः स्थापना के लिए यह भी आवश्यक है कि विभिन्न देशों द्वारा मुक्त व्यापार (free trade) की नीति अपनायी जाय और देशों के आयातों तथा निर्यातों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाय। मुक्त व्यापार नीति के अन्तर्गत ही स्वर्ण का निर्वाह आयात-निर्यात सम्भव हो सकता है और जैसा पहले कहा गया है, स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए स्वर्ण का निर्वाह आयात-निर्यात एक आवश्यक शर्त है।

(5) अन्तरराष्ट्रीय ऋणों की मात्रा कम की जाय—स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए अन्तरराष्ट्रीय ऋणों की मात्रा में भी कमी होनी चाहिए, अर्थात् एक देश का दूसरे देश पर ऋण का बोझ अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी देश पर अत्यधिक विदेशी ऋण है, तो उस देश के निर्यातों का बहुत बड़ा अंश विदेशी ऋणों के भुगतान में ही खप जायगा और उस देश को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से वस्तुएँ प्राप्त करना कठिन हो जायगा। ऐसी परिस्थिति में उस देश को आयातित वस्तुओं के बदले में सोना बाहर भेजना पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप उस देश की स्वर्ण-पूर्ति कम हो जायगी और अन्ततः उमें स्वर्णमान को त्यागना पड़ेगा।

(6) राजनीतिक स्थिरता—स्वर्णमान को पुनः स्थापना की एक आवश्यक शर्त यह भी है कि विभिन्न देशों में पूर्णरूप से राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। इसका कारण यह है कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण माधारण जनता में भविष्य के बारे में अनिश्चितता तथा भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और लोगों में धन संचय की प्रवृत्ति कार्यशील हो उठती है। विदेशी पूंजी का आयात कम हो जाता है। देश के स्वर्ण प्रारक्षणों पर बोझ बढ़ जाता है और अन्त में विवश होकर सरकार को स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ता है।

(7) आन्तरिक मुद्रा-प्रणाली में लोचकता—स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए यह भी आवश्यक है कि विभिन्न देशों की आन्तरिक मुद्रा-प्रणालियों में लोचकता का अंश विद्यमान हो। इसका कारण यह है कि यदि मुद्रा-प्रणाली में कठोरता अथवा कठोरता पायी जाती है, तो अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार वह अपने आपको ढालने में असमर्थ रहेगी और अन्ततः स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ेगा।

(8) विभिन्न देशों के बीच मौद्रिक सहयोग होना चाहिए—स्वर्णमान स्वयंचालित नहीं रह सकता है जब इस मान को अपनाते वाले विभिन्न देशों में पूर्णरूप से मौद्रिक सहयोग हो। इसका कारण यह है कि अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के बिना स्वर्णमान की स्वयंचालकता समाप्त हो जाती है और अन्ततः इसका परित्याग करना पड़ता है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या आधुनिक संसार में उपर्युक्त शर्तें पूरी की जा सकती हैं? जैसा हम देख चुके हैं, इस समय विश्व के सभी देशों में आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism) का बोलबाला है। सभी देश अपने समुचित स्वार्थों से ही चिपटे हुए हैं और निकट भविष्य में ऐसी कोई सम्भावना दिखायी नहीं देती कि ये देश किसी प्रकार की उदार नीति

का अनुकरण कर सकेंगे, प्रा० क्राउथर (Crowther) ने सत्य ही कहा है कि आज की स्वार्थी वाणिज्यिक प्रणाली के युग में कोई भी अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-प्रणाली सफल नहीं हो सकती। डॉ० केन्ज (Dr Keynes) तथा प्रो० कैसेल (Prof. Cassell) जैसे विद्वान अर्थशास्त्रियों के मता-नुसार सोने के मूल्य में अस्थिरता के कारण भविष्य में स्वर्णमान की पुनः स्थापना की बहुत कम सम्भावना दिलायी जाती है। इसी कारण उन्होंने स्वर्णमान के स्थान पर प्रबन्धित कागजी मुद्रा प्रणाली (Managed Paper Currency System) का ही समर्थन किया था। इसके अतिरिक्त, जैसा हम पहले कह चुके हैं, विश्व में इस समय स्वर्ण का वितरण अत्यन्त असमान तथा अन्धाय-पूर्ण है। अकेले अमरीका के पास ही विश्व के कुल सोने के स्टॉक का तीन-चौथाई भाग केन्द्रित है। ऐसी परिस्थिति में स्वर्णमान का विभिन्न देशों द्वारा अपनाया जाना असम्भव-सा प्रतीत होता है। इसके अलावा, इस समय ऐसी कोई सम्भावना नहीं दिखायी जाती है कि विश्व के विभिन्न देश अपनी वर्तमान सकुचित सरक्षणात्मक नीतियों को छोड़कर मुक्त व्यापार की नीति अपनाने के लिए तैयार हो जायेंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्वर्णमान को पुराने, परम्परागत रूप में पुनः स्थापित करना सम्भव नहीं है।

स्वर्णमान और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष

(Gold Standard and International Monetary Fund)

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग सभी देशों ने बड़े पैमाने पर अविनिमय कागजी मुद्रा का निर्गमन किया था। इस प्रकार लगभग सभी देशों में प्रबन्धित कागजी मुद्रामान अपनाया गया था। परन्तु प्रबन्धित कागजी मुद्रामान में दो बड़े दाव पाये गये थे। प्रथम, इस मान के अन्तर्गत मुद्रा के अत्यधिक मात्रा में जारी किये जाने की संदेह सम्भावना रहती थी। इस कारण इस मान में जनना का विश्वास अधिक नहीं था। दूसरे इस मान के अन्तर्गत विभिन्न देशों को अन्तरराष्ट्रीय भुगतान करने में कठिनाई होती थी। इसका कारण यह था कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की कागजी मुद्रा को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता था। प्रबन्धित कागजी मुद्रामान की उपर्युक्त कठिनाइयों पर विचार करने के लिए सन् 1944 में अमरीका में ब्रेटन वूड्स (Bretton Woods) नामक स्थान पर एक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन ने एक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा सहयोग की योजना तैयार की जिस दाद में चतुर्क बहुल से देशों ने स्वीकार कर लिया था। इस योजना के अन्तर्गत दो अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गयी थी। प्रथम अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund)। द्वितीय अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (International Bank for Development and Reconstruction)। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार थे—विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापना करना, अन्तरराष्ट्रीय कीमतों में स्थायित्व लाना तथा पिछड़े हुए एवं अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में सहायता देना। इस योजना के अन्तर्गत स्वर्णमान के सभी लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। परन्तु स्वर्णमान के दोषों को अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। प्रत्येक देश एक स्वतन्त्र मौद्रिक नीति अपना सकता है। इस योजना के अन्तर्गत सोने को भी अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। प्रत्येक देश की आन्तरिक मुद्रा कागजी नोटों तथा हल्की व निष्कृष्ट धातुओं के बने हुए प्रतीक सिक्कों की होती है। विभिन्न देश अपने अन्तरराष्ट्रीय भुगतान अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा करते हैं। स्पष्ट है, इस योजना के अन्तर्गत पुराने, परम्परागत स्वर्णमान की स्थापना तो नहीं हो सकती, परन्तु स्वर्ण को अन्तरराष्ट्रीय कीमत स्तर तथा विदेशी विनिमय-दरों का आधार अवश्य बना दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य-देश आवश्यकतानुसार अपनी मुद्रा की विदेशी विनिमय-दर में कोष की अनुमति से परिवर्तन कर सकता है। इस नयी व्यवस्था में स्वर्ण का स्थान निम्न प्रकार है

(1) प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपने होंटे का 25 प्रतिशत या अपने सोने के स्टॉक का 10 प्रतिशत सोने के रूप में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष में जमा करना होता है।

(2) जैसा पहले कहा गया है, प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपनी मुद्रा की इकाई का मूल्य सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर घोषित करना पड़ता है, और इसी घोषित मूल्य के आधार पर ही उस देश की मुद्रा की विनिमय-दर निर्धारित की जाती है।

(3) जब अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के पास किसी दुर्लभ मुद्रा (Scarce Currency) का अभाव हो जाता है, तब कोष इस मुद्रा को सोने के बदले में खरीद सकता है।

रजतमान (Silver Standard)

रजतमान चीन तथा भारत में काफी लम्बे समय तक प्रचलित रहा है। 19वीं शताब्दी में कुछ अन्य देशों में भी इसे अपनाया था। भारत ने सन् 1893 और चीन ने सन् 1935 में इस मान का परित्याग कर दिया था।

इस मान के अन्तर्गत देश में चाँदी के सिक्कों का प्रचलन होता है। ये सिक्के एक निश्चित वजन तथा शुद्धता (fineness) के होते हैं। सिक्कों की दलाई खुली सिक्का दलाई प्रणाली के आधार पर होती है और ये सिक्के असोमित विधिग्राह्य होते हैं। इस मान के अधीन चाँदी के आयात-निर्यात पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता।

भारत में यह प्रणाली सन् 1835 से 1893 तक प्रचलित रही थी। इस अवधि में हमारा भारत का प्रमुख सिक्का था। इसका टकण खुली सिक्का दलाई के आधार पर होता था। इसका वजन 180 ग्रैन और इसकी शुद्धता $\frac{7}{8}$ थी। जनता को यह अधिकार था कि वह चाँदी को टकसाल में ले जाकर उसके सिक्के दलवा ले। इसी प्रकार जनता को यह भी स्वतन्त्रता थी कि वह रुपयों को गलाकर धातु निकाल ले। सन् 1874 तक यह प्रणाली भारत में मुचाए ढग से कार्य करती रही। परन्तु सन् 1874 के लगभग विश्व में चाँदी की कीमतें गिरनी शुरू हो गयी। इसके दो प्रमुख कारण थे—प्रथम, मेक्सिको (Mexico) में चाँदी की नयी खानों की खोज की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप विश्व में चाँदी की पूर्ति बहुत बढ़ गयी थी। दूसरे, इसी अवधि में कुछ देशों ने रजतमान को छोड़कर स्वर्णमान को अपना लिया था जिसके परिणामस्वरूप चाँदी की माँग पहले की अपेक्षा कम हो गयी थी। इसके साथ ही साथ इन देशों में चाँदी के सिक्कों को गला कर चाँदी की पूर्ति में वृद्धि की गयी थी। चाँदी के मूल्य में निरन्तर कमी होते रहने के फलस्वरूप भारत सरकार के लिए चाँदी की खुली सिक्का दलाई को बनाये रखना दिन-प्रतिदिन कठिन होता चला गया। इसका कारण यह था कि जनता बाजार में ये सस्ती चाँदी खरीदकर उसके बदले टकसाल में से सिक्के ले लिया करती थी। परिणामतः भारत में मुद्रा की मात्रा में तीव्र वृद्धि होने लगी। वस्तुओं की कीमतें बढ़ गयीं। देश की अर्थ व्यवस्था पर कीमतों की इस वृद्धि के गम्भीर परिणाम हुए थे। प्रथम, भारत का वदेशीय शेष (balance of payments) प्रतिकूल हो गया, क्योंकि कीमतों की वृद्धि के कारण आयात बढ़ गये परन्तु निर्यातों में काफी कमी हो गयी थी। दूसरे, भारत सरकार के गृह-व्ययों (home charges) के भार में भी वृद्धि हो गयी जिसके फल स्वरूप भारत सरकार के लिए अपने बजट को सन्तुलित बनाये रखना कठिन हो गया। भारत सरकार ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए अधिक कर लगाने की व्यवस्था की। परन्तु इसके बावजूद सरकार का बजट सन्तुलित न हो सका। सन् 1893 में हर्शल कमेटी (Herschell Committee) के सुझाव पर भारत सरकार ने चाँदी की खुली दलाई बन्द कर दी। इस प्रकार सन् 1893 में भारत में रजतमान समाप्त हो गया और इसके स्थान पर स्वर्ण विनिमय मान को अपनाया गया था।

रजतमान तथा स्वर्णमान के नियमों तथा कार्य-प्रणालियों में कोई विशेष अन्तर नहीं होता, परन्तु रजतमान में मुद्रा की आन्तरिक तथा बाह्य कीमतों में प्रायः अस्थिरता रहती है। इसका कारण यह है कि स्वर्ण की अपेक्षा चाँदी के मूल्य में अधिक उतार-चढ़ाव होने रहते हैं।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. स्वर्णमान की मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या हैं ? (आगरा, 1970)

अथवा

स्वर्णमान की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए और उसके गुण-दोष बताइए।

[सकेत—प्रथम भाग में, स्वर्णमान की परिभाषा देते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, स्वर्णमान के गुणों तथा दोषों की व्याख्या कीजिए।]

2. स्वर्णमान तथा स्वर्ण धातुमान में क्या अन्तर है। स्वर्ण विनिमय मान के गुणों और दोषों पर प्रकाश डालिए। (आगरा, बी, कॉम०, 1964)

[सकेत—प्रथम भाग में, स्वर्ण मुद्रामान तथा स्वर्ण मात्रा (धातु) मान की परिभाषाएँ देते हुए इन दोनों का अन्तर विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में, स्वर्ण विनिमय मान की विशेषताएँ संक्षेप में देते हुए इसके गुणों व दोषों की व्याख्या कीजिए।]

3. स्वर्ण मुद्रामान के प्रयोग का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसकी विफलता तथा पतन के क्या कारण थे। (आगरा, बी० कॉम, 1959, राजस्थान, बी० कॉम, 1958)

[सकेत—प्रथम भाग में, अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान की परिभाषा देते हुए इसके मुख्य गुणों व दोषों की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, स्वर्णमान के पतन के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए।]

4. स्वर्णमान के संचालन में किन-किन नियमों का पालन करना आवश्यक है? यह बताइए कि इन नियमों का पालन न करने से किस प्रकार सन् 1931 में स्वर्णमान टूट गया था? (विक्रम, 1960)

अथवा

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

“स्वर्णमान खेल” के नियम

[सकेत—प्रथम भाग में, स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए आवश्यक तीन नियमों का विवेचन कीजिए, अर्थात् प्रथम, मुक्त व्यापार की नीति अपनायी जाय, दूसरे, स्वर्ण का आयात निर्यात स्वतन्त्र होना चाहिए, और तीसरे देश की अर्थ व्यवस्था लोचपूर्ण होनी चाहिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि सन् 1931 में पूर्व किस तरह विभिन्न देशों द्वारा इन तीनों का उल्लंघन किया गया था।]

5. स्वर्णमान के कार्यों पर प्रकाश डालिए। क्या प्रवर्धित पत्र चलनमान इससे अच्छा है? कारण दीजिए। क्या स्वर्णमान पुनः स्थापित किया जा सकता है? (विहार, 1958, राजस्थान, 1958)

[सकेत—प्रथम भाग में स्वर्णमान की परिभाषा देते हुए इसके मुख्य दो कार्यों पर प्रकाश डालिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि किस प्रकार प्रवर्धित पत्र चलनमान स्वर्णमान की तुलना में अच्छा होता है। संक्षेप में यह बताइए कि प्रवर्धित पत्र चलनमान लोचपूर्ण होता है और इसमें बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है। तीसरे भाग में, यह बताइए कि स्वर्णमान को पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि आज की दुनिया में स्वर्णमान की आवश्यक शर्तों को पूरा करना कठिन है।]

6. स्वर्ण मान के त्याग देने के कारणों का वर्णन कीजिए। इसे पुनः स्थापित करना कहाँ तक सम्भव एवं वाछनीय है? (पटना बी० कॉम० 1961)

[सकेत—प्रथम भाग में स्वर्णमान के पतन के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि स्वर्णमान की पुनः स्थापना वाछनीय तो है परन्तु सम्भव नहीं क्योंकि आधुनिक युग में इसकी आवश्यक शर्तों को पूरा करना कठिन है।]

7. निम्न में अन्तर स्पष्ट कीजिए :

(अ) स्वर्ण चलनमान और स्वर्ण पाटमान,

(ब) गोल्ड एक्सचेंज स्टेण्डर्ड और डॉलर एक्सचेंज स्टेण्डर्ड।

(आगरा 1966 1972)

[सकेत—(अ) स्वर्ण चलनमान (स्वर्ण मुद्रा मान) तथा स्वर्ण पाटमान (स्वर्ण धातुमान) के अन्तर के लिए प्रश्न 2 के उत्तर को देखिए।]

(ब) गोल्ड एक्सचेन्ज स्टैण्डर्ड (स्वर्ण विनिमय मान) के अन्तर्गत आन्तरिक मुद्रा तो कागजी नोटो एव प्रतीक सिक्को की होती है लेकिन विदेशी भुगतानों के लिए यह मुद्रा एक ऐसी मुद्रा में परिवर्तनीय होती है जो स्वर्ण पर प्रत्यक्षत आधारित होनी है, अर्थात् स्वर्ण में बदली जा सकती है। इसके विपरीत, डॉलर एक्सचेन्ज मान (डॉलर विनिमय मान) के अधीन आन्तरिक मुद्रा विदेशी भुगतानों के लिए डॉलरों में परिवर्तनीय होती है।]

8. स्वर्णमान के कार्य-यन्त्रण का वर्णन कीजिए। क्या अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना स्वर्णमान का पुनः लौटना है ?

[संकेत—प्रथम भाग में, स्वर्णमान के कार्य-यन्त्रण से सम्बन्धित तीन नियमों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। (देखिए, प्रश्न 4)। दूसरे भाग के लिए, “स्वर्णमान और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष” नामक उपविभाग उपर्युक्त अध्याय में देखिए।]

9. “स्वर्णमान यह युक्ति है जिसके द्वारा विनिमय दरों की स्थिरता को कायम रखा जाता है।” (क्राऊजर) इस कथन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। (आगरा, 1974)

[संकेत—यहाँ पर आप विस्तृत रूप में स्पष्ट कीजिए कि स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा किस प्रकार दो देशों के बीच विनिमय-दरों को स्थिर बनाये रखा जा सकता है। देखिये उपर्युक्त अध्याय। लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है जब स्वर्णमान के मूलभूत नियमों का पालन किया जाय।]

10. “स्वर्णमान ईर्ष्यालु बेव है। वह उस परिस्थिति में कार्य करता है जब उसकी तन-धन से सेवा की जाय।” (क्राऊजर) इस कथन की विवेचना कीजिए। (आगरा, पू० 1975)

[संकेत—प्रथम भाग में, स्वर्णमान की परिभाषा एव विशेषताओं का सक्षिप्त विवरण देते हुए यह बताइये कि यह मान तभी सफलतापूर्वक कार्य करता है जब इसके तीन नियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाये। उक्त तीन नियमों की जानकारी के लिये उपर्युक्त अध्याय को देखिये।]

5

कागजी मुद्रामान अथवा प्रबन्धित मुद्रामान (Paper Currency Standard or Managed Currency Standard)

कागजी मुद्रामान को कुछ अर्थशास्त्रियों ने प्रबन्धित मुद्रामान भी कहा है। इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा ही देश की मुख्य मुद्रा होती है। इसीलिए यह अपरिमित विधिप्राप्त होती है। परन्तु छोटी-छोटी रकमों के भुगतान के लिए हल्की व निकृष्ट धातुओं के सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कागजी मुद्रा का मूल्य न तो सोने, न चाँदी और न ही अन्य किसी धातु में निर्धारित किया जाता है। कागजी मुद्रा किसी मूल्यवान धातु में भी परिवर्तनशील नहीं होती। इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा-नियन्त्रक (Controller of Currency) मुद्रा की पूर्ति को नियमित (regulate) करता है और इस प्रकार मुद्रा के मूल्य को नियन्त्रित करने का प्रयत्न करता है। स्मरण रहे, यह प्रणाली स्वर्णमान की भाँति स्वयंचालित (automatic) नहीं होती, बल्कि इसे चालू रखने के लिए मुद्रा-नियन्त्रक (सरकार) के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। देश के आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता बनाये रखने के लिए मुद्रा-नियन्त्रक मुद्रा की बढ़ती अपवा घटती हुई माँग के अनुसार उसकी पूर्ति में परिवर्तन करता रहता है। स्पष्ट है कि कागजी मुद्रामान के अधीन कागजी मुद्रा के पीछे किसी भी प्रकार के धात्विक कोष (metallic reserves) नहीं रखे जाते। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I M F) की स्थापना से पूर्व ये देश विदेशी भुगतानों को चुकाने के लिए स्वर्ण प्रारक्षणों की व्यवस्था किया करते थे। परन्तु अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना के बाद कागजी मुद्रा-प्रणाली वाले देशों ने विदेशी भुगतानों को चुकाने के लिए स्वर्ण प्रारक्षण रखना बन्द कर दिया है।

सन् 1931 के स्वर्णमान के सामान्य परित्याग (general abandonment) के उपरान्त विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों ने कागजी मुद्रामान को ही अपनाया था। वास्तव में, वर्तमान युग कागजी मुद्रामान का ही युग है। पहले कागजी मुद्रामान को केवल सकट के समय ही अपनाया जाता था, परन्तु अब साधारण परिस्थितियों में भी इस मान को अपनाया जाता है। इस प्रकार कागजी मुद्रामान आज एक महत्वपूर्ण मुद्रा प्रणाली बन गयी है।

कागजी मुद्रामान की विशेषताएँ—इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(1) कागजी मुद्रा देश की प्रमुख मुद्रा होती है—कागजी मुद्रा देश की प्रमुख मुद्रा होने के नाते अपरिमित विधिप्राप्त होती है। परन्तु छोटी-छोटी राशियों के भुगतान के लिए हल्की व निकृष्ट धातुओं के सिक्कों का प्रयोग किया जाता है, किन्तु ये सिक्के परिमित विधिप्राप्त होते हैं।

(2) कागजी मुद्रा का मूल्य स्वतन्त्र रूप से निश्चित होता है—इस प्रणाली के अन्तर्गत, कागजी मुद्रा विधान के अनुसार किसी भी मूल्यवान धातु में परिवर्तनीय नहीं होती। अतः इसके निर्गमन के पीछे स्वर्ण तथा चाँदी के कोषों का रखना आवश्यक नहीं होता।

(3) इस प्रणाली में मुद्रा का प्रबन्ध अथवा नियमन सरकार या मुद्रा अधिकरण द्वारा होता है—मुद्रा का नियमन अथवा प्रबन्ध करते समय सरकार का उद्देश्य यह होता है कि आन्तरिक

कीमत-स्तर में यथासम्भव स्थिरता बरनी रहे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार मुद्रा की पूर्ति में आवश्यक परिवर्तन करती रहती है। मुद्रा की पूर्ति को उसकी माँग के बराबर रखकर कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित की जाती है।

(4) इस प्रणाली में विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए स्वर्ण प्रारक्षणों की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि विदेशी लोग देश की मुद्रा को प्रायः स्वीकार नहीं करते, इसलिए कागजी मुद्रामान वाले देश को विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए अवश्य ही कुछ स्वर्ण कोष में रखना पड़ता है। परन्तु अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना के पश्चात् अब कागजी मुद्रामान वाले देश को अन्तरराष्ट्रीय ऋणों के भुगतान के लिए कोष में स्वर्ण रखने की आवश्यकता नहीं है।

कागजी मुद्रामान के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(1) आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता—इस प्रणाली के अन्तर्गत, सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक देश की आवश्यकतानुसार मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करके आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित कर सकती है, उदाहरणार्थ, यदि व्यापार तथा वाणिज्य के विकास के कारण देश में मुद्रा की माँग बढ़ जाती है तो बिना अपने पास स्वर्ण-कोष रखे सरकार मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा सकती है। इस प्रकार मुद्रा की माँग तथा पूर्ति में सन्तुलन बनाकर आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित की जा सकती है।

(2) मुद्रा-प्रणाली के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत देश की मुद्रा किसी धातु पर निर्भर नहीं करती, इसलिए सरकार मुद्रा-प्रणाली के प्रबन्ध में स्वतन्त्र रहती है और अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी मुद्रा का प्रबन्ध करती है।

(3) देश में उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग सम्भव हो सकता है जैसा पहले कहा जा चुका है, श्रीमती जॉन रोबिन्सन (Mrs Joan Robinson) के अनुसार स्वर्णमान का झुकाव प्रायः मुद्रा संकुचन (currency contraction) की ओर होता है, जिसके परिणामस्वरूप देश में बेरोजगारी फैल जाती है और उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। परन्तु कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत प्रत्येक देश अपनी मुद्रा-स्फीति का निर्धारण इस ढंग से करता है कि देश में उत्पादन के सभी साधनों का पूर्ण उपयोग सम्भव हो सके और ऐसा करने के लिए सरकार के सामने किसी प्रकार की बाधाएँ नहीं होती। जैसा ऊपर कहा गया है—कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत प्रत्येक देश की सरकार अपनी मुद्रा-नीति का निर्धारण करने में स्वतन्त्र होती है। इस प्रकार कागजी मुद्रामान देश के आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने का उत्तम साधन माना जा सकता है।

(4) मुद्रा-प्रणाली में लोच—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत देश की सरकार आवश्यकतानुसार मुद्रा की मात्रा में घट-बढ़ कर सकती है, इसलिए इस मान में लोचकता का अर्थ विद्यमान रहता है। यह लोचकता अन्य प्रणालियों में इस मात्रा तक नहीं पायी जाती।

(5) देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था को बाहरी अस्थिरता के प्रभाव से बचाया जा सकता है इस प्रणाली का एक गुण यह भी है कि इसके अन्तर्गत देश की अर्थ-व्यवस्था अन्य देशों की आर्थिक अस्थिरता के बुरे प्रभावों से मुक्त रखी जा सकती है। जैसा हम देख चुके हैं स्वर्णमान में यह गुण प्रायः नहीं पाया जाता। इसके अन्तर्गत, एक देश की मन्दी शीघ्र ही दूसरे देशों में फैल जाती है, परन्तु कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत ऐसा नहीं हो सकता।

कागजी मुद्रामान के दोष इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) मुद्रा स्फीति का भय—कागजी मुद्रामान का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें मुद्रा-स्फीति का भय सदा बना रहता है। इसका कारण यह है कि देश की मुद्रा किसी धातु से सम्बन्धित नहीं होती। अतः मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना आसान होता है। सरकार बिना धात्विक कोष रखे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर सकती है। आर्थिक तन्त्र अथवा युद्ध के समय सरकार प्रायः अत्यधिक मात्रा में नोट छापकर अपना व्यय पूरा करने का प्रयत्न करती है। इससे मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है और देश की अर्थ-व्यवस्था में गम्भीर परिणाम दृष्टिगोचर होने लगते हैं। कुछ वर्षों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है और अन्ततः उनका मुद्रा-प्रणाली में से विश्वास उठ जाता है। धातुमान में चाहे कितने ही दोष क्यों न हों परन्तु कम से कम उसमें मुद्रा-स्फीति का दोष

नहीं है। इसका कारण यह है कि धातुमान में बिना आवश्यक धातु कोष में रखे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती।

(2) आन्तरिक कीमतों में अस्थिरता—इस प्रणाली के अन्तर्गत, देश की आन्तरिक कीमतों में भारी परिवर्तन होते रहते हैं। चूँकि कागजी मुद्रा का यथार्थ मूल्य (intrinsic value) कुछ भी नहीं होता, इसलिए उसके मूल्य की गिरावट की भी कोई अन्तिम सीमा नहीं होती, अर्थात् कागजी मुद्रा का मूल्य कुछ विशेष परिस्थितियों में शून्य तक के बराबर हो सकता है। परन्तु धातुमान के अन्तर्गत, मुद्रा का मूल्य शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि धातु-सिक्कों का मूल्य उनके यथार्थ मूल्य से नीचे नहीं गिर सकता। अतएव कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत आन्तरिक कीमतें किसी भी सीमा तक बढ़ सकती हैं, अथवा मुद्रा का मूल्य किसी भी सीमा तक नीचे गिर सकता है।

(3) विदेशी विनिमय-दरों में अस्थिरता—चूँकि कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत, देशी मुद्रा का धातु के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता, इसलिए इसकी विदेशी विनिमय-दर में भारी उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, किन्तु स्वर्णमान के अन्तर्गत ऐसा नहीं हो सकता। स्वर्णमान के प्रत्येक देश की मुद्रा स्वर्ण से सम्यन्धित होती है। चूँकि स्वर्ण की कीमत में अधिक परिवर्तन नहीं होते, इसलिए स्वर्णमान के अन्तर्गत विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय-दरें भी प्रायः स्थिर ही रहती हैं। परन्तु जैसा कहा गया है कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय-दरों में बहुत अधिक मात्रा में परिवर्तन हो सकते हैं। परिणामतः इस मान के अन्तर्गत, विदेशी व्यापार में कई प्रकार की बाधाएँ उपस्थित होती रहती हैं। कागजी मुद्रामान के इस दोष को दूर करने के लिए ही आजकल लगभग सभी देशों में विनिमय-नियन्त्रण (exchange control) नीति का आश्रय लिया जाता है।

(4) एक देश की आर्थिक दशा का दूसरे देशों पर प्रभाव—जिस प्रकार स्वर्णमान के अधीन एक देश की आर्थिक दशा का प्रभाव स्वर्णमान वाले सभी देशों पर पड़ता है, उसी प्रकार यदि सभी देशों में कागजी मुद्रामान का प्रचलन है तो एक देश का आर्थिक संकट दूसरे देशों की अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकता।

(5) स्वयंचालकता का अभाव—स्वर्णमान की भाँति कागजी मुद्रामान स्वयंचालित नहीं होता, बल्कि इसको चालू रखने के लिए सरकार को समय-समय पर हस्तक्षेप करना पड़ता है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, सन् 1931 में स्वर्णमान के सामान्य परित्याग के उपरान्त लगभग सभी प्रमुख देशों ने कागजी मुद्रामान को अपनाया था। परन्तु इस प्रणाली के अपनाये जाने के परिणामस्वरूप विदेशी व्यापार तथा अन्तरराष्ट्रीय लेन-देन में कई प्रकार की उलझने उत्पन्न हो गयी थीं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उक्त उलझने और भी गम्भीर हो गयी थीं। अतएव कागजी मुद्रामान की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सन् 1944 में ब्रैटन वुड्स (Bretton Woods) नामक स्थान पर एक अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन (International Monetary Conference) आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन ने एक योजना तैयार की, जिसके अन्तर्गत दो अन्तरराष्ट्रीय सस्थाओं की स्थापना की गयी—अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I. M. F.) तथा अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (I. B. R. D.)। इन दोनों सस्थाओं की स्थापना के कारण कागजी मुद्रामान की कठिनाइयों काफी मात्रा में कम हो गयी हैं। आजकल विभिन्न देश अन्तरराष्ट्रीय भुगतान इन सस्थाओं के माध्यम से ही करते हैं। इन सस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय कीमत-स्तरों में स्थिरता लाना, विदेशी विनिमय-दरों में स्थायित्व स्थापित करना, विदेशी पूँजी के आयात-निर्यात में सहायता देना, पिछड़े तथा अल्प-विकसित देशों के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करना, अन्तरराष्ट्रीय ऋणों को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एवं मौद्रिक सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इस प्रकार इन अन्तरराष्ट्रीय सस्थाओं ने कागजी मुद्रामान के प्रमुख दोषों को बहुत कुछ समाप्त कर दिया है।

कागजी मुद्रा का निर्गमन कौन करे ?

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कागजी मुद्रा का निर्गमन कौन करे ? आरम्भ से ही यह विवाद का विषय रहा है कि नोटों का निर्गमन सरकार द्वारा किया जाय अथवा बैंकों द्वारा। इसके साथ ही साथ अर्थशास्त्रियों में इस विषय पर भी मतभेद है कि यदि बैंकों को कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार दिया जाता है तो क्या यह अधिकार देश के केन्द्रीय बैंक को मिलना

चाहिए अथवा एक ही साथ बहुत-से बैंको को। कुछ अर्थशास्त्री इस विषय पर सहमत हैं कि नोट-निर्गमन का एकाधिकार सरकार को दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत, कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि नोट-निर्गमन का अधिकार देश के केन्द्रीय बैंक को दिया जाना चाहिए। आज भी यह विवाद समाप्त नहीं हो सता है, हालाँकि नोट-निर्गमन पर सरकारी नियन्त्रण के सिद्धान्त को सभी अर्थशास्त्री स्वीकार करते हैं।

सरकार द्वारा नोट-निर्गमन के पक्ष में तर्क—सरकार द्वारा नोटों के निर्गमन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं :

(1) **जनता का विश्वास**—चूँकि सरकार की सलाह अधिक ऊँची होती है, इसलिए सरकार द्वारा निर्गमित नोट बैंको द्वारा छापे गये नोटों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। सरकार द्वारा छापे गये नोटों के पीछे सरकार की सम्पत्ति की आड़ (cover) होती है। अतएव सरकारी नोटों में अविश्वास का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) **परिवर्तनशीलता**—चूँकि सरकार द्वारा छापे गये नोटों के पीछे सरकार की समूची सख तथा प्रतिष्ठा होती है, इसलिए नोटों की आड़ में किसी प्रकार के धातु-कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु बैंको द्वारा छापे गये नोटों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बैंको की सख इतनी उँची नहीं हो सकती जितनी कि सरकार की। अतएव बैंको को नोटों के पीछे धातु-कोष (metallic reserves) रखने पड़ते हैं, परन्तु इसके बावजूद बैंक-नोटों में इतनी सुरक्षा (security) नहीं होती, जितनी कि सरकार द्वारा छापे गये नोटों में होती है।

(3) **मुद्रा-प्रणाली का श्रेष्ठ प्रबन्ध**—बैंको की तुलना में सरकार के पास मुद्रा-प्रणाली का प्रबन्ध करने की अनेक सुविधाएँ रहती हैं, क्योंकि सरकार के सगठन-सम्बन्धी साधन बैंको की अपेक्षा अधिक सुयोग्य तथा क्षमतावान होते हैं। सरकार के पास उच्चकोटि के विशेषज्ञ होते हैं जो समय-समय पर देश की मौद्रिक आवश्यकताओं का अध्ययन करते रहते हैं। इसी प्रकार मुद्रा-प्रणाली का प्रबन्ध करने के लिए बैंको की अपेक्षा सरकार के पास अधिक विश्वसनीय जानकारी तथा आँकड़े उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार के हाथों में कानून बनाने की शक्ति भी होती है। फलतः देश की मुद्रा-भूति तथा सख-व्यवस्था पर उचित नियन्त्रण रखने में सरकार अधिक सफल रहती है और आवश्यकतानुसार मुद्रा-भूति में परिवर्तन भी कर सकती है।

(4) **बैंको के कागजी मुद्रा-निर्गमन में सरकारी हस्तक्षेप सर्व्व रह है**—जैसा विदित है, कागजी मुद्रा के निर्गमन पर सरकार सर्व्व अपना नियन्त्रण रखती है। उन देशों में भी, जहाँ कागजी मुद्रा का निर्गमन निजी बैंको (private banks) द्वारा किया जाता था, सरकार मुद्रा-नीति पर अपना नियन्त्रण रखती थी और नोट छापने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाता था। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि नोटों के बारे में अन्तिम निर्णय सरकार को ही लेना है तो फिर सरकार इस काम को स्वयं ही क्यों न करे।

(5) **अनुपयुक्त नीति के परिणाम घातक होते हैं**—जैसा विदित है, नोट-निर्गमन सम्बन्धी एक अनुपयुक्त नीति को अपनाने से देश की अर्थ-व्यवस्था में गम्भीर परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, इसीलिए यह आवश्यक है कि नोट-निर्गमन का कार्य निजी बैंको के हाथों में न छोड़ा जाय। निजी बैंक प्रायः अपने स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं।

बैंको द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में तर्क—निजी बैंको को नोट छापने का अधिकार खीपने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं :

(1) **मुद्रा-प्रणाली में लोच**—जैसा विदित है, सरकारी विभागों का व्यापार, वाणिज्य एव उद्योग-धन्धों से कोई सीधा सम्पर्क नहीं होता। परिणामतः सरकार द्वारा प्रचलित मुद्रा-प्रणाली में प्रायः लोच का अभाव रहता है। इसके विपरीत, बैंको का देश के व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग-धन्धों से सीधा सम्पर्क रहता है, जिसके परिणामस्वरूप वे देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के बारे में अधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसी के अनुसार नोटों की मात्रा में विस्तार अथवा संकुचन कर सकते हैं। इस प्रकार बैंको द्वारा नोट छापे जाने के फल-स्वरूप मुद्रा-प्रणाली में अधिक लोच आ जाती है।

(2) **बैंको द्वारा कागजी मुद्रा का निर्गमन-कार्य सुव्यवस्थित ढंग से होता है**—सरकार की

अपेक्षा बैंक नोट-निर्गमन का कार्य बहुत ही अच्छे एवं सुव्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं। जैसा देखने में आता है, सरकारी काम में प्रायः ढील-ढाल रहती है और नीति-सम्बन्धी निर्णय लेने में बहुत ही विलम्ब होता है। परिणामतः मुद्रा को अधिक माँग होते हुए भी उसकी पूर्ति में शीघ्रता से वृद्धि नहीं की जा सकती।

बैंको की मौद्रिक-नीति विद्युद्ध आर्थिक विचारों पर आधारित होती है—जब बैंक नोट छापने का कार्य करते हैं, तब देश की मौद्रिक नीति देश के हितों के अनुकूल होती है, परन्तु जब नोट छापने का कार्य सरकार स्वयं करती है, तब देश की मौद्रिक नीति विद्युद्ध आर्थिक विचारों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक तथा वित्तीय आवश्यकताओं पर आधारित हो जाती है। कभी-कभी अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार विद्युद्ध आर्थिक सिद्धान्तों की बलि दे देती है, अर्थात् उनकी अपेक्षा करती है। यह भ्रष्ट प्रजातान्त्रिक देशों में तो विशेष रूप से पायी जाती है। ऐसे देशों में सरकारें जनता के विरोध के भय के कारण वजट-सम्बन्धी घाटों को करों द्वारा नहीं, अपितु नोट छापकर पूरा कर लेती है। हालाँकि ऐसी नीति देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होती है। इस प्रकार नोट छापने का अधिकार सरकार के हाथों में सौंप देना खतरे से खाली नहीं, परन्तु बैंक नोट छापते समय विद्युद्ध आर्थिक सिद्धान्तों से ही प्रेरित होते हैं।

(4) बैंक, बैंकिंग के नियमों का पालन अच्छी तरह करते हैं बैंक नोट निर्गमन सम्बन्धी बैंकिंग के नियमों का सरकार की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकार से पालन करते हैं। फलतः बैंको द्वारा नोट छापे जाने के परिणामस्वरूप देश में मुद्रा के आधिक्य का भय नहीं रहता। परन्तु जब नोट छापने का कार्य सरकार के हाथों में सौंप दिया जाता है, तब बैंकिंग के नियमों की अवहेलना की सम्भावना बढ जाती है, क्योंकि सरकार इन नियमों की ओर इतना ध्यान नहीं देती जितना कि बैंक देते हैं। स्मरण रहे कि बैंकिंग नियमों की अवहेलना से देश में गम्भीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।

(5) बैंकों द्वारा नोट छापने से जो लाभ होता है, उसका अधिकांश भाग शोकाहित में ही व्यय किया जाता है—बैंकों द्वारा नोट छापने से जो लाभ प्राप्त होता है, उसका कुछ अंश तो अवश्य ही अशाधारियों (shareholders) में बाँट दिया जाता है, परन्तु उसका अधिकांश भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता है जिसे सरकार सार्वजनिक हित में व्यय करती है।

उपर्युक्त सभी तर्कों को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नोट-निर्गमन का कार्य सरकार की अपेक्षा बैंको द्वारा अधिक सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न किया जा सकता है। वास्तव में, इस कार्य के लिए सरकार की अपेक्षा बैंक अधिक उपयुक्त सस्थाएँ हैं। बैंको का व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग-धन्धों से प्रत्यक्ष एवं धनिष्ठ सम्बन्ध होता है जिससे उन्हें देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के बारे में अधिक विश्वसनीय जानकारी होती है। इसके अतिरिक्त, सरकार की अपेक्षा बैंक देश की मुद्रा-प्रणाली को अधिक लोचपूर्ण भी बना सकते हैं। जहाँ तक जनता के विश्वास का सम्बन्ध है, बैंको द्वारा निर्गमित किये गये नोटों की प्रतिष्ठा सरकार द्वारा छापे गये नोटों से कम नहीं होती। यदि सही ढंग से बैंको पर सरकारी नियन्त्रण रखा जाय तो बैंको द्वारा छापे गये नोटों में अविश्वास का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और फिर नोटों को छापने से बैंको को जो लाभ होता है, उसका अधिकांश भाग सरकार करों के रूप में ले सकती है। इस प्रकार नोट-निर्गमन कार्य के लिए सरकार की अपेक्षा बैंक अधिक उपयुक्त सस्थाएँ हैं।

एकाकी नोट-निर्गमन प्रणाली बनाम बहुबाही नोट-निर्गमन प्रणाली (Single Note-issue System Vs Multiple Note-issue System)

यह मान लेने पर कि कागजी मुद्रा का निर्गमन बैंको द्वारा होना चाहिए, अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कागजी मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को दिया जाय अथवा बहुत-से बैंको को? नोट निर्गमन के प्रारम्भिक काल में कुछ देशों में कागजी मुद्रा छापने का अधिकार बहुत-से बैंको को दिया गया था, परन्तु आजकल यह कार्य साधारणतः देश के केन्द्रीय बैंक को ही सौंपा जाता है अर्थात् नोट छापने का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक के पास ही रहता है। भारत में नोट-निर्गमन का एकाधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को दिया गया है। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में नोट छापने का एकाधिकार बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के हाथों में है।

बहुबाही नोट-निर्गमन प्रणाली के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) कागजी मुद्रा में समानता का अभाव—यदि नोट छापने का कार्य विभिन्न बैंको को सौंप दिया जाता है तो इससे नोटों में समानता तथा एकरूपता (uniformity) का अभाव हो जायगा और इस कारण खरी व छोटी मुद्राओं को पहचानना कठिन हो जायगा।

(2) बैंकों में प्रतियोगिता—यदि नोट छापने का कार्य बहुत-से बैंको को सौंप दिया जाता है तो इससे उनमें प्रतियोगिता उत्पन्न हो जायगी। प्रत्येक बैंक अधिकधिक मात्रा में नोट छापने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार बैंको में एक प्रकार की होड़-सी उत्पन्न हो जायगी जो देश के हितों के प्रतिकूल होगी।

(3) कागजी मुद्रा-कोष में मितव्ययता का अभाव—नोट-निर्गमन का कार्य यदि बहुत-से बैंको को सौंप दिया जाता है तो इससे प्रत्येक बैंक को नोटों के पीछे कुछ न कुछ धातु प्रारक्षण (metallic reserves) अवश्य ही रखना होगा। इससे धातुएँ बेकार कागजी मुद्रा विधियों में पड़ी रहेंगी और देश को लाभ प्राप्त न होगा।

(4) नोट-निर्गमन नीतियों में भिन्नता—यदि नोट छापने का कार्य बहुत-से बैंको को दे दिया जाता है तो फिर देश के लिए एक सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण मुद्रा-नीति को अपनाना कठिन हो जायगा, क्योंकि जब बहुत से बैंको द्वारा नोट छापे जाते हैं तो उनकी नीतियों में भिन्नता का होगा अनिवार्य हो जाता है।

बहुबाही नोट-निर्गमन प्रणाली के उपर्युक्त दोषों के कारण अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रायः एकाकी नोट-निर्गमन प्रणाली का ही समर्थन किया जाता है।

एकाकी नोट-निर्गमन प्रणाली के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(1) धातु में मितव्ययता—इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा के पीछे रखा गया धातु-कोष केवल एक ही बैंक में केन्द्रित रहता है जिससे सकट के समय उसका प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, धातु-कोष की मात्रा भी उतनी नहीं होती जितनी कि बहु-बाही नोट निर्गमन प्रणाली के अन्तर्गत होती है।

(2) मुद्रा प्रणाली के नियन्त्रण में सुविधा—एकाकी नोट-निर्गमन प्रणाली में सरकार का नियन्त्रण भी बहुबाही नोट निर्गमन प्रणाली की तुलना में अधिक प्रभावपूर्ण एवं विस्तृत होता है।

(3) प्रतियोगिता का अभाव—एकाकी नोट-निर्गमन प्रणाली में बैंको की पारस्परिक प्रतियोगिता का प्रयत्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इसके अन्तर्गत नोट-निर्गमन का सम्बन्ध कायं केवल देश के केन्द्रीय बैंक को सौंपा जाता है।

(4) कागजी मुद्रा में एकरूपता—चूँकि कागजी मुद्रा का निर्गमन एक केन्द्रीय सस्था द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें एकरूपता रहती है अर्थात् सभी नोट एक ही बनावट, आकार एवं रंग के होते हैं और खरी व छोटी मुद्रा को आसानी से पहचाना जा सकता है।

(5) जनता का अधिक विश्वास—जब कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार एक ही बैंक के पास रहता है तथा सरकार उस मुद्रा की परिवर्तनशीलता की गारण्टी देती है तो ऐसी मुद्रा के प्रति जनता का विश्वास अधिक होता है।

निष्कर्ष—उपर्युक्त गम्ययन से यह स्पष्ट है कि बहुबाही नोट-निर्गमन प्रणाली की तुलना में एकाकी नोट निर्गमन प्रणाली अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है और कागजी मुद्रा छापने का यह अधिकार केवल देश के केन्द्रीय बैंक के पास ही रहना चाहिए। इसका कारण यह है कि अन्य बैंको की अपेक्षा केन्द्रीय बैंक नोट निर्गमन का काय अधिक अच्छी प्रकार से कर सकता है। इसलिए आजकल लगभग सभी देशों में नोट छापने का एकाधिकार वहाँ के केन्द्रीय बैंको को सौंप दिया गया है।

नोट-निर्गमन के सिद्धान्त

(Principles of Note-Issue)

नोट-निर्गमन के दो प्रमुख सिद्धान्त हैं। ये दोनों सिद्धान्त एक दूसरे के विपरीत हैं। पहला सिद्धान्त करंसी या मुद्रा सिद्धान्त (Currency Principle) कहलाता है, और दूसरे सिद्धान्त को

बैंकिंग सिद्धान्त (Banking Principle) कहते हैं। कुछ अर्थशास्त्री करेंसी सिद्धान्त का समर्थन करते हैं और कुछ बैंकिंग सिद्धान्त का।

1 करेंसी या मुद्रा-सिद्धान्त

इस सिद्धान्त का कभी-कभी सुरक्षा-सिद्धान्त (Security Principle) भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत कागजी मुद्रा की मात्रा के बराबर नोट-निर्गमन अधिकरण (issuing authority) द्वारा धात्विक-कोप रखे जाते हैं अर्थात् नोट-निर्गमन अधिकरण द्वारा जितनी रकम के नोट छाप जाते हैं, ठीक उतनी ही रकम के बराबर मूल्यवान धातुएँ कोप के रूप में रखी जाती हैं। दूसरे शब्दों में, नोट-निर्गमन सस्था (issuing authority) नोटा के पीछे सोने व चाँदी की शत-प्रतिशत आड (100% cover) रखती है। इसका उद्देश्य मुद्रा की सुरक्षा तथा जनता का विश्वास प्राप्त करना है, इसलिए नोटा के पीछे शत-प्रतिशत आड रखी जाती है। इस सिद्धान्त के अनुसार नोट केवल धातु की घिसावट को रोकने के लिए ही जारी किये जाते हैं और धातुओं का प्रचलन में न रखकर कोप में रखा जाना है। इस प्रकार इस सिद्धान्त पर आधारित नोटों का विस्तार एवं संकुचन धातु-कोप की अधिकता अथवा कमी पर निर्भर करता है।

करेंसी सिद्धान्त के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(1) सुरक्षा—चूँकि इस सिद्धान्त के अनुसार नोटा के पीछे शत-प्रतिशत धातु-कोप रहते हैं इसलिए मुद्रा प्रणाली में पूर्ण सुरक्षा रहती है और नोटा के अति निर्गमन (over-issue) का कोई भय नहीं होता।

(2) जनता का विश्वास—चूँकि इस सिद्धान्त के अनुसार कागजी मुद्रा सदैव धातुओं में परिवर्तनीय होती है, इसलिए जनता का इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-प्रणाली में अधिक विश्वास होता है।

करेंसी सिद्धान्त के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) लोच का अभाव—इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली में लोच का बहुत अभाव रहता है। इसका कारण यह है कि कागजी मुद्रा की पूर्ति का देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता। इस सिद्धान्त के अनुसार कागजी मुद्रा का विस्तार व संकुचन धातु-कोपों की अधिकता या कमी पर निर्भर करता है। जैसा हम जानते हैं, एक अच्छी मुद्रा प्रणाली में कागजी मुद्रा का विस्तार अथवा संकुचन व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए ताकि देश के आर्थिक विकास में किसी प्रकार की रूकावटें पैदा न हों।

(2) अमितव्ययता (Lack of Economy)—इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-प्रणाली में अमितव्ययता का दोष भी पाया जाता है। जैसा हम देख चुके हैं—इस सिद्धान्त के अनुसार कागजी नोटा के पीछे शत प्रतिशत धात्विक कोप रखे जाते हैं, इसलिए इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-प्रणाली में सोने व चाँदी की बचत नहीं हानी और ये मूल्यवान धातुएँ धात्विक-कोप में बेकार पड़ी रहती हैं जबकि इनको अन्य लाभदायक उपयोगों में लगाया जा सकता है।

(3) साक्ष की उपयोगिता की उपेक्षा—यह सिद्धान्त सुरक्षा (security) को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है तथा साक्ष की उपयोगिता की उपेक्षा करता है। एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली में सुरक्षा के साथ-साथ लोच (elasticity) का होना आवश्यक है। परन्तु यह सिद्धान्त लोच की अपेक्षा सुरक्षा को अधिक महत्व देता है।

(4) व्यावहारिकता—जैसा हम पहले कह चुके हैं इस समय विश्व के विभिन्न देशों में मूल्यवान धातुओं का वितरण असमान है। कुछ देशों के पास सोना चाँदी अत्यधिक मात्रा में है और कुछ देशों के पास इनका बहुत अभाव है। ऐसी परिस्थिति में इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप में नहीं दिया जा सकता। कुछ देशों के पास धातुओं की इतनी कमी है कि वे कागजी मुद्रा के पीछे शत-प्रतिशत धात्विक-कोप रखने में पूर्णतः असमर्थ हैं।

2 बैंकिंग-सिद्धान्त अथवा लोच-सिद्धान्त

इस सिद्धान्त का कभी-कभी लोच सिद्धान्त (Elasticity Principle) भी कहा जाता है क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा-प्रणाली में लोच का होना आवश्यक माना जाता है। इस

सिद्धान्त के अनुसार कागजी मुद्रा में देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार तथा संकुचन किया जाता है। इसको सम्भव बनाने के लिए मुद्रा नियन्त्रक (Controller of Currency) को कागजी मुद्रा का निगम तथा नियमन (regulation) करने में पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत कागजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत धात्विक-कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि मुद्रा नियन्त्रक को इस विषय में पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि वह कागजी नोटा के पीछे कितना धात्विक-कोष रखे। इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली में नोट जारी करने का कार्य प्रायः एक बैंक को सौंप दिया जाता है और उसे पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि वह देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार कागजी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करे और जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए उसके पीछे आवश्यक धात्विक कोषों की व्यवस्था करे।

बैंकिंग सिद्धान्त के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(1) **मुद्रा प्रणाली में लोच—**बैंकिंग सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली में सर्वत्र लोच का गुण विद्यमान रहता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत देश की मुद्रा पूर्ति को व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है और ऐसा करने में मुद्रा नियन्त्रक को किसी प्रकार की गठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इसका कारण यह है कि बैंकिंग सिद्धान्त के अनुसार कागजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत धात्विक कोषों के रखने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि कागजी मुद्रा के एक निश्चित भाग के पीछे ही सोने व चांदी के कोष रखे जाते हैं। यह सिद्धान्त इस मायना पर आधारित है कि किसी विशेष समय पर कागजी मुद्रा का एक निश्चित भाग ही सोने व चांदी में बदलने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अतएव कागजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत धात्विक कोष रखना आवश्यक नहीं है।

(2) **सोने व चांदी के उपयोग में बचत—**इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली में कागजी मुद्रा की कुल पूर्ति की तुलना में धातु-कोष बहुत कम रखा जा सकता है इसीलिए इस प्रणाली में सोने व चांदी का उपयोग में बहुत बचत होती है और देश को धातुओं की घिस पट में इन वाली राष्ट्रीय धानि से बचाया जा सकता है।

बैंकिंग सिद्धान्त के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) **अति निगमन का भय (Danger of Over issue)—**इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली में प्रायः अति निगमन का भय रहता है। इसका कारण यह है कि इस सिद्धान्त के अनुसार कागजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत धातु-कोष नहीं रखे जाते और कागजी मुद्रा की निम्न सी धातु कोषों से शासित नहीं होती है। अतः आवश्यकता से अधिक नोट जारी किए जाने की सम्भावना सर्वत्र बनी रहती है।

(2) **जनता का विश्वास कम होता है—**बैंकिंग सिद्धान्त पर आधारित प्रणाली में जनता का विश्वास प्रायः कम होता है। इसका कारण यह है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा के पीछे पर्याप्त धातु कोष नहीं होता।

दोनों में कौन सा सिद्धान्त अच्छा है ?—यह कहना ठीक नहीं है कि उक्त दोनों सिद्धान्तों में से कौन सा सिद्धान्त अच्छा है। किसी सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली जनता के हितकोष में तो अच्छी प्रतीत होती है परंतु इसमें व्यावहारिकता का गुण नहीं है। आज की दुनिया में कोई भी देश अपनी कागजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत धातु कोष रखने की परिस्थिति में नहीं है। इसका एक कारण तो यह है कि इस समय आवश्यकताओं की तुलना में मूल्यवान धातुओं की कमी है और दूसरे विभिन्न देशों में इस समय इन धातुओं का वितरण भी असमान है। इससे अतिरिक्त किसी सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली में आवश्यकता का भी अभाव रहता है क्योंकि एक अन्तर्गत देश की मुद्रा पूर्ति को व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता। इस प्रकार इस सिद्धान्त को अपनाते देशों के औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है इसीलिए आजकल सभी देशों में अपनी मुद्रा प्रणालियों को बैंकिंग सिद्धान्त पर ही आधारित कर रखा है। इसका कारण यह है कि इस सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा प्रणाली में कागजी मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत धातु कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती और चाहे से धातु कोष का आधार पर ही अधिक मात्रा में कागजी मुद्रा

को निर्पमित किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली में अत्यधिक लोचकता का गुण पाया है। इसके साथ ही साथ चूंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत बागजी मुद्रा के पीछे कुछ न कुछ धातु-कोष अवश्य ही रखना पड़ता है, इसलिए इस प्रणाली में कागजी मुद्रा की परिवर्तनशीलता भी बनी रहती है और जनता के विश्वास को भी बनाये रखा जा सकता है। जैसा हम जानते हैं, एक अच्छी मुद्रा प्रणाली में सुरक्षा (security) तथा लोचकता (elasticity) के दोनों गुणों का समुचित सम्मिश्रण होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से बैंकिंग सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-प्रणाली, कर्सी सिद्धान्त पर आधारित मुद्रा-प्रणाली की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है। यही कारण है कि आजकल विश्व के सभी देशों में बैंकिंग सिद्धान्त पर आधारित प्रणालियों को ही अपनाया जाता है।

नोट-निर्गमन की पद्धतियाँ (Systems of Note-Issue)

अब हम यह देखेंगे कि नोट-निर्गमन की मुख्य पद्धतियाँ कौन-कौन-सी हैं? नीचे इनका वर्णन किया गया है :

1 निश्चित विश्वासाश्रित निर्गमन पद्धति

निश्चित विश्वासाश्रित निर्गमन पद्धति (Fixed Fiduciary System) के अनुसार मुद्रा-नियन्त्रक (Controller of Currency) को यह अधिकार होता है कि वह एक निश्चित मात्रा तक किसी प्रकार के धातु-कोष के बिना बागजी मुद्रा का निर्गमन करे, परन्तु इस निश्चित मात्रा के ऊपर प्रत्येक बागजी नोट के पीछे शत-प्रतिशत धातु-कोष रखना आवश्यक होता है। जो बागजी मुद्रा बिना धातु-कोष के निर्गमित की जाती है, उसके पीछे सरकारी प्रतिभूतियों (government securities) की आड़ होती है। इस प्रकार के निर्गमन को विश्वासाश्रित निर्गमन कहते हैं। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य बागजी मुद्रा की धातु में परिवर्तनशीलता को बनाये रखना है।

ग्रेट ब्रिटेन में बहुत समय तक यह प्रणाली कार्यशील रही थी। सन् 1844 के बैंक चार्टर एक्ट (Bank Charter Act) के अन्तर्गत बैंक ऑफ इंग्लैण्ड को यह अधिकार दिया गया था कि यह 140 लाख पौण्ड की सीमा के बागजी नोटों को किसी प्रकार या धातु-कोष रखे बिना जारी कर ले। परन्तु यदि बैंक ऑफ इंग्लैण्ड इससे अधिक मात्रा में बागजी मुद्रा जारी करना चाहता था तो ऐसी दशा में उसके लिए अतिरिक्त बागजी मुद्रा के पीछे शत-प्रतिशत धातु-कोष रखना अनिवार्य था। इस प्रकार सन् 1844 के बैंक चार्टर एक्ट के अन्तर्गत, विश्वासाश्रित निर्गमन की सीमा 140 लाख पौण्ड थी। परन्तु बाद में चलकर समय-समय पर विश्वासाश्रित निर्गमन की सीमा को स्वर्ण-कोषों की कमी तथा मुद्रा-प्रसार की आवश्यकता के कारण बढ़ाया गया। सन् 1971 में विश्वासाश्रित निर्गमन की सीमा 150 करोड़ पौण्ड तक पहुँच गयी थी। सन् 1861 और 1920 के बीच भारत ने भी इस प्रणाली को अपनाया था। जापान तथा नार्वे ने भी कुछ सशोधनों के साथ इसी प्रणाली को क्रियान्वित किया था।

निश्चित विश्वासाश्रित पद्धति के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(1) सुरक्षा (Security)—इस प्रणाली में सुरक्षा का गुण पाया जाता है। इसका कारण यह है कि बागजी मुद्रा की कुल मात्रा के एक निश्चित भाग को छोड़कर शेष सम्पूर्ण बागजी मुद्रा के पीछे धातु-कोष रखा जाता है जिससे इसकी परिवर्तनशीलता बनी रहती है। यह सत्य है कि सभी नोटों के पीछे धातु-कोष की आड़ नहीं रखी जाती। परन्तु जैसा विदित है, एक ही समय पर पर सभी नोटों को धातु में बदलने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता।

(2) जनता का विश्वास—चूंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार द्वारा बागजी नोटों की धातु में परिवर्तनशीलता की गारण्टी दी जाती है, इसलिए इस प्रणाली में जनता का विश्वास अधिक होता है।

(3) अति-निर्गमन का भय नहीं होता (No Danger of Over-issue)—इस प्रणाली में बागजी मुद्रा के अति-निर्गमन का भय नहीं रहता, क्योंकि एक निश्चित सीमा के ऊपर जितने भी नोट जारी किये जाते हैं, उनके पीछे शत-प्रतिशत धातु-कोष रखना अनिवार्य होता है।

निश्चित विश्वासाश्रित निर्गमन पद्धति के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं।

(1) लोच का अभाव—इस प्रणाली में एक निश्चित सीमा के पश्चात् जितने भी नोट जारी किये जाते हैं, उनके पीछे शत-प्रतिशत धातु-कोष रखना पड़ता है, इससे मुद्रा-प्रणाली में वेलोचकता (inelasticity) उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ, आर्थिक संकट के समय देश में अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती हुए भी मुद्रा-पूति में वृद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि मुद्रा-पूति में वृद्धि करने के लिए अधिक मात्रा में सोने की आवश्यकता पड़ती है। यदि देश के पास सोने की पूति पहले से ही सीमित है तो फिर कागजी मुद्रा की पूति को नहीं बढ़ाया जा सकता है।

(2) यह पद्धति अधिक व्ययपूर्ण है—यह पद्धति बहुत खर्चीली है और केवल उन्हीं देशों द्वारा अपनायी जा सकती है जिनके पास सोने का पर्याप्त स्टॉक होता है। गरीब देशों के लिए यह प्रणाली उपयुक्त नहीं हो सकती।

(3) भुविषा का अभाव—इस प्रणाली में प्रायः भुविषा का अभाव होता है। यदि किसी कारणवश कोष में सोने की कमी हो जाती है, तब उतने ही मूल्य की कागजी मुद्रा प्रचलन में से वापस लेनी पड़ती है, यद्यपि उस समय देश में मुद्रा की माँग कितनी ही अधिनः न्यो न हो। परन्तु इस पद्धति के समर्थकों का विचार है कि इसकी इस बेलायकता को कागजी मुद्रा के विश्वासाश्रित भाग (fiduciary portion) की सीमा को बड़ाकर दूर किया जा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन में समय-समय पर ऐसा ही किया गया था। परन्तु ऐसा करने में एक कठिनाई यह होती है कि कागजी मुद्रा के विश्वासाश्रित भाग को समय-समय पर बढ़ाने से जदता का मुद्रा प्रणाली में से विश्वास उठ जाता है।

2 अधिकतम विश्वासाश्रित निर्गमन पद्धति

अधिकतम विश्वासाश्रित निर्गमन पद्धति (Fixed Maximum Fiduciary System) के अन्तर्गत, कानून द्वारा सरकार कागजी मुद्रा की एक निश्चित सीमा तय कर देती है। देश के मुद्रा नियन्त्रक (केन्द्रीय बैंक) को यह अधिकार होता है कि वह इस निश्चित सीमा तक किसी प्रकार के धातु-कोष के बिना कागजी मुद्रा का निर्गमन करे। इस प्रकार इस पद्धति के अन्तर्गत, कागजी मुद्रा का धातु-निधि से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु इस प्रणाली में निश्चित अधिकतम सीमा के ऊपर नोट जारी करने का अधिकार मुद्रा-नियन्त्रक को बिल्कुल नहीं होता अर्थात् निश्चित अधिकतम सीमा के परे मुद्रा-नियन्त्रक किसी भी दशा में नोट जारी नहीं कर सकता, चाहे वह उसके लिए शत-प्रतिशत धातु-कोष रखने के लिए ही न्यो न तैयार हो। स्मरण रहे कि कागजी मुद्रा की अधिकतम सीमा निश्चित करते समय सरकार देश की व्यापारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है और यह सीमा इस ढंग से निर्धारित की जाती है कि देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। साधारणतः यह अधिकतम सीमा देश की मुद्रा सम्बन्धी औसत आवश्यकताओं से अधिक ही रखी जाती है। संकट के समय आवश्यकता पड़ने पर सरकार इस अधिकतम सीमा में वृद्धि भी कर सकती है। उदाहरणार्थ, फ्रेंच सरकार समय-समय पर नोटों की निश्चित की गयी अधिकतम सीमा को बढ़ाती रही है।

सन् 1928 तक यह प्रणाली फ्रांस में प्रचलित रही थी। ग्रेट ब्रिटेन में भी मैकमिलन समिति (Macmillan Committee) ने इसी प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की थी,

अधिकतम विश्वासाश्रित निर्गमन पद्धति के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(1) इस प्रणाली में स्वर्ण को बेकार धातु-कोष में नहीं रखना पड़ता—इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें सोने को धातु-कोष में बेकार नहीं रखना पड़ता, परन्तु इसका यह अमिप्राय नहीं है कि मुद्रा-नियन्त्रक किसी प्रकार का धातु-कोष रखता ही नहीं है। कागजी मुद्रा की परिवर्तनशीलता बनाये रखने के लिए इस प्रणाली के अन्तर्गत कुछ धातु-कोष अवश्य ही रखना पड़ता है। परन्तु कागजी मुद्रा के पीछे कितना धातु-कोष रखा जाय, यह पूर्णतः नियन्त्रक की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

(2) मुद्रा-प्रणाली में लोच—इस प्रणाली में लोचकता का अंश भी पाया जाता है। इसका कारण यह है कि कागजी मुद्रा की अधिकतम मात्रा निश्चित करते समय सरकार देश की व्यापार-

रिस्क आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है और उन्हीं के अनुसार कागजी मुद्रा का निगमन किया जाता है। इस प्रकार देश के आर्थिक विकास पर मुद्रा के अभाव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

अधिकतम विरवासाश्रित निर्गमन पद्धति के अवगुण—इसके अवगुण निम्नलिखित हैं

(1) सरकार द्वारा मुद्रा प्रणाली के दुरुपयोग की सम्भावना—इस प्रणाली में एक दाप यह है कि इसका सरकार द्वारा आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। संकट के समय अधिक आय प्राप्त करने के लिए सरकार कागजी मुद्रा की अधिकतम सीमा को बढ़ा सकती है जिससे अति निगमन के गम्भीर परिणाम दृष्टिगोचर हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रणाली में मुद्रा स्फीति के विरुद्ध किसी प्रकार की रोक नहीं होती।

(2) मुद्रा प्रणाली में लोच का अभाव—इस प्रणाली में लोच का अभाव भी हो सकता है। उदाहरणार्थ यदि सरकार कागजी मुद्रा निगमन की अधिकतम सीमा में परिवर्तन नहीं करती तो यह प्रणाली देश की बढ़ी हुई व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहती है।

(3) यह एक रुढ़िवादी प्रणाली है—चूंकि यह प्रणाली मुद्रा निकासी के बैंकिंग सिद्धांत की अपेक्षा वरिंसी सिद्धांत पर बल देती है इसलिए इसे रुढ़िवादी प्रणाली माना जाता है।

3 अनुपातिक निधि पद्धति

अनुपातिक निधि पद्धति (Proportional Reserve System) को बैंकिंग सिद्धांत पर आधारित किया गया है। इस प्रणाली के अन्तगत कागजी मुद्रा की कुल मात्रा तथा धातु-कोष का आपसी अनुपात पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में यह पहले से निश्चित कर दिया जाता है कि कागजी मुद्रा का कितना न्यूनतम प्रतिशत भाग धातु-कोष के रूप में रखा जाय और कितना भाग धातु-कोष के बिना रखा जाय। कागजी मुद्रा का जो भाग धातु-कोष के बिना रखा जाना है उसे विश्वासाश्रित अथवा अरक्षित भाग (fiduciary portion) कहते हैं। परन्तु स्मरण रखें कि कागजी मुद्रा के विश्वासाश्रित भाग के पीछे सरकारी ऋणपत्रों द्वारा गारंटी तथा अन्य प्रकार के प्रमाण पत्रों की आड़ रखी जाती है। इस प्रकार इस प्रणाली में अतगन कागजी मुद्रा का एक निश्चित प्रतिशत भाग ही धातु-कोष के रूप में रखा जाना है। उदाहरणार्थ किसी देश में कागजी मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग धातु-कोष के रूप में और शेष 60 प्रतिशत भाग सरकारी ऋणपत्रों के रूप में रखा जा सकता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कागजी मुद्रा के पीछे रखा गया धातु-कोष सदा के लिए निश्चित होता है। समय-समय पर सरकार आवश्यकता पड़ने पर धातु-कोष के प्रतिशत को कम या अधिक कर सकती है। यदि सरकार यह अनुभव करती है कि वे-ड्रीप बक अथवा मुद्रा नियंत्रक के पास पर्याप्त काप नहीं है तो वह धातु-कोष के प्रतिशत को कम कर सकती है। कुछ देशों में ऐसी प्रथा भी प्रचलित है कि यदि वे-ड्रीप बक अथवा मुद्रा नियंत्रक के पास पर्याप्त धातु-कोष नहीं है तब भी वह अधिक मात्रा में कागजी मुद्रा जारी कर सकता है परन्तु ऐसी परिस्थिति में उसे धातु-कोष की कमी पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है।

प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत इस प्रणाली को अमेरिका फ्रांस तथा जर्मनी ने अपनाया था। सन् 1927 में हिल्टन यंग आयोग (Hilton Young Commission) की सिफारिशों के अनुसार इनमें भारत सरकार ने भी अपना लिया था और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में इसे समुचित स्थान दिया गया था। परन्तु सन् 1956 में भारत सरकार ने इस प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम स्वर्ण कोष प्रणाली (Minimum Gold Reserve System) को अपना लिया था। ब्रिटन में भी यह प्रणाली प्रचलित रही है।

अनुपातिक निधि पद्धति के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

मुद्रा प्रणाली में लोचकता—इस प्रणाली में लोचकता का गुण पाया जाता है क्योंकि इसके अंतगत वे-ड्रीप बैंक अथवा मुद्रा नियंत्रक अपने पास रखे हुए धातु-कोष से कहीं अधिक मात्रा में कागजी मुद्रा जारी कर सकता है। उदाहरणार्थ वे-ड्रीप बैंक काप में धातु का एक सिक्का रखकर उसके आधार पर लगभग 3 गुनी कागजी मुद्रा जारी कर सकता है। इसके विपरीत कोष में धातु का एक सिक्का कम हो जाने से उसे लगभग तीन गुनी कागजी मुद्रा कम भी करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में धातु-कोष की कमी के कारण कागजी मुद्रा का विस्तार

रक नहीं सकता। कुछ विशेष परिस्थितियों में धातु की कमी पर सरकार को जुमाना बेकर केन्द्रीय बैंक अथवा मुद्रा नियन्त्रक अधिक कागजी मुद्रा जारी कर सकता है। इस प्रकार इस प्रणाली में बहुत लोच पायी जाती है।

(2) परिवर्तनशीलता—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत, कागजी मुद्रा के पीछे कुछ न कुछ धातु कोष अपेक्ष्य ही रखा जाता है इसलिए नोटों की परिवर्तनशीलता को बनाये रखना कठिन नहीं होता। स्मरण रहे कि एक ही समय पर सभी कागजी नोट धातु में बदलने के लिए प्रस्तुत नहीं किये जाते।

आनुपातिक निधि पद्धति के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) मुद्रा सकुचन में कठिनाई—इस प्रणाली के अन्तर्गत, कागजी मुद्रा का विस्तार करना तो आसान है, परन्तु इसका सकुचन करना कठिन होता है। जैसा ऊपर बताया गया है देश के धातु-कोष में सोने के एक सिक्के के कम हो जाने पर 3 या 4 गुनी कागजी मुद्रा को प्रचलन से वापस लेना पड़ता है। अब कागजी मुद्रा का सकुचन करना, वास्तव में, कोई आसान बात नहीं है क्योंकि ऐसा करने से देश में मन्दी फैल जाने का भय रहता है।

(2) सोने व चाँदी बेकार ही कोष में पड़े रहते हैं—इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें नोट जारी करने वाली संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंक के पास बहुत बड़ी मात्रा में सोना व चाँदी बेकार ही धातु कोष में पड़े रहते हैं जबकि उन्हें आसानी से अन्य लाभदायक उपयोगों में लगाया जा सकता है।

(3) नोटों की परिवर्तनशीलता प्रायः काल्पनिक होती है—यह सत्य है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा वैधानिक रूप से धातु में परिवर्तनशील होगी है परन्तु व्यवहार में कागजी मुद्रा की इस तथाकथित परिवर्तनशीलता का कोई महत्त्व नहीं होता। इसका कारण यह है कि एक नोट के बदले जब सोने का सिक्का दिया जाता है तब उसी समय सोने का एक सिक्का निकल जान के कारण धातु कोष में सोने की मात्रा निश्चित अनुपात से कम रह पाती है इसलिए सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात का उल्लंघन किये बिना केन्द्रीय बैंक के लिए कागजी नोटों को सोने में बदलना सम्भव नहीं होगा। इस प्रकार इस प्रणाली के अन्तर्गत, कागजी मुद्रा की परिवर्तनशीलता काल्पनिक ही रहती है वास्तविक नहीं।

4 आंशिक अनुपात निधि पद्धति

आंशिक अनुपात निधि पद्धति (Percentage System), आनुपातिक निधि प्रणाली का ही संशोधित रूप है। इस प्रणाली के अन्तर्गत धातु-कोष का कुल कागजी मुद्रा के साथ अनुपात निश्चित करते समय धातु की न्यूनतम मात्रा को भी निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत धातु कोष में सोने चाँदी तथा अन्य मूल्यवान धातुओं के साथ विदेशी ऋणपत्रों को भी रखा जाता है। सन 1956 से पूर्व कागजी मुद्रा को यह प्रणाली भारत में प्रचलित थी। उस समय कानून के अन्तर्गत कुल कागजी मुद्रा का 40 प्रतिशत भाग धातु-कोष के रूप में रखा जाता था। इस 40 प्रतिशत में सोने तथा विदेशी ऋणपत्रों (foreign securities) को भी सम्मिलित किया जाता था। कागजी मुद्रा का 60 प्रतिशत भाग अन्य ऋणपत्रों के रूप में रखा जाता था। धातु-कोष में रखे गये सोने की न्यूनतम मात्रा 40 करोड़ रुपये से कम नहीं हो सकती थी। सोने के मूल्य निर्धारण के लिए सरकार द्वारा सोने की कीमत 21 रुपये 3 आने 10 पाई प्रति तोला निश्चित की गयी थी।

आंशिक अनुपात निधि पद्धति के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(1) सोने की बचत—इस प्रणाली में सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें सोने की बचत होती है अर्थात् समूची कागजी मुद्रा के पीछे स्वर्ण कोष रखना आवश्यक नहीं होता और इस प्रकार बचाये गये सोने को अन्य लाभदायक उपयोगों में लगाया जा सकता है।

(2) आनुपातिक निधि पद्धति के सभी लाभ उपलब्ध होते हैं—इस प्रणाली में आनुपातिक निधि पद्धति के सभी लाभ उपलब्ध होते हैं, अर्थात् इसमें लोचकता, भित्तव्ययता तथा परिवर्तनशीलता के सभी गुण पाये जाते हैं।

आंशिक अनुपात निधि पद्धति के दोष—इस प्रणाली में वे सब दौप पाये जाते हैं जो आनु-पातिक निधि पद्धति में विद्यमान होते हैं ।

5 साधारण जमा पद्धति

साधारण जमा पद्धति (Simple Deposit System) के अन्तर्गत, नोट जारी करने वाली सस्था (अर्थात् केन्द्रीय बैंक) को कुल कागजी मुद्रा की कीमत के बराबर सोना एवं चाँदी एक कोष में जमा रखना पड़ता है । इस प्रकार इस प्रणाली में कागजी मुद्रा प्रतिनिधि कागजी मुद्रा के रूप में प्रचलित होती है । इसका कारण यह है कि कागजी मुद्रा के पीछे 100 प्रतिशत धातु-कोष रहता है ।

साधारण जमा पद्धति के गुण व दोष—चूँकि इस प्रणाली में कागजी मुद्रा के पीछे 100 प्रतिशत धातु-कोष रहता है, इसलिए सभी नोटों की परिवर्तनशीलता की गारण्टी रहती है । इससे इस प्रणाली में जनता का विश्वास अत्यधिक होता है । इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली में अति निर्गमन का भय नहीं रहता क्योंकि कागजी नोटों के पीछे 100 प्रतिशत धातु-कोष रखना पड़ता है ।

परन्तु इस प्रणाली में कुछ दोष भी पाये जाते हैं । इसमें सोने-चाँदी जैसी मूल्यवान धातुओं की बचत नहीं होती, इसलिए यह प्रणाली मितव्ययी (economical) नहीं है । इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली में लोचकता नहीं पायी जाती, क्योंकि कागजी मुद्रा में वृद्धि करने के लिए शत-प्रतिशत सोने-चाँदी के कोषों की आवश्यकता पड़ती है । इन्हीं दोषों के कारण यह प्रणाली विभिन्न देशों में लोकप्रिय नहीं हो सकी है ।

6 कोषागार विपन्न निधि पद्धति

इस कोषागार विपन्न निधि पद्धति अथवा सरकारी बौण्ड्स जमा पद्धति (The Government Bonds Deposit System) के अन्तर्गत, कागजी मुद्रा जारी करने वाली सस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंक को कागजी मुद्रा के पीछे धातु-कोष नहीं रखना पड़ता है । कागजी मुद्रा का निर्गमन कोषागार विपन्न अथवा सरकारी बौण्ड्स के आधार पर ही किया जाता है । ये विपन्न या बौण्ड्स सरकार के अल्पकालीन प्रतिज्ञा-पत्र होते हैं । सरकार इन विपन्नो को केन्द्रीय बैंक को दे देती है जिनके आधार पर वह कागजी मुद्रा का निर्गमन करता है । इन कोषागार विपन्नो पर सरकार को ब्याज मिलता है, परन्तु सरकार का उद्देश्य आय न कमाकर, कागजी मुद्रा की सुव्यवस्था करना है । इस पद्धति में कागजी मुद्रा-निर्गमन की मात्रा पर सरकार कोषागार विपन्नो के माध्यम से नियन्त्रण रखती है ।

कोषागार विपन्न निधि पद्धति के गुण व दोष—इस प्रणाली में कागजी मुद्रा के अत्यधिक मात्रा में जारी किये जाने का भय नहीं रहता, क्योंकि केन्द्रीय बैंक कोषागार विपन्नो को खरीदे बिना कागजी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकता । परन्तु इस पद्धति का मुख्य दोष यह है कि इसमें लोचकता का अभाव रहता है, क्योंकि बिना कोषागार विपन्नो के कागजी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती ।

भारत सरकार ने सन् 1902 में इस पद्धति को आंशिक रूप में अपनाया था परन्तु सन् 1905 में विदेशी विनिमय संकट के कारण इसे त्याग दिया गया था । सन् 1913 में अमरीका ने भी इस प्रणाली को अपनाया था । परन्तु इसकी बेलोचकता के कारण बाद में इसका परित्याग कर दिया गया था ।

7 न्यूनतम निधि पद्धति

इस न्यूनतम निधि पद्धति (Minimum Reserve System) के अन्तर्गत, धातु-कोष की एक निश्चित तथा न्यूनतम मात्रा निर्धारित कर दी जाती है और केन्द्रीय बैंक को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वह इस न्यूनतम धातु-कोष को रखते हुए जितनी मात्रा में चाहे, कागजी मुद्रा का निर्गमन कर सकता है । सन् 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में संशोधन करके भारत ने इस प्रणाली को अपनाया था ।

न्यूनतम निधि पद्धति के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(1) मितव्ययता—यह प्रणाली मितव्ययी (economical) है, क्योंकि इसके अन्तर्गत,

सोने-चाँदी की बहुत बचत होती है। समूची कागजी मुद्रा के पीछे धातु-कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि धातु-कोष को एक न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है।

(2) लोचकता—अन्य प्रणालियों की अपेक्षा इस प्रणाली में अधिक लोचकता पायी जाती है। इसका कारण यह है कि इसके अन्तर्गत एक न्यूनतम धातु-कोष रखकर केन्द्रीय बैंक देश की आवश्यकताओं के अनुसार कागजी मुद्रा जारी कर सकता है और कागजी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त धातु-कोष की आवश्यकता नहीं पड़ती।

न्यूनतम निधि पद्धति के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) मुद्रा-स्फीति की सम्भावना—इस प्रणाली में मुद्रा-स्फीति को सदैव सम्भावना बनी रहती है। इसका कारण यह है कि न्यूनतम धातु-कोष से अधिक कागजी मुद्रा जारी करने के लिए अतिरिक्त धातु-कोष की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(2) परिवर्तनशीलता का अभाव—इस प्रणाली में कागजी मुद्रा की परिवर्तनशीलता को बनाये रखना कठिन होता है। जब धातु-कोष की मात्रा कागजी मुद्रा के बदले में सिक्के देने से न्यूनतम मात्रा के बराबर रह जाती है तो उस समय वैश्वीय बैंक कागजी मुद्रा की परिवर्तनशीलता को बनाये रखने में असमर्थ हो जाता है।

8. प्रारम्भिक परिसम्पत्ति पद्धति (Original Assets System)

इस प्रणाली के अन्तर्गत, कागजी नोट बैंक द्वारा अपनी प्रारम्भिक परिसम्पत्ति (Original Assets) के आधार पर जारी किये जाते हैं, लेकिन नोटों की परिवर्तनशीलता को बनाये रखने के लिए अलग से कोई धातु-कोष नहीं रखा जाता। यह पद्धति निरर्थक ही मितव्ययी (economical) है, लेकिन सतरे से खाली नहीं। वास्तव में, यह पद्धति सैद्धान्तिक ही है। इसे व्यवहार में कभी नहीं लाया गया है।

कागजी मुद्रा-निर्गमन की श्रेष्ठतम पद्धति (Best System of Note-issue)—अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कागजी मुद्रा की उक्त पद्धतियों में कौन-सी पद्धति श्रेष्ठतम है? एक अच्छी कागजी मुद्रा-निर्गमन पद्धति में चार गुणों का होना आवश्यक है—(क) लोचकता, (ख) मितव्ययता (ग) परिवर्तनशीलता, (घ) अति-निर्गमन पर रोक। किसी भी देश की मुद्रा-प्रणाली में लोचकता का होना आवश्यक गुण माना जाता है। मुद्रा-प्रणाली में देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की मात्रा घट-बढ़ करने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, नोटों का निर्गमन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि उससे सोने-चाँदी जैसी मूल्यवान धातुओं के उपयोग में बचत हो और इन धातुओं को अन्य लाभदायक उपयोगों में लगाया जा सके। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि देश की कागजी मुद्रा परिवर्तनशील न हो, बल्कि नोटों का निर्गमन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि वे सभी धातु-सिक्कों में परिवर्तनीय हों। इसका कारण यह है कि यदि कागजी नोटों की धातु में परिवर्तनशीलता को बनाये नहीं रखा जाता तो इससे देश की मुद्रा-प्रणाली में से जनता का विश्वास उठ जायगा। अतएव केन्द्रीय बैंक को कागजी मुद्रा की परिवर्तनशीलता को बनाये रखने के लिए उसके पीछे कुछ न कुछ धातु-कोष अवश्य ही रखना चाहिए। अन्त में, एक अच्छी कागजी मुद्रा निर्गमन पद्धति में नोटों के अति-निर्गमन पर नियन्त्रण की व्यवस्था होनी चाहिए अर्थात् कागजी नोटों को अत्यधिक मात्रा में जारी किये जाने पर रोक होनी चाहिए।

अब हमें यह देखना है कि उपर्युक्त गुण मुद्रा-प्रणाली में किस प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं? इन गुणों को प्राप्त करने के लिए कागजी मुद्रा जारी करने का कार्य देश के केन्द्रीय बैंक को सौंप देना चाहिए। केन्द्रीय बैंक को अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह कागजी मुद्रा की पूर्ति तथा धातु-कोष का प्रबन्ध स्वतन्त्रतापूर्वक करे। इस विषय में सरकार द्वारा किया गया हस्तक्षेप सीमित ही होना चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार को केवल दो प्रकार का हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रथम, सरकार कागजी मुद्रा के पीछे रखी जाने वाली न्यूनतम स्वर्णनिधि को पहले से ही निश्चित कर दे। द्वितीय, सरकार को कागजी मुद्रा की अधिकतम सीमा भी पहले से ही निश्चित कर देनी चाहिए। इन दोनों बातों को सरकार द्वारा पहले से ही निश्चित कर दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि इनके अभाव में कागजी मुद्रा की सुरक्षा तथा परिवर्तनशीलता खतरे में पड़ सकती है।

अतः कागजी मुद्रा की सुरक्षा तथा परिवर्तनशीलता को बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम धातु-कोष तथा कागजी नोटों की अधिकतम सीमा निश्चित करना नितान्त आवश्यक है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि नोटों की अधिकतम सीमा तथा न्यूनतम धातु-कोष सदा के लिए निश्चित कर दिये जायें। इन दोनों में समय-समय पर देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किये जाने चाहिए। ऐसा करने से ही देश की मुद्रा-प्रणाली में लोचकता का गुण बनाये रखा जा सकता है। यह भी स्मरण रहे कि कागजी मुद्रा-निर्गमन की कोई भी पद्धति सदा के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। किस समय पर, देश में कौन-सी पद्धति अपनायी जाय, यह देश में उस समय सोने की पूर्ति, मुद्रा-बाजार की परिस्थिति, व्यापारिक आवश्यकताओं तथा जनता के स्वभाव पर निर्भर करता है। कुछ भी हो, नोट जारी करने वाली सस्था पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए, क्योंकि सरकारी नियन्त्रण के अभाव में कागजी मुद्रा की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मुद्रा-प्रणाली की सुरक्षा के लिए लोचकता की बलि दे दी जाय। वास्तव में, एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली वह होती है जिसमें सुरक्षा तथा लोचकता दोनों का ही उचित सम्मिश्रण हो।

एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली के गुण—एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली वह होती है जिसमें निम्नलिखित गुण पाये जाते हैं

(1) सरलता—एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली में किसी प्रकार की जटिलता नहीं होनी चाहिए। यदि मुद्रा-प्रणाली जटिल है तो साधारण जनता उसे समझने में असमर्थ रहेगी। जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए मुद्रा-प्रणाली में सरलता का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, यदि मुद्रा-प्रणाली में जटिलता पायी जाती है तो ऐसी प्रणाली को प्रचलित रखने के लिए अधिक व्यय भी करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ जटिल मुद्रा-प्रणाली में अकुशलता उत्पन्न होने का भय भी रहता है।

(2) लोचकता—लोचकता से अभिप्राय यह है कि मुद्रा-प्रणाली में शीघ्रतापूर्वक मुद्रा के विस्तार तथा संकुचन का गुण होना चाहिए, अर्थात् व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होना चाहिए। यदि देश की व्यापारिक आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं तो उसी अनुपात में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होनी चाहिए। यदि मुद्रा-प्रणाली में लोचकता का अभाव है तो सकट-काल में इसके कारण गम्भीर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

(3) मितव्ययता—एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली में मितव्ययता का होना आवश्यक है अर्थात् मुद्रा-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उसके संचालन पर अधिक व्यय न करना पड़े। विशेषकर मुद्रा-प्रणाली में सोने-चाँदी का बचतपूर्ण उपयोग होना चाहिए। इसका कारण यह है कि खर्चीली मुद्रा-प्रणाली देश के लिए एक प्रकार का बोझ बन जाती है। निर्धन देशों में तो मितव्ययता का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे देशों के पास प्रायः धातु-कोषों का अभाव रहता है।

(4) परिवर्तनशीलता—एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली में कागजी मुद्रा की परिवर्तनशीलता का होना नितान्त आवश्यक है। इसके दो कारण हैं—प्रथम, मुद्रा की परिवर्तनशीलता के परिणाम-स्वरूप जनता का देश की मुद्रा-प्रणाली में विश्वास बनाये रखा जा सकता है। अनुभव यह बताता है कि जिस देश में कागजी मुद्रा परिवर्तनशील नहीं होती वहाँ की मुद्रा-प्रणाली के प्रति जनता का विश्वास अधिक नहीं होता। द्वितीय, विदेशी भगतानों की सुविधा के लिए भी मुद्रा की परिवर्तनशीलता नितान्त आवश्यक है। इसका कारण यह है कि जब देश का अदायगी शेष (balance of payments) प्रतिकूल हो जाता है तब इस प्रतिकूलता को दूर करने के लिए सोने का उपयोग आवश्यक हो जाता है। अतः मुद्रा की परिवर्तनशीलता को बनाये रखने के लिए कुछ न कुछ धातु-कोष अवश्य ही रखना चाहिए।

(5) वैधानिक निश्चितता (Legality)—एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली का यह भी गुण है कि यह सरकार द्वारा पारित कानून पर आधारित होनी चाहिए। इससे जनता देश की मुद्रा-प्रणाली के विषय में अपना निश्चित मत बना सकती है और इसके साथ ही साथ मुद्रा-प्रणाली में जनता का विश्वास भी अधिक हो जाता है। इसके विपरीत, यदि मुद्रा-प्रणाली किसी कानून पर आधा-

रित न होकर केन्द्रीय बैंक की स्वेच्छा पर निर्भर रहती है तो मुद्रा-प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो जाने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है ।

(6) स्वयंचालकता (Automatic Working)—एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली के लिए स्वयंचालकता का होना भी आवश्यक है । जैसा हम देख चुके हैं, स्वर्ण मुद्रामान स्वयंचालित हुआ करता था और इसे प्रचलित रखने के लिए किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती थी । इसी कारण, जैसा प्रो० कैनन ने कहा है, “स्वर्णमान मूर्ख-सिद्ध तथा मक्कार-सिद्ध प्रणाली थी”, अर्थात् इसमें किसी प्रकार की गड़बड़-धुत्तले की गुंजाइश नहीं होती थी । परन्तु प्रबन्धित कागजी मुद्रामान प्रणाली में स्वयंचालकता का अभाव होता है और मुद्रा का निर्गमन तथा नियमन केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है । इससे कभी-कभी गम्भीर परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं । जैसा पूर्व कहा गया है, प्रबन्धित कागजी मुद्रामान में मुद्रा-स्फीति का भय शदैव बना रहता है । अतएव इस दृष्टिकोण से कागजी मुद्रामान प्रणाली को एक अच्छी प्रणाली नहीं कहा जा सकता ।

(7) मुद्रा के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थिरता बनी रहनी चाहिए—जैसा हम जानते हैं, देश के आर्थिक विकास के लिए आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता का होना नितान्त आवश्यक है, इसलिए मुद्रा-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मुद्रा के आन्तरिक मूल्य (अथवा आन्तरिक कीमत-स्तर) में स्थिरता बनी रहे । यदि मुद्रा का आन्तरिक मूल्य स्थिर नहीं रहता, अर्थात् आन्तरिक कीमत-स्तर में भारी उतार चढ़ाव होते हैं तो इससे आर्थिक विकास को धक्का लगता है । इसी प्रकार विदेशी व्यापार के विकास के लिए भी मुद्रा के बाह्य मूल्य (external value) अथवा विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता का होना अत्यन्त आवश्यक है । जैसा हम पहले देख चुके हैं, विदेशी विनिमय-दरों में अधिक उतार-चढ़ाव होने से अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अतएव देश के सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए मुद्रा के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थिरता का होना बहुत आवश्यक है ।

भारत की वर्तमान मुद्रा-प्रणाली में उपर्युक्त गुणों का समावेश कहाँ तक है ?—जैसा विदित है, भारत में इस समय कागजी मुद्रामान प्रचलित है । इस मुद्रा-व्यवस्था में एक अच्छी मुद्रा-प्रणाली के अनेक गुण पाये जाते हैं । भारत में कागजी मुद्रा का निर्गमन न्यूनतम निधि प्रणाली (minimum reserve system) के अनुसार हाता है । इसलिए कागजी मुद्रा के पीछे अत्यधिक मात्रा में धातु कोष रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती । इस दृष्टिकोण से भारतीय मुद्रा-प्रणाली मितव्ययी (economical) है । इसके साथ ही साथ भारत की मुद्रा-प्रणाली में लोचकता का गुण भी पाया जाता है, क्योंकि देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन किये जा सकते हैं । भारतीय मुद्रा-प्रणाली में वैधानिक निश्चितता का गुण भी पाया जाता है, क्योंकि यह समूची प्रणाली सरकार द्वारा पारित कानूनों पर आधारित है । भारत में मुद्रा-निर्गमन, मुद्रा-नियन्त्रक की व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार नहीं हो सकता, बल्कि समूची प्रक्रिया कानून द्वारा शासित होती है । यह सत्य है कि भारतीय मुद्रा-प्रणाली में परिवर्तनशीलता का गुण नहीं पाया जाता । परन्तु परिवर्तनशीलता का यह अभाव किसी प्रकार से श्रुतिपूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का सदस्य होने के नाते भारत की मुद्रा-प्रणाली में परिवर्तनशीलता का गुण होना आवश्यक नहीं रह गया है । जहाँ उपर्युक्त गुणों का भारतीय प्रणाली में समावेश है, वहाँ इस प्रणाली में कुछ श्रुतियाँ भी पायी जाती हैं । प्रथम भारतीय प्रणाली में सरसता नहीं पायी जाती । यह प्रणाली बहुत जटिल सिद्ध हुई है और साधारण जनता इसे समझने में असमर्थ है । द्वितीय, इस प्रणाली में स्वयंचालकता का भी अभाव है । इसे प्रचलित रखने के लिए सरकार को निरन्तर हस्तक्षेप करना पड़ता है । तृतीय, इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता का भी अभाव रहा है । दूसरे विश्व-युद्ध के आरम्भ से लेकर अब तक आन्तरिक कीमत-स्तर में निरन्तर वृद्धि होती रही है और मुद्रा का मूल्य निरन्तर गिरता चला जा रहा है । भारत के वित्त मन्त्री के अनुसार अक्टूबर, 1974 में भारतीय रुपये का मूल्य केवल 276 पैसे ही रह गया था । एक बहुत बड़े अर्थ तक मुद्रा प्रणाली की अपर्याप्तता ही इसके लिए उत्तरदायी है । वास्तव में, मुद्रा के आन्तरिक मूल्य की अस्थिरता भारतीय मुद्रा-प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है । भारत सरकार ने समय-समय पर मुद्रा-प्रणाली के इस

दोष को दूर करने के प्रयत्न किये हैं, परन्तु उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। आन्तरिक कीमतें बराबर बढ़ती चली जा रही हैं। जहाँ भारतीय रुपये के आन्तरिक मूल्य में बराबर हास होता चला जा रहा है, वहाँ दूसरी ओर इसके बाह्य मूल्य में 6 जून, 1966 तक बराबर स्थिरता रही है (स्मरण रहे कि 6 जून, 1966 को भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य को कम कर दिया गया था)।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1 प्रबन्धित करेंसी से क्या अभिप्राय है ? इसके गुण-दोषों की विवेचना कीजिए।
(विक्रम, 1968, आगरा, 1968, आगरा, 1972)
[संकेत - प्रथम भाग में, प्रबन्धित करेंसी अथवा कागजी मुद्रामान की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, इसके गुण-दोषों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]
- 2 कागजी मुद्रा के निर्गमन को विभिन्न प्रणालियाँ क्या-क्या हैं ? विकासशील देश के लिए कौन-सी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है ?
(आगरा पू, 1975)

अथवा

पत्र-मुद्रा निर्गमन की विभिन्न प्रणालियों का विवेचन कीजिए तथा बताइए कि एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए इनमें से कौन-सी प्रणाली श्रेष्ठ है ? कारण दीजिए।

(इन्दौर, 1968)

[संकेत—प्रथम भाग में, नोट जारी करने की आठ प्रणालियों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए और यह भी बताइए कि ये प्रणालियाँ किन किन देशों में कार्यशील रही हैं। दूसरे भाग में इन प्रणालियों के गुणों तथा दोषों की विवेचना कीजिए और अन्त में, यह निष्कर्ष निकालिए कि न्यूनतम निधि प्रणाली वास्तव में, सबसे अच्छी प्रणाली है। एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए यह बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि इसमें मितव्ययता एवं लोचकता के दोना गुण पाये जाते हैं।]

- 3 किसी देश में नोट-निर्गमन किन्-किन् बातों के आधार पर होना चाहिए ? विभिन्न सिद्धान्तों को समझाइए।

अथवा

कागजी मुद्रा के निर्गमन के चलन सिद्धान्त तथा बैंकिंग सिद्धान्त को समझाइए। इनमें से आप किस सिद्धान्त का समर्थन करते हैं ? कारणों सहित बताइए। (विक्रम, 1968)

[संकेत—यहाँ पर नोट निर्गमन के दो मुख्य सिद्धान्तों—करेंसी सिद्धान्त एवं बैंकिंग सिद्धान्त—की व्याख्या करते हुए इनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए। इनके साथ ही इनके गुण-दोषों की विवेचना कीजिए। अन्त में, यह निष्कर्ष निकालिए कि इन दोनों में से बैंकिंग सिद्धान्त श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें सुरक्षा एवं लोचकता के दोनों गुण पाये जाते हैं।]

- 4 सरकार द्वारा नोट-निर्गमन और बैंक द्वारा नोट-निर्गमन के सापेक्षिक लाभों को बताइए।
(आगरा, बी० कॉम०, 1959)

[संकेत—यहाँ पर पहले सरकार द्वारा कागजी मुद्रा निर्गमन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। इसके उपरान्त बैंक द्वारा मुद्रा निर्गमन के पक्ष में युक्तियाँ दीजिए और अन्त में यह निष्कर्ष निकालिए कि नोट जारी करने का कार्य सरकार की अपेक्षा केन्द्रीय बैंक को सौंपा जाना चाहिए।]

- 5 एक अच्छी पत्र-मुद्रा प्रणाली की विशेषताएँ बताइए। भारतीय पत्र-मुद्रा प्रणाली में ये विशेषताएँ कहाँ तक पायी जाती हैं ?
(आगरा बी० कॉम०, 1962)

अथवा

श्रेष्ठ मुद्रामान के क्या गुण हैं ? भारतीय मुद्रामान के संदर्भ में बताइए। (आगरा, 1971)

[संकेत—प्रथम भाग में एक अच्छी कागजी मुद्रा-प्रणाली के सात मुख्य गुणों की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि इनमें से कौन-कौन से गुण भारतीय प्रणाली में विद्यमान हैं और कौन-कौनसे नहीं हैं।]

6

मुद्रा के सिद्धान्त (Theories of Money)

मुद्रा के सिद्धान्तों को भलीभाँति समझने के लिए 'मुद्रा के मूल्य' का अर्थ जानना आवश्यक है।

मुद्रा का मूल्य (Value of Money)

'मुद्रा-मूल्य' के निम्नलिखित तीन अर्थ लगाये जाते हैं

(1) मुद्रा-मूल्य से अभिप्राय ब्याज-दर से होता है—कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार वस्तु-बाजार की भाँति मुद्रा का भी बाजार होता है। जिस प्रकार वस्तु-बाजार में वस्तुएँ खरीदी व बेची जाती हैं, उसी प्रकार मुद्रा-बाजार में भी मुद्रा का क्रय-विक्रय होता है, परन्तु इन दोनों में एक महत्वपूर्ण अन्तर भी है। वस्तु-बाजार में वस्तुएँ मुद्रा के बदले में बेची जाती हैं, परन्तु मुद्रा-बाजार में मुद्रा का विक्रय मुद्रा को वापस लौटा देने की प्रतिज्ञा के बदले होता है। जब किसी व्यक्ति को लौटाने की प्रतिज्ञा के बदले मुद्रा उधार दी जाती है तो उस व्यक्ति से मुद्रा देने वाला व्यक्ति अर्थात् ऋणदाता ब्याज लेता है। दूसरे शब्दों में, जब मुद्रा उधार दी जाती है तो वास्तव में यह मुद्रा का विक्रय ही होता है और इस प्रकार मुद्रा देने वाला व्यक्ति अर्थात् ऋणदाता ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, यही कारण है कि कुछ अर्थशास्त्री ब्याज को ही मुद्रा का मूल्य मानते हैं। परन्तु, वास्तव में, यह मुद्रा के मूल्य का सही अर्थ नहीं है, यद्यपि मुद्रा-बाजार के सन्दर्भ में ब्याज को ही मुद्रा का मूल्य माना जाता है।

(2) मुद्रा-मूल्य से अभिप्राय सामान्य कीमत-स्तर से है—कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि मुद्रा-मूल्य से अभिप्राय मुद्रा के बाह्य मूल्य (external value) से होता है, अर्थात् मुद्रा के मूल्य का अभिप्राय विदेशी विनिमय-दर से होता है। अपने देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में किसी अन्य देश की मुद्रा की जितनी मात्रा उपलब्ध होती है, वही उसका बाह्य मूल्य होता है। अब यह भी मुद्रा-मूल्य का सही अर्थ नहीं माना जा सकता, यद्यपि विदेशी व्यापार के सन्दर्भ में मुद्रा के मूल्य से यही अभिप्राय होता है।

(3) मुद्रा-मूल्य से अभिप्राय सामान्य कीमत-स्तर से है—वास्तव में, मुद्रा-मूल्य का यही अर्थ सही माना जाता है। मुद्रा के मूल्य का अभिप्राय मुद्रा की क्रय-शक्ति (purchasing power) से होता है। जिस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मुद्रा के रूप में नापी जाती हैं, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य उसकी इकाई के बदले में उपलब्ध होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है। परन्तु यहाँ पर एक बड़ी कठिनाई यह है कि जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को नापने के लिए मुद्रा के रूप में एक निश्चित इकाई होती है, वहाँ मुद्रा के मूल्य को नापने के लिए कोई एक निश्चित इकाई उपलब्ध नहीं होती। जैसा स्पष्ट है, मुद्रा के मूल्य को मुद्रा ही में नहीं नापा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मुद्रा का मूल्य नापने के लिए

किसी एक वस्तु अथवा सेवा को भी निश्चित नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि मुद्रा स्वयं ही सामूहिक मापक का कार्य करती है, इसलिए मुद्रा के मूल्य को सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं में ही व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा का मूल्य नापने के लिए हम वस्तुओं और सेवाओं के एक निश्चित समूह का मूल्य मापक के रूप में प्रयोग करते हैं।

इस प्रकार मुद्रा का मूल्य निकालने के लिए हमें मुद्रा की सामान्य क्रय-शक्ति को जानना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा का मूल्य निकालने के लिए हमें सामान्य कीमत-स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। वास्तव में, मुद्रा की क्रय-शक्ति अथवा सामान्य कीमत स्तर एक ही चीज है। मुद्रा का मूल्य निकालने के लिए हमें सामान्य कीमत-स्तर का अनुमान लगाना पड़ता है और सामान्य कीमत स्तर देश में उपलब्ध होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत (average price) होती है। स्पष्ट है कि देश की सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का औसत निकालना कठिन होता है इसलिए हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को सभी वस्तुओं और सेवाओं के प्रतिनिधि के रूप में चुन लेते हैं और फिर चुनी हुई वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत निकाल लेते हैं। इस औसत कीमत को ही सामान्य कीमत-स्तर कहा जाता है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि हमने 300 वस्तुओं तथा 100 सेवाओं को प्रतिनिधि के रूप में चुना है। यह भी मान लीजिए कि इन 300 वस्तुओं की कीमतों का योग 300 रुपये और 100 सेवाओं की कीमतों का कुल जोड़ 200 रुपये है, इस प्रकार 300 वस्तुओं + 100 सेवाओं (कुल 400 इकाइयों) की सामूहिक कीमत $300 + 200 = 500$ रुपये होगी। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमत $500 \div 400$ अर्थात् $1\frac{1}{4}$ रुपये होगी अर्थात् मुद्रा की 1 इकाई की क्रय-शक्ति $\frac{1}{4}$ इकाई वस्तुएँ तथा सेवाएँ होगी।

मुद्रा-मूल्य और सामान्य कीमत-स्तर का सम्बन्ध (Relationship Between Value of Money and the General Price Level)

यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुद्रा मूल्य तथा सामान्य कीमत स्तर में विपरीत सम्बन्ध होता है। यदि सामान्य कीमत-स्तर बढ़ जाता है तो मुद्रा मूल्य कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि बढ़ी हुई कीमतों के कारण अब मुद्रा की एक निश्चित मात्रा के बदले में पहले की तुलना में कम वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध होती हैं। इसके विपरीत, यदि सामान्य कीमत-स्तर घट जाता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि घटी हुई कीमतों के कारण अब मुद्रा की एक निश्चित मात्रा के बदले में पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं। इस प्रकार मुद्रा-मूल्य और सामान्य कीमत-स्तर में विपरीत सम्बन्ध होता है।

संक्षेप में, मुद्रा का मूल्य, वास्तव में, मुद्रा की क्रय शक्ति ही होती है। मुद्रा की क्रय शक्ति को सामान्य कीमत-स्तर से जाना जा सकता है। यदि सामान्य कीमत-स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो मुद्रा के मूल्य में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। परन्तु स्मरण रहे कि मुद्रा के मूल्य का सम्बन्ध सामान्य कीमत-स्तर से होता है, किसी विशेष वस्तु तथा सेवा की कीमत से नहीं होता। यह सम्भव है कि किसी समय कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हों, परन्तु उसी समय अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घट रही हों। इसका परिणाम यह होगा कि सामान्य कीमत स्तर में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन होते हुए भी मुद्रा का मूल्य अपरिवर्तित ही रहेगा।

मुद्रा का मूल्य-निर्धारण (Determination of the Value of Money)

मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त समझने से पूर्व यह भी जान लेना आवश्यक है कि मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित होता है, अर्थात् मुद्रा का मूल्य किन-किन बातों पर निर्भर रहता है और इसके मूल्य में समय-समय पर क्यों परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा विदित है, मूल्य के सामान्य सिद्धान्त (general theory of value) के अनुसार किसी वस्तु अथवा सेवा का मूल्य उसकी माँग तथा पूर्ति से निर्धारित होता है। यदि वस्तु की माँग बढ़ जाती है, तो इसका मूल्य भी बढ़ जाता है।

इसके विपरीत, यदि वस्तु की माँग घट जाती है, तो इसका मूल्य भी घट जाता है। इसी प्रकार वस्तु की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों से भी मूल्य में परिवर्तन होते हैं। यदि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, तो उसका मूल्य घट जाता है। इसके विपरीत, यदि किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु की माँग तथा इसके मूल्य में सीधा सम्बन्ध (direct relationship) होता है। परन्तु वस्तु की पूर्ति तथा इसके मूल्य में विपरीत सम्बन्ध (inverse relationship) होता है। जिस बिन्दु पर वस्तु की माँग और पूर्ति का सन्तुलन (equilibrium) स्थापित हो जाता है, वही पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है।

चूँकि मुद्रा भी एक वस्तु है, इसलिए वस्तु की भाँति मुद्रा का मूल्य भी इसकी माँग तथा पूर्ति की शक्तियों से निश्चित होता है। दूसरे शब्दों में, वस्तु की भाँति मुद्रा का मूल्य भी उस बिन्दु पर निश्चित होता है जहाँ पर मुद्रा की माँग और उसकी पूर्ति में सन्तुलन स्थापित हो जाता है। अब मुद्रा के मूल्य-निर्धारण को भलो-भाति समझने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा की माँग तथा मुद्रा की पूर्ति के अर्थों को समझा जाय।

मुद्रा की माँग—यहाँ पर यह बात देना आवश्यक है कि किसी वस्तु की माँग और मुद्रा की माँग में एक आधारभूत अन्तर होता है। किसी वस्तु की माँग लोगों द्वारा इसलिए की जाती है, क्योंकि उसमें उपयोगिता होती है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु की माँग इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता को सन्तुष्ट करने की क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु की माँग इसकी उपयोगिता के कारण ही होती है, परन्तु मुद्रा की माँग के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुद्रा में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की किसी भी आवश्यकता को सन्तुष्ट करने की क्षमता नहीं होती। मुद्रा तो केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही व्यक्ति की किसी आवश्यकता को सन्तुष्ट करती है, अर्थात् वह व्यक्ति पहले मुद्रा से वस्तु खरीदता है और वही वस्तु बाद में आवश्यकता को सन्तुष्ट करती है, इसलिए मुद्रा किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप में सन्तुष्ट नहीं करती। मुद्रा की माँग तो इसलिए की जाती है, क्योंकि इसमें क्रय-शक्ति होती है और इसकी सहायता से वस्तुओं को खरीदा जा सकता है जो आगे चलकर हमारी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी देश में मुद्रा की माँग वहाँ पर उपलब्ध होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति पर निर्भर रहती है। इसका कारण यह है कि आजकल अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन विनिमय के लिए किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा की माँग किसी विशेष समय पर बाजार में विनिमय के लिए उपलब्ध होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति पर निर्भर करती है। जैसा विदित है बाजार में विनिमय हेतु आने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा सदा के लिए निश्चित नहीं होती, बल्कि उसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए मुद्रा की माँग भी सदैव एक जैसी नहीं रहती, बल्कि उसमें भी समय-समय पर बाजार में विनिमय हेतु उपलब्ध होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं।

मुद्रा की पूर्ति—मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं की सामूहिक पूर्ति से है जो किसी देश में किसी समय विशेष पर विनिमय के माध्यम के रूप में प्रचलित होती हैं। यहाँ पर हम मुद्रा के अर्थ को इसके सङ्कुचित रूप में नहीं लेते हैं। मुद्रा के अन्तर्गत हम तीन प्रकार की मुद्राएँ रख सकते हैं—(क) धातु मुद्रा, (ख) बाणजी मुद्रा, (ग) साख-मुद्रा। चूँकि मुद्रा का महत्त्व इसके विनिमय के माध्यम के रूप में होता है, इसलिए मुद्रा के मूल्य निर्धारण का अध्ययन करते समय हम उन सभी मुद्राओं को सम्मिलित कर लेते हैं जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती हैं। यद्यपि सङ्कुचित अर्थ में साख-मुद्रा वास्तविक मुद्रा नहीं है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति का अनुमान लगाते समय हम साख-मुद्रा को भी सम्मिलित करते हैं क्योंकि साख-मुद्रा भी विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति के अन्तर्गत हम विधिप्राप्त तथा गैर-विधिप्राप्त दोनों प्रकार की मुद्राओं को सम्मिलित करते हैं। परन्तु यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मुद्रा का वह भाग जो विनिमय के माध्यम का कार्य नहीं करता, अर्थात् जो वस्तुओं तथा सेवाओं के त्रय विक्रय में इस्तेमाल नहीं होता अथवा जो भूमि में गड़ा हुआ है, वह मुद्रा की पूर्ति का अग नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार किसी समय पर मुद्रा की पूर्ति के अन्तर्गत केवल वही मुद्रा सम्मिलित की जाती है जो उत्पादन अथवा उपभोग के कार्यों के प्रयोग में आ रही है,

अर्थात् जो प्रचलन में है। अतः मुद्रा की पूर्ति पर मुद्रा के संचलन-वेग (velocity of circulation) का भी प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार माँग और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का मूल्य विनिमय हेतु बाजार में आने वाली अथवा विनिमय-साध्य वस्तुओं की पूर्ति तथा उपलब्ध मुद्रा की पूर्ति से निश्चित होता है। जब मुद्रा की माँग अथवा पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तब मुद्रा के मूल्य में भी कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। इस प्रकार सामान्य कीमत-स्तर मुद्रा के मूल्य को व्यक्त करता है। जब सामान्य कीमत-स्तर बढ़ता है, तब मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इसके विपरीत, जब सामान्य कीमत-स्तर घटता है, तब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य कीमत-स्तर में विपरीत सम्बन्ध होता है। चूँकि मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत-स्तर द्वारा प्रकट किया जाता है, इसलिए सामान्य कीमत-स्तर के परिवर्तन ही मुद्रा के मूल्य-परिवर्तन के सूचक होते हैं।

इस प्रकार प्रो० रॉबर्टसन (Robertson) के शब्दों में, "मुद्रा भी अन्य आर्थिक वस्तुओं में से एक है। अतः उसका मूल्य भी अन्य वस्तुओं की भाँति उसकी माँग एवं पूर्ति द्वारा निश्चित किया जाता है।"¹

किन्तु स्मरण रहे कि वस्तु एवं मुद्रा में स्थापित की गयी उक्त समानता पूर्ण नहीं है। वास्तव में, वस्तु एवं मुद्रा में निम्नलिखित अन्तर पाये जाते हैं

(क) जैसा पहले कहा गया है, मुद्रा में अपनी कोई उपयोगिता नहीं होती, इसलिए इसमें मानवीय आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने की प्रत्यक्ष क्षमता नहीं होती। मुद्रा तो अप्रत्यक्ष रूप में ही मानवीय आवश्यकताओं को सन्तुष्ट कर सकती है। इसके विपरीत, वस्तुओं में मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष सन्तुष्ट करने की शक्ति होती है।

(ख) मुद्रा का निगमन अन्य वस्तुओं की भाँति नहीं होता। वस्तुओं का उत्पादन तो भूमि, श्रम, पूँजी आदि के सहयोग से होता है जबकि मुद्रा का निगमन सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग) वस्तुओं का प्रायः एक ही बार अन्तिम उपभोग हो जाता है जबकि मुद्रा का उपयोग निरन्तर जारी रहता है। मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित होती रहती है।

मुद्रा के सिद्धान्त (Theories of Money)

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मुद्रा के मूल्य में समय-समय पर परिवर्तन क्यों होते रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुद्रा के विभिन्न सिद्धान्तों द्वारा दिया गया है। इस समय मुद्रा के मूल्य-परिवर्तन के सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं—(1) मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त, (2) मुद्रा का राज्यीय सिद्धान्त, (3) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त, (4) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का केम्ब्रिज समीकरण, (5) केन्ज का मौद्रिक सिद्धान्त और (6) मुद्रा का आय सिद्धान्त।

(1) मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त (Commodity Theory of Money)—यह मुद्रा-मूल्य का प्राचीनतम सिद्धान्त है। प्रो० रॉबर्टसन (Robertson) एवं प्रो० जे० एल० लाफलिन (J L. Laughlin) इस सिद्धान्त के आधुनिक समर्थक हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा भी अन्य वस्तुओं की भाँति एक वस्तु है अतः इसका मूल्य एक वस्तु की भाँति इसकी माँग एवं पूर्ति से निर्धारित होता है। किन्तु स्मरण रहे कि मुद्रा की माँग से तात्पर्य उस वस्तु की माँग से है जिससे मुद्रा का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय उस वस्तु की पूर्ति से है जिससे मुद्रा बनायी जाती है। उदाहरणार्थ, यदि मुद्रा स्वर्ण से बनायी जाती है (अर्थात् प्रचलन में स्वर्ण के सिक्के हैं) तो मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की माँग एवं पूर्ति से निर्धारित होगा। यदि स्वर्ण का मूल्य बढ़ जाता है तो मुद्रा का मूल्य भी बढ़ जायगा। इसके विपरीत, यदि स्वर्ण का मूल्य गिर

1 "Money is only one of many economic things. Its value is, therefore, primarily determined by exactly the same two factors as determined the value of any other thing, namely the conditions of demand for it, and the quantity of it available."

जाता है तो मुद्रा का मूल्य भी गिर जायेगा। यह आवश्यक नहीं कि मुद्रा स्वर्ण की ही होनी चाहिए। मुद्रा चाँदी एवं अन्य धातुओं से भी बनायी जा सकती है। लेकिन इसका मूल्य उस धातु के मूल्य से ही शासित होगा।

मुद्रा का वस्तु सिद्धान्त प्राचीनकाल के लिए तो ठीक था क्योंकि तब विभिन्न देशों में मुद्रा स्वर्ण अथवा चाँदी से बनायी जाती थी। निश्चय ही उसका मूल्य दान धातुओं की माँग एवं पूर्ति से निर्धारित हुआ करता था। लेकिन आधुनिक काल में मुद्रा स्वर्ण एवं चाँदी से नहीं बनायी जाती। आजकल तो लगभग सभी देशों में मुद्रा कागज से ही बनी जाती है। यह कागजी मुद्रा प्रायः अपरिवर्तनशील होती है। अतः यह कहना उचित नहीं कि मुद्रा का मूल्य आजकल कागज की माँग एवं पूर्ति से निश्चित होता है। स्पष्ट है कि आधुनिक कागजी मुद्रा का मूल्य उसमें निहित वस्तु (अर्थात् कागज) के मूल्य से कहीं अधिक होता है।

इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि कागजी मुद्रा का मूल्य उसमें निहित वस्तु (कागज) से निर्धारित नहीं होता, बल्कि यह तो कागजी मुद्रा के पीछे रखी गयी स्वर्ण-निधि से निश्चित होता है, लेकिन यह स्वीकार कर लेने पर भी वस्तु-मुद्रा सिद्धान्त सत्य नहीं सिद्ध होता। विगत शताब्दी में स्वर्ण के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी संसार के अधिकांश देशों में वस्तु कीमतों में वृद्धि होने से मुद्रा के मूल्य में ह्रास हुआ था।

इसके अतिरिक्त, अब मानक वस्तु-मुद्रा का युग समाप्त हो चुका है। आजकल सभी देशों में धातु-सिक्के सांकेतिक ही हैं। अतः धातुओं के मूल्यों का मुद्रा-मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में वस्तु-मुद्रा-सिद्धान्त का मूल्य-निर्धारण में कुछ भी महत्त्व नहीं रहा है।

(2) मुद्रा का राज्तीय सिद्धान्त (State Theory of Money)—इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का मूल्य राज्य द्वारा निर्धारित होता है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रो० फ्रेड्रिक नैप द्वारा किया गया है। प्रो० नैप के अनुसार, "मुद्रा की आत्मा इसकी इकाइयों में प्रयुक्त सामग्री में निहित नहीं है, बल्कि उन कानूनी अध्यादेशों में है जो उसके प्रयोग को नियमित करते हैं।" दूसरे शब्दों में, मुद्रा का मूल्य इसके निर्माण में प्रयुक्त किये गये पदार्थों से नहीं, बल्कि राज्तीय सत्ता से निर्धारित होता है। चूँकि आधुनिक काल में मुद्रा का निर्गमन एवं नियन्त्रण सरकार द्वारा किया जाता है, अतः सरकार ही इसके मूल्य को निर्धारित करने की स्थिति में है। प्रो० नैप के कथनानुसार राज्य मुद्रा के मूल्य को निम्न प्रकार से निर्धारित करता है

(क) वैधानिक स्वीकृति—मुद्रा को वैधानिक स्वीकृति देने से ही इसका मूल्य उत्पन्न होता है। यदि किसी पदार्थ को राज्य वैधानिक स्वीकृति प्रदान नहीं करता तब ऐसे पदार्थ को जनता कभी भी मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इसी वैधानिक स्वीकृति के ही कारण मुद्रा विनियम का माध्यम बन जाती है, यहाँ तक कि भविष्य के सोदे भी मुद्रा के माध्यम से किये जाते हैं। इस तरह मुद्रा का मूल्य राज्य द्वारा प्रदान की गयी वैधानिक स्वीकृति के ही कारण होता है।

(ख) मुद्रा-निर्गमन—मुद्रा के निर्गमन को नियमित एवं नियन्त्रित करके भी राज्य मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करता है। यदि राज्य मुद्रा के मूल्य को बढ़ाना चाहता है तो वह मुद्रा की मात्रा में कमी करके ऐसा कर सकता है। वास्तव में, मुद्रा-निर्गमन राज्य के हाथों में एक ऐसा अस्त्र है जिसके प्रयोग से वह चाहे जिस स्तर पर मुद्रा का मूल्य स्थिर कर सकता है।

(ग) वस्तु-कीमत-नियन्त्रण—पूँजीवादी देशों में कभी-कभी असाधारण समयों में राज्य वस्तु-कीमत-नियन्त्रण (Price-control) की नीति अपनाता है, अर्थात् विभिन्न प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं। इस नीति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में सरकार मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करती है।

1 "The soul of currency is not in the material of the pieces, but in the legal ordinances which regulate their use."
—George F. Knapp

मुद्रा के राज्यीय सिद्धान्त की आलोचना—इस सिद्धान्त की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गयी है

(क) आलोचकों का कहना है कि केवल वैधानिक स्वीकृति देकर ही सरकार किसी पदार्थ को मुद्रा का रूप प्रदान नहीं कर सकती। यह भी आवश्यक है कि ऐसा पदार्थ को जनता मुद्रा के रूप में स्वीकार भी करे। यदि जनता किसी पदार्थ का स्वीकार नहीं करती तो वैधानिक मान्यता होने पर भी वह पदार्थ मुद्रा के कार्य सम्पन्न नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् जर्मनी में मार्क के नोट का वैधानिक मान्यता ता प्राप्त थी लेकिन इसके बावजूद मार्क का नोट मुद्रा के कार्य सम्पन्न नहीं कर सका, क्योंकि जर्मनी की जनता ने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। इस प्रकार केवल राज्यीय सत्ता के आधार पर मुद्रा के चलन को जारी रखना सम्भव नहीं है।

(ख) आलोचकों का कहना है कि इस बात में भी कोई विशेष सार नहीं है कि मुद्रा के निगमन को नियमित करके सरकार इसके मूल्य को निर्धारित करती है। यह सही है कि मुद्रा की पूर्ति में कमी अथवा वृद्धि करके सरकार मुद्रा के मूल्य में क्रमशः वृद्धि अथवा कमी कर सकती है। परन्तु इसका वास्तविक अर्थ तो यह निकलता है कि मुद्रा के मूल्य पर उसकी पूर्ति का प्रभाव पड़ता है। सरकार तो केवल पूर्ति में परिवर्तन करने का माध्यम मात्र ही है। मुद्रा के मूल्य का निर्धारण प्रत्यक्षतः मुद्रा-पूर्ति के परिवर्तनों से होता है।

(ग) यह भी आलोचना की जाती है कि मुद्रा के मूल्य पर सरकार की वस्तु कीमत नियन्त्रण नीति का प्रभाव केवल सीमित ही होता है। इसका कारण यह है कि सरकार कुछ गिनी-चुनी वस्तुओं की कीमतों को ही नियन्त्रित करती है। इसके अलावा, चौर-बाजार में ये वस्तुएँ सरकार द्वारा निश्चित कीमतों से कहीं अधिक दामों पर बिकती हैं। अतः वस्तु कीमत-नियन्त्रण नीति द्वारा सरकार मुद्रा के मूल्य को अधिक प्रभावित नहीं कर सकती।

किन्तु उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धान्त में सत्यता का कुछ अंश विद्यमान है। यह सही है कि सरकार मुद्रा के मूल्य को पूर्णतः निर्धारित नहीं कर सकती लेकिन फिर भी अपनी नीतियों द्वारा वह इसे पर्याप्त मात्रा में प्रभावित कर सकती है। अतः यह सिद्धान्त बेकार नहीं कहा जा सकता।

3) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money)—मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का प्रतिपादन सर्वप्रथम इटली के अर्थशास्त्री दवन्जत्ती (Danzati) ने किया था। यह सिद्धान्त वास्तव में एक बहुत ही प्राचीन सिद्धान्त है। आधुनिक काल में इस सिद्धान्त को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमरीका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इरविंग फिशर (Irving Fisher) को है। इरविंग फिशर ने इस सिद्धान्त के विश्लेषण तथा स्पष्टीकरण में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। इस सिद्धान्त की परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं

जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill) ने इस सिद्धान्त की परिभाषा इन शब्दों में की है 'यदि अन्य बातें यथास्थिर रहती हैं तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन उसकी मात्रा की ठीक विपरीत दिशा में होते हैं। मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि उसके मूल्य को उसी अनुपात में घटाती है और मुद्रा की प्रत्येक कमी उसके मूल्य को उसी अनुपात में बढ़ाती है।'¹

विकसल (Wicksell) ने इस सिद्धान्त की परिभाषा इस प्रकार की है, 'मुद्रा के मूल्य अथवा मुद्रा की त्रय शक्ति में उसके परिमाण के विपरीत अनुपात में परिवर्तन होते हैं जिससे मुद्रा के परिमाण की प्रत्येक वृद्धि अथवा कमी अन्य बातें यथास्थिर रहने पर, वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में उसकी त्रय शक्ति में आनुपातिक कमी अथवा वृद्धि उत्पन्न करेगी और इस प्रकार वस्तुओं की कीमतों में उतनी ही वृद्धि अथवा कमी होगी।'²

1 'The value of money other things being the same varies inversely as its quantity every increase of quantity lowers the value and every diminution raising it in a ratio exactly equivalent
—J S Mill

2 " according to the Quantity Theory the value or purchasing power of money varies in inverse proportion to its quantity, so that an increase or decrease in the quantity of


प्रो० टॉसिग (Taussig) के अनुसार, "यदि अन्य बातें समान रहे, तो मुद्रा के परिमाण को दुगुना करने पर कीमतें पहले की अपेक्षा दुगुनी हो जायेंगी और मुद्रा का मूल्य पहले से आधा रह जायगा। यदि अन्य बातें समान रहे तो मुद्रा के परिमाण को आधा करने पर कीमतें पहले की अपेक्षा आधी रह जायेंगी और मुद्रा का मूल्य पहले से दुगुना हो जायगा।"¹

प्रो० टॉमस (Thomas) के शब्दों में, "मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा का मूल्य इसकी माँग तथा पूर्ति के सम्बन्ध से निर्धारित होता है। यह सिद्धान्त इस बात पर जोर देता है कि मुद्रा की माँग की स्थिति दी हुई होने पर पूर्ति में वृद्धि अथवा कमी होने की दशा में सामान्य कीमत-स्तर में अनुपातिक वृद्धि अथवा कमी होगी और चूंकि मुद्रा का मूल्य कीमत-स्तर की विपरीत दिशा में रहता है इसलिए मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर इसका मूल्य नीचे गिरेगा और मात्रा में कमी होने से इसका मूल्य ऊँचा जायगा।"²

उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात् हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं

(क) मुद्रा के परिमाण तथा देश के सामान्य कीमत-स्तर में सीधा अनुपातिक सम्बन्ध (direct proportional relationship) होता है। अन्य बातें समान रहते हुए, यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो सामान्य कीमत-स्तर में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत, यदि मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है, तो सामान्य कीमत-स्तर में भी उसी अनुपात में कमी हो जाती है।

मुद्रा-पूर्ति तथा कीमत-स्तर के अनुपातिक सम्बन्ध को निम्न रेखाकृति द्वारा व्यक्त किया जा सकता है



इस रेखाकृति में अ ब के सहारे मुद्रा की मात्रा को व्यक्त किया गया है और अ स के साथ-साथ कीमत-स्तर को प्रदर्शित किया गया है। जब चलन में मुद्रा की कुल मात्रा अ m_1 होती है तो सामान्य कीमत स्तर अ p_1 के बराबर होता। जब मुद्रा की मात्रा को दुगुना कर दिया जाता है, अर्थात् यह अ m_2 हो जाती है तो कीमत-स्तर भी दुगुना हो जाता है, अर्थात् यह अ p_1 से बढ़कर अ p_2 हो जाता है। इसी प्रकार जब मुद्रा की मात्रा को आधा कर दिया जाता है, अर्थात् वह अ m_1 से घटाकर अ m_3 हो जाती है तो सामान्य कीमत-स्तर भी अ p_1 से घटकर अ p_3 रह जाता है, अर्थात् आधा हो जाता है। क ड, बरू ख, ग, घ

money, other things being equal, will cause a proportionate decrease or increase in its purchasing power in terms of other goods, and thus a corresponding increase or decrease in all commodity prices" —Wicksell

1 "Double the quantity of money and other things being equal, prices will be twice as high as before and the value of money one-half. Halve the quantity of money and other things being equal, prices will be one half of what they were before and the value of money double" —Taussig

2 "According to the Quantity Theory of Money - the value of money is determined by the relation between the demand for money and its supply. It asserts that given the conditions of demand for money any given increase or decrease in its supply will lead to a proportionate increase or decrease in the general level of prices and as the value of money varies inversely with the price level, an increase in the volume of money will lead to a fall in its value and a decrease to a rise in that value" —Thomas

तीन बिन्दुओं में से होकर गुजरता है और मुद्रा-पूति तथा कीमत-स्तर के आनुपातिक सम्बन्ध को व्यक्त करता है।

(ख) मुद्रा के परिमाण तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक सम्बन्ध (inverse proportional relationship) होता है। अन्य बातें समान रहते हुए, यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। इसके विपरीत, यदि मुद्रा के परिमाण में कमी होती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है।

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की मान्यताएँ (Assumptions of the Quantity Theory of Money)—जैसा हमने ऊपर देखा है, सभी अर्थशास्त्रियों ने परिमाण सिद्धान्त की परिभाषाएँ देते हुए "अन्य बातें समान रहे" वाक्यांश का प्रयोग किया है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त तभी कार्यशील होता है जब अन्य बातें समान रहती हैं अथवा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना। अब हम यह देखेंगे कि वे कौन-सी बातें हैं जिनका मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की कार्य-शीलता के लिए समान रहना आवश्यक है, अर्थात् मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की मान्यताएँ क्या-क्या हैं? मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की मान्यताएँ निम्नलिखित हैं

(1) व्यापार की मात्रा स्थिर रहनी चाहिए अथवा मुद्रा की माँग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए—मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त तभी कार्यशील होता है जबकि मुद्रा द्वारा किये जाने वाले कार्यों में अथवा व्यापार की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा हम देख चुके हैं, मुद्रा की माँग देश के व्यापार की मात्रा से निश्चित होती है। जब देश के व्यापार की मात्रा स्थिर रहती है तब मुद्रा की माँग भी स्थिर रहती है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में इस बात की कल्पना की गयी है कि देश के व्यापार की मात्रा अथवा मुद्रा की माँग स्थिर रहती है। यदि व्यापार की मात्रा अथवा मुद्रा की माँग में परिवर्तन होते हैं तो मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त लागू नहीं होगा। उदाहरणार्थ यदि देश में मुद्रा की मात्रा दुगुनी हो जाती है, परन्तु इसके साथ ही देश के व्यापार की मात्रा अथवा मुद्रा की माँग भी दुगुनी हो जाती है तो इससे देश के सामान्य कीमत-स्तर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् कीमत-स्तर स्थिर रहेगा।

(2) वस्तु-विनिमय सौदों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए—जैसा हम जानते हैं, प्रत्येक देश में कुछ न कुछ सौदे वस्तु विनिमय प्रणाली (barter system) द्वारा किये जाते हैं ऐसे सौदों में मुद्रा विनिमय-माध्यम का कार्य नहीं करती, अर्थात् वे सौदे बिना मुद्रा के ही किये जाते हैं। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के अनुसार इस प्रकार के सौदों की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रकार के सौदों की मात्रा में परिवर्तन होता है तो मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कार्यशील नहीं हो सकता। मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त यह मान लेता है कि देश में वस्तु-विनिमय का प्रचलन नहीं है और यदि है तो इसके द्वारा सम्पन्न होने वाला व्यवसाय यथास्थिर रहता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के सम्बन्ध में वस्तु-विनिमय सौदों को या तो मुद्रा की पूति में वृद्धि या व्यापार की मात्रा (अथवा मुद्रा की माँग) में कमी समझ लिया जाता है।

(3) साख-मुद्रा की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए—जैसा विदित है, आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में साख-मुद्रा भी कानूनी-मुद्रा की भाँति काम करती है। देश के अधिकांश सौदों का भुगतान चैको, ड्राफ्टों (drafts) तथा विनिमय विपनों (bills of exchange) जैसे साख-पत्रों द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में, साख मुद्रा भी बिल्कुल वही कार्य करती है जो कानूनी मुद्रा द्वारा किया जाता है। अतएव साख मुद्रा की मात्रा में घट-बढ़ हो जाने पर देश की कुल मात्रा में भी घट-बढ़ हो जाती है। मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि साख-मुद्रा की मात्रा में कोई घट-बढ़ नहीं होनी चाहिए। यदि देश की साख-मुद्रा में घट-बढ़ होती है तो इससे मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त पूर्णतः लागू नहीं होता। उदाहरणार्थ, यदि देश की कानूनी मुद्रा में वृद्धि होती है, परन्तु किसी कारणवश साख मुद्रा में कमी हो जाती है तो इससे देश के कीमत स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कारण यह है कि बड़ी हुई कानूनी

मुद्रा का प्रभाव साख-मुद्रा की कमी के कारण तटस्थ हो जाता है और अन्ततः देश के कीमत-स्तर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता ।

(4) साख-मुद्रा तथा विधिप्राह्य मुद्रा (चलन) का अनुपात स्थिर रहना चाहिए—मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि साख-मुद्रा तथा विधिप्राह्य (कानूनी) मुद्रा का आपसी अनुपात स्थिर रहना चाहिए। जैसा विदित है, साख-मुद्रा का निर्माण विधिप्राह्य मुद्रा अथवा चलन के आधार पर होता है और इन दोनों में एक प्रकार का आपसी अनुपात बना रहता है । एक बैंक साख-मुद्रा का निर्माण अपने नकद कोष के आधार पर ही करता है और उसका नकद कोष उसकी जमा (deposits) की राशि से निश्चित होता है। यदि बैंक की जमा बढ जाती है तो निश्चय ही उसका नकद कोष भी बढेगा और यदि उसका नकद कोष बढ जाता है तो निश्चय ही बैंक अधिक साख-मुद्रा का निर्माण करेगा। परन्तु बैंक में जमा की जाने वाली राशि देश की विधिप्राह्य मुद्रा (currency) पर निर्भर करती है। जब देश में विधिप्राह्य मुद्रा की मात्रा में घट-बढ होती है तब बैंक की जमा में भी घट-बढ होती है और उसके नकद कोषों में भी स्वभावतः घट-बढ हो जाती है। अन्ततः नकद कोष के घट-बढ के कारण बैंक द्वारा जारी की जाने वाली साख-मुद्रा में भी घट-बढ की जाती है। सक्षेप में बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली साख-मुद्रा अन्ततः उनके नकद कोषों पर निर्भर करती है। अब मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि देश में बैंकों की जमा (deposits) तथा नकद कोषों में एक निश्चित अनुपात रहता है और साख-मुद्रा तथा विधिप्राह्य मुद्रा का आपसी अनुपात भी स्थिर रहता है। यदि साख-मुद्रा तथा विधिप्राह्य मुद्रा का यह अनुपात स्थिर नहीं रहता तो इससे मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की कार्य-शीलता पर ज्वरम ही असर पड़ता है।

(5) मुद्रा के सचलन-वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए—मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की एक मान्यता यह भी है कि विधिप्राह्य मुद्रा तथा साख-मुद्रा दोनों के ही सचलन वेग (velocity of circulation) स्थिर रहने चाहिए। जैसा विदित है, क्रय-विक्रय के सभी स्रोतों में मुद्रा का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरण होता रहता है। इस प्रकार एक निश्चित काल में मुद्रा की प्रत्येक इकाई कई बार वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। सचलन-वेग का अर्थ यह है कि एक निश्चित काल में मुद्रा की इकाई कितनी बार वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदती है। मुद्रा का सचलन-वेग बहुत-सी बातों से प्रभावित होता है, इसका अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। परन्तु यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त, मुद्रा के सचलन-वेग को स्थिर मानकर चलता है। यदि मुद्रा के सचलन वेग में परिवर्तन होते हैं तो मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कार्यशील नहीं होता। उदाहरणार्थ, यदि देश की मुद्रा-पूति में वृद्धि होती है, परन्तु किसी कारणवश मुद्रा के सचलन-वेग में कमी हो जाती है तो इससे देश के कीमत-स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात् कीमत-स्तर में वृद्धि नहीं होगी, यद्यपि मुद्रा-पूति में वृद्धि हो चुकी है।

उपरोक्त मान्यताओं का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की मान्यताएँ अवास्तविक एवं अव्यावहारिक हैं। वास्तविक जीवन में ये मान्यताएँ सत्य नहीं उतरती, इसलिए मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त केवल सैद्धान्तिक एवं ऐतिहासिक महत्व का ही रह जाता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की अधिकांश आलोचनाएँ इसी अवास्तविक मान्यताओं के कारण ही की जाती हैं।

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का समीकरण (Equation of the Quantity Theory of Money)—(1) प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को एक समीकरण (equation) के रूप में प्रस्तुत किया था। इस समीकरण में उन्होंने मुद्रा की मात्रा, वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा तथा सामान्य कीमत स्तर के आपसी सम्बन्ध को दिखाने का प्रयत्न किया था। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का समीकरण इस प्रकार था

$$P = \frac{M}{T}$$

समीकरण में M देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा, T = देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा अर्थात् व्यापार की मात्रा, P = वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य कीमत-स्तर (general

price level)। इसी समीकरण में T अर्थात् व्यापार की मात्रा को स्थिर मान लिया जाता है और P (कीमत-स्तर) में सभी परिवर्तन M (प्रचलित मुद्रा की मात्रा) के परिवर्तनों के कारण होते हैं, P और M में सीधा आनुपातिक सम्बन्ध (direct proportional relationship) होता है, परन्तु इस समीकरण का एक मुख्य दोष यह है कि इसमें केवल मुद्रा की मात्रा को ही सम्मिलित किया गया है। इसके संचलन-वेग (velocity of circulation) को सम्मिलित नहीं किया गया। इसकी दूसरी त्रुटि यह है कि इस समीकरण में साख-मुद्रा (credit money) की भी उपेक्षा की गई है।

(2) कुछ समय बाद अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के उक्त समीकरण के दोषों को ध्यान में रखते हुए एक अन्य सशोधित समीकरण प्रस्तुत किया था। यह समीकरण निम्न प्रकार है

$$P = \frac{MV}{T}$$

इसमें M—देश की प्रचलित मुद्रा की मात्रा, V—मुद्रा का संचलन-वेग, T—देश में उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा, अथवा व्यापार की मात्रा, P—वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य कीमत-स्तर। इस समीकरण के अनुसार, P में सभी परिवर्तन MV के परिवर्तनों के कारण होते हैं तथा P और MV में सीधा आनुपातिक सम्बन्ध होता है। परन्तु यह समीकरण भी दोषयुक्त नहीं है। इसमें दो बड़े दोष पाये जाते हैं। प्रथम, इस समीकरण में केवल विधिग्राह्य मुद्रा (अथवा चलन) को ही सम्मिलित किया गया है और साख-मुद्रा की उपेक्षा की गयी है। जैसा हम जानते हैं, साख-मुद्रा का भी विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग होता है, अर्थात् साख-मुद्रा भी वही कार्य करती है जो विधिग्राह्य मुद्रा द्वारा किया जाता है। इसलिए साख-मुद्रा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रो० फिशर ने इस दोष को समझाते हुए कहा कि मुद्रा की कुल पूर्ति के अन्तर्गत हमें विधिग्राह्य मुद्रा तथा साख-मुद्रा दोनों को ही सम्मिलित करना चाहिए। द्वितीय, मुद्रा के परिमाण पर साख-मुद्रा के संचलन-वेग का भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि विधिग्राह्य मुद्रा की भाँति साख-मुद्रा भी एक निश्चित समय पर कई बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित होती है, इसलिए मुद्रा की कुल पूर्ति में विधिग्राह्य मुद्रा तथा इसके संचलन-वेग के गुणनफल के अतिरिक्त साख-मुद्रा तथा इसके संचलन-वेग के गुणनफल को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। देश की कुल मुद्रा-पूर्ति इन दोनों प्रकार की मुद्राओं के जोड़ से ही निश्चित होती है। इन दोषों को ध्यान में रखते हुए प्रो० फिशर ने उपर्युक्त समीकरण में आवश्यक सशोधन करके एन नवे समीकरण का प्रतिपादन किया था।

(3) प्रो० फिशर द्वारा प्रस्तुत किये गये मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का समीकरण—प्रो० फिशर द्वारा प्रस्तुत किया गया समीकरण निम्नलिखित है

$$\frac{MV + M'V'}{T} = P$$

इस समीकरण में M—मुद्रा की कुल मात्रा (कुल विधिग्राह्य मुद्रा) अर्थात् धातु-मुद्रा + कागजी मुद्रा, V—विधिग्राह्य मुद्रा का संचलन-वेग (velocity of circulation), M'—साख-मुद्रा अर्थात् बैंक, क्रेडिट, ड्राफ्ट इत्यादि की मात्रा, V'—साख-मुद्रा का संचलन वेग, P—वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य कीमत-स्तर (general price level) तथा T—व्यापार की मात्रा (समस्त व्यापारिक सौदे)। इस प्रकार किसी देश में मुद्रा की पूर्ति = $MV + M'V'$ । यह फिशर के समीकरण का एक भाग है। दूसरे भाग में, मुद्रा की माँग को व्यक्त किया गया है। मुद्रा की माँग = PT । इस प्रकार T वस्तुओं और सेवाओं को P कीमतों पर विनिमय करने के लिए मुद्रा की माँग PT के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, यदि वस्तुओं और सेवाओं को इनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाय तो मुद्रा की कुल माँग निकल आयेगी। इस प्रकार उक्त समीकरण में मुद्रा की पूर्ति = $MV + M'V'$ तथा मुद्रा की माँग = PT ।

प्रो० फिशर के उक्त समीकरण से स्पष्ट है कि सामान्य कीमत-स्तर (P) का मुद्रा की कुल मात्रा ($MV + M'V'$) से सीधा आनुपातिक सम्बन्ध है और P अर्थात् सामान्य कीमत-स्तर का

व्यापार की कुल मात्रा से विपरीत आनुपातिक सम्बन्ध है। प्रो० फिशर के इस समीकरण के अनुसार, यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, तो अन्य बातें समान रहते हुए (अर्थात् व्यापार की मात्रा समान रहते हुए) वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जायेंगी। इसके विपरीत, यदि मुद्रा की मात्रा घट जाती है तो अन्य बातें समान रहते हुए (अर्थात् व्यापार की मात्रा समान रहते हुए) वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें गिर जायेंगी। इसी प्रकार यदि व्यापार की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो अन्य बातें समान रहते हुए (अर्थात् मुद्रा की मात्रा समान रहते हुए) वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें कम हो जायेंगी। इसका कारण यह है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की बड़ी हुई मात्रा का विनिमय कम मुद्रा द्वारा होता है। इस प्रकार मुद्रा की इकाई पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदने लगती है अर्थात् वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें गिर जाती है। इसके विपरीत यदि व्यापार की मात्रा में कमी हो जाती है तो अन्य बातें समान रहते हुए (अर्थात् मुद्रा की पूर्ति समान रहते हुए) वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जायेंगी। इसका कारण यह है कि अब मात्रा में कम वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय अधिक मुद्रा द्वारा होने लगता है। दूसरे शब्दों में मुद्रा की एक इकाई पहले की अपेक्षा कम वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदने लगती है, अर्थात् वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। चूंकि मुद्रा की त्रय-शक्ति (अथवा मुद्रा मूल्य) मुद्रा की मात्रा में कमी तथा वृद्धि पर निर्भर रहती है, इसलिए जो सिद्धान्त मुद्रा की मात्रा तथा वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों के पारस्परिक सम्बन्ध को व्यक्त करता है, उसे मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम माँग और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त को मुद्रा पर लागू करते हैं, तब यह मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कहलाता है।

फिशर के सिद्धान्त की मान्यताएँ (Assumptions of Fisher's Theory)—प्रो० फिशर ने उपर्युक्त समीकरण प्रतिपादन करते समय यह मान लिया है कि V , V' तथा T स्थिर रहते हैं और M' का M से एक निश्चित अपरिवर्तनशील अनुपात होता है। फलतः P में होने वाले सभी परिवर्तन केवल M के परिवर्तनों के कारण होते हैं। चूंकि मुद्रा (M) तथा साख-मुद्रा (M') दोनों का ही संचलन वेग (VV) अपरिवर्तनशील रहता है तथा साख-मुद्रा (M') और मुद्रा (M) में एक निश्चित अपरिवर्तनशील अनुपात होता है, इसलिए सामान्य कीमत स्तर (P) में केवल M की मात्रा में परिवर्तन होने से ही परिवर्तन होते हैं। अब प्रो० फिशर के अनुसार अल्पकाल में मुद्रा की मात्रा केवल प्रचलित विधिग्राह्य मुद्रा की मात्रा अर्थात् M पर ही निर्भर रहती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अल्पकाल में V , V' तथा T और M' का M से अनुपात क्यों स्थिर रहता है। प्रो० फिशर ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है—अल्पकाल में व्यापार की मात्रा अथवा मुद्रा द्वारा निभे गये कार्यों की माँग स्थिर रहती है। इसका कारण यह है कि अल्पकाल में देश की जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होता प्रति व्यक्ति उत्पादन नहीं बदलता, उत्पादन का जो प्रतिशत उत्पादकों द्वारा उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह नहीं बदलता वस्तुओं के संचलन वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन की विधियों तथा स्थितियों की उपभोग मध्यम प्रवृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता और वस्तुओं के विनिमय के प्रतिशत में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरे शब्दों में प्रो० फिशर के अनुसार अल्पकाल में मुद्रा की माँग यथास्थिर रहती है। चूंकि अल्पकाल में मुद्रा की माँग अपरिवर्तित ही रहती है इसलिए प्रो० फिशर ने बताया है कि P अर्थात् सामान्य कीमत स्तर तथा M अर्थात् मुद्रा की मात्रा में सीधा और आनुपातिक सम्बन्ध होता है।

मुद्रा के संचलन-वेग पर कितन-कितन बातों का प्रभाव पड़ता है (Factors which influence the velocity of circulation)—मुद्रा का संचलन-वेग क्या होता है? इसके बारे में हम पहले ही कह चुके हैं। जैसा विदित है, मुद्रा की एक इकाई एक दिन में कितनी ही बार विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती है। जितनी अधिक बार मुद्रा की इकाई विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती है, उतना ही अधिक उसका संचलन-वेग होता है। उदाहरणार्थ, यदि एक रुपये का नोट दिन भर में 15 बार विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वह एक रुपये का नोट 15 रुपये के बराबर कार्य करता है। इस प्रकार किसी निश्चित समय में मुद्रा की इकाई वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए जितनी बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती है इसके औसत को मुद्रा का संचलन-वेग कहते हैं।

यदि मुद्रा को इसके संचलन-वेग से गुणा कर दिया जाय तो मुद्रा की कुल पूंति निकल आती है। इस प्रकार मुद्रा की पूंति बहुत कुछ इसके संचलन-वेग पर निर्भर रहती है। यदि संचलन-वेग अधिक होता है तो उतनी ही अधिक मुद्रा की पूंति होती है। इसके विपरीत, यदि संचलन-वेग कम होता है तो उतनी ही मुद्रा की पूंति कम होती है। परन्तु स्मरण रहे कि केवल धातु-मुद्रा तथा कागजी मुद्रा का ही संचलन-वेग नहीं होता, साख-मुद्रा का भी अपना संचलन-वेग होता है। यदि साख-मुद्रा अधिक बार विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती है तो उसका संचलन-वेग भी अधिक होगा। इस प्रकार यदि हमें किसी देश की कुल मुद्रा-पूंति का अनुमान लगाना है तो हमें न केवल कुल विधिप्राप्त तथा कुल साख-मुद्रा को ही जोड़ना होगा, बल्कि कुल विधिप्राप्त मुद्रा तथा कुल साख-मुद्रा को उनके अपने-अपने संचलन-वेगों से भी गुणा करना होगा।

मुद्रा का संचलन-वेग निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है

(1) **मुद्रा की मात्रा**—मुद्रा का संचलन-वेग मुद्रा की मात्रा पर निर्भर रहता है। जैसा विदित है—प्रत्येक देश में विनिमय बाजारों को सम्पन्न करने के लिए एक निश्चित मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। यदि मुद्रा की मात्रा देश की आवश्यकताओं से कम है तब इसका संचलन-वेग बढ़ जाता है। इसके विपरीत, यदि मुद्रा की मात्रा देश की आवश्यकताओं से अधिक है तब इसका संचलन वेग कम हो जाता है।

(2) **नकद क्रय-विक्रय की प्रवृत्ति**—जब जनता में नकद क्रय-विक्रय करने की प्रवृत्ति पायी जाती है तब मुद्रा का संचलन वेग बढ़ जाता है। इसके विपरीत, जब जनता द्वारा उधार के आधार पर श्रय-विक्रय किया जाता है तब मुद्रा का संचलन वेग कम हो जाता है।

(3) **उपभोग की प्रवृत्ति**—प्रॉ० केन्ज (Keynes) के अनुसार अन्य बातें समान रहते हुए, जिस देश में उपभोग की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है, वहाँ पर मुद्रा का संचलन वेग बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग अपनी आय का बड़ा भाग उपभोग पर व्यय कर देते हैं। इससे मुद्रा का हस्तान्तरण तीव्र हो जाता है और परिणामतः उसका संचलन-वेग बढ़ जाता है। इसके विपरीत, अन्य बातें समान रहते हुए, जिस देश में उपभोग की प्रवृत्ति कम होती है अथवा लोगों द्वारा बचत तथा आय का संग्रह किया जाता है, वहाँ पर मुद्रा का संचलन-वेग कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग अपनी आय को व्यय करने के बजाय बचाने में अधिक विश्वास रखते हैं। इससे मुद्रा का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरण कम हो जाता है और परिणामतः उसका संचलन-वेग भी कम हो जाता है।

(4) **उधार सौदों के भुगतान की अवधि**—यदि किसी देश में उधार सौदों का भुगतान वर्ष में एक-दो बार ही किया जाता है तो ऐसे देश में मुद्रा का संचलन वेग कम होता है। इसके विपरीत, यदि किसी देश में उधार सौदों का भुगतान थोड़े थोड़े समय के बाद किया जाता है, तब ऐसे देश में मुद्रा का संचलन वेग बढ़ जाता है।

(5) **जनता की तरलता वरीयता (Peoples' Liquidity Preference)**—मुद्रा का संचलन-वेग देश के लोगों की तरलता वरीयता पर भी निर्भर करता है। यदि देश की साधारण जनता तथा व्यापारी लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए अधिक मात्रा में अपने पास नकद धन रखते हैं तो मुद्रा का संचलन वेग कम हो जाता है। इसके विपरीत, यदि साधारण जनता तथा व्यापारी लोग अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए कम मात्रा में नकद धन रखते हैं तो इससे मुद्रा का संचलन-वेग बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में, जनता में तरलता वरीयता जितनी अधिक मात्रा में होती है, उतना ही मुद्रा का संचलन-वेग कम हो जाता है।

(6) **मजदूरी का भुगतान करने की प्रणाली**—मजदूरी के भुगतान कई तरीकों से किये जा सकते हैं। मजदूरी दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक आधार पर दी जा सकती है। यदि किसी देश में मजदूरी का भुगतान एक बहुत लम्बे समय के बाद किया जाता है तब मजदूरों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पास अधिक मात्रा में नकद धन रखना पड़ता है। इससे मुद्रा का संचलन-वेग कम हो जाता है। इसके विपरीत, यदि किसी देश में मजदूरी के भुगतान थोड़े-थोड़े समय के बाद किये जाते हैं तो मजदूरों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को

पूरा करने के लिए कम मात्रा में नकद धन रखना पड़ता है। इससे मुद्रा का संचलन-वेग बढ़ जाता है।

(7) ऋण-प्राप्ति की सुविधाएँ—यदि किसी देश में लोगों को ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक सुविधाएँ दी जाती हैं तो मुद्रा का संचलन-वेग बढ़ जायगा। इसका कारण यह है कि ऐसी परिस्थिति में लोगों को अपने पास नकद धन रखने की अधिक आवश्यकता नहीं रहती।

(8) परिवहन तथा संचार के साधन—जब किसी देश में परिवहन तथा संचार के साधनों का अधिक विकास हो जाता है तो उस देश में विनिमय का क्षेत्र भी उसी अनुपात में अधिक विस्तृत हो जाता है और वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय-विक्रय अधिक तेजी से होने लगता है। इससे मुद्रा के संचलन-वेग में वृद्धि हो जाती है।

(9) कीमतों के भावी अनुमान—मुद्रा का संचलन-वेग भावी कीमतों के बारे में लगाये गये अनुमानों पर भी निर्भर रहता है। यदि आम जनता का यह अनुमान है कि भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली हैं तो इससे मुद्रा का संचलन-वेग बढ़ जायगा। इसका कारण यह है कि कीमतों की भावी वृद्धि से भयभीत होकर जनता वर्तमान में ही अधिकाधिक मात्रा में वस्तुएँ खरीदना आरम्भ कर देगी। इससे निश्चय ही मुद्रा का संचलन वेग बढ़ जायगा। इससे विपरीत, यदि लोगों का यह अनुमान है कि भविष्य में कीमतें गिरने वाली हैं तो वे वर्तमान में वस्तुओं तथा सेवाओं का खरीदना कम कर देंगे। इससे मुद्रा का संचलन वेग कम हो जायगा। जैसा विदित है, दूसरे विश्व युद्ध के समय सभी देशों में संचलन वेग बढ़ गया था। इसका कारण यह था कि लोगों ने भावी कीमत-वृद्धि के भय से वर्तमान में ही अधिकाधिक मात्रा में वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदना आरम्भ कर दिया था। इससे मुद्रा का हस्तान्तरण बढ़ गया था। परिणामतः इसके संचलन-वेग में वृद्धि हो गयी थी।

(10) राष्ट्र के आर्थिक विकास का स्तर—मुद्रा का संचलन वेग किसी देश के आर्थिक विकास के स्तर पर भी निर्भर करता है। यदि कोई देश कृषि प्रधान है तो वहाँ के लोगों की आवश्यकताएँ प्रायः सीमित होती हैं और वहाँ पर वस्तु-विनिमय का भी प्रचलन होता है। परिणामतः मुद्रा का संचलन वेग कम होता है। इसके विपरीत, विकसित तथा औद्योगिक देशों में लोगों की आवश्यकताएँ अधिक होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। परिणामतः मुद्रा का संचलन-वेग बढ़ जाता है। इस तरह सामान्यतः आर्थिक विकास के साथ-साथ मुद्रा का संचलन-वेग बढ़ता जाता है।

(11) साख-मुद्रा की गतिशीलता—किसी देश में जितनी तेजी से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में मुद्रा का हस्तान्तरण होता है, उतनी ही तेजी से देश में साख-मुद्रा का संचलन-वेग बढ़ता जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास तथा बैंकिंग प्रणाली की उन्नति के साथ-साथ साख मुद्रा का संचलन वेग भी बढ़ता जाता है।

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की आलोचनाएँ (Criticisms of the Quantity Theory of Money)—प्रो० फिशर द्वारा सशोधित मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की निम्नलिखित आलोचनाएँ की गयी हैं

(1) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है—प्रो० फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के समीकरण को जिन मान्यताओं पर आधारित किया है, वे अवास्तविक हैं। जैसा प्रो० फिशर ने कहा है, अल्पकाल में V , V' तथा T और M' का M से अनुपात स्थिर रहता है। प्रो० फिशर ने इन मान्यताओं को "अन्य बातें समान रहनी चाहिए" वाक्यांश में व्यक्त किया है। परन्तु आलोचकों या विचार है कि वास्तविक जीवन में फिशर द्वारा बतायी गयी अन्य बातें समान नहीं रहती। उनके अनुसार अल्पकाल में ये मान्यताएँ सत्य नहीं उतरती। आलोचकों ने अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं।

(क) फिशर के समीकरण में यह मान लिया गया है कि विधिब्राह्म मुद्रा की पूर्ति (M) में परिवर्तन हो जाने पर इसके संचलन-वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात् M और V एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और एक-दूसरे को विलकुल प्रभावित नहीं करते, परन्तु फिशर की यह मान्यता प्रमथण है। इसका कारण यह है कि विधिब्राह्म मुद्रा (M) में परिवर्तन हो जाने पर इसके

सचलन-वेग में अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि M को दुगुना कर दिया जाय तो P में दुगुने से अधिक वृद्धि होगी, अर्थात् मुद्रा के मूल्य में आधे से अधिक कमी होगी। इसका कारण यह है कि जब M में वृद्धि की जाती है तो इससे P में अवश्य ही वृद्धि होती है, अर्थात् वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। परिणामतः लोग भावी कीमत-वृद्धि के भय के कारण वस्तुओं की अधिकाधिक मात्रा में खरीदने लगते हैं। इससे मुद्रा का सचलन-वेग बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे समयों पर सट्टे (Speculation) में भी वृद्धि हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा के सचलन-वेग में और अधिक तेजी आ जाती है।

(ख) प्रो० फिशर ने अपने समीकरण में यह मान लिया था कि M' का M से एक स्थिर, निश्चित तथा अपरिवर्तनीय सम्बन्ध होता है और M के परिवर्तनों के अनुसार ही M' में परिवर्तन होने हैं। परन्तु इन परिवर्तनों के बावजूद दोनों का सम्बन्ध पहले के अनुपात में ही रहना है, लेकिन प्रो० फिशर की यह मान्यता भी भ्रमपूर्ण है। तेजी के समय M' का M से कोई स्थिर, निश्चित तथा अपरिवर्तनीय सम्बन्ध नहीं होता। तेजी के समय M' का M से अनुपात बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे समय पर व्यापारी लोग बैंकों से अधिक मात्रा में ऋण लेते हैं और बैंक बड़ी मात्रा में साख-मुद्रा (M') का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत, मन्दी के समय M' का M से अनुपात कम हो जाता है क्योंकि ऐसे समय व्यापारियों द्वारा ऋणों की माँग कम हो जाने से बैंक साख-मुद्रा का कम मात्रा में निर्माण करते हैं। इस प्रकार M' का M से कोई निश्चित अनुपात नहीं होना बल्कि यह अनुपात समय-समय पर बदलता रहता है।

(ग) प्रो० फिशर ने अपने समीकरण में यह मान लिया था कि M में परिवर्तन हो जाने पर भी V' में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात् दोनों एक-दूसरे से स्वतन्त्र होते हैं और एक-दूसरे पर अपना प्रभाव नहीं डालते, परन्तु प्रो० फिशर की यह मान्यता भी भ्रमपूर्ण है। जब किसी कारणवश M में परिवर्तन होता है तो V' में भी परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण यह है कि M में परिवर्तन होने पर V' में परिवर्तन होना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि M की मात्रा में वृद्धि होती है। इनके परिणामस्वरूप कीमत-स्तर में भी वृद्धि होगी और कीमत स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप साख-मुद्रा का भी अधिकाधिक प्रयोग होने लगेगा। फलतः साख-मुद्रा का सचलन-वेग अर्थात् V' अवश्य ही बढ़ जायगा और कीमत-स्तर में M में हुई वृद्धि से अधिक अनुपात में वृद्धि होगी।

(घ) प्रो० फिशर ने अपने समीकरण में यह भी मान लिया था कि M में परिवर्तन होने पर भी T में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसा हम देख चुके हैं, T देश के व्यापार की मात्रा को व्यक्त करती है अर्थात् T मुद्रा की माँग का प्रतिनिधित्व करती है। प्रो० फिशर ने यह मान लिया था कि M और T एक-दूसरे से स्वतन्त्र होते हैं, अर्थात् जब मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो इसकी माँग में कोई परिवर्तन नहीं होता परन्तु यह मान्यता भी भ्रमपूर्ण है। वास्तव में, जब M में परिवर्तन होता है तो T परिवर्तित हुए बिना नहीं रह सकती। उदाहरणार्थ, जब M में वृद्धि होती है तो इससे P में भी वृद्धि हो जाती है, अर्थात् वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे उत्पादकों को लाभ होता है और इस लाभ से आकर्षित होकर वे माल का अधिक उत्पादन करने लगते हैं। इससे व्यापार की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात् T में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार जब M में कमी हो जाती है तो इसके परिणामस्वरूप P में भी कमी हो जाती है, अर्थात् वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें गिर जाती हैं। उत्पादकों को हानि होती है और वे उत्पादन की मात्रा को कम कर देते हैं, अर्थात् T में कमी हो जाती है। इस प्रकार प्रो० फिशर की यह मान्यता गलत है कि M में परिवर्तन हो जाने पर T में कोई परिवर्तन नहीं होता। आर्थिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जबकि विभिन्न देशों में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाने पर व्यापार की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार फिशर के समीकरण में T को स्थिर मान लेना पूर्णतः गलत है।

कुछ लेखकों के अनुसार, केवल पूर्ण रोजगार के बिन्दु (point of full employment) पर ही वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा स्थिर रहती है, अर्थात् T में कोई परिवर्तन नहीं होता—इस बिन्दु से पूर्व मुद्रा की प्रत्येक वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है और यह वृद्धि तब तक होती चली जाती है जब तक कि पूर्ण रोजगार का बिन्दु प्राप्त

नहीं हो जाता। पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाने पर भी वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, अर्थात् T अपरिवर्तित रहती है। इसका कारण यह है कि पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर उत्पादन के सभी साधन पूर्णतः काम में लगे होते हैं और कोई भी साधन बेकार नहीं होता। अतः मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाने पर भी अतिरिक्त साधनों के अभाव में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें तो अवश्य ही बढ़ती हैं, परन्तु उनके उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो सकती। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के समीकरण को प्रस्तुत करते समय प्रो० फिशर ने सम्भवतः पूर्ण रोजगार की अवस्था की कल्पना की थी। यह सत्य है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में फिशर का परिमाण सिद्धान्त सही सिद्ध होगा, परन्तु आलोचकों का मत है कि पूर्ण रोजगार की यह अवस्था बहुत समय तक नहीं टिक सकती और कई कारणों से वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में मुद्रा-पूर्ति के परिवर्तन के अनुपात से अधिक परिवर्तन हो जायगा।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रो० फिशर के समीकरण में निहित मा-यताएँ गलत तथा भ्रमपूर्ण हैं। M, M', V, V' और T एक-दूसरे से स्वतन्त्र नहीं हैं, बल्कि वे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब किसी एक में परिवर्तन होता है तो इसका दूसरी पर भी अवश्य प्रभाव पड़ता है।

(2) मुद्रा के संचलन-वेग को मापना कठिन है—फिशर ने समीकरण में विधिग्राह्य मुद्रा तथा साल-मुद्रा के संचलन वेग का सही-सही माप करना कठिन ही नहीं, बल्कि लगभग असम्भव है। प्रो० फिशर ने विधिग्राह्य मुद्रा तथा साल-मुद्रा के संचलन-वेग को अल्पकाल में स्थिर मान लिया था, परन्तु दीर्घकाल में तो इनके संचलन-वेग को स्थिर नहीं माना जा सकता। दीर्घकाल में तो दोनों में अवश्य ही परिवर्तन होता है। परन्तु अर्थशास्त्रियों के पास ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे विधिग्राह्य मुद्रा तथा साल-मुद्रा के संचलन-वेग को सही सही मापा जा सके।

(3) परिमाण सिद्धान्त मुद्रा के संचलन-वेग की विवेचना नहीं करता—परिमाण सिद्धान्त में एक त्रुटि यह भी पायी जाती है कि यह मुद्रा के संचलन-वेग की विवेचना नहीं करता और न ही इसको प्रभावित करने वाली बातों पर प्रकाश डालता है। डॉ० मार्शल के अनुसार मुद्रा के मूल्य-निर्धारण की विवेचना करने वाले सिद्धान्त को मुद्रा के संचलन वेग को प्रभावित करने वाले सभी कारणों पर प्रकाश डालना चाहिए।

(4) यह सिद्धान्त व्यापार चक्रों के कारण कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या नहीं करता—जैसा हम देख चुके हैं परिमाण सिद्धान्त के अनुसार देश के कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तन मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही होते हैं। परन्तु कुछ आलोचकों का विचार है कि देश के कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तन केवल मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही नहीं होते, अर्थात् कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों के अन्य कारण भी हो सकते हैं, परन्तु यह सिद्धान्त उन कारणों पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालता। उदाहरणार्थ, मन्दीकाल में मुद्रा की मात्रा में कमी हुए बिना ही देश के कीमत-स्तर में कमी हो जाती है और तेजीकाल में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुए बिना ही देश के कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार परिमाण सिद्धान्त सामान्य कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों को समझाने में असमर्थ है जो व्यापार-चक्रों (trade cycles) के कारण उत्पन्न होते हैं।

(5) यह सिद्धान्त हमें यह नहीं बताता कि मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तन कीमत-स्तर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं—मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर में सीधा तथा आनुपातिक सम्बन्ध होता है, परन्तु प्रो० हायक (Hayek) तथा प्रो० हाट्ट्रे (Hawtrey) के अनुसार, मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन कीमत स्तर का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते, अर्थात् मुद्रा की मात्रा तथा कीमत-स्तर में कोई प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक सम्बन्ध नहीं होता। मुद्रा की मात्रा में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन कीमत स्तर का अप्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह पहले ध्यान की दर को प्रभावित करता है। संतुपरान्त व्याज की दर का परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में मुद्रा की पूर्ति में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन परोक्ष रूप से (ध्यान की दर के माध्यम से) कीमत स्तर का प्रभावित करता है। इस प्रकार परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत-स्तर में होने वाले वास्तविक सम्बन्ध का सही सही स्पष्टीकरण करने में असमर्थ है।

(6) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की क्रय-शक्ति को सही ढंग से मापने के बजाय नकद सौदे का मापक बन जाता है—जैसा हम देख चुके हैं, प्रो० पिशर के समीकरण में मुद्रा का सम्बन्ध सामान्य कीमत-स्तर से होता है और सामान्य कीमत-स्तर सभी प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं पर आधारित होता है अर्थात् सामान्य कीमत स्तर में उपभोग्य तथा उत्पादक दोनों प्रकार की वस्तुयें सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार व्यापार की कुल मात्रा में उपभोग्य वस्तुओं के साथ-साथ उत्पादक वस्तुओं का भी समावेश होता है। प्रो० केन्ज (Keynes) का विचार है कि सामान्य कीमत-स्तर में उत्पादक वस्तुओं (producer goods) के सम्मिलित किये जाने के परिणामस्वरूप मुद्रा की क्रय-शक्ति का सही सही माप नहीं किया जा सकता। परन्तु उपभोक्ताओं की दृष्टि से मुद्रा की क्रय-शक्ति का सही-सही माप करना नितान्त आवश्यक है। अतः इस दृष्टिकोण से मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त अत्यन्त असन्तोषजनक है।

(7) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त में मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया है—जैसा हम देख चुके हैं, मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त माँग और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त का सशोधित रूप है। परन्तु आलोचकों का मत है कि इस सिद्धान्त में माँग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया है। परिमाण सिद्धान्त व्यापार की मात्रा (अथवा मुद्रा की माँग) को स्थिर मानकर ही चलता है। इस प्रकार परिमाण सिद्धान्त में माँग के महत्व को ही समाप्त कर दिया गया है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के इस दोष के कारण प्रो० केन्ज ने मुद्रा के मूल्य के निर्धारण का एक अन्य सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। प्रो० केन्ज ने इस सिद्धान्त में माँग पक्ष को उसका उचित महत्व प्रदान किया है।

(8) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की तर्क विधि उल्टी है—परिमाण सिद्धान्त के अनुसार कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही होते हैं। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन कारण (cause) हैं और मुद्रा के मूल्य में अर्थात् कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तन परिणाम (result) हैं परन्तु कुछ आलोचकों का मत है कि मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर का सम्बन्ध, वास्तव में, ऐसा नहीं है बल्कि इसके विपरीत है। इन आलोचकों का कहना है कि कीमत-स्तर में परिवर्तन स्वतन्त्र रूप से होते हैं और फिर आगे चलकर कीमत-स्तर के ये परिवर्तन मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर को प्रभावित करने के बजाय स्वयं कीमत स्तर से प्रभावित होती है। इस प्रकार कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन कारण हैं और मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन उनके परिणाम हैं। प्रो० पिशर ने आलोचकों के इस मत को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। उनका यही कहना था कि मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन ही कीमत-स्तर के परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। इस सन्दर्भ में यह कह देना उचित ही होगा कि ऐतिहासिक अनुभव प्रो० पिशर के मत का समर्थन करता है।

(9) मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य का दीर्घकालीन विश्लेषण करता है—इस सिद्धान्त में एक अन्य त्रुटि यह है कि यह सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य का दीर्घकालीन विश्लेषण ही करता है। इस सिद्धान्त द्वारा अल्पकाल की उपेक्षा की गयी है। जैसा विदित है, अल्पकाल में मुद्रा के मूल्य में कभी-कभी बड़े भयंकर तथा महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, परन्तु यह सिद्धान्त उन पर कुछ भी प्रकाश नहीं डालता है। प्रो० केन्ज (Keynes) ने ठीक ही कहा है कि दीर्घकाल के अध्ययन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं। वास्तव में, हम अल्पकालीन विश्लेषण में अधिक रुचि रखते हैं। परन्तु, जैसा कहा गया है, यह सिद्धान्त अल्पकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहता।

(10) परिमाण सिद्धान्त समय-विलम्ब (Time-lag) के महत्व को स्वीकार नहीं करता—कुछ आलोचकों का विचार है कि मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों का देश के कीमत-स्तर पर वुरन्त ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि यह प्रभाव धीरे-धीरे पड़ता है। यह सम्भव हो सकता है कि इस अन्तरिम काल (interim period) में अन्य परिस्थितियाँ समान न रहें। इसका परिणाम यह होगा कि कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तन मुद्रा के परिमाण में होने वाले परिवर्तनों के ठीक अनुपात में नहीं होंगे।

(11) यह सिद्धान्त संचित-कोषों के बारे में कुछ भी नहीं कहता—प्रो० केन्ज (Keynes) के मतानुसार मुद्रा की पूति में समूची विधिग्राह्य मुद्रा तथा साख-मुद्रा को सम्मिलित करना उचित नहीं है, क्योंकि मुद्रा की यह समूची पूति वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीदने के लिए प्रयोग में नहीं लायी जाती। विधिग्राह्य मुद्रा तथा साख-मुद्रा का कुछ अंश जनता द्वारा संचित (hoard) कर लिया जाता है और यह अंश विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं होता। इस प्रकार वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय में मुद्रा के केवल उसी अंश का प्रयोग किया जाता है जिसे लोग प्रायः व्यवसाय, सुरक्षा तथा सट्टे के उद्देश्य से अपने पास तरल रूप में रखते हैं। इस प्रकार प्रो० केन्ज का कहना है कि कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए केवल तरल मुद्रा (liquid money) को ही देश की मुद्रा-पूति में सम्मिलित करना चाहिए, अर्थात् संचित की गयी मुद्रा (hoarded money) को देश की कुल मुद्रा-पूति में से निकाल देना चाहिए। इसका कारण यह है कि संचित की गयी मुद्रा वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कुछ भी प्रभाव नहीं डालती। परन्तु मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इस प्रकार संचित की गयी मुद्रा के बारे में अपनी ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं देता।

(12) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को सिद्धान्त कहना उचित नहीं—प्रो० निकलसन (Nicholson) के अनुसार, मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त तो केवल एक साधारण सत्य का ही उल्लेख करता है। यह हमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं बताता जिससे हम पहले ही परिचित न हों। सभी जानते हैं कि मुद्रा की पूति में वृद्धि होने से आन्तरिक कीमत-स्तर में वृद्धि हो जाती है। यह कोई नयी बात नहीं है। इस साधारण सत्य को सिद्धान्त का नाम देना उचित नहीं है। परन्तु प्रो० फिशर ने इस आलोचना के प्रत्युत्तर में कहा है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इतना सरल नहीं है जितना कि आलोचक इसे समझते हैं और यदि यह सरल है तो इसका वैज्ञानिक ढंग से सिद्धान्त के रूप में उल्लेख करने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(13) मुद्रा का मूल्य कुल आय का परिणाम होता है, मुद्रा की मात्रा का नहीं—प्रो० क्राउथर (Crowther) के मतानुसार—मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा से नहीं, बल्कि देश की कुल आय से निश्चित होता है। प्रो० क्राउथर के शब्दों में, 'मुद्रा का मूल्य, वास्तव में आय के जोड़ का परिणाम होता है, न कि मुद्रा की पूति का। इस प्रकार हमें कुल आय में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारणों की खोज करनी चाहिए।'¹

(14) मुद्रा की मात्रा और कीमत-स्तर में प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक सम्बन्ध नहीं होता—जैसा हम देख चुके हैं, प्रो० फिशर के सनीकरण के अनुसार मुद्रा की मात्रा में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का सामान्य कीमत-स्तर पर प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि देश की मुद्रा-पूति दुगुनी कर दी जाती है तो प्रो० फिशर के अनुसार, अन्य बातें समान रहते हुए, देश का कीमत-स्तर भी दुगुना हो जायगा। परन्तु व्यावहारिक जीवन में मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य कीमत-स्तर में इस प्रकार का प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक सम्बन्ध नहीं पाया जाता। अतएव मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त काल्पनिक ही रह जाता है।

(15) यह सिद्धान्त वस्तुओं के संचलन-वेग की उपेक्षा करता है—परिमाण सिद्धान्त की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इसने वस्तुओं के संचलन-वेग की पूर्ण उपेक्षा की है। जिस प्रकार विधिग्राह्य मुद्रा और साख-मुद्रा का संचलन वेग होता है, ठीक उसी प्रकार वस्तुओं का भी संचलन-वेग होता है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय में कई बार वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदने में लायी जाती है, ठीक उसी प्रकार वस्तु की इकाई भी एक निश्चित समय में कई बार खरीदी व बेची जा सकती है। इस सिद्धान्त के अनुसार, मुद्रा का मूल्य निकालते समय मुद्रा के संचलन वेग को तो ध्यान में रखा जाता है, परन्तु वस्तुओं के संचलन-वेग की पूर्ण उपेक्षा की जाती है। वास्तव में, मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की यह एक भारी त्रुटि है।

1 * The value of money, in fact, is a consequence of the total of incomes rather than of the quantity of money. It is the causes of fluctuations in the total of incomes of which we must go in search."
—Crowther

(16) प्रो० फिशर ने अल्पकाल में जिन बातों को स्थिर मान लिया है, वे वास्तव में स्थिर नहीं होतीं—प्रो० फिशर ने परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या करते समय कुछ बातों को अल्पकाल में स्थिर मान लिया है। उनके अनुसार, वस्तु-विनिमय की मात्रा, वस्तुओं का संचलन वेग, उत्पादन की विधियाँ, देश की जनसङ्ख्या, जनता की उपभोग सम्बन्धी आदतें तथा प्रति व्यक्ति उत्पत्ति की मात्रा में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। परन्तु फिशर की यह कल्पना भ्रमपूर्ण है क्योंकि इस गतिशील संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो समय के साथ नहीं बदलती। वास्तव में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्त्र में प्रति क्षण कोई न कोई परिवर्तन अवश्य ही होता रहता है।

(17) यह सिद्धान्त देश के कीमत-स्तर पर पड़ने वाले अन्य देशों के कीमत-स्तरों के प्रभावों को उपेक्षा करता है—इस सिद्धान्त में एक त्रुटि यह भी है कि यह सिद्धान्त किसी देश के कीमत-स्तर पर अन्य देशों के कीमत-स्तरों के प्रभावों की पूर्णतः उपेक्षा करता है, अर्थात् यह सिद्धान्त इस बात पर आधारित है कि देश का अन्य देशों के साथ कोई आर्थिक सम्बन्ध नहीं है, परन्तु आज की दुनिया में इस प्रकार की मान्यता अत्यन्त अवास्तविक प्रतीत होती है। आजकल विभिन्न देशों का अन्तराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से आपसी सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो चुका है कि वे आर्थिक दृष्टि से एक-दूसरे को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकते। अतः मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त इस दृष्टिकोण से भी असन्तोषजनक प्रतीत होता है।

निष्कर्ष—उपर्युक्त आलोचनाओं का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त दोषपूर्ण, भ्रमपूर्ण एव कात्पनिक है। प्रो० केन्ज (Keynes) के अनुसार, यह सिद्धान्त न केवल दोषपूर्ण तथा कात्पनिक है, बरिक्त अपूर्ण (incomplete) भी है। यह सिद्धान्त मुद्रा की त्रय-शक्ति का उचित व सही सही माप करने में भी असमर्थ है। इसके अलावा, इस सिद्धान्त में गणितात्मक सत्यता (mathematical exactness) का भी अभाव है, अर्थात् गणित की दृष्टि से भी यह सिद्धान्त सत्य नहीं है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है मुद्रा की मात्रा तथा देश के कीमत-स्तर में कोई प्रत्यक्ष तथा आनुपातिक सम्बन्ध नहीं होता। दूसरे शब्दों में, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करने से कीमत में आनुपातिक परिवर्तन नहीं होता।

परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त पूर्णतः बेकार नहीं माना जा सकता। यह सत्य है कि गणित की दृष्टि से यह सिद्धान्त भ्रमपूर्ण है, परन्तु एक प्रवृत्ति के द्योतक के रूप में यह सिद्धान्त बिल्कुल सत्य है। इसीलिए आर्थिक सिद्धान्तों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह सिद्धान्त हमें वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के कारणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जैसा विदित है, देश के कीमत-स्तर में होने वाले अधिकांश परिवर्तन मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों के फलस्वरूप ही होते हैं। परिमाण सिद्धान्त, मुद्रा की मात्रा में होने वाले इन परिवर्तनों पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, देश के कीमत-स्तर पर नियन्त्रण रखने में भी यह सिद्धान्त अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है। यदि देश में मन्दी के कारण कीमतों में गिरावट आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में कीमतों को ऊँचा करने के लिए इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए। इसके विपरीत, यदि देश में तेजी के कारण कीमतें बहुत ऊँची हो जाती हैं तो उनको नीचे लाने के लिए इस सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मात्रा में कमी कर देनी चाहिए। इस प्रकार यह सिद्धान्त देश के कीमत स्तर में स्थिरता स्थापित करने में बहुत सहायता देता है। वास्तव में, यह सिद्धान्त कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित करने की एक अच्छी विधि बताता है। इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रो० रॉबर्टसन (Robertson) ने ठीक ही कहा है, “मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त मुद्रा का मूल्य समझने के लिए एक विचित्र सत्य है जिसका समझना वास्तविक जीवन में मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं की कीमतों में सम्पर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक है।”

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की सत्यता—प्रो० फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की सत्यता को सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। यह ठीक है कि इस सिद्धान्त में बहुत से दोष पाये जाते हैं परन्तु जब हम मॉग और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त को मुद्रा पर लागू करते हैं तब वस्तुओं की भानि मुद्रा की माग तथा पूर्ति में भूतकाल में जा फेर-बदल हुय तथा उनके परिणामस्वरूप मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन हुए, उनका यह सिद्धान्त सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में, मोटे तौर पर यह सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों

का उचित स्पष्टीकरण करता है। प्रो० फिशर द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न उदाहरण निम्नलिखित हैं।

(1) जब स्पेन के खोजकर्ताओं (explorers) ने अमरीका में चाँदी की नयी खाने खोज निकाली, तब उन्होंने इन खानों से प्राप्त होने वाली चाँदी को अधिकाधिक मात्रा में यूरोपीय देशों को भेजना आरम्भ कर दिया। यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर चाँदी के इस आयात के परिणामस्वरूप सामान्य कीमत-स्तरो में वृद्धि हो गयी। जैसे-जैसे इन देशों में अमरीका से चाँदी का आयात कम होने लगा, वैसे-वैसे ही इनके कीमत-स्तरो में भी कमी होती चली गयी। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप ही इन देशों के कीमत-स्तरो में वृद्धि हुई थी।

(2) ब्रिटेन में सन् 1820 से सन् 1840 तक की अवधि में वस्तुओं का उत्पादन बहुत बढ़ गया था। परन्तु मुद्रा की मात्रा में उभी अनुपात में वृद्धि नहीं की जा सकी थी। इसका कारण यह था कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए ब्रिटेन के पास पर्याप्त सोना नहीं था। परिणामतः ब्रिटेन का कीमत-स्तर नीचे गिर गया था।

(3) सन् 1844 के लगभग आस्ट्रेलिया और कैलीफोर्निया (California) से बड़े पैमाने पर सोने का निर्यात स्वर्णमान देशों को हुआ था जिसके परिणामस्वरूप इन देशों के कीमत-स्तरो में वृद्धि हो गयी थी। परन्तु जब इन देशों में सोने का आयात कम हो गया तब इनके कीमत-स्तरो में भी कमी होनी शुरू हो गयी थी।

(4) सन् 1873 में मेक्सिको (Mexico) में चाँदी की नयी खानों की खोज की गयी जिससे रजतमान वाले देशों में चाँदी का आयात बढ़ गया था। परिणामतः इन देशों में कीमतें भी बढ़ने लगीं। भारत में भी 19वीं शताब्दी में चाँदी के अधिकाधिक आयात के परिणामस्वरूप वस्तुओं की कीमतें बढ़ गयी थीं।

(5) सन् 1896 में दक्षिणी अफ्रीका के ट्रान्सवाल (Transval) प्रान्त में सोने की नयी-नयी खानों की खोज की गयी जिसके परिणामस्वरूप यूरोप के देशों में सोने का आयात बढ़ गया था। इससे यूरोप के देशों में कीमतें बढ़ने लगीं।

(6) प्रथम विश्व युद्धकाल में जर्मनी में काराजी मुद्रा के अत्यधिक विस्तार के कारण मुद्रा-स्फीति उत्पन्न हो गयी तथा वस्तुओं की कीमतें आकाश को छूने लगी थीं।

(7) सन् 1929 में महामन्दीकाल में लगभग सभी देशों में मुद्रा-अवस्फीति (मुद्रा-संकुचन) के कारण वस्तुओं की कीमतें बहुत नीचे गिर गयीं।

(8) दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तथा इसके पश्चात् भारत तथा अन्य देशों में काराजी मुद्रा के अत्यधिक प्रसार के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बहुत बढ़ गयी थीं।

उपर्युक्त उदाहरणों के अध्ययन से स्पष्ट है कि मुद्रा परिमाण सिद्धान्त बेकार नहीं है बल्कि इसमें सत्यता का बड़ा अंश पाया जाता है। जैसा ऊपर कहा गया है, मोटे तौर पर यह सिद्धान्त देश के कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों का सन्तुलनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। यह सत्य है कि यह सिद्धान्त मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों के बीच कोई गणितात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में असमर्थ रहा है, परन्तु इससे इस सिद्धान्त की उपयोगिता बिलकुल समाप्त नहीं हो जाती है। जैसा पहले कहा गया है, एक प्रवृत्ति के घोटक के रूप में यह सिद्धान्त आज भी सत्य है।

(4) केम्ब्रिज का मुद्रा परिमाण सिद्धान्त (Cambridge Quantity Theory of Money)—केम्ब्रिज के अर्थशास्त्री प्रो० फिशर द्वारा की गयी मुद्रा सिद्धान्त की व्याख्या से सन्तुष्ट नहीं हैं। अतः उन्होंने इस सिद्धान्त की व्याख्या एक नये दृष्टिकोण से की है और इसको एक नये समीकरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। केम्ब्रिज के जिन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त का नये रूप में प्रस्तुत किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं—मार्शल (Marshall), पीगू (Pigou), कैनन (Cannan) हाट्ट्रे (Hawtrey) तथा रॉबर्टसन (Robertson)। केम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की आधारभूत विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(1) समाज में आय का एक निश्चित भाग नकद-कोष के रूप में रखा जाता है—प्रो० फिशर ने अपने समीकरण में मुद्रा की माँग को कुल व्यापारिक सौदों (business transactions) के

मूल्य के बराबर, अर्थात् $M = P \times T$ मान लिया था, अर्थात् फिशर के अनुसार, मुद्रा का स्वयं कोई उपयोग नहीं होता। इसकी माँग तो केवल वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के लिए ही की जाती है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा की कोई निजी माँग नहीं होती, बल्कि इसकी माँग तो इसलिए की जाती है, क्योंकि यह विनिमय के माध्यम का काम करती है। केम्ब्रिज के अर्थशास्त्री प्रो० फिशर के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। उनके बयानानुसार, मुद्रा की माँग के बारे में प्रो० फिशर का विचार अवैज्ञानिक (unscientific) है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पास कुछ न कुछ मुद्रा अवश्य रखना चाहता है। हो सकता है कि उसे तुरन्त किसी वस्तु की आवश्यकता आ पड़े। यदि उसके पास मुद्रा नहीं है तो वह उस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकेगा। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग सदैव अपने पास नकदी के रूप में रखता है। इसी प्रकार व्यापारिक संस्थान (commercial firms) भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ रकम नकदी के रूप में रखते हैं। उदाहरणार्थ, एक व्यापारिक संस्थान को वच्चा माल खरीदने तथा श्रमिकों को मजदूरी चुकाने के लिए हर समय अपने पास कुछ न कुछ नकद रपया रखना पड़ता है। इसी प्रकार सरकार को भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए कुछ न कुछ रकम नकदी के रूप में रखनी पड़ती है। अतः केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार, मुद्रा की वह मात्रा जो सभी निजी व्यक्तियों, व्यापारिक संस्थानों तथा सरकार द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखी जाती है, मुद्रा की माँग कहलाती है। केम्ब्रिज के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० वेनन (Cannan) ने मुद्रा की माँग की व्याख्या करते हुए एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है, "जिस प्रकार मकानों की वास्तविक माँग मकानों में रहने वालों की होती है (मकानों के खरीदने व बेचने वालों या इसका व्यवसाय करने वालों की मकानों की माँग वास्तविक माँग नहीं होती) उसी प्रकार मुद्रा की वास्तविक माँग मुद्रा की वह मात्रा है जिसे लोग अपने खर्च चलाने के लिए अपने पास रखते हैं। दूसरे शब्दों में वस्तुओं को खरीदने के लिए मुद्रा की माँग मकानों के खरीदने व बेचने वालों की माँग की तरह वास्तविक माँग नहीं होती, बल्कि मुद्रा की वास्तविक माँग मुद्रा की वह मात्रा होती है जो अपना खर्च चलाने के लिए लोगों द्वारा अपने पास रखी जाती है। इस प्रकार प्रो० फिशर तथा केम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों में मुद्रा की माँग के स्वरूप के विषय में भारी मतभेद है। संक्षेप में प्रो० फिशर के अनुसार मुद्रा की माँग वस्तुओं को खरीदने व बेचने अथवा व्यावसायिक सौदों के लिए की जाती है। इसके विपरीत, केम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की माँग मुद्रा की वह मात्रा होती है जिसे लोग अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए अपने पास रखते हैं।

(2) मुद्रा की माँग लोगों की तरलता-वरीयता (liquidity preference) पर निर्भर करती है—एक व्यक्ति अपने धन को कई प्रकार से लगा सकता है। वह इस मकान जायदाद खरीदने में लगा सकता है या इस धन से कम्पनियों के अंश (Shares) खरीद सकता है या इससे वस्तुओं का स्टॉक कर सकता है या इसे बैंक में जमा करा सकता है। परन्तु जो धन मकान जायदाद खरीदने में लगाया जाता है, वह तरल (liquid) नहीं रहता अर्थात् यदि उस व्यक्ति को किसी समय नकदी की आवश्यकता पड़ती है तो वह उस मकान जायदाद को तुरन्त ही बेचकर नकद धन प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि मकान जायदाद को बेचने में कुछ समय अवश्य लग जाता है और फिर यह भी जरूरी नहीं कि जितना धन उसने मकान में लगाया है, बेचने पर उसे उतना ही वापस मिल जायगा। इस प्रकार मकान-जायदाद में लगाया गया धन तरल नहीं माना जा सकता। परन्तु कम्पनियों के शेयर्स में लगाया गया धन मकान जायदाद में लगाये गये धन की अपेक्षा अधिक तरल होता है क्योंकि शेयर्स को किसी भी समय स्टॉक एक्सचेंज (Stock exchange) पर बेचकर नकद रूपया प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु जो रूपया बैंक में जमा किया जाता है, वह तो अत्यन्त तरल रूप में होता है। उसे किसी भी समय बैंक से निकाला जा सकता है। परन्तु सबसे अधिक तरलता (liquidity) तो व्यक्ति के अपने पास रखे हुए नकद धन में होती है, क्योंकि उसे वह किसी भी समय किसी भी उपयोग में लगा सकता है। वास्तव में, प्रत्येक व्यक्ति में अपने धन को यथासम्भव तरल रूप में रखने की अभिलाषा होती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह उसका उचित उपयोग कर सके। इसे व्यक्ति की तरलता वरीयता अथवा तरलता पसन्दगी (liquidity preference) कहते हैं।

rence) कहते हैं। केम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, व्यक्तियों में तरलता-वरीयता जितनी अधिक होती है, उतनी ही उनकी मुद्रा की माँग अधिक होती है, अर्थात् उतनी ही मात्रा में वे अधिक नकद धन अपने पास रखना चाहते हैं। इसके विपरीत, व्यक्तियों की तरलता-वरीयता जितनी कम होती है, उतनी ही उनकी मुद्रा की माँग कम होती है। इस प्रकार केम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, मुद्रा की माँग पर तरलता-वरीयता का प्रभाव पड़ता है।

(3) मुद्रा की माँग पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है—मुद्रा की माँग पर तरलता-वरीयता के अतिरिक्त अन्य भी कई प्रकार की बातों का प्रभाव पड़ता है जो निम्नलिखित हैं।

(अ) आय-प्राप्ति की अवधि—मुद्रा की माँग व्यक्तियों की आय-प्राप्ति की अवधि पर भी निर्भर करती है। व्यक्तियों की आय-प्राप्ति की अवधि जितनी अधिक लम्बी होगी, उतनी ही अधिक उनकी मुद्रा की माँग होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति को साप्ताहिक आधार पर वेतन मिलता है तो वह व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए अपने पास अधिक मात्रा में मुद्रा नहीं रखेगा, अर्थात् उसकी मुद्रा की माँग कम होगी। इसके विपरीत, यदि किसी व्यक्ति को वेतन मासिक आधार पर मिलता है तो वह व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पास अधिक मात्रा में मुद्रा रखेगा, अर्थात् उसकी मुद्रा की माँग अधिक होगी।

(ब) वस्तुओं की कीमतें—यदि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उन्हें खरीदने के लिए व्यक्तियों को अपने पास अधिक मुद्रा रखनी पड़ती है। इसके विपरीत, यदि वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती हैं तो उन्हें खरीदने के लिए व्यक्तियों को अपने पास कम मात्रा में मुद्रा रखनी पड़ती है।

(स) राष्ट्रीय धन का वितरण—जिस देश में राष्ट्रीय धन का वितरण अधिक समान होता है वहाँ मुद्रा की माँग भी अधिक होती है, क्योंकि ऐसे देश में गरीब लोग भी अपने पास कुछ न कुछ मुद्रा रखने लगते हैं।

(द) देश की जनसंख्या—देश की जनसंख्या जितनी अधिक होती है, मुद्रा की माँग भी उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगो द्वारा अधिक मात्रा में मुद्रा रखी जाती है। इसके विपरीत, जनसंख्या जितनी कम होती है, मुद्रा की माँग भी उतनी ही कम होती है।

(घ) व्यापार की वृद्धि—मन्दी काल में व्यापार में लाभ कम हो जाता है। इसलिए निर्माता (manufacturers) वस्तुओं का उत्पादन कम कर देते हैं और अपने पास स्टॉक भी कम रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में उत्पादक अपने व्यवसाय में निवेश (investment) कम कर देंगे और अपने पास नकद रूप में धन रखने लगेंगे। इसके अतिरिक्त, मन्दीकाल में उपभोक्ता भी कम मात्रा में वस्तुएँ खरीदने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यह आशा होती है कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें और अधिक गिरेंगी। इस प्रकार उपभोक्ता भी अपने पास अधिक मात्रा में नकद धन रखने लगते हैं। परिणामतः मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। इसके विपरीत, तेजीकाल में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और उत्पादकों के लाभ में वृद्धि होने लगती है। इससे आर्कषित होकर उत्पादक लोग व्यवसाय में और अधिक धन लगाने लगते हैं, यहाँ तक कि बैंको से रुपया उधार लेकर भी अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं। इसके अतिरिक्त, वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों अथवा मुद्रा के गिरते हुए मूल्य के कारण उपभोक्ता भी अधिकाधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदना आरम्भ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह भय रहता है कि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें कहीं और अधिक नहीं बढ़ जायें। परिणामतः मुद्रा की माँग कम हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्दीकाल में मुद्रा की माँग बढ़ जाती है (अर्थात् जनता की तरलता-वरीयता अधिक हो जाती है), जबकि तेजीकाल में मुद्रा की माँग कम हो जाती है (अर्थात् जनता की तरलता-वरीयता कम हो जाती है)।

(र) मुद्रा का संचलन-वेग (Velocity of Circulation of Money)—मुद्रा के संचलन-वेग का भी इसकी माँग पर प्रभाव पड़ता है। यदि लोगो की तरलता-वरीयता अधिक होती है तो वे विनिमय हेतु मुद्रा का अधिक प्रयोग नहीं करेंगे और इस प्रकार मुद्रा का संचलन-वेग कम हो जायेगा। इसके विपरीत, यदि लोगो की तरलता-वरीयता कम है तब वे विनिमय हेतु

मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे। इस प्रकार मुद्रा का संचलन-वेग बढ़ जायगा। इस परिस्थिति में मुद्रा की अल्प-मात्रा से ही बहुत अधिक मात्रा में विनिमय कार्य किया जा सकेगा। इस प्रकार जब मुद्रा का संचलन-वेग अधिक होता है तब मुद्रा की माँग अधिक होती है। इसके विपरीत, जब मुद्रा का संचलन-वेग कम होता है तब मुद्रा की माँग कम होती है। जब मुद्रा का संचलन-वेग कम होता है तब लोगों के पास अधिक मात्रा में नकद मुद्रा रहती है, अर्थात् मुद्रा की माँग अधिक होती है। विनिमय कार्यों के लिए मुद्रा का उपयोग कम होता है, वस्तुओं की माँग कम हो जाती है और अन्ततः उनकी कीमतों में कमी हो जाती है। इसके विपरीत, जब मुद्रा का संचलन-वेग अधिक होता है तब लोगों के पास कम मात्रा में नकद मुद्रा रहती है, अर्थात् मुद्रा की माँग कम हो जाती है। विनिमय कार्य के लिए मुद्रा का उपयोग बढ़ जाता है, वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है और अन्ततः वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं।

(स) लेन-देन के रस्मो-रिवाज—मुद्रा की माँग देश में लेन-देन के रस्मो-रिवाज पर भी निर्भर करती है। यदि लेन-देन में चेकों, हण्डियों एवं विनिमय-विपत्रों, जैसे साख-पत्रों का अधिक प्रयोग होता है तो इससे मुद्रा की माँग कम हो जाती है। इसके विपरीत, यदि लेन-देन में साख-पत्रों का प्रयोग कम होता है तो इससे मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि देश में उधार मिलने की सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है तो इससे मुद्रा की माँग कम हो जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुद्रा परिमाण के केम्ब्रिज समीकरण के अनुसार, किसी देश में मुद्रा की माँग वहाँ के व्यापारिक सौदों की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कई प्रकार के अन्य नथ्यों से प्रभावित होती है। प्रो० फिशर ने अपने समीकरण में तो मान लिया था कि मुद्रा की माँग केवल देश के व्यापारिक सौदों की मात्रा के ही बराबर होती है, परन्तु केम्ब्रिज के अर्थशास्त्री प्रो० फिशर की इस धारणा से सहमत नहीं हैं। अतएव उन्होंने अपने समीकरण से मुद्रा की माँग को एक नये रूप में प्रस्तुत किया है। स्पष्ट है कि केम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों का मुद्रा की माँग का विचार फिशर के मुद्रा-माँग के विचार के बिलकुल विपरीत है। चूँकि केम्ब्रिज परिमाण सिद्धान्त मुद्रा की माँग पर अधिक बल देता है, इसलिए कभी-कभी इसे मुद्रा की माँग का सिद्धान्त (Demand theory of money) कहकर भी पुकारा जाता है। प्रो० फिशर ने अपने समीकरण में माँग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति पर अधिक बल दिया था।

मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का केम्ब्रिज समीकरण—(Cambridge Equation of the Quantity Theory of Money)—माशुल तथा अन्य केम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों ने परिमाण सिद्धान्त का एक नया समीकरण प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है

$$P = \frac{M}{KR}$$

इस समीकरण में P=सामान्य कीमत-स्तर, M—मुद्रा की इकाइयों की संख्या, R=समाज की कुल वास्तविक आय, K, R का वह अनुपात है जिसे लोगों द्वारा मुद्रा के रूप में रखा जाता है। M अर्थात् मुद्रा की इकाइयों की संख्या = KR और प्रति इकाई मुद्रा का मूल्य = $\frac{KR}{M}$

चूँकि मुद्रा का मूल्य सामान्य कीमत-स्तर के प्रतिकूल अनुपात में बदलता है, इसलिए P अर्थात् कीमत-स्तर = $\frac{M}{KR}$

मान लीजिए R=500 क्विण्टल चावल, K = $\frac{1}{10}$ और M=1000 रुपये हैं।

ऐसी परिस्थिति में मुद्रा का मूल्य या क्रय-शक्ति = $\frac{500 \times \frac{1}{10}}{1000} = \frac{1}{2}$ क्विण्टल चावल

होगा, कीमत-स्तर अर्थात् P = $\frac{1000}{500 \times \frac{1}{10}}$ 20 रुपये प्रति क्विण्टल।

केम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों के मतानुसार मुद्रा का कार्य केवल वस्तुओं को खरीदना ही नहीं बल्कि वस्तुओं के मूल्य का सचय भी करना है। इसके अलावा, मुद्रा की माँग व्यावसायिक सौदों

पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह तो लोगों की नगदी की माँग पर निर्भर रहती है। जैसा धिदित है, लोग प्रायः अपनी आय का एक निश्चित भाग नगदी के रूप में अपने पास रखते हैं, यही उनकी मुद्रा की माँग होती है। इस प्रकार जब लोग अपने पास कुछ रकम नगदी के रूप में रखते हैं, तब इसका यह अभिप्राय होता है कि वे मुद्रा के रूप में वस्तुओं तथा सेवाओं को अपने पास जमा रखते हैं, अर्थात् मौद्रिक आय द्वारा लोग जितनी वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीद सकते हैं, वह उनकी वास्तविक आय होती है और जब वे अपनी मौद्रिक आय का कुछ भाग अपने पास नगदी के रूप में रखते हैं तब इसका अभिप्राय यह होता है कि वे अपने पास मुद्रा के रूप में अपनी वास्तविक आय का कुछ भाग जमा कर लेते हैं।

केम्ब्रिज समीकरण की श्रेष्ठता (Superiority of Cambridge Equation)—एक दृष्टि से केम्ब्रिज समीकरण फिशर के समीकरण से श्रेष्ठ है। केम्ब्रिज समीकरण अल्पकालीन परिवर्तनों के प्रभाव को भी ध्यक्त करता है, जबकि फिशर समीकरण केवल दीर्घकालीन परिवर्तनों को ही महत्व देता है। उदाहरणार्थ, मन्दीकाल में, केम्ब्रिज समीकरण के अनुसार, कीमतें इसलिए नीचे गिरने लगती हैं क्योंकि ऐसे समय लोग अपने पास अधिक नगद-कोष जमा करना आरम्भ कर देते हैं। इससे मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और उसका मूल्य भी बढ़ जाता है अथवा कीमतें गिर जाती हैं। इसी प्रकार अत्यधिक स्फीति के समय लोग अपने पास नगद-कोष रखना कम कर देते हैं अथवा बन्द कर देते हैं जिससे मुद्रा की माँग गिर जाती है इसका मूल्य गिर जाता है अथवा कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन अल्पकालीन परिस्थितियों में होने वाले इस प्रकार के परिवर्तन फिशर के समीकरण के क्षेत्र में नहीं आते। फिशर का समीकरण तो केवल दीर्घकालीन परिवर्तनों को ही महत्व देता है।

प्रो० पीगू द्वारा केम्ब्रिज समीकरण में संशोधन—केम्ब्रिज समीकरण के मौलिक रूप में प्रो० पीगू ने थोड़ा संशोधन करके इसे और अधिक स्पष्ट बना दिया है। समीकरण के मौलिक रूप में जनता द्वारा बैंको में जमा-राशि को नगद-कोषों में ही सम्मिलित कर दिया गया था, किन्तु समीकरण के संशोधित रूप में प्रो० पीगू ने बैंक निक्षेपों को पृथक् स्थान दिया है। समीकरण का संशोधित रूप निम्नलिखित है

$$P = \frac{KR}{M} [C + h(I - C)]$$

उपर्युक्त समीकरण में दो नवीन चिह्न सम्मिलित किये गये हैं। C का तात्पर्य उस नगद राशि में है जो जनता स्वयं अपने पास रखती है और h से अभिप्राय नगद राशि के उस भाग से है जिसे बैंको में जमा के रूप में रखा जाता है। लेकिन समीकरण के मूल एवं संशोधित रूप में कोई आधारमूल्य अन्तर नहीं है। संशोधित रूप अधिक स्पष्ट है। इसमें बैंको में जमा-राशि को स्वतन्त्र स्थान दिया गया है। परन्तु व्यवहार में प्रायः मूल समीकरण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रारम्भ से ही बैंक जमा-राशियाँ को नगद-कोष के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है।

केम्ब्रिज समीकरण की आलोचना—वर्षों केम्ब्रिज समीकरण फिशर के समीकरण से श्रेष्ठ है, लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियाँ पायी जाती हैं

(क) वास्तविक आय को सही-सही मापना कठिन है—जैसा हम देख चुके हैं फिशर समीकरण के T को मापना बहुत ही कठिन समस्या है। T के अन्तर्गत उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया गया है जिनका उत्पादन देश में किया जाता है। ये वस्तुएँ एवं सेवाएँ विभिन्न प्रकार की होती हैं और उन्हें एक पैमाने से मापकर किसी एक इकाई समूह में नहीं रखा जा सकता। उदाहरणार्थ, देश में उत्पन्न किये गये तेल कोयले एवं वपड़े को एक ही इकाई समूह में प्रकट नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि तेल को लिटरों में, कोयले को मीट्रिक टन में और कपड़े को मीटरों में मापा जाता है। इस प्रकार देश में उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को एक ही पैमाने से नहीं मापा जा सकता। ठीक इसी प्रकार केम्ब्रिज समीकरण के R को मापना भी एक कठिन समस्या है। इसके अन्तर्गत देश की कुल वास्तविक

आय अथवा देश में उत्पन्न की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। दूसरे शब्दों में, केम्ब्रिज समीकरण में भी वही त्रुटि पायी जाती है जो फिशर के समीकरण में विद्यमान है।

(ख) इस समीकरण में ऋण के कारण उत्पन्न होने वाले बैंक निक्षेपों की उपेक्षा की गयी है—जैसा विदित है, बैंक को दो प्रकार के निक्षेप (deposits) प्राप्त होते हैं। प्रथम, वे निक्षेप जो लोग अपनी वर्तमान आय में से धन दबाकर बैंकों में जमा कराते हैं। दूसरे, वे निक्षेप जो बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने पर उत्पन्न होते हैं। स्मरण रहे कि जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तो वह व्यक्ति उस ऋण को पूर्णतः अथवा अंशतः उसी बैंक में अपने खाते में जमा करा देता है और आवश्यकतानुसार उसे उपयोग में लाता है। इन प्रकार ऋण देने पर बैंक को निक्षेप भी प्राप्त होते हैं। अब केम्ब्रिज समीकरण में केवल पहली प्रकार के निक्षेपों को ही नगद-कोषों में सम्मिलित किया गया है। दूसरी प्रकार के निक्षेपों की पूर्ण उपेक्षा की गयी है जबकि वास्तविकता यह है कि बैंकों के अधिकांश निक्षेप ऋणों के परिणामस्वरूप ही उत्पन्न होते हैं।

प्रो० फिशर तथा केम्ब्रिज-अर्थशास्त्रियों के विचारों का अन्तर—प्रो० फिशर तथा केम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों के विचारों में दो आधारभूत अन्तर हैं।

(1) प्रो० फिशर के अनुसार, मुद्रा की माँग विनिमय साध्य वस्तुओं (exchangeable goods) की मात्रा में निर्धारित होती है, अर्थात् मुद्रा की माँग व्यापार की मात्रा T से निश्चित होगी है, परन्तु केम्ब्रिज-अर्थशास्त्रियों के अनुसार, मुद्रा की माँग लोगों की आय का वह भाग होती है जिसे वे अपने पास नगद रूप में रखते हैं।

(2) प्रो० फिशर का परिमाण सिद्धान्त दीर्घकालीन और एक समय-अवधि से सम्बन्धित है, परन्तु केम्ब्रिज-अर्थशास्त्रियों का परिमाण सिद्धान्त अल्पकालीन है और केवल एक क्षण से ही सम्बन्धित है।

इन दो अन्तरो के हाते हुए भी ये दोनों सिद्धान्त परस्पर विरोधी नहीं बहे जा सकते बल्कि ये दोनों सिद्धान्त एक ही समस्या के दो अलग रूपों का अध्ययन करते हैं।

केम्ब्रिज समीकरण में प्रो० केन्ज द्वारा किया गया सशोधन केम्ब्रिज-अर्थशास्त्रियों के उक्त समीकरण में प्रो० केन्ज ने सशोधन करके इसे निम्न रूप में अपनी पुस्तक "A Tract on Monetary Reform" में प्रस्तुत किया है

$$n = p(k + rk')$$

इस समीकरण में n = मुद्रा की मात्रा, p = सामान्य कीमत स्तर, k = उपभोग की इकाइयाँ जिनके लिए ऋण-शक्ति लोगों द्वारा मुद्रा के रूप में रखी जाती है, r = बैंकों के नगद-कोष तथा जमा राशि (deposits) का अनुपात अर्थात् बैंकों द्वारा अपने निक्षेपों के पीछे रखी गयी नगद राशि का अनुपात और k' = उपभोग की इकाइयों की वह मात्रा जिसके लिए ऋण शक्ति को साध मुद्रा के रूप में संचित किया जाता है। दूसरे शब्दों में k' से अभिप्राय बैंकों की उस जमा राशि से है जिसे बैंकों द्वारा निकाला जाता है।

प्रो० केन्ज के अनुसार, लोग अपने पास कुछ न कुछ मुद्रा सदैव रखते हैं ताकि इससे वे अपनी उपभोग की वस्तुएँ खरीद सकें। ऐसी मुद्रा को प्रो० केन्ज ने उपभोग की इकाइयाँ कहा है। प्रो० केन्ज ने उक्त समीकरण में यह मान लिया है कि k उपभोग इकाइयों को लोग मुद्रा के रूप में अपने पास रखते हैं और k' उपभोग इकाइयों को बैंकों में जमा (deposits) के रूप में रखते हैं। उनके अनुसार बैंक भी अपनी समूची जमा को नगद-कोष के रूप में नहीं रखते, बल्कि कुल जमा के एक अंश को ही नगद-कोष के रूप में रखते हैं। प्रो० केन्ज ने इस प्रकार के नगद-कोष को r का नाम दिया है। मुद्रा की कुल मात्रा को n के बराबर रखा गया है और एक उपभोग इकाई का मूल्य p माना गया है। प्रो० केन्ज ने उक्त समीकरण में k , k' तथा r को लगभग स्थिर ही मान लिया है क्योंकि इन तीनों में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण यह है कि अल्पकाल में लोगों में अपने पास नगद धन रखने की आदत में परिवर्तन नहीं होता और न ही बैंकों द्वारा रखे गये नगद-कोषों में ही अल्पकाल में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, इसलिए प्रो० केन्ज ने k , k' तथा r को अल्पकाल में स्थिर मान लिया है। यदि k , k' तथा r स्थिर मान लिये जाते हैं तो p अर्थात् कीमत-स्तर में परिवर्तन n में हुए परिवर्तनों के

अनुसार ही होंगे, अर्थात् यदि m में वृद्धि होती है, तो p में भी वृद्धि होगी। इसके विपरीत, यदि m में कमी हो जाती है तो p में भी कमी हो जायगी। परन्तु यह भी सम्भव है कि m में वृद्धि होने पर p में वृद्धि न हो क्योंकि n में वृद्धि होने से k में भी वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार यह भी सम्भव हो सकता है कि m में वृद्धि होने पर k' में कमी हो जाय और परिणामतः कीमत-स्तर (p) मुद्रा की मात्रा (n) की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाय। इसी प्रकार बैंक भी (r) को कम करके कीमत-स्तर (p) को बढ़ा सकते हैं और (r) को अधिक करके कीमत-स्तर (p) को घटा सकते हैं। इस तरह लोगों की अपने पास नकदी के रूप में मुद्रा रखने की प्रवृत्ति तथा बैंकों की अपने पास नकद-कोष रखने की नीति का देश के कीमत-स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। प्रो० केन्ज के उक्त समीकरण में विधिग्राह्य मुद्रा के साथ साथ साख-मुद्रा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह सिद्ध कर दिया गया है कि साख-मुद्रा भी कीमत-स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करती है।

प्रो० केन्ज के समीकरण के गुण तथा दोष—प्रो० केन्ज के उक्त समीकरण में कुछ विशेष गुण पाये जाते हैं। प्रथम, प्रो० केन्ज के अनुसार, किसी देश में मुद्रा की माँग उस देश में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मुद्रा की माँग तो जनता की नकदी के रूप में मुद्रा रखने की प्रवृत्ति पर आश्रित रहती है। दूसरे, देश का कीमत-स्तर लोगों की उपभोग सम्बन्धी आवृत्तियों पर निर्भर रहता है। इस समीकरण के अनुसार, कीमत-स्तर इस बात पर निर्भर रहता है कि लोग अपनी आय का कितना भाग बरतुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए अपने पास नकदी के रूप में रखते हैं।

परन्तु प्रो० केन्ज के उक्त समीकरण में कुछ दोष भी पाये जाते हैं। प्रथम, इस समीकरण में k तथा k' की सही-सही माप नहीं की जा सकती, अर्थात् हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी आय का कितना भाग नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं और कितना भाग बैंकों में जमा के रूप में रखते हैं। इस प्रकार k , k' की अनिश्चितता के कारण इस समीकरण का व्यावहारिक महत्त्व कम ही जाता है। दूसरे, उपर्युक्त समीकरण में मुद्रा के संचलन-वेग को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तीसरे इस समीकरण में केवल प्रचलित उपभोग (current consumption) को इकाइयों पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया है, अर्थात् इस समीकरण में (p) हमें केवल प्रचलित उपभोग की वस्तुओं की कीमतों का ही ज्ञान कराती है। व्यावहारिक जीवन में मुद्रा का प्रयोग प्रचलित उपभोग के लिए ही नहीं, बल्कि निवेश (investment), सट्टा एवं आर्कस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार इस समीकरण की (p) मुद्रा की वास्तविक क्रय-शक्ति को व्यक्त करने में असमर्थ रहती है। चौथे, यह समीकरण स्पष्टतः यह नहीं बताता कि बैंक-दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप (k') पर क्या प्रभाव पड़ता है और न ही यह समीकरण यह बताता है कि बैंक दर के परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के निक्षेपों (अर्थात् बचत चालू तथा निश्चित अवधि निक्षेपों) के पारस्परिक अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है।

प्रो० केन्ज तथा प्रो० फिशर के समीकरणों की तुलना—ऊपर हमने प्रो० फिशर तथा प्रो० केन्ज के समीकरणों का अध्ययन किया है। जैसा स्पष्ट है प्रो० केन्ज तथा प्रो० फिशर के दृष्टिकोणों में आधारभूतक अन्तर है।

- (1) प्रो० फिशर का समीकरण व्यापारिक सौदों (business transactions) पर आधारित है, जबकि प्रो० केन्ज का समीकरण नकद-कोषों (cash balances) पर निर्मित किया गया है।
- (2) प्रो० फिशर के अनुसार, मुद्रा की माँग व्यापार की मात्रा अथवा देश में उत्पन्न की गयी वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करती है। परन्तु प्रो० केन्ज के अनुसार, मुद्रा की माँग लोगों की तरलता-वरीयता (liquidity preference) पर निर्भर करती है।
- (3) प्रो० फिशर के समीकरण में मुद्रा के संचलन-वेग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जबकि प्रो० केन्ज के समीकरण में इसे बिलगुल कोई स्थान नहीं दिया गया है।
- (4) प्रो० फिशर का दृष्टिकोण दीर्घकालीन है, जबकि प्रो० केन्ज का दृष्टिकोण अल्प-कालीन है।

प्रो० फिशर तथा प्रो० केन्ज के समीकरणों में उपयुक्त अन्तर होते हुए भी इनमें कुछ समानता है। वास्तव में, ये दोनों समीकरण एक ही वस्तु के दो पृथक-पृथक दृष्टिकोण बताते हैं। प्रो० केन्ज का समीकरण मुद्रा की उस मात्रा की ओर संकेत करता है जो एक निश्चित समय में लोगों के पास नकदी के रूप में रहती है। प्रो० फिशर का समीकरण मुद्रा की उस मात्रा की ओर संकेत करता है जो किसी निश्चित समय में समाज के लेन-देन के लिए आवश्यक समझी जाती है। इस प्रकार प्रो० केन्ज का समीकरण एक समय-बिन्दु से सम्बन्धित है और प्रो० फिशर का समीकरण एक समय-अवधि से सम्बन्धित है।

(5) केन्ज द्वारा मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त का पुनर्निर्माण अथवा केंज का मुद्रा एवं कीमतों का सिद्धान्त (Reconstruction of the Quantity Theory of Money or Keynes' Theory of Money and Prices)—क्लासीकल अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या भिन्न-भिन्न प्रकार में की है। मोटे तौर पर इस सिद्धान्त के दो मुख्य रूपान्तर हैं जिनमें से एक को मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त का 'स्ट्रिक्ट' (strict) और दूसरे को 'नौट-सो-स्ट्रिक्ट' (not-so-strict) रूपान्तर कहा जा सकता है। स्ट्रिक्ट रूपान्तर के अनुसार, एक ओर तो मुद्रा की मात्रा और दूसरी ओर कीमत-स्तर में गणितात्मक सम्बन्ध (mathematical relationship) होता है। यदि मुद्रा की मात्रा को दो गुना कर दिया जाय तो कीमत-स्तर भी दो गुना हो जाता है। 'नौट-सो-स्ट्रिक्ट' रूपान्तर के अनुसार मुद्रा की मात्रा एवं कीमत-स्तर में कोई सही-सही एवं निश्चित सम्बन्ध नहीं होता है। यदि मुद्रा की मात्रा को दो गुना कर दिया जाय तो हो सकता है कि कीमत-स्तर दो गुना न हो, सम्भव है कि वह दो गुने से भी अधिक हो जाय। 'नौट-सो-स्ट्रिक्ट' रूपान्तर केवल यही प्रदर्शित करता है कि यदि मुद्रा की पूर्ति (M) में वृद्धि होती है तो कीमत-स्तर (P) भी ऊँचा उठता है, और यदि मुद्रा की पूर्ति (M) में गिरावट आती है तो कीमत-स्तर (P) भी गिर जाता है। यह रूपान्तर सही-मही यह स्पष्ट नहीं करता कि मुद्रा-पूर्ति के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कीमत-स्तर किस अनुपात में परिवर्तित होता है।

इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पाठकों को एक आवश्यक बात बड़ी सावधानी से समझ लेनी चाहिए। वह यह है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त भी अन्य सभी क्लासीकल सिद्धान्तों की भाँति पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। इस प्रकार की मान्यता पूर्ण रूप से अनावश्यक है। प्रो० केन्ज ही इसको चुनौती देने का साहस कर सके हैं। केन्ज का सिद्धान्त पूर्ण रोजगार के बजाय न्यून-रोजगार सन्तुलन (under-employment equilibrium) से सम्बन्धित है। पूर्ण रोजगार की मान्यता के आधार पर क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के लिए यह कह सकना सरल था कि मुद्रा-पूर्ति-प्रसार के तुरन्त बाद ही कीमत-स्तर ऊँचा हो जाता है। पहले ही से पूर्ण रोजगार होने के कारण उत्पादन में अधिक वृद्धि की कोई सम्भावना नहीं रहती (क्योंकि अधिक संसाधन एवं मानव शक्ति पहले ही से पूर्णरूपेण कार्य सलग्न होते हैं)। अतः मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि कीमत-स्तर पर अपना पूर्ण प्रभाव डालती है। स्मरण रहे कि कीमत स्तर, मुद्रा-पूर्ति के परिवर्तनों से शीघ्र ही प्रभावित होता है। यही कारण है कि मुद्रा-पूर्ति-प्रसार के तुरन्त बाद ही कीमत-स्तर में वृद्धि हो जाती है। यदि पूर्ण रोजगार की क्लासीकल मान्यता सही होती तो यह व्याख्या भी पूर्ण रूप से सही होती।

केन्ज क्लासीकल अर्थशास्त्रियों से यहाँ तक तो पूर्णतः सहमत थे कि मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि कीमत-स्तर में वृद्धि उत्पन्न करती है, किन्तु वह इस बात पर सहमत नहीं थे कि मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि किस प्रकार कीमत-स्तर की वृद्धि का कारण बनती है, अर्थात् उनमें तथा क्लासीकल अर्थशास्त्रियों ने 'कारण-प्रक्रिया' (causal process) के सम्बन्ध में मतभेद था। क्लासीकल अर्थशास्त्रियों का मत यह था कि मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि कीमत-स्तर को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाती है।

केन्ज का मत यह था कि कीमत-स्तर की वृद्धि मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती, बल्कि उसकी वृद्धि ब्याज-दर, आय, उत्पादन एवं रोजगार के माध्यम से होती है। प्रो० केन्ज का कथन था कि मुद्रा-पूर्ति की वृद्धि का पहला प्रभाव यह होता है कि वह ब्याज-दर को गिरा देती है। ब्याज की नीची दर निवेश को प्रोत्साहित करती है। जब मुद्रा सस्ती हो जाती है (अथवा ब्याज-दर गिर जाती है) तो व्यवसायी अपने निवेशों का अधिक विस्तार करने लगते हैं, और बड़े हुए निवेशों के कारण आय भी बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया के अप्रसृत होने पर उत्पादन एवं रोजगार में भी वृद्धि होती चली जाती है जिसके फलस्वरूप लागतें भी बढ़ जाती हैं। कच्चे माल

एवं अन्य सहायक पदार्थों की कीमतें तथा मजदूरियाँ बढ़ जाती हैं। लागतों में वृद्धि हो जाने से निर्मित माल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि प्रो० केंज के अनुसार मुद्रा-पूति की वृद्धि कीमत-स्तर को प्रत्यक्ष रूप से ऊँचा नहीं उठाती है, अर्थात् मुद्रा-पूति कीमत-स्तर को अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित करती है। अतः मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त का क्लासीकल रूप मुद्रा-पूति के परिवर्तनों से उत्पन्न कीमतों के परिवर्तनों के अध्ययन में ब्याज-दर के प्रभाव की उपेक्षा करता है।

यही नहीं, जैसा हम पहले भी कह आये हैं, प्रो० केंज पूर्ण-रोजगार की मान्यता को भी स्वीकार नहीं करते हैं। वह बेरोजगारी नाम की अधिक यथार्थ मान्यता को लेकर चलते हैं। पूर्ण-रोजगार की मान्यता का परित्याग करते ही इस सिद्धान्त का स्ट्रिक्ट क्लासीकल रूप स्वतः ही पूर्णतः अशक्त हो जाता है।

अब आप मान लीजिए कि मुद्रा की पूति को बढ़ाते समय अर्थ-व्यवस्था में बड़ी भारी बेरोजगारी फैली हुई है, तो उपरोक्त व्याख्या के अनुसार, बड़ी हुई मुद्रा-पूति के कारण ब्याज-दर गिर जाएगी। चूँकि आर्थिक ससाधन एवं मानव-शक्ति बेकार पड़े हैं, अतः ब्याज की नीची दर निवेश एवं उत्पादन में वृद्धि करेगी। यदि ऐसे अवसर पर अर्थ-व्यवस्था में और अधिक मुद्रा का निर्गमन किया जाता है तो उत्पादन और भी अधिक बढ़ जायगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा-पूति की सभी अतिरिक्त वृद्धियों (additional increases) से बेकार ससाधनों को काम मिलता चला जाता है तथा उत्पादन तब तक बढ़ता चला जाता है जब तक कि पूर्ण रोजगार की दशा उत्पन्न नहीं हो जाती है, अर्थात् यह वृद्धि तब तक होती रहती है जब तक कि सभी ससाधनों को काम नहीं मिल जाता। प्रो० केंज का कथन है कि यदि मुद्रा पूति का प्रसार पूर्ण-रोजगार-बिन्दु से भी आगे चला जाता है तो परिणाम "वास्तविक मुद्रा स्फीति" (true-inflation) होता है। अतः जब तक पूर्ण-रोजगार की दशा उत्पन्न नहीं होती है तब तक वास्तविक मुद्रा स्फीति का होना सम्भव नहीं है। इस पूर्ण-रोजगार-बिन्दु से पूर्व मुद्रा का जितना भी प्रसार होता है, वह कीमत-स्तर में वृद्धि न करके, केवल उत्पादन में ही वृद्धि करता है। इस बिन्दु से परे, जितनी भी अतिरिक्त मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, उससे उत्पादन में वृद्धि न होकर, कीमत स्तर में ही वृद्धि होती है। पूर्ण-रोजगार-बिन्दु के प्राप्त होते ही उत्पादन स्थिर (stable) हो जाता है और केवल कीमत-स्तर ही मुद्रा पूति प्रसार के साथ-साथ बढ़ता है। इस प्रसंग में वास्तविक मुद्रा-स्फीति तभी आरम्भ होती है जबकि मुद्रा-पूति के परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में उत्पादन की पूति को लोच शून्य हो जाती है (True inflation may be said to begin when the elasticity of the supply of output in response to changes in the supply of money falls to zero)

यही बिन्दु जहाँ पर मुद्रा-पूति के परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में उत्पादन की पूति की लोच शून्य हो जाती है, पूर्ण-रोजगार का बिन्दु (the point of full employment) कहलाता है। प्रो० केंज के अनुसार पूर्ण-रोजगार-बिन्दु की प्राप्ति के उपरान्त ही वास्तविक मुद्रा-स्फीति का प्रारम्भ होता है। पूर्ण-रोजगार-बिन्दु की प्राप्ति के पश्चात् ही सिद्धान्त का स्ट्रिक्ट रूपान्तर लागू होता है। इस बिन्दु पर मुद्रा पूति के किसी भी प्रसार के तुरन्त बाद कीमत-स्तर भी उतना ही ऊँचा हो जाता है (यह मानते हुए कि फिशर के समीकरण की 'V' स्थिर रहती है)। जब तक मुद्रा-प्रचलन वेग (velocity of circulation) स्थिर रहती है, तब तक इस सिद्धान्त का स्ट्रिक्ट रूप कामगोली रहता है। किन्तु 'V' सदा ही स्थिर नहीं रहती है (अथवा 'V' कभी-कभी ही स्थिर रहती है)। जब कीमत-स्तर इतनी तेजी से ऊँचा उठ रहा होता है तो 'V' के स्थिर रहने की आशा नहीं की जा सकती है। उस समय मुद्रा-प्रचलन के वेग का बढ़ जाना अनिवार्य ही होता है। जब कीमत स्तर इतनी तीव्रतापूर्वक ऊँचा उठ रहा होता है अथवा मुद्रा का मूल्य इतनी तेजी से नीचे गिर रहा होता है तब उस समय लोग रुपये को अपने पास रखना पसन्द नहीं करते, जैसे ही रुपया उनके पास आता है जैसे ही वे उसको व्यय कर देते हैं। ऐसे अवसर पर मुद्रा एक ऐसी परिसम्पत्ति (asset) का रूप धारण कर लेती है जिसका मूल्य प्रति क्षण गिरता चला जाता है। लोग अपनी मुद्रा से ऐसी वस्तुओं को खरीदना पसन्द करने लगते हैं जिनकी कीमतों में वृद्धि हो रही होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा को प्राप्त करते ही उससे छुटकारा पाना चाहता है। किन्तु जब सभी लोग इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मुद्रा का प्रचलन-वेग बढ़ जाता है और पूर्ण-

कथनानुसार 'V' ऊँची उठ जाती है। इस प्रकार यदि पूर्ण-रोजगार-बिन्दु के उपरान्त 'M' में निरन्तर वृद्धि होती है और इसके साथ ही साथ 'V' भी निरन्तर बढ़ती है, तो सरपट-स्फीति (hyper inflation) की दशा उत्पन्न हो जायगी और सिद्धान्त का 'स्ट्रिक्ट' रूप पुन परिस्थिति की व्याख्या कर सकने में असफल हो जायगा। ऐसा क्यों होता है? 'स्ट्रिक्ट' रूपान्तरण के अनुसार, कीमत-स्तर मुद्रा-पूति के परिवर्तनों के अनुपात में ही परिवर्तित होता है। अब यहाँ एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें कीमत-स्तर मुद्रा-पूति-प्रसार के अनुपात से भी बहुत अधिक ऊँचा हो जाता है। ऐसी दशा में सिद्धान्त का 'स्ट्रिक्ट' रूपान्तर पुन असफल हो जाता है। वास्तव में 'नोट-सो-स्ट्रिक्ट' रूपान्तर ऐसे अवसर पर भी क्रियाशील होता है क्योंकि इसके अनुसार मुद्रा-पूति एवं कीमत-स्तर में कोई निश्चित स्पष्ट एवं स्थिर सम्बन्ध नहीं होता है। पूर्ण-रोजगार-बिन्दु से पहले भी नोट-सो-स्ट्रिक्ट व्याख्या क्रियाशील हो सकती है क्योंकि पूर्ण-रोजगार की प्राप्ति से पूर्व भी कीमत-स्तर वृद्धि की पर्याप्त सम्भावना होती है। इस प्रकार दोनो ही रूपान्तरों (strict and not-so-strict) में से 'नोट-सो-स्ट्रिक्ट' रूपान्तर अधिक अच्छा, यथार्थ एवं स्वीकृति के योग्य है।

अगर हमने मुद्रा-पूति की वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमत-स्तर में होने वाली वृद्धि को उस सम्भावना को व्यक्त किया है जो पूर्ण-रोजगार के बिन्दु पर पहुँचने में पहले भी घटित हो सकती है। पाठक सम्भवतः इस व्याख्या को पिछले अनुच्छेदों में की गयी वृत्तियन व्याख्या से प्रत्यक्ष उलटा ही समझेंगे। प्रो० केंज की धारणा यही तो है कि जब तक पूर्ण-रोजगार बिन्दु प्राप्त नहीं होता तब तक मुद्रा-पूति की समस्त वृद्धि उत्पादन को तो बढ़ाती है, किन्तु कीमत-स्तर को नहीं। परन्तु यह परिणाम इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी के समय उत्पादन के साधनों की पूति पूर्णतः लोचदार होती है। दूसरे शब्दों में, जब उत्पादन का प्रसार हो रहा हो तब रोजगार के लिए उत्पादन के विभिन्न साधन मरलता से मिल जाने चाहिए ताकि उत्पादन की गति धीमी न पड़े और मुद्रा की बढ़ती हुई पूति के दबाव के फलस्वरूप कीमत-स्तर में वृद्धि न हो सके। प्रो० केंज की उक्त धारणा इस मान्यता पर भी आधारित है कि उत्पादन, ह्रासमान-प्रतिफल नियम (Law of Diminishing Returns) अथवा बढ़ती हुई लागत नियम (Law of Increasing Costs) से प्रभावित नहीं होता है। यदि ये मान्यताएँ सत्य हैं तो प्रो० केंज द्वारा प्रतिपादित उक्त धारणा भी पूर्णतः सत्य होनी चाहिये। यह भलीभाँति ज्ञात है कि व्यवहार में न तो पहली और न ही दूसरी मान्यता क्रियाशील होती है। यह आशा नहीं की जा सकती है कि बढ़ते हुए उत्पादन के अनुसार उत्पादन के साधनों की पूति भी पूर्णतया लोचदार होगी और न ही यह आशा की जा सकती है कि उत्पादन, ह्रासमान प्रतिफल नियम अथवा बढ़ती हुई लागत नियम के अनुसार नहीं होगा। चूँकि ये मान्यताएँ सत्य नहीं हैं, अतः उत्पादन-वृद्धि के साथ ही साथ लागतें भी ऊँची उठने लगती हैं। लागतों की वृद्धि के साथ ही साथ कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। अतः पूर्ण-रोजगार बिन्दु पर पहुँचने से पहले ही मुद्रा-पूति की वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमत-स्तर में वृद्धि होने लगती है। किन्तु कीमत-स्तर की इस वृद्धि को हम वास्तविक स्फीति (true inflation) नहीं कह सकते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वास्तविक स्फीति तो पूर्ण-रोजगार-बिन्दु के उपरान्त ही प्रारम्भ होती है। पूर्ण-रोजगार-बिन्दु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति को हम लागत स्फीति (cost inflation) ही कह सकते हैं।

लाभता के बढ़ने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।

(अ) मुद्रा-मजदूरियों में वृद्धि (Increase in Money Wages)—जब मुद्रा प्रसार के कारण उत्पादन में शोषता से वृद्धि होती है तो अधिकाधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ते हुए रोजगार के साथ श्रमिकों की पूति घटती चली जाती है और श्रमिक सघों की सौदा-शक्ति में वृद्धि हो जाती है। श्रमिक सघ अपनी इस बढ़ी हुई सौदा शक्ति का प्रयोग अपने सदस्यों को मजदूरी बढ़ाने के निमित्त करते हैं। मालिकान बढ़ी हुई लागतों के इस भार को वस्तुओं की कीमतों बढ़ा कर उपभोक्तियों पर शाल देते हैं। कभी-कभी तो मालिकान मजदूरी-वृद्धि का स्वागत करते हैं क्योंकि उनको कीमतों के बढ़ाने का एक सरल वहाँना मिल जाता है, इसी आड में वे प्रायः वस्तुओं की कीमतों को मजदूरी की वृद्धि के अनुपात से भी कहीं अधिक बढ़ा देते हैं।

(ब) कुछ आवश्यक पदार्थों एवं साज-सज्जा का अभाव (Shortages of Certain Materials and Equipment)—उत्पादन विस्तार के साथ ही साथ यह भी सम्भव है कि अर्थ-

व्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में किन्हीं आवश्यक पदार्थों एवं साज-सज्जा की कमी उत्पन्न हो जाय। इसका कारण यह है कि अर्ध-व्यवस्था के सभी आर्थिक ससाधन एक ही समय में एक ही साथ पूर्ण-रोजगार की दशा को प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। कुछ ससाधन अन्य ससाधनों की अपेक्षा शीघ्रता से पूर्ण रोजगार की दशा को प्राप्त होते हैं। परिणाम यह होता है कि इस प्रकार के ससाधनों में कमी उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन-विस्तार-काल में कोयला, बिजली आदि शक्ति के साधनों में कमी का आ जाना स्वाभाविक ही होता है। कोयला एवं बिजली की कमी के कारण राष्ट्रीय उत्पादन-विस्तार प्रक्रिया में गम्भीर रूकावटें पैदा हो जाती हैं। इस कमी के परिणामस्वरूप कोयले एवं बिजली की कीमतों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो जाती है, तथा उसके फलस्वरूप सभी उद्योगों में कुछ सीमा तक लागतों में वृद्धि हो जाती है।

(स) अल्पकाल में ह्रासमान प्रतिफल नियम अथवा बढ़ती हुई लागत नियम को क्रियाशीलता (Operation of the Law of Diminishing Returns or Increasing Costs in the Short-run)—अल्पकाल में जब उत्पादन की मात्रा बढ़ने लगती है, तब ह्रासमान-प्रतिफल नियम के लागू होने की सम्भावना रहती है। उत्पादन की मात्रा के बढ़ने से प्रति इकाई लागतों में वृद्धि हो जाती है किन्तु प्रश्न यह है कि ह्रासमान प्रतिफल नियम क्यों लागू होता है ?

प्रथम, जब उत्पादन बढ़ता है तब नयी मशीनें तुरन्त ही उपलब्ध नहीं हो सकती और, यदि नयी मशीनें तुरन्त उपलब्ध हो भी जायें तो भी मालिकान उनको खरीदना पसन्द नहीं करते, क्योंकि निश्चितता नहीं होती कि बढ़ी हुई माँग स्थायी होगी। इसलिये मालिकान द्वारा प्रयास यह किया जाता है कि अधिक श्रमिकों द्वारा वर्तमान मशीनों से ही अधिक काम (over-work-ing) लेकर उत्पादन में वृद्धि कर ली जाय। परिणामतः ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू हो जाता है।

द्वितीय, जैसा कि पूर्व कहा गया है उत्पादन वृद्धि के लिए अधिक सख्या में श्रमिक लगाने पड़ने हैं किन्तु प्रायः ऐसा होता है कि ये नये श्रमिक अपने काम में पुराने अनुभवी श्रमिकों की भाँति कुशल एवं योग्य नहीं होते, यद्यपि दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को समान मजदूरी देनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में बढ़ते हुए उत्पादन के साथ ही साथ प्रति इकाई लागत में भी वृद्धि हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पुरानी एवं अप्रचलित मशीनों से काम लेकर उत्पादन को बढ़ाया जाता है। इन सभी कारणों से अल्पकाल में ह्रासमान प्रतिफल नियम शीघ्र ही क्रियाशील हो जाता है और उत्पादन लागतों में वृद्धि होने लगती है।

मुद्रा परिमाण-सिद्धान्त में केंज के अशदान का सारंश—अब आवश्यकता इस बात की है कि संक्षेप में मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त से सम्बन्धित केंज के अशदान का वर्णन किया जाय। प्रो० केंज ने मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त को रोजगार की दशा से सम्बन्धित कर दिया है। उनका कथन है कि बेरोजगारों की अवस्था में मुद्रा-पूति प्रसार के कारण कीमत-स्तर में वृद्धि न होकर, उत्पादन में वृद्धि होती है किन्तु फिर भी आगे चल कर कीमत-स्तर में कुछ वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि के कारण ऊपर बताये जा चुके हैं। किन्तु पूर्ण-रोजगार से पहले कीमतों की यह वृद्धि वास्तविक स्फीति (true inflation) नहीं होती। वास्तविक स्फीति तो केवल तभी उत्पन्न होती है जबकि मुद्रा-प्रसार पूर्ण-रोजगार-बिन्दु से भी परे चले जाता है। तब मुद्रा-पूति का प्रत्येक अतिरिक्त प्रसार कीमतों पर अधिकाधिक दबाव डाल कर उनमें वृद्धि उत्पन्न कर देता है। उत्पादन लगभग स्थिर हो जाता है और उस पर मुद्रा-पूति-वृद्धि का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थिति को प्रो० केंज के ही शब्दों में इस भाँति व्यक्त किया जा सकता है, “जब तक बेरोजगारी रहती है, तब तक रोजगार मुद्रा की मात्रा के अनुपात में ही बदलता है, और जब पूर्ण-रोजगार प्राप्त हो जाता है तब कीमतें मुद्रा की मात्रा के अनुपात में बदलती हैं।”—(सामान्य सिद्धान्त, पृ० 296)। किन्तु सिद्धान्त का यह साधारण वर्णन कुछ मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम, यह पहले ही कहा जा चुका है कि पूर्ण-रोजगार-बिन्दु से पूर्व उत्पादन के साधनों की पूति पूर्णतः लोचदार होनी चाहिए। श्रम, कच्चा माल एवं साज सज्जा की कमी नहीं होनी चाहिये। यदि इस प्रकार की कोई कमी होती है तो उत्पादन-विस्तार में बाधाएँ उत्पन्न हो जायेंगी और कीमत-स्तर में वृद्धि हो जायगी। द्वितीय, प्रभावपूर्ण माँग में भी मुद्रा-पूति के अनुपात में वृद्धि होना आवश्यक है। यदि प्रभावपूर्ण

माँग में मुद्रा-पूर्ति के अनुपात में वृद्धि नहीं होती तो इसका अर्थ यह होगा कि उत्पादन का विस्तार उसी दर पर नहीं हो सकेगा।

प्रो० केन्ज द्वारा प्रतिपादित मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त का बड़ा लाभ यह है कि यह हमें स्फीति पर उचित दृष्टिकोण अपनाने के योग्य बनाता है। क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा-पूर्ति की प्रत्येक वृद्धि के परिणामस्वरूप स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है क्योंकि उनकी दृष्टि से समाज में पहले ही से पूर्ण-रोजगार विद्यमान होता है। प्रो० केन्ज के अनुसार मुद्रा-पूर्ति का केवल वही प्रसार जो पूर्ण-रोजगार-बिन्दु अथवा उसके परे किया जाता है, स्फीति उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा-परिमाण-सिद्धान्त की केंजियन व्याख्या हमको मुद्रा-पूर्ति के स्फीतिक (inflationary) एवं गैर-स्फीतिक (non-inflationary) प्रसारों के अन्तर को समझने में सहायता देती है। संक्षेप में, उस समय स्फीति का भय नहीं होता है जबकि मुद्रा-प्रसार बेरोजगारी की अवस्था में होता है, और इसके विपरीत स्फीति का भय उम्र समय वास्तविक हो जाता है जबकि मुद्रा-प्रसार पूर्ण-रोजगार-स्तर से भी आगे बढ़ जाता है। इस अर्थ में मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त की केंजियन व्याख्या प्राचीन क्लासीकल अर्थशास्त्रियों की व्याख्या की अपेक्षा अधिक यथार्थ एवं श्रेष्ठ है।

केंजियन मुद्रा-परिमाण-सिद्धान्त की एक अन्य आवश्यक बात यह है कि बैंज प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने मुद्रा-परिमाण-सिद्धान्त का सम्बन्ध मूल्य-सिद्धान्त एवं उत्पादन-सिद्धान्त से स्थापित किया था। सन् 1930 से पूर्व, प्रो० केंज मुद्रा सिद्धान्त (अथवा मुद्रा परिमाण सिद्धान्त) को केवल कीमतों का सिद्धान्त समझा करते थे। सन् 1930 में—जब उन्होंने अपने ग्रन्थ 'ट्रीटाइज (Treatise)' की रचना की तब—उनके मुद्रा-सिद्धान्त सम्बन्धी पुराने विचारों में परिवर्तन हुआ। अब प्रो० केंज कीमतों के मुद्रा सिद्धान्त (Monetary Theory of Prices) से हट कर उत्पादन के मुद्रा-सिद्धान्त (Monetary Theory of Output) पर आ गये थे। यह सिद्धान्त प्रो० केंज का एक महत्वपूर्ण अंशदान है। प्राचीन क्लासीकल अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा सिद्धान्त को सामान्य आर्थिक सिद्धान्त से कठोरतापूर्वक पृथक् कर रखा था। उनके लिए मुद्रा सिद्धान्त केवल कीमतों का ही सिद्धान्त था। यही कारण है कि उन्होंने मुद्रा-प्रसार एवं कीमत-स्तर में एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित किया था। उनका मत यह था कि पहले ही से अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण-रोजगार होने के कारण मुद्रा-प्रसार प्रत्यक्षतः उत्पादन में वृद्धि किये बिना ही कीमत-स्तर को ऊँचा कर देता है। किन्तु इसके विपरीत, जैसा पहले ही कहा जा चुका है, प्रो० केंज का मत यह था कि इस सम्बन्ध में कारण-प्रक्रिया (causal process) नितान्त विपरीत होती है। बेरोजगारी के सम्बन्ध में मुद्रा-प्रसार, सर्वप्रथम, उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न करता है। यही से प्रो० केंज के उत्पादन-सिद्धान्त का श्रौंगणेश होता है। उसका कथन है कि ज्यों-ज्यों उत्पादन का विस्तार होता जाता है, त्यों-त्यों उत्पादन के नवीन साधन अस्तित्व में आने चले जाते हैं, जिनके कारण कीमत-स्तर ऊँचा होता चला जाता है। संक्षेप में, लागतों की वृद्धि का कारण उत्पादन के कुछ माध्यमों की बेलोबदार पूर्ति होता है। यहाँ पर ही लागतों तथा माँग एवं पूर्ति के बीच महित मूल्य-सिद्धान्त का प्रारम्भ होता है। "नत मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त का उत्पादन एवं मूल्य-सिद्धान्त में सफल विलीनीकरण हो जाता है। (The net result is that we find a successful integration of the Quantity Theory of Money with the Theory of Output and the Theory of Value)"

(6) बचत तथा निवेश सिद्धान्त (Saving and Investment Theory) अथवा मुद्रा का आय सिद्धान्त (Income Theory of Money)—अब तक हमने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त तथा वृद्धि सिद्धान्त का अध्ययन किया है। इन दोनों सिद्धान्तों के अतिरिक्त मुद्रा का एक अन्य सिद्धान्त भी है जिसे मुद्रा का आय सिद्धान्त (Income Theory of Money) कहा जाता है। कुछ लेखकों ने इसे बचत तथा निवेश (Saving and Investment Theory) का सिद्धान्त भी कहा है, क्योंकि यह सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में बचत तथा निवेश दोनों का ही अध्ययन करता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि प्रो० फिशर (Fisher) का परिमाण सिद्धान्त तथा वेंब्रिज अर्थशास्त्रियों का परिमाण सिद्धान्त—ये दोनों सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य-निर्धारण का एक व्यापक अध्ययन नहीं करते, वल्कि ये दोनों ही सिद्धान्त मुद्रा-मूल्य के केवल कुछ ही पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ये सिद्धान्त मुद्रा के मूल्य, मुद्रा की माँग तथा पूर्ति और सामान्य कीमत-स्तर में ही सम्बन्ध स्थापित करते हैं। ये दोनों सिद्धान्त हमें बताते हैं कि किसी विशेष समय पर कीमत-स्तर कैसे निश्चित होता है और

किस प्रकार समय-समय पर उसमें परिवर्तन होते हैं ? परन्तु इन दोनों सिद्धान्तों की वृद्धि यह है कि ये दोनों ही उन विधियों तथा उस क्रम की उपेक्षा करते हैं जिनके द्वारा कीमत-स्तर में उतार-चढ़ाव होते हैं। इसके विपरीत, आय सिद्धान्त अथवा बचत तथा निवेश सिद्धान्त, कीमत-स्तर तथा इसके परिवर्तनों का कई प्रकार की आर्थिक घटनाओं से सम्बन्ध स्थापित करता है। दूसरे शब्दों में, आय सिद्धान्त यह बताता है कि कीमत-स्तर तथा मौद्रिक आय (money income), व्यय (expenditure), बचत (saving), निवेश (investment) तथा मुद्रा का संचलन-वेग (velocity of circulation of money) एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं ?

इस सिद्धान्त का श्रेय प्रो० केन्ज (Keynes) को दिया जाता है, यद्यपि इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम सन् 1844 में टॉमस टुक (Thomas Tooke) ने किया था। प्रो० टुक ने अपने ग्रन्थ "An Enquiry into the Currency Principle" में स्पष्टतः लिखा है कि कीमत स्तर मुद्रा की मात्रा से निश्चित नहीं होता, बल्कि मुद्रा की मात्रा स्वयं कीमत-स्तर से निर्धारित होती है। इसी सिद्धान्त को आगे विकसित करते हुए सन् 1898 में स्वीडन के महान् अर्थशास्त्री विकसेल (Wicksell) ने अपने ग्रन्थ "Interest and Prices" में लिखा कि कीमत-स्तर पर आय तथा व्याज-दर का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सन् 1925 में फ्रांस के अर्थशास्त्री अलबर्ट अफ्टालियन (Albert Aftalion) ने कहा कि व्यक्तियों की आय का कीमत-स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक काल में इस सिद्धान्त के विकास में प्रो० क्राउथर (Crowther), प्रो० हायक (Hayek) तथा प्रो० हाबरलर (Haberler) जैसे प्रमुख अर्थशास्त्रियों का भी योग है। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, प्रो० केन्ज ने कैम्ब्रिज समीकरण में सशोधन करके एक नवीन समीकरण का प्रतिपादन किया था। कालान्तर में प्रो० केन्ज ने अपने उक्त समीकरण को सशोधित करके मुद्रा के आय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। प्रो० केन्ज के मतानुसार, "मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण पर आश्रित नहीं होता, बल्कि वह तो लोगों की आय, उनके बनाने की शक्ति, बचत तथा निवेश (investment) के सम्बन्ध पर निर्भर रहता है।" आय सिद्धान्त को प्रो० केन्ज ने एक सरल एवं स्पष्ट समीकरण (equation) के रूप में अपनी महान् पुस्तक "General Theory of Employment, Interest and Money" (सन् 1936) में प्रस्तुत किया है। यह समीकरण इस प्रकार है

$$Y = C + S$$

$$Y = C + I$$

$$C + S = C + I$$

अतः $S = I$

इसी समीकरण में Y —कुल अथवा राष्ट्रीय आय, C —उपभोग, S बचत, I —निवेश। जैसा उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है राष्ट्रीय आय (Y) का दो मधों पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रथम, उपभोग पदार्थों (C) पर और दूसरे, बचत (S) पर। इसीलिए $Y = C + S$ केन्ज की यह मान्यता है कि बचत तथा निवेश सदैव समान होते हैं, अर्थात् S सदैव I के बराबर होती है। इसका कारण यह है कि आय का जो भाग व्यय नहीं किया जाता वह बैंक में जमा करा दिया जाता है अथवा प्रविभूतियों के रूप में लगा दिया जाता है। अतः $Y = C + I$, अर्थात् राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग + कुल निवेश के बराबर होती है। केन्ज के अनुसार जब बचत (S) निवेश (I) के बराबर होती है तो देश की अर्थ-व्यवस्था भी सन्तुलनावस्था (state of equilibrium) में होती है। किन्तु जब S तथा I के बीच असमानता उत्पन्न हो जाती है तो देश की अर्थ-व्यवस्था में भी असन्तुलन (disequilibrium) पैदा हो जाता है। आय सिद्धान्त की मुख्य मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(1) किसी निश्चित समय-अवधि में मुद्रा का मूल्य (अर्थात् कीमत स्तर) एक आर तो मौद्रिक आय तथा व्यय के सम्बन्ध पर और दूसरी ओर विनिमयराश्या वस्तुओं (exchangeable goods) की मात्रा अथवा वास्तविक आय पर निर्भर होता है।

(2) मौद्रिक आय का प्रवाह (flow) मुद्रा की मात्रा तथा इसके संचलन-वेग पर निर्भर होता है और वस्तुओं की पूर्ति पूंजी की मात्रा, लाभ की सम्भावना आदि पर निर्भर होती है।

(3) किसी देश में मुद्रा की पूति बहुत-सी बातों से प्रभावित होती है, जैसे देश के मुद्रामान का स्वरूप, सरकार की मुद्रा-नीति, वैकिंग तथा साल का विकास ।

(4) मुद्रा का सचलन-वेग, उद्यमों से लाभ की आशा, उत्पादन के अन्तर्गत व्यय होने वाले समय तथा उत्पादन के साधनों की भौतिक आय के उपयोग-सम्बन्धी निर्णयों पर निर्भर रहता है ।

(5) एक निश्चित समय-अवधि में मौद्रिक आय की मात्रा उस अवधि में उत्पादक वस्तुओं की मौद्रिक कीमत के बराबर होती है, परन्तु यह सम्भव है कि नयी उत्पादक वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार में जितनी मुद्रा प्रस्तुत की जाती है, वह मौद्रिक आय से कम अथवा अधिक हो, क्योंकि कभी मुद्रा का निःसचय (hoarding) अधिक होता है और कभी कम । इसके साथ ही कभी नयी मुद्रा का निर्माण होता है और कभी पुरानी मुद्रा का विनाश ।

(6) बचत से तात्पर्य यह होता है कि किसी विशेष समय में मौद्रिक आय नयी उपभाग की वस्तुओं पर खर्च नहीं की जाती और निवेश का अभिप्राय यह होता है कि मौद्रिक आय का नयी पूंजीगत-वस्तुओं (capital goods) पर व्यय किया जाता है । कुल मौद्रिक आय उपभोग्य तथा पूंजीगत दोनों प्रकार की वस्तुओं पर किये जाने वाले व्यय से कम या अधिक हो सकती है । इसका कारण यह है कि कभी तो मौद्रिक आय को संचित (hoard) कर लिया जाता है और कभी उसे असंचित कोषों से निकाल लिया जाता है ।

(7) इस प्रकार किसी विशेष समय-अवधि में बचत और निवेश का अनिवार्य रूप से बराबर होना आवश्यक नहीं और व्याज भी वास्तविक दरों भी उनके बीच साम्य (equilibrium) स्थापित नहीं करती । जब मुद्रा का विनाश किया जाता है तब बचत निवेश से अधिक हो सकती है और इसी प्रकार जब मुद्रा का निर्माण किया जाता है तो निवेश बचत से अधिक हो सकता है ।

(8) जब बचत निवेश से अधिक होती है तो कीमत-स्तर नीचे गिरता है (अर्थात् मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है) । इसके विपरीत, जब निवेश बचत से अधिक होता है तो कीमत-स्तर ऊपर चढ़ जाता है (अर्थात् मुद्रा का मूल्य गिर जाता है) । परन्तु जब बचत तथा निवेश एक-दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं तो वह सन्तुलन की स्थिति होती है ।

इस प्रकार, उपर्युक्त सिद्धान्त यह बताता है कि उपभोग्य तथा पूंजीगत वस्तुओं की कीमतें (अर्थात् मुद्रा का मूल्य) आय प्राप्तकर्तियों के इस निर्णय पर निर्भर होती हैं कि वे अपनी आय का कितना भाग वस्तुएँ खरीदने के लिए प्रस्तुत करते हैं । जब वस्तुएँ खरीदने के लिए प्रस्तुत की गयी आय घट जाती है, परन्तु वस्तुओं की मात्रा यथास्थिर रहती है या उसमें वृद्धि हो जाती है तो सामान्य कीमत-स्तर नीचे गिर जाता है, अर्थात् मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है । इसके विपरीत जब वस्तुएँ खरीदने के लिए प्रस्तुत की गयी आय बढ़ जाती है, परन्तु वस्तुओं की मात्रा यथास्थिर रहती है या उसमें कमी हो जाती है तो सामान्य कीमत-स्तर बढ़ जाता है, अर्थात् मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है ।

मुद्रा के आय सिद्धान्त के अनुसार, अल्पकाल में कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन गज द्वारा किये गये व्यय की मात्रा पर निर्भर रहते हैं । मन्दीकाल में कीमत स्तर इसलिए गिर जाता है, क्योंकि ऐसे समय में समाज द्वारा किया गया व्यय कम हो जाता है । यह व्यय कम इसलिए हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास आय की कमी हो जाती है । इसके विपरीत, तेजीकाल में कीमत स्तर इसलिए ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे समय में समाज का व्यय अधिक हो जाता है । समाज के व्यय में वृद्धि होने का कारण यह होता है कि ऐसे समय पर लोगों की आय में वृद्धि हो जाती है । इस प्रकार समाज का व्यय मुख्यतः इसकी आय पर निर्भर रहता है । यदि समाज की आय कम हो जाती है तो लोगों का व्यय भी कम हो जाता है और कीमत स्तर नीचे गिर जाता है । इसके विपरीत, जब समाज की आय बढ़ जाती है तो उसके साथ ही लोगों का व्यय भी बढ़ जाता है और कीमत स्तर ऊपर चढ़ जाता है । इस प्रकार अल्पकाल में होने वाले कीमत-परिवर्तन मुख्यतः समाज की आय के परिवर्तनों के कारण ही उत्पन्न होते हैं ।

अब समाज की आय बचत तथा निवेश की मात्राओं पर निर्भर होती है । अतः, कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों का कारण समाज की आय में होने वाले परिवर्तन हैं और समाज की आय का स्तर बचत तथा निवेश की मात्राओं पर निर्भर रहता है ।

बचत-निवेश सिद्धान्त की श्रेष्ठता (Superiority of Saving-Investment Theory)—
आधुनिक अर्थशास्त्री परिमाण सिद्धान्त की अपेक्षा बचत-निवेश सिद्धान्त (Saving and Investment Theory) को अधिक अच्छा तथा वैज्ञानिक समझते हैं। इसका कारण यह है कि बचत-निवेश सिद्धान्त कुछ ऐसी बातों पर नया प्रकाश डालता है, जिनके बारे में परिमाण सिद्धान्त कुछ भी नहीं कहता। इसको निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है।

(1) जैसा हम देख चुके हैं, परिमाण सिद्धान्त व्यापार-चक्रों (trade cycles) के कारण होने वाले कीमत-स्तर सम्बन्धी परिवर्तनों की व्याख्या बिल्कुल नहीं करता। इसके विपरीत, बचत-निवेश सिद्धान्त व्यापार चक्रों के कारण कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों की सन्तोषजनक व्याख्या करता है।

(2) बचत निवेश सिद्धान्त यह भी बताता है कि मुद्रा की मात्रा को कम कर देने से तेजी (boom) पर तो काबू पाया जा सकता है, परन्तु मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके मन्दी (depression) को नियन्त्रित नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि मन्दीकाल में जब मुद्रा को बढ़ा दिया जाता है तो यह आवश्यक नहीं कि ऐसा करने से कीमत-स्तर में वृद्धि हो जाय अथवा मन्दी समाप्त हो जाय। यह ठीक है कि मन्दीकाल में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देने से निवेशकर्ताओं (investors) को व्यापार के विस्तार हेतु अधिक धन उपलब्ध होने लगता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि धन की अधिक उपलब्धता के कारण वे अपने व्यवसायों में निश्चय ही विस्तार करेंगे। इसका कारण यह है कि मन्दीकाल में व्यवसायियों का विश्वास कम हो जाता है। अतएव वे अपने व्यवसायों में विस्तार करने अथवा नये व्यवसायों को स्थापना करने से हिचकिचाते हैं। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देने से कीमत स्तर तथा रोजगार की मात्रा (volume of employment) में वृद्धि नहीं की जा सकती। मन्दीकाल में रोजगार की मात्रा बढ़ाने के लिए निवेश (investment) को बढ़ाना आवश्यक होता है और निवेश को केवल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने से ही नहीं बढ़ाया जा सकता। इस प्रकार यह सिद्धान्त मन्दी के उपचार के सम्बन्ध में हमारे सामने एक ग्याथं दृष्टिकोण (realistic view) प्रस्तुत करता है।

(3) बचत-निवेश सिद्धान्त हमें यह भी बताता है कि समय-समय पर मुद्रा के संचलन-वेग में परिवर्तन क्यों होते रहते हैं? यदि बचत, निवेश से अधिक होती है तो मुद्रा का निःसंचय (hoarding) होने लगता है जिससे इसका संचलन-वेग घट जाता है। इसके विपरीत जब निवेश बचत से अधिक होता है तो मुद्रा असंचित कोषों से निकाली जाने लगती है और इस प्रकार इसका संचलन-वेग बढ़ जाता है। इस तरह मुद्रा का संचलन-वेग बचत तथा निवेश के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर रहता है।

(4) बचत निवेश सिद्धान्त कीमत-स्तर तथा आर्थिक क्रिया (economic activity) पर पड़ने वाले मुद्रा की वृद्धि के प्रभाव की वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करना है। प्रो० केन्ज के मतानुसार, मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि का प्रारम्भिक प्रभाव व्याज की दर पर पड़ता है। मुद्रा की वृद्धि के परिणामस्वरूप व्याज की दर घट जाती है। इसका कारण यह है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाने से लोगों के पास मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है और व्याज की दर कम हो जाती है। इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। निवेश की वृद्धि के परिणामस्वरूप रोजगार की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है और रोजगार की वृद्धि के कारण कीमत-स्तर बढ़ जाता है। इसके कारण निम्नलिखित हैं।

(क) रोजगार के बढ़ जाने के साथ-साथ श्रम की माँग में वृद्धि हो जाती है। अतएव मजदूरी बढ़ जाती है।

(घ) अल्पकाल में उत्पादन पर साधारणतः लागत वृद्धि नियम लागू होता है।

(ग) उत्पादन के साधनों की पूर्ति में कमी आ जाती है।

इन कारणों से कीमत-स्तर बढ़ जाता है। यद्यपि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से रोजगार की मात्रा तथा कीमत-स्तर दोनों ही बढ़ते हैं, परन्तु रोजगार की मात्रा पहले बढ़ती है और कीमत-स्तर बाद में बढ़ता है। जैसा पूर्व कहा गया है, पूर्ण रोजगार बिन्दु (full employment point) के पश्चात् रोजगार की मात्रा में वृद्धि के बजाय कीमत-स्तर में वृद्धि होने ही शुरू हो जाती है। पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पहले तो मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि का समूचा प्रभाव रोजगार की

मात्रा पर पड़ता है, अर्थात् कीमत-स्तर नहीं बढ़ता। केवल रोजगार की मात्रा में ही वृद्धि होती है, परन्तु पूरा रोजगार के बिन्दु के उपरान्त मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि का समूचा प्रभाव कीमत-स्तर पर पड़ने लगता है। अब रोजगार तो नहीं बढ़ता, परन्तु कीमत स्तर में निरन्तर वृद्धि होती चली जाती है।

इस प्रकार बचत तथा निवेश सिद्धान्त मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त से भिन्न है। वैसे तो दोनों ही सिद्धान्तों के अनुसार मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि से कीमत स्तर में वृद्धि होती है, परन्तु कीमत-स्तर में होने वाली यह वृद्धि किस क्रम में होती है, इसके बारे में दोनों सिद्धान्तों में भिन्नता पायी जाती है। मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने से कीमत-स्तर तो ऊँचा हो जाता है, परन्तु ब्याज की दर में कमी नहीं होती। इसके विपरीत, बचत तथा निवेश सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने पर पहले ब्याज की दर में कमी होती है और उसके पश्चात् कीमत-स्तर में वृद्धि होती है, अर्थात् कीमत-स्तर में होने वाली वृद्धि ब्याज की घटी हुई दर के माध्यम से ही होती है। इस दृष्टिकोण से बचत तथा निवेश सिद्धान्त हमारे सामने अधिक यथार्थ धारणा प्रस्तुत करता है।

(5) बचत-निवेश सिद्धान्त परिमाण सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक विस्तृत अथवा व्यापक है। परिमाण सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा के मूल्य पर केवल इसकी पूर्ति का ही प्रभाव पड़ता है जबकि बचत निवेश सिद्धान्त के अनुसार मुद्रा के मूल्य पर आय, व्यय, बचत निवेश, निःसर्ज्य आदि कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार परिमाण सिद्धान्त एक सकुचित सिद्धान्त प्रतीत होता है।

(6) बचत-निवेश सिद्धान्त परिमाण सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक (Practical) भी है। इसका समीकरण परिमाण सिद्धान्त के समीकरण की तुलना में अधिक सरल तथा स्पष्ट है। इसके समीकरण के विभिन्न तत्वों की गणना करना कठिन नहीं। उदाहरणार्थ, किसी देश के Y, C, I तथा S के बारे में सही तथा विश्वसनीय आँकड़े प्राप्त करना कठिन नहीं जबकि परिमाण सिद्धान्त के समीकरण के V तथा T के बारे में शुद्ध आँकड़े प्राप्त करना असम्भव-सा प्रतीत होता है।

निष्कर्ष—उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे लिये परिमाण सिद्धान्त तथा बचत निवेश सिद्धान्त दोनों ही आवश्यक हैं, जबकि परिमाण सिद्धान्त मुद्रा के दीर्घकालीन मूल्य (long term value) की व्याख्या करता है, जबकि बचत निवेश सिद्धान्त मुद्रा के अल्पकालीन मूल्य निर्धारण पर प्रकाश डालता है। जैसा प्रो० क्राऊथर (Crowther) ने कहा है, “परिमाण सिद्धान्त समुद्र के औसत स्तर की विवेचना करता है, जबकि बचत-निवेश सिद्धान्त समुद्र में होने वाली उथल-पुथल की व्याख्या करता है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1) मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त को समझाकर लिखिए। उसकी परिमितता (सीमाएँ) क्या हैं ? समझाइए। (आगरा, 1968)
[संकेत—प्रथम भाग में, मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत करते हुए उदाहरण सहित इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। इस सन्दर्भ में प्रो० फिशर के समीकरण का भी उल्लेख कीजिए। दूसरे भाग में, इस सिद्धान्त की सीमाओं का वर्णन कीजिए।]
- 2) मुद्रा की मात्रा तथा देश के सामान्य मूल्य-स्तर के बीच के सम्बन्ध की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। (विक्रम, 1960, इन्दौर, 1968)
[संकेत—इस प्रश्न के उत्तर में मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए और इसकी सीमाओं का वर्णन भी कीजिए।]
- 3) फिशर के मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (विक्रम, 1971)
अथवा
मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त क्या है ? इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (आगरा, 1975, मेरठ, 1975)

[संकेत—प्रथम भाग में, मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए और प्रो० फिशर के समीकरण का उल्लेख भी कीजिए। दूसरे भाग में, इस सिद्धान्त के दोषों व बृटियों की विवेचना कीजिए।]

4. मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। किसी देश के मूल्य-स्तर पर मुद्रा के परिमाण के अतिरिक्त अन्य किन-किन बातों का प्रभाव पड़ता है ?

(सागर, 1959)

[संकेत—प्रथम भाग में, परिमाण सिद्धान्त की संक्षेप में विवेचना कीजिए तथा इस सिद्धान्त की आलोचनाओं का वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि कीमत स्तर पर मुद्रा के परिमाण के अतिरिक्त देश की आय, व्यय, बचत तथा निवेश आदि का भी प्रभाव पड़ता है।]

5. "मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं ? क्या यह सिद्धान्त कीमत-स्तर के परिवर्तनों का सही कारण बताता है।

(विक्रम, 1960)

[संकेत—प्रथम भाग में, परिमाण सिद्धान्त की इसके समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि यह सिद्धान्त कीमत-स्तर के परिवर्तनों की पूर्ण व्याख्या नहीं करता, बल्कि यह तो मुद्रा की मात्रा में हुए परिवर्तनों के कीमत-स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का ही उल्लेख करता है। जैसा विदित है—देश की आय, व्यय, बचत तथा निवेश—ये सभी कीमत-स्तर को प्रभावित करते हैं, परन्तु परिमाण सिद्धान्त इन सबकी उपेक्षा करता है।]

6. "मुद्रा अनेक आर्थिक वस्तुओं में से एक है। अतः इसका मूल्य ठीक उन्हीं दो शक्तियों द्वारा मुख्यतः निर्धारित होता है जो अन्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करती हैं।" (रॉबर्टसन) इस कथन की विवेचना कीजिए।

(बोरानपुर, बी० कॉम०, 1959)

अथवा

"अन्य किसी भी वस्तु के मूल्य के समान द्रव्य का मूल्य भी माँग और पूर्ति का ताल है।" स्पष्ट कीजिए।

(विक्रम, 1968)

[संकेत यहाँ पर पहले यह बताइए कि मुद्रा एक आर्थिक वस्तु भी भाँति होती है। जिस प्रकार एक वस्तु का मूल्य उसकी माँग तथा पूर्ति से निर्धारित होता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य इसकी माँग तथा पूर्ति से निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट कीजिए कि माँग व पूर्ति का सामान्य नियम मुद्रा पर भी क्रियाशील होता है। इसके उपरान्त, मुद्रा की माँग तथा मुद्रा की पूर्ति दोनों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए और यह बताइए कि मुद्रा का मूल्य उस बिन्दु पर निर्धारित होता है जहाँ पर मुद्रा की माँग इसकी पूर्ति के बराबर होती है। किन्तु यहाँ पर यह स्पष्ट बर देना भी आवश्यक है कि वस्तु एवं मुद्रा की यह समानता शत-प्रतिशत नहीं है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा एवं वस्तु में कुछ अन्तर भी पाये जाते हैं। अतः प्रो० रॉबर्टसन का उक्त कथन पूर्णतः सत्य नहीं है।]

7. मुद्रा की चलन-गति सम्बन्धी धारणा को समझाइए। मुद्रा की चलन-गति पर प्रभाव डालने वाले मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए।

(बनारस, 1959)

[संकेत—प्रथम भाग में, मुद्रा की चलन-गति अथवा मुद्रा के संचलन-वेग की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, मुद्रा के संचलन वेग को प्रभावित करने वाली मुख्य-मुख्य बातों का वर्णन कीजिए।]

8. मुद्रा की माँग से क्या अभिप्राय है ? मुद्रा की माँग को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से तत्त्व हैं ?

(विहार, 1960)

[संकेत—प्रथम भाग में, मुद्रा की माँग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्मरण रहे कि मुद्रा की माँग के बारे में प्रो० फिशर तथा केम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों में आक्षारक मतभेद हैं। अतएव यहाँ पर दोनों के दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हुए यह बताइए कि केम्ब्रिज के अर्थशास्त्रियों का विचार अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है। दूसरे भाग में, केम्ब्रिज के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए मुद्रा की माँग को प्रभावित करने वाले सभी तत्त्वों की विवेचना कीजिए।]

- 9 "वास्तव में, मुद्रा का मूल्य कुल आय का परिणाम है, न कि मुद्रा की मात्रा का।" (फ्राउडर) ध्याख्या कीजिए। (सागर, वी० वॉम०, 1955)

अथवा

मुद्रा-मूल्य के आय सिद्धान्त की ध्याख्या कीजिए। (आगरा, 1969)

[सकेत—यहाँ पर पहले यह बताया कि मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त कीमत स्तर में हुए परिवर्तना की पूर्ण ध्याख्या नहीं करता। यह तो केवल कीमत स्तर पर मुद्रा की मात्रा के प्रभाव की ही विवेचना करता है। परन्तु मुद्रा की मात्रा के अतिरिक्त अन्य भी कई तत्व हैं जो देश के कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। बचत तथा निवेश सिद्धान्त उन सभी तत्वों की ध्याख्या करता है। अतएव बचत तथा निवेश सिद्धान्त, परिमाण सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा अधिक वैज्ञानिक है।]

- 10 मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हैं? यह कैसे निर्धारित होता है?

(राजस्थान, 1969)

[सकेत—प्रथम भाग के लिये इस अध्याय के प्रारम्भ में दिये गये "मुद्रा के मूल्य" नामक शीर्षक को देखिए। दूसरे भाग में आप यह बताया कि मुद्रा का मूल्य इसकी माँग एवं पूर्ति से निर्धारित होता है। देखिए शीर्षक "मुद्रा का मूल्य निर्धारण"। यहाँ पर संक्षेप में मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त एवं मुद्रा के आय सिद्धान्त के माराश को भी प्रस्तुत कीजिए।]

- 11 केंद्र के मुद्रा तथा उसके मूल्य के सिद्धान्त की ध्याख्या कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि यह पुराने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की अपेक्षा किस प्रकार श्रेष्ठ है?

(आगरा, 1974)

अथवा

किस अर्थ में और किस प्रकार वेन्ज ने पुराने मुद्रा परिमाण सिद्धान्त का सुधार किया है?

(आगरा, 1975)

[सकेत—देखिए उपर्युक्त अध्याय।]

7

स्फीति, अवस्फीति, प्रत्यवस्फीति एवं अपस्फीति (Inflation, Deflation, Reflation and Disinflation)

पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। वास्तव में, पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में समेक-समय पर व्यापार-चक्र (trade cycle) की कार्यशीलता के कारण व्यापार में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी मन्दी (depression) आती है और कभी तेजी (boom)। मन्दी के समय कीमत-स्तर में गिरावट आ जाती है और तेजी के समय कीमत-स्तर बढ़ जाता है। कीमत-स्तर में होने वाले इन परिवर्तनों में आर्थिक चक्र में बहुत उथल-पुथल होती रहती है। अतएव कीमत-स्तर में होने वाले इन उच्चा-वचनों (fluctuations) का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। मुद्रा के मूल्य अथवा कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों के निम्नलिखित चार महत्त्वपूर्ण रूप हैं (क) स्फीति (मुद्रा-प्रसार), (ख) अवस्फीति (मुद्रा सकुचन), (ग) प्रत्यवस्फीति (मुद्रा-सर्फीति), एव (घ) अपस्फीति। अब हम इनका एक-एक करके अध्ययन करेंगे।

० स्फीति (मुद्रा-प्रसार) (Inflation)

लगभग सभी महत्त्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा स्फीति की अपनी-अपनी परिभाषाएँ प्रस्तुत कीं हैं। परिणामतः 'मुद्रा स्फीति' शब्द के अर्थ को सही-सही समझने में बड़ी कठिनाई होती है। चूँकि देश की अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति के परिणाम कभी-कभी काफी गम्भीर हो जाते हैं, अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस शब्द के सही-सही अर्थ को समझने का प्रयत्न करें। नीचे हम स्फीति की कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे।

1 प्रो० क्राउथर की परिभाषा—प्रो० क्राउथर (Crowther) के अनुसार, "स्फीति वह परिस्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है, अथवा वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रहती हैं।"¹

प्रो० क्राउथर की यह परिभाषा निःसन्देह बहुत ही सरल है, परन्तु यह परिभाषा स्फीति की सही-सही परिस्थिति को व्यक्त नहीं करती। इसके अनुसार सामान्य कीमत-स्तर में होने वाली प्रत्येक वृद्धि मुद्रा-स्फीति होती है। चूँकि मुद्रा-स्फीति एक गम्भीर घटना है, अतएव इस परिभाषा के अनुसार कीमत-स्तर में होने वाली प्रत्येक वृद्धि से हमें सतर्क रहना चाहिए, परन्तु वास्तव में, बात ऐसी नहीं है। कीमत-स्तर में होने वाली प्रत्येक वृद्धि देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होती। उदाहरणार्थ, यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने से मन्दीकाल में कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतों में होने वाली इस प्रकार की वृद्धि हानिकारक नहीं कही जा सकती, बल्कि मन्दीकाल में कीमत-स्तर में वृद्धि का होना देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए हितकर होता है। अतएव कीमत स्तर में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा स्फीति नहीं कहा जा सकता। इसी कारण प्रो० क्राउथर की उक्त परिभाषा सन्तोषजनक नहीं मानी जा सकती।

1 "A state in which the value of money is falling, i. e., prices are rising"

“2 प्रो० केमरर की परिभाषा—प्रो० केमरर (Kemmerer) के अनुसार “यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वस्तुओं की मात्रा उत्पादन में कमी होने के कारण घट जाय, तब ऐसी परिस्थिति को मुद्रा-स्फीति की परिस्थिति कहते हैं।”¹

प्रो० केमरर की परिभाषा के अनुसार, जब किसी देश में व्यापार की मात्रा की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, तब इसे मुद्रा-स्फीति कहते हैं। इस प्रकार जब विनिमयसाध्य वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा की तुलना में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और उसके परिणामस्वरूप कीमत-स्तर ऊँचा हो जाता है तब ऐसी परिस्थिति को मुद्रा-स्फीति कहते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि देश में केवल कीमत स्तर के बढ़ जाने से ही मुद्रा-स्फीति नहीं होती। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने के साथ कीमत स्तर में इसलिए वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वस्तुओं की पूर्ति घट गयी है तब इस प्रकार की परिस्थिति को मुद्रा-स्फीति कहते हैं। इस प्रकार प्रो० केमरर के अनुसार, यदि किसी देश में व्यापार तथा जनसंख्या की वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तब यह मुद्रा-स्फीति नहीं कहलायेगी, चाहे इस प्रकार की मुद्रा की वृद्धि से कीमतें बढ़ ही क्यों न जायें। अतः प्रो० केमरर के मतानुसार, मुद्रा स्फीति तब उत्पन्न होती है जबकि देश में मुद्रा की पूर्ति में इतनी अधिक वृद्धि हो जाती है कि यह उद्योग तथा व्यवसाय की आवश्यकताओं से बहुत अधिक हो जाती है अर्थात् जब मुद्रा की माँग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें ऊपर चढ़ जाती हैं तब ऐसी अवस्था को मुद्रा स्फीति कहते हैं।

प्रो० राउपर की भाँति प्रो० केमरर की परिभाषा भी दोषमुक्त नहीं है। प्रथम, प्रो० केमरर की परिभाषा कुछ अस्पष्ट (vague) भी है। यह परिभाषा हमें यह नहीं बताती कि हम व्यापार तथा व्यवसाय की आवश्यकताओं अथवा मुद्रा की माँग को कैसे निर्धारित करें। कुछ आलोचकों का यह कहना है कि अर्थशास्त्रियों के पास ऐसी कोई विधि नहीं है, जिसकी सहायता से हम यह जान सकें कि मुद्रा की पूर्ति व्यापार तथा व्यवसाय की आवश्यकताओं अथवा मुद्रा की माँग से अधिक बढ़ी है या नहीं। हमारे पास तो केवल एक ही तरीका है—यदि देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम कहेंगे कि मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग की अपेक्षा अधिक है और देश में मुद्रा स्फीति की दशा पायी जाती है। इसके विपरीत, यदि देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें घट जाती हैं तो हम कहेंगे कि मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग की अपेक्षा कम है और देश में मुद्रा-अवस्फीति (currency deflation) की दशा पायी जाती है। परन्तु आलोचकों का कहना है कि कीमत स्तर में हुए परिवर्तनों से देश में मुद्रा की पूर्ति तथा माँग के बारे में अपना इस प्रकार मत निश्चित कर लेना उचित तथा वैज्ञानिक नहीं है। हो सकता है कि औसत लागतों के बढ़ जाने से किसी देश में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायें, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि देश में मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग की तुलना में अधिक हो गयी है। इस प्रकार आलोचकों के मतानुसार कीमत-स्तर में होने वाली वृद्धि इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि देश में मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग से अधिक हो गयी है तथा देश में मुद्रा स्फीति की दशा विद्यमान है। दूसरे, मुद्रा की माँग तथा पूर्ति का सही-सही अनुमान लगाना भी कठिन है, इसलिए उनकी आपसी तुलना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतएव प्रो० केमरर की उपर्युक्त परिभाषा सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती।

“3 प्रो० पीगू की परिभाषा—प्रो० पीगू (Pigou) की परिभाषा इस प्रकार है, “जब मौद्रिक आय, उपार्जन सम्बन्धी क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है, तब मुद्रा स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है।”² एक अन्य स्थान पर प्रो० पीगू ने लिखा है ‘मुद्रा-स्फीति उस समय

1 ‘Inflation is too much currency in relation to the physical volume of business being done’
—E M Kemmerer

2 ‘Inflation exists when money income is expanding more than in proportion to income earning activity’
—Pigou

उत्पन्न होती है जबकि उत्पादन साधनों (जिनको भुगतान के रूप में मौद्रिक आय प्राप्त होती है) द्वारा किये गये काम की तुलना में मौद्रिक आय अधिक तेजी के साथ बढ़ रही होती है।¹

प्रो० पीगू के अनुसार "मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाने पर (जबकि इसकी माँग यथास्थिर रहती है) समाज में पूंजी-संचय की गति बढ़ जाती है और ब्याज की दर भी कम हो जाती है जिससे उत्पादकों को बैंकों से ऋण लेने में प्रोत्साहन मिलता है।" परिणामतः उत्पादकगण अपने उत्पादन-कार्य का विस्तार करने लगते हैं। इसके साथ ही साथ मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से साधारण जनता की मौद्रिक आय भी बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप जनता की उपभोग्य वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है। इससे भी उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। अतः धीरे-धीरे उत्पादन के साधनों का अधिकाधिक मात्रा में प्रयोग होने लगता है और बेकरार पड़े हुए साधनों को काम में लगाया जाता है। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में वृद्धि होने लगती है और एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि जब मौद्रिक आय की वृद्धि तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की वृद्धि में साम्य स्थापित हो जाता है। यदि इस साम्य-बिन्दु (equilibrium point) के उपरान्त भी मुद्रा की मात्रा अथवा मौद्रिक आय में वृद्धि होती चली जाती है तो इससे वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उत्पादन के सभी साधनों का पहले ही पूर्ण शोषण (exploitation) हो चुका है और अब कोई भी उत्पादन का साधन बेकार नहीं है। परिणामतः अब वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में वृद्धि होने के बजाय उनकी कीमतों में वृद्धि होने लगती है। इसका कारण यह है कि लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग बढ़ जाती है। चूंकि अब उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती इसलिए वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसी दशा को प्रो० पीगू के अनुसार मुद्रा स्फीति कहते हैं। मुद्रा-स्फीति के अन्तर्गत कीमत स्तर में वृद्धि की विभिन्न दशाएँ इस प्रकार हो सकती हैं (क) जब देश की मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों बढ़ रहे हों हैं परन्तु मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में तेजी के साथ बढ़ती है (ख) जब मौद्रिक आय बढ़ती है, परन्तु उत्पादन यथास्थिर रहता है, (ग) जब मौद्रिक आय बढ़ती है परन्तु उत्पादन कम हो जाता है, (घ) जब मौद्रिक आय यथास्थिर रहती है, परन्तु उत्पादन की मात्रा घट जाती है, (ङ) जब मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों ही घटते हैं, परन्तु मौद्रिक आय की अपेक्षा उत्पादन अधिक तेजी के साथ घटता है।

इस प्रकार प्रो० पीगू ने मुद्रा स्फीति की धारणा को उत्पादन के साधनों के पूर्ण रोजगार के बिन्दु के साथ जोड़ दिया है। प्रो० पीगू का यह विचार उचित तथा वैज्ञानिक प्रतीत होता है, अतएव प्रो० पीगू की परिभाषा सर्वोत्तम मानी गयी है।

4 प्रो० हाट्ट्रे की परिभाषा—प्रो० हाट्ट्रे (Hawtrey) के अनुसार, "वह परिस्थिति, जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो, मुद्रा-स्फीति कहलाती है।"² देखने में तो यह परिभाषा अत्यन्त सरल प्रतीत होती है, परन्तु प्रो० कैमरर की परिभाषा की भाँति प्रो० हाट्ट्रे की उक्त परिभाषा भी अत्यन्त अस्पष्ट है। यह परिभाषा यह नहीं बताती कि मुद्रा के अत्यधिक निर्गमन से क्या अभिप्राय है।

5 प्रो० केन्ज की परिभाषा—प्रो० केन्ज (Keynes) के अनुसार, पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर पहुँचने से पूर्व यदि मुद्रा की मात्रा का प्रसार होता है तो उसका एक अंश तो रोजगार का विस्तार करेगा और दूसरा अंश उत्पादन-लागत में वृद्धि करके कीमतों को बढ़ायेगा। पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व की इस अवस्था को प्रो० केन्ज अर्द्ध-मुद्रा-स्फीति (semi-inflation) कहते हैं। परन्तु यदि पूर्ण रोजगार के बिन्दु के उपरान्त भी मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि जारी रहती है और वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें निरन्तर बढ़ती जाती हैं तो ऐसी स्थिति को प्रो० केन्ज पूर्ण मुद्रा-स्फीति (full inflation) कहते हैं।

1 "Inflation is taking place when money income is expanding relatively to the output of work by productive agents for which it is the payment"

—Pigou

2 "The state in which there is over-issue of currency is called inflation."

—Hawtrey


प्रो० केन्ज के स्फीतिक-अन्तर का सिद्धान्त (Professor Keynes Concept of Inflationary Gap)—प्रो० केन्ज ने मुद्रा-स्फीति की विवेचना समाज की कुल आय और उसके कुल व्यय तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्ध मात्रा के सम्बन्ध में की है। जब किसी देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तब लोगों की मौद्रिक आय भी बढ़ जाती है, मौद्रिक आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप लोगों का व्यय भी बढ़ जाता है। इससे कीमतों में ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि व्यय-योग्य मौद्रिक आय (disposable money income) तथा वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति दोनों एक ही अनुपात में बढ़ते हैं तो कीमत-स्तर में वृद्धि नहीं हो सकती। इसके विपरीत, वस्तुओं तथा सेवाओं की तुलना में यदि व्यय-योग्य मौद्रिक आय अधिक अनुपात में बढ़ती है, तो कीमत-स्तर अवश्य ही बढ़ेगा। प्रो० केन्ज के अनुसार, "मुद्रा-स्फीति (और मुद्रा-अवस्फीति) का आधारमूलक कारण विनिमयसाध्य वस्तुओं के प्रवाह की तुलना में कुल मौद्रिक व्यय का परिवर्तन होता है।" प्रो० केन्ज के कथनानुसार, जब तक अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन के कुछ साधन बेकार पड़े रहते हैं तब तक मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कीमत-स्तर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु जब उत्पादन के सभी साधन पूर्णतः काम में लग जाते हैं तब मुद्रा की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के परिणामस्वरूप कीमत-स्तर में वृद्धि होती है और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होना बन्द हो जाता है।

मुद्रा-स्फीति की व्याख्या करने के लिए केन्ज ने अपने स्फीतिक-अन्तर (inflationary gap) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धान्त को समझाने के लिए हम एक काल्पनिक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए कि किसी देश के कुल उत्पादन का मूल्य 1500 करोड़ रुपये है। यह भी मान लीजिए कि इस देश में 500 करोड़ रुपये सरकार करो के रूप में ले लेती है। इस प्रकार व्यक्तिगत उपभोग के लिए 1000 करोड़ रुपये का उत्पादन बच रहना है। अब यदि जनता की कुल आय भी 1000 करोड़ रुपये है तो यह आय आधार कीमतों (basic prices) पर उत्पादन की कीमत के बराबर हो जाती है। इस दशा में अर्थ-व्यवस्था में स्फीतिक अन्तर उत्पन्न नहीं होता है और कीमत-स्तर भी यथास्थिर रहता है (कुल व्यय-योग्य मौद्रिक आय तथा कुल उत्पादन के अन्तर को स्फीतिक अन्तर कहते हैं)। अब मान लीजिए कि सरकार 500 करोड़ रुपये की नवीन मुद्रा का निर्यात करती है। अब लोगों की मौद्रिक आय $1000 + 500 = 1500$ करोड़ रुपये हो जाती है। यदि इसमें से 100 करोड़ रुपये सरकार करो के रूप में ले लेती है और 100 करोड़ रुपये की लोगों द्वारा बचत कर ली जाती है तो लोगों की व्यय-योग्य (spendable) कुल शुद्ध आय $1500 - 100 - 100 = 1300$ करोड़ रुपये होती है। परन्तु इस 1300 करोड़ रुपये की आय की तुलना में केवल 1000 करोड़ रुपये का उत्पादन उपभोग के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार इस उदाहरण में 300 करोड़ रुपये का स्फीतिक-अन्तर है। इसी के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादन की मात्रा की तुलना में लोगों की मौद्रिक आय 300 करोड़ रुपये अधिक है। इस प्रकार स्फीतिक-अन्तर वह मात्रा होती है जो सम्भावित व्यय की उपलब्ध उत्पादन की आधार कीमतों पर अधिकता व्यक्त करती है। प्रो० केन्ज के अनुसार मुद्रा-स्फीति का कारण अर्थ-व्यवस्था में स्फीतिक-अन्तर का होना है। स्फीतिक अन्तर को घटाने के दो तरीके हैं प्रथम, लोगों की व्यय योग्य मौद्रिक आय को करो अथवा ऋणों द्वारा घटा दिया जाय। द्वितीय देश में उत्पादन के स्तर को अधिकाधिक बढ़ाया जाय। यदि इन दोनों विधियों को एक साथ कार्यरूप दिया जाय तो मुद्रा-स्फीति की समस्या को सुगमता से हल किया जा सकता है।

प्रो० केन्ज की स्फीतिक अन्तर को धारणा को रेखाकृति की सहायता से और भी स्पष्ट किया जा सकता है।

प्रस्तुत रेखाकृति में वास्तविक आय को अब के सहारे और नियोजित व्यय (Planned Expenditure) को अ स के साथ साथ व्यक्त किया गया है। उ रेखा उपभोग को प्रकट करती है। उ + न रेखा उपभोग एवं निवेश को दिखाती है। उ + न + र रेखा उपभोग निवेश तथा राष्ट्रीय व्यय को व्यक्त करती है। इसी प्रकार उ + न + र' रेखा उपभोग, निवेश एवं बड़े हुए व्यय को प्रकट करती है। उ + न + र रेखा पर ख बिन्दु यह दिखाता है कि सन्तुलन की

अवस्था में कुल वास्तविक आय अ म है। इस बिन्दु पर अर्थ-व्यवस्था में प्रचलित कीमत-स्तर पर पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। अब यदि राज्याय व्यय में वृद्धि होती है तो वास्तविक आय अथवा कुल उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात् वास्तविक आय में म म' की वृद्धि होनी चाहिए अन्यथा कीमत-स्तर में वृद्धि हो जायगी। इस रेखाकृति में क ख स्फीतिक-अन्तर को व्यक्त करता है। क ख, $उ + न + र$ रेखा तथा $उ - न + र'$ रेखा के बीच के अन्तर को दिखाता है। जब तक क ख का स्फीतिक अन्तर बना रहता है और अ म की वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं होती, कीमत-स्तर में वृद्धि होती रहेगी, लेकिन



जैसे ही वास्तविक आय में म म' की वृद्धि हो जाती है, क ख का स्फीतिक-अन्तर अदृश्य हो जायगा और कीमतों का बढ़ना समाप्त हो जायगा।

मुद्रा-स्फीति को जानने का आधार—जैसा हम देख चुके हैं, जब मुद्रा की पूत उसकी माँग से अधिक होती है तब कीमत-स्तर बढ़ जाता है, अर्थात् मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। परन्तु स्मरण रहे कि कीमत-स्तर में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को मुद्रा-स्फीति नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि कभी-कभी कीमत-स्तर में होने वाली वृद्धि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण नहीं होती। उदाहरणार्थ, जब देश में औसत उत्पादन लागत (average production costs) के बढ़ जाने से कीमतों में वृद्धि हो जाती है तब इसे मुद्रा-स्फीति नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त, व्यापार चक्र के उद्वार काल (recovery stage) में जब कीमत-स्तर में वृद्धि होती है तब उसे भी मुद्रा-स्फीति नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत कीमत-स्तर में बिना किसी वृद्धि के भी मुद्रा-स्फीति सम्भव हो सकती है। यह स्थिति उस समय तक चलती रहती है जब तक कि उत्पादन के सभी साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो जाता। जब उत्पादन के सभी साधनों का पूर्ण उपयोग हो जाता है तब मुद्रा की मात्रा की प्रत्येक वृद्धि कीमत स्तर में वृद्धि कर देती है। प्रो० केन्ज (Keynes) के अनुसार, “वास्तविक मुद्रा-स्फीति (true inflation) पूर्ण-रोजगार के बिन्दु के उपरान्त ही उत्पन्न होती है।”

मुद्रा-स्फीति के विभिन्न रूप (Types of Inflation)

अर्थशास्त्रियों ने कारणों तथा उद्देश्यों के आधार पर मुद्रा स्फीति के निम्नलिखित रूप बताये हैं

(1) **वस्तु-स्फीति (Commodity Inflation)**—वस्तु-स्फीति से अभिप्राय एक साधारण प्रकार की मुद्रा-स्फीति से होता है। इसमें वस्तुओं की कीमतें साधारण रूप से ही बढ़ती हैं।

(2) **मुद्रा-स्फीति (Currency Inflation)**—जब सकलकाल में अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को गन्तुष्ट करने के लिए सरकार अत्यधिक मात्रा में कागजी मुद्रा का निर्गमन करती है (जिसके परिणामस्वरूप कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है) तब ऐसी परिस्थिति को मुद्रा-स्फीति कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में होने वाली स्फीति वास्तव में मुद्रा-स्फीति ही थी।

(3) **साख-स्फीति (Credit Inflation)**—कभी-कभी सरकार मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखते हुए साख की मात्रा को प्रोत्साहित करती है। इसे साख-स्फीति कहा जाता है। साख-स्फीति के मुख्य उद्देश्य किसानों के ऋण के षोड्य को हल्का करना, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना तथा विकास योजनाओं के लिए पन को जुटाना है।

(4) **लाभ-स्फीति (Profit Inflation)**—कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उत्पादन-लागत

घटने लगती है और उसके परिणामस्वरूप कीमतों में नीचे गिरने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। परन्तु सरकार कृत्रिम उपायों (artificial means) से कीमतों को नीचे गिरने से रोकती है। ऐसी परिस्थिति में कीमतें ऊपर तो नहीं उठती, परन्तु उनको नीचे गिरने से रोका जाता है। इससे उत्पादकों का लाभ बढ़ जाता है। इस अवस्था को प्रो० केन्ज (Keynes) ने लाभ स्फीति का नाम दिया है। इस प्रकार की स्फीति में कीमतें अपने पुराने स्तर पर ही बनी रहती हैं।

(5) उत्पादन-स्फीति (Production Inflation)—जब देश में मुद्रा की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती परन्तु प्राकृतिक विपत्तियों के कारण उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है तो इससे कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इस दशा को उत्पादन-स्फीति कहते हैं।


(6) घाटा-प्रोत्साहित-स्फीति (Deficit induced Inflation)—प्रायः युद्ध के समय अपने बड़े हुए व्यय का पूरा करने के लिए सरकार अधिक आय प्राप्त करने में असमर्थ रहती है, अर्थात् सरकार के बजट में घाटा उत्पन्न हो जाता है और इस घाटे को सरकार नये करों तथा सार्वजनिक ऋणों (Public loans) से भी पूरा नहीं कर पाती। ऐसी परिस्थिति में विवश होकर सरकार को नयी मुद्रा का निर्माण करना पड़ता है। इसे घाटा-प्रोत्साहित-स्फीति कहते हैं। पिछड़े हुए तथा अल्प-विकसित देशों में आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जब सरकारों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं होते तब वे भी विवश होकर हीनाथ प्रबन्धन (deficit-financing) का आश्रय लेते हैं इससे कीमतें बढ़ जाती हैं। चूंकि यह हीनाथ प्रबन्धन भी बजट में घाटा होने के कारण किया जाता है, इसलिए इसे घाटा-प्रोत्साहित स्फीति कहा जाता है।

(7) मजदूरी-प्रोत्साहित-स्फीति (Wage induced Inflation)—जब मजदूर अपने आपको शक्तिशाली श्रमिक संघों (trade unions) में संगठित कर लेते हैं और कारखानेदारों को मजदूरी बढ़ाने के लिए विवश करने में सफल हो जाते हैं तब उत्पादन लागतों में वृद्धि हो जाती है। परिणामतः वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसे मजदूरी प्रोत्साहित-स्फीति कहते हैं।

(8) पूर्ण स्फीति तथा आंशिक स्फीति (Full Inflation and Partial Inflation)—प्रो० पीगू के अनुसार स्फीति दो प्रकार की होती है—पूर्ण स्फीति (full inflation) तथा आंशिक स्फीति (partial inflation)। प्रो० पीगू के अनुसार पूर्ण रोजगार की अवस्था से पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है, उसे आंशिक स्फीति कहते हैं। आंशिक स्फीति के अन्तर्गत कीमत स्तर में केवल साधारण सी वृद्धि होती है। मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि से अर्थ-व्यवस्था में बेकार पड़े हुए उत्पादन के साधनों को अधिक काम मिलता है, अर्थात् रोजगार की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व मुद्रा की मात्रा में हान वाली वृद्धि कीमत स्तर की अपेक्षा रोजगार की मात्रा को अधिक बढ़ाती है, परन्तु पूर्ण रोजगार के बिन्दु के उपरान्त मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि रोजगार को तो नहीं बढ़ाती (क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति तो पहले से ही विद्यमान होती है) परन्तु कीमत स्तर में तेजी से वृद्धि करती है। इस दशा को पूर्ण स्फीति कहा जाता है।

पूर्ण स्फीति तथा आंशिक स्फीति के अन्तर को रेखाकृति द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है।

इस रेखाकृति में रोजगार एवं कीमतों को अक्ष के सहारे और मुद्रा की मात्रा को अक्ष के साथ व्यक्त किया गया है। वृद्धिपूर्ण रोजगार रेखा है। वृद्धिपूर्ण रोजगार बिन्दु है। वृद्धि तक होने वाली कीमत वृद्धि आंशिक स्फीति है। यह कीमत-वृद्धि साधारण-सी होती है क्योंकि वृद्धि तक मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि का प्रभाव कीमत-स्तर की अपेक्षा रोजगार की मात्रा पर अधिक पड़ता है।




ख बिन्दु के पश्चात् मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि रोजगार की मात्रा को तो नहीं बढ़ाती, लेकिन कीमत-स्तर पर पूरा प्रभाव डालती है। ख ग पूर्ण स्फीति को व्यक्त करती है।

(9) खुली तथा छिपी हुई स्फीति (Open Inflation and Suppressed Inflation)—कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार स्फीति खुली एवं छिपी हुई भी हो सकती है। जब मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि के द्वारा वस्तुओं की कीमतों में बिना किसी रोकटोक के वृद्धि होने दी जाती है, तब इस प्रकार की स्फीति को खुली स्फीति कहते हैं। इसके विपरीत, जब मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि का प्रभाव कीमतों पर नहीं पड़ने दिया जाता तब इस प्रकार की स्फीति को छिपी हुई स्फीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में सरकार कीमत-नियन्त्रण (price control) तथा राशनिंग व्यवस्था द्वारा मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि को प्रभावहीन बना देती है और परिणामतः वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से रुक जाती हैं।

(10) घिसटती हुई स्फीति, चलती हुई स्फीति, भागती हुई स्फीति तथा सरपट दौड़ती हुई स्फीति—स्फीति का यह वर्गीकरण उसकी गति (speed) के आधार पर किया गया है। 'घिसटती हुई स्फीति' (Creeping Inflation) साधारण स्फीति होती है। कभी-कभी अर्थ-व्यवस्था को गतिशील (dynamic) बनाने के लिए साधारण स्फीति का सहारा लेना पड़ता है। विशेषकर एक अविकसित तथा पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था के लिए साधारण स्फीति टॉनिक (tonic) का काम देती है। इसमें कीमतों में मन्द गति से वृद्धि होती है, व्यापार तथा व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है और धीरे-धीरे देश का आर्थिक विकास होने लगता है। परन्तु यदि उस साधारण स्फीति पर उचित नियन्त्रण नहीं रखा जाता तो बाद में चलकर यह 'चलती हुई स्फीति' (Walking Inflation) का रूप धारण कर लेती है और इसके अन्तर्गत कीमतों में वृद्धि की गति तेज हो जाती है। इसी प्रकार यदि चलती हुई स्फीति पर भी उचित नियन्त्रण नहीं रखा जाता तो बाद में चलकर यह 'भागती हुई स्फीति' (Runaway Inflation) का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार की स्फीति के अन्तर्गत कीमतों में होने वाली वृद्धि और भी अधिक गति (speed) के साथ होने लगती है। यदि भागती हुई स्फीति पर भी उचित नियन्त्रण नहीं रखा जाता तो बाद में चलकर यह एक अत्यन्त भयानक रूप धारण कर लेती है, और इसी को 'अत्यधिक स्फीति' (Hyper Inflation) अथवा 'सरपट दौड़ती हुई स्फीति' (Galloping Inflation) कहते हैं। वास्तव में, यह स्फीति का सबसे भयानक रूप होता है। इसके अन्तर्गत, कीमतों में प्रति क्षण वृद्धि होने लगती है। प्रो० केन्ज के अनुसार, वास्तविक स्फीति (True Inflation) सरपट दौड़ती हुई स्फीति की ही कहते हैं। स्फीति का यह रूप पूर्ण रोजगार के बिन्दु के बाद ही दृष्टिगोचर होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी में और दूसरे महायुद्ध के बाद चीन में इस प्रकार की स्फीति हुई थी।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, स्फीति का यह वर्गीकरण गति (speed) के आधार पर किया गया है। 'घिसटती हुई स्फीति' के अन्तर्गत देश में कीमतें 25 वर्ष में 50 प्रतिशत बढ़ जाती हैं, लेकिन 'चलती हुई स्फीति', 'भागती हुई स्फीति' तथा 'सरपट स्फीति' के अन्तर्गत कीमतों की यही वृद्धि (अर्थात् 50%) क्रमशः 10, 5 तथा 3 वर्षों में होती है। वास्तव में, स्फीति की ये अवस्थाएँ एक शिशु (infant) के शारीरिक विकास की अवस्थाओं की भाँति होती हैं। सर्वप्रथम, यह घिसटना सीखता है, तब चलना आरम्भ करता है। फिर शारीरिक विकास में फलस्वरूप भापना और दूधना सीख लेता है।



उपर्युक्त रेखाकृति में वर्षों को अ व के सहारे और कीमत वृद्धि प्रतिशत को अ स के साथ-साथ व्यक्त किया गया है। 25 वर्षों की प्रथम अवधि में वस्तुओं की कीमतें 50% बढ़ गयी हैं। अ क रेखा 'घिसटती हुई स्फीति' को व्यक्त करती है। 10 वर्षों की दूसरी अवधि में कीमतें 50% बढ़ गयी हैं। क ख रेखा 'चलती हुई स्फीति' को प्रकट करती है। 5 वर्षों की तीसरी अवधि में कीमतें पुनः 50% बढ़ गयी हैं और ख ग रेखा 'भागती हुई स्फीति' को व्यक्त करती है। इसी प्रकार 3 वर्षों की चौथी अवधि में कीमतें फिर 50% बढ़ गयी हैं और ग घ रेखा 'सरपट दौड़ती हुई स्फीति' को प्रकट करती है। इस प्रकार 43 वर्षों में चारों प्रकार की स्फीतियाँ दृष्टिगोचर हो जाती हैं और इस समूची अवधि में 200% की वृद्धि हो जाती है।

मुद्रा-स्फीति की स्थितियाँ

(Stages of Inflation)

अक्सर यह कहा जाता है कि क्षय-रोग (T B) की तरह स्फीति की भी तीन स्थितियाँ होती हैं। प्रथम स्फीति में, मुद्रा-स्फीति धीरे-धीरे होती है। वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठती हैं। प्रथम स्थिति में मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित करना अपेक्षाकृत आसान होता है। परन्तु यदि पहली स्थिति में स्फीति पर नियन्त्रण नहीं किया जाता तो क्षय-रोग की भाँति यह दूसरी स्थिति में प्रविष्ट होती है। दूसरी स्थिति में, मुद्रा स्फीति सरकार के लिए एक प्रकार से सरदर्द बन जाती है। अब वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें अधिक तेजी के साथ बढ़ने लगती हैं और सरकार के लिए उनको काबू में रखना काफी कठिन हो जाता है। इस स्थिति में मुद्रा-स्फीति को पूर्णतः दूर तो नहीं किया जा सकता, परन्तु यदि सरकार प्रभावपूर्ण कार्यवाही करे तो इसे आगे बढ़ने से अबन्ध ही रोका जा सकता है। तीसरी स्थिति में, मुद्रा-स्फीति अत्यन्त भयानक रूप धारण कर लेती है। जैसा ऊपर कहा गया है, तीसरी स्थिति में स्फीति 'सरपट दौड़ती हुई स्फीति' का रूप धारण कर लेती है। वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें प्रतिक्षण बढ़ने लगती हैं और सरकार के लिए उनको नियन्त्रित करना असम्भव-सा हो जाता है। देश की समूची अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है, और अन्त में, सरकार को देश की मुद्रा का विमुद्रीकरण (demonetisation) करना पड़ता है।

स्फीति की उपर्युक्त तीन स्थितियों को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम स्थिति में कीमतें उम अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात् कीमतें मुद्रा की वृद्धि के अनुपात से कम तेजी के साथ बढ़ती हैं। उदाहरणार्थ, यदि मुद्रा की मात्रा में 10 प्रतिशत वृद्धि होती है तो कीमतों में केवल 5 प्रतिशत या इससे कम वृद्धि होती है। दूसरी परिस्थिति में कीमतों में वृद्धि मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि के ठीक अनुपात में होती है, अर्थात् यदि मुद्रा की मात्रा में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो कीमत-स्तर में भी ठीक 10 प्रतिशत की ही वृद्धि होती है। तीसरी स्थिति में कीमतों की वृद्धि मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि से अधिक अनुपात में होती है, अर्थात् यदि मुद्रा की मात्रा में 10 प्रतिशत वृद्धि होती है तो कीमत-स्तर में 15 प्रतिशत या इससे भी अधिक वृद्धि होती है। अब हम स्फीति की उन स्थितियों का अलग-अलग वर्णन करेंगे।

(1) पूर्ण रोजगार से पूर्व की स्थिति (Pre Full Employment Stage)—जैसा ऊपर कहा गया है, पहली स्थिति में कीमत-स्तर में होने वाली वृद्धि, मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि से कम अनुपात में होती है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए कि मुद्रा की मात्रा में 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप तुरन्त ही कीमत स्तर में वृद्धि हो जायगी। कीमत-स्तर की इस वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा बढ़ जायगी। इससे कीमत-स्तर पुनः नीचे गिर जायगा। परन्तु यदि मुद्रा की मात्रा में पुनः 10 प्रतिशत वृद्धि की जाती है तो कीमत-स्तर फिर बढ़ेगा और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार, यदि मुद्रा की मात्रा में निरन्तर वृद्धि की जाती है तो एक समय ऐसा आयगा कि वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि मुद्रा की मात्रा की वृद्धि की तुलना में कम होने लगेगी। इसका कारण यह है कि उत्पादन के विस्तार के साथ-साथ अब उत्पादन के साधनों की पूर्ति कम होती चली जायगी, क्योंकि जो बेकार साधन थे, वे अब सभी काम

में लग जायेंगे। उत्पादन के साधनों की कमी अनुभव की जाने लगेगी। परिणामतः उत्पादन की वृद्धि की गति धीमी पड़ जायगी।

(2) पूर्ण रोजगार की स्थिति (Full-Employment Stage)—यदि मुद्रा की वृद्धि निरन्तर जारी रहती है तो कुछ समय पश्चात् उत्पादन की मात्रा में वृद्धि का होना बन्द हो जायगा, अर्थात् उत्पादन की मात्रा स्थिर हो जायगी। इसका कारण यह है कि अब उत्पादन के सभी साधन काम में लग जाते हैं और पूर्ण रोजगार की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध नहीं होने। अतएव उत्पादन का विस्तार रुक जाता है। उत्पादन की मात्रा स्थिर रहने के कारण अब कीमत स्तर में उसी अनुपात में वृद्धि होने लगेगी जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है।

(3) पूर्ण रोजगार के बाद की स्थिति (Post full Employment Stage)—यदि पूर्ण रोजगार बिन्दु के उपरान्त भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि निरन्तर जारी रहती है तो कुछ समय तक कीमत-स्तर में वृद्धि उसी अनुपात में होती रहती है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में विस्तार होता रहता है। परन्तु आगे चलकर मुद्रा की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि उम पर से जनता का विश्वास उठने लगता है। उदाहरणार्थ, यदि मुद्रा की मात्रा में 10 प्रतिशत वृद्धि होती है तो कीमत स्तर में 20, 30 और 40 प्रतिशत वृद्धि होने लगती है। इस स्थिति में कीमतों पर काबू पाना अत्यन्त कठिन, लगभग असम्भव हो जाता है। यह स्फीति की अन्तिम स्थिति है। इस स्थिति में कीमते इतनी बढ़ जाती हैं कि देश में मुद्रा-विनिमय के स्थान पर वस्तु-विनिमय का प्रचलन होने लगता है और कालान्तर में देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत ही भयंकर परिणाम दृष्ट-गोचर होने लगते हैं।

मुद्रा-स्फीति के कारण (Causes of Inflation)

मुद्रा स्फीति के कारणों को दो शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है—(क) मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले कारण, (ख) उत्पादन की मात्रा को कम करने वाले कारण।

(क) मौद्रिक आय में वृद्धि करने वाले कारण—देखें ये मुद्रा की वृद्धि के कारण निम्न लिखित हैं।

(1) सरकार की मुद्रा तथा साख सम्बन्धी नीति—कभी-कभी सरकार के निर्देशानुसार देश का केन्द्रीय बैंक अत्यधिक मात्रा में बागजी मुद्रा का निगमन करने लगता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि देश में आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सके। कभी-कभी मुद्रा-व्यय की व्यवस्था करने के लिए भी सरकार केन्द्रीय बैंक को अधिक मात्रा में नये नोट छापने का आदेश देती है। आरम्भ में, मुद्रा की इस वृद्धि में केवल साधारण स्फीति ही उत्पन्न होती है, परन्तु यदि इस पर उचित नियन्त्रण न रखा जाय तो बाद में धलकर यह भयंकर रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार सरकार के निर्देशानुसार केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक-दर (bank-rate) तथा खुले बाजार की नीति (open market operations) के माध्यम से साख की मात्रा में वृद्धि करता है। जैसा विदित है, बैंक दर को कम करने से साख का विस्तार होता है। इसी प्रकार जब केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने लगता है तो प्रचलन-मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह मुद्रा की मात्रा तथा साख की मात्रा में विस्तार करके केन्द्रीय बैंक देश में स्फीति की परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। दूसरे शब्दों में, लोगों की मौद्रिक आय में होने वाली वृद्धि केन्द्रीय बैंक की मुद्रा तथा साख सम्बन्धी नीति का परिणाम होती है।

(2) मुद्रा के संचलन-वेग में वृद्धि—मुद्रा के संचलन-वेग में वृद्धि हो जाने में भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। जब लोगों की उपभोग प्रवृत्ति (propensity to consume) तथा पूँजी की सीमान्त कार्यक्षमता (marginal efficiency of capital) बढ़ जाती है तब मुद्रा के संचलन वेग में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा के संचलन-वेग में हुई वृद्धि से मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और इससे जनता की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है।

(3) घाटे की अर्थ-व्यवस्था (Deficit Financing)—जब सरकार अपने बजट में होने

वाले घाटे को कागजी मुद्रा के निर्गमन से पूरा करती है तो इससे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(4) व्यापारिक बंको की साख-नीति—व्यापारिक बैंक भी अपनी साख-निर्माण नीति के माध्यम से स्फीति को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कभी कभी व्यापारिक बैंक अपनी जमा राशियों (deposits) के पीछे रखे जाने वाले नकद-कोषों के अनुपात को कम करके साख का निर्माण करते हैं। इससे देश में साख का विस्तार होता है और स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(5) प्राकृतिक कारण—कभी-कभी स्फीति प्राकृतिक कारणों से भी उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कोई देश धातुमान पर निर्भर है और उसका प्रामाणिक सिक्का चांदी का बना हुआ है। अब यदि देश में चांदी की नयी खानों की खोज के परिणामस्वरूप चांदी की पूर्ति बढ़ जाती है अथवा विदेशों से चांदी का आयात अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में उस देश को मुद्रा की मात्रा में अवश्य ही विस्तार करना पड़ता है, जिससे लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है और देश में स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चूंकि आजकल कोई भी देश धातुमान पर निर्भर नहीं है, इसलिए प्राकृतिक कारणों से मुद्रा स्फीति के उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं है।

(ख) उत्पादन की मात्रा को कम करने वाले कारण—जैसा पूर्व कहा जा चुका है यदि देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसी दशा में अवश्य ही स्फीति उत्पन्न होगी। उत्पादन की मात्रा में कमी करने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

(1) उत्पादन का ह्रासमान नियम के अन्तर्गत होना—यदि देश में उत्पादन क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम (law of diminishing returns) के अन्तर्गत होता है तो इससे उत्पादन लागतों में वृद्धि हो जाती है। परिणामतः वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं और स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम इसलिए क्रियाशील होता है क्योंकि देश में उत्पादन के साधनों की कमी होती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त साधन उपलब्ध नहीं होते।

(2) सरकार की कराधान नीति—जब सरकार वस्तुओं तथा सेवाओं पर नये नये कर लगाती है या पुराने करों को बढ़ा देती है तो इससे वस्तुओं तथा सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं। उनकी माँग कम हो जाती है और अन्त में उनका उत्पादन भी कम हो जाता है।

(3) सरकार की व्यापारिक नीति—जब सरकार विदेशी विनिमय कमाने के लिए देश के निर्यातकों को प्रोत्साहित करती है तो इससे देश में वस्तुओं की मात्रा कम हो जाती है कीमतें बढ़ने लगती हैं और स्फीति उत्पन्न हो जाती है। भारत में होने वाली वर्तमान स्फीति का यह भी एक मुख्य कारण है क्योंकि इस समय बड़े पैमाने पर देश से वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है।

(4) प्राकृतिक कारण—कभी कभी बाढ़, भूकम्प सूखा आदि जैसी प्राकृतिक विपत्तियों से देश के उत्पादक विशेषकर कृषि-उत्पादन में कमी हो जाती है। इससे भी स्फीति उत्पन्न हो जाती है।

(5) औद्योगिक अशान्ति जब मजदूर अपने आपको श्रमिक सघों में संगठित करके अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए समय समय पर हड़तालें करते हैं तो इससे देश में उत्पादन काय रूक जाता है और उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है। इससे भी स्फीति उत्पन्न हो जाती है।

(7) शिल्प सम्बन्धी परिवर्तन—आधुनिक काल में समय समय पर उद्योगों में शिल्प सम्बन्धी परिवर्तन (technological changes) होते रहते हैं जिनसे कुछ समय तक उत्पादन कार्य रूक जाता है। इस अवधि में स्फीति की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।

(7) देश की जनसंख्या में वृद्धि—जब देश की जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती है तब वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग बढ़ जाती है, परन्तु उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता। इससे भी स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

मुद्रा-स्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation)

मुद्रा-स्फीति समाज के विभिन्न वर्गों को विभिन्न रूप में प्रभावित करती है। मुद्रा-स्फीति के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए हम समाज को पाँच वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

1 उत्पादक वर्ग, 2 निवेशकर्ता वर्ग, 3 वेतनभोगी वर्ग, 4 उपभोक्ता वर्ग, एव 5 ऋणी और ऋणदाता वर्ग। स्मरण रहे साधारणतः एक ही व्यक्ति कई वर्गों के अन्तर्गत आ जाता है। यदि कोई व्यक्ति उत्पादक है तो वह उसके साथ ही साथ उपभोक्ता भी है। इस प्रकार जहाँ उत्पादक होने के नाते उसे मुद्रा स्फीति से लाभ होता है, वहाँ उपभोक्ता होने के नाते उसे स्फीति से हानि भी होती है। अब हम यह देखेंगे कि मुद्रा-स्फीति उपर्युक्त वर्गों को कैसे प्रभावित करती है।

(1) उत्पादक वर्ग (Producers)—इसके अन्तर्गत हम किसानों, व्यापारियों, उद्योग-पतियों आदि को रख सकते हैं। साधारणतः स्फीतिकाल में इन लोगों को लाभ होता है। इसका कारण यह है कि स्फीति के परिणामस्वरूप वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और इन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता है। उत्पादक वर्ग को तीन कारणों से अधिक लाभ होता है। प्रथम, मुद्रा-स्फीति के कारण पूंजी की अपेक्षा वस्तुओं की माँग अधिक होती है जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं और उत्पादक का माल शीघ्र ही बिक जाता है और उसकी पूंजी माल के रूप में अवरुद्ध (blocked) नहीं रहती। दूसरे, स्फीतिकाल में उत्पादन की लागतें उसी अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में कीमतें बढ़ती हैं, अर्थात् उत्पादन लागतें कीमतों की तुलना में नीचे रहती हैं। इसका कारण यह है कि उत्पादन कार्य में कुछ समय अवश्य ही लगता है। जिस समय उत्पादन के लिए कच्चा माल व अन्य वस्तुएँ खरीदी जाती हैं उस समय उनकी कीमतें कम होती हैं। परन्तु जब माल बनकर तैयार हो जाता है तब कच्चे माल व अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, परन्तु उत्पादक ने इस प्रकार की वस्तुओं को कम दामों पर खरीदा होता है, इससे उसे लाभ होता है। तीसरे, जैसा सर्वविदित है, कीमतों (prices) तथा मजदूरियों (wages) की बीज में मजदूरियाँ सदैव पीछे रह जाती हैं, अर्थात् मजदूरियाँ उसी अनुपात में नहीं बढ़ती जिसमें तैयारशुदा माल की कीमतें बढ़ती हैं। इससे भी उत्पादकों को लाभ होता है। उत्पादकों की भाँति व्यापारियों को भी मुद्रा स्फीति से लाभ हाता है। जिस समय व्यापारी वस्तुएँ खरीदते हैं उस समय उनकी कीमतें कम होती हैं परन्तु जब वे उन्हें बेचते हैं तब उनकी कीमतें अधिक होती हैं।

(2) निवेशकर्ता वर्ग (Investors)—इस वर्ग के अन्तर्गत उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो पूंजी को उद्योग-घन्धों में लगाते हैं। निवेशकर्ता भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, ऐसे निवेशकर्ता जिनकी आय निवेशों (investments) से निश्चित तथा अपरिवर्तनशील होती है। दूसरे, वे निवेशकर्ता जिनकी आय में व्यापार की मन्दी अथवा तेजी के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। मुद्रा स्फीति का इन दोनों प्रकार के निवेशकर्ताओं पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। निश्चित तथा अपरिवर्तनशील आय वाले निवेशकर्ता वे होते हैं जिन्होंने मिश्रित (सम्मिलित) पूंजी वाली कम्पनियों के ऋण-पत्र (debentures) आदि खरीद रखे होते हैं या वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सरकारी प्रविधुतियों (government securities) को खरीद रखा होता है। ऐसे निवेशकर्ताओं को अपने निवेशों से निश्चित तथा अपरिवर्तनशील आय ही प्राप्त होती है। अतएव इनको मुद्रा-स्फीति से हानि होती है। इसका कारण यह है कि उनकी आय तो निश्चित रहती है परन्तु कीमतों के बढ़ जाने से मुद्रा की त्रय शक्ति गिर जाती है।

परिवर्तनीय आय वाले निवेशकर्ता वे लोग होते हैं जिन्होंने मिश्रित (सम्मिलित) पूंजी वाली कम्पनियों के अंशों (shares) को खरीद रखा होता है। इस प्रकार के निवेशकर्ताओं की आय व्यापार की तेजी अथवा मन्दी पर निर्भर करती है। तेजीकाल में इनको अपने अंशों से अधिक आय प्राप्त होती है और मन्दीकाल में इनकी आय कम हो जाती है। अतएव ऐसे निवेशकर्ताओं को मुद्रा-स्फीति से लाभ होता है, क्योंकि अब उन्हें अपने अंशों पर अधिक लाभांश (dividend) प्राप्त होने लगता है।

(3) वेतनभोगी वर्ग (Salaried Classes)—इस वर्ग में वे सभी लोग सम्मिलित किये जा सकते हैं जो मुद्रा के बदले अपनी सेवाओं का विनय करते हैं। उदाहरणार्थ, वेतनी मजदूर कारखानों में काम करने वाले मजदूर, दफ्तरो के कर्मचारी, अध्यापक इत्यादि इसी वर्ग में आते हैं। मुद्रा-स्फीति से इन लोगों को हानि होती है। इसका कारण यह है कि कीमतों और मजदूरियों की बीज में मजदूरियाँ सदैव पीछे रह जाती हैं अर्थात् इन लोगों की मजदूरियाँ कीमत-स्तर की अपेक्षा मन्द गति से बढ़ती हैं। यह ठीक है कि मुद्रा स्फीति के समय इन-ओमो की मजदूरियों में कुछ वृद्धि होती है, परन्तु कीमत-स्तर की वृद्धि के अनुपात में यह बहुत कम होती है। इसके

अतिरिक्त, मुद्रा की ऋण-शक्ति में अधिक कमी हो जाने से वेतनभोगी वर्ग को वास्तविक मजदूरी (real wages) कम हो जाती है। अतः मुद्रा-स्फीति से वेतनभोगी वर्ग को सदैव हानि होती है। परन्तु एक अन्य पहलू से इस वर्ग को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप श्रम की माँग बढ़ जाती है और मजदूरी को अधिक माना में रोजगार मिलने लगता है।

मुद्रा-स्फीति काल में देश की औद्योगिक शक्ति भंग हो जाती है और आये-दिन उद्योगों में हड़तालें होती रहती हैं। इससे उत्पादन की मात्रा भी कम हो जाती है।

(4) उपभोक्ता वर्ग (Consumers)—मुद्रा-स्फीति से उपभोक्ताओं को सदैव हानि होती है। इसका कारण यह है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने से मुद्रा की ऋण शक्ति गिर जाती है और उपभोक्ता पहले की तुलना में कम वस्तुएँ खरीदने में समर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुर्लभता भी उत्पन्न हो जाती है जिससे उपभोक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता भी दो प्रकार के होते हैं। जिन उपभोक्ताओं की आय परिवर्तनीय होती है, अर्थात् तेजी काल में बढ़ जाती है, उनको मुद्रा-स्फीति से कोई विशेष हानि नहीं होती। परन्तु जिन उपभोक्ताओं की आय निश्चित तथा अपरिवर्तनीय होती है, उनको मुद्रा-स्फीति से बहुत कष्ट होता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् मुद्रा स्फीति के कारण जर्मनी के उपभोक्ताओं को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। एक जर्मनी-निवासी के कथनानुसार, “पहले हम दूकानों पर अपनी जेब में मुद्रा रखकर ले जाते थे और खाद्य-पदार्थों को टोकरीयों में भरकर लाते थे। अब हम मुद्रा को टोकरीयों में भरकर ले जाते हैं और खाद्य-पदार्थों को अपनी जेबों में डालकर लाते हैं।”¹

(5) ऋणी एवं ऋणदाता वर्ग (Debtors and Creditors)—मुद्रा-स्फीति से ऋणी तथा ऋणदाता वर्गों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। मुद्रा-स्फीति से ऋणी वर्ग को लाभ होता है, परन्तु ऋणदाता वर्ग को हानि होती है। इसका कारण यह है कि स्फीतिकाल में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, किन्तु ब्याज की दर यथास्थिर रहती है। इस प्रकार ऋणदाता को ब्याज की दर के रूप में मिलने वाली वास्तविक ऋण शक्ति पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई ऋणी स्फीतिकाल में ऋणदाता को मूलधन लौटा देता है तो इससे भी ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। इसका कारण यह है कि मुद्रा का मूल्य गिर जाने से ऋणी ऋणदाता को कम माना में ऋण शक्ति लौटाना है। परन्तु एक अन्य पहलू से देखने पर मुद्रा-स्फीति ऋणदाता के लिए लाभदायक भी होती है। इसका कारण यह है कि कीमतों की वृद्धि के फलस्वरूप व्यापार-विस्तार के लिए पूँजी की माँग बढ़ जाने के कारण आगे चलकर ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है जिससे ऋणदाता को लाभ होता है। इसके विपरीत, ऋणी को हानि होती है क्योंकि एक तो उसे नये ऋणों पर अधिक ब्याज देना पड़ता है और दूसरे, उसे नये ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

मुद्रा-स्फीति के अन्य प्रभाव—समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले उपर्युक्त प्रभावों के अतिरिक्त मुद्रा-स्फीति के निम्न अन्य आर्थिक प्रभाव भी होते हैं

(2) कराधान में वृद्धि—स्फीतिकाल में प्रायः कराधान (taxation) में वृद्धि हो जाती है। सरकार अपनी आय को बढ़ाने के लिए पुराने करों को बढ़ा देती है और विभिन्न प्रकार के नये-नये कर भी लगाती है।

(2) सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि—स्फीतिकाल में अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिए कराधान के अतिरिक्त सरकार लोगों से ऋण भी लेती है।

(3) नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली—स्फीतिकाल में प्रायः स्वतन्त्र आर्थिक प्रणाली का परित्याग कर दिया जाता है और इसके स्थान पर नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली (controlled

1. "We used to go to the stores with money in our pockets and came with food in our baskets. Now we go with money in baskets and return with food in our pockets."

economic system) की नीति अपनायी जाती है। सरकार द्वारा कीमत-स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए कई प्रकार के वस्तु नियन्त्रण (commodity controls) लगाये जाते हैं।

(4) बैंकिंग तथा बीमा उद्योगों का विकास—बैंकिंग स्फीतिकाल में लोगों की माँद्रिय आय बढ़ जाती है, इसीलिए बैंकों तथा बीमा कम्पनियों को विकसित होने का स्वर्ण अवसर प्राप्त होता है। बैंकों की जमा राशि (deposits) बढ़ने लगती हैं। नये-नये बैंकों की स्थापना होती है। बीमा कम्पनियों का व्यवसाय भी बढ़ने लगता है।

(5) आयातों में वृद्धि तथा निर्यातों में ह्रास—बैंकिंग स्फीतिकाल में आन्तरिक कीमत-स्तर तेजी से बढ़ता है, इसलिए आयातों को प्रोत्साहन मिलता है, परन्तु निर्यातों में कमी हो जाती है। इससे देश का अदायगी शेष (balance of payments) प्रतिकूल हो जाता है और विदेशी विनिमय दरों में वृद्धि हो जाती है।

(6) बचतें हतोत्साहित होती हैं—स्फीतिकाल में बचतें सदैव हतोत्साहित होती हैं। इसका कारण यह है कि मुद्रा का मूल्य निरन्तर गिरने से लोगों का मुद्रा में से विश्वास उठ जाता है, जिससे बचत की भावना को ठेस पहुँचती है।

(7) धन का पुन वितरण—स्फीतिकाल में राष्ट्रीय धन धनिक वर्गों के हाथों में केन्द्रित होने लगता है। धनी अधिक धनी होने लगते हैं तथा गरीब अधिक गरीब हो जाते हैं। इस प्रकार देश में आर्थिक विषमताएँ (economic inequalities) बढ़ जाती हैं।

(8) समाज का नैतिक पतन—स्फीतिकाल में प्रत्येक व्यक्ति उचित तथा अनुचित साधनों से अधिकाधिक धन कमाने का प्रयत्न करता है। व्यापारियों में चोर-बाजारी, भुनाफाखोरी जमा-खोरी आदि जैसी बुरी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। सरकारी कर्मचारियों में धूसम्भारें बढ़ जाती हैं। इससे समूचे समाज का नैतिक पतन हो जाता है।

(9) रोजगार पर प्रभाव—स्फीतिकाल में वरोजगारी कम हो जाती है। मुद्रा-स्फीति के कारण कीमतों में वृद्धि होती है जिससे उत्पादकों को अधिक लाभ होता है फलतः वे उत्पादन का विस्तार करते हैं जिससे धेकार व्यक्तियों को अधिक रोजगार मिलने लगता है। इसी कारण प्रो० केन्ज (Keynes) ने पूरा रोजगार की दशा की प्राप्ति के लिए हल्की मात्रा में मुद्रा स्फीति का समर्थन किया था।

मुद्रा स्फीति के उपर्युक्त प्रभाव केवल इसकी प्रथम तथा दूसरी स्थितियों में ही होते हैं। जब मुद्रा-स्फीति तीसरी स्थिति में प्रविष्ट होती है तब समूची अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। लोगों का देश की मुद्रा में से विश्वास उठ जाता है और वे इसे स्वीकार करने में अनाकामनी करते हैं। देश में वस्तु-विनिमय प्रणाली प्रचलित हो जाती है। अत्यधिक मुद्रा-स्फीति (hyper inflation) से समाज के सभी वर्गों को हानि होती है। मुद्रा-स्फीति की बुराइयों को ओर संकेत करते हुए प्रो० सी० एन० यकील (C N Yakil) ने लिखा है, "मुद्रा-स्फीति की तुलना उकँत से की जा सकती है दोनों ही अपने-अपने शिकारों को उनकी कुछ वस्तुओं से वधित कर देते हैं। अन्तर केवल इतना है कि उकँत देखा जा सकता है जबकि मुद्रा-स्फीति को देखा नहीं जा सकता। उकँत का शिकार एक समय में केवल एक या थोड़े-से व्यक्ति होते हैं, जबकि मुद्रा-स्फीति का शिकार समूचा राष्ट्र होता है। उकँत को अदालत में पेश किया जा सकता है जबकि मुद्रा-स्फीति वैधानिक होती है।"¹ इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा स्फीति, वारसव में, एक बुरी चीज है और इसके आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक परिणाम अत्यन्त गम्भीर होते हैं। प्रो० राबर्टसन (Robertson)

1 "Inflation may be compared to robbery. Both deprive the victim of some possession with the difference that the robber is visible, inflation is invisible, the robber's victim may be one or a few at a time, the victim of inflation is the whole nation, the robber may be dragged to a court of law but inflation is legal."
—C N Yakil

ने उचित ही कहा है, "मुद्रा मानव के लिए एक प्रकार का वरदान है। लेकिन यदि इसे काबू में न रखा जाय तो यह सकट एव घबराहट का कारण भी बन सकती है।"¹

मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय (Measures to Check Inflation)

मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए प्रायः निम्नलिखित तीन उपाय किये जाते हैं

(1) **मौद्रिक उपाय (Monetary Measures)**—मौद्रिक उपायों के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा किये जाने वाले कार्य सम्मिलित किये जाते हैं जिनके द्वारा वह मुद्रा की मात्रा तथा साख मुद्रा पर नियन्त्रण रखता है। इस शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक दो प्रमुख कार्य कर सकता है—प्रथम, अतिरिक्त मुद्रा (surplus currency) को प्रचलन से वापस लेना और दूसरे, साख मुद्रा पर नियन्त्रण स्थापित करना।

(क) **मुद्रा की मात्रा को कम करना**—जैसा हम देख चुके हैं, मुद्रा की मात्रा में अधिकाधिक वृद्धि करने से ही स्फीति का जन्म होता है, इसलिए मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए आवश्यक है कि मुद्रा की वृद्धि पर रोक लगायी जाय। इसी कारण केन्द्रीय बैंक मुद्रा के कुछ नोटों को प्रचलन से वापस ले लेता है। नयी प्रकार की मुद्रा का निर्गमन किया जाता है और पुरानी मुद्रा को नयी मुद्रा में कम दर पर बदला जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस ने इस रीति को अपना कर मुद्रा की मात्रा में कमी की थी।

(ख) **साख-मुद्रा पर नियन्त्रण रखना**—मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा किये जाने वाले साख निर्माण पर उचित नियन्त्रण रखे। ऐसा करने के लिए केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक-दर नीति, खुले बाजार की नीति, साख की राशनिंग, न्यूनतम नकद कोष में परिवर्तन सीधी कार्यवाही आदि उपायों का प्रयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में, मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक को बैंक दर ऊँची कर देनी चाहिए और खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए। ऐसा करने से साख की मात्रा को सकुचित किया जा सकता है।

(2) **राजकोषीय उपाय (Fiscal Measures)**—इस शीर्षक के अन्तर्गत सरकार को वे सभी राजकोषीय उपाय काम में लाने चाहिए जो मुद्रा की मात्रा को कम करने में सहायक होते हैं। इस सम्बन्ध में विशेषकर कराधान नीति, सावजनिक व्यय, सावजनिक ऋण तथा अतिमूल्यन आदि उपाय उल्लेखनीय हैं।

इनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं

(क) **कराधान में वृद्धि**—मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए कराधान में वृद्धि करना आवश्यक होता है। ऐसे समय सरकार को पुराने करों को बड़ा देना चाहिए और विभिन्न प्रकार के नये प्रत्यक्ष व परोक्ष करों को लगाना चाहिए। ऐसा करने से लोगों की अतिरिक्त ऋण शक्ति (Surplus Purchasing Power) को प्रभावहीन बनाया जा सकता है और मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है।

(ख) **सार्वजनिक व्यय में कमी**—स्फीतिकाल में यथासम्भव सरकार को अपना व्यय कम कर देना चाहिए। विशेषकर अनुत्पादक व्यय (unproductive expenditure) को कम करना तो बहुत आवश्यक होता है। ऐसा करने से कीमतों में होने वाली वृद्धि को नियन्त्रित किया जा सकता है।

(ग) **सार्वजनिक ऋण में वृद्धि**—स्फीतिकाल में सरकार को अधिकाधिक मात्रा में लोगों से ऋण लेना चाहिए और इस प्रकार प्राप्त किये गये धन से उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे एक ओर तो जनता के हाथों में ऋण शक्ति की कमी हो जाती है और दूसरी ओर देश में उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है।

(घ) **बचतों को प्रोत्साहन**—स्फीतिकाल में सरकार को उपभोग को हतोत्साहित कर बचतों

¹ "Thus, money which is a source of so many blessings to mankind, becomes also unless we can control it, a source of peril and confusion"
—Robertson

को प्रोत्साहन देना चाहिए। उपभोग की वस्तुओं पर कर लगाकर उपभोग को कम करना चाहिए, बचत सम्बन्धी योजनाओं का प्रचार करना चाहिए। बचतों को प्रोत्साहित करने हेतु व्याज की दर में वृद्धि कर देनी चाहिए।

(इ) सन्तुलित बजट की नीति (Policy of Balanced Budget)—स्फीतिकाल में सरकार को मथासम्भव अपना बजट सन्तुलित रखना चाहिए, अर्थात् घाटे के बजट से बचना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि बजट घाटे का बजट है तो सरकार को उस घाटे को पूरा करने के लिए मुद्रा का निर्गमन करना पड़ेगा। अतएव स्फीतिकाल में घाटे का बजट देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक होता है।

(च) अतिमूल्यन (Over-valuation)—कभी-कभी स्फीति को रोकने के लिए देश की मुद्रा का अतिमूल्यन भी करना पड़ता है। अतिमूल्यन से अभिप्राय यह है कि दूसरे देशों की मुद्राओं की तुलना में अपने देश की मुद्रा को अधिक मूल्य प्रदान करना। मुद्रा के अतिमूल्यन का परिणाम यह होता है कि देश के आयात बढ़ते हैं और निर्यात कम हो जाते हैं। इससे देश में वस्तुओं की मात्रा बढ़ती है और मुद्रा-स्फीति को रोकने में सहायता मिलती है।

(3) अन्य उपाय—मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए दो अन्य उपायों का भी प्रयोग किया जा सकता है—(क) उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना, तथा (ख) व्यापार एवं कीमतों पर नियन्त्रण स्थापित करना।

(क) उत्पादन की मात्रा में वृद्धि—जैसा हम देख चुके हैं, स्फीति का जन्म इसलिए होता है कि देश के उत्पादन की तुलना में लोगों की मौद्रिक आय अधिक बढ़ जाती है। अत यदि किसी प्रकार उत्पादन की मात्रा को मौद्रिक आय के बराबर कर दिया जाय तो मुद्रा-स्फीति को रोका जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए देश के उत्पादन को अधिकाधिक मात्रा में बढ़ाना आवश्यक होता है। सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे उत्पादन को अधिकतम प्रोत्साहन मिले। यदि सरकार समझती है कि निजी उद्योगपति उत्पादन की मात्रा को पर्याप्त रूप में नहीं बढ़ाते तो उसे स्वयं सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) में नये-नये उद्योग-धन्धे स्थापित करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए।

(ख) व्यापार तथा कीमतों पर नियन्त्रण स्थापित करना—स्फीति को रोकने के लिए सरकार को कीमत नियन्त्रण (price control) की नीति अपनानी चाहिए, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को तो नियन्त्रित करना ही चाहिए। इसी प्रकार दुर्लभ आवश्यक वस्तुओं का राशनिंग (rationing) भी करना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्फीति को नियन्त्रण में रखने के लिए देश के विदेशी व्यापार का नियमन (regulation) भी आवश्यक है।

अवस्फीति (मुद्रा-संकुचन) (Deflation)

मुद्रा-अवस्फीति, मुद्रा-स्फीति की विपरीत दशा है। प्रो० क्राउथर (Crowther) के अनुसार, "मुद्रा-अवस्फीति वह अवस्था होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है अर्थात् कीमतें नीचे गिरती हैं।" प्रो० क्राउथर की परिभाषा देखने में तो सरल प्रतीत होती है, परन्तु दोषमुक्त नहीं है। प्रो० क्राउथर की परिभाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि कीमत-स्तर की प्रत्येक कमी मुद्रा-अवस्फीति होती है। परन्तु, वास्तव में, बात ऐसी नहीं है। कभी-कभी मुद्रा की मात्रा में बिना किसी प्रकार की कमी के कीमत-स्तर नीचे गिरने लगता है। अब कीमत-स्तर की गिरावट को मुद्रा अवस्फीति नहीं कहा जा सकता।

कुछ लेखकों ने मुद्रा-अवस्फीति की परिभाषा इस प्रकार की है—जब किसी देश में किसी विशेष समय पर मुद्रा की पूर्ति उसकी माँग से कम होती है तब इसे मुद्रा-अवस्फीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी देश में मुद्रा की मात्रा वहाँ की व्यावसायिक आवश्यकता से (अर्थात् मुद्रा की माँग से) कम होती है, तब उस देश में मुद्रा-अवस्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। वस्तुओं की कीमतें गिरने लगती हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ना आरम्भ हो जाता है। परन्तु इस परिभाषा में एक त्रुटि यह है कि देश की मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताओं का सही-सही अनुमान लगाना कठिन होता है।

मुद्रा-अवस्फीति की सर्वोत्तम परिभाषा प्रो० पीगू (Pigou) द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रो० पीगू के अनुसार, "मुद्रा-अवस्फीति कीमत-स्तर के गिरने की वह अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है, जबकि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में तेजी से बढ़ता है।" इस प्रकार प्रो० पीगू के अनुसार, "कीमत-स्तर की प्रत्येक कमी मुद्रा-अवस्फीति नहीं होती। मुद्रा-अवस्फीति की दशा तो तब उत्पन्न होती है जबकि देश का उत्पादन लोगों की मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है।" निम्न दशाओं में कीमतों की गिरावट अवस्फीतिक (deflationary) होती है

(1) यदि मौद्रिक आय घट जाती है, परन्तु उत्पादन की मात्रा यथास्थिर रहती है।

(2) यदि मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों ही कम हो जाते हैं, परन्तु मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से घटती है।

(3) यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, परन्तु मौद्रिक आय यथास्थिर रहती है।

(4) यदि उत्पादन की मात्रा तथा मौद्रिक आय दोनों बढ़ते हैं, परन्तु उत्पादन, मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है।

(5) यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और मौद्रिक आय घटती है।

मुद्रा-अवस्फीति के कारण (Causes of Deflation)

मुद्रा-अवस्फीति के कारण निम्नलिखित हैं

(1) मुद्रा की मात्रा में कमी—जब सरकार देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा को कम करती है तब देश में अवस्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी मुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहते हुए भी वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि हो जाने पर अवस्फीति उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण यह है कि विनिमयसाध्य (exchangeable) वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर मुद्रा की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है और कीमत-स्तर में कमी हो जाती है।

(2) करधान तथा सार्वजनिक ऋण—जब सरकार लोगों पर भारी कर लगाती है या बड़े पैमाने पर जनता से ऐच्छिक (voluntary) या अनिवार्य (compulsory) रूप में ऋण लेती है, तब देश में अवस्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण यह है कि करधान तथा ऋणों के कारण देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, जबकि उत्पादन की मात्रा यथास्थिर रहती है। इससे कीमतों में गिरावट आ जाती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है।

(3) बैंक-दर में वृद्धि—जब केन्द्रीय बैंक बैंक दर (bank-rate) को बढ़ा देता है तब इसके परिणामस्वरूप व्यापारिक बैंक भी अपनी-अपनी ध्याज की दरें बढ़ा देते हैं जिससे देश में साख की मात्रा में कमी हो जाती है। साख की मात्रा में कमी हो जाने से, कीमत-स्तर पर वही प्रभाव पड़ता है जो मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाने से, अर्थात् बैंक-दर को बढ़ा देने से देश में अवस्फीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(4) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)—जब केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है तब ऐसा करने से प्रचलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। कारण यह है कि सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए लोग केन्द्रीय बैंक को रुपये चुकाते हैं जिससे व्यापारिक बैंकों की अमा राशियाँ (deposits) कम हो जाती हैं। परिणामतः बैंकों की साख-निर्माण करने की शक्ति कम हो जाती है और साख मुद्रा का सकुचन हो जाता है।

(5) केन्द्रीय बैंक की अन्य साख-नियन्त्रण नीतियाँ—केन्द्रीय बैंक, बैंक दर तथा खुले बाजार की क्रियाओं के अतिरिक्त, देश में साख मुद्रा की मात्रा पर नियन्त्रण रखने के लिए अन्य उपायों को भी अपनाता है जैसे नकद-कोषों के अनुपात में परिवर्तन, साख का राशानिय, सीधी कार्यवाही इत्यादि। इन सभी उपायों का परिणाम यह होता है कि साख-मुद्रा की मात्रा सकुचित हो जाती है।

मुद्रा-अवस्फीति के प्रभाव (Effects of Deflation)

मुद्रा-अवस्फीति का देश के समूचे आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इससे विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं।

(1) उत्पादक वर्ग एवं व्यापारी वर्ग (Producers and Traders)—मुद्रा-अवस्फीति से उत्पादको तथा व्यापारियों को हानि होती है। उत्पादको को हानि तीन कारणों से होती है। प्रथम, उत्पादको की लागतें कीमतों में होने वाली कमी की तुलना में कम तेजी से घटती हैं। उदाहरणार्थ, लगान ब्याज तथा मजदूरी की दरों को उतनी तेजी से नहीं घटाया जा सकता जितनी तेजी से अवस्फीति-काल में कीमतें गिरती हैं। दूसरे, जब कोई उत्पादक, उत्पादन हेतु कच्चा माल खरीदता है तो इसके लिए उसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है परन्तु जब तैयारशुदा माल बिक्री हेतु बाजार में पहुँचता है तब तक कच्चे माल की कीमत और अधिक गिर जाती है और विवश होकर उत्पादक को अपने माल की कीमत घटानी पड़ती है। तीसरे, अवस्फीति-काल में वस्तुओं की माँग भी कम हो जाती है जिसके फलस्वरूप उत्पादको के पास माल का स्टॉक जमा होता रहता है और उनकी पूँजी अवरुद्ध (blocked) हो जाती है।

मुद्रा-अवस्फीति से व्यापारियों को इसलिए हानि होती है, क्योंकि माल खरीदने के समय तो कीमतें अधिक चुकानी पड़ती हैं, परन्तु जब तक वे अपने माल को बेचने में समर्थ होते हैं तब तक वस्तुओं की कीमतें और अधिक गिर जाती हैं। इसी प्रकार अवस्फीति-काल में किसानों को भी आर्थिक हानि होती है। वास्तव में, छोटे किसानों की हालत तो अत्यन्त शोचनीय हो जाती है।

(2) निवेशकर्ता वर्ग (Investors)—जैसा पूर्व कहा जा चुका है, निवेशकर्ता दो प्रकार के होते हैं—प्रथम, वे निवेशकर्ता जिनकी आय निश्चित तथा अपरिवर्तनशील होती है और दूसरे, वे निवेशकर्ता जिनकी आय परिवर्तनशील होती है। मुद्रा-अवस्फीति का प्रभाव इन दोनों निवेशकर्ताओं पर अलग-अलग पड़ता है। अपरिवर्तनशील आय वाले निवेशकर्ताओं को अवस्फीति से लाभ होता है। इसका कारण यह है कि उनकी आय तो यथास्थिर रहती है परन्तु कीमत-स्तर गिर जाता है। अतएव अपनी निश्चित आय से वे अब अधिक वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीद सकते हैं। इस प्रकार मिश्रित पूँजी कम्पनियों में ऋण-पत्रधारियों (debenture holders) तथा सरकारी बण्ड-धारियों (bond holders) को मुद्रा-अवस्फीति से विशेष लाभ होता है क्योंकि इन दोनों की आय निश्चित तथा अपरिवर्तनशील होगी है। इसके विपरीत परिवर्तनशील आय वाले निवेशकर्ताओं को अवस्फीति से हानि होती है। इसका कारण यह है कि अवस्फीति के कारण उनकी आय कम हो जाती है। उदाहरणार्थ, मिश्रित पूँजी कम्पनी के अशुधारियों (shareholders) को अवस्फीति से हानि होती है क्योंकि अवस्फीतिकाल में अंशों पर प्राप्त होने वाला लाभांश (dividend) कम हो जाता है।

(3) वेतनभोगी वर्ग व श्रमिक (Salaried and Labouring Classes)—मुद्रा-अवस्फीति से वेतनभोगी तथा श्रमिक वर्गों को लाभ होता है। इसका कारण यह है कि कीमतों में कमी हो जाने के साथ-साथ श्रमिकों की मजदूरियों में कमी करना आसान नहीं होता। श्रमिक संगठन मौद्रिक मजदूरी में की कमी कटौती का तीव्र विरोध करते हैं। इसी प्रकार वेतन-भोगी वर्ग के वेतनों में भी कटौती करना आसान नहीं होता। फलतः इन वर्गों को मुद्रा-अवस्फीति से लाभ होता है, क्योंकि इनकी मौद्रिक आय तो यथास्थिर रहती है जबकि वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं। परन्तु एक अन्य दृष्टिकोण से इन वर्गों को मुद्रा-अवस्फीति के कारण हानि भी होती है। इसका कारण यह है कि अवस्फीति के परिणामस्वरूप उत्पादको को घाटा होने लगता है जिससे भयभीत होकर वे उत्पादन कम कर देते हैं। कुछ व्यावसायिक संस्थान तो बिलकुल बन्द हो जाते हैं। इससे मजदूरों तथा वेतनभोगियों की छंटनी होती है बेरोजगारी बढ़ जाती है तथा मजदूरों में असन्तोष फैल जाता है। श्रमिक सघ प्रायः छंटनी का तीव्र विरोध करते हैं, जिससे हड़तालें व तालाबन्दियाँ होती हैं और देश में औद्योगिक अशान्ति फैल जाती है।

(4) उपभोक्ता वर्ग (Consumers)—मुद्रा-अवस्फीति से उपभोक्ताओं को प्रायः लाभ होता है। इसका कारण यह है कि वस्तुओं की कीमतों के गिर जाने से उपभोक्ता अब मुद्रा की प्रत्येक इकाई के बदले में अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उनकी

त्रय शक्ति बढ जाती है। परन्तु स्मरण रहे कि उपभोक्ता भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, वे उपभोक्ता जिनकी मौद्रिक आय अवस्फीतिकाल में स्थिर रहती है, जैसे वेतनभोगी कर्मचारी। दूसरे, वे उपभोक्ता जिनकी मौद्रिक आय परिवर्तनशील होती है और अवस्फीतिकाल में कम हो जाती है। मुद्रा-अवस्फीति से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को तो लाभ होता है, क्योंकि उनकी मौद्रिक आय में कोई कमी नहीं होती, परन्तु दूसरी श्रेणी के उपभोक्ताओं को अवस्फीति से हानि होती है, क्योंकि उनकी मौद्रिक आय कीमतों की तुलना में अधिक तेजी से नीचे गिरती है।

(5) ऋणी तथा ऋणदाता वर्ग (Debtors and Creditors)—मुद्रा-अवस्फीति से ऋण-दाता वर्ग को लाभ होता है जबकि ऋणी वर्ग को हानि होती है। ऋणदाता वर्ग को इसलिए लाभ होता है, क्योंकि ब्याज के रूप में उन्हें जो राशि प्राप्त होती है, मुद्रा-अवस्फीति के कारण उसकी त्रय-शक्ति बढ जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि अवस्फीतिकाल में ऋणी द्वारा मूलधन लौटा दिया जाता है तो ऋणदाता को वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में अधिक त्रय-शक्ति प्राप्त होती है। मुद्रा-अवस्फीतिकाल में ऋणदाताओं को इसलिए भी लाभ होता है क्योंकि ऐसे समय उपभोग के लिए ऋणों की माँग बढ जाती है और ऋणदाता मनचाही ब्याज की दरों पर ऋण देते हैं, परन्तु जैसा कहा गया है अवस्फीतिकाल में ऋणी वर्ग को बहुत हानि होती है, विशेषकर किसानों पर ऋण का बोझ अधिक हो जाता है।

मुद्रा-अवस्फीति के अन्य प्रभाव—उपर्युक्त प्रभावों के अतिरिक्त देश के आर्थिक जीवन पर मुद्रा-अवस्फीति के अन्य प्रभाव भी पड़ते हैं

(1) करों के भार में वृद्धि—अवस्फीतिकाल में करदाताओं को हानि होती है। यद्यपि मुद्रा के रूप में उन्हें सरकार को कम कर चुकाना पड़ता है लेकिन वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में उन पर कर का भार बढ जाता है। इसका कारण यह है कि कीमतों के गिर जाने से मुद्रा का मूल्य बढ जाता है।

(2) सरकारी ऋणों के भार में वृद्धि—मुद्रा का मूल्य बढ जाने से सरकार पर सार्वजनिक ऋणों का बोझ अधिक हो जाता है जिसका देश की समूची अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बजट सम्बन्धी घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को अधिक ऋण लेने पड़ते हैं।

(3) बैंकिंग व्यवस्था पर बुरा प्रभाव—अवस्फीतिकाल में बैंकों से ऋण लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो जाती है। व्यापार में मन्दी के कारण बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की मात्रा गिर जाती है। अतः अवस्फीतिकाल बैंकों के लिए सकट का काल होता है।

(4) विदेशी व्यापार पर प्रभाव—अवस्फीतिकाल में आन्तरिक कीमत-स्तर के गिर जाने से निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है, परन्तु विदेशों से आने वाले आयात कम हो जाते हैं। इससे देश का अदायगी शेष (balance of payments) अनुकूल हो जाता है, और देशी मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ जाता है।

(5) रोजगार पर प्रभाव—अवस्फीतिकाल में कीमतों में कमी हो जाने के कारण उत्पादकों को हानि होने लगती है जिससे वे उत्पादन की मात्रा को कम कर देते हैं। कुछ संस्थान बन्द हो जाते हैं, मजदूरों की छँटनी होती है और देश में बेरोजगारी फैल जाती है।

(6) सामाजिक तथा नैतिक दुष्परिणाम—अवस्फीतिकाल में मजदूरों तथा कारखानेदारों में प्रायः झगड़े होते रहते हैं जिससे देश की औद्योगिक शान्ति भंग हो जाती है। राष्ट्रीय विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं तथा समूचे देश का आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

अतः मुद्रा-अवस्फीति समाज के लिए अत्यन्त हानिकारक होती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का तो यह मत है कि मुद्रा-स्फीति (inflation) की तुलना में मुद्रा-अवस्फीति (deflation) अधिक हानिकारक होती है। वास्तव में, देश के आर्थिक विकास के लिए मुद्रा-स्फीति और मुद्रा-अवस्फीति दोनों ही हानिकारक हैं, क्योंकि इन दोनों का ही देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देश के आर्थिक विकास के लिए कीमत-स्तर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव (fluctuations) हानिकारक सिद्ध होते हैं।

मुद्रा-अवस्फीति को रोकने के उपाय (Measures To Check Deflation)

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, मुद्रा-अवस्फीति देश की अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देती है। अतः सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयत्न किये जाने चाहिए। मुद्रा-अवस्फीति को रोकने के लिए निम्नलिखित तीन उपाय किये जाते हैं।

(1) मौद्रिक उपाय (Monetary Measures)—मुद्रा-अवस्फीति को रोकने के लिए निम्न दो प्रकार के मौद्रिक उपायों को अपनाया चाहिए।

(क) मुद्रा का अधिक निर्गमन—यदि देश में उत्पादन के अत्यधिक बढ़ जाने से मुद्रा अवस्फीति की दशा उत्पन्न हो गयी है तो केन्द्रीय बैंक को अधिक मात्रा में मुद्रा निर्गमन करना चाहिए। इससे कीमत-स्तर में सुधार किया जा सकता है।

(ख) साख-मुद्रा का विस्तार—मुद्रा-अवस्फीति के समय देश के केन्द्रीय बैंक को अपनी बैंक-दर घटाकर तथा खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदकर साख-मुद्रा का विस्तार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों को भी अधिक साख-विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

(2) राजकोषीय उपाय (Fiscal Measures)—अवस्फीतिकाल में सरकार द्वारा निम्नलिखित राजकोषीय उपायों का अपनया जाना चाहिए।

(क) करों में कमी—अवस्फीति का सामना करने के लिए सरकार को करों की सहायता तथा भार में कमी करनी चाहिए। इससे उत्पादकों का लाभ बढ़ जाता है और वे उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इससे बेरोजगारी कम हो जाती है। रोजगार की स्थिति में सुधार होने से जनता की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग में वृद्धि होती है और अन्ततः कीमतों को अधिक नीचे गिरने से बचाया जा सकता है।

(ख) सार्वजनिक व्यय में वृद्धि—अवस्फीति में सरकार को यथासम्भव राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी योजनाओं पर अधिकाधिक व्यय करना चाहिए। इससे एक ओर तो रोजगार की मात्रा में वृद्धि होती है और दूसरी ओर लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है। स्वर्गीय प्रेसीडेंट रूजवेल्ट (President Roosevelt) ने अमरीका में मन्दी को रोकने के लिए सार्वजनिक व्यय में काफी वृद्धि की थी।

(ग) ऋणों का भुगतान—अवस्फीति में सरकार को यथासम्भव सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करना चाहिए। इससे प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और मन्दी को रोकने में सहायता मिलती है।

(घ) आर्थिक सहायता—अवस्फीति में उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए ताकि देश में रोजगार की मात्रा को बढ़ाया जा सके।

(3) अन्य उपाय—अवस्फीति को रोकने के लिए उपर्युक्त मौद्रिक तथा राजकोषीय उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी किये जाने चाहिए।

(क) देश के निर्यातों को प्रोत्साहन देना तथा आयातों को कम करना—चूँकि अवस्फीतिकाल में देश में अति-उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए ऐसे समय पर सरकार को यथासम्भव निर्यातों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ आयात पर नियन्त्रण भी रखना चाहिए ताकि देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में वृद्धि न हो सके।

(ख) अतिरिक्त उत्पादन को नष्ट किया जाय—कीमतों में वृद्धि करने के लिए यह भी आवश्यक है कि अतिरिक्त उत्पादन (surplus production) को नष्ट कर दिया जाय ताकि वस्तुओं की पूर्ति में कमी हो और अन्ततः कीमतों में वृद्धि हो जाय। इससे तत्काल तो उत्पादकों को हानि होती है, परन्तु बाद में चलकर जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो उनकी इस हानि की पूर्ति हो जाती है।

मुद्रा-स्फीति बनाम मुद्रा-अवस्फीति (Inflation vs Deflation)

कमी-रूमी यह प्रश्न किया जाता है कि मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-अवस्फीति में से कौन श्रेष्ठ है? जैसा हमने ऊपर देखा है, स्फीतिकाल में उत्पादकों, कुछ प्रचार के निवेशकर्ताओं तथा ऋणियों को लाभ होना है। इसके विपरीत, अधिकांश निवेशकर्ताओं, श्रमिकों, वेतनभोगियों, उपभोक्ताओं को हानि होती है। अवस्फीतिकाल में निश्चित तथा अपरिवर्तनीय आय वाले निवेशकर्ताओं उपभोक्ताओं तथा ऋणदाताओं को लाभ होना है। परन्तु अन्य निवेशकर्ताओं, उत्पादकों, श्रमिकों तथा व्यापारियों को हानि होती है। अवस्फीति में उपभोक्ताओं को तो लाभ होना है, परन्तु उद्योग-धन्धे बन्द हो जाने में देश में बेकारी फैल जाती है। स्फीतिकाल में उत्पादकों तथा व्यापारियों को तो लाभ होना है परन्तु उपभोक्ताओं को बहुत हानि होती है और देश में औद्योगिक अमान्ति फैलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-अवस्फीति दोनों ही हानिकारक हैं। प्रो० केन्ज के मतानुसार, 'मुद्रा स्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा-अवस्फीति अनुपयुक्त है।'¹

प्रो० केन्ज ने ठीक ही कहा है कि मुद्रा-स्फीति अन्यायपूर्ण होती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं

(1) जब सरकार वज्रट सम्बन्धी घाटे को पूरा करने के लिए नयी मुद्रा का निर्गमन करती है तब यह नीति एक प्रकार से लोगों पर अदृश्य कराधान (invisible taxation) होती है क्योंकि इनसे वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और उपभोक्ता उनके उपभोग से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार मुद्रा-स्फीति वस्तुओं तथा सेवाओं को जनता से छीनकर सरकार को दे देती है। स्पष्टतः यह अयायपूर्ण है।

(2) मुद्रा-स्फीति का भार प्रायः समाज के निचले वर्गों पर पड़ता है जो उसे सहन कर सकने में समर्थ नहीं होते। इसका कारण यह है कि मुद्रा-स्फीति के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि होती है और इस प्रकार उन पर अधिक बोझ पड़ता है। चूंकि मुद्रा-स्फीति का बोझ धनिकों की अपेक्षा निम्नों पर अधिक पड़ना है, इसलिए यह अन्यायपूर्ण है।

(3) मुद्रा स्फीति से देश में एक प्रकार की कृत्रिम सम्पन्नता (artificial prosperity) उत्पन्न हो जाती है। जब किसी देश में एक बार मुद्रा-स्फीति उत्पन्न हो जाती है तब वह आगे चलकर और अधिक स्फीति को जन्म देती है। इस प्रकार कीमत स्तर में वृद्धि होती चली जाती है और कुछ समय पश्चात् कीमतों की यह वृद्धि अपनी उच्चतम सीमा तक पहुँच जाती है। इससे देश की अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने लगती है और विवश होकर सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिनसे देश में अवस्फीतिक प्रवृत्तियाँ (deflationary tendencies) उत्पन्न होने लगती हैं और कीमत-स्तर में गिरावट आने लगती है। इस प्रकार देश में मुद्रा-अवस्फीति के सभी दुःपरिणाम दृष्टिगोचर होने लगते हैं। कीमत-स्तर में होने वाले इस प्रकार के परिवर्तनों से देश की आर्थिक स्थिरता का अन्त हो जाता है। स्पष्टतः यह परिस्थिति देश के कुछ वर्गों के लिए न्यायोचित नहीं होती।

प्रो० केन्ज ने मुद्रा-स्फीति को यदि अन्यायपूर्ण कहा है तब मुद्रा-अवस्फीति को अनुपयुक्त भी कहा है। इसके निम्न कारण हैं

(1) प्रो० केन्ज के अनुसार, मुद्रा-स्फीति से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। यह ठीक है कि मुद्रा-अवस्फीति में वेतनभोगियों मजदूरों तथा निश्चित आय वाले उपभोक्ताओं को लाभ होता है, परन्तु इसके साथ ही साथ मुद्रा-स्फीति से देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल जाती है। उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है। मजदूरों, निवेशकर्ताओं, उत्पादकों तथा व्यापारियों को हानि होने लगती है और यह हानि कुछ वर्गों को होने वाले लाभ की अपेक्षा

1 "Inflation is unjust, deflation is inexpedient"—Keynes

अधिक होती है। अवस्फीति के सामाजिक तथा नैतिक परिणाम भी अत्यन्त गम्भीर होते हैं। इसलिए इसे अनुपयुक्त नीति समझा जाता है।

(2) मुद्रा-अवस्फीति इसलिए भी अनुपयुक्त है, क्योंकि जब एक बार किसी देश में इसकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है तब इसको नियन्त्रित करना कठिन हो जाता है और मुद्रा-अवस्फीति की यह प्रवृत्ति निरन्तर जारी रहती है। इससे कीमतों में अत्यधिक कमी हो जाती है तथा समूचे समाज को हानि होती है।

देखने में तो मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-अवस्फीति दोनों ही बुरी हैं, किन्तु यदि दोनों में से किसी एक को चुनना है तो फिर अवस्फीति की अपेक्षा स्फीति को ही वरीयता (Preference) दी जानी चाहिए। इसका कारण यह है कि अवस्फीति के परिणाम अधिक भयंकर होते हैं। इससे उद्योग-धन्धे ठप हो जाते हैं, समूचे देश में बेरोजगारी फैल जाती है, औद्योगिक शान्ति भंग हो जाती है तथा समूचे समाज का नैतिक पतन होने लगता है। इसीलिए प्रो० केन्ज ने कहा है कि सरकार को किसी भी परिस्थिति में अवस्फीति की नीति नहीं अपनानी चाहिए।

मुद्रा-प्रत्यवस्फीति

(Reflation)

मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-प्रत्यवस्फीति एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं। प्रो० कोल (Cole) के अनुसार, "जब मन्दी के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा का विस्तार किया जाता है, तब उसे मुद्रा-प्रत्यवस्फीति कहते हैं।" दूसरे शब्दों में, मुद्रा-प्रत्यवस्फीति एक प्रकार से नियन्त्रित मुद्रा-स्फीति (controlled inflation) होती है। जब कभी मुद्रा-अवस्फीति इतनी अधिक मात्रा में हो जाती है कि वस्तुओं की कीमतें बहुत नीचे गिर जाती हैं, तब देश की अर्थ-व्यवस्था को गम्भीर परिणामों से बचाने के लिए सरकार मुद्रा-प्रत्यवस्फीति का आश्रय लेती है, अर्थात् सरकार कीमतों को फिर से ऊपर उठाने के लिए मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्गमन करने लगती है। इससे कीमत-स्तर को पुनः सामान्य स्तर पर वापस लाया जा सकता है।

मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-प्रत्यवस्फीति में अन्तर

(Difference Between Inflation and Reflation)

जैसा ऊपर कहा गया है, मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा-प्रत्यवस्फीति एक-दूसरे से बहुत मिलते-जुलते हैं। दोनों के अन्तर्गत देश में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है और दोनों के ही परिणाम-स्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है। लेकिन फिर भी दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर है

(1) मुद्रा-स्फीति ऐच्छिक होने के साथ-साथ प्राकृतिक कारणों से भी उत्पन्न होती है, परन्तु मुद्रा-प्रत्यवस्फीति तब ही ऐच्छिक होती है अर्थात् मुद्रा-प्रत्यवस्फीति की नीति एक पूर्व योजना के अनुसार अपनायी जाती है। मुद्रा-स्फीति भी योजना के अनुसार अपनायी जा सकती है, परन्तु यह कभी-कभी प्राकृतिक कारणों से भी उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ, यदि वैश्वी विपत्तियों के कारण देश में कृषि-उत्पादन की मात्रा गिर जाती है तो इससे मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न हो सकती है, परन्तु मुद्रा-प्रत्यवस्फीति में ऐसा नहीं होता। यह तो एक निश्चित नीति के रूप में सरकार द्वारा अपनायी जाती है।

(2) मुद्रा-स्फीति व्यापार-चक्र के तेजीकाल में होती है, जबकि मुद्रा-प्रत्यवस्फीति व्यापार चक्र के उद्धारकाल (recovery stage) में होती है। इसका अभिप्राय यह है कि मुद्रा-प्रत्यवस्फीति पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व उत्पन्न होती है, जबकि मुद्रा स्फीति पूर्ण रोजगार के बिन्दु के उपरान्त दृष्टिगोचर होती है।

(3) मुद्रा-स्फीति के अन्तर्गत वस्तुओं की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, जबकि मुद्रा-प्रत्यवस्फीति के अन्तर्गत कीमतें धीरे-धीरे ऊपर उठती हैं।

(4) मुद्रा-स्फीति पर यदि उचित नियन्त्रण न रखा जाय तो यह देश की अर्थ-व्यवस्था

को चौपट कर देती है जबकि मुद्रा प्रत्यवस्फीति देश की अस्त व्यस्त अथ व्यवस्था में सुधार करती है।

मुद्रा अपस्फीति (Disinflation)

दूसरे विश्व युद्ध के बाद से मुद्रा-अपस्फीति शब्द का अधिक प्रचलन होने लगा है। जिस प्रकार मुद्रा-अवस्फीति के सुधार को मुद्रा प्रत्यवस्फीति कहते हैं उसी प्रकार मुद्रा-स्फीति के सुधार को मुद्रा-अपस्फीति कहते हैं। जब किसी देश में मुद्रा स्फीति अत्यधिक मात्रा में हो जाती है और कीमत बहुत ऊँची हो जाती हैं तब इस प्रकार की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार मुद्रा अपस्फीति की नीति का आश्रय लेती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगभग सभी देशों में अत्यधिक मुद्रा-स्फीति के कारण कीमतें बहुत बढ़ गयी थीं। अतः उनको नीचे लाने के लिए विभिन्न सरकारों ने मुद्रा-अपस्फीति की नीति को अपनाया था। इस प्रकार जब मुद्रा स्फीति उग्र रूप धारण कर लेती है और कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है तब उस नीति को, जिससे कीमतों को अत्यधिक वृद्धि को कम करके सामान्य स्तर पर लाया जाता है मुद्रा-अपस्फीति कहते हैं।

मुद्रा-अवस्फीति तथा मुद्रा-अपस्फीति में अन्तर (Difference Between Deflation and Disinflation)

देखने में मुद्रा-अवस्फीति तथा मुद्रा-अपस्फीति में समानता पायी जाती है। दोनों के ही अतगत मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और दानों के ही कारण कीमतों में कमी हो जाती है। परन्तु इस समानता के होते हुए भी दोनों में कई महत्वपूर्ण अन्तर हैं।

(1) मुद्रा अवस्फीति ऐच्छिक भी होती है तथा प्राकृतिक कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है जबकि मुद्रा-अपस्फीति सदैव ऐच्छिक होती है प्राकृतिक कारणों से नहीं अर्थात् मुद्रा अवस्फीति प्राकृतिक कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि किसी वय देश में अत्यधिक कृषि उत्पादन के कारण कीमतें गिर जाती हैं तो देश में अवस्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है परन्तु यह अवस्फीति प्राकृतिक कारणों से होनी है। मुद्रा-अवस्फीति एक निश्चित सरकारी नीति के कारण भा हो सकती है परन्तु मुद्रा-अपस्फीति सदैव निश्चित सरकारी नीति का ही परिणाम होती है। यह प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न नहीं होनी।

(2) मुद्रा अपस्फीति के अतगत वामतो को सामान्य स्तर तक घटाया जाता है जबकि मुद्रा-अवस्फीति के अतगत कीमतें सामान्य स्तर से भी नीचे गिर जाती हैं।

(3) मुद्रा अपस्फीति की नीति उस समय अपनाई जाती है जबकि मुद्रा स्फीति उग्र रूप धारण कर लेती है अर्थात् मुद्रा-अपस्फीति की नीति मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अपनायी जाती है जबकि मुद्रा-अवस्फीति की नीति का उपयोग मूल्य स्फीति से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है।

(4) मुद्रा-अवस्फीति के अतगत उत्पादन के घट जाने से देश में बेकारी फैल जाती है परन्तु मुद्रा अपस्फीति में इस प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। इसका कारण यह है कि अपस्फीति अपनाते समय सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि देश में बेरोजगारी न फैलने पाये।

मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन (Changes in the Value of Money)

मुद्रा के मूल्य परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रायः तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है—मूल्य वृद्धि, मूल्य ह्रास और अवमूल्यन। अब हम तीनों के अर्थों का अलग-अलग अध्ययन करेंगे।

मुद्रा की मूल्य वृद्धि (Appreciation of Money)—जब मुद्रा का आन्तरिक मूल्य बढ़ जाता है अर्थात् मुद्रा की प्रत्येक इकाई पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने में समर्थ हो जाती है तब इसे मुद्रा की मूल्य-वृद्धि कहते हैं। स्मरण रहे कि मुद्रा मूल्य में वृद्धि तभी होती है जब वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें गिर जाती हैं। इस प्रकार मुद्रा की मूल्य वृद्धि

अवस्फीति तथा अपस्फीति काल में होती है। इसका कारण यह है कि इन दोनों के अन्तर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें गिर जाती हैं।

मुद्रा का मूल्य ह्रास (Depreciation of Money)—मुद्रा का मूल्य-ह्रास, मूल्य वृद्धि की विपरीत दशा है। जब मुद्रा का आन्तरिक मूल्य गिर जाता है और मुद्रा की प्रत्येक इकाई पहले की अपेक्षा वस्तुओं तथा सेवाओं को कम मात्रा में खरीबने में समर्थ होती है, तब इसे मुद्रा का मूल्य-ह्रास कहते हैं। स्मरण रहे कि मुद्रा का मूल्य-ह्रास उस समय होता है जब वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस प्रकार मुद्रा के मूल्य का ह्रास स्फीति तथा प्रत्यवस्फीति-काल में होता है। इसका कारण यह है कि इन दोनों के अन्तर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है। उदाहरणार्थ, भारत में दीर्घकालीन स्फीति के परिणामस्वरूप रुपये के मूल्य में अत्यधिक ह्रास हुआ है।

मुद्रा का अवमूल्यन (Devaluation of Money)—मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय मुद्रा के बाह्य मूल्य की कमी से होता है। जब सरकार मुद्रा का बाहरी मूल्य कम कर देती है, तब इसे मुद्रा-अवमूल्यन कहते हैं। मुद्रा-अवमूल्यन का परिणाम यह होता है कि देश की एक मुद्रा इकाई के बदले में कम विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगती है। परन्तु स्मरण रहे कि मुद्रा के अवमूल्यन से मुद्रा के आन्तरिक मूल्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात् मुद्रा का आन्तरिक मूल्य पथास्थिर रहता है। इस प्रकार मुद्रा के अवमूल्यन से बावजूद भी मुद्रा की एक इकाई के बदले में उतनी ही वस्तुएँ तथा-सवाएँ उपलब्ध होती हैं जितनी कि अवमूल्यन से पहले होती थी। अतः मुद्रा के अवमूल्यन का आन्तरिक कीमत-स्तर पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। सितम्बर 1949 में ग्रेट ब्रिटेन ने अपना पौण्ड का मूल्य डालर के रूप में कम कर दिया था। इस अवमूल्यन के परिणाम-स्वरूप डालर में पौण्ड का मूल्य 30.5 प्रतिशत कम हो गया था। पौण्ड के अवमूल्यन के तुरन्त बाद स्टम्बिंग क्षेत्र के अन्य देशों ने भी अपनी मुद्राओं का डालर के रूप में मूल्य कम कर दिया था। भारत ने भी उसी समय अपने रुपये का मूल्य डालर के रूप में 30.5 प्रतिशत कम कर दिया था। इस प्रकार भारतीय रुपया जो पहले 30 अमरीकी सेंटों (Cents) के बराबर होता था, अब केवल 21 सेंटों के बराबर ही रह गया। भारतीय रुपये के अवमूल्यन के सम्बन्ध में आगे चलकर विस्तार से बताया जायगा।

मुद्रा-अवमूल्यन तथा मुद्रा-ह्रास में अन्तर

(Difference Between Devaluation And Depreciation)

मुद्रा अवमूल्यन तथा मुद्रा-ह्रास में कोई विशेष अन्तर तो नहीं होता, परन्तु दोनों की कार्य विधियाँ अलग अलग होती हैं। मूल्य ह्रास के अन्तर्गत मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में कमी होती है परन्तु मुद्रा-अवमूल्यन के अन्तर्गत मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी की जाती है। स्मरण रहे कि मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में कम होने से कुछ समय पश्चात् उसका बाह्य मूल्य भी कम हो जाता है यद्यपि मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना मूल्य ह्रास का उद्देश्य नहीं होता। इसी प्रकार मुद्रा अवमूल्यन के कारण कुछ समय पश्चात् मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में भी कमी हो जाती है। इसका कारण यह होता है कि मुद्रा-अवमूल्यन के परिणामस्वरूप निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और इसके फलस्वरूप देश में वस्तुओं की माँदा कम हो जाती है और अन्ततः कीमतों में वृद्धि हो जाती है। इससे मुद्रा का आन्तरिक मूल्य भी कम हो जाता है। वास्तव में प्रत्येक परिस्थिति में मुद्रा के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्य एक साथ ही घटते हैं, परन्तु मुद्रा ह्रास तथा मुद्रा-अवमूल्यन अलग अलग रीतियों से इस कार्य को सम्पन्न करते हैं।

मुद्रा-अवमूल्यन के उद्देश्य

(Objectives of Devaluation)

मुद्रा अवमूल्यन निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है

(1) देश के प्रतिकूल अदायगी शेष में सुधार करना—वास्तव में, मुद्रा-अवमूल्यन का यह प्रमुख उद्देश्य है कि जब किसी देश के विदेशी व्यापार में घाटा होता है, अर्थात् जब देश का अदायगी शेष (balance of payments) प्रतिकूल हो जाता है, तब सरकार को विवश होकर मुद्रा-अवमूल्यन का आश्रय लेना पड़ता है। इसका कारण यह है कि मुद्रा-अवमूल्यन से निर्यातों को प्रोत्साहन

मिलता है और आयात कम हो जाते हैं। इस तरह-मुद्रा अवमूल्यन द्वारा अदायगी-शेष की प्रति-कूलता को दूर अथवा कम किया जा सकता है।

(2) देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करना—कभी-कभी देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए भी मुद्रा-अवमूल्यन का आश्रय लिया जाता है। इसका कारण यह है कि मुद्रा-अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशों से आयात किया गया माल देश में महंगा हो जाता है। इससे घरेलू उद्योगों को संरक्षण (protection) मिल जाता है और वे विदेशी प्रतियोगिता के भय से मुक्त होकर विकसित होने लगते हैं।

(3) विदेशों से पूंजीगत माल प्राप्त करने के लिए—जब किसी देश को पूंजीगत माल का निरन्तर आयात करना पड़ता है तब वह मुद्रा-अवमूल्यन का आश्रय लेता है ताकि इससे देश के निर्यात प्रोत्साहित हो और वह देश अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा सके और इस प्रकार विदेशी सिक्कों में आयातित माल का भुगतान कर सके।

(4) मुद्रा के अतिमूल्यन की वृद्धि में सुधार करने के लिए—कभी-कभी कोई देश किसी कारणवश अपनी मुद्रा को उचित से अधिक मात्रा में मूल्य दे देता है, परन्तु आगे चलकर यह अनुभव किया जाता है कि मुद्रा के अतिमूल्यन से देश के आयातों में वृद्धि तथा निर्यातों में कमी होने लगी है और देश का अदायगी-शेष प्रतिकूल हो गया है। तब इस वृद्धि का सुधार करने के लिए मुद्रा-अवमूल्यन का आश्रय लिया जाता है और इसकी सहायता से अदायगी-शेष को अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

उचित मौद्रिक नीति

(Proper Monetary Policy)

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, मुद्रा के मूल्य में अधिक परिवर्तनों के कारण देश के उद्योगों तथा व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः देश की आर्थिक प्रगति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि मुद्रा के मूल्य पर उचित नियंत्रण रखा जाय ताकि इसमें अत्यधिक परिवर्तन न हो सकें। ऐसा करने के लिए प्रत्येक देश को एक उचित मौद्रिक नीति अपनानी पड़ती है। किसी भी देश की मौद्रिक नीति के तीन मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं

(1) कीमत-स्तर में स्थिरता (Stability of the Price level) आजकल अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मन है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश के कीमत स्तर में स्थिरता बनाये रखना होना चाहिए, अर्थात् इसका उद्देश्य देश के आन्तरिक सन्तुलन (internal equilibrium) को बनाये रखना होना चाहिए। इसका कारण यह है कि कीमत स्तर की अस्थिरता के परिणामस्वरूप देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतएव देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कीमत स्तर में स्थिरता बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। परन्तु कीमत-स्तर में स्थिरता बनाये रखने की नीति के विरुद्ध आलोचकों द्वारा निम्न लिखित बातें कही जाती हैं

(क) किन्तु कीमतों में स्थिरता लायी जाय? कीमत-स्थिरता की नीति के विरुद्ध यह आपत्ति की जाती है कि यह नीति स्पष्ट रूप से यह नहीं बताती कि कौन सी कीमतों में स्थिरता लायी जाय। क्या थोक-कीमतों (wholesale prices) में स्थिरता स्थापित की जाय अथवा फुटकर-कीमतों (retail prices) में? क्या उपभोग्य-वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता लायी जाय या उत्पादक-वस्तुओं की कीमतों में? इसके अलावा, एक अन्य कठिनाई यह भी है कि जब तक कीमतों में सापेक्षिक स्थिरता न हो तब तक सामान्य कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित करना अर्थहीन होता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या कीमतों में सापेक्षिक स्थिरता स्थापित की जाय? अतः इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आलोचकों के अनुसार मौद्रिक नीति का उद्देश्य कीमत स्थिरता नहीं होना चाहिए।

(ख) कीमतों में परिवर्तन आर्थिक जीवन के परिवर्तनों का परिणाम होते हैं—आलोचकों के अनुसार जब किसी देश में उत्पादन तथा अन्य आर्थिक परिस्थितियाँ अस्त-व्यस्त हो जाती हैं तब इनके फलस्वरूप ही कीमत-स्तर में परिवर्तन होते हैं। दूसरे शब्दों में, आर्थिक जीवन की अस्त-व्यस्तता के कारण ही कीमतों में परिवर्तन होते हैं, अर्थात् आर्थिक जीवन की अस्त-व्यस्तता

ही कीमतों में परिवर्तन का कारण होती है। चूंकि कीमतों में होने वाले परिवर्तन देश के आर्थिक जीवन में हुए परिवर्तनों का ही परिणाम होते हैं, इसलिए कीमतों में स्थिरता स्थापित करने की मौद्रिक नीति से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता।

(ग) कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित करना कठिन है—कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित करने के लिए एक ओर तो मुद्रा की पूर्ति को यथास्थिर रखना चाहिए और दूसरी ओर वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों बातें ही कठिन हैं, लगभग असम्भव हैं। यदि मुद्रा की पूर्ति को यथास्थिर रख भी लिया जाय तो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को यथास्थिर रखना असम्भव है। अतएव कीमत-स्तर में पूर्ण स्थिरता स्थापित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(घ) कीमत-स्तर में स्थिरता सदैव वाछनीय नहीं होती—प्रो० केन्ज के अनुसार, “पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व तो कीमत-स्तर में स्थिरता होनी ही नहीं चाहिए।” इसका कारण यह है कि यदि पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित हो जाती है तो इससे पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पूर्ण रोजगार की दशा को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में थोड़ी-सी कीमत-वृद्धि होती रहे। इससे उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अतः पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व कीमत-स्तर में स्थिरता देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए वाछनीय नहीं होती।

(2) विनिमय स्थिरीकरण (Exchange Stabilisation)—कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश के बाह्य सन्तुलन (external equilibrium) को बनाये रखना होना चाहिए अर्थात् इसका मुख्य उद्देश्य देश की विनिमय-दर में स्थिरता स्थापित करना होना चाहिए। विनिमय दर को जो शक्तियाँ अस्थिर बनाती हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि देश की विनिमय-दर में होने वाले साधारण परिवर्तनों को आन्तरिक कीमत-स्तर के साथ समायोजित (adjust) कर दिया जाय। लेकिन विनिमय दर में भारी उच्चावचन (fluctuations) न होने दिये जायें। विनिमय-दर में होने वाली उथल-पुथल से कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। प्रथम, विदेशी विनिमय बाजार में सट्टे की प्रवृत्ति आरम्भ हो जाती है और इससे देश की साख की धक्का-पड़कत है। दूसरे, विनिमय-दर में भारी उथल-पुथल से विदेशी पूंजीपतियों का विश्वास उठ जाता है और वे देश में लगी अपनी पूंजी को स्वदेश वापस ले जाना आरम्भ कर देते हैं अथवा उन देशों में लगाते हैं जहाँ विनिमय-दर स्थिर होती है। तीसरे, देश की विनिमय-दर में होने वाले साधारण परिवर्तनों का भी आन्तरिक कीमत स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

अतः उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाता है कि देश की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विनिमय-दर की स्थिरता को बनाये रखना होना चाहिए। यह नीति विशेषकर उन देशों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है जो प्रत्यक्ष विदेशी व्यापार पर निर्भर रहते हैं, अथवा जिनकी अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह नीति उन देशों के लिए भी लाभप्रद है जो आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त, विनिमय-दर की स्थिरता से अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग बढ़ता है और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है।

यद्यपि विनिमय-स्थिरीकरण (exchange stabilisation) का उद्देश्य सराहनीय है और स्वर्णमान के अन्तर्गत इसे अपनाया भी गया था, लेकिन इन नीतियों में एक गम्भीर त्रुटि भी पायी जाती है। इसके अन्तर्गत, आन्तरिक कीमत-स्तर में सदैव अस्थिरता बनी रहती है। यहाँ पर यह बताने की आवश्यकता नहीं कि आन्तरिक कीमत-स्तर की अस्थिरता के जितने गम्भीर परिणाम होते हैं।

(3) आय-स्थिरीकरण (Income Stabilisation)—कुछ अर्थशास्त्रियों (जिनमें प्रो० आर० जी० हार्डे प्रमुख हैं) ने सुझाव दिया है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आय स्थिरता (income stability) होना चाहिए। इन अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि व्यापार-चक्र विभुद्धत मौद्रिक कारणों से होता है। इसी व्यापार-चक्र के कारण ही लोगों की आय में परिवर्तन होते

रहते हैं। यदि व्यापार-चक्र की क्रियाशीलता को काबू में रखा जाय तो आय में स्थिरता स्थापित की जा सकती है। उनके मतानुसार व्यापार-चक्र की क्रियाशीलता को नियन्त्रित करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि साख की मात्रा को नियमित (regulate) किया जाय। उनका कहना है कि देश को साख के अति-प्रसार (over-expansion) से तो प्रत्येक दशा में बचना चाहिए। इसी प्रकार यदि देश में अवस्फीतिक प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं तो बैंकिंग प्रणाली को साख-विस्तार की नीति अपनानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि लोगो द्वारा मुद्रा-सग्रह (money-hoarding) कर लिया जाता है और उसके फलस्वरूप आय एवं रोजगार के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में बैंकों को साख-विस्तार कर आय एवं रोजगार के पुराने स्तर को बनाये रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, साख-विस्तार एव साख सकुचन के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को आय-स्तर में स्थिरता बनाये रखनी चाहिए।

विन्दु मौद्रिक नीति के इस उद्देश्य की दो आधाराएँ पर आलोचना की गयी है। प्रथम, यदि आय के वर्तमान स्तर को स्थिर बना दिया जाय तो इससे रोजगार का वर्तमान स्तर स्वतः ही स्थिर हो जायगा। लेकिन रोजगार का वर्तमान स्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसमें बहुत-सी बेरोजगारी भी निहित है और उसका स्थिरीकरण करना उचित न होगा। दूसरे, आय के वर्तमान स्तर का स्थिरीकरण उचित नीति नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय आय का वर्तमान वितरण अन्यायपूर्ण है, अर्थात् विभिन्न वर्गों में इसका बँटावरा न्याय पर आधारित नहीं है। यदि इसे स्थिर बना दिया जाय तो गरीबों के प्रति घोर अन्याय होगा।

(4) तटस्थ-मुद्रा की नीति (Policy of Neutrality of Money)—तटस्थ मुद्रा की नीति का सुझाव सर्वप्रथम प्रो० विकस्टीड (Wicksteed) ने प्रस्तुत किया था। प्रो० हायक (Hayek) ने इसका समर्थन किया है। उनके अनुसार, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों के परिणाम-स्वरूप ही देशों के आर्थिक जीवन में अस्थिरता उत्पन्न होती है, इसलिए यदि देशों में आर्थिक स्थिरता को बनाये रखना है तो मुद्रा की मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात् मुद्रा को विलकुल तटस्थ (neutral) कर देना चाहिए। इसी कारण प्रो० हायक के मतानुसार, बैंकों को मुद्रा तथा साख की मात्रा को यथास्थिर रखना चाहिए। यदि देश का उत्पादन बढ़ जाता है तो मुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहने के कारण कीमत-स्तर में श्वष्य ही गिरावट होगी। मुद्रा की मात्रा में केवल उसी समय वृद्धि की जानी चाहिए जब जनता द्वारा मुद्रा-सग्रह (money hoarding) के कारण प्रचलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है या किसी कारणवश मुद्रा के संचलन-वेग में कमी हो जाती है। तटस्थ मुद्रा के विरोध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं।

(क) व्यावहारिक जीवन में मुद्रा की मात्रा को यथास्थिर बनाये रखना अत्यन्त कठिन होता है। इसका कारण यह है कि अर्थशास्त्रियों के पास इस समय कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वे लोगो द्वारा किये गये मुद्रा-सग्रह का सही-सही अनुमान लगा सकें और न ही उनके पास कोई ऐसी विधि है जिससे वे मुद्रा के संचलन-वेग के बारे में सही-सही जानकारी प्राप्त कर सकें। अतः, जैसा कहा गया है, मुद्रा की मात्रा को यथास्थिर बनाये रखना असम्भव है।

(ख) आलोचकों का कहना है कि देश में निवेश (investment) को प्रोत्साहित करने के लिए कीमत-स्तर में साधारण वृद्धि अनिवार्य होती है। अतः तटस्थ मुद्रा की नीति उपयुक्त नहीं है।

(ग) प्रो० हैन्सन (Hansen) के अनुसार, एकाधिकार तथा औद्योगिक संघों के वर्तमान युग में तटस्थ मुद्रा की नीति व्यावहारिक नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी लोग अपने सभी साधनों का प्रयोग करते हुए कीमत-स्तर में किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते।

(घ) कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि यदि देश में मुद्रा की मात्रा को यथास्थिर रखा जाता है तो इससे तटस्थ मुद्रा की नीति का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

(5) उत्पादन के साधनों के अधिकतम उपयोग की नीति (Policy of Full Employment of Productive Resources)—प्रो० केन्ज के अनुसार, मौद्रिक-नीति का उद्देश्य देश में उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग करना होता है। कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित करने अथवा तटस्थ मुद्रा की नीति अपनाने से उत्पादन के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता। प्रो० केन्ज के मतानुसार, इन नीतियों से देश में मन्दी का जन्म होता है,

इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्रदान करना है। प्रो० हॉल (Halm) भी इसी विचार के समर्थक हैं। अब उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार देने के लिए किस प्रकार की नीति उपयुक्त हो सकती है। प्रो० केन्ज के अनुसार, यदि हमें उत्पादन के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्रदान करना है तो उसके लिए हमें सस्ती मुद्रा-नीति (cheap money policy) को अपनाना पड़ेगा। इस नीति के अन्तर्गत पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके कीमतों को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, अर्थात् पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व कीमत-स्तर में साधारण वृद्धि होती रहनी चाहिए। परन्तु पूर्ण रोजगार के बिन्दु के उपरान्त मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा किया जाता है तो इससे अत्यधिक स्फीति की दशा उत्पन्न हो जायेगी। अधिकांश वर्तमान अर्थशास्त्री प्रो० केन्ज के इस विचार से सहमत हैं।

(6) आर्थिक विकास (Economic Growth)—हाल ही के वर्षों में कुछ अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास को तीव्र करना होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मौद्रिक नीति आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सहायक होनी चाहिए। आर्थिक विकास से अभिप्राय वास्तविक उत्पादन (real production) की वृद्धि से है, अर्थात् आर्थिक विकास के अन्तर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा एवं गुणों (qualities) में सुधार होना चाहिए ताकि जनसाधारण का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनायी जाये। इसके लिए एक ऐसी मौद्रिक नीति अपनायी जाये जिसमें दो विशेषताएँ हों। प्रथम, इसमें लचीलापन (flexibility) होना चाहिए और इसके अन्तर्गत मुद्रा की वृद्धि को इस ढंग से नियमित एवं नियन्त्रित किया जाना चाहिए कि देश के सभी साधनों को पूर्णतः उत्पादन-कार्य में लगाया जा सके और उससे साथ ही साथ आन्तरिक कीमत-स्तर में भी स्थिरता बनाये रखी जा सके। दूसरे, मौद्रिक नीति को इस तरह नियन्त्रित किया जाय कि इससे पूंजी-निर्माण (capital-formation) की क्रिया को प्रोत्साहन मिल सके।

स्मरण रहे कि आर्थिक विकास के लिए कीमत स्थिरता (price stability) तथा विनिमय स्थिरता (exchange stability) दोनों का ही होना आवश्यक है।

अर्द्ध-विकसित देश में मौद्रिक नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि घरेलू बचतें भी निरस्तहित न हों और विदेशी पूंजी के आयात में भी कोई बाधा न पड़े। दूसरे शब्दों में, मौद्रिक नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को निरन्तर तीव्र करना होना चाहिए।

ऊपर हमने मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों की चर्चा की है। इन सभी उद्देश्यों को एक साथ अपनाना सम्भव नहीं क्योंकि उनके बीच संघर्ष भी पाया जाता है। उदाहरणार्थ, पूर्ण रोजगार के उद्देश्य एवं मौद्रिक नीति के अन्य उद्देश्यों में निश्चय ही संघर्ष है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एक विकसित देश के लिए मौद्रिक नीति का सर्वोत्तम उद्देश्य पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना है जबकि एक अर्द्ध-विकसित देश के लिए नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना होना चाहिए।

भारत में मुद्रा-स्फीति (Inflation in India)

भारत में मुद्रा-स्फीति दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आरम्भ हुई थी। सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ गयीं और साधारण जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो लोगों को यह आशा हुई कि शीघ्र ही मुद्रा-स्फीति की दशा समाप्त हो जायेगी और कीमतें पुनः अपने युद्ध-पूर्व स्तर पर आ जायेंगी, परन्तु दुर्भाग्यवश लोगों की यह आशा पूर्ण न हो सकी। सन् 1947 में देश का विभाजन हुआ और इसके साथ ही साथ अनेक जटिल समस्याएँ उत्पन्न हुईं। उदाहरणार्थ, शरणार्थियों की समस्या। इसके अतिरिक्त, कोरिया में युद्ध छिड़ गया जिससे कीमतें और भी ऊपर चढ़ गयीं। सन् 1952 में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का श्रीगणेश हुआ। इन सभी कारणों से मुद्रा स्फीति कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गयी। सन् 1962 में चीनियों ने भारत पर आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप मरुदा पर

व्यय कई गुना बढ़ा दिया गया था। इससे मुद्रा-स्फीति को और अधिक बल मिला। इस समय भारत में मुद्रा-स्फीति ने भयंकर रूप धारण कर रखा है। यद्यपि भारत में मुद्रा-स्फीति अभी अपनी तीसरी स्थिति में प्रविष्ट नहीं हुई है फिर भी देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्त चिन्तनीय है। यदि सरकार ने समय रहते इसे नियन्त्रित न किया तो कुछ समय पश्चात् मुद्रा-स्फीति से अत्यन्त गम्भीर परिणाम उत्पन्न होंगे।

भारत में मुद्रा-स्फीति की समस्या का हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं :

(1) युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति (War-time Inflation) जैसा ऊपर कहा गया है, दूसरे विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने के साथ ही भारत में मुद्रा-स्फीति शुरू हो गयी थी। परन्तु युद्ध के प्रारम्भिक काल में कीमतों में अधिक वृद्धि नहीं हुई। जैसे-जैसे समय बीतता गया कीमतों में अधिकाधिक वृद्धि होने लगी। आरम्भ में, सरकार ने मुद्रा-स्फीति की गम्भीरता को स्वीकार नहीं किया। परन्तु आगे चलकर जब भारतीय मुद्रा-शास्त्रियों ने स्थिति की गम्भीरता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया तब सरकार ने विदेश होकर स्फीति के अस्तित्व को स्वीकार कर ही लिया। युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर देश में कागजी मुद्रा का विस्तार ही था। इतने बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा की निकासी से कीमत-स्तर में वृद्धि का होना अनिवार्य ही था। अतः देश का कीमत स्तर युद्धकाल के दौरान काफी ऊपर चढ़ गया था।

(क) युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति के कारण— युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति के प्रमुख कारण निम्न-लिखित हैं

(1) भारत के सुरक्षा-व्यय में भारी वृद्धि—जैसा विदित है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार के रक्षा-व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। जहाँ सन् 1939-40 में सरकार का रक्षा व्यय 49.54 करोड़ रुपये था, वहाँ सन् 1944-45 में यह बढ़कर 458.32 करोड़ रुपये हो गया था। परिणामतः इस बड़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए भारत सरकार को कागजी मुद्रा का निर्गमन करना पड़ा।

(2) भारत सरकार द्वारा मित्र-देशों के लिए माल का खरीदना—युद्ध प्रारम्भ होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के साथ एक वित्तीय समझौता किया जिसके अन्तर्गत भारत सरकार ने ब्रिटेन तथा अन्य मित्र देशों के लिए भारत में माल खरीदना स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुसार इस माल की कीमत भारत सरकार को रुपये में चुकानी पड़ती थी और इसके बदले ब्रिटिश सरकार भारत सरकार को स्टर्लिंग के रूप में भुगतान करती थी, परन्तु इस माल के बदले भारत सरकार को स्टर्लिंग के रूप में भुगतान तुरन्त नहीं किया जाता था, बल्कि इस माल का स्टर्लिंग मूल्य भारत के खाते में जमा कर दिया जाता था। इसे पीण्ड पावना (sterling balances) कहा जाता था और इसी पीण्ड पावने के आधार पर भारत सरकार कागजी-मुद्रा का निर्गमन करती थी। सन् 1939-40 से सन् 1945-46 तक भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को लगभग 1,740 करोड़ रुपये का माल सप्लाई किया था। इस प्रकार एक ओर तो इतनी भारी मात्रा में माल बाहर भेजे जाने पर देश में उत्पादन की मात्रा कम हो गयी लेकिन दूसरी ओर कागजी-मुद्रा के अत्यधिक निर्गमन से प्रचलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ गयी थी। इस प्रकार कीमतों का बढ़ना अनिवार्य हो गया था।

(3) मुद्रा की मात्रा में वृद्धि—युद्धकाल में भारतीय मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई परन्तु वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में इसी अनुपात में वृद्धि न हो सकी। परिणामतः कीमतों में भारी वृद्धि हुई। जबकि सितम्बर 1939 में भारत में कागजी-मुद्रा की मात्रा 197 करोड़ रुपये थी तब सन् 1944-45 में कागजी मुद्रा की मात्रा 1,084 करोड़ रुपये हो गयी थी। इसी प्रकार इस अवधि में साख मुद्रा भी 126 करोड़ रुपये से बढ़कर 444 करोड़ रुपये हो गयी थी। अतः मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि के कारण स्फीति की दशा उत्पन्न हो गई थी।

(4) कोष-विपन्नो के आधार पर कागजी मुद्रा का निर्गमन—युद्धकाल में भारत सरकार ने न केवल पीण्ड पावने (sterling balances) के विरुद्ध, बल्कि कोष विपन्नो (treasury bills) के आधार पर भी कागजी-मुद्रा का निर्गमन किया था। प्रो० सी० एन्० बकील ने सरकार की इस क्रिया को नग्न मुद्रा स्फीति (naked inflation) कहकर सम्बोधित किया था।

(5) साम्राज्य डालर कोष (Empire Dollar Pool)—युद्धकाल में साम्राज्य डालर कोष ने भी स्फीति को बढ़ाने में योग दिया था। इस कोष के अन्तर्गत युद्धकाल में अमरीका ने जो माल भारत से खरीदा, उसका भुगतान ब्रिटिश सरकार को डालरों के रूप में किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को डालर देने के बजाय उसी मूल्य के बराबर भारत के खाते में स्टर्लिंग जमा कर दिया, अर्थात् ब्रिटिश सरकार ने भुगतान डालरों में न करके, स्टर्लिंग के रूप में किया और यह स्टर्लिंग भी नकदी के रूप में न देकर भारत के खाते में जमा कर दिया। इस प्रकार भारत के पीण्ड पावने में वृद्धि होती चली गयी। भारत सरकार ने इसी पीण्ड पावने (Sterling balances) के आधार पर कागजी मुद्रा का निर्गमन करके भारतीय विक्रेताओं को उनके माल का भुगतान किया। इससे देश में मुद्रा-स्फीति को और अधिग्रहण बल मिला।

(6) उत्पादन-प्रणाली में लोच का अभाव—यद्यपि दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान भारत में मुद्रा की मात्रा में भारी वृद्धि हुई, तथापि देश के उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि न हो सकी। इसका कारण भारत की उत्पादन प्रणाली में लोच का नितान्त अभाव था। इसी कारण, उत्पादन की मात्रा को उसी अनुपात में नहीं बढ़ाया जा सका जिसमें मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई थी।

(7) निर्यातों में वृद्धि—जैसा ऊपर कहा गया है, युद्धकाल में भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश तथा अन्य मित्र देशों को माल निर्यात किया था। इससे देश में वस्तुओं की दुर्लभता बढ़ गयी और मुद्रा स्फीति ने अत्यन्त गम्भीर रूप धारण कर लिया।

(8) आयातों में कमी—युद्धकाल में भारत के आयातों में भारी कमी हुई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि बर्मा, मलाया, स्याम तथा हिन्दचीन पर जापानियों का कब्जा हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन देशों से माल का आयात पूर्णतः बन्द हो गया था। इससे देश में खाद्य पदार्थों की कमी हो गयी थी। स्मरण रहे कि युद्ध से पूर्व भारत बड़े पैमाने पर बर्मा से चावल आयात किया करता था। युद्धकाल में चावल तथा अन्य वस्तुओं के आयात बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप कीमती में अत्यधिक वृद्धि हुई थी।

(9) परिवहन पर अत्यधिक दबाव—युद्ध के दौरान परिवहन के साधनों पर (विशेषकर रेलों पर) अत्यधिक दबाव पड़ा, क्योंकि इन्हे अधिकतर सैनिकों तथा युद्ध सामग्री को ढोने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही पेट्रोल की दुर्लभता के कारण सड़क-परिवहन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे देश के भीतर माल के यातायात में कमी हो गयी और देश के कुछ क्षेत्रों में सामान्य अभाव की स्थिति पैदा हो गयी। परिणामतः कीमतें और अधिक ऊपर चढ़ने लगीं।

(10) व्यापारियों द्वारा वस्तु-संग्रह तथा चोर-बाजार—युद्धकाल में कीमतों के ऊपर चढ़ने का एक कारण यह भी था कि भारतीय व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का संग्रह (hoarding) कर लिया था और ऊँचे दामों पर चोर-बाजार में इन वस्तुओं का विक्रय करने लगे थे।

(11) सट्टेबाजी की प्रवृत्ति—देश में वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों से सट्टेबाजों को प्रोत्साहन मिला और व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं को संचित करके उनमें बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी की थी। जैसा विदित है, सट्टेबाजों से कीमतें और अधिक ऊपर चढ़ती हैं।

युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति से देश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। देश में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान हो गया। व्यापारियों तथा अन्य उत्पादकों वर्गों में बड़े पैमाने पर लाभ कमाया, परन्तु मजदूरों, वेतनभोगियों तथा अन्य निश्चित आय वाले व्यक्तियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। देश में सट्टेबाजों की प्रवृत्ति को बहुत प्रोत्साहन मिला। चोर बाजारों तथा जमाखोरों बड़े पैमाने पर होने लगीं। सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैल गया और समूचे देश का नैतिक पतन होने लगा, परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति का एक अच्छा परिणाम भी निकला। इससे देश में रोजगार की मात्रा बढ़ गयी और लाखों बेकार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

(ख) युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए किये गये सरकारी उपाय—युद्धकाल में स्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये थे।

(1) कराधान में वृद्धि—अन्यता की अतिरिक्त न्यून शक्ति (surplus purchasing power) को कम करने के लिए तथा मुद्रा को प्रचलन से वापस लेने के लिए भारत सरकार ने युद्ध

के दौरान कई प्रकार के नये करों को लगाया और पुराने करों की दरों में वृद्धि की। सन् 1940 में आयकर के साथ 35 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगा दिया गया। सन् 1942 में अनिश्चित लाभ कर (excess profit tax) को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 36½ प्रतिशत कर दिया गया। इसके साथ ही माथ विभिन्न वस्तुओं पर उत्पादन कर (excise duty) लगा दिया गया और पुराने उत्पादन करों में वृद्धि कर दी गयी।

(2) सावजनिक ऋणों में वृद्धि—युद्ध के दौरान जनता की अतिरिक्त त्रय शक्ति को कम करने के लिए सरकार ने अधिकाधिक मात्रा में बॉन्डों में ऋण लेना शुरू किया। इस उद्देश्य के लिए रक्षा बॉन्ड्स (defence bonds) तथा विजय ऋण (victory loans) जारी किये गये और इसके साथ ही साथ कापागार विपना (treasury bills) को भी अधिक मात्रा में निगमित किया गया। छोटी बचतों को भी प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार भारत सरकार ने जनता से लगभग 1456 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त कर मुद्रा स्थिति को तीव्रता का कम करने का प्रयत्न किया था।

(3) अनिवार्य बचत योजनाएँ (Compulsory Saving Schemes) लागू की अतिरिक्त त्रय शक्ति को कम करने के लिए सरकार ने अनिवार्य बचत योजनाओं को भी प्रचलित किया। इस प्रकार की अनिवार्य बचतों पर 2½ प्रतिशत ब्याज दिया जाता था तथा मूलधन का युद्ध समाप्ति के एक वर्ष बाद वापस लिया जा सकता था। सन 1943 में व्यापारियों को अतिरिक्त-लाभ-कर का ½ भाग अनिवार्य रूप से सरकार के पास जमा करना पड़ना था और सन 1944-45 में इसे बढ़ाकर ¾ कर दिया गया। इस प्रकार इस योजना द्वारा सरकार ने व्यापारियों के अत्यधिक वृद्धकालीन लाभों को प्रभावहीन (ineffective) बना दिया था।

(4) सन्तुलित बजट नीति—मुद्रा स्थिति को तीव्रता का कम करने के लिए केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों ने अपने व्ययों को कम करके बजट में सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया ताकि मुद्रा का और अतिरिक्त निगमन न करना पड़े।

(5) स्वर्ण का विप्रेषण—लोगों की अतिरिक्त त्रय शक्ति को कम करने के लिए युद्ध के दौरान सरकार ने सोन का विप्रेषण भी किया। इसका कारण यह था कि कुछ लोग युद्ध के कारण अपने अनिश्चित धन का सरकार से प्रतिभूतियाँ मँगाने के इच्छुक नहीं थे। अतः इन लोगों के लिए सरकार ने सोना बेचने का प्रवन्ध किया और इस प्रकार इनकी अतिरिक्त त्रय शक्ति को निष्प्रभाव बनाने का प्रयत्न किया।

(6) सट्टेवाजी पर प्रतिबन्ध—युद्धकाल में वस्तुओं की कीमतों का बढ़ने से रोकने के लिए भारत सरकार ने अनेक वस्तुओं पर सट्टे पर प्रतिबन्ध लगा दिया विशेषकर मोने चाँदी के अग्रिम व्यापार (future trade) पर तो पूर्णतः रोक लगा दी गयी थी।

(7) जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी पर नियन्त्रण—वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी के विरुद्ध अभियान प्रारम्भ किया, परन्तु इसमें सरकार को वांछित विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

(8) कीमत-नियन्त्रण तथा राशनिंग व्यवस्था—मुद्रा-स्थिति के दुष्परिणामों से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने कीमत नियन्त्रण (price control) तथा राशनिंग की नीति को अपनाया था। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर दी गयीं और कुछ आवश्यक वस्तुओं का राशनिंग भी कर दिया गया। परन्तु सरकार की यह नीति अधिक सफल न हो सकी।

(9) अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन (Grow More Food Campaign)—सरकार ने खाद्य पदार्थों की कमी को दूर करने के लिए देश में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन प्रारम्भ किया। इसका अंतर्गत सरकार किसानों का अच्छे बीज ख़ाद तथा कर्ज देने की व्यवस्था करती थी। छोटी छोटी सिंचाई की योजनाओं को भी क्रियान्वित किया गया। परन्तु सरकार का यह आन्दोलन अधिक सफल न हो सका।

(10) औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन—कीमतों का बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न किया। इसके लिए सरकार ने उद्योग पंथों को कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कीं। नये उद्योग धंधों को प्रारम्भ में कुछ वर्षों के लिए आय कर (income tax) से मुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार महत्वपूर्ण उद्योग धंधों को नियन्त्रित कीमतों पर बच्चा माल सप्लाई करने का प्रवन्ध किया गया।

2 युद्धोत्तरकाल में मुद्रा-स्फीति (Post-war Inflation)—युद्ध के समाप्त हो जाने पर यह आशा की गयी थी कि वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें कम हो जायेंगी और उनकी दुर्लभता नहीं रहेगी, परन्तु कुभाग्यवश लोगों की यह आशा पूर्ण न हो सकी और कीमतें घटने के बजाय और बढ़ती चली गयी।

(क) युद्धोत्तरकाल में मुद्रा-स्फीति के कारण—युद्धोत्तरकालीन मुद्रा-स्फीति के कारण निम्नलिखित हैं

(1) भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार का व्यय वहन करना—युद्ध समाप्त हो जाने पर भी भारत सरकार निरन्तर ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में विदेशी सेनाओं पर व्यय करती रही और ब्रिटिश सरकार पहले की भाँति इस व्यय का भुगतान स्टैलिंग के रूप में करती रही। इस प्रकार भारत के पौण्ड पावने में वृद्धि होती चली गयी और इसी पौण्ड पावने के आधार पर भारत का रिजर्व बैंक कागजी-मुद्रा का निर्गमन करता रहा। इस प्रकार देश में स्फीतिक प्रवृत्तियों को युद्धोत्तरकाल में भी प्रथम मिलता रहा। यह क्रम जून 1946 तक जारी रहा।

(2) घाटे की अर्थ-व्यवस्था (Deficit Financing)—युद्धोत्तरकाल में भी घाटे की अर्थ-व्यवस्था निरन्तर जारी रही और बड़े पैमाने पर कागजी-मुद्रा का निर्गमन होता रहा। इसका कारण यह था कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार का व्यय कई कारणों से बढ़ गया था। उदाहरणार्थ, कश्मीर में युद्ध, हैदराबाद में पुलिस बार्गवाही, शरणार्थियों की समस्या इत्यादि।

(3) विनियन्त्रण की नीति (Policy of Decontrol)—युद्धोत्तरकाल में सरकार ने वस्तुओं की कीमतों तथा वितरण पर से नियन्त्रण हटा लिया था। इससे कीमतों में और अधिक वृद्धि हो गयी और व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी को जाने लगी जिससे विषय होकर सरकार को पुनः कीमतों पर नियन्त्रण लगाना पड़ा। परन्तु इसी बीच में सरकार की नियन्त्रण नीति के फलस्वरूप कीमतें काफी बढ़ चुकी थी।

(4) खाद्य-पदार्थों का अभाव—युद्धोत्तरकाल में देश के विभाजन के परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थों की बहुत कमी हो गयी थी। गेहूँ व चावल उत्पन्न करने वाले बहुत-से क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये थे जिससे भारत में अन्न-सकट उत्पन्न हो गया और कीमतों में और अधिक वृद्धि हो गयी थी।

(5) औद्योगिक उत्पादन में कमी युद्धोत्तरकाल में औद्योगिक उत्पादन में भी कमी हो गयी थी। इसके कई कारण थे। उदाहरणार्थ, कच्चे माल की कमी, मजदूरों द्वारा हड़तालों तथा उद्योगों के विस्तार के लिए विदेशी मशीनों का अभाव। इस प्रकार औद्योगिक वस्तुओं की कमी के कारण मुद्रा-स्फीति को और अधिक बल मिला था।

युद्धोत्तरकालीन स्फीति के भी वही परिणाम हुए जो युद्धकालीन-स्फीति के हुए थे। उद्योग-पतियों, व्यापारियों तथा अन्य उत्पादक वर्गों को अत्यधिक लाभ हुआ था। इसके विपरीत, श्रमिकों, बेतनभोगियों तथा अन्य निश्चित आय वाले वर्गों को हानि हुई, विशेषकर, गध्यवर्गीय लोगों की दशा तो बहुत ही शोचनीय हो गयी थी। देश में राष्ट्रीय आय के कुवितरण (mal-distribution) से आर्थिक विषमताएँ बहुत बढ़ गयी थी।

(ख) युद्धोत्तरकालीन स्फीति को रोकने के लिए किये गये सरकारी उपाय—जैसा उपर कहा गया है, युद्धोत्तरकाल में मुद्रा स्फीति की स्थिति काफी गम्भीर हो गयी थी, विशेषकर सन् 1948 में कीमत सम्बन्धी परिस्थिति सरकार के लिए सरदर बन गयी थी। कीमत-स्तर में होने वाली इस निरन्तर वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने अक्टूबर 1948 में एक स्फीति-विरोधी योजना बनायी थी। इस योजना के दो भाग थे प्रथम, सरकारी व्यय को कम करना तथा जनता की अतिरिक्त शक्ति को निष्प्रभाव बनाना। दूसरे, उत्पादन को मात्रा में वृद्धि करना। योजना के प्रथम भाग के अन्तर्गत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये थे

(1) कटौती में वृद्धि—सरकार ने लोगों पर नये-नये कर लगाकर तथा पुराने करों को बढ़ाकर उनकी अतिरिक्त शक्ति को गतिहीन बनाने का प्रयत्न किया था।

(2) मुद्रा की मात्रा में कमी—मुद्रा की मात्रा में कमी करने के लिए सरकार ने घाटे की अर्थ-व्यवस्था की नीति का धीरे-धीरे परित्याग कर दिया था।

(3) सरकारी व्यय में वृद्धि—सरकार ने अपने तेजी से बढ़ते हुए व्यय पर रोक लगाने का प्रयत्न किया ताकि देश में मुद्रा-चलन की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि न हो सके।

(4) बैंक-दर में वृद्धि—साख के विस्तार को रोकने के लिए नवम्बर 1951 में सरकार ने बैंक-दर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3½ प्रतिशत कर दिया (इस समय बैंक-दर 9% है)। इसके साथ ही सन् 1949 के बैंकिंग एक्ट के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक के लिए उसकी कुल जमाराशि का 25 प्रतिशत भाग सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित करना अनिवार्य कर दिया गया। इससे साख की मात्रा में कुछ कमी हुई।

देश में उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये

(1) सरकार ने 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को अधिक तेज करने का प्रयत्न किया। किसानों को बीज, खाद तथा सिंचाई की सुविधाएँ देकर खाद्योत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया।

(2) बेवार पड़ी भूमि को खेती के अधीन लाने के प्रयत्न किये गये।

(3) विदेशों से खाद्य-पदार्थों तथा औद्योगिक वस्तुओं के आयात बढ़ाये गये।

(4) औद्योगिक उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए नये-नये उद्योग धन्धों को पहले 3 वर्ष के लिए आय-कर से मुक्त कर दिया गया।

(5) कीमत नियन्त्रण तथा राशनिय सम्बन्धी नियमों को कड़ाई से धियान्वित किया गया।

योजना-काल में मुद्रा-स्फीति

(Inflation During Plan Period)

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भी मुद्रा-स्फीति निरन्तर जारी रही।

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक काल में मुद्रा स्फीति की गति कुछ धीमी पड़ गयी थी। इसका कारण यह था कि मानसून की अनुकूलता के कारण कृषि-उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इसके साथ ही साथ परिस्थितियों की अनुकूलता के कारण औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। इस प्रकार, प्रथम योजना के प्रारम्भिक काल में कीमत-स्तर पहले की अपेक्षा गिर गया, परन्तु जून 1955 से देश में मुद्रा स्फीति की गति तेज होने लगी और कीमतें पुन बढ़ने लगी। इसका कारण यह था कि सन 1955 में मानसून के फेल हो जाने के कारण कृषि-उपज में कमी हो गयी थी, परिणामतः जून 1955 से कीमत-स्तर धीरे-धीरे पुन बढ़ना शुरू हो गया था। यद्यपि प्रथम योजना के अन्तर्गत 290 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक राशि 333 करोड़ रुपये के बराबर थी।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना—जैसा ऊपर कहा जा चुका है, जून 1955 से कीमतों में वृद्धि होने शुरू हो गयी थी और कीमतों के बढ़ने की यह प्रवृत्ति दूसरी योजना के समूचे काल में निरन्तर जारी रही। सभी प्रकार की कीमतें बढ़ीं। परिणामतः दूसरी योजना-अवधि में लोगों के जीवन-निर्वाह की लागत बहुत बढ़ गयी और साधारण जनता का जीवन-स्तर बुरी तरह प्रभावित हुआ। यद्यपि दूसरी योजना के अन्तर्गत 1200 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक राशि 954 करोड़ रुपये के बराबर हुई थी।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना—तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कीमतों में वृद्धि निरन्तर जारी रही, इसके कई कारण थे। उदाहरणार्थ, सरकारी व्यय में वृद्धि, निजी निवेश (investment) में वृद्धि, मुद्रा एवं साख का अत्यधिक विस्तार, विदेशी विनिमय की कमी, उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट तथा भारत-चीन सीमा युद्ध। इन सभी कारणों से देश में स्फीतिक प्रवृत्तियों को अधिक बल मिला और कीमत-स्तर में वृद्धि का क्रम निरन्तर जारी रहा। तीसरी योजना में 550 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक राशि इस लक्ष्य से कहीं अधिक बढ़ गयी थी। अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में लगभग 1133 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गयी थी।

(घ) तीन वार्षिक योजनाएँ, 1966-69 (Three Annual Plans, 1966-69)—इन तीन वार्षिक योजनाओं में सरकार ने 335 रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की थी लेकिन वास्तविक राशि इस लक्ष्य से भी दुगुनी हो गयी थी। इन तीन वर्षों में लगभग 682 करोड़ रुपये

की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गयी थी। इसका निश्चय ही देश के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ा था। कीमतें और अधिक बढ़ गयी थी।

(ड) चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969-74—चूंकि देश में कीमत-स्तर बहुत बढ़ चुका था, इसलिए योजनाकारों ने चौथी योजना में केवल 850 करोड़ ६० के बराबर घाटे की अर्थ व्यवस्था की थी। लेकिन योजना के प्रथम वर्ष (1969-70) में ही औसत थोक कीमतों में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी थी। सन् 1970-71 में भी कीमतों की वृद्धि का यह क्रम जारी रहा।

सन् 1972-73 में भी कीमत स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन सन् 1973-74 में तो स्फीतिक दशा अत्यन्त गम्भीर हो गई थी। विषय होकर 11 अगस्त 1973 को भारत सरकार ने अपनी स्फीति विरोधी नीति की घोषणा की थी। इस नीति की घोषणा से पूर्व भी भारत सरकार ने कई स्फीति विरोधी कदम उठाये थे जो इस प्रकार थे

(i) घाटे की अर्थ व्यवस्था (deficit financing) में कटौती कर दी गई थी। सरकारी व्यय की प्रति यथासम्भव गैर स्फीतिक साधनों से की जा रही थी।

(ii) बैंक दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया था।

(iii) अनुसूचित बैंकों के नकद अनुपात को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया था।

(iv) व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण देने की न्यूनतम व्याज - 10% निर्धारित कर दी गई थी।

इन सबका उद्देश्य बढ़ती हुई स्फीति पर रोक लगाना था।

सरकार की नई स्फीति विरोधी नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्यय में कटौती करना या ताकि घाटे की अर्थ व्यवस्था को न्यूनतम किया जा सके। सरकार के गैर-योजना व्यय में भारी कटौती कर दी गई थी। सरकारी क्षेत्र में कार्यशील उद्योगों से कहा गया था कि वे अपनी आय बढ़ायें और घाटे में कमी करें। इसके साथ ही साथ योजना व्यय (Plan Expenditure) में भी कटौती करने का निश्चय किया गया था। लेकिन ऐसा करते समय यह देखा जाया कि मूल एवं आवश्यक परियोजनाओं के व्यय में किसी प्रकार की कटौती न की जाय। इस प्रकार कुल मिलाकर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के व्यय में 400 करोड़ ६० की कटौती की जानी थी। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) को भी सुदृढ करने का निश्चय किया गया ताकि जनता को आवश्यक वस्तुएँ नियन्त्रित मूल्यों पर सुगमता से उपलब्ध हो सकें।

जुलाई 1974 में भारत सरकार ने दो अध्यादेशों द्वारा थड़े हुए मुनाफों एवं मजदूरियों को जाम (freeze) कर दिया था। तीसरे अध्यादेश में करवाताओं के लिये एक अनिवार्य बचत योजना (Compulsory Deposits Scheme) लागू कर दी गई थी। इन तीनों अध्यादेशों का उद्देश्य बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगाने हेतु लोगों की क्रय शक्ति को निष्प्रभाव करना था।

इन उपायों के अतिरिक्त सरकार ने बैंक-साख पर भी कड़ा नियन्त्रण लगा दिया था। इन सभी का परिणाम यह निकला कि कीमत स्तर में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। 26 जून, 1975 को आपात स्थिति की घोषणा के उपरान्त तो कीमतों की यह गिरावट और भी तेज हो गई थी। अप्रैल, 1974 में भारत में मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 30.1 प्रतिशत थी। लेकिन अप्रैल, 1975 में यह घटकर 6.5 प्रतिशत हो गई थी। 19 जुलाई 1975 को मुद्रा स्फीति की दर — 2.7 प्रतिशत हो गई थी अर्थात् यह दर अब ऋणात्मक (negative) हो गई थी।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1 मुद्रा-प्रसार को परिभाषा कीजिए। इसके क्या परिणाम तथा उपचार हैं ?

(बनारस 1959, इलाहाबाद 1956)

[संकेत—प्रथम भाग में मुद्रा-स्फीति (मुद्रा प्रसार) की परिभाषाएँ प्रस्तुत करते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में यह बताइए कि देश के आर्थिक जीवन तथा विभिन्न वर्गों पर मुद्रा स्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरे भाग में, यह बताइए कि मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए किन किन उपायों को अपनाना चाहिए।]

2 मुद्रा-प्रसार और मुद्रा-संकुचन के अर्थ स्पष्ट रूप से समझाइए। देश के विभिन्न वर्गों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है ?

(आगरा, 1955)

[सकेत—प्रथम भाग में, मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-अवस्फीति की परिभाषाएँ देने हुए इन दोनों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि इन दोनों से देश के विभिन्न वर्गों पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं।]

- 3 “मुद्रा-प्रसार अन्यायपूर्ण है और मुद्रा-सकुचन अनुपयुक्त—इन दोनों में से मुद्रा-सकुचन अधिक बुरा है।” विवेचना कीजिए। (सागर, 1948, गोरखपुर, 1959, खालियर, 1971)

[संकेत—यहाँ पर प्रो० केन्ज के उक्त उद्धरण की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। पहले यह समझाइए कि मुद्रा-प्रसार अन्यायपूर्ण क्यों है और तदुपरान्त, यह स्पष्ट कीजिए कि मुद्रा-सकुचन की नीति अनुपयुक्त क्यों है। अंत में, मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-सकुचन की तुलना करते हुए यह बताइए कि इन दोनों में से मुद्रा सकुचन अधिक बुरा होता है, अर्थात् यहाँ पर मुद्रा सकुचन की बुराइयों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]

- 4 मूल्य-स्थैर्य की वास्तविक समस्या क्या है? क्या मूल्य-स्थैर्य बांछनीय है अथवा क्या वह प्राप्तव्य है? अपने उत्तर के लिए स्पष्टीकरण दीजिए। (जबलपुर, 1958)

[संकेत—पहले भाग में, मूल्य-स्थैर्य (अर्थात् कीमतों की स्थिरता) की समस्या की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि मूल्य स्थैर्य की नीति वांछनीय तो है परन्तु इसे व्यावहारिक रूप देने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।]

- 5 स्फीति, अवस्फीति तथा प्रत्यवस्फीति में क्या अन्तर है? समझाइए। किसी देश की आर्थिक प्रगति में किन परिस्थितियों में अवस्फीति लाभप्रद होती है? उदाहरण सहित समझाइए। (सागर, 1961)

[संकेत—प्रथम भाग में, स्फीति, अवस्फीति तथा प्रत्यवस्फीति शब्दों की परिभाषाएँ देकर इनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि अवस्फीति की नीति उस समय लाभप्रद सिद्ध होती है जबकि देश में स्फीति अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। कीमतों को और अधिक बढ़ने से बचाने के लिए अवस्फीति का प्रभय लिया जाता है।]

- 6 मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-सकुचन में क्या अन्तर है? स्पष्ट कीजिए। देश की आर्थिक उन्नति के लिए किन-किन परिस्थितियों में मुद्रा-प्रसार लाभदायक हो सकता है? (आगरा, 1958, 1972, राजस्थान, 1956)

[संकेत—प्रथम भाग के लिए प्रश्न 2 के उत्तर को देखिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि पूर्ण रोजगार के बिन्दु से पूर्व मुद्रा-प्रसार की नीति लाभदायक होती है।]

- 7 मुद्रा-प्रसार एव मुद्रा सकुचन रोकने की रीतियाँ उदाहरण सहित समझाइए। (आगरा, 1969)
- [संकेत—पहले आप मुद्रा प्रसार (मुद्रा-स्फीति) एव मुद्रा-सकुचन (मुद्रा-अवस्फीति) की परिभाषाएँ देकर इनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए। तदुपरान्त, इन्हें रोकने की रीतियों का उल्लेख कीजिए। इसके लिए देखिए “मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय” तथा “मुद्रा अवस्फीति को रोकने के उपाय” नामक उपविभाग।]

- 8 मुद्रा-स्फीति किसे कहते हैं? इसका समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे कैसे नियन्त्रित किया जा सकता है? (राजस्थान, 1971)

अथवा

मुद्रा-स्फीति से क्या अभिप्राय है? अर्थ-व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा-स्फीति का उपचार कैसे किया जाता है? (आगरा, 1975)

[संकेत—प्रथम भाग में, मुद्रा स्फीति की परिभाषा करते हुए इसके विभिन्न रूपों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, यह स्पष्ट कीजिए कि उत्पादकों, उपभोक्तार्यों, निवेशकर्ताओं, ऋणियों ऋणदाताओं, वेतनभोगी वर्गों पर मुद्रा स्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरे भाग के लिए उपर्युक्त अध्याय में “मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय” नामक उपविभाग को देखिए।]

8

सूचकांक (Index Numbers)

प्रस्तावना—जैसा हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, कीमत-स्तर में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात् मुद्रा का मूल्य कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कीमत-स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को किस तरह नापा जाय ? जैसा विदित है, कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों को सूचकांकी (index numbers) द्वारा नापा जाता है। कीमत-स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कीमतों के उतार-चढ़ाव देश के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए कीमत स्तर में होने वाले उतार-चढ़ावों को निश्चित रूप से नापना आवश्यक हो जाता है। अतः इस कार्य के लिए सूचकांकी का प्रयोग किया जाता है।

सूचकांक क्या होते हैं ?

(What are Index Numbers ?)

जैसा विदित है, किसी विशेष समय पर सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें एक साथ न तो एक ही दिशा में बढ़ती हैं और न ही घटती हैं। यदि कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, तब कुछ अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार यह भी सम्भव हो सकता है कि कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें कम अनुपात में बढ़ें और कुछ अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें अधिक अनुपात में बढ़ें। यह भी सम्भव हो सकता है कि कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में कुछ भी परिवर्तन न हो। परन्तु यदि हम विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का औसत (average) निकाल लें, तब हमें पता चलेगा कि सामान्य कीमत-स्तर (general-price-level) में वृद्धि हुई है अथवा कमी। सूचकांकी का उद्देश्य कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों को सक्षिप्त रूप में व्यक्त करना होता है। इस प्रकार सूचकांकी की गह्रायता में देश के सामान्य कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

यदि सूचकांक बढ़ जाते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि सामान्य कीमत-स्तर ऊँचा हो गया है, अर्थात् वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों की केन्द्रीय प्रवृत्ति बढ़ने की ओर है अथवा मुद्रा के मूल्य की प्रवृत्ति कम होने की ओर है। इसके विपरीत, यदि सूचकांक गिर जाते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि सामान्य कीमत-स्तर में कमी हो गयी है, अथवा मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है। इस प्रकार सूचकांकी के बढ़ने पर कीमत-स्तर बढ़ जाता है और उनके घटने पर कीमत-स्तर घट जाता है।

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सूचकांक मुद्रा के पूर्ण मापक नहीं होते। सूचकांक किसी पूर्वकाल के कीमत-स्तर की तुलना किसी उत्तरकाल के कीमत-स्तर में करते हैं। इस प्रकार सूचकांक कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों की तुलनात्मक रूप में ही व्यक्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि इस समय सूचकांक 75 है तो उसका यह कहना बिलकुल अर्थहीन है, क्योंकि जब तक इस अंक की किसी अन्य समय के अंक से तुलना नहीं की जाती, तब तब इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। इसी प्रकार इस अंक का तब ही कुछ अर्थ निकलता है जब हम यह बताते हैं कि यह एक अमुक वर्ष का अंक है। दूसरे शब्दों में, हमें यह स्पष्ट करना होता है

कि अमुक अक किस वर्ष से सम्बन्धित है। तभी इसकी किसी अन्य वर्ष के अक से तुलना की जा सकती है। इस प्रकार कीमत सूचकांक (price index numbers) दो विभिन्न अवधियों के कीमत-स्तरो की तुलना में सहायता देते हैं।

स्मरण रहे कि सूचकांक का प्रयोग केवल कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों को नापने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इनका प्रयोग अन्य आर्थिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तनों को नापने के लिए भी किया जाता है। उदाहरणार्थ, देश के उत्पादन स्तर में होने वाले परिवर्तनों अथवा देश के आयात-निर्यातों में होने वाले परिवर्तनों को भी सूचकांक द्वारा व्यक्त किया जाता है।

कीमत-सूचकांक बनाने की विधि

(Method of Preparing Price Index Numbers)

कीमत सूचकांक बनाने समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है

(1) आधार-वर्ष का चयन (Choice of the Base-Year) सूचकांक प्रायः वार्षिक आधार पर बनाये जाते हैं, इसलिए सूचकांक बनाने के लिए सबसे पहले आधार-वर्ष का चयन करना पड़ता है। आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसके औसत कीमत स्तर की तुलना अन्य वर्षों के औसत कीमत स्तरों से की जाती है। चूंकि आधार-वर्ष के कीमत स्तर की तुलना अन्य वर्षों के कीमत-स्तरो से की जाती है इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि आधार-वर्ष को बड़ी सावधानी से चुना जाय। आधार वर्ष एक ऐसा वर्ष होना चाहिए जो प्रत्येक दृष्टि से सामान्य वर्ष (normal year) हो, अर्थात् उस वर्ष में कोई असामान्य घटना घटित नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, उस वर्ष में कीमत स्तर में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होने चाहिए और न ही वह वर्ष सवट का वर्ष होना चाहिए। आधार-वर्ष का चुनाव करते समय कीमत सूचकांक के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि हमें युद्ध-पूर्व कीमत स्तर की तुलना वर्तमान कीमत स्तर से करनी है, तो सन् 1939 को ही आधार-वर्ष मानना पड़ेगा।

(2) वस्तुओं तथा सेवाओं का चयन (Choice of Commodities and Services)—आधार-वर्ष निश्चित कर लेने के उपरान्त हमारा दूसरा कदम यह होता है कि किन-किन वस्तुओं तथा सेवाओं को कीमत सूचकांक बनाने के लिए चुना जाय। स्पष्ट है कि कीमत सूचकांक को बनाने समय हम सभी वस्तुओं की तथा सेवाओं की कीमतों को सम्मिलित नहीं कर सकते। ऐसा करना लगभग असम्भव है। हमें तो ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव करना होता है जो अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रतिनिधित्व करें। वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव करते समय हमें सूचकांक के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना होता है। उदाहरणार्थ यदि हमें किसी विशेष वर्ग के जीवन निर्वाह लागत (Cost of living) का सूचकांक तैयार करना है तब हमें ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं को चुनना होगा जो उस वर्ग द्वारा प्रयोग में लायी जाती हैं अर्थात् केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं को चुनना होगा जिनका उपयोग उस वर्ग द्वारा किया जाता है। वैसे तो जितनी अधिक संख्या में वस्तुओं तथा सेवाओं को सूचकांक में सम्मिलित किया जायगा उतना ही अधिक प्रतिनिधि सूचकांक बनेगा। परन्तु साधारणतः सूचकांक तैयार करते समय 20 या 25 प्रतिनिधि वस्तुओं का ही चुनाव किया जाता है।

(3) वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों का चयन (Selection of the Prices of Commodities and Services)—प्रतिनिधि वस्तुओं तथा सेवाओं के चुनाव के उपरान्त तीसरा कदम यह होता है कि इन वस्तुओं की आधार वर्ष तथा चयन के वर्ष में कीमतें मालूम कर ली जाती हैं परन्तु यहाँ पर एक समस्या यह उत्पन्न होती है कि इन प्रतिनिधि वस्तुओं की कौन सी कीमतों को सूचकांक बनाने समय लिया जाय। जैसा विदित है, कीमतें दो प्रकार की होती हैं—
 थोक कीमतें (wholesale prices) तथा फूटकर कीमतें (retail prices)। नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था में तो कुछ वस्तुओं की कीमतें सरकार द्वारा नियन्त्रित (controlled) भी की जाती हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सूचकांक बनाने समय वस्तुओं की किन कीमतों को लिया जाय? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ऐसा करने के लिए सूचकांक के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाय। यदि हमें साधारण कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों को सूचकांक द्वारा व्यक्त करना है तब हमें थोक कीमतों को ही लेना चाहिए। इसके विपरीत, यदि हमें जीवन-निर्वाह लागत सूचकांक (cost of

living index numbers) तैयार करने हैं तब हमें प्रतिनिधि वस्तुओं की फुटकर कीमतों को ही लेना चाहिए। इसके उपरान्त इन प्रतिनिधि वस्तुओं की कीमतों के बारे में जानकारी एकत्रित करते समय हमें प्रतिनिधि बाजारों (representative markets) का भी चुनाव करना होता है और इन्हीं बाजारों में प्रचलित कीमतों को ही सूचकांक बनाते समय गणनाओं (calculations) में सम्मिलित किया जाता है।

(4) कीमतों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना (To Represent Prices in Percentages)—कीमत-सूचकांक बनाते समय चौथा कदम यह होता है कि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के आधार-वर्ष की कीमतों को 100 के बराबर मान लिया जाता है और फिर सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के जाँच के वर्ष में कीमत-सम्बन्धी परिवर्तनों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि आधार वर्ष में गेहूँ की कीमत 20 रुपये प्रति क्विंटल है तो इसे हम 100 के बराबर मान लेते हैं। यदि जाँच के वर्ष में गेहूँ की कीमत 40 रुपये प्रति क्विंटल हो जाती है, तब वह प्रतिशत में 200 कहलायगी। इस तरह सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के कीमत प्रतिशत निकाल लिये जाते हैं।

(5) आधार-वर्ष तथा जाँच के वर्ष में कीमतों का औसत निकालना (To Find Out the Average of Prices)—कीमत-सूचकांक बनाते समय अन्तिम कदम यह होता है कि आधार-वर्ष और जाँच के वर्ष की कीमतों के प्रतिशतों का औसत निकाल लिया जाता है और दोनों की तुलना की जाती है। आधार-वर्ष का औसत तो 100 के बराबर ही रहता है, परन्तु जाँच के वर्ष का औसत 100 से अधिक या 100 से कम हो सकता है। इस औसत को सूचकांक कहते हैं। यदि जाँच के वर्ष का औसत आधार-वर्ष के औसत से अधिक है तो इसका अर्थ यह होगा कि सामान्य कीमत-स्तर बढ़ गया है। इसके विपरीत, यदि आधार-वर्ष का औसत जाँच के वर्ष के औसत से अधिक है तब इसका अर्थ होगा कि सामान्य कीमत-स्तर कम हो गया है। इस प्रकार सामान्य कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

साधारण कीमत-सूचकांक का एक उदाहरण—अब हम यहाँ पर एक काल्पनिक तालिका की सहायता से साधारण कीमत-सूचकांक का निर्माण करेंगे। निम्न तालिका से यह स्पष्ट है कि सन् 1967 का कीमत-सूचकांक 242.8 है। यह आधार वर्ष की तुलना में प्रतिशत के रूप में प्रकट किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सन् 1951 की तुलना में सन् 1967 में कीमत-स्तर में 242.8—100=142.8 प्रतिशत वृद्धि हो गयी है। दूसरे शब्दों में, सन् 1967 में सामान्य कीमत-स्तर सन् 1951 की अपेक्षा लगभग डेढ़ गुना बढ़ गया है। (स्मरण रहे, यह तालिका विशुद्धतः काल्पनिक ही है।)

वस्तुएँ	आधार-वर्ष सन् 1951 में कीमतें (रुपयों में)	आधार-वर्ष का सूचकांक	सन् 1967 में कीमतें (रुपयों में)	सन् 1967 का सूचकांक
गेहूँ	20 00 प्रति क्वि०	100	40 00	200
चावल	40 00 " क्वि०	100	120 00	300
वनस्पति	2 00 " क्वि०	100	4 00	200
दूध	0 50 " क्वि०	100	1 00	200
तेल	1 00 " लि०	100	3 00	300
कपड़ा	1 00 " मी०	100	3 00	300
फायला	2 00 " क्वि०	100	4 00	200
		7)700		7)1700
		100		242.8

जैसा उपर्युक्त तालिका में हमने देखा है, सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया गया है। यही साधारण कीमत सूचकांक का दोष है। वास्तव में, सूचकांक में सम्मिलित की जाने वाली सभी वस्तुओं को समान महत्व नहीं दिया जा सकता। उदाहरणार्थ उपर्युक्त तालिका में गेहूँ को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि तेल को। परन्तु हम जानते हैं कि उपभोक्ता के लिए तेल इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि गेहूँ। उपभोक्ता तेल पर अपनी आय का छोटा-सा अंश ही व्यय करता है, परन्तु गेहूँ पर वह अपनी आय का एक बड़ी बड़ा भाग व्यय करता है। यदि तेल की कीमत में काफी वृद्धि हो जाती है तो भी तेल पर किया गया व्यय कोई अधिक मात्रा में नहीं बढ़ता। इसका कारण यह है कि उपभोक्ता तेल पर पहले ही अपनी आय का एक बहुत छोटा-सा अंश व्यय कर रहा है। इसके विपरीत गेहूँ की कीमत में यदि थोड़ी-सी भी वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा गेहूँ पर व्यय की गयी राशि में अत्यधिक वृद्धि हो जायगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपभोक्ता के लिए गेहूँ और तेल का महत्व एक समान नहीं है, परन्तु साधारण कीमत-सूचकांक में सभी वस्तुओं को बराबर का महत्व दिया जाता है। इस प्रकार साधारण कीमत-सूचकांक मुद्रा के मूल्य-परिवर्तनों का सही-सही अनुमान प्रस्तुत नहीं करता। इस दोष को सभार-कीमत-सूचकांक बनाकर दूर किया जा सकता है।

सभार अथवा भारशील सूचकांक (Weighted Index Number)—जब वस्तुओं तथा सेवाओं को उनसे महत्व के अनुसार भार (weights) देकर सूचकांक बनाये जाते हैं, तब उन्हें सभार अथवा भारशील सूचकांक कहते हैं। इस प्रकार के सूचकांक में प्रत्येक वस्तु को उसके महत्व के अनुसार भार प्रदान किया जाता है। यदि कोई वस्तु अपनी आय का अधिक भाग किसी वस्तु पर व्यय करता है तब ऐसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक भार दिया जाता है। इसके विपरीत, जिस वस्तु पर कोई वस्तु अपनी आय का बहुत कम भाग व्यय करता है, उस वस्तु को कम भार दिया जाता है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं पर किये गये व्यय के अनुसार ही उन्हें भार प्रदान किया जाता है।

सभार अथवा भारशील सूचकांक का एक उदाहरण—साधारण सूचकांक का जो उदाहरण पीछे प्रस्तुत किया जा चुका है, उसी के आधार पर हम एक सभार सूचकांक बनाने का प्रयत्न करेंगे

वस्तुएं	आधार-वर्ष सन् 1951 में कीमतें (₹० में)	आधार-वर्ष का सभार सूचकांक	सन् 1967 में कीमतें (₹० में)	सन् 1967 का सभार सूचकांक
गेहूँ	20 00 प्रति वि०	$100 \times 2 = 200$	40 00	$200 \times 2 = 400$
चावल	40 00 , वि०	$100 \times 3 = 300$	120 00	$300 \times 3 = 900$
वनस्पति	2 00 ,, कि०	$100 \times 2 = 200$	4 00	$200 \times 2 = 400$
दूध	0 50 ,, लि०	$100 \times 1 = 100$	1 00	$200 \times 1 = 200$
तेल	1 00 ,, लि०	$100 \times 1 = 100$	3 00	$300 \times 1 = 300$
कपड़ा	1 00 मी०	$100 \times 2 = 200$	3 00	$300 \times 2 = 600$
कोयला	2 00 ,, वि०	$100 \times 1 = 100$	4 00	$200 \times 1 = 200$
		12) 1200		12 3000
		100		250

जैसा उपर्युक्त सारणी में स्पष्ट है, हमने विभिन्न वस्तुओं को उनसे महत्व के अनुसार भार दिये हैं। गेहूँ को 2, चावल को 3 वनस्पति को 2, दूध को 1, तेल को 1, कपड़े को 2 तथा कोयले को 1 के बराबर भार (weights) दिये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता के दृष्टि में विभिन्न वस्तुओं का सापेक्षिक (relative) महत्व क्या है। जैसी सारणी में दिखाया गया है सन् 1967 में सभार सूचकांक के अनुसार कीमत स्तर सन् 1951 की अपेक्षा $1\frac{1}{2}$ गुना बढ़ गया था।

सूचकांक बनाने में कठिनाइयाँ (Difficulties in Preparing Index Numbers)

सूचकांक बनाते समय हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं :

(1) आधार-वर्ष के चयन में कठिनाई—सूचकांक बनाते समय हमारे सामने पहली समस्या यह उत्पन्न होती है कि किस वर्ष को आधार-वर्ष माना जाय। इसका कारण यह है कि कोई भी वर्ष पूर्णतः सामान्य (normal) नहीं होता। प्रत्येक वर्ष में कुछ न कुछ असामान्य (abnormal) बातें अवश्य ही हो जाती हैं। अतः यह कहना कठिन हो जाता है कि कौन-से वर्ष को सामान्य वर्ष माना जाय। इसके अनिश्चित, यदि हम किसी को आधार-वर्ष मान लें तो वह वर्ष सदा के लिए आधार-वर्ष नहीं बन जाता, बल्कि समय-समय पर उस आधार-वर्ष में परिवर्तन किये जाते हैं। उदाहरणार्थ, युद्धकाल में कीमतों की वृद्धि को नापने के लिए सन् 1939 को आधार-वर्ष माना जाता था, परन्तु युद्धोत्तरकाल में सन् 1951 को कीमतें नापने के लिए आधार-वर्ष माना जाने लगा है। इस प्रकार आधार-वर्ष निर्धारित करते समय सूचकांक बनाने के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है।

(2) प्रतिनिधि-वस्तुओं के चयन में कठिनाई—सूचकांक बनाते समय दूसरी समस्या यह उत्पन्न होती है कि किन-किन प्रतिनिधि वस्तुओं को सम्मिलित किया जाय। कभी-कभी समय-बीतने पर वस्तुओं के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात् आधार-वर्ष की अपेक्षा जाँच के वर्ष (year of inquiry) में वस्तुओं के गुणों में अन्तर उत्पन्न हो सकता है। तब ऐसी परिस्थिति में पुरानी वस्तुओं को सूचकांक में सम्मिलित करना अर्थहीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य कठिनाई यह है कि कालान्तर में किसी वर्ग विशेष के उपभोग में भी अन्तर पड़ सकता है। उदाहरणार्थ दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व साधारण जनता के उपभोग में वनस्पति घोंका इतना महत्त्व नहीं था जितना कि इस समय है। अतएव इस कारण प्रतिनिधि-वस्तुओं के चयन में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

(3) वस्तुओं की कीमतों की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई—सूचकांक बनाते समय तीसरी समस्या यह उत्पन्न होती है कि प्रतिनिधि-वस्तुओं की किन कीमतों को लिया जाय—थोक अथवा फुटकर। अब थोक कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना तो अपेक्षाकृत आसान है परन्तु फुटकर कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होता है, क्योंकि उनमें कभी-कभी धिन्नता पायी जाती है।

(4) वस्तुओं को भार देने में कठिनाई—सूचकांक बनाते समय एक कठिनाई यह भी उत्पन्न होती है कि विभिन्न प्रतिनिधि-वस्तुओं को किस मात्रा में भार दिया जाय। कितने ही भ्रमरक प्रयत्न किये जायें, विभिन्न वस्तुओं को दिये गये भार केवल अनुमानजनक ही होंगे।

(5) औसत निकालने में कठिनाई—सूचकांक बनाते समय एक समस्या यह भी उत्पन्न होती है कि कौन-सी पद्धति से कीमतों की औसत निकाली जाय। जैसा विदित है, अनेक प्रकार की औसतें (averages) होती हैं, जैसे अंकगणित औसत (Arithmetic Average), रेखागणित औसत (Geometric Mean) इत्यादि। कभी-कभी एक ही सांख्यिकीय सामग्री से विभिन्न औसतों के प्रयोग से विभिन्न परिणाम निकलते हैं। अतः सूचकांक बनाते समय औसत की रीति का चुनाव करने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। भार तथा औसत की कठिनाइयों को दूर करने के लिए डॉ० मार्शल ने श्रृंखलाकार सूचकांकों (chain index numbers) का सुझाव दिया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सूचकांक बनाते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वास्तविक एवं पूर्णतः विश्वसनीय सूचकांक तैयार करना सम्भव नहीं और जो कीमत-सूचकांक प्रायः बनाये भी जाते हैं, वे कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों का सही-सही अनुमान प्रस्तुत नहीं करते। इस प्रकार सूचकांकों में पूर्ण गणितात्मक सत्यता नहीं पायी जाती। डॉ० मार्शल ने कहा है, "मुद्रा की अर्थ-शक्ति को पूर्णतः सही मापना न केवल असम्भव है, बल्कि अविचारणीय भी है।" परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कीमत-सूचकांक बिल्कुल बेकार होते हैं। मोटे तौर पर कीमत स्तर में होने वाली प्रवृत्तियों का अनुमान सूचकांकों की सहायता से लगाया जा सकता है।

सूचकांको के भेद (Types of Index Numbers)

सूचकांको के मुख्य भेद निम्नलिखित हैं

(1) **शोक कीमत सूचकांक (Wholesale Price Index Numbers)**—इस प्रकार के सूचकांक कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की शोक कीमतों के आधार पर बनाये जाते हैं। प्रायः इन सूचकांको के तैयार करने में कच्चे पदार्थों (raw materials) की कीमतों को ही सम्मिलित किया जाता है। ये पदार्थ दो प्रकार के होते हैं—(क) कृषि-सम्बन्धी पदार्थ और (ख) गैर-कृषि सम्बन्धी पदार्थ। इन सूचकांको को बनाते समय इन वस्तुओं की शोक कीमतों को ही लिया जाता है और इन वस्तुओं को उनके महत्व के अनुसार भार (weight) प्रदान किया जाता है। मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए प्रायः शोक कीमत सूचकांको का ही उपयोग किया जाता है परन्तु शोक कीमत सूचकांको में कुछ दोष भी पाये जाते हैं प्रथम इन सूचकांको में केवल कच्चे पदार्थों की शोक कीमतों को ही सम्मिलित किया जाता है अर्थात् तैयारशुदा वस्तुआ की कीमतों को इनमें सम्मिलित नहीं किया जाना यद्यपि तैयारशुदा वस्तुएँ भी देश की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितनी कि अन्य कच्ची वस्तुएँ। अतः ये सूचकांक मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का सही-सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। द्वितीय इन सूचकांको को बनाते समय व्यक्तिगत सेवाओं तथा वस्तुओं के विषय-व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाता। परिणामतः ये सूचकांक मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन का सही-सही अनुमान प्रस्तुत नहीं करते। तृतीय इन सूचकांको में समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं जिनसे इनकी उपयोगिता सीमित हो जाती है।

(2) **जीवन निर्वाह लागत सूचकांक (Cost of Living Index Numbers)**—इस प्रकार सूचकांको को तैयार करते समय सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं को उनके महत्व के अनुसार भार (weights) भी दिये जाते हैं। जिन वस्तुओं को सूचकांको में सम्मिलित किया जाता है व केवल प्रतिनिधित्वरूप ही होती हैं। इसका कारण यह है कि लोग द्वारा प्रयोग में लाया गया सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को सूचकांको में सम्मिलित करना सम्भव नहीं होता है। इन सूचकांको का सहायता में जीवन निर्वाह-लागत में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है।

श्रमिक-वर्ग जीवन निर्वाह सूचकांको तथा साधारण जीवन निर्वाह लागत सूचकांको में यह अन्तर होता है कि प्रथम प्रकार के सूचकांको में सेवाओं का कीमतों का सम्मिलित नहीं किया जाता जबकि दूसरे प्रकार के सूचकांको में सेवाओं का कीमतों का भाग सम्मिलित किया जाता है। स्मरण रहे कि इस प्रकार के सूचकांक मुद्रा की क्रय शक्ति में बड़ा मूल्य मानक तथा हात। इसका कारण यह है कि ये सूचकांक व्यक्तिगत सेवाओं पर क्रिय गये व्यय का वस्तु-मूल्य दर्शाते हैं।

(3) **औद्योगिक सूचकांक (Industrial Index Numbers)**—इन सूचकांको का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान प्रस्तुत करना है। अतः एम सूचकांको को बनाते समय देश के विभिन्न उद्योग-घट्टों के उत्पादन के अंकुशों का सम्मिलित किया जाता है। किसी महत्वपूर्ण वष को आधार वष मानकर अन्य वर्षों के औद्योगिक उत्पादन का परिवर्तन का इन सूचकांको द्वारा अनुमान लगाया जाता है। आज लगभग सभी देशों में सूचकांको द्वारा औद्योगिक उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है। इन सूचकांको के अतिरिक्त अन्य भी कई प्रकार के सूचकांको का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ कृषि उत्पादन सूचकांक (agricultural production index numbers) राष्ट्रीय-आय सूचकांक (national income index numbers) और आयात-निर्यात सूचकांक (import-export index numbers) इत्यादि।

सूचकांको के लाभ (Advantages of Index Numbers)

इसके लाभ निम्नलिखित हैं

(1) **जीवन निर्वाह लागत सूचकांक**—इन सूचकांको से हमें यह पता चलता है कि जीवन निर्वाह लागत में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं। क्या श्रमिकों की जीवन निर्वाह लागत बढ़ रही

है अथवा कम हो रही है ? इन सूचकांकों के आधार पर ही श्रमिकों तथा अन्य प्रकार के कर्मचारियों की मजदूरियों में परिवर्तन किये जाते हैं ।

(2) मुद्रा के मूल्य की माप—सामान्य कीमत-सूचकांकों की सहायता से हम देश के भीतर कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ; जैसा विदित है, कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों का समाज के विभिन्न वर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ता है । अतः कीमत-सूचकांकों की सहायता से हम यह जान सकते हैं कि देश के विभिन्न वर्गों पर कीमत-स्तर में होने वाले परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ा है ? इन्हीं सूचकांकों की सहायता से हम यह भी जान सकते हैं कि देश में मुद्रा स्फीति की दशा उत्पन्न हो गयी है और उसका मुकाबला करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जा सकते हैं ।

(3) व्यापारी के लिए सूचकांकों की उपयोगिता—इन सूचकांकों की सहायता से एक व्यापारी यह देख सकता है कि उसके माल की निम्नी बढ़ रही है अथवा कम हो रही है और यदि बढ़ रही है तो किस अनुपात में बढ़ रही है । इस प्रकार सूचकांकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर व्यापारी अपने माल की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है ।

(4) विदेशी व्यापार के बारे में जानकारी—इन सूचकांकों की सहायता से हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि विदेशी व्यापार की वास्तविक स्थिति क्या है ? क्या विदेशी व्यापार बढ़ रहा है अथवा कम हो रहा है और यदि बढ़ रहा है तो किस अनुपात में बढ़ रहा है ?

(5) उत्पादन के बारे में जानकारी—इन सूचकांकों की सहायता से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि देश का उत्पादन बढ़ रहा है अथवा कम हो रहा है और इसी जानकारी के आधार पर सरकार अपनी औद्योगिक नीति का निर्माण कर सकती है ।

(6) ऋणियों तथा ऋणदाताओं को लाभ—इन सूचकांकों की सहायता से ऋणियों को यह पता चल जाता है कि उनके ऋण लौटाने का उचित समय क्या है । इसी प्रकार इन सूचकांकों की सहायता से ऋणदाताओं को यह भी पता चल जाता है कि उनकी अतिरिक्त पूंजी को उधार देने का उचित समय कौन सा है ।

(7) राजनीतिकों को लाभ—इन सूचकांकों की सहायता से राजनीतिक देश की आर्थिक स्थिति को सही सही समझने में सक्षम होते हैं और उनके उपचार के लिए सरकार के सामने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं ।

(8) सरकार के लिए उपयोगिता—इन सूचकांकों की सहायता से सरकार भी देश की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सही-सही जानकारी प्राप्त कर सकती है और उसी जानकारी के आधार पर ही अपनी आर्थिक नीति का निर्माण करती है । एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy) में तो सूचकांकों का महत्व और भी बढ़ जाता है ।

(9) अन्य उपयोग—इन सूचकांकों का कई प्रकार के अन्य उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है । उदाहरणार्थ, रेलों, माल-वाहतवायु (Goods Traffic) में होने वाले परिवर्तनों को इन सूचकांकों की सहायता से जान सकते हैं । इसी प्रकार बैंक भी अपनी जमा राशियों (deposits) में होने वाले परिवर्तनों को सूचकांकों की सहायता से जान सकते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुछ परिसीमाओं (limitations) के बावजूद आर्थिक सूचकांक देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं । वास्तव में, इनकी सहायता के बिना देश की अर्थ-व्यवस्था को सही ढंग से प्रचलित रखना असम्भव है ।

सूचकांकों की परिसीमाएँ

(Limitations of Index Numbers)

इनकी परिसीमाएँ निम्नलिखित हैं

(1) इनका उपयोग सीमित होता है—जैसा बताया जा चुका है, प्रत्येक सूचकांक एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है और उसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता । उदाहरणार्थ, यदि किसी विशेष वर्ग की जीवन निर्वाह लागत का अध्ययन करने के लिए कोई सूचकांक बनाया जाता है तो उसे अन्य किसी वर्ग की आर्थिक स्थिति का

अध्ययन करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के सूचकांक का उपयोग सीमित रहता है।

(2) उपभोग पर समय का अन्तर—जैसा हम पहले भी बता चुके हैं, समय के बीतने के साथ-साथ लोगों की उपभोग सम्बन्धी आदतों में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उदाहरणार्थ लगभग 30 वर्ष पहले भारत में वनस्पति धी का उपभोग नहीं के बराबर हुआ करता था, परन्तु आजकल इसका उपभोग अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया है। इस प्रकार कुछ समय पूर्व उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों के आधार पर बनाये गये सूचकांक की वर्तमान उपभोग की वस्तुओं की कीमतों पर आधारित सूचकांक के साथ तुलना करना उचित नहीं है।

(3) सूचकांक में गणितात्मक सत्यता का अभाव रहता है—जैसा विदित है, इन सूचकांक में गणितात्मक सत्यता (Mathematical accuracy) का प्रायः अभाव रहता है, अर्थात् इन सूचकांक की सहायता से आर्थिक परिवर्तनों के बारे में विलकुल सही जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। ये सूचकांक मोटे तौर पर केवल प्रवृत्तियों (trends) के ही चेतक होते हैं और इनसे गणितात्मक सत्यता की आशा नहीं रखनी चाहिए।

(4) ये सूचकांक मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों की सही तथा विश्वसनीय सूचना प्रस्तुत नहीं करते—जैसा पूर्व कहा जा चुका है, कीमत-सूचकांक प्रायः थोक कीमतों के आधार पर ही बनाये जाते हैं। इसका कारण यह है कि फुटकर-कीमतों के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसा विदित है, फुटकर कीमतों में बहुत अधिक विभिन्नता पायी जाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ही थोक कीमतों का प्रयोग किया जाता है, परन्तु थोक कीमतों साधारण जनता के लिए मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का सही-सही प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि साधारण जनता तो वस्तुओं तथा सेवाओं को फुटकर कीमत पर ही खरीदती है। अतः कीमत-सूचकांक मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों की सही-सही सूचना प्रस्तुत नहीं करते।

(5) इन सूचकांक में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रायः मनमाने ढंग से भार दिये जाते हैं—सभार सूचकांक में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं को भार प्रदान करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। अतएव इन वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रायः मनमाने (arbitrary) ढंग से ही भार दिये जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये सूचकांक मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का सही-सही प्रतिनिधित्व नहीं करते।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सूचकांक की अनेक परिसीमाएँ हैं, परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि ये सूचकांक विलकुल बेकार होते हैं। वास्तव में, आर्थिक परिवर्तनों को मापने की ओर कोई सन्तोषजनक विधि ही नहीं है। उदाहरणार्थ, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों को मापने का अर्थशास्त्रियों के पास अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। इस प्रकार इन सूचकांक के अपूर्ण तथा दोषपूर्ण होते हुए भी देश में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों को मापने के लिए इनका अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. सूचकांक क्या होता है? सरल सूचकांक की एक सारणी बनाइये। ऐसी सारणी बनाते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए? (आगरा, 1966)
[संकेत—प्रथम भाग में, सूचकांक की परिभाषा देने समय इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, एक काल्पनिक सारणी के आधार पर सरल कीमत-सूचकांक तैयार कीजिए। तीसरे भाग में, यह बताइए कि कीमत-सूचकांक बनाते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए—(क) आधार-वर्ष का उचित चयन, (ख) वस्तुओं तथा सेवाओं का उचित चयन, (ग) वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों का समुचित चयन, (घ) कीमतों को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना, (ङ) आधार-वर्ष तथा जॉब के वर्ष में कीमतों की औसत निकालना।]
2. सूचकांक क्या है? सूचकांक को सहायता से मुद्रा के मूल्य का माप करने में क्या-क्या कठिनाइयाँ अनुभव की जाती हैं? (राजस्थान, 1956)

[संकेत—प्रथम भाग में, सूचकांक की परिभाषा देते हुए इनके उद्देश्यों की व्याख्या की जाए। दूसरे भाग में, यह स्पष्ट की जाए कि एक साधारण कीमत-सूचकांक बनाने के समय किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।]

3. उदाहरण सहित सरल और गुरुकृत देशनांक समझाइए। (जबलपुर, 1959)

अथवा

‘सूचकांक’ की परिभाषा दी जाए। ‘साधारण सूचकांक’ तथा ‘भारित सूचकांक’ में उपर्युक्त उदाहरण की सहायता से भेद की जाए। (भैरठ, 1975)

[संकेत—आरम्भ में, सूचकांक (देशनांक) की परिभाषा प्रस्तुत की जाए और एक काल्पनिक उदाहरण के आधार पर एक सरल कीमत-सूचकांक तैयार की जाए। तदुपरान्त यह बताया जाए कि सरल सूचकांक में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को समान महत्त्व दिया जाता है। वास्तव में, यह सरल सूचकांक का मुख्य दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए गुरुकृत अथवा भारित सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। इसी उदाहरण में विभिन्न वस्तुओं को उनके महत्त्व के अनुसार भार देते हुए एक काल्पनिक गुरुकृत सूचकांक तैयार की जाए।]

4. देशनांक क्या हैं? सामान्य देशनांक का अनुगणन करने की विधि समझाइए।

[संकेत—प्रथम भाग में, सूचकांक (देशनांक) की परिभाषा प्रस्तुत की जाए। दूसरे भाग में सामान्य सूचकांक बनाने की विधि का विस्तारपूर्वक वर्णन की जाए।]

5. सूचकांक की परिभाषा दी जाए। उनके उपयोगों और सीमाओं की विवेचना की जाए।

(विक्रम, 1961)

[संकेत—प्रथम भाग में, सूचकांक की परिभाषा प्रस्तुत की जाये। दूसरे भाग में, सूचकांक के उपयोगों के बारे में विस्तारपूर्वक लिखिए और इसके साथ ही साथ सूचकांक की परिस्तीमाओं का उल्लेख भी करिए।]

मुद्रा के मूल्य से क्या समझते हो? इसको कैसे मापा जा सकता है? (राजस्थान, 1968)

[संकेत—प्रथम भाग के लिए देखिए “मुद्रा का मूल्य” नामक उपशीर्षक अध्याय 6। दूसरे भाग में, आप बताइए कि इसे कीमत सूचकांक की सहायता से मापा जाता है। यहाँ पर आप विस्तृत रूप से बताइए कि कीमत-सूचकांक का निर्माण कैसे किया जाता है।]

7. निर्देशांक क्या है? इसे किस प्रकार बनाया जाता है? इसके उपयोगों को समझाइए।

(विक्रम, 1968)

[संकेत—प्रथम भाग में, निर्देशांक (सूचकांक) की परिभाषा दी जाए और संक्षेप में इसके उद्देश्यों की चर्चा की जाए। दूसरे भाग में, एक काल्पनिक सारणी के आधार पर एक सरल कीमत-निर्देशांक तैयार की जाए। तीसरे भाग में, निर्देशांक के उपयोगों के बारे में विस्तार लिखिए। ये भौक कीमतों, औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन, आन्तरिक एवं बाह्य व्यापार, जीवन-निर्वाह लागत इत्यादि को मापने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं।]

8. ‘भारित सूचकांक अंक’ का क्या महत्त्व है? एक छोटी भारत काल्पनिक अंक सारणी प्रस्तुत की जाए। (आगरा, 1971)

[संकेत—भारित सूचकांक अंक में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को समान भार नहीं दिया जाता बल्कि उनके महत्त्व के अनुसार उन्हें अलग-अलग भार प्रदान किये जाते हैं। काल्पनिक सारणी के लिए उपर्युक्त अध्याय को देखिए।]

9. सूचकांक अंक क्या हैं? इन्हें कैसे बनाया जाता है और इनके बनाने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं? (राजस्थान, 1971)

[संकेत—प्रथम भाग में, सूचकांक की परिभाषा देते हुए इसके उद्देश्यों को संक्षेप में बताइए। दूसरे भाग में, सूचकांक बनाने की विधि की विस्तृत व्याख्या की जाए। देखिए उपर्युक्त

अध्याय 1 तीसरे भाग के लिए उपर्युक्त अध्याय में “सूचकांक बनाने में कठिनाइयाँ” नामक उपविभाग को देखिए।]

- 10 मूल्य परिवर्तनों को आप किस प्रकार नापते हैं? इन परिवर्तनों को नापने में कौन-कौनसी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं? (विक्रम, 1971)

[संकेत—प्रथम भाग में, आप यह बताइए कि मूल्य-परिवर्तनों को कीमत-सूचकांक की सहायता से नापा जा सकता है। दूसरे भाग के लिए प्रश्न न० 9 को देखिए।]

“A banker is one who, in the ordinary course of his business, receives money which he repays by honouring cheques of persons from whom or on whose account he receives it ”

—HART

“There have been three great inventions since the beginning of Time fire, the wheel, and central banking ”

WILL ROGERS

द्वितीय खण्ड बैंकिंग (BANKING)

अध्याय 9. साक्ष

अध्याय 10. बैंको के कार्य

अध्याय 11 आधुनिक बैंको के विभिन्न रूप

अध्याय 12. बैंक की कार्य प्रणाली

अध्याय 13. केन्द्रीय बैंकिंग

अध्याय 14. अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

अध्याय 15. अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक एवं अन्य समस्याएँ

बैंकिंग-सम्बन्धी कुछ स्मरणीय उद्धरण



- 1 "Credit may be defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand at some future time on account of the immediate transfer of goods" —Kent
- 2 "Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money as may be required and safely made and to which individuals entrust money when not required by them for use" —Kinley
- 3 "A central bank is a bank regulating the volume of currency and credit" —Bank of International Settlements
- 4 "Clearing House is a general organisation of banks of a given place having of its main purpose the offsetting of cross obligations in the form of cheques" —Taussig
- 5 "An ordinary bank is run on business lines with a view to earning profits and a central bank, on the other hand is primarily meant to shoulder the responsibility of safeguarding the financial and economic stability of the country, it acts only in the public interest and for the welfare of the country as a whole, and without regard to profit as a primary consideration" —DeKock
- 6 "A bank is an institution which collects money from those who have it spare or who are saving it out of their income, and lends this money out to those who require it" —Geoffrey Crowther
- 7 "A bank is an institution whose debts are widely accepted in settlement of other people's debts to each other" —Sayers
- 8 "A bank is a person or corporation which holds itself out to receive from the public deposits payable on demand by cheque" —Walter Leaf

9

साख (Credit)

आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में साख का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में, आधुनिक राजकीय व्यवस्था साख पर ही आधारित है। पश्चिमी देशों में तो साख, मुद्रा से भी अधिक महत्त्वपूर्ण बन चुकी है। साधारण सौदे में मुद्रा की अपेक्षा साख का अधिक उपयोग किया जाता है।

साख की परिभाषा (Definition of Credit)

हिन्दी भाषा में 'साख' का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'क्रेडिट' है। 'क्रेडिट' शब्द लैटिन भाषा के 'क्रेडो' (credo) शब्द से निकला है। 'क्रेडो' शब्द में अभिप्राय 'विश्वास' (confidence) में है। अतः 'क्रेडिट' अथवा 'साख' शब्द का अर्थ 'विश्वास' लगाया जाता है। 'क्रेडिट' शब्द का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। परन्तु अर्थशास्त्र में 'क्रेडिट' अथवा 'साख' शब्द का प्रयोग 'उधार देने व लेने' के अर्थ में किया जाता है। 'साख' की परिभाषाएँ विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा इस प्रकार की गयी हैं

प्रो० जेवन्स (Jevons) के अनुसार, "साख शब्द का अर्थ भुगतान को स्थगित करना है।"¹

प्रो० किन्ले (Kinley) ने 'साख' को व्यक्ति की ऋण प्राप्त करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। उनके अनुसार, "साख से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति को उस शक्ति अथवा सामर्थ्य से होना है जिससे वह अन्य व्यक्ति को भविष्य में भुगतान की प्रतिज्ञा पर अपनी आर्थिक वस्तुएँ समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार 'साख' ऋणी का एक गुण अथवा शक्ति है।"²

प्रो० गिड (Gidd) के शब्दों में, "साख एक ऐसा विनियम कार्य है जो कुछ समय पश्चात् भुगतान करने पर पूरा हो जाता है।"³

इस प्रकार उद्योगिक परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि साख के अन्तर्गत ऋणदाता ऋणी को वर्तमान समय में पूँजी इस विश्वास पर उधार देता है कि एक निश्चित समयवाधि के पश्चात् ऋणी उतनी ही पूँजी ब्याज सहित लौटा देगा।

साख का वर्गीकरण (Classification of Credit)

साख का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। साख के कुछ मुख्य भेद अत्र लिखित हैं।

- 1 "Credit means postponement of payment" — Jevons
- 2 "By credit we mean the power which one person has to induce another to put economic goods at his disposal for a time on promise of future payment. Credit is thus an attribute or power of the borrower." — Kinley
- 3 "It is an exchange which is complete after the expiry of a certain period of time after payment." — Gidd

(1) उपभोक्ताओं को साख तथा उत्पादकों को साख (Consumer's Credit and Producers' Credit)—उपभोग्य साख के अन्तर्गत वे सभी ऋण रखे जा सकते हैं जिन्हें उपभोग्य उद्देश्यों के प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात् इन ऋणों द्वारा लोग अपनी प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को पूरित करते हैं। उपभोग्य ऋणों से ऋणी को कोई आय प्राप्त नहीं होती। अतएव ऋणी को ऐसे ऋण के मूलधन तथा उस पर हय ब्याज का भुगतान अपनी आय में से ही करना पड़ता है। किसी दूकानदार द्वारा अपने ग्राहकों का दिया गया उधार उपभोग्य-साख का उदाहरण है।

उत्पादकीय साख में अभिप्राय व्यक्तियों, कम्पनियों तथा सरकार द्वारा लिये गये उन ऋणों से है जिनको उत्पादक उद्देश्यों (Productive purposes) के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात् इस प्रकार के ऋणों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उत्पादकीय ऋणों से ऋणी को अवश्य ही कुछ आय प्राप्त होती है और उसी में से ऋणी अपने ऋण को लौटा सकता है। इस प्रकार ऋणदाता की दृष्टि से उत्पादकीय साख, उपभोग्य साख से अधिक श्रेष्ठ होती है।

(2) सार्वजनिक साख तथा व्यक्तिगत साख (Public Credit and Private Credit)—ऋणी के दृष्टिकोण से साख दो प्रकार की होती है (क) सार्वजनिक साख, एवं (ख) व्यक्तिगत साख। जब सरकार स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनता से ऋण लेती है, तब इसे सार्वजनिक साख कहते हैं। इसके विपरीत, जब निजी व्यक्ति, संस्थाएँ तथा कम्पनियाँ अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेती हैं, तब इसे व्यक्तिगत साख कहते हैं।

(3) व्यापारिक साख (Commercial Credit)—जैसा विदित है, प्रत्येक व्यापारी को जो प्रकार के ऋणों की आवश्यकता पड़ती है—अल्पकालीन ऋण तथा दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋणों (short term loans) को ही व्यापारिक साख कहते हैं। प्रत्येक व्यवसायी को कच्चा माल खरीदने, मजदूरों को मजदूरी चुकाने तथा बिनापन आदि के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता पड़ती है। अतः व्यवसायी द्वारा लिये गये अल्पकालीन ऋणों को ही व्यापारिक साख कहा जाता है।

(4) निवेश साख (Investment Credit)—व्यवसायियों द्वारा लिये गये दीर्घकालीन ऋणों का निवेश साख कहते हैं। जैसा विदित है एक व्यवसायी को अल्पकालीन ऋणों के अतिरिक्त दीर्घकालीन ऋणों की भी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणार्थ, यदि व्यवसायी को भूमि तथा मशीनें आदि खरीदनी हैं, तो उसे दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इन उद्देश्यों के लिए, लिये गए ऋणों को अल्पकाल में लौटाना नहीं जा सकता। दीर्घकालीन ऋण प्रायः बन्धक (mortgage) के आधारे पर प्राप्त किये जाते हैं। दीर्घकालीन साख को कभी-कभी औद्योगिक साख (industrial credit) भी कहा जाता है।

(5) बैंक साख (Bank Credit)—बैंक को जनता से जो जमा राशियाँ (deposits) प्राप्त होती हैं, उन्हें बैंक-साख कहते हैं। परन्तु कभी-कभी बैंक साख का प्रयोग व्यापक अर्थ में भी किया जाता है। इस अर्थ में बैंक-साख का अभिप्राय सभी प्रकार की जमा राशियों, ऋण-पत्रों, बॉण्ड्स (bonds) तथा साख-पत्रों से होता है। बैंक-साख के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किये गये कागजी नोटों को भी सम्मिलित किया जाता है।

साख की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व

निम्नलिखित तत्व साख की मात्रा को प्रभावित करते हैं

(1) लाभ की दर—जब लाभ की दर में वृद्धि होती है तो उत्पादकगण अपने-अपने व्यवसायों का विस्तार करने लगते हैं। ऋणों की माँग बढ़ जाती है और साख का विस्तार हान लगता है। इसके विपरीत जब व्यवसाय में भ्रष्टी छा जाती है और लाभ की दरें गिरने लगती हैं, तब ऋणों की माँग भी कम हो जाती है और साख का संकुचन हो जाता है। इस प्रकार लाभ की दरों तथा साख की मात्रा में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है।

(2) व्यापार की परिस्थितियाँ—साख की मात्रा पर देश की व्यापारिक परिस्थितियाँ (trade conditions) का भी प्रभाव पड़ता है। तेजीमान (boom period) में साख का विस्तार

होता है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने के कारण व्यापारियों की ऋणों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय तो व्यापारी लोग ऊँची ब्याज की दरों पर भी ऋण लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, परन्तु मन्दीकाल (slump) में वस्तुओं की कीमतें गिर जाने के कारण व्यापारियों में निराशा (pessimism) की लहर दौड़ जाती है। परिणामतः ऋणों की मांग कम हो जाती है और साख का सकुचन हो जाता है।

(3) देश की राजनीतिक दशा—किसी देश के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि उस देश में पूर्णरूप से शान्ति तथा सुव्यवस्था का वातावरण हो। यदि किसी देश में समय-समय पर दंगे होते हैं तो उस देश के आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है और उसके साथ ही साथ वहाँ पर साख का सकुचन होने लगता है।

(4) सट्टे की स्थिति—साख की मात्रा देश में सट्टे की स्थिति से भी शासित होती है। यदि भविष्य में कीमतों के बढ़ जाने की आशा है तो इससे सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है। सट्टे-रियों द्वारा ऋणों की मांग बढ़ जाती है और साख का विस्तार होने लगता है। इसके विपरीत, यदि देश में भावी कीमतों के गिर जाने की सम्भावना है तो सट्टे-बाजार में मन्दी छा जाती है। सट्टेरियों द्वारा ऋणों की मांग घट जाती है और साख का सकुचन हो जाता है।

(5) केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति—किसी भी देश में साख की मात्रा पर केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि केन्द्रीय बैंक सस्ती मुद्रा-नीति (cheap money policy) अपनाने हेतु बैंक-दर कम कर देता है तो इससे साख की मात्रा में विस्तार हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब बैंक दर में कमी हो जाती है तो व्यापारिक बैंकों को भी उसी अनुपात में अपनी अपनी ब्याज की दरों को कम करना पड़ता है। इस प्रकार ऋणों की मात्रा बढ़ जाती है और साख का विस्तार होने लगता है। इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक-दर को ऊँचा कर देता है तो सम्बद्ध व्यापारिक बैंकों को भी अपनी-अपनी ब्याज की दरों को बढ़ाना पड़ता है। इससे ऋणों की मांग कम हो जाती है और साख का सकुचन होने लगता है।

(6) मुद्रा-व्यवस्था—साख की मात्रा पर देश की मुद्रा-व्यवस्था (monetary system) का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि देश की मुद्रा-व्यवस्था सुनिश्चित तथा सुदृढ़ है तो इसके अन्तर्गत साख की मात्रा का विकास होगा। इसके विपरीत, यदि देश की मुद्रा व्यवस्था अनिश्चित है और समय-समय पर उसमें भारी परिवर्तन होते रहते हैं तो साख की मात्रा का सकुचन होता चला जाता है।

(7) बैंकिंग का विकास—किसी देश में साख की मात्रा उस देश के बैंकिंग विकास के स्तर पर भी निर्भर करती है। जैसा विदित है, बैंक साख निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यदि किसी देश में बैंकों का विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो ऐसे देश में साख की मात्रा भी अधिक नहीं हो सकती। पिछड़े तथा अल्पविकसित देशों में बैंकिंग भी प्रायः अल्पविकसित ही होती है। वत ऐसे देशों में साख राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करती। किन्तु पश्चिम के उन्नत देशों में बैंकों के विकसित होने के कारण साख को राष्ट्रीय-अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है।

क्या साख पूँजी है ? (Is Credit Capital?)

इस विषय पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। सुविख्यात अर्थशास्त्री प्रो० मैकलिओड (Macleod) का विचार है कि साख पूँजी है और भूमि को भाँति यह उत्पादन का एक पृथक साधन है। उनके शब्दों में, मुद्रा और साख दोनों ही पूँजी हैं। व्यापारिक साख व्यापारिक पूँजी है।¹ इसका कारण यह है कि वर्तमान युग में सभी आर्थिक क्रियाएँ साख पर ही आधारित होती हैं। साख भी यही कार्य करती है जो मुद्रा द्वारा सम्पन्न किया जाता है। साख पत्र, वास्तव में, मुद्रा के ही प्रतिनिधित्वरूप है। उनका उपयोग भी उत्पादन में वृद्धि करने हेतु किया जाता

1 "Money and credit are both capital Mercantile credit is Mercantile Capital"

है। अतः साख भी पूँजी की तरह उत्पादन का प्रथम साधन है। परन्तु प्रो० मेकलिओड का यह मत उचित प्रतीत नहीं होता। इसके निम्नलिखित कारण हैं

(1) आलोचको के अनुसार, साख न तो स्वयं पूँजी है और न ही पूँजी के निर्माण में सहायक होती है। साख तो ऋणी की वह क्षमता है जिसके आधार पर वह किसी ऋणदाता से प्रतिज्ञापन लिख देने के बदले में एक निश्चित अर्धिका के लिए निश्चित राशि ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार साख स्वयं पूँजी तो नहीं है परन्तु पूँजी के हस्तान्तरण में सहायता अवश्य देती है। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त (surplus) पूँजी है और वह स्वयं इसका लाभपूर्ण उपयोग करने में असमर्थ है तो वह अपनी इस पूँजी को किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे सकता है, जो उसका उचित एवं लाभपूर्ण उपयोग करने की स्थिति में है। इस प्रकार साख तो केवल पूँजी के हस्तान्तरण में सहायक ही होती है। वह स्वयं पूँजी नहीं होती। मान लीजिए, किसी व्यक्ति को साख तो उँची है परन्तु किसी कारणवश उसे किसी स्रोत से ऋण प्राप्त नहीं होता। क्या वह व्यक्ति अपनी साख के बल पर उत्पादन कार्य कर सकता है? स्पष्ट है कि वह केवल अपनी उँची साख के आधार पर उत्पादन-कार्य नहीं कर सकता है। साख तो केवल साधन है साध्य (end) नहीं है। साख की सहायता से पूँजी प्राप्त की जा सकती है। परन्तु साख स्वयं पूँजी नहीं है।

प्रो० जे० एस० मिल (J S Mill) ने उचित ही कहा है 'उधार देने से ही नयी पूँजी का निर्माण नहीं हो जाता है। इससे तो केवल उस पूँजी का जो पहले ऋणदाता के पास था ऋणी का हस्तान्तरण होता है। साख तो दूसरे व्यक्ति की पूँजी का उपयोग करने का अधिकार है। इससे उत्पादन के साधनों में वृद्धि नहीं की जा सकती बल्कि इसका केवल हस्तान्तरण ही हो सकता है।'¹

(2) आलोचको का यह भी कहना है कि साख पूँजी की भाँति अलग से एक साधन न होकर केवल उत्पादन की विधिमात्र है अर्थात् साख उत्पादन की एक रीति है और अन्य रीतियों की तरह यह भी उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता देती है। साख को उत्पादन का स्वतन्त्र साधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(3) आलोचका द्वारा यह भी कहा जाता है कि साख पत्र केवल पूँजी का प्रतिनिधित्व ही करते हैं वे स्वयं पूँजी नहीं होते। वे तो केवल पूँजी हस्तान्तरण में सहायता ही देते हैं। अतः उपयुक्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि साख न तो पूँजी है और न ही उत्पादन का स्वतन्त्र साधन ही मानी जा सकती है।

साख के लाभ

(Advantages of Credit)

साख के लाभ निम्नलिखित हैं

(1) मूल्यवान् धातुओं की वृद्धि—साख पत्रों के प्रयोग से मूल्यवान् धातुओं के प्रयोग में वृद्धि होती है। चूँकि अधिकांश मीलों का भगतान साख पत्रों के माध्यम से होता है इसलिए धातु मुद्रा का प्रयोग कम हो जाता है। पश्चिमी देशों में तो साख-पत्रों के कारण धातु मुद्रा का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है।

(2) पूँजी की उत्पादन-शक्ति में वृद्धि साख पूँजी की गतिशीलता को बढ़ाकर उसकी उत्पादन शक्ति में वृद्धि कर देती है। साख की सहायता से एक व्यक्ति के पास बेकार पड़ी हुई पूँजी को किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के पास हस्तान्तरित किया जा सकता है जो उसे उत्पादन-कार्य में लगाकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करे।

1 New capital is not created by the mere fact of lending, only the capital that was in the hands of the lender is now transferred to the hands of the borrower. Credit being only the permission to use the capital of another person the means of production cannot be increased by it but only transferred
—J S Mill

(3) विनिमय-माध्यम में वृद्धि—साख-पत्रों के अधिकाधिक प्रयोग से देश में विनिमय के माध्यम में वृद्धि हो जाती है। इससे देश के व्यापारियों तथा व्यवसायियों को अधिक सुविधाएँ उपलब्ध होने लगती हैं।

(4) अन्तरराष्ट्रीय भुगतानों में सुविधा—जैसा विदित है, अन्तरराष्ट्रीय भुगतानों में विदेशी विनिमय बिलों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में धातु-मुद्राओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार साख की सहायता से अन्तरराष्ट्रीय भुगतानों में बहुत सुविधा रहती है।

(5) दूरस्थ स्थानों पर भुगतान में सुविधा—जब दूरस्थ स्थानों पर व्यापारियों को भुगतान करने होते हैं, तब भी साख पत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से धातु-मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की आवश्यकता नहीं रहती।

(6) बचतों को प्रोत्साहन—साख के कारण बचतों को प्रोत्साहन मिलता है। इसका कारण यह है कि व्यापारिक बैंक छोटी से छोटी बचतों को भी जमा राशियों (deposits) के रूप में स्वीकार करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इस प्रकार साख से देश में पूँजी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है।

(7) कीमतों में स्थिरता किसी देश के कीमत-स्तर में स्थिरता स्थापित करने में भी साख एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साख की सहायता से कीमत स्तर की अस्थिरता को दूर करना सम्भव हो जाता है। यदि कीमत स्तर में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो साख की मात्रा को घटाकर कीमतों को घटाया जा सकता है। इसके विपरीत यदि कीमत स्तर में अत्यधिक कमी हो जाती है तो साख की मात्रा को बढ़ाकर कीमतों को ऊपर उठाया जा सकता है। इस प्रकार साख की मात्रा को घटा-बढ़ाकर कीमत-स्तर में स्थिरता लायी जा सकती है।

(8) देश के आर्थिक विकास में सहायता—जैसा विदित है, आधुनिक काल में देश के आर्थिक विकास में सरकार का महत्वपूर्ण भाग होता है। आर्थिक विकास पर किये गये व्यय का काफी बड़ा भाग घाटे की अर्थ व्यवस्था (deficit financing) तथा सार्वजनिक ऋणों द्वारा पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार देश में आर्थिक विकास में साख एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

(9) मुद्रा-प्रणाली में लोच—साख की सहायता से देश की मुद्रा-प्रणाली में अधिक लोचकता (elasticity) उत्पन्न की जा सकती है। जैसा स्पष्ट है, साख का निर्माण प्रायः व्यापारिक बैंकों द्वारा ही किया जाता है। चूंकि ये बैंक व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की वित्तीय स्थिति से परिचित होते हैं, इसलिए ये उनकी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार ही साख की मात्रा में विस्तार तथा संकुचन करते रहते हैं। परिणामतः मुद्रा-प्रणाली अधिक लोचपूर्ण हो जाती है।

(10) उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग—साख का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इसकी सहायता से उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्रो० केन्ज (Keynes) ने कहा है, साधनों की पूर्ण रोजगार (full employment) की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कीमत स्तर में मन्द गति से निरन्तर वृद्धि होती रहनी चाहिए। ऐसी दशा को प्राप्त करने के लिए साख महत्वपूर्ण योग देती है और इसके निरन्तर विस्तार से पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है।

(11) आर्थिक संकट का सामना करने में सहायता—साख की सहायता से निजी व्यक्ति तथा सरकार दोनों ही आर्थिक संकट का मुकाबला प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। यदि सरकार युद्ध के छिड़ जाने से आर्थिक संकट में पँस जाती है तो सार्वजनिक ऋणों तथा घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा वह अपने आर्थिक साधनों में वृद्धि कर सकती है।

(12) रोजगार की मात्रा में वृद्धि—मन्दीकाल में प्रायः बेरोजगारी बढ़ जाती है और लाखों व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में साख के विस्तार द्वारा कीमत स्तर में वृद्धि की जा सकती है, जिससे उत्पादन बढ़ जाता है और बेकार मजदूरों को रोजगार मिलने लगता है।

(13) उपभोग में वृद्धि—साख की सहायता से राष्ट्रीय उपभोग (national consumption) में वृद्धि की जा सकती है। उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा में वस्तुएँ खरीदने के लिए उधार सम्बन्धी सुविधाएँ (credit facilities) दी जा सकती हैं। उदाहरणार्थ, उनसे वस्तुओं की कीमतें आसान किस्तों (easy instalments) के रूप में ली जा सकती हैं। इससे वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाया जा सकता है।

साख की हानियाँ (Disadvantages of Credit)

साख की हानियाँ निम्नलिखित हैं

(1) साख अपव्यय को प्रवृत्ति को बढ़ाती है—साख की सहायता से लोगों को ऋण आसानी से मिल जाते हैं। परिणामतः वे मितव्ययी नहीं रहते और धन का अपव्यय (wastage) करने लगते हैं। इसके साथ ही साथ साख के कारण लोगों की आत्मनिर्भरता की भावना को भी ठेस पहुँचती है।

(2) साख अकुशल व्यवसायों को जन्म देती है—साख की सहायता से कभी-कभी अकुशल व्यवसाय भी स्थापित हो जाते हैं। ऐसे व्यवसाय अपने बल पर नहीं चल सकते, किन्तु वे साख की सहायता से (बैंको से ऋण आदि लेकर) किसी प्रकार चलते रहते हैं परन्तु जब ऐसे व्यवसाय असफल होकर बन्द हो जाते हैं तो इससे देश के समूचे आर्थिक जीवन को हानि पहुँचती है। दूसरे शब्दों में, साख की सहायता से अकुशल व्यवसायी अपनी वास्तविक स्थिति को छिपा लेने में सफल हो जाते हैं।

(3) साख के अत्यधिक प्रसार की सम्भावना रहती है—साख में एक त्रुटि यह भी है कि तेजीकाव (boom) में बैंको द्वारा इसका प्रायः अत्यधिक मात्रा में विस्तार कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कालान्तर में मुद्रा-स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है।

(4) साख राष्ट्रीय आय के वितरण को असमान बना देती है—जैसा विदित है, साख तथा पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली दोनों एक साथ चलती हैं। साख के कारण देश में आय के वितरण में विषमताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। देश के राष्ट्रीय धन का अधिकांश भाग कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जाता है। परिणामतः धनी वर्ग, श्रमिक वर्ग का शोषण करने लगता है और समूचे देश में अशान्ति फैल जाती है।

(5) साख से अति-उत्पादन का भय—कभी-कभी देश में साख की मात्रा का अत्यधिक प्रसार होने के कारण अति-उत्पादन (over-production) की समस्या उत्पन्न हो जाती है। परिणामतः कीमतें गिरने लगती हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है और देश की समूची अर्थ व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है।

(6) साख से सदृष्टे को प्रोत्साहन मिलता है—जैसा विदित है, साख के विस्तार के परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है और इसमें अन्ततः सदृष्टे की प्रवृत्ति के बढ़ जाने के कारण आगे चलकर कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होते हैं जिससे समूचे देश को हानि होती है।

(7) साख से एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलता है—जैसा पूर्व कहा जा चुका है, साख-प्रणाली के अन्तर्गत देश की पूँजी का अधिकांश भाग कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जाता है। इससे देश में एकाधिकारी संस्थाओं की स्थापना होने लगती है और ये संस्थाएँ आगे चल कर जनता का शोषण करने लगती हैं और अवसर मिलने पर राजनीतिक सत्ता को हथियाने में भी नहीं हिचकिचाती।

(8) साख व्यापार-चक्रों को जन्म देती है—जैसा कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार है, साख के विस्तार तथा संचयन से व्यापार में भारी उथल-पुथल होती है और व्यापार चक्र (trade cycle) कायशील हो जाता है।

(9) अनैतिकता (Immorality)—साख कभी-कभी अनैतिकता को भी जन्म देती है। साख के कारण धन के दुरुपयोग की आशंका रहती है। इसके समाज में जुएबाजी, शराबखोरी एवं नैश्याप्रवृत्ति जैसी बुरी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है।

साख के लाभ तथा हानियों के उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि जहाँ देश को साख से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, वहाँ उसे इससे कुछ हानियाँ भी होती हैं। परन्तु स्मरण रहे कि साख से हानियाँ तभी होती हैं, जबकि साख की मात्रा पर उचित नियन्त्रण नहीं रखा जाता। यदि देश का केन्द्रीय बैंक साख की मात्रा पर उचित नियन्त्रण रखता है तो फिर इससे होने वाली हानियों को काफी बड़ी मात्रा में कम किया जा सकता है। अतएव यह नितान्त आवश्यक है कि देश की अर्थ-व्यवस्था को स्वस्थ रखने के लिए साख-प्रणाली पर समुचित तथा प्रभावपूर्ण नियन्त्रण स्थापित किया जाय।

साख-पत्र

(Credit Instruments)

साख-पत्रों से अभिप्राय उन पत्रों, नोटों तथा पर्चों से होता है जिनका साख-मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन्हीं साख पत्रों के आधार पर ऋण दिये व लिये जाते हैं और इन्हीं की सहायता से वस्तुओं तथा सेवाओं का द्रव्य विक्रय किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में साख पत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वास्तव में, साख-पत्र वही काम करते हैं जो मुद्रा द्वारा किया जाता है लेकिन ऐसा होते हुए भी मुद्रा तथा साख पत्रों में कुछ महत्त्वपूर्ण अन्तर पाये जाते हैं।

(क) साख-पत्र निजी व्यक्तियों या बैंकों द्वारा जारी किये जाते हैं, जबकि मुद्रा सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्गमित की जाती है।

(ख) साख-पत्रों का कोई कानूनी आधार नहीं होता, अर्थात् वे विधिग्राह्य नहीं होते। किसी भी व्यक्ति को साख-पत्र लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, परन्तु मुद्रा विधिग्राह्य होती है और कोई भी व्यक्ति ऋणों के भुगतान में इसको लेने से इन्कार नहीं कर सकता है।

(ग) मुद्रा का क्षेत्र राष्ट्रव्यापी होता है, परन्तु साख-पत्रों का क्षेत्र प्रायः सीमित होता है। साख पत्रों का आधार तो केवल पारस्परिक विश्वास ही है और जहाँ विश्वास का अभाव होता है, वहाँ साख-पत्रों का उपयोग नहीं हो सकता।

साख-पत्रों के भेद

(Types of Credit Instruments)

नीचे हम कुछ प्रमुख साख पत्रों का वर्णन करेंगे

1 **रुक्का या प्रणपत्र या प्रतिज्ञापत्र (Promissory Note)**—रुक्का या प्रतिज्ञापत्र वह शर्तहीन पत्र होता है जिसमें इसका लिखने वाला किसी व्यक्ति को या उसके आदेशित व्यक्ति को या उसके वाहक को एक निश्चित समय बाद अथवा माँग करने पर पत्र में लिखी हुई रकम को देने की प्रतिज्ञा करता है।¹ प्रतिज्ञापत्र के दो पक्ष होते हैं—(क) लिखने वाला या आहार्ता (drawer), एव (ख) रुपयः पाने वाला या अदाता (payee)। रुपयः पाने वाला यदि चाहे तो अपना अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का हस्तान्तरित कर सकता है। प्रतिज्ञापत्र दो प्रकार के होते हैं

(1) **दर्शनी प्रोनोट या प्रतिज्ञापत्र (Sight Pronote)**—इसके अन्तर्गत प्रतिज्ञापत्र में लिखी गयी रकम आदाता (payee) को माँग पर दी जाती है।

(2) **मुदती प्रोनोट या प्रतिज्ञापत्र (Time Pronote)**—इसमें लिखी गयी रकम निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही दी जाती है।

(1) **बैंक प्रोनोट या प्रतिज्ञापत्र (Bank Pronote)**—यह वह प्रतिज्ञापत्र होता है जो देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इस पत्र में लिखी गयी रकम का भुगतान

1 "Promissory Note is an unconditional document in which the drawer promises to pay the amount stated in it after a definite period or on demand to a person or his order or bearer"

वाहक को मांग करने पर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किये गये कागजी नोट बैंक-प्रतिज्ञापत्र के उदाहरण हैं।

(2) करेंसी प्रोनोट या प्रतिज्ञापत्र (Currency Pronote)—यह वह प्रतिज्ञापत्र होता है जो देश के मुद्रा-अधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। यह भी एक प्रतिज्ञापत्र की भाँति होता है और इसका भुगतान भी वाहक के मांग करने पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये एक रुपये के नोट करेंसी प्रतिज्ञापत्र के उदाहरण हैं।

(3) व्यापारिक प्रोनोट या प्रतिज्ञापत्र (Commercial Pronote)—यह प्रतिज्ञापत्र निजी व्यापारियों, फर्मों एवं बैंकों द्वारा जारी किये जाते हैं। व्यापारिक प्रतिज्ञापत्र वह शतहीन लिखित पत्र होता है जिसमें लिखने वाला अपने हस्ताक्षर करके इसे लेनदार को दे देता है, अर्थात् व्यापारिक प्रतिज्ञापत्र एक विनिमय बिल की भाँति होता है, परन्तु व्यापारिक प्रतिज्ञापत्र और विनिमय बिल में एक महत्वपूर्ण अन्तर भी है। व्यापारिक प्रतिज्ञापत्र देनदार द्वारा लिखा जाता है। वह इस पर हस्ताक्षर करके इसे लेनदार के हवाले कर देता है, परन्तु विनिमय-बिल लेनदार द्वारा लिखा जाता है और स्वीकृति के लिए देनदार के पास भेजा जाता है। देनदार उस पर अपनी स्वीकृति व्यक्त करके उसे पुनः लेनदार के पास भेज देता है।

2 हुण्डी (Hundies)—हुण्डी साधारणतः एक शतहीन लिखित प्रलेख होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का यह आदेश देता है कि वह मुद्रा की एक निश्चित राशि उसमें लिखे गये व्यक्ति को मांग करने पर अथवा एक निश्चित अवधि के पश्चात् अदा करे। कुछ भारतीय अर्थशास्त्रियों का विचार है कि हुण्डी विनिमय-बिल का भारतीय रूपान्तर है। परन्तु, वास्तव में, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विनिमय बिल तथा हुण्डी में कुछ अन्तर पाये जाते हैं।

भारत के आन्तरिक व्यापार के लिए मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में हुण्डी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हुण्डी द्वारा मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से भेजी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर हुण्डी द्वारा रुपया भी उधार लिया जा सकता है। परन्तु हुण्डी में एक त्रुटि यह है कि इसमें ऐसा सकेत नहीं होता जिससे यह पता चले कि यह किसी व्यापारिक माल के सम्बन्ध में जारी की गई है। इसीलिए बैंक प्रायः हुण्डी को आसानी से डिस्काउण्ट (discount) नहीं करते। हुण्डी को समय के आधार पर दो वर्गों में बाँटा जाता है

(1) दर्शनी हुण्डी—जब हुण्डी में लिखी रकम मांग करने पर देय (payable) होती है तो उसे दर्शनी हुण्डी कहते हैं।

(2) मुद्दती हुण्डी—जब हुण्डी में लिखी रकम किसी निश्चित अवधि के बाद देय होती है तो उसे मुद्दती हुण्डी कहते हैं।

हुण्डी को निम्नलिखित उप विभागों में भी विभाजित किया जाता है

(अ) धनीजोग हुण्डी—इसमें लिखित रकम किसी भी धनी या वाहक को दी जा सकती है। यदि रकम का भुगतान किसी गलत व्यक्ति को हो जाता है तो इसके लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(ब) शाहजोग हुण्डी—इसमें लिखित रकम किसी शाह, अर्थात् किसी सम्मानित व्यक्ति को ही दी जा सकती है। शाहजोग हुण्डी में लिखी रकम का भुगतान करते समय बैंक को सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं भुगतान गलत व्यक्ति को नहीं हो जाये।

(स) फरमान जोग हुण्डी—इस हुण्डी में लिखित रकम किसी आदेशित व्यक्ति को ही देय होती है।

(द) देखनहार हुण्डी—यह वह हुण्डी है जिसका भुगतान इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को ही कर दिया जाता है।

3 विनिमयपत्र या बिल ऑफ एक्सचेंज (Bill of Exchange)—बिल ऑफ एक्सचेंज, वह लिखित व शतहीन पत्र होता है जिसको लेखक अपने हस्ताक्षर सहित जारी करता है और जिसमें वह किसी व्यक्ति को अथवा उससे आदेशित व्यक्ति को अथवा पत्र के वाहक को मुद्रा की

एक निश्चित रकम अदा करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति को आवेश देता है। दूसरे शब्दों में, बिल ऑफ एक्सचेन्ज वह लिखित आदेश होता है जिसमें ऋणदाता ऋणी को मुद्रा की एक निश्चित रकम स्वयं उसे अथवा किसी आदेशित व्यक्ति को अथवा वाहक को अदा करने की आज्ञा देता है।

बिल ऑफ एक्सचेन्ज के तीन पक्ष होते हैं प्रथम, आहार्ता या लेखक (drawer), द्वितीय, आहार्थी या देनदार (drawee), तृतीय, आदाता या लेनदार (payee)। बिल ऋणदाता द्वारा लिखा जाता है और ऋणी पर लिखा जाता है।

बिल ऑफ एक्सचेन्ज दो प्रकार के होते हैं

(1) दर्शनी विनिमय-पत्र या बिल ऑफ एक्सचेन्ज (Sight or Demand Bill of Exchange)—जब बिल में लिखी रकम मांगने पर देय होती है तो उसे दर्शनी बिल कहते हैं।

(2) मुद्दती विनिमय-पत्र या बिल ऑफ एक्सचेन्ज (Time or Usance Bill of Exchange)—जब बिल में लिखित रकम निश्चित अवधि के पश्चात् देय होती है, तो उसे मुद्दती विनिमय-पत्र कहते हैं। मुद्दती विनिमय-पत्र में दी गयी समयावधि में तीन अनुग्रह दिवस (days of grace) जोड़ दिये जाते हैं और इस प्रकार बिल की देय तिथि ज्ञात की जा सकती है। स्मरण रहे कि दर्शनी विनिमय-पत्र में अनुग्रह दिवसों का प्रश्न ही नहीं उठता। मुद्दती विनिमय-पत्रों पर मूल अनुसार स्टाम्प लगाना अनिवार्य होता है, किन्तु दर्शनी विनिमय-पत्र पर स्टाम्प लगाना आवश्यक नहीं होता।

जब विनिमय-पत्र लिखकर तैयार हो जाता है तो उसे आहार्थी (देनदार) के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि आहार्थी (देनदार) उसे स्वीकार कर लेता है तो वह अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। स्वीकृति के पश्चात् विनिमय-पत्र कानूनी रूप धारण कर लेता है और आहार्थी (देनदार), उसका भुगतान करने के लिए बाध्य हो जाता है।

विनिमय पत्र की विशेषताएँ इस प्रकार हैं

- (1) विनिमय पत्र या बिल ऑफ एक्सचेन्ज एक शर्तहीन आज्ञापत्र होता है।
- (2) यह लिखित आदेश होता है।
- (3) यह ऋणदाता द्वारा ऋणी पर लिखा जाता है।
- (4) इस पर ऋणदाता अथवा आहार्ता के हस्ताक्षर होते हैं।
- (5) बिल पर देनदार या आहार्थी अपनी स्वीकृति व्यक्त करके हस्ताक्षर कर देता है।
- (6) बिल का भुगतान माँग करने पर अथवा एक निश्चित अवधि के उपरान्त किया जाता है।
- (7) बिल की रकम मुद्रा के रूप में निश्चित की जाती है।
- (8) बिल का भुगतान किसी विशेष व्यक्ति अथवा उसके आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को किया जाता है।

बिल ऑफ एक्सचेन्ज दो प्रकार के होते हैं (1) देशी विनिमय बिल—यह एक ऐसा बिल होता है जिसका आहार्ता तथा आहार्थी दोनों एक ही देश में रहने वाले होते हैं। देशी विनिमय बिल देशी व्यापार के सम्बन्ध में ही लिखा जाता है, (2) विदेशी विनिमय बिल—यह एक ऐसा बिल होता है जिसका आहार्ता तथा आहार्थी भिन्न-भिन्न देशों के होते हैं। विदेशी विनिमय बिल विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में ही जारी किया जाता है।

व्यापारिक क्षेत्र में विनिमय पत्रों का बड़ा महत्व होता है। इनसे व्यापारियों तथा उद्योग-पतियों को कई प्रकार के लाभ होते हैं

(1) विनिमय पत्रों की सहायता से व्यापारी लोग बिना नकदी (cash) के माल खरीद सकते हैं और माल का भुगतान कुछ समय बाद कर सकते हैं।

(2) विनिमय पत्रों से मूल्यवान् धातुओं के प्रयोग में भी बचत होती है, क्योंकि जब भुगतान इनके (विनिमय पत्रों) के माध्यम से किये जाते हैं, तब धातु मुद्राओं का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार विशेषकर अन्तरराष्ट्रीय भुगतानों में विनिमय-पत्रों का बहुत महत्व होता है।

(3) विनिमय-पत्रों की सहायता से निर्यातकर्ताओं को अपने माल की कीमत अपने देश की मुद्रा में ही प्राप्त हो जाती है।

(4) विनिमय-पत्र निवेशकर्ताओं (investors) के लिए भी निवेश (investment) के एक तरल एवं सुविधाजनक साधन होते हैं।

(5) विनिमय पत्रों को उनकी निश्चित तिथि से पूर्व भी भुनाया जा सकता है। अतएव यदि किसी व्यक्ति को मुद्रा की तुरन्त आवश्यकता पड़ जाती है और वह विनिमय-पत्र के परिपक्व (mature) होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता तो वह बैंक द्वारा विनिमय-पत्र को डिस्काउण्ट (discount) करा सकता है।

4 साख-प्रमाणपत्र (Letters of Credit)—साख-प्रमाणपत्र से अभिप्राय एक ऐसे प्रमाणपत्र से होता है जो किसी व्यक्ति, सस्या अथवा बैंक द्वारा लिखा जाता है। इस पत्र में लेखक किसी अन्य व्यक्ति, सस्या अथवा बैंक से यह प्रार्थना करता है कि वह पत्र में अंकित व्यक्ति को एक निश्चित सीमा के भीतर किसी अंश तक साख प्रदान करे। इस प्रकार के पत्रों में तिथि का भी उल्लेख कर दिया जाता है और इस तिथि तक ही साख प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है।

साख-प्रमाणपत्र दो प्रकार के होते हैं (1) साधारण साख-प्रमाणपत्र (Ordinary Letter of Credit)—यह वह प्रमाणपत्र होता है जिसे किसी व्यक्ति, सस्या अथवा बैंक के नाम ही लिखा जाता है, (2) गश्ती साख-प्रमाणपत्र (Circular Letter of Credit)—यह वह पत्र होता है जिसे कोई बैंक अपनी विभिन्न शाखाओं तथा अन्य सम्बन्धित बैंकों को लिखता है। इस पत्र में यह प्रार्थना की जाती है कि अमुक व्यक्ति को अमुक सीमा के अन्दर किसी अंश तक साख प्रदान की जाय। गश्ती साख-उत्पादन का आदाता (payee) बैंक की किसी भी शाखा से रूपया प्राप्त कर सकता है। परन्तु इस प्रकार दिया गया रूपया पत्र में उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं हो सकता।

5 यात्री चैक (Traveller's Cheques)—इस प्रकार के चैक बैंकों द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिये जारी किये जाते हैं। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चैक प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक यात्री चैक पर एक निश्चित रकम छपी होती है और यात्री बैंक की किसी भी शाखा को चैक प्रस्तुत कर सकता है। यात्री चैक जारी करने से पूर्व बैंक यात्री के हस्तक्षर प्राप्त कर लेता है और बाद में इसे बैंक की सभी शाखाओं में प्रसारित कर देता है। इस प्रकार के चैकों से यात्रियों को बहुत सुविधा रहती है और वे अपनी यात्रा के दौरान मुद्रा को अपने साथ-साथ ले जाने के जोखिम से बच जाते हैं।

6 ट्रेजरी बिल्लस या कोषागार विपत्र (Treasury Bills)—प्रायः सरकार अपनी अल्प कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जनता से अल्पकालीन ऋण ट्रेजरी बिल्लस जारी करके प्राप्त करती है। ये बिल्लस प्रायः 3 या 6 महीने की अवधि के होते हैं और इनकी अवधि समाप्त होने पर सरकार इन बिल्लो का भुगतान कर देती है। ट्रेजरी बिल्लस बेचने के लिए सरकार जनता तथा वित्तीय संस्थाओं से टेण्डर (tenders) आमन्त्रित करती है। जिस टेण्डर में न्यूनतम ब्याज तथा बड़े की दर की माँग की जाती है, उस ही सरकार स्वीकार कर लेती है। इसके पश्चात् स्वीकृत टेण्डर वाले को निश्चित रकम के बदले सरकार ट्रेजरी बिल्लस दे देती है। स्मरण रहे कि ट्रेजरी बिल्लस खरीदने वाली सस्या बड़े या ब्याज की दर को काटकर ही सरकार को ट्रेजरी बिल्लो का मूल्य चुकाती है। जब ट्रेजरी बिल्लस परिपक्व (mature) हो जाते हैं तब उनका भुगतान सरकार द्वारा बराबर मूल्य (par value) पर कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि सरकार 100 रुपये का ट्रेजरी बिल्ल बेचती है तो क्रय करने वाली सस्या सरकार को 100 रुपये में से बट्टा (discount) काटकर ही शेष रकम देगी।

7 बुक क्रेडिट (Book Credit)—जब कोई दूकानदार ग्राहक को अपना माल उधार पर बेचता है तो वह उसकी रकम को अपने खाते में दिखाता है। यह एक प्रकार का ऋण होता है और इसे बुक क्रेडिट कहा जाता है। स्मरण रहे कि दूकानदार की हिसाब की किताबों में इस प्रकार दिखाया गया ऋण अदालतों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि ऋणी के इस प्रकार के ऋण पर हस्ताक्षर हों।

drawn
drawn
payee

8 चैक (Cheque)—चैक या घटादेश बैंक में रुपया जमा करने वाले व्यक्ति का अपने बैंक के लिए एक लिखित आदेश होता है, जिसमें लेखक बैंक को आदेश देता है कि चैक में दिखायी गयी रकम को उसमें उल्लिखित व्यक्ति अथवा उसके आदेशित व्यक्ति अथवा उसके वाहक को माँगने पर प्रदान करे। चैक में तीन पक्ष होते हैं—(1) चैक लिखने वाला व्यक्ति आह्वार्ता (drawer) कहलाता है, (2) जिस बैंक पर चैक लिखा जाता है, उसे आह्वार्यी (drawee) कहते हैं, (3) वह व्यक्ति अथवा सस्था जिसे रुपये का भुगतान किया जाता है, चैक का आदाता (payee) कहलाता है। चैक की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

- (1) चैक एक शर्तहीन आदेश होता है।
 - (2) चैक सदैव लिखित आदेश होता है।
 - (3) चैक सदैव किसी बैंक पर लिख्य जाता है।
 - (4) चैक पर आदेश देने वाले व्यक्ति या आह्वार्ता के स्पष्ट हस्ताक्षर होते हैं।
 - (5) चैक में भुगतान को जाने वाली रकम को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है।
 - (6) चैक का भुगतान आदेशित व्यक्ति अथवा वाहक को किया जाता है।
 - (7) चैक में लिखित रकम का भुगतान बैंक को सुरक्षित ही माँग पर करना पड़ता है।
- चैक कई प्रकार के होते हैं—

(1) विपरर या वाहक चैक (Bearer Cheque)—विपरर चैक वह होता है जिसका भुगतान बैंक द्वारा चैक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अथवा वाहक को किया जाता है। बैंक इस बात को पूछताछ नहीं करता कि जो व्यक्ति चैक प्रस्तुत करता है, वास्तव में, वही रकम लेने का हकदार है अथवा नहीं। विपरर चैक सुरक्षित चैक नहीं होता। इसका भुगतान कोई भी व्यक्ति ले सकता है और इसके गलत भुगतान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होता।

(2) आर्डर चैक (Order Cheque)—यह वह चैक होता है जिसका भुगतान किसी विशेष व्यक्ति अथवा उसके आदेशित किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है। आर्डर चैक को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने से पूर्व पृष्ठांकित (endorse) करना आवश्यक होता है और चैक का भुगतान करने वाले बैंक का कर्तव्य होता है कि वह पृष्ठांकन (endorsement) की प्रतीति जाँच करे और पूछताछ करने के बाद ही सही व्यक्ति को उसकी रकम अदा करे। यदि बैंक की असावधानी से चैक का रुपया किसी गलत व्यक्ति को मिल जाता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। इस प्रकार आर्डर चैक सुरक्षित चैक होता है।

(3) रेखांकित चैक (Crossed Cheque)—जब किसी चैक पर बायी ओर के ऊपरी भाग में दो समान्तर रेखाएँ खींचकर अंग्रेजी भाषा में '& Co' लिख दिये जाते हैं, तब ऐसे चैक को रेखांकित चैक कहते हैं। इस चैक की यह विशेषता होती है कि इसका भुगतान बैंक की खिड़की पर नकदी के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि चैक में लिखित रकम आदाता अथवा अन्य किसी आदेशित व्यक्ति के खाते में ही हस्तान्तरित की जा सकती है। इस प्रकार रेखांकित चैक अत्यन्त सुरक्षित चैक होता है और इसके खो जाने से किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं होती। रेखांकित चैक भी तीन प्रकार के होते हैं—

(क) साधारण रेखांकित चैक (Ordinary Crossed Cheque)—इस चैक में बायी ओर दो समान्तर रेखाएँ खींचकर बीच में 'Not Negotiable' शब्द लिख दिये जाते हैं, परन्तु इस प्रकार के चैक का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि चैक का हस्तान्तरण हो ही नहीं सकता। इन शब्दों का अर्थ यह होता है कि चैक का हस्तान्तरणकर्ता केवल उसी प्रकार के अधिकार का हस्तान्तरण कर सकता है जो उसे स्वयं प्राप्त है।

(ख) विशेष रेखांकित चैक (Special Crossed Cheque)—इस प्रकार के चैक को रेखांकित करने के साथ ही साथ भुगतान प्राप्त करने वाले बैंक का नाम भी लिख दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि चैक का भुगतान तब ही किया जायगा जबकि उसे उसी बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जायगा जिसका नाम समान्तर रेखाओं के बीच में लिखा हुआ है।

(ग) केवल एकाउण्ट पेयी चैक (Only Account Payee Cheque)—जब रेखांकित चैक की दोनों रेखाओं के बीच 'एकाउण्ट पेयी ओनली' (Account Payee Only) शब्द लिख दिये जाते हैं, तब उस चैक में लिखी रकम का भुगतान केवल आदाता (payee) के खाते में ही

जमा किया जा सकता है। इसलिए यदि आदाता का बैंक में खाता नहीं है, तब बैंक का भुगतान प्राप्त करने के लिए उसे किसी बैंक में खाता खोलना पड़ेगा। तब ही उस बैंक का भुगतान हो सकेगा। इस प्रकार का बैंक बहुत ही सुरक्षित होता है।

9. बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft)—बैंक ड्राफ्ट एक प्रकार का बैंक होता है जिसे एक बैंक अपनी अन्य शाखाओं अथवा बैंकों पर लिखता है जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति अथवा उसके आदेशित व्यक्ति अथवा ड्राफ्ट के वाहक को उसमें लिखी गई रकम मांग करने पर दो जाय। जब मुद्रा किसी अन्य स्थान को भेजनी होती है तो मुद्रा भेजने वाला व्यक्ति बैंक से ड्राफ्ट बनवा लेता है। वह व्यक्ति भेजी जाने वाली रकम तथा बैंक-कमीशन बैंक के पास जमा करा देता है और उसके बदले बैंक की ओर से उसे ड्राफ्ट मिल जाता है, फिर यह ड्राफ्ट आदाता को डाक द्वारा भेज दिया जाता है। आदाता ड्राफ्ट को लेकर उसमें लिखित बैंक के पास जाता है और उसके बदले रकम प्राप्त कर लेता है। बैंक ड्राफ्ट बैंक की भांति रेखांकित भी किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ताम्रमात्र कमीशन-मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहायक होता है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. क्या साख पूंजी का निर्माण करती है? (आगरा, 1962)
[संकेत—वास्तव में, यह एक विवादग्रस्त विषय है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि साख पूंजी का निर्माण करती है, जबकि अन्य अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि साख पूंजी को निर्मित न करके, केवल इसका हस्तान्तरण ही करती है। यहाँ पर इन दोनों दृष्टिकोणों के समर्थन में दिये गये तर्कों को प्रस्तुत कीजिए, और अन्त में, यह निष्कर्ष निकालिए कि साख पूंजी का निर्माण नहीं करती।]
2. बैंक की परिभाषा कीजिए। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? किन-किन हालतों में बैंक बैंक की रकम का भुगतान नहीं करेगा? (पटना, 1961)
[संकेत—प्रथम भाग में, बैंक की परिभाषा देते हुए उसकी मुख्य-मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि बैंक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं—वाहक, आदेशित तथा रेखांकित। आगे चलकर रेखांकित बैंकों के भेदों पर भी प्रकाश डालिए। तीसरे भाग में, यह स्पष्ट कीजिए कि किन किन हालतों में बैंक बैंक की रकम का भुगतान नहीं करता अर्थात् यदि खाते में पर्याप्त धन नहीं है, यदि बैंक लिखने वाले के हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं अथवा नमूने के हस्ताक्षर से नहीं मिलते, यदि बैंक में लिखी रकम स्पष्ट नहीं है, अथवा अको तथा शब्दों में लिखी रकम में अन्तर है, यदि बैंक उत्तर-तिथि (post-dated) बैंक है, यदि बैंक में किसी प्रकार की काँट-छाँट की गयी है। इन हालतों में बैंक बैंक की रकम चुकाने से इन्कार कर देगा।]

10

बैंकों के कार्य

(Functions of Banks)

बैंक की परिभाषा

(Definition of Bank)

चूँकि आधुनिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, इसलिए इसकी ठीक-ठीक परिभाषा करना बहुत ही कठिन है। यही कारण है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बैंक की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ की हैं। नीचे हम कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे।

प्रो० फ़िन्डले शिरास (Findlay Shiras) ने बैंक की परिभाषा इन शब्दों में की है, "बैंकर उस व्यक्ति, फर्म या कम्पनी को कहा जाता है जिसके पास कोई ऐसा व्यापारिक स्थान हो जहाँ मुद्रा अथवा करैसी की जमा द्वारा साख का कार्य किया जाता हो और जिसकी जमा का ड्राफ्ट, बैंक या आर्डर द्वारा भुगतान किया जाता हो या जहाँ स्टॉक, बीण्ड, धातुओं और विपत्रों पर मुद्रा उधार दी जाती हो, अथवा जहाँ प्रतिज्ञापत्र बट्टे पर बेचने के लिए स्वीकार किये जाते हो।"¹

भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 1949 (Indian Companies Act, 1949) के अनुसार "बैंकिंग का अभिप्राय जनता से (उधार देने अथवा निवेश करने हेतु) मुद्रा के निक्षेपों का स्वीकार करना है, जो माँग पर अथवा किसी अन्य प्रकार बैंक, ड्राफ्ट, आदेश आदि द्वारा देय होते हैं।"²

प्रो० किन्ले (Kinley) के मतानुसार, "बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को रुपया उधार देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है और जिसके पास व्यक्तियों द्वारा अपना अतिरिक्त रुपया जमा किया जाता है।"³

यदि हम उपर्युक्त परिभाषाओं का वारीकी से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि ये सभी परिभाषाएँ बैंक के दो महत्त्वपूर्ण कार्यों पर ही जोर देती हैं प्रथम, बैंक जनता से जमा राशियाँ

1 "A banker is a person, firm or company having place of business where credits are opened by the deposit or collection of money or currency or subject to be paid or remitted upon draft, cheque or where money is advanced or loaned on stocks, bonds, bullion and B/E and P/N are received for discount and sale"
—Findlay Shiras

2 "The accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise"
—The Indian Companies Act 1949

3 "Bank is an establishment which makes to individuals such advances of money as may be required and safely made and to which individuals entrust money when not required by them for use."
—Kinley

स्वीकार करते हैं। द्वितीय, बैंक जरूरतमन्द व्यापारियों तथा व्यवसायियों को ऋण देते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाएँ श्रुतिपूर्ण हैं, क्योंकि जमाराशियाँ स्वीकार करने तथा जरूरतमन्द व्यवसायियों को ऋण देने से ही कोई सस्था बैंक नहीं बन जाती। जैसा विदित है, भारत के साहूकार भी इन दोनों कार्यों को सम्पन्न करते हैं। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसा करने से वे बैंक बन जाते हैं। स्पष्ट है कि उक्त दोनों कार्यों को सम्पन्न करने से ही कोई सस्था बैंक नहीं बन जाती है। अतः बैंक की उपर्युक्त परिभाषाएँ सन्तोषजनक नहीं मानी जा सकती। बैंक की कोई ऐसी परिभाषा होनी चाहिए जो इसके सभी महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करे। इस दृष्टिकोण से बैंक की निम्न परिभाषा अत्यन्त उपयुक्त कही जा सकती है। इस परिभाषा के अनुसार, "बैंक उस व्यक्ति अथवा सस्था को कहते हैं जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है।"

अब हम इस परिभाषा का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक है कि मुद्रा और साख में व्यवसाय करने से क्या अभिप्राय है? जब हम यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु में व्यवसाय करता है तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता और बेचता है। इस प्रकार जब हम यह कहते हैं कि बैंक मुद्रा और साख में व्यवसाय करता है तब हमारा यह अभिप्राय होता है कि बैंक मुद्रा तथा साख का क्रय-विनय करता है। मुद्रा को बेचने का अर्थ उसका ऋण देना होता है। इसी प्रकार मुद्रा को खरीदने का अर्थ उसका ऋण लेना होता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में मुद्रा की कीमत ब्याज के रूप में चुकाई जाती है। इस प्रकार बैंक का कार्य ऋण का लेना और देना होता है अर्थात् बैंक अपने ग्राहकों को साख को खरीदता है और अपनी साख उन्हें बेचता है। इस प्रकार बैंक का आवश्यक कार्य अपनी साख का ग्राहकों की साख में हस्तान्तरण करना होता है।

जब कोई बैंक ऋण देता है, तो वह अपनी साख उत्पन्न करता है। इन ऋणों द्वारा जिन निशेषों का निर्माण होता है वे ऋण लेने वालों की साख का निर्माण करते हैं। जब कोई जमाकर्ता बैंक के ऊपर बैंक लिखता है तब ग्राहक की साख को बैंक की साख में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार ऋणों के माध्यम से साख का हस्तान्तरण होता है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, साख-व्यवसाय बैंक की एक विशेषता होती है। वैसे तो जमाराशियों को स्वीकार करना तथा जरूरतमन्द लोगों का ऋण देना, ये दोनों कार्य निजी साहूकारों द्वारा भी किये जाते हैं, परन्तु उनमें और बैंकों में एक अन्तर होता है। अन्तर यह है कि बैंक तो साख का क्रय विक्रय करते हैं, परन्तु निजी साहूकारों द्वारा साख का क्रय विक्रय नहीं किया जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बैंक तो साहूकार का काम करता है, परन्तु प्रत्येक साहूकार बैंक का काम नहीं करता। इस सम्बन्ध में प्रो० सेयर्स (Sayers) ने उचित ही कहा है, "बैंक केवल मुद्रा व्यापारी ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के निर्माता भी होते हैं।" जैसा ऊपर कहा गया है, प्रत्येक बैंक मुद्रा के व्यापारी के रूप में काम करता है अर्थात् वह मुद्रा उधार लेता भी है और देता भी है परन्तु बैंक केवल मुद्रा का व्यापारी ही नहीं है बल्कि मुद्रा का निर्माण भी करता है। दूसरे शब्दों में, बैंक साख-मुद्रा का उत्पादन भी करता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि किस प्रकार बैंक साख का निर्माण करता है। अतः बैंक की उपर्युक्त परिभाषा उचित तथा वैज्ञानिक परिभाषा है और बैंक के विभिन्न कार्यों को सही रूप में प्रस्तुत करती है।

आधुनिक बैंक के कार्य

(Functions of a Modern Bank)

आधुनिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं

(1) जमा राशियों को स्वीकार करना—जैसा ऊपर बताया गया है, बैंक लोगों का अति रिक्त धन जमा के रूप में प्राप्त करते हैं। बैंक पाँच प्रकार के खातों में निक्षेप (deposits) प्राप्त करते हैं। जमाकर्ता जिस खाते में चाहे अपना अतिरिक्त धन जमा करवा सकता है। इन खातों की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं

1. "Banks are not merely traders in money but also important manufacturers of money
—Sayers

(क) निश्चितकालीन खाता (Fixed Deposit Account)—इस खाते में रुपया एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, अर्थात्, 1, 2 अथवा 5 वर्ष के लिए और उस निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व रुपया बैंक से निकाला नहीं जा सकता। इस खाते में ब्याज की दर अन्य खातों की अपेक्षा ऊँची होती है। जितनी अधिक अवधि होती है, उतनी ही अधिक ब्याज की दर होती है।

(ख) चालू खाता (Current Account)—इस खाते में से जमाकर्ता जब चाहे रुपया निकाल सकता है। प्रायः बैंक इस प्रकार के खाते पर ब्याज नहीं चुकाता, क्योंकि उसे जमाकर्ता की माँग को पूरा करने के लिए सर्वद्वय अपने पास नकद-कोष तैयार रखना पड़ता है। प्रायः व्यापारी लोग ही इस प्रकार के खाते खोलते हैं, क्योंकि उन्हें दिन में कई बार बैंक से रुपया निकालना पड़ता है।

(ग) सेविंग बैंक खाता (Saving Bank Account)—इस खाते में जमाकर्ता पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, वह सप्ताह में केवल एक बार या दो बार ही निश्चित मात्रा में खाते से रुपया निकाल सकता है। रुपया निकालने के लिये जमाकर्ता को बैंक की सुविधा दी जाती है। इस खाते में ब्याज की दर कम होती है। यह खाता प्रायः गृहस्थी लोगों द्वारा खोला जाता है। इस प्रकार के खाते से देश में पूँजी-संचय को प्रोत्साहन मिलता है।

(घ) अनिश्चितकालीन खाता (Permanent Deposit Account)—इस प्रकार के खाते के अन्तर्गत जमा कराया गया रुपया कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कभी भी नहीं निकाला जा सकता। बैंक इस प्रकार के निक्षेपों पर केवल ब्याज का भुगतान ही करता है। चूँकि ये निक्षेप अनिश्चितकालीन होते हैं, अतएव दी जाने वाली ब्याज की दर सबसे ऊँची होती है परन्तु अनिश्चितकालीन निक्षेप जनता में अधिक लोकप्रिय नहीं हो सके हैं।

(ङ) गृह बचत खाता (Home Saving Account)—गत कुछ वर्षों से इस खाते का प्रचलन किया गया है और बड़े ही समय में यह लोकप्रिय हो गया है। इस खाते के अनुसार बैंक रुपया जमा करने के लिए जमाकर्ताओं के घर पर एक गुल्लक रख देता है और समय-समय पर जमाकर्ता तथा उनके घर के सदस्य छोटी-छोटी रकमें उस गुल्लक में डालते रहते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद उस गुल्लक को बँक में ले जाकर खोला जाता है। गुल्लक से प्राप्त राशि को जमाकर्ता के खाते में जमा कर दिया जाता है। छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने का यह एक अच्छा तरीका है, परन्तु इस प्रकार के खाते पर बहुत ही कम ब्याज दिया जाता है।

(2) ऋणों का प्रदान करना (Advancing of Loans)—बैंको के पास जमाकर्ता का जो रुपया जमा हो जाता है बैंक उसे बेकार अपनी तिजोरी में नहीं रखे रहते, बल्कि वह रुपया एक निश्चित नकद-कोष रखकर ज़रूरतमन्द ध्यवसायियों को ऋण के रूप में दे, दिया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय तथा उद्योग में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूँजी के अभाव के कारण अपने ध्यवसाय को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते। बैंक ऐसे व्यक्तियों को ऋण देकर उनकी सहायता करते हैं। परन्तु रुपया उधार देने से पूर्व बैंक उनकी साख की अच्छी तरह जाँच कर लेते हैं। ऋण देते समय बैंक को बहुत सतक रहना पड़ता है, क्योंकि यदि बैंक ऋण सम्बन्धी कोई गलती कर बैठते हैं, तो वह बैंको के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। भारतीय बैंक प्रायः वैयक्तिक प्रतिभूति (personal security) के आधार पर ऋण नहीं देते, बल्कि उपयुक्त प्रतिभूतियों पर जोर देते हैं। ऋण देने के निम्नलिखित तरीके हैं

(क) साधारण ऋण देना—इस अन्तर्गत, बैंक किसी व्यक्ति को कोई निश्चित रकम किसी वस्तु को धरोहर या अमानत (security) रखकर दे देता है। यह रकम ऋणी के चालू खाते में जमा कर दी जाती है और आवश्यकतानुसार ऋणी इसमें से रुपया निकाल सकता है। बैंक जिस समय चाहे इस प्रकार का ऋण वापस माँग सकता है।

(ख) नकद साख (Cash Credit)—इसके अन्तर्गत, बैंक ऋणी को निश्चित प्रतिभूति के बदले ऋण देता है। परन्तु सम्पूर्ण ऋण एक ही समय पर नहीं दे दिया जाता, बल्कि बैंक ऋणी के नाम से एक खाता खोल देता है और बैंक के गोदाम में रखे गये माल के मूल्य के

अनुसार एक निश्चित सीमा तक रुपया निकालने का अधिकार ऋणी को दे देता है। ऋणी अपनी आवश्यकतानुसार खाते में से छोटी-छोटी रकमें निकालता रहता है। परन्तु स्मरण रहे, बैंक ऋणी द्वारा, वास्तव में, निकाली गई रकम पर ही ब्याज लेता है।

(ग) बैंक अधिविकल्प (ओवर ड्राफ्ट) (Bank Overdraft)—बैंक अपने सम्मानित तथा विश्वसनीय ग्राहकों को ओवर ड्राफ्ट की सुविधाएँ भी देता है, जो एक प्रकार से ऋण ही है। बैंक ऐसे ग्राहकों को उनके खाते में जमा रकम से अधिक धनराशि निकालने के लिए बैंक जारी करने की अनुमति दे देता है। ग्राहक अपनी जमा रकम से अधिक राशि निकालने पर बैंक को ब्याज अदा करता है।

(घ) विनिमय-बिलों का भुनाना (Discounting of Bills of Exchange)—यह एक अन्य प्रकार का ऋण है जो बैंकों में अत्यन्त प्रचलित है। यदि विनिमय-बिल के वाहक को तत्काल नकद रुपये की आवश्यकता पड़ती है तो वह बैंक में जाकर विनिमय-बिल को भुन सकता है, अर्थात् बट्टा (discount) कटवाकर बिल भुना सकता है। यदि विनिमय-बिल अच्छी पार्टी द्वारा स्वीकृत है तो बैंक उसे तुरन्त से लेता है तथा उसके वाहक को विनिमय-बिल का वर्तमान मूल्य दे देता है अथवा उसके खाते में जमा कर देता है। जब विनिमय-बिल परिपक्व (mature) हो जाता है तब बैंक उस बिल को स्वीकार करने वाली पार्टी से बिल का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर लेता है।

(3) अभिकर्ता सम्बन्धी कार्य (Agency Functions)—उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, बैंक अपने ग्राहकों के अभिकर्ता या एजेंसी-कार्य भी सम्पन्न करता है। इन कार्यों के लिए बैंक अपने ग्राहकों से कमीशन वसूल करता है। बैंक के प्रमुख एजेंसी-कार्य निम्नलिखित हैं

(क) धन का स्थान्तरण (Transfer of Funds)—बैंक अपने ग्राहकों को बैंक-ड्राफ्ट द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजने में सहायता देता है और इस सेवा के लिए थोड़ा-सा शुल्क वसूल करता है।

(ख) ग्राहकों का रुपया एकत्रित करना—बैंक दूसरे बैंकों से अपने ग्राहकों का रुपया वसूल करके उनके खातों में जमा करता है।

(ग) ग्राहकों के लिए अंश (Shares) तथा अन्य प्रतिभूतियाँ खरीदना तथा बेचना—बैंक अपने ग्राहकों के लिए मिश्रित पूँजी कम्पनियों के अंश तथा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता तथा बेचता है।

(घ) ग्राहकों के अंशों पर लाभांश वसूल करना—बैंक अपने ग्राहकों के अंशों व ऋणपत्रों पर दिये जाने वाले लाभांश (dividends) तथा ब्याज आदि को वसूल करके उनके खातों में जमा करता है।

(ङ) ग्राहकों के प्रीमियम तथा अन्य दायित्वों का भुगतान करना—बैंक अपने ग्राहकों की ओर से बीमा कम्पनियों को प्रीमियम (premium) आदि चुकाता है अथवा ग्राहक के आदेशानुसार उसके अन्य बिलों का भुगतान करता है।

(च) बैंक ट्रस्टी (trustee) तथा एग्जीक्यूटर (executor) का कार्य करना—बैंक अपने ग्राहकों के वसीयतनामों को सुरक्षित रखता है तथा उन्हें मृत्योपरांत कार्यान्वित करता है।

(4) कागजी मुद्रा का निर्गमन—19वीं शताब्दी में लगभग सभी बैंकों को नोट जारी करने का अधिकार होता था, परन्तु अब यह कार्य प्रत्येक देश में वहाँ के केन्द्रीय बैंक द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। अब केन्द्रीय बैंक के सिवाय अन्य किसी बैंक को नोट जारी करने का अधिकार नहीं है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय बैंक ही देश की समूची मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने की स्थिति में होता है और उनके अनुसार ही मुद्रा का निर्गमन करता है।

(5) विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय—बैंक विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय भी करता है। साधारणतः विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय का कार्य विदेशी विनिमय बैंकों (foreign exchange banks) द्वारा किया जाता है। परन्तु भारत में कुछ व्यापारिक बैंक अपने अन्य कार्यों के साथ-

साथ विदेशी मुद्राओं का व्यवसाय भी करते हैं। इस प्रकार बैंक एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करता है।

(6) आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्धन—बैंक विनिमय बिलों को डिस्काउन्ट करके आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबन्धन (finance) करता है। कभी-कभी बैंक ढुण्डियों तथा बिलों की जमानत (security) पर अल्पकालीन ऋण भी देता है। यदि किसी व्यापारी के पास कोई ऐसा विनिमय-बिल है जो कुछ समय के बाद परिपक्व होगा, परन्तु उस व्यापारी को तुरन्त ही रुपये की आवश्यकता पड़ जाती है तो वह व्यापारी इस बिल को बैंक से भुना सकता है। बैंक बिल की रकम से अपना बड़ा काटकर शेष रकम व्यापारी को दे देता है।

(7) बैंको के अन्य कार्य—उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, आधुनिक बैंक निम्नलिखित कार्यों को भी सम्पन्न करते हैं

(क) मूल्यवान् वस्तुओं की सुरक्षा—आजकल बैंक प्रायः अपने ग्राहकों को लॉकर्स (lockers) की सुविधाएँ भी देते हैं। इन लॉकरों में लोग अपने सोने-चाँदी के जेवरों, आवश्यक कागज पत्रों, कम्पनियों के अंशों (shares) तथा ऋणपत्रों आदि को रख सकते हैं। इस सेवा के लिए बैंक उनसे साधारण वार्षिक शुल्क वसूल करता है।

(ख) यात्री-चैक जारी करना—जैसा पूर्व कहा गया है, बैंक यात्रियों के लिए यात्री बैंक अथवा गश्ती साख प्रमाणपत्र (circular letters of credit) जारी करते हैं, जिनसे यात्रियों को यात्रा के दौरान नगद रुपया ले जाने के जोखिम (risk) से छुटकारा मिल जाता है।

(ग) साख सम्बन्धी सूचनाएँ देना—चूँकि बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित होता है इसलिए वह अपने ग्राहकों की साख सम्बन्धी योग्यता के बारे में सही तथा विश्वसनीय सूचना दे सकता है। बैंक की इस सेवा का लाभ उठाते हुए ग्राहक परस्पर एक दूसरे की साख के विषय में सूचनाएँ प्राप्त करते हैं। इससे ग्राहकों को व्यापार में अधिक सहायता मिलती है और व्यापारिक जोखिमों का खतरा कम हो जाता है।

(घ) आर्थिक आँकड़े सकलित करना—आजकल प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंक देश के बैंकिंग, मुद्रा, व्यापार तथा उद्योगों आदि से सम्बन्धित तथ्यों तथा आँकड़ों को सकलित करता है और समय समय पर इस प्रकार के तथ्यों तथा आँकड़ों का प्रकाशन भी करता है। इससे अन्य बैंकों को देश की आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है जिसके आधार पर वे अपनी नीतियों का निर्माण कर सकते हैं।

(ङ) व्यापारिक कम्पनियों के ऋणपत्रों की हमीवारी (Underwriting)—कभी-कभी निजी कम्पनियाँ पूँजी प्राप्त करने के लिए अपने ऋणपत्रों (debentures) को जारी करती हैं और जनता से इन ऋणपत्रों को खरीदने का अनुरोध करती हैं। परन्तु जनता इन कम्पनियों की जानकारी के अभाव में इनके द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों को खरीदने में सकोच करती है। ऐसी परिस्थिति में बैंक इन ऋणपत्रों पर हस्ताक्षर करके इन कम्पनियों की साख को प्रमाणित कर देते हैं। चूँकि बैंक में जनता का विश्वास होता है, इसलिए बैंक द्वारा इन कम्पनियों की साख प्रमाणित किये जाने पर जनता ऋणपत्रों को खरीदना आरम्भ कर देती है। इस कार्य के लिए बैंक इन कम्पनियों से अपनी हमीवारी कमिशन (under writing commission) वसूल करते हैं। कम्पनियों के ऋणपत्रों के अतिरिक्त बैंक इनके अंशों (shares) की भी हमीवारी करते हैं। बैंकों की इस सेवा से उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों को बहुत लाभ होता है, क्योंकि इसके कारण उन्हें पूँजी प्राप्त करने में बहुत सुविधा रहती है।

(च) ग्राहकों की ओर से विनिमय-बिलों को स्वीकार करना—कभी-कभी बैंक अपने ग्राहकों पर लिखे गये विनिमय-बिलों को स्वीकार भी करते हैं। इससे ग्राहकों को बहुत लाभ होता है, क्योंकि जब बिल पर बैंक की स्वीकृति व्यक्त की जाती है तो इससे ऋणदाता का ऋणी की साख पर विश्वास सुदृढ़ हो जाता है।

(छ) वित्तीय विषयों पर परामर्श देना—चूँकि बैंक देश की आर्थिक परिस्थिति से भली-

भाति परिचित होता है, इसलिए वह अपने ग्राहकों को इनके वित्तीय मामलों पर उपयोगी परामर्श दे सकता है।

(8) साख का निर्माण—वास्तव में, साख का निर्माण आधुनिक बैंक का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। आधुनिक बैंक अपनी अश-भूजी तथा जमा राशियों से ही जरूरतमन्द व्यवसायियों को ऋण नहीं देता, बल्कि वह स्वयं भी साख-मुद्रा का निर्माण करता है। साख-निर्माण का कार्य आधुनिक बैंक का एक आधारमूलक कार्य माना जाता है। इसी के कारण ही आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का इतना अधिक विकास सम्भव हो सका है। आगे चलकर हम देखेंगे कि बैंक साख का निर्माण कैसे करता है ?

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि आधुनिक बैंक देश की अर्थ-व्यवस्था में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वास्तव में, बिना एक सुसंगठित बैंकिंग प्रणाली के किसी भी देश का आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकता।

साख का निर्माण

(Credit Creation)

जैसा ऊपर कहा गया है, साख-निर्माण आधुनिक बैंक का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है, परन्तु अब हमें यह देखना है कि आधुनिक बैंक साख का निर्माण किस प्रकार करता है। क्या बैंक की साख निर्माण शक्ति की कुछ परिसीमाएँ भी हैं ?

साख-निर्माण के विषय पर आधुनिक अर्थशास्त्रियों में कुछ मतभेद पाया जाता है। प्रो० हार्टले विदर्स (Hartley Withers), प्रो० जे० एम० केन्ज, प्रो० सेयर्स तथा प्रो० ह्याम (Halm) जैसे अर्थशास्त्रियों का विचार है कि बैंक साख का निर्माण करता है। प्रो० सेयर्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में वे मुद्रा की निर्माता भी हैं। इसके विपरीत, प्रो० वाल्टर लीफ (Walter Leat) तथा प्रो० एडविन कॅनन (Edwin Cannan) जैसे अर्थशास्त्रियों का मत है कि बैंक साख का निर्माण नहीं कर सकते। अब हम इन दोनों ही मतों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले हम उन अर्थशास्त्रियों के तर्कों का अध्ययन करेंगे जिनके अनुसार बैंक साख का निर्माण करते हैं। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार बैंक दो तरीकों से साख का निर्माण करते हैं।

(1) बैंक कागजी मुद्रा का निर्माण करके साख का निर्माण करते हैं—जब बैंक कागजी मुद्रा का निर्माण करते हैं तो उस समय साख का निर्माण भी होता है। जैसा पूर्व कहा गया है 19वीं शताब्दी में लगभग सभी बैंकों को कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार होता था, परन्तु आजकल देश के केन्द्रीय बैंक को ही कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। अब केन्द्रीय बैंक ही कागजी मुद्रा जारी करके साख का निर्माण करता है। जैसा विदित है, नोट जारी करते समय केन्द्रीय बैंक उनका पीछे शत-प्रतिशत धात्विक आड (metallic cover) नहीं रखता, बल्कि कागजी मुद्रा के एक निश्चित अंश के पीछे ही धात्विक आड रखता है और शेष कागजी मुद्रा के पीछे केवल प्रतिभूतियों (securities) की ही आड रखी जाती है। इस प्रकार कागजी मुद्रा का वह भाग जिसके पीछे धात्विक आड नहीं रखी जाती, प्रचलन (circulation) में केवल केन्द्रीय बैंक को साख के आधार पर ही रहता है।

(2) प्रारम्भिक निक्षेपों या नकद-जमा तथा व्युत्पन्न निक्षेपों (या साख-जमा) के द्वारा साख का निर्माण—प्रो० ह्याम के अनुसार, बैंक के निक्षेप दो प्रकार के होते हैं - प्रथम, प्रारम्भिक निक्षेप (Primary deposits) अथवा नकद जमा। द्वितीय, व्युत्पन्न निक्षेप (derivative deposits) अथवा साख-जमा। प्रारम्भिक निक्षेप वे होते हैं जो जमाकर्ताओं के द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा किये जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई जमाकर्ता अपने खाते में नकदी के रूप में कोई चीज जमा करता है तो ऐसी जमा को नकद जमा या प्रारम्भिक निक्षेप कहा जाता है। इसके विपरीत, जब बैंक किसी व्यक्ति के खाते में स्वयं कुछ राशि जमा कर देता है तो उसे साख-जमा या व्युत्पन्न निक्षेप कहा जाता है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेता है तो वह ऋण की समूची रकम बैंक से नकदी के रूप में नहीं लेता, बल्कि ऋण की रकम अपने खाते में जमा करा लेता है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें से छोटी-छोटी रकम निकालता रहता

है। इस प्रकार उस व्यक्ति के खाते में जमा की गयी राशि को नकद-जमा नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह तो साख-जमा ही कही जा सकती है।

प्र० हम के अनुसार साख का निर्माण व्युत्पन्न निक्षेप से होता है। अब हम यह देखेंगे कि व्युत्पन्न निक्षेपों से साख का निर्माण कैसे होता है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने खाते में 10,000 रुपये की राशि जमा करता है। वह अपने खाते में से यह राशि किसी समय भी निकाल सकता है। परन्तु बैंक अपने अनुभव से यह जानता है कि जमाकर्ता यह समूची राशि एक ही समय पर वापस नहीं माँगेगा। अतएव बैंक इस राशि का एक निश्चित प्रतिशत नकदी के रूप में रखकर शेष रकम जबरतमान व्यवसायियों को ऋण के रूप में दे सकता है। बैंक अपने अनुभव के आधार पर यह जानता है कि सभी जमाकर्ता अपनी जमा राशियों को एक ही समय पर नहीं निकालेंगे इसलिए वह जमा राशियों का एक निश्चित भाग (10 या 15 प्रतिशत) नकदी के रूप में रखकर शेष भाग को ऋण के रूप में दे देता है। उक्त उदाहरण में यदि हम मान लें कि बैंक 10 प्रतिशत नकद कोष रखता है तो 10,000 रुपये की जमा में से बैंक 1000 रुपया नकद-कोष में रखकर शेष 9,000 रुपया ऋण के रूप में प्रदान कर देगा। ऋण-प्राप्तकर्ता 9,000 रुपये का यह ऋण तुरन्त ही बैंक से नहीं निकालेगा, बल्कि इस राशि को अपने चालू खाते में जमा करवा देगा और आवश्यकतानुसार समय-समय पर इसमें से रुपया निकालता रहेगा। बैंक बैंक जानता है कि ऋण-प्राप्तकर्ता समूची 9,000 रुपये की राशि को एक ही समय पर नहीं निकालता, इसलिए वह इसका 10 प्रतिशत, अर्थात् 900 रुपया नकद-कोष में रखकर शेष 8,100 रुपये किसी अन्य व्यक्ति को उधार के रूप में प्रदान कर देता है। यह व्यक्ति भी पहले ऋण-प्राप्तकर्ता की भाँति ऋण की समूची राशि बैंक से नकदी के रूप में वसूल नहीं करता और बैंक इस बात को जानते हुए कि दूसरा ऋण प्राप्तकर्ता ऋण की समूची राशि को एक ही समय पर नहीं निकालेगा, उसका 10 प्रतिशत नकद-कोष के रूप में रखकर शेष 7,290 रुपये किसी तीसरे व्यक्ति को ऋण के रूप में प्रदान कर देगा। तीसरा ऋण प्राप्तकर्ता भी ऋण की समूची राशि को एक ही समय पर बैंक से नहीं निकालेगा। अतः बैंक एक बार फिर ऋण का 10 प्रतिशत नकद-कोष में रखकर शेष किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देगा। इस प्रकार बैंक का यह क्रम चलता ही जायेगा और बैंक 10,000 रुपये के प्रारम्भिक निक्षेप के आधार पर लगभग 40,000 रुपये का ऋण प्रदान करने में समर्थ हो जायेगा। इस प्रकार ज्यो-ज्यो बैंक के निक्षेप बढ़ते जाते हैं, त्यो-त्यो उसकी साख-निर्माण-शक्ति भी बढ़ती जाती है।

इसके अतिरिक्त, बैंक नकद-कोष का प्रतिशत कम करके भी अपनी साख-निर्माण शक्ति को बड़ा सपता है। स्मरण रहे कि बैंक साख-निर्माण नकद-जमा तथा साख-जमा के द्वारा ही नहीं करते, बल्कि बैंक अधिविकल्प (overdraft) की सुविधाएँ देकर भी साख का निर्माण करते हैं। जैसा पूर्व कहा गया है, अधिविकल्प की सुविधाएँ केवल बैंक के प्रतिष्ठित ग्राहकों को ही दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक प्रतिभूतियों (securities) को खरीदकर तथा इसका भुगतान अपने बैंकों द्वारा करके भी साख का सृजन करते हैं। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि किस देशों में केन्द्रीय बैंक स्थापित किये जा चुके हैं वहाँ पर व्यापारिक बैंकों की साख-निर्माण-शक्ति भी काफी बढ़ गयी है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर इनके बिना का डिस्काउण्ट (discount) करके इन्हे आर्थिक सहायता देते हैं। इस प्रकार व्यापारिक बैंकों की साख सृजन की शक्ति बढ़ गयी है।

यथा बैंक, वास्तव में साख-निर्माण करते हैं?—जैसा पूर्व कहा जा चुका है, वाल्टर लीफ तथा प्रो० एडविन केंनन का विचार है कि बैंक स्वयं साख-निर्माण का कार्य नहीं करते बल्कि साख-निर्माण का कार्य तो बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा प्रारम्भ किया जाता है। इसका कारण यह है कि बैंक के जमाकर्ता ही अपने निक्षेपों में बैंक को मौद्रिक साधन प्रदान करते हैं और बैंक इन निक्षेपों का एक भाग व्यापारियों को ऋण के रूप में देने में इसी कारण समर्थ हो जाता है, क्योंकि सभी जमाकर्ता अपने समूचे निक्षेपों को एक ही समय पर बैंक से नहीं निकालते। इस प्रकार इन अर्थ-शास्त्रियों के अनुसार, साख-निर्माण का कार्य बैंकों द्वारा नहीं, बल्कि जमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है। यदि जमाकर्ता अपनी जमा राशियों को एक ही समय पर निकालना आरम्भ कर दें तो साख-निर्माण का कार्य सम्भव ही नहीं हो सकेगा। परन्तु, वास्तव में, प्रो० वाल्टर लीफ तथा प्रो० एड-

विन कॅनन के उक्त विचार प्रमात्मक हैं। जैसा विदित है, आधुनिक बैंक प्रारम्भिक निक्षेपो में प्राप्त हुई मुद्रा राशि से कहीं अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बैंक अधिक मात्रा में साख का सृजन करके ही व्यवसायियों को ऋण प्रदान करते हैं। अतएव यह कहना गलत नहीं होगा कि बैंको में साख-सृजन की शक्ति पायी जाती है और इनके निक्षेपो के बढ़ने के साथ ही साथ यह शक्ति भी बढ़ती जाती है।

साख-निर्माण की परिसीमाएँ

(Limitations of Credit Creation)

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या बैंक की साख-सृजन की शक्ति असीमित है? इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों का स्पष्ट विचार है कि बैंक की साख-निर्माण की शक्ति असीमित नहीं है, बल्कि उसकी साख-निर्माण-शक्ति की कई परिसीमाएँ हैं। प्रो० बेंनहम (Benham) के अनुसार बैंको द्वारा साख-निर्माण की निम्नलिखित परिसीमाएँ हैं

(1) देश में मुद्रा की मात्रा—बैंको की साख-निर्माण-शक्ति देश में प्रचलित वैध-मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। किसी देश में वैध-मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतनी ही उस देश में बैंको की साख-निर्माण की शक्ति अधिक होगी। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय बैंक जितनी अधिक मात्रा में कागजी मुद्रा का निर्गमन करता है, उतनी ही अधिक मात्रा में बैंको के निक्षेप बढ़ते हैं, और जितनी मात्रा में निक्षेप बढ़ते हैं, उतनी ही अधिक मात्रा में बैंको के नकद-कोष (Cash reserves) बढ़ते हैं। स्पष्ट है कि जब बैंको के नकद-कोषों में वृद्धि हो जाती है तब उनकी साख-निर्माण-शक्ति में भी आनुपातिक वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत, जब केन्द्रीय बैंक कम मात्रा में कागजी मुद्रा का निर्गमन करता है, तब बैंको के नकद-कोषों में भी आनुपातिक कमी हो जाती है और अन्ततः उनकी साख-निर्माण-शक्ति का ह्रास हो जाता है।

(2) जनता की बैंक सम्बन्धी आदतें—किसी देश के बैंको की साख-निर्माण-शक्ति उस देश के लोगों की बैंक सम्बन्धी आदतों पर भी निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, एक पिछड़े हुए तथा अल्प-विकसित देश में अधिकांश व्यापारिक सौदों में नकदी का ही प्रयोग किया जाता है। अतएव लोगों की नकदी की माँग बढ़ जाती है। परिणामतः बैंको के नकद-कोष भी कम हो जाते हैं। जब बैंको के नकद-कोष कम हो जाते हैं, तब उनकी साख-निर्माण-शक्ति भी उसी अनुपात में कम हो जाती है। इसके विपरीत, विकसित देशों में नकदों का प्रयोग कम किया जाता है और अधिकांश व्यापारिक सौदों का भुगतान बैंको द्वारा किया जाता है। इससे लोगों की नकदी की माँग कम हो जाती है। परिणामतः बैंको के नकद-कोष बढ़ जाते हैं। जब बैंको के नकद-कोष बढ़ जाते हैं तब उनकी साख-निर्माण-शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। यही कारण है कि ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस तथा जर्मनी जैसे विकसित देशों में बैंको की साख-निर्माण-शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके विपरीत, भारत जैसे पिछड़े हुए देश में, जहाँ लोगों द्वारा बैंको का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता, बैंको की साख-निर्माण-शक्ति अपेक्षाकृत कम है। इस प्रकार बैंको की साख-निर्माण-शक्ति जनता की बैंकिंग सम्बन्धी आदतों से भी निश्चित होती है।

(3) कुल देयताओं का नकद-कोष में प्रतिशत—जैसा विदित है, प्रत्येक बैंक को अपने निक्षेपो का एक निश्चित भाग नकद-कोष के रूप में रखना पड़ता है। यह इसलिए आवश्यक होता है कि जमाकर्ताओं की समय-समय पर वी जाने वाली माँग को पूरा किया जा सके। अमुक बैंक को अपनी जमा राशियों का कितना भाग नकद-कोष के रूप में रखना चाहिए, यह उसके प्रति जनता के विश्वास से निश्चित होता है। यदि लोगों को बैंक में सुदृढ़ विश्वास है तो ऐसी परिस्थिति में बैंक को अधिक नकद-कोष नहीं रखना पड़ता और वह केवल थोड़े-से नकद कोष से ही अपना काम चला सकता है। इसके विपरीत, यदि बैंक के प्रति लोगों का विश्वास कम है तो ऐसी परिस्थिति में बैंक को अधिक नकद-कोष रखना पड़ता है। आजकल प्रायः सभी देशों में बैंको द्वारा रखे जाने वाले नकद कोषों का प्रतिशत कानून द्वारा निश्चित कर दिया गया है। परन्तु समय-समय पर आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इसमें परिवर्तन भी किये जाते हैं। जिस देश में बैंको द्वारा रखी जाने वाली नकद-कोष की मात्रा कम होती है, उस देश के बैंको की साख-सृजन की शक्ति भी अधिक होती है। इसके विपरीत, जिस देश में बैंको द्वारा रखी जाने वाली

नगद-कोष की मात्रा अधिक होती है, उस देश के बैंको की साख-सृजन की शक्ति भी कम होती है। ब्रिटेन तथा अमरीका जैसे देशो मे व्यापारिक बैंक अपनी जमाराशियो का 5 प्रतिशत ही नगद-कोष के रूप मे रखते है, जबकि भारत जैसे देश मे व्यापारिक बैंको की अपनी जमाराशियो का 10 प्रतिशत तक नकद-कोष के रूप मे रखना पडता है। अतएव ब्रिटिश बैंको की तुलना मे भारतीय बैंको की साख-निर्माण-शक्ति कम होती है।

(4) व्यापारिक बैंको की केन्द्रीय बैंक के पास रखी गयी जमाराशियाँ—जैसा विदित है, प्रत्येक सम्बद्ध व्यापारिक बैंक को अपने माँग-निक्षेपो (demand liabilities) तथा समय-निक्षेपो (time liabilities) का कुछ निश्चित भाग प्रारक्षण कोष (cash reserves) के रूप मे केन्द्रीय बैंक के पास रखना पडता है। उदाहरणार्थ, सन् 1956 तक भारत मे व्यापारिक बैंको को अपने माँग-निक्षेपो का 5 प्रतिशत तथा समय निक्षेपो का 2 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास प्रारक्षण कोष के रूप मे रखना पडता था। लेकिन सन् 1956 के एक सशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक यदि चाहे तो इन्हे क्रमशः 8 तथा 20 प्रतिशत तक बढा सकता है। स्मरण रहे कि केन्द्रीय बैंक समय-समय पर बैंको द्वारा रखी जाने वाली जमाराशियो मे परिवर्तन करता रहता है। जब केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंको द्वारा रखे जाने वाले कोषो मे वृद्धि कर देता है, तब उसी अनुपात मे व्यापारिक बैंको की साख-निर्माण-शक्ति कम हो जाती है। इसके विपरीत, जब केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंको द्वारा रखे जाने वाले कोषो का प्रतिशत कम कर देता है, तब उसी अनुपात मे उनकी साख-निर्माण शक्ति बढ जाती है। इसका कारण यह होता है कि केन्द्रीय बैंक के ऐसा करने से व्यापारिक बैंको के निक्षेपो मे वृद्धि हो जाती है। परिणामत उनकी साख-निर्माण-शक्ति बढ जाती है।

(5) केन्द्रीय बैंक की साख-सम्बन्धी नीति—बैंको की साख-निर्माण-शक्ति, केन्द्रीय बैंक की साख-सम्बन्धी नीति पर भी निर्भर करती है। यदि केन्द्रीय बैंक यह समझता है कि बैंको द्वारा साख का अत्यधिक निर्माण किया जा रहा है तो वह बैंक-दर नीति (bank rate policy) तथा खुले बाजार की क्रियाओ (open market operations) द्वारा इसे नियन्त्रित करने का प्रयत्न करता है, अर्थात् केन्द्रीय बैंक अपनी बैंक-दर को बढा देता है और खुले बाजार मे प्रतिभूतियो को बेचना शुरू कर देता है। इससे व्यापारिक बैंको की साख-निर्माण-शक्ति स्वतः ही कम हो जाती है। इसके विपरीत, यदि केन्द्रीय बैंक समझता है कि बाजार मे साख का अभाव है तो वह अपनी बैंक-दर को कम करके तथा खुले बाजार मे प्रतिभूतियो को खरीदकर, बैंको की साख-निर्माण-शक्ति को बढाने का प्रयत्न करता है।

(6) जमाकर्ताओं की बैंक मे जमा करने की प्रवृत्ति—यदि किसी देश मे लोग अपने अतिरिक्त धन को अधिकाधिक मात्रा मे बैंको मे जमा करते हैं तो इससे बैंको की जमाराशियाँ पर्याप्त मात्रा मे बढ जायगी। परिणामत बैंको की साख-निर्माण-शक्ति मे वृद्धि हो जायगी। इसके विपरीत, यदि जमाकर्ता बैंको मे रुपया जमा करना कम कर देते हैं, तब इससे बैंको के निक्षेपो मे कमी हो जायगी। परिणामत उनकी साख-निर्माण-शक्ति भी कम हो जायगी। अतः बैंको की साख-निर्माण शक्ति जमाकर्ताओं की बैंको मे रुपया जमा करने की प्रवृत्ति से भी शासित होती है।

(7) प्रतिभूतियो का स्वभाव (Nature of Securities)—बैंको की साख-निर्माण-शक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि बैंको से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति ऋण के लिए किस प्रकार की प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करते हैं। यदि वे ऋणो के बदले श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी परिस्थिति मे बैंक अधिक मात्रा मे साख का सृजन कर सकते हैं। इसके विपरीत, यदि वे अच्छी प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत नहीं करते तो ऐसी परिस्थिति मे बैंक उन्हें अधिक मात्रा मे ऋण नहीं दे सकते। परिणामत उनकी साख-निर्माण-शक्ति सीमित हो जाती है।

बैंको का महत्त्व (Importance of Banks)

जैसा पूर्व कहा जा चुका है, आधुनिक अर्थ-व्यवस्था मे बैंको का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। देश का उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग-धन्धे सभी बैंकिंग व्यवस्था पर केन्द्रित होते हैं। बैंको से प्राप्त होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं।

(1) बैंक बचतों का संग्रह करते हैं—यदि बैंक न होते तो लोगों की बचतें बिखरी पड़ी रहती तथा उद्योग एवं व्यापार के किसी काम न आती।

(2) बैंक व्यापार तथा उद्योग-धन्यो के लिए अर्थ-प्रबन्धन (finance) करते हैं—कोई व्यवसायी अथवा उद्योगपति चाहे कितना ही धनी क्यों न हो, अपनी सभी व्यापार-सम्बन्धी मौद्रिक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं कर सकता। इसलिए वह ऋण के लिए बैंको पर ही निर्भर रहता है। अब बैंक देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं।

(3) बैंक बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में बचत लाते हैं—बैंको द्वारा चैको तथा अन्य साख-पत्रों के प्रयोग के फलस्वरूप बहुमूल्य धातुओं के प्रयोग में बचत होती है।

(4) मुद्रा को स्थान्तरित करने में बैंक सहायता देते हैं—देश के आर्थिक विकास के लिए मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान्तरित होना अत्यन्त आवश्यक होता है। बैंक सुगमता से तथा कम व्यय पर मुद्रा को स्थान्तरित करते हैं।

(5) मुद्रा-प्रणाली में लोच—जैसा ऊपर कहा गया है आजकल अधिकांश देशों में मुद्रा का निर्माण केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। परन्तु 19वीं शताब्दी में मुद्रा का निर्माण प्रायः देश की सरकार द्वारा ही किया जाता था। इससे मुद्रा प्रणाली में पर्याप्त लोच का अभाव रहता था, क्योंकि सरकार बैंकों की तरह देश की मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं से भलीभाँति परिचित नहीं होती थी। परन्तु अब से मुद्रा का निर्माण केन्द्रीय बैंक द्वारा होने लगा है, तब से देश की मुद्रा-प्रणाली अधिक लोचपूर्ण हो गयी है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय बैंक देश की आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करता रहता है।

(6) बैंक कीमतों में स्थिरता लाने में सहायक होते हैं—साख-सृजन को उचित रूप से नियन्त्रित करके बैंक प्रणाली कीमत स्तर में होने वाले भारी उतार-चढ़ाव को दृढ़तापूर्वक रोक सकती है। निस्सन्देह बैंको द्वारा की गयी यह सेवा देश के लिए अमूल्य है।

(7) बैंक अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अर्थ-प्रबन्धन करते हैं—बैंक विदेशी विनिमय-बिलों के डिस्काउण्टिंग से देश के विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्धन (finance) करते हैं।

(8) भुगतान करने की सुविधा—बैंको की सहायता से बड़े-बड़े भुगतानों को करना आसान हो जाता है। यदि बैंक न होते तो बड़े भुगतानों को करने में बड़ी असुविधा रहती, किन्तु बैंको ने चैको की व्यवस्था करके इस कठिनाई को दूर कर दिया है। अब बड़े भुगतान चैको के माध्यम से किये जा सकते हैं।

(9) बैंकिंग प्रयत्न को जागृति—बैंको के सम्पर्क में आने से जनता में बैंकिंग आदत उत्पन्न हो जाती है। वह भुगतान आदि के लिए धातु-मुद्रा के स्थान पर चैको का प्रयोग करने लगती है। इसमें बैंक-मुद्रा की आवश्यकता कम हो जाती है।

(10) विविध सेवाएँ—विनिमय बिलों का संग्रह, अपने ग्राहकों की ओर से भुगतानों का लेना व देना तथा मूल्यवान वस्तुओं का लॉकरों (lockers) में सुरक्षित रखना आदि बैंको द्वारा की गयी अन्य महत्वपूर्ण सेवाएँ हैं।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं। देश के आर्थिक विकास में बैंक किस प्रकार सहायक हो सकता है ? (राजस्थान, 1971)

अथवा

आधुनिक बैंकिंग के विभिन्न कार्यों एवं सेवाओं का वर्णन कीजिए। (आगरा, 1974)

[संकेत—प्रथम भाग में, बैंक की संक्षिप्त परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख कार्यों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, समाज को बैंको से होने वाले लाभों की चर्चा कीजिए।]

2. "बैंक केवल मुद्रा व्यापारी ही नहीं, वे एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा-उत्पादक भी हैं।" (सेयर्स) इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (राजस्थान, 1964)

[संकेत—प्रो० सेयर्स (Sayers) के उद्धरण की व्याख्या करते हुए बैंक के प्रमुख कार्यों की चर्चा कीजिए। यहाँ पर स्पष्ट कीजिए कि बैंक का कार्य केवल निक्षेप स्वीकार करना

तथा ऋण प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख-मुद्रा का निर्माण करना होता है। यहाँ पर सक्षेप में यह बताइये कि बैंक साख-मुद्रा का निर्माण कैसे करता है। अन्त में, प्रो० सेयर्स की इस परिभाषा का समर्थन करते हुए यह बताइए कि, वास्तव में, बैंक की यही उचित परिभाषा है।]

- 3 साख क्या है? व्यापारिक बैंक साख का निर्माण किस प्रकार करते हैं?

(सागर, 1961, राजस्थान, 1968)

अथवा

साख-निर्माण की सोमाओं को पूर्णतया समझाइए।

(जोवाजी, ग्वालियर, 1971)

अथवा

व्यापारिक बैंक साख का निर्माण कैसे करता है? क्या बैंक की साख-निर्माण शक्ति असौ-मित है?

(आगरा, 1975)

[संकेत—प्रथम भाग में, साख की परिभाषा देते हुए इसके अर्थ की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि बैंक किन-किन विधियों से साख का निर्माण करता है। अन्त में, बैंक की साख-निर्माण-शक्ति को परिसीमाओं का भी सक्षेप में उल्लेख कीजिए।]

- 4 “ऋण जमा के जन्मदाता हैं और जमा ऋण की जन्मदात्री होती है।” समझाइए।

(विक्रम, 1971)

[संकेत यहाँ पर आपको यह स्पष्ट करना है कि बैंक अपनी जमा (निक्षेपों) से ही ऋण देता है और आगे चलकर इन ऋणों के परिणामस्वरूप ही बैंक की जमाराशियाँ उत्पन्न होती हैं। दूसरे शब्दों में, आपको यहाँ पर विस्तारपूर्वक यह बताना है कि बैंक साख का निर्माण कैसे करता है।]

11

आधुनिक बैंकों के विभिन्न रूप (Types of Modern Banks)

बैंकों का वर्गीकरण (Classification of Banks)

बैंको का वर्गीकरण प्रायः उनके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों के आधार पर किया जाता है। आधुनिक बैंको के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं।

(1) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks) — व्यापारिक बैंक प्रायः व्यापार का ही अर्थ-प्रवर्धन (finance) करते हैं, अर्थात् ये बैंक केवल व्यापारियों तथा व्यवसायियों को ही अल्पकालीन ऋण देते हैं। चूंकि इन बैंको के निक्षेप (deposits) अल्पकालीन होते हैं, इसलिए ये बैंक केवल अल्पकाल के लिए ही ऋण देते हैं। साधारणतः ये बैंक 3 से लेकर 6 महीने तक की अवधि के लिए ही ऋण देते हैं। इसका कारण, जैसा ऊपर कहा गया है, यह है, कि इन बैंको के पास जमा की हुई राशियाँ केवल थोड़े समय के लिये ही होती हैं। अतः ये बैंक उद्योग-धन्धो को दीर्घकालीन ऋण देने की स्थिति में नहीं होते। भारत के अधिकांश सयुक्त पूँजी बैंक व्यापारिक बैंक ही हैं। कुछ व्यापारिक बैंक विदेशी व्यापार के अर्थ-प्रवर्धन में भी थोड़ा-सा भाग लेते हैं। इन बैंको के मुख्य कार्यों की विवेचना पिछले अध्याय में की जा चुकी है।

(2) औद्योगिक बैंक (Industrial Banks) — औद्योगिक बैंक वे बैंक होते हैं जो उद्योग-धन्धो को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। स्मरण रहे, दीर्घकालीन अर्थ-प्रवर्धन इन बैंको की विशेषता होती है। इसके अतिरिक्त, ये बैंक बड़ी-बड़ी औद्योगिक फर्मों को उनके ऋणपत्रों (debentures), बॉण्ड्स तथा अगो आदि को बिकवाने में सहायता करते हैं और कभी-कभी उनके ऋणपत्रों की हामी (underwriting) भी भरते हैं।

औद्योगिक बैंको की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, क्योंकि व्यापारिक बैंक उद्योग-धन्धो को दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। जैसे विहित है, उद्योग-धन्धो को दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु व्यापारिक बैंक अपने अल्पकालीन निक्षेपों के कारण दीर्घकालीन ऋण देने की स्थिति में नहीं होते। अतः एक ऐसे प्रकार के बैंको की आवश्यकता पड़ती है जो उद्योग-धन्धो की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। औद्योगिक बैंक उद्योग-धन्धो को दीर्घकालीन ऋण देने की स्थिति में होते हैं। साधारणतः इन बैंको के तीन मुख्य कार्य होते हैं — (क) दीर्घकालीन निक्षेप (long-term deposits) स्वीकार करना — चूंकि अधिकांश औद्योगिक बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, अतः वे लोगों से केवल दीर्घकालीन निक्षेप ही स्वीकार करते हैं, (ख) उद्योगों को साख-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना — जैसा विहित है, उद्योग-धन्धो की साख-सम्बन्धी आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती हैं, प्रथम, भूमि क्रय करने, फॅक्टरी का निर्माण करने तथा भारी मशीनों को खरीदने के लिए उन्हें पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की आवश्यकता के लिए उद्योग-धन्धो को दीर्घकालीन ऋणों की जरूरत पड़ती है। दूसरे, उद्योग-धन्धो की कच्चा माल खरीदने तथा श्रमियों को भुजवृत्ती चुकाने के लिए

अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। अल्पकालीन ऋण उद्योग-धन्धों को व्यापारिक बैंकों द्वारा भी दिये जाते हैं। परन्तु दीर्घकालीन ऋणों के लिए उन्हे औद्योगिक बैंकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, (ग) अन्य कार्य—औद्योगिक बैंक बड़ी-बड़ी फर्मों को शेअरों (shares) तथा ऋण-पत्रों के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में परामर्श भी देते हैं। इसका कारण यह है कि औद्योगिक बैंकों का देश की आर्थिक स्थिति से घनिष्ठ परिचय होता है और वे औद्योगिक फर्मों को उचित परामर्श देने की स्थिति में होते हैं।

पश्चिमी देशों में औद्योगिक बैंकों का बड़ा महत्त्व है। उदाहरणार्थ, अमरीका तथा जर्मनी के अधिकांश बैंक औद्योगिक बैंक ही हैं। परन्तु भारत में औद्योगिक बैंकों का सर्वथा अभाव रहा है। भारत में कुछ वर्ष पूर्व टाटा औद्योगिक बैंक स्थापित किया गया था, परन्तु यह बैंक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। गत कुछ वर्षों में सरकार ने औद्योगिक बैंकों के इस अभाव को दूर करने के लिए औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) तथा राज्य वित्त निगम (State Finance Corporations) की स्थापना की है। इन निगमों से उद्योग-धन्धों को काफी वित्तीय सहायता मिल रही है।

(3) कृषि बैंक (Agricultural Banks)—जैसा स्पष्ट है, कृषि-व्यवसाय, व्यापार तथा उद्योग-धन्धों से काफी भिन्न होता है। इसकी ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताएँ व्यापार तथा उद्योग-धन्धों की ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं। अतएव व्यापारिक बैंक तथा औद्योगिक बैंक कृषि की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार कृषि के अर्थ-प्रबन्धन (finance) के लिए एक विशेष प्रकार के बैंकों की आवश्यकता पड़ती है।

किसानों की वित्त-सम्बन्धी आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती हैं प्रथम, किसानों को बीज, खाद, हल आदि खरीदने के लिए अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। द्वितीय, किसानों को भूमि का क्रय करने तथा उस पर स्थायी सुधार करने, सिंचाई की व्यवस्था करने तथा भारी यन्त्रों को खरीदने आदि के लिए दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। किसानों की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार कृषि-बैंक दो प्रकार के होते हैं प्रथम, कृषि सहकारी बैंक (Agricultural Co-operative Bank) जो किसानों की अल्पकालीन साख-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। द्वितीय, भूमि-विकास बैंक (Land Development Banks), जो किसानों की दीर्घकालीन ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

(क) कृषि सहकारी बैंक (Agricultural Co-operative Banks)—जैसा ऊपर कहा गया है, सहकारी बैंक किसानों की केवल अल्पकालीन ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं को ही पूरा करते हैं। भारत में सहकारी बैंकों की रचना इस प्रकार की गयी है। सबसे नीचे स्तर पर गाँव की सहकारी साख समिति (Village Co-operative Credit Society) होती है। गाँव के 10 अथवा 10 से अधिक व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति स्थापित कर सकते हैं। इस समिति की पूंजी, प्रवेश शुल्कों (entrance fees) अग्रे की विन्नो, जनता तथा सरस्यों द्वारा जमा किये गये निक्षेपों, सुरक्षित कोषों (reserve funds), केन्द्रीय तथा राज्य सहकारी बैंकों से लिए हुए ऋणों से प्राप्त होती है। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य इससे अल्पकालीन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इन समितियों के ऊपर सहकारी सघ (Co operative Unions) होते हैं और ये सहकारी समितियाँ उन सघों से सम्बद्ध होती हैं। आवश्यकता पड़ने पर समितियाँ सहकारी सघों से ऋण प्राप्त कर सकती हैं। इन सहकारी सघों के ऊपर केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Banks) होते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर सहकारी सघों को ऋण प्रदान करते हैं। साधारणतः प्रत्येक जिले में एक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक होता है। इन केन्द्रीय बैंकों के ऊपर राज्य सहकारी बैंक (State Co-operative Bank) होता है जो इनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अन्त में, इन राज्य सहकारी बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का कृषि साख विभाग होता है जो आवश्यकता पड़ने पर राज्य सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान करता है। परन्तु रमरण रहे कि भारत में सहकारी बैंकों को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है, यद्यपि भारत में सहकारी आन्दोलन लगभग 72 वर्ष पुराना हो चुका है।

(ख) भूमि-विकास बैंक (Land Development Banks)—जैसा ऊपर कहा जा चुका है,

भूमि-विकास बैंक किसानों की दीर्घकालीन ऋण-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये बैंक प्रायः 5 से लेकर 25 वर्ष तक की अवधि के लिए किसानों को ऋण देते हैं और ये ऋण किसानों की भूमि को बन्धक (mortgage) के रूप में रखकर दिये जाते हैं। इन ऋणों का भुगतान प्रायः आसान किस्तों में किया जाता है जो एक निश्चित समय के पश्चात् ही आरम्भ होती है। भारत में भूमि-विकास बैंकों को सहकारिता के आधार पर सपठित किया गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश, इन बैंकों को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

(4) विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks)—ये बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक होते हैं जो केवल विदेशी व्यापार का ही अर्थ-प्रबन्धन (finance) करते हैं। इनका मुख्य कार्य विदेशी विनिमय-बिलों के क्रय-विक्रय द्वारा अन्तरराष्ट्रीय भुगतानों को करना होता है। जैसा विदित है, किसी देश के निर्यातकर्ता अपने माल का भुगतान अपने ही देश की मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं। अब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या उत्पन्न होती है। विदेशी विनिमय बैंक इसी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात् वे एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करते हैं। इसी कारण इन बैंकों को अपने पास विभिन्न देशों की मुद्राएँ रखनी पड़ती हैं और साथ ही साथ इनको कई देशों में अपनी शाखाएँ भी खोलनी पड़ती हैं। इन बैंकों की कार्यविधि इस प्रकार है—जब किसी विनिमय बैंक को एक देश की शाखा विनिमय-बिल खरीदती है, और उस विनिमय-बिल की कीमत उस देश की मुद्रा में चुकाती है, तब वह शाखा उस बिल को विदेश में स्थित अपनी शाखा को भेजती है और विदेश की वह शाखा अहार्यी (drawee) से उस बिल में उल्लिखित रकम को विदेशी मुद्रा में वसूल कर लेती है। इस प्रकार विभिन्न देशों में मुद्रा का स्थानान्तरण नहीं होता और मुद्रा के बिना सुगमता-पूर्वक अन्तरराष्ट्रीय भुगतान होते हैं। इसके अतिरिक्त, ये बैंक अन्तरराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान, प्रतिभूतियों का आयात निर्यात तथा अग्रिम विनिमय (forward exchange) व्यापार के कार्य भी करते हैं। ये बैंक विदेशी विनिमय-दरों में होने वाले भारी उतार चढ़ाव को भी रोकते हैं और इस प्रकार व्यापारियों को अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम (risk) से बचाते हैं।

दुर्भाग्यवश, भारत के लगभग सभी विदेशी विनिमय बैंकों पर विदेशियों का ही आधिपत्य है। ब्रिटिश शासनकाल में तो इन बैंकों का विदेशी व्यापार के अर्थ-प्रबन्धन में पूर्ण एकाधिकार था, परन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त इनका उक्त एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। अब भारत के कुछ व्यापारिक बैंक भी विदेशी विनिमय का व्यवसाय करते हैं, परन्तु इसके बावजूद विदेशी विनिमय बैंक हमारे विदेशी व्यापार पर छाये हुए हैं।

(5) केन्द्रीय बैंक (Central Banks)—केन्द्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। यह बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है। इसकी दो प्रमुख विशेषताएँ होती हैं प्रथम, इस बैंक के पास कागजी मुद्रा के निर्गमन का पूर्ण एकाधिकार होता है। द्वितीय, यह बैंक जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय (direct business) नहीं करता, अर्थात् अन्य व्यापारिक बैंकों से इसकी कोई प्रतिभूति नहीं होती। केन्द्रीय बैंक के मुख्य मुख्य कार्यों का विस्तारपूर्वक अध्ययन हम आगे चलकर करेंगे। परन्तु यहाँ पर, केन्द्रीय बैंक के कार्यों को केवल संक्षिप्त रूप में ही बताया जायगा। केन्द्रीय बैंकों के मुख्य-मुख्य कार्य इस प्रकार हैं

(1) केन्द्रीय बैंक सरकार का बैंकर (government banker) होता है। यह सरकार के सभी प्रकार के खातों का हिसाब-किताब रखता है और सरकार द्वारा ऋण करने पर उसे ऋण भी प्रदान करता है।

(2) यह बैंक सरकार को आर्थिक, राजकोषीय तथा मौद्रिक विषयों पर परामर्श भी देता है और इस उद्देश्य के लिए यह बैंक सभी प्रकार के आर्थिक आँकड़ों तथा तथ्यों का संकलन करके उन्हें प्रकाशित भी करता है।

(3) यह बैंक देश की समूची बैंकिंग प्रणाली पर अपना नियन्त्रण भी रखता है और समय-समय पर सम्बद्ध बैंकों (affiliated banks) के काम का निरीक्षण भी करता है।

(5) यह बैंकों का बैंक (Banker's bank) होता है। अर्थात् आवश्यकता पड़ने पर सम्बद्ध बैंक केन्द्रीय बैंक से ऋण भी ले सकते हैं।

व्यापारिक बैंको के संगठन की रीतियाँ (Methods of Organising Commercial Banks)

व्यापारिक बैंकिंग प्रथा वे वैसे तो कई रूप होते हैं, परन्तु इन्हें साधारणतः दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है—(i) शाखा बैंकिंग, (ii) इकाई बैंकिंग ।

(1) शाखा बैंकिंग (Branch Banking)—शाखा बैंकिंग-प्रणाली के अन्तर्गत, बैंक का मुख्य कार्यालय किसी बड़े नगर में स्थित होता है और उसकी शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में फैली रहती हैं, इसलिए इसको शाखा बैंकिंग कहते हैं। इस प्रकार की बैंकिंग ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा आदि देशों में पायी जाती है। भारत में भी शाखा बैंकिंग प्रणाली का ही प्रचलन है। भारत में अनेक बड़े-बड़े बैंक हैं जिनको शाखाएँ देश के सभी राज्यों में फैली हुई हैं।

शाखा बैंकिंग के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं

(1) बड़े पैमाने पर विशेषज्ञता तथा धन-विभाजन के लाभ—शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैंको का आकार बहुत बड़ा होता है। परिणामतः उनके आर्थिक राधन भी विशाल होते हैं। इस प्रकार वे विशेषज्ञता (specialisation) तथा धन विभाजन के सभी लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा योग्य अधिकारियों की सेवाएँ भी प्राप्त कर सकते हैं।

(2) जोखिम का भौगोलिक वितरण—शाखा बैंकिंग का एक गुण यह भी है कि इसके अन्तर्गत जोखिम (risk) का अथ भौगोलिक आधार पर स्वतः ही वितरित हो जाता है। जैसा विदित है, एक बड़े बैंक की अनेक शाखाएँ होती हैं और उनके द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रूप से बैंक के निक्षेपों का निवेश (investment) किया जाता है। ऐसा करने से बैंक के जोखिम का अथ विभिन्न क्षेत्रों में स्वतः ही बँट जाता है। यदि देश के किसी भाग में मन्दी फैल जाती है और उसके कारण बैंक को आर्थिक हानि होती है तो बैंक इस प्रकार की हानि की क्षति-पूति करने के लिए देश के अन्य भागों में अपना व्यवसाय बढ़ा सकता है। परन्तु इकाई बैंकिंग-प्रथा के अन्तर्गत जोखिम का क्षेत्रीय वितरण सम्भव नहीं हो सकता।

(3) मुद्रा के हस्तांतरण में सुविधाएँ—चूँकि शाखा बैंकिंग के अन्तर्गत बैंक की शाखाएँ देश के सभी हिस्सों में फैली हुई होती हैं, इसलिए मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना सरल तथा सस्ता पड़ता है। परन्तु इकाई बैंको को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती।

(4) नकद-कोषों में प्रचय—शाखा बैंकिंग के अन्तर्गत, नकद-कोषों में काफी प्रचय की जा सकती है। बैंक की शाखाएँ छोड़ी मात्रा में ही नकद कोष रखकर अपना काम चला सकती हैं और यदि आवश्यकता पड़ती है तो वे अपनी अन्य शाखाओं से नकदी मंगा सकती हैं, परन्तु यह सुविधा इकाई बैंको को उपलब्ध नहीं होती।

(5) व्याज की दरों में समानता—शाखा बैंकिंग के कारण मुद्रा-बाजार में व्याज की दरों में समानता स्थापित हो जाती है। यदि किसी समय देश के किसी भाग में मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और उसके परिणामस्वरूप वहाँ पर व्याज की दर बढ़ जाती है तो शाखा बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक अपनी अन्य शाखाओं से उस शाखा का अतिरिक्त मुद्रा स्थानान्तरित कर सकता है, जहाँ पर मुद्रा की माँग अधिक होती है। इस प्रकार वहाँ पर व्याज की दर को बढ़ने से रोकना जा सकता है।

(6) पूँजी का समुचित उपयोग—शाखा बैंकिंग के अन्तर्गत बैंक अपनी पूँजी का सही ढंग से उपयोग कर सकता है। यदि किसी शाखा के पास पर्याप्त मात्रा में निक्षेप हैं परन्तु उसे निवेश (investment) के अवसर प्राप्त नहीं हैं तो वह शाखा अपनी अतिरिक्त धनराशि को आसानी से दूसरी शाखाओं को भेज सकती है, जहाँ उस धनराशि के निवेश के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

(7) बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि—इस प्रणाली द्वारा देश के सभी नगरों, छोटे-छोटे कस्बों, पिछड़े हुए क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध की जा सकती हैं। इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत छोटे-छोटे कस्बों तथा अविकसित क्षेत्रों में बैंक स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से असम्भव-सा होता है।

(8) कर्मचारियों तथा अधिकारियों का प्रशिक्षण—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत बैंक का

काम बहुत विस्तृत हो जाता है, इसलिए बैंक के कमचारियों एवं अधिकारियों को बैंकिंग व्यवसाय के सभी पहलुओं के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है।

(9) बैंक का देश के सभी भागों से सम्पर्क—इस प्रणाली के अन्तर्गत बैंक का देश के सभी भागों से सम्पर्क बना रहता है और इसके आधार पर बैंक को देश के सभी क्षेत्रों के बारे में सही व विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती रहती है। इससे बैंक को पूँजी का निवेश करने में सुविधा रहती है।

शाखा बैंकिंग के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) प्रबन्ध, निरीक्षण तथा नियन्त्रण की कठिनाइयाँ—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत बैंक की सैकड़ों शाखाएँ होती हैं इसलिए बैंक के प्रबन्ध, निरीक्षण तथा नियन्त्रण में कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रणाली के अधीन बैंक का प्रबन्ध मुख्य कार्यालय में केन्द्रित हो जाता है। प्रत्येक शाखा को छोटी छोटी बातों पर भी मुख्य कार्यालय से आदेश प्राप्त करने पड़ते हैं जिससे बैंक के काम में अनावश्यक देरी हो जाती है।

(2) प्रारम्भण (पहल) प्रेरणा का अभाव (Lack of Initiative)—इस प्रणाली के अन्तर्गत बैंक की विभिन्न शाखाओं में प्रारम्भण प्रेरणा का पूर्ण अभाव रहता है। कोई भी शाखा प्रधान कार्यालय के परामर्श के बिना मुख्य समस्याओं पर कोई निगय नहीं ले सकती। परिणामतः बैंक की शाखाएँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बैंकिंग कार्य चलाने में असमर्थ रहती हैं। इस प्रकार इस प्रणाली में लोच का प्रायः अभाव ही रहता है।

(3) आर्थिक एकाधिकार की सम्भावना—इस प्रणाली के अन्तर्गत देश में आर्थिक एकाधिकार के उत्पन्न हो जाने की सम्भावना बनी रहती है। इसका कारण यह है कि बैंक की सभी शाखाओं का नियन्त्रण मुख्य कार्यालय में ही केन्द्रित रहता है और कुछ ही अधिकारी बैंक की समूची कायविधि पर छाये रहते हैं। इस प्रकार देश में आर्थिक एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है जो देश की समृद्धि के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

(4) इस प्रणाली के अधीन हानिप्रद शाखाएँ भी जीवित रहती हैं—इस प्रणाली के अन्तर्गत दुबल तथा हानिप्रद शाखाएँ भी प्रतिपोषित होती रहती हैं। इसके विपरीत इकाई बैंकिंग के अन्तर्गत यदि कोई बैंक हानिप्रद हो जाता है तो कुछ समय पश्चात् वह स्वतः ही बंद हो जाता है। परन्तु शाखा बैंकिंग के अन्तर्गत दुबल तथा हानिप्रद शाखाएँ सुदृढ़ तथा लाभदायक शाखाओं के बल पर जीवित बनी रहती हैं।

(5) बैंकों में अनावश्यक प्रतिযোগिता—शाखा बैंकिंग का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके अन्तर्गत, बैंकों में अस्वस्थ प्रकार की प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। प्रायः देखा जाता है कि एक ही स्थान पर विभिन्न बैंकों की शाखाएँ खोली जाती हैं जिनसे उनमें आपसी प्रतियोगिता आरम्भ हो जाती है। प्रतियोगी बैंकों की शाखाएँ ग्राहकों को अपनी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के प्रसोभन तथा सुविधाएँ देती हैं जिससे बैंकिंग के व्यय में वृद्धि होती है और अन्ततः बैंकों को हानि होने लगती है।

(6) बैंकिंग सुविधाओं का दोहराव (Duplication of Banking Facilities)—जब एक ही स्थान पर विभिन्न बैंकों की शाखाएँ खुल जाती हैं तो इससे बैंकिंग सुविधाओं का अनावश्यक दोहराव हो जाता है जिससे बैंकों को हानि होने लगती है।

(7) यह प्रणाली खर्चीली है—जब किसी बैंक की अनेक शाखाएँ खुल जाती हैं तो उनके कार्यों में परस्पर समन्वय (co-ordination) स्थापित करने के लिए विस्तृत प्रबन्ध व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे बैंकिंग-व्यय बढ़ जाता है जो बैंकों के हित में नहीं होता।

(8) छोटे स्थानों की पूँजी बड़े स्थानों की चली जाती है—इस प्रणाली के अन्तर्गत, देश के छोटे तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों की पूँजी एकत्रित करके बड़े-बड़े औद्योगिक तथा व्यावसायिक केन्द्रों में पँचा दी जाती है। इसका कारण यह है कि बैंक बड़े बड़े केन्द्रों में पूँजी का निवेश करना अधिक लाभपूर्ण समझते हैं। इससे छोटे तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों का आर्थिक विकास नहीं हो पाता और वे अपनी बचतों के विकासात्मक प्रयोग से वंचित रह जाते हैं।

(9) कुछ शाखाओं में होने वाली हानि का प्रभाव अन्य शाखाओं पर पड़ता है—जब किसी कारणवश बैंक की कुछ शाखाओं को आर्थिक हानि होती है तो इसका प्रभाव बैंक की अन्य शाखाओं पर पड़ता है।

(10) विदेशों में कठिनाइयों—इस प्रणाली के अन्तर्गत, जब बैंक विदेशों में अपनी शाखाएँ खोलता है तब उसे कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि विदेशों में बैंकिंग कानून, व्यापारिक परिस्थितियाँ, मौद्रिक तथा साख-पद्धतियाँ अलग-अलग होती हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक को विदेशी सरकारों द्वारा अपनी शाखाओं के राष्ट्रीयकरण का भी सदैव भय बना रहता है।

(ii) इकाई बैंकिंग (Unit Banking)—इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत, प्रत्येक बैंक का केवल एक ही कार्यालय होता है और कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अन्य स्थानों पर बैंक की शाखाएँ नहीं होती। प्रो० कैंप के शब्दों में, “इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत, प्रत्येक स्थानीय बैंक एक पृथक निगम होता है जिसका पृथक पंजीकरण होता है और जिसकी अपनी पूंजी, संचालन बोर्ड तथा अशासक होते हैं।” इकाई बैंकिंग प्रणाली अमरीका में अत्यन्त लोक-प्रिय रही है। वहाँ पर बड़े-बड़े बैंक विभिन्न नगरों में शाखाएँ नहीं खोलते, बल्कि वहाँ पर तो हजारों की संख्या में विभिन्न नगरों में छोटे-छोटे बैंक होते हैं और ये बैंक सभी प्रकार के बैंकिंग कार्यों को सम्पन्न करते हैं। इकाई बैंकिंग प्रणाली के समर्थकों का कहना है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रारम्भण (initiauve) शक्ति के विकसित होने के पर्याप्त अवसर होते हैं। वास्तव में, किसी विशेष नगर में स्थापित किये गये बैंक का स्वामित्व तथा नियन्त्रण स्थानीय व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए, क्योंकि वे ही वहाँ की स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों से परिचित होते हैं। इस दृष्टिकोण से इकाई बैंकिंग प्रणाली आदर्श प्रणाली है।

इस प्रणाली के अन्तर्गत, प्रत्येक बैंक की पूंजी तथा व्यवसाय सीमित होता है। अमरीका में इस प्रकार के इकाई बैंक अपने नकद-कोष को पास के किसी बड़े नगर के बैंक में जमा करा देते हैं। उन्हें करैसपोण्डेंट बैंक (correspondent bank) कहते हैं और इन्हीं के माध्यम से मुद्रा का स्थानान्तरण किया जाता है।

इकाई बैंकिंग प्रणाली के लाभ—इसके लाभ निम्नलिखित हैं

(1) प्रबन्ध, निरीक्षण तथा नियन्त्रण में सुविधा—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत बैंक का आकार छोटा होता है, इसलिए उसका प्रबन्ध, निरीक्षण तथा नियन्त्रण समुचित ढंग से किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ प्रबन्ध में होने वाले अपव्यय को भी समाप्त किया जा सकता है।

(2) अकुशल बैंक जीवित नहीं रह सकते—जैसा ऊपर कहा जा चुका है, शाखा बैंकिंग के अन्तर्गत, दुबल तथा हानिप्रद शाखाएँ सुदृढ़ तथा लाभदायक शाखाओं के बल पर जीवित बनी रहती हैं। परन्तु इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई बैंक आर्थिक दृष्टि से दुबल तथा अकुशल है तो छोटे समय के पश्चात् वह स्वतः ही समाप्त हो जायगा।

(3) एकाधिकारी समस्याओं के निर्माण पर रोक—इकाई बैंकिंग प्रणाली में केवल छोटे-छोटे बैंक होते हैं। बड़े-बड़े बैंकों का संबंध पूर्ण अभाव होता है। इसलिए इस प्रणाली में एकाधिकारी समस्याओं के उत्पन्न हो जाने की सम्भावना नहीं होती।

(4) बैंक-कार्य में विलम्ब नहीं होता—इकाई बैंकिंग प्रणाली का एक गुण यह भी है कि इसके अन्तर्गत बैंकिंग कार्य में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होता क्योंकि बैंक को अपने दिन-प्रतिदिन के कार्य में मुख्य कार्यालय से आदेश प्राप्त नहीं करने पड़ते। बैंक के स्थानीय अधिकारी विभिन्न समस्याओं पर स्वयं ही निर्णय ले सकने में समर्थ होते हैं।

(5) व्यवसाय में प्रारम्भण प्रेरणा—चूँकि इकाई बैंकिंग प्रणाली के अधीन बैंक के अधिकारी स्थानीय समस्याओं से भलीभाँति परिचित होते हैं, इसलिए वे प्रारम्भण प्रेरणा से कार्य कर सकते हैं। परिणामतः बैंकिंग व्यवस्था में लोच ना अण उत्पन्न हो जाता है।

(6) इस प्रणाली में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सकता है—चूँकि इस प्रणाली के अधीन बैंक के अधिकारियों को स्थानीय आर्थिक आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होता है

इसलिए वे स्थानीय विकास की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके विपरीत, शाखा बैंकिंग प्रणाली में स्थानीय विकास की साधारणतः उपेक्षा की जा सकती है।

(7) यह प्रणाली स्वतन्त्र व्यवसाय के अनुकूल होती है—इस प्रणाली के अन्तर्गत, निजी व्यवसाय को विकसित होने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है।

इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोष—इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) भ्रम-विभाजन तथा विशेषज्ञता का अभाव—चूंकि इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैंको का आकार छोटा होता है तथा उनके आर्थिक साधन सीमित होते हैं, इसलिए उनमें भ्रम-विभाजन तथा विशेषज्ञता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। परिणामतः वे इनके लाभों से वंचित रहते हैं।

(2) जोखिम का भौगोलिक वितरण नहीं हो पाता—शाखा बैंकिंग के अन्तर्गत बैंको का व्यावसायिक जोखिम विभिन्न क्षेत्रों तथा उद्योगों पर फैला हुआ होता है। इसका कारण यह है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में बैंको की अनेक शाखाएँ होती हैं और उन शाखाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों तथा व्यवसायों में बैंक के निक्षेपों का निवेश किया जाता है। इससे व्यावसायिक जोखिम का वितरण सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक केवल एक ही स्थान पर केन्द्रित होता है। दुर्भाग्यवश, यदि उस स्थान पर व्यावसायिक मन्दी छा जाती है तो इससे बैंक को बहुत हानि और उसके फेल हो जाने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है।

(3) पूँजी का स्थान्तरण अधिक व्ययपूर्ण एवं असुविधाजनक हो जाता है—चूंकि इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैंक की स्थान-स्थान पर अपनी निजी शाखाएँ नहीं होती, इसलिए पूँजी के स्थान्तरण के लिए उस करैसपोण्डेंट बैंक की आवश्यकता पड़ती है। इससे पूँजी का स्थान्तरण अधिक खर्चीला तथा असुविधाजनक हो जाता है।

(4) विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज की असमानता—चूंकि इस प्रणाली में पूँजी के स्थान्तरण की कोई मितव्ययी तथा सुविधाजनक व्यवस्था नहीं रहती, इसलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्याज की दरों में असमानता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ देश के बड़े-बड़े औद्योगिक तथा व्यावसायिक केन्द्रों में तो ब्याज की दर कम हो जाती है परन्तु पिछड़े हुए तथा अल्प-विकसित क्षेत्रों में ब्याज की दर अधिक हो जाती है। इससे देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में आर्थिक विकास में बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(5) बैंकिंग का छोटे-छोटे नगरों तथा कस्बों में विकास नहीं हो पाता—शाखा बैंकिंग के अन्तर्गत एक बड़ा बैंक आर्थिक हानि उठाकर भी छोटे-छोटे नगरों तथा कस्बों में शाखाएँ खोल सकता है। परन्तु इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैंक ऐसा कर सकने में असमर्थ रहते हैं। इसका कारण यह है कि उनके आर्थिक साधन पहले से ही सीमित होते हैं। अतः वे आर्थिक हानि उठाकर छोटे-छोटे नगरों तथा कस्बों में शाखाएँ नहीं खोल सकते हैं।

(6) बैंकिंग कार्य में कुशलता का अभाव—चूंकि इकाई बैंकिंग प्रणाली में बैंको का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए वे बैंकिंग कार्यविधि के दिनाप्त (up-to-date) तथा नवीनतम उपायों को नहीं अपना सकते, जिससे उनकी कार्यकुशलता निम्न-स्तर की होती है।

(7) आर्थिक सक्टों का सामना करने में असमर्थता—इकाई बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैंको का आकार छोटा होता है और उनके आर्थिक साधन भी सीमित होते हैं। अतः वे आर्थिक सक्टों का सामना करने में असमर्थ रहते हैं। यही कारण है कि सन् 1929 की महामन्दी के दौरान अमरीका के सैकड़ों बैंक फेल हो गये थे।

इकाई बैंको के दोषों को कैसे दूर किया गया है?—इकाई बैंकिंग के उक्त दोषों को अमरीका में दूर व कम करने के कई प्रयत्न किये गये हैं। वे इस प्रकार हैं

(1) नयी शाखाएँ स्थापित करने का अधिकार—अमरीका में इकाई बैंको को अपने आस-पास के क्षेत्र में नयी शाखाएँ स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया है ताकि उनके व्यवसाय में वृद्धि हो सके और वे अधिक लाभ कमा सकें।

(2) श्रृंखलाकारी बैंकिंग प्रणाली को प्रोत्साहन—इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए अमरीकी बैंकरो ने श्रृंखलाकारी बैंकिंग प्रणाली (chain banking system) का आश्रय लिया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत, एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक साथ कई बैंको पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है। यद्यपि ये बैंक अलग-अलग ही रहते हैं, परन्तु उनका स्वामित्व एक व्यक्ति या समूह के हाथों में आ जाता है। इससे विभिन्न बैंको की नीतियों में समन्वय स्थापित करने में सुविधा रहती है।

(3) करैसपोण्डेंट बैंको का निर्माण—इकाई बैंकिंग प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए अमरीका में करैसपोण्डेंट बैंक्स (correspondent banks) को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसा पूर्व बताया जा चुका है, अमरीका के छोटे-छोटे इकाई बैंक अपनी अतिरिक्त जमा-राशियाँ पास के स्थित करैसपोण्डेंट बैंक्स में जमा करवा देते हैं और उनसे आर्थिक तथा व्यावसायिक विषयों पर परामर्श भी लेते हैं। पूंजी के स्थानान्तरण में भी इन बैंको की सहायता ली जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इनसे ऋण भी लिये जाते हैं। इस प्रकार करैसपोण्डेंट बैंक्स के द्वारा देश के विभिन्न इकाई बैंको को एक-दूसरे से जोड़ दिया गया है। इससे अमरीका के इकाई बैंको को भी शाखा बैंकिंग के लाभ प्राप्त होने लगे हैं।

निष्कर्ष—कभी-कभी यह प्रश्न उठाना जाता है कि शाखा बैंकिंग तथा इकाई बैंकिंग में से कौन-सी प्रणाली श्रेष्ठ है? जसा हमने ऊपर देखा है, इन दोनों प्रणालियों में ही दोष पाये जाते हैं, परन्तु शाखा बैंकिंग प्रणाली में इकाई बैंकिंग प्रणाली की अपेक्षा कम दोष पाये जाते हैं। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शाखा बैंकिंग प्रणाली अधिक अच्छी प्रणाली है। परन्तु ऐसा होते हुए भी अमरीका में इकाई बैंकिंग प्रणाली का ही विकास हुआ है। इसका कारण यह है कि अमरीका की आर्थिक परिस्थितियाँ इकाई बैंकिंग प्रणाली के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई हैं। अमरीका एक अत्यन्त धनी एवं समृद्ध देश है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊँची है, इसलिए वहाँ पर इकाई बैंकिंग प्रणाली अधिक सफल हुई है। परन्तु पिछड़े हुए देशों के लिए इकाई बैंकिंग प्रणाली उपयुक्त नहीं हो सकती।

एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली की विशेषताएँ (Essentials of A Good Banking System)

- किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली का होना अनिवार्य होता है। इसका कारण यह है कि बैंक देश के विभिन्न वर्गों की बचतों को एकत्रित कर पूंजी-निर्माण में सहायता देते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक साख का निर्माण करके देश की उत्पादन-शक्ति को भी बढ़ाते हैं। अतः देश के औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास के लिए एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली का होना नितान्त आवश्यक है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? ये विशेषताएँ इस प्रकार हैं

(1) बैंकिंग प्रणाली देश की बचतों को प्रोत्साहित करे—देश की बैंकिंग प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उसकी सहायता से देश के सभी वर्गों की बचतों को एकत्रित किया जा सके और उन्हें निवेश हेतु प्रयोग में लाया जा सके। अतएव बैंक को विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर सभी वर्गों की बचतों को आकर्षित करने का प्रयत्न करना चाहिए।

(2) बैंकिंग प्रणाली देश की परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए—प्रत्येक देश की आर्थिक परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। अतः बैंकिंग प्रणाली देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल ही होनी चाहिए। यदि कोई देश कृषि-प्रधान है तो उस देश की बैंकिंग व्यवस्था इस ढंग की होनी चाहिए कि उससे कृषि-उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिल सके।

(3) साख पर नियन्त्रण होना चाहिए—एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली की यह भी विशेषता होनी चाहिए कि वह साख के विस्तार पर उचित नियन्त्रण रख सकने में समर्थ हो। इसका कारण यह है कि साख के अनियन्त्रित विस्तार से देश में गम्भीर आर्थिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतएव साख के विस्तार को यथासम्भव बैंक-प्रणाली द्वारा नियन्त्रित किया जाना चाहिए। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि साख के विस्तार पर पूर्ण रोक लगा दी जाय। ऐसा करने से देश के आर्थिक विकास में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतएव बैंकिंग-प्रणाली इस

प्रकार की होनी चाहिए कि उसके अन्तर्गत, साख का विस्तार तथा सकुचन देश की आवश्यकताओं के अनुसार ही हो सके।

(4) बैंकिंग-प्रणाली समन्वित होनी चाहिए—एक अच्छी बैंकिंग-प्रणाली इस ढंग की होनी चाहिए कि उसके अन्तर्गत विभिन्न बैंको में किसी प्रकार की अस्वस्थ प्रतियोगिता (un-healthy competition) न हो, बल्कि सभी बैंको के कार्यों के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जा सके।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. बैंको के विभिन्न प्रकार एव उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। (विष्णु, 1959)

[संकेत—यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बैंको की व्याख्या करते हुए उनके कार्यों का विस्तार-पूर्वक वर्णन कीजिए। उदाहरणार्थ—व्यापारिक बैंक, कृषि बैंक, औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक तथा केन्द्रीय बैंक।]

2. इकाई एव शाखा बैंकिंग के गुण तथा दोषों का विवेचन कीजिए। भारत के लिए उनमें से कौन-सी प्रणाली अधिक उपयुक्त है? (पटना, 1957)

[संकेत—प्रथम भाग में, शाखा बैंकिंग तथा इकाई बैंकिंग के अर्थों को उदाहरण सहित समझाइए। तदुपरान्त, उनके गुण तथा दोषों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, यह निष्कर्ष निकालिए कि भारत के लिए इकाई बैंकिंग की अपेक्षा शाखा बैंकिंग-प्रणाली अधिक उपयुक्त है, क्योंकि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है।]

3. शाखा बैंकिंग प्रणाली क्या है? उसके क्या-क्या दोष हैं? (आगरा, 1970)

[संकेत शाखा बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैंक का मुख्य कार्यालय किसी बड़े नगर में स्थित होता है लेकिन उसकी शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में फैली रहती हैं। इस प्रणाली के दोषों के लिए 'शाखा बैंकिंग के दोष' नामक उपविभाग को उपयुक्त अध्याय में देखिए।]

12

बैंक की कार्य प्रणाली (Banking Operations)

बैंक की कार्य-प्रणाली को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम इस बात का अध्ययन करें कि बैंक अपनी पूँजी किस प्रकार प्राप्त करता है।

बैंक की पूँजी के स्रोत (Sources of Banking Capital)

बैंक निम्नलिखित स्रोतों से पूँजी प्राप्त करता है :

(1) **अंश-पूँजी (Share Capital)**—आधुनिक बैंक प्रायः मिश्रित पूँजी कम्पनी प्रणाली के आधार पर ही संगठित किये जाते हैं और बैंकों की पूँजी अंश बेचकर प्राप्त की जाती है। बैंक का संचालक बोर्ड (board of directors) इस बात का निर्णय करता है कि अंशों को बेचकर कितनी पूँजी एकत्रित की जाय। बैंक की कुल अधिकृत पूँजी (authorised capital) के बारे में भी निर्णय संचालक बोर्ड द्वारा ही किया जाता है। अधिकृत पूँजी का कुछ भाग अंशों को बेचकर एकत्रित किया जाता है। जिनकी रकम के अंश जनता को बेचने का निर्णय किया जाता है, उसे बैंक की जारी पूँजी (issued capital) कहते हैं। इस जारी पूँजी में से जनता, वास्तव में जितने मूल्य के अंश खरीदती है, उसे स्वीकृत पूँजी (subscribed capital) कहते हैं। आगे चलकर इस स्वीकृत पूँजी का जितना भाग जनता द्वारा, वास्तव में, चुकाया जाता है उसे बैंक की चुकती पूँजी (paid up capital) कहते हैं। बैंक की वास्तविक पूँजी उसकी चुकती पूँजी ही होती है। संचालक बोर्ड इस बात का भी निर्णय करता है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने अंश खरीद सकता है। भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 1949 के अंतर्गत बैंक की स्वीकृत पूँजी उसकी अधिकृत पूँजी की आधी से कम नहीं होनी चाहिए और इसी प्रकार चुकती पूँजी स्वीकृत पूँजी की आधी से कम नहीं होनी चाहिए। बैंकों द्वारा जनता से पूँजी एकत्रित करने हेतु प्रायः साधारण अंश (ordinary shares) ही जारी किये जाते हैं।

(2) **निक्षेप या जमा राशियाँ (Deposits)**—बैंक की पूँजी का दूसरा महत्वपूर्ण साधन जनता से प्राप्त किये गये निक्षेप अथवा जमा राशियाँ हैं। जैसा पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, जनता से निक्षेप प्राप्त करने हेतु बैंक चार प्रकार के खाते खोलता है। प्रत्येक खाते में रखी जमा करने तथा इसको निकालने के अलग-अलग नियम होते हैं। इन खातों में जमाकर्ता छोटी से छोटी रकम से लेकर बड़ी से बड़ी रकम जमा कर सकते हैं।

(3) **ऋण (Loans)**—बैंक की पूँजी का तीसरा साधन ऋण है। बैंक कभी कभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश के केन्द्रीय बैंक अथवा अन्य बैंकों से ऋण प्राप्त करता है स्मरण रहे कि इस प्रकार के ऋण बैंक द्वारा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब किसी बैंक के जमाकर्ता एक ही समय पर अत्यधिक मात्रा में अपने निक्षेप निकालना आरम्भ कर देते हैं और बैंक के पास तरफ़ कोषों का अभाव हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में बैंक देश के केन्द्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करने के सवट का सामना करता है।

(4) साख का निर्माण (Credit Creation)—पिछले एक अध्याय में हम देख चुके हैं कि बैंक साख का निर्माण कैसे करता है ? वास्तव में, साख-निर्माण द्वारा बैंको को एक बहुत बड़े पैमाने पर पूँजी उपलब्ध होती है और इसे वह ज़रूरतमन्द व्यवसायियों को ऋण देकर लाभ उठाते हैं।

(5) प्रारक्षित निधि (Reserve Fund)—प्रत्येक बैंक के पास 'कुछ न कुछ प्रारक्षित निधि अवश्य ही होती है। यह बैंक की पूँजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जब बैंक को अपने व्यवसाय से लाभ होता है, तब वह इस लाभ का दो तरीकों से प्रयोग करता है प्रथम, लाभ का कुछ भाग बैंक के अगधारियों में लाभांश (dividend) के रूप में बाँट दिया जाता है। द्वितीय, लाभ का शेष भाग प्रारक्षित निधि में जमा कर दिया जाता है। इस प्रकार कालान्तर में प्रारक्षित निधि का आकार बढ़ता जाता है। प्रारक्षित निधि का दो तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है प्रथम, यदि बैंक को कोई अप्रत्याशित हानि होती है तो वह इसकी क्षतिपूर्ति प्रारक्षित निधि से कर सकता है। द्वितीय, बैंक अपने अगधारियों को प्रतिवर्ष दिये जाने वाले लाभांश को समान बनाये रखने के लिए भी प्रारक्षित निधि का उपयोग करता है अर्थात् यदि किसी वर्ष किसी कारणवश लाभांश की दर गिर जाती है तो बैंक उसे पहले वर्षों की भाँति समान बनाये रखने के लिए प्रारक्षित निधि का प्रयोग कर सकता है। भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 1949 के अनुसार, बैंक की प्रारक्षित निधि उसकी चुकती पूँजी (paid up capital) के बराबर होनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक बैंक को प्रतिवर्ष अपने कुल लाभ का 20 प्रतिशत प्रारक्षित निधि में तब तक जमा करना पड़ता है जब तक कि यह चुकती पूँजी के बराबर नहीं हो जाती। स्मरण रहे कि बैंक की प्रारक्षित निधि जितनी अधिक होती है उतना ही जनता का बैंक में अधिक विश्वास होता है। वास्तव में, किसी बैंक की वित्तीय व्यवस्था के अच्छे होने का स्पष्ट प्रमाण उसकी प्रारक्षित निधि होती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बैंक की प्रारक्षित निधि को नकदी के रूप में ही रखा जाता है। साधारणतः बैंक की प्रारक्षित निधि को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ (first class securities) में लगा दिया जाता है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर आसानी से नकदी में बदला जा सकता है।

बैंकों की निवेश नीति (Investment Policy of Banks)

जैसा हमने ऊपर देखा है, बैंक कई स्रोतों से अपनी पूँजी एकत्रित करता है। परन्तु यह पूँजी बैंको के पास बेकार नहीं पड़ी रहती, बल्कि लाभ कमाने के लिए इसका निवेश कर दिया जाता है। इस पूँजी का निवेश करने के लिए कोई निश्चित नियम तो नहीं है, परन्तु फिर भी कुछ सामान्य बातों का ध्यान अवश्य ही रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशों में बैंको की निवेश नीतियाँ भी अलग-अलग होती हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न देशों में आर्थिक परिस्थितियाँ तथा बाजार की दशाएँ भी अलग-अलग होती हैं। अतः प्रत्येक देश के बैंको को आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ही अपनी निवेश नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है। बैंक की पूँजी का लाभपूर्ण निवेश करने के लिए यह आवश्यक है कि बैंको के अधिकारियों में दूरदर्शिता, सही अनुमान लगाने तथा व्यावहारिक अनुभव के गुण होने चाहिए क्योंकि इनके बिना बैंक अपनी पूँजी का उचित तथा लाभपूर्ण प्रयोग कर सकने की स्थिति में नहीं हो सकता। आधुनिक बैंक अपनी पूँजी का निवेश करते समय प्रायः निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हैं।

(1) धन की सुरक्षा का सिद्धान्त—बैंक को अपने अतिरिक्त धन का निवेश करते समय सुरक्षा के विचार को कभी नहीं त्यागना चाहिए। वास्तव में, बैंक का सिद्धान्त 'सुरक्षा सर्वप्रथम' (safety first) होता चाहिए क्योंकि यदि कोई बैंक निवेश करते समय सुरक्षा की उपेक्षा करता है तो ऐसा करने से उसका अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई बैंक अपर्याप्त जमानत (security) के आधार पर किसी पार्टी को ऋण देता है तो हो सकता है कि उसके ऐसा करने से उसे आर्थिक हानि उठानी पड़े। इससे बैंक की वित्तीय दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है। अतएव बैंक द्वारा दिये गये ऋण यथासम्भव पूर्णतः सुरक्षित (secured) होने चाहिए। अपने धन का सुरक्षापूर्ण निवेश करते समय बैंक को निम्नलिखित बातों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए।

(क) बैंक को अपना संपूर्ण अतिरिक्त धन किसी एक विशेष व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों अथवा कुछ ही उद्योग-धन्धों को उधार के रूप में देना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि इनमें से कुछ व्यक्ति अथवा कुछ उद्योग-धन्धे असफलता के कारण बैंक के ऋण लौटा सकने में असमर्थ रहते हैं तो इससे बैंक की वित्तीय दशा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि बैंक अपना अतिरिक्त धन अधिकाधिक व्यक्तियों तथा उद्योग-धन्धों को ऋण के रूप में दे। कुछ ही व्यक्तियों अथवा उद्योग-धन्धों को अधिक मात्रा में ऋण देना बैंक के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए कुछ देशों में कानून के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अथवा फर्म को दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा नियंत्रित कर दी जाती है।

(ख) ऋण देने से पूर्व बैंक को ऋणी के आचरण की पूर्ण जाँच कर लेनी चाहिए। यदि उसे ऋणी के आचरण के बारे में थोड़ा सा भी सन्देह है, तो ऐसे व्यक्ति को कदापि ऋण नहीं देना चाहिए।

(ग) ऋण देने से पूर्व बैंक को ऋणी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जमानत (security) की भरोसा जाँच कर लेनी चाहिए और इस बात से अपने आपको सन्तुष्ट कर लेना चाहिए कि जमानत का वाजार-मूल्य, दिये जाने वाले ऋण की राशि से पर्याप्त मात्रा में अधिक है।

(घ) बैंक को यथासम्भव अल्पकाल के लिये ही ऋण देने चाहिए।

(ङ) बैंक को यथासम्भव ऋणियों की अस्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही ऋण देने चाहिए।

(च) बैंक की सस्ती साख-नीति नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ऋणियों में अपव्यय (wastage) की भावना उत्पन्न हो जाती है।

(2) निवेशों की तरलता का सिद्धान्त—बैंको को यथासम्भव अपने निवेशों (investments) को तरल रूप में रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि बैंक ने निवेश तरल रूप में नहीं हैं, अर्थात् उनको आसानी से नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो इससे बैंक को कठिनाई हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि किसी समय बैंक के अधिकांश जमाकर्ता अपना रुपया निकालना आरम्भ कर देते हैं और बैंक के निवेश तरल रूप में नहीं हैं तो ऐसी परिस्थिति में बैंक जमाकर्ताओं की माँग को पूरा नहीं कर सकेगा और इससे बैंक का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि बैंको को अपना अतिरिक्त धन अचल सम्पत्तियों (immovable properties) तथा अवििक्री-नाद्य प्रतिभूतियों (unsaleable securities) में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बैंक के निवेशों में तरलता का अभाव हो जायेगा। अतः बैंक को यथासम्भव अपने अतिरिक्त धन को सरकारी अथवा प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों अथवा बँडियाँ किस्म के अथो में ही लगाना चाहिए।

(3) निवेशों की उत्पादकता का सिद्धान्त—बैंक को अपने अतिरिक्त धन का निवेश इस ढंग से करना चाहिए कि इससे उसे एक अच्छी, पर्याप्त तथा स्थायी आय प्राप्त हो सके। जैसा स्पष्ट है, प्रत्येक बैंक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। उसकी आय मुख्यतः उसके निवेशों से ही प्राप्त होती है। इसलिए बैंक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह अपने धन को यथासम्भव उत्पादक परिसम्पत्तियों (productive assets) में ही लगाये। उसके निवेशों की उत्पादकता जितनी अधिक होगी, उतना ही उसे अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि लाभ कमाने समय बैंक सुरक्षा की उपेक्षा करे। अतएव बैंक को अपना अतिरिक्त धन मट्टा व्यवसाय में नहीं लगाना चाहिए।

(4) जोखिम की विविधता का सिद्धान्त—अपने अतिरिक्त धन का निवेश करते समय बैंक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका अधिकांश धन एक ही प्रकार के ऋणों, व्यवसायों तथा प्रतिभूतियों में न लगाया जाय। उसे यथासम्भव अपना धन विभिन्न प्रकार के ऋणों, व्यवसायों तथा प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि बैंक अपना धन कुछ ही व्यवसायों में लगाता है तो उन व्यवसायों के असफल हो जाने पर बैंक को खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि बैंक विभिन्न प्रकार के ऋणों, व्यवसायों एवं प्रतिभूतियों में धन लगाता है तो इससे

बैंक के पास नकदी का एक निरन्तर प्रवाह बना रहता है और इससे उसे अपने ग्राहकों की नकदी सम्बन्धी माँग को पूरा करने में सुविधा रहती है।

(5) प्रतिभूतियों की बिक्री-साध्यता का सिद्धान्त—बैंको को अपना धन ऐसी प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर आसानी से बाजार में बेची जा सकें। उदाहरणार्थ, यदि बैंक अपना धन ऐसी प्रतिभूतियों में लगा देता है जो आवश्यकता पड़ने पर बाजार में आसानी से नहीं बेची जा सकती तो उसे काफी हानि उठानी पड़ेगी। अतएव यह अत्यन्त आवश्यक है कि बैंक अपना धन सरकारी अथवा प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों, बढिया किस्म के अग्रे तथा ऋणपत्रों और तैयारशुदा माल में ही लगाये, क्योंकि इन सभी में तरलता का गुण पाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर बिना हानि उठाये इन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से बैंक को अपना धन यथासम्भव अच्छल सम्पत्ति में कभी नहीं लगाना चाहिए।

(6) निवेश की कीमतों में स्थिरता का सिद्धान्त—बैंको को अपने धन का निवेश ऐसी वस्तुओं तथा प्रतिभूतियों में करना चाहिए जिनकी कीमतों में अपेक्षाकृत स्थिरता अधिक रहती है। यदि बैंक अपने धन को ऐसी वस्तुओं तथा प्रतिभूतियों में लगाता है जिनकी कीमतों में स्थिरता का अभाव है, तब इन वस्तुओं तथा प्रतिभूतियों की कीमतों में अचानक कमी हो जाने से बैंक को काफी हानि हो सकती है।

(7) निवेश की कर-मुक्ति का सिद्धान्त—बैंक को अपना धन यथासम्भव ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए जो आय-कर, अथवा दूसरे करों से मुक्त हों, क्योंकि ऐसा करने से बैंक की आय को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

बैंको के निवेश, (Bank's Investments)

साधारणतः बैंक के निवेश दो प्रकार के होते हैं प्रथम, अलाभकर निवेश, द्वितीय, लाभकर निवेश। प्रत्येक बैंक को अपना धन इन दोनों प्रकार के निवेशों में उचित ढंग से विभाजित करना पड़ता है। बैंक को अपने धन का कितना भाग अलाभकर निवेशों में तथा कितना भाग लाभकर निवेशों में लगाना चाहिए, इस विषय पर कोई निश्चित नियम नहीं है। परन्तु प्रत्येक बैंक इस बारे में निर्णय लेते समय सुरक्षा (security) तथा लाभदायकता (profitability) दोनों के बीच उचित समायोजन (co ordination) करने का प्रयत्न करता है। बैंक के अलाभकर निवेश सुरक्षा तथा तरलता के दृष्टिकोण से आवश्यक होते हैं। इसका कारण यह है कि जमाकर्ताओं की नकदी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक को अपनी देयताओं (liabilities) का एक निश्चित भाग अवश्य ही अलाभकर निवेशों में लगाना पड़ता है, क्योंकि जैसा विदित है, बैंक का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि लाभ कमाने के लिए बैंक जमाकर्ताओं की सुरक्षा की उपेक्षा कर दे। वारतव में, जैसा ऊपर कहा है, बैंक को सुरक्षा तथा लाभदायकता के बीच उचित समायोजन करना पड़ता है। अतएव बैंक अपने धन का निवेश लाभकर तथा अलाभकर व्यवसायों में बड़ी बुद्धिमत्ता तथा सावधानी से करता है।

(1) अलाभकर निवेश (Profitless Investment)—बैंको के अलाभकर निवेशों का अध्ययन दो उपशीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं

(क) नकद कोष (Cash Reserves)—प्रत्येक बैंक को अपने धन का कुछ न कुछ अंश नकद कोष के रूप में अवश्य ही अपने पास रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि जमाकर्ताओं की नकदी सम्बन्धी माँग को पूरा करने के लिए बैंक को सदैव अपने पास कुछ न कुछ नकद-कोष अवश्य ही रखना पड़ता है। जितना बैंक का नकद-कोष अधिक होगा, उतनी ही बैंक की परि-सम्पत्ति (assets) की तरलता अधिक होगी। जैसा स्पष्ट है, बैंक अपने समूचे धन को नकद-कोष के रूप में नहीं रख सकता क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह अपने शेयरहोल्डरों के लिए लाभ नहीं कमा सकेगा। परन्तु बैंक की देयताओं का एक निश्चित भाग तो अवश्य ही नकद-कोष के रूप में रखना पड़ेगा। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि बैंक समूचा नकद-कोष अपने ही पास

रखता है। हो सकता है कि वह अपने नकद-कोष का कुछ अंश किसी अन्य बैंक अथवा केन्द्रीय बैंक में जमा कर दे और आवश्यकता पड़ने पर उसे निकाल ले।

नकद-कोष सम्बन्धी सिद्धान्त (Principles of Cash Reserves)—अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि बैंक अपनी देयताओं का कितना भाग नकद-कोष के रूप में रखे? इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है, परन्तु फिर भी कुछ सामान्य बातें हैं जिन्हें नकद-कोष रखते समय बैंक को ध्यान में रखना चाहिए। ये बातें निम्नलिखित हैं।

(1) **कानूनी आवश्यकताएँ (Legal Obligations)**—एक बैंक को कितना न्यूनतम नकद कोष रखना चाहिए? इस सम्बन्ध में कुछ देशों में सरकार द्वारा कानून बना दिये गये हैं और प्रत्येक बैंक को उन्हीं कानूनों के अनुसार नकद कोष रखना पड़ता है। उदाहरणार्थ सन् 1956 तक भारत में प्रत्येक अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) को अपनी माँग देयताओं (demand liabilities) का 5 प्रतिशत और समय देयताओं (time liabilities) का 2 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास अवश्य ही जमा रखना पड़ता था। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई बैंक कानून द्वारा निश्चित की गयी नकद-कोष की न्यूनतम सीमा से अधिक कोष नहीं रख सकता। वास्तव में, अधिकांश बैंक जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए वैधानिक न्यूनतम सीमा से भी बहुत अधिक नकद-कोष अपने पास रखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में अधिकांश बैंक अपनी कुल देयताओं का 10 प्रतिशत नकद-कोष अपने पास रखते हैं।

(2) **लोगों की बैंकिंग सम्बन्धी आदतें** बैंकों को अपनी कुल जमा का कितना भाग नकद कोष के रूप में रखना चाहिए, यह लोगों की बैंकिंग सम्बन्धी आदतों से भी प्रभावित होता है। यदि लोगों में अधिकाधिक मात्रा में बैंक का प्रयोग करने की आदत है तब ऐसी दशा में बैंकों को कम मात्रा में नकद कोष रखना चाहिए। इसके विपरीत यदि देश के लोग लेन देन में अधिक तर नकदी का ही प्रयोग करते हैं, तब ऐसी दशा में बैंक को काफी मात्रा में नकद-कोष रखना चाहिए।

(3) **स्थानीय व्यावसायिक दशाएँ**—नकद कोषों की मात्रा पर देश की व्यावसायिक अवस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। यदि देश में बड़े पैमाने पर सट्टा किया जाता है तब ऐसी परिस्थिति में बैंकों को अपने पास अधिक मात्रा में नकद कोष रखना पड़ता है।

(4) **समाशोधन गृहों की विद्यमानता (Presence of Clearing Houses)**—नकद-कोषों की मात्रा समाशोधन गृहों की विद्यमानता से भी प्रभावित होती है। जिस शहर में समाशोधन गृह होते हैं वहाँ बैंकों को बहुत अधिक मात्रा में नकद-कोष रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका कारण यह है कि बैंकों पर जारी किये गये अधिकांश बैंक समाशोधन गृह से होकर ही आते जाते हैं। अतएव बैंकों को आपस में बहुत ही कम मात्रा में नकदी के हस्तांतरण की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि भारत में समाशोधन गृहों का अभाव है इसलिए बैंकों को काफी बड़ी मात्रा में नकद कोष रखने पड़ते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी देशों में समाशोधन गृहों का जाल सा बिछा हुआ है। इसीलिए वहाँ पर बैंकों द्वारा कम मात्रा में नकद कोष रखे जाते हैं।

(5) **खातों का स्वरूप** यदि किसी बैंक के खातों में चालू खातों की संख्या अत्यधिक है तब ऐसे बैंक को अधिक मात्रा में नकद कोष रखने पड़ेंगे। इसका कारण यह है कि चालू खातों में से दिन में कई बार रकम निकाला जा सकता है। इसके विपरीत यदि किसी बैंक के खातों में निश्चितकालीन खातों की अधिकता है तब ऐसे बैंक को अधिक मात्रा में नकद कोष रखने की आवश्यकता नहीं है।

(6) **निक्षेपों का आकार**—यदि किसी बैंक के जमाकर्ताओं की संख्या कम है परन्तु उनके खाते बड़े बड़े आकार के हैं तब ऐसी परिस्थिति में बैंक को अधिक मात्रा में नकद-कोष रखना पड़ेगा। इससे विपरीत, यदि बैंक के जमाकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक है परन्तु उनके खातों का आकार छोटा है तब ऐसी दशा में बैंक को अधिक मात्रा में नकद कोष रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका कारण यह है कि छोटे छोटे जमाकर्ताओं की जितनी संख्या अधिक होती है उतनी ही जमा राशियाँ कम निकाली जाती हैं।

(7) निवेशों की प्रकृति (Nature of Investments)—यदि कोई बैंक अपने धन का अधिकांश भाग विलो प्रतिभूतियों तथा अल्पकालीन ऋणों में लगाता है तो उसे अधिक नकद-कोष रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका कारण यह है कि विलो, प्रतिभूतियों तथा अल्पकालीन ऋणों में लगाया गया धन तरल होता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि बैंक का अधिकांश धन सम्पत्तियों तथा अतरल ऋणों (non liquid loans) में लगाया जाता है तब ऐसी परिस्थिति में बैंक को अपने पास अधिक मात्रा में नकद कोष रखना पड़ेगा।

(8) दूसरे बैंकों की नकद-कोष नीति - किसी एक बैंक को कितना नकद-कोष रखना चाहिए यह अन्य दूसरे बैंकों की नकद-कोष नीतियों से भी प्रभावित होता है। प्रायः बैंक एक-दूसरे को देखकर ही अपने-अपने नकद-कोषों का निर्धारण करते रहते हैं। यदि कोई बैंक अपने पास अधिक नकद-कोष रखता है तो जनता का उसमें अधिक विश्वास होता है। इससे लोग उस बैंक की ओर आकर्षित होन लगते हैं और उस बैंक की प्रतियोगात्मक शक्ति (competitive power) बढ़ जाती है। अतः अन्य बैंकों को भी अपनी प्रतियोगात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में नकद-कोष रखने पड़ते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक बैंक को अपने नकद कोष का निर्धारण अत्यन्त बुद्धिमत्ता तथा सावधानी में करनी चाहिए। जैसा ऊपर बताया गया है, अधिकांश देशों में कानून द्वारा नकद-कोष की न्यूनतम सीमा निश्चित कर दी गयी है और कोई भी बैंक निर्धारित सीमा से कम नकद-कोष नहीं रख सकता। परन्तु यह देखा गया है कि अधिकांश बैंक जनता का विश्वास प्राप्त करने हेतु कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से भी अधिक नकद कोष रखते हैं।

(ख) मृत स्टॉक (Dead Stocks)—मृत स्टॉक बैंकों के अलाभकर निवेश होते हैं क्योंकि इनसे बैंकों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। परन्तु फिर भी इस प्रकार के निवेश बैंक के लिए अनिवार्य होते हैं क्योंकि बैंक का दैनिक-कार्य इनके अभाव में सम्भव नहीं हो सकता। इन निवेशों में पर्नीचर स्टेशनरी बैंक की इमारत तथा अन्य प्रकार की परिमम्पत्तियाँ (assets) सम्मिलित होती हैं। चूंकि इस प्रकार की परिमम्पत्ति को आसानी से बेचा नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें मृत स्टॉक कहा जाता है। जब कोई बैंक फेल हो जाता है तब इस प्रकार के मृत स्टॉक को बेच दिया जाता है और इससे प्राप्त हुई रकम को बैंक के लेनदारों के भुगतानों में इस्तेमाल किया जाता है। स्मरण रहे कि बैंक अपनी ख्याति तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मृत स्टॉक में काफी रूपाया लगाता है।

(II) लाभकर निवेश (Profitable Investments)—बैंक के लाभकर निवेश इस प्रकार होते हैं

(1) याचना मुद्रा या अल्प-सूचनाय ऋण (Call Money or Short period Loans)—इसके अन्तर्गत वे ऋण सम्मिलित किये जाते हैं जो व्यवसायियों को बहुत ही थोड़े समय के लिए दिये जाते हैं। ये ऋण प्रायः 1 दिन 2 दिन या अधिक से अधिक 15 दिन तक के लिए दिये जाते हैं। इसीलिए इन्हें अल्प-सूचनाय ऋण कहा जाता है। ऐसे ऋणों को बैंक बिना पूर्ण नोटिस के दिये वापस माँग सकता है और यदि समय पर ऋण नहीं लौटाये जाते तो इनके विरुद्ध बैंक के पास जमा की गयी प्रतिभूतियों को भुनाकर बैंक अपनी क्षति पूरित कर लेता है। इन ऋणों पर ब्याज की दर बहुत ही कम होती है— $\frac{1}{4}$ से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक। इस प्रकार के ऋण प्रायः दलालों आडतियों तथा डिस्काउण्ट गृहों (Discount Houses) के द्वारा लिये जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये ऋण बैंक के लिए बहुत ही तरल होते हैं और जैसा कहा गया है इन्हें किसी समय वापस मांगा जा सकता है। अतएव नकद-कोषों के वाद इन ऋणों को ही रखा जाता है। वास्तव में, इस प्रकार के ऋण नकद-कोषों से भी अच्छे रहते हैं क्योंकि एक तो इनमें तरलता का गुण होता है और दूसरे इनसे कुछ आय भी प्राप्त होती है। पश्चिमी देशों में इस प्रकार के ऋण बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। परन्तु भारत जैसे देश में ये ऋण कुछ बड़े-बड़े शहरों को छोड़कर अन्यत्र लोकप्रिय नहीं हो सके हैं। इसका कारण यह है कि भारत में संगठित बिल बाजार (bill market) का अभाव है। भारत में अधिकांश अल्प-सूचनाय ऋण प्रायः एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को ही दिये जाते हैं।

(2) विनिमय बिलों का खरीदना—बैंक अपने धन का कुछ भाग बिलों को खरीदने तथा बनाने में भी लगाते हैं। जैसा विदित है, प्रत्येक बिल के परिपक्व (mature) होने की एक निश्चित अवधि होती है। यह प्रायः तीन महीने तक की होती है। यदि बिल का धारक इसके परिपक्व होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता तो वह किसी व्यापारिक बैंक के पास ले जाकर उसे डिस्काउण्ट करा सकता है, अर्थात् बैंक उस बिल की रकम में से कुछ बट्टा (discount) काटकर जेप रकम का भुगतान कर देता है। बिलों की भर्ति व्यापारिक बैंक प्रथम श्रेणी के प्रतिशापत्रों तथा कोषागार विपत्रों (treasury bills) को भी खरीदते हैं। भारत में प्रतिशापत्रों का डिस्काउण्टिंग (discounting) इतना लोकप्रिय नहीं है, परन्तु भारतीय बैंक अपने धन का काफी बड़ा भाग कोषागार विपत्रों (treasury bills) के डिस्काउण्टिंग में लगाते हैं। भारत में बिलों का डिस्काउण्टिंग इतनी मात्रा में नहीं होता जितनी मात्रा में पश्चिमी देशों में किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में बिल बाजार का अभी समुचित विकास नहीं हो सका है। पश्चिमी देशों में बैंक अपनी जमा राशियों का 10 से 15 प्रतिशत धन बिलों में लगाते हैं, जबकि भारत में कुल जमा राशियों का केवल 5 प्रतिशत ही बिलों के व्यवसाय में लगाया जाता है। बैंकों के इस प्रकार के निवेश को उसकी तीसरी रक्षा पंक्ति (third line of defence) कहा गया है।

(3) निवेश तथा प्रतिभूतियाँ (Investments and Securities)—प्रत्येक बैंक अपने धन का एक बड़ा भाग निवेशों तथा प्रतिभूतियों में लगाता है। इसके अन्तर्गत, बैंक अपने धन को अनेक प्रकार की प्रतिभूतियों तथा ऋणों में लगाता है। उदाहरणार्थ, भारत में व्यापारिक बैंक अपने धन का एक बहुत बड़ा भाग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, कोषागार विपत्रों तथा बॉण्ड्स आदि खरीदने में लगाते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने धन का कुछ भाग निजी औद्योगिक कम्पनियों के जेपरो तथा ऋणपत्रों को खरीदने में भी लगाते हैं। इस प्रकार के निवेशों से बैंकों को बहुत लाभ होता है—(1) अधिकांश प्रतिभूतियाँ एवं ऋणपत्र तरल होते हैं और उन्हें किसी भी समय बेचकर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, (2) बैंक को इस प्रकार के निवेशों से पर्याप्त नियमित आय भी प्राप्त होती है, (3) सुरक्षा की दृष्टि से भी ये निवेश स्वस्थ होते हैं, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों में किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता, (4) इन निवेशों की कीमतों में भी प्रायः स्थिरता ही रहती है। परिणामतः इनसे बैंकों को हानि होने की कम सम्भावना रहती है, (5) जब बैंक अपना धन इस प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों में लगाते हैं तब इससे लोगों का बैंकों में विश्वास स्थापित हो जाता है (6) अन्त में, इन निवेशों की समयावधि प्रायः कम ही होती है। अतएव बैंकों को अपना धन दीर्घकाल के लिए अवरुद्ध (block) नहीं करना पड़ता। ग्रेट ब्रिटेन में व्यापारिक बैंक प्रायः अपनी कुल जमा का 30 प्रतिशत भाग इस प्रकार की प्रतिभूतियों में लगाते हैं। भारत में भी चार प्रकार की प्रतिभूतियाँ पायी जाती हैं (1) सरकारी प्रतिभूतियाँ, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इन्हें प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ कहा जाता है, (2) अर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियाँ—उदाहरणार्थ, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, इन्फ्रामैट्रस्ट तथा अन्य स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियाँ, (3) लोकहितकारी सेवाओं द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियाँ—उदाहरणार्थ, बिजली तथा रेल कम्पनियों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियाँ इसी के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं, (4) औद्योगिक तथा व्यापारिक कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ—इसके अन्तर्गत, मिश्रित पूंजी वाली औद्योगिक तथा व्यापारिक कम्पनियों द्वारा जारी किये गये जेपर्स तथा ऋणपत्रों को सम्मिलित किया जाता है। व्यापारिक बैंक प्रायः अपने धन को सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना अधिक अच्छा समझते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका धन सुरक्षित रहता है और जनता का उनमें विश्वास भी बढ़ जाता है, यद्यपि ऐसी प्रतिभूतियों से बैंकों को आय अधिक नहीं होती।

(4) ऋण तथा पेशगियाँ (अग्रिम) (Loans and Advances)—प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपने धन का कुछ भाग ऋणों तथा पेशगियों में भी लगाता है। ये ऋण तथा पेशगियाँ कई प्रकार की होती हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार के ऋणों से बैंकों को काफी आय प्राप्त होती है। बैंकों द्वारा इस प्रकार के ऋण निजी व्यक्तियों तथा व्यापारिक फर्मों को दिये जाते हैं और इन पर प्रायः 6 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक ब्याज की दर ली जाती है। पश्चिमी देशों में बैंक अपनी कुल जमा का 50 से 60 प्रतिशत भाग इस

प्रकार के ऋणों तथा पेशगियों में लगते हैं। भारत में बैंक प्रायः अपनी जमा का 40 से 50 प्रतिशत भाग ही इन ऋणों में लगाते हैं। अन्य ऋणों के विपरीत इस प्रकार के ऋणों में तरलता का अंश कम रहता है। इसलिए बैंक इन ऋणों पर अधिक ब्याज की दर वसूल करते हैं। वैसे तो ये ऋण बैंक द्वारा मांग किये जाने पर देय (repayable) होते हैं, परन्तु व्यवहार में, इन्हें बैंक द्वारा वापस मांगा नहीं जाता। स्मरण रहे कि इस प्रकार के ऋणों को देने में बैंक अधिक जोखिम उठाते हैं, इसलिए उन्हें बड़ी सावधानी तथा बुद्धिमत्ता से कार्य करना पड़ता है। बैंक इस प्रकार के ऋण तथा पेशगियाँ निम्नलिखित तरीकों से देते हैं

(क) साधारण ऋण तथा पेशगियाँ—यह ऋण देने का सरलतम तरीका है। इसके अन्तर्गत, बैंक किसी व्यक्ति या फर्म को ऋण देने से पूर्व उसकी साख की वाक्यावदा जाँच कर लेता है और ऐसा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से बैंक उस व्यक्ति अथवा फर्म की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। यदि बैंक ऋणी की साख से सन्तुष्ट हो जाता है तो वह एक उचित जमानत (security) लेकर उसे ऋण दे देता है। ऋण की पूर्ण राशि ऋणी के खाते में जमा कर दी जाती है और वह जब चाहे, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें से रुपया निकालता रहता है। स्मरण रहे कि इस पद्धति के अन्तर्गत, ऋणी को ऋण की समूची राशि पर ब्याज देना पड़ता है।

(ख) ओवर ड्राफ्ट (Overdraft)—यह भी ऋण देने का एक महत्त्वपूर्ण तरीका है। इसके अन्तर्गत, बैंक केवल अपने जमाकर्ताओं को ही ऋण की सुविधा देता है। इस पद्धति के अधीन बैंक जमाकर्ता को आवश्यकता पड़ने पर उसकी जमा राशि से भी अधिक रुपया निकालने की सुविधा देता है। परन्तु उसके लिए एक अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाती है और जमाकर्ता उस सीमा से अधिक रुपया नहीं निकाल सकता। स्मरण रहे कि बैंक केवल उसी राशि पर ब्याज लेता है, जो ऋणी अपनी जमा से अधिक निकालता है। ओवर ड्राफ्ट देते समय बैंक जमाकर्ता से कोई जमानत (security) नहीं लेता।

(ग) नकद साख (Cash Credit)—भारत में बैंकों द्वारा ऋण देने का यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण तरीका है। इस प्रणाली के अन्तर्गत ऋण लेने वाला व्यवसायी बैंक के पास कोई कच्चा अथवा तैयार माल जमा कर देता है और उसी के आधार पर बैंक उसे निश्चित सीमा तक रुपया निकालने की सुविधा प्रदान कर देता है। परन्तु स्मरण रहे कि इस प्रकार का ऋण अचल सम्पत्ति अथवा अविश्वीसाध्य प्रतिभूतियों के आधार पर नहीं दिया जाता। ऋण देते समय बैंक ऋणी के नाम में एक खाता खोल देता है और निश्चित सीमा तक ऋणी उसमें से रुपया निकाल सकता है। यदि किसी समय ऋणी बैंक के गोदाम में से कुछ माल निकाल लेता है तो उसी समय उसे उस माल के बदले में रुपया जमा कराना पड़ता है। ओवर ड्राफ्ट की तरह इस पद्धति में भी बैंक ब्याज केवल उसी राशि पर लेता है जो वास्तव में ऋणी द्वारा खाते में से निकाली जाती है। स्मरण रहे कि बैंक जमा किये गये माल की समूची कीमत के बराबर ही ऋणी को ऋण प्रदान नहीं करता, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए उसमें कुछ अन्तर (margin) रख लेता है। भारत में नकद साख पद्धति अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई है।

ओवर ड्राफ्ट तथा नकद साख में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत ऋण की राशि केवल चालू खाते में जमा की जाती है। इसलिए ओवर ड्राफ्ट की सुविधाएँ केवल जमाकर्ताओं को ही दी जाती हैं। इसके विपरीत, नकद साख के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण को राशि चालू खाते में जमा नहीं की जाती बल्कि इस राशि से एक नया खाता खोल दिया जाता है और ऋण प्राप्तकर्ता समय-समय पर उसमें से छोटी छोटी रकमें निकलवाता रहता है।

ओवर ड्राफ्ट अथवा नकद साख और साधारण ऋण में भी कुछ अन्तर होते हैं—(क) ओवर ड्राफ्ट अथवा नकद साख के अन्तर्गत दिये गये ऋण प्रायः अल्पकालीन होते हैं, जबकि साधारण ऋण तथा पेशगियाँ दीर्घकालीन होती हैं, (ख) ओवर ड्राफ्ट तथा नकद साख के अन्तर्गत ऋणी जब चाहे अपने खाते में से रुपया निकाल सकता है और जब चाहे उसमें रुपया जमा कर सकता है। परन्तु साधारण ऋणों अथवा पेशगियों के अन्तर्गत ऋण का भुगतान ऋणी को एक ही समय कर दिया जाता है और उसे एक ही समय पर (किन्तु में नहीं) समूचे ऋण को लौटाना

पड़ता है, (ग) ओवर ड्राफ्ट तथा नवद साख के अन्तर्गत ब्याज केवल उसी रकम पर लिया जाता है, जिसका वास्तव में, ऋणी द्वारा उपयोग किया जाता है, परन्तु साधारण ऋण तथा पेशियों के अन्तर्गत ब्याज ऋण की समूची राशि पर लिया जाता है।

ऋणाधार अथवा ऋण की जमानतें (प्रतिभूतियाँ) (Securities Regarding Loans)

जैसा विदित है, प्रत्येक बैंक ऋण देने से पूर्व किसी न किसी प्रकार की जमानत अवश्य लेता है। जमानतें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं - (I) व्यक्तिगत जमानत, (II) सहायक जमानत।

(I) व्यक्तिगत जमानत (Personal Security)—कभी-कभी बैंक अपने ग्राहको की व्यक्तिगत जमानत के आधार पर भी ऋण प्रदान करते हैं, अर्थात् कुछ ऋणियों से माल अथवा सम्पत्ति की जमानत लिये मिला ही ऋण दे दिये जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों को अरक्षित ऋण अथवा स्वच्छ अग्रिम (clean advances) कहते हैं। बैंक ऐसे ऋण प्रायः अपने उन सम्मानित ग्राहको को ही देते हैं जिनसे अच्छी तरह परिचित होते हैं अथवा जिनकी साख में उन्हें पूर्ण विश्वास होता है। चूंकि ऐसे ऋण बिना किसी माल अथवा सम्पत्ति की जमानत के दिये जाते हैं, इसलिए बैंको को इनके बारे में बड़ी सावधानी एवं वृद्धिमत्ता से काम लेना पड़ता है। भारत में इस प्रकार के ऋण अधिक लोकप्रिय नहीं हैं, परन्तु पश्चिमी देशों में इन ऋणों का बहुत प्रचलन है। भारत में इस प्रकार के ऋणों का रूप बैंको द्वारा दी गयी ओवर ड्राफ्ट की सुविधाएँ हैं। व्यक्तिगत जमानत के आधार पर दिये गये ऋण प्रायः दो प्रकार के होते हैं (क) एक नाम के कागजी ऋण—इस प्रकार का ऋण ऋणी को उसके द्वारा लिखे गये प्रतिज्ञापत्र (pronote) के आधार पर दिया जाता है, (ख) दो नाम के कागजी ऋण—इस प्रकार के ऋण तब दिये जाते हैं; जब ऋणी तथा एक जमानतदार अपनी व्यक्तिगत जमानतें प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के ऋणों में जमानतदार की जमानत भी दो प्रकार की होती है (क) विशेष जमानत—इस प्रकार की जमानत में जमानतदार किसी विशेष ऋण के लिए ही अपनी जमानत प्रस्तुत करता है, (ख) चालू जमानत—इस प्रकार की जमानत में जमानतदार ऋणी द्वारा लिये जाने वाले सभी ऋणों की जमानत प्रस्तुत करता है।

(II) सहायक जमानतें (Collateral Securities)—सहायक जमानतें उन गोचर ऋणाधारों (substantial securities) को कहते हैं जो बैंक के पास ऋण की सुरक्षा के लिए ऋणी रहन के रूप में रखता है। इनके अन्तर्गत, प्रायः कच्चा माल अथवा तैयार माल या अन्य भौतिक सम्पत्ति ऋणाधार के रूप में स्वीकार की जाती है। ये जमानतें प्रायः तीन प्रकार की होती हैं -

(1) प्रहाराधिकार अथवा रहन (Lien)—इसके अन्तर्गत, ऋण की आड (cover) के स्वरूप कोई माल अथवा सम्पत्ति बैंक के पास रखी जाती है। यदि ऋणी समय पर ऋण को नहीं लौटाता तो बैंक उसे गये माल या सम्पत्ति को तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि अदालत द्वारा दुर्कों का आदेश जारी नहीं कर दिया जाता।

(2) गिरवी (Pledge)—इसके अन्तर्गत भी ऋण के आड-स्वरूप कोई माल अथवा सम्पत्ति बैंक के पास रखी जाती है। यदि ऋण समय पर नहीं लौटाया जाता तो बैंक ऋणी को सूचना देकर उसकी सम्पत्ति का नीलाम कर सकता है और इस प्रकार प्राप्त किये गये रूप्ये से अपने ऋण की पूर्ति कर लेता है।

(3) बन्धक (Mortgage)—इसके अन्तर्गत, ऋणी अपनी सम्पत्ति की प्रतिज्ञा करता है और उसी के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करता है। यदि वह समय पर ऋण को नहीं लौटाता तो उसकी सम्पत्ति का म्वामित्व बैंक को हस्तान्तरित हो जाता है। बैंक उस सम्पत्ति को बेचकर अपने ऋण की पूर्ति कर लेता है।

सहायक जमानतों के विभिन्न रूप—इसके विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं

(1) स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियाँ (Stock Exchange Securities)—बैंक प्रायः इन प्रतिभूतियों के आधार पर ही ऋण देते हैं। इस प्रकार की प्रतिभूतियों में उन प्रथम श्रेणी की

प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है जो सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी सस्थाओं द्वारा जारी की जाती है। इसी प्रकार औद्योगिक कम्पनियों के शेयरों, ऋण-पत्रों, प्रतिज्ञा-पत्रों आदि को भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।

वैक इन प्रतिभूतियों के आधार पर इसलिए ऋण देते हैं, क्योंकि इनमें कई प्रकार के गुण पाये जाते हैं।

स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों के गुण—इनके गुण निम्नलिखित हैं

(क) बिक्री-साध्यता (Saleability)—इन प्रतिभूतियों को आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता से स्टॉक एक्सचेंज पर बेचा जा सकता है। अतएव बैंको को इन प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देने में कोई कठिनाई नहीं होती।

(ख) हस्तान्तरणीयता (Transferability)—इन प्रतिभूतियों के स्वामित्व को आसानी से हस्तान्तरित किया जा सकता है। अतएव बैंको को इनके आधार पर ऋण देने में कोई कठिनाई नहीं होती।

(ग) कीमत-स्थिरता—इन प्रतिभूतियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत कम होते हैं और इनकी कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर ही रहती हैं। अतएव बैंको को इन प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देने में हानि का जोखिम नहीं रहता।

(घ) मूल्य-निर्धारण—इन प्रतिभूतियों के बाजार-मूल्यों को स्टॉक एक्सचेंजों से आसानी से जाना जा सकता है।

(ङ) पुनः बट्टा (Re-discounting)—इन प्रतिभूतियों का एक गुण यह भी है कि आवश्यकता पड़ने पर बैंक इन प्रतिभूतियों का केन्द्रीय बैंक से बट्टा भी करा सकता है।

उपर्युक्त गुणों के कारण ही बैंक इन प्रतिभूतियों (securities) के आधार पर ऋण देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि इन प्रतिभूतियों में कुछ दोष भी पाये जाते हैं।

स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों के दोष—इनके दोष इस प्रकार हैं

(क) प्रतिभूतियों का पूर्णतः बिक्री-साध्य न होना—कुछ प्रतिभूतियाँ इस प्रकार की होती हैं कि उन्हें आसानी से बेचा नहीं जा सकता। यदि बैंक इस प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण दे देता है, तब उसे आगे चलकर इन्हें बेचकर ऋण वसूल करने में कठिनाई हो सकती है।

(ख) कुछ प्रतिभूतियाँ अशतः प्रदत्त होती हैं—शेयरों के रूप में होने वाली प्रतिभूतियाँ कभी-कभी पूर्णतः प्रदत्त (fully paid up) नहीं होती, अर्थात् शेयरहोल्डरों (Shareholders) द्वारा उनकी पूरी रकम नहीं चुकायी गयी होती। इस प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देना बैंक के लिए अत्यन्त जोखिमपूर्ण होता है। यदि कोई बैंक असावधानी से ऐसी प्रतिभूतियों को ऋण देने के बदले स्वीकार कर लेता है तो इससे बैंक को आगे चलकर हानि हो सकती है।

अतः स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते समय बैंको को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए—(क) प्रतिभूतियों के स्वामित्व के बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए, (ख) बैंको को अशतः प्रदत्त शेयरों (partly paid up shares) को जमानत के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, (ग) बैंको को इस प्रकार की प्रतिभूतियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिनको बेचने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है (घ) बैंको को ऐसी प्रतिभूतियों को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए जिनकी कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, (ङ) ऋण देते समय बैंको को ऋण की राशि तथा प्रतिभूतियों की कीमत में काफी अन्तर रखना चाहिए, अर्थात् ऋण की राशि प्रतिभूतियों की कीमत से काफी कम होनी चाहिए।

(2) माल तथा माल के अधिकार-पत्र (Goods and Titles to Goods)—कभी-कभी बैंक माल तथा माल के अधिकार-पत्रों के आधार पर भी व्यवसायियों को ऋण देते हैं। औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रों में इस प्रकार के ऋण अधिक लोकप्रिय होते हैं। इस पद्धति के अन्तर्गत, गिरवी रखे गये माल को बैंक या तो अपने गोदागारों में रखवाता है या जिन गोदागारों में यह माल रखा गया होता है, उनकी तालियाँ अपने कब्जे में कर लेता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है

कि बैंक माल को भौतिक उपस्थिति पर ही जोर दे। बैंक माल के अधिकार-पत्रों (titles to goods) के अधिकार पर भी ऋण दे देता है। ये अधिकार-पत्र कई प्रकार के होते हैं—(क) गोदाम के सर्टिफिकेट (Warehouse Certificates), (ख) रेलवे की रसीदें (Railway Receipts), (ग) जहाजों की रसीदें (Loading Bills), (घ) डॉक वारण्ट (Dock Warrants) इत्यादि।

माल तथा माल के अधिकार-पत्रों के गुण—इनके गुण निम्नलिखित हैं

(क) विक्री-साध्यता—इन्हें बेचना आसान तथा सुविधाजनक होता है, इसलिए इनके आधार पर दिये गये ऋणों में बैंकों को किसी प्रकार की हानि होने की सम्भावना नहीं रहती।

(ख) मूल्य निर्धारण—इनका मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है और उसी के आधार पर बैंक द्वारा ऋण दिये जा सकते हैं।

(ग) प्रतिभूतियों की भौतिकता—चूंकि ये प्रतिभूतियाँ भौतिक होती हैं, इसलिए बैंक को ऋण देने में किसी प्रकार की हानि की सम्भावना नहीं रहती।

माल तथा माल के अधिकार-पत्रों के दोष—इनके दोष निम्नलिखित हैं

(क) गोदामों की व्यवस्था—इस प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देने के लिए बैंकों को सुरक्षित गोदामों की व्यवस्था करनी पड़ती है और इसमें कभी-कभी काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है।

(ख) माल के नष्ट हो जाने की सम्भावना—गोदाम में रखे गये माल के नष्ट अथवा खराब हो जाने की सदैव सम्भावना रहती है जिससे बैंक को हानि हो सकती है।

(ग) मूल्य-निर्धारण में कठिनाई—बैंकों को माल का सही सही मूल्य-निर्धारण करने में कठिनाई होती है और इस विषय में थोड़ी-सी असावधानी से बैंक को काफी हानि हो सकती है।

(घ) कीमतों में उतार-चढ़ाव—कभी-कभी गोदामों में रखे गये माल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होने लगने है। यदि कीमतों में भारी कमी हो जाती है तो हमसे बैंक को हानि हो सकती है।

(ङ) घोषा-पडो—कभी-कभी माल के अधिकार-पत्र झूठे होते हैं और यदि बैंक इनके आधार पर ऋण दे देता है तो उसको बहुत हानि हो सकती है।

(च) अन्य अमुविधाएँ—इस प्रकार की जमानत के आधार पर दिये गये ऋणों में अन्य कई प्रकार की अमुविधाएँ भी बैंकों को होती हैं। उदाहरणार्थ समय-समय पर ऋणों ऋण की आसानी किस्ती में भूगतान करता रहता है और उनके साथ ही साथ गोदाम में से माल भी निकालता रहता है। इससे बैंक को काफी अमुविधा उठानी पड़ती है।

उपर्युक्त जमानतों के आधार पर ऋण देते समय बैंक को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए—(क) ऋण देने से पूर्व गिरवी रखे गये माल के वारं में बैंक को बर्बाद सावधानी से जाँच कर लेनी चाहिए ताकि आगे नवकर उसे हानि न उठानी पड़े, (ख) शीघ्र नष्ट हो जाने वाले माल के आधार पर ऋण नहीं देने चाहिए, (ग) माल की कीमत तथा ऋण की राशि में काफी अन्तर होना चाहिए। यदि किसी कारणवश माल की कीमत में कमी हो जाती है तो ऐसा करने से बैंक अपने आपको हानि से बचा सकता है, (घ) बैंक को केवल वही माल स्वीकार करना चाहिए जिसको आसानी से बाजार में बेचा जा सके, (ङ) माल के अधिकार-पत्रों की स्वीकार करने से पूर्व उनके स्वामित्व के बारे में अच्छी तरह से जाँच कर लेनी चाहिए, (च) बैंकों को केवल सुरक्षित गोदामों में ही गिरवी माल को रखना चाहिए और समय समय पर उनका निरीक्षण भी करना चाहिए।

भारत में माल के आधार पर बैंकों द्वारा कम ऋण दिये जाते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे गोदामों का अभाव, सुसंगठित बाजारों का अभाव तथा परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव इत्यादि।

(3) विनिमय बिल (Bill of Exchange)—जैसा पूर्व कहा जा चुका है, प्रत्येक बैंक

अपने धन का काफी बड़ा भाग बिलों के आधार पर ऋण के रूप में देता है। जब बैंक बिल की परिपक्वता से पूर्व उसका वर्तमान मूल्य चुका देता है तब इसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। यह हम पहले भी बता चुके हैं कि बैंक डिस्काउंटिंग व्यवसाय कैसे करता है। इस प्रकार की जमानत के आधार पर दिये गये ऋणों से बैंकों को एक विशेष लाभ यह होता है कि आवश्यकता पड़ने पर वे ऐसे बिलों की केन्द्रीय बैंक से पुन कटौती (rediscounting) कराकर रुपये प्राप्त कर सकते हैं।

विनिमय बिलों के आधार पर दिये गये ऋणों से कई अन्य लाभ भी होते हैं

(क) इन बिलों के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता, अतएव बैंक को किसी हानि की सम्भावना नहीं रहती।

(ख) चूंकि ये बिल अत्यन्त विक्री-साध्य (salable) होते हैं, इसलिए इनको आवश्यकता पड़ने पर भुनाया भी जा सकता है।

(ग) अन्य प्रतिभूतियों की अपेक्षा बिलों के आधार पर दिये गये ऋणों की वसूली आसानी से हो जाती है।

परन्तु बिलों में ये लाभ होते हुए भी इनमें कुछ दोष पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि बिल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति आगे चलकर बिल की रकम चुकाने से इन्कार कर देता है तब ऐसी परिस्थिति में बैंक को काफी कठिनाई होती है और अन्ततः न्यायालयों की शरण लेनी पड़ती है।

(4) जीवन-बीमा-पत्र (Life Insurance Policy)—बैंक अपने धन का कुछ थोड़ा-सा भाग जीवन-बीमा-पत्रों की जमानत के आधार पर दिये गये ऋणों में भी लगाता है। परन्तु बैंकों द्वारा इस प्रकार के दिये गये ऋण भारत में अधिक लोकप्रिय नहीं हो सके हैं। इसका कारण यह है कि बीमा कम्पनियों (L I C) अब स्वयं जीवन-बीमा पत्रों के आधार पर अपने ग्राहकों को ऋण देती हैं। ऋण देने से पूर्व बैंक पॉलिसियों के अध्यक्षपूर्ण मूल्य (Surrender Value) की अच्छी तरह से जांच कर लेता है। बैंक, पॉलिसी के अध्यक्षपूर्ण मूल्य में 90 प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं देता।

जीवन-बीमा-पत्रों के आधार पर ऋण देने की प्रथा के निम्नलिखित लाभ हैं।

(क) जीवन-बीमा-पत्रों का अध्यक्षपूर्ण मूल्य ज्ञात किया जा सकता है और इस प्रकार मूल्य के आधार पर दिये गये ऋण में किसी प्रकार की हानि की सम्भावना नहीं रहती।

(ख) ऋण देने से पूर्व बैंक ऋणों की पॉलिसी को अपने नाम करा लेता है और इस प्रकार ऋण देने में किसी प्रकार का जोखिम नहीं रहता।

(ग) यदि बीमा कम्पनी विश्वसनीय है तब पॉलिसी का रुपये डूबने की कोई सम्भावना नहीं रहती। किन्तु जब बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तब तो पॉलिसी के रुपये डूबने की बिलकुल ही सम्भावना नहीं रहती।

(घ) बीमा पालिसी के स्वामित्व का पता लगाने में भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती।

जीवन-बीमा-पत्रों के आधार पर ऋण देने की प्रथा के निम्नलिखित दोष हैं

(क) बीमा-पत्रों के अध्यक्षपूर्ण मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होता और इस प्रकार बीमा-पत्र के आधार पर दिये गये ऋण में जोखिम बना रहता है।

(ख) यदि बीमा-पत्र में आयु को प्रमाणित नहीं किया गया है तो इससे आगे चलकर बैंक के लिए कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।

(ग) जब बीमा करने वाला व्यक्ति बीमे की प्रीमियम (premium) नहीं चुकाता, तब बैंक को स्वयं इसका भुगतान करना पड़ता है ताकि पॉलिसी अवैध न हो जाय।

जीवन-बीमा पत्र के आधार पर ऋण देते समय बैंक को इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए—(क) पॉलिसी का अध्यक्षपूर्ण मूल्य निश्चित रूप में मालूम कर लेना चाहिए और ऋण की मात्रा इस मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए, (ख) यथासम्भव बैंक को निश्चितकालीन

पॉलिसी (Endowment Policy) के आधार पर ही ऋण देना चाहिए, (ग) केवल प्रसिद्ध कम्पनियों की पॉलिसियों पर ऋण दिया जाना चाहिए, (घ) ऋण देने से पूर्व ऋणी की पॉलिसी को बैंक द्वारा अपने नाम करा लेना चाहिए।

(5) सम्पत्ति (Property)—बैंसे तो बैंक चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के आधार पर ऋण दे सकता है, परन्तु बैंक को यथासम्भव चल सम्पत्ति के आधार पर ही ऋण देना चाहिए। चल सम्पत्ति में सोना, चाँदी, तैयार माल, ग्रेयसं, हुण्डियाँ, विनिमय बिल इत्यादि सम्मिलित किये जा सकते हैं। चल सम्पत्ति के आधार पर दिये गये ऋणों में कोई विशेष जोखिम नहीं रहता, क्योंकि इस प्रकार की सम्पत्ति को आसानी से बेचकर बैंक अपने ऋण की पूर्ति कर सकता है। परन्तु अचल सम्पत्ति (जैसे जमीन, मकान, दूकान आदि) के आधार पर दिये गये ऋण में बहुत जोखिम रहता है, क्योंकि इस प्रकार की सम्पत्ति को बेचना आसान नहीं होता। इसलिए अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण देने में बैंक अकार हिचकिचाते हैं। कुछ देशों में तो अचल सम्पत्ति के आधार पर बैंको द्वारा ऋण दिये ही नहीं जाते।

अचल सम्पत्ति के आधार पर दिये गये ऋण का एक ही गुण है, और यह यह है कि इससे उन व्यक्तियों को भी ऋण लेने में सहायता मिल जाती है जिनकी कोई वैयक्तिक साख नहीं होती और न ही उनके पास ऐसी कोई अन्य वस्तु होती है जिसके आधार पर वे ऋण प्राप्त कर सकते परन्तु अचल सम्पत्ति के आधार पर दिये गये ऋणों में कई दोष भी हैं

(क) अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन करना आसान नहीं होता, इसलिए बैंक इसके आधार पर ऋण में काफी जोखिम उठाता है।

(ख) अचल सम्पत्ति का वास्तविक स्वामित्व जानने में भी काफी कठिनाई होती है।

(ग) जैसा ऊपर कहा गया है, अचल सम्पत्ति आसानी से बेची नहीं जा सकती। इसके अतिरिक्त, सम्पत्ति के निरोक्षण, प्रबन्ध तथा भरमत्त आदि पर व्यय करना पड़ता है। इसीलिए भारतीय बैंक प्रायः अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं देते।

ऋण देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाय ?

प्रत्येक बैंक को हानि से बचने के लिए ऋण देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

(1) परिसम्पत्तियों की तरलता (Liquidity of Assets)—प्रत्येक बैंक को अपनी परिसम्पत्तियों को यथासम्भव तरल रूप में रखना चाहिए, इसलिए ऋण देने से पूर्व बैंक को तरल प्रतिभूतियों पर ही जोर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में बैंक की सुरक्षा निहित होती है।

(2) ऋणों की उत्पादकता—बैंको को यथासम्भव ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए ही देना चाहिए, क्योंकि उत्पादक कार्यों के लिए दिये गये ऋणों को ऋणियों के लिए लौटाना आसान होता है। सट्टे के कार्यों के लिए तो किसी भी देश में ऋण नहीं देना चाहिए।

(3) प्रतिभूति की आवश्यकता—बैंको को वैयक्तिक प्रतिभूति (personal security) के आधार पर यथासम्भव ऋण नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के ऋणों में अधिक जोखिम रहता है। इसके विपरीत, बैंको को केवल भौतिक प्रतिभूतियों के आधार पर ही ऋण देना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन प्रतिभूतियों को बेचकर बैंक अपने ऋणों की पूर्ति कर सके।

(4) प्रतिभूतियों के मूल्य तथा ऋण की मात्रा में अन्तर—बैंक को प्रतिभूति के मूल्य तथा ऋण की मात्रा में काफी अन्तर रखना चाहिए, अर्थात् ऋण की मात्रा प्रतिभूति के मूल्य से काफी कम होनी चाहिए, ताकि प्रतिभूति के मूल्य में कमी हो जाने से बैंक को क्षति न हो।

(5) जोखिम का वितरण—बैंक को जहाँ तक सम्भव हो सके अपनी जोखिम का वितरण करते रहना चाहिए। इसलिए बैंक को अपना धन कुछ थोड़े-से व्यक्तियों को न देकर, बहुत से व्यक्तियों तथा किसी एक विशेष उद्योग अथवा व्यवसाय में निवेश न करके, बहुत-से उद्योगों तथा व्यवसायों में लगाना चाहिए। इससे बैंक के जोखिम का समुचित वितरण सम्भव हो सकेगा।

(6) ऋणों की पूछताछ—बैंक को ऋण देने से पूर्व ऋणी के चरित्र, आर्थिक स्थिति,

ईमानदारी तथा साख के सम्बन्ध में विस्तृत ज्ञान कर लेनी चाहिए ताकि बैंक शाख का गिराव न हो सके ।

(7) ऋण की वसूली में नियमितता—बैंक का ऋण की वसूली की आर उचित ध्यान देना चाहिए और निश्चित अवधि के उपरान्त जिन ऋण की वसूली करना चाहिए । यथासम्भव ऋण का बार-बार नवीनीकरण (renewal) नही करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ऋणी की भ्रमताम करने की उम्मुक्ता कम हो जाती है ।

बैंक का चिट्ठा (तुलन-पत्र) (Balance Sheet of a Bank)

प्रत्येक बैंक को एक निश्चित अवधि के बाद अपना चिट्ठा प्रकाशित करना पड़ता है। बैंकिंग नियम के अन्तर्गत उम एसा करने के लिए बाध्य किया जाता है बैंक के तुलन-पत्र से उसकी वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता चलता है। उमम यह पता चलता है कि बैंक की कुल परिसम्पत्ति (assets) कितनी है और उम परिसम्पत्ति में कितने कितने मदों को सम्मिलित किया गया है। इससे यह भी पता चलता है कि बैंक की दायताएँ (liabilities) क्या-क्या हैं और कितने कितने रूपों में हैं। इस प्रकार बैंक के तुलन पत्र के अध्ययन में उमकी वित्तीय अवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। माधारणतः प्रत्येक व्यापारिक बैंक का प्रतिवर्ष अपना तुलन-पत्र प्रकाशित करना पड़ता है। परन्तु केन्द्रीय बैंक अपना तुलन पत्र प्रति मासाह प्रकाशित करता है।

बैंक के तुलन-पत्र का नमूना

देनदारियाँ या देयताएँ (Liabilities)	लेनदारियाँ या परिसम्पत्तियाँ (Assets)
1 पूँजी (क) अधिकृत पूँजी (Authorised capital) (ख) जारी पूँजी (Issued capital) (ग) स्वीकृत पूँजी (Subscribed capital) (घ) चुकती पूँजी (Paid up capital) (i) अधिमान शेयर (Preference shares) (ii) साधारण शेयर (Ordinary shares) (iii) स्वर्गित शेयर (Deferred shares)	1 नकदी (Cash) (क) हाथ में नकदी (Cash in hand) (ख) अन्य बैंकों व केन्द्रीय बैंक में जमा (Deposits in Central or other Banks)
2 प्रारक्षित निधि (Reserve fund)	2 याचना मुद्रा (Call money)
3 जमा धन और अन्य खाते (Deposits and other accounts)	3 भुनाये तथा खरीदे हुए बिल
4 अन्य बैंक से ऋण (Loans from other Banks)	4 निवेश (Investments)
5 शोधनीय बिल (Bills payable)	5 बाह्यको को ऋण तथा देशगिराई

6 अन्य बिल (Bills for Collection)	6 स्वीकृतिया तथा बेचान
7 स्वीकृतियाँ (सकार) एव बेचान (Acceptances and Endorsements)	7 कार्य स्थान, फर्नापर तथा अन्य सम्पत्ति
8 सामयिक तथा आकस्मिक देयताएँ (Contingent liabilities)	
9 लाभ और हानि (Profit and Loss Account)	

बैंक के तुलन-पत्र का विश्लेषण

(Analysis of Balance Sheet of a Bank)

जैसा उपर्युक्त तुलन-पत्र से स्पष्ट है, इसमें बायीं ओर देनदारियाँ अथवा देयताएँ लिखायी जाती हैं और दाहिनी ओर लेनदारियाँ अथवा परिसंपत्तियाँ। दानो आर की मदा का याग बराबर होता है। अब हम पहले तुलन पत्र की देनदारियों की व्याख्या करेंगे।

(1) पूँजी—तुलन पत्र में बैंक अपनी पूँजी को निम्न रीति से दिखलाता है

(क) अधिकृत पूँजी (Authorised Capital)—जमा पूर्व बड़ा गया है प्रत्येक बैंक काम शुरू करने से पहले अधिकृत पूँजी की घोषणा कर देता है और इसी पूँजी के आधार पर अपने शेयर्स निकालता है। अधिकृत पूँजी से अभिप्राय उस अधिकतम पूँजी से है जो बैंक लोगों से आवश्यक्ता पडने पर एकत्रित कर सकता है।

(ख) जारी पूँजी (Issued Capital) यह आवश्यक नहीं कि कोई बैंक अपनी सम्पूची अधिकृत पूँजी के मूल्य के बराबर ही जनता को शेयर्स बचे। अधिकृत पूँजी के जिस भाग में शक्य वास्तव में, जनता को बेचने के लिए जारी किये जाते हैं, उसे जारी पूँजी कहा जाता है। यदि बैंक सम्पूची अधिकृत पूँजी के मूल्य के बराबर शेयर्स जारी करता है तो ऐसी परिस्थिति में बैंक की अधिकृत तथा जारी पूँजी बराबर होंगी।

(ग) स्वीकृत पूँजी (Subscribed Capital)—यह आवश्यक नहीं कि बैंक द्वारा जारी किये गये सभी शेयर्स जनता द्वारा शरीरि लिए जायें। जितने मूल्य के शेयर्स जनता द्वारा खरीदे जाते हैं उसे स्वीकृत पूँजी कहते हैं।

(घ) चुकती पूँजी (Paid-up Capital)—स्वीकृत पूँजी का वह भाग जो लोगों द्वारा वास्तव में चुका दिया जाता है उसे चुकती पूँजी कहते हैं।

बैंक जनता से पूँजी एकत्रित करने हेतु विभिन्न प्रकार के शेयर्स जारी करता है जिन अधिमान शेयर्स साधारण शेयर्स और स्थगित शेयर्स।

(2) प्रारक्षित निधि (Reserve Fund)—जैसा विदित है प्रत्येक बैंक के पास एक प्रारक्षित निधि होती है। इस निधि का निर्माण अवितरित लाभ (undistributed profit) से किया जाता है और इस प्रारक्षित निधि का प्रयोग बैंक द्वारा आकस्मिक हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। भारतीय कानून के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक की प्रारक्षित निधि उसकी चुकती पूँजी के बराबर होगी चाहिए। जब तक प्रारक्षित निधि चुकती-पूँजी के बराबर नहीं हो जाती है तब तक बैंक को अपने वार्षिक लाभ का 20 प्रतिशत भाग इसमें हस्तांतरित करना पडता है। बैंक की प्रारक्षित निधि जितनी अधिक होती है उतना ही जनता का उसमें अधिक विश्वास होता है। वास्तव में प्रारक्षित निधि बैंक का धार हो-डरो की होश है नर्पोल इसका निर्माण बैंक के वार्षिक लाभ में से होता है। इसलिए इस निधि का शेयर-होल्डरो के हित में ही प्रयोग किया जा सकता है। प्रायः इस प्रारक्षित निधि का प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों में लगा दिया जाता है।

(3) जमा धन एव अन्य खाते (Deposits and other Accounts) इसके अन्तर्गत व राशियाँ सम्मिलित की जाती हैं जो बैंक द्वारा लोगों से जमा के रूप में प्राप्त की जाती हैं। जैसा पूर्व कहा जा चुका है बैंक मुख्यतः तीन प्रकार के खातों में जनता से निक्षेप (deposits) स्वीकार करता है। वास्तव में, ये निक्षेप बैंक की कार्यशील पूँजी होते हैं और कुछ नव-नव रखकर

बैंक इनका निवेश कर देता है। स्मरण रहे कि भारतीय कानून के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक को अपने तुलन-पत्र में विभिन्न प्रकार के निक्षेपों (जमा राशियों) को अलग-अलग रूप से दिखाना अनिवार्य होता है।

(4) अन्य बैंको से ऋण—इस शीर्षक के अन्तर्गत, बैंक द्वारा अन्य बैंको से प्राप्त किये गये ऋणों को दिखाया जाता है। जैसा विदित है, कुछ असाधारण परिस्थितियों में बैंक को दूसरे बैंको से, विशेषकर, केन्द्रीय बैंक में ऋण लेने पड़ते हैं।

(5) शोधनीय बिल (Bills Payable)—इस शीर्षक के अन्तर्गत, उन सभी बिलों की राशि को जोड़कर दिखाया जाता है जिनका भुगतान करना बैंक का उत्तरदायित्व होता है।

(6) अन्य बिल—इसके अन्तर्गत, उन बिलों की राशि को दिखाया जाता है जिनको बैंक ने अपने ग्राहकों की ओर से एकत्रित करने के लिये स्वीकार किया होता है। जब इन बिलों का रूपया एकत्रित हो जाता है, तब उसे ग्राहकों को चुका दिया जाता है। अतः ऐसे बिलों की राशि को तुलन-पत्र के दायीं स्तम्भों में दिखाया जाता है। वसूली के पूर्व ये बिल बैंको की लेनदारियाँ होते हैं, परन्तु वसूली के पश्चात् देनदारियाँ बन जाते हैं।

(7) स्वीकृतियाँ (सकार) एवं बेचान—इस शीर्षक के अन्तर्गत उस राशि को दिखाया जाता है जिसके मूल्य के बराबर बैंक विनिमय बिल अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार करता है। इस प्रकार के स्वीकृत बिल बैंक की देनदारियाँ बन जाते हैं।

(8) सामयिक तथा आकस्मिक देयताएँ—इस शीर्षक के अन्तर्गत बैंक केवल ऐसी देनदारियों को ही दिखाता है जो निश्चित नहीं होती, अर्थात् जो अज्ञात होती हैं। अपने तुलन-पत्र में बैंक इस प्रकार की आकस्मिक देयताओं के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य कर लेता है।

(9) लाभ और हानि—बैंक को वर्ष भर में जो लाभ प्राप्त होता है, वह इस शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है। चूंकि लाभ शेयर-होल्डरों को चुकाना होता है, इसलिए यह बैंक की देयता होती है।

बैंक के तुलन पत्र के दायीं स्तम्भ में उन राशियों का व्यौरा दिया जाता है जो बैंको को प्राप्त करनी होती हैं। इस स्तम्भ के अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि बैंक ने अपनी पूंजी का निवेश कैसे किया है और अपनी देयताओं के गणना के लिए उसने अपने पास कितनी रकम नकद-कोष के रूप में और कितनी रकम तरल परिसम्पत्तियों के रूप में रखी है। अब हम इस स्तम्भ में दी गयी विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों (assets) का अध्ययन करेंगे।

(1) नकदी—प्रत्येक बैंक अपने जमाकर्ताओं की नकदी सम्बन्धी माँग को पूरा करने के लिए सदैव कुछ न कुछ अपने पास नकद कोष रखता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बैंक देश के केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंको के पास भी कुछ नकद-कोष रखता है। उदाहरणार्थ, भारतीय बैंक अपनी माँग का समय देयताओं का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग भी करते हैं। बैंक की इस नकदी को प्रथम सुरक्षा पंक्ति (First Line of Defence) कहते हैं।

(2) याचना मुद्रा (Call Money)—इस शीर्षक के अन्तर्गत बैंक द्वारा दिये गये उन सभी ऋणों को सम्मिलित किया जाता है जो माँगने पर सुरत देय (payable) होते हैं। इस प्रकार के ऋण अधिक से अधिक 15 दिन की अवधि के लिए होते हैं और बैंक इन्हें किसी भी समय वापस माँग सकता है। ये ऋण प्रायः तीन प्रकार के होते हैं—(क) केवल एक रात के लिए दिय गये ऋण—ऐसे ऋण प्रायः सटोरियों (speculators) द्वारा लिये जाते हैं, (ख) किसी पूर्व सूचना के बिना माँग पर वापस किये जाने वाले ऋण (ग) अल्पकालीन ऋण—जिनका भुगतान एक से लेकर पन्द्रह दिन के भीतर कर दिया जाता है। याचना मुद्रा को बैंक की दूसरी सुरक्षा पंक्ति (Second Line of Defence) कहा जाता है।

(3) भुनाये तथा खरीदे हुए बिल—इसके अन्तर्गत, उन बिलों की राशियों का जोड़ दिखाया जाता है जिन्हें बैंक द्वारा भुनाया अथवा खरीद लिया गया है। इस प्रकार के बिलों की परिपक्वता के उपरान्त बैंक उनकी वसूली कर लेता है, परन्तु यदि परिपक्वता अवधि से पूर्व बैंक

की नकदी की आवश्यकता पड़ जाती है तो वह इन विलो को देश के केन्द्रीय बैंक से पुनः बट्टा कर लेता है। इस मद को बैंक की तीसरी सुरक्षा पक्ति (Third Line of Defence) कहा जाता है।

(4) निवेश—इस शीर्षक के अन्तर्गत बैंक की लाभदायक परिसम्पत्तियों को सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के निवेश की रकम को अलग-अलग दिखाया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिभूतियों में लगायी गयी रकमों को अलग-अलग दिखाया जाता है।

(5) ग्राहकों को ऋण एवं पेशगियाँ—इस शीर्षक के अन्तर्गत उन राशियों को दिखाया जाता है जो बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को ऋणों एवं पेशगियों के रूप में दी जाती हैं। जैसा पूर्व कहा जा चुका है, इस प्रकार के ऋण तथा पेशगियाँ प्रायः प्रतिभूतियों अथवा तैमर माल के आधारे पर दी जाती हैं। वैसे तो ये ऋण बैंक द्वारा माँग करने पर देय होते हैं, परन्तु व्यवहार में बैंक इन ऋणों की माँग नहीं करते और ग्राहक अपनी परिस्थितियों के अनुसार जब चाहे, इन्हें लौटा सकते हैं। इस मद को बैंक की चौथी सुरक्षा पक्ति (Fourth Line of Defence) कहा जाता है।

(6) स्वीकृतियाँ एवं बेचान—इस शीर्षक के अन्तर्गत उन विनिमय-विलो का समूचा मूल्य दिखाया जाता है, जिन्हें बैंक ने अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार किया होता है। यह राशि बैंक की देनदारियों में भी दिखायी जाती है। चूंकि इसे तुलन-पत्र के दोनों ही स्तम्भों में दिखाया जाता है, इसलिए तुलन-पत्र के कुल योग पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता।

(7) कार्य-स्थान, फर्नीचर तथा अन्य सम्पत्ति—इस शीर्षक के अन्तर्गत, बैंक की समूची चल व अचल सम्पत्ति में मूल्य को दिखाया जाता है। इसमें बैंक के कार्यालय का भवन, फर्नीचर, स्टेशनरी आदि परिसम्पत्तियों को सम्मिलित किया जाता है। जैसा पूर्व कहा गया है, इस प्रकार की सम्पत्ति बैंक का मृत-स्टॉक होती है। बैंक प्रायः इस प्रकार की सम्पत्ति का अपने तुलन-पत्र में वास्तविक बाजार मूल्य नहीं दिखाते, बल्कि बाजार मूल्य से बहुत ही कम मूल्य दिखाते हैं। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि बैंक अपने गुप्त कोषों (secret reserves) का निर्माण करना चाहते हैं। जब कोई बैंक फेल हो जाता है तब इस प्रकार की परिसम्पत्ति को वेचकर जमाकर्ताओं के दावों (claims) का भुगतान कर दिया जाता है।

बैंक के तुलन-पत्र से लाभ

(Advantages of Balance Sheet of a Bank)

किसी बैंक के तुलन-पत्र से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं

(1) बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति के बारे में ज्ञान—किसी बैंक की वास्तविक वित्तीय स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके तुलन पत्र का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसमें बैंक की सभी प्रकार की देनदारियों तथा लेनदारियों का विस्तृत व्योरा होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि बैंक की कुल कार्यशील पूंजी कितनी है और यह किन-किन मदों पर लगायी गयी है। इससे यह भी पता चलता है कि बैंक की नकदी सम्बन्धी परिस्थिति क्या है।

(2) बैंक की प्रगति के बारे में जानकारी—यदि किसी बैंक के गत कुछ वर्षों के तुलन-पत्रों का अध्ययन किया जाय तो हमें यह पता चल सकता है कि बैंक ने अब तक कितनी प्रगति की है, इसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है अथवा नहीं? यदि बैंक की प्रारक्षित निधि में वृद्धि हुई है तो स्पष्ट है कि बैंक ने प्रगति की है। किसी भी बैंक की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाने के लिए उसकी प्रारक्षित निधि को देखा जाता है। इसी तरह यदि किसी बैंक द्वारा दिया गया लाभार्थ प्रतिवर्ष बढ़ता चला जा रहा है तो स्पष्ट है कि बैंक प्रतिवर्ष प्रगति कर रहा है।

(3) दो अथवा दो से अधिक बैंकों की वित्तीय स्थिति की तुलना—यदि हमें दो अथवा दो से अधिक बैंकों की तुलना करके यह देखना है कि कौन-सा बैंक अच्छा है तो हमें उन बैंकों के तुलन-पत्रों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही हम उनकी वित्तीय स्थितियों की तुलना कर सकते हैं। ऐसा करते समय हमें यह देखना होगा कि उनके निक्षेपों, नकद-कोषों, प्रारक्षित-निधियों तथा निवेशों की वास्तविक स्थिति क्या है?

(4) इसके अध्ययन से यह प्रमाण मिलता है कि जनता का बैंक में विश्वास कितना है?

बैंक में जनता का कितना विश्वास है, इसका प्रमाण भी उसके तुलन-पत्र के अध्ययन से मिल जाता है। यदि बैंक की जमा राशियाँ उसकी चुकती-पूँजी के अनुपात में बढ़ती जा रही हैं तो स्पष्ट है कि जनता का बैंक में विश्वास बढ़ता जा रहा है। जमा राशियों के बढ़ जाने से बैंक की कार्यशील पूँजी भी बढ़ जायगी और बैंक उसका अधिक लाभपूर्ण उपयोग कर सकेगा। बैंक के लाभ बढ़ेंगे, प्रारक्षित निधि बढ़ेंगी और परिणामतः जनता का बैंक में विश्वास बढ़ जायगा।

(5) इससे बैंक की सुरक्षा तथा तरलता का ज्ञान होता है—बैंक के तुलन-पत्र के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी देनदारियाँ किस प्रकार की हैं और उसने अपनी कार्यशील पूँजी का किस ढंग से निवेश कर रखा है। इससे यह भी पता चलता है कि बैंक की परिसम्पत्तियों (assets) में तरलता (liquidity) का कितना अंश है। यदि बैंक ने अपनी कार्यशील पूँजी का अधिकांश भाग प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों में लगा रखा है तो स्पष्ट है कि बैंक की वित्तीय स्थिति सुरक्षित है और आवश्यकता पड़ने पर वह इन प्रतिभूतियों को नकदी में परिवर्तित कर सकता है।

बैंकों के तुलन-पत्रों के उपयुक्त लाभों के कारण ही भारतीय बैंकिंग कम्पनीज एक्ट, 1949 के अन्तर्गत तुलन-पत्र बनाने की एक निश्चित विधि निर्धारित कर दी गयी है और प्रत्येक बैंक को उस विधि के अनुसार अपना तुलन-पत्र तैयार करना पड़ता है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त सकेत

- 1 व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपनी पूँजी प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? विवेचना कीजिए।
(आगरा, बी० कॉम०, 1960)

[सकेत—यहाँ पर बैंकों द्वारा पूँजी प्राप्त करने के पाँच मुख्य साधनों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए (शयर पूँजी जमा धन, ऋण, सुरक्षित कोष तथा साख का निर्माण)।]

- 2 किसी बैंक के नकद-कोषों को निर्धारित करने वाले महत्त्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए।
(आगरा, बी० कॉम०, 1959)

[सकेत—यहाँ पर नकद-कोष सम्बन्धी उन सभी बातों की व्याख्या कीजिए जिन्हें नकद-कोष निर्धारित करने समय बैंक द्वारा ध्यान में रखा जाता है।]

- 3 धाहकों को ऋण देते समय एक बैंकर को किन-किन सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए? एक व्यापारिक बैंक के दृष्टिकोण से कौन से निवेश सबसे उपयुक्त हैं? (राजस्थान, 1971)

[सकेत—प्रथम भाग में निवेश नीति (investment policy) के मुख्य सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि एक व्यापारिक बैंक के दृष्टिकोण से याचना मुद्रा प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ, अच्छी तथा विश्ववनीय पान्तियों द्वारा जारी किये गये विनिमय बिल अधिक उपयुक्त रहते हैं।]

- 4 किसी बैंक के एक आदर्श तालपत्र को बनाइए और इसका विश्लेषण कीजिए।
(सागर, बी० कॉम० 1959)

[सकेत—यहाँ पर किसी बैंक का एक काल्पनिक तुलन-पत्र बनाते हुए उसमें देनदारियों तथा लनदारियों को मुख्य-मुख्य मदों को दिखाइए और उनका विश्लेषण भी कीजिए।]

- 5 “ऋण देते समय बैंकों की सावधानियाँ” विषय पर नोट लिखिए।
(सागर, बी० ए०, 1959)

[सकेत—यहाँ पर यह बताइए कि ऋण देने समय बैंक को निम्न सावधानियाँ बरतनी चाहिए—परिसम्पत्तियों की तरलता ऋणों की उत्पादकता प्रतिभूतियों की आवश्यकता, प्रतिभूति के मूल्य तथा ऋण की मात्रा में अन्तर, जोखिम का दिनरेण, ऋणों की पूछताछ और ऋण की वसूली में नियमितता इत्यादि।]

13

केन्द्रीय बैंकिंग (Central Banking)

आजकल लगभग सभी देशों में केन्द्रीय बैंक होता है जो देश की समूची बैंकिंग व्यवस्था को नियन्त्रित करता है। 19वीं शताब्दी में बहुत कम देशों में केन्द्रीय बैंक हुआ करते थे, परन्तु 20वीं शताब्दी में इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गयी है। जैसा पूर्व कहा गया है, आज शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसमें केन्द्रीय बैंक न हो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट की समस्या का समाधान करने के लिए सन् 1920 में ब्रूसेल्स (Brussels) नामक स्थान पर एक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में प्रत्येक देश में एक केन्द्रीय बैंक स्थापित करने की सिफारिश की गयी थी। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए लगभग सभी बड़े देशों में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की थी। भारत में भी सन् 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया नाम का केन्द्रीय बैंक स्थापित किया गया था।

केन्द्रीय बैंक की परिभाषा (Definition of Central Bank)

अर्थशास्त्रियों द्वारा केन्द्रीय बैंक की कई परिभाषाएँ प्रस्तुत की गयी हैं। नीचे हम तीन महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे

(1) 'केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो देश में मुद्रा एवं साख का लाक-बल्याण की दृष्टि से सम्बन्ध स्थापित करती है तथा उन्हे देश-हित में नियन्त्रित करके देशी एवं विदेशी कीमता में स्थिरता लाती है और बैंकिंग व्यवस्था को विकसित तथा संगठित करती है।'

(2) 'केन्द्रीय बैंक वह संस्था है जो बैंकों तथा साख-संस्थाओं की मुद्रा व साख-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है जो सरकारी बैंक तथा बैंकों के बैंक का कार्य करती है और जो देश की मुद्रा तथा साख-प्रणाली का इस ढंग से नियन्त्रण करती है कि आन्तरिक कीमत-स्तर तथा विदेशी विनिमय दरों में सामंजस्य स्थापित हो सके, देश की देकारी दूर हो सके और वास्तविक आय-स्तर में वृद्धि हो सके।'

(3) 'केन्द्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की साख तथा मुद्रा-प्रणाली को देख-रेख करता है।'

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि केन्द्रीय बैंक एक साधारण बैंक नहीं होता बल्कि यह साधारण बैंकों से मूलतः भिन्न होता है। इसने द्वारा किये गये कार्य साधारण बैंकों के कार्यों से भिन्न होते हैं। केन्द्रीय बैंक को देश का सर्वोच्च बैंक माने के लिये कुछ विशेष अधिकार दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, केन्द्रीय बैंक का कामजी मुद्रा का निषेध करन का एकाधिकार होता है। यह सरकार का बैंक होता है और इसी लिये सभी सरकारी कोष उसी के पास रखे जाते हैं। यह बैंकों का बैंक होता है और इसी लिये सरकारी बैंकों को सहायता देता है। इसके अतिरिक्त, यह बैंक अन्य बैंकों के कार्यों का सामान्य निरीक्षण भी करता है। केन्द्रीय बैंक को अन्य बैंकों के साथ प्रतिযোগिता करने की छूट नहीं होती, इसलिए इस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, यह बैंक अन्य बैंकों की भाँति जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय नहीं कर सकता और जनता द्वारा इसमें जमा की गयी राशियों पर ब्याज भी नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार

केन्द्रीय बैंक का दर्जा अन्य बैंको से भिन्न होता है। इसे कुछ विशेष अधिकार दिये जाते हैं और उनके साथ ही साथ इस पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगा दिये जाते हैं।

केन्द्रीय बैंकिंग के सिद्धान्त (Principles of Central Banking)

इसके सिद्धान्त इस प्रकार है

(1) केन्द्रीय बैंक सर्वेव राष्ट्रीय कल्याण की भावना से प्रेरित होता है—व्यापारिक बैंक प्रायः लाभ-उद्देश्य से ही प्रेरित होते हैं। इनके विपरीत, केन्द्रीय बैंक राष्ट्रीय कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। प्रो० डी काक (De Kock) के शब्दों में, "केन्द्रीय बैंक का निर्देशक सिद्धान्त यह है कि वह केवल लोकहित और समूचे देश के कल्याण के लिए ही कार्य करे और लाभ को प्राथमिक उद्देश्य न स्वीकार करे।" परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि केन्द्रीय बैंक हानि उठाकर भी राष्ट्रहित में कार्य करे। इसका अर्थ तो केवल इतना ही है कि केन्द्रीय बैंक के लिए लाभ-उद्देश्य प्राथमिक (primary) न होकर, गौण (secondary) होना चाहिए।

(2) मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता—केन्द्रीय बैंक का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह भी है कि यह बैंक देश में मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता बनाये रखने में सहायता दे। इसके लिए केन्द्रीय बैंक के शस्त्र भण्डार में अनेक शस्त्र होते हैं जिनका प्रयोग करते हुए यह बैंक इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता दे सकता है।

(3) राजनीतिक प्रभाव से स्वतन्त्रता—केन्द्रीय बैंक को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए, अर्थात् केन्द्रीय बैंक पर देश के किसी भी राजनीतिक दल का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। केन्द्रीय बैंक को विशुद्ध आर्थिक सिद्धान्तों से ही प्रेरित होना चाहिए किन्तु इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक तथा सरकार के बीच पूर्ण सहयोग हो क्योंकि दोनों मिलकर ही देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

केन्द्रीय बैंकिंग तथा व्यापारिक बैंकिंग की तुलना

(Comparison Between Central and Commercial Banking)

केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंको में समानताएँ भी हैं तथा अमानताएँ भी। पहले हम इनके बीच समानताओं का अध्ययन करेंगे

(1) दोनों प्रकार के बैंक मुद्रा-व्यवसायी होते हैं—केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक मूलतः मुद्रा का व्यवसाय करने वाली संस्थाएँ होती हैं अर्थात् दोनों ही प्रकार के बैंक किसी न किसी रूप में मुद्रा का व्यवसाय करते हैं। केन्द्रीय बैंक मुद्रा का निर्माण करता है, किन्तु व्यापारिक बैंक मुद्रा का लेन देन करते हैं।

(2) दोनों प्रकार के बैंको द्वारा साख का निर्माण किया जाता है—दोनों प्रकार के बैंको द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के साख का निर्माण किया जाता है। जब केन्द्रीय बैंक बिना प्रतिभूतियों के कागजी मुद्रा का निगमन करता है तो वह, वास्तव में साख का निर्माण ही करता है। इसी प्रकार व्यापारिक बैंक भी व्युत्पादित निक्षेपों (derivative deposits) के आधार पर साख-मुद्रा का निर्माण करते हैं।

(3) दोनों प्रकार के बैंको को अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं देना चाहिए—केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक दोनों को ही अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इनकी परिसम्पत्तियों में अतरलता (non liquidity) उत्पन्न हो जाती है जो इनके हितों में नहीं होती।

(4) दोनों प्रकार के बैंको को अल्पकालीन ऋण ही देने चाहिए—केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंको को यथासम्भव छोटे समय के लिए ही ऋण देने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी परिसम्पत्तियाँ में तरलता बनायी रखी जा सकती है। विशेषकर केन्द्रीय बैंक को तो किसी भी दशा में दीर्घकालीन ऋण नहीं देने चाहिए।

केन्द्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंको में कुछ असमानताएँ भी होती हैं जो निम्नलिखित हैं

(1) केन्द्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है और समूची बैंकिंग व्यवस्था पर अपना नियन्त्रण रखता है, जबकि व्यापारिक बैंक समूची बैंकिंग व्यवस्था की इकाई मात्र ही होते हैं।

(2) केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। वास्तव में, लाभ कमाना तो इसका गौण उद्देश्य होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य तो देश में अधिक स्थिरता स्थापित करना है। इसके विपरीत, व्यापारिक बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसीलिए वे अपने अतिरिक्त धन को जोखिमपूर्ण कार्यों तक में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं।

(3) केन्द्रीय बैंक जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय नहीं करता। यह तो केवल अन्य बैंकों तथा सरकार से ही व्यवसाय करता है। इसके विपरीत, व्यापारिक बैंक देश की जनता से प्रत्यक्ष व्यवसाय करते हैं।

(4) केन्द्रीय बैंक मुद्रा-निर्गमन करने वाली संस्था है। वास्तव में, केन्द्रीय बैंक को मुद्रा का निर्गमन करने का एकाधिकार प्राप्त होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों का इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता।

(5) केन्द्रीय बैंक सरकार का होता है। यह सरकार के सभी कोषों को रखता है। सरकार की ओर से भुगतान करता है और लोक-ऋण (public debt) को व्यवस्था करता है। परन्तु व्यापारिक बैंकों को इस प्रकार की सुविधाएँ नहीं होती।

(6) केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता (lender of the last resort) होता है। आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक से ही ऋण लेते हैं। परन्तु केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से ऋण नहीं लेता। इसलिए केन्द्रीय बैंक को अन्तिम ऋणदाता कहा जाता है।

केन्द्रीय बैंक के कार्य

(Functions of the Central Bank)

इसके कार्य निम्नलिखित हैं

(1) कागजी मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकार (Monopoly of Note-Issue)—जैसा पूर्व कहा गया है, 19वीं शताब्दी में व्यापारिक बैंकों को भी नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त था, परन्तु व्यापारिक बैंकों द्वारा नोट जारी किये जाने में कई प्रकार की त्रुटियाँ पायी जाती थीं। प्रथम, इनके नोटों में एकरूपता (uniformity) का अभाव होता था। द्वितीय, प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी साख के अनुसार ही नोट जारी किया करता था। चूँकि इन बैंकों की साख प्रायः सीमित हुआ करती थी, इसलिए इनके द्वारा जारी किये गये नोटों की मात्रा भी सीमित होती थी। तृतीय, कभी-कभी व्यापारिक बैंक अपने नोटों को मुद्रा में बदलने में असमर्थ रहते थे, इसीलिए यह अनुभव किया गया कि व्यापारिक बैंकों द्वारा नोट जारी करने का कार्य सन्तोषजनक नहीं था। कुछ समय के लिए सरकार ने कागजी मुद्रा के निर्गमन का कार्य अपने हाथों में ले लिया, परन्तु यह प्रणाली भी असन्तोषजनक ही सिद्ध हुई क्योंकि इन प्रणाली में प्रायः लोच का अभाव रहता था और कागजी मुद्रा का निर्गमन देश को मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता था इसलिए अब यह अनुभव किया जाने लगा कि देश में केन्द्रीय बैंक ही इस कार्य के लिए उपयुक्त संस्था है। अतः सन् 1844 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को नोट जारी करने का एकाधिकार सौंप दिया गया। उसके उपरान्त, अन्य देशों में भी नोट जारी करने का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को प्रदान किया गया था। केन्द्रीय बैंक द्वारा कागजी मुद्रा के निर्गमन के निम्नलिखित लाभ हैं

(क) मुद्रा-प्रणाली में एकरूपता—इससे देश की मुद्रा-प्रणाली में समानता तथा एकरूपता लायी जा सकती है और इसके साथ ही साथ देश की मुद्रा प्रणाली पर उचित नियन्त्रण भी रखा जा सकता है।

(ख) मुद्रा में जनता का अधिक विश्वास—इससे देश की मुद्रा में जनता का विश्वास सुदृढ़ हो जाता है, क्योंकि केन्द्रीय बैंक की साख बहुत ऊँची होती है।

(ग) मुद्रा-प्रणाली में लोच—इससे देश की मुद्रा-प्रणाली में लोच का गुण उत्पन्न हो जाता है। देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते केन्द्रीय बैंक को देश की मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में पूर्ण जानकारी रहती है और इसी के आधार पर वह कागजी मुद्रा का सन्तुलन करता है। केन्द्रीय बैंक कागजी मुद्रा की मात्रा को आवश्यकताओं के अनुसार घटा-बढ़ा सकता है।

(घ) साख-निर्माण पर नियन्त्रण—इससे देश के व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण शक्ति

को भी नियन्त्रित किया जा सकता है, क्योंकि बैंको द्वारा साख-मुद्रा का सृजन अन्ततः कागजी मुद्रा की मात्रा पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार कागजी मुद्रा के माध्यम से केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंको की साख निर्माण शक्ति पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर सकता है।

(ड) सरकार को आर्थिक लाभ—जैसा विदित है, कागजी मुद्रा के निगमन से केन्द्रीय बैंक को आर्थिक लाभ होता है और इस लाभ का कुछ अंश सरकार द्वारा भी कर के रूप में लिया जा सकता है।

(च) मुद्रा के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थिरता—केन्द्रीय बैंक को जब कागजी मुद्रा के निर्गमन का एकाधिकार मिल जाता है तब इसकी सहायता से वह देशी मुद्रा के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थिरता बनाये रख सकता है। परिणामतः विदेशी विनिमय दरों में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होते और आन्तरिक कीमत स्तर में भी स्थिरता बनी रहती है। इसके विपरीत, यदि नोट निगमन का कार्य व्यापारिक बैंको को सौंप दिया जाय तो वे देशी मुद्रा के आन्तरिक तथा बाह्य-मूल्यों में स्थिरता स्थापित करने में असमर्थ रहेंगे।

इन्हीं कारणों से अब सभी देशों में कागजी मुद्रा के निर्गमन का कार्य केन्द्रीय बैंक को ही सौंप दिया गया है। भारत में भी कागजी मुद्रा का निर्गमन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ही किया जाता है।

(2) केन्द्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है (Central Bank is Government Banker)—केन्द्रीय बैंक सरकार का आर्थिक परामर्शदाता एजेंट तथा बैंकर होता है।

(i) केन्द्रीय बैंक आर्थिक वित्तीय तथा मौद्रिक विषयों पर समय-समय पर सरकार को परामर्श देता है। सरकार की आर्थिक नीतियाँ प्रायः केन्द्रीय बैंक के परामर्श से ही निर्धारित की जाती हैं। देश का सर्वोच्च बैंक होने के नाते केन्द्रीय बैंक सरकार को इन विषयों के बारे में अपना उचित परामर्श दे सकता है।

(ii) केन्द्रीय बैंक सरकार का बैंकर होने के नाते सरकार के सभी खातों का हिसाब रखता है। सरकार की समूची आय इसी बैंक में जमा होती है। सरकारी व्यय के लिए खर्चा भी इसी बैंक से निकाला जाता है। परन्तु स्मरण रहे कि केन्द्रीय बैंक सरकारी कोषों पर कुछ भी व्याज नहीं देता और सरकार की बड़ी-बड़ी रकमें केन्द्रीय बैंक के पास बिना व्याज कही पड़ी रहती हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरकार केन्द्रीय बैंक से ऋण भी ले सकती है परन्तु ये ऋण अल्पकालीन ही होते हैं। किसी भी दशा में केन्द्रीय बैंक सरकार को दीर्घकालीन ऋण नहीं देता क्योंकि इससे बैंक की परिसम्पत्तियों की तरलता पर प्रतिबल प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी सरकार केन्द्रीय बैंक से अत्यधिक मात्रा में ऋण लेकर इस सुविधा का दुरुपयोग भी करती है जिससे देश में मुद्रा स्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि अधिकांश देशों में केन्द्रीय बैंक द्वारा सरकार को विये जाने वाले ऋण की मात्रा को सीमित कर दिया गया है। केन्द्रीय बैंक सरकारी कोष का स्थान्तरण भी करता है। यह सरकार के लिए विदेशी प्रतिभूतियों का त्रय विव्रय भी करता है। जब सरकार को जनता से ऋण लेना होता है तो ऐसा करने के लिए सरकार केन्द्रीय बैंक की सेवाओं का ही उपयोग करती है अर्थात् सरकार केन्द्रीय बैंक के माध्यम से ही जनता से ऋण लेती है। स्मरण रहे कि इन सेवाओं के बदले केन्द्रीय बैंक सरकार से कुछ भी शुल्क वसूल नहीं करता क्योंकि केन्द्रीय बैंक स्वयं सरकारी कोषों पर कोई व्याज नहीं देता।

(3) केन्द्रीय बैंक, बैंको का बैंक है (Central Bank is Bankers Bank)—केन्द्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। व्यापारिक बैंक इसके साथ सम्बद्ध (affiliated) होते हैं। इसी नाते प्रत्येक सम्बद्ध बैंक को अपनी देयताओं का कुछ प्रतिशत भाग केन्द्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखना पड़ता है। जैसा विदित है प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी देयताओं का कुछ भाग नगद कोषों के रूप में अपने पास रखता है, ताकि ग्राहकों की माँग होने पर वह उनके धन की अदायगी कर सके। व्यापारिक बैंक इस प्रकार के नकद कोषों को दो प्रकार से रखते हैं प्रथम, अपने पास नकद कोष द्वितीय, केन्द्रीय बैंक के पास जमा के रूप में नकद कोष। व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक के पास रखे गये कोषों को भी नकद कोष ही मानते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग भी करते हैं। अब लगभग सभी देशों में बैंकिंग विधान के अन्तर्गत प्रत्येक

व्यापारिक सम्बद्ध बैंक को अपनी देयताओं का कुछ प्रतिशत भाग केन्द्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है। इसके कई लाभ हैं।

(क) साख-प्रणाली में लोच—जब किसी व्यापारिक बैंक की कुछ रकम केन्द्रीय बैंक के पास जमा रखी रहती है तब वह अपने पास की नकद रकम के आधार पर अधिक से अधिक मात्रा में साख का सृजन कर सकता है क्योंकि वह जानता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह केन्द्रीय बैंक में अपनी जमा की राशि वापस माँग सकता है।

(ख) नकद-कोषों का अधिकतम उपयोग—इससे व्यापारिक बैंकों के काफी मात्रा में नकद-कोष केन्द्रीय बैंक के पास जमा हो जाते हैं और केन्द्रीय बैंक इन कोषों का उपयोग राष्ट्रीय हित में कर सकता है।

(ग) नकद मुद्रा के उपयोग में बचत—चूँकि केन्द्रीय बैंक देश का समाशोधन-गृह (clearing house) भी है इसलिए सभी बैंकों का आपसी लेन देन प्रायः इसी माध्यम से होता है। इससे लेन देन में मुद्रा का प्रयोग कम किया जा सकता है क्योंकि व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक के नाम बैंक लिखकर एक दूसरे की भुगतान वर सवते हैं। केन्द्रीय बैंक एक बैंक के खाते में से रूपया निकालकर दूसरे बैंक के खाते में जमा कर देता है जिससे मुद्रा के हस्तान्तरण की आवश्यकता नहीं रहती।

केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता (lender of the last resort) के रूप में भी कार्य करता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी व्यापारिक बैंक को वहाँ से भी ऋण प्राप्त नहीं होता, तब वह केन्द्रीय बैंक से ऋण की माँग करता है और केन्द्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण प्रदान कर देता है। व्यापारिक बैंक अपनी प्रतिभूतियों तथा बिलों का केन्द्रीय बैंक से पुनः बढ़ा (rediscouting) करा सकता है अर्थात् व्यापारिक बैंक अपनी प्रतिभूतियों तथा बिलों को केन्द्रीय बैंक से पुनः भुना सकता है इससे व्यापारिक बैंकों को बहुत लाभ होता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें केन्द्रीय बैंक से ऋण प्राप्त हो सकता है। केन्द्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को इस प्रकार की साख देने के निम्नलिखित लाभ हुए हैं।

1. व्यापारिक बैंक छोड़े से नकद कोष के आधार पर ही अपना काम चला सकते हैं—इसका कारण यह है कि व्यापारिक बैंक आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बैंक से अपनी प्रतिभूतियों को पुनः भुना सकते हैं। इसलिए उन्हें जमाकर्ताओं की माँग को पूरा करने के लिए अपने पास अधिक मात्रा में नकद धन रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

2. सकटकाल में बैंकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकता है—इससे व्यापारिक बैंकों को सकट के समय केन्द्रीय बैंक से आर्थिक सहायता मिल सकती है और इससे वे सकट का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं। इससे व्यापारिक बैंकों में जनता का विश्वास भी बढ़ जाता है क्योंकि लोग समझते हैं कि विपत्ति पड़ने पर व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में केन्द्रीय बैंक का बड़ी दर्जा है जो बच्चों के लिए माता-पिता का होता है। जब बच्चे कठिनाई में पँस जाते हैं तो इनकी सहायता करना माता-पिता का कर्तव्य होता है।

3. इससे केन्द्रीय बैंक को देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियन्त्रण स्थापित करने का अच्छा अवसर मिल जाता है—जब कोई व्यापारिक बैंक केन्द्रीय बैंक से आर्थिक सहायता की माँग करता है तब केन्द्रीय बैंक को इस बैंक की वित्तीय स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने का अधिकार हो जाता है। केन्द्रीय बैंक न केवल उस बैंक की वित्तीय स्थिति का अध्ययन ही करता है बल्कि उसकी सुधारण के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत करता है। व्यापारिक बैंक को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इन सुझावों की स्वीकार करना पड़ना है। परिणामतः केन्द्रीय बैंक का व्यापारिक बैंकों पर नियन्त्रण स्थापित हो जाता है।

4. केन्द्रीय बैंक समाशोधन-गृह का कार्य करता है—केन्द्रीय बैंक सम्बद्ध बैंकों के लिए समाशोधन-गृह व्यवस्था निकासी गृह (clearing house) का कार्य भी करता है। वास्तव में केन्द्रीय बैंक इस कार्य के लिए अत्यन्त उपयुक्त संस्था है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय बैंक के पास सभी सम्बद्ध बैंकों के खाते खुले होते हैं और इन खातों में ये बैंक कुछ नकद का अवश्य ही रखते हैं। इस प्रकार इन बैंकों द्वारा एक दूसरे पर जारी किये गये बैंकों का भगतान केन्द्रीय बैंक द्वारा समाशोधन-गृह के रूप में आसानी से किया जा सकता है और ऐसा करने से नकदी की माँग

बहुत कम हो जाती है। इसको एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मान लीजिए कि बैंक 'क' तथा बैंक 'ख' दोगे ही केन्द्रीय बैंक में सम्बद्ध हैं। यह भी मान लीजिए कि 'क' बैंक के पास 'ख' बैंक पर जारी किये गये 15,000 रुपये के बैंक हैं और 'ख' बैंक के पास 'क' बैंक पर जारी किये गये 10,000 रुपये के बैंक हैं। अब समाशोधन-गृह के अभाव में 'क' बैंक 15,000 रुपये के बैंक 'ख' बैंक के पास ले जायगा और 'ख' बैंक 10,000 रुपये के बैंक 'क' बैंक के पास ले जायगा। इस तरह दोनों बैंकों के बीच बड़े पैमाने पर नकदी का आदान-प्रदान होगा। अब मान लीजिए कि दोनों बैंक केन्द्रीय बैंक द्वारा स्थापित समाशोधन-गृह के सदस्य हैं। ऐसी परिस्थिति में अब केवल 'ख' बैंक को ही 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि केन्द्रीय बैंक द्वारा उनके परस्पर दायित्वों (liabilities) का निवटारा कर दिया जायगा और केन्द्रीय बैंक 'क' बैंक के खाते में 5,000 रुपये जमा कर देगा। इस तरह नकद मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अतिरिक्त, समाशोधन-गृह का एक अन्य नाम यह है कि इसने कारण व्यापारिक बैंक बहुत कम मात्रा में नकद-कोष रखकर काफी बड़ी मात्रा में साख का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि समाशोधन-गृह के कारण नकदी की माँग बहुत कम हो जाती है।

5 केन्द्रीय बैंक राष्ट्र के स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है—यह भी केन्द्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। केन्द्रीय बैंक राष्ट्र के समूचे स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यदि विदेशी विनिमय-दरों में उतार-चढ़ाव होते हैं तो उनको दूर अथवा कम करने के लिए केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय करता है। उदाहरणार्थ यदि किसी विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है तो केन्द्रीय बैंक उस मुद्रा को अपने कोष में से निकालकर बेचने लगता है। इससे उस विदेशी मुद्रा की कीमत स्वतः गिर जाती है। इसी प्रकार यदि किसी विदेशी मुद्रा की कीमत गिर जाती है तो केन्द्रीय बैंक उस मुद्रा का बाजार से क्रय करना आरम्भ कर देता है जिससे उसकी कीमत पुनः बढ़ जाती है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं की कीमतों में स्थिरता बनाये रखता है। आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय बैंक विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर नियन्त्रण भी लागू कर देता है।

6 केन्द्रीय बैंक आर्थिक तथ्यों तथा आँकड़ों को एकत्रित व प्रकाशित करता है—लगभग सभी देशों में केन्द्रीय बैंक आर्थिक तथ्यों तथा आँकड़ों को एकत्रित करता है और उनका प्रकाशन भी करता है। इससे देश की अर्थ-व्यवस्था के बारे में बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध होती है और इसी के आधार पर सरकार अपनी आर्थिक नीतियों का निर्माण भी करती है।

7 केन्द्रीय बैंक साख-मुद्रा का नियन्त्रण करता है—वास्तव में, यह केन्द्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। केन्द्रीय बैंक के अन्य कार्य इसी पर निर्भर करते हैं। जैसा स्पष्ट है साख-मुद्रा का देश की अर्थ-व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साख मुद्रा यदि सीमित मात्रा में प्रचलित की जाय तो यह देश के लिए बरदान सिद्ध हो सकती है। परन्तु यदि इसे सीमित न रखा जाय तो यह देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। जैसा हम जानते हैं, यदि साख मुद्रा का अत्यधिक विस्तार कर दिया जाता है तो इससे देश के लिए अत्यन्त गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। अतएव यह अत्यन्त आवश्यक है कि साख मुद्रा को निश्चित सीमाओं के भीतर ही रखा जाय। केन्द्रीय बैंक ही एक ऐसी संस्था है जो साख पर उचित नियन्त्रण स्थापित कर सकती है। साख-मुद्रा पर उचित नियन्त्रण स्थापित करने से देश के सामान्य कीमत स्तर में स्थिरता लायी जा सकती है, विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरत्व स्थापित किया जा सकता है तथा उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। इसलिए साख मुद्रा का नियन्त्रण नितान्त आवश्यक है। केन्द्रीय बैंक साख मुद्रा का नियमन तथा नियन्त्रण कैसे करता है? इसका आगे चलकर अध्ययन किया जायगा।

निष्कर्ष—उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त, कुछ अन्य कार्य भी हैं जो केन्द्रीय बैंकों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। केन्द्रीय बैंक के कार्यों का निरन्तर विस्तार हो रहा है। विशेषकर पश्चिमी देशों में तो केन्द्रीय बैंक कई प्रकार के अन्य कार्यों को भी सम्पन्न करने लगे हैं। कभी-कभी यह प्रश्न उठाया जाता है कि केन्द्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वास्तव में, इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है। इस विषय पर अर्थशास्त्रियों में भी मतभेद है। प्रो० हार्ट् (Hartley) के अनुसार, "केन्द्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका अन्तिम ऋणदाता होना है।" प्रो० रिमप

(Smith) के मतानुसार, "केन्द्रीय बैंक द्वारा कागजी मुद्रा का निर्गमन ही उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।" प्रो० शा (Shaw) का विचार है कि केन्द्रीय बैंक के कार्यों में से साख-नियन्त्रण ही उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रो० किश एण्ड एलकिन (Kisch and Elkin) ने मुद्रामान के स्थायित्व को बनाये रखना ही केन्द्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विषय पर अर्थशास्त्रियों में एक प्रकार का विवाद चल रहा है। वास्तव में, यह कहना बहुत कठिन है कि केन्द्रीय बैंक का कौन-सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। प्रो० डी कॉक (De Kock) ने इस विवाद को व्यर्थ बताते हुए, केन्द्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों को इस प्रकार गिनाया है—(1) कागजी मुद्रा का निर्गमन जिसका इसे पूर्ण अथवा आंशिक एकाधिकार होता है, (2) सरकार के लिए बैंकिंग तथा एजेण्ट सम्बन्धी सेवाएँ सम्पन्न करना, (3) व्यापारिक बैंकों के तफ़्द-सोपों को रखना, (4) राष्ट्र की प्रातु-निधि को रखना, (5) विनिमय बिलों, ट्रेजरी बिलों एवं अन्य प्रतिभूतियों को पुनः भूगाना, (6) अन्तिम ऋणदाता का कार्य सम्पन्न करना, (7) विभिन्न सम्बद्ध बैंकों के पारस्परिक दायित्वों का निश्चय करना, (8) व्यापारिक आवश्यकताओं तथा राज्य द्वारा घोषित मुद्रामान की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए साख-मुद्रा का नियन्त्रण करना।

केन्द्रीय बैंक और मुद्रा-नीति (Central Bank and Monetary Policy)

केन्द्रीय बैंक का देश की मुद्रा-नीति से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जैसा विदित है, मुद्रा-नीति से अभिप्राय मुद्रा के विस्तार एवं सकुचन से है। इसके अन्तर्गत, देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा का विस्तार तथा सकुचन किया जाता है। जैसा हम जानते हैं, आधुनिक काल में साख-मुद्रा कुल मुद्रा का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग होनी है। इसलिए मुद्रा की मात्रा में विस्तार तथा सकुचन से अभिप्राय प्रायः साख-मुद्रा के विस्तार एवं सकुचन से होता है। जैसा पूर्व कहा जा चुका है, केन्द्रीय बैंक साख-मुद्रा के विस्तार तथा सकुचन पर उचित एवं प्रभावपूर्ण नियन्त्रण लागू करता है। अब हम यह देखेंगे कि केन्द्रीय बैंक साख-मुद्रा पर कैसे नियन्त्रण लागू करता है? परन्तु इससे पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि साख-नियन्त्रण के उद्देश्य क्या-क्या होते हैं।

साख-नियन्त्रण के उद्देश्य (Objects of Credit Control)

इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) आन्तरिक कीमतों में स्थिरता स्थापित करना—जैसा विदित है, आन्तरिक कीमतों में अस्थिरता के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था को बहुत हानि होती है। अतएव साख-नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य देश की आन्तरिक कीमतों में स्थिरता स्थापित करना है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब साख की मात्रा तथा देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के बीच उचित समायोजन स्थापित किया जाय, अर्थात् साख की मात्रा देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि किसी देश में साख की मात्रा व्यापारिक आवश्यकताओं से कम है तो कीमत-स्तर में गिरावट आयेगी। इसके विपरीत, यदि साख की मात्रा व्यापारिक आवश्यकताओं से अधिक है तो इससे कीमत-स्तर में वृद्धि हो जायेगी। इसलिए कीमत स्तर में स्थिरता बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि साख की मात्रा व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार ही हो। केन्द्रीय बैंक को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि साख की मात्रा तथा व्यापारिक आवश्यकताओं के बीच किसी प्रकार की खाई न हो।

(2) विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना - केन्द्रीय बैंक की साख-नियन्त्रण नीति का उद्देश्य विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता स्थापित करना भी हो सकता है। जैसा विदित है, विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता का होना देश के विदेशी व्यापार के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। यदि विदेशी विनिमय दरों में अस्थिरता बनी रहती है तो इससे विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः जिन देशों का विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण है, उन्हें इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि विदेशी विनिमय-दरों में भारी उतार-चढ़ाव न हो

ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय बैंक की साख-नियन्त्रण नीति का उद्देश्य विदेशी विनिमय-दरों में स्थायित्व स्थापित करना होगा।

(3) व्यापार-चक्रों पर नियन्त्रण स्थापित करना—जसा विदित है, पूंजीवादी देशों में व्यापार-चक्रों (trade cycles) के कारण आर्थिक अस्थिरता का वातावरण बना रहता है। इससे देश की अर्थ-व्यवस्था को बहुत हानि होती है। अतः कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि केन्द्रीय बैंक की साख-नियन्त्रण नीति का उद्देश्य व्यापार-चक्रों को दूर अथवा कम करना होना चाहिए। उनके मतानुसार साख की मात्रा को घटा-बढ़ाकर व्यापार-चक्र पर नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है।

(4) आर्थिक नियोजन की सफलता—पिछड़े तथा अल्प-विकसित देशों में केन्द्रीय बैंक की साख-नियन्त्रण नीति का उद्देश्य आर्थिक नियोजन को सफल बनाना होना चाहिए। इन देशों में वित्त के अभाव के कारण आर्थिक विकास की गति प्रायः धीमी हो जाती है। अतएव इस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे देशों में केन्द्रीय बैंक द्वारा साख का विस्तार कर वित्त की समस्या को हल किया जा सकता है।

(5) युद्ध की तैयारी—साख-नियन्त्रण का उद्देश्य साख की मात्रा में वृद्धि करके, देश को युद्ध के लिए तैयार करना भी हो सकता है। आधुनिक युद्ध इतने खर्चीले हो गये हैं कि साख का विस्तार किये बिना उनका पर्याप्त रूप में अर्थ प्रवर्धन (finance) नहीं किया जा सकता। इसी कारण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग सभी देशों ने बड़े पैमाने पर साख का विस्तार किया था। वस्तुतः साख-नियन्त्रण के प्रथम चार उद्देश्यों में अनिच्छित सम्बन्ध है। लेकिन कभी-कभी एक की प्राप्ति करने में दूसरे की अयहेलना का भय रहता है। अतः किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे का ध्यान रखना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से साख-नियन्त्रण नीति का प्रयोग अत्यन्त सावधानी से करना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रहे कि उक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केवल साख-नियन्त्रण नीति से ही काम नहीं चल सकता। उसके साथ ही साथ समुचित राजकोपीय नीति (fiscal policy) भी अपनायी जानी चाहिए।

साख-नियन्त्रण की रीतियाँ (Methods of Credit Control)

अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि साख नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा किन किन रीतियों का प्रयोग किया जाता है।

(1) बैंक दर नीति (Bank Rate Policy)—वास्तव में, बैंक दर नीति साख-नियन्त्रण का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। बैंक-दर से अभिप्राय उस न्यूनतम दर से है जिस पर देश का केन्द्रीय बैंक सम्बद्ध बैंकों की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों को पुनः भुनाने के लिए अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देने के लिए तैयार रहता है। कुछ देशों में बैंक-दर को कटौती-दर (discount rate) भी कहते हैं। बैंक-दर बाजार दर से भिन्न होती है। बाजार-दर से अभिप्राय ब्याज की उस दर से है जिस पर देश के व्यापारिक बैंक तथा मुद्रा बाजार की अन्य संस्थाएँ ट्टिडियों एवं अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों को भुनाने अथवा उनके आधार पर ऋण देने के लिए तैयार रहती हैं। स्पष्ट है कि बैंक-दर तो केन्द्रीय बैंक की पुनः बट्टा दर (rediscount rate) है जबकि बाजार-दर व्यापारिक बका की बट्टा करने की दर होती है। बैंक-दर तथा बाजार-दर में गहरा सम्बन्ध होता है। जब बैंक-दर बढ़ा दी जाती है तब बाजार दर भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत, जब बैंक-दर कम कर दी जाती है, तब बाजार-दर भी कम हो जाती है। बैंक-दर सामान्यतः बाजार-दर से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय बैंक सम्बद्ध बैंकों के लिए अन्तिम ऋणदाता है। ये बैंक केन्द्रीय बैंक से ऋण की माँग तभी करते हैं, जब इनको अन्य संस्थाओं से ऋण उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए केन्द्रीय बैंक उनसे ऊँची दर वसूल करता है। वास्तव में, केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंक-दर एक दण्ड के रूप में वसूल की जाती है।

केन्द्रीय बैंक की बैंक दर के परिवर्तनों से अन्य सभी प्रकार की ब्याज की दरों पर प्रभाव पड़ता है। यदि बैंक-दर में वृद्धि कर दी जाती है तो मुद्रा-बाजार की ब्याज की सभी दरें ऊँची हो जाती हैं। व्यापारियों के लिए ऋणों का लेना महँगा हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप अर्थ-

व्यवस्था में साख का सकुचन होने लगता है। इसके विपरीत, जब बैंक-दर में कमी कर दी जाती है तब मुद्रा बाजार की अन्य व्याज की दरों में भी कमी हो जाती है। व्यापारियों द्वारा ऋणों का लेना लाभदायक हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में साख का विस्तार होने लगता है। इस प्रकार बैंक-दर तथा व्याज की अन्य दरों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। परन्तु स्मरण रहे कि बैंक दर के परिवर्तनों का मुद्रा-बाजार की अन्य व्याज की दरों पर तभी प्रभाव पड़ता है, जबकि उस देश का मुद्रा-बाजार विकसित एवं सगठित होता है। यदि देश का मुद्रा बाजार विकसित एवं गुणगठित नहीं है तो ऐसी दशा में बैंक-दर अन्य दरों को प्रभावित करने में असमर्थ रहती है।

कुछ देशों में केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रत्येक सम्बद्ध बैंक के लिए ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। यदि सम्बद्ध बैंक निर्धारित सीमा से अधिक ऋण की माँग करता है तो केन्द्रीय बैंक उससे बड़ती हुई दर पर व्याज लेता है। जापान, फ्रांस, पीरू एवं कोलम्बिया में इस प्रकार की पद्धति कार्यशील है। इसे बहुमुखी बैंक दर (multiple bank rate) कहते हैं।

बैंक-दर में परिवर्तन क्यों किये जाते हैं—जैसा विदित है समय-समय पर केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंक दर में परिवर्तन किये जाते हैं। इन परिवर्तनों के उद्देश्य निम्नलिखित हुआ करते हैं

(क) विनिमय-दर में सुधार जब विदेशी विनिमय दर देश के प्रतिकूल होती है, तब इसे ठीक करने अथवा देश के अनुकूल बनाने के लिए केन्द्रीय बैंक, बैंक दर में वृद्धि कर देता है। इससे विदेशी पूँजी उस देश की ओर आकर्षित होने लगती है। देशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और परिणामतः विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है।

(ख) स्वर्ण कोष की रक्षा—जब देश का स्वर्ण किसी कारण अधिकाधिक मात्रा में बाहर जाने लगता है, तब उसे रोकने के लिए बैंक-दर में वृद्धि कर दी जाती है। इससे स्वर्ण का निर्यात स्वतः ही बन्द अथवा कम हो जाता है।

(ग) सट्टे पर नियंत्रण जब देश में सट्टा तेजी से होने लगता है तब इससे देश को आर्थिक हानि होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। सट्टेबाज अधिकाधिक मात्रा में व्यापारिक बैंकों से ऋण लेने लगते हैं और व्यापारिक बैंक उस माँग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय बैंक से ऋण लेना आरम्भ कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय बैंक, बैंक-दर में वृद्धि कर देता है। इससे सट्टेबाजों को अधिक व्याज की दर पर रुपया उधार मिलता है जिसके फलस्वरूप सट्टा व्यवसाय स्वतः ही हतोत्साहित हो जाता है।

(घ) प्रतिशोध की भावना (Spirit of Retaliation)—कभी-कभी बैंक-दर में इसलिए वृद्धि कर दी जाती है क्योंकि अन्य देशों में बैंक-दर को बढ़ा दिया जाता है। इसका कारण यह है कि अन्य देशों में बैंक दर के बढ़ जाने से पूँजी का निर्यात उन देशों को होने लगता है। अतः पूँजी के इस निर्यात को रोकने के लिए देश की बैंक-दर में वृद्धि करना अनिवार्य हो जाता है।

अब तक तो हमने उन उद्देश्यों का अध्ययन किया है जिनके कारण बैंक दर में वृद्धि की जाती है। अब हम उन उद्देश्यों की विवेचना करेंगे जिनके कारण बैंक दर में कमी की जाती है।

(क) मुद्रा-बाजार में घनाभाव को दूर करने के लिए—जब किसी देश के मुद्रा बाजार में धन का अभाव उत्पन्न हो जाता है तब ऐसी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बैंक-दर को कम कर दिया जाता है। परिणामतः व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की शक्ति बढ़ जाती है और मुद्रा-बाजार में धन का अभाव कम हो जाता है।

(ख) मुद्रा की माँग में वृद्धि करने के लिए—प्रायः मन्दीकाल में व्यवसायियों अथवा व्यापारियों की मुद्रा की माँग घट जाती है। ऐसी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय बैंक बैंक दर में कमी कर देता है ताकि व्यवसायी तथा व्यापारी लोग अधिक मात्रा में ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित हो।

(ग) विदेशी पूँजी के आयात के लिए—जब किसी देश में बड़े पैमाने पर विदेशी पूँजी का आयात होता है और यह आयात देश के हित में नहीं होना, तब ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय बैंक बैंक दर को कम करके विदेशी पूँजी के आयात को हतोत्साहित करता है।

बैंक-दर में परिवर्तनों के प्रभाव—बैंक-दर में किये गये परिवर्तनों के प्रभाव अग्रलिखित हैं

(क) साख का विस्तार तथा संकुचन—जब बैंक-दर बड़ा हो जाती है, तब मुद्रा की माँग कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि बैंक-दर के बढ़ जाने से ब्याज की अन्य दरें भी बढ़ जाती हैं। परिणामतः व्यवसायियों के लिए बैंको से ऋण लेना लाभप्रद नहीं रहता और वे ऋण लेना कम कर देते हैं। इससे साख संकुचन हो जाता है। इसके विपरीत, जब बैंक-दर कम कर दी जाती है तब ब्याज की अन्य दरें भी कम हो जाती हैं जिससे व्यापारियों के लिए ऋण लेना लाभप्रद हो जाता है और वे पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऋण लेने लगते हैं। इससे साख का विस्तार होने लगता है।

(ख) आन्तरिक कीमत स्तर पर प्रभाव—बैंक दर में कमी हो जाने से साख का विस्तार होता है, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक एवं व्यापारिक-कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। सट्टे की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। परिणामतः आन्तरिक कीमत-स्तर बढ़ने लगता है। इसके विपरीत, जब बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है तो इससे साख का संकुचन होने लगता है। औद्योगिक तथा व्यापारिक कार्य हतोत्साहित होने लगते हैं। परिणामतः आन्तरिक कीमत स्तर में कमी होने लगती है। स्मरण रहे कि बैंक-दर में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मजदूरी में भी परिवर्तन होते हैं। जब बैंक-दर में कमी होती है तब साख एवं उत्पादन के विस्तार के परिणामस्वरूप मजदूरी में भी वृद्धि होने लगती है। इसके विपरीत, जब बैंक-दर में वृद्धि की जाती है तब साख एवं उत्पादन के संकुचन के परिणामस्वरूप मजदूरी में भी कमी होने लगती है।

(ग) पूंजी के प्रवाह पर प्रभाव—जब बैंक-दर में वृद्धि कर दी जाती है तब ब्याज की सभी दरों में वृद्धि हो जाती है, जिससे विदेशी पूंजी देश की ओर आकर्षित होने लगती है। इसके विपरीत जब बैंक-दर में कमी कर दी जाती है तब ब्याज की सभी दरों में कमी हो जाती है और देशी पूंजी विदेशों की ओर आकर्षित होने लगती है।

(घ) विदेशी विनिमय दरों पर प्रभाव—जब बैंक दर बढ़ा दी जाती है तब ब्याज की अन्य दरें भी बढ़ जाती हैं और विदेशों से पूंजी का आयात होने लगता है। इससे देश का अदायगी शेष (balance of payments) अनुकूल हो जाता है और विनिमय की दर भी देश के अनुकूल हो जाती है। इसके विपरीत, जब बैंक-दर कम कर दी जाती है तब ब्याज की अन्य दरें भी कम हो जाती हैं। देशी पूंजी का विदेशों को निर्यात होने लगता है। इससे देश का अदायगी शेष प्रतिकूल हो जाता है और विनिमय की दर भी देश के प्रतिकूल हो जाती है।

बैंक दर नीति के महत्त्व में कमी के कारण—विगत कुछ वर्षों में बैंक-दर नीति का महत्त्व कम हो गया है। अब यह इतनी प्रभावशाली नहीं रही जितनी कि पहले हुआ करती थी। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।

(क) अर्थ-व्यवस्था में लोच की कमी—बैंक दर नीति तभी सफल हो सकती है जबकि देश की अर्थ-व्यवस्था में लोच का अंश हो। यदि देश की अर्थ-व्यवस्था में लोचहीनता उत्पन्न हो जाती है, तब बैंक-दर नीति सफल नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि अर्थ-व्यवस्था में लोचहीनता का कारण बैंक-दर में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उत्पादन, कीमत स्तर इत्यादि पर कम पड़ता है। अतएव साख का इनके साथ समन्वय ठीक ढंग से नहीं हो पाता। परिणामतः बैंक-दर नीति साख का नियन्त्रण प्रभावशाली ढंग से नहीं कर सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् लगभग सभी देशों की अर्थ-व्यवस्था में लोचहीनता उत्पन्न हो गयी थी जिसके फल-स्वरूप बैंक-दर नीति का महत्त्व पहले की अपेक्षा अब कम हो गया है।

(ख) व्यापारिक बैंकों की परिसम्पत्तियों की तरलता—विगत कुछ वर्षों से विभिन्न देशों के व्यापारिक बैंक अपनी परिसम्पत्तियों (assets) को अत्यधिक तरल रूप में रखने लगे हैं। इससे उन्हें केन्द्रीय बैंक से ऋण लेने की अब इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी कि पहले हुआ करती थी अर्थात् व्यापारिक बैंकों की केन्द्रीय बैंक पर निर्भरता पहले की अपेक्षा कम हो गयी है जिसके परिणामस्वरूप बैंक दर नीति का महत्त्व कम हो गया है।

(ग) साख नियन्त्रण की अन्य रीतियों का उदय—विगत कुछ वर्षों में साख नियन्त्रण की कुछ अन्य रीतियों का उदय हुआ है जो बैंक दर नीति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। अतः बैंक-दर नीति को पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है।

(घ) व्याज की दर में वृद्धि—कभी-कभी व्यापारिक बैंक, बैंक-दर में की गयी वृद्धि के प्रभाव को अपने जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशियों पर ऊँची व्याज-दर देकर तटस्थ (neutralise) कर देते हैं। जब बैंक जमाकर्ताओं को ऊँची व्याज की दर का आकर्षण प्रस्तुत करते हैं, तब उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में निक्षेप (deposits) उगलव्य होने लगते हैं, जिससे उनकी साख-निर्माण-शक्ति बढ़ जाती है और वे पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में साख का सृजन करने लगते हैं। इस प्रकार व्यापारिक बैंक बैंक-दर में की गयी वृद्धि को निष्प्रभावित (ineffective) कर देते हैं।

(ङ) बैंक दर नीति का प्रभाव तात्कालिक नहीं होता—चूँकि बैंक-दर नीति का प्रभाव तात्कालिक नहीं होता, इसलिए भी इसका महत्व कम है। मौद्रिक क्षेत्र में तो वही नीति कारगर सिद्ध हो सकती है जिसका प्रभाव तात्कालिक होता है।

(च) व्यापारिक बैंकों की केन्द्रीय बैंक पर निर्भरता में कमी—जैसा स्पष्ट है, बैंक-दर नीति तभी सफल हो सकती है जबकि व्यापारिक बैंक तथा अन्य सस्पाएँ, ऋणों के लिए केन्द्रीय बैंक पर निर्भर रहती हैं। परन्तु आजकल ऐसे प्रथम श्रेणी के बहुत से बैंक स्थापित हो चुके हैं जिनकी केन्द्रीय बैंक पर निर्भरता बहुत कम रहती है। इस प्रकार बैंक दर-नीति का महत्व स्वतः ही कम हो जाता है।

(छ) नगद साख तथा ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का अधिक उपयोग—आजकल आन्तरिक व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध करने में विनिमय बिलों का महत्व घटता जा रहा है। इसके विपरीत, आन्तरिक व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध अधिकाधिक मात्रा में नगद-साख तथा ओवरड्राफ्ट ऋणों द्वारा किया जाता है। इससे बैंक-दर नीति की सप्रभाविकता कम हो जाती है, क्योंकि अब केन्द्रीय बैंक से विनिमय बिलों को पुनः भुनाने की आवश्यकता इतनी नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी।

बैंक दर नीति की परिसीमाएँ—ये निम्नलिखित हैं

(क) देश की अर्थ-व्यवस्था में लोच—बैंक दर नीति की सफलता के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि देश की अर्थ-व्यवस्था पूर्णतः लोचदार होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि लोचदार अर्थ-व्यवस्था में बैंक-दर में हुए परिवर्तनों का प्रभाव उत्पादन, मजदूरियों, कीमतों, व्यापार तथा व्याज की दरों पर पड़ता है। यदि देश की अर्थ-व्यवस्था लोचहीन है तब बैंक दर में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव इन चीजों पर अधिक नहीं पड़ेगा। परिणामतः बैंक-दर नीति सफल नहीं हो सकेगी।

(ख) बैंक-दर में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार मुद्रा-बाजार की व्याज की अन्य दरों में परिवर्तन—बैंक-दर नीति की सफलता की एक शर्त यह भी है कि बैंक दर में होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ मुद्रा बाजार की अन्य व्याज की दरों में भी उसी दिशा में परिवर्तन होने चाहिए जिस दिशा में बैंक-दर में परिवर्तन हुए हैं, अर्थात् यदि बैंक-दर में वृद्धि कर दी गयी है तो अन्य व्याज-दरों में भी वृद्धि होनी चाहिए। इसके विपरीत, यदि बैंक दर में कमी की जाती है तो अन्य व्याज-दरों में भी कमी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, मुद्रा-बाजार की व्याज दरें बैंक दर के अनुकूल होनी चाहिए। परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जब मुद्रा-बाजार पूर्ण रूप से विकसित एवं संगठित हो। यदि देश का मुद्रा-बाजार विकसित एवं सुसंगठित नहीं है तो बैंक-दर तथा व्याज की अन्य दरों में ऐसा सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकेगा। उदाहरणार्थ, भारत में एक विकसित एवं सुसंगठित मुद्रा-बाजार के अभाव के कारण बैंक-दर तथा व्याज की अन्य दरों में कोई सीधा सम्बन्ध सम्भव नहीं है।

बैंक-दर नीति का इतिहास सन् 1914 से पूर्व बैंक-दर नीति साध्य-निदन्त्रण का एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करती थी। विशेषकर ग्रेट ब्रिटेन में इस नीति को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। परन्तु विश्व के अन्य देशों में बैंक-दर नीति इतनी सफल नहीं हो सकी जितनी कि ग्रेट ब्रिटेन में। इसका कारण यह था कि अन्य देशों में न तो अर्थ-व्यवस्थाएँ इतनी लोचपूर्ण थीं जितनी कि ग्रेट ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था थी और न ही मुद्रा-बाजार इतने विकसित थे जितना कि ग्रेट ब्रिटेन का मुद्रा बाजार। आजकल तो बैंक-दर नीति का महत्व और भी कम हो चुका है। इसकी तुलना में साख नियन्त्रण की अन्य रीतियाँ अधिक लोकप्रिय होती जा रही हैं। प्रो० केन्स (Keynes) के अनुसार बैंक दर नीति साख-निदन्त्रण का एक एडिवादी उपाय है। उनके मतानुसार देश की आर्थिक स्थिरता के लिए वृत्त और निवेश का पारस्परिक सन्तुलन अत्यन्त आवश्यक है और यह

सन्तुलन बैंक दर नीति तथा साख नियन्त्रण के अन्य उपायो द्वारा ही स्थापित नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए सरकार को प्रत्यक्ष रूप में निवेशो (investments) की व्यवस्था करनी चाहिए। मन्दीकाल में सांवेजनिक कार्यों (public works) का विकास करना चाहिए। इस प्रकार प्रो० केन्ज बैंक-दर नीति को कोई अधिग्रहण नहीं देते। लेकिन यहाँ पर यह कह देना उचित ही होगा कि बैंक-दर नीति का महत्त्व अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। अब भी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति के बीच सम वय स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध, विशेषकर सन् 1950 के बाद, मुद्रा-स्फीति का मुकाबला करने के लिए बैंक-दर नीति का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है।

(2) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)—यह भी साख नियन्त्रण का एक महत्त्वपूर्ण उपाय है। इस रीति का उपयोग विभिन्न देशों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था। खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ इस प्रकार है। जब केन्द्रीय बैंक अथवा सरकार खुले बाजार में प्रतिभूतियों (securities) का क्रय-विक्रय करती है तब इसे खुले बाजार की क्रियाएँ कहते हैं। परन्तु यह इसका विस्तृत अर्थ है। इसको मकुचित अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। जब केन्द्रीय बैंक अथवा सरकार मुद्रा बाजार में केवल सरकारी प्रतिभूतियों का ही क्रय विक्रय करती है, तब इसे खुले बाजार की क्रियाएँ कहते हैं।

केन्द्रीय बैंक साख का नियन्त्रण करने के लिए खुले बाजार की क्रियाओं का इस प्रकार प्रयोग करता है—मान लीजिए कि मुद्रा बाजार में द्रव्य की बहुतायत है और सम्बद्ध बैंक बड़े पैमाने पर साख का सृजन कर रहे हैं परन्तु केन्द्रीय बैंक बड़े पैमाने पर साख के इस निर्माण के विरुद्ध है, क्योंकि वह समझता है कि अधिक मात्रा में किया जाने वाला साख का निर्माण देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक है। अतः केन्द्रीय बैंक ऐसी परिस्थिति में प्रतिभूतियों (securities) को बाजार में बेचना शुरू कर देगा। इसका परिणाम यह होगा कि बड़े पैमाने पर द्रव्य का हस्तान्तरण केन्द्रीय बैंक को होने लगेगा, क्योंकि जो लोग केन्द्रीय बैंक द्वारा बेची जाने वाली प्रतिभूतियों को खरीदेंगे उन्हें केन्द्रीय बैंक को इनकी कीमत चुकानी होगी। इस प्रकार सम्बद्ध बैंकों से केन्द्रीय बैंक की ओर मुद्रा का हस्तान्तरण होने लगेगा। सम्बद्ध बैंकों की जमा राशियाँ कम हो जायेंगी और परिणामतः उनकी साख सृजन की शक्ति भी कम हो जायगी। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को बेचने की नीति का परिणाम साख-सकुचन होता है।

इसके विपरीत, यदि केन्द्रीय बैंक समझता है कि मुद्रा-बाजार में द्रव्य की कमी है और इसी कारण साख का निर्माण कम मात्रा में हो रहा है तो वह मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदना आरम्भ कर देगा। इससे केन्द्रीय बैंक से मुद्रा-बाजार की ओर द्रव्य का हस्तान्तरण आरम्भ हो जायगा। इसका कारण यह है कि जब केन्द्रीय बैंक साधारण जनता अथवा बैंकों से प्रतिभूतियों को खरीदता है तब उस समय उसे इन प्रतिभूतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। परिणामतः सम्बद्ध बैंकों की जमा राशियाँ बढ़ जाती हैं और बड़ी हुई जमा राशियों के आधार पर सम्बद्ध बैंक अधिक मात्रा में साख का सृजन करने लगते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक की प्रतिभूतियों को खरीदने की नीति का स्पष्ट परिणाम साख विस्तार होता है।

खुले बाजार की क्रियाओं के उद्देश्य—खुले बाजार की क्रियाओं के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

(क) स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात तथा निर्यात के प्रभावों को दूर करना—स्वर्ण मान के अन्तर्गत जब देश में सोने का आयात होता है तब उसके परिणामस्वरूप मुद्रा एव साख का परिमाण भी बढ़ जाता है। कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। यदि केन्द्रीय बैंक समझता है कि कीमतों में होने वाली यह वृद्धि देश के हित में नहीं है तो वह प्रतिभूतियों को बेचकर मुद्रा एव साख मुद्रा की पूर्ति को कम कर सकता है। इसमें कीमत स्तर में स्वतः ही गिरावट आ जाती है। इसके विपरीत, यदि देश से सोने का निर्यात होता है तब मुद्रा एव साख की मात्रा कम होने लगती है और कीमत स्तर में गिरावट आ जाती है। यदि केन्द्रीय बैंक समझता है कि कीमतों की यह गिरावट देश के हित में नहीं है तो वह मुद्रा तथा साख की कमी को दूर करने के लिए प्रतिभूतियों को खरीदना आरम्भ कर देता है। इससे मुद्रा तथा साख की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और अन्ततः कीमत स्तर भी बढ़ने लगता है।

(ख) पूँजी के निर्यात पर रोक लगाना—यदि किसी देश में बड़े पैमाने पर विदेशों को

पूँजी का निर्यात हो रहा है और केन्द्रीय बैंक समझता है कि पूँजी का यह निर्यात देश के हित में नहीं है तो वह ऐसी परिस्थिति में प्रतिभूतियों को वेचकर मुद्रा-बाजार से अतिरिक्त (Surplus) मुद्रा अपनी ओर खींच सकता है।

(ग) बैंक पर दौड़ को रोकना—जब किसी कारणवश लोगों में घबराहट पैदा हो जाती है तो वे बैंक से अपने निक्षेप (deposits) निकालने के लिए दौड़ पड़ते हैं (run on the banks), तब बैंको के लिए एक अत्यन्त खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो बैंक इस स्थिति का मुकाबला करने में असमर्थ रहते हैं और फेल भी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय बैंक बाजार से बड़े पैमाने पर प्रतिभूतियों को खरीदना आरम्भ कर देता है। इससे मुद्रा-बाजार की ओर द्रव्य का हस्तांतरण होने लगता है। जनता में पुनः विश्वास उत्पन्न हो जाता है। सम्बद्ध बैंको पर दौड़ समाप्त हो जाती है और वे आधिक सक्रिय से बच जाते हैं।

(घ) मुद्रा बाजार में मुद्रा की कमी को दूर करना जब किसी समय मुद्रा बाजार में मुद्रा की कमी उत्पन्न हो जाती है और उसके परिणामस्वरूप व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, तब ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदकर मुद्रा-बाजार में मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देता है।

(ङ) बैंक-दर को सफल बनाना - जब कभी बैंक दर साख का नियन्त्रण करने में अयफल रहती है, तब इसे सफल बनाने के लिए खुले बाजार की क्रियाओं का भी उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, जब बैंक दर में की गयी वृद्धि के परिणामस्वरूप सम्बद्ध बैंक व्याज की दरों को नहीं बढ़ाते तब केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को वेचकर उनकी अतिरिक्त निधि को कम कर देता है। परिणामतः सम्बद्ध बैंको को व्याज की दरें बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ता है।

खुले बाजार की नीति बनाम बैंक दर की नीति—(Open Market Operations vs. Bank Rate Policy)—विगत कुछ वर्षों में खुले बाजार की क्रियाओं का महत्त्व बढ़ गया है। इसके दो मुख्य कारण हैं प्रथम खुले बाजार की नीति बैंक-दर की अपेक्षा अधिक सुदृढ़, सन्धिय तथा प्रत्यक्ष होती है। जब बैंक दर में कोई परिवर्तन किया जाता है तब व्याज की अल्पकालीन दरों पर इसका प्रभाव तुरन्त पड़ता है। परन्तु व्याज की दीर्घकालीन दरों पर यह प्रभाव काफी समय के बाद ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ तक व्याज की अल्पकालीन दरों का सम्बन्ध है, बैंक-दर नीति काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई है, परन्तु व्याज की दीर्घकालीन दरों पर बैंक-दर नीति का प्रभाव इतना शीघ्र नहीं पड़ता जितना कि अल्पकालीन दरों पर। इसकी तुलना में खुले बाजार की क्रियाओं का अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार की व्याज की दरों पर तुरन्त एवं प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। द्वितीय खुले बाजार की क्रियाएँ स्वतन्त्र रूप से कार्यशील होती हैं, अर्थात् खुले बाजार की क्रियाएँ बिना किसी अन्य रीति की सहायता के साख का नियन्त्रण करने में समर्थ होती हैं। खुले बाजार की नीति के इस गुण के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में कुछ मतभेद हैं। प्रो० कै-ज (Keynes) के अनुसार, 'खुले बाजार की नीति किसी अन्य रीति की सहायता के बिना साख का उचित नियन्त्रण कर सकती है। इसके विपरीत प्रो० हार्ट (Hawtrey) का यह विचार है कि खुले बाजार की नीति बिना अन्य रीतियों की सहायता के बिना साख का उचित नियन्त्रण नहीं कर सकती। वास्तव में, बैंक-दर नीति खुले बाजार की नीति आपस में प्रतियोगी न होकर, एक-दूसरे की पूरक हैं। दूसरे शब्दों में बैंक दर नीति तथा खुले बाजार की नीति दोनों का प्रयोग एक साथ होना चाहिए, तभी साख को प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

खुले बाजार की क्रियाओं की परिसीमाएँ—खुले बाजार की नीति तब ही सफल हो सकती है जब कुछ शर्तें पूरी की जायें। ये शर्तें इस प्रकार हैं

(क) प्रतिभूतियों की माँग तथा पूर्ति सर्वत्र निश्चिन्त होनी चाहिए। खुले बाजार की नीति तब ही सफल हो सकती है जब बाजार में प्रतिभूतियों की माँग तथा पूर्ति दोनों ही विद्यमान हों। यदि मुद्रा-बाजार में प्रतिभूतियों की माँग ही नहीं है तो केन्द्रीय बैंक द्वारा बेचे जाने पर उन्हें कोई नहीं खरीदेगा। इसी प्रकार यदि मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों की पूर्ति ही नहीं है तो केन्द्रीय बैंक द्वारा खरीदे जाने पर प्रतिभूतियों को बेचने वाला ही कोई नहीं होगा।

(ख) खुले बाजार की क्रियाओं से सम्बद्ध बैंकों के नकद-कोष प्रभावित होने चाहिए—

खुले बाजार की नीति की सफलता की दूसरी शर्त यह है कि इससे सम्बद्ध बैंकों के नकद-कोष प्रभावित होने चाहिए, क्योंकि यदि केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचना है तो सम्बद्ध बैंकों के नकद-कोष कम हो जाना चाहिए। परन्तु यह सम्भव है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को बेचने पर भी सम्बद्ध बैंकों के नकद-कोष कम न हों। उदाहरणार्थ, यदि लोग केन्द्रीय बैंक द्वारा बेची जाने वाली प्रतिभूतियों का जमान संचित कोषों से खरीदते हैं तो इससे सम्बद्ध बैंकों के नकद-कोष कम नहीं होंगे। इसी प्रकार यदि देश का अदायगी शेष (balance of payments) अनुकूल है और विदेशों से रुक्या आ रहा है तो केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के बेचने पर भी सम्बद्ध बैंकों के नकद-कोषों में कमी नहीं होगी। इसके विपरीत, जब केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदना है, तब सम्बद्ध बैंकों के नकद-कोषों में वृद्धि होगी चाहिए, परन्तु सम्भव है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदने के बावजूद सम्बद्ध बैंकों के नकद-कोषों में वृद्धि न हो। हो सकता है कि इसी बीच लोग मुद्रा का संग्रह करना आरम्भ कर दें। यह भी हो सकता है कि अदायगी शेष प्रतिबन्ध होने पर देश से पूँजी का निर्यात होने लगे। इन प्रकार खुले बाजार की क्रियाएँ तभी सफल हो सकती हैं जबकि इन निर्यातों के परिणामस्वरूप सम्बद्ध बैंकों के नकद-कोषों में भी परिवर्तन हो।

(ग) सम्बद्ध बैंकों की ऋण-नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए—खुले बाजार की नीति की सफलता की तीसरी शर्त यह है कि सम्बद्ध बैंकों की ऋण देने की नीति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि सम्बद्ध बैंकों की ऋण-नीति में परिवर्तन हो जाता है तो खुले बाजार की नीति सफल नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदकर सम्बद्ध बैंकों के नकद-कोषों में वृद्धि कर देता है, ताकि वे अधिक मात्रा में साख का सृजन करें। परन्तु यदि सम्बद्ध बैंक किसी कारणवश अपने ग्राहकों को ऋण देना कम कर देते हैं तो फिर उनके नकद-कोषों के बटन पर भी साख का निर्माण अधिक मात्रा में नहीं हो सकेगा।

(घ) ग्राहकों की ऋण सम्बन्धी माँग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए—खुले बाजार की नीति की सफलता की चौथी शर्त यह है कि ग्राहकों की ऋण लेने की नीति में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ग्राहकों की ऋण लेने की नीति में कोई परिवर्तन होता है, तो उनसे खुले बाजार की नीति सफल नहीं हो सकेगी। उदाहरणार्थ, मान लीजिये कि केन्द्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदकर सम्बद्ध बैंकों के नकद-कोषों को बटा देता है, ताकि वे अधिक मात्रा में साख का सृजन कर सकें। परन्तु यदि देश की अनिश्चित आर्थिक एवं राजनीतिक दशा के कारण ग्राहक बैंक से ऋण लेना बन्द अथवा कम कर देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में साख की मात्रा का नहीं बढ़ाया जा सकता, हालांकि सम्बद्ध बैंकों के नकद-कोषों में वृद्धि हो चुकी है। इस प्रकार सम्बद्ध बैंक के पास फालतू धन पड़ा रहेगा और केन्द्रीय बैंक साख विस्तार के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। यही कारण है कि मन्दीकाल में केन्द्रीय बैंक भरसक प्रयत्नों के बावजूद साख के निर्माण में वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे समय ग्राहक अनिश्चित वातावरण के कारण ऋण लेना पसन्द नहीं करते।

(ङ) मुद्रा बाजार विक्रियत एवं सुसंगठित होना चाहिए—खुले बाजार की नीति की सफलता की पाँचवीं शर्त यह है कि देश का मुद्रा बाजार विक्रियत एवं सुसंगठित होना चाहिए। केन्द्रीय बैंक तथा सम्बद्ध बैंकों में घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए। विल-बाजार भी सुव्यवस्थित होना चाहिए। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती, तब तक केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार की नीति सफल नहीं हो सकती।

(च) केन्द्रीय बैंक को प्रतिभूतियाँ बेचने व खरीदने की शक्ति असीमित होनी चाहिए—खुले बाजार की नीति की सफलता की छठी शर्त यह है कि केन्द्रीय बैंक की प्रतिभूतियाँ बेचने व खरीदने की शक्ति असीमित होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय बैंक मुद्रा-बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिभूतियाँ खरीदने व बेचने में समर्थ होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि केन्द्रीय बैंक अधिक मात्रा में प्रतिभूतियाँ खरीदना चाहता है, परन्तु ऐसा करने के लिए उसके पास आवश्यक धन का अभाव है तो ऐसी परिस्थिति में वह मुद्रा-बाजार में से इच्छित मात्रा में प्रतिभूतियाँ नहीं खरीद सकेगा और परिणामतः मुद्रा-बाजार में साख का विस्तार नहीं हो सकेगा।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि खुले-बाजार की नीति को सफल बनाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना अनिवार्य हो जाता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इन शर्तों के अभाव में केन्द्रीय बैंक साख का नियन्त्रण करने में बिसकुल ही असमर्थ होता है। स्मरण रहे कि केन्द्रीय बैंक की शक्ति व साधन इतने विशाल होते हैं कि वह इन सभी शर्तों के पूरा न होने पर भी कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य ही साख का नियन्त्रण कर सकता है। उदाहरणार्थ भारत में यद्यपि एक विकसित एवं सुसंगठित मुद्रा-बाजार का अभाव है, लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक कुछ न कुछ मात्रा में साख का नियन्त्रण अवश्य ही कर सकता है।

सन् 1930 से पूर्व विश्व के कुछ गिने चुने देशों के केन्द्रीय बैंकों द्वारा ही खुले बाजार की नीति अपनायी जाती थी, परन्तु सन् 1930 के बाद लगभग सभी देशों में केन्द्रीय बैंकों को खुले बाजार की क्रियाओं की नीति का अनुकरण करने का अधिकार दिया गया था। यद्यपि अधिकांश केन्द्रीय बैंक केवल सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रम करते हैं, लेकिन कुछ देशों के केन्द्रीय बैंक (जैसे जापान, आस्ट्रेलिया, डेनमार्क) पूर्णतः निजी प्रतिभूतियाँ भी खरीद अथवा बेच सकते हैं।

खुले बाजार की क्रियाओं का जितना प्रयोग अमरीका एवं कनाडा में होता है उतना विश्व के अन्य किसी देश में नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि न्यूयार्क का मुद्रा-बाजार बहुत ही विकसित एवं सुसंगठित है। अन्य देशों में खुले बाजार की नीति को कोई अधिक सफलता नहीं मिली है।

(3) बैंक की प्रारक्षित-निधियों के अनुपात में परिवर्तन (Changes in the Ratio of Bank's Reserves)—यह भी साख नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। सर्वप्रथम, प्रो० केन्ज ने इस उपाय का सुझाव रखा था। आजकल लगभग सभी केन्द्रीय बैंकों द्वारा साख नियन्त्रण के लिए इस उपाय का उपयोग किया जाता है। जैसा विदित है, सभी सम्बद्ध बैंक अपनी जमाराशियों का एक निश्चित प्रतिशत बैंक के पास प्रारक्षित-निधि (reserve fund) के रूप में रखते हैं। केन्द्रीय बैंक इन प्रारक्षित-निधियों के अनुपात में समय-समय पर परिवर्तन करता रहता है। यदि केन्द्रीय बैंक समझता है कि साख का सृजन आवश्यकता से अधिक हो रहा है तो सम्बद्ध बैंकों की प्रारक्षित निधियों के अनुपात को बड़ा देता है। इससे सम्बद्ध बैंकों को केन्द्रीय बैंक के पास अधिक मात्रा में प्रारक्षित निधियाँ रखनी पड़ती हैं जिससे उनके नकद कोषों में कमी हो जाती है। परिणामतः उनकी साख-सृजन की शक्ति भी कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि केन्द्रीय बैंक समझता है कि साख का सृजन आवश्यकता से कम मात्रा में हो रहा है तो वह सम्बद्ध बैंकों की प्रारक्षित निधियों के अनुपात को कम कर देता है। इससे सम्बद्ध बैंकों के पास नकद कोष बढ जाते हैं। परिणामतः उनकी साख सृजन की शक्ति भी बढ जाती है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक प्रारक्षित निधियों के अनुपात को घटा बढाकर साख सृजन की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। वास्तव में बैंक दर नीति तथा खुले बाजार की क्रियाओं के बाद यह एक महत्वपूर्ण उपाय है। सर्वप्रथम, सन् 1935 में इस उपाय का उपयोग अमरीका के फेडरल रिजर्व सिस्टम (Federal Reserve System) द्वारा किया गया था। इसके उपरान्त अन्य देशों में भी बड़े पैमाने पर साख नियन्त्रण के लिए इस उपाय का उपयोग किया जा रहा है। चूंकि इस नीति को अपनाने से सभी सम्बद्ध बैंकों पर प्रभाव पड़ता है अतः केन्द्रीय बैंक को इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए।

(4) तरल कोषानुपात पद्धति (Liquidity Ratio System)—दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साख-नियन्त्रण की एक अन्य पद्धति का आविष्कार किया गया था। इसके अधीन, सम्बद्ध बैंकों को अपनी सम्पत्ति का एक निश्चित भाग तरल रूप में अनिवार्यतः रखना पड़ता है। इस तरल भाग में नकद-राशि एवं कुछ सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि सम्बद्ध बैंकों को अपने निक्षेपों का एक निश्चित भाग नगदी एवं सरकारी प्रतिभूतियों में रखना पड़ता है। उस सीमा तक उनकी साख-सृजन शक्ति कम हो जाती है। सरकार को इससे यह लाभ होता है कि बैंकों द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतियाँ अनिवार्य रूप में खरीदी जाती हैं।

साख-नियन्त्रण के रूप में इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम सन् 1946 में ब्रिजियम द्वारा किया गया था। तदुपरान्त, सन् 1947 एवं 1948 में इसका प्रयोग नमश इटली तथा फ्रांस द्वारा किया गया था। इसके बाद समय-समय पर अन्य देशों में भी इसे अपनाया था। यूरोप में

केन्द्रीय बैंको को इस नीति से पर्याप्त सफलता मिली है। वास्तव में, यह नीति विकासशील देशों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इससे एक ओर तो सरकार को बैंको से ऋण लेने में सहायता मिलती है और दूसरी ओर केन्द्रीय बैंक सम्बद्ध बैंको के तरल कोषों पर समुचित नियन्त्रण भी रख सकता है।

(5) उपभोक्ता साख का नियमन (Regulation of Consumer Credit) — सर्वप्रथम इस रीति का प्रयोग दूसरे महायुद्ध के दौरान अमरीका में किया गया था। इस रीति का उपयोग प्रायः मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। जैसा विदित है, मुद्रा स्फीति के समय उपभोग्य वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। इस रीति का उद्देश्य साख नियन्त्रण द्वारा उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों को नीचे लाना होता है। इसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुओं की कीमतों की अदायगी में विस्तृत साख सम्बन्धी सुविधाओं की कमी कर दी जाती है, अर्थात् कीमत चूकान में पहले उपभोक्ताओं को जो किस्त-सम्बन्धी सुविधाएँ (instalment facilities) दी जाती थीं, उन्हें कम कर दिया जाता है। इससे उपभोक्ताओं की वस्तु सम्बन्धी माँग में कमी हो जाती है और मुद्रा स्फीति के कुप्रभावों को रोकने में काफी सहायता मिलती है। अमरीका के अतिरिक्त ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा वेल्जियम आदि देशों में मुद्रा स्फीति के कुप्रभावों को कम करने के लिए इस रीति का उपयोग किया गया है।

(6) प्रतिभूति ऋणो (Secured Loans) की सीमान्त आवश्यकताओं में परिवर्तन करना— इस रीति का उपयोग भी सर्वप्रथम अमरीका में ही किया गया था। इसके अन्तर्गत, सट्टा-कार्यों को हतोत्साहित करने के लिए साख का नियन्त्रण किया जाता है। यदि केन्द्रीय बैंक समनता है कि सम्बद्ध बैंको को सट्टा-कार्यों के लिए ऋण प्रदान नहीं करने चाहिए अथवा कम मात्रा में करने चाहिए तो ऐसी परिस्थिति में इन ऋणों के पीछे रखी जान वाली प्रतिभूतियों के मार्जिन (margin) अथवा अन्तर में वृद्धि कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में यदि कोई व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के लिए बैंक से ऋण लेना चाहता है तो उसे अब ऋण लेने के लिए अधिक मात्रा में प्रतिभूतियाँ बैंक के पास रखनी होंगी। इससे सट्टा कार्यों के लिए साख का निर्माण स्वतः ही हतोत्साहित हो जायगा।

(7) साख का राशनिंग (Rationing of Credit) — कभी कभी साख नियन्त्रण करने के लिए केन्द्रीय बैंक साख का राशनिंग भी कर देता है। जैसा विदित है, केन्द्रीय बैंक अन्तिम ऋणदाता होता है और आवश्यकता पड़ने पर सभी सम्बद्ध बैंक इससे ऋण लेते हैं। अतः केन्द्रीय बैंक साख का राशनिंग कर सकने की स्थिति में हाता है। विशेषकर मुद्रा स्फीति के समय जबकि अत्यधिक मात्रा में सम्बद्ध बैंको द्वारा साख का सृजन किया जाता है, तब इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक साख का राशनिंग कर देता है। केन्द्रीय बैंक साख का राशनिंग कई विधियों से कर सकता है— (क) केन्द्रीय बैंक किसी विशेष सम्बद्ध बैंक की पुनः भुनाने की सुविधा को पूर्णतः समाप्त कर सकता है (ख) केन्द्रीय बैंक सभी बैंकों की पुनः भुनाने की सुविधा को कम कर सकता है (ग) केन्द्रीय बैंक विभिन्न सम्बद्ध बैंकों के लिए साख का कौटा (quota) निश्चित कर सकता है (घ) केन्द्रीय बैंक विभिन्न उद्योगों अथवा व्यवसायों के लिए साख की सीमा निश्चित कर सकता है। इस प्रकार साख का राशनिंग करके केन्द्रीय बैंक साख की मात्रा को नियन्त्रित करने में सफल हो जाता है परन्तु स्मरण रहें कि साख राशनिंग में केन्द्रीय बैंक को कोई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ केन्द्रीय बैंक को सभी सम्बद्ध बैंक की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना पड़ता है। यह कोई आसान काम नहीं होता।

(8) विज्ञापन एवं प्रचार (Publicity and Propaganda) — यह भी साख नियन्त्रण का एक साधन माना जाता है। यदि केन्द्रीय बैंक चाहता है कि सम्बद्ध बैंक उसकी साख-सम्बन्धी नीति का सही ढंग से अनुसरण करें तो उस बड़े पैमाने पर अपनी नीति का प्रचार तथा विज्ञापन करना पड़ता है। किसी भी नीति को सफल बनाने के लिए उसके पक्ष में जनमत तैयार करना पड़ता है और जनमत तैयार करने के लिए विज्ञापन तथा प्रचार अनिवार्य साधन माने जाते हैं। इसीलिए केन्द्रीय बैंक समय-समय पर देश की आर्थिक स्थिति के बारे में विचार व्यक्त करता है और इसके प्रकाशनों (publications) को देश के बैंकों तथा अन्य सस्थाओं में वितरित किया

जाता है ताकि वे केन्द्रीय बैंक के विचारों से अवगत रहे। अमरीका तथा जर्मनी में इस रीति का केन्द्रीय बैंको द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

(9) नैतिक दबाव तथा समझाने-बुझाने की नीति (Moral Persuasion)—कभी-कभी केन्द्रीय बैंक सम्बन्ध बैंको को समझाने-बुझाकर एव नैतिक दबाव डालकर उन्हें इस बात के लिए राजी कर लेता है कि वे उसकी साख-सम्बन्धी नीति का स्पेच्छापूर्वक अनुसरण करें। चूंकि केन्द्रीय बैंक मुद्रा-बाजार का नेतृत्व करता है और इसके पास विशाल आर्थिक साधन होते हैं, अतएव सम्बद्ध बैंक इसके द्वारा दिये गये परामर्श की आतानी से उपेक्षा नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ, यदि सम्बद्ध बैंक बड़े पैमाने पर सटोरियों (speculators) को खूण दे रहे ह, परन्तु केन्द्रीय बैंक इसे उचित नहीं समझता तो वह सम्बद्ध बैंको को यह परामर्श दे सकता है कि वे सटोरियों को खूण देना बन्द कर दें अथवा कम कर दें। अब सम्बद्ध बैंक केन्द्रीय बैंक के इस परामर्श की उपेक्षा नहीं कर सकते। परन्तु इस रीति का उपयोग तभी किया जा सकता है जब केन्द्रीय बैंक को सम्बद्ध बैंको का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। जिन देशों में सम्बद्ध बैंको की सरवा अधिक् होती है, वहां पर यह रीति अधिक कारगर सिद्ध नहीं होती।

(10) सीधी कार्यवाही (Direct Action)—जब सम्बद्ध बैंको पर नैतिक दबाव अथवा समझाने-बुझाने की नीति का कुछ भी अवर नहीं पड़ता, तब विवश होकर केन्द्रीय बैंक को उनके विरुद्ध प्रत्यक्ष अथवा सीधी कार्यवाही करनी पड़ती है। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक असहयोगी बैंको को हण्डियों का पुन वट्टा करना बन्द कर देता है और उनके कार्यों पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा देता है। इस प्रकार सम्बद्ध बैंक केन्द्रीय बैंक के आदेशों की उपेक्षा नहीं कर सकते। प्राय केन्द्रीय बैंक इस रीति का उपयोग उस समय करता है जबकि उसे साख का समुचन करना होता है और ऐसा करने में सम्बद्ध बैंक उसे पर्याप्त सहयोग नहीं देते।

इस प्रकार हम देखते हैं कि साख नियन्त्रण के कई उपाय हैं। इनमें से कुछ उपाय तो तुरन्त ही प्रभावकारी होते हैं और कुछ का प्रभाव कुछ समय पश्चात् ही दिखाई देता है। किसी केन्द्रीय बैंक को साख नियन्त्रण की किस रीति को अपनाना चाहिये यह उस देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। परन्तु एक बात स्पष्ट है, साख का नियन्त्रण करने के लिए किसी एक रीति को नहीं अपनाया जा सकता। साख का प्रभावशाली नियन्त्रण करने के लिए तो विभिन्न रीतियों का उचित सम्मिश्रण ही सही नीति है।

परिमाणात्मक तथा गुणात्मक साख-नियन्त्रण (Quantitative and Qualitative Credit Control)

साख-नियन्त्रण के विभिन्न उपायों को प्राय दो शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जाता है

(क) परिमाणात्मक साख-नियन्त्रण (Quantitative Credit Control)—परिमाणात्मक साख नियन्त्रण से अभिप्राय साख की मात्रा पर नियन्त्रण करने से है। यदि सम्बद्ध बैंको द्वारा अत्यधिक मात्रा में साख का निर्माण किया जा रहा है तो केन्द्रीय बैंक इसकी मात्रा को कम कर सकता है। इसके विपरीत, यदि सम्बद्ध बैंको द्वारा साख का निर्माण कम मात्रा में किया जा रहा है तो केन्द्रीय बैंक साख की मात्रा को बढ़ा सकता है। इस प्रकार परिमाणात्मक साख-नियन्त्रण का उद्देश्य साख की कुल मात्रा पर नियन्त्रण स्थापित करना होता है। बैंक-दर खुल बाजार की क्रियाएँ, सम्बद्ध बैंको की प्रारक्षित निधियों के अनुपात में परिवर्तन इत्यादि परिमाणात्मक साख नियन्त्रण के साधन हैं। परिमाणात्मक साख नियन्त्रण का उपयोग मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा-अवस्फीति को रोकने के लिए किया जाता है।

(ख) गुणात्मक साख-नियन्त्रण (Qualitative Credit Control)—परिमाणात्मक साख-नियन्त्रण का एक मुख्य दोष यह है कि यह सभी प्रकार के उद्योगों तथा व्यवसायों पर एक साथ लागू होता है। उदाहरणार्थ यदि केंद्रीय बैंक साख का विस्तार करना है तो यह सभी उद्योगों तथा व्यवसायों पर लागू होता है। इसी प्रकार जब केन्द्रीय बैंक साख का समुचन करता है तब सभी उद्योग तथा व्यवसाय एव साख प्रभावित होते हैं। कभी-कभी सभी उद्योगों तथा व्यवसायों के लिए साख का समुचन उचित नहीं होता, अर्थात् कुछ विशेष उद्योगों तथा व्यवसायों के लिए साख के विस्तार की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य उद्योगों तथा व्यवसायों के लिए साख को

सकुचित करने की आवश्यकता होती है। गुणात्मक साख नियन्त्रण का उद्देश्य साख की कुल मात्रा पर नियन्त्रण करना नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष उद्योग-ध-धो के लिए साख की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। उदाहरणार्थ, यदि केन्द्रीय बैंक सट्टे को निस्सहित करना चाहता है तो वह केवल सट्टोरियों को दिय जाने वाले ऋणों को ही कम करने का आदेश देगा। अन्य उद्योगों तथा व्यवसायों को पूर्ववत् मात्रा में ही साख उपलब्ध होती रहेगी। यह गुणात्मक साख नियन्त्रण का उदाहरण है। इसी प्रकार एक योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था (planned economy) में विभिन्न उद्योगों को विभिन्न प्राथमिकताएँ (priorities) दी जाती हैं और उन्हीं प्राथमिकताओं के अनुसार बैंको द्वारा उन्हें साख प्रदान की जाती है। उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को अधिक साख दी जाती है। वास्तव में एक योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था में गुणात्मक साख नियन्त्रण अनिवार्य हो जाता है। साख का राशनिंग तथा प्रतिभूति ऋणों की सीमान्त आवश्यकताओं में परिवर्तन इत्यादि गुणात्मक साख नियन्त्रण के साधन हैं।

कभी कभी यह प्रश्न उठाया जाता है कि परिमाणात्मक तथा गुणात्मक साख नियन्त्रणों में कौन-सा श्रेष्ठ है। इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है। किसी केन्द्रीय बैंक को किस प्रकार के नियन्त्रण का उपयोग करना चाहिए, यह उस देश की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि केन्द्रीय बैंक को मुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा अवस्फीति के कुप्रभावों को दूर करना है तो ऐसी परिस्थिति में उसे परिमाणात्मक साख नियन्त्रण का उपयोग करना चाहिए। इसके विपरीत यदि किसी देश की योजनाबद्ध विकास करना है तो ऐसी परिस्थिति में उस देश के केन्द्रीय बैंक को गुणात्मक साख नियन्त्रण का उपयोग करना चाहिए और विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों को उनकी निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार साख प्रदान करने की नीति का अनुसरण करना चाहिए। गुणात्मक साख नियन्त्रण को चयनात्मक साख नियन्त्रण (selective credit control) भी कहते हैं। भारत में योजनाबद्ध विकास के लिए चयनात्मक साख नियन्त्रण का ही उपयोग किया जा रहा है।

साख-नियन्त्रण की कठिनाइयाँ (Difficulties of Credit Control)

साख नियन्त्रण की मुख्य मुख्य कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं

(1) साख को विभिन्न किस्मों पर नियन्त्रण करने में कठिनाई—जैसा विदित है साख कई प्रकार की होती है जैसे बैंक साख, पुस्तकीय साख, वाणिज्य-साख आदि। केन्द्रीय बैंक तो केवल बैंक साख का ही नियन्त्रण करता है अन्य प्रकार की साख का नहीं। स्मरण रहे कि अन्य प्रकार की साख भी अर्थ-व्यवस्था पर वैसे ही प्रभाव डालती है जैसा कि बैंक साख। परन्तु अन्य प्रकार की साख पर केन्द्रीय बैंक का नियन्त्रण नहीं होता।

(2) केन्द्रीय बैंक का सभी बैंकों पर नियन्त्रण नहीं होता—केन्द्रीय बैंक साख का सफल नियन्त्रण तभी कर सकता है जबकि देश के सभी बैंकों पर इसका पूर्ण नियन्त्रण हो। लेकिन, जैसा विदित है देश के सभी बैंक प्रायः केन्द्रीय बैंक की परिधि में नहीं आते। उदाहरणार्थ भारत में लगभग सभी देशी बैंक केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण से बाहर हैं। अतः केन्द्रीय बैंक साख का पूर्ण नियन्त्रण नहीं कर सकता।

(3) सम्बद्ध बैंकों का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई—कभी कभी सम्बद्ध बैंक केन्द्रीय बैंक को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान नहीं करते जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय बैंक साख का पूर्ण नियन्त्रण करने में असफल रहता है।

(4) गैर वित्तीय संस्थाओं का प्रभाव—प्रत्येक देश के वित्तीय ढांचे में कुछ गैर वित्तीय संस्थाएँ भी होती हैं जो काफी मात्रा में साख निर्माण को प्रभावित करती हैं, परन्तु इन संस्थाओं पर केन्द्रीय बैंक का अतिकूल नियन्त्रण नहीं होता। अतः केन्द्रीय बैंक सप्रभाविक ढंग से साख का नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है।

(5) साख के अन्तिम उपयोग पर नियन्त्रण करने में कठिनाई—केन्द्रीय बैंक को साख के अन्तिम उपयोग पर नियन्त्रण लागू करने में भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि केन्द्रीय बैंक सम्बद्ध बैंकों को सट्टा कार्यों के लिए ऋण देने की मनाही कर देता है तो यह विलकुल सम्भव है कि बैंकों के ग्राहक वाणिज्य-कार्यों के लिये ऋण लेकर उनका

सदृष्टे के लिए उपयोग करना आरम्भ कर दें। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक के साख-नियन्त्रण का उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

केन्द्रीय बैंक का स्वामित्व (Ownership of the Central Bank)

केन्द्रीय बैंक के स्वामित्व तथा प्रबन्ध के विषय में काफी लम्बे समय से विवाद चला आ रहा है। 19वीं शताब्दी में अधिकांश बैंक निजी स्वामित्व के अन्तर्गत स्थापित किये गये थे। उस समय अधिकांश अर्थशास्त्री केन्द्रीय बैंकों के निजी स्वामित्व के पक्ष में थे। उनका यह कहना था कि केन्द्रीय बैंक पर किसी प्रकार का सरकारी नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार यदि केन्द्रीय बैंक पर सरकार का नियन्त्रण हो जाता है, तब केन्द्रीय बैंक सरकार के हाथों में कठपुतली बन जायेगा। अतएव उन्होंने व्यक्तिगत हिस्सेदारों (Private Shareholders) के बैंकों की सिफारिश की थी। इसके विपरीत, आधुनिक अर्थशास्त्री केन्द्रीय बैंक पर सरकारी स्वामित्व के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि आधुनिक युग में आर्थिक विषयों में सरकार का हस्तक्षेप बहुत बड़ चुका है और अब सरकार लगभग सभी देशों में एक निश्चित योजना के अनुसार देश का आर्थिक विकास करती है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि देश के केन्द्रीय बैंक पर सरकार का ही स्वामित्व हो। इसका कारण यह है कि केन्द्रीय बैंक देश के आर्थिक विकास को तीव्र करने में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकता है।

प्रो० डी कोंक (De Kock) ने स्वामित्व के आधार पर विश्व के केन्द्रीय बैंकों को सात श्रेणियों में विभाजित किया है (क) ऐसे केन्द्रीय बैंक जिनकी समूची पूंजी सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है, (ख) ऐसे केन्द्रीय बैंक जिनकी समस्त पूंजी व्यक्तिगत हिस्सेदारों (Private Shareholders) द्वारा प्रस्तुत की जाती है, (ग) ऐसे केन्द्रीय बैंक जिनकी समस्त पूंजी व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है, (घ) ऐसे केन्द्रीय बैंक जिनकी पूंजी सरकार तथा व्यक्तिगत हिस्सेदारों द्वारा प्रदान की जाती है, (ङ) ऐसे केन्द्रीय बैंक जिनकी पूंजी सरकार तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है, (च) ऐसे केन्द्रीय बैंक जिनकी पूंजी सरकार, व्यक्तिगत हिस्सेदारों तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा दी जाती है, (छ) ऐसे केन्द्रीय बैंक जिनकी पूंजी व्यक्तिगत हिस्सेदारों तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा की जाती है। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा तथा भारत के केन्द्रीय बैंक समूचे तौर पर सरकार के स्वामित्व में हैं। इसके विपरीत जर्मनी, जापान आदि के केन्द्रीय बैंक व्यक्तिगत हिस्सेदारों के स्वामित्व में हैं। अमरीका का फेडरल रिजर्व सिस्टम पूर्णतः व्यापारिक बैंकों के स्वामित्व में है। परन्तु स्मरण रहे कि आजकल विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंकों पर सरकारी स्वामित्व रखने की प्रवृत्ति दृढ़ होती जा रही है। अधिकांश देशों में केन्द्रीय बैंकों पर धीरे-धीरे अब सरकार का स्वामित्व होता जा रहा है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए और बताइए कि वह बाजार में खुले रूप से कार्य करके साख का नियन्त्रण किस प्रकार करता है? (आगरा, 1964)
[संकेत—प्रथम भाग में, केन्द्रीय बैंक की परिभाषा देते हुए इसके मुख्य-मुख्य कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में, उदाहरण सहित बताइए कि केन्द्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा साख का नियन्त्रण किस प्रकार करता है। यहाँ पर संक्षेप में खुले बाजार की परिभाषाओं का भी उल्लेख कीजिए।]
2. केन्द्रीय बैंक साख का नियन्त्रण किस प्रकार करता है? साख का नियन्त्रण करने में उसे किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? (आगरा, 1975)

अथवा

किसी देश में केन्द्रीय बैंक जिन तरीकों से मुद्रा तथा साख पर नियन्त्रण रखता है, उनकी पूर्णतया समझाओ। (जीवाजी, गानियर, 1971)

[संकेत—साख नियन्त्रण के उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन करते हुए यह बताइए कि केन्द्रीय बैंक किन-किन रीतियों द्वारा साख का नियन्त्रण करता है। यहाँ पर साख की विभिन्न

रीतियों की परिसीमाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अन्त में, साख नियन्त्रण की जो मुख्य कठिनाइयाँ हैं, उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए।]

- 3 केन्द्रीय बैंक की मात्रा तथा गुण सम्बन्धी साख-नियन्त्रण करने की विधियों का अन्तर समझाइये। उक्त दोनों विधियों में कौन सी अधिक उपयोगी है और क्यों ?

(सागर, 1961)

[संकेत—प्रथम भाग में, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक साख नियन्त्रण का उदाहरण सहित अन्तर स्पष्ट कीजिए और यह भी बताइए कि इन दोनों प्रकार के नियन्त्रणों को कार्यान्वित करने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है। दूसरे भाग में, यह बताइए कि देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ही इन दोनों प्रकार के नियन्त्रणों का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि देश के समक्ष मुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा अवस्फीति की समस्या है तो ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय बैंक को परिमाणात्मक साख-नियन्त्रण का उपयोग करना चाहिए। इसके विपरीत यदि देश के समक्ष योजनावद्ध आर्थिक विकास की समस्या है तो ऐसी परिस्थिति में केन्द्रीय बैंक को गुणात्मक साख-नियन्त्रण का उपयोग करना चाहिए।]

- 4 केन्द्रीय बैंक के क्या कार्य हैं ? केन्द्रीय बैंक दूसरे बैंकों को फेल होने से किस प्रकार बचाता है ?

(सागर, 1959)

[संकेत—प्रथम भाग में केन्द्रीय बैंक की परिभाषा देते हुए इसके मुख्य मुख्य कार्यों की चर्चा कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइये कि केन्द्रीय बैंक दूसरे बैंकों को पुनर्भुनाने (rediscouting) तथा अन्य प्रकार के ऋणों की सुविधाएँ देकर फेल होने से बचाता है।]

- 5 साख नियन्त्रण के अर्थ एवं उद्देश्यों को समझाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया किस प्रकार यह कार्य करता है ?

(आगरा 1969)

[संकेत—साख नियन्त्रण से अभिप्राय केन्द्रीय बैंक द्वारा साख की मात्रा पर नियन्त्रण लागू करने से है। साख नियन्त्रण के उद्देश्यों के लिए देखिए 'साख नियन्त्रण के उद्देश्य' नामक उपविभाग। साख नियन्त्रण के लिए रिजर्व बैंक भी सगभग वही उपाय अपनाता है जो अन्य केन्द्रीय बैंकों द्वारा अपनाये जाते हैं। देखिए 34 वें अध्याय के उपविभाग 'रिजर्व बैंक द्वारा साख नियमन'।]

- 6 बैंक-दर नीति श्रेष्ठ है या खुले बाजार की क्रियाओं की नीति।' इस पर एक नोट लिखिए।

(आगरा, 1970)

[संकेत—प्रारम्भ में, बैंक-दर की तथा खुले बाजार की क्रियाओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तदुपरांत यह बताइए कि बैंक दर नीति की अपेक्षा खुले बाजार की क्रियाओं की नीति श्रेष्ठ है। इसके दो कारण हैं। कारणों के लिए उक्त अध्याय में खुले बाजार की नीति बनाम बैंक दर नीति नामक उपविभाग को देखिए।]

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund)

प्रस्तावना—प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त विश्व के विभिन्न देशों के बीच मौद्रिक सहयोग (Monetary Co operation) का पूर्ण अभाव था। अधिकांश देशों में व्यापार सम्बन्धी तीव्र प्रतियोगिता चली आ रही थी। प्रत्येक देश अपने आयातों को न्यूनतम तथा निर्यातों को अधिकतम करने के लिए प्रयत्नशील था। ऐसा करने के लिए बहुत-से देशों ने स्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन (competitive currency devaluation) का भी सहारा लिया था। इस प्रकार विश्व के अधिकांश देशों में एक प्रकार का आर्थिक युद्ध चल रहा था। इससे इन देशों में राजनीतिक सम्बन्ध भी बिगड़ रहे थे। वास्तव में इन्हीं आर्थिक कारणों से ही दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा था। जैसा कि विदित है, दूसरे विश्व युद्ध में अधिकांश देशों में बड़े पैमाने पर सम्पत्ति का विनाश हुआ था। अतएव विश्व के अधिकांश देश युद्ध समाप्ति से पूर्व इस बात के लिए चिन्तित हो उठे थे कि आगे चलकर कहीं इस भयानक युद्ध की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए युद्ध समाप्ति से पूर्व ये देश इस बात पर विचार करने लगे कि किस प्रकार विश्व में स्थायी शांति (durable peace) स्थापित की जा सकती है। अतः दूसरे विश्व युद्ध के अन्तिम दिनों में अमरीका में ब्रेंटन वुड्स के स्थान पर एक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन बुलाया गया जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि युद्ध के आर्थिक कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है। यह सम्मेलन जुलाई सन् 1944 में हुआ और 44 मित्र राष्ट्रों ने इस सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। इस सम्मेलन में युद्ध के आर्थिक कारणों को दूर करने के लिए एक योजना तैयार की गयी थी। इसे ब्रेंटन वुड्स योजना के नाम से पुकारा जाता है। भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहले भाग के अन्तर्गत एक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I M F) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। दूसरे भाग के अन्तर्गत एक अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (सदस्य में विश्व बैंक) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund)

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

(1) अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग—इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक स्थायी सस्था द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के बीच मौद्रिक सहयोग स्थापित करना था। जैसा ऊपर कहा गया है, दूसरे विश्व युद्ध का मुख्य कारण विभिन्न देशों में मौद्रिक सहयोग का अभाव ही था। अतः युद्ध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अब यह आवश्यक समझा गया कि विश्व के विभिन्न देशों में पूर्ण मौद्रिक सहयोग हो।

(2) विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करना—जैसा ऊपर कहा गया है, दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व विदेशी विनिमय दरों में भारी अस्थिरता हुआ करती थी और इसी के कारण विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पडा करता था। अतः इस अस्थिरता को दूर करने के लिए ही अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गयी थी।

(3) विनिमय नियन्त्रणों को दूर व कम करना—दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व लगभग सभी देशों में विनिमय-नियन्त्रण (exchange controls) लगा दिये गये थे। इनके कारण विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। अतः विदेशी व्यापार पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए अब यह आवश्यक समझा गया कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष विनिमय नियन्त्रणों को यथा-सम्भव हटाने अथवा ढीला करने का प्रयत्न करे।

(4) बहुपक्षीय भुगतान तथा व्यापार प्रणाली की स्थापना करना—अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का यह भी उद्देश्य है कि द्विपक्षीय समझौते (bilateral agreements) के स्थान पर बहुपक्षीय भुगतान तथा व्यापार प्रणाली (multi-lateral payments and trade system) की स्थापना में सहायता प्रदान करे, क्योंकि द्विपक्षीय समझौते विदेशी व्यापार के विस्तार में प्रायः बाधक होते हैं।

(5) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना—अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का उद्देश्य सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना है।

(6) सदस्य राष्ट्रों के सन्तुलित आर्थिक विकास में सहायता देना—अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष सदस्य राष्ट्रों, विशेषकर पिछड़े हुए राष्ट्रों के सन्तुलित आर्थिक विकास में सहायता देता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों में रोजगार का ऊँचा स्तर स्थापित करने में योग देता है।

(7) अन्तरराष्ट्रीय भुगतानों के अन्तर को दूर व कम करना—अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष सदस्य राष्ट्रों के अदायगी शेषों (balance of payments) में होने वाले असन्तुलन को दूर व कम करने का भी प्रयत्न करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा-कोष सदस्य राष्ट्रों को विदेशी मुद्राएँ देता है तथा उन्हें उधार देता है।

(8) पिछड़े तथा अल्प-विकसित देशों में पूंजी के निवेश में सहायता प्रदान करना—अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष धनी देशों से निर्धन देशों को पूंजी के निर्यात में भी सहायता देता है, ताकि इन देशों का आर्थिक विकास सम्भव हो सके।

मुद्रा कोष की पूंजी—अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूंजी सदस्य देशों के कोटों (quotas) का योगफल (aggregate) होती है। प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे का 20 प्रतिशत अथवा अपने स्वर्ण तथा डालर स्टॉक का 10 प्रतिशत स्वर्ण के रूप में मुद्रा कोष को देना पड़ता है। अपने कोटे का शेष भाग प्रत्येक सदस्य देश को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में जमा करना होता है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यदि चाहे तो उस सदस्य की राष्ट्रीय मुद्रा को उसके ही केन्द्रीय बैंक में जमा रख सकता है। मार्च 1, 1947 को अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की सहा 40 थी और उनके कोटों का योग (अर्थात् कुल पूंजी) 75 बिलियन डालर थी। लेकिन दिसम्बर 1976 को मुद्रा-कोष की सदस्यता बटकर 128 हो गई थी। और उसकी पूंजी की कुल मात्रा (अर्थात् सदस्यों के कोटों का योग) SDR 292 बिलियन या (स्मरण रहे, 20 मार्च, 1972 से अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामान्य लेखे (General Account) को SDR'S में रखा जा रहा है। SDR मूल्य की वह इकाई है जो 0.888671 ग्राम विशुद्ध स्वर्ण के बराबर होती है। लेकिन मई 1972 में अमरीकी डालर की समता-दर (par value) में किये गये परिवर्तन के परिणामस्वरूप SDR की एक इकाई अब 1.08571 अमरीकी डालर के बराबर हो गई थी। मई, 1972 से पूर्व SDR की एक इकाई एक अमरीकी डालर के बराबर थी। फरवरी, 1973 में अमरीकी डालर के अवमूल्यन के फलस्वरूप SDR की एक इकाई का डालर मूल्य और भी बढ़ गया था।)

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कतिपय केन्द्रीय बैंकों को नामांकित कर रखा है जहाँ पर सदस्य देश मुद्रा कोष के खाते में अपने कोटे का स्वर्ण जमा कर सकते हैं। इन केन्द्रीय बैंकों में फेडरल रिजर्व बैंक आफ न्यूयार्क, बैंक आफ इंग्लैंड, बैंक आफ फ्रांस तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नाम उल्लेखनीय हैं। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों के अनुसार इन केन्द्रीय बैंकों में जमा किया जाने वाला स्वर्ण छड़ों (bars) के रूप में होना चाहिये। उनकी शुद्धता (fineness) 0.995 और वजन 400 औंस होना चाहिये। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा किया गया स्वर्ण एवं राष्ट्रीय मुद्राएँ कोष की ही सम्पत्ति होती है। कोष इनका प्रयोग उन उद्देश्यों के लिये करता है जिनका उल्लेख इसके सविधान में किया गया है।

जिन देशों ने ब्रेटन वुड्स (Bretton Woods) सम्मेलन में भाग लिया था अथवा जिन देशों ने 31 दिसम्बर, 1945 से पहले कोष की सदस्यता स्वीकार कर ली थी, उन्हें कोष का मौलिक सदस्य (original member) माना जाता है। भारत मुद्रा-कोष का मौलिक सदस्य है, क्योंकि भारत ने 31 दिसम्बर, 1945 से पहले ही कोष की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। जो देश इस तिथि के बाद कोष के सदस्य बने, उनका कोटा कोष के मौलिक सदस्यों द्वारा निश्चित किया गया

था। प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद ऋ बहुमत से मुद्रा-कोष किसी भी देश के कोटे में परिवर्तन कर सकता है। परन्तु इसके लिए सदस्य देश की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। भारत ने मुद्रा-कोष की सदस्यता को स्वीकार करते समय अपने कोटे का 20 प्रतिशत भाग सोने तथा डालरो और शेष भाग रुपये में अदा किया था।

मुद्रा-कोष का प्रबन्ध—मुद्रा कोष का प्रबन्ध चलाने के लिए दो सस्थाएँ होती हैं, प्रथम, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Board of Governors); दूसरे, संचालक मण्डल (Board of Directors)। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जो पाँच वर्ष की अवधि तक काम करता है। सदस्य देश को एक विकल्प गवर्नर (Alternate Governor) नियुक्त करने का भी अधिकार होता है। गवर्नर की अनुपस्थिति में विकल्प गवर्नर बोर्ड की बैठक में भाग लेता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुद्रा-कोष की सामान्य नीति का निर्धारण करता है। मुद्रा-कोष का दिन प्रतिदिन का कार्य संचालित करने के लिए 20 सदस्यों का एक संचालक मण्डल बनाया गया है। इसके छह सदस्य स्थायी होते हैं और ये सदस्य उन देशों के होते हैं जिनके कोटे सबसे अधिक होते हैं। इस समय अमरीका, ब्रिटन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, जापान और भारत के प्रतिनिधि इस मण्डल के स्थायी सदस्य हैं। 5 सदस्य सूदूर-पूर्व प्रशान्त महासागर क्षेत्र के देशों द्वारा चुने जाते हैं। 1 सदस्य कनाडा द्वारा नियुक्त किया जाता है। 3 सदस्य अफ्रीकी देशों, 3 सदस्य लैटिन अमरीकी देशों तथा शेष 2 सदस्य यूरोपीय देशों द्वारा चुने जाते हैं।

कोई भी सदस्य देश किसी भी समय लिखित सूचना देकर कोष से अपनी सदस्यता वापस ले सकता है। मुद्रा-कोष सदस्य देश के त्यागपत्र को अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि कोई देश मुद्रा-कोष के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन करता है तो कोष उसकी सदस्यता को समाप्त भी कर सकता है।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास व्यापक अधिकार हैं। वह सदस्य देशों के कोटों के सशोधन, नये सदस्यों के प्रवेश, संचालकों के चुनाव तथा सदस्य देशों की मुद्राओं की समता-दरों के बारे में निर्णय लेता है। मुद्रा-कोष का संचालक मण्डल कोष के वाशिंगटन स्थित कार्यालय पर ही प्रायः अपनी बैठकों का आयोजन करता है। संचालक मण्डल में एक प्रबन्ध संचालक (Managing Director) भी होता है जो मुद्रा-कोष का मुख्याधिकारी होता है।

मुद्रा-कोष का कार्यालय तथा सग्रहालय—विधान के अनुसार मुद्रा कोष का प्रधान कार्यालय उस देश में स्थित होता है जिसकी पूँजी का कोटा अधिकतम होता है। इस समय मुद्रा-कोष का प्रधान कार्यालय अमरीका में स्थित है। परन्तु मुद्रा-कोष अपनी शाखाएँ अन्य देशों में भी खोल सकता है। मुद्रा-कोष की स्वर्ण निधि का 50 प्रतिशत भाग सबसे अधिक कोटे वाले देश में रखा जाता है तथा 40 प्रतिशत भाग अन्य चार अधिकतम कोटे वाले देशों में रखा जा सकता है।

समता-दरों का निर्धारण (Determination of Par Values)—जैसा पूर्व कहा गया है, मुद्रा-कोष का मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता स्थापित करना है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक सदस्य देश को अपनी अपनी मुद्राओं की कीमतों को स्वर्ण के रूप में व्यक्त करना पड़ता है। जब सभी सदस्य देश अपनी-अपनी मुद्राओं की कीमतों को स्वर्ण के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो कोष के लिए पारस्परिक विनिमय-दरों को निर्धारित करना आसान हो जाता है। इस प्रकार स्वर्ण की सहायता से दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय की समता-दरें निर्धारित की जा सकती हैं। परन्तु सदस्य देशों द्वारा सोने का क्रय-विक्रय करने की दृष्टि से मुद्रा-कोष विभिन्न समता-दरों की उच्चतम तथा न्यूनतम सीमाएँ भी निर्धारित कर देता है। इस प्रकार दो देशों के बीच मुद्राओं की विनिमय-दर इन्हीं दो सीमाओं के भीतर रहती है। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि विभिन्न देशों की समता-दरों में स्थायी स्थिरता बनी रहती है। यदि मुद्रा कोष समझता है कि दो देशों के बीच भुगतान सन्तुलन (balance of payments) में आधाररूपक परिवर्तन हुए हैं तो वह उनकी मुद्राओं की समता दर को बदल सकता है। मुद्रा-कोष के विधान के अनुसार कोई भी सदस्य देश अपनी मुद्रा की पूर्व-निश्चित समता दर में किसी भी दिशा में (ऊपर या नीचे) 10 प्रतिशत तक परिवर्तन कर सकता है। ऐसा करने के लिए उसे कोष की

अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि कोई सदस्य देश अपनी मुद्रा की समता दर में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच किसी भी दिशा में (ऊपर या नीचे) परिवर्तन करना चाहता है तो इसके लिए मुद्रा कोष की अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि कोई सदस्य देश इस प्रकार अपनी देश की मुद्रा की समता-दर में 10 और 20 प्रतिशत के बीच परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता है तो कोष को 72 घण्टे की अवधि में ही अपना निर्णय करना होता है। यदि कोई सदस्य देश अपनी मुद्रा की समता-दर में 20 प्रतिशत से भी अधिक परिवर्तन करना चाहता है तो इसके लिए भी उसे कोष की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में मुद्रा-कोष अपनी अनुमति तभी प्रदान कर सकता है जबकि कोष के दो-तिहाई सदस्य इसके पक्ष में हों। इस प्रकार मुद्रा-कोष किसी देश की समता-दरों में परिवर्तन की अनुमति तभी प्रदान करता है जबकि वह पूर्णतः सन्तुष्ट हो कि उस देश की आर्थिक स्थिति में आधारमूलक अन्तर पड़ गया है। यदि कोई देश मुद्रा-कोष की आज्ञा के बिना ही अपनी मुद्रा की समता-दर में परिवर्तन कर देता है तो मुद्रा-कोष को यह अधिकार है कि ऐसे देश को कोष की सदस्यता से पृथक् कर दे। इस प्रकार स्पष्ट है कि सदस्य देश बिना मुद्रा-कोष की अनुमति के अपनी समता दरों में परिवर्तन नहीं कर सकते। अतः अब स्पर्धात्मक मुद्रा अवमूल्यन (competitive currency devaluation) का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

स्मरण रहे, कोई भी सदस्य देश अपनी विनिमय-दर में परिवर्तन का प्रस्ताव तभी कर सकता है जबकि उसके अदायगी शेष (balance of payments) में आधारमूलक असन्तुलन (fundamental disequilibrium) हो।

मुद्रा-कोष का उद्देश्य विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करने के साथ-साथ बहुपक्षीय व्यापार (multi-lateral trade) को प्रोत्साहन देना भी है। इसलिए मुद्रा-कोष उन सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सीमित करने की दिशा में कार्यशील होती हैं। अतः कोई भी सदस्य देश चालू व्यापारिक सौदों पर कोष की अनुमति के बिना प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता है।

18 दिसम्बर, 1971 के बाद किसी भी सदस्य देश की विनिमय-दर समता-दर (par value) की दोनों दिशाओं में अधिक व्यापक मार्जिन अर्थात् 2.5 प्रतिशत तक परिवर्तित की जा सकती है। इससे पूर्व यह मार्जिन केवल 1 प्रतिशत ही था अर्थात् किसी सदस्य देश की विनिमय-दर समता-दर की दोनों दिशाओं में केवल एक प्रतिशत तक ही परिवर्तित की जा सकती थी। इस प्रकार समायोज्य खूँटी (adjustable peg) की पुरानी प्रणाली के स्थान पर रेगती हुई खूँटी (crawling peg) की नई प्रणाली की स्थापना कर दी गई है।

सदस्य देशों को मुद्रा-कोष से विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय का अधिकार—मुद्रा-कोष के पास सभी सदस्य देशों की मुद्राएँ होती हैं। अतः आवश्यकता पड़ने पर कोई भी देश किसी अन्य देश की मुद्रा को कोष से खरीद सकता है। परन्तु ऐसा करने के लिए उसे विदेशी मुद्रा की कीमत स्वर्ण में अथवा अपनी मुद्रा में चुकानी पड़ती है। इस प्रकार के लेन-देन के लिए मुद्रा-कोष द्वारा दो शर्तें लगायी गयी हैं। पहली शर्त के अनुसार किसी भी समय कोष के पास किसी सदस्य की मुद्रा की मात्रा उसके कोटे से 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, माल्डीविए कि किसी सदस्य देश का कोटा 100 मिलियन डॉलर है। विधान के अनुसार ऐसे देश को 25 मिलियन डॉलर तो सोने के रूप में तथा 75 मिलियन डॉलर अपनी मुद्रा के रूप में कोष को देना पड़ेगा। यदि यह देश मुद्रा-कोष से अपनी मुद्रा देकर कोई विदेशी मुद्रा लेना चाहता है तब यह देश मुद्रा-कोष से 125 मिलियन डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा उधार नहीं ले सकता। यदि वह इससे अधिक कीमत की विदेशी मुद्रा, कोष से लेता है तो ऐसा करने से उसका कोटा 200 प्रतिशत से भी अधिक हो जायगा जो मुद्रा-कोष के विधान के विरुद्ध है। ऐसे देश को 125 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा देते समय मुद्रा-कोष किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाता, क्योंकि मुद्रा-कोष के पास देश की 225 मिलियन डॉलर की निधि पड़ी हुई है। दूसरी शर्त यह है कि कोई भी देश एक वर्ष में अपने कोटे का अधिक से अधिक 25 प्रतिशत भाग ही विदेशी मुद्रा के रूप में कोष से ले सकता है। उक्त उदाहरण में वह देश एक वर्ष में अधिक से अधिक 25

मिलियन डालर को अपनी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा खरीद सकता है। यह प्रतिबन्ध इसलिए लगाया गया है ताकि मुद्रा-कोष में दुर्लभ मुद्राएँ शीघ्र ही समाप्त न हो जायें। स्मरण रहे कि मुद्रा-कोष द्वारा सदस्य देशों पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं कि वे यथासम्भव अपनी स्थिति को सुधारने का स्वयं ही प्रयत्न करें। इसलिए मुद्रा-कोष अल्प-माना में तथा अल्प अवधि के लिए ही सदस्य देशों को विदेशी मुद्राएँ देता है।

मुद्रा-कोष अपने ऋणों पर सदस्य देशों से व्याज भी लेता है। यह व्याज प्रायः $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से लेकर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक होता है। व्याज के अतिरिक्त, मुद्रा-कोष प्रत्येक ऋण पर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत सेवा व्यय (service charge) भी वसूल करता है। ऋण की माँचा के बढ़ने के साथ-साथ व्याज की दर को भी बढ़ा दिया जाता है। यह इसलिए किया जाता है कि सदस्य देश बिना आवश्यकता अथवा बार-बार मुद्रा-कोष से ऋणों की माँग न करें। यदि कोई देश ऋण का शीघ्र भुगतान कर देता है तो उससे लिए जाने वाले व्याज में कमी भी कर दी जाती है। व्याज सदैव स्वर्ण के रूप में लिया जाता है। मुद्रा कोष द्वारा दिये जाने वाले ऋण प्रायः थोड़े समय के लिए ही होते हैं। मुद्रा कोष इस बात का भी ध्यान रखता है कि सदस्य देश द्वारा लिया गया ऋण उसी उद्देश्य पर व्यय किया जाय जिसके लिए वह दिया गया है।

स्मरण रहे मुद्रा कोष सदस्य देशों की भुगतान-सन्तुलन के घाटे (deficit) को दूर करने के लिये विदेशी मुद्राओं के ऋण देता है बशर्ते कि उनका यह घाटा अस्थायी स्वरूप का हो और उसे शीघ्रतः शीघ्र निरस्त किया जा सकता हो। लेकिन यदि भुगतान-सन्तुलन का यह घाटा सदस्य देश की मुद्रा के अतिमूल्यन (Over valuation) जैसे निरस्थायी कारणों से होता है तो मुद्रा-कोष उस सदस्य देश को विदेशी मुद्राओं का ऋण नहीं देगा। ऐसी परिस्थिति में मुद्रा-कोष सदस्य देश को यह परामर्श देगा कि भुगतान सन्तुलन के घाटे को दूर करने हेतु वह अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करे।

दुर्लभ मुद्राएँ (Scarce Currencies)—कोष के विधान के अन्तर्गत दुर्लभ मुद्राओं के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है। दुर्लभ मुद्रा वह होती है जिसकी पूर्ति, माँग की अपेक्षा बहुत कम होती है। जैसा पूर्व कहा गया है मुद्रा-कोष के पास सभी देशों की मुद्राएँ रहती हैं और मुद्रा-कोष उन्हें विभिन्न देशों को बेचता है अथवा उधार देता है। जब किसी देश की मुद्रा के लिए अन्य देशों द्वारा अत्यधिक माँग होती है तो मुद्रा कोष इस प्रकार की मुद्रा को उस देश से उधार ले सकता है। यदि वह देश अपनी मुद्रा उधार नहीं देता तो मुद्रा-कोष स्वर्ण देकर उसे खरीद भी सकता है। इस प्रकार मुद्रा कोष उस मुद्रा की बढ़ी हुई माँग को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करता है। परन्तु यदि फिर भी इस मुद्रा की माँग पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं होती, तब मुद्रा-कोष इस प्रकार की मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा घोषित कर सकता है। जब कोष किसी देश की मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा घोषित कर देता है, तब उसे इस प्रकार की मुद्रा का राशनिंग करने का अधिकार स्वतः ही मिल जाता है। मुद्रा कोष ऐसी परिस्थिति में विभिन्न देशों का उस दुर्लभ मुद्रा के लिए कोटा निश्चित कर देता है। तदुपरान्त, उस दुर्लभ मुद्रा की माँग करने वाले देश उस देश विशेष से हानि वाले आयातों पर प्रतिबन्ध लगाकर अपने अदायगी शेष (balance of payments) में सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

जब मुद्रा कोष किसी देश की मुद्रा को दुर्लभ घोषित करता है तो उसे यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि वह उस देश को अपनी मुद्रा का पुनर्मूल्यन (revaluation) करने के लिए बहने। मुद्रा के पुनर्मूल्यन का परिणाम यह होता है कि उस देश की आन्तरिक लागतें एवं कीमतें बढ़ जाती हैं। आयातों को प्रोत्साहन मिलता है तथा निर्यात कम हो जाते हैं। इससे दुर्लभ मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और स्थिति में सुधार होने लगता है।

लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि किसी देश की मुद्रा दुर्लभ क्यों हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, वह देश अन्य देशों को अपने माल बेचता तो है लेकिन उनसे खरीदता नहीं। अतः अन्य देश उसकी मुद्रा का उपार्जन नहीं कर पाते। फलतः वह मुद्रा दुर्लभ हो जाती है।

जिस देश के भुगतान सन्तुलन में स्थायी आधिक्य (permanent surplus) बना रहता है,

वह देश भी अन्तरराष्ट्रीय विनिमय स्थायित्व को उतनी ही हानि पहुँचाता है जितना वह देश जिसके भुगतान सन्तुलन में चिरस्थायी घाटा बना रहता है। मुद्रा-कोष के अधिनियमों के अनुसार ऐसे देश को विनिमय दरों में स्थिरता स्थापित करने हेतु अपनी मुद्रा का पुनर्मूल्यन कर देना चाहिये।

मुद्रा कोष के साधनों की तरलता (Liquidity of International Monetary Fund Resources)—मुद्रा-कोष यथासम्भव अपने साधनों की तरलतम रूप में रखने का प्रयत्न करता है। यदि कुछ सदस्य देश अपनी मुद्रा के बदले में दुर्लभ मुद्रा खरीदते चले जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जबकि कोष का दुर्लभ मुद्रा का स्टॉक पूर्णतः समाप्त हो जायगा और उसके पास केवल ऐसी मुद्राएँ ही रह जायेंगी जिनकी माँग न के बराबर होगी। ऐसी परिस्थिति में मुद्रा-कोष की तरलता समाप्त हो जायगी और मुद्रा कोष अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल हो जायगा। अतएव मुद्रा-कोष सदैव यही प्रयत्न करता है कि उसके पास सभी देशों की मुद्राएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। साधनों की तरलता को बनाये रखने के लिए मुद्रा-कोष के विधान के अंतर्गत विशेष व्यवस्था की गयी है—(क) कोई भी सदस्य देश सोना देकर, किसी भी देश की मुद्रा को खरीद सकता है। स्मरण रहे कि सोना अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे अधिक सर्वप्राह्य पदार्थ माना जाता है, (ख) यदि किसी देश की मुद्रा उसके कोटे से अधिक है तो वह देश अपनी मुद्रा को सोने के बदले में खरीद सकता है, (ग) प्रत्येक सदस्य देश कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी मुद्रा के एक भाग को सोने तथा परिवर्तनशील मुद्रा के बदले में पुनः मुद्रा-कोष से खरीद सकता है। इन व्यवस्थाओं के कारण मुद्रा-कोष अपने साधनों की तरलता को बनाये रखने में समर्थ रहता है।

मुद्रा-कोष के लाभ का वितरण—कोष के कुल लाभ में से 20 प्रतिशत उन ऋणदाता देशों को दिया जाता है जिनकी मुद्रा किसी वर्ष में कोष के पास उनके कोटे के अनुसार 75 प्रतिशत से कम रहती है। शेष लाभ सदस्य देशों के बीच उनके कोटे के अनुसार वितरित कर दिया जाता है। स्मरण रहे कि सदस्य देशों में लाभ का यह वितरण उनकी अपनी-अपनी मुद्राओं में ही किया जाता है।

मुद्रा कोष का कार्यक्षेत्र—मुद्रा कोष केवल सदस्य देशों की सरकारों से ही व्यवहार करता है, निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं से नहीं। मुद्रा-कोष किसी सदस्य देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य तो केवल अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यह सदस्य देशों को विदेशी मुद्राओं में ऋण देकर उनके अदायगी शेष में सन्तुलन स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करता है। मुद्रा-कोष सदस्य देशों को केवल अल्प-कालीन ऋण ही देता है और ये ऋण, जैसा ऊपर कहा गया है अदायगी शेष से होने वाले असन्तुलन को दूर करने के लिए ही दिये जाते हैं।

मुद्रा-कोष के सदस्यों पर प्रतिबन्ध—मुद्रा कोष अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सदस्य देशों पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाता है जो इस प्रकार हैं

(क) सदस्य देशों द्वारा उधार लिये गये ऋण केवल उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होंगे जिनके लिए वे कोष द्वारा दिये गये हैं, अर्थात् सदस्य देश मुद्रा कोष से प्राप्त किये गये ऋणों का दुरुपयोग नहीं कर सकते।

(ख) कोई भी सदस्य देश मुद्रा कोष की अनुमति लिए बिना अपनी मौद्रिक नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता।

(ग) सभी सदस्य देशों को मुद्रा-कोष द्वारा निर्धारित की गयी दरों पर ही सोने का क्रय-विक्रय करना पड़ता है।

(घ) कोई भी सदस्य देश चाहे अन्तरराष्ट्रीय भुगतान के सम्बन्ध में कोष की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता।

(ङ) प्रत्येक सदस्य देश, विदेशी मुद्राएँ उन्हीं दरों पर खरीद व बेच सकता है जो कोष द्वारा निर्धारित की गयी हैं।

सक्रान्तिकालीन सुविधाएँ (Facilities During the Transitional Period)—अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा-कोष विदेशी व्यापार एवं विदेशी विनिमय पर लगाये गये सभी प्रकार के प्रतिबन्धों

के विरुद्ध है, परन्तु सत्रान्तिकाल में सदस्य देशों को विनिमय-नियन्त्रण, आयातों पर प्रतिबन्ध आदि लगाने का अधिकार दिया गया है। सत्रान्तिकाल के उपरान्त सदस्य देशों को विदेशी व्यापार तथा विदेशी विनिमय पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाना होगा। सत्रान्तिकाल में सदस्य देशों को विदेशी व्यापार एवं विदेशी विनिमय पर प्रतिबन्ध बनाये रखने का अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके अभाव में इन देशों की अर्थ व्यवस्थाओं में गम्भीर उथल-पुथल होने की सम्भावना थी।

मुद्रा-कोष के कार्य—मुद्रा-कोष के तीन प्रमुख कार्य हैं

(क) मुद्रा कोष सदस्य देशों के अदायगी शेष (balance of payments) में उत्पन्न होने वाले अल्पकालीन असन्तुलन को दूर व कम करने में सहायता देता है। मुद्रा-कोष सदस्य देशों को विदेशी मुद्राएँ बेचकर तथा उधार देकर उन्हें अदायगी शेष में होने वाले असन्तुलन को दूर करने में योग देता है।

(ख) मुद्रा-कोष सदस्य देशों को अपने अदायगी शेष में होने वाले दीर्घकालीन असन्तुलन को दूर करने में भी योग देता है। मुद्रा-कोष सदस्य देशों की अर्थ व्यवस्थाओं में आधारभूतक परिवर्तन होने पर उन्हें अपनी मुद्राओं की समता दरें बदलने की अनुमति देता है। इस प्रकार सदस्य देशों के अदायगी शेष में होने वाले दीर्घकालीन असन्तुलन को दूर किया जा सकता है।

(ग) मुद्रा-कोष आर्थिक तथा मौद्रिक विषयों पर सदस्य देशों को परामर्श भी देता है, क्योंकि अपनी विशेष स्थिति के कारण वह ऐसा करने में समर्थ होता है। इस प्रकार मुद्रा-कोष सदस्य देशों की अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता स्थापित करने का प्रयत्न करता है।

मुद्रा-कोष द्वारा दी गयी टेकनीकल सहायता—वित्तीय सहायता के साथ साथ मुद्रा कोष सदस्य देशों को टेकनीकल सहायता भी देता है। यह सहायता दो प्रकार से दी जाती है प्रथम, मुद्रा कोष सदस्य देशों को अपने विशेषज्ञों (specialists) की सेवाएँ प्रदान करता है। ये विशेषज्ञ उन देशों को उनकी जटिल समस्याओं का समाधान करने में बहुमूल्य सहायता देते हैं। वास्तव में, मुद्रा-कोष के इन विशेषज्ञों ने अल्प-विकसित देशों को मौद्रिक, राजकोषीय एवं विनिमय सम्बन्धी नीतियों के निर्माण में योग दिया है। दूसरे, कभी-कभी मुद्रा-कोष बाहरी विशेषज्ञों (जो कोष की नियमित सेवा में नहीं होते) को भी सदस्य देशों की सहायताएँ भेजता है। ये विशेषज्ञ सदस्य देशों में आर्थिक परामर्शदाताओं (economic advisers) के कार्य सम्पन्न करते हैं।

अभी हाल ही में मुद्रा कोष ने नये विभागों की स्थापना की है—केन्द्रीय बैंकिंग सेवा विभाग (Central Banking Service Department) तथा राजकोषीय विषय-सम्बन्धी विभाग (Fiscal Affairs Department)। प्रथम विभाग सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंकों का संचालन करने हेतु उन्हें विशेषज्ञ-अधिकारियों की सेवाएँ प्रदान करता है। दूसरा विभाग सदस्य देशों को राजकोषीय विषयों में परामर्श देता है। मुद्रा-कोष ने सदस्य देशों के अधिकारियों को मौद्रिक प्रबन्ध जैसे विषयों में प्रशिक्षण देने हेतु हाल ही के वर्षों में कई प्रकार की परिशोर्जाओं को क्रियान्वित किया है।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा स्वर्णमान (The I M F and the Gold Standard)

कभी कभी यह कहा जाता है कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना एक प्रकार से स्वर्णमान का पुनर्लौटना है। लेकिन यह एक विवादास्पद विषय है। प्रो० जॉन एच० विलियम (John H. William) मुद्रा कोष को परम्परागत स्वर्णमान का शोधित रूप मानते हैं। इसके विपरीत, लॉर्ड केन्स (Lord Keynes) का दृढ़ विश्वास था कि मुद्रा-कोष तथा स्वर्णमान के बीच कुछ भी समानता नहीं है, बल्कि उन्होंने तो स्पष्टतः यह कह दिया था कि मुद्रा-कोष स्वर्णमान के बिल्कुल विपरीत है।

इसमें सन्देह नहीं है कि मुद्रा-कोष में स्वर्णमान की कुछ विशेषताएँ अवश्य ही पायी जाती हैं। यही कारण है कि कभी कभी इसे "स्वर्णमान की छाया" (Shadow of the Gold Standard) कहकर सम्बोधित किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ स्वर्णमान एवं मुद्रा

कोप में कुछ असमानताएँ भी पायी जाती हैं अथवा यह कहिये कि मुद्रा-कोप एवं कागजी मान में कुछ असमानताएँ भी पायी जाती हैं। प्रो० कुरीहारा (Kurihara) के शब्दों में इसका (IMF.) विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है, 'यह एक मिश्रित मान है जिसमें स्वर्णमान एवं कागजी मान दोनों की ही विशेषताएँ पायी जाती हैं। मुद्रा-कोप पुराने स्वर्णमान का ही स्थानापन्न है। यही नहीं यह स्वर्णमान एवं कागजी मान दोनों की ही वैकल्पिक व्यवस्था है। एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पूर्णतया स्वतन्त्र विनिमय दरों एवं व्यापक विनिमय नियन्त्रण का सम्मिश्रण पाया जाता है।' लांडे केन्ज के शब्दों में, "मुद्रा-कोप अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को सुधारने का महत्वपूर्ण प्रयास है।"

मुद्रा-कोप एवं स्वर्णमान में अनेक समानताएँ पायी जाती हैं जो निम्नलिखित हैं

(1) स्वर्ण से सम्बन्ध (Link with Gold)—स्वर्णमान के अन्तर्गत देश की मुद्रा प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ण से सम्बन्धित होती है और मुद्रा के बाह्य मूल्य को स्वर्ण के रूप में व्यक्त किया जाता है। मुद्रा-कोप के प्रत्येक सदस्य को भी अपनी मुद्रा के मूल्य को स्वर्ण में ही परिभाषित करना पड़ता है और इसी के आधार पर उसकी मुद्रा के बाह्य विनिमय मूल्य को निश्चित किया जाता है।

(2) स्वर्ण का महत्व (Importance of Gold)—स्वर्णमान के अन्तर्गत, देश की अर्थ व्यवस्था में स्वर्ण को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार मुद्रा-कोप की व्यवस्था में भी स्वर्ण को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रथम, प्रत्येक सदस्य देश अपनी मुद्रा के प्रारम्भिक मूल्य को स्वर्ण के रूप में ही व्यक्त करता है। दूसरे प्रत्येक देश अपने कोटे का 25 प्रतिशत भाग अथवा अपनी कुल स्वर्ण तथा डालर निधि का 10 प्रतिशत भाग (इनमें से जो भी कम हो) मुद्रा-कोप के पास स्वर्ण के रूप में जमा करना है। तीसरे, प्रत्येक सदस्य देश मुद्रा-कोप द्वारा निर्धारित कीमतों पर ही स्वर्ण का क्रय-विश्रय कर सकता है।

लेकिन मुद्रा-कोप के नवीनतम नियमों के अन्तर्गत स्वर्ण की इस महत्वपूर्ण भूमिका को अब समाप्त कर दिया गया है। स्वर्ण की 'अधिकृत कीमत' (Official price) का उन्मूलन कर दिया गया है। कोप द्वारा स्वर्ण निधियों के कुछ अंश को सदस्य देशों को लौटाया जा रहा है। सदस्य देशों की मुद्राओं के विनिमय मूल्यों को अब SDRs में व्यक्त करने का निर्णय लिया गया है।

(3) बहुपक्षीय व्यापार एवं भुगतान प्रणाली (Multilateral Trade and Payments System)—स्वर्णमान के अन्तर्गत, बहु पक्षीय व्यापार तथा भुगतान प्रणाली कार्याशील होती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक देश अलग अलग रूप में अन्य देशों के साथ अपने भुगतानों का सन्तुलन न करके सभी स्वर्णमान देशों के साथ समुक्त रूप में सन्तुलन स्थापित करता है। इसी प्रकार अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोप भी विभिन्न देशों में बहुपक्षीय व्यापार एवं भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करता है।

(4) विनिमय दर स्थिरता (Exchange Rate Stability)—स्वर्णमान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों में स्थिरता बनाये रखना था। इसी प्रकार मुद्रा कोप का उद्देश्य भी ठीक ऐसे ही विनिमय दरों में स्थिरता बनाये रखना है। स्वर्णमान एवं मुद्रा-कोप के बीच यह एक महत्वपूर्ण समानता है। लेकिन इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अन्तर भी है। स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दरों में स्थूलता (rigidity) पायी जाती थी। यद्यपि विनिमय दरों की यह स्थूलता अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से बाधनीय थी लेकिन आन्तरिक आर्थिक स्थिरता के दृष्टिकोण से यह स्थूलता अच्छी नहीं थी। इसके विपरीत, कागजी मान एक ऐसा मान था जिसके अन्तर्गत विनिमय-दरों में भारी उतार-चढ़ाव होते रहते थे। ये उतार-चढ़ाव विनिमय बाजारों में माँग एवं पूर्ति के परिवर्तनों के कारण हुआ करते थे। परिवर्तनशील विनिमय दर आर्थिक अर्थ व्यवस्था के दृष्टिकोण से तो अच्छी होती है। लेकिन अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए हानिकारक होती है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप स्वर्णमान एवं कागजी मान जैसी उन्नत प्रणालियों का परिष्कार करके मध्य मार्ग (middle path) का अनुसरण करता है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोप इन दोनों प्रणालियों के साथ तो प्राप्त कर लेता है लेकिन उनक हानियों से साफ बच निकलता है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप के अन्तर्गत विनिमय-दर न तो इतनी स्थैतिक होती है जितनी कि स्वर्णमान के अधीन और न ही इतनी परिवर्तनशील होती है। जितनी कि कागजी मान के अधीन। मुद्रा-कोप के सविधान के अनुसार

कोई भी सदस्य देश भुगतान सन्तुलन में मूलभूत असंतुलन को निरस्त करने हेतु अपनी विनिमय दर में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन विनिमय दर को परिवर्तित करने से पूर्व उस सदस्य देश को मुद्रा-कोष से अनुमति लेनी पड़ती है। मुद्रा-कोष का उद्देश्य स्थिर एवं लचीली विनिमय दरों की प्रणाली को स्थापित करना है। इस प्रणाली में स्वर्णमान एवं कागजी मान दोनों ही पद्धतियों में गुणो का सम्मिश्रण पाया जाता है। इस प्रकार मुद्रा-कोष एवं स्वर्णमान के बीच समानता पायी जाती है क्योंकि दोनों का उद्देश्य विनिमय दरों में स्थिरता बनाये रखना है लेकिन स्वर्णमान की भाँति मुद्रा-कोष पूर्णतया स्थैतिक विनिमय-दरों का समर्थन नहीं करता।

(5) मुद्रा के विस्तार एवं संकुचन की क्रियाविधि (Mechanism of Expansion and Contraction of Currency)—मुद्रा-कोष एवं स्वर्णमान के बीच एक अन्य समानता भी पायी जाती है। दोनों के अन्तर्गत भुगतान-सन्तुलन में हुए परिवर्तनों के अनुसार मुद्रा का विस्तार एवं संकुचन होता रहता है। स्वर्णमान के अन्तर्गत यदि किसी देश का किसी अन्य देश से भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल होता है तो वह देश (प्रथम देश) स्वर्ण का निर्यात करने लगता है। इससे देश में मुद्रा का संकुचन हो जाता है और सामान्य कीमत-स्तर में गिरावट आ जाती है। इसके विपरीत, जिस देश वा भुगतान-सन्तुलन अनुकूल होता है, वह देश स्वर्ण का आयात करने लगता है। आयात किये गये स्वर्ण के आधार पर मुद्रा का विस्तार होने लगता है और सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा कोष के अन्तर्गत भी समायोजन की प्रक्रिया कुछ ऐसी ही है। जब भी किसी सदस्य देश का भुगतान सन्तुलन किसी अन्य सदस्य देश के साथ प्रतिकूल होता है तो उस देश (प्रथम देश) का केन्द्रीय बैंक मुद्रा-कोष के पास अपनी मुद्रा की समान राशि जमा कराके उससे उतने ही मूल्य की विदेशी मुद्रा खरीद लेता है। इस प्रकार प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा को केन्द्रीय बैंक अपने देश के व्यापारिक क्षेत्रों को बेचता है और वे तब उस विदेशी मुद्रा को आयातकर्ताओं को बेच देते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान व्यापारिक बैंकों की नकद राशियाँ (Cash reserves) कम हो जाती हैं। परिणामतः उनकी साथ निर्माण शक्ति कम हो जाती है। इससे सामान्य कीमत स्तर में गिरावट आ जाती है।

इसके विपरीत, अनुकूल भुगतान सन्तुलन वाला देश अन्य देशों से भुगतान प्राप्त करता है जिससे व्यापारिक बैंकों की नकद-राशियाँ बढ़ जाती हैं। परिणामतः देश में बैंक साख का गुणित विस्तार (multiple expansion) होने लगता है। इसका अन्तिम परिणाम यह होता है कि देश के सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा कोष की यन्त्रावली के अधीन भी, स्वर्णमान की भाँति प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन मुद्रा अवस्फीति (deflation) को और अनुकूल भुगतान-सन्तुलन मुद्रा स्फीति (inflation) को जन्म देता है।

“क्रीडा के नियमों” (rules of the game) के अनुसार स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण का निर्यात करने वाले देश से यह अपेक्षा की जाती थी कि अपने भुगतान सन्तुलन में ‘असन्तुलन’ को निरस्त करने हेतु वह मुद्रा-अवस्फीति का आशय ले। लेकिन मुद्रा-कोष के अन्तर्गत प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन वाले देश के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह मुद्रा अवस्फीति की नीति का अनुसरण करे और न ही ऐसा करने के लिए उस पर कोई दबाव डाला जाता है। मुद्रा कोष सदस्य देशों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी-अपनी घरेलू मौद्रिक नीतियों का निर्माण करने के लिए पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान करता है। इस प्रकार प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन वाला देश आन्तरिक कीमत स्तर की गिरावट को रोकने के लिए सभी सम्भव उपाय करता है। सत्य तो यह है कि मुद्रा कोष के अधीन प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन वाले देश के लिये, स्वर्णमान की भाँति, मुद्रा का संकुचन करना अनिवार्य नहीं है।

इस प्रकार मुद्रा कोष के अधीन किसी प्रकार के कड़े अनुचारात्मक (rigid discipline) पर चल नहीं दिया जाता जैसा कि स्वर्णमान के अन्तर्गत किया जाता था। इसके विपरीत, मुद्रा-कोष का अपने सदस्यों को स्थानीय आर्थिक स्थितियों के अनुसार अपनी-अपनी मौद्रिक नीतियों का निर्माण करने की पूरी छूट देता है। इसके साथ ही साथ मुद्रा-कोष के अन्तर्गत पूर्णतया परिवर्तनशील विनिमय दरों से होने वाली हानियों से भी बचा जा सकता है। कागजी मान के अधीन तीनों विनिमय-दरों के उतार-चढ़ावों से देश को अपार क्षति होती है।

(6) विनिमय नियन्त्रण का निषेध (Non imposition of Exchange Control)—स्वर्णमान प्रणाली के अन्तर्गत कोई भी देश अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के ऊपर किसी प्रकार का विनिमय-नियन्त्रण लागू नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न देशों में विदेशी व्यापार तुलनात्मक लागत सिद्धान्त (Comparative cost principle) के अनुसार होता है। इसी तरह मुद्रा-कोप प्रणाली के अन्तर्गत भी इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है कि कोई भी सदस्य देश विदेशी व्यापार पर किसी प्रकार का विनिमय-नियन्त्रण लागू न करे। केवल सन्क्रान्तिकाल में ही सदस्य देशों को विनिमय-नियन्त्रण लगाने की अनुमति दी गयी है। सन्क्रान्तिकाल के उपरान्त मुद्रा-कोप के सभी सदस्यों को अपने द्वारा लगाये गये सभी विनिमय-नियन्त्रणों को हटाना होगा।

स्वर्णमान एव मुद्रा-कोप के बीच कुछ असमानताएँ भी पायी जाती थी जो निम्नलिखित हैं।

(1) मुद्रा-कोप के अधीन राष्ट्रीय मुद्राओं की समता-दरों (par values) को स्वर्ण के रूप में कठोरता से निश्चित नहीं किया जाता है (अर्थात् वे पूर्णतया अपरिवर्तनीय नहीं होती) जैसा कि स्वर्णमान के अधीन हुआ करता था। स्वर्णमान के अन्तर्गत राष्ट्रीय मुद्राओं की समता-दरों को स्वर्ण की निश्चित मात्राओं के बराबर निर्धारित किया जाता था। उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती थी। यद्यपि मुद्रा-कोप के अधीन भी समता-दरों को स्वर्ण के रूप में निश्चित किया जाता है लेकिन फिर भी उनमें किसी प्रकार की कठोरता अथवा स्थूलता नहीं पायी जाती है। यदि आवश्यक हो तो उनमें परिवर्तन किये जा सकते हैं।

(2) स्वर्णमान के अधीन स्वर्ण देश में मुद्रा के विस्तार एव संकुचन का आधार हुआ करता था। यदि स्वर्ण के उत्पादन में उतार-चढ़ाव होते थे तो उनका प्रभाव मुद्रा के विस्तार अथवा संकुचन पर अवश्य ही पडा करता था। लेकिन मुद्रा-कोप के तत्वावधान में मुद्रा का विस्तार एव संकुचन स्वर्ण पर आधारित नहीं है। परिणामतः स्वर्ण-उत्पादन के उतार-चढ़ावों का देश की मुद्रा पूर्ति पर कुछ भी असर नहीं पडता है।

(3) स्वर्णमान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय दरों में पूर्ण स्थूलता (Complete rigidity) पायी जाती है। इसके विपरीत, मुद्रा-कोप के तत्वावधान में विदेशी विनिमय दरों में ऐसी कोई स्थूलता अथवा कठोरता नहीं होती। यदि मुद्रा-कोप को इस बात का विश्वास हो जाय कि सदस्य-देश की आर्थिक स्थिति में कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ है तो वह उस देश की मुद्रा की समता-दर में परिवर्तन करने की अनुमति दे देता है। अतः मुद्रा-कोप की कार्यशीलता में एक ऐसा लचीलापन पाया जाता है जिसका स्वर्णमान के अन्तर्गत पूर्ण अभाव था।

(4) स्वर्णमान स्वयंचालित मान (automatic standard) था। इसको संचालित करने के लिए किसी को कोई सचेत प्रयास नहीं करना पडता था लेकिन अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप के द्वारा मौद्रिक प्रवृत्तियों हेतु सचेत प्रयास किये जाते हैं।

(5) जैसा पूर्व कहा गया है, स्वर्णमान के अन्तर्गत भुगतान सन्तुलन में घाटा होने के कारण जो देश स्वर्ण का निर्यात करता था, उसे विवश होकर मुद्रा-अवस्फीति का आश्रय लेना पडता था। मुद्रा-कोप के तत्वावधान में भुगतान-सन्तुलन में घाटे वाले किसी भी देश को मुद्रा-अवस्फीति के दुष्परिणामों का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती। मुद्रा-कोप के सविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत भुगतान-सन्तुलन में घाटे वाले किसी सदस्य देश को मुद्रा का संकुचन करने के लिए विवश किया जा सके।

(6) स्वर्णमान के अन्तर्गत, प्रत्येक देश की आन्तरिक आर्थिक स्थिति पर बाह्य तत्त्वों का प्रभाव पडता है, परन्तु मुद्रा-कोप प्रणाली में ऐसा नहीं होता। प्रत्येक सदस्य देश अपनी आन्तरिक आर्थिक नीति का निर्धारण करने में पूर्णतः स्वतन्त्र होता है। मुद्रा-कोप सदस्य देशों की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा-कोप योजना में स्वर्णमान के सभी गुण पाये जाते हैं। परन्तु इस योजना में स्वर्णमान की त्रुटियाँ नहीं पायी जाती। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मुद्रा-कोप की स्थापना, वास्तव में, स्वर्णमान की धारणी नहीं है, क्योंकि स्वर्णमान तथा मुद्रा-कोप योजना में कुछ अन्तर अवश्य पाये जाते हैं।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के लाभ—इसके लाभ निम्नलिखित हैं

(1) मौद्रिक प्रारक्षित निधि की स्थापना—इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा-कोष के पास विभिन्न देशों की मुद्राओं का बड़ी मात्रा में स्टॉक एकत्रित हो जाता है। इसी स्टॉक से मुद्रा-कोष सदस्य देशों की विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब किसी समय किसी देश की मुद्रा की माँग इसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है तो मुद्रा कोष इसे दुर्लभ मुद्रा घोषित करके विभिन्न देशों में इसका राशानिय कर देता है।

(2) बहुपक्षीय व्यापार एवं भुगतान प्रणाली की स्थापना—मुद्रा-कोष की स्थापना से बहुपक्षीय व्यापार तथा भुगतान प्रणाली को बहुत प्रोत्साहन मिला है। यह ठीक है कि सन्क्रान्तिकाल में सदस्य देशों को विदेशी व्यापार तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नियन्त्रण बनाये रखने की छूट दे दी गयी है, परन्तु यह आशा व्यक्त की गयी है कि सन्क्रान्तिकाल के समाप्त होते ही सदस्य देश इस प्रकार के प्रतिबन्धों को हटाने का प्रयत्न करेंगे।

(3) अस्थायी भुगतान सन्तुलन में सुधार—जैसा हम कह चुके हैं, मुद्रा-कोष के पास विभिन्न देशों की मुद्राओं का पर्याप्त स्टॉक रहता है। आवश्यकता पड़ने पर सदस्य देश मुद्रा कोष से अपनी मुद्राओं के बदले विदेशी मुद्राओं को खरीद सकते हैं और इस प्रकार अपने अदायगी षोप में होने वाले अल्पकालीन सन्तुलन को दूर कर सकते हैं।

(4) विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता—मुद्रा-कोष की स्थापना से विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय-दर निर्धारित करने का एक अच्छा साधन उपलब्ध हो गया है। मुद्रा-कोष के कारण विभिन्न देशों की विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता स्थापित हो गयी है। अब विदेशी विनिमय-दरों में इतने उतार-चढ़ाव नहीं होते जितने कि मुद्रा-कोष की स्थापना से पूर्व हुआ करते थे। मुद्रा कोष की स्थापना का एक लाभ यह भी हुआ है कि प्रत्येक सदस्य देश अपनी स्वतन्त्र आर्थिक नीति अपनाते हुए विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता बनाये रख सकता है। विदेशी विनिमय-दरों की इस स्थिरता के कारण बुद्धोत्तर काल में विदेशी व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला है।

(5) प्रतिस्पर्धात्मक मुद्रा-अवमूल्यन पर रोक—मुद्रा-कोष की स्थापना से पूर्व विभिन्न देशों द्वारा अपनी मुद्राओं का प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन (competitive currency devaluation) किया जाता था। प्रत्येक देश का यही प्रयत्न रहता था कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके अपने निर्यातों को बढ़ाया जाय। इससे विभिन्न देशों के आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये थे, परन्तु मुद्रा-कोष की स्थापना के कारण अब स्थिति पूर्णतः बदल गयी है। कोई भी सदस्य देश कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मुद्रा-कोष की अनुमति लिये बिना अब अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं कर सकता। इस प्रकार मुद्रा-कोष ने प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन पर प्रभावपूर्ण रोक लगा दी है।

(6) देशों की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया जाता—मुद्रा-कोष सदस्य देशों की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता और न ही उनकी आर्थिक तथा मौद्रिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार आन्तरिक आर्थिक मामलों में सदस्य देशों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है।

(7) स्वर्णमान के लाभों की प्राप्ति—मुद्रा-कोष की स्थापना से विश्व के देशों को बिना इसकी बुद्धियों के स्वर्णमान के सभी लाभ प्राप्त हुए हैं। मुद्रा-कोष ने स्वर्ण की सभी देशों की मुद्राओं का मापक बनाकर विश्व में एक विशेष प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान की स्थापना की है। यह स्वर्णमान पुराने स्वर्णमान की अपेक्षा कम खर्चीला तथा अधिक जोचदार है। इनमें सोने के सिक्कों के प्रचलन की आवश्यकता नहीं है।

मुद्रा-कोष की उपर्युक्त सेवाओं के कारण प्रो० हॉलम (Halm) ने इसे अन्तरराष्ट्रीय रिजर्व बैंक (International Reserve Bank) कहकर सम्बोधित किया है।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की आलोचनाएँ—निम्न आधारों पर अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की आलोचनाएँ की जाती हैं -

(1) मुद्रा-कोष का कार्यक्षेत्र सीमित है—जैसा कहा गया है, मुद्रा-कोष के विधान के अनुसार यह केवल चालू सौदों से उत्पन्न होने वाले असन्तुलित भुगतानों की समस्या का ही समाधान करता है, अर्थात् इसका सम्बन्ध अदायगी शेष में होने वाले उन्हीं असन्तुलनों (imbalance) से है जो केवल चालू सौदों से ही उत्पन्न होते हैं। मुद्रा-कोष का युद्ध-शृणो की अदायगी, पूंजी के आयात-निर्यात तथा अवरुद्ध स्टर्लिंग (blocked sterling) आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है। इनके भुगतान के लिए मुद्रा-कोष सदस्य देशों को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देता। आलोचकों का मत है कि इस प्रकार अपने कार्यक्षेत्र को सीमित करके मुद्रा-कोष ने विश्व की जटिल समस्याओं को हल करने में अपना योग नहीं दिया।

(2) मुद्रा-कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों के कोटे वैज्ञानिक आधार पर निश्चित नहीं किये गये—मुद्रा कोष की एक आलाचना यह भी की जाती है कि उसके द्वारा विभिन्न देशों के कोटे वैज्ञानिक आधार पर निश्चित नहीं किये गये हैं। आलोचकों का कहना है कि मुद्रा-कोष ने ब्रिटेन तथा अमरीका के आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थों को ध्यान में रखकर ही कोटे निश्चित किये हैं। इन कोटों के आधार पर अमरीका तथा ब्रिटेन का मुद्रा-कोष पर एक प्रकार से आधिपत्य स्थापित हो गया है और ये दोनों देश मुद्रा-कोष को अपने हितों के लिए ही प्रयुक्त करते हैं।

(3) मुद्रा-कोष भेदपूर्ण व्यवहार करता है—आलाचकों का यह भी कहना है कि अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में मुद्रा-कोष विभिन्न देशों के साथ भेदपूर्ण व्यवहार करता है। मुद्रा कोष पश्चिमी देशों को विशेष रियायत देता है, जबकि पिछड़े तथा अल्प-विकसित देशों की उपेक्षा की जाती है। जब पश्चिमी देश मुद्रा-कोष के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तब भी उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती। सन् 1948 में फ्रांस ने मुद्रा कोष की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन (devaluation) कर दिया था, किन्तु मुद्रा-कोष ने फ्रांस के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की थी। अफ्रीका के कुछ नये राष्ट्रों ने मुद्रा-कोष को 'धनिकों का क्लब (Rich men's Club) कहकर सम्बोधित किया है। उनका आरोप है कि मुद्रा-कोष केवल ब्रिटेन, अमरीका, पश्चिमी जर्मनी तथा अन्य धनी राष्ट्रों की इच्छानुसार कार्य करता है और उनके समर्थकों को ही आर्थिक सहायता प्रदान करता है। वास्तव में, यह आरोप निराधार नहीं है।

(4) विनिमय-नियन्त्रण हटाने में असमर्थता—मुद्रा-कोष की एक असफलता यह भी है कि यह विभिन्न देशों द्वारा लगाये गये विनिमय नियन्त्रणों तथा अन्य प्रकार के प्रतिबन्धों को हटाने में असमर्थ रहा है। आज भी अमरीका जैसे देश सुरक्षण की नीति को अपनाये हुए हैं। वास्तव में, विदेशी व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्धों तथा विनिमय-नियन्त्रणों को हटाना मुद्रा-कोष का प्रमुख उद्देश्य था। परन्तु दुर्भाग्यवश मुद्रा कोष इन्हे हटाने में असमर्थ रहा है।

(5) विनिमय स्थिरता स्थापित करने में असफलता—मुद्रा कोष की एक असफलता यह भी है कि यह विभिन्न मुद्राओं के बीच की समता दूरों में स्थिरता बनाये रखने में असमर्थ रहा है। जैसा पूर्व कहा गया है कुछ देशों ने विशेषकर फ्रांस ने मुद्रा-कोष की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया था। इसका प्रमुख कारण यह था कि अपने आदेशों को वियान्वित करने की मुद्रा-कोष में शक्ति नहीं थी।

(6) मुद्रा के स्वचलित पुनर्मूल्यन (automatic revaluation) की कोई व्यवस्था नहीं थी—मुद्रा-कोष ने सविधान की एक गम्भीर त्रुटि यह थी कि इसमें उस देश की मुद्रा के स्वचलित पुनर्मूल्यन की कोई व्यवस्था नहीं थी जिसका भुगतान सन्तुलन निरन्तर अनुकूल बना रहता है। उदाहरणार्थ पश्चिमी जर्मनी एवं जापान के भुगतान-सन्तुलनों में निरन्तर, लगातार आधिक्य (surplus) बना रहता है लेकिन फिर भी ये देश उसी अनुपात में अपनी मुद्राओं का पुनर्मूल्यन नहीं करते।

(7) तरलता समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया है—मुद्रा कोष का एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि अपनी रिज़र्व निधिओं में से सदस्य देशों को आवश्यक विदेशी मुद्राएँ उधार देकर अन्तरराष्ट्रीय तरलता में वृद्धि की जाय। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं किया जा सका है। अपने सीमित साधनों के कारण मुद्रा-कोष सदस्य देशों की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा

नहीं कर सका है। इसमें सदेह नहीं कि सदस्य देशों के कोटों में आवधिक सशोधन (periodic revision) करके मुद्रा कोष ने अपने साधनों में वृद्धि करने के प्रयास किये हैं। सन् 1969 के अन्त में विशेष आहरण अधिकार (special drawing rights) नामक योजना (जिसे कभी-कभी कामजी स्वर्ण की सद्म्या भी दी जाती है।) को क्रियान्वित करके अन्तरराष्ट्रीय तरलता के सुधार की दिशा में कोष ने महत्त्वपूर्ण कदम उठाया था। मुद्रा-कोष ने विभिन्न सदस्य देशों के बीच इन SDRs का आवंटन भी कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अन्तरराष्ट्रीय तरलता की परिस्थिति में कोई सुस्पष्ट सुधार नहीं हुआ है। विगत कुछ वर्षों में अफ्रीकी एवं एशियायी देशों के अधिकाधिक सदस्य बनने से मुद्रा-कोष के सीमित साधनों पर मांग-दबाव बढ़ता जा रहा है। सत्य तो यह है कि दुर्लभ मुद्राओं के आवंटन में मुद्रा-कोष सदस्य देशों की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका है।

(8) गुणित विनिमय दरों (Multiple Exchange rates) का उन्मूलन करने में असफलता—गुणित विनिमय दरों से अभिप्राय यह है कि कुछ देश विभिन्न प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय सौदों के लिए विभिन्न प्रकार की विनिमय दरों को अपनाते हैं। इस प्रकार की विनिमय-दरों का उन्मूलन करना मुद्रा-कोष का एक प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति में मुद्रा कोष बुरी तरह असफल रहा है। उदाहरणार्थ, अगस्त 1971 में फ्रांस ने विनिमय-दरों की द्वि-स्तरीय प्रणाली (Two tier system) को अपनाया था। वास्तविक व्यापारिक सौदों के लिए स्थिर विनिमय दर निश्चित की गयी थी जबकि सट्टात्मक सौदों (speculative transactions) के लिए तरती हुई विनिमय-दर (freely floating exchange rate) रखी गयी थी।

(9) मुद्राओं की स्वतन्त्र परिवर्तनशीलता प्राप्त करने में असमर्थता—मुद्रा कोष का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि विभिन्न मुद्राओं को एक दूसरे में स्वतन्त्रता से बदला जा सके लेकिन दुर्भाग्य से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी है। अमरीकी डालर को छोड़ कर अन्य कोई ऐसी मुद्रा नहीं है जो स्वतन्त्रतापूर्वक अन्य मुद्राओं में बदली जा सके।

(10) अगस्त 1971 के मौद्रिक संकट का मुकाबला करने में असमर्थता—वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक संकट तब उत्पन्न हुआ था जब अगस्त, 1971 में अमरीकी सरकार ने डालरों की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता को निलम्बित कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रमुख यूरोपीय मुद्राएँ विदेशी विनिमय बाजारों में स्वतन्त्रतापूर्वक 'तैरने' (float) लगीं। इस संकट के साथ ही स्थिर विनिमय-दरों का युग समाप्त हो गया था। विभिन्न यूरोपीय मुद्राओं को मांग एवं पूर्ति की आवश्यकताओं के अनुसार अपने-अपने मूल्य स्वयं निर्धारित करने हेतु स्वतन्त्र छोड़ दिया गया था। लेकिन ये परिवर्तनशील (तैरती हुई) विनिमय दरें मुद्रा-कोष के उद्देश्य के विपरीत हैं। मुद्रा-कोष का उद्देश्य तो स्थिर विनिमय दरों को बनाये रखना था।

(11) मुद्रा-कोष की कार्यकारिणी की सदस्यता का वितरण उचित नहीं है—जैसा पहले कहा गया है मुद्रा कोष के संचालक मण्डल के 20 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 सदस्य तो उन देशों के होते हैं जिनके कोटे सबसे अधिक होते हैं और पाँच सदस्यों का सुदूर-पूर्व के अन्य देशों से निर्वाचन किया जाता है। परन्तु संचालक मण्डल के तीन सदस्य लैटिन-अमरीकन देशों से निर्वाचित किये जाते हैं। आलोचकों का कहना है कि लैटिन-अमरीकन देशों को आवश्यकता से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। वास्तव में, ऐसा अमरीका के हितों की रक्षा के लिए ही किया गया है। सम्भवतः यही कारण था जिससे सोवियत रूस ने मुद्रा-कोष का सदस्य बनना स्वीकार नहीं किया था।

(12) विकासशील देशों को कम प्रतिनिधित्व—मुद्रा-कोष के 90 प्रतिशत सदस्य विकासशील देश हैं लेकिन उन्हें केवल 33 प्रतिशत वोट-अधिकार (Voting rights) प्राप्त है। इस प्रकार मुद्रा कोष पर विसित देशों ने ही अपना आधिपत्य जमा रखा है। यही कारण है कि मुद्रा-कोष द्वारा विकासशील देशों की उपेक्षा की जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपने अधिकांश उद्देश्यों की पूर्ति में मुद्रा-कोष सफल नहीं हुआ है। अतः यह कहना उचित न होगा कि मुद्रा-कोष की केवल आशिक सफलता ही प्राप्त हुई है।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की कार्यवाही की समीक्षा (Review of the Operations of the International Monetary Fund) अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना 27 दिसम्बर, 1944 को हुई थी। मार्च 1947 में मुद्रा-कोष अपनी विनिमय सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ की थी। 30 जून, 1962 तक मुद्रा कोष ने 64 देशों की मुद्राओं की समता दरें निश्चित कर चुका था। मुद्रा-कोष ने समय-समय पर विभिन्न देशों को अपनी मुद्राओं की समता-दरों में परिवर्तन करने की आज्ञा भी दे दी। सन् 1948 में फ्रांस ने बिना मुद्रा-कोष की अनुमति से अपनी मुद्रा का लगभग 44 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया था। 21 सितम्बर, 1949 से लेकर अप्रैल 1950 तक स्टर्लिंग क्षेत्र के 29 देशों ने मुद्रा-कोष की अनुमति से अपनी-अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया था। जैसा पहले कहा गया है, मुद्रा-कोष सदस्य देशों के व्यापार में होने वाले अल्पकालीन असन्तुलनों (imbalances) को दूर करने के लिए सहायता देता है। सन् 1946 से 1958 तक मुद्रा कोष ने पश्चिमी यूरोप के देशों को लगभग 115 करोड़ डालर के मूल्य की विदेशी मुद्राएँ देनी थीं। दिसम्बर 1960 में मुद्रा-कोष ने ग्रेट ब्रिटेन को लगभग 200 करोड़ के तुल्य विदेशी सहायता प्रदान की थी। मुद्रा-कोष की स्थापना का विदेशी व्यापार पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा है। कहा जाता है कि सन् 1948 तथा 1961 के बीच विश्व का विदेशी व्यापार लगभग दुगुना हो गया था। परन्तु स्मरण रहे कि मुद्रा कोष विभिन्न देशों द्वारा विदेशी व्यापार पर लगाये गये सभी प्रतिबन्धों को दूर करने में समर्थ नहीं हुआ है। मार्च 1962 से मुद्रा-कोष ने स्वर्ण व्यापार सेवा आरम्भ की है। इसके अन्तर्गत 30 अप्रैल, 1962 तक कोष ने लगभग 108 करोड़ डालर की कीमत के स्वर्ण का त्रय-विक्रय किया था।

मुद्रा कोष की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिये गये हैं। स्टाम्प योजना (Stamp Plan) में सुझाव दिया गया है कि मुद्रा-कोष साख-प्रमाणपत्रों का भी निर्गमन करे। ट्रिफिन योजना (Triffin Plan) में मुद्रा-कोष को अन्तरराष्ट्रीय अति-केन्द्रीय बैंक (Super Central Bank) बनाने का सुझाव दिया गया है, अर्थात् मुद्रा-कोष विश्व के विभिन्न केन्द्रीय बैंकों के केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करे और अविकसित देशों को आर्थिक विकास हेतु ओवर ड्राफ्ट की सुविधाएँ प्रदान करे। बर्नस्टाइन योजना (Bernstein Plan) में सुझाव दिया गया है कि जिन देशों का अदायगी शेष अनुकूल है, उन्हें अनिवार्य रूप में मुद्रा-कोष को ऋण देने चाहिए। सन् 1962 में मुद्रा-कोष ने बर्नस्टाइन योजना को सशोधित रूप में स्वीकार कर लिया था। अब मुद्रा-कोष को यह अधिकार मिल गया है कि आवश्यकता पड़ने पर वह विकसित देशों से 600 करोड़ डालर तक ऋण प्राप्त कर सकता है।

भारत और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (India and the International Monetary Fund)

जैसा हम पहले बता चुके हैं, भारत उन 44 मित्र देशों में से है, जिन्होंने सन् 1944 में ब्रैटन वुड्स सम्मेलन में भाग लिया था। इस प्रकार भारत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का मूल सदस्य है। भारत उन पाँच देशों में से एक है जिनके कोटे सबसे अधिक हैं। इसी आधार पर भारत को मुद्रा-कोष के संचालक बोर्ड में स्थायी स्थान दिया गया है।

मुद्रा-कोष के नियमों के अन्तर्गत भारत ने रुपये की समता-कीमत स्वर्ण के रूप में 0 26861 ग्राम शुद्ध सोना निश्चित की थी और अमरीकी डालरों के रूप में भारतीय रुपये की समता-कीमत 30 25 सेण्ट के बराबर निर्धारित की गयी थी। परन्तु सितम्बर 1949 में रुपये के अवमूल्यन के उपरान्त भारतीय रुपये की समता-कीमत में स्वतः ही परिवर्तन हो गया था। भारतीय रुपया स्वर्ण के रूप में 0 186621 ग्राम विशुद्ध सोना और अमरीकी डालरों के रूप में 21 सेण्ट के बराबर हो गया था। 6 जून 1966 को भारतीय रुपये का पुनः अवमूल्यन किया गया था। अब भारतीय रुपया स्वर्ण के रूप में 0 118516 ग्राम विशुद्ध सोने और अमरीकी डालरों के रूप में 13.33 सेण्टों के बराबर हो गया था। सन् 1947 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में सशोधन करके रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया था कि अपनी मुद्रा-निधि में स्टर्लिंग के अतिरिक्त अन्य सदस्य देशों की प्रतिभूतियों को भी रख सकता है। इस प्रकार सन्

1947 से भारतीय रुपये की अन्य विदेशी मुद्राओं में बहुपक्षिक परिवर्तनशीलता (multilateral convertibility) स्थापित हो गयी थी।

भारत सरकार ने अपने अदायगी शेष में होने वाले अल्पकालीन असन्तुलन को दूर करने के लिए समय-समय पर मुद्रा-कोष से विदेशी मुद्राओं का क्रय किया है। सन् 1948 तथा 1949 के बीच भारत में खाद्य पदार्थों का भारी आयात होने के कारण देश का अदायगी शेष बहुत अधिक प्रतिकूल हो गया था। इस संकट का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार ने मुद्रा कोष से 100 मिलियन डॉलर के मूल्य की विदेशी मुद्रा खरीदी थी। सन् 1954 में भारत ने 47 मिलियन डॉलर और सन् 1955 में 25 मिलियन डॉलर देकर मुद्रा-कोष से अपनी मुद्रा का पुनः क्रय (repurchase) किया था। सन 1956-57 में भारत के विदेशी विनिमय कोष में भारी कमी हो गयी थी। अतः इस कमी को दूर करने के लिए फरवरी 1957 में भारत सरकार ने मुद्रा-कोष से 200 मिलियन डॉलर की कीमत की विदेशी मुद्रा खरीदी थी। यह राशि भारत सरकार ने तीन किस्तों में प्राप्त की थी। जुलाई 1961 में भारत सरकार ने मुद्रा-कोष के साथ एक समझौता किया था जिसके अन्तर्गत भारत को 250 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्राएँ कोष से खरीदने का अधिकार दिया गया था। इस राशि में 110 मिलियन अमरीकन डॉलर, 60 मिलियन डॉलर के बराबर पौण्ड्स स्टर्लिंग 45 मिलियन डॉलर के बराबर पश्चिमी जर्मनी के मार्क (Marks), 15 मिलियन डॉलर के बराबर फ्रांस के फ्रैंक्स (Francs), 15 मिलियन डॉलर के बराबर इटली की लीरा (Lira) तथा 5 मिलियन डॉलर के बराबर जापान की येन (Yen) मुद्रा सम्मिलित थी। किन्तु इस ऋण के बावजूद भारत के विदेशी विनिमय-कोष में बराबर कमी होती चली गयी। अतः जुलाई 1963 में भारत सरकार ने मुद्रा-कोष से 100 मिलियन डॉलर स्टैंड बाई क्रेडिट (Stand by Credit) प्राप्त किया। परन्तु सीमाव्यवस्था भारत के विदेशी व्यापार में अप्रत्याशित सुधार होने के कारण इस ऋण का उपयोग नहीं किया गया था।

मार्च 1965 में अदायगी शेष (balance of payments) की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए मुद्रा कोष ने भारत को 200 मिलियन डॉलर के मूल्य का एक अन्य ऋण (Stand by Credit) प्रदान किया था। इस ऋण के समझौते के अन्तर्गत, भारत मुद्रा-कोष से आस्ट्रेलियन पौण्ड, केनेडियन डॉलर, इटैलियन लीरा, जापानी येन, फ्रांसीसी फ्रांक तथा पश्चिमी जर्मनी मार्क उधार रूप में ले सकता था। दिसम्बर, 1967 में भारत ने मुद्रा-कोष से 90 मिलियन डॉलर खरीदे थे। यह राशि Decision on Compensatory Financing of Export Fluctuations के अन्तर्गत मुद्रा-कोष से प्राप्त की गयी थी। इसका उद्देश्य भूखान-सन्तुलन में उत्पन्न हुए घाटे को पूरा करना था। भारत को विशेष आहरण अधिकार योजना के अन्तर्गत विकासात्मक कार्यों के लिए 126 मिलियन डॉलर की राशि आवंटित की गयी थी। इस योजना का अर्थ चलकर विस्तृत विवरण दिया जायेगा। जुलाई 1970 तक भारत ने उक्त राशि में से 41.75 मिलियन डॉलर का उपयोग किया था।

भारत उन 39 गम्भीर रूप से प्रभावित देशों में से था जो सन् 1976 की 'तेल सुविधा' (Oil Facility) के अन्तर्गत व्याज उपदान खाते में से सहायता प्राप्त करने के अधिकारी थे। मुद्रा-कोष ने 18 देशों को तेल सुविधा के अन्तर्गत 18.3 मिलियन डॉलर दिये थे। भारत भी इन देशों में से था। भारत को यह सहायता 5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर मिली थी।

भारत उन 61 देशों में से है जो विशेष ट्रस्ट कोष (Special Trust Fund) में से वित्तीय सहायता पाने के अधिकारी हैं। यह कोष मई 1976 में स्थापित किया गया था। इस कोष में स्वर्ण की बिक्री से प्राप्त होने वाले लाभ को जमा किया जायेगा। फिर इस कोष में से उन देशों को सहायता दी जायेगी जो भूखान-सन्तुलन के घाटे से पीड़ित होंगे। अपने वर्तमान कौटे के आधार पर भारत इस कोष की 2.5% सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा। यह सहायता रियायती ऋणों के रूप में दी जायेगी। इन पर 0.50 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर सी जायेगी। ऋणों की अदायगी ऋण प्राप्ति की तिथि से पाँच वर्षों के भीतर 10 समान अर्ध वार्षिक किस्तों में की जायेगी।

सन् 1976 के दौरान मुद्रा-कोष ने स्वर्ण की विशी हेतु तीन नीलामो का आयोजन किया था लेकिन 37 बिलियन SDRs का लक्ष्य पूरा न हो सका।

मुद्रा कोष के प्रारम्भ से लेकर 31 मार्च, 1974 तक भारत इस कोष से 817.49 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्राएँ खरीद चुका था।

भारत की मुद्रा-कोष से लाभ—ये लाभ निम्नलिखित हैं :

(1) रुपये की स्वतन्त्रता—जैसा विदित है, मुद्रा-कोष की स्थापना से पूर्व भारतीय रुपया ब्रिटेन के पौण्ड स्टर्लिंग से बँधा हुआ था, परन्तु मुद्रा-कोष के कारण भारत का रुपया अब एक स्वतन्त्र मुद्रा बन गया। अब रुपये का मूल्य पौण्ड स्टर्लिंग में निर्धारित न होकर, स्वर्ण में निश्चित होने लगा है। इस प्रकार भारतीय रुपये का परिवर्तन किसी भी देश की मुद्रा में हो सकता है।

(2) विदेशी मुद्राओं की उपलब्धता—जैसा पूर्व कहा जा चुका है, मुद्रा कोष के पात विदेशी मुद्राओं का सदैव भारी स्टॉक रहता है और मुद्रा-कोष का सदस्य होने के नाते भारत समय-समय पर आवश्यकतानुसार कोष से विदेशी मुद्राएँ खरीदता रहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास को तीव्र करने में बहुत सहायता मिलती है। मुद्रा-कोष से विदेशी मुद्राएँ खरीद कर भारत विदेशों से मशीनें आदि आयात कर सकता है।

(3) विश्व बैंक की सदस्यता—मुद्रा-कोष का सदस्य होने के नाते भारत अन्तरराष्ट्रीय-बैंक का सदस्य भी बन सका है। जैसा विदित है, विकास कार्यों के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर इस बैंक से कई ऋण प्राप्त किये हैं।

(4) अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का महत्त्व—मुद्रा कोष में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत उन पाँच बड़े देशों में से है जिनको मुद्रा-कोष के संचालक-मण्डल में स्थाई स्थान प्राप्त है। अपनी इस स्थिति के आधार पर भारत मुद्रा-कोष की नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लेता है। इसी कारण अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में भारत का महत्त्व बढ़ गया है।

(5) आर्थिक परामर्श की उपलब्धता—मुद्रा-कोष का सदस्य होने के नाते भारत समय-समय पर अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान में मुद्रा-कोष से परामर्श भी ले सकता है। उदाहरणार्थ, पंचवर्षीय योजनाओं के अर्थ-प्रबन्ध के बारे में मुद्रा-कोष ने समय-समय पर भारत सरकार को बहुमूल्य परामर्श दिया है।

(6) सङ्कटकाल में सहायता—मुद्रा कोष ने भारत के अदायगी-कोष में होने वाली प्रतिकूलता को दूर अथवा कम करने में यथासमय सहायता दी है। उदाहरणार्थ, सितम्बर 1965 में पाकिस्तानी आक्रमण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा-कोष ने तत्काल ही भारत को 20 करोड़ डालर के मूल्य का ऋण देना स्वीकार कर लिया था।

भारत को मुद्रा-कोष से हानियाँ—कुल आलोचकों का कहना है कि मुद्रा-कोष की सदस्यता के कारण भारत को कुछ हानियाँ भी हुई हैं

(1) मुद्रा-कोष ने भारतीय पौण्ड-पावने (Sterling Balances) के भुगतान के लिए कोई सुविधा नहीं दी है। वास्तव में, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरान्त इस आलोचना का विशेष महत्त्व था। परन्तु समय के बीतने के साथ साथ अब यह आलोचना निरर्थक हो गयी है। इसका कारण यह है कि अब पौण्ड-पावने की समस्या का कोई विशेष महत्त्व नहीं रहा है।

(2) दूसरी आलोचना यह की जाती है कि भारत का कोटा उसको प्राप्त होने वाले लाभ के अनुपात में अधिक रखा गया है। परन्तु इस आलोचना में भी कोई विशेष सार नहीं है।

(3) तीसरी आलोचना यह की जाती है कि भारत सरकार ने जगता या विधान-मण्डलों की स्वीकृति के बिना ही मुद्रा-कोष की सदस्यता स्वीकार कर ली थी।

स्मरण रहे कि उक्त आलोचनाओं का अब कोई विशेष महत्त्व नहीं है। वास्तव में, भारत को कोष का सदस्य बनने से कई लाभ प्राप्त हुए हैं।

अन्तरराष्ट्रीय तरलता एवं अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Liquidity And the I M F)

अन्तरराष्ट्रीय तरलता की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। स्वर्णमान के युग में भी यह समस्या विद्यमान थी। स्वर्णमान पर आधारित कतिपय देशों के पास भुगतान सन्तुलन के घाटे को पूरा करने हेतु पर्याप्त स्वर्ण निधियाँ नहीं थी। वास्तव में, अन्तरराष्ट्रीय तरलता की अपर्याप्ता सन 1930 के बाद स्वर्णमान के पतन का मुख्य कारण थी। सन् 1958 के बाद मुद्रा कोष के सदस्य देशों में अन्तरराष्ट्रीय तरलता की विगड़ती हुई स्थिति के बारे में काफी चिन्ता व्याप्त थी। सत्य तो यह है कि विगन कुछ वर्षों में अन्तरराष्ट्रीय तरलता की समस्या बहुत गम्भीर हो गई है।

“अन्तरराष्ट्रीय तरलता” से अभिप्राय उन सभी वित्तीय साधनों एवं सुविधाओं से है जो सदस्य देशों के मुद्रा अधिकरणों (monetary authorities) को भुगतान-सन्तुलन के घाटे को पूरा करने हेतु उपलब्ध होती है। अन्तरराष्ट्रीय तरलता के विभिन्न अंग (components) इस प्रकार हैं, (क) केन्द्रीय बैंकों के पास रखा हुआ स्वर्ण (निजी व्यक्तियों का स्वर्ण इसमें सम्मिलित नहीं होता)। (ख) केन्द्रीय बैंकों के विदेशी मुद्राओं के कोष (ग) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मुद्रा-कोष से उपलब्ध होने वाली ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ (घ) SWAP तथा अन्य सम्बन्धित साधन योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली साख सुविधाएँ (ङ) अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में देश की ऋण लेने सम्बन्धी क्षमता। “अन्तरराष्ट्रीय तरलता” नामक पद के अन्तर्गत निम्न लिखित मदें सम्मिलित नहीं की जाती—(i) निजी व्यक्तियों द्वारा रखा गया विदेशी मुद्राओं का स्टॉक (ii) अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक सौदों का वित्तपोषण करने हेतु बैंक साख (iii) निर्यात उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयात निर्यात बैंक (Import Export Bank) जैसी सरकारी सस्थाओं द्वारा दी गई साख (iv) विषय बैंक अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम एवं अन्तरराष्ट्रीय विकास सघ जैसी सस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई दीर्घकालीन साख। अन्तरराष्ट्रीय तरलता की वर्तमान अपर्याप्तता की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि सदस्य देशों को आजकल भुगतान-सन्तुलन सम्बन्धी कठिनाइयों का अधिकाधिक सामना करना पड़ रहा है। स्वर्ण एवं स्वीकार्य विदेशी मुद्राओं के भण्डारों जैसे अन्तरराष्ट्रीय भुगतानों के साधनों में इतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई है कि विभिन्न देशों की भुगतान सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सन 1964 के बाद तो विश्व की स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं की निधियों में बहुत ही धीमी दर पर वृद्धि हुई है। सत्य तो यह है कि विश्व की कुल स्वर्ण निधियों में गिरावट आयी है। सन् 1965 में इन निधियों की कुल मात्रा 41.9 बिलियन SDR थी लेकिन सन 1971 में ये गिरकर 36.1 बिलियन SDR ही रह गई थी। लेकिन जहाँ स्वर्ण निधियों में गिरावट आयी है वहाँ अन्तरराष्ट्रीय साख सौदों की मात्रा में इमी दौरान बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। विगत कुछ वर्षों में मांग के बढ़ते हुए दमाव तथा अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक निधियों की गिरावट के कारण कतिपय प्रमुख सदस्य देशों को भी अपनी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करने पर विवश होना पड़ा था। भुगतान सन्तुलन पर पड़ने वाला दबाव इतना भारी था कि एक समय के सर्व शक्तिमान अमरीकी डॉलर का 14 महीने से भी कम अवधि में दो बार अवमूल्यन करना पड़ा था।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक ऐसी अन्तरराष्ट्रीय सस्था है जो तरलता से ही व्यवहार करती है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समय-समय पर मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को भुगतान सन्तुलन के घाटे को पूरा करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय तरलता प्रदान करता है। यह सदस्यों को दो प्रकार की तरलताएँ प्रदान करता है। प्रथम प्रकार की तरलता से अभिप्राय स्वर्ण-ट्रेंचों (gold tranche) में सदस्यों के आहरण अधिकारों से है। इसे ‘शर्तहीन तरलता’ (unconditional liquidity) कहा जाता है। इस शर्तहीन तरलता को सदस्य देश यही दर्जा देते हैं जो किसी अन्य रिजर्व निधि को दिया जाता है। जब कोई देश स्वर्ण-ट्रेंचों में से ऋण लेता है तो मुद्रा कोष उस पर कोई शर्त नहीं लगाता। दूसरे शब्दों में, स्वर्ण-ट्रेंचों में से ऋण लेना ही बिना किसी शर्त के दे दिया जाता है। दूसरी प्रकार की तरलता से अभिप्राय साख-ट्रेंचों (credit tranche) में से सदस्य देशों के आहरण अधिकारों से है। इसे शर्त तरलता (conditional liquidity) की सजा

दी जाती है। लेकिन साख-ट्रेंची में से मुद्रा-कोष सदस्य देशों को त्रिया-परीक्षण (performance test) त्रिया-न्वित किये बिना ऋण नहीं देता। दूसरे शब्दों में, साख ट्रेंची में से ऋण तभी दिया जाता है जब सदस्य देश उस पर लगाई गई शर्तों का पालन करने का आश्वासन मुद्रा कोष को देते हैं।

मुद्रा कोष द्वारा दी गई शर्तहीन तरलता की मात्रा सशर्त तरलता की तुलना में कम है। इस समय मुद्रा कोष की शर्तहीन तरलता प्रदान करने की क्षमता 6 बिलियन SDR से ऊपर ही है जब कि सशर्त तरलता की पूर्ति 16 बिलियन SDR से भी अधिक है। हाल ही के वर्षों में सदस्य देशों के कोटों में की गई वृद्धियों के परिणामस्वरूप शर्तहीन एव सशर्त दोनों ही प्रकार की तरलताओं में विस्तार हुआ है। सितम्बर 1975 में शर्तहीन एव सशर्त दोनों ही तरलताओं की कुल मात्रा 29.1 बिलियन SDR से भी अधिक थी।

मुद्रा-कोष सदस्य देशों को (stand by credit) के रूप में वित्तीय सहायता देता है। इस सुविधा का सृजन सन 1952 में किया गया था। यह सुविधा उन सदस्य देशों के लिए है जिन्हें तत्काल तो मुद्रा-कोष से सहायता की आवश्यकता नहीं लेकिन निकट भविष्य में सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। मुद्रा कोष द्वारा (Stand by credit) प्रणाली के अन्तर्गत सदस्य देशों को दी गई वित्तीय सहायता विगत कुछ वर्षों में पर्याप्त बढ़ी है। मुद्रा कोष सदस्य देशों को एक अन्य योजना के अन्तर्गत भी तरलता प्रदान करता है। इस योजना को GAB (General Arrangement to Borrow) की सजा दी गई है। यह योजना दिसम्बर, 1964 में चार वर्षों के लिए प्रारम्भ की गई थी। लेकिन उस अवधि के समाप्त होने के बाद भी इसे जारी रखा गया था। इस योजना के अन्तर्गत मुद्रा-कोष को यह अधिकार दिया गया है कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी किसी महान सकट का सामना करने हेतु वह 10 बड़े औद्योगिक देशों से 6 बिलियन SDR के बराबर उनके मुद्राएँ उधार ले सकता है। दिसम्बर 1976 में विदेशी मुद्रा सकट का सामना करने हेतु इसी योजना के अन्तर्गत ग्रैंट ब्रिटेन को 3.9 बिलियन डालर का ऋण दिया गया था।

सदस्य देशों को ऋण प्रदान करने हेतु मुद्रा कोष की एक अन्य योजना भी है। इसे "Compensatory Financing of Export Fluctuations Scheme" कहा जाता है। इस योजना के अन्तर्गत मुद्रा-कोष सदस्य देशों को उनके साधारण आह्वरण अधिकारों के अलावा एक अन्य प्रकार का ऋण देता है। यह ऋण सदस्य देशों को उनके निर्यात उपाजनों (export earnings) में कमी से उत्पन्न भुगतान सन्तुलन के घाटे को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इस योजना को सन 1963 में प्रारम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत भुगतान-सन्तुलन में बिर-स्थाई घाटे से पीड़ित कोई भी सदस्य देश अतिरिक्त ऋण के लिये आवेदन कर सकता है लेकिन शर्त यह है कि भुगतान सन्तुलन का घाटा निर्यात उपाजनों में उतार चढ़ाव के कारण हुआ हो। इस योजना के अन्तर्गत किसी भी सदस्य देश को उसके कोटे के 25 प्रतिशत से अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता था। बाद में चलकर सितम्बर 1966 में किये गये सशोधन के अनुसार इस सीमा को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था।

सन 1976 की समाप्ति पर मुद्रा-कोष द्वारा सदस्य देशों को दिया गया कुल ऋण (बकाया ऋण) 13.5 बिलियन SDRs था। मुद्रा-कोष के समूचे इतिहास में यह राशि अधिकतम थी। इसी प्रकार सन् 1975 की "तेल सुविधा" (Oil Facility) (जो अब समाप्त हो चुकी है) सदस्य देशों को पर्याप्त ऋण राशि दी गई थी।

विशेष आह्वरण अधिकार (Special Drawing Rights)

अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता वर्षों से अनुभव की जा रही थी। इस सन्दर्भ में विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किये गये थे। वर्षों के बाद विवाद के बाद अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के 10 महत्वपूर्ण सदस्यों ने मिलकर एक नयी मौद्रिक योजना का निर्माण किया था। अक्टूबर 1967 में रियो डी जनीरो (Rio de Janeiro) में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एव विश्व बैंक का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन ने इस योजना का अनुमोदन किया था। उक्त योजना को अब रियो सन्धि (Rio Agreement) कहा जाने लगा है। 3 अक्टूबर, 1969 को वाशिंगटन (Washington) में हुई I.M.F. की बैठक में रियो सन्धि

को अन्तिम स्वीकृति दे दी गयी थी। 1 जनवरी, 1970 से यह योजना लागू हो गयी थी। इसे विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights) की सजा दी गयी है। विशेष आहरण अधिकारों को कागजी सोना (Paper Gold) भी कहते हैं। अन्तरराष्ट्रीय भुगतानों के असन्तुलनों की समस्या के समाधान में मुद्रा-कोष द्वारा उठाया गया यह एक अति महत्वपूर्ण कदम है। अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के उद्विकास में यह एक ऐतिहासिक कदम है।

कागजी सोना योजना का उद्देश्य नयी अन्तरराष्ट्रीय रिजर्व निधियों (new international reserves) का सृजन करना है। यह तो सर्वविदित ही है कि इस समय अन्तरराष्ट्रीय तरलता (International liquidity) अथवा अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय साधनों का बड़ा अभाव है। माँग अधिक है लेकिन पूर्ति कम। इस योजना का उद्देश्य नयी अन्तरराष्ट्रीय निधियों का सृजन करके वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय तरलता के अभाव को दूर करना है। इस योजना का महत्त्व दूरगामी है क्योंकि इसके अन्तर्गत एक नयी अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा का सृजन किया गया है। मुद्रा-कोष के सदस्य इस नयी मुद्रा को स्वीकार करने के लिए वचनबद्ध हैं। इस योजना का विशुद्ध परिणाम यह होगा कि अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय साधनों के लिए विश्व अब केवल स्वर्ण एवं राष्ट्रीय मुद्राओं पर ही निर्भर नहीं करेगा। इस नवीन मुद्रा का भी अधिकाधिक प्रयोग किया जायगा।

आइए, अब हम विशेष आहरण अधिकार योजना की व्याख्या करें और देखें कि इसके अन्तर्गत सदस्य देशों को कौन-सी नयी सुविधा प्राप्त होगी। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के विधान के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य देश का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। सदस्य देश को इस कोटे का $\frac{1}{2}$ भाग स्वर्ण अथवा अमरीकी डालरों में धुकाया पड़ता है। शेष $\frac{1}{2}$ भाग राष्ट्रीय मुद्रा में देना पड़ता है। इस प्रकार मुद्रा-कोष के पास स्वर्ण, अमरीकी डालरों तथा राष्ट्रीय मुद्राओं की निधि रहती है। अब यदि किसी देश के भुगतान-सन्तुलन में घाटा उत्पन्न हो जाता है तो मुद्रा-कोष के विधान के अन्तर्गत वह अपने आहरण अधिकारों (drawing rights) का उपयोग कर सकता है। अर्थात् वह देश मुद्रा-कोष से किसी विशिष्ट राष्ट्रीय मुद्रा की माँग कर सकता है। जब उसके भुगतान सन्तुलन में पुनः सन्तुलन स्थापित हो जाता है अर्थात् घाटा दूर हो जाता है तो उसे वह मुद्रा लौटानी पड़ती है। अतः मुद्रा-कोष द्वारा प्रदत्त ये आहरण अधिकार अल्पकालीन ऋणों (short-term loans) की भाँति हैं। उन्हें लौटाना पड़ता है। कोई भी सदस्य देश अपने कोटे के 25 प्रतिशत तक तो बै-रोकटोक विदेशी मुद्राएँ, कोष से खरीद सकता है। उसके कोटे के इस भाग को gold tranche कहते हैं। 'tranche' एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है टुकड़ा अथवा slice। gold tranche तक का उपयोग करने के लिए सदस्य देश को मुद्रा-कोष की अनुमति नहीं लेनी पड़ती। यह तो उसका विधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। मुद्रा-कोष सदस्य देश को इससे बचत नहीं रख सकता। लेकिन यदि कोई सदस्य देश अपने कोटे के 25 प्रतिशत से अधिक (अर्थात् gold tranche से अधिक) के मूल्य की विदेशी मुद्रा की माँग करता है तो उसे मुद्रा कोष से अनुमति लेनी पड़ती है।

ऊपर हमने वर्तमान कोटा एवं आहरण अधिकार प्रणाली की व्याख्या इसलिए की है क्योंकि विशेष आहरण अधिकारों की नयी योजना इसी पर आधारित है। मान लीजिए कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष 3 मिलियन डालरों के बराबर विशेष आहरण अधिकारों (special drawing rights) का सृजन करता है। अब इस राशि को सदस्य देशों में उनके अपने-अपने कोटों के अनुपात में वितरित कर दिया जायेगा। जब एक बार सदस्य देशों में विशेष आहरण अधिकारों (SDR'S) का वितरण कर दिया जाता है तो उन्हें उन अधिकारों के तुल्य विदेशी विनिमय मुद्रा कोष से प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। विदेशी विनिमय की उस निश्चित राशि का उपयोग करने के लिए सदस्य देश को मुद्रा-कोष से पुनः अनुमति नहीं लेनी पड़ती। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सदस्य देश भुगतान-सन्तुलन के घाटे को पूरा करने के लिए ही विशेष आहरण अधिकारों का प्रयोग करेंगे, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। इस नयी योजना की मुख्य बात यह है कि प्रत्येक देश को अन्य देशों के विशेष आहरण अधिकारों को स्वीकार करना पड़ता है और माँग किये जाने पर उन्हें अपनी मुद्रा देनी पड़ती है। विशेष आहरण अधिकारों से सम्बन्धित सभी सौदे मुद्रा-कोष के माध्यम से किये जाते हैं।

पाठक यह समझ गये होंगे कि विशेष आहरण अधिकारो का वितरण सदस्य देशो के लिए बड़े महत्त्व का विषय होता है। जब किसी देश को विशेष आहरण अधिकारो (SDR's) का कोटा दे दिया जाता है तो शेष जगत पर उसका एक प्रकार का दावा (claim) स्थापित हो जाता है। दूसरे शब्दो मे, वह देश अन्य देशो से वस्तुओ, सेवाओ एव अन्य परिसम्पत्तियो जैसे वास्तविक साधनो का ऋय करने हेतु अपने विशेष आहरण अधिकारो का प्रयोग कर सकता है।

चूँकि नव-सृजित विशेष आहरण अधिकारो का वितरण सदस्य देशो के वर्तमान कोटो के अनुपात मे ही किया गया है, अतः इन अधिकारो का अधिकांश भाग पश्चिम के विकसित देशो को ही मिला है। यह उचित नही है। अल्पविकसित देशो की आयात सम्बन्धी आवश्यकताएँ अधिक हैं। उन्हें इन SDR's का अधिकांश मिलना चाहिए था। लेकिन इस योजना मे ऐसा नही किया गया है। फिर भी अल्प-विकसित देशो को इस योजना से कुछ लाभ तो हुआ ही है। आयातों के लिए अब उन्हें अधिक विदेशी मुद्राएँ प्राप्त हो सकेंगी।

जब एक बार मुद्रा-कोष द्वारा SDR's की एक निश्चित राशि का सृजन कर दिया जाता है तो उससे विश्व की अन्तरराष्ट्रीय निधियो (international reserves) मे वृद्धि हो जाती है। जब एक सदस्य देश SDR's के अपने कोटे का प्रयोग करता है तो दूसरा सदस्य, उस राशि को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार SDR योजना तभी क्रियान्वित की जा सकती है जबकि मुद्रा कोष के सभी सदस्यो का सहयोग प्राप्त हो। यही कारण है कि नये अतिरिक्त SDR's का सृजन तभी किया जा सकता है जबकि मुद्रा-कोष की कुल वोट शक्ति (total voting power) का 85 प्रतिशत बहुमत उसके पक्ष मे हो।

स्वर्ण और राष्ट्रीय मुद्राएँ तो पहले ही अन्तरराष्ट्रीय निधियो का कार्य कर रही थी। अब रियो सन्धि के अन्तर्गत एक तीसरी प्रकार की अन्तरराष्ट्रीय निधि (international reserve) का आविष्कार हुआ है। यह एक ऐसी निधि है जिसका सृजन सदस्य देशो द्वारा मनचाही मात्रा मे किया जा सकता है। इस प्रकार इतिहास मे प्रथम बार विश्व को एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसे सही अर्थो मे अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा (international money) कहा जा सकता है।

सशोधित नियमो के अन्तर्गत मुद्रा-कोष की क्रियाएँ (operations) दो पृथक खातों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। मुद्रा-कोष के सामान्य सौदो को सामान्य खाते (General Account) के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है (स्मरण रहे, इन सौदो मे सदस्य देशो को बेची जाने वाली विदेशी मुद्राएँ भी सम्मिलित होती हैं।) दूसरे शब्दो मे, सामान्य खाते का सम्बन्ध सदस्य देशो के सामान्य आहरण अधिकारो (general drawing rights) से होता है। लेकिन इस नई योजना को लागू करने हेतु मुद्रा-कोष मे एक नया खाता खोला है। इसे विशेष आहरण खाता (special drawing account) कहते हैं। विशेष आहरण अधिकारो से सम्बन्धित सभी क्रियाएँ इस खाते मे माध्यम से सम्पन्न की जाती हैं। दूसरे शब्दो मे, इस खाते का सम्बन्ध सदस्य देशो के विशेष आहरण अधिकारो से है।

1 जनवरी, 1970 को 35 बिलियन SDR का प्रथम आवण्टन (allocation) किया गया था। यह आवण्टन 105 उन सदस्य देशो को किया गया था जो इस योजना मे भाग ले रहे थे। 1 जनवरी, 1970 को 3 बिलियन SDR का दूसरा आवण्टन किया गया था। इस राशि को 110 सदस्य देशो के बीच वितरित किया गया था। इसी प्रकार SDR का तीसरा एव अन्तिम आवण्टन 1 जनवरी, 1972 को किया गया था। यह राशि 112 सदस्य देशो के बीच वितरित की गई थी। SDR का अधिकतम कोटा (अर्थात् 2,249 बिलियन SDR) संयुक्त राज्य अमरीका को प्राप्त हुआ था। भारत को केवल 326.34 बिलियन SDR ही प्राप्त हुए थे।

SDR योजना तीन वर्ष से भी अधिक समय तक लागू रही थी। इस अवधि मे 95 बिलियन SDR की कुल राशि 112 सदस्य देशो मे वितरित की गई थी। इसमे से 68 सदस्य देशो द्वारा 1.9 बिलियन SDR का वास्तविक प्रयोग किया गया था। बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान एव नेदरलैंड SDR के प्रमुख प्राप्तकर्ता थे जबकि ग्रेट ब्रिटेन एव संयुक्त राज्य अमरीका इनके प्रमुख उपयोगकर्ता थे। अल्प विकसित देशो ने भी SDR की इस नई सुविधा का पर्याप्त उपयोग किया था।

SDR के सृजन की मूल अवधि 31 दिसम्बर 1972 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद मुद्रा कोष ने न तो SDR का सृजन किया और न ही इसका आवण्टन किया या यद्यपि निर्धन सदस्य देशों ने इनके लिए निरन्तर मांग की थी क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय तरलता की कमी को दूर करने का यह एक अच्छा साधन था। लेकिन मुद्रा कोष ने निर्धन देशों की इस उचित मांग को सर्वद्व ठुकरा दिया। इसका कारण यह है कि मुद्रा कोष में धनी देशों का बोलबाला है। धनी देशों के विरोध को व्यक्त करते हुए अमरीकी कोष मन्त्री, श्री साईमन (Simon) ने 4 अक्टूबर 1976 को मुद्रा कोष की मनीला में हुई बैठक में कहा था "विकासशील देशों की मांग, वास्तव में, एक खतरनाक विकल्प है। यदि इस मांग को स्वीकार कर लिया जाय तो मुद्रा कोष एक अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक द्वापाखाना बन जायेगा। इससे विश्व अर्थव्यवस्था में स्फीतिक शक्तियों (inflationary forces) को और अधिक बल मिलेगा। यही कारण है कि मुद्रा कोष ने SDR का नवीन सृजन करने में साफ इन्कार कर दिया था। अल्प विकसित देशों की यह भी मांग रही है कि विकास सहायता की मात्रा को भी SDR के आवण्टन से जोड़ दिया जाय।

डालर संकट एवं अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (Dollar Crisis and The I M F)

जैसे तो अमरीकी डालर की स्थिति विगत कई वर्षों से विगड़ती जा रही थी। लेकिन सन् 1971 के मध्य में तो इसने संकट का रूप धारण कर लिया था। अगस्त 1971 में तो अमरीकी डालर का संकट अपनी चरमसीमा पर पहुँच चुका था। वास्तव में, अमरीकी डालर के संकट के दो मुख्य कारण थे—(i) आन्तरिक, (ii) बाह्य।

(i) विगत कुछ वर्षों से अमरीकी अर्थ-व्यवस्था की दशा विगड़ती जा रही थी। उसे स्फीति का घुन लग गया था जो भीतर ही भीतर उसे खाये जा रहा था। इसी स्फीति के कारण अमरीकी कीमतें तेजी से बढ़ती जा रही थीं। विगत कई वर्षों से अमरीकी कीमतों में 42 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हो रही थी। वास्तव में, अमरीकी कीमतों की यह वृद्धि बहुत गम्भीर थी। इसके प्रति कुल प्रभाव अमरीकी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ रहे थे। जीवन-निर्वाह लागत प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसके साथ ही साथ दुर्भाग्य से बेरोजगारी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। उत्पादन कम होता चला जा रहा था और विकास की दर में भी निरन्तर ह्रास हो रहा था। सत्य तो यह है कि अमरीकी अर्थ व्यवस्था रुग्णवस्था में थी। अमरीकी कीमतों के लगातार बढ़ने से डालर का आन्तरिक मूल्य काफी गिर चुका था। स्मरण रहे, जब किसी मुद्रा का आन्तरिक मूल्य गिरने लगता है तो उसका बाह्य मूल्य भी स्थिर नहीं रह सकता।

(ii) विगत कुछ वर्षों से अमरीकी डालर के बाह्य मूल्य में भी ह्रास हो रहा था। वर्ष-प्रतिवर्ष डालर की बाह्य स्थिति दुर्बल होती जा रही थी। इसका मुख्य कारण अमरीका के भुगतान-सन्तुलन (balance of payments) की प्रतिकूलता थी। वर्ष प्रतिवर्ष अमरीकी भुगतान सन्तुलन का घाटा (deficit) बढ़ता चला जा रहा था। सन् 1970 में यह घाटा 10,000 मिलियन डालर था। लेकिन सन् 1971 के प्रथम छ महीनों में यह बढ़कर 12,000 मिलियन डालर हो गया था। अब प्रश्न यह है कि अमरीकी भुगतान सन्तुलन में यह घाटा क्यों उत्पन्न हुआ था और वर्ष प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि क्यों हो रही थी? वास्तव में विगत कुछ वर्षों में अमरीका के आयात तेजी से बढ़ रहे थे। ये आयात अधिकांशतः पश्चिमी जर्मनी एवं जापान से किये जा रहे थे। इसका कारण यह था कि पश्चिमी जर्मनी एवं जापान का माल अमरीका में अमरीकी माल की तुलना में सस्ता पड़ता था। इस प्रकार जहाँ एक ओर अमरीका के आयात बढ़ रहे थे वहाँ दूसरी ओर अमरीका के निर्यातों में निरन्तर कमी हो रही थी। उसका कारण यह था कि निरन्तर स्फीति के परिणाम स्वरूप अमरीकी माल की कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। विदेशी बाजारों में अमरीकी माल जर्मनी एवं जापान के माल का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। परिणामतः विदेशों में अमरीकी माल की मांग निरन्तर घटती जा रही थी। ऐसी स्थिति में अमरीकी भुगतान सन्तुलन में घाटे का होना अनिवार्य था। इस घाटे का एक अन्य कारण भी था। विगत कुछ वर्षों से विदेशों में, विशेष-कर वियतनाम एवं कोरिया में, अमरीकी सरकार का सैनिक व्यय तेजी से बढ़ रहा था। यहाँ तक कि ये देश अमरीकी डालरों से पट गये थे। अमरीकी भुगतान सन्तुलन में उत्पन्न हुए इस गम्भीर

घाटे के ही परिणामस्वरूप डालर की बाह्य स्थिति दुबल होती चली गयी। स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा-बाजारों में डालर का मूल्य गिरने लगा। पश्चिमी यूरोप विशेषकर पश्चिमी जर्मनी तथा जापान में डालर की बाढ़ सी आ गयी। इन देशों की मुद्राएँ अपेक्षाकृत दृढ़ थीं। डालर को इन मुद्राओं में परिवर्तित करने के सगठित प्रयास किये जाने लगे। इससे डालर की स्थिति और अधिक कम-जोर हो गयी। अगस्त 1971 के प्रथम सप्ताह में तो डालर का सकट अपनी चरमसीमा पर पहुँच चुका था। 1 अगस्त 1971, की रात्रि को अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने डालर के सकट पर काबू पाने हेतु एक नवीन आर्थिक नीति (New Economic Policy) की घोषणा की थी। इस नीति की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं।

(i) विदेशी बाजारों एव केन्द्रीय बैंको के लिए डालर की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता का अस्थायी निलम्बन (temporary suspension) किया जाना। इस निलम्बन के साथ ही साथ अन्य देशों के साथ बातचीत द्वारा उनकी मुद्राओं एव डालर के बीच विनिमय की दर में परिवर्तन करना। लेकिन राष्ट्रपति निक्सन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार द्वारा निर्धारित सोने की कीमत (अर्थात् 35 डालर प्रति औंस) में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। दूसरे शब्दों में, अमरीकी राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि डालर का अवमूल्यन नहीं किया जायेगा।

(ii) सभी आयातों पर अमरीकी सरकार द्वारा अस्थायी आधार पर 10 प्रतिशत अधिभार (surcharge) का लगाया जाना।

(iii) तीन महीने की अवधि के लिए सभी कीमतों एव मजदूरियों का उनके तत्कालीन स्तरों पर स्थिरीकरण (freezing) किया जाना। दूसरे शब्दों में, इस अवधि के दौरान सरकार कीमतों एव मजदूरियों में किसी प्रकार की वृद्धि की अनुमति नहीं देगी।

(iv) विदेशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 10 प्रतिशत की कटौती करना।

राष्ट्रपति श्री निक्सन की उपर्युक्त नवीन आर्थिक नीति का उद्देश्य डालर के आन्तरिक एव बाह्य मूल्य में सुधार करना था। वैसे तो डालर की दुबल आन्तरिक एव बाह्य स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति निक्सन को इसका अवमूल्यन कर देना चाहिए था। लेकिन कहा जाता है कि राजनीतिक कारणों से अमरीकी सरकार ने डालर का अवमूल्यन करना उचित नहीं समझा। डालर का अवमूल्यन करने के बजाय अमरीकी सरकार ने पश्चिमी जर्मनी, जापान एव सुदृढ़ मुद्राओं वाले अन्य यूरोपीय देशों पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वे अपनी मुद्राओं का पुनर्मूल्यन (revaluation) करें। लेकिन इन देशों ने अपनी मुद्राओं का पुनर्मूल्यन करने से साफ इन्कार कर दिया था। पश्चिमी जर्मनी एव जापान ने अपनी मुद्राओं को बाजार में अपना स्तर प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र छोड़ दिया था। इस प्रकार जापानी येन (Yen) एव जर्मनी मार्क (Mark) के मूल्यों में खुले बाजार में उतार-चढ़ाव होते रहे। लेकिन इन मुद्राओं की सामान्य प्रवृत्ति डालर की तुलना में ऊपर चढ़ने ली थी। अमरीकी कार्यवाही के परिणामस्वरूप ब्रेटन वुड्स द्वारा स्थापित मौद्रिक प्रणाली भंग हो गयी थी। विशेषकर विकासशील देशों को तो अमरीकी कार्यवाही से बहुत ही आघात पहुँचा था। प्रथम, अनेक विकासशील देशों ने अपनी मुद्राओं के विरुद्ध डालर को अपनी विदेशी विनिमय राशियों में रिजर्व के रूप में रख छोड़ा था। उदाहरणार्थ, भारत सरकार ने 300 मिलियन डालर अपनी विदेशी विनिमय राशियों में रखे हुए थे। किन्तु अमरीकी सरकार की उपर्युक्त कार्यवाही के कारण अब यह डालर राशि स्वर्ण में परिवर्तित नहीं की जा सकती थी। इसका उपयोग केवल अमरीका से माल खरीदने में ही किया जा सकता था। दूसरे, विकासशील देशों को दी जाने वाली अमरीकी सहायता में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी थी इससे इन देशों के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। तीसरे, इन देशों द्वारा अमरीका को किये जाने वाले निर्यातों पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाये जाने से इनके डालर उपार्जन (Dollar Earnings) पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अनिवार्य था।

डालर का अवमूल्यन 18 दिसम्बर, 1971—इस प्रकार अगस्त, 1971 में उत्पन्न डालर सकट जारी रहा। लेकिन 18 दिसम्बर 1971 को इस गतिरिध को दूर करने हेतु अमरीका एव 19 अन्य महत्वपूर्ण धनी देशों में एक सन्धि हुई थी। इस सन्धि को स्मिथसोनियन सन्धि (Smithsonian Agreement) की सज्ञा दी गई थी। इस सन्धि के अन्तर्गत अमरीका ने डालर का 8 57

प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया था। डालर का यह अवमूल्यन स्वर्ण के मूल्य को 35 डालर प्रति औंस से बढ़ाकर 38 डालर प्रति औंस करके किया गया था। इसके अलावा, अमरीका ने आयातों पर लगाये गये 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार को वापस ले लिया था। लेकिन इस सन्धि के बावजूद डालर स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं था। इस सन्धि में अन्य देशों की मुद्राओं का पुनर्मूल्यन (revaluation) की भी व्यवस्था की गई थी। पश्चिमी जर्मनी एवं जापान ने अपनी मुद्राओं का पुनर्मूल्यन करने की घोषणा कर दी थी। इस सन्धि में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि विभिन्न मुद्राओं के विदेशी मूल्यों में 2-25 प्रतिशत तक ऊपर अथवा नीचे की दिशा में परिवर्तन किये जा सकते हैं। इससे पूर्व ये परिवर्तन केवल 1 प्रतिशत तक की सीमा तक ही हो सकते थे। अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने परिवर्तित विनिमय-दरों को स्वीकार कर लिया था।

डालर के उपयुक्त अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने रुपये का 3 प्रतिशत पुनर्मूल्यन कर दिया था। अब 7 279 भारतीय रुपये एक डालर के बराबर थे। जबकि पहले 7 50 भारतीय रुपये 1 डालर के बराबर हुआ करते थे। इस प्रकार रुपये डालर की नवीन दर में 3 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। यह दर समय-समय पर बदल सकती थी अर्थात् ऊपर-नीचे जा सकती थी। लेकिन रुपये-स्टलिंग की विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। यह यथास्थिर ही रखी गई थी। अर्थात् 1 पीण्ड स्टलिंग 18 9677 भारतीय रुपये के बराबर था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि भारतीय निर्यातों एवं आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

लेकिन उपयुक्त सन्धि के बावजूद भी अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक नकट जारी रहा। अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 27 जून, 1972 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Board of Governors) की एक तदर्थ समिति (Ad hoc Committee) नियुक्त की थी। इस समिति के 20 सदस्य थे। ये सदस्य विकसित एवं अविकसित देशों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस समिति को अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के अलावा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार, पूंजी-प्रवाह, निवेश एवं विकास सहायता सरोक्ष विषयों पर भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

डालर का अवमूल्यन (फरवरी 1973)

(Devaluation of the Dollar)

फरवरी, 1973 में अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। यह घटना थी अमरीकी डालर का दूसरी बार अवमूल्यन। अमरीकी डालर का यह अवमूल्यन 13 फरवरी, 1973 को किया गया था। स्मरण रहे, डालर का प्रथम अवमूल्यन दिसम्बर 1971 में किया गया था। उस समय डालर के विदेशी मूल्य में 8 57 प्रतिशत की कमी की गयी थी। लेकिन दूसरी बार 13 फरवरी, 1973 को डालर के विनिमय मूल्य में 10 प्रतिशत की कमी की गयी थी। इस प्रकार अमरीकी डालर जो कि किसी समय विश्व की सबसे शक्तिशाली मुद्रा थी, अब एक अवमूल्यित मुद्रा बन कर रह गयी थी। अमरीकी डालर के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप स्वर्ण की सरकारी कीमत जो कि पहले 38 डालर प्रति औंस थी, अब बढ़कर 42 22 डालर प्रति औंस हो गयी है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर डालर का दूसरी बार अवमूल्यन करने की आवश्यकता क्यों अनुभव की गयी थी। बात दरअसल यह है कि दिसम्बर 1971 में किये गये डालर के अवमूल्यन से स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका था, बल्कि सकट कालान्तर में और अधिक गहरा होता चला गया था। अमरीकी सरकार अपने देश के भुगतान सन्तुलन (Balance of Payments) में कोई सुधार न कर सकी। भुगतान सन्तुलन का घाटा (deficit) कम होने के बजाय निरन्तर बढ़ता ही चला गया। इसका मुख्य कारण यह था कि अमरीकी सरकार वियतनाम युद्ध पर बेतहाशा व्यय कर रही थी। यह व्यय कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ रहा था। यही नहीं लैटिन अमरीका, अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में अपनी मनपसन्द कठपुतली सरकारों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी अमरीकी सरकार करोड़ों डालर व्यय कर रही थी। अतः अमरीका के भुगतान सन्तुलन पर इस व्यय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। दूसरे, उस समय अमरीका में मुद्रा-स्फीति जोरों पर थी। वस्तुओं के भाव आकाश को चूम रहे थे।

इससे आयातों को प्रोत्साहन मिल रहा था, लेकिन माल महंगा होने के कारण अमरीका के निर्यात हतोत्साहित हो रहे थे। परिणामतः अमरीका का भुगतान सन्तुलन और अधिक प्रतिकूल हो गया था। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा बाजारों में डालर पर दबाव निरन्तर बढ़ रहा था। अन्त में विश्व हो कर अमरीकी सरकार को डालर का 10 प्रतिशत अवमूल्यन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था।

आइए, अब हम यह देखें कि डालर के अवमूल्यन से अमरीकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। अमरीकी डालर के 10 प्रतिशत अवमूल्यन का तुरन्त प्रभाव यह पड़ा था कि अमरीका में आयात किये गये विदेशी माल की कीमतें बढ़ गई थीं। अब अमरीकी उपभोक्ताओं को विदेशी माल के लिए पहले की अपेक्षा अधिक कीमतें चुकानी पड़ी थी। उनके लिए विदेशी यात्रा महंगी हो गयी थी। विश्व के पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसके विपरीत, विश्व के बाजारों में अमरीकी माल पहले की अपेक्षा सस्ता हो गया था, इससे अमरीकी निर्यातों को प्रोत्साहन मिला था।

डालर के इस अवमूल्यन का एक प्रभाव यह पड़ा कि यूरोपीय देशों (साझा बाजार के देशों) एवं जापान ने अपनी अपनी मुद्राओं को "तैरने" (float) हेतु स्वतन्त्र छोड़ दिया था। जापान ने तो अपनी मुद्रा येन (Yen) को विनिमय बाजार में अपना मूल्य स्वयं निर्धारित करने हेतु उसी समय खुला छोड़ दिया था जिस समय डालर का अवमूल्यन किया गया था। यूरोप की साझा बाजार मण्डली के देशों ने भी बाद में चलकर अपनी अपनी मुद्राओं को "तैरने" हेतु स्वतन्त्र छोड़ दिया था। इस प्रकार विभिन्न देशों की मुद्राओं के विनिमय मूल्यों में उतार चढ़ाव होने लगे। विशेषकर जापानी येन तथा जर्मनी मार्क के विनिमय मूल्य तो काफी बढ़ गये थे। निश्चित विनिमय दरों का युग समाप्त हो गया था। ब्रैटन वुड्स प्रणाली (Bretton Woods System) ठप्प हो गयी थी।

अब हम यह देखेंगे कि अमरीकी डालर के अवमूल्यन का भारतीय रुपये पर क्या प्रभाव पड़ा था। भारत सरकार ने अन्य देशों की सरकारों की भाँति रुपये को 'तैरने' हेतु स्वतन्त्र छोड़ने का निर्णय किया था। यद्यपि ब्रिटिश मुद्रा पाउण्ड स्टर्लिंग स्वतन्त्र 'तैर' रही थी लेकिन अमरीकी डालर की तुलना में इसके विदेशी विनिमय मूल्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ था। अतः भारत सरकार ने रुपये को स्टर्लिंग के साथ सम्बद्ध करने का निर्णय किया था। रुपया स्टर्लिंग विनिमय-दर 18 9677 रु० प्रति स्टर्लिंग निर्धारित की गयी थी। यह दर तो पहले से ही प्रचलित थी। वास्तव में, भारतीय रुपये की विनिमय दर स्मिथसोनियन सन्धि (Smithsonian Agreement) के अन्तर्गत निर्धारित की गयी थी। यद्यपि इसमें 2 5 प्रतिशत का दोनो दिशाओं में मार्जिन (margin) रखा गया था। 19 दिसम्बर 1974 को भारत सरकार ने रुपये को पाउण्ड स्टर्लिंग के साथ जोड़े रखने के नीति को जारी रखने का निर्णय किया था।

चूँकि भारतीय रुपया ब्रिटिश स्टर्लिंग के साथ सम्बद्ध (linked) था और अमरीकी डालर की तुलना में ब्रिटिश स्टर्लिंग के विनिमय मूल्य में 3 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, अतः भारतीय रुपये के विनिमय मूल्य में भी इतनी ही वृद्धि हो गयी थी। परिणामतः भारतीय वस्तुएँ अमरीकी बाजार में पहले की अपेक्षा महँगी हो गयी थी। यद्यपि अमरीकी माल भारत में पहले की तुलना में तनिक सस्ता हो गया था। इसके विपरीत, जर्मन मार्क, अन्य यूरोपीय मुद्राओं एवं जापानी येन की तुलना में भारतीय रुपये के विनिमय मूल्य में 5 प्रतिशत की कमी हो गयी थी। इससे भारतीय निर्यातकर्ताओं को तीसरे देशों में जापानी एवं जर्मनी निर्यातकर्ताओं की अपेक्षा कुछ लाभ हुआ था। दूसरे शब्दों में, तीसरे देशों की मण्डियों में भारतीय माल जर्मन एवं जापानी माल की तुलना में सस्ता बिकने लगा था।

डालर के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विकासशील देशों के निर्यातों विशेषकर भारत के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। जैसा कि पूर्व कहा गया है, डालर के अवमूल्यन के उपरान्त जर्मनी, कुछ अन्य यूरोपीय देशों एवं जापान ने अपनी अपनी मुद्राओं को 'तैरने' हेतु स्वतन्त्र छोड़ दिया था। इन मुद्राओं की विनिमय-दरों में दैनिक परिवर्तन होने लगे थे। विनिमय दरों की स्थिरता समाप्त हो गयी थी। अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो गया था।

स्मरण रहे, विनिमय दरों की अस्थिरता एवं अनिश्चितता विदेशी व्यापार की प्रगति के लिए घातक होती है। विकासशील देशों को इससे विशेष हानि हुई थी। उनके निर्मातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। जैसा ऊपर कहा गया है अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार करने हेतु I M F ने 20 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति में विकसित एवं अविकसित दोनों ही प्रकार के देशों के प्रतिनिधि थे। इस समिति की बैठक 30-31 जुलाई, 1973 को वाशिंगटन में हुई थी। लेकिन इस बैठक में अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की भावी रूपरेखा के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट I M F की 24 सितम्बर, 1973 की नैरोबी बैठक (Nairobi Session) में प्रस्तुत की थी। बैठक में इस विषय पर विस्तार से बहस हुई थी। लेकिन वहाँ पर कोई सहमति न हो सकी थी।

जून, 1974 की मौद्रिक संधि

(Monetary Agreement of June, 1974)

दो वर्षों के निरन्तर परिश्रम एवं विचार विमर्श के उपरान्त 20 सदस्यों वाली समिति (Committee of 20) ने एक नवीन विश्व मौद्रिक प्रणाली की रूपरेखा तैयार की जिसे 23 जून 1974 को I M F ने अपनी अन्तिम स्वीकृति प्रदान कर दी थी। यह प्रणाली अस्थायी थी और तब तक कार्यशील रहेगी जब तक कि कोई स्थायी प्रणाली इसका स्थान नहीं ले लेती। नई प्रणाली तुरन्त लागू कर दी गई थी। इसकी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार थीं

1 इसके अन्तर्गत स्वर्ण का विमुक्तिकरण कर दिया गया था। मौद्रिक निधियों (monetary reserves) में स्वर्ण का स्थान S D R's द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। दूसरे शब्दों में, S D R's का अब मौद्रिक निधियों के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

2. इस प्रणाली के लागू होने से पूर्व S D R's का मूल्य स्वर्ण में निर्धारित होता था। लेकिन अब इसका मूल्य 16 विश्व मुद्राओं के औसत मूल्य पर आधारित होगा। इनमें अमरीकी डालर प्रमुख मुद्रा होगी। यह कुल मूल्य का 33 प्रतिशत होगी।

3 S D R's पर व्याज की दर को 1/5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था।

4 जैसा पूर्व कहा गया है विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को सदैव यह माँग रही है कि S D R's की विकास सहायता की मात्रा से जोड़ दिया जाय। दूसरे शब्दों में, विकासशील देशों को दी जाने वाली विकास सहायता की मात्रा को S D R's के आबण्टन से जोड़ दिया जाय। लेकिन इस सन्धि में विकासशील देशों की इस उचित माँग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसका कारण यह है कि विकसित देशों ने विशेषकर पश्चिमी जर्मनी एवं अमरीका ने इस माँग का डटकर विरोध किया था। किन्तु उक्त सन्धि में विकासशील देशों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी इस माँग पर पुनर्विचार किया जायेगा।

5 इस सन्धि के अन्तर्गत I M F के विकासशील सदस्य देशों को एक नई सुविधा दी गई थी। इसे विस्तारित सुविधा (Extended Facility) की सजा दी गई थी। इसके अन्तर्गत अब विकासशील देश I M F से अधिक मात्रा में दीर्घकालीन ऋण ले सकेंगे। ये ऋण अधिक व्यापक उद्देश्यों के लिये होंगे। इस सन्धि से पूर्व सदस्य देश केवल अल्पकालीन ऋण ही ले सकते थे। लेकिन इस संधि के अन्तर्गत ये ऋण 4 से लेकर 8 वर्ष तक की अवधि में देय (repayable) होंगे। यद्यपि इन ऋणों पर व्याज की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5/6 प्रतिशत कर दी गई थी।

6 इस सन्धि का एक अन्य अन्वय यह था कि इसके अन्तर्गत तेल उपभोक्ता सदस्य देशों को I M F द्वारा 'तेल सुविधा' (Oil Facility) दी गई थी। जैसा कि सर्वविदित है, तेल व तेल पदार्थों की कीमतें तेल-उत्पादन देशों द्वारा अत्यधिक बढ़ा दी गई थीं। इसका परिणाम यह हुआ था कि विकासशील तेल उपभोक्ता देशों के भुगतान सतुलनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। ये देश बढ़ी हुई तेल कीमतों को अपने विदेशी विनिमय साधनों से चुकाने में असमर्थ थे। अतः इन विकासशील देशों की सहायता हेतु I M F दन्ते 7 प्रतिशत व्याज की दर पर तेल ऋण

देगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु I M F न अलग से एक कोष (Fund) स्थापित किया था। इस कोष में लगभग 3000 मिलियन डालर की धनराशि जमा कर दी गई थी। यह धनराशि ईरान कुवैत, आबूधावी लिबिया, कनाडा, वेनीज्यूला एव सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देशों द्वारा प्रदान की गई थी। भारत ने भी इस 'तेल-मुविधा' का उपयोग करने का निर्णय किया था।

आलोचना—जून, 1974 की मौद्रिक सन्धि के अन्तर्गत जिस नई मौद्रिक प्रणाली को लागू किया गया था वह निश्चय ही पुरानी प्रणाली पर सुधार थी। इस नई प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके अधीन स्वर्ण का विमूद्रीकरण बंद दिया गया था। मौद्रिक निधियों में स्वर्ण का स्थान अब S D R's ने ले लिया था। निश्चय ही यह सन्तोष का विषय था। लेकिन यह नई प्रणाली विकासशील देशों की अपेक्षा पश्चिम के विकसित देशों के अधिक पक्ष में थी। इसकी आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं

1 S D R's का मूल्य निर्धारण करने में अमरीकी डालर को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया था।

2 S D R's पर ब्याज की दर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे विकासशील देशों के लिये S D R's की उपयोगिता कम हो गई थी। अब वे अपने भुगतान सन्तुलनों में सुधार करने हेतु S D R's का अधिक प्रयोग नहीं कर सकेंगे।

3 यह सही है कि नई मौद्रिक प्रणाली के अन्तर्गत विकासशील देशों को ऋण की एक नवीन विस्तारित मुविधा (extended facility) दी गई थी। लेकिन इसकी उपयोगिता भी सीमित थी। प्रथम, यह सशर्त थी। यह मुविधा तभी दी जायेगी जब सम्बन्धित देश I M F को उसके समीक्षण हेतु अपनी अर्थ व्यवस्था तथा अपनी आर्थिक योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी दे देगा। इस प्रकार I M F को सदस्य देश की अर्थ व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का स्वतः ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरे, इस प्रकार के ऋणों पर ब्याज की दर ऊँची होगी।

4 यह सही है कि नई मौद्रिक प्रणाली के अन्तर्गत विकासशील देशों को 'तेल मुविधा' प्रदान की गई थी। इसके अन्तर्गत ये तेल का आयात करने हेतु I M F से ऋण ले सकेंगे। लेकिन इन ऋणों पर ब्याज की दर 7 प्रतिशत होगी जो कि विकासशील देशों की क्षमता पर अत्यधिक दबाव डालने वाली थी।

5 नई मौद्रिक प्रणाली में विकासशील देशों की एक पुरानी एव निरन्तर माँग को टुकरा दिया गया था। विगत कई वर्षों से ये देश माँग करते चले आ रहे थे कि विकास-सहायता को S D. R's के आवण्टन से जोड़ दिया जाय। लेकिन उनको अपेक्षा कर दी गई थी।

अतः नवीन मौद्रिक प्रणाली विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देशों को अधिक लाभान्वित करती थी।

नव अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, जनवरी 1976 (New International Monetary System, January 1976)—जैसा पूर्व कहा है जून 1974 की मौद्रिक सन्धि के अन्तर्गत एक अन्तरिम (एव अस्थायी) मौद्रिक प्रणाली स्थापित की गयी थी। यह प्रणाली विशुद्धतया एक अस्थायी प्रणाली थी क्योंकि एक स्थायी अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को निर्मित करने के प्रयास अभी जारी थे। ये प्रयास 8 जनवरी, 1976 को किंगस्टन (Kingston) में हुए मौद्रिक सम्मेलन में फलीभूत हुए थे। उस दिन एक नई अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का जन्म हुआ था। पुरानी ब्रेटन वूड्स प्रणाली (Bretton Woods System) तो उस समय भंग हो गई थी जब 18 दिसम्बर, 1971 को तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन ने डालर का अवमूल्यन घोषित कर दिया था। इस प्रकार नई प्रणाली को स्थापित करने में चार वर्ष से भी अधिक का समय लग गया था।

नई मौद्रिक प्रणाली की रूपरेखा एक 20 सदस्यीय अन्तरिम समिति ने तैयार की थी जिस में धनी एव निर्धन दोनों ही देशों के प्रतिनिधि थे। इस प्रणाली की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं —

1. इस प्रणाली के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दरों को तैरने (Floating) के लिए खुला छोड़ दिया गया था। स्मरण रहे, पुरानी ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अन्तर्गत सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दरें स्थिर थीं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मुद्रा कोष की अनुमति से मुद्राओं की विनिमय दरों में परिवर्तन किया जा सकता था। इस प्रकार साधारणतया विनिमय दरें स्थिर ही रहती थीं। लेकिन 18 दिसम्बर, 1971 को हुए अमरीकी डालर के अवमूल्यन के पश्चात् विश्व की लगभग सभी महत्वपूर्ण मुद्राएँ अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में खुली 'तैरने' लगीं। स्थिर विनिमय दरों का युग समाप्त हो गया था। अब नयी मौद्रिक प्रणाली ने विनिमय दरों के इस प्रकार खुला 'तैरने' की प्रवृत्ति को कानूनी मान्यता दे दी थी। वास्तव में, विनिमय दरों के विषय पर फ्रांस तथा अमरीका के बीच मूलभूत मतभेद था। फ्रांस यह चाहता था कि सदस्य देशों की विनिमय दरों में पूर्ण की भाँति स्थिरता बनाये रखी जाय। लेकिन अमरीका का दृष्टिकोण यह था कि विनिमय दरों को 'तैरने' के लिए पूर्ण स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय। इस प्रकार इस विवाद में अन्तिम विजय अमरीका की हुई थी। अपनी सन् 1975-76 की वार्षिक रिपोर्ट में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने कहा था, 'विश्व अर्थ-व्यवस्था में स्वयं को तैरती हुई' (floating) विनिमय दरों से समायोजित कर लिया है। विश्व निधियों के 73 प्रतिशत भाग पर अधिकार रखने वाले देशों की मुद्राएँ सन् 1975-76 में तैर रही थीं।'

2 इस सम्मेलन में यह भी निर्णय किया गया था कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्वर्ण निधि का 1/3 भाग (अर्थात् 25 मिलियन औंस स्वर्ण) खुले बाजार में प्रचलित बाजार कीमत पर बेच दिया जाय। (स्मरण रहे, उस समय खुले बाजार में स्वर्ण की कीमत 140 डालर प्रति औंस थी जब कि मुद्रा-कोष द्वारा निर्धारित कीमत केवल 42 22 डालर प्रति औंस ही थी।) स्वर्ण को खुले बाजार में बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसे एक पृथक विशेष ट्रस्ट कोष (Special Trust Fund) में रखा जायेगा। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि स्वर्ण की बिक्री से लगभग 2,500 मिलियन डालर की प्राप्ति होगी। इस धन के अलावा, कतिपय धनी सदस्य देशों से प्राप्त विशेष अशदान भी इस कोष में डाल दिये जायेंगे। इस प्रकार जो धन एकत्रित होगा उसे निर्धन देशों को आर्थिक सहायता देने हेतु व्यय किया जायेगा। इस धनराशि को 4 वर्षों में प्रति वर्ष 500 मिलियन डालर की दर पर अल्प विकसित देशों में वितरित किया जायेगा। यहाँ पर यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुद्रा कोष के गरीब सदस्य देश विगत कुछ वर्षों से अपने भुगतान सन्तुलनों में घाटे के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उनके भुगतान सन्तुलनों का यह घाटा विगत कुछ वर्षों से तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण बहुत बढ़ गया था। यद्यपि मुद्रा कोष ने इन देशों को राहत देने हेतु 'तेल सुविधा सम्बन्धी योजना' के अन्तर्गत तेल-ऋण देने की व्यवस्था की थी लेकिन यह सहायता पर्याप्त नहीं थी। यही नहीं, यह 'तेल सुविधा' सम्बन्धी योजना केवल 1975 की समाप्ति तक ही थी। इसका आगे नवीनीकरण नहीं किया गया था। नई मौद्रिक प्रणाली के अन्तर्गत निर्धन सदस्य देशों को आर्थिक सहायता अब नव स्थापित विशेष ट्रस्ट कोष से ही दी जायेगी। स्मरण रहे इस कोष में से आर्थिक सहायता केवल उन्हीं सदस्य देशों को दी जायेगी, जिनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 360 डालर से कम होगी।

3 नई मौद्रिक प्रणाली के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूंजी में सदस्य देशों के अम्माशो (कोटो) (quotas) में 33 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। अब मुद्रा कोष के 128 सदस्य देशों को 33 प्रतिशत अधिक पूंजी जमा करनी होगी। चूँकि सदस्य देशों की वोट देने की शक्ति उनके कोटो (quotas) से निर्धारित होती है, अतः कोष के प्रबन्ध में भी कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। कोटा-वृद्धि के कारण सदस्य देशों की मुद्रा-कोष से ऋण लेने की सामर्थ्य में भी वृद्धि हो जायेगी।

4 नवीन मौद्रिक प्रणाली के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की ऋण देने सम्बन्धी सुविधाओं में 45 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जायेगी। इससे विकासशील देशों को लगभग 3500 मिलियन डालर अतिरिक्त धन विकासार्थक कार्यों के लिए उपलब्ध हो सकेगा।

5 कागजी स्वर्ण (Paper Gold) अथवा विशेष आह्वरण अधिकारों (Special Drawing Rights) को अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की प्रमुख रिजर्व सम्पत्ति (Reserve Asset) घोषित

कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि विगत पाँच वर्षों से SDR's का महत्व दिनों दिन बढ़ता रहा था। स्वयं अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने तीन वर्ष से भी अधिक समय तक इनका प्रयोग किया था। अब तो कुछ देश अपनी मुद्राओं की विनियम दरों को SDR's में व्यक्त करने लगे हैं। सरकारों द्वारा व्यापारिक सौत्रों में भी SDR's का प्रयोग अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। अप्रैल, 1977 से विश्व की बड़ी-बड़ी जहाजी कम्पनियाँ यात्री किराये एव भाड़ों को डालरों एव स्टलिंग के बजाय SDR's में ही विज्ञापित करेगी।

आलोचना—नवीन अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गयी है

प्रथम, इस प्रणाली का निर्माण करते समय अल्पविकसित देशों को विश्वास में नहीं लिया गया था। अल्पविकसित देशों की शिकायत है कि दिसम्बर 1975 में पेरिस में हुए शिखर सम्मेलन में इन देशों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित नहीं किया गया था। वास्तव में, नई अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय इसी सम्मेलन में लिये गये थे। लेकिन इस सम्मेलन में केवल दस विकसित देशों के प्रतिनिधियों (Group of Ten) ने ही भाग लिया था।

दूसरे नई मौद्रिक प्रणाली में परिवर्तनशील (तरल) हुई विनियम दरों की व्यवस्था की गई है। वास्तव में, यह एक प्रतिगामी कदम (retrograde step) है। पुरानी ब्रेटन वुड्स प्रणाली में स्थिर विनियम दरों की व्यवस्था की गई थी। इस से अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को व्यापक प्रोत्साहन मिला था। लेकिन अब परिवर्तनशील विनियम दरों के कारण विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका कारण यह है कि विनियम दरों की परिवर्तनशीलता के परिणामस्वरूप देश में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है जो अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए घातक सिद्ध होता है।

तीसरे, इस प्रणाली में विकासशील देशों की कुछ समय से चली आ रही एक माँग को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया है। जैसा कि विदित है विकासशील देश विगत कुछ वर्षों से निरन्तर यह माँग कर रहे थे कि उनको दी जाने वाली विकास सहायता की मात्रा को (SDR's) से जोड़ दिया जाय। लेकिन नई प्रणाली में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

चौथे इस प्रणाली में विकासशील देशों की एक अन्य माँग को भी ठुकरा दिया गया है। ये देश यह चाहते थे कि मुद्रा-कोष द्वारा SDR's का नवीन सृजन किया जाय और सदस्य राष्ट्रों में उनका पुनः आवण्टन किया जाय। यह आवण्टन करते समय विकासशील देशों को पहले की अपेक्षा अधिक हिस्सा दिया जाय ताकि उनकी बढ़ती हुई तरलता सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वस्तुस्थिति यह है कि SDR's के सृजन की मूल अवधि 31 दिसम्बर, 1972 को समाप्त हो गई थी। उसके बाद SDR's का कोई नवीन सृजन नहीं किया गया था यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय तरलता के अभाव की स्थिति बराबर वनी हुई थी।

पाँचवें इस प्रणाली के अन्तर्गत 'तेल सुविधा' (Oil Facility) से सम्बन्धित ऋण योजना को समाप्त कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विकासशील देशों को 2.5 प्रतिशत व्याज दर (प्रारम्भ में 7% थी) पर तेल खरीदने हेतु ऋण दिये जाते थे। इससे विकासशील देशों को ऊँची तेल कीमतों से कुछ राहत मिल रही थी। लेकिन अब इस योजना को समाप्त कर दिया गया है यद्यपि तेल के भाव अब भी बढ़े हुए हैं और उनके और अधिक बढ़ने की सम्भावना है।

साराशत नव मौद्रिक प्रणाली विकासशील देशों के दृष्टिकोण से कोई सन्तोषजनक सुधार नहीं है। सच तो यह है कि इसके अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय तरलता के वितरण में असमता पहले से भी अधिक बढ़ गई है। नवीन प्रणाली के अधीन स्वर्ण की अधिकृत कीमत (official price) का उन्मूलन कर दिया गया है और अब मुद्रा कोष का स्वर्ण-स्टॉक प्रचलित बाजार कीमत पर बेचा जा रहा है। इस से विश्व के धनी देशों को बहुत लाभ हुआ है क्योंकि उनके पास स्वर्ण के विशाल भण्डार हैं। नवीन प्रणाली के अन्तर्गत SDR का नवीन सृजन निषिद्ध कर दिया गया है जबकि SDR के नवीन आवण्टन से विकासशील देशों को बहुत लाभ हो सकता था।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सशोधित नियम—प्रमुख सशोधित नियम निम्नलिखित हैं

1 कोटे (Quotas)—नवीनतम सशोधन के अनुसार मुद्रा कोष की पूँजी को 29.2

बिलियन SDR (लगभग 34 बिलियन अमरीकी डालर) से बढ़ाकर 390 बिलियन SDR (अथवा 45.6 बिलियन अमरीकी डालर) कर दिया गया है। कोटो का यह सरोधन तीन वर्ष तक लागू रहेगा। उसके उपरान्त समूची परिस्थिति की समीक्षा की जायेगी। इस सरोधन के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी एवं फ्रांस के कोटे (इसी क्रम में) अब भी अधिक हैं लेकिन प्रमुख तेल उत्पादक देशों के कोटो को 4.98 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.96 प्रतिशत कर दिया गया अर्थात् उनके कोटो को दुगुना कर दिया गया है। गैर तेल उत्पादक देशों का सामूहिक कोटा पूर्व स्तर पर ही बना रहेगा। भारत के कोटे को 940 मिलियन SDR से बढ़ाकर 1,145 मिलियन SDR कर दिया गया है। यद्यपि भारत का कोटा बढ़ा दिया गया है लेकिन प्रतिशत के रूप में इसे 3.22 प्रतिशत से घटाकर 2.93 प्रतिशत कर दिया गया है। यह तनिक विचित्र सा प्रतीत होता है लेकिन भारत एक अन्य गैर तेल उत्पादक देश प्रतिशत भाग की इस कटौती के लिये स्वयं ही तैयार हो गये थे ताकि तेल उत्पादक नव-धनिक देशों का कोटा बढ़ाया जा सके।

सशोधित नियमों के अनुसार मुद्रा-कोष के इतिहास में पहली बार सदस्य देशों की कोटा-वृद्धि का 25 प्रतिशत भाग (जो अब तक स्वर्ण में देय था) नई प्रणाली के अन्तर्गत SDR, निश्चित मुद्राओं, एवं सदस्य देश की अपनी मुद्रा में देना होगा। कोटा-वृद्धि का शेष 75 प्रतिशत भाग पूर्व की भांति सदस्य देश की अपनी मुद्रा में देय होगा।

2. विनिमय दरें—प्रत्येक सदस्य देश को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी विनिमय-प्रबन्ध (Exchange arrangement) को अपनाने की छूट होगी, चाहे वह अपनी मुद्रा को स्वतन्त्रता पूर्वक 'तैरने' (Float) के लिये छोड़ दे अथवा उसकी विनिमय दर स्वयं निर्धारित कर दे।

परित्यक्त ब्रेटन वुड प्रणाली (जिसे सन् 1945 में लागू किया गया था) के अन्तर्गत सदस्य देशों को आदेश दिया गया था कि वे अपनी मुद्राओं की समता दरें स्थिर ही रखें। यदि आवश्यक हो तो इन समता दरों में परिवर्तन कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर ही करें। सदस्य देश अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन तथा पुनर्मूल्यन तभी कर सकते थे जब उनके भुगतान सन्तुलन में कोई मूलभूत परिवर्तन हो। लेकिन विनिमय प्रबन्ध के विषय में सदस्य देशों को दी गई स्वतन्त्रता का यह अधिप्राय नहीं है कि वे अपनी मुद्राओं की विनिमय दरों के सम्बन्ध में हेराफेरी करें अथवा भुगतान सन्तुलन में होने वाले समायोजनों (Adjustments) को रोकें अथवा निर्यातों को बढ़ाने में अनुचित साधनों का प्रयोग करें। मुद्रा-कोष सदस्य देशों के विनिमय-प्रबन्धों पर दृष्टि रखेगा और इस सन्दर्भ में आदर्श व्यवहार के मान (Norms) स्थापित करेगा।

यदि मुद्रा कोष के 85 प्रतिशत सदस्य चाहे तो वे 'व्यापक सीमाओं के बीच स्थिर किन्तु समायोज्य समता-दरों वाली प्रणाली' ('stable but adjustable parities within broad margins of fluctuations') को पुनः अपना सकते हैं। लेकिन इसका अधिप्राय यह नहीं है कि सदस्य देश किसी अन्य मनचाही प्रणाली को नहीं अपना सकते बशर्तें यह प्रणाली मुद्रा-कोष के उद्देश्यों के विपरीत न हो।

प्रत्येक सदस्य देश को विनिमय प्रबन्ध के बारे में दी गई स्वतन्त्रता, वास्तव में, नई प्रणाली (अथवा नये नियमों) की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।

3. स्वर्ण—सशोधित नियमों के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में स्वर्ण की भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। नई प्रणाली के अन्तर्गत स्वर्ण की 'अधिकृत कीमत का उन्मूलन कर दिया गया है। सशोधित नियमों के अनुसार मुद्रा-कोष के स्वर्ण भण्डारों में से 25 मिलियन औंस स्वर्ण सदस्य देशों को लौटा दिया जायेगा। इसके अलावा, 25 मिलियन औंस स्वर्ण को खुले बाजार में बेचा जायेगा। इस प्रकार जो धन प्राप्त होगा उसे विकासशील देशों के हितार्थ प्रयोग में लाया जायेगा। मुद्रा कोष के पास शेष 100 मिलियन स्वर्ण रहे जायेगा। इसका निव्वारण सदस्य देशों द्वारा 85 प्रतिशत के बहुमत से किया जायेगा। इसे या तो सदस्य देशों को लौटा दिया जायेगा अथवा खुले बाजार में बेच दिया जायेगा।

अनुमान लगाया गया है कि अगले 4 वर्षों में रचना की बिनी से मुद्रा कोष को 1.6 बिलियन डालर की प्राप्ति होगी जिन्हें विशेष ट्रस्ट निधि में जमा कर दिया जायेगा।

4. विशेष आहरण अधिकार (SDRs)—मुद्रा-कोष के सदस्य देश इस बात पर सहमत थे

कि SDR's को मुख्य अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक उपकरण के रूप में मान्यता दी जाय और इसके प्रयोग में वृद्धि की जाय। मशोघित नियमों ने कुछ सीमा तक SDR's के प्रयोग को व्यापक बना दिया है। इन नियमों में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि SDR's की कीमत में परिवर्तन करने हेतु कितनी वोट शक्ति (voting power) की आवश्यकता है। (स्मरण रहे, इस समय SDR's की कीमत प्रमुख मुद्राओं की टोकरी से जुड़ी हुई है। लेकिन सदस्य देशों में SDR's के आविष्टन में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार SDR's केवल बागजी मुद्रा की ही भूमिका अदा नहीं करते, बल्कि साख विपन्नो का भी काम देते हैं।

5. अन्य प्रावधान (Other provisions)—सशोघित नियमों के अन्तर्गत सदस्य देशों में मुद्रा-कोष को यह वचन दिया है कि जरूरत मन्दसदस्य देशों को ऋण देने हेतु वह उनकी मुद्राओं का उदारता से प्रयोग कर सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि मुद्रा-कोष उन तेल उत्पादक देशों की मुद्राओं का अधिक प्रयोग कर सके जिन्हें भूगतान-सन्तुलन में आधिक्य (Surplus) प्राप्त है।

मुद्राओं की परिवर्तनशीलता से सम्बन्धित नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं।

6. समायोजन (Adjustments)—अतीतकाल में मुद्रा-कोष के सदस्यों ने मौद्रिक प्रणाली को अधिक लचीला बनाने के प्रयास किये थे। सशोघित नियमों के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन एवं समायोजन करने हेतु द्वार खुले रखे गये हैं। महत्त्वपूर्ण निर्णयों के लिये 85 प्रतिशत बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि समुक्त राज्य अमरीका के पास वोटों का अधिकार बना रहेगा क्योंकि इसके पास 20 प्रतिशत वोट-शक्ति है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी निर्णयों को वोटों कर सकता है बशर्ते कि उसके नौ सदस्य एक जुट होकर कार्य करें।

साराशत नये सशोघित नियमों के दो प्रमुख उद्देश्य थे—(1) अन्तरराष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में विदेशी मुद्राओं से सम्बन्धित तरलता को बनाये रखना (ii) विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करना।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन मुख्य उद्देश्यों से की गयी थी? इस कोष से भारत को क्या लाभ हुए हैं? (आगरा, 1964)

अथवा

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्यों की संक्षिप्त रूप से समझाइए। (आगरा, 1971)

[संकेत—प्रथम भाग में, मुद्रा-कोष का परिचय देते हुए इसके मुख्य-मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि मुद्रा-कोष की सहायता से भारत को कौन-कौन से लाभ प्राप्त हुए हैं?]

2. अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के कार्यों को समझाइए। इन कार्यों में इस कोष को कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है? (आगरा, 1968)

[संकेत—प्रथम भाग में, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके प्रमुख कार्यों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये। दूसरे भाग में, यह बताइए कि मुद्रा-कोष को अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। प्रथम, मुद्रा कोष विभिन्न देशों की मुद्राओं की समता दरो में पूर्ण स्थिरता स्थापित नहीं कर सका। दूसरे, मुद्रा-कोष विभिन्न देशों द्वारा विदेशी व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाने में असमर्थ रहा है। तीसरे, मुद्रा-कोष डालर की दुर्लभता की समस्या को हल करने में भी असफल रहा है।]

3. अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों एवं कार्यों का विवेचन कीजिए। यह विदेशी विनिमय दरो में किस प्रकार स्थायित्व रखता है?

[संकेत—प्रथम भाग में मुद्रा कोष के उद्देश्यों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइये कि सदस्य देशों की मुद्राओं की कीमतों को स्वर्ण के रूप में व्यक्त करके मुद्रा-कोष विनिमय-दरो में स्थायित्व बनाये रखने की चेष्टा करता है।]

4. मुद्रा-कोष विनिमय दरो में स्थिरता रखने में किस प्रकार सहायता करता है? समझाइये। (राजस्थान, 1967)

[संकेत—यहाँ पर आपको विस्तृत रूप में यह बताना है कि मुद्रा-कोष सदस्य-देशों की मुद्राओं को खरीद एवं बेचकर उनके बीच विनिमय-दरो की स्थिरता बनाये रखता है।]

15

अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक एवं अन्य संस्थाएँ

(International Bank for Reconstruction and
Development and Other Institutions)

प्रस्तावना—सन् 1944 में किये गये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की भी सिफारिश की थी। सम्मेलन का यह विचार था कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की सफलता के लिए अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी आवश्यक है। इसलिये इन दोनों संस्थाओं की साथ ही साथ स्थापना की गयी थी। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का उद्देश्य व्यापारिक अस्तित्व को दूर करके विदेशी विनिमय-दरों में स्थिरता स्थापित करना था। अन्तर-राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (जिसे विश्व बैंक भी कहते हैं) का उद्देश्य पुनर्निर्माण तथा विकास हेतु युद्ध विनष्ट एवं अल्प विकसित देशों को सहायता देना था। यह सहायता उन्हें शीर्षकालीन ऋणों के रूप में दी जाती है।

विश्व बैंक

(World Bank)

विश्व बैंक के उद्देश्य—इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) राष्ट्रों का पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास—जसा ऊपर कहा गया है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य युद्ध विनष्ट तथा अल्प-विकसित देशों को दीर्घकालीन ऋण देकर उनकी सहायता करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व बैंक ने समय समय पर युद्ध विनष्ट देशों (उदाहरणार्थ, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैण्ड, डेनमार्क आदि) को तथा भारत, पाकिस्तान श्री लंका, बर्मा जैसे, पिछड़े हुए देशों को विकास हेतु ऋणों के रूप में सहायता प्रदान की है।

(2) पूंजी के निवेश के लिए गारण्टी देना - विश्व बैंक निजी निवेशकर्ताओं (private investors) को गारण्टी देकर पिछड़े तथा अल्प-विकसित देशों में पूंजी के निवेश में सहायता देता है। साधारण परिस्थितियों में निजी निवेशकर्ता अपनी पूंजी को विदेशों में लगाना पसन्द नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें बहुत जोखिम उठाना पड़ता है, परन्तु जब विश्व बैंक उन्हें गारण्टी दे देता है तब उनके लिए विदेशों में पूंजी का निवेश करना सरल हो जाता है।

(3) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना—विश्व बैंक का तीसरा उद्देश्य अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है और इस प्रकार सदस्य देशों के लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना है।

(4) शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना—विश्व बैंक का चौथा उद्देश्य सदस्य देशों की युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था को शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था में बदलना भी है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योग देना है।

विश्व बैंक की सदस्यता—जो देश अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य हैं, वे स्वतः ही विश्व बैंक के सदस्य बन जाते हैं। इस प्रकार दोनों संस्थाओं की सदस्यता एक साथ चलती है। निम्न देशों ने 31 दिसम्बर, 1945 तक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की सदस्यता स्वीकार कर ली थी, वे

विश्व बैंक के मूल सदस्य माने जाते हैं। जून सन् 1976 में 128 देश विश्व बैंक के सदस्य थे। यदि कोई देश मुद्रा-कोष की सदस्यता त्याग देता है तो वह विश्व बैंक का सदस्य भी नहीं रह सकता। यदि कोई देश विश्व बैंक के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता तो वह इसका सदस्य नहीं रह सकता।

विश्व बैंक की पूंजी—विश्व बैंक की प्रारम्भिक स्वीकृत पूंजी 10,000 मिलियन डालर थी। इन्ने एक लाख के शेयरों में विभाजित किया गया था और सभी सदस्य देशों ने अपने कोटों के अनुसार इन शेयरों को खरीद रखा था। सदस्य देशों द्वारा प्रदत्त पूंजी (paid-up capital) वास्तव में 9400 मिलियन डालर थी। प्रत्येक देश सदस्यता प्राप्त करने पर अपने कोटों का 20 प्रतिशत भाग विश्व बैंक को देता है। इसमें से 2 प्रतिशत अवश्य ही स्वर्ण के रूप में देना पड़ता है और 18 प्रतिशत देश की अपनी मुद्रा में देना पड़ता है। कोटों का शेष प्रतिशत भाग विश्व बैंक जब चाहे, सदस्य देशों से माँग सकता है। सदस्य देशों के कोटों केवल उनकी जिम्मेदारियों तथा प्रशासकीय अधिकारों की सीमा निर्धारित करते हैं, अर्थात् सदस्य देशों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले ऋणों की सीमाएँ उनके कोटों से निर्धारित नहीं होतीं। विश्व बैंक की पूंजी को समय-समय पर सदस्य देशों की अनुमति से बढ़ाया गया है। 30 जून, 1975 को विश्व बैंक की कुल अधिकृत पूंजी 27,000 मिलियन डालर थी, लेकिन उसी दिन बैंक के 128 सदस्य देशों द्वारा वास्तविक प्रदत्त पूंजी 26,930 मिलियन डालर थी। विश्व बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी में प्रतिशत के क्रमानुसार 10 देशों के नाम इस प्रकार हैं—संयुक्त राज्य अमरीका (25.34%), ग्रेट ब्रिटेन (10.18%), पश्चिमी जर्मनी (5.34%), फ्रांस (5.01%), जापान (4.00%), कनाडा (3.69%), भारत (3.52%), चीन (2.94%), नेदरलैंड (2.32%), आस्ट्रेलिया (2.22%)। समय-समय पर बैंक की पूंजी में वृद्धि करने का एक ही उद्देश्य था। वह या बैंक के साधनों में वृद्धि करना ताकि वह सदस्य देशों की विकासात्मक योजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु अधिकाधिक ऋण दे सके। स्मरण रहे, विश्व बैंक के सभी सदस्य देशों की देयता (Liability) सीमित हीती है। यदि विश्व बैंक किसी कारणवश फेल हो जाता है तो सदस्य देशों की देयता उनके शेयरों तक ही सीमित रहेगी।

विश्व बैंक का प्रबन्ध—विश्व बैंक का प्रबन्ध भी ठीक उसी प्रकार चलाया जाता है जिस प्रकार कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का। इसका प्रबन्ध चार प्रकार की सस्थाओं द्वारा चलाया जाता है : प्रथम, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Board of Governors), दूसरे, प्रशासनिक सचालक बोर्ड (Board of Executive Directors), तीसरे, सलाहकार समिति (Advisory Committee), और चौथे, ऋण समिति (Loan Committee)। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर और एक विचल्य गवर्नर (Alternate Governor) की नियुक्ति करता है। इन दोनों का कार्यकाल पाँच वर्षों तक होता है। प्रत्येक गवर्नर की वोट शक्ति उसकी सरकार के वित्तीय अंशदान के अनुपात में होती है। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमरीका का अंशदान 6 473 मिलियन डालर है। अतः उसकी वोट-शक्ति कुल वोट-शक्ति का 22.66 प्रतिशत है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य ही होती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुन लेता है जो वार्षिक सभा की अध्यक्षता करता है। सचालक बोर्ड 21 सदस्य होते हैं। इनमें से छह सदस्य सबसे अधिक कोटों वाले होते हैं। ये देश हैं—संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान तथा भारत। शेष सदस्य विश्व बैंक के अन्य देशों से चुने जाते हैं। प्रत्येक सचालक का कार्यकाल दो वर्षों का होता है। प्रशासनिक सचालक बोर्ड किसी भी व्यक्ति को (जो स्वयं गवर्नर अथवा सचालक नहीं है) अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। वह बोर्ड की सभाओं की अध्यक्षता करता है और साथ ही साथ बैंक का प्रमुख अधिकारी भी होता है। वह सचालक बोर्ड के निर्देशन में काम करता है और अपने प्रत्येक काम के लिए बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होता है। उसी के द्वारा बैंक के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और वह उनके कार्यों का निरीक्षण भी करता है। सलाहकार समिति का निर्माण सचालक बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसमें कम से कम सात सदस्यों का होना आवश्यक है। ये सदस्य विभिन्न आर्थिक विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। किसी भी देश को ऋण देने से पूर्व विश्व बैंक ऋण समिति का परामर्श अवश्य ही लेता है। ऋण समिति भी सचालक बोर्ड द्वारा नियुक्त की जाती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैंक की सामान्य

नीति का निर्धारण करता है, परन्तु संचालक बोर्ड बैंक के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करता है।

विश्व बैंक की कार्य-प्रणाली

विश्व बैंक तीन प्रकार से अपने सदस्य राष्ट्रों को ऋण देता है

(1) अपने कोष से ऋण देना—जैसा ऊपर कहा गया है, प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे का 20 प्रतिशत भाग विश्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है और शेष 80 प्रतिशत विश्व बैंक अब चाहे सदस्य देश से मांग सकता है। इस 20 प्रतिशत में से 2 प्रतिशत सोने तथा 18 प्रतिशत सदस्य देश की मुद्रा में दिया जाता है। विश्व बैंक सदस्य देशों से प्राप्त किये गये सोने का किसी देश को ऋण देने के लिए प्रयोग कर सकता है। लेकिन यदि ऋण किसी सदस्य देश की मुद्रा में देना होता है तो बैंक उस सदस्य देश की पूर्ण स्वीकृति अवश्य ही प्राप्त करता है। विश्व बैंक ऋण देने से पूर्व कुछ शर्तों को पूरा किये जाने पर अवश्य ही जोर देता है।

(2) उधार ली गयी पूंजी में से ऋण देना—विश्व बैंक किसी सदस्य देश को ऋण देने के लिए किसी अन्य सदस्य देश से पूंजी उधार भी ले सकता है। परन्तु शर्त यह है कि ऋण देने से पूर्व बैंक को उस सदस्य देश की अनुमति अवश्य लेनी पड़ती है। इसी तरह सदस्य देश की आज्ञा लेकर ही बैंक उस उधार ली गयी मुद्रा को सोने में अथवा अन्य मुद्राओं में बदल सकता है।

(3) गारण्टी देकर ऋण दिलाना—बैंक किसी सदस्य देश के निजी निवेशकर्ताओं को गारण्टी देकर उनकी पूंजी को किसी अन्य देश को उधार दिला सकता है, परन्तु गारण्टी देने से पूर्व बैंक को दोनों देशों की अनुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है, अर्थात् जिस देश के निवेशकर्ताओं को गारण्टी दी जाती है और जिस देश को ऋण दिया जा रहा है। जब एक बार बैंक ऋण प्रदान करने वाले देश की आज्ञा प्राप्त कर लेता है, तब उस ऋण को किसी भी सदस्य देश की मुद्रा में बदला जा सकता है। विश्व बैंक यथासम्भव यही प्रयत्न करता है कि निजी निवेशकर्ताओं को गारण्टी देकर सदस्य देशों को ऋण दिलाया जाय, अर्थात् बैंक अपने कोषों में से ऋण देने की अपेक्षा निजी निवेशकर्ताओं को गारण्टी देकर ऋण दिलाना अधिक पसन्द करता है। बैंक अपने कोषों में से ऋण तभी देता है जब निजी निवेशकर्ताओं से ऋण उपलब्ध नहीं होता। गारण्टी देने से पूर्व बैंक कुछ शर्तों की पूर्ति पर अवश्य ही जोर देता है। शर्तें इस प्रकार हैं—(क) जब बैंक किसी अन्य देश द्वारा दिये जाने वाले ऋण की गारण्टी करता है, तब वह अपने आप को सन्तुष्ट कर लेता है कि ऋण देने की शर्तें उचित तथा न्यायपूर्ण हैं, (ख) बैंक यह भी देखता है कि जिस योजना के लिए ऋण दिया जा रहा है, वह उचित भी है अथवा नहीं। योजना के अहित्य के बारे में अंतिम निर्णय बैंक का ही होता है, (ग) बैंक अपने आपको इस बात से भी सन्तुष्ट कर लेता है कि ऋणी देश के पास ऋण सौटाने के पर्याप्त साधन भी हैं अथवा नहीं (घ) जिस सदस्य देश को ऋण प्रदान किया जाता है उस देश की सरकार को भी ऋण की गारण्टी देनी होती है।

ऋण देते अथवा दिलाने समय विश्व बैंक निम्नलिखित नियमों का अनुसरण करता है

(i) साधारणतः विश्व बैंक सदस्य देश की सरकार अथवा उसके केन्द्रीय बैंक से ही व्यवहार करता है। वह सदस्य देशों की निजी सत्थाओं से व्यवहार नहीं करता। यदि कोई निजी सत्था विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहती है तो विश्व बैंक ऐसी सत्था को भी ऋण दे सकता है, परन्तु शर्त यह है कि उस देश की सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक मूलधन, ब्याज तथा अन्य व्ययों के भुगतान की गारण्टी देने के लिए तैयार हो।

(ii) विश्व बैंक को यह अधिकार होता है कि वह ऋण की मात्रा तथा गारण्टी सम्बन्धी शर्तों को स्वयं निर्धारित करे।

(iii) ऋण की राशि ऋणी देश के केन्द्रीय बैंक में जमा कर दी जाती है और ऋण लेने वाली सत्था अपनी आवश्यकतानुसार उसे वहाँ से निकाल सकती है।

(iv) ऋण देते समय ऋणी देश पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता कि वह ऋण की राशि का ऋण देने वाले देश में ही व्यय करे। दूसरे शब्दों में, ऋणी देश को पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वह ऋण की राशि को किसी भी देश के माल खरीदने के लिए व्यय कर सकता है।

(v) ऋणी देश ऋण की राशि को केवल उसी योजना के सम्बन्ध में व्यय कर सकता है जिसने लिए उसे ऋण प्रदान किया गया है।

(vi) विश्व बैंक किसी भी समय अपनी जारी की हुई पूंजी तथा प्रारक्षित निधि की कुल राशि से अधिक ऋण न तो स्वयं दे सकता है और न ही गारण्टी देकर निजी निवेशकर्ताओं से ऋण दिला सकता है।

(vii) ऋणी देश को ऋण का भुगतान सोने में अथवा उस मुद्रा में करना होता है जिसमें उसने ऋण प्राप्त किया था।

विश्व बैंक सदस्य देशों को ऋण, सिंचाई, बिजली, परिवहन, उद्योग, जलपूर्ति, शिखा इत्यादि में विशिष्ट विकास योजनाओं हेतु ऋण देता रहा है। बैंक द्वारा दिये गये अधिकाराश ऋणों का उद्देश्य विकासशील देशों में तीव्र आर्थिक विकास की नींव रखना है। विश्व बैंक सदस्य देशों को मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण भी देता है। बैंक सदस्य देशों में चल रही उन परियोजनाओं की प्रगति के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता रहता है जिनका वह वित्तपोषण करता है। बैंक अपने निरीक्षकों को मीके पर ही परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु ऋणी देशों में भेजता रहता है।

(4) विश्व बैंक द्वारा टेकनीकल सहायता का दिया जाना—विश्व बैंक सदस्य देशों को टेकनीकल सहायता भी प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में विश्व बैंक समय-समय पर सदस्य देशों में अपने आर्थिक विशेषज्ञों को भेजकर उनका सामान्य पर्यवेक्षण (general survey) कराता है। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक सदस्य देशों को उनकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता देता है। विश्व बैंक सदस्य देशों के अधिकारियों को विकास योजनाओं के निर्माण तथा उन्हें क्रियान्वित करने के बारे में प्रशिक्षण भी देता है। इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक ने सन् 1956 में आर्थिक विकास संस्थान (Economic Development Institute) की स्थापना की थी। इस संस्थान में सम्बद्ध देशों के अधिकारियों व कर्मचारियों को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

बैंक द्वारा ब्याज तथा कमीशन की वसूली—बैंक अपने कोषों में से दिये गये ऋणों पर सदस्य देशों से ब्याज की वसूली करता है। विश्व बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दर अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा बाजारों में कार्यशील प्रवृत्तियों के अनुसार समय-समय पर बदलती रहती है। अक्टूबर 1976 में यह ब्याज की दर 8.7 प्रतिशत वार्षिक थी। निस्सन्देह, यह ब्याज दर विकासशील देशों के लिए ऊँची है जबकि बैंक के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं जहाँ किसी सदस्य देश ने ऋण लौटाने से इन्कार कर दिया हो। निजी बैंकिंग संस्थाओं को तो ऋण न लौटाने का जोखिम उठाना पड़ता है लेकिन विश्व बैंक को तो ऐसी कोई आशंका नहीं होती। फिर भी इसके द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दर बाजार प्रवृत्तियों से ही शासित होती है। जिन ऋणों की बैंक गारण्टी करता है उन पर 1 से लेकर 1½ प्रतिशत कमीशन वसूल करता है। बैंक अपने कमीशन को एक विशेष कोष में जमा कर देता है। इस कोष का उपयोग किसी सदस्य देश द्वारा ऋण का भुगतान न करने पर किया जाता है।

लाभ का विभाजन—अपने लाभ का वितरण करते समय सर्वप्रथम बैंक ऋणदाता देशों को उनकी पूंजी में से दिये गये ऋणों की औसत रकम पर 2 प्रतिशत ब्याज देता है। शेष लाभ को सदस्य देशों में उनकी स्वीकृत पूंजी के अनुपात में उन्हीं की मुद्राओं में बाँट देता है।

विश्व बैंक द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा—विश्व बैंक द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत की जाती है

(1) कार्यकारी पूंजी में वृद्धि—समय-समय पर विश्व बैंक ने अपनी कार्यकारी पूंजी में वृद्धि करने के अनेक प्रयत्न किये हैं। इसने विभिन्न समयों पर अमरीका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड आदि देशों में अपनी प्रतिभूतियों तथा बोण्ड्स को बेचकर अपनी पूंजी को बढ़ाने का प्रयत्न किया है। विगत 30 वर्षों में विश्व बैंक ने अपनी पूंजी को दुगुने से भी अधिक कर लिया है। इसके अलावा, विश्व बैंक समय-समय पर अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा बाजारों से भी ऋण ले रहा है।

(2) बैंक द्वारा दिये गये ऋण—विगत 30 वर्षों में (अर्थात् 31 दिसम्बर, 1975 तक) विश्व बैंक ने 110 सदस्य देशों को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 29 बिलियन डालर के

ऋण दिये थे। यह ऋण सहायता (प्रतिशतो के रूप में) विभिन्न मदों पर निम्नवत विभाजित की जा सकती है—विजली 25%, परिवहन एवं संचार 30%, कृषि, जंगलात एवं मत्स्य पालन 15%, जनमख्या नियन्त्रण, सहरिकरण, पर्यटन, जलपूति एवं शिक्षा 30%।

(3) उत्पादक उद्देश्यों के लिए ऋण देना—जैसा पूर्व कहा गया है, बैंक सदस्य देशों को केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिए ही ऋण देता है। विशेषकर, बैंक विजली-शक्ति तथा परिवहन के साधनों के विकास के लिए अल्प-विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है। इसका कारण यह है कि किसी भी देश के लिए इन सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक होता है। इसके बिना देश का आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकता। सन् 1968-69 से विश्व बैंक ने कृषि-विकास, शिक्षा एवं परिवार नियोजन के लिए भी ऋण देना प्रारम्भ कर दिया था।

(4) टेकनीकल सहायता—जैसा ऊपर कहा गया है, बैंक ने अपने सदस्य देशों को टेकनीकल सहायता भी प्रदान की है। बैंक सदस्य देशों को टेकनीकल मिशन्स भेजकर वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। बैंक सदस्य देशों की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता देता है।

(5) अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Commission)—यह संस्था भी विश्व बैंक के साथ सम्बद्ध है। इसकी स्थापना जुलाई 1956 में की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य सदस्य देशों में निजी व्यवसायों (private enterprises) को प्रोत्साहित करना है।

(6) अन्तरराष्ट्रीय विकास सघ (International Development Association)—यह संस्था भी अन्तरराष्ट्रीय बैंक से सम्बन्धित है। इसकी स्थापना सितम्बर 1960 में की गयी थी। इसका उद्देश्य पिछड़े तथा अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहायता देकर उनका औद्योगिक विवास करना है।

(7) अल्प-विकसित देशों को ऋण दिलाने के लिए ऋणदाता देशों की बैठकों का आयोजन करना—विश्व बैंक पिछड़े तथा अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए समय-समय पर ऋणदाता देशों की बैठकों बुलाता है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की सहायताार्थ अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी तथा जापान की बैठक बुलाई थी। भारत सहायता क्लब (Aid India Club) विश्व बैंक द्वारा ही सगठित किया गया है।

(8) राष्ट्रों के विवादों का निपटारा—विश्व बैंक सदस्य देशों से पारस्परिक आर्थिक विवादों का निपटारा भी करता है, ताकि अपने झगड़े समाप्त करके सदस्य देश आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में अपने साधन जुटा सकें। अभी हाल ही में विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी के विवाद का सफलतापूर्वक निपटारा किया था। इसी प्रकार विश्व बैंक ने समुक्त अरब गणराज्य (U A R) तथा ब्रिटेन के बीच स्वेज नहर (Suez Canal) से उत्पन्न वित्तीय विवाद तय कराने में प्रशस्तनीय भूमिका प्रस्तुत की थी।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अपने संक्षिप्त जीवनकाल में विश्व बैंक ने बहुत ही प्रशस्तनीय काम किया है। विशेषकर, अल्प विकसित तथा पिछड़े हुए देशों की आर्थिक सहायता पदान करके इसने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है।

विश्व बैंक का मूल्यांकन

(Evaluation of the World Bank)

विश्व बैंक की कार्यशीलता आलोचनारहित नहीं है। इसकी निम्न आधारे पर आलोचना की गई है।

(1) अपर्याप्त वित्तीय सहायता—विश्व बैंक की पूंजी एवं अन्य वित्तीय साधन सदस्य देशों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बैंक द्वारा विकासशील देशों को दी गई वित्तीय सहायता बहुत ही कम है। अक्टूबर, 1976 में मनीला में हुई बैंक की वार्षिक बैठक में विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने जोरदार मांग की थी कि बैंक की पूंजी को बढ़ाकर 34 बिलियन डालर कर दिया जाय। तभी बैंक उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप में पूरा कर सकता है।

(2) भेदपूर्ण व्यवहार—अपने दिन-प्रति-दिन के कार्यों में विश्व बैंक एशिया एवं अफ्रीका के देशों के साथ भेदपूर्ण व्यवहार करता है। लेकिन पश्चिमी यूरोप के देशों के प्रति बैंक बहुत ही उदार एवं दयालु रहा है। सामूहिक रूप में एशिया एवं अफ्रीका के देशों के क्षेत्र, जनसंख्या एवं अशोषित साधन पश्चिमी यूरोप के देशों की तुलना में कहीं अधिक एवं विशाल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पश्चिमी यूरोप के देशों को एशिया एवं अफ्रीका के देशों की तुलना में कहीं अधिक ऋण सहायता प्राप्त हुई है। विश्व बैंक तो एक गैर-राजनीतिक एवं गैर-पक्षपाती संस्था है। अतः ऋण सहायता देते समय इसे कतिपय देशों के विरुद्ध भेद-भाव नहीं करना चाहिये। सदस्य देशों को ऋण गुण-दोष के आधारों अथवा विणुद्धत आर्थिक आधारों पर ही दिये जाने चाहिये।

(3) ऊँची ब्याज एवं कमीशन दरें—विश्व बैंक पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वह ऋणों देशों (जो अधिकांशतः एशिया एवं अफ्रीका के विकासशील देश ही हैं) से ऊँची ब्याज एवं कमीशन दरें वसूल करता है। विश्व बैंक की यह प्रथा बहुत ही असमतायुक्त, अन्यायपूर्ण एवं बैंक-चाहते के विरुद्ध है। विश्व बैंक कोई लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। इसका उद्देश्य तो विकासशील देशों को अधिकतम वित्तीय सहायता देना है। इस दृष्टिकोण से विश्व बैंक विकासशील देशों की आशाओं को पूरा नहीं कर सता है। विश्व बैंक को चाहिये कि वह अपने द्वारा दिये गये उन ऋणों पर ब्याज एवं कमीशन की दरों में स्वेच्छा से ही कटौती कर दे जिनकी मारण्टी ऋणी देशों की सरकारों द्वारा दी जाती है। जब ऋणों की अदायगी की मारण्टी सम्बद्ध सरकारों द्वारा कर दी जाती है तो विश्व बैंक के लिए कोई विशेष जोखिम नहीं रह जाता।

(4) अदायगी क्षमता पर धन विश्व बैंक के विरुद्ध एक अन्य आलोचना यह की जाती है कि किसी सदस्य देश को ऋण देने से पूर्व बैंक इस बात की भली भाँति जाँच करता है कि उस देश के पास ऋण लौटाने की क्षमता भी है अथवा नहीं। यह एक प्राचीन, परम्परागत बैंकिंग प्रथा है जो आधुनिक समय में प्रामाणिक प्रतीत नहीं होती। ऋण-अदायगी की क्षमता तो ऋण देने के बाद उत्पन्न होती है उस से पूर्व नहीं। जब ऋण से पोषित विकास परियोजना पूर्ण होती है तो अदायगी क्षमता स्वतः ही इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हो जाती है। ऋण देने से पूर्व अदायगी-क्षमता का आग्रह करना सदस्य देशों को ऋण लेने से हतोत्साहित करना है। बैंक को तो मात्र यह देखना चाहिए कि ऋण से पोषित होने वाली परियोजना उत्पादक है अथवा नहीं। यदि परियोजना उत्पादक है तो ऋणी देश की अदायगी-क्षमता इस प्रक्रिया में स्वतः ही सृजित हो जायेगी।

(5) कृषि आदि के लिये ही ऋण—विश्व बैंक की एक आलोचना यह भी की जाती है कि यह बैंक अल्पविकसित देशों को ऋण अधिकांशतः कृषि एवं सम्बन्धित कार्यों के लिये ही देता है। भागी एवं मूलभूत उद्योगों के लिये नहीं। इस आलोचना में सत्यता का बहुत बड़ा अंश पाया जाता है। भारत को जिनने भी ऋण दिये गये हैं, अधिकांशतः कृषि, सिंचाई, बिजली एवं खनिज उद्योगों के विकास के लिये ही दिये गये हैं।

उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद विश्व बैंक ने अपने 30 वर्षीय अस्तित्व काल में सदस्य देशों की उपयोगी सेवाएँ की हैं। बैंक ने अन्तरराष्ट्रीय ऋणों से सम्बन्धित उपयुक्त अवस्थानों की स्थापना में सहायता दी है। यदि कोई देश उपयुक्त शर्तों पर किन्हीं अन्य स्रोतों से ऋण ले सकता है तो ऐसे देश को बैंक वित्तीय सहायता नहीं देता। बैंक तो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता तभी देता है जब उस उपयुक्त शर्तों पर इसे अन्य स्रोतों से प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। बैंक आसतः शर्तों पर एवं 25 से लेकर 30 वर्ष तक की दीर्घ अवधि के लिये ऋण दे देता है।

विश्व बैंक ने बहुपक्षीय व्यापार एवं निवेश प्रणाली (Multilateral trade and investment system) का भी विकास किया है। यह ऋणी देशों को ऋण-राशि कहीं भी व्यय करने की आज्ञा दे देता है। ऋणी देश को ऋण-राशि किसी विशेष देश में व्यय करने के लिये बाध्य नहीं किया जाता।

विश्व बैंक ने ऋणों की नियमित अदायगी पर भी निरन्तर जोर दिया है। बैंक ने ब्याज के सम-गोचित भुगतान को भी प्रोत्साहित किया है। इसका कारण यह है कि यदि बैंक को कोई वित्तीय होती है तो उसका भार संयुक्त रूप में सभी सदस्य देशों पर पड़ता है। बैंक केवल उपयुक्त विश्व स परियोजनाओं के लिये ही ऋण देता है। ऋण देने से पूर्व परियोजना की व्यवहार्यता की

थच्छी तरह से जाँच-पड़ताल कर लेता है। ऋण तभी दिया जाता है जब परियोजना वित्तीय दृष्टिकोण से सही होती है।

विश्व बैंक ने सप्तर के विकासशील देशों की मूल्यवान सेवाएँ की हैं। इसने इन देशों को कृषि, सिंचाई, बिजली, परिवहन, उद्योग, शिक्षा इत्यादि के लिये ऋण दिये हैं। बैंक की इस वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप विकासशील देशों ने आर्थिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

यह सही है कि विश्व बैंक विकासशील देशों की सभी आशाओं को पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं कर पाया है। लेकिन इसकी भूमिका का मूल्यांकन करते समय हमें उन परिसीमाओं को उपेक्षा नहीं करनी चाहिये जिनके भीतर अब तक यह बैंक कार्यरत रहा है। इसमें सन्देह नहीं है कि बैंक विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में सहायक हुआ है। यह सही है कि बैंक सभी प्रस्तुत परियोजनाओं का वित्तपोषण नहीं कर सका है लेकिन इनमें से अनेक परियोजनाओं के लिये इसने धन दिया है और इन परियोजनाओं के परिपक्व होने पर विकासशील देशों को बहुत लाभ हुआ है। यदि बैंक के पूँजीगत साधनों में वृद्धि कर दी जाय तो यह सप्तर के विकासशील देशों को और अधिक वित्तीय सहायता देने की स्थिति में होगा।

भारत और विश्व बैंक—(क) भारत नवम्बर, 1946 में विश्व बैंक का मूल सदस्य बन गया था। बैंक के प्रशासनिक संचालक मण्डल में भी भारत को स्थायी स्थान दिया गया है। विश्व बैंक ने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण सहायता दी है। विश्व बैंक ने अपने अनेक विशेषज्ञों को भारत भेजा है। ये विशेषज्ञ दो उद्देश्यों से भारत आये थे। प्रथम, भारत की विकाससूचक परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिये, दूसरे, भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों का सर्वेक्षण करने के लिये बैंक के अनेक अधिकारी भी भारत की यात्रा कर चुके हैं। ये अधिकारी विभिन्न विकास-परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता का अध्ययन एवं उसकी जाँच करने हेतु आये थे। विश्व बैंक ने नई दिल्ली में अपना एक स्थानिक प्रतिनिधि (Resident Representative) नियुक्त कर रखा है। यह अधिकारी देश की विकास-परियोजनाओं के द्वारे में भारत सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखता है।

भारत विश्व बैंक के प्रमुखतम ऋणियों में से है। अगस्त 1949 से लेकर 30 जून, 1975 तक विश्व बैंक ने भारत को 1536.6 मिलियन डालर के 44 ऋण प्रदान किये थे। इस ऋण-राशि का लगभग 42 प्रतिशत भाग रेलों, सड़कों, बन्दरगाहों एवं हवाई जहाजों के विकास के लिये दिया गया था। बिजली विकास के लिये कुल सहायता का 17.5 प्रतिशत भाग दिया गया था। उद्योग-धन्धों का भाग 38 प्रतिशत तथा कृषि का 0.7 प्रतिशत था। इन ऋणों पर बैंक ने 3.5 प्रतिशत से लेकर 8.9 प्रतिशत वार्षिक तक की ब्याज दर वसूल की थी। जिन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ने भारत को ऋण दिये हैं, वे निम्नलिखित हैं।

- (1) रेलों की आवश्यक सामग्री एवं कल-पुर्जों के आयात के लिए।
- (2) वन-भूमि को कृषि-योग्य बनाने हेतु कृषि-भग्नीनों के आयात के लिए।
- (3) दामोदर घाटी निगम की बिजली परियोजनाओं के लिए।
- (4) एयर-इण्डिया निगम द्वारा हवाई जहाज खरीदने के लिए।
- (5) कलकत्ता एवं मद्रास के बन्दरगाहों के विकास के लिए।
- (6) महाराष्ट्र की कोयला बिजली परियोजना के लिए।
- (7) टाटा लोहा एवं इस्पात क० तथा इण्डिया लोहा एवं इस्पात क० के विस्तार के लिए।

- (8) ट्रामबे (Trombay) में बिजलीघर की स्थापना के लिए।
- (9) बिजली के तार के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री के आयात के लिए।
- (10) आंध्र प्रदेश में कोठागोदाम बिजलीघर के विस्तार के लिए।
- (11) निजी खण्ड में कोयला उद्योग के विकास के लिए।
- (12) Industrial Credit and Investment Corporation of India को वित्तीय सहायता देने के लिए।

इस प्रकार सरकारी खण्ड में यह सहायता रेलवे विनास, बिजला शक्ति विकास, बहु उद्देशीय योजनाओं, बन्दरगाहों के विकास, कृषि विकास तथा हवाई जहाज खरीदने के लिए दी गई है। निजी खण्ड में यह सहायता कोयला उद्योग के विकास, बिजली के विकास तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के विकास के लिए दी गई है।

(ख) विश्व बैंक ने भारत को टेकनीकल सहायता भी प्रदान की है। विश्व बैंक ने समय समय पर भारत को टेकनीकल विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रदान की हैं। इन विशेषज्ञों ने भारत की योजनाओं का अध्ययन करके उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के बारे में बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

(ग) विश्व बैंक ने भारत पाकिस्तान के नहरी पानी विवाद का भी निबटारा करने में सहायता प्रदान की है। नहरी पानी विकास के लिए बैंक ने दोनों देशों को ऋण भी दिये हैं।

(घ) भारत को अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में विश्व बैंक ने पाँच प्रमुख देशों की बैठक बुलाई थी जिसमें भारतीय वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन किया गया था और ऋणदाता देशों ने भारत को अधिक ऋण देना स्वीकार किया था। वास्तव में Aid India Consortium का गठन विश्व बैंक के तत्वावधान में ही किया गया है।

इस प्रकार विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में बहुमूल्य योग प्रदान किया है। वास्तव में भारत के लिए विश्व बैंक एक अत्यधिक लाभकारी सस्था सिद्ध हुई है। आशा की जाती है कि भविष्य में भी विश्व बैंक भारत की निरन्तर सहायता करता रहेगा।

आलोचनाएँ—भारत को विश्व बैंक से समय-समय पर जो अधिक सहायता प्राप्त हुई है उसके बारे में निम्नलिखित आलोचनाएँ की गयी हैं

(1) भारत को कम मात्रा में ऋण मिले हैं कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत की औद्योगिक तथा विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को यदि ध्यान में रखा जाय तो बैंक द्वारा प्रदान की गयी आर्थिक सहायता पर्याप्त प्रतीत नहीं होती। वास्तव में, विश्व बैंक ने भारत को उतनी सहायता प्रदान नहीं की है जितनी कि उसे करनी चाहिए थी। आलोचकों का यह भी कहना है कि विश्व बैंक ने एशिया तथा अफ्रीका के देशों के साथ भेदपूर्ण व्यवहार किया है। इन देशों की अपेक्षा यूरोप के देशों को अधिक मात्रा में सहायता प्रदान की गयी है।

(2) विश्व बैंक ने भारत को केवल निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही ऋण दिये हैं—आलोचकों का यह भी कहना है कि विश्व बैंक ने भारत को सामान्य ऋण (general loans) न देकर निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही ऋण (tied loans) प्रदान किये हैं। वास्तव में भारत को सामान्य ऋणों की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इस प्रकार के ऋणों का सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग करने में स्वतन्त्र होती है। अभी हाल ही में विश्व बैंक ने आस्ट्रेलिया को एक सामान्य ऋण प्रदान किया है। यदि आस्ट्रेलिया को इस प्रकार का ऋण दिया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि भारत को ऐसा ऋण क्यों न दिया जाय ?

(3) व्याज की ऊँची दर—बैंक ने जो भारत को ऋण दिये हैं, उन पर इसने काफी ऊँची व्याज की दर वसूल की है। आलोचकों का मत है कि भारत जैसा निर्धन देश इतनी अधिक व्याज की दर का बोझ सहन करने में असमर्थ है।

अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम

(International Finance Corporation)

यह निगम विश्व बैंक की एक सम्बन्ध सस्था है। इसकी स्थापना 20 जुलाई, 1956 को की गयी थी। इसकी स्थापना के कारण ये थे—(क) विश्व बैंक के विधान के अनुसार यह बैंक निजी व्यवसायों (private enterprises) को देश की सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक की गारण्टी पर ही ऋण दे सकता है। इसका कारण निजी व्यवसायों को विश्व बैंक से कोई अधिक सहायता नहीं मिल सकती थी, (ख) विश्व बैंक केवल निश्चित व्याज दरों पर ही ऋण देने की व्यवस्था करता है। वह जोखिम पूंजी (risk capital) की व्यवस्था नहीं करता, अर्थात् विश्व बैंक जोखिमपूर्ण

व्यवसायो में पूंजी नहीं लग सकती। परन्तु निजी व्यवसायो में तो जोखिम पूंजी की ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह अनुभव किया गया है कि निजी व्यवसायो की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से एक नयी संस्था स्थापित की जाये।

अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम के उद्देश्य—इस निगम का मुख्य उद्देश्य निजी व्यवसायो को आर्थिक सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए यह निगम निजी व्यवसायो की शेयर पूंजी (Share capital) में भाग लेता है। ऐसा करने के लिए निगम को सदस्य देश की सरकार तथा केन्द्रीय बैंक की मारण्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह निगम निजी निवेशकर्ताओं (private investors) के साथ मिलकर ही निजी व्यवसायो में पूंजी का निवेश करता है। पूंजी निवेश में निगम प्रायः पिछड़े हुए तथा अल्प-विकसित देशों को प्राथमिकता देता है।

निगम की सदस्यता—जैसा ऊपर कहा गया है, यह निगम विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है। इसकी सदस्यता विश्व बैंक से अलग होती है, किन्तु विश्व बैंक के सदस्य ही इसके सदस्य बन सकते हैं। इसने साथ ही यह आवश्यक नहीं कि विश्व बैंक के सभी सदस्य इस निगम के भी सदस्य हों। वास्तव में विश्व बैंक के सदस्यों के लिए इस निगम की सदस्यता ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं। 30 जून, 1975 को इस निगम के सदस्यों की कुल संख्या 100 थी।

निगम की पूंजी—इस निगम ने जुलाई, 1956 में 100 मिलियन डालर की अधिकृत पूंजी से अपना कार्य प्रारम्भ किया था। इसे 1000 डालर मूल्य के 1 लाख शेयरों में विभाजित किया गया था। लेकिन प्रारम्भ में निगम की जारी पूंजी 989,60,000 डालर थी। भारत का इसकी पूंजी में चौथा स्थान था। लेकिन निगम की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इसकी पूंजी को समय-समय पर बढ़ाया गया था। 30 जून, 1975 को निगम की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 10733 मिलियन डालर कर दिया गया था। अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करने हेतु इस निगम ने विश्व बैंक से ऋण भी प्राप्त किये हैं। 30 जून 1975 को इस निगम के कुल वित्तीय साधन 700 मिलियन डालर थे।

निगम का प्रबन्ध—जैसा कहा गया है निगम के सदस्य वे देश ही हो सकते हैं जो विश्व बैंक के भी सदस्य हों। निगम का प्रबन्ध भी ठीक उसी प्रकार चलाया जाता है जिस प्रकार कि विश्व बैंक का। इसका भी बोर्ड थाफ गवर्नर्स होता है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश को स्थान दिया जाता है। यह बोर्ड निगम की सामान्य नीति का निर्धारण करता है। निगम के वित्त प्रतिदिन के कार्य को संचालित करने के लिए एक संचालक बोर्ड भी होता है। इस बोर्ड के 21 सदस्य निगम के सदस्य देशों से चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष विश्व बैंक का प्रेसीडेंट ही होता है। यद्यपि निगम विश्व बैंक से एक पृथक संस्था है परन्तु इसका नियन्त्रण पूर्णतः विश्व बैंक द्वारा ही किया जाता है।

निगम की कार्य प्रणाली के सिद्धान्त—इसकी कार्य प्रणाली के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं

(1) निजी व्यवसायो में निवेश करना—यह निगम सदस्य देशों के निजी व्यवसायो को ही सहायता देता है। सरकारी या अर्द्ध सरकारी व्यवसायो को इससे सहायता नहीं मिल सकती। यह निगम ऋण देते समय पिछड़े हुए अल्प विकसित देशों को प्राथमिकता देता है।

(2) निजी निवेशकर्ताओं के साथ साझेदारी—यह निगम निजी निवेशकर्ताओं (private investors) के साथ मिलकर ही निजी व्यवसायो में पूंजी लगाता है। पूंजी लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि निगम द्वारा दी गयी पूंजी किसी निजी व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी की आधी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3) व्याज की दर का निर्धारण ऋण लेने वाले व्यवसाय के जोखिम पर निर्भर करता है—व्याज की दर के बारे में निगम के कोई सुदृढ नियम नहीं हैं। निगम ऋण लेने वाले व्यवसाय के जोखिम के अनुसार ही व्याज की दर तय करता है।

(4) ऋण की अवधि—साधारणतः निगम 5 से लेकर 15 वर्षों तक की अवधि के लिए निजी व्यवसायो को ऋण प्रदान करता है।

अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम के निवेश-सम्बन्धी मापदण्ड (Investment Criteria of the I F C)

निजी व्यवसायों को ऋण देने से पूर्व निगम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता है

(i) ऋण लेने वाला व्यवसाय ऐसा हो कि कालान्तर में वह लाभ कमा सके। वास्तव में लाभदायिकता निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋणों का आवश्यक मापदण्ड है।

(ii) ऋण लेने वाला व्यवसाय ऐसा होना चाहिये कि वह देश के आर्थिक विकास में निश्चित योग दे सके।

(iii) अपने चार्टर के अन्तर्गत निगम किसी एक व्यवसाय में 20 मिलियन डॉलर से अधिक को पूंजी निवेशित नहीं कर सकता।

(iv) निगम किसी निजी व्यवसाय में निवेश नहीं कर सकता है जब कुल पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक भाग उस व्यवसाय द्वारा स्वयं लगाया जाय।

(v) जहां तक शेयर पूंजी (Share capital) का सम्बन्ध है निगम ऋण लेने वाले व्यवसाय की कुल पूंजी का 25 प्रतिशत से अधिक शेयर (Shares) नहीं खरीद सकता।

अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम की वित्तीय कार्यविधि (Financial Procedure of the I F C)

जैसा पूर्व कहा जा चुका है, निगम सदस्य देशों में केवल निजी व्यवसायों को ही ऋण सुविधाएं देता है। यह एक ऐसी एजेंसी है जो निजी औद्योगिक संस्थानों को ऋण-पूंजी (Loan Capital) तथा जोखिम पूंजी (Risk Capital) दोनों ही प्रदान करती है। मूल नियमों के अंतर्गत निगम निजी औद्योगिक संस्थानों के सामान्य शेयर (Ordinary shares) नहीं खरीद सकता था। निगम तो इन संस्थानों के केवल ऋण पत्रों (Debentures) अथवा अन्य सिक्कूरिटिवों (Securities) को ही खरीद सकता था। यह भी केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता था जहाँ औद्योगिक संस्थान को उचित शर्तों पर पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं हो सकती थी। लेकिन निगम औद्योगिक संस्थानों के ऋण पत्रों को भी अनिश्चित काल के लिये अपने पास नहीं रख सकता था। इसके विपरीत निगम इस प्रकार के ऋण पत्रों एवं सिक्कूरिटिवों को स्थानीय अथवा विदेशी निजी निवेशकर्ताओं को बेच कर अपनी पूंजी पुनः प्राप्त कर सकता था। लेकिन यह तभी किया जाता था जब निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजना परिपक्वता की स्थिति में पहुँच जाती थी। पुरानी सिक्कूरिटिवों अथवा ऋण-पत्रों को बेचकर जो पूंजी निगम को प्राप्त होती थी, उसे पुनः सदस्य देशों में किन्हीं अन्य परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु लगा दिया जाता था। जब निगम अपने पुराने ऋण-पत्रों को बेच देता था तो नये क्रेताओं को यह अधिकार प्राप्त हो जाता था कि वे उन्हें सामान्य शेयरों में परिवर्तित करवा लें। इस प्रकार निगम कम्पनी प्रमोटर (Company Promoter) की भूमिका अदा करता है और सदस्य देशों में निजी औद्योगिक संस्थानों के विकास को प्रोत्साहित करता है।

निगम अपने कौप से तो जोखिम पूंजी देता ही है। इसके साथ ही साथ निगम निजी औद्योगिक संस्थानों के लाभार्थी घरेलू एवं विदेशी पूंजी जुटाने का भी प्रयास करता है। निगम नये औद्योगिक संस्थानों को अनुभवी बमला (Experienced staff) प्राप्त करने में भी सहायता देता है। लेकिन निगम औद्योगिक व्यवसायों के प्रबन्ध में स्वयं कोई भाग नहीं लेता। निगम अपने द्वारा वित्तपोषित औद्योगिक संस्थानों के संचालक मण्डलों में प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिये आग्रह करता है। निगम द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक औद्योगिक संस्थान अपना वार्षिक तुलना पत्र, लाभ हानि विवरण एवं सामयिक प्रगति प्रतिवेदन निगम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये बचनबद्ध होता है। इसी प्रकार औद्योगिक संस्थान के भवन मशीनरी एवं प्लांट का निरीक्षण किसी भी समय निगम के अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।

सन् 1961 के बाद चार्टर में किये गये संशोधन के अनुसार निगम को अब यह अनुमति दे दी गई है कि वह सदस्य देशों के औद्योगिक संस्थानों की पूंजी के सामान्य शेयर भी खरीद सकता है। इस प्रकार निगम नये औद्योगिक संस्थानों के सामान्य शेयर ही नहीं खरीदता, बल्कि

उन्हे दीर्घकालीन ऋण भी देता है। इस प्रकार निगम द्वारा खरीदे गये सामान्य धेयरो को आगे चलकर निजी निवेशकर्ताओं को बेच दिया जाता है। लेकिन यह तभी किया जाता है जब सस्थान विकास को एक निश्चित अवस्था में पहुँच जाता है। सामान्य धेयरो की विधि से विमुक्त हुए वित्तीय साधनों को निगम द्वारा अन्य नये औद्योगिक सस्थानों में लगा दिया जाता है। इस प्रकार निगम अपने कौधों को नये-नये सस्थानों में लगाकर निरन्तर घुमाता (Revolve) रहता है। इस कारणने मे इसका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि सदस्य देशों में अधिक से अधिक औद्योगिक सस्थानों को अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की जाय।

अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम के कार्य की समीक्षा—सन् 1956 से लेकर सन 1975 तक इस निगम ने 57 विकासशील देशों के निजी क्षेत्र (Private Sector) से सम्बन्धित विकास-त्मक परियोजनाओं के लिये 1262 मिलियन डालर के ऋण प्रदान किये थे। इस ऋण राशि का प्रादेशिक वितरण इस प्रकार था—सैंटिन अमरीका 39%, एशिया 28%, अफ्रीका 17% तथा यूरोप 15%। जिन उद्योगों को निगम ने वित्तीय सहायता दी वे इस प्रकार थे—कागज, सीमेन्ट, सूती कपड़ा, लोहा एवं इस्पात, रासायनिक खाद, रसायन, खनिज उद्योग, सामाजिक उपयोगिताएँ, पर्यटन, मुद्रण एवं प्रकाशन (Printing and Publishing) वह। निगम विकासशील देशों को मुद्रा एवं पूँजी बाजारों का विनास करने हेतु भी ऋण दिये थे।

निगम की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये इसकी पूँजी को भी समय-समय पर बढ़ाया गया था। अक्टूबर 1966 में निगम के संविधान में परिवर्तन किया गया था ताकि वह अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से विश्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सके।

अक्तूबर, 1966 में अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम के विधान में संशोधन किया गया था ताकि निगम विश्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सके। इस संशोधन के अनुसार निगम विश्व बैंक से 400 मिलियन डालर तक उधार ले सकता था। इस संशोधन में यह भी व्यवस्था की गई थी कि निगम अपनी समूची पूँजी एवं प्रारक्षित निधि को निजी उद्योगों के धेयर खरीदने में लगा सकता था।

भारत ने भी इस निगम से कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। 30 जून, 1975 तक निगम ने भारत में कुल मिलाकर 518 मिलियन डालर का निवेश किया था। यह धनराशि भारत के 11 औद्योगिक व्यवसायों में लगायी गयी थी जो इस प्रकार थे—इस्पात, डीजल इंजिन, रोलर बीयरिंग, ट्रेक्टरों के कलपुर्जों मोटर गाडियाँ, पम्प, बिजली के तार, रासायनिक खाद, सूती कपड़ा, मशीनरी उद्योग इत्यादि। वैसे भारत को इस निगम से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था।

अन्तरराष्ट्रीय वित्त निगम की आलोचनाएँ—इसकी आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं

(1) भेदपूर्ण व्यवहार—इस निगम के विरुद्ध पहली आलोचना यह की जाती है कि यह विभिन्न देशों के साथ भेदपूर्ण व्यवहार करता है। जैसा ऊपर कहा गया है, इस निगम ने अपनी सहायता का अधिकांश भाग सैंटिन अमरीकी देशों को ही दिया है। एशिया तथा अफ्रीका के अल्प-विकसित देशों को उपेक्षा की गयी है। इन देशों को ऋण देते समय भी निगम उन देशों को प्राथमिकता देता है जो अमरीकी गुट के सदस्य हैं।

(2) व्याज की ऊँची दरें—इस निगम के विरुद्ध दूसरी आलोचना यह की जाती है कि इसके द्वारा दिये गये ऋणों पर ऊँची व्याज की दरें वसूल की जाती हैं। वास्तव में, इस निगम का उद्देश्य अल्प विकसित देशों की सहायता करने के बजाय लाभ कमाना प्रतीत होता है। इस प्रकार व्याज की ऊँची दरें लेकर इस निगम ने अपने मुख्य उद्देश्यों को ही समाप्त कर दिया है।

(3) इसके द्वारा दिये गये ऋण की शर्तें बहुत कठोर होती हैं ऋण देते समय निगम प्रायः कठोर शर्तें लगा देता है। उदाहरणार्थ, मूलधन तथा व्याज के भुगतान के बारे में निगम प्रायः यह शर्तें लगा देता है कि इन्हें केवल अमरीकी डालरों में ही वापस किया जाय। स्पष्ट है कि अल्प विकसित देशों के लिए यह बहुत कठिन शर्तें हैं और वे इसे आसानी से पूरा नहीं कर सकते।

(4) साधनों की कमी—निगम के पास साधनों की भी कमी है और यह अल्प-विकसित देशों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। 30 जून, 1975 तक इस निगम ने सदस्य देशों को 1262 मिलियन डालर की ऋण-राशि प्रदान की थी। विकासशील देशों को बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए यह राशि निरन्तर अपर्याप्त थी।

उपयुक्त आलोचनओं के बावजूद विकासशील देशों में निजी व्यवसायों की साख-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु निगम ने विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित किया है। ऐसा करके निगम ने, वास्तव में, एक सराहनीय एवं उपयोगी भूमिका निभायी है। इसके अपने द्वारा दी गई ऋण सहायता तो अधिक नहीं है लेकिन इसकी मुख्य सफलता इस बात में निहित है कि इसने विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर निजी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित किया है।

अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ

(International Development Association)

अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 26 सितम्बर, 1960 को की गयी थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऋण देते समय विश्व बैंक ऋणी देशों पर अत्यन्त कठोर शर्तें लगा देता है। इन शर्तों का ऋण लेने वाले देशों के अदायगी शेष (balance of payments) पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। अतः अल्प-विकसित देश विश्व बैंक से ऋण लेने में हतोत्साहित होते हैं। कालान्तर में यह अनुभव किया गया कि अल्प-विकसित देशों को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए किसी नयी संस्था की स्थापना की गयी थी।

अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ के उद्देश्य—अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ अल्प विकसित सदस्य देशों को परिवहन, बिजली, संचार, सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण आदि के लिए ऋण प्रदान करता है। संघ सदस्य देशों को मकान निर्माण, पीने के पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा आदि से सम्बन्धित योजनाओं के लिए भी ऋण प्रदान करता है। वास्तव में, अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व बैंक के पूरक के रूप में कार्य करते हुए अविकसित सदस्य देशों का आर्थिक विकास हेतु सस्ते एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में, विकास संघ सदस्य देशों के लिए सुलभ ऋणों (soft loans) की व्यवस्था करता है। सुलभ ऋण वे होते हैं जिन पर व्याज की कम दर ली जाती है, जो दीर्घकाल के लिए होते हैं तथा जिनका भुगतान ऋणी देश की मुद्रा में ही स्वीकार कर लिया जाता है।

अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ की पूंजी इस संघ की कुल पूंजी 30 जून, 1975 को 118.8 मिलियन डालर थी। विश्व बैंक के सदस्य अपने शेयर्स (shares) के अनुपात में ही संघ में अपना चन्दा जमा करते हैं। इस समय अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, कनाडा तथा भारत के चन्दे क्रमशः (मिलियन डालरों में) 332, 136, 100, 80, 40, 40.3 हैं। संघ के सदस्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में उन 21 देशों को रखा गया है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत विकसित हैं। इन देशों को अपना चन्दा सोने तथा परिवर्तनीय मुद्रा में देना पड़ता है। इन देशों के चन्दों को उनकी अनुमति के बिना कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी श्रेणी में 93 अल्प-विकसित देशों को रखा गया है। उन्हें अपने चन्दे वा 10 प्रतिशत भाग सोने में और शेष 90 प्रतिशत भाग अपनी मुद्रा में देना पड़ता है। इन देशों के चन्दों को उनकी अनुमति के बिना अन्य मुद्राओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

सदस्य देशों के चन्दों एवं अन्य पूरक साधनों सहित अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ की कुल कोष राशि 30 जून, 1975 को 10,773 मिलियन डालर थी। सदस्य देशों के प्रारम्भिक चन्दों के अलावा, संघ धनी देशों से विशेष अदान (special contribution) भी लेता रहा है। इन्हें पुनः पूर्ति (replenishment) की सहायता दी गई है। संघ को अब तक चार पुनः पूर्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। प्रत्येक पुनः पूर्ति 3 वर्ष के लिये थी। इन चारों पुनः पूर्तियों की धनराशियाँ क्रमशः 750, 1200, 2442, तथा 4500 मिलियन डालर थी। चौथी पुनः पूर्ति की अवधि जुलाई 1977 में समाप्त हो गई थी। अतः उस तिथि से पूर्व ही पाँचवी पुनः पूर्ति एकत्रित करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये थे।

अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ ने 30 जून, 1975 तक 65 विकासशील देशों को 8,434 मिलियन डालर के 526 ऋण प्रदान किये थे। ये ऋण निर्धन विकासशील देशों की कृषि, जंगल, मछली पालन, उद्योग, बिजली परिवहन संचार, जलपूर्ति इत्यादि से सम्बन्धित अनेक विकाससामक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दिये गये थे। इसमें सदेह नहीं कि इन ऋणों की सहायता से विकासशील देशों ने अपनी विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु सुदृढ़ आधार तैयार कर लिया है।

अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ का प्रबन्ध—इसकी प्रबन्ध-व्यवस्था उन्ही अधिकारियों के हाथों में है जो विश्व बैंक का संचालन करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रशासनिक सचालक मण्डल तथा अन्य उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त बैंक के नियमित कर्मचारी ही इसकी समूची कार्य-प्रणाली के लिए उत्तरदायी हैं। यदि आवश्यक हो तो संघ के लिए अलग कर्मचारी एवं अधिकारी भी नियुक्त किये जा सकते हैं।

अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ की कार्य-प्रणाली—विकास सघ सदस्य देशों को आर्थिक विकास से सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। सघ केवल उन्ही योजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है जिनके लिए अन्यत्र किसी स्रोत में ऋण उपलब्ध नहीं हो सकते। ऋण देते समय सघ प्रायः कठिन शर्तें नहीं लगाता। सदस्य देशों को यह छूट दी जाती है कि वे अपने ऋणों को अपनी ही मुद्रा में अक्षत या पूर्णतः लौटा सकते हैं। विकास सघ सदस्य देशों के राजनीतिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता।

अन्तरराष्ट्रीय विकास संघ की सहायता का स्वरूप—(Nature of the I. D. A. Assistance)—जैसा पूर्व कहा गया है, सघ सदस्य देशों को "सुलभ ऋण" (soft loan) देता है। लेकिन सघ ऋण-राशि पर 3/4 प्रतिशत का साधारण सा सेवा शुल्क अवश्य ही वसूल करता है। इस शुल्क से सघ प्रशासनात्मक व्यय की पूर्ति करता है। जैसा ऊपर कहा गया है, सघ 50 वर्ष तक के दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। उनकी (ऋणों की) 10 वर्ष की प्रारम्भिक अनुग्रह अवधि (grace period) भी होती है। इन प्रारम्भिक दस वर्षों में ऋणी देशों को ऋण लौटाने के लिए नहीं कहा जाता है। उसके उपरान्त, ऋण राशि का 1 प्रतिशत भाग प्रति वर्ष अगले दस वर्षों तक वार्षिक किस्तों में देय (repayable) होता है। इसके बाद अगले 30 वर्षों में शेष ऋण-राशि की 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से समापन-व्यवस्था (amortisation) कर दी जाती है। सघ जलपूर्ति, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास आदि जैसी परियोजनाओं के लिये ऋण देता है। स्मरण रहे, ये परियोजनाएँ किसी देश के आर्थिक विकास में तत्काल कोई सहायता नहीं देती। भारत, विकास सघ का सबसे बड़ा ग्राहक है। इसके बड़े आकार, विशाल प्राकृतिक साधनों एवं अधिक जनसंख्या के कारण सघ ने भारत को अधिकतम सहायता दी है। कहा जाना है कि सघ द्वारा दी गई कुल ऋण-राशि का 40 प्रतिशत भाग भारत को प्राप्त हुआ है। 30 जून, 1975 तक विकास सघ ने भारत को 3441 मिलियन डालर के 71 ऋण प्रदान किये थे। ये ऋण सड़क निर्माण, नलरूप सिंचाई नदी घाटी परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण, कृषि तथा कोठागोदान विजली परियोजनाओं, रेलों, वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों औद्योगिक मशीनों, ट्रेक्टरों, रासायनिक खाद, कीटनाशक पदार्थों इत्यादि से सम्बन्धित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये दिये गये थे। हममें कोई संदेह नहीं है कि यदि भारत को यह ऋण-सहायता न दी जाती तो इस देश में आर्थिक प्रगति की दर बहुत धीमी होती।

निससंदेह सन् 1960 में अपने प्रारम्भ से ही विकासशील देशों को उदार शर्तों पर ऋण सहायता देकर अन्तरराष्ट्रीय विकास सघ ने उपयोगी भूमिका निभायी है। लेकिन सीमित साधनों के कारण सघ विकासशील देशों को कोई अधिक व्यापक पैमाने पर ऋण-सहायता नहीं दे सका है। इसमें संदेह नहीं कि पुनर्पूर्तियों (replenishments) को ग्रहण कर सघ ने समय-समय पर अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि की है लेकिन तथ्य तो यह कि इन वृद्धियों के बावजूद भी विकासशील देशों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए इसके वित्तीय साधन नितान्त अपर्याप्त हैं।

कुछ अर्थशास्त्रियों ने अन्तरराष्ट्रीय सघ द्वारा दिये गये व्याजरहित ऋणों का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस प्रकार के ऋण ऋणी देशों को दुर्लभ पूँजी साधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग करने में प्रोत्साहित नहीं करते। इसके अतिरिक्त, व्याजरहित ऋण देने की प्रथा उन व्यावसायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है जिनका अनुसरण अन्तरराष्ट्रीय विकास सघ जैसी ऋण देने वाली एजेंसियों को करना चाहिए। लेकिन इस तर्क के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि अन्तरराष्ट्रीय विकास सघ सदस्य देशों को तभी ऋण देता है जब उनकी परियोजनाएँ आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त होती हैं। आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त परियोजनाओं के लिए दी गई ऋण-सहायता विमानवयन अवधि के दौरान ऋण-अवधि की क्षमता स्वतः ही उत्पन्न कर देती है।

विश्व बैंक की तीसरी खिड़की (Third Window of the World Bank)

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है, विश्व बैंक स्वयं तो ऋणी देशों को कठोर शर्तों पर ऋण देता है लेकिन इसकी सम्बद्ध सस्था अन्तरराष्ट्रीय विकास सघ (International Development Association) अत्यन्त आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए तैयार रहती है। यह सस्था ऋणों पर या तो ब्याज लेती नहीं और यदि लेती है तो बहुत ही कम दरों पर। इन दोनों ही सस्थाओं में विकासशील देशों को जो वित्तीय सहायता मिलती थी वह अत्यन्त अपर्याप्त थी। अतः इस सहायता में वृद्धि करने हेतु विश्व बैंक और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने मिलकर सन् 1975 में एक तीसरी खिड़की का उद्घाटन किया था। इस खिड़की से विकासशील देशों को अतिरिक्त ऋण प्रदान किये जायेंगे। ये ऋण विकासशील देशों को जिन शर्तों पर दिये जायेंगे, वे न तो उतनी कठोर होंगी जितनी विश्व बैंक की होती हैं और न उतनी आसान होंगी जितनी कि अन्तरराष्ट्रीय विकास सघ की होती हैं। ये शर्तें वास्तव में, मध्यवर्ती (intermediate) होंगी। विश्व बैंक की यह तीसरी खिड़की फिलहाल एक वर्ष के लिए ही स्वीकार की गयी है लेकिन आगे चलकर इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस खिड़की से विकासशील देशों को उनकी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन से लेकर 1000 मिलियन डालर तक ऋण उपलब्ध हो सकेंगे। इस खिड़की की वित्त-व्यवस्था हेतु अलग से एक विशेष उपदान खाता (Special Subsidy Account) स्थापित कर दिया गया है। इस खाते में सदस्य देशों से प्राप्त अंशदान डाले जायेंगे और उन्हीं से ही विकासशील देशों को ऋण दिये जायेंगे। इसी प्रकार अलग से एक ब्याज उपदान खाता (Interest Subsidy Account) भी खोल दिया गया है। इस खाते से ऋणी विकासशील देशों को ऋणों पर ब्याज चुकाने हेतु आर्थिक सहायता दी जायेगी। इस खाते से प्रत्येक ऋण पर 4 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज दिया जायेगा। विश्व बैंक की मानक ब्याजदर (standard interest rate) तथा 4 प्रतिशत के बीच के अन्तर को ही ऋणी देश द्वारा दिया जायेगा। इस प्रकार इस खिड़की से विकासशील देशों को साहाय्य ब्याज (Subsidised interest) पर ऋण दिये जायेंगे। तीसरी खिड़की द्वारा प्रदत्त ऋणों से उन निर्धन देशों को विशेष लाभ होगा जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 375 डालर अथवा इससे कम है। सन् 1986 में लगभग 39 देशों को तीसरी खिड़की से ऋण उपलब्ध हुए थे। इनमें भारत, पाकिस्तान श्री लंका, घाना मिस्र, तनजानिया तथा यूगांडा सम्मिलित हैं। अबतक, 1976 में मनीला में हुई विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने यह मांग की थी कि तीसरी खिड़की से ऋण देना सन् 1976 के बाद भी जारी रखा जाय।

आर्थिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र का विशेष कोष (U N Special Fund for Economic Development)

इस कोष की स्थापना 1 जनवरी, 1959 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े तथा अल्प-विकसित देशों के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा टेक्नीकल विकास हेतु सहायता देना है। इस कोष का प्रबन्ध संयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा ही संचालित किया जाता है। इसने समय-समय पर निश्चित उद्देश्यों के लिए भारत को ऋण प्रदान किये हैं। सन् 1960 में इस कोष ने भारत को 83 06 100 डालर की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। यह सहायता भारत को विदेशों से मशीनें तथा समन्त्र खरीदने के लिए दी गयी थी। सन् 1961 में इस कोष ने भारत को 34 10 300 डालर की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। यह सहायता देहरादून में एक पेट्रो लियम इन्स्टीट्यूट की स्थापना के लिए दी गयी थी। सन् 1962 में इस कोष ने भारत को बम्बई बन्दरगाह के विकास के लिये भी सहायता प्रदान की थी। सन् 1962 के बाद भी इस कोष ने समय-समय पर भारत को वित्तीय सहायता दी है। यद्यपि इस कोष से भारत को उतनी सहायता नहीं मिली जितनी कि आशा की जाती थी। वास्तव में, इसका कारण यह प्रतीत होता है कि इस कोष में साधनों की कमी है। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि इसके साधनों को बढ़ाया जाय, ताकि यह कोष अल्प विकसित देशों को अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान कर सके। सन् 196

से 1969 तक भारत ने इस कोष को 1 61 करोड़ रुपये की राशि वार्षिक अशदान के रूप में दी थी। जनवरी 1971 तक इस कोष से भारत को 60 मिलियन डालर की सहायता मिली थी। यह सहायता 59 भारतीय परियोजनाओं के लिए थी।

एशियन विकास बैंक (Asian Development Bank)

यह एक प्रादेशिक वित्तीय सस्या है जिसकी स्थापना दिसम्बर, 1966 में संयुक्त राज्य के एशिया एव सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग (United Nations Economic Commission for Asia and the Far East अथवा ECAFE) के तत्वावधान में एशिया के देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु की गयी थी। इसका मुख्यालय फिलीपाईन्स की राजधानी मनीला से स्थित है।

बैंक के उद्देश्य—जैसा कि बैंक के चार्टर में कहा गया है, इस बैंक का मुख्य उद्देश्य एशिया के देशों के आर्थिक विकास को व्यक्तिगत एव सामूहिक रूप से तीव्र गति प्रदान करना है। बैंक इस उद्देश्य की पूर्ति निम्नलिखित गतिविधियों से करता है

- (क) उत्पादक उद्देश्यों के लिये निजी एव सरकारी पूंजी को जुटाना,
- (ख) अपने वित्तीय साधनों से सदस्य देशों की विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करना,
- (ग) सदस्य देशों के प्राकृतिक एव अन्य साधनों का प्रभावी उपयोग करने हेतु उनकी योजनाओं में समन्वय स्थापित करना,
- (घ) विदेशी व्यापार के प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे का पूरक बनाना,
- (ङ) विकास कार्यक्रमों के निर्माण एव उनके क्रियान्वयन में सदस्य देशों को तकनीकी सहायता देना।

एशियन बैंक संयुक्त राज्य संगठन (UNO) एव इसकी विभिन्न सस्याओं एव अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों को इस क्षेत्र में लाभपूर्ण निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

यह बैंक सदस्य देशों के निजी एव सार्वजनिक ऋणों में स्थित औद्योगिक सस्याओं को ऋण सहायता देता है। यह ऋण सहायता सदस्य देशों को प्रत्यक्ष ऋणों अथवा बैंक गारण्टी के रूप में दी जाती है। सामान्यतः बैंक सदस्य देशों को ऋण विदेशी मुद्राओं में ही देता है। इन ऋणों की अदायगी भी प्रायः उन्हीं मुद्राओं में की जाती है जिनमें ये ऋण दिये जाते हैं।

बैंक की सदस्यता—निम्न प्रकार के देश इसके सदस्य बन सकते हैं (क) ECAFE के सदस्य (ख) ECAFE के सह सदस्य (ग) ECAFE प्रदेश में स्थित अन्य देश जो संयुक्त राज्य संगठन एव इसकी विशिष्ट एजेंसियों के सदस्य हैं। 31 दिसम्बर 1975 को एशियन विकास बैंक के 41 सदस्य थे। इनमें से 27 प्रादेशिक सदस्य एव शेष 14 गैर प्रादेशिक सदस्य थे।

बैंक की पूंजी—बैंक की अधिकृत पूंजी 2 985 71 मिलियन डालर है। इसमें से 1091 6 मिलियन डालर स्वीकृत पूंजी (Subscribed Capital) है। यह सदस्य देशों द्वारा स्वीकार कर ली गई है। इनमें से आधी तो प्रदत्त पूंजी (paid up capital) है और शेष आधी किसी भी समय सदस्यों से मांगी जा सकती है। प्रदत्त पूंजी पहले ही सदस्य देशों द्वारा पाँच समान वार्षिक कित्तों में चुका दी गई है। प्रत्येक कित्त का 50 प्रतिशत भाग स्वर्ण अथवा परिवर्तनीय मुद्राओं में दिया गया और शेष 50 प्रतिशत राष्ट्रीय मुद्राओं में चुकाया गया है। बैंक अपने पूंजी साधनों में निम्न तरीकों से वृद्धि कर सकता है—(क) अधिकृत पूंजी में वृद्धि करके (ख) बाण्डों एव सिक्कुरिटियों (Bonds and Securities) को जारी करके (ग) सदस्य देशों से विशेष अशदान लेकर। बैंक का बोर्ड आफ गवर्नर्स (Board of Governors) यदि चाहे तो दा निहाई बहुमत से बैंक की अधिकृत पूंजी में वृद्धि कर सकता है। यदि कोई सदस्य देश चाहे तो वह अपने पन्धे में वृद्धि कर सकता है लेकिन शर्त यह है कि ऐसा करने से प्रादेशिक दशों का कुल स्वीकृत पूंजी में प्रतिशत भाग 60 से कम न हो जाये। बैंक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में बाण्डों एव सिक्कुरिटियों को बेच कर भी अतिरिक्त पूंजी जुटा सकता है। लेकिन किसी देश में बाण्ड बेचने से पूर्व बैंक को उस देश की सरकार की पूव अनुमति लेना आवश्यक है।

बैंक का सगठन—एशियन बैंक का एक बोर्ड आफ गवर्नर्स (Board of Governors), एक संचालक मण्डल (Board of Directors), एक अध्यक्ष, एक उप-अध्यक्ष एव कर्मचारीगण होते हैं। प्रत्येक सदस्य-देश एक गवर्नर एव एक विकल्प गवर्नर (Alternate Governor) अपनी ओर से नामांकित करता है। बोर्ड आफ गवर्नर्स बैंक की नीति निर्माण करने वाला उच्चतम सगठन है। गवर्नर की अनुपस्थिति में विकल्प गवर्नर बोर्ड की बैठक में उपस्थित होता है। बैंक के समूचे अधिकार बोर्ड आफ गवर्नर्स को सौंपे गये हैं। यदि बोर्ड आफ गवर्नर्स चाहे, तो अपने अधिकारों को संचालक मण्डल (Board of Directors) को हस्तांतरित कर सकता है। बोर्ड आफ गवर्नर्स की बैठक में प्रत्येक सदस्य देश की वोट शक्ति उसके पूंजी अंशदान के अनुपात में निश्चित की गई है। बैंक की सामान्य नीति का निर्माण करने हेतु बोर्ड आफ गवर्नर्स की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य ही होती है।

बैंक के सामान्य दिन प्रति दिन के काम काज के परीक्षण का उत्तरदायित्व संचालक मण्डल (Board of Directors) का होता है। इस संचालक मण्डल के 10 सदस्य होते हैं। इसमें से 7 प्रादेशिक सदस्य देशों तथा 3 गैर प्रादेशिक देशों के प्रतिनिधि होते हैं। संचालक मण्डल उन सभी अधिकारों का प्रयोग करता है जो उसे बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा सौंपे गये हैं। उदाहरणार्थ, मण्डल ऋण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों, बैंक के निवेशों उधार-कार्यक्रमों (borrowing programmes), तकनीकी सहायता से सम्बन्धित सभी विषयों पर स्वतन्त्र निर्णय लेता है। प्रत्येक संचालक का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है लेकिन 2 अतिरिक्त वर्षों के लिये पुनः निर्वाचित हो सकता है।

बैंक का अध्यक्ष संचालक मण्डल द्वारा चुना जाता है। वह ही बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह बैंक के सामान्य निर्देशन में कार्य करता है। वह बैंक के दिन प्रतिदिन के कार्य के लिये बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है लेकिन पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये उसे पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। बैंक का एक उपाध्यक्ष भी होता है जो प्रबन्ध चलाने में अध्यक्ष की सहायता करता है।

बैंक की ऋण सम्बन्धी क्रियाएँ (Lending Operations of the Bank)—बैंक की ऋण देने सम्बन्धी क्रियाओं का वर्गीकरण दो शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—(i) साधारण क्रियाएँ (Ordinary Operations) (ii) विशिष्ट क्रियाएँ (Specialised Operations)। साधारण क्रियाओं में अभिप्राय बैंक की उन ऋण सम्बन्धी क्रियाओं से है जिनका वित्तपोषण बैंक की साधारण पूंजी से किया जाता है। इस शीर्षक के अन्तर्गत बैंक सदस्य देशों को ऋण दो प्रकार से देता है (i) किसी विशिष्ट विवास परियोजना हेतु ऋण विदेशी मुद्रा के रूप में दिया जाता है। (ii) ऋण ग्रहण करने वाले देश की राष्ट्रीय मुद्रा में ऋण दिया जाता है। बैंक सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंकों को भी ऋण दे सकता है और वे उक्त धन को पुनः विशिष्ट परियोजनाओं हेतु विशिष्ट संस्थाओं को उधार दे देते हैं।

बैंक की विशिष्ट क्रियाओं से अभिप्राय उन ऋण सम्बन्धी क्रियाओं से है जिनका वित्तपोषण बैंक की विभिन्न विशेष निधियों से किया जाता है। (स्मरण रहे बैंक के पास ऐसी अनेक निधियाँ हैं जैसे तकनीकी सहायता विशेष निधि, कृषि विशेष निधि बहुदेशीय विशेष निधि इत्यादि। इन विशेष निधियों का निर्माण बैंक की पदस्त पूंजी में से किया गया है। बैंक इन विशेष निधियों में से सदस्य देशों को उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करता है। इन निधियों में से धिये गये ऋणों पर व्याज की कम दर वसूल की जाती है। यही नहीं ये ऋण अधिक दीर्घकाल के लिये भी दिये जाते हैं। बैंक को चार्टर के अन्तर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी प्रदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत भाग विशेष निधियों के निर्माण के लिये लगा सकता है।

बैंक को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह विशेष निधियों के निर्माण हेतु प्रदाना देशों (donor countries) से विशेष अंशदान (Special Contributions) स्वीकार करे। जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है इन विशेष निधियों का प्रयोग सदस्य देशों की विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु किया जाता है। विगत कुछ वर्षों में बैंक ने विशेष निधियों के लिए समुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, नेदरलैंड, आस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विटजरलैंड

तथा कनाडा जैसे अनेक देशों से विशेष अशदान प्राप्त किये हैं। चार्टर के अन्तर्गत बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह विशेष निधियों को कोष साधारण पूँजी से पृथक रखे।

विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिये दिये गये ऋणों के अलावा, बैंक सदस्य देशों को विभिन्न रूपों में तकनीकी सहायता भी देता है। यह सहायता सदस्य देशों को विकास परियोजनाओं के निर्माण वित्तपोषण एवं क्रियान्वयन करने हेतु दी जाती है। यह सहायता सदस्य देशों को कृषि, उद्योगों परिवहन इत्यादि क्षेत्रों से सम्बन्धित राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक आधार पर नयी नयी सस्थाओं की स्थापना के लिये दी जाती है।

बैंक तकनीकी सहायता मिशनों (technical assistance missions) का आयोजन भी करता है। ये मिशन समय समय पर सदस्य देशों में जाते हैं और आर्थिक समस्याओं के समाधान में वहाँ की सरकारों की सहायता करते हैं।

बैंक की प्रगति—एशियन बैंक ने 1 जनवरी, 1967 से कार्य करना प्रारम्भ किया था। अब यह बैंक अपने अस्तित्व के दस वर्ष पूरे कर चुका है। यह बैंक एशिया के देशों द्वारा अपने आर्थिक विकास को तीव्र करने हेतु किये गये परस्पर सहयोग, अन्वयन (interdependence) तथा पूरक प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है। 30 जून 1975 तक बैंक ने एशिया के देशों को 228 विकास परियोजनाओं के लिये 2,584 मिलियन डालर के तुल्य ऋण सहायता दी थी। इसमें से 659 मिलियन डालर (अर्थात् 26 प्रतिशत) की ऋण सहायता रियायती दरो पर दी गई थी। 2,584 मिलियन डालर की कुल ऋण सहायता का प्रतिशत वितरण निम्नवत् था। सार्वजनिक उपयोगिताएँ (Public utilities) 35.13%, कृषि एवं कृषि सम्बन्धी उद्योग—22.79% उद्योग-धन्धे—21.98%, यातायात एवं संचार—19.03% तथा शिक्षा—1.7% बैंक द्वारा ये ऋण अपने साधारण पूँजी कोष एवं विशेष निधियों में से दिये गये हैं। एशियन बैंक द्वारा वित्तपोषित विकास परियोजनाओं में सड़क निर्माण, बन्दरगाह-निर्माण, हवाई अड्डे विजली तथा जलपूति, कृषि सिंचाई मछली पालन बहुदेशीय विकास एवं निर्माणकारी उद्योगों आदि से सम्बन्धित परियोजनाएँ सम्मिलित हैं। एशियन बैंक ने सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को ऋण सहायता दी है। बैंक ने सदस्य देशों को विकास परियोजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करने हेतु समय समय पर अपने तकनीकी विशेषज्ञों की भी भेजा है।

सन् 1975 के दौरान बैंक ने सदस्य देशों को कुल मिलाकर 660 मिलियन डालर की ऋण सहायता दी थी। इसमें से 494 मिलियन डालर के साधारण ऋण 7 देशों अर्थात् फिलीपाइन, दक्षिणी कोरिया, इन्डोनेशिया थाईलैंड पाकिस्तान मलेशिया तथा हांगकांग को दिये गये थे जब कि 116.26 मिलियन डालर की धनराशि रियायती व्याज दरो पर 6 अन्य सदस्य देशों को दी गई थी। भारत ने एशियन बैंक से कोई ऋण नहीं लिया था।

एशियन बैंक का सूत्राकरण—बैंक ने इस प्रदेश में परस्पर सहयोग एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में बड़ी उपयोगी भूमिका निभायी है। यही कारण है कि एशिया के विकासशील देशों ने बैंक की स्थापना का स्वागत किया है। लेकिन कुछ आलोचकों ने बैंक के "एशियन स्वरूप" (Asian Character) के प्रति इस आधार पर संदेह व्यक्त किया है कि पश्चिम के विकसित गैर एशियन देशों को भी इस बैंक का सदस्य बनने की छूट दे दी गई है। चूंकि वोट शक्ति सदस्य देशों के पूँजी अदादाओं से निर्धारित होती है इसलिए गैर एशियन देश, विशेषकर समुक्त राज्य अमरीका, इस बैंक पर छाये हुए हैं। इसका कारण यह है कि अमरीका बैंक के प्रमुख पूँजी अभिदाताओं (Subscribers) में से एक है। गैर एशियन देशों ने अपनी गन्दी राजनीति को इस बैंक के कार्य कलापों में घुसेड दिया है। इसके विपरीत कुछ लोगों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि गैर एशियन पश्चिमी देशों का एशियन बैंक से सहयोग वास्तव में, इस प्रदेश के व्यापक हितों में है। ये देश बैंक को अपने अपने मुद्रा बाजारों से पूँजी-साधनों को जुटाने में सहायता देते हैं। यही नहीं, ये देश एशियन प्रदेश के विकासशील देशों को तकनीकी सहायता भी देते हैं। लेकिन एक बात विल्कुल स्पष्ट है। एशियन बैंक इस प्रदेश के विकासशील देशों को केवल साधारण सी ऋण-सहायता ही दे सकता है जब तक कि इसके वित्तीय साधनों में पर्याप्त वृद्धि न की जाये।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1 सप्तर के अडकसत ए 'अड' -डकसत देशों की डदती हुई आडशडकताओ को डूर करने डे डुननडरण एड डकसत के अडतरराडुड डंक के कडरों की डडडेकनड कीडडे ।

(आडर, 1969)

[संकेत—डरुड डर डडशड डंक के उडेशुडों की कडरुड करते हुए डसके डुखुड कडरुडों की डडसुतर डूरुडक डुडडुडड कीडडे । सडुड डे, डरुड डी डतडडए कड डस डंक न सडसुड देशों को कडतनी ओर डडस डुरकर की सडरडतड डी है ?]

- 2 अडतरराडुड डंक के डुखुड कडरुड डरुड हैं ? डररत को डस डंक से डरुड लडड हुआ है ? डरुडन कीडडे ।

(डकुरड, 1969, आडर, 1968)

अडडर

डडशड डंक के डुखुड कडरुड डरुड हैं ? डररत को डस डंक से डरुड लडड हुए हैं ?

(आडर, 1975)

[संकेत—डरुड डर अडतरराडुड डंक के डुखुड उडेशुडों की कडरुड करते हुए डसके डुरडुखुड कडरुडों की डडसुतरडूरुडक डुडडुडड कीडडे । डूसरे डरग ड, डडसुतरडूरुडक डरुड डतडडए कड डडशड डंक से डररत को डरुड-डरुड लडड हुए हैं । डररत को कडतनी ओर कडरुड डुरकर की आडडक सडरडतड डंक से उडलडुडरुड हुई है ?]

3. "डो डुडडक ससुडरओ (अडतरराडुड डुडर-कुरड एड अडतरराडुड डंक) की सुडरडनड डरुडडरन डुग डे एक डुडो कडरुडरन डडरुड हुई है ।" डरुड कडरुड सडुडड डे डन डोनो ससुडरुडों के उडेशुडों की डुडडुडड कीडडे ओर डरुड डतडडए कड डररत उनसे कडस सीडर तक लडररनडडत हुआ है ?

(डडर, 1959, आडर, 1972)

[संकेत—डरुड डर डरुडले डन डोनो डुडडक ससुडरओ से होने डरुडले लडरुडों की डडडेकनड कीडडे ओर डतडडए कड कडस डुरकर अडतरराडुड डुडर-कुरड डडडडरुड देशों के डुडक डडनडड डरुडो को सुडरतड डुरडरन करने डे सडलत हुआ है । डरुड डी सुडरुड कीडडे कड अडतरराडुड डंक डुरर डुरकर अलड डकसत तथर डडरुडे हुए देशों को आडडक सडरडतड डुरडरन की डरुडी है । तडुडररनत, डन डोनो ससुडरओ के डुखुड डुखुड उडेशुडों की डडसुतरडूरुडक डुडडुडड कीडडे । डूसरे डरग डे, डरुड डतडडए कड डन डोनो डी ससुडरओ से डररत कडरुड डी सीडर तक लडररनडडत हुआ है ।]

- 4 अडतरराडुड डुडर-कुरड तथर डडशड डंक के कडरुडों डे अडतर डतडडए । (ररकसुडरन 1968)

[संकेत—अडतरराडुड डुडर-कुरड एड डडशड डंक के कडरुडों के लडए डरुड अडुडरड एड डूरुडडरुडी अडुडरड डेखुडए । डन डोनो के कडरुडों डे डुखुड अडतर डरुड है कड डुडर कुरड तओ डडनडडरुड-डरुडो की सुडरतड डनरडे ररुडे डे सडसुड देशों की सडरडतड करतड है, अडकड डडशड डंक डडरुडे एड अलड-डकसत देशों को आडडक डकसत हेतु ःणुण डेतड है ।]

- 5 डरुडसुडडूरुड अडतरराडुड डुडर तथर डुडडक ससुडरओ कड उल्लेख कीडडे ओर डकसतनुखुड देशों की आडडक डुरगडड डे उनके सुडरन कड डडडेकनड कीडडे ।

(आडर, 1976)

[संकेत—डरुड डर आड I M F तथर डुडर डुडडक ससुडरओ के कडरुडों कड सडडडत डडरुडरन कीडडे ओर सुडरुड कीडडे कड डन डोनो ससुडरओ डे डकसतनुखुड देशों की आडडक डुरगडड डे ःणुण डेकर कडस डुरकर उनकी सडरडतड की है । उडरुडुडक डोनो अडुडरडो को डेखुडे ।]

“Each country tends to produce, not necessarily what it can produce more cheaply than another country but those articles which it can produce at the greatest relative advantage, *i e* at lowest comparative cost ”

—JACOB VINER

तृतीय खण्ड
अन्तरराष्ट्रीय व्यापार
(INTERNATIONAL TRADE)

- अध्याय 16 अन्तरराष्ट्रीय व्यापार
अध्याय 17 अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त
अध्याय 18 भुगतान का सन्तुलन
अध्याय 19 मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण
अध्याय 20 भारत की तट कर नीति
अध्याय 21. भारत का विदेशी व्यापार

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार-सम्बन्धी कुछ स्मरणीय उद्धरण

२

- 1 "International trade is only a special case of inter regional trade" —*Bertil Ohlin*
- 2 "Balance of trade of a country is the relation, over a period, between the value of her exports and the value of her imports" —*F. Benham*
- 3 "Balance of payments of a country is a record of its monetary transactions, over a period, with the rest of the world." —*F. Benham*
- 4 "Free Trade" has been used to denote that system of commercial policy which draws no distinction between domestic and foreign commodities and, therefore neither imposes additional burden on the latter, nor grants any special favour to the former" —*Adam Smith*
- 5 "Free trade permits full advantage to be taken out of the possibilities of geographical specialisation" —*Ellsworth*

16

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार (International Trade)

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?
(Why A Separate Theory is Required For International Trade ?)

जैसा स्पष्ट है जब किसी देश में विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न क्षेत्रों में बीच व्यापार किया जाता है, तब इसे आन्तरिक व्यापार कहते हैं। इसके विपरीत, जब दो अथवा दो से अधिक देशों के बीच व्यापार किया जाता है तब इसे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। बम्बई और बिस्ली के बीच किया जाने वाला व्यापार आन्तरिक व्यापार है, परन्तु भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला व्यापार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार माना जाता है।

आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में आधारमूलक समानता पायी जाती है। ये दोनों ही प्रकार के व्यापार श्रम-विभाजन (division of labour) तथा विशेषज्ञता (specialisation) पर आधारित हैं। आन्तरिक व्यापार भी श्रम-विभाजन के कारण होता है। जब देश के कुछ भाग कुछ विशेष वस्तुओं में निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, तब इनके बीच अवश्य ही व्यापार होता है। उदाहरणार्थ, भारत में बम्बई नगर में वस्त्र उद्योग में और कलकत्ता नगर में जूट उद्योग में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। अतः इन दोनों नगरों के बीच व्यापार अनिवार्य हो जाता है। बम्बई के वस्त्र कलकत्ते को भेजे जायेंगे और कलकत्ते का जूट माल (Jute products) बम्बई को भेजा जायगा। इस प्रकार इन दोनों नगरों में श्रम विभाजन तथा विशेषज्ञता के कारण ही व्यापार होगा। ठीक इसी प्रकार दो देशों के बीच भी श्रम-विभाजन तथा विशेषज्ञता के कारण अन्तरराष्ट्रीय व्यापार होगा। उदाहरणार्थ, भारत ने जूट के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है, जबकि मिस्र ने कपास के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त की है। अतः इन दोनों देशों में अवश्य ही अन्तरराष्ट्रीय व्यापार होगा। भारत का जूट मिस्र को और मिस्र की कपास भारत को भेजी जायगी। इस प्रकार भौगोलिक श्रम विभाजन अथवा भौगोलिक विशेषज्ञता के कारण इन दोनों देशों में अवश्य ही व्यापार होगा। अतः हम देखते हैं कि आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में आधारमूलक समानता है। परन्तु इस समानता के होते हुए भी इन दोनों के बीच कुछ अन्तर पाये जाते हैं। क्लासीकल अर्थशास्त्रियों ने आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में इन अन्तरो को बहुत महत्त्व दिया था और इन्हीं अन्तरो के आधार पर उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करने हेतु एक पृथक सिद्धान्त प्रस्तुत किया था। इसे तुलनात्मक लागत सिद्धान्त (Theory of Comparative Cost) की सना दी जाती है।

जैसा ऊपर बताया गया है, आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में कुछ अन्तर पाये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं :

(1) श्रम तथा पूँजी की गतिशीलता का कम होना—दो देशों के बीच श्रम तथा पूँजी की गतिशीलता इतनी अधिक नहीं होती जितनी कि एक देश के दो विभिन्न भागों में होती है, अर्थात् देश के भीतर श्रम तथा पूँजी-साधनों की गतिशीलता अधिक होती है। जब किसी देश में श्रम और पूँजी आसानी से एक भाग से दूसरे भाग को गतिशील हाते हैं तब ऐसी परिस्थिति में देश के विभिन्न भागों में मजदूरी तथा व्याज की दरों में सम नता उत्पन्न हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं के उत्पादन व्ययों में भी समानता स्थापित हो जाती है। परन्तु जैसा बताया गया है, दो देशों के बीच श्रम तथा पूँजी इतनी गतिशील नहीं होते जितने कि एक देश के दो भागों में। दो देशों के बीच श्रम की अर्गतिशीलता (immobility) के कारण है, जैसे, भाषा, रीति रिवाज रहन-सहन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में अन्तर देश प्रेम इत्यादि। इन्हीं कारणों से श्रमिक ऊँची मजदूरी मिलने पर भी विदेश को जाना पसन्द नहीं करते। इसके अलावा, कभी कभी विदेशों में बाहर से आकर बसने वालों के साथ भेदभाव भी किया जाता है। इससे भी श्रम की गतिशीलता में बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

श्रम की भाँति पूँजी भी दो देशों के बीच इतनी गतिशील नहीं होती जितनी कि एक ही देश के दो भागों के बीच होती है। यह ठीक है कि श्रम की अपेक्षा पूँजी अधिक गतिशील होती है, परन्तु पूँजी की अन्तरराष्ट्रीय गतिशीलता आन्तरिक गतिशीलता की अपेक्षा कम होती है। इसका कारण यह है कि पूँजीपति अपनी पूँजी को प्रायः अपने ही देश में लगाना अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि विदेशों में लगायी गयी पूँजी का वे इतनी सुरक्षित नहीं समझते जितनी कि अपने देश में लगायी गयी पूँजी को। इसका कारण यह है कि विदेशों में लगायी गयी पूँजी के राष्ट्रीयकरण की संदेह सम्भावना रहती है।

इस प्रकार दो देशों के बीच श्रम तथा पूँजी की अपेक्षाकृत कम गतिशीलता के कारण एक ही वस्तु का उत्पादन व्यय अलग-अलग हो जाता है, अर्थात् एक वस्तु एक देश में कम लागत पर और दूसरे देश में अधिक लागत पर तैयार होने लगती है; उत्पादन लागतों (Production Costs) की इस विभिन्नता के कारण दोनों देशों के बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तथा आन्तरिक व्यापार में यह महत्त्वपूर्ण अन्तर है। आन्तरिक व्यापार में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की अपेक्षा श्रम तथा पूँजी की गतिशीलता अधिक होती है। परन्तु स्वीडन के अर्थशास्त्री बर्टिल ओहलिन (Bertil Ohlin) के मतानुसार, "आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में इस प्रकार का कोई अन्तर नहीं है। उनके अनुसार श्रम तथा पूँजी की अगतिशीलता (immobility) केवल अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि आन्तरिक व्यापार में भी पायी जाती है। कभी-कभी देशों के विभिन्न भागों में भी श्रम तथा पूँजी अपने ही अगतिशील (immobile) होते हैं जितने कि दो देशों के बीच। उदाहरणार्थ, कश्मीर में रहने वाले मजदूरों के लिए केरल राज्य में जाना उतना ही कठिन है जितना कि किसी अन्य देश में जाना। इसलिए श्रम की गतिशीलता अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का ही विशेष लक्षण नहीं है। वास्तव में, देश के भीतर भी प्रतियोगिता रहित समूह (non-competing groups) पाये जाते हैं, अर्थात् देश-अन्दर भी ऐसे श्रम समूह पाये जाते हैं जिनके बीच प्रतियोगिता का अभाव होता है। इस प्रकार प्रो० बर्टिल ओहलिन के अनुसार आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में कोई आधारभूत अन्तर नहीं है।

(2) उत्पादन सम्बन्धी स्थितियों में भिन्नता—विभिन्न देशों में उत्पादन सम्बन्धी स्थितियों में भिन्नता हुआ करती है। इनके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, एक देश टेक्नोलॉजी (technology) के विषय में दूसरे देश की अपेक्षा अधिक विकसित हो सकता है। इस प्रकार पहले देश में दूसरे देश की अपेक्षा उत्पादन लागतें कम होंगी। इसके अतिरिक्त, सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण भी दो देशों के बीच एक ही वस्तु की उत्पादन लागतें अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, एक देश की सरकार उस वस्तु के उत्पादन में उद्योगपतियों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करती है जबकि दूसरे देश की सरकार उही वस्तु के उत्पादन पर भारी कर लगाती है। अतः इन दोनों देशों में वस्तु की उत्पादन लागतों में अन्तर ही अन्तर उत्पन्न हो जायगा। इस अन्तर के कारण ही उन देशों के बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार

आरम्भ हो जायगा। इसके विपरीत, एक देश के भीतर उत्पादन सम्बन्धी स्थितियों में कोई विशेष अन्तर उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्राकृतिक साधनों तथा भौगोलिक स्थितियों में अन्तर—दो देशों के प्राकृतिक साधनों तथा भौगोलिक स्थितियों में भी अन्तर होता है। एक देश के प्राकृतिक साधन दूसरे देश के प्राकृतिक साधनों की अपेक्षा अधिक समृद्ध हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, एक देश में कच्चे लोहे के विशाल भण्डार पाये जाते हैं, जबकि दूसरे देश में कच्चे लोहे का पूर्ण अभाव है। इसी प्रकार एक देश की जलवायु स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, जबकि दूसरे देश की जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः प्राकृतिक साधनों तथा भौगोलिक परिस्थितियों की भिन्नता के कारण एक ही वस्तु की उत्पादन लागत दो देशों में अलग-अलग हो सकती है।

(4) वस्तुओं के आयात निर्यात पर प्रतिबन्ध—प्रायः एक ही देश के दो भागों में होने वाले व्यापार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाते और न ही व्यापार पर किसी प्रकार के कर लगाये जाते हैं। इसके विपरीत दो देशों के बीच होने वाले व्यापार पर कई प्रकार के सरकारी प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। आयातों पर आयात कर तथा फोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं और आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर भी कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। इस प्रकार आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में भारी अन्तर है।

(5) मुद्रा-प्रणाली में भिन्नता—कई एक देश के सभी भागों में एक ही प्रकार की मुद्रा का चलन होता है इसलिए आन्तरिक व्यापार में भगतान की किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती, परन्तु विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का चलन होता है। इसके कारण अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में विदेशी विनिमय सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कभी कभी तो विदेशी विनिमय की कमी के कारण अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में कई बाधाएँ भी पड़ जाती हैं। इसके अलावा, विभिन्न देशों की मौद्रिक नीतियों में परिवर्तनों के फलस्वरूप उनके कीमत स्तरों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। परिणामतः अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मित्रता है।

आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के उपर्युक्त अन्तरो के कारण ही अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या के लिए पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता अनुभव की गयी है। परन्तु इसके विपरीत बर्टिल ओह्लिन (Bertil Ohlin) का मत यह है कि आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में कोई आधारमूलक अन्तर नहीं है। वास्तव में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार आन्तरिक व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है। अतः अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है।

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार की एक विशिष्ट दशा कैसे कहा जा सकता है?—प्रो बर्टिल ओह्लिन (Bertil Ohlin) तथा उनके अनुयायियों का कहना है कि जिस प्रकार श्रम तथा पूँजी एक देश के बीच अगतिशील (immobile) होते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रम और पूँजी एक देश के विभिन्न हिस्सों के बीच भी अगतिशील होते हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि एक प्रदेश में श्रम, धन, शिक्षित-श्रम, अर्थात् श्रमिकों के अभाव श्रमिकों के एक भाग से दूसरे भाग की जाने में हितकरियाते हैं। यह तो ठीक है कि देश के विभिन्न भागों में दो देशों के बीच की तुलना में श्रम की गतिशीलता अधिक होती है। परन्तु यह कहना उचित नहीं है कि एक देश के विभिन्न भागों में श्रम की गतिशीलता पूर्ण होती है। इसी प्रकार प्रो० बर्टिल ओह्लिन के अनुयायियों का कहना है कि एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी उत्पादन सम्बन्धी स्थितियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, भारत की विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न उत्पादन सम्बन्धी नियम बनाये गये हैं जिनके परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न राज्यों में उत्पादन सम्बन्धी स्थितियाँ भिन्न भिन्न पायी जाती हैं। इसी प्रकार एक विस्तृत देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक साधनों तथा भौगोलिक स्थितियों में भी अन्तर होते हैं। इससे अतिरिक्त एक बड़े देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यापार पर भी आयात निर्यात सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, भारत में खाद्यान्नों के व्यापार पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तरह तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इन सबके के आधार पर कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आन्तरिक व्यापार तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में कोई आधार-

मूलक अन्तर नहीं है। इस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार आन्तरिक व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त (Theory of Comparative Costs)

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के क्लासीकल सिद्धान्त को तुलनात्मक लागत सिद्धान्त भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन, सर्वप्रथम सुविख्यात क्लासीकल अर्थशास्त्री, डेविड रिकार्डो (David Ricardo) द्वारा किया गया था। आगे चलकर जे० एस० मिल, कैरनीज (Carnes) तथा बेस्टेबल (Bastable) जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसका विकास किया था। इस सिद्धान्त के वर्तमान प्रतिपादक एफ० डब्ल्यू टाजिग (F W Taussig) तथा हाबरलर (Haberler) हैं।

इस सिद्धान्त के अनुसार कोई देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता (specialisation) प्राप्त करने की चेष्टा करता है जिनमें उसे जलवायु, प्राकृतिक साधनों लोगों की कार्यक्षमता एवं पूंजी साज-सज्जा के कारण तुलनात्मक लाभ (Comparative advantage) प्राप्त होता है। ('तुलनात्मक लाभ' स अभिप्राय उस देश की उस विशिष्ट योग्यता से होता है जिसके कारण वह किसी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में सस्ते दामों पर कर सकता है।) इस सिद्धान्त के अनुसार कोई देश उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जिनमें उसे लागत सम्बन्धी लाभ (Cost advantage) होता है। ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय वह देश अन्य देशों द्वारा उत्पादित उन वस्तुओं एवं सेवाओं से करता है जिनमें उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ नहीं होता अथवा जिनके उत्पादन के लिये वह देश स्वयं को उपयुक्त नहीं समझता है। "तुलनात्मक लाभ" की यह धारणा अनेक बातों पर प्रकाश डालती है। उदाहरणार्थ, एक देश अन्य देशों की तुलना में अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कम लागत पर कर सकता है। लेकिन वह अपने साधन उस वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन पर लगा देगा जिसमें उसको अधिकतम लागत लाभ (Cost advantage) प्राप्त है। लेकिन जिन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में उसे कम लागत-लाभ प्राप्त है उन्हें वे अन्य देशों के लिये छोड़ देगा। इस सिद्धान्त के मुख्य प्रतिपादक, डेविड रिकार्डो ने बताया था कि ब्रिटेन की तुलना में पुर्तगाल शराब एवं कपड़ा दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन सस्ते दामों पर कर सकता था लेकिन कपड़े की तुलना में शराब के निर्माण में उसे अधिक लागत लाभ प्राप्त था। अतः यह पुर्तगाल के हित में था कि वह अपने साधन शराब निर्माण में लगाये और कपड़े का उत्पादन ब्रिटेन पर छोड़ दे। दूसरे शब्दों में पुर्तगाल ने अपनी शराब का विनिमय ब्रिटेन के कपड़े से किया था अतः तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में उपलब्ध यह तुलनात्मक लाभ ही है जिसके कारण अन्तरराष्ट्रीय व्यापार होता है।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की मान्यताएँ (Assumptions of the Theory of Comparative Cost)—इस सिद्धान्त की व्याख्या करने से पूर्व यह उचित ही होगा कि हम उन मान्यताओं की चर्चा करें जिन पर यह आधारित है। रिकार्डो एवं जे० एस० मिल दोनों ने ही इस सिद्धान्त का विकास कतिपय मान्यताओं के आधार पर किया था। ये मान्यताएँ निम्नवत् हैं

- (i) उत्पादन लागतों से अभिप्राय केवल श्रम लागतों से ही है। श्रम लागतों को श्रम की इकाइयों में व्यक्त किया गया है। (स्मरण रहे क्लासीकल अर्थशास्त्री यह मानकर चलते थे कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। अतः लागतों से अभिप्राय केवल श्रम लागतों से ही होता है।)
- (ii) सभी प्रकार के श्रम को समरूप (Homogeneous) माना जाता था।
- (iii) वस्तुओं का उत्पादन स्थिर लागत नियम (Law of Constant Costs) के अन्तर्गत होता है। दूसरे शब्दों में, उत्पादन में हुए परिवर्तन प्रति इकाई उत्पादन लागत को प्रभावित नहीं करते।
- (iv) एक देश के भीतर तो उत्पादन साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं लेकिन दो देशों के बीच वे पूर्णतः अगतिशील होते हैं।

(v) यह मान लिया जाता है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार केवल वस्तुओं में ही होता है और सम्बन्धित देशों के बीच पूंजी का आवागमन नहीं होता है।

(vi) यह भी मान लिया जाता है कि मास की परिवहन लागतें नहीं होती।

(vii) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

(viii) सिद्धान्त की व्याख्या करते समय केवल दो वस्तुओं एव दो देशों को ही लिया जाता है।

उपर्युक्त मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, आइये, अब हम इस प्रश्न का उत्तर दे कि वे कौन सी बातें हैं जो देशों के बीच वस्तुओं के आवागमन अथवा व्यापार को प्रभावित करती हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार दो देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार लागत अन्तरो (cost differences) के कारण होता है। ये लागत-अन्तर तीन प्रकार के होते हैं— (क) लागतों के निरपेक्ष अन्तर (Absolute Differences in Costs), (ख) समान अन्तर (Equal Differences), (ग) तुलनात्मक अन्तर (Comparative Differences)।

(क) लागतों के निरपेक्ष अन्तर (Absolute Differences in Costs)— कभी कभी दो देशों के बीच लागतों के निरपेक्ष अन्तर भी उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी किसी देश को प्राकृतिक एकाधिकार प्राप्त होने के कारण किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में विशेष लाभ होता है अर्थात् उस वस्तु की उत्पादन लागत प्राकृतिक एकाधिकार के कारण बहुत कम हो जाती है, और उस देश के लिए उस वस्तु का निर्यात करना बहुत आसान हो जाता है। उदाहरणार्थ, सन् 1947 से पूर्व भारत को जूट का प्राकृतिक एकाधिकार प्राप्त था और इसी कारण भारत विश्व के सभी देशों को जूट का निर्यात करता था। इसी प्रकार विश्व ने अन्य देशों को भी कुछ विशेष वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक एकाधिकार उपलब्ध है, जैसे दक्षिणी अफ्रीका को हीरो के उत्पादन में प्राकृतिक एकाधिकार प्राप्त है। ऐसी परिस्थितियों में देशों की उत्पादन लागतों में निरपेक्ष अन्तर उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

जूट

कपास

श्रम की एक इकाई से भारत 2 इकाई या 1 इकाई उत्पन्न कर सकता है।

श्रम की एक इकाई से मिस्र 1 या 2 इकाई उत्पन्न कर सकता है।

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जूट के उत्पादन में भारत को प्राकृतिक लाभ प्राप्त है जबकि कपास के उत्पादन में मिस्र को प्राकृतिक लाभ उपलब्ध है। अब दोनों देश उसी वस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे चिरामे उन्हें प्राकृतिक लाभ उपलब्ध है, अर्थात् भारत जूट के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करेगा और मिस्र कपास के उत्पादन में, और दोनों देशों में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार आरम्भ हो जायगा। भारत अपनी जूट को मिस्र में और मिस्र अपनी कपास को भारत में भेजेगा। श्रम लागत के आधार पर जूट और कपास का विनिमय अनुपात इस प्रकार निर्धारित होगा

भारत में कपास की इकाई = जूट की 2 इकाई

मिस्र में कपास की एक इकाई = जूट की $\frac{1}{2}$ इकाई

भारत और मिस्र के बीच का यह व्यापार उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि भारत को जूट की दो इकाइयों के बदले में मिस्र से कपास की एक से अधिक इकाई उपलब्ध होती रहेगी। यदि भारत को जूट की दो इकाइयों के बदले में मिस्र से केवल एक ही इकाई कपास की प्राप्त होती है, तब इन दोनों में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकेगा। इसका कारण यह है कि 2 इकाई जूट के बदले में एक इकाई कपास तो भारत में ही उपलब्ध हो सकती है। इसलिए 2 इकाई जूट के बदले में भारत मिस्र से 1 इकाई से अधिक कपास लेने पर ही जोर देगा। इसी प्रकार भारत और मिस्र के बीच यह व्यापार तब तक लाभदायक होगा जब तक कि मिस्र को कपास की 1 इकाई के बदले में जूट की आधे से अधिक इकाई मिलनी रहेगी। यदि मिस्र को 1 इकाई कपास के बदले में भारत से केवल आधी इकाई जूट की प्राप्त होती है तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों के बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार समाप्त हो जायगा। इसका कारण यह है कि एक इकाई कपास के बदले आधी इकाई जूट की तो मिस्र स्वयं ही उत्पन्न कर सकता है। अब

एक इकाई कपास के बदले वह भारत से आधी इकाई से अधिक जूट लेने पर ही जोर देगा। स्मरण रहे, इस उदाहरण में हमने यह मान लिया है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में परिवहन तथा बीमे का व्यय नहीं होता है परन्तु यदि परिवहन तथा बीमे के व्यय को जोड़ दिया जाय तो भी स्थिति में अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि इन व्ययों का भारत और मिस्र पर समान प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार इस उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि दो देशों के बीच उत्पादन-लागतों में निरपेक्ष अन्तर है तो उनमें अवश्य ही अन्तरराष्ट्रीय व्यापार होगा और इस व्यापार से दोनों देशों को पारस्परिक लाभ प्राप्त होगा।

(ख) समान अन्तर (Equal Differences)—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार केवल उसी दशा में लाभदायक रहता है जबकि दो देशों की उत्पादन-लागतों में तुलनात्मक अन्तर होते हैं। इसके विपरीत, जब दो देशों की उत्पादन-लागतों में समान अन्तर होते हैं, तब उनमें अन्तरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि लागतों में समान अन्तर होने के फलस्वरूप लाभ की कोई सम्भावना नहीं रहती। अतः अन्तरराष्ट्रीय व्यापार स्वतः ही बन्द हो जाता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

	जूट	या	कपास
श्रम की एक इकाई से भारत	2 इकाई	या	2 इकाई उत्पन्न कर सकता है
श्रम की एक इकाई से मिस्र	1 इकाई	या	1 इकाई उत्पन्न कर सकता है

उपर्युक्त उदाहरण में दोनों देशों के बीच उत्पादन-लागतों में समान अन्तर पाये जाते हैं। जैसा स्पष्ट है, भारत को मिस्र की तुलना में जूट और कपास दोनों ही के उत्पादन में कम लागत पड़ती है। यदि दोनों देशों के बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो भारत में जूट और कपास का विनिमय अनुपात (exchange ratio) 1 : 1 होता और यही अनुपात मिस्र में भी होता। अब यदि भारत केवल जूट का ही उत्पादन करता है और कपास का मिस्र से आयात करता है तो उसे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि मिस्र में भी कपास और जूट का विनिमय अनुपात वही है जो भारत में है अर्थात् भारत को मिस्र से 1 इकाई जूट के बदले 1 इकाई कपास से अधिक नहीं मिल सकती और 1 इकाई कपास तो भारत को पहले से ही उपलब्ध है। इस प्रकार इस दशा में भारत का मिस्र से व्यापार करना उल्टे हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यदि भारत मिस्र की कपास का आयात करता है तो उसे इसका परिवहन तथा बीमा-व्यय भी वहन करना पड़ेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब दो देशों के बीच उत्पादन-लागतों में समान अन्तर होते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से कोई लाभ नहीं होता।

(ग) तुलनात्मक अन्तर (Comparative Differences)—जब दो देशों के बीच उत्पादन-लागतों में तुलनात्मक अन्तर होते हैं तब ऐसी परिस्थिति में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार अवश्य ही होगा क्योंकि इस प्रकार के अन्तरों से दोनों देशों को लाभ प्राप्त होगा। इसे निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

	जूट	या	कपास
एक इकाई श्रम से भारत	2 इकाई	या	1 इकाई उत्पन्न कर सकता है
एक इकाई श्रम से मिस्र	2 इकाई	या	2 इकाई उत्पन्न कर सकता है

अब उपर्युक्त उदाहरण में भारत और मिस्र के बीच उत्पादन-लागतों में तुलनात्मक अन्तर पाये जाते हैं। अतः इन दोनों देशों के बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार लाभदायक होगा। यदि इन दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होता, तो दोनों देशों में जूट और कपास का विनिमय अनुपात इस प्रकार होगा

भारत	1 इकाई जूट = $\frac{1}{2}$ इकाई कपास
मिस्र	1 इकाई जूट = 1 इकाई कपास

अब यदि भारत केवल जूट का ही उत्पादन करता है और मिस्र केवल कपास का, तो दोनों देशों के बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार होगा और इससे दोनों को ही लाभ प्राप्त होगा। भारत, मिस्र को 1 इकाई जूट भेजकर उसके बदले में मिस्र के विनिमय अनुपात के आधार पर

1 इकाई कपास प्राप्त कर सकता है और इसी प्रकार मिस्र 1 इकाई कपास को भारत भजनर उसके बदले में 2 इकाई जूट प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इस व्यापार से दोनों ही देशों को लाभ होता है, क्योंकि यदि इन दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होता तो भारत 1 इकाई जूट के बदले केवल 1 इकाई कपास ही उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार यदि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता तो मिस्र 1 इकाई कपास के बदले केवल 1 इकाई जूट ही उत्पन्न कर सकता है। परन्तु अन्तरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण अब मिस्र 1 इकाई कपास के बदले भारत से 2 इकाई जूट प्राप्त कर सकता है। स्मरण रहे कि मिस्र में जूट का उत्पादन व्यय ठीक उतना ही है जितना कि भारत में। परन्तु फिर भी मिस्र को भारत से जूट खरीदने में अधिक लाभ होता है। अतः उत्पादन-लागतों में तुलनात्मक अन्तरों के कारण ही स्थायी अन्तरराष्ट्रीय व्यापार सम्भव हो सकता है। इसे अर्थशास्त्र में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त (Theory of Comparative Costs) कहते हैं।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का आधुनिक रूप—आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण सुधार किये हैं

(1) उत्पादन-लागत को मुद्रा के रूप में व्यक्त करना—क्लासिकल (classical) अर्थशास्त्री इस सिद्धान्त की व्याख्या करते समय वस्तुओं की उत्पादन-लागतों का श्रम के रूप में व्यक्त किया करते थे, क्योंकि उनके अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसके निर्माण में लगाये गये श्रम से निश्चित होता था। परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री इस सिद्धान्त की व्याख्या करते समय वस्तुओं की उत्पादन-लागतों को श्रम के बजाय मुद्रा के रूप में व्यक्त करना अधिक अच्छा समझते हैं। इसका कारण यह है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगाये गये श्रम से ही नहीं, बल्कि उसकी समूची उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। अतः वस्तुओं की उत्पादन लागतों को मुद्रा के रूप में प्रकट किया जाता है। कहा जाता है कि एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनकी उत्पादन-लागत दूसरे देशों की उत्पादन लागतों की अपेक्षा कम होती है। इसके विपरीत, एक देश उन वस्तुओं का आयात करता है जिनकी उत्पादन-लागत अन्य देशों की तुलना में अधिक होती है।

(2) ह्रासमान प्रतिफल तथा वर्द्धमान प्रतिफल नियमों को सम्मिलित करना—क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की व्याख्या करते समय यह मान लिया था कि वस्तुओं का उत्पादन आनुपातिक प्रतिफल नियम (Law of Constant Returns) के अन्तर्गत होता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी मान लिया था कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में होने वाले परिवहन-व्यय का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु ये दोनों ही मान्यताएँ (assumptions) अवास्तविक हैं। अतः आधुनिक अर्थशास्त्री तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की विवेचना करते समय इन दोनों मान्यताओं का परित्याग कर देते हैं, अर्थात् उन्होंने परिवहन-व्यय तथा वर्द्धमान एवं ह्रासमान प्रतिफल नियमों की कार्यशीलता के आधार पर ही इस सिद्धान्त की विवेचना की है। जब उत्पादन ह्रासमान प्रतिफल नियम के अन्तर्गत होता है तब वस्तु की पूर्ति बढ़ाने से प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है जिससे तुलनात्मक लाभ का क्षेत्र सीमित हो जाता है और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार निरुत्साहित होता है। इसके विपरीत, जब उत्पादन वर्द्धमान प्रतिफल नियम के अन्तर्गत होता है तब वस्तु की पूर्ति की वृद्धि होने से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। इससे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ का क्षेत्र बढ़ जाता है और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है।

माँग की लोच का प्रभाव—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की व्याख्या करते समय रिकार्डो ने यह बताया था कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है? परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि दो देशों के बीच वस्तुओं का विनिमय-अनुपात (exchange ratio) कैसे निश्चित होता है, अर्थात् दो देशों के बीच लाभ का विभाजन कैसे होता है? इस सम्बन्ध में आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि दो देशों के बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होने वाले लाभ का विभाजन इस बात पर निर्भर करता है कि एक देश में दूसरे देश के माल की माँग की लोच कितनी है। जिस देश में दूसरे देश के माल की माँग की लोच अधिक होती, उसी देश को व्यापार से अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त होता है। जिस देश में दूसरे देश के माल की माँग की लोच अधिक

होगी उस देश के लिए व्यापार की शर्तें भी अधिक अनुकूल होगी। इसके विपरीत, जिस देश में दूसरे देश की वस्तु की माँग की लोच कम होगी उस देश के लिए व्यापार की शर्तें कम अनुकूल होगी, और उसे अपेक्षाकृत कम लाभ होगा। उदाहरणार्थ, यदि ब्रिटेन में भारतीय चाय की माँग की लोच अधिक है, तो ब्रिटेन को अधिक लाभ होगा और व्यापार की शर्तें भी उसके अनुकूल होगी। इस प्रकार यदि भारत में ब्रिटिश मशीनरी की माँग की लोच कम है, तो भारत को कम लाभ होगा और व्यापार की शर्तें भी उसके प्रतिकूल होगी।

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है कि दो देशों के बीच वस्तुओं की उत्पादन-लागतों में अन्तर होता है। उत्पादन-लागतों के ये अन्तर तीन प्रकार के होते हैं—(क) निरपेक्ष अन्तर, (ख) तुलनात्मक अन्तर, (ग) समान अन्तर। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार केवल पहली तथा दूसरी अवस्थाओं में ही हो सकता है। तीसरी अवस्था में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की सम्भावना नहीं होती, क्योंकि इस अवस्था में विभिन्न देशों को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है।

(क) निरपेक्ष अन्तर (Absolute Differences)—निम्न उदाहरण द्वारा हम यह बताने की चेष्टा करेंगे कि दो देशों के बीच उत्पादन-लागतों में निरपेक्ष अन्तर होने पर उनके बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है

प्रति कुन्तल उत्पादन लागत (रुपयों में)

	जूट	कपास
भारत	10	15
मिस्र	15	10

भारत में एक कुन्तल कपास का विनिमय $1\frac{1}{2}$ कुन्तल जूट से होगा और मिस्र में 1 कुन्तल जूट का विनिमय $1\frac{1}{2}$ कुन्तल कपास में होगा। इस प्रकार भारत में जूट और कपास का विनिमय-अनुपात $2\frac{2}{3}$ होगा और मिस्र में $3\frac{2}{3}$ होगा। इस उदाहरण में भारत को जूट के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है और मिस्र को कपास के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ उपलब्ध है। अतः भारत अपने सभी साधनों को जूट के उत्पादन में लगा देगा क्योंकि ऐसा करने में ही उसे लाभ है। इसलिए भारत जूट के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेगा और कपास का मिस्र से आयात करेगा। मिस्र के साथ व्यापार करके उसे 1 कुन्तल जूट के बदले में $\frac{2}{3}$ कुन्तल से अधिक कपास उपलब्ध होती है। यदि वह कपास को स्वयं उत्पन्न करता है तब 1 कुन्तल जूट के बदले में उसे केवल $\frac{2}{3}$ कुन्तल कपास मिलती है। इस प्रकार उसे मिस्र से कपास आयात करने में लाभ होता है। इसी प्रकार मिस्र के लिए कपास का उत्पादन अधिक लाभदायक है, क्योंकि वह भी भारत से 1 कुन्तल कपास के बदले में $\frac{2}{3}$ कुन्तल से अधिक जूट प्राप्त कर सकता है। यदि मिस्र स्वयं जूट का उत्पादन करता है तो उसे 1 कुन्तल कपास के बदले में केवल $\frac{2}{3}$ कुन्तल जूट प्राप्त होता है। इस प्रकार मिस्र को भारत से जूट का आयात करने में लाभ होता है। भारत को, वास्तव में, 1 कुन्तल जूट के बदले में मिस्र से कितनी कपास मिलेगी और मिस्र को एक कुन्तल कपास के बदले में भारत से कितनी जूट मिलेगी? यह दो बातों पर निर्भर करता है—(अ) वस्तुओं के परिवहन पर व्यय कितना होता है, (ब) भारत और मिस्र में क्रमशः कपास और जूट की पारस्परिक माँग की लोच कितनी है। जब तक भारत को 1 कुन्तल जूट के बदले में $\frac{2}{3}$ कुन्तल से अधिक कपास उपलब्ध होती है तब तक भारत अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए इच्छुक रहेगा। इसी प्रकार जब तक मिस्र को 1 कुन्तल कपास के बदले में $\frac{2}{3}$ कुन्तल से अधिक जूट उपलब्ध होती है तब तक वह अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का इच्छुक रहेगा, क्योंकि कपास और जूट के इस विनिमय अनुपात पर उसे लाभ प्राप्त होता है।

(ख) तुलनात्मक अन्तर (Comparative Differences)—निम्न उदाहरण द्वारा हम यह बताने की चेष्टा करेंगे कि दो देशों के बीच उत्पादन-लागतों में तुलनात्मक अन्तर होने पर उनके बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है

प्रति कुन्तल उत्पादन-लागत (रुपयों में)

	जूट	कपास
भारत	8	16
मिस्र	7	6

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि मिस्र जूट तथा कपास दोनों का ही भारत की तुलना में कम लागत पर उत्पादन कर सकता है। परन्तु मिस्र को कपास के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ अधिक है। इसके विपरीत, भारत में मिस्र की तुलना में दोनों ही वस्तुओं की उत्पादन-लागत अधिक है। परन्तु जूट के उत्पादन में उसकी तुलनात्मक हानि कम है। इस प्रकार भारत में 1 कुन्तल जूट = $\frac{1}{2}$ कुन्तल कपास और मिस्र में 1 कुन्तल जूट = $\frac{1}{3}$ कुन्तल कपास। भारत के लिए जूट उत्पादन में विशेषज्ञता (specialisation) प्राप्त करना अधिक लाभदायक होगा और मिस्र के लिए कपास में विशेषज्ञता प्राप्त करना अधिक लाभदायक रहेगा। जब तक भारत को 1 कुन्तल जूट के बदले में $\frac{1}{2}$ कुन्तल से अधिक कपास मिलती है, तब तब उसे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता रहेगा। इसी प्रकार जब तक मिस्र को 1 कुन्तल कपास के बदले में $\frac{1}{3}$ कुन्तल से अधिक जूट मिलती रहेगी तब तक उसे भी अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त होता रहेगा। दोनों देशों के बीच जूट और कपास का विनिमय-अनुपात कहीं पर इन दोनों अनुपातों के बीच निर्धारित होगा, अर्थात् 1 कुन्तल जूट के बदले में $\frac{1}{2}$ तथा $\frac{1}{3}$ कुन्तल के बीच में ही कपास मिलेगी। जूट और कपास के इस विनिमय अनुपात पर तीन बातों का प्रभाव पड़ता है—(क) परिवहन व्यय, (ख) पारस्परिक मांग की तुलनात्मक लोच, (ग) उत्पादन के नियम की प्रकृति अर्थात् उत्पादन किस नियम के अन्तर्गत होता है। यदि उत्पादन वर्द्धमान प्रतिफल नियम (Law of Increasing Returns) के अन्तर्गत होता है तो इससे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में होने वाला लाभ बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि वर्द्धमान प्रतिफल नियम की कार्यशीलता के कारण सीमान्त उत्पादन लागत घटती जाती है। यदि उत्पादन आनुपातिक प्रतिफल नियम (Law of Constant Returns) के अन्तर्गत होता है तो इससे व्यापार की लाभदायकता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उत्पादन के बढ़ने पर सीमान्त उत्पादन लागत स्थिर रहती है। यदि उत्पादन ह्रासमान प्रतिफल नियम (Law of Diminishing Returns) के अन्तर्गत होता है तो उत्पादन के बढ़ने से सीमान्त उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। परिणामतः अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से होने वाला लाभ भी कम हो जाता है। यहाँ तक कि एक ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जबकि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से बिलकुल ही लाभ नहीं होता।

(घ) समान अन्तर (Equal Differences)—उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि उत्पादन-लागतों में निरपेक्ष तथा तुलनात्मक अन्तरों के परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रीय व्यापार होता है। इन दोनों प्रकार के अन्तरों से अन्तरराष्ट्रीय व्यापार लाभदायक बन जाता है। अतः दोनों ही देशों को पारस्परिक व्यापार से लाभ होता है। अब हम निम्न उदाहरण से यह बताने की कोशिश करेंगे कि उत्पादन-लागतों में समान अन्तरों के कारण अन्तरराष्ट्रीय व्यापार क्यों नहीं होता।

प्रति कुन्तल उत्पादन-लागत (रुपयों में)

	जूट	कपास
भारत	5	20
मिस्र	10	40

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि भारत को मिस्र की तुलना में जूट और कपास दोनों के ही उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त है, क्योंकि दोनों की ही उत्पादन लागतें मिस्र की तुलना में कम हैं। भारत में जूट और कपास का विनिमय अनुपात इस प्रकार होगा, 1 कुन्तल कपास = 4 कुन्तल जूट। इसी प्रकार मिस्र में भी कपास और जूट का यही अनुपात रहेगा, अर्थात् 1 कुन्तल कपास = 4 कुन्तल जूट। यदि भारत कपास और जूट दोनों का ही उत्पादन करता है तो 1 कुन्तल कपास के बदले उसे 4 कुन्तल जूट प्राप्त होती है अब यदि भारत केवल जूट का ही उत्पादन करता है और कपास का मिस्र से आयात करता है तो भी उसे 1 कुन्तल कपास के बदले 4 कुन्तल जूट देनी

पड़ेगी। यदि भारत केवल कपास का ही उत्पादन करके जूट मिश्र से आयात करता है तो भी उसे 1 कुन्तल कपास के बदले में 4 कुन्तल जूट ही उपलब्ध होती है। अतः इस दशा में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से भारत को कुछ भी लाभ नहीं होता। यही बात मिश्र के बारे में भी कही जा सकती है। उसे भी भारत को जूट अथवा कपास भेजकर कोई लाभ नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि जब दो देशों के बीच उत्पादन-सागतियों में समान अन्तर होते हैं, तब अन्तरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता।

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में होने वाले लाभ को प्रभावित करने वाले तत्व

(Factors Influencing Profit Accruing from International Trade)

प्रो० टॉजिंग (Tausig) के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से किसी देश को होने वाला लाभ दो बातों पर निर्भर रहता है—(क) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की शर्तों, (ख) निर्यात की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले श्रम की कार्यक्षमता।

(क) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की शर्तों—इनसे अभिप्राय उस अनुपात से होता है जिसके अनुसार दो देशों में उत्पादित वस्तुओं का आपस में विनिमय होता है। यदि हम भारत और मिश्र का दूसरा उदाहरण (तुलनात्मक अन्तर वाला) लेते हैं और यह मानकर चलते हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होता तो ऐसी दशा में भारत में 1 कुन्तल जूट के बदले में $\frac{1}{2}$ कुन्तल कपास प्राप्त होती है। यदि इन देशों में व्यापार होता है तो भारत को 1 कुन्तल जूट के बदले में $\frac{7}{8}$ कुन्तल कपास प्राप्त होती है। इस प्रकार भारत का लाभ $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ कुन्तल कपास होगी। इसी प्रकार मिश्र में यदि देश के भीतर कपास और जूट का विनिमय अनुपात 1 : $\frac{7}{8}$ है, परन्तु भारत से 1 कुन्तल कपास के बदले में 2 कुन्तल जूट मिल सकता है तो इस व्यापार से, मिश्र को $2 - \frac{7}{8} = \frac{9}{8}$ कुन्तल जूट का लाभ होगा। परन्तु जैसा ऊपर बताया जा चुका है, यह विनिमय अनुपात दोनों देशों में एक-दूसरे की उपज की पारस्परिक माँग की लोच पर निर्भर करता है। अतः दोनों देशों की माँग की आग्रहपूर्णता अथवा तीव्रता (urgency) के अनुसार व्यापार की शर्तों में भी परिर्तन होते रहते हैं। उस देश को सबसे अधिक लाभ होता है जिसकी वस्तुओं की माँग विदेशों में सबसे अधिक होती है और जिसमें दूसरे देशों के निर्यातों की माँग अपेक्षाकृत कम होती है। उस देश को सबसे कम लाभ होता है जिसकी दूसरे देशों की वस्तुओं की माँग बहुत अधिक होती है।

(ख) निर्यात की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले श्रम की कार्यक्षमता—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ पर दूसरा प्रभाव निर्यात की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले श्रम की कार्यक्षमता का पड़ता है। वास्तव में, दो देशों के बीच उत्पादन सागतियों के अन्तर का मुख्य कारण श्रम की कार्यक्षमता ही होता है। श्रम की कार्यक्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप तुलनात्मक सागतियों का अन्तर बढ़ जाता है और इस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। जिस देश के श्रमिकों की कार्यक्षमता का स्तर ऊँचा होता है उसके निर्यातों की माँग भी अधिक होती है। उस देश में श्रमिकों की नकद तथा वास्तविक मजदूरियाँ ऊँची होती हैं और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से ऐसे देश को अधिक लाभ होता है क्योंकि वह अपनी निर्यात की वस्तुओं का अधिक उत्पादन करके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार द्वारा अधिक मात्रा में अन्य देशों से वस्तुएँ प्राप्त कर सकता है।

किसी देश का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होने वाला लाभ उसकी मौद्रिक आय को अत्यन्त ही प्रभावित करता है। यदि उस देश का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ बढ़ता है तो उसकी मौद्रिक आय भी बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, किसी देश की मौद्रिक आय बहुत मात्रा में उस देश के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होने वाले लाभ पर निर्भर करती है। जिस देश की वस्तुओं की माँग विदेशों में अधिक होनी है, उस देश की मौद्रिक आय भी ऊँची होती है। इसका कारण यह है कि निर्यात-उद्योग उत्पन्न हो जाते हैं और मजदूरों को अधिक मजदूरी प्राप्त होने लगती है।

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तथा प्रतियोगिता-रहित समूह

(International Trade and Non Competing Groups)

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लगत सिद्धान्त की विवेचना करते समय हमने यह

मान लिया था कि देश के विभिन्न भागों में श्रम पूर्णतः गतिशील होता है। परिणामतः श्रमिकों के मजदूरी-स्तर में समानता स्थापित हो जाती है। परन्तु, जैसा प्रो० बर्टिल ओहलिन (Bertil Ohlin) ने बताया है, देशों के विभिन्न भागों में श्रम का पूर्णरूप से गतिशील होना आवश्यक नहीं है। विभिन्न कारणों से देश के भीतर भी श्रम की गतिशीलता पूर्ण नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में एक श्रमिक वर्ग को मजदूरी दूसरे श्रमिक वर्ग की मजदूरी से कम अथवा अधिक हो सकती है और देश को कम मजदूरी वाले श्रमिक वर्ग द्वारा निर्मित वस्तुओं में तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। परिणामतः वह देश इस प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करने लगेगा। इसके विपरीत, यदि देश में श्रम की गतिशीलता पूर्ण है अथवा श्रमिकों में प्रतियोगिता-रहित समूहों का अभाव है तब देश को उपर्युक्त तुलनात्मक लाभ उपलब्ध नहीं होगा और वह अन्य देशों को वस्तुओं का निर्यात भी नहीं कर सकेगा। यदि दो देशों में मजदूरी के प्रतियोगिता-रहित समूह पाये जाते हैं और दोनों ही देशों में इन समूहों की स्थिति समान है तो इससे उनके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, यदि दो देशों में पाये जाने वाले प्रतियोगिता-रहित समूहों में अन्तर है तो इससे उनके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार विभिन्न देशों में पाये जाने वाले प्रतियोगिता-रहित समूहों का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर कुछ न कुछ अवश्य ही प्रभाव पड़ता है।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की आलोचना (Criticism of the Comparative Costs Theory)—अभी हाल ही के वर्षों तक सभी अर्थशास्त्री इस सिद्धान्त को मान्यता देते थे और कह जाते थे कि यह सिद्धान्त अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की अधिकृत अथवा प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस सिद्धान्त को गगजल की भाँति, विन समझा जाता था। यह सिद्धान्त वास्तव में उतना ही सही एवं निर्विवाद समझा जाता था जितना कि उत्पत्ति ह्रास नियम। लेकिन इस सब के बावजूद इस सिद्धान्त की नींव कमजोर एवं अस्थिर थी किन्तु कुछ वर्षों में बर्टिल ओहलिन (Bertil Ohlin) तथा फ्रैंक ग्राहम (Frank Graham) जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त की कटु आलोचना की है। इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं

(1) **श्रम लागतों की मान्यता (Assumption of Constant Costs)** इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि यह सिद्धान्त मूल्य के श्रम सिद्धान्त (labour theory of value) पर आधारित है। क्लासीकल अर्थशास्त्रियों ने वस्तुओं के आन्तरिक विनिमय की याख्या श्रम लागतों के माध्यम से की थी। इसी सिद्धान्त को आधार मानते हुए उन्होंने वस्तुओं के अन्तर-राष्ट्रीय विनिमय की व्याख्या भी श्रम लागतों के रूप में कर डाली थी। इस प्रकार तुलनात्मक लागत-सिद्धान्त पूर्णतः मूल्य के श्रम सिद्धान्त पर आधारित था। लेकिन श्रम के मूल्य सिद्धान्त को 19वीं शताब्दी में ही अस्वीकार कर दिया गया था। प्रथम श्रम समूह नहीं होता है, बल्कि इसके कई वर्ग एवं श्रेणियाँ होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है। दूसरे, श्रम के अलावा उत्पादन के अन्य साधन जैसे—भूमि, पूँजी, साहस भी होते हैं जिनका प्रयोग उत्पादन में किया जाता है। इन्हीं दो कारणों से मूल्य के श्रम सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया गया था। इस प्रकार तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का आधार ही गलत था। यह श्रम लागतों पर ही आधारित था जो कि वास्तविकता के विरुद्ध है। वास्तव में, मौद्रिक लागतें ही माननीय होती हैं और उन्हें ही अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनाया जाना चाहिये।

(2) **निश्चित अनुपातों की मान्यता (Assumption of Fixed Proportions)**—चूँकि यह सिद्धान्त मूल्य के श्रम सिद्धान्त पर निर्मित किया गया था, अतः इसे एक अन्य मान्यता की आवश्यकता थी। वह यह थी कि उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। अब यह मान्यता पूर्णतः गलत एवं अयथार्थ थी। वास्तविक जीवन में विभिन्न उत्पादन साधनों को अनेक प्रकार के अनुपातों (wide variation in proportions) में मिलाया जाता है, किसी एक निश्चित अनुपात में नहीं। निश्चित अनुपातों की इस मान्यता के कारण तुलनात्मक लागत सिद्धान्त वास्तविक परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है।

(3) **स्थिर लागतों की मान्यता (Assumption of Constant Costs)**—क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार स्थिर लागत नियम सभी उद्योगों में कार्यशील होता है। परिणामतः

कितनी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को प्रति इकाई स्थिर लागत पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यह मान्यता भी पूर्णतः गलत एव अयथार्थ है। उत्पादन में अधिकांशतः उत्पत्ति ह्रास नियम अथवा लागत वृद्धि नियम कार्यशील होता है। एक निश्चित विदु के उपरांत प्रत्येक उद्योग में वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को प्रति इकाई बढ़ती हुई लागत पर ही प्राप्त किया जा सकता है।

(4) उत्पादन साधनों की आन्तरिक गतिशीलता तथा बाह्य अगतिशीलता की मान्यता (Assumption of Internal Mobility and External Immobility)—इस सिद्धान्त की एक अन्य त्रुटि भाग है। यह सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि देश के भीतर उत्पादन साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं जबकि दो देशों के बीच वे पूर्णतः अगतिशील होते हैं। यह मान्यता अवास्तविक एव तथ्यों के विपरीत है। उत्पादन के साधन (श्रम ही अथवा पूंजी) देश के भीतर कभी भी पूर्णतः गतिशील नहीं होते। विभिन्न उद्योगों एवं क्षेत्रों में मजदूरियों एवं व्याज की दरों में भिन्नता का पाया जाना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। दश में प्रतियोगिता रहित समूहों (Non-Competing Groups) का पाया जाना उपर्युक्त मान्यता को पूर्णतः गलत सिद्ध कर देता है। पूंजी भी एक उद्योग से दूसरे उद्योग की ओर इतनी सरलता से गतिशील नहीं होती है। दूसरी ओर, दो देशों के बीच उत्पादन साधन इतनी अगतिशील नहीं होते जितना कि यह सिद्धान्त मान लेता है। श्रम एवं पूंजी के विभिन्न देशों के बीच व्यापक आवागमन के इतिहास में अनेक उदाहरण पाये जाते हैं।

(5) परिवहन लागतों की उपेक्षा (Neglect of Transport Costs)—एक अन्य कठिनाई यह है कि यह सिद्धान्त परिवहन लागतों को पूर्ण उपेक्षा कर डालता है मानो कि वे ही नहीं हैं। यह मान्यता गलत एव अयथार्थ है। उत्पादन में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर परिवहन लागतें उत्पादन लागतों से भी अधिक ऊँची होती हैं। दो देशों के बीच किसी वस्तु का व्यापार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दोनों देशों की उत्पादन लागतों का अन्तर वस्तु के परिवहन व्यय से अधिक नहीं बैठता। अतएव परिवहन लागतों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह मानकर कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया है कि परिवहन लागतें उत्पादन लागतों में सम्मिलित रहती हैं। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। वास्तव में परिवहन लागतें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कुछ समय पूर्व जर्मनी कोयले का प्रमुख निर्यातकर्ता था लेकिन फिर भी ब्रिटेन में निकट स्थित कुछ जर्मन बरगर्स उस देश से कोयला का आयात किया करते थे क्योंकि उनको ब्रिटेन का कोयला सस्ता पड़ता था। यह एक ऐसा उदाहरण है जहाँ तुलनात्मक लाभ की तुलना में परिवहन लागतें अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थीं। अतः परिवहन लागतों की उपेक्षा करना कलासिकल अर्थशास्त्रियों की भारी धूल थी। लेकिन यदि परिवहन लागतों का हम अपने विवेचन में सम्मिलित भी कर लें तो भी तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। परिवहन लागतों को सम्मिलित करने से दोनों देशों के बीच व्यापार की शर्तें तनिक संकुचित हो जायेंगी।

(6) सिद्धान्त की अयथार्थता (Unrealistic Nature of the Theory)—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त कुछ अयथार्थता का प्रतीक होता है। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में देश का वास्तविक उत्पादन तुलनात्मक लागत सिद्धान्त से मेल नहीं खाता। दूसरे शब्दों में, देश उन वस्तुओं का उत्पादन भी करने लगता है जिनमें उसे कोई तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि देश उन वस्तुओं का भी उत्पादन करने लगता है जिनका वह सस्ते दामों पर विदेशों से आयात कर सकने की स्थिति में होता है। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता (autarchy) के इस युग में प्रत्येक देश सैनिक एवं सामरिक कारणों (strategic reasons) से महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता है। आज के युग में राष्ट्रीय उत्पादन तुलनात्मक लागत सिद्धान्त से बहुत कम मेल खाता है। तुलनात्मक लागत का यह सिद्धान्त अतीतकाल में वाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न रहा हो आज के युग में तो यह राष्ट्रीय उत्पादन का मुख्य निर्धारक नहीं रहा है।

(7) पूर्ण विशेषज्ञता सम्भव नहीं होती (Complete Specialisation Impossible)—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की इस कारण भी आलोचना की गई है कि कलासिकल अर्थशास्त्रियों

की मा-यताओं के आधार पर भी पूर्ण श्रम-विभाजन एवं विशेषज्ञता सम्भव नहीं हो सकते। इसकी व्याख्या हम दो देशों का उदाहरण लेकर कर सकते हैं। इनमें से एक बड़ा देश है तथा दूसरा छोटे आकार का देश है। चूंकि दूसरा देश छोटे आकार का है, अतः उसके साधन सीमित हैं। यह देश केवल एक ही वस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है। अतः यह देश अपने सभी साधन उस वस्तु के उत्पादन में लगा देगा। लेकिन इसके बावजूद इतका उरा वस्तु का उत्पादन अपनी तथा दूसरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त नहीं होगा। इसके विपरीत, बड़े आकार वाले देश को दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, यह देश उस वस्तु का भी उत्पादन करेगा जिसमें इसको तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं है। इसका कारण यह है कि छोटे आकार वाला देश अपने सीमित साधनों के फलस्वरूप उस वस्तु का इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकेगा कि उससे दोनों देशों की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

आइये, हम दो देशों (भारत एवं श्रीलंका) का उदाहरण लें। श्रीलंका बहुत ही छोटा देश है। आइये, यह भी मान लें कि श्रीलंका को रबड़ (rubber) में और भारत को जूट में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। यह स्वाभाविक ही है कि श्रीलंका अपने सभी साधन रबड़ के उत्पादन में लगायेगा। चूंकि श्रीलंका के साधन सीमित हैं, इसलिए वह रबड़ का इतना अधिक उत्पादन नहीं कर सकेगा कि दोनों देशों की आवश्यकताएँ पूरी हो जायें। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के उपरान्त श्रीलंका रबड़ की कुछ मात्रा भारत को निर्यात कर देगा क्योंकि उसको भारत से आयात किये गये जूट का भुगतान करना है लेकिन इससे भारत की रबड़ सम्बन्धी मांग पूरी नहीं हो सकेगी। अतः भारत को जूट तथा रबड़ दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा। इस प्रकार बड़ा देश होने के नाते भारत केवल जूट के उत्पादन में ही विशेषज्ञता प्राप्त नहीं करेगा। इसके दो कारण हैं। प्रथम, श्रीलंका भारत की रबड़ सम्बन्धी मांग को पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं कर सकता। दूसरे, भारत यदि केवल जूट का ही उत्पादन करता है तो श्रीलंका उसके जूट के समूचे उत्पादन को नहीं खरीद सकेगा। अतः यह स्पष्ट है कि बड़े आकार वाला देश केवल उस वस्तु के उत्पादन में ही विशेषज्ञता प्राप्त नहीं कर सकता जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो। उसे दूसरी वस्तु का उत्पादन भी करना होगा क्योंकि छोटा देश उसकी समूची मांग को अपने सीमित साधनों के कारण पूरा नहीं कर सकता। इस प्रकार तुलनात्मक लागत सिद्धान्त तभी सही बैठता है जब हम यह मानकर चलें कि दोनों देशों का आकार अथवा उनके साधन समान हैं। अब यह मांग्यता व्यवहार में सही नहीं उतरती। अतः पूर्ण विशेषज्ञता सम्भव नहीं है। इसी कारण इस सिद्धान्त को अयथार्थ माना जाता है।

(8) सिद्धान्त का बेडपापन (Clumsiness of the theory)—प्रो० बर्टिल ओह्लिन (Bertil Ohlin) ने इस सिद्धान्त को 'भद्दा' (cumbersome) एवं 'अयथार्थ' कहकर इसकी भर्त्सना की है। उनका अनुसार, "यह सिद्धान्त स्पष्ट एवं सीधे मार्ग को न अपनाकर एक कुटिल एवं परोक्ष रास्ते का अनुसरण करता है।" इस सिद्धान्त की मुख्य त्रुटि यह है कि यह सिद्धान्त दोनों देशों के बीच पाये जाने वाले लागत अन्तरों को समग्र रूप में नहीं लेता है। उदाहरणार्थ, मजदूरियों के अलावा लागतों की अन्य मंदा भी तो होती है। कच्चा माल, ब्याज, परिवहन व्यय लागतों की अन्य मंदा है। यह सिद्धान्त लागतों की इन मंदों की तो उपेक्षा करता है और समूचा ध्यान मजदूरी-लागतों पर ही केन्द्रित कर देता है। प्रो० बर्टिल ओह्लिन इस सिद्धान्त को भद्दा एवं अयथार्थ ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी मानते हैं। यह सिद्धान्त अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या प्रारम्भ करते समय जो देशों एवं दो वस्तुओं को ही लेता है लेकिन इस व्याख्या से निकले निष्कर्षों को ऐसी परिस्थितियों पर लागू किया जाता है जिनमें अनेक देश अनेक वस्तुओं में व्यापार करते हैं।

सारांशतः यह सिद्धान्त भद्दा, दुसाध्य, एवं अयथार्थ है। इसके निष्कर्ष गलत ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी हैं। यही कारण है कि प्रो० बर्रेट व्हेल (Barret Whale) ने कहा है, "हमें तो स्वीडन के सुविधात अर्थशास्त्री, बर्टिल ओह्लिन का अनुसरण करते हुए अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को मुख्य की आधुनिक धारणाओं पर ही निमित्त करना चाहिये।"

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ (Advantages of International Trade)

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं

(1) भौगोलिक अथवा प्रादेशिक धर्म विभाजन—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप दो देशों के बीच भौगोलिक अथवा प्रादेशिक धर्म विभाजन सम्भव होता है। दोनों देश ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं जिनमें उन्हें प्राकृतिक लाभ होता है, अर्थात् प्रत्येक देश अपनी वस्तुओं का उत्पादन करने लगता है जिनमें उसकी लागत न्यूनतम होती है। परिणामतः विश्व के सभी देशों में उत्पादन अनुकूलतम परिस्थितियों में होने लगता है और इससे समूची मानव जाति के कल्याण में वृद्धि होती है।

(2) उपभोक्ताओं की वस्तुओं की कीमतों पर मिलना—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का दूसरा लाभ यह है कि इससे उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्यों पर वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं। इसका कारण यह है कि वे वस्तुएँ उन देशों से खरीद सकते हैं जहाँ उनकी कीमतें न्यूनतम होती हैं। इससे उपभोक्ताओं के उपभोग स्तर में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त, विदेशी व्यापार के माध्यम से उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकते हैं जो उनके अपने देश में उत्पन्न नहीं की जा सकतीं।

(3) आर्थिक संकट का सामना करने में सहायता—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण कोई भी देश आर्थिक संकट का आसानी से सामना कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह देश, विदेशों से अन्न आयात करके अकाल का सामना कर सकता है।

(4) वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण सभी देशों में समान वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में समानता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इससे सभी देशों को लाभ होता है।

(5) उत्पादन रीतियों में सुधार—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण देश के उद्योगपतियों को सदैव विदेशी प्रतियोगिता का भय रहता है। अतः विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए वे सदैव वैज्ञानिक उत्पादन विधियों की सहायता से उत्पादन-स्वागतों में कमी करने का प्रयत्न करते रहते हैं। इससे देश की समूची अर्थ-व्यवस्था को लाभ होता है।

(6) एकाधिकारों पर रोक (Check on Monopolies)—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण देश में एकाधिकारी व्यवसाय पनप नहीं सकते, क्योंकि उन्हें सदैव विदेशी प्रतियोगिता का खतरा बना रहता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार के फलस्वरूप एकाधिकार की प्रवृत्ति को ठेस पहुँचती है।

(7) कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से विभिन्न देश अन्य देशों से कच्चे माल का आयात कर सकते हैं और इस प्रकार उनके औद्योगिकरण में सहायता मिलती है। उदाहरणार्थ, ब्रिटेन में प्रायः कच्चे माल की कमी है लेकिन फिर भी औद्योगिक दृष्टि से ब्रिटेन एक अत्यन्त विकसित देश है क्योंकि ब्रिटेन कच्चे माल का आयात अ्य देशों से कर लेता है।

(8) अन्तरराष्ट्रीय सहयोग तथा सांस्कृतिक विकास—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण विश्व के देशों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित होते हैं जिससे अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की भावना को प्रोत्साहन मिलता है और देशों का सांस्कृतिक विकास सम्भव हो जाता है।

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ (Disadvantages of International Trade)

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ निम्नलिखित हैं

(1) कच्ची सामग्रियों की समाप्ति—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण कुछ देशों की कच्ची सामग्रियों, विशेषतः खनिज-पदार्थों की समाप्ति हो जाती है और आगे चलकर ऐसे देशों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण ही भारत

के मैंगनीज और अभ्रक खनिज-पदार्थों में बहुत कमी हो गयी है। सन् 1947 से पूर्व इन दोनों पदार्थों का ब्रिटेन को बड़े रोकटोक निर्यात किया जाता था।

(2) विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण देशी उद्योगों के लिए विदेशी प्रतियोगिता का खतरा उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी तो विदेशी प्रतियोगिता के कारण देशी उद्योगों को बहुत हानि होती है। उदाहरणार्थ, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रतियोगिता के कारण बहुत से भारतीय उद्योग-धंधे ठप्प हो गये थे।

(3) राशिपातन का भय (Fear of Dumping)—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से कभी कभी विकसित देशों द्वारा पिछड़े हुए देशों में वस्तुओं का राशिपातन किया जाता है, अर्थात् विकसित देश पिछड़े हुए देशों में अपने माल को बहुत ही कम मूल्य पर बेचना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो वे अपने माल को उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर बेचते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार के राशिपातन से देशी उद्योगों पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है और शीघ्र ही वे ठप्प हो जाते हैं। जब एक बार देशी उद्योग धंधे समाप्त हो जाते हैं तो विदेशी उद्योगपतियों द्वारा पुनः अपने माल का मूल्य बढ़ा दिया जाता है।

(4) देश का एकांगी विकास—जैसा ऊपर बताया गया है, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार भौगोलिक अथवा विभाजन अथवा विशेषज्ञता के आधार पर किया जाता है, अर्थात् प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार देश में सभी उद्योग धंधों का विकास न होकर केवल कुछ ही उद्योग धंधों का विकास सम्भव होता है। इस प्रकार के एकांगी विकास से देश के कई साधन बेकार ही पड़े रहते हैं।

(5) विदेशों पर निर्भरता—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप एक देश दूसरे देश पर कुछ आवश्यक वस्तुओं के लिए निर्भर रहने लगता है। परन्तु यह निर्भरता सदैव अच्छी नहीं होती, विशेषकर युद्ध के समय तो इस प्रकार की निर्भरता अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो सकती है।

(6) उपभोक्ताओं की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण कभी कभी देश के उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, 19वीं शताब्दी में चीन के लोग अफीम खाने के आदी हो गये थे, यद्यपि चीन में अफीम का उत्पादन बिलकुल नहीं होता था।

(7) देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी—कभी-कभी अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण देश के भीतर कुछ आवश्यक वस्तुओं की कमी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है।

(8) कृषि प्रधान देशों को हानि—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण कृषि-प्रधान देशों को औद्योगिक देशों की तुलना में हानि उठानी पड़ती है। इसका कारण यह है कि कृषि-प्रधान देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनका उत्पादन बढ़ती लागत नियम (Law of Increasing Costs) के अन्तर्गत होता है और बदले में उन वस्तुओं को प्राप्त करता है जिनका उत्पादन घटती लागत नियम (Law of Decreasing Costs) के अन्तर्गत होता है।

(9) अन्तरराष्ट्रीय द्वेष तथा सघर्ष—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण कभी-कभी विश्व के देशों में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है और उनमें आर्थिक सघर्ष आरम्भ हो जाते हैं जो बाद में चलकर युद्ध का भयानक रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरणार्थ सन् 1930 की महान मन्दी के उपरान्त विभिन्न देशों में तीव्र प्रतियोगिता होने के कारण उनके आपसी सम्बन्ध बहुत बिगड़ गये थे।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त उत्तर

1 अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अलग सिद्धान्त की क्या आवश्यकता है? समझाइये।

(आगरा, 1962)

[संकेत—यहाँ पर आन्तरिक व्यापार तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के बीच पाये जाने वाले अन्तरों की विस्तारपूर्ण व्याख्या कीजिए और बताइये कि इन्हीं के कारण अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता पड़ती है।]

- 2 तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का विवेचन कीजिए । (आगरा, 1976)
[सकेत—यहाँ पर दो काल्पनिक देशों का उदाहरण देकर स्पष्ट करिए कि उनके बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तभी हो सकता है, जबकि उनकी उत्पादन-लागतों में निरपेक्ष तथा तुलनात्मक अन्तर हो ।]
3. सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से किन परिस्थितियों में विदेशी व्यापार का दो देशों के बीच उदय हो सकता है? विनिमय से किस देश को अधिक लाभ होता है? इसे निर्धारित करने वाले घटक कौन से हैं? (इलाहाबाद, 1959)
[सकेत—प्रथम भाग में यह बताइए कि दो देशों के बीच विदेशी व्यापार उस परिस्थिति में आरम्भ होता है, जबकि उनकी उत्पादन-लागतों में निरपेक्ष अथवा तुलनात्मक अन्तर हो । दूसरे भाग में, यह बताइए कि विदेशी व्यापार से उत्पन्न होने वाला लाभ दो देशों के बीच दो घटकों से प्रभावित होता है—व्यापार की शर्तें, (ख) श्रम की कार्य-कुशलता ।]
- 4 अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियों का विवेचन कीजिए । (राजस्थान, 1968)
[सकेत—यहाँ पर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ तथा हानियों का विवेचन कीजिए ।]
- 5 अन्तरराष्ट्रीय व्यापार क्यों और किन दशाओं में सम्भव है? (आगरा, 1969)
[सकेत—दो देशों के बीच अन्तरराष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है, क्योंकि उन्हें इसके लाभ होता है । लेकिन अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तभी होता है जब दोनों देशों की उत्पादन-लागतों में निरपेक्ष तथा तुलनात्मक अन्तर हो । देखिये, उपर्युक्त अध्याय ।]
6. “अन्तरराष्ट्रीय व्यापार अन्तरक्षेत्रीय व्यापार की केवल एक विशिष्ट अवस्था ही है ।” इस कथन की पुष्टि कीजिए । (आगरा, 1974)
[सकेत—यह कथन प्रो० वॉल ओहलिन का है । उनका कहना है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तथा अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार में कोई मूलभूत अन्तर नहीं है । विस्तृत विवरण हेतु उपर्युक्त अध्याय में “अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार की एक विशिष्ट दशा कैसे कहा जाता है ?” नामक उपशीर्षक को देखिए ।]

17

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of International Trade)

“अन्तर-प्रादेशिक व्यापार का तत्कालीन कारण यह है कि आन्तरिक बाजार की अपेक्षा विदेशी बाजारों से वस्तुओं को अधिक सस्ते दामों पर खरीदा जा सकता है।”

— बर्टिल ओहलिन

वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के क्लासीकल सिद्धान्त (अथवा तुलनात्मक लागत सिद्धान्त) को प्रमुखतया इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि यह सिद्धान्त मूल्य के प्राचीन एवं अप्रचलित थम सिद्धान्त पर निर्मित किया गया था। आधुनिक अर्थशास्त्री बर्टिल ओहलिन के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त से अधिकाधिक प्रभावित हुए हैं। उनके अनुसार यह सिद्धान्त अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की अधिक प्रत्यक्ष, अधिक युक्तिसंगत, एवं अधिक यथार्थ व्याख्या प्रस्तुत करता है। आज-कल इस सिद्धान्त को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त कहा जाता है।¹ बर्टिल ओहलिन का यह सिद्धान्त मूल्य के उस सिद्धान्त का विस्तार है जिसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार कर रखा है। मूल्य के इस सिद्धान्त को कभी-कभी सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त (general equilibrium theory) अथवा परस्पर निर्भरता सिद्धान्त भी कहा जाता है। जैसा कि सुविदित है, डालरस, परेटो तथा कॅसलज (Cassels) जैसे अर्थशास्त्रियों ने एकाकी बाजार (single market) में मूल्य अथवा कीमत-सम्बन्धों की व्याख्या करने हेतु इस सिद्धान्त का विकास किया था। स्वीडन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बर्टिल ओहलिन ने सामान्य सन्तुलन को विस्तृत करके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र पर भी लागू कर दिया है। जैसा कि पूर्व कहा जाता है, मूल्य रूप में तो यह सिद्धान्त केवल एकाकी बाजार पर ही लागू होता है लेकिन बर्टिल ओहलिन ने इस सिद्धान्त को सकलतापूर्वक विभिन्न प्रदेशों के बीच होने वाले अथवा विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार पर भी लागू कर दिया है।

क्या अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के एक विशिष्ट सिद्धान्त की आवश्यकता है ?

(Do We Need a Special Theory of International Trade ?)

बर्टिल ओहलिन ने अपने विषयवार्त्मक कथन में यह स्पष्ट कर दिया था कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करने के लिए किसी प्रथम सिद्धान्त की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार, “अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तो अन्तर-प्रादेशिक व्यापार की ही एक विशेष अवस्था है। (‘International trade is but a special case of inter-local or inter-regional trade’)” उन्होंने अन्तर-प्रादेशिक व्यापार पर लागू होने वाले विप्लवों को बिना किसी बड़े परिवर्तन

1 अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का एक आधुनिक विवरण जर्मन अर्थशास्त्री हाबरलर (Haberler) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अपने विश्लेषण को अवसर लागतों (Opportunity Costs) के रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि प्रो० ओहलिन की भाँति वह भी सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त को आधार बनाते हैं, लेकिन उनका विश्लेषण ओहलिन के विश्लेषण से कम व्यापक है।

अथवा सशोधन के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू कर दिया है। वास्तव में, अन्तर प्रादेशिक व्यापार एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में मूलभूत समानता पाई जाती है। बटिल ओहलिन ने दृढ़तापूर्वक उन सभी तर्कों का प्रतिवाद किया है जो क्लासीकल अर्थशास्त्रियों द्वारा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रयत्न सिद्धान्त के समर्थन में प्रस्तुत किये गये थे।

(1) क्लासीकल अर्थशास्त्रियों द्वारा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धान्त के पक्ष में दिया गया पहला तर्क यह था कि उत्पादन के साधन देश के भीतर तो पूर्णतया गतिशील होते हैं लेकिन विभिन्न देशों के बीच वे पूर्णतया अगतिशील होते हैं। इस प्रकार उत्पादन-साधनों की अन्तरराष्ट्रीय अगतिशीलता को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के प्रयत्न सिद्धान्त का मुख्य आधार बना दिया गया था। लेकिन बटिल ओहलिन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उत्पादन साधनों की अगतिशीलता अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि यह अगतिशीलता तो आन्तरिक अथवा अन्तर-प्रादेशिक व्यापार में भी पाई जाती है। सत्य तो यह है कि एक ही देश के विभिन्न भागों के बीच भी उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील नहीं होते। उदाहरणार्थ, एक कश्मीरी श्रमिक के लिए केरल को जाना उतना ही कठिन है जितना कि किसी विदेश को प्रव्रजन करना। यदि देश के भीतर उत्पादन साधन पूर्णतया गतिशील होते तो मजदूरियों एवं व्याज की दरों में इतनी अधिक भिन्नताएँ नहीं पाई जाती। वास्तव में, किसी देश में प्रतियोगिता रहित समूहों (Non Competing Groups) का होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि देश के भीतर भी उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील नहीं होते। देश का आकार जितना अधिक बड़ा होगा, उतनी ही विभिन्न उद्योगों एवं विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरियों एवं व्याज दरों की भिन्नताएँ अधिक होंगी। इसके अतिरिक्त बटिल ओहलिन ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उत्पादन के साधन विभिन्न देशों के बीच पूर्णतया अगतिशील नहीं होते। उन्होंने अनेक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किये जहाँ लाखों मजदूर यूरोप छोड़कर विश्व के अन्य देशों में जा बसे थे। इसी प्रकार लाखों भारतीय भारत छोड़कर बर्मा, थैलैंड, इण्डोनेशिया, एवं दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों में जा बसे हैं। इसी प्रकार पूँजी का भी विभिन्न देशों के बीच व्यापक पैमाने पर आवागमन हुआ है।

(2) क्लासीकल अर्थशास्त्रियों ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के प्रयत्न सिद्धान्त का निर्माण इस आधार पर भी किया था कि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का आधार प्रस्तुत करता है लेकिन बटिल ओहलिन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर ही नहीं बल्कि आन्तरिक अथवा अन्तर-प्रादेशिक व्यापार भी लागू होता है। बटिल ओहलिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त सभी प्रकार के व्यापार का आधार है। यहाँ तक कि आन्तरिक व्यापार भी तुलनात्मक लाभ के कारण ही होता है। किसी देश के विभिन्न क्षेत्र उन वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं जिनमें उनको तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। बटिल ओहलिन के शब्दों में "विश्व के विभिन्न प्रदेश एवं राष्ट्र उन उद्योगों में विशेषज्ञता प्राप्त कर एक दूसरे से उसी आधार पर व्यापार करते हैं जिस पर निजी व्यक्ति विशेषज्ञता प्राप्त करने के बाद एक दूसरे से व्यापार करते हैं। कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही कुछ विशेष प्रकार के काम के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति अच्छा माली बन सकता है तो दूसरा एक श्रेष्ठ अध्यापक हो सकता है जबकि तीसरा एक कुशल चिकित्सक सिद्ध होता है। यदि सभी व्यक्ति समान योग्यता के होते तो भी विशेषज्ञता प्राप्त करने से उनका लाभ होना। इस प्रकार तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर ही नहीं, बल्कि आन्तरिक अथवा अन्तर-प्रादेशिक व्यापार, यहाँ तक कि व्यक्तिगत विशेषज्ञता पर भी लागू होता है। अतः बटिल ओहलिन ने अनुसार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धान्त को विकसित करने का कोई औचित्य नहीं है।

(3) क्लासीकल अर्थशास्त्रियों ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के एक पृथक सिद्धान्त के समर्थन में यह तर्क भी प्रस्तुत किया था कि विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्रा प्रणालियाँ प्रचलित हैं और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न प्रकार की विनिमय दरों के माध्यम से ही होता है। विनिमय दरों की इन भिन्नताओं के कारण विभिन्न देशों में वस्तुओं की कीमतों में अन्तर उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रो० बटिल ओहलिन ने क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के इस तर्क का खण्डन किया

है। उनके अनुसार दो मुद्राओं की विनिमय दर दो देशों के बीच पाई जाने वाली लागत कीमत संरचनाओं (Cost-price structure) से सम्बन्धित होती है। विनिमय दर किसी मुद्रा की बाह्य क्रय-शक्ति को व्यक्त करती है और मुद्रा की बाह्य क्रय-शक्ति को उसकी आन्तरिक क्रय-शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। वास्तव में, किसी मुद्रा की बाह्य क्रय-शक्ति उसकी आन्तरिक क्रय-शक्ति का ही प्रतिबिम्ब (reflection) होती है। अतः अन्तर-प्रादेशिक एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के बीच कोई मूल-भूत अन्तर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रो० बर्टिल ओह्लिन का सुनिश्चित विचार है कि सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त (जो अन्तर-प्रादेशिक व्यापार की व्याख्या करता है) को बिना किसी बड़े सशोधन के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या करने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। अन्तर-प्रादेशिक व्यापार प्रमुखतया लागतों एवं कीमतों के अन्तर के कारण ही होता है। इसी प्रकार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार भी दो देशों के बीच लागतों एवं कीमतों के अन्तर के कारण होता है। अतः अन्तर प्रादेशिक एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के बीच कोई मूल-भूत अन्तर नहीं है। इस सन्दर्भ में क्षेत्र अथवा प्रदेश के विस्तार का प्रश्न कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। यही कारण है कि प्रो० बर्टिल ओह्लिन ने सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त का प्रयोग अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए किया है। आइये, अब हम मूल्य के सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त की व्याख्या करें।

मूल्य का सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त (General Equilibrium Theory of Value)

जैसा कि सुविदित है, किसी वस्तु की कीमत उसकी माँग एवं पूर्ति से निर्धारित होती है। किसी तैयार शुद्ध वस्तु की माँग तीन तत्वों पर निर्भर करती है (क) उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ एवं प्राथमिकताएँ (ख) उपभोक्ताओं की आय जो आगे चलकर दो अन्य तत्वों पर निर्भर करती है—(1) उत्पादन साधनों के स्वामित्व की शर्तें। (2) उत्पादन-साधनों की कीमतें। (ग) अन्य वस्तुओं की कीमतें। इसी प्रकार किसी तैयार शुद्ध वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन लागत (अथवा उत्पादन साधनों की कीमतों) तथा उत्पादन की भौतिक एवं तकनीकी अवस्थाओं पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत निम्नवत् तरीके से निकाली जाती है। वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने हेतु उत्पादन-साधन की कीमत को उस साधन की आवश्यक मात्रा से गुणा करने पर उस वस्तु की प्रति इकाई लागत निकाली जा सकती है। किसी वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने हेतु किसी साधन की आवश्यक मात्रा आगे चलकर सभी साधनों की कीमतों पर भी निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न उत्पादन साधनों की कीमतें इस बात का निर्धारण करती हैं कि उत्पादन हेतु विभिन्न साधनों को किस अनुपात में एक दूसरे से मिलाया गया है। इसके साथ ही साथ किसी वस्तु को उत्पादन लागत फर्म (Firm) द्वारा प्रयोग में लाई गई उत्पादन तकनीक से भी निर्धारित होती है।

सन्तुलन बिन्दु पर वस्तु की माँग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। यही नहीं, सन्तुलन बिन्दु पर वस्तु की कीमत भी उसकी उत्पादन लागत के बराबर होती है। (स्मरण रहे कि उत्पादन लागत में सामान्य लाभ भी सम्मिलित रहता है)। जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी वस्तु को उत्पादन-लागत में उन सभी साधनों की कीमतें सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग उस वस्तु के उत्पादन में किया जाता है।

आइये, अब हम उत्पादन साधनों की उन कीमतों की व्याख्या करें जो किसी वस्तु की उत्पादन लागत में सम्मिलित होती हैं। उत्पादन-साधनों की कीमतें उनकी माँग एवं पूर्ति से निर्धारित होती हैं। इन साधनों की माँग अन्ततः तैयार शुद्ध वस्तु की माँग पर निर्भर करती है क्योंकि ये साधन उस वस्तु के उत्पादन में प्रविष्ट होते हैं। तैयार शुद्ध वस्तु की माँग जितनी अधिक होगी उतनी ही इन साधनों की माँग भी अधिक होगी। किसी साधन की कुल माँग से अभिप्राय उस साधन की उन मात्राओं के योग से है जिनका प्रयोग विभिन्न उद्योग धन्धों में होता है। किसी उद्योग में किसी साधन की लपवाई गई मात्रा तैयार शुद्ध वस्तु की इकाइयों की संख्या एवं उनमें उस साधन की प्रयुक्त मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है। किसी तैयार शुद्ध उपभोक्ता वस्तु की माँग आंशिक रूप में उपभोक्ताओं की आय पर निर्भर करती है और उपभोक्ताओं की आय

आगे चलकर उत्पादन साधनों को उनकी सेवाओं के लिए चुकायी गई कीमतों पर निर्भर करती है। इसी प्रकार उत्पादन साधनों की पूति उनकी सेवाओं के बदले उपलब्ध होने वाली कीमतों पर निर्भर करती है। इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थिति में सभी मात्राएँ—तैयार शुदा वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ताओं की आय, तैयार शुदा वस्तु की माँग एवं पूति तथा उत्पादन साधनों की माँग व पूति—ये सभी मात्राएँ परस्पर एक दूसरे में सम्बन्धित हैं। प्रो० एल्सवर्थ (Ellsworth) के शब्दों में, 'ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुओं की कीमतें, उत्पादन साधनों की कीमतें, उपभोक्ताओं की आय, तैयार शुदा वस्तुओं की माँग, तथा उत्पादन साधनों की माँग एवं पूति—ये सभी एक प्रकार का जटिल समूह हैं। इसकी सभी मात्राएँ एक दूसरे पर निर्भर ही नहीं, बल्कि एक दूसरे से सम्बन्धित भी हैं। ये एक दूसरे को निर्धारित भी करती हैं। इस परिस्थिति में सम्मिलित किसी भी मात्रा को कारणतात्मक प्राथमिकता (causal priority) नहीं दी जा सकती। प्रत्येक मात्रा एक साथ अन्य मात्राओं पर अपना प्रभाव डालती है।' कीमतों की इस व्याख्या को ही मूल्य के सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त की सजा दी गई है। सामान्य सन्तुलन के अर्थ को एक सादृश्य प्रस्तुत करके प्रो० एल्सवर्थ ने स्पष्ट कर दिया है। उन्हीं के शब्दों में "सीर जगत एवं कीमत-प्रणाली में बहुत समानता पाई जाती है। दोनों ही एक ऐसे परस्पर निर्धारित सन्तुलन को प्रस्तुत करते हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु पर निर्भर करती है। इस सीर जगत में प्रत्येक नक्षत्र की स्थिति एवं गति सूर्य तथा अन्य नक्षत्रों की स्थिति एवं गति पर निर्भर करती है। किसी भी नक्षत्र की गतिशीलता को तब तक सही-सही निर्धारित नहीं किया जा सकता जब तक कि इस जटिल परिस्थिति में सम्मिलित प्रत्येक तत्व पहले से ही ज्ञात न हो। सत्य तो यह है कि इस परिस्थिति में सम्मिलित सभी तत्व एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस सन्दर्भ में डा० मार्शल ने भी एक सादृश्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक ऐसे कठोरदान का उदाहरण दिया है जिसमें इस्पात की गेंदें भरी हुई हैं। इस कठोरदान में प्रत्येक इस्पात गेंद की स्थिति अथ सभी गेंदों की स्थिति से निर्धारित होती है।"¹

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of International Trade)

प्रो० बर्टिल ओहलिन ने निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का निर्माण किया है—

- (1) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार केवल दो प्रदेशों के बीच ही होता है।
- (2) देशों के भीतर तो उत्पादन साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं लेकिन दोनों देशों के मध्य वे पूर्णतया अगतिशील होते हैं।
- (3) दोनों देशों के बीच वस्तुओं के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है।
- (4) परिवहन लागतें नहीं होती हैं।
- (5) वस्तु-सम्बन्धी सौदों पर ही ध्यान दिया जाता है और इस सन्दर्भ में निर्यातों का मूल्य आयातों के मूल्य के समतुल्य होता है।
- (6) दोनों प्रदेशों में उत्पादन साधनों के बीच किसी प्रकार का गुणात्मक अन्तर नहीं पाया जाता है।
- (7) प्रत्येक प्रदेश की अपनी पृथक कागजी मुद्रा प्रणाली होती है जो बाह्य, वित्तीय तत्वों से प्रभावित नहीं होती।

बर्टिल ओहलिन ने व्यक्तिगत विशेषज्ञता एवं अन्तर प्रादेशिक विशेषज्ञता के बीच पाई जाने वाली समानता पर बल दिया है। व्यक्तिगत विशेषज्ञता आंशिक रूप में व्यक्तिगत योग्यताओं एवं अभिवृत्तियों के अन्तरे के कारण होती है। साधारणतया व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी अभिवृत्तियों के अनुसार विशेषज्ञता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुछ व्यक्ति दक्ष शि-री (technicians) बनते हैं। कुछ श्रेष्ठ प्रशासनिक (executives) बनते हैं और कुछ

बढ़िया अध्यापक बनते हैं। यदि सभी व्यक्ति अपनी-अपनी अभिवृत्तियों के अनुसार पेशों को अपनायें तो व्यक्तिगत आय एवं कुल सामाजिक आय दोनों ही में अधिकतम वृद्धि होगी। इसी प्रकार विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में भी उत्पादन-साधनों एवं अन्य प्राकृतिक साधनों को लेकर भिन्नताएँ पाई जाती हैं। कुछ प्रदेशों में उपजाऊ भूमियों का बहुल्य होता है जबकि कुछ अन्य प्रदेशों में खाना एवं जंगलगत के व्यापक क्षेत्र पाये जाते हैं। कुछ ऐसे प्रदेश भी होते हैं जिनमें धन एवं पूँजी की बहुतायत होती है। यह प्रत्येक भौगोलिक प्रदेश के हित में ही होगा कि वह उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करे जिनके लिए उसके प्राकृतिक साधन उपयुक्त हों। इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश अपने प्राकृतिक साधनों एवं अन्य साधनों के अनुसार ही वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करता है। तब वह प्रदेश अपने माल का विनिमय अन्य प्रदेशों की उन वस्तुओं से करता है जिनमें उनको विशेषज्ञता प्राप्त होती है। बटिल ओहलिन के अनुसार उत्पादन-साधनों की भिन्नता ही अन्तर-प्रादेशिक व्यापार एवं विशेषज्ञता का कारण होती है। यह विनिमय बिल्कुल बसे ही होता है जैसा कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत योग्यताओं एवं अभिवृत्तियों के कारण विनिमय होता है। उत्पादन-साधनों की भिन्नता के कारण विभिन्न देशों की वस्तु कीमतों में अन्तर उत्पन्न हो जाते हैं और जाने चलकर कीमतों के ये अन्तर ही अन्तर-प्रादेशिक अथवा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का कारण बनते हैं। प्रो० एलसवर्थ (Ellsworth) के शब्दों में, 'वस्तुओं में अन्तर प्रादेशिक व्यापार का तत्काली कारण कीमतों में पाये जाने वाले अन्तर हैं। दूररे शब्दों में अन्तर प्रादेशिक अथवा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार कीमतों के कारण ही होता है।'¹

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि विभिन्न देशों में सापेक्ष कीमतों के अन्तर कैसे उत्पन्न होते हैं। बात दर असल यह है कि सापेक्ष वस्तु-कीमतों के अन्तर दोनो प्रदेशों में सम्बन्धित वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति पर निर्भर करते हैं। किसी वस्तु की माँग दो बातों पर निर्भर करती है। (क) उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ एवं प्राथमिकताएँ (ख) उपभोक्ताओं की आय। यह आगे चलकर उत्पादन साधनों के स्वामित्व की अवस्थाओं से निर्धारित होती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की पूर्ति भी दो बातों पर निर्भर करती है (क) उत्पादन साधनों की पूर्ति (ख) उत्पादन की तकनीकी अवस्थाएँ। बटिल ओहलिन के अनुसार उत्पादन की तकनीकी अवस्थाएँ तो सभी जगह एक जैसी होती हैं। अतः इस तत्त्व को सरलता से अपने विश्लेषण से बाहर रखा जा सकता है। परिणामतः सापेक्ष वस्तु-कीमतों के अन्तर अन्ततः दो तत्त्वों पर निर्भर करते हैं अर्थात् उत्पादन साधनों की माँग एवं पूर्ति। दोनो प्रदेशों में सभी वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें एक समान होंगी।

(1) यदि वस्तुओं की माँग को निर्धारित करने वाली शर्तें दोनो प्रदेशों में एक समान हैं अथवा उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ एवं उनकी आय दोनो प्रदेशों में एक समान है।

(2) यदि दोनो प्रदेशों में उत्पादन के साधन समान अनुपात में उपलब्ध होते हैं।

(3) यदि साधनों की पूर्ति में पाये जाने वाले अन्तर उनकी माँग-सम्बन्धी अवस्थाओं में पाये जाने वाले अन्तरों से पूर्णतया तटस्थ हो जाते हैं।

दोनों प्रदेशों में साधारणतया उपर्युक्त शर्तें वास्तविक व्यवहार में पूरी नहीं होती। अतः साधनों की माँग एवं पूर्ति में निश्चय ही अन्तर पाये जायेंगे। इन्हीं अन्तरों के कारण साधनों की कीमतों में भिन्नताएँ उत्पन्न हो जायेंगी और उन्हीं भिन्नताओं के कारण अन्ततः सापेक्ष वस्तु कीमतों में भी अन्तर उत्पन्न हो जायेंगे। अतः साधनों की कीमतों में पाये जाने वाले अन्तरों के कारण ही सापेक्ष वस्तु-कीमतों में अन्तर उत्पन्न हो जाते हैं। (स्मरण रहे कि साधनों की कीमतों में जो अन्तर पाये जाते हैं, वे दोनो प्रदेशों में उन साधनों की सापेक्ष दुर्लभताओं (relative scarcities) के कारण ही होते हैं।) बटिल ओहलिन के मुख्य निष्कर्ष का सारांश निम्न वत है।

(1) दो भौगोलिक प्रदेशों में सापेक्ष वस्तु-कीमतों के अन्तरों के कारण ही अन्तर प्रादेशिक अथवा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार होता है।

(2) दो प्रदेशों अथवा दो देशों में सापेक्ष वस्तु-कीमतों के अन्तर उत्पादन साधनों की सापेक्ष दुर्लभताओं के कारण होते हैं।

यदि किसी प्रदेश में भूमि का बाहुल्य है लेकिन श्रम तथा पूँजी की कमी है तो ऐसे प्रदेश में भूमि सस्ती होगी, जबकि श्रम एवं पूँजी सापेक्षतया महँगे होंगे। ऐसे प्रदेश में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा जिनके लिए भूमि की अधिक मात्रा लेकिन श्रम एवं पूँजी की कम मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरणार्थ, ऐसे प्रदेश में गेहूँ, ऊन तथा माँस इत्यादि वस्तुएँ सस्ती होगी। आस्ट्रेलिया इस प्रकार के प्रदेश का बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत करता है। आस्ट्रेलिया में भूमि तो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जबकि श्रम एवं पूँजी सापेक्षतया दुर्लभ है। इसके विपरीत, यदि किसी प्रदेश में पूँजी प्रचुर मात्रा में पायी जाती है लेकिन भूमि का अभाव है तो ऐसे प्रदेश में पूँजी सस्ती होगी जबकि भूमि सापेक्षतया महँगी होगी। ऐसे प्रदेश में अधिकांशतः उन वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा जिनमें पूँजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ग्रैंट ब्रिटेन इस प्रकार के प्रदेश का बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत करता है। पूँजी की प्रचुरता के कारण ग्रैंट ब्रिटेन ने पूँजी-प्रधान उद्योगों में विशेषज्ञता प्राप्त की है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सापेक्ष वस्तु-कीमतों के अन्तर ही अन्तर-प्रादेशिक एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का आधार प्रस्तुत करते हैं। सापेक्ष वस्तु-कीमतों के अन्तर अन्ततः दो प्रदेशों के उत्पादन-साधनों की सापेक्ष दुर्लभताओं के अन्तरो पर निर्भर करते हैं। यह मानते हुए कि अन्तर-प्रादेशिक व्यापार पहले से ही दिया हुआ (given) है, आइये अब हम उन सिद्धान्तों का विश्लेषण करें जो दो प्रदेशों के बीच व्यापार की शर्तों को निर्धारित करते हैं। उत्पादन-साधनों की भिन्नता का अभिप्राय तो केवल इतना ही है कि दोनों प्रदेशों में कुछ वस्तुएँ एक दूसरे की तुलना में सस्ती होती हैं। लेकिन उत्पादन साधनों की इस भिन्नता से ही हमें यह पता नहीं चलता कि दोनों प्रदेशों के बीच किन-किन वस्तुओं का व्यापार होगा। यह जानने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रदेश के क्रैतागण देशों एवं विदेशी वस्तुओं की कीमतों की तुलना करने की स्थिति में हो। दोनों प्रदेशों की कीमतों की तुलना करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों में एक ही मुद्रा का प्रयोग किया जाता हो। लेकिन यदि ऐसा नहीं है और दोनों प्रदेशों में अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है तो फिर इन दोनों मुद्राओं का सम्बन्ध एक दूसरे से विनिमय-दर के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए।

आइये, अब हम यह मानते हैं कि भारत और बंगला देश दो ऐसे प्रदेश हैं जिनमें एक ही मुद्रा का प्रयोग होता है। यदि इन दोनों के बीच कोई व्यापारिक सम्बन्ध नहीं है तो विभिन्न वस्तुओं की कीमतें उनकी अपनी-अपनी आन्तरिक माँगों एवं पूर्णियों के अनुसार निर्धारित होंगी। लेकिन यदि इन दोनों प्रदेशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं तो इससे एक प्रदेश की माँग का प्रभाव दूसरे प्रदेश की कीमत-प्रणाली पर निश्चय ही पड़ेगा। सापेक्षतया सस्ते साधनों द्वारा निर्मित वस्तुओं की घरेलू माँग में उन्हीं वस्तुओं की विदेशी माँग को भी जोड़ा जायेगा। इसके साथ साथ सापेक्षतया अधिक खर्चीले साधनों की वस्तुओं की घरेलू माँग दूसरे प्रदेश को स्थानान्तरित हो जायेगी। दोनों प्रदेशों में परस्पर माँगों के कारण साधनों की सापेक्ष कीमतों में अन्तर उत्पन्न हो जायेगा। परिणामतः दोनों प्रदेशों में सापेक्ष वस्तु-कीमतें भिन्न भिन्न हो जायेंगी। इससे दोनों प्रदेशों के बीच व्यापार का आधार उत्पन्न हो जायेगा। सतुलन की स्थिति स्थापित हो जायेगी और दोनों प्रदेशों के बीच समान मूल्य की वस्तुओं का आदान प्रदान होगा।

अब हम यह मान लेते हैं कि भारत और बंगला देश दोनों की अलग-अलग एवं स्वतन्त्र कागजी मुद्रा प्रणालियाँ हैं। अतः इन दोनों मुद्राओं के बीच निश्चय ही कोई न कोई विनिमय दर स्थापित होगी। धारतव में यह विनिमय दर एक ऐसा माध्यम प्रस्तुत करेगी जिससे दोनों प्रदेशों की परस्पर माँगें उनकी कीमतों पर प्रभाव डालेंगी। अब विनिमय दर एक अतिरिक्त तत्त्व प्रस्तुत करेगी जिसका प्रभाव दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर निश्चय ही पड़ेगा। दोनों प्रदेशों में पाये जाने वाले साधनों के कीमत-अन्तर विनिमय-दर के माध्यम से वस्तु-कीमतों के निर्देश अन्तरो में परिवर्तित हो जायेंगे। इस प्रकार विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों के कारण साधन-कीमतों में भी परिवर्तन होंगे और साधन-कीमतों के ये परिवर्तन आगे चलकर वस्तु-कीमतों में

अन्तरो का कारण बनेंगे। इस प्रकार अन्तर-प्रादेशिक अथवा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर विनिमय-दर का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसे निम्न सारिणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

सारिणी
विनिमय दर एवं साधन कीमतें
(Exchange Rate and Factor Prices)

उत्पादन साधन	साधन कीमतें		भारत में साधन कीमत जबकि विनिमय-दर एक बंगला देशी टका = दो भारतीय रुपये	भारत में साधन कीमत जबकि विनिमय-दर एवं बंगला देशी टका = तीन भारतीय रुपये
	बंगला देश टको में	भारतीय रुपये में		
1	2	3	4	5
A	एक टका	0 30	0 60	0 90
B	,	0 40	0 80	1 20
C	,	0 50	1 00	1 50
D	,	0 60	1 20	1 80
E	,	0 70	1 40	2 10
F	,	0 80	1 60	2 40

स्तम्भ नं 1 में हमने दानो देशो मे पाये जाने वाले A, B C D, E, F उत्पादन-साधनो को व्यक्त किया है। स्तम्भ नं 2 तथा 3 दोनो देशो मे इन साधनो की कीमतो को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है दोनो देशो मे साधनो की कीमतें भिन्न हैं। बंगला देश मे विभिन्न साधनो की कीमतें समान है अर्थात् प्रत्येक साधन की कीमत एक टका के बराबर है। इसके विपरीत, भारत मे विभिन्न साधनो की कीमत अलग-अलग है। भारत मे साधन A सबसे सस्ता है जबकि F सबसे महंगा है लेकिन व्यापार के लिए साधनो का सापेक्ष सस्तापन इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि समान मौद्रिक इकाई के रूप मे उनका निर्र्पेक्ष सस्तापन होता है। यह दोनो देशो के बीच विनिमय दर पर निर्भर करता है। स्तम्भ नं 4 एवं 5 भारत मे साधन कीमतो को बंगला देश की टका मुद्रा व रूप मे व्यक्त करते है। आइये हम अपना ध्यान स्तम्भ नं 4 पर केन्द्रित करें। साधन A तथा B बंगला देश की अपेक्षा भारत मे सस्ते है। लेकिन साधन D E F बंगला देश की अपेक्षा भारत मे महंगे हैं। इस प्रकार जब दोनो देशो के बीच विनिमय दर एक बंगला देश टका = दो भारतीय रुपये होती है तो प्रथम दो साधन भारत मे सस्ते पडते है और अंतिम तीन साधन भारत मे महंगे पडते है। आइये अब हम मान लें कि दोनो देशो के बीच विनिमय की दर है एक बंगला देश टका = तीन भारतीय रुपये (स्तम्भ नं 5 को देखिए) अब इस परिस्थिति मे A साधन बंगला देश की अपेक्षा भारत मे सस्ता है लेकिन अन्य सभी साधन बंगला देश की तुलना मे भारत मे महंगे पडते हैं। ऐसी परिस्थिति मे भारत उन वस्तुओ के उत्पादन मे विशेषज्ञता प्राप्त करेगा जिसमे सस्ते साधन अथवा A का प्रयोग अधिक पैमाने पर किया जाता है। इसके विपरीत बंगला देश उन वस्तुओ का उत्पादन करेगा जिनके लिए B, C, D E, F साधनो की आवश्यकता पडती है। इस प्रकार सस्ते साधनो से विभिन्न वस्तुएँ निर्यात बन जाती हैं जबकि महंगे साधनो द्वारा निर्भिन वस्तुएँ दूसरे देश से आयात की जाती हैं। इस प्रकार विनिमय दर प्रदर्शित करती है कि दोनो देशो मे कौन से साधन सस्ते तथा कौन से महंगे हैं। विनिमय दर मे होने वाले परिवर्तनो के परिणामस्वरूप दोनो देशो मे साधनो एव वस्तुओ की कीमतें अलग अलग होमी लेकिन स्मरण रहे कि विनिमय दर की अपनी कोई स्वतन्त्र भूमिका नहीं होती। दूसरे शब्दो मे, विनिमय दर अन्तर-प्रादेशिक अथवा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार एव कीमतो का अन्तिम निर्धारक नहीं होती। सत्य तो यह है कि विनिमय-दर एक प्रकार का साध्यम होती है। यह तो दोनो देशो की परस्पर माँगो स स्वयं निर्धारित होती है। यदि साधनो की पूर्ति एव उनकी धरेलू माँग तथा दोनो देशो की एक दूसरे की वस्तुओ की माँग पहले से ही दी हुई (given) है तो उनके बीच विनिमय दर ऐसी होगी जो आयातो और निर्यातो के मूल्यो मे समानता स्थापित करदे।

आइय, अब हम यह मान लें कि बगला देश और भारत के बीच विनिमय दर, बगला देश एक टका—दो भारतीय रुपये पर निश्चित होती है। यह स्पष्ट ही है इस विनिमय दर पर बगला देश की अपेक्षा A तथा B साधन भारत में सस्ते पड़ते हैं। अतः भारत उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनमें इन दोनों साधनों का उपयोग किया जाता है। भारत में A तथा B साधनों के तुलनात्मक सस्तेपन के कारण इन वस्तुओं का उत्पादन बगला देश की अपेक्षा भारत में सस्ते दामों पर होगा। इसके विपरीत, बगला देश उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनमें D, E तथा F का प्रयोग होता है क्योंकि ये साधन भारत की अपेक्षा बगला देश में सस्त पड़ते हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि ये वस्तुएँ भारत की अपेक्षा बगला देश में सस्ती होंगी। इस उदाहरण में बगला देश द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुएँ भारत की अपेक्षा सख्या में अधिक होंगी क्योंकि बगला देश को D, E तथा F साधनों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है जबकि भारत को केवल A तथा B में ही यह तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। परिणामतः भारतीय लोग बगला देश से अधिक मात्रा में वस्तुएँ खरीदेंगे लेकिन बगला देश के लोग भारत से इतनी अधिक मात्रा में वस्तुएँ नहीं खरीदेंगे क्योंकि भारत को केवल दो ही साधनों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। परिणामतः भारतीयों की बगला देश की मुद्रा की माँग काफी बढ़ जायेगी क्योंकि उन्हें बगला देश से इच्छित वस्तुओं का आयात करने के लिए अधिक मात्रा में बगला देश की मुद्रा की आवश्यकता होगी। लेकिन भारतीयों के पास बगला देश की मुद्रा की पूर्ण कम ही होगी क्योंकि भारत द्वारा बगला देश को भेजे गये निर्यातों की मात्रा कम ही रहती है। अतः विनिमय दर बगला देश के अनुकूल हो जायेगी। अब एक बगला देशी टका अधिक भारतीय रुपयों के बराबर होगा। मान लीजिए अब एक बगला देशी टका भारत के तीन रुपयों के बराबर ही जाता है जबकि पहले वह दो रुपयों के तुल्य ही था। यदि भारतीयों की बगला देश के माल की माँग और अधिक बढ़ती है तो विनिमय दर और अधिक बढ़ जायेगी और बढ़ती ही चली जायेगी जब तक कि वह एक ऐसे स्तर पर नहीं पहुँच जाती जहाँ पर आयातों का मूल्य निर्यातों के बिलकुल समान हो जाता है।

इस प्रकार अन्तर-प्रादेशिक व्यापार का मूल कारण दोनों प्रदेशों के बीच उत्पादन-साधनों की पूर्तियों में पाये जाने वाले अन्तर ही होते हैं। विभिन्न प्रदेशों में उत्पादन साधनों की भिन्नताओं के कारण ही अन्तर-प्रादेशिक व्यापार एव विशेषज्ञता का प्रारम्भ होता है। कतिपय उत्पादन साधनों की सापेक्ष प्रचुरता से अभिप्राय केवल उन साधनों के सस्तेपन से ही नहीं है बल्कि उन वस्तुओं के सस्तेपन से भी होता है जिनके उत्पादन में इन सस्ते साधनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। इस प्रकार अन्तर-प्रादेशिक व्यापार निषेध कीमत अन्तरों (absolute price differences) के कारण ही होता है। जैसे ही दोनों प्रदेशों के बीच विनिमय दर स्थापित हो जाती है, प्रत्येक प्रदेश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है जिनके लिए उसके प्राकृतिक साधन उपयुक्त होते हैं। आगे चलकर यह प्रदेश उन वस्तुओं का विनिमय दूसरे प्रदेश की उन वस्तुओं से करता है जिनके उत्पादन में उस प्रदेश को तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों प्रदेशों में उत्पादन साधनों की सापेक्ष दुर्लभतायें (relative scarcities) ही अन्तर-प्रादेशिक व्यापार का मूल कारण होती हैं। प्रो० बटिल ओह्लिन के शब्दों में 'अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत प्रचुर साधनों का विनिमय दुर्लभ साधनों से किया जाता है।'¹

सिद्धान्त का परिष्कार (Refinement of the Theory)—अन्तर-प्रादेशिक अथवा अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार के मूल कारण की व्याख्या करने के उपरान्त बटिल ओह्लिन ने अपने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में कुछ सुधार एव परिष्कार भी किये थे।

(1) प्रारम्भ में, उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के मूल कारण की व्याख्या दो देशों अथवा दो प्रदेशों को लेकर की थी। लेकिन उनका दावा है कि उनका यह सिद्धान्त दो से अधिक प्रदेशों अथवा देशों पर भी लागू होता है। उनके कथनानुसार यदि इस सिद्धान्त की दो से अधिक देशों अथवा प्रदेशों

पर भी लागू किया जाय तो इससे सिद्धान्त के मुख्य निष्कर्षों में कोई अन्तर नहीं पड़ता। बस, सिद्धान्त की व्याख्या तनिक जटिल हो जाती है।

(2) उन्होंने बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतों को भी अपने सिद्धान्त में सम्मिलित किया है और उनका यह दावा है कि इन बचतों को सिद्धान्त में सम्मिलित करने से अन्तर-प्रादेशिक व्यापार के लिये एक अतिरिक्त आधार उत्पन्न हो जाता है। बड़े पैमाने की बचतों को प्रदेशों के बीच कीमत अन्तरो को मजबूत नहीं करती, बल्कि उनको बढा भी देती है। इसमें अन्तर प्रादेशिक व्यापार को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है।

(3) प्रारम्भ में, बर्टिल ओहलिन ने अपने सिद्धान्त का निर्माण इस आधार पर किया था कि उत्पादन-साधनों में गुणात्मक भिन्नताएँ (qualitative differences) नदी पायी जाती लेकिन बाद में चलकर उन्होंने इस मान्यता का परित्याग कर दिया था। अब उन्होंने मान लिया था कि उत्पादन के तीन साधना जैसे भूमि, श्रम एवं पूँजी में गुणात्मक अन्तर पाये जाते हैं लेकिन उनका यह कहना था कि उत्पादन साधनों के उपयुक्त गुणात्मक अन्तरो को मान्यता देने पर भी उनके सिद्धान्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका यह कहना था कि अन्तर प्रादेशिक तुलनाओं के लिए इन साधनों को सरलतापूर्वक विभिन्न बर्णों में विभाजित किया जा सकता है।

(4) प्रो० ओहलिन के इस सिद्धान्त का प्रारम्भिक विवरण इस मान्यता पर आधारित था कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में परिवहन-लागतें नहीं होती। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषण को सरल बनाने के दृष्टि से ही उन्होंने यह मान लिया था कि परिवहन लागत नहीं होती। आगे चलकर ओहलिन ने इस मान्यता का परित्याग कर दिया था और परिवहन लागतों का अपने विश्लेषण में सम्मिलित कर लिया था। लेकिन परिवहन लागतों को विश्लेषण में सम्मिलित करने पर भी अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। परिवहन-लागतें दो प्रदेशों के बीच पाये जाने वाले कीमत-अन्तरो में कमी कर देती हैं। अब उनके कारण अन्तर-प्रादेशिक अथवा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में कमी हो जाती है।

(5) बर्टिल ओहलिन ने अपने सिद्धान्त में साधनों की अन्तर प्रादेशिक गतिशीलता में पाये जाने वाली बाधाओं की भी व्याख्या की है और उन्होंने यह बतलाया है कि किस प्रकार उत्पादन साधनों का आवागमन बस्तुओं के आवागमन का स्थान ले सकता है।

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव (Effects of International Trade)

बर्टिल ओहलिन का ही अनुकरण करते हुए अब हम अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों की व्याख्या करेंगे।

(1) वस्तु कीमतों की समानता (Equality of Commodity Prices)—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ता है कि इसके परिणामस्वरूप विश्व के विभिन्न प्रदेशों में वस्तुओं की कीमतों में समानता स्थापित हो जाती है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के कारण वस्तुओं का स्थानान्तरण प्रचुरता वाले क्षेत्रों से दुर्लभता वाले क्षेत्रों की ओर होता है। परिणामतः प्रचुरता वाले क्षेत्रों में कीमतों की वृद्धि होती है जबकि दुर्लभता वाले क्षेत्रों में कीमतों की कमी होती है। इससे विश्व के विभिन्न प्रदेशों में वस्तुओं की कीमतों में समानता स्थापित हो जाती है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि विश्व के विभिन्न प्रदेशों में वस्तु कीमतों की पूर्ण समानता स्थापित हो जाती है। इसका कारण यह है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह में आयात-करो एवं परिवहन लागतों जैसी अनेक बाधाएँ होती हैं।

(2) साधन कीमतों की समानता (Equality of Factor Prices)—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का एक अन्य प्रभाव यह पड़ता है कि इससे विश्व के सभी प्रदेशों के साधन-कीमतों की समानता उत्पन्न हो जाती है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के परिणामस्वरूप प्रदेश में दुर्लभ साधनों की माँग घट जाती है क्योंकि जिन वस्तुओं के उत्पादन में उन साधनों का प्रयोग होता है, उन्हें देश के भीतर उत्पादन न करके विदेशों से आयात किया जाता है। परिणामतः इन साधनों की कीमतें गिर जाती हैं। इससे विपरीत, उन प्रदेश में प्रचुर साधनों की माँग बढ़ जाती है क्योंकि इन साधनों का

प्रयोग घरेलू बाजार हेतु वस्तुओं का उत्पादन करने में ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजारों हेतु उत्पादन के लिए भी किया जाता है। परिणामतः इन साधनों की कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसी ही प्रक्रिया दूसरे प्रदेश में भी कार्यशील होती है। इसका परिणाम यह होता है कि दोनों प्रदेशों में साधनों की कीमतों में समानता स्थापित हो जाती है।

लेकिन साधन कीमतों में पूर्ण समानता दो कारणों से स्थापित नहीं हो सकती। प्रथम, कतिपय कारणों से किसी एक साधन की माँग एवं पूर्ति के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करना सम्भव नहीं होता है। उदाहरणार्थ, श्रम की माँग एवं पूर्ति में कतिपय स्थानीय कारणों से सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि किसी देश में श्रम का बाहुल्य है लेकिन श्रम की यह प्रचुरता देश के किसी एक विशेष क्षेत्र में केन्द्रित है। अब ऐसे क्षेत्र में श्रमिकों की मजदूरियाँ तब तक नहीं बढ़ेंगी जब तक श्रम का उपयोग करने वाले उद्योगों को उस विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में, यदि मजदूरियों में वृद्धि करनी है और उन्हें अन्य श्रम-अभाव वाले क्षेत्रों की मजदूरियों के समतुल्य बनाना है तो श्रम की माँग को उस विशिष्ट क्षेत्र में ही केन्द्रित करना होगा। दूसरे, यदि साधन-कीमतों में कुछ समानता स्थापित हो जाती है तो वह अल्पकाल तक टिक नहीं सकेगी। यदि सभी देशों में साधन कीमतें एक समान हो जाती हैं तो अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का आधार ही समाप्त हो जायेगा। स्मरण रहे, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तभी होता है जब विभिन्न देशों की साधन-कीमतों में अन्तर पाये जाते हैं। साधन-कीमतों के ये अन्तर यदि समाप्त हो जाते हैं तो अन्तरराष्ट्रीय व्यापार भी ठप्प हो जायेगा। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को इस समाप्ति के परिणामस्वरूप दोनों प्रदेशों में प्राकृतिक साधनों की मूल विषयमतायें पुनः उत्पन्न हो जायेंगी।

(3) अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञता के लाभ (Advantages of International Specialisation) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के परिणामस्वरूप श्रम विभाजन अथवा विशेषज्ञता उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन-साधनों का समुचित उपयोग होता है तथा वास्तविक उत्पादन में अधिकतम वृद्धि होती है। प्रत्येक प्रदेश अपने उत्पादन साधनों का अत्यन्त दक्षता से उपयोग करता है। प्रत्येक प्रदेश अपने साधनों का उन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग करता है जिनके लिए वे उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार उत्पादित की गई वस्तुओं का वह प्रदेश अन्य प्रदेशों की उन वस्तुओं से विनिमय करता है जहाँ वे वस्तुएँ सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं। अतः भौगोलिक विशेषज्ञता के परिणामस्वरूप सभी देश अपने उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करके लाभ उठाते हैं।

(4) माँग की मात्रा एवं इसके स्वरूप पर प्रभाव (Effect on the Volume and Nature of Demand)—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं की माँग को दो प्रकार से प्रभावित करता है। प्रथम, यह अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले प्रदेशों के निवासियों की आय में वृद्धि करके माँग की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरे, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच सम्पर्क स्थापित करके माँग के स्वरूप को भी बदल देता है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अभाव में लोगों की माँग केवल उन वस्तुओं तक ही सीमित रहती है जो घरेलू बाजार में उपलब्ध होती हैं। लेकिन अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप लोगों की आकांक्षाओं एवं उनके आस्वादों में परिवर्तन हो जाते हैं और वे उन वस्तुओं की भी माँग करने लगते हैं जिनका आयात केवल विदेशों से ही किया जा सकता है। प्रो० एल्सवर्थ (Ellsworth) के शब्दों में "यदि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार न होता तो अमरीकियों का राष्ट्रीय पेय कौफी के बजाय पोस्म होता। यदि सिनेमा फिल्मों का आयात न होता तो ब्रिटेन-वासी होलीवुड के विभिन्न दृश्यों का आनन्द न उठा पाते"।¹

(5) आधुनिक उद्योगवाद (Modern Industrialism)—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार वह मूल शक्ति है जिसने विश्व में उद्योगवाद को प्रोत्साहित किया है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अभाव में आधुनिक औद्योगिक समाज की स्थापना नहीं हो सकती थी। व्यापक बाजार प्रस्तुत करके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार ने विशालस्तरीय उत्पादन एवं यन्त्रीकरण को सम्भव बनाया है। इसने उद्योग

धन्यो मे तकनीकी आविष्कारो को भी प्रोत्साहित किया है। यही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार ने मानव के हितार्थ खनिज साधनों का उपयोग करने में भी सहायता दी है। इसके परिणामस्वरूप कृषि एवं उद्योग धन्यो में लगे श्रमिकों की कार्यक्षमता में भी सुधार हुआ है। वास्तव में, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के बिना वर्तमान औद्योगिक समाज मध्ययुगीन (mediaeval) ही होता।

अन्तर प्रादेशिक साधनों एवं वस्तुओं का आवागमन (Inter-regional Factor and Commodity Movements)

उत्पादन के विभिन्न साधनों में भूमि सबसे अधिक अगतिशील है लेकिन श्रम एवं पूँजी इतने अगतिशील नहीं होते जितनी कि भूमि। श्रम एवं पूँजी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय तथा एक उद्योग से दूसरे उद्योग को स्थानान्तरित होते रहते हैं। लेकिन श्रम एवं पूँजी की यह गतिशीलता किसी भी अर्थ में पूर्ण नहीं होती। वास्तव में श्रम के आवागमन में कई प्रकार की बाधाएँ होती हैं। सत्य तो यह है कि व्यवसायो एवं स्थानों को बदलने के प्रति श्रम की मनोवैज्ञानिक अपेक्षा होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा सम्बन्धी तत्व श्रम की गतिशीलता को अवरोध करते हैं। लेकिन श्रम की गतिशीलता के मार्ग में सबसे गम्भीर बाधा तो आवागमन पर होने वाला वित्तीय व्यय होता है। श्रम की भाँति पूँजी भी पूर्णतया गतिशील नहीं होती। पूँजी की गतिशीलता में भी मुख्य बाधा मनोवैज्ञानिक ही होती है। साधारणतः पूँजीपति दूरस्थ स्थानों में अथवा विदेशों में अपनी पूँजी लगाने के अनिच्छुक होते हैं क्योंकि वे किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहते। वास्तव में, विदेशों में पूँजी लगाना जोखिमपूर्ण होता है क्योंकि वहाँ इस बात की संदेह सम्भावना रहती है कि कहीं उसका राष्ट्रीयकरण न कर दिया जाय अथवा उसे जन्त व कर लिया जाय।

लेकिन उपर्युक्त बाधाओं के बावजूद भी श्रम एवं पूँजी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर स्थानान्तरित होते रहते हैं। इसका मुख्य कारण मजदूरियाँ तथा व्याज दरों में अन्तरो का होना है। श्रम एवं पूँजी कम पारिश्रमिक वाले क्षेत्रों से ऊँचे पारिश्रमिक वाले क्षेत्रों को स्थानान्तरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्रम एवं पूँजी उस क्षेत्र से (जहाँ उनकी पूर्ति अधिक होती है) उस दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवृत्त होते हैं (जहाँ उनकी पूर्ति दुर्लभ होती है)। इस अन्तर-प्रादेशिक गतिशीलता के परिणामस्वरूप साधनों की कीमतों में समानता स्थापित हो जाती है।

अब हम साधनों के आवागमन (Movements) एवं वस्तुओं के आवागमन के परस्पर सम्बन्ध की विवेचना करेंगे। वस्तुओं का आवागमन (अथवा व्यापार) साधनों के आवागमन की अनावश्यक बना देना है। व्यापार की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतनी ही वस्तुओं एवं साधनों की कीमतों में समानता अधिक होगी। साधनों की कीमतों में जितनी समानता अधिक होगी, उतना ही उनका आवागमन कम होगा। इस प्रकार वस्तुओं का आवागमन साधनों के आवागमन का स्थान ले लेता है। यह तो चित्र का एक ही पहलू है लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही सही है। साधनों का आवागमन भी कभी कभी वस्तुओं के आवागमन का स्थान ग्रहण कर लेता है। यदि प्राकृतिक साधनों में अन्तर-प्रादेशिक भिन्नताएँ पायी जाती हैं तो दो प्रदेशों के बीच साधन-कीमतों में निश्चय ही अन्तर होगा। साधन कीमतों के अन्तरो के परिणामस्वरूप दोनों प्रदेशों के बीच उनका आवागमन होगा। साधनों के इस आवागमन के परिणामस्वरूप उनकी कीमतों में समानता स्थापित हो जायेगी। साधन कीमतों में समानता होने के परिणामस्वरूप वस्तु-कीमतों में भी समानता स्थापित हो जायेगी। वस्तु कीमतों की इस समानता से अन्तर-प्रादेशिक व्यापार की मात्रा स्वतः ही घट जायेगी। इस प्रकार साधनों का आवागमन, वस्तुओं के आवागमन के स्थान को ग्रहण कर लेगा। संक्षेप में, वस्तुओं का आवागमन तथा साधनों का आवागमन एक दूसरे के स्थानापन्न है।

परिष्ठा प्रश्न एवं उनके संक्षिप्त संकेत

1 "अन्तरराष्ट्रीय व्यापार अन्तर-स्थानीय अथवा अन्तर-प्रादेशिक व्यापार की ही विशेष अवस्था है।" (बर्टल ओह्लिन) विवेचना कीजिए।

"International trade is but a special case of inter-local or inter-regional trade." (Bertil Ohlin), Discuss.

[सकेत—क्लासीकल अर्थशास्त्री अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के एक पृथक सिद्धान्त का विकास करने के पक्ष में थे। लेकिन बटिल ओहलिन उनसे सहमत नहीं थे। ओहलिन के अनुसार जो विश्लेषण अन्तर-प्रादेशिक व्यापार पर लागू होता है उसी में थोड़ा सशोधन करके उस अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू किया जा सकता है। यहाँ पर आप उन सभी तर्कों को प्रस्तुत कीजिए जो क्लासीकल अर्थशास्त्रियों ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धान्त के पक्ष में दिये थे। आप यह भी बतलायें कि ओहलिन ने उन तर्कों का खण्डन किस प्रकार किया था।]

2 मूल्य के सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

[सकेत—यहाँ पर आप एकाकी बाजार को लेकर मूल्य के सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। (उपर्युक्त अध्याय को देखिये)।]

3 बटिल ओहलिन के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

[सकेत—मूल्य के सामान्य सन्तुलन सिद्धान्त की सक्षिप्त चर्चा करते हुए आप यह स्पष्ट कीजिए कि बटिल ओहलिन ने किस प्रकार इस सिद्धान्त को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया था। उनके अनुसार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का मूल कारण विभिन्न प्रदेशों में उत्पादन साधनों की पूर्ति में पायी जाने वाली भिन्नताएँ होती हैं। (उपर्युक्त अध्याय को देखिये)।]

4 वस्तुओं का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन साधनों के अन्तरराष्ट्रीय आवागमन का स्थानापन्न होता है। विवेचना कीजिए।

[सकेत—वस्तुओं के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में जब वृद्धि होती है तो उससे वस्तु कीमतों एवं साधनों कीमतों में समानता स्थापित हो जाती है। इससे उत्पादन साधनों का अन्तरराष्ट्रीय आवागमन अनावश्यक हो जाता है। (देखिये उपर्युक्त अध्याय)।]

18

भुगतान का सन्तुलन (Balance of Payments)

भुगतान-सन्तुलन या अदायगी शेष (balance of payments) तथा व्यापार-सन्तुलन (balance of trade) में अन्तर है। व्यापार-सन्तुलन किसी देश के आयातों तथा निर्यातों के अन्तर की ओर संकेत करता है। तब किसी देश के निर्यात उसके आयातों की तुलना में अधिक होते हैं, तब उसका व्यापार सन्तुलन अनुकूल (favourable) होता है। इसके विपरीत जब किसी देश के आयात उसके निर्यातों की अपेक्षा अधिक होते हैं तब उसका व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल (unfavourable) होता है। परन्तु भुगतान सन्तुलन, व्यापार-सन्तुलन से भिन्न होता है। भुगतान-सन्तुलन में व्यापार-सन्तुलन के अतिरिक्त और भी कई मदें सम्मिलित की जाती हैं। इसका कारण यह है कि दो देशों के बीच वस्तुओं के आयात निर्यात के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के लेन-देन होते हैं, इसलिए भुगतान सन्तुलन में व्यापार-सन्तुलन के अतिरिक्त बीमा, जहाजों भाड़े, बैंक शुल्क, पूंजी एवं व्याज का स्थानांतरण तथा अन्य सेवाओं के पुरस्कारों को भी सम्मिलित किया जाता है। व्यापार सन्तुलन तथा भुगतान-सन्तुलन के अन्तर को समझने के लिए प्रत्यक्ष व्यापार (direct trade) तथा अप्रत्यक्ष व्यापार (indirect trade) के अन्तर को समझना भी आवश्यक है। प्रत्यक्ष व्यापार में उन आयातों तथा निर्यातों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें बन्दरगाहों पर लेखांकित किया जाता है। इस प्रकार की मदों को विदेशी व्यापार की दृश्य मदें (visible items) कहते हैं। अप्रत्यक्ष व्यापार में वे आयात तथा निर्यात सम्मिलित होते हैं जिन्हें बन्दरगाहों पर लेखांकित नहीं किया जाता है। इस प्रकार की मदों को विदेशी व्यापार की अदृश्य मदें (invisible items) कहते हैं। व्यापार-सन्तुलन में केवल विदेशी व्यापार की दृश्य मदों को ही सम्मिलित किया जाता है जबकि भुगतान सन्तुलन में दृश्य तथा अदृश्य दोनों प्रकार की मदों को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार भुगतान-सन्तुलन व्यापार-सन्तुलन की तुलना में अधिक विस्तृत धारणा है। भुगतान-सन्तुलन को कभी कभी खाते का सन्तुलन (balance of account) तथा अन्तरराष्ट्रीय ऋण का सन्तुलन (balance of international indebtedness) भी कहा जाता है। व्यापार सन्तुलन की भाँति भुगतान-सन्तुलन भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल हो सकता है।

व्यापार सन्तुलन तथा भुगतान-सन्तुलन का सापेक्षिक महत्त्व—व्यापार सन्तुलन की अपेक्षा भुगतान सन्तुलन अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। वास्तव में, किसी देश की आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस देश के भुगतान-सन्तुलन का अध्ययन किया जाता है, व्यापार सन्तुलन का नहीं। व्यापार-सन्तुलन तो भ्रमपूर्ण होता है। उससे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सही-सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व ब्रिटेन के प्रति भारत का व्यापार सन्तुलन बहुत अनुकूल हुआ करता था। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत एक समृद्धशाली देश था। इसके विपरीत ब्रिटेन का भारत के प्रति व्यापार-सन्तुलन बहुत प्रतिकूल हुआ करता था, यद्यपि ब्रिटेन एक अत्यन्त विवसित तथा समृद्धशाली देश था। इस प्रकार किसी देश के व्यापार सन्तुलन के अध्ययन से ही उस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए तो हमें उस देश के भुगतान सन्तुलन का

अध्ययन करना होगा। दूसरे विश्वयुद्ध से पूर्व ब्रिटेन के प्रति भारत का भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल हुआ करता था। भुगतान-सन्तुलन की यह प्रतिकूलता इस बात का स्पष्ट प्रमाण थी कि भारत आर्थिक दृष्टि से एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था। भारत ब्रिटेन से वस्तुओं के अतिरिक्त कई प्रकार की सेवाओं का भी आयात किया करता था। जैसा ऊपर बताया गया है, इस प्रकार की सेवाओं का बन्दरगाहों पर लेखाकन नहीं होता। इन सेवाओं का मूल्य चुकाने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर ब्रिटेन को वस्तुओं का निर्यात करना पड़ता था। इसके विपरीत, ब्रिटेन का भारत के प्रति भुगतान सन्तुलन बहुत ही अनुकूल था, क्योंकि ब्रिटेन भारत को वैकिंग, बीमा, जहाज सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करता था और इन सेवाओं के बदले वह भारत से वस्तुएँ प्राप्त करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भुगतान-सन्तुलन के अध्ययन से ही किसी देश की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। भारत के पिछड़ेपन के कारण इसका भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल था और ब्रिटेन के अत्यन्त विकसित होने के कारण उसका भुगतान-सन्तुलन अनुकूल था। अतः भुगतान-सन्तुलन की अनुकूलता या प्रतिकूलता से ही देश की आर्थिक स्थिति के बारे में आभास होता है।

भुगतान-सन्तुलन की मदें

(Items of Balance of Payments)

भुगतान सन्तुलन की गणना करते समय देश के सभी विकल्पों (ऋण) (debits) तथा सभी समाकल्पों (credits) को सम्मिलित किया जाता है। किसी देश का भुगतान सन्तुलन प्रदर्शित करने के लिए एक विवरण (statement) तैयार किया जाता है। इसके बायीं ओर सभी प्रकार के निर्यातों (दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार के निर्यातों) तथा उनके मूल्यों का विस्तारपूर्वक ब्योरा दिया जाता है और दायीं ओर सभी आयातों (दृश्य तथा अदृश्य दोनों प्रकार के आयातों) तथा उनके मूल्यों का विस्तारपूर्वक ब्योरा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार बायीं ओर के विवरण के मूल्यों का योग वह राशि होती है जो उस देश को विदेशों से प्राप्त होती है और दायीं ओर के विवरण के मूल्यों का योग वह राशि होती है जिसे वह देश विदेशों को देता है। बायीं ओर की राशि तथा दायीं ओर की राशि के अन्तर से भुगतान-सन्तुलन का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यदि बायीं ओर की राशि दायीं ओर की राशि से अधिक है तो भुगतान सन्तुलन अनुकूल होगा। इसके विपरीत, यदि दायीं ओर की राशि बायीं ओर की राशि से अधिक है तो भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल होगा। भुगतान सन्तुलन के विवरण का एक नमूना निम्न प्रकार है

भुगतान सन्तुलन का विवरण (रूपरेखा में)

लेन या निर्यात (Credits)	देन या आयात (Debits)
1 वस्तुओं का निर्यात	1 वस्तुओं का आयात
2 सेवाओं के निर्यात से विदेशों से प्राप्त होने वाली आय (क) व्यापारिक कम्पनियों द्वारा की गयी सेवाएँ (ख) विशेषज्ञों की सेवाएँ (ग) यात्रियों की सेवाएँ	2 सेवाओं के आयात का विदेशों को भुगतान (क) व्यापारिक कम्पनियों द्वारा की गयी सेवाएँ (ख) विशेषज्ञों की सेवाएँ (ग) यात्रियों की सेवाएँ
3 विदेशी ऋण तथा पूँजी से प्राप्त आय, मूलधन, ब्याज तथा लाभ	3 विदेशी ऋण तथा पूँजी का भुगतान, मूलधन, ब्याज तथा लाभ
4 विदेशी सरकारों द्वारा देश में किया गया व्यय	4 सरकार का विदेशों में किया गया व्यय
5 लोगों के आवसर्ग से प्राप्त होने वाला धन	5 लोगों के उत्प्रवास के कारण विदेशों को जाने वाला धन
6 विदेशों से प्राप्त दण्ड, दान, क्षतिपूर्ति आदि	6 विदेशों को दिया गया दण्ड, दान, क्षतिपूर्ति आदि

अब हम उपर्युक्त विवरण में सम्मिलित की गयी विभिन्न मदों का अध्ययन करेंगे :

(1) **वस्तुओं का आयात-निर्यात**—किसी देश के निर्यातों तथा आयातों का उसके भुगतान सन्तुलन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन आयातों तथा निर्यातों में केवल वस्तुएँ ही नहीं, बल्कि सोना-चाँदी आदि भी सम्मिलित हैं।

(2) **सेवाएँ**—जैसा विदित है, कुछ देश अन्य देशों को वस्तुओं का निर्यात करने के अतिरिक्त उनके लिए अनेक प्रकार की सेवाएँ भी करते हैं और इन सेवाओं के बदले उनसे मूल्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की सेवाएँ अदृश्य आयात-निर्यात में सम्मिलित की जाती हैं। मुख्यतः ये सेवाएँ दो प्रकार की होती हैं—**(क) व्यापारिक कम्पनियों द्वारा की गयी सेवाएँ**—किसी देश की व्यापारिक कम्पनियाँ, बैंक, बीमा कम्पनियाँ तथा जहाजी कम्पनियाँ, जब किसी अन्य देश के लिए सेवाएँ करती हैं तब इनको इन सेवाओं के बदले शुल्क या कमीशन प्राप्त होता है। जिस देश द्वारा इस प्रकार की सेवाएँ की जाती हैं, उसके लिये अदृश्य निर्यात (invisible exports) हैं और जो देश इन सेवाओं को प्राप्त करता है, उसके लिये ये अदृश्य आयात (invisible imports) हैं, **(ख) विशेषज्ञों की सेवाएँ**—कभी-कभी एक देश दूसरे देश को अपने विशेषज्ञों की सेवाएँ भी प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, अमरीका, ब्रिटेन, भारत को समय-समय पर अपने तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रदान करते रहते हैं। इन विशेषज्ञों को उनकी सेवाओं के बदले वेतन चुकाये जाते हैं। जो देश इन विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रदान करता है उसके लिये इनकी सेवाएँ अदृश्य निर्यात होती हैं और जिस देश को इनकी सेवाएँ प्राप्त होती हैं, उसके लिये ये अदृश्य आयात होते हैं।

(3) **ऋण व ब्याज का लेन-देन**—कभी-कभी कुछ देश अन्य देशों को अल्पकाल एवं दीर्घ काल के लिये ऋण भी देते हैं। जब एक देश दूसरे देश को ऋण की रकम भेजता है, तब उसके लिये वह अदृश्य आयात होता है। जिस देश को ऋण दिया जाता है उसके लिये वह अदृश्य निर्यात के समान होता है। उसी प्रकार जब ऋण या इसके ब्याज का भुगतान किया जाता है तब ऋण या ब्याज को चुकाने वाला देश ऋणी देश और उसको प्राप्त करने वाला देश ऋण दाता के समान होता है।

(4) **सरकारों का व्यय**—प्रत्येक देश की सरकार दूसरे देशों में अपने दूतावासों पर कुछ व्यय करती है। इसी प्रकार एक विजेता देश विजित देश से अपनी क्षतिपूर्ति (reparations) वसूल करता है। कभी-कभी दो देशों की सरकारों में रकमों का लेन-देन भी होता है। इस स्थिति में जो ऋणदाता (creditor) होता है उसके लिये यह राशि अदृश्य आयात और जो देश ऋणी होता है उसके लिए यह राशि अदृश्य निर्यात के समान होती है।

(5) **लोगों का आवासन-उत्प्रवास**—जब एक देश में रहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर बस जाता है तब वह अपने साथ अपना धन तथा जमा-राशि ले जाता है। जिस देश से वह व्यक्ति जाता है, उसके लिये यह अदृश्य आयात के समान और जिस देश को घन जाता है उसके लिए यह राशि अदृश्य निर्यात के समान है।

(6) **विदेशों से प्राप्त षण्ड, दान तथा क्षति पूर्ति आदि**—कभी-कभी एक देश दूसरे देश से षण्ड, क्षतिपूर्ति अथवा दान के रूप में कुछ रकम वसूल करता है। इससे भी उस देश के भुगतान-सन्तुलन पर प्रभाव पड़ता है।

भुगतान-सन्तुलन में असमानता तथा उसके उपचार (Disequilibrium in Balance of Payments and Its Remedies)

कभी कभी किसी देश के भुगतान-सन्तुलन में कुछ कारणों से असमानता उत्पन्न हो जाती है तथा इस असमानता के कारण उस देश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः भुगतान-सन्तुलन को इस असमानता को दूर करने के लिए उस देश द्वारा कई प्रकार के उपाय किये जाते हैं। स्वर्णमान के अन्तर्गत, भुगतान-सन्तुलन की असमानता स्वतः ही स्वर्ण के आयात-निर्यात से दूर हो जाया करती थी, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में भुगतान सन्तुलन की यह असमानता स्वतः ही दूर नहीं होती, बल्कि इसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा सक्रिय कदम उठाये जाते हैं। ये इस प्रकार हैं :

(1) निर्यातों को प्रोत्साहन देना—भूगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उस देश के निर्यातों को अधिक से अधिक बढ़ाया जाय। निर्यातों को दो तरीकों में प्रोत्साहित किया जा सकता है (क) निर्यात करों में कमी—निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए उन पर लगे करों में भारी कमी कर देनी चाहिये, ताकि विदेशों को ये निर्यात मस्ते पड़ें और वे अधिक से अधिक मात्रा में इन्हें खरीद सकें। (ख) देश के उद्योगों को आर्थिक सहायता देना—निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि देश के निर्यात-उद्योगों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाय, ताकि वे अपनी उत्पादन-सामग्री को कम करके विदेशी उद्योगों का मुकाबला कर सकें।

(2) आयातों में कमी करना—भूगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिये देश के आयातों में कमी करना नितान्त आवश्यक होता है। किसी देश के आयातों को निम्न-लिखित उपायों से कम किया जा सकता है —

(1) नये आयात-कर लगाना तथा पुराने आयात-करों में वृद्धि करना—आयातों को कम करने के लिये उन पर कर लगाये जाने चाहिये और जिन आयातों पर पहले से ही कर लगे हुए हैं, उनमें वृद्धि कर देनी चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि इस प्रकार के आयात देश के लिए महँगे हो जाते हैं। परिणामतः उनकी माँग कम हो जाती है।

(ii) आयात क़ोटा प्रणाली (Import Quota System)—देश के आयातों को क़ोटा प्रणाली द्वारा भी कम किया जा सकता है। इस प्रणाली के भी कई रूप हैं

(क) लाइसेंस क़ोटा प्रणाली (Licence Quota System)—इसके अन्तर्गत, आयात-कर्ताओं को वस्तुएँ आयात करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने पड़ते हैं, और ये लाइसेंस सरकार द्वारा देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही दिये जाते हैं।

(ख) एक-पक्षीय क़ोटा प्रणाली (Unilateral Quota System) - इस प्रणाली के अन्तर्गत देश अपने आयातों पर दो प्रकार के प्रतिबंध लगा देता है (1) विश्व क़ोटा (Global Quota)—इसके अन्तर्गत सरकार प्रत्येक आयात की जाने वाली वस्तु का क़ोटा निश्चिन कर देती है। इससे अधिक मात्रा में वस्तु का आयात नहीं किया जा सकता, परन्तु इस मात्रा तक वस्तु का आयात किसी भी देश से किया जा सकता है। (2) विभाजित क़ोटा (Allocated Quota)—इसके अन्तर्गत सरकार न केवल आयात की जाने वाली वस्तु का क़ोटा ही निश्चिन करती है बल्कि यह भी तय कर देती है कि उस क़ोटे का कितना-कितना भाग विभिन्न देशों से मँगाया जा सकता है।

(iii) द्विपक्षीय क़ोटा प्रणाली (Bilateral Quota System)—इसके अन्तर्गत, आयात की जाने वाली वस्तु का अधिकतम क़ोटा सरकार द्वारा निश्चिन कर दिया जाता है और इस मात्रा तक का आयात पर रियायतों के दर पर आयात-कर वसूल किया जाता है, परन्तु यदि आयात-कर्ता इस क़ोटे से अधिक मात्रा में वस्तु का आयात करना चाहते हैं, तब उन्हें आयात पर दण्ड के रूप में ऊँचा आयात-कर चुकाना पड़ता है।

(3) मुद्रा-अवमूल्यन (Currency Devaluation)—भूगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिये कभी-कभी मुद्रा-अवमूल्यन का भी सहारा लिया जाता है। मुद्रा-अवमूल्यन से अभिप्राय देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय शक्ति को कम करने से है, अर्थात् विदेशी मुद्रा के रूप में देश की मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह होगा कि देश के निर्यात मस्ते हो जाने के कारण प्रोत्साहित होने लगते हैं। इसके विपरीत, मुद्रा-अवमूल्यन से देश के आयात महँगे होकर हतोत्साहित होने लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में कम कर दिया जाता है तो विदेशों में उस देश की मुद्रा की शक्ति कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में, विदेशों से आयात किया गया माल महँगा पड़ता है और इसी कारण देश के आयात हतोत्साहित होने लगते हैं। इसके विपरीत, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्राओं की अवमूल्यित मुद्रा के रूप में शक्ति बढ़ जाती है। परिणामतः विदेशी लोग उस देश से अधिक मात्रा में वस्तुओं का आयात करने लगते हैं। इससे उस देश के निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है। सितम्बर 1949 में भारत ने अपने भूगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर

करने के लिए रुपये का अवमूल्यन कर दिया था। अवमूल्यन से पूर्व भारतीय रुपये का डालर मूल्य 30:25 सेण्ट था। परन्तु अवमूल्यन के पश्चात् भारतीय रुपया 21 सेण्ट के बराबर हो गया था। भारतीय रुपये के इस अवमूल्यन से भारत के निर्यातों को प्रोत्साहन मिला था। इसका कारण यह था कि अवमूल्यन से पूर्व एक अमरीकी व्यापारी को 30 सेण्ट खर्च करने पर एक रुपया मिलता था। अवमूल्यन के पश्चात् अब केवल 21 सेण्ट के बदले में ही अमरीकी व्यापारी को एक रुपया मिलने लगा। परिणामतः भारतीय माल अमरीका में सस्ता हो गया। इसके विपरीत, अवमूल्यन से पूर्व एक भारतीय व्यापारी को 1 रुपये के बदले में 30 सेण्ट उपलब्ध होते थे, परन्तु अवमूल्यन के पश्चात् उसे 1 रुपये के बदले में केवल 21 सेण्ट ही मिलने लगे। इससे अमरीकी माल भारत में महँगा हो गया। इस प्रकार मुद्रा अवमूल्यन से देश के आयातों में कमी होती है और निर्यातों में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप भूगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता कम हो जाती है। स्मरण रहे 6 जून, 1966 को भारतीय रुपये का पुनः अवमूल्यन कर दिया गया था। इसका उद्देश्य भारत के भूगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर अथवा कम करना था। अब एक भारतीय रुपया 13 अमरीकी सेण्टों के बराबर हो गया था।

(4) विनिमय-ह्रास (Exchange Depreciation)—यह उपाय मुद्रा अवमूल्यन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसके अन्तर्गत भी विदेशी विनिमय की दर में कमी हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप आयात निरस्तहित तथा निर्यात प्रोत्साहित होते हैं। परिणामतः भूगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता में कमी हो जाती है। परन्तु मुद्रा-अवमूल्यन तथा विनिमय-ह्रास में दो अन्तर भी हैं—(क) मुद्रा-अवमूल्यन देश की सरकार द्वारा कानून के अन्तर्गत किया जाता है। इसके विपरीत, विनिमय ह्रास सरकार द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि देश की आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम-होता है, (ख) मुद्रा अवमूल्यन के अन्तर्गत न केवल विदेशी मुद्रा के रूप में देशी मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है बल्कि देश में प्रचलित स्वर्ण सिक्कों के स्वर्ण अनुपात को भी कम कर दिया जाता है। इसके विपरीत, विनिमय ह्रास में स्वर्ण के प्रचलित सिक्कों के स्वर्ण अनुपात को कम नहीं किया जा सकता।

(5) मुद्रा-सकुचन (Money Contraction)—भूगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए यदि कोई देश मुद्रा अवमूल्यन को उचित नहीं समझता तो ऐसी परिस्थिति में वह अपनी मुद्रा को संकुचन करके भूगतान-सन्तुलन को असमता को दूर कर सकता है। जैसा विदित है, मुद्रा संकुचन के परिणामस्वरूप देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें कम हो जाती हैं। इससे देश के निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है, परन्तु आयात हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार भूगतान-सन्तुलन में समता स्थापित करने में सहायता मिलती है। परन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि भूगतान सन्तुलन को असमता को दूर करने के लिए मुद्रा संकुचन कोई अच्छा उपाय नहीं है। इसका कारण यह बताया जाता है कि यदि देश के कीमत स्तर को मुद्रा-संकुचन द्वारा जान-बूझकर नीचे गिराया जाता है तो इससे देश में आर्थिक सकट का खतरा उत्पन्न हो जाता है। कीमतों में भारी गिरावट के कारण उत्पादकों को हानि होने लगती है। अन्ततः वे अपने व्ययसाधों को बन्द करने पर विवश हो जाते हैं। अतः भूगतान-सन्तुलन की असमता को दूर करने के लिए मुद्रा-संकुचन की रीति का बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए।

(6) विनिमय-नियन्त्रण (Exchange Control) - कभी-कभी सरकार अन्य रीतियों की तुलना में विनिमय नियन्त्रण को प्राथमिकता देती है। इसका कारण यह है कि मुद्रा-अवमूल्यन से देश में आत्मसम्मान को ठेस पहुँचनी है। इसी प्रकार मुद्रा संकुचन से आर्थिक सकट का खतरा उत्पन्न हो जाता है। यदि देश के आयातों को विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगाकर कम करने का प्रयत्न किया जाय तो इसमें दूसरे देशों में भी बदले की भावना (spirit of retaliation) उत्पन्न हो जाती है और वे भी उस देश के माल पर प्रतिबन्ध लगाना शुरू कर देते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारें भूगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए प्रायः विनिमय नियन्त्रण का आश्रय लेती हैं। इस प्रणाली में अन्तर्गत देश के निर्यातकर्ताओं को अपने द्वारा कमायी गयी सम्पत्ती विदेशी विनिमय सरकार के हवाले करनी पडनी है। सरकार उनको इसके बदले में देशी मुद्रा देती है। इसी प्रकार आयातकर्ताओं को विदेशी मुद्रा सरकार द्वारा ही दी जाती है। अतः विदेशी विनिमय (foreign exchange) पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण होता है।

और इस नियंत्रण की सहायता से सरकार देश के आयातों में कटौती कर सकती है। उदाहरणार्थ, सरकार केवल उन्हीं आयातों के लिए आयातकर्ताओं को विदेशी विनियम देती है जो देश की अर्थ व्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार अनावश्यक आयातों को समाप्त किया जा सकता है।

(7) विदेशों से ऋण—भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर अथवा कम करने के लिए विदेशी बैंकों अथवा विदेशी सरकारों से दीर्घकालीन ऋण भी प्राप्त किये जा सकते हैं। चूंकि इन ऋणों का भुगतान दीर्घकाल में किया जाता है इसलिए वर्तमान में भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को विदेशी मुद्रा की सहायता से दूर अथवा कम किया जा सकता है। इन ऋणों की भुगतान तिथि आने तक देश की सरकार आवश्यक कदम उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेती है और उचित समय पर उन्हें (ऋणों को) चुका देने में समर्थ हो जाती है।

(8) विदेशी निवेश को प्रोत्साहन—भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर अथवा कम करने के लिए एक अन्य उपाय का भी आश्रय लिया जाता है। देश की सरकार विदेशी पूंजीपतियों को आवश्यक रियायतें देकर उन्हें देश में पूंजी का निवेश (investment) करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे देश को अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो जाती है जिससे वह भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को कम कर सकता है। लेकिन इस रीति को अपनाते समय सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि विदेशी पूंजीपति कहीं देश की अर्थ व्यवस्था पर हावी न हो जायें।

(9) विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन—देश की सरकार विदेशी पर्यटकों एवं यात्रियों को अधिकाधिक सुविधाएँ देकर उन्हें देश की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आय में वृद्धि होती है और भुगतान-सन्तुलन की समस्या का समाधान करने में सहायता मिलती है।

संक्षेप में, उपर्युक्त रीतियों द्वारा भुगतान सन्तुलन की असमता को दूर अथवा कम किया जा सकता है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त सकेत

1. व्यापार-सन्तुलन तथा भुगतान सन्तुलन में क्या अन्तर है? प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन को किस प्रकार सुधारा जा सकता है? (विक्रम, 1967, आगरा, 1975)

अथवा

(अ) व्यापार-सन्तुलन तथा भुगतान-सन्तुलन में क्या अन्तर है?

(ब) प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलन को ठीक करने की क्या-क्या रीतियाँ हैं? (आगरा, 1970)

[सकेत—प्रथम भाग में, व्यापार-सन्तुलन तथा भुगतान-सन्तुलन का अन्तर स्पष्ट करते हुए भुगतान सन्तुलन के मुख्य अंशों की विस्तारपूर्वक व्याख्या की जाए। दूसरे भाग में, यह बताया जायें कि भुगतान-सन्तुलन की विपरीत दशा को सुधारने के लिए कई प्रकार के उपायों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आयातों में कटौती, निर्यातों में वृद्धि, मुद्रा-अवमूल्यन, विनियम-ह्रास मुद्रा संकुचन, तथा विनियम नियन्त्रण।]

2. किसी देश के व्यापाराधिक्य तथा शोधनाधिक्य को स्पष्ट करके बताओ। क्या इन दोनों में पारस्परिक सम्बन्ध है? (नागपुर, 1960)

[संकेत—प्रथम भाग में, व्यापाराधिक्य (व्यापार-सन्तुलन) तथा शोधनाधिक्य (भुगतान-सन्तुलन) के अन्तर को स्पष्ट की जाए। दूसरे भाग में, यह बताया जाए कि इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। वास्तव में, व्यापाराधिक्य शोधनाधिक्य का ही एक भाग होगा है।]

3. 'पक्ष' एवं 'विपक्ष' व्यापार-सन्तुलन में विस्तारपूर्वक भिन्नता समझाइए। (आगरा, 1971)
- [संकेत—किसी देश का व्यापार-सन्तुलन तब 'पक्ष' में होता है जब उसके निर्यात, आयातों की अपेक्षा अधिक होते हैं। इसके विपरीत, जब देश के आयात, निर्यातों की अपेक्षा अधिक होते हैं तो व्यापार-सन्तुलन 'विपक्ष' में होता है।]

19

मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण (Free Trade Vs Protection)

मुक्त व्यापार तथा संरक्षण में अन्तर (Difference Between Free Trade and Protection)

मुक्त व्यापार से अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय बिना किसी रोकटोक के किया जाता है। इस प्रकार के मुक्त व्यापार के अन्तर्गत विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता। इसके विपरीत, संरक्षण से अभिप्राय सरकार की उस नीति से है जिसके अन्तर्गत गृह उद्योग-धर्मों की रक्षा के लिए आयात व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। इस प्रकार संरक्षण की नीति के अन्तर्गत दो देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान-प्रदान स्वतन्त्र नहीं रहता है। संरक्षण नीति का अनुसरण करने वाले देशों द्वारा वस्तुओं के आयात पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ, वस्तुओं के आयात पर भारी आयात-कर लगा दिये जाते हैं अथवा वस्तुओं के आयात को कोटा-प्रणाली द्वारा हतोत्साहित किया जाता है। परन्तु इन्से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मुक्त व्यापार नीति के अन्तर्गत वस्तुओं के आयात पर बिलगुल ही आयात-कर नहीं लगाये जाते। मुक्त व्यापार के अन्तर्गत भी वस्तुओं के आयात पर कर लगाये जा सकते हैं, परन्तु इस प्रकार के कर आय की दृष्टि से ही लगाये जाते हैं, संरक्षण की दृष्टि से नहीं।

मुक्त व्यापार के पक्ष में दिये गये तर्क (Arguments in Favour of Free Trade)

क्लासिकल अर्थशास्त्री मुक्त व्यापार के समर्थक थे। उन्होंने मुक्त व्यापार के पक्ष में कई प्रकार के तर्क प्रस्तुत किये थे। मुख्य मुख्य तर्क इस प्रकार हैं

(1) उत्पादन के साधनों का समुचित उपयोग—मुक्त व्यापार के अन्तर्गत देश के उत्पादन के साधनों को समुचित उपयोग सम्भन हो सकता है। इसका कारण यह है कि मुक्त व्यापार के अधीन प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसमें उसे प्राकृतिक लाभ होता है। चूंकि उत्पादन तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त पर किया जाता है, इसलिए मुक्त व्यापार के अन्तर्गत प्रत्येक देश अपने प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग करने में समर्थ हो जाता है।

(2) भौगोलिक श्रम-विभाजन—चूंकि मुक्त व्यापार के अन्तर्गत प्रत्येक देश ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिन में उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, इसलिए इससे भौगोलिक श्रम विभाजन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है और विभिन्न देशों को श्रम-विभाजन के लाभ प्राप्त होते हैं।

(3) उपभोक्ताओं को लाभ—मुक्त व्यापार के अन्तर्गत देशी उपयोगियों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। उन वे अपनी वस्तुओं की उत्पादन लागतों को कम

करके सस्ते दामों पर बेचते हैं। इसके अनिरीक्त चूंकि मुक्त व्यापार के अन्तर्गत आयातित (imported) वस्तुओं पर कर नहीं लगते, इस कारण भी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि नहीं होती। अतः व्यापार के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुएँ कम दामों पर उपलब्ध होती हैं।

(4) बाजारों का विस्तृत होना—मुक्त व्यापार के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं के बाजार विस्तृत हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाते। अतः वस्तुएँ दूरस्थ देशों में भी बेची जा सकती हैं। बाजारों के विस्तृत होने पर उत्पादकों को उत्पादन का पैमाना बढाने के भी अवसर मिलते हैं। इससे न केवल उत्पादन लागतों में कमी होती है बल्कि उपभोक्ताओं को भी उपभोग सम्बन्धी वस्तुएँ सस्ते दामों पर मिलती हैं।

(5) एकाधिकारी सघों पर रोक—चूंकि मुक्त व्यापार के अन्तर्गत देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे एकाधिकारी सघों (monopolistic combines) की स्थापना नहीं कर सकते। इसके विपरीत, संरक्षणात्मक नीति के अन्तर्गत विदेशी प्रतियोगिता के अभाव के कारण देशी उद्योगपति आपस में मिलकर एकाधिकारी सघ बना लेते हैं जिनके द्वारा उपभोक्ताओं तथा धर्मिकों का शोषण किया जाता है।

(6) उत्पादन-रीतियों में सुधार—चूंकि मुक्त व्यापार के अन्तर्गत देशी उद्योगपतियों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है इसलिए वे उत्पादन रीतियों में सुधार करके अपनी उत्पादन लागतों को कम करने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी वह विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए अपने उद्योग धर्मियों का युक्तिकरण (rationalisation) भी कर देते हैं। इनमें उपभोक्ताओं को विशेष लाभ होता है।

(7) विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग एवं सहभावना—जैसा स्पष्ट है, मुक्त व्यापार के अन्तर्गत विभिन्न देश एक-दूसरे पर निर्भर रहने लगते हैं जिससे उनमें घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हो जाता है। परिणामतः उनके बीच सहयोग एवं सहभावना बढ़ती है।

निष्कर्ष—उपर्युक्त लाभों के कारण ही क्लासीकल अर्थशास्त्रियों ने मुक्त व्यापार की नीति का समर्थन किया था। परन्तु आजकल आर्थिक राष्ट्रीयतावाद (Economic Nationalism) तथा नियोजित अर्थ-व्यवस्था (planned economy) के कारण मुक्त व्यापार की नीति का केवल सँझा नतिक महत्त्व ही रह गया है। इसका व्यावहारिक महत्त्व अब समाप्त हो चुका है। इस समय शायद ही कोई ऐसा देश हो जो मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण करता हो।

संरक्षण की नीति (Policy of Protection)

सर्वप्रथम सन 1791 में एक अमरीकी अर्थशास्त्री एलेक्जेंडर हैमिल्टन (Alexander Hamilton) ने देश के आर्थिक विकास हेतु संरक्षण के सिद्धान्त का मुझाव प्रस्तुत किया था। हैमिल्टन के बाद एक अन्य अमरीकी अर्थशास्त्री हैनरी कैरर (Henry Carey) ने भी संरक्षण की नीति का समर्थन किया था। 19वीं शताब्दी में अमरीकी सरकार ने संरक्षण की नीति को स्वीकार भी कर लिया था। परन्तु यूरोप में जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट (Frederic List) ने सर्वप्रथम संरक्षण की नीति का मुझाव दिया था और उसके बाद अन्य जर्मन अर्थशास्त्रियों ने फ्रेडरिक लिस्ट के इस मुझाव का समर्थन किया था। प्रथम विश्व युद्ध तक तो संसार के अधिकांश देशों ने मुक्त व्यापार की नीति का ही अनुसरण किया था, परन्तु इस युद्ध के बाद लगभग सभी देशों ने मुक्त व्यापार की नीति को त्यागकर संरक्षणात्मक नीति को अपनाया था।

संरक्षण के पक्ष में तर्क (Arguments in Favour of Protection)

(1) शिशु-उद्योग तर्क (Infant Industry Argument)—इस तर्क को सर्वप्रथम एलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बाद में चलकर जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने इसका समर्थन किया था। आजकल संरक्षण के पक्ष में यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तर्क माना जाता है। इस तर्क के अनुसार देश के शिशु-उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से अवश्य ही

सरक्षण दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि देश का कोई भी शिशु-उद्योग विदेशों के सुव्यवस्थित एवं सुसम्भारित उद्योगों का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक शिशु एक तरुण व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता, उसी प्रकार किसी देश का शिशु उद्योग विदेशों के विकसित उद्योगों का मुकाबला नहीं कर सकता। अतः देश के शिशु-उद्योगों को विदेशों के विकसित उद्योगों से अक्षय ही सरक्षण मिलना चाहिए। सरक्षण की इस नीति को इन शब्दों में बहुत ही सुन्दर ढङ्ग से व्यक्त किया गया है 'शिशु का पालन करो बालक की रक्षा करो और मुक्त वयस्वतम्प कर दो'। (Nurse the baby, protect the child and free the adult)

परन्तु कुछ लेखकों द्वारा शिशु उद्योग तर्क की आलोचना की गयी है

(क) शिशु उद्योग को पहचानना कठिन है—आलोचकों का कहना है कि कभी-कभी शिशु-उद्योग को पहचानना ही कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में उसे सरक्षण देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ख) सरक्षण में स्थायी होने की प्रवृत्ति निहित होती है—जब किसी शिशु उद्योग को सरक्षण दिया जाता है, तब उसके विकसित हो जाने पर सरक्षण हटाना कठिन हो जाता है। इसका कारण यह है कि इसी बीच उद्योग में निहित स्वार्थ (vested interests) उत्पन्न हो जाते हैं जो सरक्षण के हटाने जाने का विरोध करते हैं।

(ग) अन्य उद्योग भी सरक्षण की माँग करते हैं—जब किसी शिशु उद्योग को सरक्षण दिया जाता है तब अन्य शिशु उद्योग भी सरक्षण की माँग करने लगते हैं। इस परिस्थिति में सभी शिशु-उद्योगों की माँग को स्वीकार करना सरकार के लिए कठिन हो जाता है।

(घ) उपभोक्ताओं को हानि—सरक्षण ने परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को वस्तुओं के अधिक मूल्य चुकाने पड़ते हैं। इसके साथ ही उन्हे माल पटिया किराया का मिलना है।

(2) उद्योगों में विविधता का तर्क (Diversification of Industries Argument)—यह तर्क जर्मनी के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस तर्क के अनुसार प्रत्येक देश को यथासम्भव सभी वस्तुओं में आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि जो देश आत्मनिर्भर नहीं होता उसे युद्ध के समय बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा विदित है युद्ध के समय विदेशी धागर लगभग समाप्त हो जाता है और जो देश आत्मनिर्भर नहीं होता उसके लिए अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः यह नितात आवश्यक है कि सभी उद्योगों के सन्तुलित विकास द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाया जाय। दूसरे शब्दों में, देश के सभी उद्योगों को सन्तुलित रूप में विकसित करना आवश्यक है। अब सरक्षण की नीति का अनुसरण किये बिना किसी भी देश का सन्तुलित विकास सम्भव नहीं हो सकता है।

कुछ लेखकों ने इस तर्क की आलोचना भी की है। उनके अनुसार यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाय तो देश श्रम विभाजन तथा विशेषज्ञता (specialisation) के सभी लाभों से वंचित हो जायगा।

(3) स्वदेशी बाजार का तर्क (Home Market Argument)—कभी-कभी सरक्षण नीति का समर्थन स्वदेशी बाजार के तर्क के आधार पर भी किया जाता है। इस तर्क के अनुसार जब सरकार सरक्षण-कर लगाकर विदेशी माल का आयात कम कर देती है तब देश के बाजारों में केवल देशी उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की ही बिक्री होती है। परिणामतः देशी उद्योगों में रोजगार की मात्रा बढ़ जाती है। रोजगार के बढ़ जाने के फलस्वरूप देशी उद्योगों की वस्तुओं की और भी अधिक बिक्री होने लगती है। इस प्रकार देशी बाजार का विकास हो जाता है। परन्तु कुछ लेखकों ने इस तर्क की आलोचना की है। उनके कथनानुसार यदि किसी देश के आयातों को कम कर दिया जाता है तो उस देश के निर्यात भी कम हुए बिना नहीं रह सकते।

(4) आधार-उद्योग तर्क (Basic Industries Argument)—आधुनिक काल में सरक्षण के लिए यह एक महत्वपूर्ण तर्क समझा जाता है। किसी भी देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए आधार उद्योगों का होना नितात आवश्यक होता है क्योंकि इन उद्योगों के बिना देश का आर्थिक विकास स्वयंचालित (automatic) नहीं हो सकता। आधार-उद्योगों से अभिप्राय ऐसे उद्योगों से है जिन पर अन्य उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे लोहा इत्यादि उद्योग। अब ऐसे उद्योग धन्धों के विकास के

लिए सरक्षण नीति अत्यन्त आवश्यक होती है। इसका कारण यह है कि सरक्षण के बिना आधारा-उद्योगों का विकास सम्भव नहीं हो सकता।

(5) रोजगार सम्बन्धी तर्क (Employment Argument)—इस तर्क के अनुसार सरक्षण नीति को अपनाने से देश में रोजगार की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि सरक्षण की नीति के परिणामस्वरूप देश में नये-नये उद्योगों की स्थापना होती है और अधिकाधिक मात्रा में लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। अतः देश की बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सरक्षण नीति एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती है।

परन्तु आलोचकों ने इस तर्क को दोषपूर्ण बताया है। उनके अनुसार सरक्षणात्मक नीति को अपनाने से देश में रोजगार की मात्रा में वृद्धि नहीं होनी। उनके मत के अनुसार यह तो सम्भव है कि सरक्षित उद्योग में रोजगार की मात्रा बढ़ जाय, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि देश में रोजगार की कुल मात्रा बढ़ जाती है। इसका कारण यह बताया जाता है कि जब किसी देश के आयातों को सरक्षण नीति द्वारा कम कर दिया जाता है, तब धीरे धीरे उस देश के निर्यात भी कम होने शुरू हो जाते हैं। इससे निर्यात-उद्योगों में रोजगार की मात्रा कम हो जाती है। इस प्रकार सरक्षणात्मक नीति से सरक्षित उद्योगों में तो रोजगार की मात्रा बढ़ जाती है, परन्तु निर्यात उद्योगों में रोजगार की मात्रा कम हो जाती है। अतः सरक्षणात्मक नीति से देश की रोजगार की कुल मात्रा में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है।

प्रो० केन्ज (Keynes) ने सरक्षण नीति से उत्पन्न बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए दो सुझाव प्रस्तुत किये हैं—(क) सरक्षण-नीति के साथ ही साथ देश को सरकार विदेशियों को देश की वस्तुओं को खरीदने के लिए ऋण प्रदान करे, ताकि इन ऋणों से विदेशी लोग अधिकाधिक मात्रा में देश की वस्तुओं को खरीद सकें। इससे निर्यात-उद्योगों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होगी (ख) प्रो० केन्ज ने यह भी कहा है कि सरक्षण-करों से प्राप्त होने वाली आय निर्यात उद्योगों को आर्थिक सहायता के रूप में दे देनी चाहिए ताकि ये उद्योग अपनी उत्पादन लागतों को कम करके विदेशों में अधिक मात्रा में अपना माल बेच सकें। प्रो० केन्ज के अनुसार यदि इन दोनों सुझावों को क्रियायित किया जाय तो सरक्षणात्मक नीति को अपनाने से देश में रोजगार की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।

परन्तु कुछ लेखकों ने प्रो० केन्ज के उपर्युक्त सुझावों की आलोचना की है। प्रथम, विदेशियों को ऋण देने के लिए रुपया कहाँ से आयेगा? दूसरे यदि कोई देश आयातों पर सरक्षण कर लगाकर उन्हें कम कर देता है तो फिर विदेशी लोग ऋण की अदायगी कैसे करेंगे? तीसरे, यदि कोई देश निर्यात-उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करता है तो अन्य देश भी प्रतिकार की भावना (spirit of retaliation) से प्रेरित होकर अपने निर्यात-उद्योगों को आर्थिक सहायता देना आरम्भ कर देंगे। इस प्रकार प्रो० केन्ज द्वारा प्रस्तुत किये गये उपर्युक्त सुझाव कोई अधिक व्यावहारिक प्रतीत नहीं होते।

(6) राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग तर्क—मुक्त व्यापार के अन्तर्गत देश के प्राकृतिक साधनों का अपव्ययपूर्ण (wasteful) ढङ्ग से उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि जब कोई देश किसी एक वस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है, तब इस उद्योग के उपयोग में आने वाले साधनों का तेजी के साथ प्रयोग होने लगता है और एक समय ऐसा आ जाता है जबकि इन साधनों का भण्डार ही समाप्त हो जाता है। परन्तु सरक्षणात्मक नीति के अन्तर्गत इस प्रकार का कोई भय नहीं रहता और देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग किया जा सकता है।

(7) बेकार साधन तर्क (Idle Resources Argument)—मुक्त व्यापार के अन्तर्गत केवल उन्हीं साधनों का प्रयोग होता है जो तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के आधार पर स्थापित किये गये उद्योगों के काम में आते हैं। इस प्रकार शेष साधन बिलकुल बेकार पड़े रहते हैं और इनसे सम्बन्धित उद्योगों का विकास नहीं होता।

(8) मजदूरी तर्क (Wages Argument)—एक कम मजदूरी वाले देश में वस्तुओं की उत्पादन लागत एक ऊँची मजदूरी वाले देश की तुलना में कम होती है। अतः कम मजदूरी वाला

देश ऊँची मजदूरी वाले देश को वस्तुओं का निर्यात करने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऊँची मजदूरी वाले देश में उद्योग-धर्म धीरे-धीरे बन्द होने लगते हैं और देश में बेरोजगारी फैल जाती है। अतः ऊँची मजदूरी वाले देश को अपने उद्योगों की रक्षा हेतु सरणात्मक नीति को अपनाना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमरीका ने इसी तर्क के आधार पर अपने उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से सरक्षण दे रखा है। उदाहरणार्थ, अमरीका ने भारत से आने वाले कपड़े पर बहुत ही ऊँचा आयात-कर लगा रखा है, ताकि भारतीय प्रतियोगिता के कारण अमरीकी कपड़ा उद्योग को हानि न हो।

परन्तु कुछ आलोचकों के अनुसार यह तर्क अत्यन्त दोषपूर्ण प्रतीत होता है। उनके अनुसार यदि किसी देश में मजदूरी को ऊँची मजदूरी दी जाती है तो उस देश में मजदूरी की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता का स्तर भी ऊँचा होता है। अतः ऐसे देश को कम मजदूरी वाले देश की प्रतियोगिता से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है।

(9) द्रव्य को घर में ही रखने का तर्क (To Keep Money at Home Argument)—कहा जाता है कि यह तर्क, सर्वप्रथम, अमरीका के प्रेसीडेण्ट अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) द्वारा 19 वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया था। इस तर्क के अनुसार जब कोई देश, विदेशों से माल का आयात करता है तब मुगलान के रूप में उसका द्रव्य विदेशों को चला जाता है, तब यदि वह देश सरक्षणार्थक नीति की सहायता से माल का उत्पादन अपने यहाँ करता है, अब उस देश का द्रव्य विदेशों को नहीं जायगा और परिणामतः उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। परन्तु आलोचकों ने इस सिद्धान्त को दोषपूर्ण बताया है। उनके अनुसार विदेशों से सस्ती वस्तुएँ आयात करके आर्थिक संतुष्टि में वृद्धि की जा सकती है। उनका यह भी कहना है कि यदि कोई देश विदेशों से माल का आयात कम कर देता है, तब ऐसी परिस्थिति में उसके निर्यात भी निश्चय ही कम हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार ने द्रव्य के देश से बाहर चले जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अन्ततः आयातों और निर्यातों का सन्तुलन अवश्य ही हुआ करता है।

(10) लागतों की समानता का तर्क (Equalisation of Costs Argument)—इन तर्कों के अनुसार देश की बनी महँगी वस्तुओं और विदेश की बनी सस्ती वस्तुओं की लागतों के अन्तर को आयात कर लगाकर समाप्त कर देना चाहिए ताकि देशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके और वे स्वदेशी बाजार में अपनी वस्तुओं को बिना किसी कठिनाई के बेच सकें। इस प्रकार देशी तथा विदेशी उद्योगपतियों को बाजार में अपना-अपना माल बेचने के समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे। परन्तु आलोचकों ने इस तर्क को दोषपूर्ण बताया है। यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाय तो अकुशल देशी उद्योगों को अधिक सरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से ही तुलनात्मक लागतों को बरखर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि तुलनात्मक लागतों के अन्तर को ऊँचे आयात-कर लगाकर समाप्त कर दिया जाता है तो इससे विदेशी व्यापार ही समाप्त हो जायगा।

(11) संरक्षित-उद्योगों में उत्पादन-वृद्धि तर्क (Increase in Production of Protected Industries Argument)—इस तर्क के अनुसार किसी उद्योग को सरक्षण देने से उसके उत्पादन में काफी वृद्धि की जा सकती है। उदाहरणार्थ, दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी ने कृषि को सरक्षण देकर कुछ ही समय में कृषि-उत्पादन की काफी मात्रा में बढ़ा लिया था। परन्तु आलोचकों का कहना है कि कुछ संरक्षित उद्योगों के विस्तार से यह सिद्ध नहीं होता कि कुल राष्ट्रीय आय अथवा कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। इसका कारण यह बताया जाता है कि देश के कुछ उद्योगों को सरक्षण देने से निर्यात-उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि आयातों के कम हो जाने से निर्यात भी कम हो जाते हैं।

(12) व्यापार-सन्तुलन में सुधार तर्क (Improvement in Balance of Trade Argument)—बनी-कमी सरक्षण-नीति का इस आधार पर भी मर्मयन किया जाता है कि इसकी सहायता से देश के व्यापार-सन्तुलन में सुधार किया जा सकता है। मुद्रा-स्फीति के समय तो इस तर्क का महत्त्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे समय आन्तरिक कीमत-स्तर के ऊँचे होने के

कारण देश के आयात बढ़ जाते हैं और निर्यात कम हो जाते हैं। यदि ऊँचे आयात-करो द्वारा आयातों को कम कर दिया जाय तो व्यापार-सन्तुलन में निश्चय ही सुधार हो सकता है।

(13) राशिपातन तर्क (Dumping Argument)—बही-कभी विदेशी उद्योगपति किसी अल्प विकसित एव पिछड़े हुए देश में अपने माल का राशिपातन करना आरम्भ कर देते हैं, अर्थात् वे अपने माल को अपनी लागत से भी कम मूल्य पर बेचना शुरू कर देते हैं। इसका कारण यह होता है कि विदेशी उद्योगपति उस देश के उद्योग-धन्धों को नष्ट करना चाहते हैं और इसीलिए अपनी लागत से भी कम मूल्य पर अपना माल को उस देश में बेचते हैं। जब उस देश के उद्योग-धन्धे इस प्रकार अनुचित प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप नष्ट हो जाते हैं तब विदेशी उद्योगपति अपने माल का मूल्य पुनः बढ़ा देते हैं। इस प्रकार विदेशियों द्वारा किया गया राशिपातन देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होता है। ऐसी परिस्थिति में उस देश की सरकार को भारी संरक्षण बरतना देशी उद्योगों की रक्षा करनी चाहिए। वास्तव में, संरक्षण नीति के समर्थन में दिया गया यह तर्क अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परन्तु यहाँ पर कठिनाई यह है कि सरकार के लिए राशिपातन की जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है क्योंकि इस प्रकार की समाज-विरोधी क्रिया प्रायः लुप्त छिपकर की जाती है।

(14) सरकारी आय सम्बन्धी तर्क (Government Revenue Argument)—संरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य ऊँचे आयात कर लगाकर देशी उद्योग-धन्धों को संरक्षण देना होता है परन्तु जब सरकार आयातों पर संरक्षण-कर लगाती है तब उसे इस मद से कुछ न कुछ आय भी अवश्य ही प्राप्त होती है। अतः कुछ लेखकों ने इसी आधार पर संरक्षण-नीति का समर्थन किया है। परन्तु यह कोई महत्वपूर्ण तर्क नहीं माना जा सकता, क्योंकि संरक्षण नीति का उद्देश्य सरकार के लिए आय कमाना नहीं होना बल्कि देशी उद्योग धन्धों को संरक्षण प्रदान करना होना है। यदि संरक्षण कर बहुत ऊँचे हैं तो इससे आयातों में भारी कमी होने के परिणामस्वरूप सरकार की आय बहुत कम हो जाती है। अतः इस तर्क का कोई विशेष महत्व नहीं है।

(15) राष्ट्रीय स्वावलम्बिता तर्क (National Self-sufficiency Argument)—इस तर्क के अनुसार प्रत्येक देश को यथासम्भव सभी वस्तुओं के बारे में आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि कोई देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है तो युद्ध के समय उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समय में विदेशों से आवश्यक वस्तुओं का आयात करना बहुत कठिन होना है। परन्तु कुछ लेखकों ने इस तर्क की कड़ी आलोचना की है। उनके अनुसार यदि विश्व के सभी देश आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो इससे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार ही समाप्त हो जायगा। इनके अतिरिक्त आलोचकों का यह भी कहना है कि सभी देशों के लिए पूर्णतः आत्मनिर्भर होना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव भी है।

(16) राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क (National Defence Argument)—इस तर्क के अनुसार देश की स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा को बनाये रखने के लिए रक्षा उद्योग (Defence Industries) का विकास अत्यन्त आवश्यक है। अतः ऐसे उद्योगों के विकास के लिए सरकार को अवश्य ही संरक्षण नीति का आश्रय लेना चाहिए। वास्तव में संरक्षण नीति के समर्थन में दिया गया यह तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी देश सुरक्षा के विषय में किसी प्रकार का कोई जोखिम (Risk) नहीं उठा सकता। अतः प्रत्येक देश को संरक्षण-नीति की सहायता से रक्षा सम्बन्धी उद्योगों का समुचित विकास करना चाहिए।

(17) सौदा शक्ति तर्क (Bargaining Power Argument)—इस तर्क के अनुसार यदि कोई देश संरक्षण नीति को अपनाता है तो इससे उसकी विदेशों से व्यापार के सम्बन्ध में सौदा करने की शक्ति बढ़ जाती है और वह अपने निर्यातों के लिए विदेशों से अधिक अनुकूल शर्तों (more favourable terms) प्राप्त कर सकता है।

(18) राष्ट्रीय भावना की जागृति का तर्क—इस तर्क के अनुसार संरक्षण-नीति अपनाते ही राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो जाती है और लोग यथासम्भव देश में बनी हुई वस्तुओं का ही उपभोग करने लगते हैं। इससे देशी उद्योग धन्धों को और भी अधिक प्रोत्साहन मिलता है।

संरक्षण के विपक्ष में तर्क (Arguments Against Protection)

(1) प्राकृतिक साधनों का आर्थिक प्रयोग सम्भव नहीं होता—जैसा विदित है, मुक्त व्यापार के अन्तर्गत प्रत्येक देश तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के आधार पर ही उत्पादन करता है, अर्थात् प्रत्येक देश केवल उसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनमें उसे प्राकृतिक लाभ होता है। परिणामतः प्रत्येक देश प्रादेशिक अथवा विभाजन के आधार पर उत्पादन करता है और उसे प्रादेशिक अथवा विभाजन सम्बन्धी सभी बचते उपलब्ध होती है। परन्तु संरक्षण-नीति के अन्तर्गत देश का उत्पादन प्रादेशिक अथवा विभाजन के आधार पर नहीं होता, अर्थात् देश ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन करने लगता है जिनमें उसे प्राकृतिक लाभ उपलब्ध नहीं होता। स्पष्ट है कि इस प्रकार देश के प्राकृतिक साधनों का प्रयोग आर्थिक ढंग से नहीं किया जा सकता।

(2) अकुशल तथा दुर्बल उद्योगों को प्रोत्साहन—संरक्षण-नीति के कारण देश के अकुशल एवं दुर्बल उद्योगों को प्रोत्साहन मिल जाता है। मुक्त व्यापार के अन्तर्गत ऐसे उद्योगों के लिए कोई स्थान नहीं होता और वे स्वतः ही बन्द हो जाते हैं परन्तु संरक्षण-नीति के अंतर्गत इस प्रकार के उद्योग-धन्धे भी चलते रहते हैं जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पड़ता है।

(3) एकाधिकारी सत्ता की स्थापना—संरक्षण-नीति के कारण विदेशी प्रतिযোগिता समाप्त हो जाती है और उसके परिणामस्वरूप देशी उद्योगपतियों को एकाधिकारी सत्ता बनाने के अवसर मिल जाते हैं। इस प्रकार एकाधिकारी सत्ता उपभोक्ताओं तथा श्रमिकों का शोषण करते हैं।

(4) उपभोक्ताओं को हानि—संरक्षण-नीति के कारण उपभोक्ताओं को हानि सहन करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें वस्तुओं के अधिक दाम चुकाने पड़ते हैं। विदेशी प्रतियोगिता के अभाव के कारण देशी उद्योगपति वस्तुओं के दाम बड़ा देते हैं। इस प्रकार संरक्षण-नीति के फलस्वरूप उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ता है।

(5) संरक्षण में स्थायी होने की प्रवृत्ति—जब एक बार किसी उद्योग को संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है तो फिर इसके विरुद्ध हो जाने पर भी संरक्षण को वापस लेना बहुत कठिन हो जाता है। इसका कारण यह है कि संरक्षण काल में उद्योग में कई प्रकार के विहित स्वार्थ (vested interests) उत्पन्न हो जाते हैं जो सदैव इस बात का प्रयत्न करते हैं कि सरकार संरक्षण को वापस न ले। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये अनुचित साधनों का प्रयोग भी करते हैं।

(6) उद्योगों की कार्यकुशलता में कमी—संरक्षण नीति के कारण देशी उद्योग धन्धों की कार्यकुशलता का स्तर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि विदेशी प्रतियोगिता के अभाव के कारण उद्योगपतियों में शिथिलता आ जाती है और वे औद्योगिक कार्यकुशलता के स्तर को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते।

(7) संरक्षण से राष्ट्रीय आय के वितरण में असमानता—संरक्षण नीति के कारण राष्ट्रीय आय का वितरण असमान हो जाता है। इसका कारण यह है कि संरक्षण के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं जिससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। उपभोक्ता प्रायः निर्धन वर्ग के ही होते हैं। इसके अतिरिक्त संरक्षण नीति के फलस्वरूप देशी उद्योगपतियों को भारी लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संरक्षण नीति राष्ट्रीय आय के वितरण में असमानता को बढ़ा देती है।

(8) विदेशी व्यापार में कमी—संरक्षण नीति के फलस्वरूप विदेशी व्यापार में कमी हो जाती है। इसका कारण यह है कि जब कोई देश अपने आयातों पर संरक्षण-कर लगाकर उन्हें कम कर देता है तब उसके निर्यात भी कम हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि अन्य देश भी संरक्षण नीति का अनुकरण करते हुए अपने आयातों पर संरक्षण कर लगा देने हैं। इस प्रकार संरक्षण के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का ह्रास होता है।

(9) राष्ट्रीय मजदूरी में कमी—संरक्षण-नीति के कारण विश्व के देशों में मजदूरी में कमी हो जाती है जिसके कमी-कमी बड़े गम्भीर परिणाम होते हैं। इसका कारण यह है कि जब कोई देश अपने आयातों पर संरक्षण-कर लगाकर उन्हें कम करने का प्रयत्न करता है तब

प्रतिकार की भावना से प्रेरित होकर उस देश के निर्यातों पर सरक्षण कर लगा देता है। इससे देशों के आपसी सम्बन्ध बिगड़ जाते हैं।

(10) राजनीतिक भ्रष्टाचार—सरक्षण नीति देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म देती है। बड़े बड़े उद्योगपति सरकारी नेताओं तथा अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने उद्योगों के लिए सरक्षण प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रकार के राजनीतिक भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण है।

निष्कर्ष—सरक्षण के उपर्युक्त लाभों व दोषों का अध्ययन करने से पता चलता है कि दोषों की अपेक्षा इसके लाभ अधिक हैं। यही कारण है कि आज विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा मुक्त व्यापार का परित्याग करके सरक्षण की नीति को अपना लिया गया है। अल्प-विकसित तथा पिछड़े हुए देशों के लिए तो सरक्षण नीति और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना वे अपने आर्थिक विकास की गति तीव्र नहीं कर सकते।

सरक्षण की रीतियाँ (Methods of Protection)

देशी उद्योगों को निम्नलिखित रीतियों द्वारा सरक्षण दिया जा सकता है

(1) व्यापारिक निषेध (Commercial Prohibition)—कभी-कभी सरकार देशी उद्योग धंधों को सरक्षण देने के लिए विदेशी वस्तुओं वा पूर्ण निषेध कर देती है। परन्तु साधारणतः इस रीति का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसके परिणाम काफी गम्भीर होते हैं।

(2) सरक्षण प्रशुल्क (Protective Duties)—इसके अन्तर्गत, सरकार आयातों पर कर लगाकर उन्हें महंगा कर देती है जिससे उनकी माँग स्वतः ही कम हो जाती है। निर्यात-करों की अपेक्षा आयात कर अधिक प्रचलित हैं क्योंकि इनसे देशी उद्योगों को प्रोत्साहन भी मिलता है। आयात कर दो प्रकार के हो सकते हैं—जब आयात-कर सरकार द्वारा आय कमाने की दृष्टि से लगाये जाते हैं तब इन्हें राजस्व-कर (revenue duty) कहा जाता है। परन्तु जब आयात-कर देशी उद्योगों को सरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लगाये जाते हैं, तब इन्हें सरक्षण कर कहा जाता है। स्पष्ट है कि सरक्षण नीति के अन्तर्गत सरक्षण-कर ही लगाये जाते हैं, सरक्षण-कर भी दो प्रकार के होते हैं (i) यथामूल्य-कर (Ad Valorem Duty)—जब आयात-कर वस्तु के मूल्य के अनुसार लगाया जाता है तब इसे यथामूल्य कर कहते हैं (ii) परिमाण-कर (Specific Duty)—जब आयात कर वस्तु की तोल अथवा माप के अनुसार लगाया जाता है, तब इसे परिमाण-कर कहते हैं।

(3) कोटा प्रणाली (Quota System)—वास्तव में यह सरक्षण की सबसे प्रभावपूर्ण रीति मानी जाती है। कोटा प्रणाली के अन्तर्गत सरकार विभिन्न वस्तुओं के अधिकतम कोटे निश्चित कर देती है। आयातकर्ता इन कोटों से अधिक मात्रा में वस्तुओं का आयात नहीं कर सकते। कभी-कभी प्रत्येक आयातित वस्तु के कोटे को विभिन्न देशों में विभाजित कर दिया जाता है। कोटा प्रणाली से आयातों को कम करके देशी उद्योगों को सरक्षण दिया जा सकता है।

(4) लाइसेंस प्रणाली (Licence System)—इस प्रणाली के अन्तर्गत विदेशी वस्तुओं का आयात केवल लाइसेंस शुद्ध आयातकर्ताओं द्वारा ही किया जा सकता है। इससे भी सरकार विदेशी वस्तुओं के आयात को नियन्त्रित कर सकती है क्योंकि इसके अन्तर्गत विदेशी वस्तुओं का आयात सभी प्रकार के व्यापारियों द्वारा नहीं किया जा सकता।

(5) विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)—इसके अन्तर्गत, प्रत्येक आयातकर्ता को विदेशी माल का मूल्य चुकाने के लिए सरकार से विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी पड़ती है। यदि सरकार विदेशी मुद्रा की विनी पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण कर लेती है तो इससे आयातों में स्वतः ही कमी हो जाती है।

(6) राजकीय व्यापार—कभी कभी सरकार विदेशी व्यापार को अपने हाथों में ले लेती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार के लिए आयातों को कम करना और भी सरल हो जाता है।

(7) मुद्रा-अवमूल्यन (Devaluation)—देश की मुद्रा का अवमूल्यन करके भी आयातों

को कम किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि मुदा के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश के आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। इस प्रकार आयातों में स्वत ही कमी हो जाती है।

(8) भेदपूर्ण परिवहन-दरें (Discriminatory Transport Charges) — कभी-कभी सरकार आयातित वस्तुओं पर ऊँची परिवहन-दरें लेकर भी इन्हें निरस्तसहित करती है। इससे विदेशी माल देशी मण्डलों में महंगा हो जाता है और उसकी माँग स्वत ही कम हो जाती है।

(6) सरकारी आर्थिक सहायता — कभी-कभी सरकार देश के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात-उद्योगों को कई प्रकार की आर्थिक सहायता देती है। इसका परिणाम यह होता है कि निर्यात-उद्योगों की उत्पादन लागतें कम हो जाती हैं और विदेशों में वे अपना माल सस्ती दरों पर बेचने में समर्थ हो जाते हैं।

(10) विदेशी माल का बहिष्कार — कभी-कभी राष्ट्रियता की भावना जाग्रत करके विदेशी माल का बहिष्कार (boycott) कर दिया जाता है। इससे स्वदेशी उद्योगों को स्वाभाविक संरक्षण मिल जाता है। भारत में भी स्वदेशी आन्दोलन के कारण उद्योग-धन्धों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण मिला था।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. संरक्षण के पक्ष में तर्कों की विवेचना करो। उसके विपक्ष में कौन से तर्क हैं ?
(आगरा, 1960, राजस्थान, 1968)

अथवा

संरक्षण की नीति के पक्ष एवं विपक्ष में तर्कों का परीक्षण कीजिये (आगरा, 1976)

[संकेत—प्रथम भाग में, संरक्षण के पक्ष में प्रस्तुत किये गये तर्कों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, संरक्षण के विपक्ष में दिये गये तर्कों की चर्चा कीजिए।]

2. किसी उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के विभिन्न ढंगों का वर्णन कीजिये। (बिहार, 1955)
[संकेत—यहाँ पर संरक्षण की रीतियों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये।]

3. किन परिस्थितियों में मुक्त व्यापार नीति के स्थान पर संरक्षण की नीति को अपनाना चाहिए। उदाहरण सहित समझाइये। (विक्रम, 1969)

[संकेत—यहाँ पर आप संरक्षण-नीति के पक्ष में दिये जाने वाले तर्कों की विवेचना करिए]

4. स्वतन्त्र व्यापार तथा संरक्षण का अन्तर स्पष्ट कीजिए। (आगरा, 1974)

[संकेत—प्रारम्भ में, स्वतन्त्र (मुक्त) व्यापार तथा संरक्षण का अन्तर स्पष्ट कीजिए। (देखिए उपर्युक्त अध्याय)। तदुपरान्त, स्वतन्त्र व्यापार तथा संरक्षण के पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये तर्कों की संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए।]

20

भारत की तट-कर नीति (India's Tariff Policy)

किसी देश के आयातों व निर्यातों पर लगाये जाने वाले करों से सम्बन्धित नीति को तट कर नीति कहते हैं। तट कर नीति के अन्तर्गत निर्यातों की अपेक्षा आयातों पर अधिक दर लगाये जाते हैं। आयात करों के लगाने के दो उद्देश्य हो सकते हैं—(क) सरकार के लिए आय प्राप्त करना (ख) गृह उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देना।

भारत की दूसरे युद्ध से पूर्व की तट-कर नीति (India's Tariff Policy Before Second World War)

प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने के समय तक भारत सरकार की नीति मुक्त व्यापार (free trade) की नीति थी। परन्तु विश्व युद्ध के उपरान्त इस नीति में परिवर्तन कर दिया गया था। सन् 1916 में औद्योगिक आयोग (Industrial Commission) ने सुझाव दिया था कि भारत सरकार को देश के औद्योगिक विकास में सक्रिय भाग लेना चाहिए। सन् 1919 के राजनीतिक मुद्दों के अन्तर्गत तय हुआ था कि ब्रिटिश सरकार भारत के राजकोषीय मामलों में यथासम्भव हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस प्रकार भारत को राजकोषीय मामलों में एक प्रकार से स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी थी। आगे चलकर इसे राजकोषीय स्वतन्त्रता की परम्परा (Fiscal Autonomy Convention) के नाम से सम्बोधित किया गया था। इस परम्परा के अन्तर्गत भारत सरकार को अपनी तट कर नीति का निर्धारण करने में स्वतन्त्रता मिल गयी थी। इस स्वतन्त्रता का लाभ उठाते हुए भारत सरकार ने सन् 1921 में एक तट कर आयोग (Fiscal Commission) की नियुक्ति की थी। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने विवेकपूर्ण संरक्षण-नीति (Policy of Discriminating Protection) को अपनाया था।

सन् 1921 के तट कर आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं।

देश के औद्योगिक विकास का तीव्र करने के लिए आयोग ने विवेकपूर्ण संरक्षण-नीति को अपनाने की सिफारिश की थी। विवेकपूर्ण संरक्षण नीति से अभिप्राय यह था कि सभी उद्योगों को बिना साचे समय संरक्षण नहीं देना चाहिए बल्कि संरक्षण केवल उन्हीं उद्योगों को दिया जाना चाहिए जो तीन शतों को पूरा करते हों।

(क) संरक्षण चाहने वाले उद्योग को पर्याप्त प्राकृतिक साधन उपलब्ध होने चाहिए।

(ख) उद्योग ऐसा होना चाहिए कि जिसका विकास बिना संरक्षण के सम्भव नहीं है परन्तु जिसका विकास देश के हित के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(ग) उद्योग ऐसा होना चाहिए जो अन्त में बिना संरक्षण के विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सके।

तट-कर आयोग ने उपर्युक्त तीनों शतों के अतिरिक्त कुछ अन्य शतों का भी सुझाव दिया था जिनमें से मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं—(क) आधारमूलक उद्योगों (basic industries) एवं

राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित उद्योगों को अवश्य ही सुरक्षण दिया जाना चाहिए, (ख) जो उद्योग-धन्धे बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं उन्हें भी सुरक्षण दिया जाना चाहिए, (ग) उद्योग ऐसा होना चाहिए कि वह निश्चित समय में देश की समूची आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

सन् 1923 में भारत सरकार ने टट कर आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और सन् 1924 में प्रथम टट-कर बोर्ड (Tariff Board) की स्थापना की गयी थी। इस बोर्ड को सुरक्षण चाहने वाले उद्योगों के दावों की जाँच करने के लिए कहा जाता था।

विवेकपूर्ण सरक्षण-नीति की उपलब्धियाँ (Achievements of Discriminating Protection) इस नीति के परिणामस्वरूप देश के अनेक उद्योग-धन्धों को काफी लाभ पहुँचा है। इस नीति की मुख्य-मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं

(1) बड़े उद्योगों का विकास—इस नीति के परिणामस्वरूप देश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला था। इसके अन्तर्गत, लोहा एवं इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग एवं कृत्रिम रेशम उद्योग आदि को सरकार द्वारा सुरक्षण दिया गया था। इस सरक्षण के कारण ही इन उद्योगों का तेजी के साथ विकास हुआ था।

(2) सहायक उद्योगों का विकास—इस नीति के अन्तर्गत उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त कई प्रकार के सहायक उद्योगों को भी विकसित होने के अवसर मिले थे। उदाहरणार्थ, टिन प्लेट, तार, कृषि-औजार इन्जीनियरिंग सेलुलोज (Cellulose) आदि।

(3) रोजगार में वृद्धि—सरक्षण-नीति के फलस्वरूप देश में रोजगार की मात्रा में भी वृद्धि हुई थी। सन् 1931 में देश के कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या 14 मिलियन थी। सन् 1956 में यह बढ़कर 28 मिलियन हो गयी।

(4) मन्दी के प्रभाव से मुक्ति—जैसा विदित है सन् 1930 में विश्वव्यापी मन्दी आयी थी और इसके परिणामस्वरूप सभी देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। भारत के आरक्षित उद्योग-धन्धे (non protected industries) भी इससे न बच सके। परन्तु भारत के आरक्षित उद्योग-धन्धे सरक्षण की नीति के फलस्वरूप मन्दी के प्रभाव से लगभग बछूते ही रहे थे।

(5) कृषि का व्यापारीकरण (Commercialisation of Agriculture)—सरक्षण-नीति के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि के व्यापारीकरण की प्रवृत्ति को भी बल मिला था। सूती कपड़ा एवं चीनी उद्योग को सुरक्षण दिये जाने के परिणामस्वरूप इन उद्योगों की कच्चे माल की माँग में तीव्र वृद्धि हुई थी। परिणामतः भारतीय किसानों द्वारा गन्ने एवं कपास की फसलों को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा।

विवेकपूर्ण सरक्षण-नीति की आलोचना (Criticism of Discriminating Protection)—यद्यपि इस नीति से देश के कुछ उद्योग-धन्धों को विशेष लाभ हुआ, तथापि यह नीति पूर्णतः दोष मुक्त नहीं थी। इसके मुख्य मुख्य दोष निम्नलिखित हैं

(क) त्रिशर्तों सूत्र की आलोचना (Criticism of the Triple Formula)—टट-कर आयोग द्वारा बताया गये त्रिशर्तों सूत्र की आलोचना की गयी है। आलोचकों का कहना है कि इस सूत्र की पहली दो शर्तें आपस में मेल नहीं खाती। प्रथम शर्त के अनुसार सुरक्षण चाहने वाले उद्योग को पर्याप्त प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी शर्त के अनुसार सुरक्षण चाहने वाला उद्योग ऐसा होना चाहिए कि वह बिना सुरक्षण की सहायता के विकसित न हो सके। दूसरी शर्त को केवल वही उद्योग पूरा कर सकता है जो प्रथम शर्त को पूरा न करता हो। दूसरे शब्दों में यदि किसी उद्योग को पर्याप्त प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं तो सुरक्षण के बिना ही वह अपना विकास कर सकता है।

(ख) सरक्षण की कड़ी शर्तें—आलोचकों का कहना है कि सुरक्षण प्रदान करने के लिए निश्चित की गई शर्तें बहुत कठिन थीं। बहुत कम उद्योग-धन्धे ऐसे होते हैं जो इन तीनों शर्तों को पूरा कर सकते हैं। यदि कोई उद्योग इन तीनों शर्तों को पूरा कर लेता है तो फिर उसे सुरक्षण की आवश्यकता ही नहीं रहती।

(ग) नये उद्योगों को सुरक्षण का आश्वासन नहीं दिया जाता था—विवेकपूर्ण सरक्षण-नीति

के अन्तर्गत सरक्षण केवल उन्ही उद्योगों को दिया जाता था जो पहले से ही विद्यमान होते थे। नये उद्योगों को सरक्षण का आश्वासन देने की इस नीति में कोई व्यवस्था नहीं थी। स्पष्ट है कि जब तक किसी नये उद्योग को सरक्षण का आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक उसकी स्थापना का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(घ) अस्थायी तट-कर बोर्ड—इस नीति के अन्तर्गत स्थापित किये गये तट-कर बोर्ड अस्थायी हुआ करते थे, अर्थात् जब कोई उद्योग सरक्षण के लिए आवेदन पत्र देता था तो उस पर विचार करने के लिए सरकार तट-कर बोर्ड नियुक्त किया करती थी। जब बोर्ड उस आवेदन पत्र पर अपनी सिफारिशें सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर देता था उसी समय से उस बोर्ड का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता था। इस प्रकार प्रत्येक सरक्षण चाहने वाले उद्योग के लिए अलग से तट-कर बोर्ड नियुक्त किया जाता था। तट-कर बोर्डों के अस्थायी होने के कारण तट-कर नीति में निरन्तरता का अभाव (lack of continuity) रहता था।

(ङ) सरकार का असहानुभूतिपूर्ण रवैया—आलोचकों का यह भी कहना है कि इस नीति के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार का भारतीय उद्योगों के प्रति रवैया सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। जब कभी कोई उद्योग सरक्षण के लिए आवेदन-पत्र देता था, उस पर विचार करने में ही सरकार काफ़ी समय लगा देती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि समय पर सरक्षण न मिलने के कारण उद्योगों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता था। कभी-कभी सरकार तट कर बोर्ड के सिफारिश करने पर भी उद्योगों को सरक्षण नहीं देती थी।

(च) सरक्षण-नीति से पर्याप्त औद्योगिक विकास न हो सका—आलोचकों का यह भी कहना है कि विवेकपूर्ण सरक्षण-नीति के अन्तर्गत देश का पर्याप्त औद्योगिक विकास नहीं हो सका था। उसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि इस नीति की शर्तें बहुत कड़ी थी और साधारणतः उद्योग धन्धे इन्हे पूरा करने में असमर्थ हुआ करते थे।

युद्ध एवं युद्धोत्तरकाल में तट-कर नीति (War and Post war Tariff Policy)

दूसरे विश्व युद्ध के छिड़ जाने पर भारत के आयात बहुत कम हो गये और देशी उद्योगों के लिए विदेशी प्रतियोगिता का खतरा लगभग समाप्त हो गया था। अतः युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग धन्धों को अपना विस्तार करने का सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योग धन्धों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए सन् 1940 में यह आश्वासन दिया था कि युद्ध के पश्चात् तत्कालीन उद्योग धन्धों तथा युद्ध के दौरान स्थापित किये गये नये उद्योग धन्धों को विदेशी प्रतियोगिता से सरक्षण दिया जायगा। सन् 1945 में इस आश्वासन को कार्यरूप देते हुए एक अस्थायी तट-कर बोर्ड की स्थापना की गयी थी। इस बोर्ड की अवधि दो वर्ष की थी। इस बोर्ड का मुख्य कार्य सरक्षण चाहने वाले भारतीय उद्योग-धन्धों के दावों की जाँच करना था। अतः इस बोर्ड ने मार्च 1945 से अगस्त 1947 तक लगभग 42 उद्योगों के दावों की जाँच की थी। अगस्त 1947 में देश के स्वतन्त्र होने पर आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो गया, इसलिए अक्टूबर 1947 में भारत सरकार ने इस तट-कर बोर्ड की अवधि तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दी। इस तट-कर बोर्ड को पहले कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी सौंप दिये गये थे। इसी बीच भारत सरकार देश के लिए किसी स्थायी तट-कर नीति को अपना देने के बारे में सोच-विचार करने लगी थी।

भारत की नवीन तट-कर नीति (India's New Tariff Policy)

सन् 1948 की औद्योगिक नीति में भारत सरकार ने देशी उद्योग-धन्धों को यह आश्वासन दिया था कि वह अनुचित विदेशी प्रतियोगिता से उनको सरक्षण प्रदान करेगी। अतः 20 अप्रैल, 1949 को भारत सरकार ने श्री टी० टी० कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में एक तट कर आयोग की नियुक्ति की जिसकी रिपोर्ट जुलाई 1950 में प्रकाशित हुई थी। इस आयोग ने सरक्षण-नीति की आवश्यकता के महत्त्व को स्वीकार किया था। इसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं

(1) सामरिक (strategic) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों को किसी भी मूल्य पर

सुरक्षण दिया जाना चाहिये क्योंकि इन उद्योगों का विकास देश के लिए निराला आवश्यक है। अतः सरकार को इन उद्योगों के विकास के लिये सभी प्रकार की सहायता देनी चाहिए।

(2) आधारभूत उद्योग-धन्धों (basic industries) को भी सुरक्षण दिया जाना चाहिए। इन उद्योगों को दिये जाने वाले सुरक्षण की मात्रा एवं स्वरूप का निर्णय तट-कर अधिकरण द्वारा किया जाना चाहिये। इस प्रकार के उद्योग-धन्धों की समय-समय पर जाँच-पड़ताल भी की जानी चाहिये।

(3) अन्य उद्योगों को सुरक्षण देने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्तों पर विचार किया जाना चाहिये

(क) उद्योग को सुरक्षण देने समय उसकी सम्भावित लागत को ध्यान में रखना चाहिए।

(ख) राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उद्योगों को सुरक्षण अथवा आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।

(ग) उद्योग से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभों का विचार करके सुरक्षण की सम्भावित लागत का पता लगाना चाहिए।

(घ) जिन उद्योगों को योजना के अन्तर्गत उच्च स्थान दिया गया है, उन्हें अवश्य ही सुरक्षण मिलना चाहिए।

(ङ) आधारभूत उद्योगों के सहायक उद्योगों को भी सुरक्षण मिलना चाहिए।

सुरक्षण के सम्बन्ध में तट कर आयोग ने कुछ अन्य शर्तों का भी उल्लेख किया था जो इस प्रकार हैं

(1) सुरक्षण देते समय कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता पर जोर नहीं देना चाहिए, अर्थात् यदि किसी उद्योग को कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है तो इसी आधार पर उसे सुरक्षण से वंचित नहीं रखना चाहिए।

(2) सुरक्षण देते समय उद्योग पर यह शर्त भी नहीं लगानी चाहिये कि वह विकसित होने पर देश की समूची माँग को पूरा करने की सामर्थ्य रखता हो।

(3) सुरक्षित उद्योगों द्वारा तैयार किये गये माल वा कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योगों को, क्षतिपूर्क सुरक्षण (compensating protection) दिया जाना चाहिए।

(4) ऐसे नये उद्योगों को जिनके विकास की प्रारम्भिक अवस्था में बहुत बड़ी पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें अवश्य ही सुरक्षण मिलना चाहिए।

(5) राष्ट्रीय हित की दृष्टि से कृषि-पदार्थों को भी सुरक्षण दिया जाना चाहिए, परन्तु ऐसे पदार्थों को केवल अल्प काल के लिए ही सुरक्षण दिया जाना चाहिए।

(6) सरक्षित उद्योगों पर यथासम्भव सरकार को उत्पादन कर (excise duties) नहीं लगाने चाहिए।

(7) सुरक्षण करों से प्राप्त होने वाली आय के कुछ अंश को प्रतिवर्ष एक विकास कोष (Development Fund) में जमा करना चाहिए और इस कोष का उपयोग कुछ विशेष प्रकार के उद्योग-धन्धों को आर्थिक सहायता देने के लिए करना चाहिए।

(8) साधारणतः उद्योग-धन्धों को दीर्घकाल के लिए सुरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे नियोजित ढंग से अपना विन्यास कर सकें।

(9) सरकार द्वारा सरक्षित उद्योगों के प्रयोग में आने वाले कच्चे माल के मूल्यों का निर्धारण भी किया जाना चाहिए ताकि ऐसे उद्योगों को नियन्त्रित मूल्यों पर कच्चा माल उपलब्ध हो सके।

(10) सरकार को यथासम्भव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति विदेशी माल की तुलना में स्वदेशी माल को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके।

उपरोक्तों के हितों की रक्षा की दृष्टि से तट-कर आयोग ने सरक्षित उद्योगों के लिए कुछ विशेष दायित्वों (obligations) का भी उल्लेख किया था जो इस प्रकार हैं—(क) सरक्षित

उद्योगों को अपने उत्पादन का पैमाना निरन्तर बढ़ाते रहना चाहिए, (ख) सरक्षित उद्योगों को उत्पादित वस्तुओं की मात्रा गुण एव गुण्य निश्चित करते समय मदैव उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना चाहिए (ग) सरक्षित उद्योगों को नवीनतम एव दिनाप्त उत्पादन पद्धतियों एव मशीनों का प्रयोग करके अपनी लागतों को कम करते का प्रयत्न करना चाहिए, (घ) सरक्षित उद्योगों को अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण एव उत्पादन सम्बन्धी अनुसन्धान की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, (ङ) सरक्षित उद्योगों को यथासम्भव स्थानीय कच्चे माल का ही प्रयोग करना चाहिये, (च) सरक्षित उद्योगों द्वारा समाज विरोधी रीतियों को नहीं अपनाया जाना चाहिए।

भारत सरकार ने तट कर आयोग की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली और उन्हें कार्यरूप देने के लिए सन् 1952 में एक स्थायी तटकर आयोग (Tariff Commission) नियुक्त किया गया। इस आयोग को विस्तृत अधिकार दिये गये। गत 24 वर्षों में इस आयोग ने बड़ा ही प्रशसनीय कार्य किया है। जिन उद्योगों को इस आयोग द्वारा सरक्षण देने की सिफारिश की गयी थी उनमें से कुछ इन प्रकार हैं—साइकिल एल्यूमीनियम कार्स्टिक सोडा, सूती कपड़ा उद्योग की मशीनें रंग विजली की मोटरें दियासलाई, रेशम, मोटर गाड़ी, शीट ग्लास (sheet glass), वाहन वीयरिंग, विजली ट्रांसफॉर्मर, स्पार्क प्लग इत्यादि। इस प्रकार प्रयुक्त आयोग की उक्त कार्यवाही के कारण भारत के औद्योगिक विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला है।

सन् 1965-66 में तट कर आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने दियासलाई उद्योग से सरक्षण वापस ले लिया था। भारत सरकार ने शीट ग्लास, विजली मोटरों, अलौह धातुओं, विजली ट्रांसफॉर्मरों तथा वाहन वीयरिंग उद्योगों से भी सरक्षण वापस ले लिया, यद्यपि तटकर आयोग ने उन्हें सरक्षण जारी रखने की सिफारिश की थी। इसी वर्ष तटकर आयोग के कार्यों एव सरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिये डा० बी० के० आर० बी० राव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इसी प्रकार श्री एस० सुब्रामन्यम की अध्यक्षता में तटकर समीक्षण समिति (Tariff Revision Committee) भी नियुक्त की गयी थी। भारत सरकार ने इस समिति द्वारा प्रस्तुत लगभग सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है। सन् 1967-68 में तटकर आयोग ने रंग निर्माण उद्योग (dyestuff industry) को 31 दिसम्बर, 1968 तक सरक्षण जारी रखने की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था।

वर्तमान सरक्षण नीति की समीक्षा—भारत सरकार की वर्तमान सरक्षण-नीति पुरानी सरक्षण नीति की अपेक्षा अधिक उदार है और जैसा ऊपर कहा गया है, इससे भारत के औद्योगिक विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला है। प्रथम, वर्तमान तटकर आयोग पुराने तटकर बोर्डों की अपेक्षा अधिक सफल सिद्ध हुआ है। पुराने तटकर बोर्ड अस्थायी होने के कारण उद्योग धन्यों के लिए कोई अधिक सवा नहीं कर सकते थे, परन्तु वर्तमान आयोग स्थायी आधार पर स्थापित किया गया है। अतएव यह उद्योग धन्यों के लिए अधिक उपयोगी सेवा कर सकता है। इसके अतिरिक्त आयोग के स्थायी होने के कारण सरक्षण-नीति में भी निरन्तरता (continuity) उत्पन्न हो गयी है।¹ दूसरे, उद्योगों को सरक्षण देते समय यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी विशेष शर्त को पूरा करें। यदि उद्योग देश के हित में है तो उसे सरक्षण अवश्य ही दिया जाता है। तीसरे, आधारभूत उद्योगों को सरक्षण देने के लिए कोई भी शर्त नहीं है। उन्हें तो बिना किसी शर्त को पूरा किये ही सरक्षण उपलब्ध हो सकता है। चौथे युद्धोत्तरकाल में उद्योग धन्यों को केवल तीन वर्षों के लिए ही सरक्षण दिया जाता था। परन्तु अब इस प्रकार की समय सीमा उचित नहीं समझी जाती। सरक्षण की समयबाध (time limit) का निर्धारण करने में तटकर आयोग पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है और वह उद्योग की आवश्यकताओं एव विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही इस बात का निर्णय करता है। पाँचवें पुरानी नीति के अन्तर्गत तटकर बोर्डों द्वारा प्रस्तुत की गयी सिफारिशों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा निर्णय लेने में प्रायः बहुत देर हो जाया करती थी। परन्तु अब नयी नीति के अन्तर्गत सरकार को तीन महीनों के अन्दर ही आयोग की सिफारिशों पर अपना निर्णय देना पड़ता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नयी नीति पुरानी नीति की तुलना में अधिक उदार, सुनिश्चित एव औद्योगिक विकास के अनुकूल है।

¹ सन् 1976 से इस आयोग को भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

भारत की व्यापारिक नीति (India's Commercial Policy)

भारत की व्यापारिक नीति का अध्ययन हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे—(क) शाही अधिमान नीति, (ख) द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते।

(क) शाही अधिमान नीति (Policy of Imperial Preference)—भारत ने शाही अधिमान नीति काकी लम्बे समय से अपना रखी है। शाही अधिमान से अभिप्राय यह है कि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के देश एक-दूसरे के माल को प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें देते हैं। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य देश एक-दूसरे के आयातों पर कम आयात प्रशुल्क वसूल करते हैं। इस तरह शाही अधिमान का उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहन देना है।

सर्वप्रथम, सन् 1897 में कनाडा ने इस नीति को अपनाया था और उसने ब्रिटिश माल को प्रशुल्क करों से पूर्णतः छूट दी थी। परन्तु इसके बदले ब्रिटेन ने कनाडा को किसी प्रकार की सुविधाएँ नहीं दी थी। सन् 1902 में एन औपनिवेशिक सम्मेलन (Colonial Conference) हुआ जिसमें शाही अधिमान नीति का समर्थन किया गया तथा साम्राज्य के उपनिवेशों से सिफारिश की गयी कि वे इस नीति को अपनायें। इसके पश्चात् सन् 1917 में शाही युद्ध सम्मेलन तथा सन् 1923 में शाही आर्थिक सम्मेलन ने भी इस नीति का समर्थन किया था। इसके फलस्वरूप साम्राज्य के लगभग 26 देशों ने इस नीति को अपनाया था। परन्तु सन 1932 में ओटावा (Ottawa) में हुए शाही आर्थिक सम्मेलन में इसको अन्तिम स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके परिणामस्वरूप और अधिक देशों ने इस नीति को अपनाया था। इस सम्मेलन में ही भारत तथा ब्रिटेन ने ओटावा समझौते (Ottawa Agreement) पर हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते के अन्तर्गत ब्रिटेन तथा भारत ने अपने-अपने आयातों पर एक-दूसरे को प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें देना स्वीकार किया था।

जैसा ऊपर कहा गया है सन् 1932 में भारत ने शाही अधिमान नीति को अपनाना स्वीकार कर लिया था परन्तु उससे पूर्व भारत सरकार सदैव शाही अधिमान नीति का विरोध करती रही थी। सन् 1903 में सर्वप्रथम जब इस नीति को अपनाने का प्रश्न उत्पन्न हुआ था तब भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया था। सन् 1917 में यह प्रश्न पुनः उठाया गया, परन्तु फिर भी भारत सरकार ने इसे अपनाते से इन्कार कर दिया था। सन् 1921 में भारत सरकार ने इस विषय पर तट कर आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा था। तट कर आयोग ने बहुत सोच विचार के बाद भारत सरकार से सिफारिश की कि वह शाही अधिमान नीति को तभी स्वीकार करे जब निम्नलिखित शर्तें पूरी की जायें। दूसरे शब्दों में, तट-कर आयोग ने सशर्त शाही अधिमान नीति (Policy of Conditional Imperial Preference) का समर्थन किया था। इसकी शर्तें इस प्रकार थी—(अ) किसी वस्तु के सम्बन्ध में प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें देने से पूर्व भारतीय ससद की स्वीकृति प्राप्त की जाय, (ब) प्रशुल्क सम्बन्धी सुविधाओं के दिए जाने से भारतीय उद्योगों को दिखे गये संरक्षण में किसी प्रकार की कमी न हो, (स) प्रशुल्क सम्बन्धी सुविधाएँ देने से देश को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, (द) ब्रिटेन के सम्बन्ध में यह अधिमान ऐच्छिक हो परन्तु अन्य देशों के लिए परस्पर आधार पर हो।

परन्तु भारत सरकार ने तट-कर आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया और जैसा ऊपर कहा गया है सन् 1932 में बिना किसी शर्त के शाही अधिमान नीति को अपना लिया था। शाही अधिमान नीति कुछ समय पूर्व भारत की व्यापारिक नीति का एक सहव्यपूण अंग थी। किन्तु आजकल उसे शाही अधिमान न कह कर राष्ट्रमण्डलीय अधिमान (Common Wealth Preference) कहा जाता है। इस नीति के अन्तर्गत भारत सरकार ने राष्ट्रमण्डलीय देशों को कई प्रकार की प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें प्रदान की थीं और बदले में उनसे भी इस प्रकार की रियायतें प्राप्त की थी। कुछ लोगों का विचार है कि भारत सरकार को अब इस नीति का परित्याग कर देना चाहिए, परन्तु भारत सरकार का यह मत है कि इस समय भारत को इस नीति से हानि की अपेक्षा लाभ अधिक ही रहा है। यदि भविष्य में किसी समय भारत के विदेशी व्यापार का स्वरूप बदल जाना है अर्थात् राष्ट्रमण्डलीय देशों के साथ भारत का व्यापार कम हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भारत इस नीति का परित्याग करने में नहीं हिचकिचायेगा।

जैसा कि सुविदित है, 1 जनवरी 1973 को ब्रिटेन यूरोपीय साझा मण्डी का सदस्य बन गया था। उसी दिन ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को नोटिस देकर सन् 1932 के ओटावा समझौते को समाप्त कर दिया था। 31 जनवरी 1973 से भारतीय माल को ब्रिटिश बाजार में मिलने वाली सभी प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें ब्रिटेन द्वारा वापस ले ली गयी थी। इस तिथि के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय माल पर ऊँचे तट-कर लगाने प्रारम्भ कर दिए थे। इससे भारतीय निर्यातों पर प्रतिशुल्क प्रभाव पठना स्वाभाविक ही है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ब्रिटेन ने भारत के हितों की बलि दे दी थी।

(ख) द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते (Bilateral Trade Agreements)—जब दो देशों के बीच अल्पकाल के लिए कोई व्यापारिक समझौता किया जाता है तो इसे द्विपक्षीय समझौता कहते हैं। अल्पकाल से यहाँ पर अभिप्राय एक वर्ष या उससे कम अवधि का है। जब समझौते की अवधि समाप्त हो जाती है तब समझौते की अवधि को बढ़ा दिया जाता है अथवा उसके स्थान पर नया समझौता कर लिया जाता है। इस प्रकार द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सदैव अस्थायी होते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार के समझौते स विश्व के देशों के बीच स्वतन्त्र व्यापार में अडचनें उत्पन्न हो जाती हैं और विदेशी व्यापार की मात्रा कम हो जाती है। अतः इस प्रकार के द्विपक्षीय समझौतों की विश्व व्यापार के हितों में नही समझा जाता। परन्तु जिन देशों के बीच इस प्रकार का समझौता किया जाता है उनके व्यापार में अवश्य ही वृद्धि होती है।

सन् 1947 के बाद भारत ने अपने व्यापार का बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते किये हैं, जैसे भारत व चेकोस्लोवाकिया, भारत व यूगोस्लाविया, भारत व पोलैंड, भारत व बल्गारिया, भारत व रूमानिया, भारत व रूस, भारत व नाबे, भारत व स्वीडन, भारत व इराक, भारत व पश्चिमी जर्मनी, भारत व पाकिस्तान, भारत व यू०ए० आर०, भारत व सूडान, भारत व श्रीलंका। सन् 1965-66 में भारत तथा रूस के बीच होने वाले व्यापार को सन् 1979 तक दुगुना कर दिया जाना था। इस प्रकार दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार के मूल्य को 75 करोड़ रु० से बढ़ाकर 150 करोड़ रु० कर दिया जायगा। 31 मार्च 1966 को भारत के लगभग 31 देशों के साथ इस प्रकार के समझौते थे। इन समझौतों से भारत ने विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सन् 1967-68 में भारत यू० ए० आर० (U A R) एव यूगो स्लाविया (Yugoslavia) के बीच निपक्षीय व्यापारिक समझौता हुआ था। इसी बीच ब्राजील, मंगोलिया एव फिलीपीन्स के साथ नये व्यापारिक समझौते किये गये थे। सन् 1968-69 में उत्तरी कोरिया, ब गारिया पूर्वी जर्मनी पोलैंड तथा रूमानिया के साथ नये व्यापारिक समझौते किये गये थे। सन् 1971-72 में बंगला देश (बांग्ला) में भारतीय उच्च आयोग की देखरेख में एन वाणिज्य क रॉल्य स्थापित किया गया था।

सन् 1974-75 में भारत ने बंगला देश, बर्मा, पाकिस्तान, कोरिया, उत्तरी वियतनाम, कुवैत रूस बल्गारिया रूमानिया इत्यादि देशों से द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते किये थे।

राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation)

राज्य व्यापार निगम की स्थापना मई 1956 में की गयी थी। इसकी अधिकृत पूँजी 5 करोड़ रु० है। यह पूणत भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी देशों के साथ भारत के व्यापार को प्रोत्साहित करना है। अत यह निगम इन देशों को भारतीय माल निर्यात करता है और भारत के उद्योगों के लिए उसके कच्चे माल का आयात करता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि निगम केवल समाजवादी देशों के साथ ही व्यापार करता है। निगम ने गैर-समाजवादी देशों के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया है। निगम भारत के परम्परागत एव गैर-परम्परागत निर्यातों को बढ़ाने की चेष्टा करता है। इनमें कुछ देशों के साथ वस्तु विनिमय सौदे (barter deals) भी किये हैं जिनके अन्तर्गत कुछ आवश्यक कच्चे माल का विदेशों से आयात किया गया है। निगम भारत के लघु उद्योगों के माल के लिए भी विदेशों में नये बाजारों की खोज करता है। सन् 1974-75 में इस निगम ने लगभग 794

गरोड़ रु० के मूल्य का व्यापार किया था। इसके द्वारा बिन वस्तुओं का निर्यात किया गया है, वे इस प्रकार हैं सूती एव ऊनी कपड़ा, रासायनिक पदार्थ, जूते, कच्ची अपीम, फलों का रस, लेमान्-नग्रास तेल, रेलों का सामान, इञ्जीनियरिंग वस्तुएँ इत्यादि। इसके द्वारा आयात की गयी वस्तुएँ इस प्रकार थीं। भारी मशीनें एव इञ्जीनियरिंग पदार्थ, औद्योगिक कच्चा माल, रासायनिक पदार्थ, सोयाबीन का तेल, अखबारी कागज, कच्ची ऊन इत्यादि, जहाँ तक निर्यातों का सम्बन्ध है, राज्य व्यापार निगम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस समय 41 देशों से यह निगम 108 निर्यात-वस्तुओं में व्यापार कर रहा है। यहाँ तक कि रूस, थाईलैण्ड, श्रीलंका, बर्मा एव दक्षिणी कोरिया जैसे देशों को रेलों का सामान निर्यात करने में भी इसने बहुमूल्य सहायता दी है। सन् 1967-68 में निगम ने रूस से 200 और दक्षिणी कोरिया से 1100 मालगाड़ी के डिब्बों के आर्डर प्राप्त किये थे। विश्व बाजारों में व्यापार-सम्बन्धी प्रवृत्तियों से सम्पर्क बनाये रखने हेतु निगम ने बगक्रीक, बेरुत, बुडापेस्ट, काहिरा, कोलम्बो, पूर्वी बर्लिन, लागोस, मोण्ट्रीयाल, चास्को नेरोबी प्राग, रोटटरडम एव तेहरान में अपने कार्यालय स्थापित कर रखे हैं। यह निगम भारत के साव्यंजनिक क्षेत्र में एक सफल सरकारी उपक्रम का ज्वलन्त उदाहरण है। सन् 1975-76 में निगम द्वारा किये गये निर्यातों का कुल मूल्य 760 करोड़ रु० था जबकि सन् 1974-75 में 559 करोड़ रु० के निर्यात किये गये थे। यह सुझार विशेषतः चीनी, चमड़ा, सीमेंट, तिलहन, तमक इत्यादि का अधिक निर्यात करने से हुआ था। इसी प्रकार सन् 1975-76 में निगम द्वारा किये गये आयातों का कुल मूल्य 217 करोड़ रु० था जबकि सन् 1974-75 में 232 करोड़ रु० के आयात किये गये थे। इस प्रकार सन् 1975-76 में आयातों के मूल्य में 6 प्रतिशत की कमी हुई थी। विगत 16 वर्षों में इस निगम ने सरकार को लगभग 597 करोड़ रुपये आयकर एव लाभांश के रूप में दिये गये हैं। इसकी रिजर्व निधि लगभग 134 करोड़ रुपये है।

राज्य व्यापार निगम का एक सहायक (subsidiary) निगम भी है। इसे हस्तशिल्प एव हाथकर्मा उत्पादन निर्यात निगम (Handicrafts and Handlooms Export Corporation) कहा जाता है। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प एव हाथकर्मा उद्योगों के माल के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। सन् 1975-76 में इस निगम द्वारा किये गये निर्यातों का कुल मूल्य 10 करोड़ रुपये था।

अप्रैल 1963 में भारत सरकार ने देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने हेतु एक अन्य निगम की स्थापना की थी। इसे खनिज एव धातु व्यापार निगम (Minerals and Metals Trading Corporation) का नाम दिया गया था। यह निगम भी पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रु० है। इस निगम के दो उद्देश्य हैं—प्रथम, विदेशों को कच्चे खनिज पदार्थों (mineral ores) का निर्यात करना तथा उनसे धातुओं का आयात करना। दूसरे, भारतीय निर्यातों का विविधीकरण (diversification) करने हेतु कच्चे खनिज पदार्थों के लिए नये नये विदेशी बाजारों की खोज करना। इस समय निगम समग्र एकाधिकारात्मक आधार पर कच्चे लोहे का निर्यात कर रहा है। इसके द्वारा निर्यात किये जाने वाले अन्य खनिज पदार्थ हैं—कोयला, बॉक्साइट (bauxite), फेरो-मैंगनीज (ferro-manganese) इत्यादि। सन् 1975-76 में इस निगम ने 168 करोड़ रु० के निर्यात किये थे जबकि सन् 1974-75 में निर्यातों का कुल मूल्य 138 करोड़ रु० ही था। इसके द्वारा आयात किये जाने वाले मुख्य पदार्थ हैं—इस्पात, ताँबा, टिन, जस्ता, निकल (nickle), प्लैटिनम (Platinum)। सन् 1975-76 में निगम द्वारा किये गये आयातों का कुल मूल्य 539 करोड़ रु० था जबकि सन् 1974-75 में आयातों का कुल मूल्य 496 करोड़ रु० था।

हवाना चार्टर (Havana Charter)

दूसरे विश्व युद्ध के कारण विभिन्न देशों को काफी आर्थिक हानियाँ उठानी पड़ी थीं। अतः युद्ध के बाद सभी देशों ने यह अनुभव किया कि आर्थिक उन्नतिके लिए अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन किया गया था। इस सम्मेलन में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के सुझाव प्रस्तुत

किये गये थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर एक चार्टर बनाया गया और स्वीकृति हेतु इसे विभिन्न देशों को भेजा गया था। अन्त में, मार्च 1948 में हवाना में एक विधान बनाया गया जो हवाना चार्टर के नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ। इस चार्टर पर 56 देशों ने अपनी सहमति प्रकट की थी। भारत भी उनमें से एक देश था।

हवाना चार्टर का उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में पड़ने वाली अड़चनों एवं बाधाओं को दूर करके उसे बढ़ावा देना है। अतः इस चार्टर के अन्तर्गत सभी देशों से यह अपील की गयी थी कि वे अपने विदेशी व्यापार पर लगाये गये प्रतिबन्धों को दूर अथवा कम करें। इस प्रकार हवाना चार्टर ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण योग दिया है।

व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता (General Agreement on Trade and Tariffs)

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर भिन्न-भिन्न प्रकार के सरक्षण सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाने के लिए अमरीका तथा 23 अन्य देशों ने मिलकर एक समझौता किया था। इस समझौते के अन्तर्गत यह निश्चित किया गया कि यदि कोई देश किसी दूसरे देश को प्रशुल्क सम्बन्धी रियायत देता है तो वह रियायत सभी देशों को देनी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, कोई सदस्य देश अन्य देशों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। इस समझौते के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे—(क) सदस्य देशों में व्यापार सम्बन्धी भेद भाव को हटाकर मित्रता की भावना उत्पन्न करना, (ख) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर लगाये गये भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रतिबन्धों को दूर व कम करना, (ग) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अन्य कदम उठाना।

प्रारम्भ में इस समझौते पर 23 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये थे परन्तु आगे चलकर सदस्यों की संख्या 39 हो गयी थी। इस समझौते के अन्तर्गत विभिन्न देशों के बीच 147 द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते किये गये थे। इनके अन्तर्गत, विभिन्न देशों ने एक दूसरे को प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें प्रदान की थीं। ब्रिटेन, अमरीका आदि देशों ने भी आयात-प्रशुल्कों में कुछ कमी की थी। अतः इस प्रकार इस सामान्य समझौते के कारण विभिन्न देशों ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्धों में कमी करके इसे बढ़ावा दिया। जुलाई 1948 में भारत ने भी इस समझौते के अन्तर्गत विभिन्न देशों को प्रशुल्क सम्बन्धी छूट देनी स्वीकार की। भारत को कुछ वस्तुओं पर प्रशुल्क सम्बन्धी छूट मिली है—सूती कपड़ा, जूट का सामान, नारियल की चटाइयाँ, मसाले, चमड़े का सामान, काजू वालीन, अन्नक आदि। इस समझौते के अन्तर्गत भारत ने इन देशों के साथ व्यापारिक समझौते भी किये हैं—अमरीका, कनाडा, चैकोस्लोवाकिया, ब्यूबा, इटली, स्वीडन, फिनलैण्ड, सीरिया, लेबनान आदि।

विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक बातचीत हेतु 1 मई, 1964 को जेनेवा में GATT द्वारा एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसे Kennedy Round of Negotiations कहा जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आपसी बातचीत द्वारा तट-करों (tariff duties) में कमी करके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। 30 जून, 1967 को सदस्य देशों द्वारा एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये थे। इसके अनुसार औद्योगिक वस्तुओं के आयात पर तट-कर (Custom duty) लगभग 30 प्रतिशत कम कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह में उपस्थित बाधाओं को दूर अथवा कम करने के प्रयास भी किये जाने थे। उपर्युक्त सन्धि के अन्तर्गत अमरीका, ब्रिटेन तथा कुछ अन्य पश्चिमी देशों ने 1 जनवरी, 1968 से विकासशील देशों से आयातित माल पर लगाये जाने वाले तट-करों में कटौती कर दी थी। सन 1968-69 में GATT के प्रयासों के परिणामस्वरूप व्यापारिक नीतियों का कुछ और अधिक उदारकरण (liberalisation) हुआ था। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को कुछ और रियायतें दी गयीं, यद्यपि ये रियायतें अधिक नहीं थीं। GATT का 26 वाँ अधिवेशन फरवरी, 1970 में जेनेवा में हुआ था। इस अधिवेशन में विकासशील देशों की व्यापारिक स्थिति में सुधार करने हेतु अनेक सुझाव प्रस्तुत किये गये थे, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति निसन द्वारा 15 अगस्त, 1971 को घोषित नवीन आर्थिक नीति ने GATT के सभी प्रयासों पर पानी फेर दिया है। इसके अन्तर्गत, अमरीकी सरकार ने विकासशील देशों से आयात किये गये माल पर 10

प्रतिशत अतिरिक्त आयात कर लगा दिया था। यही नहीं, विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भी 10 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी थी।

सन् 1974-75 में GATI के अन्तर्गत भारत ने समुक्त राज्य अमरीका, तथा आस्ट्रिया यूरोपीय सझा मण्डी के देशों से नये दिपक्षीय समझौते किये थे। इनके अधीन इन देशों ने भारत से आयात किये जाने वाले सूती कपडे के कोटों में वृद्धि कर दी थी।

समुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (U N Conference on Trade and Development)

यह सम्मेलन 23 मार्च से 16 जून, 1964 तक जेनेवा में हुआ था। इसका आयोजन समुक्त राष्ट्र सभ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (U N Economic and Social Council) द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना तथा विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापारिक उपायों का सुझाव देना था। अतः इस सम्मेलन में यह विचार किया गया कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह में उपस्थित बाधाओं एवं अडचनों को कैसे दूर किया जाय और विकासशील देशों के निर्यातों को कैसे प्रोत्साहित किया जाय। विचार विमर्श के उपरान्त अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु कई सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन ने एक व्यापार एवं विकास बोर्ड (Trade and Development Board) की स्थायी आधार पर स्थापना भी की थी। यह बोर्ड समुक्त राष्ट्र सभ की स्थायी मशीनरी के रूप में काम करता रहेगा। इस बोर्ड के लिए 65 सदस्य सम्मेलन द्वारा चुने गये थे। भारत भी इस बोर्ड का सदस्य है।

लेकिन खेद का विषय है कि इस सम्मेलन की सिफारिशों के बावजूद विकसित देशों की सरकारों ने अ विकसित देशों के निर्यातों को प्रोत्साहन देने हेतु अपने आयात सम्बन्धी प्रविबन्धों को अधिक ढीला नहीं किया है।

दूसरा समुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) फरवरी, मार्च 1968 में नयी दिल्ली में हुआ था। लेकिन इसमें भी अल्प-विकसित देशों को व्यापार-सम्बन्धी कोई विशेष-नियामतें नहीं मिली। वास्तव में, यह सम्मेलन विफल ही रहा। अल्प विकसित देशों को इस सम्मेलन से घोर निराशा ही हुई थी। इस सम्मेलन ने चोड़ी बहुत जो सिफारिशें की हैं, विकसित देश उन्हें क्रियान्वित करने में आना कानी कर रहे हैं। विकसित देशों के इस रवैये से सम्मेलन के महामन्त्री डॉ० रॉल प्रेबिच (Raul Prebisch) इतने निराश हुए कि उन्होंने सितम्बर 1968 में अपने पद से त्यागपत्र ही दे दिया था। लेकिन विकसित देशों पर इसका भी कुछ प्रभाव नहीं पडा है। वास्तव में, विकसित देशों का यह स्वार्थपूर्ण रवैया बहुत ही खेदजनक है। सत्य तो यह है कि विकसित देश अपने आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों को ढीला करके विकासशील देशों की सहायता नहीं करना चाहते।

समुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास का तीसरा सम्मेलन (UNCTAD III) अप्रैल 1972 में चिली की राजधानी सान्ताएगो (Santiago) में आयोजित किया गया था। लेकिन इस सम्मेलन से भी कोई विशेष परिणाम न निकले। विकासशील देशों के प्रति विकसित देशों का रवैया यथापूर्व अग्रहानुभूतिक एवं निराशाजनक ही रहा।

समुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास का चौथा सम्मेलन मई 1976 में नैरोबी (Nairobi) में हुआ था। इस सम्मेलन में मुख्यतः एकीकृत वस्तु-कार्यक्रम (integrated commodities programme) पर विचार विमर्श हुआ था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि विकासशील देशों द्वारा निर्यात किये जाने वाले कुछ कच्चे पदार्थों का भण्डार (stock piling) कर लिया जाये। इस भण्डार का वित्तपोषण (finance) करने हेतु विशेष कोष स्थापित किया जाय। इस में 3 वित्तियन अमरीकी डालरों की धनराशि जमा की जाये। यह धनराशि विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देशों द्वारा प्रदान की जाय। इस कोष की धनराशि का प्रयोग कच्चे पदार्थों का भण्डार करने के लिये किया जाय। इस भण्डार का उद्देश्य कच्चे माल की अन्तरराष्ट्रीय कीमती में होने वाले भारी उतार-चढ़ाव को रोकना था। (स्मरण रहे इन्ही उतार-चढ़ाव के कारण विकासशील देशों को बहुत हानि होती है।) इस विषय पर UNCTAD द्वारा एक प्रस्ताव

पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार परवरी, 1978 तक विकसित एवं विकासशील देशों के बीच वस्तु मण्डार-निर्माण के विषय पर वार्ताएँ चलेंगी। तदुपरान्त कोई ठोस निर्णय लिया जा सकेगा।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1 विवेचनात्मक संरक्षण के अर्थ को समझाइए। क्या वह एक पिछड़े हुए देश की औद्योगिक प्रगति के लिए सहायता प्रदान कर सकता है? (सागर 1962, आगरा, 1972)

[संकेत—प्रथम भाग में विवेचनात्मक संरक्षण का अर्थ बताते हुए इसकी व्याख्या कीजिए और स्पष्टतः बताइए कि पुरानी संरक्षण नीति के अन्तर्गत भारतीय उद्योगों को संरक्षण देते समय किन किन शर्तों पर जोर दिया जाता था? दूसरे भाग में, यह बताइए कि एक पिछड़े हुए देश की औद्योगिक प्रगति के लिए विवेचनात्मक संरक्षण की नीति नितान्त अपर्याप्त सिद्ध होती है। इस सम्बन्ध में भारत का ही उदाहरण प्रस्तुत कीजिए और बताइए कि दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व इसी नीति के परिणामस्वरूप देश का पर्याप्त औद्योगिक विकास नहीं हो सका था। इसका कारण यह था कि यह नीति उदार, सुनिश्चित एवं औद्योगिक विकास के अनुकूल नहीं थी।]

- 2 भारतीय प्रशुल्क आयोग (1949-50) की मुख्य सिफारिशों की विवेचना कीजिए। (सागर, 1960)

[संकेत—यहाँ पर भारतीय प्रशुल्क आयोग की मुख्य सिफारिशों की तीन उपशीर्षकों के अन्तर्गत विवेचना कीजिए—(क) प्रतिरक्षा एवं आधारमूलक उद्योगों के सम्बन्ध में सिफारिशें (ख) अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में सिफारिशें, (ग) सरक्षित उद्योगों पर डाले गये दायित्वा के सम्बन्ध में सिफारिशें। अन्त में, यह निष्कर्ष निकालिए कि भारतीय प्रशुल्क आयोग की उपर्युक्त सिफारिशें देश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई हैं। स्मरण रहें कि भारत सरकार ने इन सभी सिफारिशों को पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया था।]

- 3 भारत में विवेकपूर्ण संरक्षण की नीति की असफलताओं की विवेचना कीजिए। (सागर, बी० कॉम० 1972)

[संकेत—यहाँ पर पहले विवेकपूर्ण संरक्षण का अर्थ बताते हुए इसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तदुपरान्त, इस नीति की असफलताओं की विवेचना कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि इसके कारण इस मात्रा तक देश का औद्योगिक विकास सम्भव हो सना था। साथ ही यह भी स्पष्ट कीजिए कि यह नीति कोई अधिक उदार एवं कारगर सिद्ध नहीं हुई थी।]

- 4 निम्न पर लघु टिप्पणियाँ लिखिए

(क) शाही अधिमान नीति,

(ख) द्विपक्षीय व्यापार समझौते।

[संकेत—प्रथम भाग में शाही अधिमान नीति का इतिहास बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह भारत को व्यापारिक नीति वा एक महत्वपूर्ण अंग रही है और इससे भारत को लाभ प्राप्त हुए हैं। दूसरे भाग में, द्विपक्षीय व्यापार समझौते का अर्थ समझाते हुए इसकी उपयोगिता की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारत सरकार ने किन किन देशों के साथ इस प्रकार के समझौते किये हैं।]

21

भारत का विदेशी व्यापार (India's Foreign Trade)

भारत के विदेशी व्यापार के इतिहास को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं

(1) दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व विदेशी व्यापार—प्राचीनकाल में विश्व के विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध हुआ करते थे। भारत उस समय विदेशों को सूती कपड़ा, धातु के बर्तन गरम मसाले हाथी के दाँत आदि वस्तुओं का निर्यात किया करता था और बदले में शराब सोना घोड़े इत्यादि का आयात किया करता था। मुगलकाल में भारत के समुद्री व्यापार में कुछ कमी हो गयी परन्तु इस काल में भारत यूरोप व चीन के साथ व्यापार करता रहा। मुगलों के बाद भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company) का आधिपत्य स्थापित हुआ था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत से सूती कपड़े तथा मलमल का ब्रिटेन को निर्यात किया करती थी। परन्तु ब्रिटेन में औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् भारत के इस व्यापार का स्वरूप बदल गया था। इसका कारण यह था कि अब ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं के आयात पर भारी कर लगाने शुरू कर दिये थे। इसके परिणामस्वरूप अब भारत ब्रिटेन को तैयार माल के स्थान पर कच्चे माल का निर्यात करने लगा। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में विदेशी व्यापार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि रेलों के बन जाने से माल के आवागमन में काफी सुविधा हो गयी थी। परन्तु प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ जाने के कारण भारत के विदेशी व्यापार में कमी हो गई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि युद्ध के कारण व्यापार के लिए समुद्री जहाज उपलब्ध नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने पर भारत के विदेशी व्यापार में पुनः वृद्धि हुई परन्तु भारत की निर्यात उस मात्रा में नहीं बढ़ सके जिसमें कि आयातों की वृद्धि हुई थी। इसका मुख्य कारण भारत के विदेशी विनिमय-दर की प्रतिकूलता थी। सन् 1929 में महामन्दी (great depression) के कारण भारत के विदेशी व्यापार में अत्यधिक कमी हो गयी थी। इसका कारण यह था कि मन्दी के कारण तैयार माल की अपेक्षा कच्चे माल की कीमतों में अधिक कमी हुई थी। परिणामतः आयातों की तुलना में भारत के निर्यात बहुत कम हो गये थे। सन् 1934 के बाद महामन्दी का प्रभाव धीरे धीरे कम होने के कारण भारत के विदेशी व्यापार में कुछ थोड़ी बहुत वृद्धि होने लगी थी।

(2) दूसरे विश्व युद्ध के दौरान (1939-44) विदेशी व्यापार—दूसरे विश्व युद्ध के शुरू हो जाने के दो वर्षों तक भारत के आयात एवं निर्यात दोनों में ही वृद्धि हुई और इस प्रकार भारत का कुल विदेशी व्यापार बढ़ गया। परन्तु सन् 1942-43 में निर्यातों एवं आयातों में भारी कमी हुई। सन् 1943-44 में भी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था। सन् 1944-45 में निर्यात तथा आयात दोनों ही बढ़ गये, परन्तु निर्यातों की तुलना में आयात अधिक मात्रा में बढ़े थे। समूचे युद्धकाल में ब्रिटेन के प्रति भारत का व्यापार-सन्तुलन अनुकूल रहा था। भारत के युद्ध-कालीन विदेशी व्यापार की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(क) युद्ध के छिड़ जाने से शत्रु देशों (जर्मनी, इटली, और जापान) से भारत का व्यापार बिलकुल बन्द हो गया, (ख) दक्षिणी पूर्वी एशिया के जिन देशों पर जापान ने अधिकार कर लिया था, उनके साथ भी भारत का व्यापार समाप्त हो गया, (ग) युद्धकाल में भारत का व्यापार-सन्तुलन अनुकूल ही रहा, (घ) युद्धकाल में भारत के आयातों एवं निर्यातों पर सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये, (ङ) व्यापार सन्तुलन की अत्यधिक अनुकूलता के कारण युद्धकाल में भारत ने बड़ी मात्रा में पीण्ड पावने (sterling balances) अर्जित कर लिये थे। इसका कारण यह था कि भारत द्वारा विदेशों को सप्लाई किये गये माल का भुगतान प्रायः स्टर्लिंग (sterling) में ही किया जाता था। इस प्रकार भारत ने बड़ी मात्रा में पीण्ड पावने एकत्रित कर लिये, किन्तु भारतीय निर्यातकर्ताओं को उनके माल का भुगतान भारतीय मुद्रा में ही किया जाता था। इसी कारण भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में पीण्ड पावने की प्रतिभूति (security) के आधार पर मुद्रा का निर्गमन किया जिससे देश में मुद्रा-स्फीति की वशा उत्पन्न हो गई, (च) युद्धकाल में साम्राज्य डालर कोष (Empire Dollar Pool) की स्थापना के फलस्वरूप भारत के लिए अमरीका से माल खरीदना कठिन हो गया था। इसका कारण यह था कि भारत को अमरीका से अपने माल के बदले जो डालर प्राप्त होते थे वे सभी के सभी कोष में जमा कर दिये जाते थे और अपनी आवश्यकताओं के लिए भारत को डालर के कोष से डालर प्राप्त करने पड़ते थे, परन्तु डालर कोष भारत को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार डालर नहीं दिया करता था। इस कारण भारत को अमरीका से माल आयात करने में कठिनाई होती थी।

(3) युद्धोत्तरकाल (1945-50) में विदेशी व्यापार—युद्धोत्तरकाल में भारत के आयातों में तीव्र वृद्धि हुई, परन्तु निर्यातों में कमी हो गयी जिसके फलस्वरूप भारत का व्यापार-सन्तुलन बहुत ही प्रतिकूल हो गया था। स्मरण रहे कि युद्धकाल में भारत का व्यापार-सन्तुलन बहुत अनुकूल रहा था। युद्धोत्तरकाल में भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार रही हैं— (क) युद्धोत्तरकाल में भारत के विदेशी व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई। सन् 1945 में भारत का कुल विदेशी व्यापार 461 करोड़ रुपये के मूल्य का था। सन् 1950 में यह बढ़कर 966 करोड़ रुपये के मूल्य का हो गया, (ख) सन् 1945 में सर्वप्रथम भारत का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल हुआ था। तब से लेकर आज तक यह प्रतिकूल ही है, (ग) युद्धकाल में भारत सरकार ने आयातों पर कड़े प्रतिबन्ध लगा रखे थे जिनके परिणामस्वरूप देश में उपभोग्य वस्तुओं की बहुत कमी हो गयी थी, परन्तु युद्धोत्तरकाल में भारत सरकार ने इन प्रतिबन्धों को ढीला कर दिया जिसके परिणामस्वरूप आयातों में बहुत वृद्धि हुई और व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल हो गया, (घ) सन् 1947 में विभाजन के फलस्वरूप देश में खाद्यान्नों तथा जूट और कपास की बहुत कमी हो गयी थी। अतः इन्हीं विदेशों से आपात करना आवश्यक हो गया था, (ङ) व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए सरकार ने कई प्रकार के उपायों का आश्रय लिया, परन्तु इसके बावजूद व्यापार-सन्तुलन की प्रतिकूलता में कमी न हो सकी, (च) सितम्बर 1949 में विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रतिकूलता से विवश होकर भारत सरकार ने रुपये का डालर के रूप में अवमूल्यन (devaluation) कर दिया था। वास्तव में, पहले ब्रिटेन ने पाँड का डालर के रूप में अवमूल्यन किया था। भारत ने भी ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए रुपये का डालर के रूप में 30.5 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया था। परिणामतः भारत के निर्यातों में वृद्धि हुई और आयातों में कमी। इससे व्यापार-सन्तुलन की प्रतिकूलता में कमी हो गयी। परन्तु अवमूल्यन का यह प्रभाव क्षणिक ही सिद्ध हुआ था।

(4) योजना काल (1950-74) में विदेशी व्यापार—इस अवधि को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है (क) प्रथम व द्वितीय योजनाकाल, (ख) तृतीय योजनाकाल, (ग) चतुर्थ योजनाकाल।

(क) प्रथम व द्वितीय योजनाकाल—प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का भारत के विदेशी व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा था। प्रथम योजनाकाल में भारत के कुल आयात 3,620 करोड़ रुपये और कुल निर्यात 3,045 करोड़ रुपये के हुए थे। इस प्रकार आयातों का वार्षिक सत 724 करोड़ रुपये और निर्यातों का वार्षिक औसत 609 करोड़ रुपये था। प्रथम योजना-

काल में भारत का व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल ही रहा। दूसरे योजनाकाल में भारत के कुल आयात 5,360 करोड़ रुपये और निर्यात 3,070 करोड़ रुपये के हुए थे। इस प्रकार आयातों का वार्षिक औसत 1,072 करोड़ रुपये और निर्यातों का वार्षिक औसत 614 करोड़ रुपये था। परिणामतः दूसरे योजनाकाल में भारत का व्यापार-सन्तुलन पहले योजनाकाल की तुलना में और भी अधिक प्रतिकूल हो गया था। इसका प्रमुख कारण यह था कि दूसरे योजनाकाल में विकास सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बड़े पैमाने पर मशीनों, पुर्जों तथा कच्चे माल का आयात किया गया था परन्तु इस अवधि में भारत के निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं की जा सकी थी। यद्यपि दूसरे योजनाकाल में निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई प्रकार के कदम उठाये थे।

(ख) तृतीय योजनाकाल—तृतीय योजनाकाल में भारत के कुल आयात 6,208 करोड़ रु० और निर्यात 3,812 करोड़ रु० के हुए थे। इस प्रकार आयातों का वार्षिक औसत 1,241 करोड़ रु० और निर्यातों का वार्षिक औसत 762 करोड़ रु० था। फलतः तृतीय योजनाकाल में भारत का भुगतान-सन्तुलन (balance of payments) दूसरे योजनाकाल से भी अधिक प्रतिकूल हो गया था। इसका मुख्य कारण यह था कि तीसरी योजना में विकास-सम्बन्धी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु मशीनों, कल पुर्जों एवं कच्चे माल का बड़े पैमाने पर आयात किया गया था। लेकिन निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं की जा सकी थी।

(ग) चतुर्थ योजनाकाल—चौथी पन्चवर्षीय योजना में आयातों का मूल्य (अवमूल्यनोत्तर कीमतों में) 9,730 करोड़ रु० आँका गया था जबकि निर्यातों के मूल्य का अनुमान (अवमूल्यनोत्तर कीमतों में) 8,300 करोड़ रु० लगाया गया था। इस प्रकार चौथी योजना में भी भारत का भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल ही रहा था।

योजनाकाल में भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(क) कुल व्यापार में वृद्धि—सन् 1950 से भारत के विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि होती रही है, (ख) व्यापार-सन्तुलन की प्रतिकूलता—सन् 1950-51 से ही भारत के व्यापार-सन्तुलन में प्रतिकूलता चली आ रही है। समय के साथ-साथ व्यापार-सन्तुलन की इस प्रतिकूलता में निरन्तर वृद्धि होती चली जा रही है। इसके दो मुख्य कारण हैं। प्रथम, भारत को खाद्य-संकट का मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ रहा है। दूसरे, विकास सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विदेशों से बड़े पैमाने पर पूँजीगत माल (capital equipment) का आयात किया जा रहा है, (ग) कच्चे माल एवं पूँजीगत माल के आयात में वृद्धि—योजनाकाल में उपभोग्य वस्तुओं के आयात में तो कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, परन्तु कच्चे माल एवं पूँजीगत माल के आयात में बहुत वृद्धि हुई है। इसका कारण देश में तेजी से होने वाला औद्योगिक विकास है, (घ) निर्यातों को प्रोत्साहन—व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता को कम करने के लिए सरकार ने निर्यातों को सभी सम्भव तरीकों से प्रोत्साहन दिया है। परन्तु इनके बावजूद योजनाकाल में देश के निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो सकी, (ङ) भारत के आयात मुख्यतः अमरीका से और निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन को हुए—योजनाकाल में भारत के आयात मुख्यतः अमरीका से ही हुए, क्योंकि पूँजीगत माल की खरीद काने के लिए अमरीका सर्वोत्तम स्थान है। इसमें सन्देह नहीं कि भारत में रूस, पश्चिमी जर्मनी, जापान आदि देशों से भी पूँजीगत माल का आयात किया है, परन्तु जहाँ तक भारत के आयातों का सम्बन्ध है, अमरीका का स्थान सर्वोच्च है। इसके विपरीत, भारत के निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन को ही हुए हैं।

भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ (Characteristics of India's Foreign Trade)

भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(1) भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। भारत के पड़ोसी देशों से अभी व्यापार विकसित नहीं हो सका है। परिणामतः भारत का 68 प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है।

(2) भारत का विदेशी व्यापार विशेषकर बम्बई, फसकत्ता और मद्रास के बन्दरगाहों द्वारा होता है। इस कारण इन बन्दरगाहों पर काफी दबाव रहता है। इसको दूर करने के लिए अब भारत सरकार काडला, कोचीन और विशाखापट्टनम के बन्दरगाहों का विकास कर रही है।

(3) भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश लाभ आज भी विदेशियों को प्राप्त हो रहा है। आयात-निर्यात करने वाली फर्मों, जहाजी कम्पनियों, विनिमय बैंक तथा बीमा कम्पनियों लगभग सभी विदेशियों के हाथों में हैं, यद्यपि अब धीरे-धीरे इनका भारतीयकरण हो रहा है।

(4) भारत के विदेशी व्यापार में ग्रेट ब्रिटेन का विशेष स्थान रहा है। परन्तु गत कुछ वर्षों से अमरीका, पूर्वी यूरोप तथा जापान आदि का भाग बढ़ रहा है। धीरे धीरे ग्रेट ब्रिटेन का भाग भारत के विदेशी व्यापार में कम होता जा रहा है।

(5) भारत के आयातों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हैं। परन्तु इनमें मशीनों, खाद्यान्नों कपास, पेट्रोल आदि का विशेष स्थान है।

(6) भारत के प्रमुख निर्यात धातु, सूती कपड़ा तथा जूट का सामान है। परन्तु इनसे प्राप्त होने वाली आय बहुत अस्थिर होती है। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं की माँग अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि किसी वर्ष इन तीन वस्तुओं की माँग घट जाती है तो देश के विदेशी व्यापार को बड़ा धक्का लगता है।

(7) भारत के आयातों में कच्चे माल और निर्यातों में तैयार माल का महत्व बढ़ रहा है। दूसरे विश्व-युद्ध से पूर्व भारत के कुल निर्यातों का लगभग 75 प्रतिशत भाग कच्चा माल होता था। भारत उस समय कपास, तिलहन के बीज अन्न, मैंगनीज आदि बाहर भेजा करता था। इसके विपरीत, भारत के कुल आयातों का लगभग 75 प्रतिशत माल तैयार माल होता था और उस समय भारत सूती कपड़ा, मशीनें चीनी आदि वस्तुओं को बाहर से आयात किया करता था। परन्तु युद्ध तथा युद्धोत्तरकाल में भारत के विदेशी व्यापार में आधारमूलक परिवर्तन हुए हैं। अब भारत के आयातों में कच्चे माल का और निर्यातों में तैयार माल का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह प्रवृत्ति भारत के तेजी से होने वाले औद्योगीकरण का परिणाम है। अब भारत कपास और जूट आदि कच्चे माल का आयात करता है और सूती कपड़ा, चीनी, कपड़ा राने वाली मशीनें, साइकिलें व बिजली के सामान आदि का निर्यात करता है।

(8) भारत के विदेशी व्यापार का सन्तुलन प्रतिकूल है। भारत के विभाजन के बाद से व्यापार-सन्तुलन भारत के प्रतिकूल रहने लगा है जिसके परिणामस्वरूप देश के समस्त विदेशी विनिमय के अभाव की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के कारण भारत में कच्चे माल तथा मशीनों आदि का आयात काफी बढ़ गया है। परन्तु अनेक प्रयत्न करने पर भी भारत के निर्यात आवश्यक मात्रा में नहीं बढ़ सके हैं। परिणामतः व्यापार सन्तुलन भारत के विपक्ष में हो गया है। यह समस्या आने वाले कई वर्षों तक भारत के सम्मुख रहेगी।

(9) भारत का प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार अभी कम है। विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार का मूल्य काफी बढ़ा है परन्तु फिर भी ग्रेट ब्रिटेन व अमरीका जैसे देशों की तुलना में भारत का प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार का मूल्य कम है।

भारत के प्रमुख आयात¹ (India's Chief Imports)

भारत के प्रमुख आयात निम्न प्रकार हैं

(1) मशीनें—दुर्भाग्य से भारत में मशीनें बनाने वाला उद्योग अभी विकसित नहीं हो सका है। इस कारण प्रतिवर्ष भारत को बड़े पैमाने पर मशीनों का आयात करना पड़ता है। विगत कुछ वर्षों में पंचवर्षीय-योजनाओं के कारण भारत में बड़ी सख्या में मशीनों का आयात हुआ है।

¹ आयात सम्बन्धी आँकड़े रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित "Report on Currency and Finance, 1975-76" से लिये गये हैं।

हमें अपने दुर्लभ विदेशी विनिमय का बड़ा भाग मशीनों के आयात पर व्यय करना पड़ता है। भारत अधिकांश मशीनें ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, रूस, जापान तथा पूर्वी यूरोप के देशों से आयात करता है। सन् 1974-75 में भारत ने मशीनों के आयात पर लगभग 670 करोड़ रुपये व्यय किये थे।

(2) लोहा व इस्पात—विगत कुछ वर्षों में भारत के तेजी से होने वाले औद्योगीकरण के कारण देश में लोहे व इस्पात की माँग बहुत बढ़ गयी है। यद्यपि हाल ही में सरकारी क्षेत्र में तीन नये इस्पात के कारखाने लगाये गये हैं और निजी क्षेत्र के कारखानों का भी उत्पादन बढ़ाया गया है तथापि भारत अभी इस्पात में स्वावलम्बी नहीं हो सका है और हमें बराबर विदेशों से इस्पात का आयात करना पड़ रहा है। इस समय भारत ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका तथा पश्चिमी जर्मनी से इस्पात का आयात कर रहा है। सन् 1974-75 में भारत ने 417 करोड़ रुपये का इस्पात विदेशों से आयात किया था।

(3) पेट्रोल—दुर्भाग्य से, भारत पेट्रोल जैसी महत्वपूर्ण वस्तु में आत्मनिर्भर नहीं है। भारत के पेट्रोल का घरेलू उत्पादन देश की केवल 8 प्रतिशत आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकता है शेष 92 प्रतिशत आवश्यकताओं के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। वास्तव में, यह हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि है। प्रतिवर्ष भारत को कुवैत, ईरान, इराक व सऊदी अरब से बड़े पैमाने पर पेट्रोल का आयात करना पड़ता है। विगत कुछ वर्षों में भारत में तेल साफ करने के कारखाने खोले गये हैं। परन्तु कूड़ आयल (crude oil) का आयात तो फिर भी करना ही पड़ता है। राइक परिवहन के विकास से भारत में पेट्रोल की माँग और भी बढ़ गयी है। सन् 1974-75 में भारत ने विदेशों से 1157 करोड़ रुपये का पेट्रोल तथा पेट्रोल से बना सामान खरीदा था।

(4) खाद्यान्न—सन् 1947 के बाद प्रतिवर्ष भारत में विदेशों से खाद्यान्न का आयात किया गया है। सन् 1951-52 में तो खाद्यान्न का आयात 228 करोड़ रुपये के लगभग पहुँच गया था। परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खाद्य उत्पादन में काफी वृद्धि हुई थी जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न का आयात कम हो गया था। सन् 1955-56 में यह घटकर केवल 17.5 करोड़ रुपये का ही रह गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न की माँग बढ़ जाने से पुनः इनका आयात रना पड़ा था। अमरीका के पी० एल० 480 के अन्तर्गत अब भारत प्रतिवर्ष अमरीका से गेहूँ और चावल का आयात कर रहा है। कनाडा से भी गेहूँ का आयात होता है और बर्मा से चावल मँगाये जाते हैं। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से भी खाद्यान्न का आयात किया गया है। सन् 1974-75 में भारत ने 763.76 करोड़ रुपये के खाद्यान्न का आयात किया था।

(5) कपास—भारत में बढ़िया किसम की लम्बे रेशे वाली कपास की कमी है। अतः इसे अमरीका, समुक्त अरब गणराज्य, सूडान तथा पाकिस्तान से आयात किया जाता है। विभाजन से पूर्व यही कनास भारत विदेशों को निर्यात किया करता था, लेकिन विभाजन के परिणामस्वरूप बढ़िया किसम की कपास पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये। भारत में जो कपास पैदा होती है, वह अधिकतर मोटे रेशे वाली होती है। जबकि उच्च कोटि का कपड़ा तैयार करने के लिए बढ़िया किसम की कपास की आवश्यकता पड़ती है। सन् 1974-75 में भारत ने 27 करोड़ रुपये की कपास का आयात किया था।

(6) जूट—विभाजन के पश्चात् जूट की भी भारत में बहुत कमी हो गयी थी, क्योंकि जूट पैदा करने वाला अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। इसलिए भारत को पाकिस्तान से जूट का आयात करना पड़ा था। परन्तु भारत सरकार ने जूट का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर कमी को अब लगभग दूर कर दिया है। सन् 1974-75 में भारत ने 4 करोड़ रुपये के मूल्य का जूट बाहर से आयात किया था।

सन् 1974-75 में भारत के कुल आयात 4518.78 करोड़ रु० के थे जबकि सन् 1973-74

² निर्यात सम्बन्धी आँकड़े "Report on Currency and Finance, 1975-76" से लिये गये हैं।

मे इनका मूल्य 2 925,37 करोड़ रुपये था। इस प्रकार सन् 1974-75 में भारत के आयातों में 1593 21 करोड़ रु० की वृद्धि हो गई थी।

भारत के प्रमुख निर्यात (India's Chief Exports)

भारत के प्रमुख निर्यात इस प्रकार हैं

(1) **जूट का सामान**—भारत के निर्यात व्यापार में जूट के सामान का महत्वपूर्ण स्थान है। जूट का सामान प्रायः टाट, बोरे, गलीचे, सुतली आदि के रूप में तैयार किया जाता है। विभाजन से पूर्व भारत के पास जूट का एकाधिकार हुआ करता था, परन्तु विभाजन के उपरान्त यह एकाधिकार समाप्त हो गया। इस समय जूट के व्यापार में बंगला देश भारत का निकट प्रतिद्वन्दी है और बंगला देश से भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। जूट के निर्यात से भारत को विदेशी विनिमय समस्या को हल करने में काफी सहायता मिलती है, क्योंकि भारत का अधिकांश जूट का सामान अमरीका को भेजा जाता है जिसके बदले में भारत को डालर उपलब्ध होते हैं। अमरीका के अतिरिक्त जूट का सामान ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त अरब गणराज्य आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि विश्व के अनेक देशों को निर्यात किया जाता है। सन् 1974 75 में भारत ने 296 करोड़ रुपये का जूट का सामान विदेशों को भेजा था।

(2) **चाय**—जूट की भांति भारत के निर्यात व्यापार में चाय का भी महत्वपूर्ण स्थान है और इसके निर्यात से भारत काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। चाय का अधिकांश निर्यात ग्रेट ब्रिटेन को किया जाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चाय के कुल निर्यात का दो तिहाई ग्रेट ब्रिटेन को और एक तिहाई अमरीका कनाडा, संयुक्त अरब गणराज्य व सूडान आदि देशों को भेजा जाता है। यद्यपि चाय का एक महत्वपूर्ण उत्पादक भारत ही है तथापि इसे लका और चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। सन् 1974 75 में भारत ने 222 करोड़ रुपये की चाय का निर्यात किया था।

(3) **सूती कपड़ा**—भारत के निर्यात व्यापार में सूती कपड़े का महत्व है। एक समय था जबकि भारत सूती कपड़ा ब्रिटेन से आयात किया करता था, परन्तु आज वही भारत सूती कपड़ा ग्रेट ब्रिटेन को निर्यात करता है। ग्रेट ब्रिटेन के अतिरिक्त, सूती कपड़ा बर्मा, मलेशिया, लका आस्ट्रेलिया तथा मध्य पूर्व के अनेक देशों को भेजा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तथा उसके बाद भारत ने पड़ोसी देशों की मण्डियों में बड़े पैमाने पर सूती कपड़ा निर्यात किया था। परन्तु दुर्भाग्य से विगत कुछ वर्षों में सूती कपड़े के विषय में भारत की स्थिति कुछ कमजोर पड़ गयी है। चीन जापान तथा ब्रिटेन अब धीरे धीरे इन मण्डियों में पुनः प्रविष्ट होने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप अब भारत के सूती कपड़े के निर्यात में कुछ कमी होती जा रही है। भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं ताकि भारत इन मण्डियों में अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त कर ले। सन् 1974-75 में भारत ने 215 करोड़ रुपये का सूती कपड़ा विदेशों को निर्यात किया था।

(4) **कच्चा लोहा**—सौभाग्य से कच्चे लोहे का भण्डार भारत में विश्व में सबसे अधिक है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेने के बाद भी भारत बड़े पैमाने पर कच्चे लोहे का निर्यात करने की स्थिति में है। कच्चे लोहे का अधिकांश निर्यात इस समय जापान को किया जा रहा है। सन् 1974 75 में भारत ने 161 करोड़ रुपये का कच्चा लोहा विदेशों को निर्यात किया था।

(5) **अन्नक (Mica)**—भारत विश्व का एक महत्वपूर्ण अन्नक उत्पादक करने वाला देश है। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत अन्नक भारत में ही होता है। अन्नक का निर्यात अधिकांशतः अमरीका, ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी को किया जाता है सन् 1974-75 में भारत ने 18 करोड़ रुपये के अन्नक का निर्यात किया था।

(6) **मैंगनीज (Manganese)**—भारत मैंगनीज का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। इस समय भारत अपने कुल उत्पादन का 3/4 भाग विदेशों को निर्यात कर देता है। सन् 1974-75 में भारत ने 17 करोड़ रुपये का मैंगनीज विदेशों को निर्यात किया था।

(7) तम्बाकू—भारतीय तम्बाकू ग्रेट ब्रिटेन, जापान, स्वीडन तथा हॉलैण्ड आदि देशों को निर्यात की जाती है। सन् 1974-75 में लगभग 80 करोड़ रुपये की निमित्त तम्बाकू विदेशों को भेजी गयी थी। इसमें से लगभग 15 करोड़ रुपये की तम्बाकू तो अकेले ग्रेट ब्रिटेन को ही निर्यात की गयी थी।

(8) चमड़ा तथा चमड़े का सामान—चूँकि भारत विश्व में अधिक पशु सख्या वाला देश है, इसलिए यहाँ पर प्रतिवर्ग बहुत बड़े पैमाने पर त्नालों का उत्पादन होता है। भारत चमड़ा तथा चमड़े की बनी हुई वस्तुएँ अमरीका, जर्मनी, फ्रांस तथा हॉलैण्ड को निर्यात करता है। सन् 1974-75 में भारत ने लगभग 145 करोड़ रुपये का चमड़ा व चमड़े का सामान विदेशों को निर्यात किया था।

(9) वनस्पति तेल—दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व भारत प्रायः तिलहनो के बजाय तेल निर्यात किया करता था, परन्तु अब तेल की मिलों का विस्तार हो जाने से भारत तिलहनो के बजाय तेल का निर्यात करता है। भारत से प्रायः मूँगफली, अलसी व अण्डी का तेल बर्मा, फ्रांस, इटली, बेल्जियम आदि देशों को निर्यात किया जाता है। सन् 1974-75 में भारत ने लगभग 34 करोड़ रुपये का तेल विदेशों को निर्यात किया था।

(10) विविध वस्तुएँ—उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त, भारत से कुछ अन्य प्रकार की वस्तुओं का भी निर्यात किया जाता है, जैसे काली मिर्च, लाख, बिजली के पत्ते, कपड़ा सीने की मशीनें, साइकिलें तथा अन्य इंजीनियरिंग वस्तुएँ आदि।

सन् 1974-75 में भारत के कुल निर्यात 3328.83 करोड़ रु० के थे जबकि सन् 1973-74 में उनका मूल्य 2523.40 करोड़ रु० ही था। इस प्रकार सन् 1974-75 में भारत के निर्यातों में लगभग 805.43 करोड़ रु० की वृद्धि हुई थी। इसके दो मुख्य कारण थे—प्रथम, इस वर्ष निर्यात-वृद्धि के लिए भारत सरकार ने विशेष कदम उठाये थे। दूसरे, कुछ महत्त्वपूर्ण निर्यात वस्तुओं जैसे चाय, कॉफी, तम्बाकू एवं लोहा-इस्पात की पूर्ति-स्थिति (supply position) में भी सुधार हुआ था। सन् 1974-75 में खाड़ी के देशों को किये जाने वाले निर्यातों में विशेष वृद्धि हुई थी।

व्यापार की दिशा (Direction of Trade)

20वीं शताब्दी के आरम्भ से भारत के विदेशी व्यापार में ब्रिटेन तथा उसके साम्राज्य के देशों का भाग बढ़ना आरम्भ हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व इन देशों का भारत के विदेशी व्यापार में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान था। परन्तु दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन तथा उसके साम्राज्य के देशों का भारत के विदेशी व्यापार में भाग निरन्तर कम होता चला गया और गैर साम्राज्य देशों का भाग बढ़ता चला गया। भारत के विदेशी व्यापार की यह प्रवृत्ति इस समय भी कार्यशील है। अमरीका, जापान तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ होते जा रहे हैं।

भारत के निर्यात व्यापार में अधिक विविधता पायी जाती है। भारतीय निर्यातों का अधिकांश भाग ब्रिटेन तथा अमरीका को ही जाता है किन्तु विगत कुछ वर्षों में पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भी भारत का निर्यात व्यापार बढ़ रहा है। इसी प्रकार नव स्वतन्त्र अफ्रीकी देशों के साथ भी भारत के व्यापारिक सम्बन्ध घनिष्ठ होते जा रहे हैं। भारत के निर्यातों में रूस का तीसरा स्थान है।

भारत के आयात सबसे अधिक अमरीका से जाते हैं, ब्रिटेन का दूसरा नम्बर है। पश्चिमी जर्मनी तथा जापान तीसरे व चौथे नम्बर पर हैं। परन्तु विगत कुछ वर्षों में द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों के कारण रूस एवं पूर्वी यूरोपीय देशों से भारत के आयात बढ़ गये हैं।

सन् 1975-76 में भारत के आयात व्यापार में संयुक्त राज्य अमरीका तथा यूरोपीय संधि बाजार के देशों (E C M Countries) का प्रतिशत भाग 32 से बढ़कर 44 हो गया था। इसका मुख्य कारण यह था कि इस वर्ष भारत ने इन देशों से अधिक आयात किये थे,

विशेषकर अमरीका से बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों का आयात किया था। लेकिन भारत के निर्यातों में इन देशों का प्रतिशत भाग 35 से घट कर 33 ही रह गया था।

एक उल्लेखनीय बात यह है कि अब भारत का ब्रिटेन के साथ व्यापार-सन्तुलन अनुकूल (favourable) हो गया है जबकि वर्षों से यह प्रतिकूल था अर्थात् अब भारत ब्रिटेन को निर्यात अधिक करता है लेकिन उससे आयात कम करता है। सन् 1975-76 में ब्रिटेन के साथ भारत के भुगतान सन्तुलन में 75 करोड़ रु० की वृद्धि हुई थी। सन् 1975-76 में अफ्रीकी देशों के साथ भारत का भुगतान सन्तुलन अनुकूल था और भारत को 103 करोड़ रु० की वृद्धि (surplus) हुई थी। इसी प्रकार पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भी भारत के भुगतान सन्तुलन में 64 करोड़ रु० का आधिक्य (surplus) था। लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका एवं यूरोपीय सन्न्याज बाजार के देशों के साथ भारत के भुगतान सन्तुलन का घाटा सन् 1975-76 में 903 करोड़ रु० था जबकि सन 1974-75 में यह घाटा केवल 273 करोड़ रु० का ही था।

विदेशी विनिमय संकट (Foreign Exchange Crisis)

विगत कई वर्षों में भारत में विदेशी विनिमय संकट चला आ रहा है। इसका मुख्य कारण भारत के विदेशी व्यापार के सन्तुलन का प्रतिकूल होना है। जैसा पूर्व कहा गया है, युद्धोत्तर काल से ही भारत का व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल चला आ रहा है। इसका कारण यह है कि विगत कुछ वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर विदेशों से पूंजीगत माल का आयात करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, कुछ उद्योगों के लिए कच्चे माल का भी आयात करना पड़ना है। विगत कुछ वर्षों से भारत की खाद्य समस्या ने भी विकट रूप धारण कर रखा है और प्रतिवर्ष भारत को बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों का आयात करना पड़ रहा है। इसके विपरीत, भारत के निर्यात उमी अनुपात में नहीं बढ़ सके जिससे आयात बढ़े हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत की निर्यात क्षमता सीमित है। इसके अतिरिक्त, भारत प्रायः कच्चे माल का ही निर्यात करता है जिसे एक निश्चित सीमा तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब भारत का व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल हो गया है और आयातों का मूल्य चुकाने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी विनिमय की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु निर्यातों के कम होने के कारण भारत पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय अर्जन नहीं कर पाता। इसलिए इस समय भारत में विदेशी विनिमय संकट चल रहा है और इस संकट का देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भारत सरकार ने विदेशी विनिमय संकट का सामना करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक तथा अनेक विदेशी सरकारों से ऋण प्राप्त किये हैं इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आयातों में भी कमी करने का प्रयत्न किया है, विशेषकर अनावश्यक आयातों को तो बिलकुल ही समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ भारत सरकार ने निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई प्रकार के कदम उठाये हैं। परन्तु इन सबके बावजूद विदेशी विनिमय संकट जारी है।

सन 1965-66 में भारत के भुगतान-सन्तुलन में लगभग 449 करोड़ रुपये का घाटा था। अतः विदेशी विनिमय संकट को दूर करने के लिए 6 जून 1966 को भारत सरकार ने रुपये का अवमूल्यन कर दिया था (स्मरण रहे भारतीय रुपये का प्रथम अवमूल्यन सितम्बर 1949 में हुआ था) किन्तु अवमूल्यन के बावजूद भारत के निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो सकी है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम भारत के विदेशी विनिमय संकट को दूर करने में पूर्णतः असफल रहा है।

सन् 1966-67 में तो विदेशी विनिमय की स्थिति बहुत ही कठिन हो गयी थी। लेकिन सन 1967-68 में इसमें थोड़ा सुधार हुआ था। विदेशी ऋणों में थोड़ी राहत, विदेशी सहायता का अधिक उपयोग निर्यातों में वृद्धि और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा दी गयी अधिक सहायता इत्यादि स्थिति में सुधार के मुख्य कारण थे। भारत की विदेशी विनिमय निधि (foreign exchange reserves) जो सन् 1966-67 में 478.44 करोड़ रु० के मूल्य की थी, सन् 1967-68 में बढ़कर 538.55 करोड़ रु० की हो गयी। सन् 1968-69 में विदेशी विनिमय निधि की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ। अब यह बढ़कर 576.70 करोड़ रु० के मूल्य की हो गयी।

सन् 1969-70 में भी स्थिति में सुधार जारी रहा। विदेशी विनिमय निधि बढ़कर 821 06 करोड़ रुपये हो गयी थी। लेकिन सन् 1970 71 में पुन इसमें गिरावट आयी और यह निधि थिरकर 732 34 करोड़ रुपये के बराबर हो गयी। सन् 1971-72 में यह निधि बढ़कर 848 68 करोड़ रु० हो गयी थी। सन् 1972-73 में इस निधि में थोड़ी गिरावट आयी थी। यह निधि अब घटकर 846 55 करोड़ रु० रह गई। सन् 1974-75 में यह निधि बढ़कर 969 24 करोड़ रुपये हो गई थी। सन् 1975 76 में भारत की विदेशी विनिमय निधि में और सुधार हुआ था और यह बढ़कर 1877 03 करोड़ रु० के मूल्य के बराबर हो गई थी। इस निधि में 182 53 करोड़ रुपये का स्वर्ण, 202 8 करोड़ रु० के SDR तथा 1491 70 करोड़ रु० की विदेशी मुद्राएँ थी। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि इस वर्ष विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने अतिनाधिक मात्रा में स्वदेश में रहने वाले सगे सम्बन्धियों को धन भेजा था। पहिले यह धन तस्करी के माध्यम से भारत आया करता था। लेकिन भारत द्वारा तस्करी का उन्मूलन किये जाने के उपरान्त यह धन अब बैंकों के माध्यम से भेजा जाने लगा है।

भारत की आयात नीति (India's Import Policy)

इस समय भारत सरकार की आयात नीति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं—देश के औद्योगिक विकास के लिए मशीनों, औजारों तथा अन्य साज-सामान के आयात में वृद्धि की जा रही है और इसके साथ ही कच्चे माल के आयात को भी बढ़ाया जा रहा है। विदेशी विनिमय की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने विदेशी सरकारों से आर्थिक सहायता भी ली है। भारत सरकार यथासम्भव यह प्रयास कर रही है कि कम आवश्यक वस्तुओं का आयात न्यूनतम कर दिया जाय ताकि देश के विदेशी विनिमय साधनों पर अधिक दबाव न पड़े। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने उपभोग्य वस्तुओं के आयात पर ऊँचे सीमा कर (customs duties) लगा रखे हैं ताकि उनका आयात निरस्तसाहित किया जा सके। इसी प्रकार कुछ अन्य वस्तुओं के कोटे भी निश्चित कर दिये गये हैं। साथ ही साथ सरकार ने लाइसेंस प्रणाली को भी जारी कर दिया है। ऐसा करने में सरकार का उद्देश्य यह है कि आयातों को यथासम्भव कम किया जाय ताकि विदेशी व्यापार का सन्तुलन अधिक प्रतिकूल न हो।

जैसा पूर्व कहा गया है 6 जून, 1966 को भारत सरकार ने रुपये का अवमूल्यन कर दिया था। इसके फलस्वरूप सरकार को अपनी आयात नीति में भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा था। रुपये के अवमूल्यन के उपरान्त विश्व बैंक ने भारत सरकार को 900 मिलियन डॉलर की अबद्ध सहायता (untied aid) देने का वचन दिया था। (अबद्ध सहायता से अभिप्राय उस विदेशी सहायता से है जिसे सरकार अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी उद्देश्य पर व्यय कर सकती है।) विश्व बैंक के अबद्ध सहायता सम्बन्धी इस आश्वासन पर भारत सरकार ने अपनी आयात-नीति को उदार कर दिया था। इसे Policy of Import Liberalisation कहा जाता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाने हेतु कुछ उद्योगों को कच्चा माल, कल पुर्जे एवं मशीनें आदि आयात करने में सहायता देना था। इस उदार नीति के अन्तर्गत देश के 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के कच्चे माल, कल पुर्जे एवं मशीनों का आयात करने के लिए विशेष लाइसेंस दिये गये थे। लेकिन इस उदार नीति का भारत के उत्पादन-स्तर पर अभी तक कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है अर्थात् उत्पादन की मात्रा में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो सकी है।

सन् 1967 68 में घोषित सरकार की आयात नीति का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना था। अतः सन् 1966 67 में घोषित 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को जागे चलकर भी प्राथमिकता देन का निश्चय किया गया। इन उद्योगों की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने लाइसेंस प्रणाली को और भी अधिक सरल बना दिया। सन 1968 69 में जिस आयात-नीति की घोषणा की गयी थी उससे प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों को कच्चे माल एवं पुर्जे आदि के आयात के लिए और अधिक सुविधाएँ दी गयी थी। सन् 1970-71 की घोषित आयात नीति में आयातों को और कम करने पर विशेष बल दिया गया था। इस नीति के अन्तर्गत आयात व्यापार में राख्यीय एजेंसियों की भूमिका को और अधिक व्यापक बना दिया गया था। सन् 1975-76 के लिए घोषित आयात नीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे (क) देश में

औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना (ख) गैर जरूरी आयातों को समाप्त करना और आयात प्रति स्थापन कार्यक्रम (Import Substitution Programme) को प्रोत्साहन देना (ग) कच्चे माल का आयात करने हेतु लाइसेन्सों को शीघ्रता से जारी करना। सन् 1976-77 के लिये घोषित आयात नीति के अन्तर्गत देश में औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कच्चे माल के आयात को और अधिक उदार बना दिया गया था।

समय समय पर सरकार की आयात-नीति की आलोचना की जाती है—(क) आयात-नीति में इतने जल्दी-जल्दी परिवर्तन किये जाते हैं कि देश में व्यापारिक अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इससे व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं, दोनों को ही हानि हो रही है, (ख) सरकार द्वारा जारी की गयी लाइसेन्स एव कोटा प्रणाली के कारण देश में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला है, (ग) सरकार की आयात-नीति विदेशी विनिमय की उपलब्धता पर ही निर्भर करती है, देश की औद्योगिक आवश्यकताओं पर नहीं। इसके कारण कभी-कभी तो अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए भी विदेशी विनिमय उपलब्ध नहीं होता।

भारत की निर्यात नीति (India's Export Policy)

जैसा ऊपर कहा गया है, विगत कुछ वर्षों में भारत के निर्यात लगभग स्थिर-से रहे हैं जबकि आयातों में काफी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार का सन्तुलन अधिक मात्रा में प्रतिकूल हो गया है और विदेशी विनिमय की एक कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी है। इस समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि देश के निर्यातों की अधिकतम मात्रा में बढ़ावा जाय। निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने विगत कुछ वर्षों में अनेक कदम उठाये हैं जिनमें से मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं

(1) विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन परिषदें (Export Promotion Councils) स्थापित की हैं। ये परिषदें निर्यातों को बढ़ाने हेतु सरकार के सम्मुख सुझाव रखती हैं। इन परिषदों के कारण रेशम, रेयन तम्बाकू, मसाले, इजीनिबरिंग की वस्तुएँ, खेल का सामान आदि को कुछ प्रोत्साहन मिला है।

(2) निर्यातकर्ताओं के जोखिम को कम करने के लिए सरकार द्वारा निर्यात जोखिम बीमा निगम (Export Risk Insurance Corporation) की स्थापना की गयी है।

(3) समय-समय पर भारत सरकार ने विदेशों में व्यापारिक मेले तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। इससे विदेशियों को भारतीय माल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

(4) निर्यात-वस्तुओं पर लगाये गये अधिकांश निर्यात-कर समाप्त कर दिये गये हैं। इन वस्तुओं को परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं में प्राथमिकता भी दी गयी है।

(5) विगत कुछ वर्षों से भारत सरकार ने राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation) बना रखा है जो सोवियत यूनियन तथा पूर्वी यूरोप के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयत्न करता है। इस निगम ने कुछ वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने में सहायनीय काम किया है।

(6) निर्यात-वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने इन पर लगाये गये उत्पादन-करों में छूट दे दी है और निर्यात-वस्तुओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर दिये गये टट कर या उत्पादन-कर को वापस कर देने का भी निश्चय किया है। उसका उद्देश्य निर्यात-वस्तुओं की उत्पादन लागत को कम करना है।

(7) निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा डिब्ब निगम निर्यातकर्ताओं को अल्पकालीन व मध्यकालीन साख सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं।

परन्तु उपर्युक्त प्रयत्नों के बावजूद भारत के निर्यातों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकी है।

6 जून, 1966 को भारत सरकार ने निर्यातों को बढ़ाने तथा देश के विदेशी विनिमय संकट को दूर करने के लिए रुपये का अवमूल्यन कर दिया था। इसके साथ ही साथ सभी तत्कालीन

निर्यात-प्रोत्साहन परियोजनाएँ (export incentive schemes) समाप्त कर दी गयी अर्थात् सरकार अपनी ओर से निर्यातकर्ताओं को निर्यात वृद्धि हेतु जो विशेष उपदान (Special Subsidies) दिया करती थी, उन्हें समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, जिन निर्यातों को अवमूल्यन की आवश्यकता नहीं थी, उन पर निर्यात-कर लगा दिये गये।

किन्तु, जैसा सर्वविदित है, रुपये के अवमूल्यन के बावजूद भारतीय निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि न हो सकी। विवश होकर अगस्त 1966 में ही भारतीय सरकार को निर्यात-वृद्धि हेतु अपनी निर्यात-प्रोत्साहन परियोजनाओं को (जिनका दो महीने पूर्व परित्याग कर दिया गया था) पुनः लागू करना पड़ा और जिन वस्तुओं पर निर्यात-कर लगा दिये गये थे, उन्हें हटाना पड़ा। सरकार की अवमूल्यन-नीति की असफलता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है।

सन् 1967-68 में भारत सरकार ने कई निर्यात-वस्तुओं पर लगने वाले करों में कमी कर दी थी। उदाहरणार्थ, चाय और जूट के सामान पर निर्यात-कर कम कर दिये गये थे। चमड़े पर निर्यात-कर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कुछ खुली हुई गैर परम्परागत (non-traditional) निर्यात-वस्तुओं पर दिये जाने वाले नकद उपदानों (cash subsidies) में वृद्धि कर दी गयी। सन् 1968-69 में भारत सरकार ने निर्यातों को और अधिक प्रोत्साहित करने हेतु कच्चे लोहे, चाय, अन्नक, जूट पर लगने वाले निर्यात-करों में और अधिक कमी कर दी थी। इसके साथ ही सायी सूती पैलौ, ऊन, धातु के डिव्वी में बन्द चाय, आदि पर तो निर्यात-कर पूर्णतः समाप्त कर दिये गये थे। दिसम्बर 1969 में निर्यातों की वृद्धि-दर में होने वाली कमी को दूर करने हेतु भारत सरकार ने एक सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम बनाया था। इसके अन्तर्गत, सूती कपड़े इजीनियरिंग वस्तुओं, जूट के सामान, मशीनी औजारों, तैयारशुदा कपड़ों तथा कृत्रिम वस्त्रों के निर्यातों को अधिकतम बढ़ाने के प्रयास किये गये थे। इनमें सरकार को कुछ सफलता भी मिली थी।

सन् 1975-76 के लिये घोषित निर्यात नीति के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में जूट वस्तुओं की प्रतिযোগितात्मक स्थिति (Competitive Position) को सुदृढ़ बनाने हेतु उन पर लगाये जाने वाले निर्यात करों का पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया था। इजीनियरी एवं अन्य वस्तुओं के निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निर्यात नीति में कई कदम घोषित किये गये थे। उदाहरणार्थ, इजीनियरी वस्तुओं, रासायनिक पदार्थों, तैयार शुदा कपड़ों, जूट पदार्थों, चमड़े के सामान, गलीचों, मछली के उत्पादों आदि के निर्यातों को प्रोत्साहित करने हेतु उन पर नकद क्षति-पूर्ति योजना (Cash Compensatory Scheme) लागू कर दी गई थी। इसके विपरीत, चीनी, प्याज, आलू, सोडा ऐश (Soda Ash) जैसे पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था क्योंकि परेशू बाजार में इनकी कमी हो गई थी।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. भारत के विदेशी व्यापार पर संक्षेप में एक निबन्ध लिखिए।

[संकेत—यहाँ भारत के विदेशी व्यापार का संक्षिप्त परिचय देते हुए भारत के मुख्य निर्यातों एवं आयातों का उल्लेख कीजिए। भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य मुख्य विशेषताओं का भी वर्णन कीजिए और संक्षेप में भारत की आयात तथा निर्यात नीति की चर्चा भी कीजिए।]

2. हमारे निर्यात व्यापार की मुख्य बड़े बया-बया हैं? वर्तमान समय में निर्यातों को प्रोत्साहित करने का महत्त्व क्या है?

[संकेत—प्रथम भाग में, भारत के मुख्य निर्यातों का आंकड़ा सहित वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि वर्तमान समय में निर्यातों को प्रोत्साहित करने से देश के व्यापार-सन्तुलन की प्रतिकूलता को कम करने में सहायता मिलती है।]

3. भारत के निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए आप किन उपायों की सिफारिश करेंगे?

(विन्कम, 1963, सागर, 1962)

[संकेत— यहाँ पर निर्यातों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन सभी

उपायों की चर्चा कीजिए जो भारत सरकार द्वारा निर्यातों को बढ़ाने के लिए अपनाये गये हैं।]

- 4 भारत के विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियों को बताइए। आप प्रतिकूल भुगतान-सन्तुलन को ठीक करने के लिए क्या सुझाव देंगे ? (मगध, 1963)

[सकेत—प्रथम भाग में, भारत के विदेशी व्यापार में होने वाली वर्तमान प्रवृत्तियों की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। दूसरे भाग में यह बताइये कि आयातों को कम तथा निर्यातों को बढ़ाकर भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकलता को कम किया जा सकता है।]

- 5 भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताओं को सक्षिप्त रूप से समझाइए। (आगरा, 1971)
- [सकेत—उपर्युक्त अध्याय में भारत के विदेशी व्यापार की 9 विशेषताओं का वर्णन किया गया है। उन्हें यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए।]

“The prices of currencies in terms of each other are called foreign exchange rates.”

—R. S. SAYERS

चतुर्थं खण्ड
विदेशी विनिमय
(FOREIGN EXCHANGE)

अध्याय 22. विदेशी विनिमय
अध्याय 23. विनिमय नियन्त्रण

विदेशी विनिमय सम्बन्धो कुछ स्मरणीय उद्धरण



- 1 "Foreign Exchange is the Art and Science of International Money Exchanging" — *Hartley Withers*
- 2 The mint par is an expression of the ratio between the statutory bullion equivalents of the standard monetary units of two countries on the same metallic standard" — *Thomas*
- 3 "The relative values of national currencies, especially when they are not on Gold Standard, in the long run, are determined by their relative purchasing powers of goods and services" — *G D H Cole*
- 4 "The rate of exchange between two currencies must stand essentially on the quotient of the internal purchasing power of these currencies" — *Gustav Cassel*
- 5 "The exchange rates should normally reflect the relation between the internal purchasing powers of the various national currency units" — *Barret Whate*
- 6 "Exchange Control the means of dealing with balance of payments difficulties——disregards market forces and substitutes for them the arbitrary decisions of government officials. Imports and other international payments are no longer determined by international price comparisons but by considerations of national need" — *P T Ellsworth*

22

विदेशी विनिमय (Foreign Exchange)

विदेशी विनिमय का अर्थ (Meaning of Foreign Exchange)

“विदेशी विनिमय” शब्द का प्रयोग प्रायः दो अर्थों में किया जाता है—(क) विस्तृत अर्थ, (ख) सङ्कुचित अर्थ ।

(क) **विस्तृत अर्थ**—कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार विदेशी विनिमय का अभिप्राय उस सामूची प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा वो देश अपनी देयताओं (liabilities) का भुगतान करते हैं। यहाँ पर ‘विदेशी विनिमय’ शब्द का अर्थ बहुत ही विस्तृत समझा गया है। इसके अनुसार, वे सभी सस्याएँ जो विदेशी भुगतानों में सहायता करती हैं वे सभी रीतियाँ जिनके द्वारा विदेशी भुगतान किये जाते हैं, वे सभी उपाय जिनका विदेशी भुगतानों के लिए उपयोग किया जाता है तथा वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है, ये सभी विदेशी विनिमय में सम्मिलित किये जा सकते हैं। इस प्रकार कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार ‘विदेशी विनिमय’ शब्द का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है।

(ख) **सङ्कुचित अर्थ**—कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा ‘विदेशी विनिमय’ शब्द का प्रयोग सङ्कुचित अर्थ में भी किया जाता है। उनके अनुसार विदेशी विनिमय का अर्थ विदेशी मुद्राओं का श्रय विक्रय होता है। कुछ अर्थशास्त्रीय विदेशी विनिमय से अभिप्राय विनिमय-दर से निकालते हैं, अर्थात् उस दर से जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदली जा सकती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ‘विदेशी विनिमय’ शब्द के सही अर्थ के बारे में अर्थ-शास्त्रियों में मतभेद है। परन्तु सास्तिक के विदेशी विनिमय उस मूल्य को कहते हैं जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्र अपनी अन्तरराष्ट्रीय देयताओं का भुगतान करते हैं। अतः विदेशी विनिमय के अन्तर्गत उन यन्त्रों, साधनों एवं उपायों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनकी सहायता से दो राष्ट्रों के बीच विदेशी भुगतानों का निपटारा किया जाता है।

विदेशी विनिमय की समस्या (Problem of Foreign Exchange)

जैसा हम जानते हैं, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी-अपनी मुद्रा होती है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना आवश्यक हो जाता है क्योंकि प्रत्येक देश अपने निर्यात किये गये माल का भुगतान, यथासम्भव, अपने देश की मुद्रा में ही चाहता है। उदाहरणार्थ यदि कोई अमरीकी निर्यातकर्ता भारत की माल का निर्यात करता है तो वह अपने माल का भुगतान डॉलर के रूप में ही लेना पसन्द करता है। अतः भारतीय व्यापारी को आयात किये गये माल का भुगतान डॉलर में ही करना पड़ता है, रुपये में नहीं। इसलिए भारतीय व्यापारी रुपये को डॉलरों में बदलता है। बस यही विदेशी विनिमय की समस्या है। स्वर्णमान

के अन्तर्गत विदेशी विनिमय की समस्या इतनी जटिल नहीं हुआ करती थी जितनी आजकल है। इसका कारण यह है कि स्वर्णमान के अन्तर्गत किसी देश का आयातकर्ता आयात किये गये माल का भुगतान दूसरे देश को स्वर्ण के रूप में भी कर सकता था। परन्तु आजकल अन्तरराष्ट्रीय भुगतान स्वर्ण के रूप में नहीं किये जाते क्योंकि कोई भी देश अपने स्वर्णकोष का अन्तरराष्ट्रीय भुगतानों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहता। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण के रूप में अन्तरराष्ट्रीय भुगतान करना खर्चीला भी होता है, क्योंकि स्वर्ण को एक देश से दूसरे देश को भेजने में काफी खर्च करना पड़ता है। इसीलिए आजकल भुगतान कार्यों में स्वर्ण का प्रयोग लगभग बन्द हो गया है। परिणामतः आज अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के सौदों के लिए एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना पड़ता है।

विदेशी भुगतान की रीतियाँ (Methods of Foreign Payments)

एक देश दूसरे देश को तीन मुख्य रीतियों से भुगतान कर सकता है :

(1) वस्तुओं का निर्यात - यदि कोई देश किसी अन्य देश से माल आयात करता है, तब वह उसका भुगतान उस देश को अपने माल का निर्यात करके कर सकता है, परन्तु यह रीति अत्यन्त दोषपूर्ण है। प्रथम, यह सम्भव हो सकता है कि दूसरा देश अपने माल के बदले पहले देश का माल लेना पसन्द न करे क्योंकि दूसरा देश उस माल का उत्पादन सम्भवतः स्वयं ही करता है। अतः वह पहले देश से अपने माल के बदले में उसका माल लेने से इन्कार कर देता है। दूसरे, इस प्रकार के व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली की वे सभी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं जो दो व्यक्तियों के बीच वस्तुओं की बदला-बदली के फलस्वरूप हुआ करती हैं।

(2) स्वर्ण का निर्यात—विदेशी माल का भुगतान स्वर्ण का निर्यात करके भी किया जा सकता है, परन्तु यह प्रणाली भी दोषपूर्ण है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश को स्वर्ण का निर्यात करने पर भी बहुत खर्च पड़ता है। इसके अतिरिक्त, एक देश द्वारा दूसरे देश को स्वर्ण का भेजना असुविधाजनक भी होता है, क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में अनगिनत सौदे होते रहते हैं। प्रत्येक सौदे के लिए एक देश से दूसरे देश को स्वर्ण का निर्यात करना अत्यन्त असुविधाजनक होता है।

(3) विदेशी विनिमय बिलों द्वारा भुगतान करना—वास्तव में, आजकल अधिकांश अन्तरराष्ट्रीय भुगतान विदेशी विनिमय बिलों द्वारा किये जाते हैं। इस रीति के अन्तर्गत, एक देश का व्यापारी विनिमय बिलों द्वारा दूसरे देश के व्यापारी को माल का भुगतान कर सकता है। ये विनिमय बिल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं—(क) विनिमय विपत्र अथवा बिल ऑफ एक्सचेंज (Bills of Exchange), (ख) बैंकर्स ड्राफ्ट (Banker's Draft), (ग) टेलीग्राफ ट्रांसफर्स (Telegraph Transfers)।

(क) विनिमय विपत्र अथवा बिल ऑफ एक्सचेंज—जैसा ऊपर कहा गया है, आजकल अधिकांश अन्तरराष्ट्रीय भुगतान विनिमय विपत्रों द्वारा किये जाते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि भारत का मोहन ब्रिटेन के मैक्लेगन को 100 रुपये के मूल्य का माल निर्यात करता है। अब ब्रिटेन के मैक्लेगन को भारत के मोहन को 100 रुपये का भुगतान करना है। इसके लिए मोहन, मैक्लेगन पर 100 रुपये के मूल्य का स्टलिंग के रूप में विनिमय विपत्र जारी करेगा। मैक्लेगन उस बिल पर अपनी स्वीकृति देकर उसे पुनः मोहन को लौटा देगा। स्मरण रहे कि विनिमय विपत्र प्रायः तीन महीने की अवधि के होते हैं। मोहन तीन महीने के बाद मैक्लेगन को विनिमय बिल प्रस्तुत करके अपने माल का भुगतान प्राप्त कर सकता है। परन्तु मोहन तीन महीने तक प्रतीक्षा नहीं करेगा और बिल पर मैक्लेगन की स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद वह इसे किसी विनिमय बैंक के पास ले जाकर डिस्काउण्ट (discount) करा लेगा। विनिमय बैंक उस बिल को अपनी ब्रिटेन स्थित शाखा को भेज देगा, जो तीन महीने के बाद मैक्लेगन से बिल का भुगतान प्राप्त कर लेगा। परन्तु इसी बीच मान लीजिए कि ब्रिटेन का सैण्डर्सन भारत के मोहन को 100 रुपये के मूल्य का माल निर्यात करता है। अब सैण्डर्सन, मोहन पर 100 रुपये के मूल्य का विनिमय बिल जारी करेगा और स्वीकृति हेतु उसे मोहन के पास भेज देगा। मोहन उसे स्वीकार करके पुनः सैण्डर्सन के पास लौटा देगा। सैण्डर्सन तीन महीने

के बाद पुनः उस बिल को सोहन को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा। अब सोहन विनिमय बैंक से 100 रुपये के मूल्य के स्टॉलिंग खरीदकर सैंडर्सन को भेज देगा। परन्तु यह भी हाँ सकता है कि विनिमय बैंक सोहन ने रुपया लेकर उसका बदले में क्लेगन द्वारा स्वीकार किया गया विनिमय बिल उस बैंक दे। सोहन वही बिल सैंडर्सन का भेज देगा और सैंडर्सन उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेगा। जब निश्चित अवधि के बाद बिल परिपक्व हो जायगा तब बैंक उसे में क्लेगन को प्रस्तुत करके उसका भुगतान प्राप्त कर लेगा। एक ही बिल से दो देशों में ऋणों का भुगतान हो जायगा। इस प्रकार विनिमय बिलों की सहायता से स्वर्ण के निर्यातों को रोका जा सकता है।

(ख) बैंकर्स ड्राफ्ट (Banker's Draft)—यह अन्तरराष्ट्रीय भुगतान करने का दूसरा मुख्य साधन है। यह आन्तरिक ड्राफ्ट की ही भाँति होता है। जब कोई आयातकर्ता अपने माल का विदेशी मुद्रा के रूप में भुगतान करना चाहता है तब वह किसी विनिमय बैंक को देशी मुद्रा देकर उसके बदले में बैंकर्स ड्राफ्ट प्राप्त कर लेता है। यह बैंकर्स ड्राफ्ट विदेशी मुद्रा के रूप में ही जारी किया जाता है। इस ड्राफ्ट को लेकर आयातकर्ता विदेशी निर्यातकर्ता को भेज देता है और वह बैंक की अपने देश में स्थित शाखा से उसे भुना लेता है। इस प्रकार बैंकर्स ड्राफ्ट एक बैंक से उसकी विदेशी शाखा के लिए एक प्रकार का आदेश होता है कि ड्राफ्ट के वाहक को अथवा उसमें नामांकित व्यक्ति को माँग करने पर अमुक मात्रा में मुद्रा चुका दे।

(ग) टेलीग्राफ ट्रांसफर्स (Telegraph Transfers)—यह विदेशी भुगतान करने का तीसरा महत्वपूर्ण साधन है। प्रायः बैंकर्स ड्राफ्ट को एक देश से दूसरे देश को भेजने में काफी समय लगता है। यदि विदेशी निर्यातकर्ताओं को माल का भुगतान शीघ्र ही करना है तो ऐसी दशा में देश का आयातकर्ता उसे टेलीग्राफिक ट्रांसफर द्वारा भुगतान कर देता है। इसके अन्तर्गत, विदेशी निर्यातकर्ता को रकम का भुगतान तार द्वारा कर दिया जाता है। टेलीग्राफिक ट्रांसफर भी ड्राफ्ट की भाँति बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं। आयातकर्ता बैंक को देशी मुद्रा देकर विदेशी मुद्रा में जारी किया गया टेलीग्राफिक ट्रांसफर प्राप्त कर लेता है। टेलीग्राफिक ट्रांसफर बैंक द्वारा अपनी शाखा को तार के माध्यम द्वारा दिया गया आदेश होता है कि वह अमुक रकम, अमुक व्यक्ति को तुरन्त ही चुका दे।

विदेशी मुद्रा की माँग एवं पूर्ति

(Demand and Supply of Foreign Currency)

विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति कैसे उत्पन्न होती है? विदेशी मुद्रा की माँग उन लोगों द्वारा की जाती है जो विदेशों से माल का आयात करते हैं, क्योंकि उन्हें आयात किये गये माल का भुगतान विदेशी मुद्रा में ही करना होता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी पूँजी विदेशों में लगाना चाहता है तो भी उसे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अब विदेशी मुद्रा की माँग उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो विदेशों से वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात करते हैं अथवा विदेशों में अपनी पूँजी का निवेश करना चाहते हैं। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा की पूर्ति उन लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाती है जो विदेशों की अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात करते हैं अथवा पूँजी का आयात करते हैं। इस प्रकार किसी भी समय विदेशी मुद्रा का मूल्य (अर्थात् विनिमय-दर) विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति से निश्चित होता है।


विनिमय की दर

(Rate of Exchange)

विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में प्रायः 'विनिमय-दर' शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि विनिमय-दर से अभिप्राय क्या होता है? वास्तव में, विनिमय-दर से अभिप्राय उस दर से होता है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। इस प्रकार विनिमय-दर दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को व्यक्त करती है। उदाहरणार्थ, भारत का एक रुपया ब्रिटेन के 0.0556 पौण्ड के बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के एक रुपये के बदले ब्रिटेन के 0.0556 पौण्ड उपलब्ध हो सकते हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उसकी माँग तथा पूर्ति से निश्चित होता है, ठीक उसी प्रकार विदेशी मुद्रा का मूल्य, अर्थात् विनिमय-दर

उसकी माँग तथा पूर्ति से निश्चित होती है। स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति में हुए परिवर्तनों का उसके मूल्य पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति में हुए परिवर्तनों के कारण ही विनिमय दर बदलती रहती है। स्मरण रहे कि देश की विनिमय दर सदैव स्थिर नहीं रहती, बल्कि समय-समय पर विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के कारण बदलती रहती है।

इसे निम्न रेखाकृति द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस रेखाकृति में विदेशी मुद्रा की माँग एवं पूर्ति को अ ब रेखा के सहारे प्रदर्शित किया गया है और विनिमय दर को अ स रेखा द्वारा व्यक्त किया गया है। म म रेखा विदेशी मुद्रा की माँग तथा प प रेखा इसकी पूर्ति को दिखाती है। ये दोनों रेखाएँ एक दूसरे को क बिंदु पर काटती हैं। क अथवा ग अ विनिमय की दर है। अब मान लीजिए कि विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। रेखाकृति में इस बढ़ी हुई माँग को



विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति

म₂ म₁ रेखा द्वारा व्यक्त किया गया है (लेकिन विदेशी मुद्रा की पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं होती)। विनिमय दर निश्चय ही बढ़ जायेगी। रेखाकृति में बढ़ी हुई विनिमय दर को क₂ ख₂ अथवा ग₂ द्वारा दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है लेकिन इसकी माँग यथास्थिर रहती है। रेखाकृति में बढ़ी हुई पूर्ति को प₁ प₁ द्वारा व्यक्त किया गया है। जैसा स्पष्ट है, विनिमय दर गिरकर क₁ ख₁ अथवा ग₁ अ

के बराबर हो जाती है।

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है (लेकिन इसकी पूर्ति यथास्थिर रहती है) तो विनिमय दर भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है (लेकिन इसकी माँग यथास्थिर रहती है) तो विनिमय दर गिर जाती है।

विनिमय की समता (Parity of Exchange)

जैसा ऊपर बताया गया है विनिमय की दर विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति से निश्चित होती है। जब विदेशी मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति के बिल्कुल बराबर होती है तब विनिमय की दर में समता (Parity) होती है। इसे विनिमय की समता कहते हैं। परन्तु वास्तविक जीवन में विदेशी मुद्रा की माँग बहुत कम अवसरों पर ही उसकी पूर्ति के बराबर होती है। इस प्रकार विनिमय की दर में बहुत कम ही समानता रहती है। विनिमय की दर या तो समता दर से ऊपर या इससे नीचे रहती है। उदाहरणार्थ जब विदेशी मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति की तुलना में अधिक होती है तब विनिमय दर समता दर से ऊपर चली जाती है अर्थात् विदेशी मुद्रा का मूल्य देशी मुद्रा के रूप में बढ़ जाता है। इसके विपरीत, जब विदेशी मुद्रा की पूर्ति उसकी माँग की तुलना में अधिक होती है तब विनिमय दर समता दर से नीचे गिर जाती है, अर्थात् विदेशी मुद्रा का मूल्य देशी मुद्रा के रूप में गिर जाता है। इस प्रकार वास्तविक विनिमय दर बहुत कम अवसरों पर समता-दर के बराबर होती है।

परन्तु अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि विनिमय दर किस सीमा तक समता दर के ऊपर उठ सकती है अथवा नीचे गिर सकती है? विनिमय दर में समता दर के नीचे या ऊपर घटो बढ़ने की कुछ सीमाएँ होती हैं। ये सीमाएँ विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न होती हैं। परन्तु यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि समता दर स्वयं भी विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार से निर्धारित होती है। दूसरे शब्दों में विभिन्न देशों में समता दर मुद्रामान पद्धतियों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार से निर्धारित की जाती है। विनिमय दर के निर्धारण की समस्या का

अध्ययन हम चार भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में कर सकते हैं—(क) जब दो देश स्वर्णमान अथवा रजतमान पर आधारित होते हैं, (ख) जब एक देश स्वर्णमान पर और दूसरा देश रजतमान पर आधारित होता है, (ग) जब एक देश स्वर्णमान पर और दूसरा अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा-मान पर आधारित होता है, (घ) जब दोनों देश अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रामान पर आधारित होते हैं।

(क) जब दो देश स्वर्णमान अथवा रजतमान पर आधारित होते हैं—पहले हम यह देखें कि जब दो देश स्वर्णमान पर आधारित होते हैं तब उनके बीच विनिमय-दर कैसे निर्धारित होती है? जैसा विदित है, जब कोई देश स्वर्णमान पर आधारित होता है तब उसका प्रामाणिक सिक्का या तो सोने का बना हुआ होता है या उसके मूल्य को सोने के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके साथ ही स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण के आयात एवं निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता, अर्थात् सोने का आयात एवं निर्यात स्वतन्त्रतापूर्वक किया जा सकता है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब दो देश स्वर्णमान पर आधारित होते हैं तब उनकी मुद्राओं के बीच विनिमय-दर कैसे निर्धारित होती है? यह समझने के लिए 'टंक समता' (Mint Par of Exchange) शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है, क्योंकि स्वर्णमान पर आधारित दो देशों की मुद्राओं की विनिमय दर 'टंक-समता' पर ही निर्भर करती है। 'टंक-समता' से अभिप्राय मुद्रा विनिमय की टंकसाली दर से है। जैसा ऊपर बताया गया है, स्वर्णमान पर आधारित देश का प्रामाणिक सिक्का या तो स्वर्ण का बना हुआ होता है या उसका मूल्य स्वर्ण के रूप में व्यक्त किया जाता है। टंक समता के अन्तर्गत दो देशों के प्रामाणिक सिक्कों में निहित स्वर्ण की समानता स्थापित कर ली जाती है। दूसरे शब्दों में, टंक समता यह दर है जो दो देशों के प्रामाणिक सिक्कों में स्वर्ण की समानता स्थापित करती है। प्रो० टॉमस के शब्दों में टंक समता वह अनुपात है जो एक धातुमान पर आधारित दो देशों की प्रामाणिक मौद्रिक इकाइयों के वैधानिक धातु साम्य से प्रकट होता है। उदाहरणार्थ प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व ब्रिटेन और अमरीका के बीच टंक-समता 1 पौण्ड=4 866 डालर थी। इसका अभिप्राय यह है कि 1 पौण्ड में सोने की धातु इतनी ही थी जितनी कि 4 866 डालरों में। उस समय डालर और पौण्ड दोनों ही स्वर्ण के बने हुए होते थे या उनका मूल्य स्वर्ण के रूप में व्यक्त किया जाता था। इस प्रकार 1 डालर में 23 22 ग्रेन विशुद्ध सोना हुआ करता था जबकि 1 पौण्ड में 113 0016 ग्रेन विशुद्ध सोना होता था। अतः पौण्ड और डालर की टंक-समता 1 पौण्ड=4 866 डालर थी।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि ब्रिटेन और अमरीका के बीच वास्तविक विनिमय-दर भी 1 पौण्ड=4 866 डालर थी। यह तो केवल दो देशों के बीच की टंक समता ही थी। दो देशों की वास्तविक विनिमय-दर तो इतने अधिक अथवा कम हुआ करती थी। विनिमय-दर तो दोनों देशों के व्यापार-सन्तुलन द्वारा निश्चित हुआ करती थी। इसमें तमय गगन पर व्यापार सन्तुलन की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता के अनुसार परिवर्तन हुआ करते थे, परन्तु इसमें होने वाले ये परिवर्तन दो निश्चित सीमाओं के भीतर ही हुआ करते थे। इन सीमाओं को स्वर्ण बिन्दु या स्वर्णान्क (gold points) कहते हैं। ऊपर वाला स्वर्ण-बिन्दु (upper gold point) और नीचे वाला स्वर्ण-बिन्दु (lower gold point)। जैसा ऊपर कहा गया है, इन दोनों देशों के बीच विनिमय-दर इन दोनों स्वर्ण-बिन्दुओं के बीच रहा करती थी। दूसरे शब्दों में, इन दोनों की विनिमय-दर स्वर्ण बिन्दुओं का उल्लंघन नहीं करती थी।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ये स्वर्ण-बिन्दु क्या थे और इनका निर्धारण कैसे किया जाता था? जैसा वद्वारा कहा गया है, ये स्वर्ण-बिन्दु दो सीमाओं को निर्धारित करते थे और ब्रिटेन व अमरीका के बीच की विनिमय दर इन सीमाओं के बीच में ही रहा करती थी। ऊपर वाले स्वर्ण-बिन्दु का निर्धारण टंक-समता में एक देश से दूसरे देश को स्वर्ण भेजने पर होने वाले व्यय को जोड़कर किया जाता था। जैसा ऊपर कहा गया है, स्वर्णमान के अन्तर्गत किसी देश से स्वर्ण का निर्यात बिना किसी रोकटोक के किया जा सकता है और एक देश से दूसरे देश को स्वर्ण के भेजने पर कुछ व्यय अवश्य ही होता है। यदि स्वर्ण को भेजने पर होने वाले व्यय को टंक समता में जोड़ दिया जाय तो ऊपर वाला स्वर्ण बिन्दु निश्चित किया जा सकता है। मान लीजिए कि 1 पौण्ड के मूल्य के स्वर्ण को ब्रिटेन से अमरीका भेजने पर 020 सेण्ट का व्यय होता है।

अब यदि इस व्यय को टरु-समता में जोड़ दिया जाय तो ऊपर वाला स्वर्ण-बिन्दु 1 पौण्ड = $4\ 866 + 020 = 4\ 886$ डालर होगा। इसी प्रकार जब टरु समता में से स्वर्ण भेजने का व्यय घटा दिया जाता है तब नीचे वाला स्वर्ण-बिन्दु निश्चित हो जाना है, अर्थात् 1 पौण्ड = $4\ 866 - 020 = 4\ 846$ डालर। इस प्रकार ब्रिटेन और अमरीका की विनिमय-दर इन दोनों स्वर्ण बिन्दुओं के बीच ही रहा करती थी, अर्थात् एक पौण्ड की विनिमय-दर 4 866 डालर में अधिक नहीं हो सकती थी और न ही 1 पौण्ड की विनिमय-दर 4 846 डालर से कम हो सकती थी।

अब मान लीजिए कि अमरीका का व्यापार-सन्तुलन (balance of trade) प्रतिकूल हो जाता है। इससे अमरीका में पौण्ड्स की माँग बढ़ जायेगी और इसके परिणामस्वरूप डालरों के रूप में पौण्ड का मूल्य भी बढ़ जायेगा, अर्थात् अब 1 पौण्ड 4·866 डालरों के बराबर नहीं रहेगा, बल्कि अब 1 पौण्ड प्राप्त करने के लिए अमरीकियों को 4 866 डालरों से अधिक देना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, पौण्ड का डालर मूल्य बढ़ जायेगा परन्तु पौण्ड का डालर मूल्य 4 886, डालर से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि यह दोनों के बीच ऊपर वाला स्वर्ण बिन्दु है। मान लीजिए कि पौण्ड का मूल्य 4 896 डालर हो जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में अमरीकी आयात-कर्ता आयात किये गये माल का भुगतान पौण्ड में न करके, स्वर्ण के रूप में करना पसन्द करेंगे। इसका कारण यह है कि 1 पौण्ड के मूल्य के बराबर का स्वर्ण ब्रिटेन को भेजने पर उनका कुल व्यय 4 886 डालर होता है। अतः उन्हें ब्रिटेन को भुगतान पौण्ड्स की अपेक्षा स्वर्ण के रूप में करना अधिक बचतपूर्ण रहेगा। इस प्रकार खुले बाजार में पौण्ड की माँग कम हो जायेगी। परिणामतः पौण्ड का मूल्य अवश्य ही गिरेगा। दूसरे शब्दों में, पौण्ड का मूल्य अधिक समय तक 4·886 डालरों से अधिक नहीं रह सकता।

अब मान लीजिए कि ब्रिटेन का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल हो जाता है। परिणामतः ब्रिटेन के आयातकर्ता को आयात किये गये माल का भुगतान करने के लिए डालरों की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि ब्रिटेन का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल है, इसलिए अमरीकी डालरों की माँग बढ़ जायेगी। इस बढ़ी हुई माँग के कारण डालर का विदेशी मूल्य (पौण्ड के रूप में मूल्य) भी बढ़ जायेगा। दूसरे शब्दों में ब्रिटेन और अमरीका के बीच की विनिमय-दर गिर जायेगी परन्तु यह 1 पौण्ड = 4 846 डालर से कम नहीं गिरेगी। इसका कारण यह है कि 1 पौण्ड = 4·846 डालर नीचे वाला स्वर्ण बिन्दु (lower gold point) है। यदि वास्तविक विनिमय दर 1 पौण्ड = 4 846 डालरों से कम हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश आयातकर्ता अपने आयातों का भुगतान डालरों में करने के बजाय स्वर्ण के रूप में करना अधिक पसन्द करेंगे। इसका कारण यह है कि ऐसा करने से उन्हें कम लागत बैठनी है। मान लीजिए कि पौण्ड का मूल्य 4 846 डालर से भी कम हो जाता है (अर्थात् 4 836 डालर हो जाता है)। तब ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश आयातकर्ता अपने आयातित माल का भुगतान स्वर्ण के रूप में करना चाहेंगे। इसका कारण यह है कि ऐसा करने से उन्हें 1 पौण्ड मूल्य के स्वर्ण के बदले में 4·846 डालर प्राप्त हो सकते हैं जबकि खुले बाजार में 1 पौण्ड के बदले केवल 4 836 डालर ही प्राप्त होते हैं। यदि ब्रिटिश आयातकर्ता अपने आयातों का भुगतान स्वर्ण के रूप में करना आरम्भ कर देते हैं तो डालरों की माँग कम हो जायेगी। परिणामतः उनका विदेशी मूल्य (पौण्ड्स के रूप में) अवश्य ही कम हो जायेगा, अर्थात् ब्रिटेन और अमरीका के बीच की विनिमय-दर अवश्य ही ऊपर की उठेगी।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ब्रिटेन और अमरीका की विनिमय-दर 1 पौण्ड = 4 886 डालर से अधिक नहीं हो सकती, और न ही यह 1 पौण्ड 4 846 डालर से कम ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में, विनिमय दर का उतार-चढ़ाव इन दोनों स्वर्ण बिन्दुओं के बीच ही होगा, अर्थात् विनिमय दर इन दोनों सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगी। परन्तु यदि दोनों देशों के बीच मोन के आयात अथवा निर्यात पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में विनिमय-दर स्वर्ण बिन्दुओं का उल्लंघन कर सकती है। उदाहरणार्थ, यदि अमरीका स्वर्ण के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देता है और इसका व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल है तो ऐसी दशा में विनिमय दर ऊपर वाले स्वर्ण-बिन्दु से भी ऊपर चली जायेगी। इसका कारण यह है कि अमरीका ने स्वर्ण के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। स्वर्ण का निर्यात न होने के कारण

पौण्ड की माँग अत्यधिक बढ़ती चली जायगी। अन्त में, विनिमय-दर ऊपर वाले स्वर्ण बिन्दु का भी उल्लंघन कर देगी। जत विनिमय-दर स्वर्ण-बिन्दुओं के बीच उसी स्थिति में ही रहती है जबकि दोनों देशों द्वारा स्वर्ण के आयात व निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। परन्तु याद रहे कि स्वर्णमान पर आधारित देशों के बीच स्वर्ण-बिन्दु भी स्थायी नहीं होते, बल्कि उनमें भी समय समय पर परिवर्तन सम्भव हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि स्वर्ण की एक देश से दूसरे देश को भेजने पर किये गये व्यय में परिवर्तन होता है तो ऐसी दशा में स्वर्ण-बिन्दुओं में भी अवश्य परिवर्तन होगा।

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विनिमय-दर दोनों स्वर्ण बिन्दुओं के बीच ही रहेगी। इनका उल्लंघन नहीं करेगी अर्थात् न तो यह ऊपर वाले स्वर्ण बिन्दु से ऊपर जायगी और न ही नीचे वाले स्वर्ण बिन्दु से नीचे गिरेगी। यदि किसी समय विनिमय दर इन सीमाओं का (किसी भी दशा में) उल्लंघन करती है तो शीघ्र ही स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा असन्तुलन की यह परिस्थिति स्वतः ही दूर हो जायगी अर्थात् विनिमय-दर पुनः इन स्वर्ण-बिन्दुओं के बीच आ जायगी।


प्रस्तुत रेखाकृति द्वारा स्वर्ण बिन्दुओं एवं विनिमय-दर को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है

इस रेखाकृति में क ख रेखा एक-समता को व्यक्त करती है। व छ ऊपर वाले स्वर्ण-बिन्दु तथा ग घ नीचे वाले स्वर्ण-बिन्दु को प्रगट करती है। व द बाजार विनिमय-दर को प्रदर्शित करती है। ऊपर वाला स्वर्ण-बिन्दु = 4 886 डालर है जबकि नीचे वाला स्वर्ण-बिन्दु 4 846 डालर है। जैसा रेखाकृति से स्पष्ट है, व द अथवा बाजार विनिमय-दर दोनों स्वर्ण-बिन्दुओं के भीतरी ही रहती है। इनका उल्लंघन नहीं करती।

यदि दो देश रजतमान पर आधारित हैं तो उनके बीच की विनिमय-दर भी ठीक उसी प्रकार निश्चित होगी जिस प्रकार स्वर्णमान पर आधारित दो देशों के बीच होती है।

(ख) जब एक देश स्वर्णमान पर तथा दूसरा देश रजतमान पर आधारित होता है—जब एक देश स्वर्णमान पर और दूसरा देश रजतमान पर आधारित होता है तब उनके बीच विनिमय-दर निश्चित करने के लिए पहले हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि स्वर्णमान वाले देश के प्रामाणिक सिक्के में कितना विशुद्ध सोना है और रजतमान वाले देश के प्रामाणिक सिक्के में कितनी विशुद्ध चाँदी है। तदुपरान्त, यह जानना चाहिए कि चाँदी का स्वर्ण में क्या मूल्य है? वास्तव में, यह जानना कठिन नहीं होता क्योंकि रजतमान वाले देश की सरकार द्वारा चाँदी का स्वर्णमान-मूल्य निश्चित कर दिया जाता है। इसके बाद दोनों देशों के प्रामाणिक सिक्के में जितना विशुद्ध स्वर्ण होता है उसकी तुलना करते हुए दोनों मुद्राओं की एक समता निकाल ली जाती है। एक समता निकाल लेने के उपरान्त दोनों देशों के बीच की विनिमय-दर को निर्धारित करना आसान हो जाता है।

सन 1848 तक भारत और ब्रिटेन के बीच विनिमय-दर इसी प्रकार निर्धारित की जाती थी। भारत के एक-विधान के अनुसार उस समय भारतीय रुपये में 165 ग्रेन विशुद्ध चाँदी हुआ करती थी। उस समय के मूल्य के अनुसार 165 ग्रेन शुद्ध चाँदी का स्वर्ण मूल्य 7 53344 ग्रेन विशुद्ध स्वर्ण था और ब्रिटेन के 1 पौण्ड में उस समय 113 0016 ग्रेन विशुद्ध स्वर्ण हुआ करता था। इस प्रकार जब 7 53344 ग्रेन विशुद्ध स्वर्ण 1 रुपये के बराबर हुआ करता था, इसी हिसाब से 113 0016 ग्रेन विशुद्ध स्वर्ण 15 रुपये के बराबर हो जाता था। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उस समय ब्रिटेन का 1 पौण्ड भारत के 15 रुपये के बराबर हुआ करता था। दूसरे शब्दों में,



भारत का 1 रुपया ब्रिटेन के 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर था। इस प्रकार भारत और ब्रिटेन के बीच टक-समता 1 रुपया = 1 शिलिंग 4 पेंस हुआ करती थी।

परन्तु स्मरण रहे कि भारत और ब्रिटेन के बीच की विनिमय दर टक समता से भिन्न भी हो सकती थी और होती थी, अर्थात् भारत और ब्रिटेन की वास्तविक विनिमय-दर 1 रुपया = 1 शिलिंग 4 पेंस से अधिक व कम भी हो सकती थी। परन्तु विनिमय-दर में होने वाले उतार-चढ़ाव स्वर्ण बिन्दुओं के बीच ही हुआ करते थे। किसी भी समय भारत और ब्रिटेन के बीच की विनिमय-दर स्वर्ण बिन्दुओं का उल्लंघन नहीं करती थी।

(ग) जब एक देश स्वर्णमान पर और दूसरा देश अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित होता है जब एक देश स्वर्णमान पर आधारित होता है और दूसरा देश अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित होता है तब इन दोनों देशों के बीच टक-समता इस बात से निर्धारित होती है कि दोनों देशों की मुद्राएँ कितना कितना स्वर्ण खरीद सकती हैं। स्वर्णमान वाले देश में ही मुद्रा का स्वर्ण मूल्य वहाँ की सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है। परन्तु अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान वाले देश में मुद्रा का यह स्वर्ण-मूल्य बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस दशा में दोनों देशों की वास्तविक विनिमय-दर में कितना उतार चढ़ाव हो सकता है। जैसा हम देख चुके हैं, उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में विनिमय-दर दो स्वर्ण बिन्दुओं द्वारा सीमित होती थी, अर्थात् विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव स्वर्ण-बिन्दुओं के भीतर ही हुआ करते थे। परन्तु यहाँ पर ऐसा सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि एक देश स्वर्णमान पर आधारित होता है और दूसरा देश कागजी मुद्रामान पर। अतः इन दोनों देशों के बीच स्वर्ण बिन्दुओं का निर्धारण सम्भव नहीं हो सकता। यह अवश्य है कि स्वर्णमान वाले देश के लिए ऊपर वाला स्वर्ण-बिन्दु अथवा स्वर्ण नियति बिन्दु निश्चित किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि स्वर्णमान वाले देश से सोने का निर्यात बिना किसी रोकटोक के किया जा सकता है। इस देश में जब कभी विनिमय दर स्वर्ण को दूसरे देशों को भेजने की लागत से अधिक हो जाती है तब ऐसी परिस्थिति में इस देश के व्यापारियों को आयात किये गये माल का भुगतान विदेशी मुद्रा में करने का बजाय स्वर्ण के रूप में करना अधिक लाभदायक होता है। इस प्रकार स्वर्णमान वाले देश में विनिमय की दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु से ऊँची नहीं हो सकती। चूँकि दूसरा देश अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित होता है इसलिए उस देश से स्वर्ण का निर्यात नहीं किया जा सकता जिसके फलस्वरूप उस देश के लिए विनिमय की दर के गिरने की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती। इस प्रकार कागजी मुद्रामान वाले देश में विनिमय की दर में होने वाले परिवर्तन उस देश में विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति पर निर्भर करते हैं। परन्तु उस देश की विनिमय दर कितनी घटेगी अथवा बढ़ेगी, इसके लिए कोई निश्चित सीमाएँ नहीं होती। जिस प्रकार स्वर्णमान वाले देश में विनिमय की दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु से अधिक नहीं हो सकती ठीक उसी प्रकार कागजी मुद्रामान वाले देश के लिए विनिमय की दर स्वर्ण आयात बिन्दु से कम नहीं हो सकती। परन्तु कागजी मुद्रामान वाले देश के लिए विनिमय की दर स्वर्ण आयात बिन्दु से कम नहीं हो सकती। परन्तु कागजी मुद्रामान वाले देश के लिए स्वर्ण-निर्यात बिन्दु नहीं हुआ करता। इसका कारण यह है कि इस देश की कागजी मुद्रा का सम्बन्ध स्वर्ण से नहीं होता। परिणामतः इस देश में स्वर्ण का निर्यात भी किया जा सकता है।

इस प्रकार जब दो देशों में से किसी एक देश में स्वर्णमान होता है और दूसरे देश में अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान होता है तब स्वर्णमान वाले देश में विनिमय की दर में वृद्धि स्वर्ण-निर्यात बिन्दु से अधिक नहीं हो सकती परन्तु विनिमय की दर में कमी की कोई निम्नतम सीमा नहीं होती। इसके विपरीत कागजी मुद्रामान वाले देश में विनिमय की दर में होने वाले परिवर्तनों की कोई सीमाएँ नहीं होती अर्थात् इसकी विनिमय दर किसी भी मात्रा में घट-बढ़ सकती है।

(घ) जब दोनों देश अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित होते हैं—जब दो देश अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित होते हैं, तब इन दोनों के बीच की विनिमय दर स्वर्णबिन्दुओं से शासित नहीं होती। इसका कारण यह है कि दोनों देशों की मुद्राएँ किसी भी घातु से सम्बन्धित नहीं होतीं। अतः इन दोनों देशों के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा की माँग

एव पूर्ति से निश्चित होती है। इनकी विनिमय-दर पर दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति में परिवर्तन होते हैं, तो इनसे विनिमय-दर पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः इस प्रकार के देशों के बीच की विनिमय-दर को निश्चित करने के लिए दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति का अनुमान लगाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा पर आधारित देशों की विनिमय-दर उनकी क्रय-शक्ति समता (purchasing power parity) द्वारा निर्धारित होती है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि भारत और ब्रिटेन दोनों में अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा का प्रचलन है। भारत में वस्तुओं के एक समूह को खरीदने के लिए एक रुपया व्यय करना पड़ता है और दूरी वस्तुओं के समूह को खरीदने के लिए ब्रिटेन में 1 शिलिंग 6 पेंस खर्च करने पड़ते हैं। इस प्रकार भारत और ब्रिटेन में विनिमय की दर 1 रुपया = 1 शिलिंग 6 पेंस होगी। इस दर पर भारत में 1 रुपया व्यय करके ब्रिटेन में 1 शिलिंग 6 पेंस का भुगतान किया जा सकता है। अब जब दो देश अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित होते हैं, तब उनके बीच की विनिमय-दर टक-समता से निश्चित न होकर, कागजी मुद्राओं की क्रय-शक्ति समता से निश्चित होती है। यह त्रय शक्ति समता टक-समता की भाँति स्थिर नहीं होती, बल्कि दोनों देशों के कीमत-स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप समय-समय पर बदलती रहती है।

जब दो देश अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित होते हैं तब उनके बीच की विनिमय-दर दीर्घकाल में उनकी मुद्राओं की क्रय-शक्ति की समता से निर्धारित होती है। परन्तु अल्पकाल में उन दोनों के बीच की विनिमय-दर त्रय शक्ति समता से कम अथवा अधिक हो सकती है, यद्यपि दोनों देशों के कीमत-स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अथवा दोनों देशों की त्रय-शक्ति समता पूर्ववत् ही है। दूसरे शब्दों में, अल्पकाल में दोनों देशों के बीच की विनिमय-दर किन्हीं आर्थिक कारणों से त्रय-शक्ति समता से ऊपर अथवा नीचे हो सकती है। परन्तु दीर्घकाल में विनिमय की दर त्रय-शक्ति समता के बराबर होने की ही प्रवृत्ति रखती है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से भारत और ब्रिटेन के बीच की विनिमय-दर 1 रुपया = 1 शिलिंग 6 पेंस से बदलकर 1 रुपया = 1 शिलिंग 9 पेंस हो जाती है यद्यपि दोनों मुद्राओं की क्रय-शक्ति समता पूर्ववत् ही है। इस परिस्थिति में 1 रुपये के बदले में 1 शिलिंग 9 पेंस लेना भारतीय व्यापारियों के लिए अधिक लाभदायक हो जायगा और भारतीय व्यापारी ब्रिटेन से अधिक मात्रा में माल खरीदना आरम्भ कर देंगे। इसका कारण यह है कि पहले वे 1 रुपये के बदले में ब्रिटेन से 1 शिलिंग 6 पेंस के मूल्य का माल खरीद सकते थे लेकिन अब 1 रुपये से वे ब्रिटेन से 1 शिलिंग 9 पेंस के मूल्य का माल खरीद सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि ब्रिटेन से भारत को माल का निर्यात बन्द जायगा और भारत में शिलिंग की माँग इस की पूर्ति से अधिक हो जायगी। इससे विनिमय की दर में भी कमी होगी। अन्ततः यह दर कम होकर 1 शिलिंग 6 पेंस पर ही पुनः स्थिर हो जायगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान वाले देशों में विनिमय की दर में दीर्घकाल में इन दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति समता के बराबर निश्चित हो जाने की प्रवृत्ति पायी जाती है। दूसरे शब्दों में, अल्पकाल में इन दोनों के बीच की विनिमय-दर भले ही क्रय-शक्ति समता के ऊपर अथवा नीचे हो सकती है, परन्तु दीर्घकाल में इन दोनों देशों के बीच की विनिमय-दर अवश्य ही क्रय शक्ति समता के बराबर होगी।

अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान वाले देश में विनिमय की दर पर मुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा-अवस्फीति का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि मुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा-अवस्फीति के होने से देश के कीमत-स्तर में परिवर्तन हो जाता है। परिणामतः दो देशों के बीच की विनिमय-दर में भी परिवर्तन हो जाता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि भारत और ब्रिटेन में क्रय-शक्ति समता के आधार पर विनिमय की दर 1 रु० = 1 शिलिंग पेंस निश्चित हुई है। अब मान लीजिए कि दोनों देशों में मुद्रा स्फीति के कारण कीमत-स्तर दुगुने हो जाते हैं, अर्थात् दोनों ही देशों में मुद्रा की क्रय-शक्ति आधी रह जाती है तब ऐसी परिस्थिति में भारत और ब्रिटेन के बीच की विनिमय-दर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात् दोनों देशों के बीच की विनिमय-दर 1 रुपया = 1 शिलिंग 6 पेंस ही रहेगी। अब मान

लीजिए कि भारत में कीमत-स्तर यथास्थिर रहता है, परन्तु ब्रिटेन में मुद्रा स्फीति के कारण कीमत-स्तर तीन गुना बढ़ जाता है या ब्रिटिश मुद्रा का मूल्य $\frac{1}{3}$ रह जाता है तब ऐसी परिस्थिति में भारत और ब्रिटेन के बीच की विनिमय दर 1 रुपया = 4 शिलिंग 6 पेंस हो जायगी। इसका कारण स्पष्ट है। चूंकि ब्रिटिश मुद्रा का मूल्य एक-तिहाई रह गया है, इसलिए अब 1 विनिमय 6 पेंस ही 1 रुपये के बराबर नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में, अब 1 शिलिंग 6 पेंस $\times 3 = 4$ जि० 6 पेंस ही 1 रुपये के बराबर होंगे। इस प्रकार भारत और ब्रिटेन के बीच की विनिमय दर 1 रुपया = 4 शिलिंग 6 पेंस हो जायगी, क्योंकि यही दर दोनों देशों की त्रय-शक्ति समता है।

अब मान लीजिए कि भारत में भी मुद्रा स्फीति के कारण देश का कीमत-स्तर दुगुना बढ़ जाता है, अर्थात् भारतीय रुपये का मूल्य $\frac{1}{2}$ रह जाता है। परन्तु ब्रिटेन का कीमत-स्तर जैसा हम ऊपर देख चुके हैं तीन गुना बढ़ जाता है, अर्थात् ब्रिटिश मुद्रा का मूल्य $\frac{1}{3}$ रह जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में भारत और ब्रिटेन के बीच की विनिमय-दर कैसे निश्चित होगी? स्पष्ट है कि भारत के 2 रुपये ब्रिटेन के 4 शिलिंग 6 पेंस के बराबर होंगे। दूसरे शब्दों में, भारत का 1 रुपया ब्रिटेन के 2 शिलिंग 3 पेंस के बराबर होगा। इस प्रकार दोनों देशों की मुद्राओं की त्रय-शक्ति में समानता स्थापित करके ही उनके बीच की विनिमय दर को निश्चित किया जा सकता है। दोनों देशों की मुद्राओं की त्रय-शक्ति में होने वाले परिवर्तनों अथवा दोनों देशों के कीमत स्तरों में होने वाले परिवर्तनों को हम सूचकांकों (Index Numbers) द्वारा नाप सकते हैं। इस प्रकार अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान वाले देशों के बीच की विनिमय-दर को सूचकांकों की सहायता से निश्चित किया जा सकता है। इसे एक उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए भारत और ब्रिटेन के सूचकांक बढ़कर क्रमशः 200 और 300 हो जाते हैं, अर्थात् भारत का कीमत स्तर दुगुना हो गया है जबकि ब्रिटेन का कीमत-स्तर तिगुना हो गया है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय रुपये का मूल्य घटकर $\frac{1}{2}$ और ब्रिटेन की मुद्रा का मूल्य घटकर $\frac{1}{3}$ हो जाता है। ऐसी

दशा में 1 रुपया = $\frac{18 \times 3}{2} = 2$ शिलिंग 3 पेंस, क्योंकि भारत और ब्रिटेन की मुद्राओं के

अवमूल्यन का अनुपात 2 : 3 है। अतः प्रो० गस्टव कसेल (Gustav Cassel) के शब्दों में, “जब दो देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन होता है, तब इनकी विनिमय की पूर्ववत् समता को दोनों देशों की मुद्रा स्फीति के अनुपात में पुनः करने पर इन दोनों देशों की त्रय-शक्ति समता निकाली जा सकती है। इस प्रकार निकाली गयी त्रय-शक्ति समता के आधार पर दोनों देशों के बीच की विनिमय दर को निर्धारित किया जा सकता है।

स्वर्णमान तथा कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत विनिमय-दर के निर्धारण में अन्तर

यदि दो देश धातुमान (स्वर्णमान) पर आधारित हैं और अन्य दो देश अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित हैं, तब इन दोनों परिस्थितियों में विनिमय की दर निश्चित करने में कई विभिन्नताएँ पायी जायेंगी। ये इस प्रकार हैं

(क) धातुमान (स्वर्णमान) के अन्तर्गत दो देशों के बीच विनिमय-दर टक-समता से निश्चित होती है। परन्तु अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत दो देशों के बीच की विनिमय दर उनको मुद्राओं की त्रय-शक्ति समता से निर्धारित होती है।

(ख) धातुमान (स्वर्णमान) के अन्तर्गत दो देशों के बीच की विनिमय-दर मुद्रा की स्वर्ण में त्रय-शक्ति से निश्चित होती है, परन्तु कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत दो देशों के बीच की विनिमय-दर मुद्रा की वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में त्रय-शक्ति से निर्धारित होती है।

(ग) धातुमान (स्वर्णमान) के अन्तर्गत दो देशों के बीच की टक-समता प्रायः स्थिर होती है, परन्तु कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत दो देशों के बीच की त्रय-शक्ति समता स्थिर न होकर, समय-समय पर कीमत-स्तरों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बदलती रहती है।

(घ) धातुमान (स्वर्णमान) के अन्तर्गत दो देशों के बीच की विनिमय-दर में परिवर्तन स्वर्ण वस्तुओं के भीतर ही होते रहते हैं (उनका उल्लेखन नहीं करते), परन्तु कागजी मुद्रामान के

अन्तर्गत दो देशों के बीच की विनिमय-दर क्रय-शक्ति समता से ऊपर व नीचे होती रहती है। धातुमान की भाँति कागजी मुद्रा के अन्तर्गत दो देशों के बीच स्वर्ण-विन्दुओं जैसी कोई सीमाएँ नहीं होती।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धातुमान देशों में और कागजी मुद्रामान देशों में विनिमय-दर के निर्धारण में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर पाये जाते हैं।

क्रय शक्ति समता सिद्धान्त

(Purchasing Power Parity Theory)

प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वीडन के सुविख्यात अर्थशास्त्री प्रो० गस्टव कसेल (Gustav Cassel) ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था।¹ प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व यूरोप के लगभग सभी बड़े-बड़े देश स्वर्णमान पर ही आधारित थे। अतः उस समय दो देशों के बीच की विनिमय दर स्वर्ण-विन्दुओं द्वारा ही शासित हुआ करती थी। परन्तु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग सभी देशों ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया था और उसके स्थान पर अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान को अपनाया था। इस नये मान के अन्तर्गत दो देशों के बीच स्वर्ण विन्दुओं को निर्धारित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों देशों की मुद्राएँ किसी प्रकार की धातु से सम्बन्धित नहीं थी। अतः अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा पर आधारित दो देशों के बीच की विनिमय-दर को निर्धारित करना कठिन हो गया था। प्रो० गस्टव कसेल ने इसी कठिनाई को दूर करने के लिए क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धान्त के अनुसार दो अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान वाले देशों में विनिमय की दर उन दोनों देशों की कीमत-स्तरो के पारस्परिक सम्बन्धों द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार कीमत-स्तरो के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर निर्धारित की जाने वाली विनिमय-दर को क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity) कहा जाता है। इस सिद्धान्त की परिभाषाएँ विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा इस प्रकार की गयी हैं -

प्रो० गस्टव कसेल के अनुसार, "दो मुद्राओं के बीच की विनिमय-दर अवश्य ही उनकी आन्तरिक क्रय-शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है।"²

प्रो० जी० डी० एच० कोल (Cole) के शब्दों में, "इन देशों की मुद्राओं का पारस्परिक मूल्य, जो स्वर्णमान पर आधारित नहीं है, दीर्घकाल में विशेषकर उनकी वस्तुओं तथा सेवाओं की क्रय शक्ति से निश्चित होता है।"³

प्रो० एस० ई० थॉमस (S E Thomas) ने इस सिद्धान्त की परिभाषा इन शब्दों में की है, 'एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के रूप में किसी विशेष समय पर बाजार की माँग और पूर्ति की परिस्थितियों द्वारा निश्चित होता है। दीर्घकाल में यह मूल्य उन दोनों देशों की मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य द्वारा निश्चित होता है, जैसा उन देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति अपने अपने देशों की मुद्राओं तथा सेवाओं के रूप में होती है। दूसरे शब्दों में, विनिमय-दर में उसी विन्दु

¹ कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि सर्वप्रथम इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सन् 1802 में जॉन व्हीटले (John Wheatley) द्वारा किया गया था। तदुपरान्त, सन् 1810 में विलियम ब्लेक (William Blake) ने इसका स्पष्टीकरण किया था। डेविड रिकार्डो (David Ricardo) ने इसे पुनः प्रस्तुत किया था। आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रो० गस्टव कसेल ने इसका विकास किया था।

² "The rate of exchange between two currencies must stand essentially on the quotient of the internal purchasing powers of these currencies" —Gustav Cassel

³ "The relative values of national currencies, especially when they are not on Gold Standard, in the long run, are determined by their relative purchasing powers in terms of goods and services" —G D H Cole

पर स्थिर होने की प्रवृत्ति होती है जहाँ दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति बराबर होती है। इस बिन्दु का ही क्रय-शक्ति समता कहते हैं।”¹

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित दो देशों के बीच विनिमय दर उनकी मुद्राओं की क्रय-शक्ति की समता से निर्धारित होती है। परन्तु ऐसा केवल दीर्घकाल में ही होता है। अल्पकाल में ऐसे दो देशों के बीच की विनिमय दर क्रय-शक्ति समता से अधिक अथवा कम हो सकती है। परन्तु दीर्घकाल में इन देशों के बीच की विनिमय दर क्रय शक्ति समता से ही निर्धारित होती है। स्मरण रहे कि अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित दो देशों के बीच की क्रय-शक्ति सदा के लिए स्थिर नहीं होती, बल्कि समय-समय पर दोनों देशों के कीमत स्तरों में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बदलती रहती है।

ऊपर हम देख चुके हैं कि अपरिवर्तनीय मुद्रामान पर आधारित दो देशों के बीच विनिमय-दर किस प्रकार क्रय शक्ति समता द्वारा निर्धारित होती है (चौथी परिस्थिति) अतः वहाँ पर उसकी पुन व्याख्या की आवश्यकता नहीं है।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचनाएँ—इस सिद्धान्त की समय-समय पर अनेक आलोचनाएँ की गयी हैं। इन्हीं के कारण इस सिद्धान्त को सन्तोषजनक नहीं माना जाता। इस सिद्धान्त की मुख्य मुख्य आलोचनाएँ निम्न प्रकार हैं

(1) दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति को सही सही नापना कठिन है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है इस सिद्धान्त के अन्तर्गत दो देशों के बीच की विनिमय-दर उनकी मुद्राओं की क्रय-शक्ति समता द्वारा निर्धारित की जाती है और दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्तियों को कीमत-सूचकांको (Price Index Numbers) द्वारा निश्चित किया जाता है। आलोचकों के अनुसार इस प्रकार के सूचकांको में तीन मुख्य दोष पाये जाते हैं—(क) सूचकांक सर्वत्र वृत्तकाल से सम्बन्धित होते हैं। वे वर्तमान अथवा भविष्य के बारे में पूणत विश्वसनीय अनुमान प्रस्तुत नहीं करते। इसलिए वर्तमान तथा भावी विनिमय-दर का निर्धारण केवल अनुमानजनक ही रहता है। अतः व्यावहारिक जीवन में इस सिद्धान्त का महत्व ही समाप्त हो जाता है, (ख) कीमत सूचकांको का दूसरा दोष यह है कि इनमें ऐसी वस्तुओं की कीमतों को भी सम्मिलित कर लिया जाता है जिनका अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है। प्रत्येक देश में कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिनका उत्पादन एवं उपभोग देश के भीतर ही किया जाता है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। वास्तव में, विदेशी विनिमय-दरों के उचित निर्धारण के लिए तो केवल उन्हीं वस्तुओं की कीमतों को ही सूचकांको में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका आयात निर्यात होता है। चूँकि कीमत-सूचकांको में सभी प्रकार की वस्तुओं की कीमतों को सम्मिलित लिया जाता है इसलिए उनके आधार पर निश्चित की गयी विनिमय दर वास्तविक विनिमय-दर नहीं कही जा सकती। इसके अतिरिक्त यदि हम केवल उन्हीं वस्तुओं की कीमतों को सूचकांको में सम्मिलित करते हैं जिनका विदेशी व्यापार से सम्बन्ध होता है तो भी कठिनाई दूर नहीं होती। इसका कारण यह है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं की कीमतें सभी देशों में लगभग समान ही होती है। यदि उनकी कीमतों में परिवर्तन होता भी है तो बहुत कम मात्रा में। परिणामतः विनिमय-दर में होने वाले परिवर्तनों को सही-सही शत करना कठिन हो जाता है, (ग) कीमत सूचकांको का तीसरा दोष यह है कि दोनों देशों के कीमत-सूचकांको में एक ही प्रकार की वस्तुओं

1 "While the value of the unit of one currency in terms of another currency is determined at any particular time by the market conditions of demand and supply, in the long run that value is determined by the relative value of the two currencies as indicated by their relative purchasing powers over goods and services (in their respective countries) in other words, the rate of exchange tends to rest at that point which expresses equality between the respective purchasing powers of the two currencies. This point is called the Purchasing Power Parity."

का समावेश नहीं होता, बल्कि दोनों देशों के सूचकांकों में अलग-अलग वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। इससे दोनों देशों की मुद्राओं की त्रय शक्तियों में समता स्थापित करना कठिन हो जाता है।

(2) यह सिद्धान्त परिवहन-व्यय की उपेक्षा करता है। इस सिद्धान्त में वस्तुओं के परिवहन व्यय (transport charges) की उपेक्षा की गयी है। किन्तु जैसा प्रो० जेकब वीनर (Jacob Viner) ने बताया है, एक देश में वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं तथा दूसरे देश में गिर सकती हैं। यदि एक दिशा में परिवहन-व्यय बढ़ जाता है तो दूसरी दिशा का गिर जाता है। प्रो० पीगू ने भी कहा है कि यदि एक दिशा में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं तो दो देशों के बीच की त्रय शक्ति समता स्वतः ही भंग हो जायगी। प्रो० एंजल (Angel) के मतानुसार, परिवहन-व्यय के अतिरिक्त अन्य भी कई प्रकार के तत्त्व हैं (जैसे विज्ञापन व्यय आदि) जो त्रय शक्ति समता को भंग करते हैं।

(3) यह सिद्धान्त वस्तुओं के गुणों की भी उपेक्षा करता है। यह सिद्धान्त दो देशों में उन वस्तुओं के गुणों (qualities) की भी उपेक्षा करता है जिनकी कीमतों की तुलना की जाती है। यह आवश्यक नहीं कि दो देशों में वस्तुओं के गुण एक जैसे हों। कभी-कभी तो वस्तुओं का मानकीकरण (standardisation) तक नहीं होता। इस प्रकार यदि हम चाहें तो भी वस्तुओं के गुणों की तुलना नहीं की जा सकती।

(4) यह सिद्धान्त भुगतान-सन्तुलन को प्रभावित करने वाले तत्त्वों का अध्ययन नहीं करता—आलोचकों के अनुसार यह सिद्धान्त अनेक ऐसे तत्त्वों की उपेक्षा करता है जो भुगतान के सन्तुलन को प्रभावित करके विनिमय दर में परिवर्तन कर देते हैं। यह सिद्धान्त तो केवल उन्हीं तत्त्वों का अध्ययन करता है जो देश के आन्तरिक कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। वास्तव में, बहुत से ऐसे तत्त्व हैं जो देश के आन्तरिक कीमत स्तर को तो प्रभावित नहीं करते, परन्तु देश के भुगतान सन्तुलन को अवश्य ही प्रभावित करते हैं और परिणामतः विनिमय-दर में परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरणार्थ दो देशों के बीच पूंजी का आवागमन उनके भुगतान सन्तुलन को तो प्रभावित करता है, परन्तु उनके आन्तरिक कीमत-स्तरों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता। जैसा चिदित है पूंजी के आवागमन के फलस्वरूप देश का भुगतान सन्तुलन अवश्य ही प्रभावित होता है और परिणामतः विनिमय-दर भी बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकती। किन्तु त्रय शक्ति समता सिद्धान्त इस प्रकार के तत्त्वों की उपेक्षा कर देता है। जैसा ऊपर कहा गया है, यह सिद्धान्त तो केवल उन्हीं तत्त्वों की व्याख्या करता है जो देश के आन्तरिक कीमत स्तर को प्रभावित करके विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह सिद्धान्त अधूरा है, क्योंकि यह विनिमय दर को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के तत्त्वों का अध्ययन नहीं करता।

(5) विनिमय की दर में होने वाले परिवर्तनों का कीमत स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है—इस सिद्धान्त के अनुसार दो देशों के आन्तरिक कीमत-स्तरों में होने वाले परिवर्तन उनके बीच की विनिमय दर को प्रभावित करते हैं। परन्तु आलोचकों का कहना है कि दो देशों के बीच की विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन उनके आन्तरिक कीमत-स्तरों को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि भारत और ब्रिटेन के बीच की विनिमय दर 1 रुपया = 1 शिलिंग 6 पेंस से बढ़कर 1 रुपया = 2 शिलिंग हो जाती है। दूसरे शब्दों में भारत और ब्रिटेन की विनिमय-दर बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कि ब्रिटेन, भारत से कच्चे माल का आयात करता है, परन्तु दोनों देशों के बीच की विनिमय-दर के बढ़ जाने से भारत का कच्चा माल अब ब्रिटेन को महंगा पड़ेगा। इसका कारण यह है कि पहले ब्रिटेन का आयातकर्ता 1 शिलिंग 6 पेंस व्यय करके भारत से 1 रुपये के मूल्य का माल आयात कर सकता था परन्तु अब 1 रुपये के मूल्य का माल आयात करने के लिए उसे 2 शिलिंग व्यय करने पड़ेंगे। परिणामतः भारत का कच्चा माल ब्रिटेन में महंगा हो जायेगा। जिन उद्योग धंधों में इस कच्चे माल का उपयोग किया जाना है उनके तैयार-शुद्ध माल की कीमतें भी बढ़ जायेंगी। इस प्रकार विनिमय-दर के बढ़ जाने से ब्रिटेन के आन्तरिक कीमत-स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। अतएव यह कहना गलत नहीं है कि विनिमय दर के परिवर्तनों से आन्तरिक कीमत स्तरों में भी परिवर्तन हो जाते हैं।

(6) यह सिद्धान्त सामान्य अनुभव से भेद नहीं खाता—आलोचकों के अनुसार व्यवहार

मे ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता जिससे यह पता चले कि दो देशों के बीच विनिमय की दर क्रय शक्ति समता सिद्धान्त द्वारा निश्चित होती है। चूंकि सामान्य अनुभव इस सिद्धान्त से मेल नहीं खाता, इसलिए आलोचकों का कहना है कि वास्तविक जीवन में इस सिद्धान्त का कुछ भी महत्त्व नहीं है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अमरीका और भारत में आपसी व्यापार होता है। अमरीका एक सुविकसित देश होने के नाते भारत पर किसी भी विशेष वस्तु के लिए निर्भर नहीं करता, परन्तु भारत एक अशुद्ध देश होने के कारण अमरीका पर बहुत सी वस्तुओं के लिए निर्भर करता है। अमरीका अपनी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत से आने वाले आयातों पर भारी कर लगा देता है अथवा उनका निषेध (prohibition) कर देता है। परिणामतः अमरीका के आयात बहुत कम हो जाते हैं, परन्तु भारत अमरीका से अपने आयातों का काम करने की परिस्थिति में नहीं है। परिणामतः भारत की अमरीकी मुद्रा की माँग उसकी पूर्ति की अपेक्षा बढ़ जायगी और उसे अमरीकी मुद्रा की एक इकाई के बदले अपनी मुद्रा की अधिक इकाइयाँ देनी पड़ेंगी। इस प्रकार विनिमय दर अमरीका के पक्ष तथा भारत के विपक्ष में हो जायगी। दूसरे शब्दों में, अमरीकी मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ़ जायगा, यद्यपि अमरीका के आन्तरिक कीमत स्तर में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है क्रय शक्ति समता सिद्धान्त के अनुसार किसी देश की मुद्रा का विदेशी मूल्य उस देश के आन्तरिक कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों से ही प्रभावित होता है। अब इस उदाहरण में, अमरीकी मुद्रा का विदेशी मूल्य अमरीका के आन्तरिक कीमत स्तर में बिना किसी परिवर्तन के ही बढ़ गया है। अतः आलोचकों का मत है कि क्रय शक्ति समता सिद्धान्त सामान्य अनुभव से मेल नहीं खाता, अर्थात् व्यवहार में विनिमय दर इस सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित नहीं होती।

(7) यह सिद्धान्त मुद्राओं के प्रति माँग की विवेचना नहीं करता—दो देशों के बीच की विनिमय दर के निर्धारण के बारे में यह सिद्धान्त पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता। वास्तव में विनिमय-दर की समस्या कीमत निर्धारण की समस्या की भाँति है। जिस प्रकार देश की मुद्रा की आन्तरिक कीमत उसकी माँग व पूर्ति से निर्धारित होती है, ठीक उसी तरह देश की मुद्रा की बाह्य कीमत अथवा उसकी विनिमय दर भी विदेशी विनिमय बाजार में उसकी माँग व पूर्ति द्वारा निश्चित होती है। विनिमय दर का सन्तोषजनक सिद्धान्त तो वह ही समझा जा सकता है जो दो देशों की मुद्राओं की पारस्परिक माँग और पूर्ति की समुचित विवेचना करे। परन्तु क्रय शक्ति समता सिद्धान्त तो दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति सम्बन्धी विवेचना ही करता है उनके प्रति माँग की विवेचना नहीं करता। इस प्रकार इस सिद्धान्त द्वारा विनिमय दर निर्धारण के सम्बन्ध में की गयी विवेचना अधूरी ही मानी जा सकती है।

(8) यह सिद्धान्त विनिमय-दर को पहले से ही मानकर चलता है—इस सिद्धान्त की एक अन्य त्रुटि यह है कि यह सिद्धान्त विनिमय दर को पहले से ही मानकर चलता है उसके निर्धारण की व्याख्या नहीं करता। जैसा विदित है दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति की समता को दिखाने से पूर्व किसी एक विनिमय दर को मान लिया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की विनिमय दर के बिना दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्तियों की समता व्यक्त करना सम्भव ही नहीं है। इस प्रकार यह सिद्धान्त तो केवल यही बताता है कि एक दी हुई विनिमय दर पर दो देशों की मुद्राओं की क्रय शक्तियों में होने वाले परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ता है?

(9) यह सिद्धान्त माँग की लोच सम्बन्धी गलत मान्यता पर आधारित है—क्रय शक्ति समता सिद्धान्त माँग की लोच सम्बन्धी गलत मान्यता के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि किसी देश की वस्तुओं के सम्बन्ध में विदेशों की माँग इकाई के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में, जिस अनुपात में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं उसी अनुपात में उनकी माँग कम हो जाती है अथवा जिस अनुपात में कीमतें घटती हैं उसी अनुपात में उनकी माँग बढ़ जाती है। परन्तु यह मान्यता सत्य नहीं है। वास्तव में विदेशों में वस्तुओं की माँग कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के अनुपात में ही नहीं घटती बढ़ती। दूसरे शब्दों में माँग की लोच इकाई से अधिक व कम हो सकती है।

(10) यह सिद्धान्त केवल दीर्घकालीन प्रवृत्ति को ही व्याख्या करता है—ज्रातोवर्तों का

कहना है कि यह सिद्धान्त केवल यही बताता है कि दीर्घकाल में दो देशों के बीच की विनिमय-दर क्रय-शक्ति समता के आधार पर निर्धारित होती है। परन्तु यह सिद्धान्त हमें यह नहीं बताता कि अल्पकाल में दो देशों के बीच विनिमय दर किस प्रकार निश्चित होती है। वास्तव में, अल्पकाल में दो देशों के बीच की विनिमय-दर अनेक प्रकार के तत्वों से प्रभावित होती है। परन्तु यह सिद्धान्त उन सभी तत्वों की उपेक्षा कर देता है। अतएव इस दृष्टिकोण से इस सिद्धान्त को सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता।

निष्कर्ष—जैसा हमने ऊपर देखा है, इस सिद्धान्त में कई प्रकार के दोष पाये जाते हैं। परन्तु इसके बावजूद यह सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रथम, यह सिद्धान्त हमें स्पष्टतः बताता है कि अपरिवर्तनीय कागशी मुद्रा पर आधारित दो देशों के बीच विनिमय की दर किस प्रकार निश्चित होती है। इस सिद्धान्त से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी देश के आन्तरिक कीमत स्तर और उसकी विनिमय की दर में गहरा सम्बन्ध होता है। अतः दो देशों के बीच विनिमय दर निश्चित करते समय क्रय-शक्ति समता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। द्वितीय, यह सिद्धान्त सभी प्रकार के मुद्रामानों अथवा मुद्राओं पर क्रियाशील होता है। तीसरे, इस सिद्धान्त से यह भी पता चल जाता है कि किसी विशेष समय पर व्यापार की दशा कौसी होगी और भुगतान-सन्तुलन का स्वरूप क्या होगा। चौथे, इस सिद्धान्त की सहायता से यह भी पता चल जाता है कि देश की मुद्रा के अव-मूल्यन (depreciation) तथा अधिमूल्यन (appreciation) से देश की विनिमय-दर तथा उसके विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त एक उपयोगी सिद्धान्त है। दो देशों के बीच विनिमय-दर निर्धारित करते समय उनकी मुद्राओं की क्रय शक्ति समता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अल्पकाल में दो देशों के बीच की विनिमय-दर भले ही क्रय-शक्ति समता से कम अथवा अधिक हो, परन्तु दीर्घकाल में विनिमय-दर में क्रय शक्ति समता के वासपारा निश्चित होने की प्रवृत्ति पायी जाती है।

विदेशी विनिमय का भुगतान-सन्तुलन सिद्धान्त (The Equilibrium Theory of Foreign Exchanges)

इस सिद्धान्त के अनुसार एक देश दूसरे देश को उतना ही देता है जितना कि वह दूसरे देश से प्राप्त करता है। जैसा प्रायः कहा जाता है, आयात ही निर्यातों का भुगतान करते हैं (imports pay for the exports)। इसका अभिप्राय यह है कि दीर्घकाल में प्रत्येक देश की आय (receipts) तथा भुगतान (payments) में समानता की प्रवृत्ति पायी जाती है। उदाहरणार्थ, यदि भारत और ब्रिटेन में व्यापार होता है, तब साम्य की अवस्था में भारत ब्रिटेन से व्यापार तब ही करेगा जबकि उसे अपने आयातों के लिए उतना ही देना पड़े जितना कि वह ब्रिटेन से अपने निर्यातों द्वारा प्राप्त करता है। इसी तथ्य को विदेशी विनिमय का भुगतान-सन्तुलन सिद्धान्त कहते हैं। किन्तु स्मरण रहे कि किसी देश के आयातों और निर्यातों के बीच की यह समानता केवल दीर्घकाल में ही पायी जाती है। अल्पकाल में ही आयातों तथा निर्यातों की पूर्ण समानता का होना आवश्यक नहीं, अर्थात् अल्पकाल में किसी देश के आयात उसके निर्यातों से अधिक अथवा कम हो सकते हैं, परन्तु दीर्घकाल में उस देश के आयातों तथा निर्यातों में समानता का होना अनिवार्य ही है।

परन्तु इस सिद्धान्त में एक बृत्ति पायी जाती है, जब तक हमें दोनों देशों के बीच की विनिमय दर की जानकारी ही नहीं है तब तक हम उन दोनों देशों की आय (receipts) तथा भुगतानों (payments) का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, अर्थात् दोनों देशों के बीच की विनिमय-दर की जानकारी के अभाव में उन देशों के आयातों एवं निर्यातों के मूल्यों में समानता के बारे में निश्चित रूप से कहना कठिन ही जाता है। परन्तु जब हमें इन देशों के बीच की विनिमय दर का ज्ञान हो जाता है, तब हमारे लिए उनके आयातों और निर्यातों की समानता के बारे में निश्चित रूप से कहना सरल हो जाता है। जिस विनिमय दर पर दोनों देशों के आयातों और निर्यातों का मूल्य समान होता है उसे विनिमय की साम्य दर (Equilibrium Rate of Exchange) कहा जाता है। यदि इन देशों में से किसी एक देश के आयात और निर्यात के मूल्य के बराबर नहीं हैं तब

इसे हम असन्तुलन की अवस्था कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में उस देश को अपने आयातों व निर्यातों में आवश्यक परिवर्तन करके उनमें समानता स्थापित करनी चाहिए।

अतः इस सिद्धान्त के अनुसार दीर्घकाल में किसी देश की विनिमय-दर उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जहाँ पर उस देश के आयातों का मूल्य उसके निर्यातों के मूल्य के बराबर होता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि आयात, निर्यात का भुगतान करते हैं।

विनिमय-दर में उतार चढ़ाव

(Fluctuations in The Rate of Exchange)

जैसा विदित है, दो देशों के बीच की विनिमय-दर में बहुधा उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। इस प्रकार के उतार-चढ़ाव न केवल स्वर्णमान वाले, बल्कि कागजी मुद्रामान वाले देशों के बीच भी होते रहते हैं। जैसा हम देख चुके हैं स्वर्णमान पर आधारित दो देशों के बीच विनिमय की दर एक समता के ऊपर अथवा नीचे होती है। इसी प्रकार कागजी मुद्रामान पर आधारित दो देशों के बीच विनिमय की दर ऋय शक्ति समता से कम अथवा अधिक हो सकती है। परन्तु स्मरण रहे कि दीर्घकाल में दो देशों के बीच की विनिमय-दर में स्थिरता पाई जाती है, जबकि अल्पकाल में दो देशों के बीच की विनिमय दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, अल्पकाल में विनिमय की दर स्वर्णमान के अन्तर्गत एक-समता से और कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत ऋय-शक्ति की समता से ऊपर अथवा नीचे होती रहती है। विनिमय-दर में होने वाले इस प्रकार के उतार-चढ़ाव से देश की अर्थ-व्यवस्था में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और देश के विदेशी व्यापार पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः हम विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारणों की सविस्तार व्याख्या करेंगे।

(1) विदेशी मुद्राओं की माँग एवं पूर्ति में परिवर्तन—विदेशी मुद्राओं की माँग एवं पूर्ति परिवर्तनों का विनिमय-दर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि विदेशी विनिमय की माँग उसकी पूर्ति से कम अथवा अधिक होती है तो इससे विनिमय-दर में अवश्य ही परिवर्तन होते हैं। चूँकि अल्पकाल में विदेशी मुद्राओं की माँग तथा पूर्ति में असन्तुलन की सम्भावना अधिक रहती है, इसलिए अल्पकाल में विनिमय दरों के परिवर्तन बड़े पैमाने पर होते रहते हैं। विदेशी मुद्राओं की माँग एवं पूर्ति पर निम्नलिखित तत्वों का प्रभाव पड़ता है -

(क) व्यापार की परिस्थितियाँ (Trade Conditions)—विदेशी मुद्राओं की माँग व पूर्ति के पर देश के आयातों तथा निर्यातों का प्रभाव पड़ता है। यदि देश के निर्यात, आयातों की अपेक्षा अधिक हैं तो विदेशों में उस देश की मुद्रा की माँग बढ़ जायगी। इसके विपरीत, उस देश में विदेशी मुद्राओं की माँग कम हो जायगी। परिणामतः विनिमय-दर देश के पक्ष में हो जायगी। इसके विपरीत, यदि देश के आयात, निर्यातों से अधिक हैं तो इससे विदेशी मुद्राओं की माँग बढ़ जायगी और विदेशों में उस देश की मुद्रा की माँग कम हो जायगी। परिणामतः विनिमय-दर देश के विपक्ष में हो जायगी।

(ख) स्टॉक एक्सचेंज सम्बन्धी प्रभाव (Stock Exchange Influences)—स्टॉक एक्सचेंज पर किये गये विभिन्न सौदों का विनिमय-दर पर प्रभाव पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज पर कई प्रकार के सौदे किये जाते हैं। उदाहरणार्थ, स्टॉक एव शेयर्स तथा प्रतिभूतियों का ऋय विक्रय, ऋणों का लेन-देन आदि।

(1) स्टॉक शेयर्स तथा प्रतिभूतियों का ऋय-विक्रय—जब देशवासी विदेशों में स्टॉक शेयर्स तथा प्रतिभूतियों को खरीदते हैं तब उन्हें इनकी कीमत विदेशी विक्रेताओं को उनकी मुद्राओं में ही चुकानी पड़ती है। इससे देश में विदेशी मुद्राओं की माँग बढ़ जाती है और विनिमय-दर देश के विपक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत यदि देशवासी विदेशियों को स्टॉक, शेयर्स तथा प्रतिभूतियाँ बेचते हैं, तब विदेशियों को इनकी कीमतें देश की मुद्रा में चुकानी पड़ती हैं। इससे विदेशों में उस देश की मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। परिणामतः विनिमय-दर देश के पक्ष में हो जाती है।

(2) ऋणों का लेन-देन—यदि देशवासी विदेशों से ऋण प्राप्त करते हैं तब ऐसी परिस्थिति में विदेशों में उस देश की मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। परिणामतः विनिमय-दर उस देश के पक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत, यदि देशवासी विदेशियों को ऋण देते हैं तो इससे

उनकी विदेशी मुद्राओं की माँग बढ़ जाती है। परिणामतः विनिमय-दर देश के विपक्ष में हो जाती है। इस प्रकार जब स्टॉक एक्सचेंज व्यवहारों (operations) के फलस्वरूप मुद्रा देश से विदेशों को जाती है तब विनिमय की दर देश के विपक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत, जब स्टॉक एक्सचेंज व्यवहारों के परिणामस्वरूप मुद्रा विदेशों से देश में आती है, तब विनिमय की दर देश के पक्ष में हो जाती है।

(2) बैंकिंग सम्बन्धी प्रभाव (Banking Influences)—विनिमय-दरों पर बैंकिंग-नीति का भी प्रभाव पड़ता है। इसकी हम तीन उपशीर्षकों के अन्तर्गत व्याख्या कर सकते हैं :

(क) बैंक-दर—जब देश का केन्द्रीय बैंक, बैंक-दर में परिवर्तन करता है तब इससे विनिमय-दर भी प्रभावित होती है। यदि केन्द्रीय बैंक, बैंक-दर को बढ़ा देता है तो ऊँची व्याज की दर कमाने के प्रलोभन से विदेशी लोग उस देश में अपनी पूँजी भेजना शुरू कर देते हैं। इससे विदेशी विनिमय बाजार में देशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। परिणामतः विनिमय-दर देश के पक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत, यदि केन्द्रीय बैंक बैंक-दर को घटा देता है तब विदेशी लोग उस देश से अपनी पूँजी को वापस मँगाना शुरू कर देते हैं। इससे विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। परिणामतः विनिमय-दर देश के विपक्ष में हो जाती है।

(ख) साख-पत्रों का जारी किया जाना—विनिमय-दरों द्वारा जारी किये गये साख-पत्रों की मात्रा का भी देश की विनिमय-दर पर प्रभाव पड़ता है। जब कोई विनिमय-दर अपनी विदेशी स्थित शाखा अथवा किसी विदेशी बैंक पर बैंक-से ड्रापट अथवा अन्य प्रकार के साख-पत्र जारी करता है, तब इससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और विनिमय-दर देश के विपक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत, जब विदेशों बैंक देश के बैंकों के ऊपर साख-पत्र जारी करते हैं, तब इससे देशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। परिणामतः विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है।

(ग) मध्यस्थों की क्रियाएँ (Arbitrage Operations)—जब प्रतिभूतियाँ सप्ताह के व्यापारिक केन्द्रों में सट्टे-लाभ (speculative gains) के लिए खरीदी अथवा बेची जाती हैं, तब इन क्रियाओं को मध्यस्थों की क्रियाएँ कहा जाता है। इनके शब्दों में, सट्टारिये विश्व के विभिन्न केन्द्रों में विदेशी मुद्राओं के मूल्यों में अन्तर होने पर इसके कय-विक्रय द्वारा लाभ कमाते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं का भी विनिमय की दर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए, न्यूयार्क में आज डालर का मूल्य 21 सेण्ट प्रति रुपया है, जबकि बम्बई में डालर का मूल्य 20 सेण्ट प्रति रुपया है। यदि कोई व्यक्ति तार द्वारा न्यूयार्क से 1 रुपये के बदले 21 सेण्ट खरीदकर तुरन्त ही उन्हें बम्बई में 20 सेण्ट प्रति रुपया की दर पर बेच देता है तब उसे 1 सेण्ट प्रति रुपया का लाभ होता है। इस क्रिया से न्यूयार्क में डालर की माँग इसकी पूर्ति से अधिक और बम्बई में डालर की पूर्ति इसकी माँग से अधिक हो जाती है। परिणामतः न्यूयार्क में 1 रुपये के बदले में कम सेण्ट और बम्बई में 1 रुपये के बदले में अधिक सेण्ट मिलन लगेगे, अर्थात् न्यूयार्क में रुपये का डालर मूल्य कम और बम्बई में रुपये का डालर मूल्य अधिक हो जायगा। इस प्रकार भारत में विनिमय की दर अधिक और अमेरिका में विनिमय की दर कम हो जायगी। अन्ततः न्यूयार्क और बम्बई में विनिमय की दरों का अन्तर समाप्त हो जायगा। इस प्रकार मध्यस्थों की क्रियाओं के परिणामस्वरूप विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं।

(3) मुद्रा-सम्बन्धी परिस्थितियाँ (Currency Conditions)—मुद्रा सम्बन्धी परिस्थितियों का भी विनिमय की दर पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

(क) मुद्रा-स्फीति—जब किसी देश में मुद्रा-स्फीति की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब विदेशी पूँजी ऐसे देश से बाहर जाने लगती है। इसका कारण यह है कि मुद्रा-स्फीति के फलस्वरूप देशी मुद्रा की कय-शक्ति कम होने लगती है और विदेशी पूँजीपति इससे भयभीत होकर अपनी पूँजी को वापस मँगाने लगते हैं। इससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है।

(ख) मुद्रा-अवस्फीति—जब किसी देश में किसी कारण मुद्रा-अवस्फीति की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब विदेशी लोग उस देश की मुद्रा का लाभ कमाने के लालच में खरीदना शुरू कर देते हैं जिससे उस देश की मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। परिणामतः विनिमय-दर उस देश

के पक्ष में हो जाती है। इस प्रकार मुद्रा-सम्बन्धी परिस्थितियों का विनिमय-दरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

(4) राजनीतिक परिस्थितियाँ (Political Conditions)—राजनीतिक परिस्थितियों का भी विनिमय की दर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसकी व्याख्या हम निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं

(क) सरक्षणात्मक नीति—यदि देश की सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरक्षणात्मक नीति को अपनाती है तो इससे देश की विनिमय-दर पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि सरक्षण नीति के परिणामस्वरूप देश के आयात हतोत्साहित होते हैं और देश का व्यापार-सन्तुलन अनुकूल हो जाता है। विदेशी मुद्रा की माँग कम हो जाती है और परिणामतः विनिमय की दर देश के पक्ष में हो जाती है।

(ख) विनिमय नियन्त्रण—जब देश की सरकार विनिमय नियन्त्रण की नीति अपना लेती है तब इससे भी देश की विनिमय-दर पर प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि विनिमय नियन्त्रण के परिणामस्वरूप देश के आयातों में कमी हो जाती है, विदेशी मुद्रा की माँग कम हो जाती है और परिणामतः विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है।

(ग) देश की वित्तीय नीति—यदि देश की सरकार अपने बजट में घाटे की अर्ध-व्यवस्था (deficit financing) की नीति अपनाती है तो इससे देश में मुद्रा-स्फीति की परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी। मुद्रा का मूल्य गिर जायगा। विदेशी पूँजी देश से बाहर जाने लगेगी और परिणामतः विनिमय की दर देश के विपक्ष में हो जायगी।

(घ) देश में शान्ति व सुरक्षा—यदि किसी देश में पूर्णरूप से शान्ति व सुरक्षा है तो देशी पूँजी स्वतः ही उस देश की ओर आकर्षित होगी। इससे विदेशों में देशी मुद्रा की माँग बढ़ जायगी और परिणामतः विनिमय-दर देश के पक्ष में हो जायगी।

विनिमय-दर के उतार-चढ़ाव की सीमायें

(Limits of Fluctuations in the Rate of Exchange)

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं विदेशी मुद्रा की माँग एव पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विनिमय-दर में परिवर्तन होते रहते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि विनिमय-दर में होने वाले परिवर्तनों की कुछ सीमाएँ भी हैं अथवा नहीं? स्पष्ट है कि विनिमय-दर में होने वाले परिवर्तन कुछ ही हुई परिस्थितियों के अन्तर्गत कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर ही होते हैं

(क) स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय की दर में होने वाले परिवर्तनों की सीमाएँ—जब दो देश स्वर्णमान पर आधारित होते हैं, तब उनके बीच विनिमय-दर स्वर्ण बिन्दुओं से शासित होती है। दूसरे शब्दों में, उनके बीच की विनिमय-दर स्वर्ण-बिन्दुओं के भीतर ही रहती है। यह न तो स्वर्ण-निर्यात बिन्दु से ऊपर और न ही स्वर्ण-आयात बिन्दु से नीचे हो जा सकती है, अर्थात् दोनों स्वर्ण बिन्दुओं के बीच ही रहती है। इन स्वर्ण-बिन्दुओं का निर्धारण कैसे किया जाता है यह पहले ही बताया जा चुका है। टक-समता में स्वर्ण के परिवहन-व्यय को जोड़ देने से स्वर्ण निर्यात बिन्दु प्राप्त किया जा सकता है और टक-समता से स्वर्ण के परिवहन व्यय को घटा देने से स्वर्ण-आयात बिन्दु प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा पर आधारित दो देशों के बीच विनिमय की दर में होने वाले परिवर्तनों की सीमाएँ—यदि दो देशों में अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान है, तब इनके बीच विनिमय की दर में त्रय शक्ति समता के आस-पास निश्चित हो जाने की प्रवृत्ति पायी जाती है। परन्तु स्मरण रहे कि यहाँ पर विनिमय की दर में होने वाले परिवर्तनों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, अर्थात् कागजी मुद्रामान के अन्तर्गत विनिमय की दर में किसी भी मात्रा में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि स्वर्णमान देशों की भाँति यहाँ पर स्वर्ण बिन्दुओं का अभाव होता है। अतः विनिमय-दर में किसी भी मात्रा में उतार-चढ़ाव सम्भव हो सकते हैं।

विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव को रोकने के उपाय—जैसा हम ऊपर देख चुके हैं,

विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव पर कई प्रकार के तत्वों का प्रभाव पड़ता है। इस सब बातों का अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष करना सरल हो जाता है कि विनिमय-दरों में इस प्रकार के होने वाले उतार-चढ़ाव को कैसे रोका जाय ? जैसा स्पष्ट है, विनिमय दर की स्थिरता देश के व्यापार-सन्तुलन पर निर्भर करती है। अतः वे सभी उपाय किये जाने चाहिए जिनसे देश के व्यापार-असन्तुलन (trade imbalance) को दूर किया जा सके। उदाहरणार्थ, आयात कर, विनिमय नियन्त्रण, मुद्रा ह्रास, मुद्रा-अवमूल्यन आदि इस दिशा में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक-दर में समुचित परिवर्तन करके भी विनिमय-दर की स्थिरता स्थापित की जा सकती है।

अनुकूल अथवा प्रतिकूल विनिमय की दर (Favourable or Unfavourable Rate of Exchange)

विदेशी विनिमय में प्रायः 'अनुकूल विनिमय-दर' तथा 'प्रतिकूल विनिमय-दर' शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अनुकूल विनिमय दर तथा प्रतिकूल विनिमय दर से क्या अभिप्राय है ? यह जानने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विनिमय की दर को किस देश की मुद्रा में व्यक्त किया जा रहा है। क्या यह विनिमय-दर स्वदेश की मुद्रा में व्यक्त की जा रही है अथवा विदेश की मुद्रा में प्रकट की जा रही है ?

(क) विनिमय दर को देश की मुद्रा में व्यक्त करना—जब किसी देश की विनिमय दर स्वदेश की मुद्रा में ही व्यक्त की जाती है तब नीची विनिमय दर स्वदेश के पक्ष में होती है और ऊँची विनिमय दर देश के विपक्ष में होती है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि पौण्ड का मूल्य रुपये में प्रकट किया जा रहा है और विनिमय दर 1 पौण्ड=21 रुपये है। अब यदि विनिमय की दर कम हो जाती है, अर्थात् यह घटकर 1 पौण्ड=20 रुपये हो जाती है तब यह भारत के अनुकूल है परन्तु ब्रिटेन के प्रतिकूल है। इसका कारण यह है कि अब ब्रिटेन में 1 पौण्ड के मूल्य की वस्तुएँ खरीदने के लिए भारतीय व्यापारी को केवल 20 रुपये ही देने पड़ेंगे। इसके विपरीत, यह दर ब्रिटेन के प्रतिकूल है। इसका कारण यह है कि ब्रिटेन के व्यापारी को अब 20 रुपये के मूल्य की वस्तुओं को खरीदने के लिए 1 पौण्ड चुकाना पड़ेगा जबकि पहले वह 21 रुपये के मूल्य की वस्तुओं के लिए ही 1 पौण्ड चुकाया करता था। इसी तरह यदि विनिमय दर बढ़कर 1 पौण्ड=22 रुपये हो जाती है तब यह भारत के लिए प्रतिकूल और ब्रिटेन के लिए अनुकूल हो जायगी। इसका कारण यह है कि अब भारतीय व्यापारी को 1 पौण्ड के मूल्य की वस्तुओं को खरीदने के लिए 22 रुपये चुकाने पड़ेंगे, जबकि पहले वह इसके लिए 21 रुपये ही चुकाया करता था। इसके विपरीत यह दर ब्रिटेन के अनुकूल है। इसका कारण यह है कि अब ब्रिटेन के व्यापारी को 1 पौण्ड देकर भारत से 22 रुपये के मूल्य की वस्तुएँ उपलब्ध हो सकती हैं, जबकि पहले उसे 1 पौण्ड के बदले में केवल 21 रुपये के मूल्य की वस्तुएँ उपलब्ध होती थीं। इस प्रकार जब विनिमय की दर स्वदेश की मुद्रा में प्रकट की जाती है, तब गिरती हुई दर उस देश के पक्ष में और ऊपरी चढ़ती हुई दर उस देश के विपक्ष में होती है।

(ख) विनिमय की दर को विदेशी मुद्रा में व्यक्त करना—जब किसी देश में विनिमय की दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त की जाती है तब बढ़ती हुई विनिमय की दर उस देश के पक्ष में होती है और घटती हुई दर उस देश के विपक्ष में होती है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि भारत और अमरीका के बीच की विनिमय-दर 1 रुपया=13 सेण्ट है। अब यदि यह विनिमय दर 1 रुपया=14 सेण्ट हो जाती है तो यह नयी दर भारत के पक्ष में होगी और अमरीका के विपक्ष में। इसका कारण यह है कि अब भारतीय व्यापारी 1 रुपया व्यय करके अमरीका से 14 सेण्ट के मूल्य की वस्तुएँ खरीद सकता है, जबकि पहले वह केवल 13 सेण्ट के मूल्य की वस्तुएँ ही खरीद सकता था। इस तरह यह बढ़ी हुई विनिमय दर भारत के पक्ष में है, परन्तु अमरीका के विपक्ष में है। इसका कारण यह है कि अमरीकी व्यापारी को भारत से 1 रुपये के मूल्य की वस्तुएँ खरीदने के लिए 14 सेण्ट खर्च करने पड़ेंगे, जबकि पहले वह केवल 13 सेण्ट ही व्यय किया करता था। अब मान लीजिए कि भारत और अमरीका के बीच की यह विनिमय-दर 1 रुपया=12 सेण्ट हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि अब भारतीय व्यापारी

को 1 रुपया व्यय करने पर अफ्रीका से केवल 12 सेण्ट के मूल्य की ही वस्तुएँ उपलब्ध होंगी, जबकि पहले उसे 13 सेण्ट के मूल्य की वस्तुएँ प्राप्त होती थी। इस तरह यह विनिमय-दर भारत के विपक्ष में है, किन्तु अमरीका के पक्ष में है। इसका कारण यह है कि अब अमरीकी व्यापारी केवल 12 सेण्ट व्यय करके भारत में 1 रुपये के मूल्य की वस्तुएँ खरीद सकता है जबकि पहले उसे इसके लिए 13 सेण्ट व्यय करने पड़ते थे। अतः जब विनिमय की दर विदेशी मुद्रा में व्यय की जाती है, तब ऊँची विनिमय की दर देश के पक्ष में होती है और नीची विनिमय दर देश के विपक्ष में होती है।

अग्रिम विनिमय (Forward Exchange)

प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के विभिन्न देशों में अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा का प्रचलन आरम्भ हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप सभी देशों की विनिमय-दरों में भारी उतार-चढ़ाव हुए थे। जैसा पहले बताया जा चुका है, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा के अन्तर्गत विनिमय दरों में होने वाले उतार-चढ़ावों की कोई सीमा नहीं होती। अतः यूरोपीय देशों के द्वारा अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान अपनाये जाने के परिणामस्वरूप उनकी विनिमय दरों में भारी उतार-चढ़ाव होने लगे थे। इसके फलस्वरूप इन देशों की अर्थ-व्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो गया था जिससे इनके विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार की अनिश्चितता में निहित जोखिम (risk) से बचने के लिए इन देशों में अग्रिम विनिमय की विधि अपनायी थी।

विनिमय दर की अनिश्चितता के कारण व्यापारियों को कितनी हानि हो सकती है, इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई भारतीय व्यापारी किसी ब्रिटिश व्यापारी को 100 पौण्ड के मूल्य की वस्तुओं का आर्डर देता है। जिस समय भारतीय व्यापारी मान का आर्डर देता है मान लीजिए उस समय ब्रिटेन और भारत के बीच की विनिमय दर 1 पौण्ड = 21 रुपये है। दूसरे शब्दों में, भारतीय व्यापारी को माल के बदले भारतीय मुद्रा में 2100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कि भारत में माल पहुँचने से पूर्व ही ब्रिटेन और भारत की विनिमय-दर 1 पौण्ड = 23 रुपये हो जाती है। अब इस दशा में भारतीय व्यापारी को उसी माल के लिए 200 रुपये अधिक चुकाने पड़ेंगे और इस प्रकार उसका सम्भावित लाभ हानि में बदल सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दो देशों के बीच की विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव कितना हानिकारक हो सकता है। जैसा पूर्व कहा गया है, विनिमय-दर के परिवर्तनों के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए ही अग्रिम विनिमय की विधि अपनायी जाती है। उसी उदाहरण को लेते हुए अब मान लीजिए कि भारतीय व्यापारी हॉल्डर (hedging) द्वारा विनिमय-दर में होने वाले परिवर्तनों से अपने आपको सुरक्षित कर लेता है। दूसरे शब्दों में, जब वह ब्रिटिश निर्यातकर्ता को 100 पौण्ड के मूल्य का आर्डर देता है तो उसी समय ही वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा बैंक से एक अग्रिम सुरक्षित दर पर भविष्य में उसी माल का वायदा करता है। यदि दोनों पार्टियों में तय की गयी विनिमय दर 1 पौण्ड = 21 रुपये है, तो उस व्यक्ति अथवा बैंक को निश्चित दर पर भारतीय व्यापारी को इसी दर पर पौण्ड-मुद्रा सज्जाई करनी पड़ेगी। इस प्रकार अग्रिम विनिमय रीति द्वारा भारतीय व्यापारी अपने आपको विनिमय-दर में होने वाले परिवर्तनों के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित कर लेता है।

विदेशी विनिमय बाजार में क्रियाशील सटोरियों (Speculators) भी आपस में इस प्रकार के सौदे कर लेते हैं। मान लीजिए कि मोहन तीन महीने के बाद सोहन को 1 पौण्ड = 21 रुपये की दर पर पौण्ड देवना स्वीकार कर लेता है। अब यदि तीन महीने के बाद विदेशी विनिमय बाजार की दर 1 पौण्ड = 22 रुपये हो जाती है इससे मोहन को हानि होगी और सोहन को लाभ। इसका कारण स्पष्ट है बाजार में 22 रुपये के बदले में 1 पौण्ड उपलब्ध हाता है जबकि सोहन को केवल 21 रुपये के बदले में ही 1 पौण्ड मिल जाता है। इस प्रकार जब भविष्य में विनिमय दर ऊँची हो जाती है, तब देवने का वायदा करने वाले सट्टेबाज को हानि होती है

और खरीदने का बायदा करने वाले सट्टेबाज को लाभ होता है। अब मान लीजिए कि विदेशी विनिमय बाजार की दर 1 पौण्ड 20 रुपये हो जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में खरीदने का बायदा करने वाले सट्टेबाज को हानि और बेचने का बायदा करने वाले सट्टेबाज को लाभ होता है। इसका कारण स्पष्ट है। सोहन को 1 पौण्ड खरीदने के लिए 21 रुपये मोहन को चुकाने पड़ते हैं, जबकि खुले बाजार में उसे केवल 20 रुपये के बदले में ही 1 पौण्ड उपलब्ध हो सकता है। इस प्रकार अग्रिम विनिमय के अन्तर्गत एक पक्ष को लाभ और दूसरे को हानि होती है। परन्तु दोनों ही दशाओं में आयातकर्ता व्यापारी विनिमय-दर में होने वाले परिवर्तनों के हानिकारक प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं।

इस प्रकार भविष्य में विदेशी विनिमय खरीदने और बेचने का कार्य अग्रिम विनिमय कहलाता है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में इसका बहुत महत्व है। प्रथम, अग्रिम विनिमय के कारण आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न अनिश्चितता के कुप्रभावों से मुक्त हो जाते हैं। द्वितीय, अग्रिम विनिमय के कारण विनिमय-दर में होने वाले उतार-चढ़ाव भी कम हो जाते हैं। उदाहरणार्थ यदि भविष्य में विनिमय-दर की ऊपर जाने की सम्भावना होती है तो अग्रिम विनिमय बाजार में वर्तमान में ही अग्रिम सौदे की संख्या बढ जाती है। इसके फलस्वरूप वर्तमान विनिमय दर भी ऊँची हो जाती है और भविष्य में विनिमय-दर अधिक ऊँची नहीं हो पाती। इस प्रकार विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव काफी मात्रा में नियन्त्रित हो जाते हैं।

वर्तमान विनिमय दर तथा भावी विनिमय दर में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जैसा स्पष्ट है, भावी विनिमय दर सदैव वर्तमान विनिमय-दर पर निर्भर रहती है। विनिमय व्यवसायी (exchange operators) विदेशी विनिमय खरीदते और बेचते समय देश के भीतर तथा विदेश में अल्पकालीन ऋणों के ब्याज की तुलना करते हैं। यदि विदेश में अल्पकालीन ऋण पर ब्याज की दर देश की तुलना में अधिक है तो अग्रिम विनिमय वर्तमान से कटौती पर बेची जाती है। इसके विपरीत, यदि विदेश में देश की तुलना में ब्याज की दर कम है तो अग्रिम विनिमय लाभ पर बेची जाती है। इसके अलावा, अग्रिम दर इस बात पर भी निर्भर करती है कि भविष्य में व्यापारियों का विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अनुमान क्या है। दूसरे शब्दों में, विदेशी मुद्रा की सम्भावित माँग एवं पूर्ति कितनी है ?

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1 विदेशी विनिमय दर कैसे निश्चित की जाती है ? समझाइए।

(आगरा 1962 विक्रम 1969)

[संकेत—इस प्रश्न के उत्तर में यह बताइए कि स्वर्णमान पर आधारित देशों दो के बीच विनिमय की दर स्वयं विन्दुओं के बीच व्यापार संतुलन से निश्चित होती है परन्तु अपरि-वर्तनीय काराजी मुद्रामान पर आधारित दो देशों के बीच विनिमय की दर ऋण शक्ति समता से निर्धारित होती है।]

- 2 विनिमय की टकसाली समानता-दर से आप क्या तात्पर्य समझते हैं ? स्वर्ण-विन्दुओं का इसके अन्तर्गत क्या स्थान है ?

(आगरा, 1960)

[संकेत—प्रथम भाग में टकसाली समानता दर की परिभाषा उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। दूसरे भाग में यह बताइए कि स्वर्णमान पर आधारित दो देशों के बीच विनिमय की दर स्वयं विन्दुओं के बीच उनके व्यापार मन्तुलन से निश्चित होती है। इस प्रकार स्वर्ण विन्दु ही सीमाएँ प्रस्तुत करते हैं जिनका उल्लंघन विनिमय-दर सामान्यतः नहीं कर सकती।]

- 3 आयात निर्यातों का भुगतान करते हैं। विवेचना कीजिए।

(आगरा 1962)

[संकेत—यहाँ पर विदेशी विनिमय के भुगतान संतुलन मिद्वान्त की सविस्तार व्याख्या कीजिए।]

4. विनिमय-दर क्या है ? विदेशी विनिमय-दर के उतार-चढ़ाव पर किन-किन बातों का प्रभाव पड़ता है ?
(आगरा, 1967)

विदेशी विनिमय-दरों में उतार-चढ़ाव के क्या कारण होते हैं ? इन उच्चावचनों को किस प्रकार रोका जा सकता है ?
(इन्दौर, 1968)

[सकेत—विनिमय दर वह दर होती है जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदला जाता है। दूसरे भाग में, विनिमय-दर में होने वाले उतार-चढ़ावों के मुख्य कारणों की विस्तार-पूर्वक व्याख्या कीजिए और अन्ततः निष्कर्ष निकालिए कि विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप ही विदेशी विनिमय-दरों में परिवर्तन होते हैं। विदेशी विनिमय-दरों के उच्चावचनों को रोकने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि देश के व्यापार-असन्तुलन को दूर किया जाये। देखिए उपर्युक्त अध्याय में उपशीर्षक "विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव को रोकने के उपाय।"]

5. विनिमय-दरों में परिवर्तन की सीमाएँ कौन-सी होती हैं ? ये सीमाएँ कैसे निर्धारित होती हैं ? क्या विनिमय-दर कभी सीमाओं के परे जा सकती है ?
(आगरा, 1960)

[सकेत—प्रथम भाग में, यह बताया कि स्वर्णमान पर आधारित दो देशों के बीच विनिमय-दर में होने वाले परिवर्तन स्वर्ण-विन्दुओं से सीमित होते हैं। दूसरे भाग में, यह बताया कि टक-समता में स्वर्ण के परिवहन-व्यय को जोड़ व घटाकर स्वर्ण-विन्दुओं को प्राप्त किया जाता है। तीसरे भाग में, यह बताया कि विनिमय-दर स्वर्ण-विन्दुओं का भी उल्लंघन कर सकती है, यदि दोनों देशों द्वारा स्वर्ण के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं।]

6. यह बताइए कि दो देशों में विनिमय-दर किस प्रकार निर्धारित होता है जबकि दोनों में अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा प्रचलित हो ?
(राजस्थान, 1968)

अथवा

ऋय-शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
(मेरठ, 1975)

[सकेत—यहाँ पर आपको ऋय-शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचना सहित व्याख्या करनी है।]

23

विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control)

विनिमय नियन्त्रण का अर्थ—विस्तृत तथा संकुचित (Meaning of Exchange Control)

स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में देशवासी जितनी मात्रा में चाहें, विदेशी विनिमय खरीद व बेच सकते हैं परन्तु नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था में उन्हें इस प्रकार की कोई स्वतन्त्रता नहीं होती। इसका कारण यह है कि नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था में सरकार विदेशी मुद्रा के त्रय विक्रय पर नियन्त्रण लगा देती है। इस प्रकार जब सरकार देश के विदेशी विनिमय उपार्जनो (foreign exchange earnings) का कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग करती है, तो इसे विनिमय नियन्त्रण कहते हैं। विनिमय नियन्त्रण के प्रायः दो अर्थ लगाये जाते हैं—विस्तृत अर्थ में विनिमय नियन्त्रण से अभिप्राय सरकारी अधिकारियों द्वारा किये गये उन सभी प्रकार के प्रत्यक्ष अपवा अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपों से होता है जो विनिमय दरों अथवा उनसे सम्बन्धित व्यवसाय को प्रभावित करने के लिए किये जाते हैं। इस प्रकार विस्तृत रूप में विनिमय नियन्त्रण का अभिप्राय विदेशी व्यापार में किये गये सभी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेपों से होता है। इसके अन्तर्गत, विनिमय दरों का नियन्त्रण, पूंजी का आवागमन, समानीकरण कोषों वा संचालन तथा व्यापारिक एवं समाशोधन समझौते सम्मिलित किये जाते हैं परन्तु साधारणतः विनिमय नियन्त्रण का संकुचित अर्थ ही लगाया जाता है। इसके अनुसार विनिमय नियन्त्रण से अभिप्राय केवल उन प्रतिबन्धों से होता है जो विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में लगाये जाते हैं। दूसरे शब्दों में, संकुचित अर्थ के अनुसार विनिमय नियन्त्रण केवल उन्हीं प्रतिबन्धों से सम्बन्धित है जो विनिमय दर के सम्बन्ध में ही लगाये जाते हैं।

विनिमय नियन्त्रण का विकास (Evolution of Exchange Control)

विनिमय नियन्त्रण प्रणाली का विकास सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ था। जैसा विदित है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की मार्क मुद्रा की विनिमय-दर बहुत नीचे गिर गयी थी। तब जर्मन सरकार ने विनिमय नियन्त्रण की सहायता से जर्मनी की विनिमय-दर को स्थिर बनाये रखने का प्रयत्न किया था। इसके उपरान्त सन् 1931 में लगभग सभी महत्त्वपूर्ण यूरोपीय देशों द्वारा स्वर्णमान का परित्याग किये जाने पर उनकी विनिमय-दरों में भारी उतार-चढ़ाव हुए थे। अतः उन्हें भी इसी प्रकार के उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए विनिमय नियन्त्रण प्रणाली का आश्रय लेना पड़ा था। दूसरे विश्व युद्ध में तो इस प्रणाली का और भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। चूंकि आजकल लगभग सभी देश अफरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित हैं, इसलिए विनिमय-दर में होने वाले भारी परिवर्तनों को रोकने के लिए लगभग सभी देशों द्वारा विनिमय नियन्त्रण प्रणाली को अपना लिया गया है। इस समय शायद ही कोई देश होगा जिसने किसी न किसी रूप में विनिमय नियन्त्रण प्रणाली को नहीं अपनाया है।

विनिमय नियन्त्रण की विशेषताएँ (Characteristics of Exchange Control)

इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(1) इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी प्रकार के विदेशी विनिमय व्यवहारों (foreign exchange operations) का केन्द्रीयकरण हो जाता है और उनका संचालन प्रायः देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जाता है।

(2) देश के निर्यातकर्ताओं द्वारा जितनी भी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है, वह सारी की सारी केन्द्रीय बैंक को सौंप दी जाती है। केन्द्रीय बैंक उस विदेशी मुद्रा के बदले में निर्यातकर्ताओं को देशी मुद्रा में भुगतान कर देता है।

(3) देश के आयातकर्ताओं को विदेशी निर्यातकर्ताओं के माल का भुगतान करने के लिए केन्द्रीय बैंक से देशी मुद्रा के बदले में विदेशी मुद्रा निश्चित दर पर बेची जाती है।

(4) विदेशी मुद्रा के दुर्लभ होने पर उसके वितरण के बारे में सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा प्राथमिकताएँ (Priorities) निर्धारित कर दी जाती हैं। दूसरे शब्दों में केवल अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए ही केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्रा देने को तैयार होता है।

(5) विनिमय नियन्त्रण के परिणामस्वरूप देश के आयात स्वतः ही सीमित हो जाते हैं। परिणामतः व्यापार सन्तुलन अनुकूल हो जाता है। इसका कारण स्पष्ट है। विदेशी मुद्रा की दुर्लभता के कारण केवल अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए ही व्यापारियों को विदेशी मुद्रा दी जाती है।

(6) इस प्रकार विनिमय नियन्त्रण प्रणाली के अन्तर्गत समूचे विदेशी विनिमय व्यवसाय पर सरकार का एकाधिकार हो जाता है।

सरकारी हस्तक्षेप तथा विनिमय नियन्त्रण में अन्तर (Difference Between Government Interference and Exchange Control)

यदि किसी निश्चित विनिमय-दर को स्थापित करने अथवा बनाये रखने के लिए सरकार विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय करती है, तो इसे सरकारी हस्तक्षेप कहा जा सकता है। इस दशा में निजी व्यापारियों को विदेशी मुद्रा खरीदने व बेचने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। उदाहरणार्थ, सन 1930 के बाद ब्रिटेन ने विनिमय समानीकरण कोष (Exchange Equalisation Fund) की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटेन और विदेशों के बीच निश्चित विनिमय-दर बनाये रखना था। अतः इसे हम सरकारी हस्तक्षेप कह सकते हैं। परन्तु विनिमय नियन्त्रण शब्द का प्रयोग अधिक विस्तृत अर्थ में किया जाता है। इसके अन्तर्गत, समूचे विदेशी विनिमय व्यवसाय पर सरकार का एकाधिकार हो जाता है। निजी व्यापारियों को विदेशी विनिमय खरीदने व बेचने की स्वतन्त्रता नहीं रहती।

विनिमय नियन्त्रण भी दो प्रकार का होता है—पूर्ण (full) अथवा आंशिक (partial)। पूर्ण विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत सभी विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। इसके विपरीत, आंशिक विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत किसी एक अथवा कुछ चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय पर ही प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। साधारण विनिमय नियन्त्रण पूर्ण न होकर, आंशिक ही हुआ करता है।

विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्य (Objectives of Exchange Control)

इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(1) अधिमूल्यन (Over-valuation)—कभी कभी कोई देश अपनी मुद्रा का विदेशी मूल्य (अथवा विनिमय-दर) उसके साम्य-मूल्य (equilibrium value) से ऊँचा निश्चित करना चाहता

है अर्थात् वह देश अपनी मुद्रा की विनिमय-दर स्वतन्त्र बाजार (free market) में स्थापित होने वाली दर से भी ऊँची रखना चाहता है। इसके लिए उसे विनिमय नियन्त्रण का आश्रय लेना पड़ता है।

विनिमय-दर ऊँची रखने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। प्रथम, यदि कोई अ विकसित देश अपने औद्योगिक विकास हेतु विदेशों से बड़े पैमाने पर मशीनों, कल-पुर्जों एवं कच्चे माल का आयात करना चाहता है तो साधारणतः वह अपनी मुद्रा की विनिमय-दर ऊँची रखना पसन्द करेगा। ऐसा करने से उसे आयात किया गया माल सस्ता पड़ता है क्योंकि अपनी मुद्रा में उसे कम राशि चुकानी पड़ती है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि भारत तथा अमरीका के बीच विनिमय दर 1 ₹ = 13 सेण्ट है। अब भारत अपनी विनिमय-दर को बढ़ाकर 1 ₹ = 30 सेण्ट कर देता है तो निश्चय ही भारत को अमरीकी माल सस्ता पड़ेगा। अब भारतीय आयातकर्ता 1 ₹ व्यय करके अमरीका में 30 सेण्ट की वस्तुएँ खरीद सकता है जबकि पहले वह 1 ₹ के बदले केवल 13 सेण्ट का माल ही खरीद सकता था। दूसरे, यदि कोई देश किसी अन्य देश का ऋणी है और उसे अब वह ऋण चुकाना है तो ऊँची विनिमय-दर उसे लाभदायक रहेगी। विनिमय-दर ऊँची होने के परिणामस्वरूप ऋणी देश को विदेशी ऋण का भुगतान करने में अपनी मुद्रा कम मात्रा में देनी पड़ेगी। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि भारत अमरीका का ऋणी है और अब उसे अमरीका को अपने ऋण का भुगतान करना है। यदि भारत अपनी विनिमय-दर को 1 ₹ = 13 सेण्ट से बढ़ाकर 1 ₹ = 30 सेण्ट कर देता है तो इससे भारत पर अमरीकी ऋण का बोझ कम हो जायगा क्योंकि अब भारत को अपनी मुद्रा के रूप में कम राशि चुकानी पड़ेगी। पहले भारत एक रुपया देकर केवल 13 सेण्ट का ऋण ही चुकाता था लेकिन अब उसी एक रुपये से भारत 30 सेण्ट का ऋण चुका सकता है।

किन्तु स्मरण रहे कि मुद्रा अधिमूल्यन में एक बड़ा दोष भी पाया जाता है। इससे देश के आयात सस्ते होने के कारण बढ जाते हैं लेकिन निर्यात महँगे होने के कारण कम हो जाते हैं। परिणामतः देश का मूलतः सन्तुलन प्रतिकूल हो जाता है। अतः अधिमूल्यन की यह नीति केवल कुछ समय के लिए ही उपयोगी सिद्ध होती है। सन् 1949 में पाकिस्तान ने अन्य देशों के साथ अपनी मुद्रा की विनिमय-दर को नहीं घटाया था, बल्कि उसे ऊँचे स्तर पर ही रहने दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान का भुगतान-सन्तुलन प्रतिकूल हो गया और अन्ततः विदेश होकर उसे सन् 1955 में अपनी मुद्रा को विनिमय-दर को घटाना पड़ा था।

(2) अधोमूल्यन (Under-valuation) — कभी-कभी कोई देश अपनी मुद्रा का विदेशी मूल्य (अथवा विनिमय-दर) उसके साम्य मूल्य (equilibrium value) से कम निर्धारित करता है अर्थात् वह देश अपनी मुद्रा की विनिमय-दर स्वतन्त्र बाजार में स्थापित होने वाली दर से कम रखता है। नीचे विनिमय दर का परिणाम यह होता है कि उस देश के निर्यात अन्य देशों में सस्ते पड़ते हैं और अन्य देशों से आयात महँगे पड़ते हैं। इससे उस देश का भुगतान सन्तुलन उसके पक्ष में हो जाता है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि भारत अमरीका के साथ अपनी विनिमय-दर 1 ₹ = 13 सेण्ट से घटाकर 1 ₹ = 10 सेण्ट कर देता है। इससे भारतीय निर्यात अमरीका में सस्ते हो जायेंगे क्योंकि अब अमरीकी आयातकर्ता 10 सेण्ट व्यय करके भारत से उतना ही माल खरीद सकता है जितना कि पहले वह 13 सेण्टों से खरीदा करता था। इसके विपरीत, विनिमय-दर घटने से अब अमरीकी आयात भारत के लिए महँगे हो जायेंगे। इसका कारण यह है कि पहले तो भारतीय आयातकर्ता 1 ₹ व्यय करके 13 सेण्ट का माल अमरीका से खरीद सकता था। अब वह 1 ₹ से केवल 10 सेण्ट का माल ही खरीद सकता है। वास्तव में, अधोमूल्यन की नीति उस छोटे आकार के देश के लिए ही उपयुक्त रहती है जिसके निर्यात उसके स्वयं के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन विश्व के व्यापार में उनका अनुपात कम है। उदाहरणार्थ, डेनमार्क, न्यूजीलैंड एवं फिनलैंड जैसे देशों के लिए यह नीति उपयुक्त हो सकती है।

यह ठीक है कि मुद्रा-अधोमूल्यन से देश भुगतान-सन्तुलन को अपने पक्ष में कर लेता है लेकिन ऐसा वह अन्य देशों को हानि पहुँचाकर ही करता है। अतः यह नीति नैतिकता के विरुद्ध है। कभी-कभी तो अन्य देश भी अपनी अपनी मुद्राओं का अधोमूल्यन करके उस देश को समुचित उत्तर दे देते हैं। वास्तव में, मुद्रा-अधोमूल्यन एक ऐसा खेल है जिसमें सभी छोटे-बड़े देश भाग

ले सकते हैं। यदि सभी देशों में मुद्रा-अधोमूल्यन के लिए दौड़ शुरू हो जाती है तो अन्त में किसी को भी लाभ नहीं होता। प्रो० हाम (Halm) ने इसे "खतरनाक नीति" कहकर सम्बोधित किया है।

(3) विनिमय-दर में स्थिरता लाना—नीता पूर्वक कहा जा चुका है, अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रामान पर आधारित दो देशों के बीच विनिमय-दर में भारी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अतः इन्हें रोकने के लिए सरकार विनिमय नियन्त्रण नीति का प्रयोग करती है। इसके अन्तर्गत, विनिमय नियन्त्रण की सहायता से सरकार विनिमय की दर को किसी निश्चिन् स्तर पर स्थिर कर देती है। इसके सर्वोत्तम उदाहरण विनिमय समानीकरण कोष (Exchange Equalisation Fund) हैं जिन्हें ग्रेट ब्रिटेन अमरीका तथा फ्रांस द्वारा स्वर्णमान के परिव्याय के उपरान्त स्थापित किया गया था। इन कोषों का मुख्य उद्देश्य विनिमय-दर में होने वाले भारी उतार-चढ़ाव को रोकना था। वर्तमान युग में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I. M. F.) इस महत्वपूर्ण कार्य को सम्पन्न करता है।

(4) पूंजी के निर्यात को रोकना—कभी-कभी किन्हीं कारणों से देश की पूंजी विदेशों को जाने लगती है जिससे देश की अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः पूंजी के निर्यात को रोकने के लिए विनिमय नियन्त्रण का उपयोग किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार विदेशी मुद्रा की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा देती है। इस प्रकार विदेशी मुद्रा की कमी के कारण देशी पूंजी का निर्यात स्वतः ही रुक जाता है।

(5) व्यापार के असन्तुलन को दूर करना—कभी-कभी सरकार द्वारा अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने पर भी व्यापार का असन्तुलन दूर नहीं होता। अतः ऐसी परिस्थिति में विनिमय नियन्त्रण का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि विनिमय नियन्त्रण से देश के आयात स्वतः ही हतोत्साहित हो जाते हैं क्योंकि उनका भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा सुलभ नहीं होती। परिणामतः व्यापार का असन्तुलन दूर अथवा कम हो जाता है।

(6) सरकार की आय को बढ़ाना—विनिमय नियन्त्रण का उद्देश्य सरकार की आय को बढ़ाना भी हो सकता है। विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत सरकार विदेशी मुद्रा की क्रय तथा बिक्रय दोनों में अन्तर रखकर पर्याप्त लाभ कमा सकती है। दूसरे शब्दों में, सरकार विदेशी मुद्रा सस्ती दर पर खरीदकर उसे ऊँची दर पर बेचती है और अपने लिए लाभ कमाती है। लेकिन विनिमय नियन्त्रण का यह कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है।

(7) गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देना—विनिमय नियन्त्रण का उद्देश्य गृह उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देना भी हो सकता है। विनिमय नियन्त्रण की सहायता से सरकार विदेशी माल के आयात को सीमित करके देशी उद्योगों को विकसित होने का अवसर प्रदान करती है।

(8) व्यापारिक भेद भाव की नीति को सफल बनाना—विनिमय नियन्त्रण की सहायता से सरकार कुछ देशों के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ़ कर सकती है। ऐसे देशों के साथ होने वाले व्यापार के लिए सरकार अधिक अनुकूल विनिमय-दरें निश्चिन् करती है ताकि उनके व्यापार का विस्तार हो सके।

(9) वस्तु-निषेध—विनिमय नियन्त्रण की सहायता से सरकार कुछ वस्तुओं का विदेशों से आयात पूर्णतः निषिद्ध (prohibit) भी कर सकती है क्योंकि विनिमय नियन्त्रण के अन्तर्गत इस प्रकार की वस्तुओं के भुगतान के लिए सरकार विदेशी मुद्रा ही नहीं देती।

(10) विदेशी मुद्रा की प्राप्ति—विनिमय नियन्त्रण का उद्देश्य सरकार के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करना भी हो सकता है। यदि किसी देश में विदेशी मुद्रा का अभाव है, तब ऐसी परिस्थिति में सरकार उसे केवल अत्यन्त आवश्यक वस्तुएँ आयात करने के लिए ही उपयोग में लाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार आयातकर्ताओं द्वारा कमाई गयी विदेशी मुद्रा को भी अपने कब्जे में कर लेती है।

विनिमय नियन्त्रण की रीतियाँ (Methods of Exchange Control)

वैसे तो विनिमय नियन्त्रण की अनेक रीतियाँ हैं परन्तु हम यहाँ पर केवल प्रमुख रीतियों की ही विवेचना करेंगे। विनिमय नियन्त्रण की रीतियाँ साधारणतः दो प्रकार की होती हैं—
(1) एकपक्षीय रीतियाँ, (2) द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय रीतियाँ।

(1) एकपक्षीय रीतियाँ (Unilateral Methods)—विनिमय नियन्त्रण का एकपक्षीय रीतियों से अनिप्राय उन पद्धतियों से है जिन्हे कोई भी देश अन्य देशों से समझौते किये बिना ही अपना लेता है। स्पष्ट है कि ऐसी रीतियों का प्रभाव मूलतः उसी देश की विदेशी विनिमय स्थिति पर पड़ता है जिसके द्वारा ये अपनायी जाती है। इस श्रेणी में सम्मिलित की जाने वाली प्रमुख रीतियाँ इस प्रकार हैं

(i) बैंक दर का नियमन (Regulation of Bank Rate)—किसी देश की बैंक-दर में कमी अथवा वृद्धि करके उस देश की विनिमय दर को नियन्त्रित किया जा सकता है। जब किसी देश की बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है, तब उस देश में व्याज की अन्य दरों में भी स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। परिणामतः बड़ी हुई बैंक दर से विदेशी पूँजी देश की ओर आकर्षित होने लगती है। इससे विदेशों में देश की मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। परिणामतः देश की विनिमय दर में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत, जब किसी देश में बैंक-दर में कमी कर दी जाती है तब उस देश में व्याज की अन्य दरों में भी स्वतः ही कमी हो जाती है। इससे विदेशी पूँजी का उस देश में आना कम हो जाता है और जो विदेशी पूँजी पहले से ही देश में लगी होती है, वह भी अथ बाहर जाने लगती है। इससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। परिणामतः देश की विनिमय-दर में कमी हो जाती है। इस प्रकार बैंक-दर में कमी अथवा वृद्धि करके देश की विनिमय-दर को नियन्त्रित किया जा सकता है।

(ii) विदेशी व्यापार का नियमन (Regulation of Foreign Trade)—जैसा विदित है, किसी भी देश की विनिमय दर उस देश के आयातों एवं निर्यातों द्वारा बहुत प्रभावित होती है। कभी कभी विदेशी व्यापार का नियमन करके भी विनिमय दर को नियन्त्रित किया जाता है। यदि देश का व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल है तो ऐसी दशा में सरकार आयातों को नियन्त्रित करके विनिमय दर को नियमित करने का प्रयत्न करती है। आयातों को नियन्त्रित करने के कई तरीके हैं। उदाहरणार्थ, भारी आयात-कर लगाना, लाइसेंस प्रणाली का उपयोग करना आयातों के कोटे निश्चित करना आदि। इस प्रकार इन रीतियों द्वारा आयातों की मात्रा को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ व्यापार सन्तुलन को अनुकूल बनाने के लिए निर्यातों को प्रोत्साहन देना भी आवश्यक होता है। सरकार देशी उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर निर्यातों को प्रोत्साहित कर सकती है। इस प्रकार आयातों को कम तथा निर्यातों को बढ़ाकर सरकार व्यापार-सन्तुलन को अनुकूल बना सकती है और इसकी सहायता से विनिमय दर को नियन्त्रित कर सकती है। परन्तु स्मरण रहे कि भारी आयात-कर एवं अन्य प्रतिबन्ध लगाकर विनिमय दर को लम्बे समय तक नियन्त्रित नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि यदि कोई देश दीर्घकाल में भी आयातों पर भारी आयात कर लगाये रखता है तो ऐसी दशा में अन्य देशों में उस देश के विरुद्ध अवश्य ही प्रतिक्रिया होगी और वे भी उस देश के निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाना आरम्भ कर देंगे।

(iii) विदेशी विनिमय का राशनिग (Rationing of Foreign Exchange)—इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार विदेशी मुद्रा का स्वतन्त्र रूप विक्रय समाप्त कर देती है। सभी निर्यात-कर्ताओं को यह आदेश दे दिया जाता है कि अपने निर्यातों के बदले में प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा को देश के केन्द्रीय बैंक को सौंप दें। इसके बदले में केन्द्रीय बैंक उनकी देशी मुद्रा दे देता है। इसके साथ ही साथ सरकार विदेशी मुद्रा का राशनिग भी कर देती है। इसके अन्तर्गत, सरकार केवल लाइसेंस शुद्ध आयातकर्ताओं को ही अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी

मुद्रा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, सरकार आयातों के लिए एक प्राथमिकता क्रम (order of priorities) निर्धारित कर देती है और उसी क्रम के अनुसार आयातकर्ताओं को विदेशी मुद्रा प्रदान की जाती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यवस्था में विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं को आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती। इस प्रकार इस प्रणाली से आयातों की मात्रा को कम करके भुगतान-असन्तुलन को ठीक किया जा सकता है।

(iv) विनिमय उद्बन्धन (Exchange Pegging)—कभी-कभी सरकार अपने देश की विनिमय-दर को उसके सामान्य स्तर से बहुत ऊँचे अथवा बहुत नीचे स्तर पर निश्चित कर देती है। ऐसी क्रिया को विनिमय उद्बन्धन अथवा विनिमय कीलन कहते हैं। जब सरकार विनिमय दर को सामान्य स्तर से ऊँचे स्तर पर निश्चित कर देती है, तब इसे "विनिमय-दर को ऊँचा टाँकना" (pegging up) कहते हैं। इसके विपरीत, जब सरकार विनिमय-दर को उसके सामान्य स्तर से नीचे स्तर पर निश्चित कर देती है, तब इसे "विनिमय दर को नीचे अटकाना" (pegging down) कहते हैं। विनिमय उद्बन्धन की पद्धति का उपयोग सामान्यतः युद्धकाल में किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि युद्धकाल में विनिमय-दरों में भारी उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। अतः उन्हें रोकने के लिए सरकार विनिमय उद्बन्धन रीति का आश्रय लेती है। जैसा विदित है युद्धकाल में प्रायः प्रत्येक देश को मुद्रा-स्फीति का सामना करना पड़ता है। इससे मुद्रा का आन्तरिक मूल्य स्वतः ही नीचे गिर जाता है। परन्तु सरकार इस दशा में मुद्रा के बाह्य मूल्य (external value) को गिरने नहीं देना चाहती है। इसलिए वह विनिमय उद्बन्धन का सहारा लेती है।

आजकल विनिमय उद्बन्धन, विनिमय नियन्त्रण का एक मुख्य साधन माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा इस रीति का उपयोग किया गया था। ब्रिटेन की सरकार ने स्टर्लिंग के मूल्य को 4 765 डालर निश्चित कर दिया था और उसे इस दर से कम नहीं होने दिया था। भारत में भी सन् 1927 से रुपये का स्टर्लिंग में मूल्य 1 शिलिंग 6 पैसे प्रति रुपये की दर से निश्चित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी भारत सरकार ने रुपये की स्टर्लिंग में विनिमय-दर 1 रुपया = 1 शिलिंग 6 पैसे रखी थी।

(v) विनिमय समानीकरण कोष (Exchange Equalisation Fund)—इसे कभी-कभी विनिमय स्थिरीकरण कोष (Exchange Stabilisation Fund) भी कहते हैं। इस कोष का उद्देश्य देश की विनिमय दर में होने वाले उच्चावचनों (fluctuations) पर रोक लगाना है। सन् 1931 में स्वर्णमान के परिष्कार के उपरान्त ब्रिटेन की विनिमय-दर में भारी उतार-चढ़ाव हुए थे जिनसे ब्रिटेन के विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अतः ब्रिटिश सरकार ने विनिमय-दर के इन उच्चावचनों को रोकने के लिए सन् 1932 में एक विनिमय समानीकरण कोष की स्थापना की थी। ब्रिटेन के पश्चात् फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड, अमरीका तथा अन्य देशों ने भी इस प्रकार के कोषों का निर्माण किया था। चूँकि ब्रिटेन द्वारा स्थापित किया गया यह कोष एक प्रकार से आदर्श कोष था, इसलिए हम इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताओं का ही अध्ययन करेंगे :

(अ) इस कोष का उद्देश्य मुद्राओं को खरीदकर अथवा बेचकर ब्रिटेन की विनिमय-दर में स्थिरता स्थापित करना था।

(आ) ब्रिटेन ने इस कोष की स्थापना 1,500 लाख पौण्ड से की थी। बाद में चतुर्न सन् 1937 में यह रकम बढ़ाकर 5,500 लाख पौण्ड कर दी गयी थी। इस कोष के साधनों में नकदों के अलावा सोना तथा ब्रिटिश सरकार के ट्रेजरी बिल भी सम्मिलित थे।

(इ) इस कोष के संचालन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश ट्रेजरी (British Treasury) को सौंपा गया था यद्यपि बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ट्रेजरी के एजेंट के रूप में इसका संचालन किया करता था।

(ई) यह कोष ब्रिटेन की विनिमय दर को निम्न प्रकार से स्थिर रखने का प्रयत्न किया करता था। जब स्टर्लिंग की माँग इसकी पूर्ति से अधिक हो जाती थी और परिणामतः ब्रिटेन की विनिमय-दर बढ़ने लगती थी तब कोष अपने साधनों की सहायता से विदेशी मुद्रा खरीदना आरम्भ

कर देता था। इससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती थी और परिणामतः ब्रिटेन की विनिमय-दर बढ़ने से रुक जाती थी। परन्तु इस तरह कोष द्वारा विदेशों में जितनी भी विदेशी मुद्रा खरीदी जाती थी, वह सारी को सारी वहाँ के बैंकों में जमा कर दी जाती थी। इसी प्रकार जब स्टर्लिंग की पूर्ति इसकी माँग से अधिक हो जाती थी और परिणामतः ब्रिटेन की विनिमय-दर गिरने लगती थी, तब ऐसी दशा में कोष विदेशी बैंकों में जमा की गयी अपनी निधि से विदेशों से स्टर्लिंग खरीदना आरम्भ कर देता था। इससे विदेशों में स्टर्लिंग की माँग बढ़ जाती थी और परिणामतः स्टर्लिंग की विनिमय दर गिरनी बन्द हो जाती थी। इस प्रकार यह कोष स्टर्लिंग के क्रय-विक्रय द्वारा ब्रिटेन की विनिमय दर को स्थिर बनाये रखने में सहायता दिया करता था।

(घ) इस कोष का उपयोग ब्रिटेन की विनिमय-दर में केवल अल्पकालीन उच्चावचनों को दूर करने के लिए ही किया जाता था। इस कोष का उद्देश्य ब्रिटेन की विनिमय-दर में होने वाली दीर्घकालीन प्रवृत्तियों में हस्तक्षेप करना नहीं था। दूसरे शब्दों में इस कोष का उद्देश्य तो उन अल्पकालीन कारणों को दूर करना था जिनसे ब्रिटेन की विनिमय दर में उच्चावचन हुआ करते थे। उदाहरणार्थ, कभी-कभी विदेशी पूँजीपति बिना पर्याप्त नोटिस दिये ब्रिटेन से अपनी पूँजी वापस माँगा लिया करते थे। इससे ब्रिटेन की विनिमय-दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इस प्रकार कोष का उद्देश्य विनिमय दर में होने वाली दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को न रोककर, केवल अल्पकालीन उच्चावचनों को ही नियन्त्रित करना था।

(ङ) इस कोष की समूची कार्यप्रणाली को गुप्त रखा जाता था ताकि इसकी जानकारी से सनायक विरोधी तत्त्व अनुचित लाभ न उठा सकें।

इस प्रकार इस कोष की सहायता से ब्रिटिश सरकार विनिमय-दर में होने वाले उच्चावचनों को सीमित रखने में सफल हुई थी।

(vi) **अवरुद्ध खाते (Blocked Accounts)**—जैसा विदित है प्रत्येक देश में कुछ न कुछ विदेशी पूँजी अवरुद्ध की गयी होती है। जब किसी देश के सामने विदेशी मुद्राओं की दुर्लभता की कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है, तब वह विदेशी पूँजी के निर्यात अथवा विदेशों की भेजे जाने वाले भुगतानों पर प्रतिबन्ध लगा देता है। प्रायः इस प्रकार का कदम युद्धकाल में एव सकट के समय ही उठाया जाता है। इनके अन्तर्गत, सरकार देश में विदेशियों के बैंकिंग खातों पर प्रतिबन्ध लगा देती है, अर्थात् विदेशी लोग अपने खातों से धन नहीं निकाल सकते। कभी-कभी तो विदेशियों के खातों में पड़ी समूची धनराशि को एक अवरुद्ध खाते में अलग जमा कर दिया जाता है और एक निश्चित अवधि तक उस खाते में से धन नहीं निकाला जा सकता, अर्थात् एक निश्चित अवधि के लिए विदेशी लोग अवरुद्ध खातों में से धनराशि निकालकर अपने देशों को नहीं ले जा सकते। परन्तु कभी-कभी सरकार उन्हें यह अधिकार दे देती है कि वे अवरुद्ध खातों में से धनराशि निकालकर देश में ही व्यय कर लें। इस प्रकार विदेशियों को अवरुद्ध खातों में से पूँजी निकालकर विदेशों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती। इसका कारण स्पष्ट है। यदि विदेशियों को अपने खातों में से पूँजी निकालकर विदेशों को ले जाने की अनुमति दे दी जाय तो इससे विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जायगी और परिणामतः विनिमय-दर देश के विपक्ष में हो जायगी। इसलिए सरकार विदेशियों को अवरुद्ध खातों में से पूँजी निकालने की अनुमति नहीं देती। चूँकि विदेशियों को अपने खातों में से पूँजी निकालने का अधिकार नहीं होता, इसलिए वे विवश होकर सरकार की अनुमति से देश में ही भाल खरीदकर अपना भुगतान ले लेते हैं। कभी-कभी वे मुद्रा को देश में कम मूल्य पर बेच देते हैं। साधारणतः जब विदेशियों के खातों को धन्द कर दिया जाता है तब इससे विदेशी मुद्रा में नीच बाजारी शुरू हो जाती है। इसे अर्थशास्त्र में ब्लैकबोर्स (Black Bourse) कहते हैं।

सर्वप्रथम, जर्मनी ने सन् 1939 से पूर्व अवरुद्ध खातों की पद्धति को अपनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में अधिकारशक्तियों को देश से निकालकर उनकी सम्पत्ति को अवरुद्ध खातों में डाल दिया था। सन् 1940 में ब्रिटेन ने भी विदेशियों की स्टर्लिंग सम्पत्ति को अवरुद्ध खातों में डाल दिया था। परन्तु ब्रिटेन ने विदेशियों को यह अधिकार दे दिया था कि यदि वे चाहें तो अपनी अवरुद्ध सम्पत्ति को बिना अन्य विदेशियों को बेच सकते हैं।

(vii) बहुमुखी विनिमय-दरें (Multiple Exchange Rates)—जब कोई देश विभिन्न वस्तुओं के आयात एव निर्यात के लिए विभिन्न विनिमय दरें निर्धारित करता है तो इसे बहुमुखी दर-पद्धति कहते हैं। दूसरे शब्दों में, देश एक विनिमय दर न अपनाकर, बहुवर्गी विनिमय-दरों को अपनाता है। ५ दरें आयातों, निर्यातों, पूँजी आगमन एव निर्गमन आदि के लिए भिन्न-भिन्न होती हैं। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य आयातों को कम करके तथा निर्यातों को बढ़ाकर देश के लिए अधिकतम विदेशी मुद्रा कमाता है। विनिमय दर के समूचे ऋम को इस प्रकार ध्वस्त किया जाता है कि आयात सस्ते पड़ें और निर्यातों से देश को अधिकतम आय प्राप्त हो।

इस पद्धति को सर्वप्रथम सन् 1930 की महानन्दी के दौरान लैटिन अमरीका में अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वहाँ के चिरकालीन भुगतान असन्तुलन को दूर करना था। इसके बाद जर्मनी ने भी इसे अपनाया था। जर्मनी ने तो अपनी मार्क (Mark) मुद्रा को कई किस्में निकाली थी। उदाहरणार्थ, रजिस्टर मार्क, हेण्डल मार्क (Handel Mark), यात्री मार्क (Travel Mark), ब्लाक मार्क, सोण्डर मार्क (Sonder Mark) इत्यादि। मार्क की ये विभिन्न किस्में लेन्दन के विनिमय बाजार में विभिन्न दरों पर बिकती थी। बाद में चलकर अरजेंटिना, ब्राजील, चिली, पीरू, आदि देशों ने भी इसे अपना लिया था। एक अविकसित देश भी अपने भुगतान असन्तुलन को ठीक बनाये रखने के लिए इस पद्धति का आश्रय ले सकता है।

वास्तव में, बहुमुखी दर प्रणाली एक जटिल प्रणाली है। विभिन्न विनिमय-दरों का निर्धारण करते समय देश के उत्पादन, आयातों तथा निर्यातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रणाली को संचालित करने के लिए योग्य एव कुशल अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसकी संचालन सम्बन्धी कठिनाइयों से परेशान होकर कुछ देशों ने इसका परित्याग कर दिया था।

(2) द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय रीतियाँ (Bilateral or Multilateral Methods)—जब दो अथवा दो से अधिक देश मिलकर विनिमय की दर नियन्त्रित करने की कुछ रीतियों को अपनाते हैं और उनका प्रभाव दो या दो से अधिक देशों पर पड़ता है, तब इन्हें क्रमशः द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रीतियाँ कहते हैं। प्रमुख रीतियाँ इस प्रकार हैं

(1) भुगतान समझौते (Payment Agreements)—भुगतान समझौतों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(अ) भुगतान समझौता प्रायः दो राष्ट्रों के बीच किया जाता है। इनमें से एक ऋणी तथा दूसरा ऋणदाता राष्ट्र होता है, (ब) इस समझौते में ऋणदाता राष्ट्र को मूलधन तथा ब्याज चुकाने की व्यवस्था की जाती है, (स) इसके अन्तर्गत ऋणदाता देशों को ऋणी देशों से आने वाले आयातों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने की छूट नहीं होती। इसका कारण यह है कि यदि ऋणदाता देश ऋणी देश से आने वाले आयातों पर प्रतिबन्ध लगा देता है तो ऋणी देश अपने पुराने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो जाता है। अन ऋणदाता देश को ऋणी देश के आयातों को यथासम्भव किसी प्रकार के प्रतिबन्ध के बिना ही स्वीकार करना चाहिए, (द) इसके विपरीत, ऋणी देश को ऋणदाता देश से आने वाले आयातों को यथासम्भव कम रखना चाहिए और ऋणदाता देश को भेजे जाने वाले निर्यातों को यथासम्भव अधिक बढ़ाना चाहिए। इसका कारण यह है कि केवल ऐसा करने से ही ऋणी देश के लिए अपने पुराने ऋणों को चुकाना सम्भव हो सकता है। अतएव ऋणी देश को विदेशी विनिमय का राशनिग करके आयातों पर पूर्ण निवन्धन रखना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत से देशों ने इस प्रकार के द्विपक्षीय समझौते किये थे। इस प्रकार भुगतान समझौते के द्वारा विदेशी विनिमय का नियन्त्रित वितरण एव राशनिग करने विनिमय-दरों में होने वाले उच्चावचनों को रोका जा सकता है।

(ii) समाशोधन समझौते (Clearing Agreements)—इस व्यवस्था के अन्तर्गत दो देश समझौते द्वारा समाशोधन खातों की व्यवस्था करते हैं और उन्हीं के माध्यम से आयातों तथा निर्यातों का भुगतान करते हैं। समाशोधन समझौते के अन्तर्गत प्रत्येक देश में आयातकर्ता विदेशी निर्यातकर्ता को आयात किये गये माल का भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं करता, बल्कि उसका भुगतान देशी मुद्रा में ही समाशोधन खाते में जमा करा देता है। इसी प्रकार देश के निर्यातकर्ता को भी निर्यात किये गये माल का भुगतान विदेशी मुद्रा में नहीं, बल्कि देशी मुद्रा में ही समाशोधन खाते से प्राप्त होता है। इस प्रकार समाशोधन समझौते के अन्तर्गत आयातकर्ताओं एव निर्यात

कर्ताओं को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब दोनों देशों के आयातों और निर्यातों का मूल्य बराबर होता है तब किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि समाशोधन समझौता करने वाले दोनों ही देशों के आयात-निर्यात बराबर ही हों। ऐसी परिस्थिति में समाशोधन समझौते में ही यह निश्चित कर लिया जाता है कि भुगतानावशेष को किस ढङ्ग से चुकाया जायेगा। साधारणतः भुगतानावशेष को एक देश द्वारा दूसरे देश को स्वर्ण के रूप में ही चुकाया जाता है। उदाहरणार्थ, सन् 1952 में इटली और अर्जेन्टिना के बीच इसी प्रकार का समझौता हुआ था।

(iii) विलम्बकालीन हस्तान्तरण (Transfer Moratoria)—इस व्यवस्था के अन्तर्गत आयात किये गये माल का मूल्य अबका पूंजी पर व्याज का भुगतान तुरन्त न करके, कुछ समय के बाद किया जाता है। इसे विलम्बकालीन हस्तान्तरण कहते हैं। आयातकर्ताओं एवं ऋणियों को अपने विदेशी दायित्वों (foreign obligations) का भुगतान किसी अधिकृत बैंक में देशी मुद्रा के रूप में ही करना पड़ता है। विलम्बकालीन अवधि के उपरान्त यह बैंक आयातकर्ताओं तथा ऋणियों के दायित्वों का भुगतान विदेशी मुद्रा में कर देता है। विलम्बकालीन हस्तान्तरण का उद्देश्य किसी देश को अपनी विदेशी विनिमय समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना है। जब उस देश की विदेशी परिस्थिति में सुधार हो जाता है, तब आयातकर्ताओं एवं ऋणियों के दायित्वों का विदेशी मुद्रा में अधिकृत बैंक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, कभी-कभी विलम्बकालीन भुगतान लागू करने वाले देश की सरकार विदेशियों को देश में ही अपनी पूंजी किसी निश्चित प्रकार के प्रयोग में लाने की अनुमति दे देती है।

(iv) पथास्थिर समझौता (Standstill Agreement)—सन् 1931 की महान मन्दी के पश्चात् जर्मनी ने पथास्थिर समझौता पद्धति का अनुसरण किया था। इस पद्धति को मुख्य-मुख्य विशेषताय इस प्रकार है—(क) इस समझौते के अन्तर्गत दो देशों के बीच पूंजी के आने-जाने पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा, विदेशी व्यापारियों को माल के भुगतान एकदम न करके धीरे-धीरे किराते में किये जाते हैं, (ख) इस पद्धति के अन्तर्गत अल्पकालीन ऋणों को दीर्घकालीन ऋणों में बदल दिया जाता है। इसका उद्देश्य ऋणी देश को अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए अधिक समय प्रदान करना होता है। इस समझौते के अन्तर्गत ऋणी देश को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, और जब तक उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर जाती तब तक पूंजी के आने-जाने पर रोक लगाकर विनिमय की दर को नियन्त्रित कर दिया जाता है।

(v) क्षतिपूर्ति समझौता (Compensation Agreement)—यह एक प्रकार से वस्तु विनिमय समझौता (barter agreement) होता है जिसमें मुद्रा के भुगतान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रत्येक देश द्वारा किये गये आयात उसके निर्यातों के मूल्य के बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में, आयातकर्ता देश को अपने आयातों के मूल्य के ही बराबर निर्यातकर्ता देश को माल निर्यात करना पड़ता है। वरिणामत दोनों देशों के भुगतान (payments) एक-दूसरे से रद्द (cancel) हो जाते हैं। विदेशी मुद्रा की समस्या ही उत्पन्न नहीं होती।

लेकिन इस प्रकार के द्विपक्षीय समझौते से कुछ हानियाँ भी होती हैं। इससे अन्तरराष्ट्रीय श्रम-विभाजन की व्यवस्था को घबका लगता है। दूसरे, इससे गृह-उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से अनुचित संरक्षण मिलता है।

विनिमय नियन्त्रण के दोष (Defects of Exchange Control)

यद्यपि विनिमय नियन्त्रण प्रणाली से विभिन्न देशों को अपनी विदेशी विनिमय सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का उत्तम साधन उपलब्ध होता है तथापि इस प्रणाली में निम्नलिखित चुटियाँ भी पायी जाती हैं :

(1) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का संकुचन—विनिमय नियन्त्रण प्रणाली को अपना लेने से देश का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार संकुचित हो जाता है। इसका कारण स्पष्ट है। चूंकि विनिमय नियन्त्रण के फलस्वरूप आयात सीमित हो जाते हैं, इसलिए निर्यात भी कम हुए बिना नहीं रह

सकते। परिणामतः अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में कमी हो जाती है और देश इसके लाभों से वंचित रह जाता है।

(2) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की उपेक्षा—विनिमय नियन्त्रण प्रणाली के अन्तर्गत देश का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के अनुसार नहीं किया जा सकता। जैसा विदित है स्वतन्त्र व्यापार नीति के अन्तर्गत प्रत्येक देश केवल उसी वस्तु के उत्पादन में विशेषता प्राप्त करने की चेष्टा करता है जिसमें उसे अधिकतम प्राकृतिक लाभ होता है। इस प्रकार सभी देश कुछ निश्चित वस्तुओं के उत्पादन में ही अपने साधनों को लगाते हैं। इससे उत्पादन लागतों में स्वतः ही कमी हो जाती है और उपभोक्ताओं को अधिक लाभ होता है, परन्तु विनिमय नियंत्रण प्रणाली को अपनाते से तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है और देश ऐसे उद्योगों को विकसित करने लगता है जिनमें उसे प्राकृतिक लाभ प्राप्त नहीं होता।

(3) प्रणाली का खर्चीलापन—विनिमय नियन्त्रण प्रणाली, वास्तव में, एक अत्यन्त खर्चीली प्रणाली होती है और इसे सुचारु ढङ्ग से लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर नौकरशाही की आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी तो नौकरशाही की अयोग्यता, अकुशलता एवं असावधानीपूर्वक निर्णयों से देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(4) भ्रष्टाचार का स्रोत—विनिमय नियन्त्रण प्रणाली के परिणामस्वरूप देशों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। व्यापारी लोग दुर्लभ विदेशी विनिमय प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत देते हैं।

विनिमय नियन्त्रण के उपर्युक्त दोषों के कारण प्रत्येक देश को इसे अपनाने से पूर्व इस समस्या पर सावधानी से विचार करना चाहिए। वास्तव में, विनिमय नियन्त्रण प्रणाली विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों को कम करने के बजाय उन्हें और अधिक बढ़ा देती है। इसी कारण अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सदस्य देशों द्वारा लगाये गये विनिमय नियन्त्रणों का हटाने के साथ विरोध करता है। परन्तु इसके बावजूद इस समय अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के लगभग सभी सदस्यों ने विनिमय नियन्त्रण प्रणाली को अपना रखा है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि विनिमय नियन्त्रण प्रणाली प्रत्येक देश की अर्थ-व्यवस्था का अविच्छिन्न अङ्ग बन गयी है।

भारत में विनिमय नियन्त्रण (Exchange Control In India)

भारत में विनिमय नियन्त्रण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही क्रियान्वित किया गया था। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारत में किसी प्रकार का विनिमय नियन्त्रण नहीं अपनाया गया था। यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध काल में भारत की विदेशी विनिमय-दर 1 रुपया = 1 शिलिंग 4 पस से बढ़कर 2 शिलिंग 11 पस तक बढ़ गयी थी। इससे देश में सट्टे की प्रवृत्ति को अधिक प्रोत्साहन मिला था और देश के विदेशी व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसी कारण दूसरे विश्व युद्ध के प्रारम्भ होते ही भारत सरकार ने विनिमय नियन्त्रण प्रणाली को अपना लिया था। डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स (Defence of India Rules) के अन्तर्गत भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को विनिमय नियन्त्रण लागू करने का अधिकार दे दिया था। इसी के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने विनिमय नियन्त्रण प्रणाली को सुचारु ढङ्ग से लागू करने के लिए विनिमय नियन्त्रण विभाग की स्थापना की थी और 4 सितम्बर, 1939 को रिजर्व बैंक ने अपनी विनिमय नियन्त्रण नीति की स्पष्ट घोषणा की थी। इस नीति के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने कुछ चुने हुए भारतीय बैंकों को विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवहार करने की स्वीकृति प्रदान की थी, अर्थात् विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय केवल उन्हीं बैंकों द्वारा किया जा सकता था। परन्तु इन बैंकों को इस प्रकार का व्यवसाय करने के लिए रिजर्व बैंक से अनिवार्य रूप में अनुमति लेनी पड़ती थी।

सन् 1947 में पुरानी विनिमय नियन्त्रण नीति का परित्याग कर दिया गया और हमने स्थान पर एक नयी विनिमय नियन्त्रण नीति अपनायी गयी थी। इस नीति के अन्तर्गत भी रिजर्व बैंक ने कुछ चुने हुए भारतीय बैंकों को विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय सम्बन्धी अधिकार दिये थे। विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को रिजर्व बैंक से परमिट लेना पड़ता था और इसी

परमिट के आधार पर ही भारतीय बैंको से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती थी। स्मरण रहे कि रिजर्व बैंक केवल अत्यन्त आवश्यक कार्यों के लिए ही विदेशी विनिमय का परमिट दिया करता था। कुछ दुर्लभ मुद्राओं के सम्बन्ध में तो परमिट बहुत कठिनाई से ही उपलब्ध होते थे। उदाहरणार्थ, डालर मुद्रा खरीदने के लिए रिजर्व बैंक आसानी से परमिट नहीं देता था, परन्तु स्टलिंग मुद्रा के बारे में रिजर्व बैंक की नीति इतनी कड़ी नहीं थी। भारत में रहने वाला प्रत्येक विदेशी अपनी आय में से 150 पीण्ड प्रति मास तक अपने परिवार के व्यय के लिए बाहर भेज सकता था। परन्तु डालर मुद्रा के बारे में विदेशियों को इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी। अतः जब किसी फर्म को विदेशियों की सेवाएँ प्राप्त करनी होती हैं तब उसे रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। परन्तु स्वदेश लौटने वाले विदेशियों को अपनी वचत्तें, प्रॉवीडेंट फण्ड तथा निजी सम्पत्ति को बेचकर प्राप्त की जाने वाली राशि को अपने देश की मुद्रा में ले जाने की छूट दे दी गयी है। लेकिन यहाँ भी एक उच्चतम सीमा निश्चित कर दी गई है। कोई भी विदेशी 5,000 पीण्ड की राशि से अधिक विदेशी मुद्रा बाहर नहीं ले जा सकता। इसके विपरीत, विदेशी शेयरहोल्डरों को अपने अंशों (shares) पर लाभांश तथा विदेशी जमाकर्ताओं को अपनी व्याज की राशि को बाहर भेजने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। इसी प्रकार भारत में काम करने वाली विदेशी फर्म भी अपने वार्षिक लाभ को बाहर भेजने में स्वतन्त्र हैं। परन्तु जिन वस्तुओं का आयात लुसे लाइसेन्स के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता उन्हें आयात करने से पूर्व व्यापारियों को सरकार से आयात लाइसेन्स लेना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें विदेशी माल का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती। इसी तरह स्टलिंग क्षेत्र को छोड़कर विश्व के अन्य क्षेत्रों में पूँजी का निर्यात केवल विशेष परिस्थितियों में ही सम्भव हो सकता है। इसके साथ ही साथ भारतीय निर्यातकर्ताओं को अपने निर्यात किये गये माल के बदले में प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा को तुरन्त रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है और रिजर्व बैंक उन्हें इसके बदले में देशी मुद्रा प्रदान करता है।

सन् 1965-66 में रिजर्व बैंक ने विनिमय नियन्त्रण को कुछ ढीला कर दिया था। प्रथम, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेशों को जाने वाले व्यापारियों को अब सीमित मात्रा में विदेशी मुद्रा दी जाने लगी थी। दूसरे, उच्च शिक्षा के लिए विदेशों को जाने वाले छात्रों को भी पहले की अपेक्षा अधिक विदेशी मुद्रा दी जाने लगी थी। तीसरे, अधिकृत बैंकों को पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में विदेशों से अल्पकालीन ऋण की आज्ञा प्रदान की गयी। चौथे, अक्टूबर 1965 में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को भारत में प्रोत्साहित करने हेतु एक नयी योजना लागू की गयी। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा हस्तान्तरण योजना (National Defence Remittance Scheme) कहते हैं। इसके अन्तर्गत, उन भारतीय नागरिकों को जो विदेशों में रहने वाले अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों से उपहारों एवं पारिवारिक व्यय के रूप में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं; भारत सरकार द्वारा उन्हें उनकी विदेशी मुद्रा के 60% तक आयात लाइसेन्स (import licences) दिये जायेंगे। दूसरे शब्दों में, उन्हें विदेशी मुद्रा के बदले भारतीय मुद्रा तो दी ही जायगी, लेकिन उसके अतिरिक्त उन्हें उनकी विदेशी मुद्रा की मात्रा के 60% तक आयात लाइसेन्स भी दिये जायेंगे। वे चाहे तो आयात लाइसेन्सों को अन्य व्यक्तियों के नाम हस्तान्तरित भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार प्राप्त की गयी विदेशी मुद्रा पर भारतीय आय-कर भी नहीं लगेगा। अतः इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को प्रोत्साहित करना था।

सन् 1967-68 में दौरान भारत सरकार द्वारा विनिमय नियन्त्रण में कुछ परिवर्तन किये गये थे। विदेशों को जाने वाले भारतीय छात्रों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों को तनिक शिथिल कर दिया गया। पहले की अपेक्षा उन्हें अधिक विदेशी मुद्रा दी जाने लगी। लेकिन विदेशों में जाकर बसने वाले भारतीयों पर विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों को और अधिक कड़ाई से लागू किया गया। ब्रिटिश पीण्ड के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ने स्टलिंग मुद्रा की क्रय एवं विक्रय दरों में समुचित संशोधन कर दिया। सन् 1968-69 में निर्यातों को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय-निर्यातकर्ताओं को विदेशी विनिमय सम्बन्धी कुछ सुविधाएँ देने की घोषणा की गई थी। सन् 1969-70 में भारतीय छात्रों को विदेशों में अध्ययन करने हेतु दी जाने वाली विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों को और अधिक उदार बना दिया था।

जनवरी 1, 1974 को सरकार द्वारा पारित Foreign Exchange Act, 1973 को लागू कर दिया गया। इस नये कानून ने पुराने कानून Foreign Exchange Regulation Act, 1947 का स्थान लिया था। नये कानून के अन्तर्गत विनिमय से सम्बन्धित सरकारी मशीनरी को सुदृढ़ कर दिया गया ताकि सरकारी नियमों की अवहेलना न की जा सके। विदेशी विनिमय से सम्बन्धित सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड की व्यवस्था भी की गयी थी।

सन् 1974-75 में विनिमय नियन्त्रण के क्षेत्र में विदेशों से भारत की ओर आभ्यान्तरिक विप्रेषणाओं (inward remittances) को प्रो-साहित करने हेतु अनेक कदम उठाये गये थे। विदेशों में बसे भारतीयों को भारत में धन प्रेषित करने हेतु कई प्रकार की रियायतें दी गई थीं। इन सब का उद्देश्य भारत की विदेशी मुद्राओं की निधि में वृद्धि करना था। सन् 1975-76 में भारत की विदेशी विनिमय निधि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इस वर्ष यह निधि बढ़कर 1877.03 करोड़ ₹० के बराबर हो गई थी जबकि सन् 1974-75 में यह केवल 969.24 करोड़ रुपये के मूल्य की ही थी।

सन् 1975-76 में भारत सरकार ने विदेशों में बसे भारतीयों को भारतीय बैंकों में विदेशी मुद्राओं में खाते खोलने की अनुमति दे दी थी। इन खातों पर आकर्षक ब्याज दिया जाता है जो आयकर से मुक्त होता है। खातेदार जब चाहे, खाता बन्द कर विदेशी मुद्रा में ही अपने धन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। विदेशों में बसे भारतीयों को देश के औद्योगिक विकास में धन लगाने हेतु कई प्रकार की रियायतें भी दी गई थीं। इन्हीं सुविधाओं एवं रियायतों के परिणामस्वरूप ही भारत की विदेशी विनिमय निधि में सन् 1975-76 में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी।

परोक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1 विनिमय नियन्त्रण के क्या उद्देश्य हैं? विनिमय नियन्त्रण की विभिन्न रीतियों को समझाइए। (आगरा, 1968)

अथवा

विनिमय नियन्त्रण से क्या अभिप्राय है? विनिमय नियन्त्रण की विभिन्न रीतियों की व्याख्या कीजिए। (आगरा, 1975)

[संकेत—प्रथम भाग में, विनिमय नियन्त्रण का अर्थ बताते हुए इसके मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, विनिमय नियन्त्रण की मुख्य-मुख्य रीतियों का वर्णन कीजिए।]

- 2 विनिमय नियन्त्रण क्यों आवश्यक है? भारत में विनिमय नियन्त्रण कैसे किया जाता है? (विक्रम, 1971)

अथवा

विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण क्यों आवश्यक है? भारत में विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण करने हेतु उपायों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। (आगरा, 1969)

[संकेत—प्रथम भाग में, यह बताइए कि विदेशी विनिमय की दुर्लभता की समस्या को हल करने के लिए विनिमय नियन्त्रण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे भाग में, भारत सरकार द्वारा अनाये गये विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों की संक्षेप में विवेचना कीजिए।]

- 3 भारत के विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्यों और कार्यों पर एक टिप्पणी लिखिए। (धनम, 1969)

[संकेत—भारत में विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्य इस प्रकार हैं—(i) दुर्लभ विदेशी मुद्राओं का वृद्धतपूर्ण उपयोग करना, (ii) व्यापार के असन्तुलन को दूर करना, (iii) विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति करना (iv) गृह उद्योगों को प्रोत्साहित देना। विनिमय नियन्त्रण के कार्यों के लिए 'भारत में विनिमय नियन्त्रण' नामक शीर्षक देखिए।]

- 4 विनिमय नियन्त्रण क्या है? भारत में विदेशी विनिमय संकट की विद्यमानता के कौन-कौन से कारण हैं?

[संकेत—जब सरकार देश के विदेशी विनिमय उपाजनों को कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग करती है तो इसे विनिमय नियन्त्रण कहते हैं। विदेशी विनिमय बाजार के कारणों के लिए अध्याय 20 को देखिए।]

5. विनिमय नियन्त्रण की आवश्यकता और उद्देश्यों की समझाइए। (राजस्थान, 1972)

[संकेत—विनिमय नियन्त्रण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि देश के भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता के कारण विनिमय-दर में अनावश्यक वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार कीमत वृद्धि को रोकने हेतु सरकार उस पर नियन्त्रण लगा देती है, ठीक उसी प्रकार विनिमय-दर में वृद्धि रोकने के लिए सरकार विनिमय नियन्त्रण की नीति का अनुसरण करती है। विनिमय-दर के उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त अध्याय देखिए।]

"The advice of the I M F to the Government of India to devalue the Rupee must have been based on false premises "

—SIR ROY HARROD

पंचम खण्ड

भारतीय मुद्रा एवं बैंकिंग का इतिहास एवं समस्याएँ
(HISTORY AND PROBLEMS OF INDIAN CURRENCY AND BANKING)

- अध्याय 24 भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (1)
अध्याय 25 भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (2)
अध्याय 26 भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (3)
अध्याय 27 भारतीय रुपये का अवमूल्यन (1)
अध्याय 28 भारतीय रुपये का अवमूल्यन (2)
अध्याय 29 भारत की कागजी मुद्रा प्रणाली का इतिहास
अध्याय 30 भारतीय बैंकिंग का इतिहास एवं समस्याएँ
अध्याय 31 भारतीय मुद्रा बाजार
अध्याय 32 रिजर्व बैंक आफ इण्डिया
अध्याय 33 स्टेट बैंक आफ इण्डिया
अध्याय 34 भारत के व्यापारिक बैंक
अध्याय 35 भारत में विदेशी विनिमय बैंक
अध्याय 36 भारत में देशी बैंकें
अध्याय 37 भारत में बैंकिंग विघ्न

24

भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (I)

(History of Indian Currency and Exchange—1)

(From 1835 to 1925)

सन् 1835 से पूर्व का इतिहास—प्राचीन समय में भी भारत में चाँदिक सिक्को का प्रयोग किया जाता था। इतिहासकार हमें बताते हैं कि हिन्दू काल में सोने तथा चाँदी के सिक्को का निर्माण किया जाता था। मुगल काल में भी सोने और चाँदी के सिक्को का प्रचलन जारी रहा और सिक्को की निर्माण-विधि में कई प्रकार के सुधार किये गये। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में भारत में सोने की मुहर तथा चाँदी के रुपये का प्रचलन हुआ करता था। इनके साथ ही तबिये के सिक्के भी प्रचलित थे। इसे उस समय 'दाम' कहकर पुकारा जाता था। इन तीन प्रकार के सिक्को के आपसी परिवर्तन के लिए शासन द्वारा कोई कानूनी अनुपात निश्चित नहीं किया गया था। मुगल शासन के पतन के उपरान्त भारत में कई प्रकार के छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये थे और इन सभी राज्यों ने अपने अलग-अलग सिक्के प्रचलित किये थे। परिणामतः देश के व्यापार में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी, क्योंकि इन भिन्न-भिन्न प्रकार के सिक्को को एक-दूसरे में बदलने की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। कहा जाता है कि जिस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company) ने भारतीय शासन को अपने हाथों में लिया था उस समय देश के विभिन्न भागों में 994 प्रकार के विभिन्न वजन व शुद्धता वाले सोने तथा चाँदी के सिक्को का प्रचलन था। इनका आपस में परिवर्तन वजन व शुद्धता के आधार पर साहूकारों द्वारा किया जाता था। इस तरह देश में मुद्रा-सम्बन्धी एक प्रकार की अराजकता थी। सैद्धान्तिक रूप में हम कह सकते हैं कि सन् 1835 से पूर्व भारत में एक प्रकार का द्विधातुमान प्रचलित था, क्योंकि उस समय भारत में सोने तथा चाँदी के सिक्के एक साथ प्रचलन में थे।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने मुद्रा-प्रणाली की इस अराजकता को दूर करने के लिए अपनी ओर से सिफियल एक्ट व शुद्धता के छोले जमा चाँदी के सिक्को को जारी किया था। कम्पनी ने इन दोनों प्रकार के सिक्को के बीच का आपसी अनुपात कानूनी आधार पर निर्धारित कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद इन धातुओं के बाजारी मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव होने के कारण यह अनुपात अधिक समय तक न टिक सका। सन् 1818 में कम्पनी ने मद्रास प्रेसीडेन्सी में सोने के सिक्के के स्थान पर चाँदी के रुपये के सिक्के का प्रचलन किया। इसे मद्रास प्रेसीडेन्सी का प्रामाणिक सिक्का करार दिया गया था। इस सिक्के में 180 ग्रेन चाँदी थी और इसकी शुद्धता $\frac{1}{10}$ थी। यद्यपि कम्पनी ने इस रुपये को प्रामाणिक सिक्का घोषित किया था, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए सोने के सिक्को को भी इसने कानूनी रूप देना स्वीकार कर लिया था। रुपये और सोने के सिक्को की विनिमय-दर भी निश्चित कर दी गयी थी। इन सिक्को का आपसी विनिमय इसी दर पर ही किया जाता था। सन् 1823 में सरकार ने यह व्यवस्था बम्बई प्रेसीडेन्सी में भी लागू कर दी थी। सन् 1835 में समूचे देश में मुद्रा-प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए एक करेंसी एक्ट (Currency Act) बना दिया गया था। इसके अन्तर्गत, चाँदी के रुपये को देश की एकमात्र कानूनी ग्राह्य मुद्रा घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही रुपये की दलाई

स्वतन्त्र रखी गयी थी। यद्यपि अब सोने का सिक्का कानूनी ग्राह्य तो नहीं रहा परन्तु करैसी एक्ट के अन्तर्गत सरकार को इसकी ढलाई का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सन् 1835 के करैसी एक्ट के अन्तर्गत भारत में रजतमान (Silver Standard) की स्थापना हुई थी।

भारत में रजतमान (सन् 1835 से 1898 तक)—जैसा ऊपर बताया गया है, सन् 1835 के करैसी एक्ट के अन्तर्गत भारत में रजतमान की स्थापना की गयी थी। इस मान की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थी—(क) इस कानून के अन्तर्गत सरकारी टकसालों में रुपये की ढलाई स्वतन्त्र एव अपरिमित हुआ करती थी। (ख) चाँदी के रुपये का वजन 180 ग्रेन था और इसकी शुद्धता $\frac{1}{10}$ थी। दूसरे शब्दों में, रुपये में 11 हिस्से शुद्ध चाँदी और 1 हिस्सा खोट मिटायी जाती थी। इस प्रकार रुपये में पूर्णतः शुद्ध चाँदी का वजन केवल 165 ग्रेन ही था। (ग) रुपये को असीमित विधिग्राह्य करार दे दिया गया था। (घ) सरकारी टकसालों में सोने के सिक्कों की ढलाई तो ही सकती थी परन्तु वे कानूनी ग्राह्य नहीं रहे थे। सन् 1841 में लोगों की माँग पर सरकार ने सोने की मुहरों को सरकारी भुगतानों के रूप में खजानों में 15 : 1 के अनुपात में स्वीकार करना आरम्भ कर दिया था।

भारत में रजतमान का पतन (Fall of Silver Standard in India)—सन् 1871 तक भारत में रजतमान ठीक प्रकार प्रचलित रहा। परन्तु सन् 1871 के पश्चात् इसे बनाये रखने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयीं। इन कठिनाइयों का मुख्य कारण चाँदी के मूल्य में होने वाली भारी गिरावट थी। सन् 1871 के बाद चाँदी के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य में भारी कमी होने लगी। इसके कई कारण थे—प्रथम, कई देशों में चाँदी की नयी-नयी खानों की खोज के परिणामस्वरूप विश्व में चाँदी की पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी। द्वितीय, यूरोप के कुछ देशों में चाँदी का विमुद्रीकरण (Demonetisation) कर दिया गया था। इससे भी चाँदी की पूर्ति में वृद्धि हो गयी थी। तृतीय, यूरोप के कुछ देशों में द्विधातुमान का परित्याग करके चाँदी के सिक्कों को प्रचलन से बाहर निकाल दिया था। इससे भी चाँदी की पूर्ति में वृद्धि हो गयी थी। चौथे, यद्यपि चाँदी की निर्यात-पूर्ति में तो वृद्धि होती जा रही थी परन्तु इसकी विश्व माँग तेजी के साथ निरन्तर गिरती जा रही थी। इन्हीं कारणों से चाँदी के मूल्य में भारी कमी हो गयी थी। परिणामतः भारत में बड़े पैमाने पर चाँदी का आयात किया गया था। इसके परिणामस्वरूप भारतीय मुद्रा की पूर्ति बढ़ गयी क्योंकि विदेशों से आयात की गयी चाँदी ही ऋद्धि हुई मुद्रा का आधार बनी। इस प्रकार देश में मुद्रा स्फीति की परिस्थिति उत्पन्न हो गयी और आन्तरिक कीमत-स्तर तेजी के साथ ऊपर चढ़ने लगा। इसके साथ ही साथ भारतीय रुपये के बाह्य मूल्य में तेजी से कमी होने लगी अर्थात् भारत की विनिमय दर तेजी के साथ नीचे गिरने लगी। इससे देश के विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। भारत सरकार के गृह व्ययों (Home Charges) का भार बढ़ गया और ब्रिटिश अफसरों के वेतन आदि चुकाने के लिए भारत सरकार को भारी कठिनाई होने लगी। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों के वेतन ब्रिटिश मुद्रा स्टैलिंग में निश्चित किये जाते थे। विनिमय दर गिर जाने के कारण अब भारत सरकार को इन्हीं चुकाने के लिए अधिक मात्रा में रुपये की आवश्यकता पड़ने लगी। सरकार का व्यय बढ़ जाने से बजट में असन्तुलन उत्पन्न हो गया जिसे दूर करने के लिए सरकार को अतिरिक्त कर लगाने पड़े। इस प्रकार सन् 1871 के बाद जब सरकार को रजतमान बनाये रखने में अत्यधिक कठिनाइयों का अनुभव होने लगा तब उसने भारतीय मुद्रा-प्रणाली का अध्ययन करने के लिए सन् 1892 में लॉर्ड हर्शेल (Lord Herschell) की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की।

हर्शेल कमेटी की सिफारिशें—हर्शेल कमेटी की सिफारिशें निम्नलिखित थीं :

- (क) सोने और चाँदी के सिक्कों की स्वतन्त्र ढलाई (Free Coinage) बन्द कर देनी चाहिए।
- (ख) सोने के सिक्कों का प्रचलन बन्द कर देना चाहिए। कमेटी का विचार था कि सोने के सिक्कों के बिना भी देश में स्वर्णमान को स्थापित किया जा सकता है।
- (ग) रुपये की विदेशी विनिमय-दर को 1 शिलिंग 4 पेंस पर निश्चित किया जाय। कमेटी

के अनुसार 1 शिलिंग 6 पेंस की विनिमय-दर को अपनाते से देश के आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। कमेटी ने यह सुझाव दिया कि इसी दर पर (अर्थात् 1 शिलिंग 4 पेंस) पर सरकारी खजानों में सोने के सिक्के भुगतान के रूप में स्वीकार किये जाने चाहिए।

सरकार का निर्णय—हरजेल कमेटी की उपर्युक्त सिफारिशों को त्रियान्वित करने के लिए सरकार ने सन् 1893 में एक नया कर्रेसी कानून बनाया। इसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार थी (क) सोने व चाँदी के सिक्कों की स्वतन्त्र ढलाई बन्द कर दी गयी। परन्तु सरकार को स्वयं देश की आवश्यकताओं के अनुसार चाँदी के रुपये जारी करने का अधिकार दिया गया। सोने व चाँदी के सिक्कों की स्वतन्त्र ढलाई को बन्द करने का उद्देश्य रुपये की विदेशी विनिमय-दर को जैने स्तर पर बनाये रखना था। इस प्रकार रुपया एक प्रतीक सिक्का बन गया क्योंकि एक ओर इसकी ढलाई सीमित कर दी थीर दूसरी ओर इसका अंकित मूल्य इसके धातु-मूल्य से अधिक रखा गया। (ख) सरकार ने सोने के सिक्कों के बदले में 1 शिलिंग 4 पेंस की दर पर चाँदी के रुपये जनता को देने की व्यवस्था भी कर दी। रुपये की विदेशी विनिमय-दर भी इसी स्तर पर निश्चित कर दी गयी। (ग) सरकार ने जनता से करो के भुगतान के रूप में सोने के सिक्कों की 15 रुपये की दर पर स्वीकार करना आरम्भ कर दिया। (घ) सरकार ने कलकत्ता व बम्बई की टकसालों को कामजी मुद्रा के निर्माण का अधिकार दे दिया और इसके साथ ही यह व्यवस्था भी कर दी कि 1 शिलिंग 4 पेंस की दर पर कामजी नोट स्वर्ण के बदले में दिये जा सकते थे।

सन् 1893 के कर्रेसी एक्ट के परिणामस्वरूप रुपये की विनिमय-दर चाँदी के मूल्यों में होने वाले सामयिक परिवर्तनों से मुक्त हो गयी। चाँदी का मूल्यमान के रूप में प्रयोग बन्द हो गया लेकिन इसका प्रयोग मुद्रा की मुख्य धातु के रूप में ही बना रहा। रुपये की विदेशी विनिमय-दर बढ़ गयी, इससे भारत में विदेशी पूँजी का आयात प्रोत्साहित हुआ। परन्तु चाँदी का आयात हतोत्साहित हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सन् 1893 के कर्रेसी एक्ट के परिणामस्वरूप भारत में एक अपूर्ण द्विधातुमान की स्थापना हो गयी, क्योंकि इसके अन्तर्गत दोनों प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था।

भारत में स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard in India)—यद्यपि सन् 1893 के रुपये की विनिमय-दर 1 शिलिंग 4 पेंस निश्चित की गयी थी परन्तु कुछ कारणों से यह दर स्थायी न रह सकी। सन् 1894 में भारत की विनिमय दर में गिरावट आनी शुरू हो गयी और घटते घटते 1 शिलिंग 1 पेंस पर पहुँच गयी। रुपये की विनिमय दर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मुद्रा-अवस्फीति (Currency Deflation) की नीति को अपनाया था। इसके परिणामस्वरूप भारत के व्यापारियों को बहुत असुविधा हुई और उन्होंने सरकार को मुद्रा-व्यवस्था में सुधार करने के लिए सुझाव दिया। परिणामतः भारत सरकार ने देश में स्वर्णमान की स्थापना तथा विनिमय की दर को स्थिर रखने के लिए ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की। सन् 1898 में भारत की संपूर्ण मुद्रा-व्यवस्था का अध्ययन करने तथा उसमें सुधार करने हेतु एक कमेटी नियुक्त की गयी। सर हेनरी फाउलर (Sir Henry Fowler) इस कमेटी के अध्यक्ष थे। फाउलर कमेटी की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी

(1) रुपये की विनिमय-दर को 1 शिलिंग 4 पेंस की दर पर निश्चित कर दिया जाय। इसी दर पर सरकार को सोने के सिक्कों के बदले में जनता को रुपये देने चाहिए। परन्तु रुपये के बदले में सोने के सिक्के देने के लिए सरकार को विवश नहीं किया जाना चाहिए।

(2) ब्रिटिश सावरन (British Sovereign) को भारत में असीमित वैध सिक्का घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार भारत और ब्रिटेन दोनों में ही सावरन का प्रचलन होना चाहिए। सावरन को 15 रुपये प्रति सावरन की दर से रुपये में बदलने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(3) चाँदी के रुपये को असीमित वैध सिक्का घोषित किया जाना चाहिए। परन्तु रुपये की ढलाई स्वतन्त्र नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साभ आन्तरिक लेन देन के लिए चाँदी का रुपया सोने में परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए।

(4) रुपये के सिक्कों की ढलाई से होने वाले लाभ को एक अलग कोष में स्वर्ण के रूप

में रखना चाहिए। कमेटी ने इसे स्वर्णमान कोष (Gold Standard Reserve) का नाम दिया था। इस कोष का प्रयोग रुपये को सावरन में बदलने के लिए किया जाना चाहिए।

(5) यदि भारत का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल हो जाता है तो विदेशी भुगतान करने के लिए आयातकर्ताओं को सरकार द्वारा रुपये के बदले स्वर्ण के देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार अपनी उपर्युक्त सिफारिशों से फाउलर कमेटी देश में स्वर्ण मुद्रामान (Gold Currency Standard) का निर्माण करना चाहती थी।

सरकार की कार्यवाही—सरकार ने फाउलर कमेटी की लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इन्हे त्रिपान्वित करने के लिए सन् 1899 में एक नया करंसी कानून पास किया। उसकी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार थी (क) सावरन तथा अर्द्ध सावरन (Half-Sovereign) को विधिग्राह्य मुद्रा घोषित कर दिया गया। इनके साथ ही चाँदी के रुपये को भी असीमित वैध मुद्रा करार दे दिया गया। (ख) रुपये की दलाई से प्राप्त होने वाले लाभ को अलग से एक स्वर्णमान कोष में रखने की व्यवस्था की गयी (ग) चूंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में शाही टकसाल की शाखा खोलने का विरोध किया था, इसलिए भारत में सोने के सिक्कों को अर्थात् सावरन एव अर्द्ध-सावरन को ढालने की योजना रद्द कर दी गयी। इस प्रकार सन् 1899 के करंसी कानून के अन्तर्गत देश में स्वर्णमान के बजाय स्वर्ण विनिमय मान की स्थापना हो गयी। परन्तु स्मरण रहे कि फाउलर कमेटी ने भारत में स्वर्ण विनिमय मान की नहीं, बल्कि स्वर्ण मुद्रामान को सिफारिश की थी।

स्वर्ण विनिमय मान की मुख्य-मुख्य बातें—ये निम्नलिखित हैं

(1) देश में आन्तरिक लेन-देन के लिए चाँदी के रुपये तथा कागजी मुद्रा का प्रचलन था। चाँदी का रुपया केवल प्रतीक सिक्का ही था। इसके अलावा, चलन में अन्य भी कई प्रकार के छोटे छोटे सिक्के थे परन्तु वे सीमित विधि ग्राह्य ही थे। विदेशी भुगतानों के लिए पैसे के रुपये को सोने या स्टर्लिंग में 1 शिलिंग 4 पेंस की दर पर बदला जा सकता था। परन्तु आन्तरिक लेन देन के लिए रुपये को सोने में नहीं बदला जा सकता था। देश में सीमित मात्रा में ब्रिटिश सावरन का भी प्रचलन हुआ करता था।

(2) रुपये का अधिकतम स्वर्ण मूल्य या स्टर्लिंग मूल्य $16\frac{1}{2}$ पेंस तथा न्यूनतम मूल्य $15\frac{3}{4}$ पेंस निर्धारित कर दिया गया था। जब कभी भारत की विनिमय-दर 1 शिलिंग 4 पेंस से बढ़ जाती थी तब ऐसी परिस्थिति में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (Secretary of State) काउन्सिल बिल्स (Council Bills) को 1 शिलिंग $4\frac{1}{2}$ पेंस प्रति रुपये की दर पर असीमित मात्रा में बेचना शुरू कर देता था। इससे विनिमय-दर में होने वाली वृद्धि पर स्वत ही रोक लग जाती थी। इसका कारण स्पष्ट था। यदि विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस से ऊपर उठने लगती थी तो ब्रिटिश आयातकर्ता भारतीय निर्यातकर्ताओं को उनके माल का भुगतान खुले बाजार में से भारतीय मुद्रा न खरीदकर, काउन्सिल बिलों के रूप में किया करते थे। इस प्रकार जब विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस से कम होने लगती थी, तब ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार रिवर्स काउन्सिल बिल्स (Reverse Council Bills) को 1 शिलिंग $3\frac{3}{4}$ पेंस प्रति रुपये की दर पर बेचना शुरू कर देती थी। इससे खुले बाजार में विनिमय-दर की गिरावट स्वत ही रूक जाती थी। इसका कारण स्पष्ट था। अब भारतीय आयातकर्ता ब्रिटिश निर्यातकर्ताओं को आयात किये गये माल का भुगतान खुले बाजार में से ब्रिटिश मुद्रा न खरीदकर, रिवर्स काउन्सिल बिल्स के रूप में करने लगते थे। इससे ब्रिटिश मुद्रा की खुले बाजार में माँग गिर जाती थी और इसके मूल्य में होने वाली वृद्धि स्वत ही रूक जाती थी।

(3) स्वर्ण विनिमय मान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए दो कोष स्थापित किये गये थे—रुपयों का कोष (Rupee Fund) जो भारत में रखा गया था एव स्टर्लिंग का कोष (Sterling Fund) जो ब्रिटेन में रखा गया था। इन कोषों की सहायता से विनिमय दर की स्थिरता को बनाये रखा जाता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जारी किये गये वाउन्सिल बिलों का भुगतान भारत में रुपये के कोष से किया जाता था। इसके विपरीत, भारत सरकार द्वारा

जारी किये गये रिर्वर्स काउन्सिल बिन्नो का भुगनान त्रिनेन मे रखे गये स्टर्लिंग कोप से किया जाता था ।

स्वर्ण विनिमय मान से भारत को दो प्रमुख लाभ हुआ करते थे प्रथम, लन्दन मे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउन्सिल बिन्नो को बेचकर गृह-व्ययों (Home Charges) को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त कर लिया करता था । इस प्रकार गृह-व्ययों के लिए भारत सरकार को मूल्यवान धातुओं को लन्दन भेजने की आवश्यकता नहीं रहती थी । दूसरे, स्वर्ण विनिमय मान के फलस्वरूप भारत की विदेशी विनिमय दर को 1 शिलिंग 4 पेंस पर स्थिर बनाये रखना सम्भव हो गया था । विदेशी विनिमय दर की इस स्थिरता के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा था ।

परन्तु स्वर्ण विनिमय मान के उपर्युक्त लाभो के साथ साथ इस प्रणाली मे कुछ बूटियाँ भी पायी जाती थी । यह सत्य है कि स्वर्ण विनिमय मान के कारण भारत की विदेशी विनिमय दर मे स्थिरता स्थापित हो गयी थी । परन्तु इसके साथ ही साथ भारत के आन्तरिक कीमत स्तर मे स्थिरता स्थापित नहीं की जा सकी थी । आन्तरिक कीमत स्तर की इस अस्थिरता के कारण देश के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था । इसके अनिश्चित, स्वर्ण विनिमय मान एक स्वचालित मान (Automatic Standard) नहीं था, बल्कि इसका संचालन करने के लिए सरकार को बार बार देश की मुद्रा व्यवस्था मे हस्तक्षेप करना पड़ता था ।

चेम्बरलेन कमीशन की सिफारिशों (Recommendations of the Chamberlain Commission)—चूंकि भारत मे स्वर्ण विनिमय मान के संचालन के सम्बन्ध मे कटु आलोचना की जा रही थी, इसीलिए अप्रैल 1912 मे भारत सरकार ने देश की समूची मुद्रा-व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया था । जोसेफ चेम्बरलेन (Joseph Chamberlain) इस कमीशन के अध्यक्ष थे । इसी कमीशन ने भारत की मुद्रा व्यवस्था एवं स्वर्ण विनिमय मान की क्रियाशीलता का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त निम्नलिखित सिफारिशों की थी

(क) भारत सरकार को स्वर्ण विनिमय मान जारी रखना चाहिए । भारत के लिए स्वर्ण मुद्रामान उपयुक्त नहीं है क्योंकि भारतीयों मे स्वर्ण मुद्रा को संचित (Hoard) करने की प्रवृत्ति पायी जाती है ।

(ख) भारत मे स्वर्ण मुद्रा ढालने के लिए एक अलग टंकताल की आवश्यकता नहीं है । कमीशन ने यह सिफारिश की कि बम्बई की टंकताल मे ही सीमित मात्रा मे सोने के सिक्को को ढाला जा सकता है ।

(ग) स्वर्णमान कोष (Gold Standard Reserve) की कोई उच्चतम सीमा नहीं होनी चाहिए और इस कोष को लन्दन मे ही रहने देना चाहिए ।

(घ) कामजी मुद्रा प्रणाली मे अधिक लोच उत्पन्न करने के लिए कामजी नोटो के अरक्षित भाग (fiduciary portion) को 14 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर देना चाहिए ।

(ङ) भारत सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह 1 शिलिंग 3 $\frac{1}{2}$ पेंस प्रति रुपये की दर से भविष्य मे भी रिर्वर्स काउन्सिल बिन्नो बेचती रहेगी ।

चेम्बरलेन कमीशन की उपर्युक्त सिफारिशों फरवरी 1914 मे प्रकाशित कर दी गई थी । चूंकि जुलाई 1914 मे प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था, इसलिए भारत सरकार कमीशन की उपर्युक्त सिफारिशो को क्रियान्वित न कर सकी ।

भारतीय मुद्रा प्रणाली पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव—युद्ध के छिड़ जाने के उपरान्त भारत की मुद्रा प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था । इसका संक्षिप्त व्योरा इस प्रकार है

(1) युद्ध के छिड़ जाने से साधारण जनता मे भय की लहर बौध गयी तथा व्यापार और वाणिज्य पर अनिश्चितता का वातावरण छा गया । इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने सेविंग बैंक खातों मे से अधिकाधिक मात्रा मे धन निकालना आरम्भ कर दिया ।

इसके साथ ही साथ साधारण जनता मे सोने व चाँदी के सिक्को का संचय करने की प्रवृत्ति भी बढ़ गयी थी । लोगों ने कामजी नोटो को भी बड़े पैमाने पर सोने व चाँदी के सिक्को मे परिवर्तित करने के प्रयत्न किये थे ।

(2) युद्ध के छिड़ने के उपरान्त भारत की विदेशी विनिमय दर गिरने लगी थी। उपर्युक्त परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने 5 अगस्त, 1914 को निजी व्यक्तियों को सोना देना बन्द कर दिया था। विनिमय-दर की गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर रिवर्स काउन्सिल बिल्ट्स बेचने शुरू कर दिये। 6 अगस्त, 1914 से 28 जनवरी, 1915 तक भारत सरकार ने लगभग 87 लाख पौण्ड मूल्य के रिवर्स काउन्सिल बिल्ट्स बेचे थे। इन उपायों से कुछ समय के लिए साधारण जनता का मुद्रा-प्रणाली में विश्वास पुन उत्पन्न हो गया था।

परन्तु सन् 1916 में मुद्रामान के संचालन में पुन कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी। इसका कारण यह था कि सन् 1916 के पश्चात् भारत का व्यापार-सन्तुलन बहुत अनुकूल हो गया था। भारत के निर्यात बहुत बढ़ गये थे परन्तु आयातों में बहुत कमी हो गयी थी। परिणामतः व्यापार-सन्तुलन भारत के अनुकूल हो गया था। अनुकूल व्यापार-सन्तुलन के फलस्वरूप ब्रिटिश मुद्रा बाजार में भारतीय मुद्रा की माँग बहुत बढ़ गयी थी जिसके परिणामस्वरूप इसका विदेशी मूल्य भी बढ़ गया था। भारतीय रुपये की विनिमय-दर को अधिक बढ़ने से रोकने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (Secretary of State) ने काउन्सिल बिल्ट्स को बेचना शुरू कर दिया। परन्तु भारतीय मुद्रा की माँग इतनी बढ़ गयी थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी काउन्सिल बिल्ट्स द्वारा उसे पूरा न कर सका। इसका कारण यह था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउन्सिल बिल्ट्स बेचने को सामर्थ्य इस बात पर निर्भर करती थी कि वह भारत सरकार द्वारा रुपये की मात्रा बढ़ाने के लिए कितनी चाँदी उसे सप्लाय कर सकता था। परन्तु युद्धकाल में चाँदी की माँग में निरन्तर वृद्धि के फल-स्वरूप इसने मूल्य में काफी वृद्धि हो गयी थी। सन् 1915 में चाँदी का मूल्य प्रति औंस 27½ पेंस था। सितम्बर 1917 में यह बढ़कर 55 पेंस हो गया। चाँदी के मूल्य में वृद्धि के कारण अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को काउन्सिल बिल्ट्स पुरानी विनिमय-दर अर्थात् 1 ग्रािलिंग 4 पेंस पर बेचना कठिन हो गया था। अतः उसे चाँदी के मूल्य में वृद्धि के साथ ही साथ काउन्सिल बिल्टों की दर में भी उसी अनुपात में वृद्धि करनी पड़ी। इसका कारण स्पष्ट है। चूंकि चाँदी के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप रुपये को ढालने की लागत बढ़ गयी थी, इसीलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने लिए पुरानी विनिमय दर पर काउन्सिल बिल्ट्स बेचना सम्भव नहीं रहा था। परिणामतः स्वर्ण विनिमय मान भंग हो गया था।

युद्धकालीन स्थिति का सामना करने के लिए जिन उपायों का आश्रय लिया गया था, वे इस प्रकार थे—(क) 3 सितम्बर, 1917 से निजी व्यक्तियों द्वारा चाँदी का आयात बन्द कर दिया गया। अब चाँदी का आयात करने का अधिकार केवल सरकार को ही था। इसके साथ ही चाँदी के सिक्कों का निर्यात भी बन्द कर दिया गया। (ख) चाँदी की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर अमरीका से चाँदी का क्रय किया था। सन् 1918 में भारत सरकार ने अमरीका से 200 मिलियन औंस चाँदी खरीदी थी। (ग) 27 जून 1917 से सोने चाँदी के सिक्कों को पिघलाना गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। (घ) 29 जून, 1917 को घोषणा की गयी कि देश में आयात किया गया समूचा स्वर्ण सरकार को अनिवार्य रूप से बेचना होगा। इसी स्वर्ण के आधार पर सरकार ने कागजी नोटों का निर्गमन किया। परिणामतः कागजी नोटों की मात्रा में बहुत वृद्धि हो गयी। (ङ) मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने के लिए सोने के सिक्कों की ढलाई शुरू कर दी गई। (च) सरकार ने 1 रुपये व 2½ रुपये के नये नोटों का निर्गमन किया। इसके साथ ही साथ दो, चार, आठ आने के निकल के सिक्कों को भी जारी किया गया। (घ) आरक्षित कागजी मुद्रा के निर्गमन में भी वृद्धि कर दी गयी ताकि देश की बढ़ती हुई मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

बैबिंगटन स्मिथ कमेटी की सिफारिशें (Recommendations of the Babington Smith Committee)—प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने पर भी व्यापार-सन्तुलन भारत के अनुकूल ही रहा, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में भारतीय रुपये की माँग बराबर बढ़ती गयी। अतः रुपये की विनिमय-दर में भी बराबर वृद्धि होती गयी। इसके साथ ही साथ चाँदी के मूल्य में भी वृद्धि जारी रही और सरकार द्वारा कागजी नोटों को चाँदी के सिक्कों में बदलना बराबर कठिन होता चला गया। इस प्रकार देश की सम्पूर्ण स्थिति की जाँच करने के लिए

मई सन् 1919 में सर हेनरी बैबिंगटन स्मिथ (Sir Henry Babington Smith) की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गयी। इस कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं

(1) देश में चाँदी का रुपया असौमित्र विधिग्राह्य बना रहना चाहिए और इसके वजन व शुद्धता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

(2) रुपये की विदेशी विनिमय-दर स्टर्लिंग के स्थान पर स्वर्ण में 2 शिलिंग की दर पर निश्चित की जानी चाहिए अर्थात् 1 सावरन = 10 रुपये होना चाहिए। यदि भारत की विनिमय दर 2 शिलिंग स्वर्ण से नीचे गिर जाय तो ऐसी दशा में भारत सरकार को रिर्वर्स काउन्सिल बिस्स खोलने चाहिए। कमेटी के अनुसार रुपये की ऊँची विनिमय-दर निश्चित करने से देश को बहुत-से लाभों की आशा थी—(क) ऊँची विनिमय दर से आन्तरिक कीमत-स्तर के बढ़ने की प्रवृत्ति रुक जायगी। (ख) खाद्य पदार्थों एवं कच्चे माल के निर्यात से भारत को ऊँचा मूल्य मिल सकेगा। (ग) ऊँची विनिमय-दर से भारत के निर्यातों पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं थी, क्योंकि उस समय यूरोप के देशों में भारतीय माल की माँग काफी तीव्र थी। (घ) ऊँची विनिमय-दर से गृह-युग्यो (Home Charges) में कमी होने की आशा थी। इन सभी लाभों को ध्यान में रखते हुए ही कमेटी ने रुपये की विनिमय-दर स्वर्ण में 2 शिलिंग पर निश्चित करने की सिफारिश की थी। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि कमेटी के एक भारतीय सदस्य डी० एम० दलाल (D M Dalal) ने अपने पृथक स्मृति पत्र में भारतीय रुपये की पुरानी दर 1 शिलिंग 4 पेंस को ही जारी रखने की सिफारिश की थी।

(3) विदेशी भुगतानों के लिए सरकार को एक कोष में अधिक से अधिक मात्रा में स्वर्ण जमा करना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो भारत में सावरनों की ढलाई सीमित मात्रा में की जानी चाहिए। परन्तु सरकार सावरनों के बदले में रुपये देने के लिए बाध्य नहीं होनी चाहिए। सोने-चाँदी के आयात-निर्यात पर सभी प्रकार के प्रतिबन्ध हटा लिये जाने चाहिए।

(4) रुपये की ढलाई से होने वाले लाभ को पहले की तरह स्वर्णमान कोष में जमा करना चाहिए। इस कोष का 50 प्रतिशत भाग भारत में ही रखा जाना चाहिए।

(5) आरक्षित कागजी मुद्रा की मात्रा पहले की भाँति 120 करोड़ रुपये निश्चित की जानी चाहिए। कागजी मुद्रा की मात्रा का 40 प्रतिशत भाग धातु कोष के रूप में होना चाहिए। कागजी मुद्रा-कोष का सोना चाँदी भारत में ही रखा जाना चाहिए।

(6) काउन्सिल बिस्स तथा रिर्वर्स काउन्सिल बिस्स की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। इस प्रकार बैबिंगटन स्मिथ कमेटी ने स्वर्ण विनिमय मान को जारी रखने की ही सिफारिश की थी।

सरकार की कार्यवाही—सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और फरवरी 1920 में रुपये की विनिमय दर 2 शिलिंग स्वर्ण (2 S Gold) घोषित कर दी गयी। परन्तु रुपये की विनिमय-दर 2 शिलिंग स्वर्ण निश्चित कर देने के उपरान्त भारत में रिर्वर्स काउन्सिल बिस्स की माँग बहुत बढ़ गई थी। इसका कारण यह था कि इस ऊँची दर पर भारतीय व्यापारियों के लिए ब्रिटेन से माल का आयात करना बहुत लाभदायक हो गया था। परिणामतः ब्रिटेन से भारत के आयात अधिकाधिक मात्रा में बढ़ते चले गये। सरकार ने रिर्वर्स काउन्सिल बिस्स को बढती हुई माँग को पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न किये यद्यपि उसको ऐसा करने में भारी हानि सहन करनी पड़ी। परन्तु रिर्वर्स काउन्सिल बिस्स की माँग इतनी बढ़ गई थी कि अन्ततः भारत सरकार ने उसे पूरा करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी और इस प्रकार रुपये की विनिमय दर को स्वतन्त्र छोड़ दिया गया था। दूसरे शब्दों में, अब सरकार ने रुपये की विनिमय दर को नियन्त्रित करने का प्रयत्न ही छोड़ दिया और विनिमय दर धीरे-धीरे और नीचे गिरती चली गयी। परिणामतः सरकारी दर और बाजारी दर में अन्तर उत्पन्न हो गया। इससे भारतीय व्यापारियों को अत्यधिक हानि सहनी पड़ी। परन्तु यह परिस्थिति अधिक समय तक न रह सकी। धीरे-धीरे रुपये की विनिमय दर में सुधार होना शुरू हुआ। अक्टूबर 1924 को रुपये की विनिमय-दर 1 शिलिंग 6 पेंस स्टर्लिंग या 1 शिलिंग 4 पेंस स्वर्ण हो गयी थी। जैसा विदित है अप्रैल 1925 में ब्रिटेन ने पुनः स्वर्णमान को अपना लिया था। इससे स्टर्लिंग और स्वर्ण का मूल्य

एक समान हो गया, अर्थात् 1 शिलिंग 6 पेंस स्टर्लिंग अब 1 शिलिंग 6 पेंस स्वर्ण के बराबर हो गया था। इस प्रकार भारतीय रुपये की विनिमय-दर 1 शिलिंग 6 पेंस पर स्थिर हो गयी थी।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. प्रथम महायुद्ध से पूर्व भारत में स्वर्ण विनिमय मान के कार्यवाहन का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। (आगरा, 1957)

[संकेत—यहाँ पर यह बताइए कि फाउलर कमेटी ने भारत के लिए स्वर्ण मुद्रामान की सिफारिश की थी परन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण यह स्वर्ण मुद्रामान, स्वर्ण विनिमय मान में परिवर्तित हो गया था। तदुपरान्त, स्वर्ण विनिमय मान की विशेषताएँ बताते हुए इसकी कार्य-प्रणाली पर प्रकाश डालिए। स्वर्ण विनिमय मान की वृद्धियों का भी वर्णन कीजिए।]

2. स्वर्ण विनिमय मान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उन परिस्थितियों को बताइए जिनके कारण इसे अपनाया गया था। प्रथम महायुद्ध के समय इसके टूटने के कारणों पर प्रकाश डालिए। (राजस्थान, 1952)

[संकेत—प्रथम भाग में, स्वर्ण विनिमय मान की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि फाउलर कमेटी ने भारत के लिए स्वर्ण मुद्रामान की सिफारिश की थी। चूंकि ब्रिटिश सरकार ने शाही टक्काब की शक्ति खोलने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए भारत में सोने के सिक्कों को ढलवाने की योजना रद्द कर दी गयी। परिणामतः यह स्वर्ण मुद्रामान के बजाय स्वर्ण विनिमय मान हो गया था। तीसरे भाग में, यह बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वर्ण विनिमय मान के टूटने का मुख्य कारण चाँदी के मूल्य में होने वाली भारी वृद्धि था।]

25

भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (2)

(History of Indian Currency and Exchange-2)

(From 1925 to 1939)

जैसा पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, सन् 1920 में भारत सरकार ने रुपये की विनिमय-दर को 2 शिलिंग स्वर्ण पर स्थिर रखने का प्रयत्न किया था। परन्तु यह प्रयत्न सफल न हो सका क्योंकि सरकार रिजर्व काउन्सिल बिलों को बढ़ी हुई माँग को पूरा करने में असमर्थ रहती थी। अन्त में, सरकार ने रुपये की विनिमय-दर को स्वतन्त्र छोड़ दिया और यह अब विदेशी विनिमय की माँग व पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होने लगी। अनेक उतार-चढ़ाव के उपरान्त सन् 1925 में भारत की विनिमय-दर 1 शिलिंग 6 पेंस पर स्थिर हो गयी थी। अब सरकार को भारतीय मुद्रा व्यवस्था की नयी स्थिति की जाँच करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। अतः अगस्त 1925 में हिल्टन यंग (Hilton Young) की अध्यक्षता में एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया। इन कमीशन को तीन बातों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था— (क) स्वर्ण विनिमय मान की कार्य प्रणाली की जाँच करना तथा देश में किसी उचित एवं स्थिर मुद्रा प्रणाली की सिफारिश करना। (ख) मुद्रा एवं बैंकिंग पद्धति में समन्वय स्थापित करने की योजना प्रस्तुत करना तथा भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना के बारे में सुझाव देना। (ग) भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दर के बारे में सुझाव प्रस्तुत करना।

हिल्टन यंग कमीशन ने भारत की तत्कालीन मुद्रा प्रणाली में निम्नलिखित दोषों की ओर ध्यान आकषिप्त किया था :

(1) मुद्रा-प्रणाली की जटिलता—भारत की मुद्रा-प्रणाली अत्यन्त जटिल थी और साधारण व्यक्ति इसे समझने में असमर्थ थे। यह प्रणाली प्रायः चाँदी के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य पर ही निर्भर करती थी। यदि किसी समय चाँदी के मूल्य में परिवर्तन हो जाता था तो इससे मुद्रा व्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती थी।

(2) लोच का अभाव (Lack of Elasticity)—इस व्यवस्था में लोच का अभाव हुआ करता था। इसका कारण यह था कि देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा का विस्तार व संकुचन नहीं होता था।

(3) कोपों का दुहराव (Duplication of Reserves)—इस प्रणाली को चलाये रखने के लिए आवश्यक रूप में दो कोपों की आवश्यकता पड़ती थी। कामजी मुद्रा-कोष (Paper Currency Reserve) भारत में और स्वर्णमान कोष (Gold Standard Reserve) लन्दन में रखा जाना था। इस प्रकार इन कोपों में बहुत बड़ी मात्रा में सोना बेकार पड़ा रहता था। इसके अलावा, इन कोपों के उपयोग के बारे में बनाये गये नियमों में भी समय समय पर परिवर्तन किये जाते थे।

(4) स्वयंचालकता का अभाव (Lack of Automaticity)—इस प्रणाली में स्वयंचालकता का भी अभाव हुआ करता था। इसे शांति रखने के लिए सरकार का हस्तक्षेप करना पड़ता था।

(5) मुद्रा तथा साख के नियन्त्रण का विभाजित उत्तरदायित्व—इस प्रणाली के अन्तर्गत साख तथा मुद्रा पर दो अलग-अलग एजेन्सियों का नियन्त्रण हुआ करता था। मुद्रा की मात्रा को सरकार नियन्त्रित किया करती थी, किन्तु साख की मात्रा का नियमन इम्पीरियल बैंक (Imperial Bank) द्वारा किया जाता था। इस प्रकार इस विभाजित उत्तरदायित्व के फलस्वरूप रुपये के मूल्य में स्थिरता स्थापित करना कठिन हो गया था।

(6) ब्रिटेन पर निर्भरता—इस प्रणाली को चालू रखने के लिए भारत को ब्रिटेन पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका कारण यह था कि भारतीय मुद्रा सोने से सम्बन्धित न होकर, स्टर्लिंग के साथ जुड़ी हुई थी। अतः ब्रिटेन में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों का भारत की वृद्धि व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता था।

इन्हीं कारणों से स्वर्ण-विनिमय मान प्रणाली भारत के लिए अनुपयुक्त समझी गयी थी।
मुद्रामान के सम्बन्ध में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशें—हिल्टन यंग कमीशन ने भारत के लिए निश्चित एवं स्थिर मुद्रा प्रणाली की सिफारिश करने हेतु विभिन्न प्रकार के मुद्रामानों का अध्ययन किया था।

(1) स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard)—यद्यपि स्वर्ण विनिमय मान भारत में काफी समय तक प्रचलित रहा था किन्तु हिल्टन यंग कमीशन ने इसे अपनायने की सिफारिश नहीं की थी। इसका कारण यह था कि स्वर्ण विनिमय मान प्रणाली में, जैसा ऊपर बताया गया है अनेक प्रकार के दोष पाये जाते थे। अतः कमीशन ने यह मत व्यक्त किया था कि भारत को स्वर्ण विनिमय मान किसी भी दशा में नहीं अपनायना चाहिए।

(2) स्टर्लिंग विनिमय मान (Sterling Exchange Standard)—इस मान के अन्तर्गत देश की मुद्रा को ब्रिटेन की मुद्रा स्टर्लिंग के साथ जोड़ दिया गया था। अर्थात् मुद्राधिकरण रुपये के बदले में स्टर्लिंग और स्टर्लिंग के बदले में रुपये देवता था। परन्तु हिल्टन यंग कमीशन ने इस मान को भारत के लिए अनुपयुक्त बताया। इसके दो मुख्य कारण थे—प्रथम, स्टर्लिंग विनिमय मान में भी वे सभी दोष पाये जाते थे जो स्वर्ण विनिमय मान के अन्तर्गत दृष्टिगोचर होते थे। दूसरे इस मान के अन्तर्गत भारत की मुद्रा-प्रणाली ब्रिटेन पर पूर्णतः निर्भर होने लगती थी। अतएव हिल्टन यंग कमीशन ने स्टर्लिंग विनिमय मान को भी अस्वीकार कर दिया था।

(3) हर्षण विनिमय मान (Gold Currency Standard)—श्री एच० डेनिंग (H. Dennig) जो उस समय भारत के उच्च मुद्राधिकारी थे, ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने स्वर्ण मुद्रामान की योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना के अन्तर्गत 10 वर्ष की अवधि में पूर्णरूप से स्वर्ण सिक्कों की चलन में लाने का सुझाव प्रस्तुत किया गया था। यह भी सुझाव दिया गया था कि रुपये की विनिमय-दर को 1 शिल्लिंग 6 पेंस पर निर्धारित किया जाय। इसके अतिरिक्त कागजी मुद्रा का प्रबन्ध इम्पीरियल बैंक को सौंप दिया जाय। परन्तु हिल्टन यंग कमीशन ने श्री डेनिंग की इस योजना को अस्वीकार कर दिया क्योंकि कमीशन के अनुसार इसमें दो मुख्य दोष निहित थे प्रथम निर्धन देश होने के नाते स्वर्ण मुद्रामान को क्रियाविन्त करने के लिए भारत के पास पर्याप्त मात्रा में सोना नहीं था। दूसरे, इस मान के अपनाये जाने पर सोने के मूल्य बढ़ने तथा चांदी के मूल्य के घटने की सम्भावना थी। इससे भारतीयों को काफी आर्थिक हानि हो सकती थी।

(4) स्वर्ण मात्रामान (Gold Bullion Standard)—हिल्टन यंग कमीशन ने भारत की तत्कालीन स्वर्ण विनिमय मान पद्धति को समाप्त करके इसके स्थान पर स्वर्ण मात्रामान अपनायने की सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य भारतीय मुद्रा तथा सोने में वास्तविक एवं प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना था। इस मुद्रामान की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार थी—(क) सोने के सिक्को अर्थात् सावरनों तथा अर्द्ध-सावरनों को प्रचलन से हटा दिया जायगा। (ख) प्रचलन में केवल चांदी का रुपया तथा कागजी नोट ही रहेंगे। (ग) देश में भारत सरकार द्वारा एक रुपये के नोट दुबारा जारी किये जायेंगे। ये पूर्णतः विधियाह्य होंगे। परन्तु इन्हें रुपये के सिक्कों में बदला नहीं जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, उस समय प्रचलित सभी प्रकार के नोट कानूनी ग्राह्य मुद्रा में परिवर्तनीय रहेंगे। (घ) मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व लाने के लिए कागजी मुद्रा को सोने में परि-वर्तनीय रखा जायगा। भारत सरकार निश्चित दर पर किसी भी सीमा तक 400 औंस अवका

1065 तौले वाली सोने की सलाखों को बेचने व खरीदने की व्यवस्था करेगी (इ) कमीशन ने यह भी सुझाव दिया कि तत्कालीन निश्चित धारक्षित नोट निगमन प्रणाली (Fixed Fiduciary System) को हटाकर इसके स्थान पर अनुपातिक कोष प्रणाली (Proportional Reserve System) को अपनाया जाना चाहिए। उस समय तक स्वर्णमान कोष तथा वागजी मुद्रा कोष अलग अलग रखे जाते थे। कमीशन ने यह सुझाव दिया कि इन दोनों को मिलाकर एक कोष बना देना चाहिए और इस कोष में स्वर्ण तथा स्वर्ण प्रतिभूतियाँ 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए तथा शेष 60 प्रतिशत भाग भारत सरकार की रूपों की प्रतिभूतियों (Rupcc Securities) एवं व्यापारिक बिलों के रूप में होना चाहिए।

हिल्टन यंग कमीशन के एकमात्र भारतीय सदस्य सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने कमीशन के इस सुझाव का विरोध किया कि भारत में स्वर्ण विनिमय मान के स्थान पर स्वर्ण मात्रामान की स्थापना की जाय। उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण विनिमय मान के स्थान पर पूण स्वर्ण मुद्रामान की स्थापना का सुझाव दिया था। उनका यह मत था कि भारत में सोने के सिक्कों का वास्तविक प्रचलन करना आवश्यक है। परन्तु जैसा आगे चलकर बताया जायगा भारत सरकार ने सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास के मत को ठुकराकर कमीशन की बहुमतीय सिफारिश को ही स्वीकार किया था।

विनिमय दर के सम्बन्ध में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशें—हिल्टन यंग कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि भारतीय रुपये की विनिमय दर 1 शिलिंग 6 पेंस निर्धारित की जाय परन्तु कमीशन की उपर्युक्त सिफारिश के परिणामस्वरूप भारत में उस समय एक भारी विवाद उत्पन्न हो गया था। भारत सरकार तथा उनके समर्थक 1 शिलिंग 6 पेंस के पक्ष में थे जबकि भारतीय व्यापारी, उद्योगपति, व्यवसायी तथा राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री (Nationalist Economists) 1 शिलिंग 4 पेंस के पक्ष में थे। यह विवाद काफी समय तक भारत में प्रचलित रहा।

1 शिलिंग 6 पेंस के पक्ष में प्रस्तुत किये गये तर्क (Arguments in Favour of Is-6d)—सन् 1927 में भारत सरकार के वित्तमन्त्री सर बेसिल ब्लैकट (Sir Basil Blackett) ने 1 शिलिंग 6 पेंस की दर के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये थे

(1) 1 शिलिंग 6 पेंस भारत की स्वाभाविक एवं प्राकृतिक दर थी—सर बेसिल ब्लैकट का कहना था कि 1 शिलिंग 6 पेंस भारत की स्वाभाविक एवं प्राकृतिक दर थी, क्योंकि सन् 1925 से ही रुपये की विनिमय दर 1 शिलिंग 6 पेंस पर स्थिर रही थी। अतएव इस दर को बनाये रखना देश के हित में था। इस दर पर भारतीय कीमतों का विश्व कीमतों से समन्वय हीं चुका था। ऐसी परिस्थिति में रुपये की विनिमय दर को 1 शिलिंग 4 पेंस पर निर्धारित करने का परिणाम यह होता है कि भारतीय कीमतें अन्य देशों की कीमतों की तुलना में नीचे गिर जातीं और उन्हें विश्व के स्तर पर उठाने के लिए भारत सरकार को मुद्रा स्फीति की नीति अपनानी पड़ती। इससे भारतीय मजदूरों एवं उपभोक्ताओं को बहुत क्षति उठानी पड़ती।

(2) 1 शिलिंग 6 पेंस पर देश की अर्थ व्यवस्था में समायोजन (adjustment) हीं चुका था—1 शिलिंग 6 पेंस की दर के पक्ष में दूसरा तर्क यह दिया गया था कि इस दर पर भारतीय अर्थ व्यवस्था का समायोजन हीं चुका था। दूसरे शब्दों में, मजदूरियाँ, कीमतें तथा सागतेँ इसी दर के अनुसार निश्चित हीं चुकी थीं। यदि इस दर को बदल दिया जाता तो इससे देश का आर्थिक सन्तुलन नष्ट हो जाता। मुद्रा बाजार में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न हो जाता और देश में लगभग 12 प्रतिशत की कीमत-वृद्धि हो जाती। उससे मजदूरों की असल मजदूरी कम हो जाती और देश में औद्योगिक अशान्ति फैल जाती।

(3) 1 शिलिंग 6 पेंस पर सरकारी बजट सन्तुलित हो चुके थे—1 शिलिंग 6 पेंस की दर के पक्ष में तीसरा तर्क यह दिया गया कि विगत कई वर्षों से केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बजट 1 शिलिंग 6 पेंस के आधार पर बनाये जाते रहे थे। यदि इस दर को बदल दिया जाता तो इससे सरकारी बजटों का सन्तुलन भंग होने की आशंका थी और सरकार को बजट सम्बन्धी धादों को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में कर लगाने पड़ते। इससे देश की साख पर बुरा प्रभाव पड़ता।

(4) 1 शिलिंग 6 पेंस पर भारत की देयताओं में कमी हो गयी—1 शिलिंग 6 पेंस के पक्ष में चौथा तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि इससे भारत की ब्रिटेन के प्रति देयताओं (Liabilities) में कमी हो जायगी। इसके विपरीत, यदि रुपये की दर 1 शिलिंग 4 पेंस निश्चित की जाती तो इससे भारत की देयताओं में 12 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती।

1 शिलिंग 6 पेंस के विपक्ष में तर्क—हिल्टन यंग कमीशन के एकमात्र भारतीय सदस्य सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास एव अन्य औद्योगिक तथा व्यापारिक सभों ने 1 शिलिंग 6 पेंस की दर का तीव्र विरोध किया था और इसके स्थान पर 1 शिलिंग 4 पेंस की दर निश्चित करने का समर्थन किया था। 1 शिलिंग 4 पेंस की विनिमय दर के पक्ष में अथवा 1 शिलिंग 6 पेंस के विपक्ष में दिये गये तर्क इस प्रकार थे।

(1) 1 शिलिंग 6 पेंस भारत की प्राचीन दर नहीं थी—सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास का कहना था कि 1 शिलिंग 6 पेंस भारत की प्राचीन एव परम्परागत दर नहीं थी। यह तो वेबल सन् 1925 से ही स्थिर हुई थी जबकि उससे पहले लगभग 20 वर्ष तक 1 शिलिंग 4 पेंस की दर ही प्रचलित रही थी। अतः 1 शिलिंग 6 पेंस की दर को प्राकृतिक एव स्वाभाविक दर नहीं कहा जा सकता था।

(2) सन् 1914 तथा सन् 1926 के कीमत-स्तरों में समानता—1 शिलिंग 6 पेंस के विरुद्ध दूसरा तर्क यह दिया गया था कि भारत में सन् 1926 का कीमत स्तर सन् 1914 के कीमत स्तर के बराबर ही था। इस प्रकार सन् 1926 में रुपये की विनिमय दर वही होनी चाहिए थी जो सन् 1914 में थी। स्मरण रहे कि सन् 1914 में रुपये की विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस थी। इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त लगभग सभी देशों में युद्धपूर्व की विनिमय दर से ऊँची दर निश्चित करना उचित नहीं समझा था। तब भारत युद्धपूर्व की विनिमय-दर से ऊँची विनिमय-दर क्यों निश्चित करे।

(3) 1 शिलिंग 6 पेंस की दर के कारण भारत के आयातों की प्रोत्साहन मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप ह्वदेशी उद्योगों को हानि उठानी पड़ेगी—1 शिलिंग 6 पेंस के विरुद्ध तीसरा तर्क यह दिया गया था कि इससे भारत में आयात किया गया मास सस्ता हो जायगा और इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों को विदेशों की कड़ी प्रतियोगिता का मुकाबला करना कठिन हो जायेगा। ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा अपनायी गयी बिकेकात्मक संरक्षण नीति निरर्थक हो जायगी और देश का औद्योगिक विकास रुक जायगा।

(4) 1 शिलिंग 6 पेंस की दर से देश के निर्यातों में कमी हो जायगी—1 शिलिंग 6 पेंस के विरुद्ध चौथा तर्क यह दिया गया था कि इससे भारत के निर्यात कम हो जायेंगे और परिणामतः भारतीय किसानों एव उत्पादकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी जबकि ब्रिटेन के आयातकर्ताओं को इससे लाभ होगा। इस प्रकार 1 शिलिंग 6 पेंस की दर पर भारत का व्यापार-सन्तुलन प्रति-कूल हो जायगा।

(5) 1 शिलिंग 6 पेंस से सोने के निर्यात की प्रोत्साहन मिलेगा—1 शिलिंग 6 पेंस के विरुद्ध यह भी कहा गया कि इस प्रकार ऊँची दर को स्थिर बनाये रखने के लिए सोने का निर्यात करना आवश्यक हो जायगा। परिणामतः देश के स्वर्ण-कोषों में कमी होने की सम्भावना थी। इस प्रकार भारत जो प्राचीन समय से ही सोने का आयात करता चला आ रहा था, सोने का निर्यातक बन जायेगा।

(6) 1 शिलिंग 6 पेंस से मुद्रा अवस्थिति की सम्भावना उत्पन्न हो जायगी—1 शिलिंग 6 पेंस के विरोध में यह भी कहा गया था कि ऊँची दर को स्थिर बनाये रखने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा का सकुचन करना पड़ेगा। इससे किसानों, श्रमियों तथा मजदूरों पर अनिवार्य रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा और देश की आर्थिक प्रगति धीमी पड़ जायगी।

(7) 1 शिलिंग 6 पेंस एक अवास्तविक दर थी—1 शिलिंग 6 पेंस के विरुद्ध यह तर्क भी दिया गया कि यह दर कृत्रिम एव अवास्तविक थी क्योंकि इसकी स्थिर बनाये रखने के लिए सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि चूँकि 1 शिलिंग 6 पेंस की दर वेबल दो वर्ष तक ही प्रचलित रही थी, इसलिए देश का कीमत-

स्तर, लागते, व्याज व मजदूरियाँ इसके साथ सन्तुलित नहीं हो सकती थी। इस प्रकार 1 शिलिंग 4 पेंस की पुरानी दर को पुनः अपनाने पर देश की अर्थ-व्यवस्था में किसी प्रकार का असन्तुलन उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं थी।

सर पुष्पात्तमदास ठाकुरदास ने उपर्युक्त तर्कों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि 1 शिलिंग 4 पेंस की विनिमय-दर ही भारत के आर्थिक हितों के अनुकूल थी। परन्तु भारत सरकार ने सर पुष्पोत्तम दास ठाकुरदास के उपर्युक्त तर्कों को अस्वीकार कर दिया और मार्च 1927 में करंसी एक्ट के अन्तर्गत देश में 1 शिलिंग 6 पेंस की विनिमय-दर को ही क्रियान्वित किया।

मुद्रा तथा साख नियन्त्रण सम्बन्धी सिफारिशें—हिल्टन यंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन मुद्रा तथा साख-नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था को बहुत ही असन्तोषजनक बताया था। उसका कहना था कि मुद्रा तथा साख का नियन्त्रण एक ही एजन्सी द्वारा किया जाना चाहिए। परन्तु उस समय मुद्रा का नियन्त्रण भारत सरकार के हाथों में और साख नियन्त्रण इम्पीरियल बैंक के हाथों में था। इसके कारण मुद्रा तथा साख सम्बन्धी नीतियों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव नहीं था। यही कारण था कि विनिमय की दर में स्थिरता स्थापित करना कठिन हो गया था। अतः हिल्टन यंग कमीशन का यह सुझाव था कि मुद्रा तथा साख सम्बन्धी नीतियों में समन्वय स्थापित करने हेतु भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाय। कमीशन ने इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया रखने का प्रस्ताव किया था और यह भी सुझाव दिया था कि मुद्रा तथा साख सम्बन्धी कार्य इस प्रस्तावित बैंक को सौंप दिये जायें। परन्तु सर पुष्पोत्तमदास ठाकुरदास ने कमीशन के इस सुझाव का भी विरोध किया और कहा कि देश में एक नये केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता नहीं थी। उनका यह विचार था कि तत्कालीन इम्पीरियल बैंक को ही केन्द्रीय बैंक के सभी कार्य सौंपे जा सकते थे।

हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार की कार्यवाही—जैसा ऊपर कहा गया है, भारत सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन की बहुमतीय रिपोर्ट (Majority Report) को स्वीकार कर लिया और उसे कार्यरूप देने के लिए मार्च 1927 में एक करंसी एक्ट पास किया। यह एक्ट 1 अप्रैल 1927 से लागू हुआ। इस एक्ट की मुख्य मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थीं—(क) भारतीय रुपये की विनिमय दर 1 शिलिंग 6 पेंस निश्चित कर दी गयी। (ख) भारत सरकार ने 21 रुपये 3 आने 10 पाई प्रति तोला के हिसाब से किसी भी सोना तक 40 तोले अथवा 15 औंस से अधिक की सोने की शालाखें खरीदने और कागजी मुद्रा के बदले 21 रुपये 2 आने 10 पाई प्रति तोला के हिसाब से कम से कम 1065 तोले अथवा 400 औंस सोना 1 शिलिंग 5½ पेंस की दर पर सन्धि में तुरन्त भुगतान के लिए स्टलिंग बेचने की व्यवस्था की। (ग) भारत सरकार ने सावरनो एब अर्द्ध-सावरनो को प्रचलन से हटा दिया, परन्तु इन्हे सरकारी खजानों में 13 रुपये 5 आने 4 पाई प्रति सावरनो की दर पर खरीदने की व्यवस्था की। चूंकि रिजर्व बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में देश में तीव्र विवाद उत्पन्न हो गया था, इसलिये हिल्टन यंग कमीशन की इस सिफारिश को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया।

जैसा पूर्व कहा गया है, हिल्टन यंग कमीशन ने भारत में स्वर्ण मान्यमान (Gold Bullion Standard) स्थापित करने की सिफारिश की थी, परन्तु सन् 1927 के करंसी एक्ट के अन्तर्गत देश में स्वर्ण मान्यमान के स्थान पर स्टलिंग विनिमय मान (Sterling Exchange Standard) की स्थापना हो गयी थी। इसका कारण यह था कि सन् 1927 के करंसी एक्ट के अन्तर्गत कागजी मुद्रा के बदले में भारत सरकार के लिए सोना देना अनिवार्य नहीं था। भारत सरकार कागजी मुद्रा के बदले में सोना अथवा स्टलिंग दे सकती थी। चूंकि व्यवहार में भारत सरकार ने कागजी मुद्रा के बदले में सोना नहीं दिया, अतएव इस कानून के अन्तर्गत भारत में स्वर्ण मान्यमान स्थापित नहीं किया जा सका, यद्यपि हिल्टन यंग कमीशन ने स्वर्ण मान्यमान ही ही सिफारिश की थी। इस प्रकार सन् 1927 के कानून के परिणामस्वरूप भारत में उस स्टलिंग विनिमय मान की स्थापना हो गयी जिसे कमीशन ने दीपयुक्त कहकर अस्वीकार कर दिया था।

स्टलिंग विनिमय मान (सन् 1931 से सन् 1947 तक)—जैसा ऊपर कहा गया है, सन् 1927 के करंसी एक्ट के अन्तर्गत भारत में स्वर्ण मान्यमान के बजाय स्टलिंग विनिमय मान की स्थापना हो गई थी। इसका कारण यह था कि व्यवहार में सरकार ने कागजी मुद्रा

के बदले में सोना देने के बजाय स्टर्लिंग देना स्वीकार किया था। इस प्रकार देश का मुद्रामान वास्तव में स्टर्लिंग विनिमय मान हो गया था, यद्यपि कानून के अन्तर्गत यह अब भी स्वर्ण मानमान ही कहलाता था। परन्तु 21 सितम्बर 1931 को भारत का मुद्रामान सैद्धान्तिक रूप में भी स्टर्लिंग विनिमय मान हो गया था। अर्थात् इस तिथि के उपरान्त भारत का मुद्रामान सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक रूप में स्टर्लिंग विनिमय मान हो गया था। जैसा विदित है, 21 सितम्बर, 1931 को ब्रिटेन ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया था। परिणामतः स्टर्लिंग का सोने से सम्बन्ध टूट गया था और स्टर्लिंग अब सोने में परिवर्तनशील नहीं रहा था। चूंकि भारतीय रुपया भी स्टर्लिंग के साथ सम्बन्धित था, इसलिए 21 सितम्बर 1931 के बाद भारतीय रुपये का सोने से सम्बन्ध पूर्णतः टूट गया था। 21 सितम्बर 1931 से पहले भारतीय रुपया स्टर्लिंग से सम्बन्धित था और स्टर्लिंग सोने में परिवर्तनशील था। परन्तु 21 सितम्बर 1931 के बाद भारतीय रुपये का भी सोने के साथ सम्बन्ध पूर्णतः टूट गया। अतएव भारत सरकार ने सन् 1927 के करेंसी एक्ट की उस व्यवस्था को स्थगित कर दिया जिसके अन्तर्गत सरकार रुपये के बदले में सोना दे सकती थी। इस प्रकार 21 सितम्बर, 1931 के बाद भारतीय रुपये का स्टर्लिंग से 1 गिलिंग 6 पेंस की दर पर सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया था तब से गया था विधिवत रूप से मे भारत स्टर्लिंग विनिमय मान की स्थापना हो गयी थी

स्टर्लिंग विनिमय मान के पक्ष में तर्क 21 सितम्बर 1931 में जब भारतीय रुपये की स्टर्लिंग से सम्बन्धित कर दिया गया था तब इसके परिणामस्वरूप भारत में एक भारी विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगो ने भारत सरकार की इस कार्यवाही की कटु आलोचना की और इस प्रकार रुपये-स्टर्लिंग का गठबन्धन (Rupee Sterling Link) तीव्र विवाद का विषय बन गया था। भारत में स्टर्लिंग विनिमय मान के पक्ष में जो तर्क दिये गये थे, वे इस प्रकार थे

(1) भारतीय रुपये की विनिमय-दर में स्थिरता—रुपये स्टर्लिंग के गठबन्धन (Rupee Sterling Link) के समर्थन में पहला तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि इससे भारतीय रुपये की विनिमय-दर में होने वाले उच्चावचनो को रोकना सम्भव हो सका था। स्टर्लिंग विनिमय मान के समर्थको के अनुसार यदि रुपये की स्टर्लिंग के साथ न जोड़ा जाता अथवा इसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता तो इसकी विनिमय-दर में भारी उतार-चढ़ाव होते जिनसे भारत के विदेशी व्यापार को थपार क्षति पहुँचती।

(2) रुपये के अवमूल्यन से होने वाला लाभ—21 सितम्बर, 1931 को ब्रिटेन के द्वारा स्वर्णमान का परित्याग करने पर स्टर्लिंग मुद्रा का स्वर्णमान वाले देशों की मुद्राओं के रूप में अवमूल्यन हो गया था अर्थात् स्टर्लिंग मुद्रा का विदेशी मूल्य धीरे-धीरे कम होने लगा था। चूंकि भारतीय रुपया स्टर्लिंग से जुड़ा हुआ था, इसलिए स्टर्लिंग के साथ-साथ भारतीय रुपये का भी अवमूल्यन होना शुरू हो गया था। भारतीय रुपये के इस अवमूल्यन से देश के विदेशी व्यापार को बहुत लाभ हुआ और भारत के निर्यात अधिक मात्रा में बढ़ गये।

(3) गृह व्ययों (Home Charges) के भुगतान में लाभ—जैसा विदित है, उक्त समय प्रतिवर्ष भारत एक बहुत बड़ी धनराशि ब्रिटेन को गृह-खर्चों के रूप में भेजा करता था। यह राशि स्टर्लिंग के रूप में ब्रिटेन को भेजी जाती थी। रुपये स्टर्लिंग के गठबन्धन से इनका भुगतान देश के लिए सुविधाजनक हो गया।

स्टर्लिंग विनिमय मान के विपक्ष में तर्क—यै इस प्रकार थे।

(1) स्वर्ण मान वाले देशों से आयातों की कीमतों में वृद्धि—जैसा ऊपर कहा गया है, ब्रिटेन द्वारा स्वर्णमान का परित्याग करने पर स्टर्लिंग मुद्रा का 30 प्रतिशत अवमूल्यन हो गया था। परिणामतः भारतीय रुपये का भी इसी अनुपात में अवमूल्यन हो गया था। इसके कारण स्वर्णमान वाले देशों से आयात किया गया माल भारत के लिए महंगा हो गया था। अब भारत को ऐसे माल पर पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य चुकाना पड़ता था।

(2) ब्रिटेन के आर्थिक परिवर्तनों का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर कुप्रभाव—रुपये स्टर्लिंग के गठबन्धन के फलस्वरूप ब्रिटेन में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों का भी भारतीय अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। ब्रिटेन की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का भारतीय कीमतों पर भी प्रभाव पड़ने लगा। दूसरे शब्दों में, भारत की जो थोड़ी बहुत आर्थिक स्वतन्त्रता थी, वह भी अब

समाप्त हो गयी और भारत पूरी तरह से ब्रिटेन की राजनीतिक तथा आर्थिक दासता के शिकारे में फँस गया।

(3) सोने का निर्यात—रुपये-स्टैलिंग के गठबन्धन का सबसे भयानक परिणाम यह निकला कि इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर भारत से सोने का निर्यात होने लगा। इसका कारण यह था कि स्टैलिंग के अवमूल्यन के कारण भारतीय रुपये का स्वर्ण मूल्य कम हो गया था (अर्थात् सोने की कीमतें बढ़ गयी थीं) और भारत से सोने के निर्यात को प्रोत्साहन मिलने लगा था।

स्टैलिंग विनिमय मान के परिणाम (सन् 1931 से सन् 1939 ई० तक)—जैसा ऊपर कहा गया है—सितम्बर 1931 में भारत में स्टैलिंग विनिमय मान की स्थापना हो गयी थी। सितम्बर 1931 से लेकर सितम्बर 1939 तक (अर्थात् दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व), भारतीय अर्थ-व्यवस्था में निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी थीं।

1. सोने का निर्यात (Gold Exports)—सितम्बर 1931 से पहले भारत बड़े पैमाने पर विदेशों से सोने का आयात किया करता था। परन्तु सितम्बर 1931 के बाद भारत बड़े पैमाने पर सोने का निर्यात करने लगा था। कहा जाता है कि सन् 1931 से लेकर सन् 1939 तक भारत ने लगभग 362 करोड़ रुपये के मूल्य के सोने का विदेशों को निर्यात किया था। वास्तव में, भारत के आर्थिक इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी, क्योंकि प्रतापदियों से भारत सोने का आयात करता चला आ रहा था। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सन् 1931 के बाद भारत से इतने बड़े पैमाने पर सोने का निर्यात क्यों किया गया था? इसके कारण निम्नलिखित हैं।

(क) देश में महामन्दी का प्रभाव—जैसा विस्तृत है, सन् 1930 में समूचे विश्व में मन्दी छा गयी थी परन्तु इस मन्दी के कारण औद्योगिक देशों की अपेक्षा कृषि प्रधान देशों को अधिक हानि हुई थी। इसका कारण यह था कि मन्दी के कारण औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें कृषि पदार्थों की अपेक्षा कम गिरी थीं। अतएव भारत जैसे देश का व्यापार सन्तुलन बहुत कम अनुकूल रह गया था क्योंकि भारत के आयातों का मूल्य इतना नहीं घटा था जितना कि भारत के निर्यातों का, अतः भारत की विनिमय-दर को स्थिर बनाये रखने के लिये निर्यातों के मूल्य की इस कमी को सोने के निर्यात द्वारा पूरा किया गया था।

(ख) रुपये का स्टैलिंग से गठबन्धन—जैसा ऊपर कहा गया है—रुपये स्टैलिंग के गठबन्धन के फलस्वरूप भारतीय रुपये का स्वर्ण के रूप में मूल्य कम हो गया, अर्थात् भारतीय सोने की कीमत बढ़ गयी थी। अतएव भारतीयों ने सोने की इस बढ़ी हुई कीमत का लाभ उठाने हेतु बड़े पैमाने पर सोने की बेचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ व्यक्तियों ने अपने आभूषणों तक को बेच डाला।

(ग) साधारण जनता की दयनीय स्थिति—महामन्दी के कारण भारत की साधारण जनता की आर्थिक दशा अत्यन्त दयनीय हो चुकी थी। विशेषकर किसानों तथा व्यापारियों को बहुत अधिक क्षति उठानी पडी थी। बहुतों ने अपने संचित सोने को बेचकर आर्थिक संकट का सामना किया था।

सोने के निर्यात के पक्ष में तर्क—सन् 1931 में सोने के निर्यातों के कारण देश में भारी विवाद उत्पन्न हो गया था। कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने स्वर्ण के निर्यात का तीव्र विरोध किया और सरकार को सोने का निर्यात बन्द करने के लिए कहा गया परन्तु सरकार उस समय सोने के निर्यात को बन्द करने के पक्ष में नहीं थी। सरकार ने सोने के निर्यात के समर्थन में कई तर्क प्रस्तुत किये। इनमें से मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं।

(क) किसानों के कष्ट का निवारण—सोने के निर्यात के पक्ष में प्रस्तुत किया गया पहला तर्क यह था कि यदि सोने के निर्यात को रोक दिया जाता तो इससे गरीब किसानों की बहुत कष्ट होता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में वे अपने आभूषणों को ऊँचे मूल्यों पर बेचने में असमर्थ हो जाते। वास्तव में, सोने के निर्यात से किसानों को आर्थिक संकट का सामना करने में बहुत सहायता मिली थी।

(ख) अग्य लोगों को लाभ—सोने के निर्यात से किसानों के अलावा अन्य वर्गों को भी लाभ हुआ था, क्योंकि उन्होंने भी अपने संचित सोने को ऊँचे मूल्यों पर बेचा था।

(ग) देश का आर्थिक विकास—बेकार पड़े होने को बहुत से व्यक्तियों ने ऊँचे मूल्यों पर बेचकर धन को उद्योग धन्यो में खगाया जिससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिली थी।

(घ) विदेशी व्यापार में वृद्धि—सोने के निर्यात के कलस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार में अधिक वृद्धि हुई क्योंकि इसके कारण भारत विदेशों से अधिक मात्रा में वस्तुएँ खरीदने में समर्थ हो सका।

(ङ) स्टर्लिंग देयताओं के भुगतान में आसानी—सोने के निर्यात के कारण देश की स्टर्लिंग मुद्रा की पूर्ति निरन्तर बढ़ती गयी। परिणामतः भारत को अपने स्टर्लिंग दायित्वों (Sterling obligations) का भुगतान करने में आसानी हो गयी।

(च) विनिमय-दर में स्थिरता—यदि देश से सोने का निर्यात न होता तो व्यापार सन्तुलन भारत के विपक्ष में हो जाता। स्टर्लिंग की माँग बढ़ जाती और रुपये की विनिमय-दर को 1 शिलिंग 6 पेंस पर स्थिर बनाये रखना कठिन हो जाता।

अतएव इन तर्कों के आधार पर भारत सरकार ने देश से सोने के निर्यात का समर्थन किया था।

सोने के निर्यात के विपक्ष में तर्क—इसके विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये गये

(क) संचित सोने का देश से बाहर चला जाना—जैसा ऊपर कहा गया है, शताब्दियों से भारत सोने का आयात करता चला आ रहा था, परन्तु सन् 1931 में अपने इतिहास में पहली बार भारत ने सोने का निर्यात करना शुरू कर दिया। इससे देश के स्वर्ण-कोषों में कमी हो गयी और भारत के लिफ्ट भविष्य में स्वर्ण मुद्रामान को अपनाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया।

(ख) स्वर्ण निर्यात की नीति एक विचित्र नीति थी—भारत सरकार की स्वर्ण निर्यात नीति कुछ विचित्र ही प्रतीत होती थी, क्योंकि भारत एक ऐसे समय पर सोने का निर्यात कर रहा था जबकि विश्व के अन्य देश अपने सोने के कोषों को बढ़ाने की फिराक में थे।

2 चाँदी का निर्यात (Silver Exports)—सोने के निर्यात के साथ ही साथ सन् 1931 के बाद भारत से चाँदी का निर्यात भी शुरू हो गया था। सन् 1931 से लेकर सन् 1939 तक चाँदी का यह निर्यात निरन्तर चलता रहा। चाँदी के निर्यात के मुख्य कारण इस प्रकार थे

(क) विदेशों में चाँदी का ऊँचा मूल्य—भारत में चाँदी के निर्यात का मुख्य कारण यह था कि सन् 1931 के उपरान्त विदेशों में चाँदी के भाव बहुत बढ़ गये थे क्योंकि उस समय अमरीका बड़े पैमाने पर चाँदी की खरीद कर रहा था। अतः चाँदी के मूल्य की इस वृद्धि ने भारत से चाँदी के निर्यात को बहुत प्रोत्साहित किया था।

(ख) कागजी नोटों की चाँदी के सिक्कों में अपरिवर्तनशीलता—भारत सरकार ने हिल्टन यंग कमिशन की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कागजी नोटों की चाँदी के सिक्कों में परिवर्तनशीलता समाप्त कर दी थी। अतएव अब भारत सरकार को कागजी मुद्रा के पीछे चाँदी को पीछे रखने की आवश्यकता नहीं रह गयी थी। इसलिए भारत सरकार ने चाँदी को बेचना शुरू कर दिया था।

(ग) चाँदी की खरीद के सम्बन्ध में अन्तरराष्ट्रीय समझौता—जुलाई 1933 में अमरीका, मैक्सिको, कनाडा, पेरू तथा आस्ट्रेलिया में एक अन्तरराष्ट्रीय समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत इन देशों की सरकारों ने बड़े पैमाने पर चाँदी खरीदने का निर्णय किया था। इस समझौते के परिणामस्वरूप चाँदी के विपक्ष मूल्य में और अधिक वृद्धि हो गयी थी। इसने भारत से चाँदी के निर्यात को और भी अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया था।

चाँदी के निर्यात के परिणाम—सन् 1931 के बाद भारत से बड़े पैमाने पर चाँदी का निर्यात होने से देश को अपार क्षति हुई थी। देश के चाँदी कोष बहुत कम हो गये थे। यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार को सिक्कों की इलाई के लिए चाँदी का अभाव अनुभव होने लगा। अन्ततः उसे विवश होकर विदेशों से पुनः चाँदी खरीदनी पड़ी।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना—हिल्टन यंग कमिशन ने एच. केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की सिफारिश की थी। चूँकि इस समय जनता ने इसका विरोध किया था, इसलिए भारत सरकार ने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया था। सन् 1931 में केन्द्रीय बैंकिंग एंक्वायरी समिति (Central Banking Enquiry Committee) ने रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। परिणामतः अगस्त 1934 में भारत सरकार ने एक कानून पास करके रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना कर दी थी। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ने

अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। रिजर्व बैंक की स्थापना से भारत की मुद्रा व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो इस प्रकार हैं (क) इस कानून के अन्तर्गत नोट जारी करने का पूर्ण एकाधिकार रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। (ख) रिजर्व बैंक की स्थापना से मुद्रा तथा साख का नियन्त्रण एक ही केन्द्रीय सस्था के हाथों में केन्द्रित हो गया। जैसा विदित है, रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व मुद्रा का नियन्त्रण सरकार के हाथों में था तथा साख का नियन्त्रण इम्पीरियल बैंक के हाथों में था। मुद्रा तथा साख का यह विभाजित उत्तरदायित्व भारतीय मुद्रा प्रणाली का एक बड़ा दोष था परन्तु रिजर्व बैंक की स्थापना से अब यह दोष दूर हो गया। (ग) भारत में रहे जाने वाले विभिन्न कोषों का केन्द्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व कागजी मुद्रा कोष (Paper Currency Reserve) तथा स्वर्णमात कोष (Gold Standard Reserve) अलग अलग हुआ करते थे। परन्तु अब दोनों को मिलाकर एक नये कोष का निर्माण किया गया। इसी प्रकार सभी बैंकिंग सस्थाओं के समस्त कोष रिजर्व बैंक में केन्द्रित हो गये। (घ) रिजर्व बैंक, बैंकों के बैंक एवं सरकारी बैंक के रूप में कार्य करते लगे। (ङ) रिजर्व बैंक पर भारतीय रुपये की विनिमय-दर 1 शिलिंग 6 पेंस पर स्थिर रखने की जिम्मेदारी डाली गयी। परिणामतः रिजर्व बैंक 1 शिलिंग 6 $\frac{1}{2}$ पेंस की दर पर स्टर्लिंग देयता या और 1 शिलिंग 5 $\frac{1}{2}$ पेंस प्रति रुपये की दर पर स्टर्लिंग खरीदता था।

इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली का विकास हिस्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार ही हुआ था?—जैसा पहले कहा जा चुका है, भारत सरकार ने सन् 1927 का करंसी एक्ट पास करके हिस्टन यंग कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

(क) सन् 1927 के कानून के अन्तर्गत सैद्धान्तिक रूप में स्वर्ण मान्यमान की स्थापना कर दी गयी थी। (ख) हिस्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने सन् 1933 में रिजर्व बैंक की स्थापना करके मुद्रा तथा साख का नियन्त्रण उसे सौंप दिया था। (ग) कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने रुपये का विनिमय दर 1 शिलिंग 6 पेंस पर निश्चित कर दी थी। इस प्रकार भारत सरकार ने हिस्टन यंग कमीशन की सभी महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था परन्तु इसके बावजूद भारतीय मुद्रा प्रणाली का विकास हिस्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार ठीक ढंग से न हो सका। इसके दो मुख्य कारण थे

(1) रुपये तथा सोने के प्रत्यक्ष सम्बन्ध का अभाव—जैसा ऊपर कहा गया है हिस्टन यंग कमीशन ने रुपये तथा स्वर्ण में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने की सिफारिश की थी अर्थात् रुपये को प्रत्यक्ष रूप में बदलने की सिफारिश की थी। इस प्रकार कमीशन का उद्देश्य भारत में स्वर्ण मान्यमान (Gold Bullion Standard) स्थापित करना था। परन्तु सन् 1927 के करंसी एक्ट के अन्तर्गत सरकार ने कागजी मुद्रा के बदले में स्वर्ण अथवा स्टर्लिंग देना स्वीकार किया था। दूसरे शब्दों में सरकार कागज मुद्रा के बदले में केवल स्वर्ण अथवा स्टर्लिंग देने के लिए स्वतन्त्र थी परन्तु अग्रहारा में सरकार ने कागजी मुद्रा के बदले में केवल स्टर्लिंग देना ही स्वीकार किया था। इस प्रकार व्यावहारिक रूप में भारत में स्टर्लिंग विनिमय मान (Sterling Exchange Standard) की स्थापना हो गयी यद्यपि कानून के अन्तर्गत भारत का मुद्रामान स्वर्ण मान्यमान ही था। स्पष्ट रहे यह वही स्टर्लिंग विनिमय मान था जिसे अस्तोपान्तक बताकर कमीशन में रद्द कर दिया था। स्पष्ट है कि भारत की मुद्रा प्रणाली का विकास कमीशन की सिफारिशों के अनुसार न हो सका।

(2) रुपये की विनिमय दर में परिवर्तनशीलता का अभाव—हिस्टन यंग कमीशन ने रुपये की विनिमय दर 1 शिलिंग 6 पेंस पर निश्चित करने की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने भी इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। परन्तु कमीशन ने इस प्रकार के कोई सुझाव नहीं दिया था कि यह विनिमय-दर सभी प्रकार की परिस्थितियों में 1 शिलिंग 6 पेंस पर ही स्थिर रखी जाय। इसके विपरीत भारत सरकार ने स्टर्लिंग के मूल्य-ह्रास (Depreciation) के उपरान्त भी रुपये की विनिमय-दर को 1 शिलिंग 6 पेंस पर ही बनाये रखा। स्पष्ट है कि भारत सरकार की यह नीतिवाही हिस्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के विरुद्ध थी। स्टर्लिंग के मूल्य ह्रास के फलस्वरूप भारत सरकार को रुपये की विनिमय दर में परिवर्तन कर देना चाहिए

था। परन्तु भारत सरकार ने अनेक प्रकार के उपाय करके रुपये की विनिमय दर को 1 शिलिंग 6 पेंस पर ही बनाये रखा। इससे देश की अपार आर्थिक क्षति हुई। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारतीय मुद्रा प्रणाली का विकास हिटलन यग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार नहीं हुआ था।

परोक्षा प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. सन् 1927-39 के बीच भारतीय मुद्रा प्रणाली की मुख्य घटनाओं का वर्णन करिए।
(आगरा, 1960)
[संकेत—यहाँ पर पहले हिटलन यग कमीशन की मुख्य सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन करिए। तदुपरान्त, यह बताइए कि भारत सरकार ने कमीशन की सिफारिशों को पूर्णरूप में स्वीकार न करके, भारत में स्टलिंग विनिमय मान की स्थापना की थी। स्टलिंग विनिमय मान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसके पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये तर्कों की चर्चा कीजिए। इसके बाद यह बताइए कि स्टलिंग विनिमय मान के परिणामस्वरूप किस प्रकार सन् 1931 के बाद भारत से बड़े पैमाने पर सोने का निर्यात आरम्भ हुआ था। सोने के निर्यात के पक्ष एवं विपक्ष में दिये गये तर्कों की भी चर्चा कीजिए। इसके साथ ही यह भी बताइए कि सन् 1931 के बाद किस प्रकार भारत से चाँदी का निर्यात शुरू हुआ था। अन्त में, यह बताइये कि कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की थी।]
2. किन-किन कारणों के आधार पर हिटलन यग कमीशन ने रुपये की 18 पेंस अनुपात को सिफारिश की थी ?
(नागपुर, 1959)
[संकेत—यहाँ पर 1 शिलिंग 6 पेंस की दर के पक्ष में दिये गये प्रमुख तर्कों की विवेचना कीजिए।]
3. सन् 1931 में रुपये को स्टलिंग से बंधी सम्बन्धित किया गया था ? उसके परिणाम क्या हुए थे ?
(जबलपुर, 1958)
[संकेत—प्रथम भाग में, यह बताइए कि सितम्बर 1931 में ब्रिटेन द्वारा स्वर्णमान का परित्याग करने पर भारतीय रुपये को स्टलिंग के साथ जोड़ दिया गया था। यहाँ पर रुपये स्टलिंग के गठबन्धन के पक्ष में दिये गये तर्कों की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि रुपये स्टलिंग गठबन्धन से बड़े पैमाने पर भारत से सोने का निर्यात शुरू हो गया था।]
4. 20वीं शताब्दी की चौथी दशाब्दी में भारत से विदेशों को जो सोना निर्यात किया गया उसका कारण बताओ। क्या यह इतने बड़े पैमाने पर सोना निर्यात होने देना ठीक था।
(विक्रम, 1961)
[संकेत—प्रथम भाग में, यह बताइए कि सोने के निर्यात का मुख्य कारण रुपये-स्टलिंग का गठबन्धन था। दूसरे भाग में यह बताइए कि सोने का यह निर्यात भारत की अर्थ-व्यवस्था के लिए ठीक नहीं था।]

26

भारतीय मुद्रा तथा विनिमय का इतिहास (3) (History of Indian Currency and Exchange—3) (From 1939 to 1976)

दूसरे विश्व युद्धसे पूर्व भारतीय मुद्रा-प्रणाली की व्यवस्था—दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व भारतीय मुद्रा-प्रणाली की व्यवस्था इस प्रकार की थी—(क) देश में स्टैबिलिटी विनिमय माना था। भारतीय रुपये का स्वर्ण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। (ख) रिजर्वें बैंक 1 मिलियन 6^ल १०^० पेंस की दर पर स्टैबिलिटी खरीदता था और 1 मिलियन 5^१ १०^० पेंस पर स्टैबिलिटी बेचा करता था। (ग) आन्तरिक मुद्रा में चाँदी का रूपया तथा अठन्नियाँ असीमित पैघ मुद्रा थी। कागजी मुद्रा का भी बड़े पैमाने पर प्रचलन था। इसके अलावा, प्रचलन में छोटे-छोटे सिक्के भी थे जो केवल 1 रुपये तक विधिग्राह्य थे। दूसरे विश्व युद्ध के छिड़ जाने से भारतीय मुद्रा-प्रणाली पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा था।

दूसरे विश्व युद्ध का भारतीय मुद्रा-प्रणाली पर प्रभाव—इसका अध्ययन हम निम्नलिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं

(क) कागजी मुद्रा को रुपये के सिक्के में बदलने की भारी माँग—युद्ध के छिड़ने पर भारतीय जनता में भय की लहर दौड़ गयी और देश की मुद्रा प्रणाली में उसका विश्वास कम हो गया था। युद्ध छिड़ते ही लोगों ने बड़े पैमाने पर रुपये के सिक्के को संचित (Hoard) करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ लोगों ने कागजी नोटों को भी सिक्के में बदलना शुरू कर दिया। युद्ध के कारण लोग इतने भयभीत हो गये थे कि उन्होंने टाकखानों एवं बैंकों से भी रुपये निकालना आरम्भ कर दिया था। बहुत से लोगों ने तो डर के मारे सरकारी प्रतिभूतियों को भी बेच डाला था। मई 1940 में फ्रांस के पतन के बाद तो स्थिति और भी गम्भीर हो गयी थी और लोगों ने शंकाग्र कागजी मुद्रा को सिक्के में बदलना शुरू कर दिया था। इससे सिक्के की माँग बहुत बढ़ गई और सरकार इस माँग को पूरा करने में असमर्थता अनुभव करने लगी। सरकार के लिए इतनी तेजी से सिक्के की ढालना सम्भव नहीं था। अतः 25 जून, 1940 को सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं से अधिक मात्रा में सिक्के को जमा नहीं कर सकता था।

(ख) एक रुपये और दो रुपये के नोटों का निर्गमन—रुपयों की कमी को दूर करने के लिए 25 जुलाई 1940 को सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसके अन्तर्गत, एक रुपये के नोटों का निर्गमन किया गया था। ये नोट असीमित विधिग्राह्य थे परन्तु चाँदी के रुपये में नहीं बदले जा सकते थे। इस आदेश के अन्तर्गत, एक रुपये के नोट को वही कानूनी दर्जा दिया गया जो एक रुपये के सिक्के को दिया गया था। इस प्रकार एक रुपये का नोट सभी उद्देश्यों के लिए चाँदी के एक रुपये के बराबर समझा जाने लगा। फलतः अन्य नोट अर्थात् पाँच तथा दस रुपये के नोट भी एक रुपये के नोट में परिवर्तनीय घोषित कर दिये गये। फरवरी 1943 में मुद्रा की कमी को दूर करने के लिए दो-दो रुपये के नोटों का निर्गमन भी किया गया था।

(ग) सिक्कों में चाँदी की मात्रा में कमी—दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिक्कों की बढ़ी हुई माँग के कारण भारत सरकार को चाँदी की अत्यधिक कमी अनुभव होने लगी। अतएव चाँदी की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने चाँदी के सिक्कों की शुद्धता में भी कमी कर दी। सन् 1940 में सरकार ने रुपये, अठती, व चवथी की शुद्धता को $\frac{1}{2}$ से घटाकर $\frac{1}{4}$ कर दिया था। इसी प्रकार चाँदी के उपयोग में बचत करने के लिए सरकार ने निकिल तथा अन्य पटिया धातुओं के बने सिक्कों का भी प्रचलन शुरू कर दिया था।

(घ) पुराने चाँदी के सिक्कों का विमुद्रीकरण - चाँदी के उपयोग में बचत करने हेतु भारत सरकार ने चाँदी के पुराने सिक्कों को प्रचलन से वापस ले लिया और उनके स्थान पर कम चाँदी वाले सिक्कों को प्रचलित किया। इस उद्देश्य से सरकार ने महारानी विक्टोरिया, एडवर्ड तप्तम, जॉर्ज पचम एव जार्ज पष्ठम की छाप वाले रूपों एव अठद्वियों को प्रचलन से वापस ले लिया और इनके स्थान पर कम चाँदी वाले सिक्कों का प्रचलन प्रारम्भ कर दिया। स्मरण रहे कि पुराने सिक्कों की शुद्धता $\frac{1}{2}$ थी। परन्तु इनके स्थान पर प्रचलित किये गये सिक्कों की शुद्धता केवल $\frac{1}{4}$ ही थी।

(ङ) छोटी रेजगारी का टकरण (Coinage of Small Coins) - दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में छोटी रेजगारी की बहुत कमी हो गयी थी। इसका कारण यह था कि व्यापारिक आवाश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेजगारी की माँग बहुत बढ़ गयी थी। परन्तु इनकी पूर्ति को उसी अनुपात में नहीं बढ़ाया जा सका था। इसका परिणाम यह हुआ कि सन् 1942-43 में देश में छोटी रेजगारी की बहुत कमी उत्पन्न हो गयी थी। यहाँ तक कि लोगों को रेजगारी के स्थान पर डाकखानों के टिकटों का प्रयोग करना पड़ा था। 17 अप्रैल, 1943 को भारत सरकार ने एक आदेश जारी करके आवश्यकता से अधिक मात्रा में रेजगारी एकत्रित करना जुर्म घोषित कर दिया और उसी वर्ष पैसे का वजन 75 ग्रैन से कम करके 30 ग्रैन कर दिया गया। नया पैसा पुराने पैसे की अपेक्षा बहुत हल्का था और उसके बीच में एक छेद भी था, परन्तु बाद में चलकर इस पैसे का प्रयोग गैर-मौद्रिक उद्देश्यों के लिए होने लगा जिसके कारण इसकी माँग और अधिक बढ़ गयी। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने छोटी रेजगारी की पूर्ति को बढ़ाने के लिए निकिल पीतल के अधन्ने (half annas) भी जारी किये। छोटी रेजगारी की पूर्ति को बढ़ाने के लिए लाहौर में एक नयी टकसाल स्थापित की गयी। सन् 1944 के बाद रेजगारी की कमी धीरे-धीरे दूर हो गयी।

(च) मुद्रा एवं साख का विस्तार - दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में मुद्रा एव साख की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। इसके दो मुख्य कारण थे—(अ) भारत सरकार के रक्षा व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी थी और उसे पूरा करने के लिए सरकार को मुद्रा प्रसार का आशय लेना पड़ा था। (आ) युद्ध के दौरान भारत ने बड़े पैमाने पर ब्रिटेन तथा अन्य मित्र राष्ट्रों को वस्तुओं का निर्यात किया था परन्तु इन वस्तुओं का भुगतान रूपों में नहीं, बल्कि स्टैलिंग में किया गया था। ये स्टैलिंग ब्रिटेन में जमा होते रहे और इन्हीं के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कागजी मुद्रा का निर्गमन किया था। परिणामतः भारत में कागजी मुद्रा की पूर्ति अत्यधिक बढ़ गयी। युद्ध से पूर्व भारत में कागजी मुद्रा की मात्रा लगभग 182 करोड़ रुपये थी परन्तु सन् 1945 में यह बढ़ कर 1,159 करोड़ रुपये हो गयी। इस प्रकार युद्धकाल में कागजी मुद्रा का भारी विस्तार किया गया था। मुद्रा के साथ-साथ साख की मात्रा में भी काफी प्रसार हुआ था। यह भी लगभग तीन गुना बढ़ा दी गई थी। मुद्रा एव साख के इस विस्तार के कारण देश का कीमत-स्तर बहुत ऊँचा हो गया था।

दूसरे विश्व युद्ध का विदेशी विनिमय पर प्रभाव—युद्ध के छिड़ जाने पर विदेशी विनिमय साधनों को नियमित तथा नियंत्रित करना आवश्यक हो गया था। अतः 4 सितम्बर, 1939 को भारत सरकार ने विनिमय नियन्त्रण की नीति को अपना लिया था। इस नीति के अन्तर्गत विनिमय सम्बन्धी सभी अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को सौंप दिये गये थे। रिजर्व बैंक ने इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए अलग से एक नया विभाग स्थापित किया जिसे विनिमय नियन्त्रण विभाग (Exchange Control Department) का नाम दिया गया। इसी विभाग द्वारा

विनिमय नियन्त्रण का कार्य सम्पन्न किया गया। युद्धकाल में विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी जो विभिन्न उपाय अपनाये गये वे इस प्रकार हैं

1. विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर प्रतिबन्ध—विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर युद्धकाल में कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये थे। उनमें से मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं

(क) रिजर्व बैंक ने एक आदेश जारी करके विदेशी विनिमय का प्रय विक्रय करने का अधिकार कुछ सुविख्यात भारतीय बैंको को दे दिया अर्थात् विदेशी विनिमय सम्बन्धी सोदे केवल इन्ही बैंको द्वारा किये जा सकते थे। इन बैंको को बाकायदा रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना पड़ता था। रिजर्व बैंक इनके विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य की देखरेख भी करता था।

(ख) विनिमय नियन्त्रण के कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न कराने के लिए समूचे ब्रिटिश साम्राज्य को एक एकक मुद्रा इकाई (Currency Unit) घोषित किया गया और इसे स्टर्लिंग क्षेत्र (Sterling Area) का नाम दिया गया। स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों की मुद्राओं के प्रय-विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। इसका कारण यह था कि स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों की मुद्राओं के बारे में भारत को कोई कठिनाई नहीं थी, अर्थात् वे मुद्राएँ भारत के लिए सुलभ थीं। परन्तु स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर के देशों की मुद्राओं को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती थी। अतएव ऐसी मुद्राओं को दुर्लभ मुद्राएँ (Hard Currencies) घोषित कर दिया गया। इनमें अमरीका, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और हॉलैण्ड की मुद्राएँ सम्मिलित थीं। इस प्रकार की मुद्राएँ केवल अत्यन्त आवश्यक उद्देश्यों के लिए ही दी जाती थी।

(ग) मार्च 1940 में जारी किये गये एक आदेश के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने भारत के निर्यातकर्ताओं को यह आज्ञा दी कि वे अपने निर्यातों के बदले में प्राप्त की गयी दुर्लभ मुद्राओं का प्रयोग केवल रिजर्व बैंक की स्वीकृति से ही करें।

(घ) रिजर्व बैंक ने यह भी आदेश दिया कि इसकी स्वीकृति के बिना कोई भी भारतीय नागरिक विदेशियों से न तो प्रतिभूतियों को खरीद सकता था और न ही उनका निर्यात कर सकता था। इस आदेश का उद्देश्य भी विदेशी विनिमय के दुरुपयोग को रोकना था।

(ङ) विनिमय नियन्त्रण की इस नीति के अन्तर्गत रुपये की विनिमय-दर को 1 शिलिंग 6 पेंस पर ही स्थिर रखा गया था।

2. आयात नियन्त्रण (Import Control)—दूसरे विश्व युद्ध के आरम्भ होते ही भारत सरकार ने आयात नियन्त्रण कार्यान्वित कर दिया। इसके तीन उद्देश्य थे—प्रथम, दुर्लभ मुद्राओं का समुचित उपयोग करना। द्वितीय, आयातों में उन वस्तुओं को प्राथमिकता देना जिनका युद्ध के संचालन से सम्बन्ध होता था। तृतीय, व्यापार-सन्तुलन की प्रतिशूलता को रोकना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने आयातों के लाइसेंस की पद्धति अपनायी थी। इसके अन्तर्गत, कोई भी व्यापारी स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर के देशों से बिना लाइसेंस प्राप्त किये किसी वस्तु का आयात नहीं कर सकता था। रिजर्व बैंक केवल जल्दी व्यापारियों को दुर्लभ मुद्राएँ दे सकता था जो लाइसेंसमुद्रा हुआ करते थे। सन् 1940 में भारत सरकार ने अत्यन्त आवश्यक उपयोगी वस्तुओं को स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों से आयात करने की अनुमति दे दी परन्तु बिलासिताओं के आयात पर कड़ा नियन्त्रण जारी रखा गया।

3. निर्यात-नियन्त्रण (Export Control)—युद्धकाल में भारत सरकार ने निर्यातों पर भी नियन्त्रण लगा दिया था। इस निर्यात नियन्त्रण के तीन मुख्य उद्देश्य थे—प्रथम, निर्यातों के बदले में प्राप्त की गयी विदेशी मुद्रा विदेशों में ही न रह जाय अर्थात् उसे भारत में लाया जाय। द्वितीय निर्यातों का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त किया जाय। तृतीय निर्यातों के बदले में प्राप्त होने वाली दुर्लभ मुद्रा को साम्राज्य डालर कोष (Empire Dollar Pool) में जमा कर दिया जाय। अत इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने निर्यात-नियन्त्रण की नीति अपनायी थी। निर्यातों से जो भी विदेशी मुद्राएँ प्राप्त होती थी उन्हें साम्राज्य डालर कोष में जमा कर दिया जाता था और उनके बदले में भारत को स्टर्लिंग में भुगतान कर दिया जाता था, किन्तु ये स्टर्लिंग भी ब्रिटेन में भारत द्वारा खीले गये खाते में ही जमा किये जाते थे।

4 अन्य प्रकार के नियन्त्रण—विदेशी विनिमय नियन्त्रण को प्रभावपूर्ण ढङ्ग से क्रियान्वित करने हेतु कुछ अन्य उपाय भी अपनाये गये थे, जो इस प्रकार हैं .

(क) मुद्रा के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध—नवम्बर 1940 में एक सरकारी आदेश के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की आज्ञा के बिना भारतीय सिक्कों तथा नोटों का विदेशों को निर्यात बन्द कर दिया गया था। इसी प्रकार सितम्बर 1943 में एक सरकारी आदेश के अन्तर्गत यह घोषणा की गयी कि भारतीय, अफगानी, ईरानी तथा लंका की मुद्रा को छोड़कर अन्य किसी भी देश की मुद्रा का भारत में आयात नहीं किया जा सकता था। जनवरी 1944 से तो भारतीय मुद्रा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की मुद्राओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। मुद्रा के आयात-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतीय मुद्रा शत्रु-देशों के हाथ न लगे और न ही शत्रु देशों की मुद्रा भारत में आ सके।

(ख) विदेशी कम्पनियों द्वारा स्टर्लिंग क्षेत्र से बाहर के देशों को भुगतान करने पर प्रतिबन्ध—अक्टूबर 1941 में एक सरकारी आदेश के अन्तर्गत यह व्यवस्था कर दी गयी कि कोई भी विदेशी कम्पनी अपने लाभ (Profit) को स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर के देशों की रिजर्व बैंक की आज्ञा के बिना नहीं भेज सकती थी।

(ग) सोने का आयात निर्यात—युद्धकाल में सोने के आयात-निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये और बिना लाइसेंस के सोने का आयात-निर्यात नहीं किया जा सकता था।

(घ) शत्रु देशों की भारतीय बैंकों में जमा राशि पर प्रतिबन्ध—28 जुलाई, 1941 को जारी किये गये एक सरकारी आदेश के अन्तर्गत शत्रु-देशों की कम्पनियों द्वारा भारतीय बैंकों में जमा की गयी राशियों के भुगतान पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

युद्धोत्तरकाल में भारतीय मुद्रा-प्रणाली (सन् 1945-76)—युद्धोत्तर काल में मुद्रा प्रणाली की मुख्य मुख्य घटनाएँ इस प्रकार थीं

(1) रुपये-स्टर्लिंग का सम्बन्ध-विच्छेद (Rupee Sterling De-link)—जैसा पूर्व कहा जा चुका है, मार्च 1947 में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I M F) की स्थापना हो गयी थी। भारत इस कोष का सदस्य बन गया था और इसी नाते भारत सरकार ने रुपये का मूल्य स्वर्ण में घोषित किया था। दूसरे शब्दों में, भारतीय रुपये का स्टर्लिंग के साथ सम्बन्ध टूट गया था। अतः रिजर्व बैंक ने निश्चित दरों पर असीमित मात्रा में स्टर्लिंग खरीदना व बेचना बन्द कर दिया था। भारत सरकार ने रुपये का मूल्य स्वतन्त्र रूप में 0 268601 ग्राम शुद्ध सोना रखा था। अतः मुद्रा कोष की सदस्यता स्वीकार करने के उपरान्त भारत में स्टर्लिंग विनिमय मान समाप्त हो गया और उसके स्थान पर स्वर्ण समतामान (Gold Parity Standard) की स्थापना हो गयी। इस प्रकार भारतीय रुपया स्टर्लिंग की दासता से मुक्त हो गया। अब भारतीय रुपये का सम्बन्ध अन्य सभी प्रकार की मुद्राओं से प्रत्यक्ष रूप में स्थापित हो गया था।

(2) ऊँचे मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण—देश में बढ़ती हुई चोर-बाजारी एवं सट्टे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जनवरी 1947 में सरकार ने एक आदेश जारी करके 500, 1000, 10000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण (Demonetisation) कर दिया था। अर्थात् ये नोट अब वैध मुद्रा नहीं रहे थे। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि चोर-बाजार का अधिकार घटाने के लिए उच्च मूल्य के नोटों को छिपाकर रखा गया था। परन्तु इस कार्यवाही से सरकार को कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी। (स्मरण रहे कि अब इन नोटों को पुनः जारी कर दिया गया है।)

(3) भारतीय रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of the Indian Rupee)—जैसा ज्ञात है, 18 सितम्बर, 1949 को ब्रिटेन ने पौण्ड का डालर मूल्य (Dollar Value) 30 5 प्रतिशत कम कर दिया था जिसके कारण अब पौण्ड का मूल्य 4.03 डालर से घटकर 2 8 डालर हो रहा था। ब्रिटेन ने पौण्ड का यह अवमूल्यन अपने भुगतान-सन्तुलन में अनुभूति को जाने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए किया था। ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए 19 सितम्बर, 1949 को भारत सरकार ने भी रुपये का उसी अनुपात में डालर मूल्य कम कर दिया था। अवमूल्यन से पूर्व भारतीय रुपये का डालर मूल्य 30 225 सेण्ट हुआ करता था। परन्तु अवमूल्यन के उपरान्त

यह घटकर केवल 21 सैप्ट ही रह गया था। भारत सरकार ने भी रुपये का अवमूल्यन मुगलान-सन्तुलन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया था। भारतीय रुपये के इस अवमूल्यन के परिणामों का आगे चलकर विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जायगा। जैसा पूर्व कहा जा चुका है, 6 जून 1966 को भारतीय रुपये का पुनः अवमूल्यन किया गया था। स्वर्ण के रूप में रुपये का नया सम मूल्य (New Par Value) 0 118517 ग्राम सोने के बराबर निश्चित किया गया जबकि पुराना सम मूल्य 0 186621 ग्राम सोने के बराबर था। इस प्रकार स्वर्ण के रूप में रुपये का 36 5 प्रतिशत अवमूल्यन हो गया था। इस अवमूल्यन के परिणामस्वरूप रुपये की डालर के साथ विनिमय-दर इस प्रकार निर्धारित की गयी—1 डालर=7 50 भारतीय रुपये, जबकि पुरानी विनिमय-दर 1 डालर=4 76 भारतीय रुपये थी। भारतीय रुपये के इस अवमूल्यन का आगे चलकर विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जायगा।

(4) भारत में दशमिक प्रणाली (Decimal System in India)—1 अप्रैल 1957 को भारत सरकार ने दशमिक प्रणाली अपना ली थी। इससे हिसाब-किताब में बहुत सुविधा हो गयी है।

(5) मुद्रा पूर्ति का विस्तार (Expansion of Money Supply)—जैसा कि सुविदित है, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1951 को देश की आर्थिक प्रगति की दर में वृद्धि करने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक आयोजन की नीति को अपनाया था। इन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि उद्योगों, खनिज उद्योगों, परिवहन एवं संचार में भारी निवेश करने की व्यवस्था की गयी थी। अतिरिक्त साधनों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत घाटे की अर्थव्यवस्था (deficit financing) की थी। इससे मुद्रा पूर्ति के चलार्थ अंग (Currency Component) में विस्तार हुआ था। इसके साथ ही साथ औद्योगिक एवं व्यापारिक खण्डों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक साख का भी अत्यधिक विस्तार किया गया था। इस प्रकार सन् 1947 के बाद मुद्रा पूर्ति ने दोनो अंगों में (अर्थात् चलार्थ एवं साख में) उल्लेखनीय विस्तार हुआ था। इस भारी विस्तार का आन्तरिक कीमत-स्तर पर प्रभाव पडना अनिवार्य ही था। परिणाम यह हुआ कि देश में गम्भीर मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो गयी। कीमतों में निरन्तर वृद्धि होने लगी। यदि 26 जून, 1975 को घोषित आपात-स्थिति के पूर्व एवं उसके उपरान्त भारत सरकार ने एक सुहृद एवं प्रभावी मुद्रा-स्फीति-विरोधी नीति न अपनायी होती तो देश की वही दुर्दशा हुई होती जो पश्चिम में चिल्ली, इटली एवं ब्रिटेन को हुई थी। भारत सरकार को इस स्फीति विरोधी नीति के ठोस परिणाम मिले थे। स्फीतिक दबावों पर काबू पा लिया गया था और बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगा दी गयी थी।

यद्यपि कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि को रोक दिया गया था लेकिन फिर भी मुद्रा-स्फीति के विस्तार में कोई कमी नहीं हुई थी। मुद्रा स्फीति का यह विस्तार भारतीय अर्थव्यवस्था की झुलती हुई वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। सन् 1975-76 के दौरान मुद्रा पूर्ति में 11 7 प्रतिशत का विस्तार हुआ था जबकि सन् 1974-75 में यह विस्तार केवल 6 4 प्रतिशत ही था। दूसरे शब्दों में, सन् 1975 76 में सन् 1974-75 की तुलना में दृष्टान्तों पर मुद्रा पूर्ति का विस्तार हुआ था। लेकिन यह विस्तार कोई चिन्ता का विषय नहीं था क्योंकि इसी दौरान देश के कुल उत्पादन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

सन् 1975-76 में मुद्रा पूर्ति का विस्तार चलार्थ विस्तार (Currency expansion) के कारण इतना नहीं था जितना कि बैंक साख के विस्तार के कारण था। बैंकों द्वारा व्यापारिक खण्ड को दी जाने वाली साख में विवेचनीय वृद्धि हुई थी लेकिन इसके साथ ही साथ देश के उत्पादन में विशेषकर कृषि-उत्पादन में, पर्याप्त वृद्धि हुई थी। यही कारण था कि बढ़ी हुई मुद्रा-पूर्ति के परिणामस्वरूप कीमतों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई थी। इस दौरान कीमतों में लगभग स्थिरता ही बनी रही थी।

सन् 1975-76 में मुद्रा-पूर्ति में होने वाले विस्तार का एक अन्य कारण भी था। इस वर्ष भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ गया था क्योंकि विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने इस अवधि

में अधिक धनराशि प्रेषित की थी। विदेशी मुद्रा की इन प्राप्तियों (receipts) के कारण भारत सरकार को मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करने के लिए विवश होना पड़ा था।

इस अवधि में भारत सरकार द्वारा कोई अधिक बड़े पैमाने पर घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं की गयी थी। भारत सरकार ने वित्तीय प्रबन्ध में सुधार करके, अतिरिक्त साधन जुटाकर, अधिक बाजार ऋण लेकर एव अल्प बचतों में पर्याप्त वृद्धि करके रिजर्व बैंक पर अपनी निर्भरता में पर्याप्त कमी कर ली थी। सन् 1974-75 की अपेक्षा सन् 1975-76 में रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को दिये गये ऋण में कमी हुई थी।

सन् 1976-77 में मुद्रा-पूर्ति का विस्तार बराबर जारी रहा था। 22 अक्तूबर, 1976 तक मुद्रा-पूर्ति में 97 प्रतिशत (अथवा 1,224 करोड़ रु०) की वृद्धि हुई थी। सन् 1975-76 में इसी अवधि में किये गये मुद्रा विस्तार से यह दुगुना था। मुद्रा-पूर्ति का यह भारी विस्तार कई कारणों से हुआ था। प्रथम, इस अवधि में बैंको द्वारा अधिक खाद्य-साख (food credit) दी गयी थी। दूसरे, विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने इस अवधि में अधिक धनराशि भारत को प्रेषित की थी। विदेशी मुद्रा के इन प्रेषणों (remittances) के विरुद्ध भारत सरकार को देश की मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करनी पड़ी थी। मुद्रा पूर्ति के इस तीव्र विस्तार का अनिवार्य परिणाम यह निकला कि कीमतों में भारी वृद्धि हो गयी। मार्च, 1976 से लेकर अक्तूबर, 1976 के बीच कीमत स्तर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। स्फीतिक शक्तियों के इस प्रबलीकरण से भारत सरकार विन्तित हो उठी थी। उसने रिजर्व बैंक को आदेश दिया था कि बढ़ती हुई कीमतों का मुद्राबला काले के लिए सात सम्बन्धी प्रतिबन्धों को और अधिक कड़ा कर दिया जाय।

(6) नये सिक्कों का निर्गमन (Issue of New Coins)—सन् 1965-66 में भारत सरकार द्वारा 1 पैसे तथा 2 पैसे के नये सिक्के जारी किये गये थे। 1 जुलाई, 1967 को रिजर्व बैंक द्वारा 5 पैसे का नया सिक्का जारी किया गया। यह सिक्का पुराने सिक्के से हल्का है। इसी प्रकार 17 अप्रैल, 1967 को रिजर्व बैंक ने 2, 5, 10 और 100 रुपये के नोट जारी किये थे। ये नोट पुराने नोटों की अपेक्षा आकार में छोटे हैं। जनवरी 1969 में गाँधी शताब्दी के अवसर पर 10 रु०, 1 रु०, 50 पैसे एव 20 पैसे के सम्मरणात्मक सिक्के जारी किये गये थे। इसी प्रकार 1, 2, 5, 10 तथा 100 रु० के गाँधी चित्र सहित नोट निर्गमन किये गये थे। 1969-70 में छोटे सिक्कों के परिचलन में तनिक सी वृद्धि हुई थी। लेकिन सन् 1970-71 में समूचे देश में छोटे सिक्कों की बहुत कमी अनुभव की गई थी। इसका मुख्य कारण समाज विरोधी तत्त्वों द्वारा छोटे सिक्कों को गलाकर उनका गैर मौद्रिक उपयोग करना था। छोटे सिक्कों के अभाव को दूर करने हेतु सरकार ने वर्तमान टंकशालों में इनका उत्पादन बढ़ा दिया गया है।

(7) युद्धोत्तरकाल में भारतीय विदेशी विनिमय—जैसा पूर्व कहा गया है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार ने विदेशी विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनायी थी। युद्ध के समाप्त होने पर भी इस नीति को जारी रखा गया और मार्च 1947 में विनिमय नियन्त्रण अधिनियम पास करके इसे स्थायी आधार प्रदान किया गया। इस अधिनियम की मुख्य मुरप विशेषताएँ 'विनिमय नियन्त्रण' सम्बन्धी अध्याय में विस्तारपूर्वक दी जा चुकी हैं। अतएव उन्हीं यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। स्मरण रहे कि भारत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का सदस्य होने के नाते कोष की अनुमति के बिना रुपये की विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन नहीं कर सकता। इस प्रकार भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दर 1 शिलिंग 6 पेंस अथवा 0.750 पौण्ड पर ही 6 जून, 1966 तक स्थिर रही। किन्तु 6 जून, 1966 को अवमूल्यन के उपरांत यह घटकर 0.0476 पौण्ड ही रह गयी थी। 18 नवम्बर 1967 को ब्रिटिश पौण्ड के अवमूल्यन के फल स्वरूप यह दर बढ़कर अब 0.0555 हो गयी थी। फरवरी, 1973 में डालर के दूसरे अवमूल्यन के बाद भारत सरकार ने रुपये को पाउंड स्टलिंग से सम्बद्ध कर दिया था। उस समय रुपया-स्टलिंग

¹ दिसम्बर, 1971 में अमरीकी सरकार ने डालर का 7.9 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया था। इस पर भारत सरकार ने भारतीय रुपये का 3 प्रतिशत पुनर्मूल्यन कर दिया। परिणामतः अब 7.279 भारतीय रुपये एक अमरीकी डालर के बराबर हैं।

दर 18-9677 रु० प्रति स्टर्लिंग निर्धारित की गई थी जो आज भी (1977) में प्रचलित है। लेकिन रुपया—डालर विनिमय दर में परिवर्तन होते रहते हैं।

रुपये स्टर्लिंग का गठबन्धन (Rupee-Sterling Link) - फरवरी, 1973 में किये गये अमरीकी डालर के अवमूल्यन के पश्चात् भारत सरकार ने अन्य देशों की सरकारों की भाँति रुपये को विदेशी मुद्रा बाजार में 'तैरने' (float) हेतु स्वतन्त्र छोड़ दिया था। यद्यपि ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भी विदेशी मुद्रा बाजार में 'तैर' रहा था लेकिन अमरीकी डालर की तुलना में इसके विनिमय मूल्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। अतएव भारत सरकार ने फरवरी, 1973 में रुपये को ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के साथ जोड़ने का निर्णय किया था। रुपये स्टर्लिंग की विनिमय-दर 18 9677 भारतीय रु० = 1 पाउंड स्टर्लिंग पर निश्चित की गयी थी। वास्तव में, स्मिथसोनियन सन्धि (Smithsonian Agreement) के अन्तर्गत भी भारतीय रुपये को पाउंड-स्टर्लिंग से यही विनिमय दर निर्धारित की गई थी। इस विनिमय दर को 2 5 प्रतिशत तक ऊपर बंधना नीचे की दिशा में बदला जा सकता था।

रुपये-स्टर्लिंग का सम्बन्ध विच्छेद एव भारतीय रुपये का मुद्राओं की टोकरी से गठबन्धन, 24 सितम्बर 1975 (Rupee Sterling Delink and the Tie up of the Indian Rupee with a Basket of Currencies 24th September, 1975)—24 सितम्बर, 1975 को भारत सरकार ने रुपये का स्टर्लिंग से सम्बन्ध विच्छेद करने का निर्णय किया और तुरन्त ही इस निर्णय पर अमल शुरू हो गया था। इस निर्णय के अनुसार भारतीय रुपये की विनिमय दर को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया पर डाला गया था। रुपये की विनिमय-दर निर्धारित करते समय रिजर्व बैंक को कुछ चयनित देशों (Selected Countries) की मुद्राओं की विनिमय-दरों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखना जरूरी था अर्थात् रुपये की विनिमय दर को विदेशी मुद्राओं की टोकरी से जोड़ दिया गया था। भारत सरकार द्वारा यह कदम रुपये के विदेशी मूल्य में स्वायत्त स्थापित करने के दृष्टिकोण से उठाया गया था।

जैसा पूर्व कहा गया है, स्मिथसोनियन सन्धि के अन्तर्गत फरवरी, 1973 में रुपये को पाउंड स्टर्लिंग से जोड़ दिया गया था। उस समय तक यह दिया गया था कि रुपये के स्टर्लिंग से गठबन्धन के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात उद्योगों की प्रतियोगात्मक शक्ति (Competitive Power) को बनाये रखा जा सकेगा (स्मरण रहे, उस समय बढ़ती हुई कीमतों के कारण इस प्रतिनियोगात्मक शक्ति में ह्रास हो रहा था)। लेकिन सन् 1973 के पश्चात् अन्य मुद्राओं की तुलना में पाउंड स्टर्लिंग के विदेशी मूल्य में निरन्तर ह्रास हुआ था। भारत सरकार के उपर्युक्त निर्णय से तीन महीने पूर्व अमरीकी डालर की तुलना में स्टर्लिंग के विदेशी मूल्य में 10 प्रतिशत की कमी हो चुकी थी। अब भारतीय रुपये का भी परोक्ष रूप में उतना ही (अर्थात् 10 प्रतिशत) अवमूल्यन हो गया था। यही कारण है कि जून 1975 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया रुपये के विदेशी मूल्य में सीमागत पुनर्मूल्यन करने पर विवश हो गया था। यह पुनर्मूल्यन 2 25 प्रतिशत की सीमा के भीतर ही था। उस समय कुछ दिशाओं से जोरदार माँग की गयी थी कि रुपये का स्टर्लिंग से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाये। तब यह दिया गया था कि स्टर्लिंग के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन हो रहा था उससे देश को कोई विशेष लाभ नहीं था। इसके विपरीत, आयातों की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप देश को हानि हो रही थी।

इस सन्दर्भ में ही रुपये स्टर्लिंग के विच्छेद का विचार प्रस्तुत किया गया था। साथ ही यह सुझाव दिया गया कि रुपये को कतिपय ऐसे देशों की मुद्राओं के साथ जोड़ दिया जाय जो भारत के विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।

भारत सरकार ने स्टर्लिंग से रुपये का सम्बन्ध तोड़ने के साथ-साथ यह भी घोषणा कर दी थी कि भारतीय रुपये की विनिमय-दर प्रति दिन कतिपय विदेशी मुद्राओं की विनिमय-दरों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जायेगी। कुछ कारणों से भारत सरकार ने उन विदेशी मुद्राओं के नाम नहीं बतलाये थे जिनके आधार पर भारतीय रुपये की विनिमय दर निश्चित की जानी थी। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विदेशी मुद्राओं की इस टोकरी में अन्य मुद्राओं के अलावा पाउंड स्टर्लिंग, अमरीकी डालर, जर्मन मार्क और जापानी येन सम्मिलित

थी। भारत सरकार के उक्त निर्णय के अन्तर्गत रिजर्व बैंक विश्व की प्रमुख मुद्राओं को खरीदने एवं बेचने की दरें प्रतिदिन प्रकाशित करता है।

लेकिन पाउंड स्टर्लिंग को "हस्तक्षेप की मुद्रा" (currency of intervention) के रूप में जारी रखने का निर्णय किया गया था। इसके साथ ही भारत सरकार ने रुपये-स्टर्लिंग विनिमय दर को 18:31 रु० प्रति पाउंड स्टर्लिंग पर निर्धारित कर दिया था। 24 सितम्बर, 1975 को रुपये-स्टर्लिंग का सम्बन्ध विच्छेद एवं भारतीय रुपये का मुद्राओं की टोकरी से किया गया गठ-बन्धन, वास्तव में, भारत सरकार का सही निर्णय था। भारतीय रुपये को किसी अन्य मुद्रा से जोड़ना अथवा विदेशी विनिमय बाजार में उसे "तेरने" (float) हेतु खुला छोड़ देना भारत के व्यापक हितों में नहीं था। अतः भारत सरकार का निर्णय देश के हितों के अनुरूप ही था। इसका कारण यह था कि उस समय विश्व के विदेशी विनिमय बाजारों में भारी उथल-पुथल हो रही थी। यहाँ तक कि भारतीय रुपये को विशेष आहरण अधिकारों (अथवा S. D. Rs.) से जोड़ना भी देवहित में नहीं था। भारत के विदेशी व्यापार का स्वरूप उन तेल-निर्यातक देशों के विदेशी व्यापार से भिन्न था जिन्होंने अपनी-अपनी मुद्राओं को S. D. Rs. से जोड़ रखा था।

भारतीय रुपये का पुनर्मूल्यन (Revaluation of the Indian Rupee)

25 सितम्बर, 1975 से लेकर 29 सितम्बर, 1976 तक की एक वर्ष की अवधि में रुपये का भारत सरकार द्वारा आठ बार पुनर्मूल्यन किया गया था। इसे निम्न सारणी द्वारा व्यक्त किया गया है

सारणी 1

तिथि	मध्य दर (रुपये प्रति स्टर्लिंग)	पुनर्मूल्यन (प्रतिशत)
25 सितम्बर, 1975	18 31
5 दिसम्बर, 1975	18 13	1 0
8 मार्च, 1976	17 75	2 1
11 मार्च, 1976	17 25	2 8
3 अप्रैल, 1976	16 90	2 0
23 अप्रैल, 1976	16 50	2 3
29 मई, 1976	16 00	3 0 1
21 सितम्बर, 1976	15 40	3 8
29 सितम्बर, 1976	14 70	4 5

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि एक वर्ष की अवधि में पाउंड-स्टर्लिंग के साथ भारतीय रुपये का 19.7 प्रतिशत पुनर्मूल्यन हुआ था। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि इसी दौरान ब्रिटेन में 13 प्रतिशत वार्षिक की मुद्रा-स्फीति की दर के कारण पाउंड स्टर्लिंग एक कीमती मुद्रा बन चुकी थी। इसी अवधि के दौरान अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में भी भारतीय रुपये की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। पाउंड स्टर्लिंग के साथ रुपये के पुनर्मूल्यन से आयातित वस्तुओं की कीमतों में तानिक सी कमी हुई थी। इसी कारण देश के आन्तरिक कीमत-स्तर में थोड़ी सी स्थिरता आयी थी। आयात सस्ते हो गये थे लेकिन सीमागत से रुपये के पुनर्मूल्यन ने भारतीय निर्यातों की प्रतियोगितात्मक शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला था। सत्य तो यह है कि भारत की निर्यात-स्थिति में पहले की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ था।

भारतीय रुपये की सुधरी हुई स्थिति को निम्न सारणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है :

सारणी 2

(प्रति 100 रु० विदेशी मुद्रा की इकाइयाँ)

विदेशी मुद्रा का नाम	24 सितम्बर 1975	29 सितम्बर, 1976
पाउंड स्टर्लिंग	5 39	6 83
अमरीका डालर	11.02	11.18
जर्मन मार्क	29 48	27 52
जापानी येन	3 347	3 214

भारत की तेजी से सुधरती आर्थिक स्थिति अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में रुपये की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ बना देगी।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, पाउंड स्टर्लिंग भारत की "हस्तक्षेप मुद्रा" है। भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य पाउंड स्टर्लिंग के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने भारतीय रुपये के पाउंड स्टर्लिंग से इस विशेष सम्बन्ध का विरोध किया है। उनका कहना है कि यदि रुपये का पाउंड स्टर्लिंग से यह विशेष सम्बन्ध जारी रहता है (अथवा पाउंड स्टर्लिंग 'हस्तक्षेप मुद्रा' बना रहता है) तो समय-समय पर रुपये का पुनर्मूल्यन करना पड़ेगा (स्मरण रहे, एक वर्ष की उपर्युक्त अवधि में भारतीय रुपये का आठ बार पुनर्मूल्यन किया गया था।) इसके अतिरिक्त, पाउंड स्टर्लिंग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इसका भविष्य कोई अधिक उज्ज्वल प्रतीत नहीं होता। अतः भविष्य में भारतीय रुपये के और अधिक पुनर्मूल्यन करने से देश के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः यह सुझाव दिया गया है कि पाउंड स्टर्लिंग को भारत की 'हस्तक्षेप मुद्रा' न माना जाय और भारतीय रुपये का इसके साथ विशेष सम्बन्ध तुरन्त समाप्त कर दिया जाये।

इसके विपरीत, कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि भारतीय रुपये का पाउंड स्टर्लिंग के साथ विशेष सम्बन्ध बनाये रखा जाय। इससे कई लाभ हैं। प्रथम, पाउंड स्टर्लिंग के साथ भारतीय रुपये का गठबन्धन परम्परागत, ऐतिहासिक है। निरन्तरता के हित में इस सम्बन्ध को बनाये रखा जाये। दूसरे, लन्दन का मौद्रिक बाजार विश्व का सबसे अधिक सगठित एवं कुशल बाजार है। विश्व के इस महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्र के साथ सम्पर्क बनाये रखना स्वयं भारत के ही हित में है। तीसरे, भारत की निर्यात-आय का बहुत बड़ा भाग पाउंड स्टर्लिंग के रूप में ही प्राप्त होता है। अतः पाउंड स्टर्लिंग को भारत की "हस्तक्षेप मुद्रा" बनाये रखने में ही देश का हित है क्योंकि लन्दन बाजार में विदेशी मुद्रा को परिवर्तित करने की लागत कम बैठती है।

इन परिस्थितियों में भारत की वर्तमान विनिमय दर प्रणाली ही उपयुक्त प्रतीत होती है। इस समय भारतीय रुपये का गठबन्धन उन देशों की मुद्राओं की टोकरी (basket of currencies) से किया गया है जिनका भारत के विदेशी व्यापार में प्रमुख स्थान है। पाउंड स्टर्लिंग भारत की "हस्तक्षेप मुद्रा" है। वास्तव में, यह वर्तमान प्रणाली भारत के लिये सर्वोत्तम प्रणाली है। इससे देश को अनेक लाभ हुए हैं।

(8) विनिमय निधि में वृद्धि (Swelling Exchange Reserves)—सन् 1976-77 में भारत के विदेशी विनिमय साधनों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। दिसम्बर, 1976 में भारत की विदेशी विनिमय निधि में, 2 286 करोड़ रु० के तुल्य विदेशी मुद्राएँ थी जो कि एक रेकार्ड था। सन् 1975 की तुलना में यह राशि तीन गुना अधिक थी। वास्तव में, भारत के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी क्योंकि विगत दो दशकों में भारत विदेशी मुद्रा के अभाव से घुट्टी तरह पीड़ित था। देश की विदेशी विनिमय निधि के इस अप्रत्याशित प्रसार के मुख्य कारण निम्न-लिखित हैं।

(1) सन् 1976-77 में आन्तरिक एवं विदेशी बाजारों में भारतीय रुपये के मूल्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। इसके ही कारण विदेशी विनिमय निधि में वृद्धि हुई थी। इस वर्ष देश में रेकार्ड खाद्य उत्पादन हुआ था। औद्योगिक उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई थी। इसके

साथ ही साथ भारत सरकार ने कुछ प्रभावी स्फीति-विरोधी कदम भी उठाए थे। इन सर्वका परिणाम यह हुआ था कि भारतीय रुपये के आन्तरिक मूल्य में वृद्धि हो गई थी। इसका प्रभाव रुपये के विदेशी मूल्य पर भी पड़ा था। इस अवधि में रूढ़िया पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में पर्याप्त सुदृढ़ हो गया था। अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में रुपये की सुदृढ़ स्थिति के कारण देश की विदेशी विनिमय निधि में वृद्धि हो गयी थी।

(ii) इस अवधि में भारत की निर्यात आय में आकस्मिक वृद्धि हो गई थी। भारत के निर्यातों का मूल्य उच्चतम सीमा अर्थात् 3,943 करोड़ रु० पर पहुँच चुका था। कच्चे तौले, अल्युमिनियम, इस्पात एवं अन्य गैर परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापक कार्यक्रम बनाये गये थे।

(iii) इस अवधि में पहले से प्राप्त की गई विदेशी सहायता का अधिक गहन उपयोग किया गया था जिससे देश की विदेशी विनिमय निधि पर पड़ने वाला बोझ कम हो गया था। इससे भुगतान-सन्तुलन की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ था।

(iv) इस अवधि में (अर्थात् 1976-77) में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने पहले से कहीं अधिक धनराशि अपने सगे सम्बन्धियों को भारत में भेजी थी। वास्तव में, इस मद में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। तीन वर्ष पूर्व यह राशि प्रति वर्ष 200 करोड़ रु० के लगभग थी लेकिन सन् 1976-77 में यह बढ़कर 600 करोड़ रु० हो गई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि इस अवधि में भारत सरकार ने तस्करों (Smugglers) के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की थी जिससे तस्कर व्यापार बहुत कम हो गया था और विदेशी मुद्रा का प्रवाह बंद गया था। इसके अलावा, विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रोत्साहित किया गया था कि वे अधिकाधिक धनराशि भारत को भेजें।

अब यह अत्यंत आवश्यक है कि इन मूल्यवान विदेशी विनिमय साधनों का उपयोग बड़ी सावधानी से किया जाये। गैर-जरूरी उपभोग्य वस्तुओं का आयात करने में इनका अपव्यय न किया जाय। जहाँ तक सम्भव हो इनका उपयोग बच्चे साल एवं मशीनों आदि का आयात करने में किया जाय ताकि देश के औद्योगिक विकास में सहायता मिले।

साम्राज्य डालर कोष (Empire Dollar Pool)—दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मॉरिट्रिक क्षेत्र में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वह साम्राज्य डालर कोष की स्थापना थी। दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व लगभग सभी देश अपने विदेशी विनिमय कोषों को स्टर्लिंग के रूप में लेन्दन में रखा करते थे। इसका कारण यह था कि उस समय लन्दन विश्व का एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र (financial centre) हुआ करता था और इसी नाते ब्रिटेन को स्टर्लिंग मुद्रा विश्व की सभी मुद्राओं में पूर्णतः परिवर्तनशील हुआ करती थी। इसी कारण विश्व के अधिकांश देश अपने विदेशी विनिमय कोष लन्दन में ही रखना पसन्द करते थे। परन्तु युद्ध के छिड़ने के बाद कुछ नष्टिनाश उत्पन्न हो गयी और स्टर्लिंग मुद्रा की अन्य मुद्राओं में स्थान परिवर्तनशीलता समाप्त हो गयी। इसका मुख्य कारण डालर जैसी कुछ मुद्राओं की भारी कमी का होना था जिससे परिणामस्वरूप स्टर्लिंग को डालर में परिवर्तित करना कठिन हो गया था। इस प्रकार स्टर्लिंग को डालर एवं अन्य दुर्लभ मुद्राओं में परिवर्तित करने की कठिनाई को दूर करने तथा दुर्लभ मुद्राओं का समुचित उपयोग करने के लिए सन 1939 में साम्राज्य डालर कोष की लन्दन में स्थापना की गयी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों ने इस कोष का सदस्य बनना स्वीकार कर दिया था।

इस कोष का प्रबन्ध एब मचलन बैंक ऑफ इंग्लैण्ड तथा ब्रिटिश ट्रेजरी द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों को अपने निर्यातों के बदले में प्राप्त हुई विदेशी मुद्राएँ इस कोष में जमा करनी पड़ती थी और उनके बदले में उनको स्टर्लिंग में भुगतान किया जाता था। उदाहरणार्थ, यदि भारत अमरीका को कुछ माल भेजता था तो उसका अमरीकी डालरों में प्राप्त होने वाला भुगतान भारत को साम्राज्य डालर कोष में जमा करना पड़ता था और उसके बदले भारत को स्टर्लिंग के रूप में भुगतान कर दिया जाता था। इस प्रकार साम्राज्य के सभी देशों द्वारा अर्जित किया गया विदेशी विनिमय साम्राज्य डालर कोष में जमा कर दिया जाता था। यदि साम्राज्य के देशों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दुर्लभ मुद्राओं की आवश्यकता पड़ती

धीं तो वे इस प्रकार की मुद्राएँ साम्राज्य डालर कोप से प्राप्ता कर सकते थे। कूँकि इस कोप में सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्रा डालर थी, इसलिए इसकी साम्राज्य डालर कोप का नाम दिया गया था। परन्तु स्मरण रहे कि डालरों के उपयोग के सम्बन्ध में विभिन्न देशों का कोई कोटा निश्चित नहीं किया गया था अर्थात् सदस्य देश कोप में से दुर्लभ मुद्राएँ अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ले सकते थे। परन्तु इन दुर्लभ मुद्राओं का अपभ्रय नहीं किया जाता था। केवल अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए ही साम्राज्य डालर कोप से दुर्लभ मुद्राएँ प्राप्त की जाती थी। इस प्रकार साम्राज्य डालर कोप का मुख्य उद्देश्य युद्ध के सफल संचालन के लिए दुर्लभ मुद्राओं का किफायतपूर्ण उपयोग करना था।

जैसा ऊपर कहा गया है सन् 1939 में भारत भी इस कोप का महत्त्वपूर्ण सदस्य बन गया था। सन् 1939 से लेकर सन् 1946 तक भारत ने लगभग 450 करोड़ रुपये के मूल्य का विदेशी विनिमय इस कोप में जमा किया था और लगभग 240 करोड़ रुपये के मूल्य के डालर तथा लगभग 51 करोड़ रुपये के मूल्य की अन्य दुर्लभ मुद्राओं को इस कोप में से निकाला था। आलोचकों द्वारा कहा जाता है कि साम्राज्य डालर कोप के राशियों का उपयोग अधिकांशतः ब्रिटेन के हित में ही किया गया था। भारत को इस कोप में से उतका उचित हिस्सा नहीं मिल सका था। इस प्रकार समय रूप में भारत को साम्राज्य डालर कोप की सदस्यता से लाभ के स्थान पर हानि अधिक हुई थी। अतः सन् 1947 में भारत इस कोप से अलग हो गया। अब भारत अपने डालर उपार्जनों (Dollar Earnings) को व्यय करने में पूर्णतः स्वतन्त्र है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. द्वितीय महायुद्ध का भारतीय मुद्रा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा? वर्णन कीजिए।

(सागर, 1957)

[संकेत—यहाँ पर यह बताइए कि दूसरे महायुद्ध का भारत की मुद्रा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा था? युद्धकाल में मौद्रिक क्षेत्र में होने वाली मुख्य-मुख्य घटनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए और संक्षेप में यह भी बताइए कि भारत सरकार द्वारा विदेशी विनिमय के क्षेत्र में विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए क्या क्या कदम उठाये गये थे।]

2. भारतीय मुद्रा तथा चलन के इतिहास में दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद के काल में होने वाली प्रमुख घटनाओं की विवेचना कीजिए।

(आगरा, 1962)

अथवा

सन् 1947 से सन् 1960 के बीच की भारतीय मुद्रा व्यवस्था को प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

(आगरा, 1964)

[संकेत—युद्धोत्तरकाल में मौद्रिक क्षेत्र में होने वाली प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार थीं—रुपये-स्टलिंग का सम्बन्ध विच्छेद, बड़े मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण, भारतीय रुपये का अवमूल्यन, दशमिक प्रणाली का अपनाया जाना, घाटे की अर्थ-व्यवस्था, मुद्रा स्फीति इत्यादि। इन सबका यहाँ पर विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।]

3. भारत की वर्तमान चलन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

(नागपुर, 1958, इन्दौर, 1968)

अथवा

भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली की संक्षेप में विवेचना कीजिए।

(राजस्थान, 1971)

[संकेत—यहाँ पर यह बताइए कि भारत की वर्तमान चलन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं (क) देश में स्वर्ण समतमान प्रणाली का होना। (ख) आन्तरिक मुद्रा में रुपये के सिक्कों, छोटे सिक्कों तथा कागजी नोटों का होना। (ग) भारतीय रुपये का स्वर्ण से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना। (घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोप की सदस्यता। (ङ) विनिमय नियन्त्रण की क्रियाशीलता इत्यादि।]

भारतीय रुपये का अवमूल्यन (1) (Devaluation of the Indian Rupee-1)

अवमूल्यन का अर्थ


अवमूल्यन से अभिप्राय देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में मूल्य कम कर देने से होता है, अर्थात् विदेशी मुद्राओं के रूप में देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम कर दिया जाता है। परिणामतः देश की मुद्रा की क्रय शक्ति विदेशी मुद्राओं के रूप में कम हो जाती है। इससे देश के निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि अवमूल्यन करने वाले देश की वस्तुएँ उन सभी देशों में सस्ती हो जाती हैं जिनकी मुद्राओं का अवमूल्यन नहीं किया जाता। इसके साथ ही साथ अवमूल्यन करने वाले देश के आयातों में कमी हो जाती है, क्योंकि उस देश में विदेशी माल महँगा हो जाता है। संक्षेप में अवमूल्यन से देश के निर्यात बढ़ जाते हैं किन्तु आयात कम हो जाते हैं। परिणामतः देश का भुगतान-असंतुलन दूर हो जाता है।

मुद्रा अवमूल्यन के परिणामस्वरूप साधारणतः देश के निर्यात बढ़ जाते हैं और आयात कमी कम हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए भारत अमरीका के साथ विनिमय दर 1 रु० = 13 सेण्ट से घटाकर 1 रु० = 10 सेण्ट कर देता है। इससे भारतीय निर्यात अमरीका में सस्ते हो जायेंगे क्योंकि अब अमरीकी आयातकर्ता 10 सेण्ट व्यय करके भारत से उतना ही माल खरीद सकता है जितना कि पहले वह 13 सेण्टों से खरीदा करता था। इसके विपरीत, विनिमय दर घटने से अब अमरीकी आयात भारत के लिए महँगे हो जायेंगे। इसका कारण यह है कि पहले तो भारतीय आयातकर्ता 1 रु० व्यय करके 13 सेण्ट का माल अमरीका से खरीद सकता था। अब वह 1 रु० से केवल 10 सेण्ट का माल ही खरीद सकता है। इस प्रकार देश के भुगतान-असंतुलन की प्रतिकूलता को दूर अथवा कम करने के लिए मुद्रा-अवमूल्यन का प्रयोग साधारणतः लाभदायक सिद्ध होता है।

यह ठीक है कि मुद्रा अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश के निर्यात बढ़ जाते हैं। लेकिन अवमूल्यन के फलस्वरूप देश के निर्यातों में जिस मात्रा में वृद्धि होती है वह उस देश के द्वारा निर्यात किये गये माल की विदेशी माँग की लोच पर निर्भर करता है। अर्थात् यह इस बात पर निर्भर करता है कि विदेशियों की उस देश की माल के प्रति माँग बेलाच है अथवा लोचपूर्ण है। यदि विदेशियों की माँग बेलाच है तब तो अवमूल्यन के परिणामस्वरूप उस देश के निर्यात नहीं बढ़ सकेंगे अथवा कम मात्रा में बढ़ सकेंगे। इसके विपरीत, यदि माँग लोचपूर्ण है तो अवमूल्यन के फलस्वरूप देश के निर्यात अधिक मात्रा में बढ़ सकेंगे।

वास्तव में, मुद्रा-अवमूल्यन के दो प्रभाव हो सकते हैं (1) ऋणात्मक प्रभाव (negative effect), (2) धनात्मक प्रभाव (positive effect)। यदि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश के निर्यात विनिमय दर में कमी से कम अनुपात में बढ़ते हैं, तो अवमूल्यन का प्रभाव ऋणात्मक होता है। उदाहरणार्थ, यदि मुद्रा का 10 प्रतिशत अवमूल्यन करने पर निर्यात केवल 5 प्रतिशत ही बढ़ते हैं, तो अवमूल्यन का प्रभाव ऋणात्मक होगा। इसके विपरीत, यदि अवमूल्यन

के फलस्वरूप देश के निर्यात विनिमय-दर में की गयी कमी से अधिक अनुपात में बढ़ते हैं तो अवमूल्यन का प्रभाव घनात्मक होगा। उदाहरणार्थ, यदि मुद्रा का 10 प्रतिशत अवमूल्यन करने पर निर्यात 15 प्रतिशत बढ़ जाते हैं तो निर्यात ही अवमूल्यन का प्रभाव घनात्मक होगा। मुद्रा-अवमूल्यन के घनात्मक एवं ऋणात्मक प्रभावों को इस रेखाकृति द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है।



उपरोक्त रेखाकृति में, अवमूल्यन से पूर्व विनिमय-दर क अ है, निर्यात अ च है और निर्यातों का कुल मूल्य अ च ख क है। अवमूल्यन के फलस्वरूप अब विनिमय दर क₁ अ हो गयी है, निर्यात बढ़कर अ छ हो गये हैं और निर्यातों का कुल मूल्य अ छ घ क₁ हो गया है। यदि क क₁ ग ख आयात का क्षेत्रफल ग च छ घ आयात के क्षेत्रफल से कम है तो अवमूल्यन का प्रभाव घनात्मक होगा। इसके विपरीत, यदि क क₁ ग ख आयात का क्षेत्रफल ग च छ घ आयात के क्षेत्रफल से अधिक है तो अवमूल्यन का प्रभाव ऋणात्मक होगा।

अवमूल्यन के उद्देश्य

अवमूल्यन के दो मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं

(1) भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर अथवा कम करना—यदि किसी देश का भुगतान सन्तुलन लम्बे समय से प्रतिकूल चला आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस देश के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने के विवाय और कोई चारा नहीं है। अवमूल्यन से वह देश अपने आयातों को कम कर सकता है और निर्यातों को बढ़ा सकता है तथा इस प्रकार भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर अथवा कम कर सकता है।

(2) राशिपातन पर रोक—जब किसी देश में कोई दूसरा देश अपना माल उत्पादन सागत से भी कम मूल्य पर बेचता है तब इसे राशिपातन (Dumping) कहते हैं। राशिपातन का उद्देश्य एक देश के द्वारा दूसरे देश के उद्योग घरानों को नष्ट करना होता है। अतएव जिस देश में राशिपातन किया जा रहा है उस देश के लिए इसे रोकना अत्यन्त आवश्यक होता है। राशिपातन को प्रायः देश की मुद्रा के अवमूल्यन द्वारा रोक जाता है। जैसा ऊपर कहा गया है—अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश के आयात महँगे हो जाते हैं और इस प्रकार राशिपातन स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

अवमूल्यन की परिसीमाएँ (Limitations of Devaluation)

अवमूल्यन की नीति की परिसीमाएँ निम्नलिखित हैं

(1) किसी देश द्वारा अपनायी गयी अवमूल्यन की नीति तभी सफल हो सकती है जबकि अन्य देश इस नीति का आश्रय न लें। दूसरे शब्दों में, यदि कोई देश अवमूल्यन की नीति अपनाता है परन्तु उसकी देखा देखी अन्य देश भी अवमूल्यन की नीति अपना लेते हैं तब ऐसी परिस्थितियों में उस देश को कोई लाभ नहीं होगा। इसका कारण स्पष्ट है। इस दशा में, चूंकि अन्य देशों की मुद्राओं का भी अवमूल्यन हो जाता है, इसलिए उस देश को विशेष लाभ नहीं हो सकता।

(2) किसी देश द्वारा अपनायी गयी अवमूल्यन की नीति उसी परिस्थिति में सफल हो सकती है जबकि निर्यात-वस्तुओं (Export Commodities) की कीमतें — उन से पूर्व की कीमतों से अधिक न हों। उदाहरणार्थ, यदि अवमूल्यन के बाद निर्यात-वस्तुओं की कीमतें उत्पादकों

द्वारा बढ़ा दी जाती हैं तो ऐसी परिस्थिति में देश के निर्यातों में कोई वृद्धि नहीं हो सकेगी और इस प्रकार अवमूल्यन का उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा।

(3) अवमूल्यन से अन्य देशों का उस देश की मुद्रा में से विश्वास उठ जाता है अथवा कम हो जाता है। अन्य देश उस देश से अपने आयातों को इस आशा में स्थगित करते चले जाते हैं कि आगे चलकर उस मुद्रा का और अधिक अवमूल्यन होगा। इस प्रकार उस देश के निर्यातों पर अवमूल्यन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सन् 1949 में स्टर्लिंग का अवमूल्यन (Devaluation of the Sterling in 1949)

ब्रिटेन के चांसलर ऑफ एक्साचेकर (Chancellor of Exchequer) सर स्टैफर्ड क्रिप्स (Sir Stafford Cripps) ने 18 सितम्बर 1949 को ब्रिटिश स्टर्लिंग का अवमूल्यन करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार स्टर्लिंग का डालर मूल्य 30.5 प्रतिशत घटा दिया गया था। परिणामतः स्टर्लिंग का डालर मूल्य 4.03 डालर से घटाकर 2.80 डालर निश्चित कर दिया गया था। ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए अन्य कई देशों ने उसी अनुपात में अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया था। इन देशों के नाम इस प्रकार हैं—आस्ट्रेलिया, बर्मा, लडा, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, डेनमार्क, नीदरलैंड, आइसलैंड, नार्वे, मिस्र तथा यूनान।

स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण—स्टर्लिंग का अवमूल्यन निम्नलिखित दो कारणों से किया गया था :

(1) अमरीका में आयातों में वृद्धि—दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन तथा अन्य देशों में बड़े पैमाने पर विनाश (destruction) हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप युद्धोत्तरकाल में इन देशों में पूंजीगत माल की बहुत कमी हो गयी थी। अतः इन देशों ने युद्ध के उपरान्त अमरीका से बड़े पैमाने पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया था।

(2) अमरीका को निर्यातों में कमी—युद्धोत्तरकाल में स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के अमरीका को निर्यात बहुत कम हो गये थे। इसके दो कारण थे—प्रथम, युद्ध के कारण स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों की उत्पादन शक्ति बहुत कम हो गयी थी। अतः ये देश अमरीका को अधिक माल भेजने की स्थिति में नहीं थे। दूसरे युद्धकाल में अमरीका की उत्पादन शक्ति में महान वृद्धि हुई थी। फलतः अमरीका अपनी कच्चे माल सम्बन्धी लगभग सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने में समर्थ हो गया था। इन कारणों से स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के अमरीका को निर्यात कम हो गये थे।

इस प्रकार एक ओर तो स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों के अमरीका से आयात बढ़ गये थे और दूसरी ओर इन देशों से अमरीका को निर्यात कम हो गये थे। इस प्रकार इन देशों के लिए डालर संकट (Dollar Crisis) उत्पन्न हो गया था। जबकि समूचे स्टर्लिंग क्षेत्र का डालर घाटा सन् 1946 में 226 मिलियन पौण्ड था तब सन् 1947 में यह घाटा बढ़कर 1024 मिलियन पौण्ड हो गया था। सन् 1949 में तो यह डालर संकट और भी भीषण हो गया था। कुछ समय तक तो ब्रिटेन इस डालर संकट को अमरीका से ऋण लेकर टालता रहा परन्तु एक स्थिति ऐसी आ गयी जब उसके लिए अमरीका से ऋण लेकर भी भ्रष्टाचार की प्रतिकूलता को कम करना असम्भव-सा हो गया था। परिणामतः 18 सितम्बर, 1949 को ब्रिटिश सरकार ने पौण्ड का अवमूल्यन करने का निश्चय किया था।

भारतीय रुपये का अवमूल्यन

जैसा ऊपर कहा गया है, ब्रिटिश सरकार ने 18 सितम्बर, 1949 को स्टर्लिंग का अवमूल्यन कर दिया था। ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए 24 घण्टे बाद अर्थात् 19 सितम्बर, 1949 को भारत सरकार ने भी रुपये के अवमूल्यन की घोषणा कर दी थी। भारत सरकार ने भी रुपये का उसी अनुपात में अवमूल्यन किया जिसमें ब्रिटेन ने स्टर्लिंग का किया था। यही कारण है कि अवमूल्यन के पश्चात् भी रुपये का स्टर्लिंग मूल्य 1 ग्विनिंग 6 पेंस पर ही स्थिर रहा। अवमूल्यन के पश्चात् भारतीय रुपये जो पहले 30.225 अमरीकी सेण्ट के बराबर हुआ करता था, अब घटाकर 21 सेण्ट के बराबर कर दिया गया। भारतीय रुपये का स्वर्ण मूल्य भी 0.268601 ग्राम से घटाकर

0-18662 ग्राम कर दिया गया था। अवमूल्यन से पूर्व अमरीका का 1 डालर भारत के 3 रुपये 31 पैसे के बराबर हुआ करता था। परन्तु अवमूल्यन के पश्चात् यही डालर 4 रुपये 76 पैसे के बराबर हो गया था।

भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण—स्टलिंग के अवमूल्यन के समय भारतीय रुपया एक स्वतन्त्र मुद्रा थी, अर्थात् स्टलिंग से इसका कोई वैधानिक सम्बन्ध नहीं था। अतएव स्टलिंग के अवमूल्यन के साथ भारतीय रुपये का अवमूल्यन करना अनिवार्य नहीं था। परन्तु फिर भी भारत सरकार ने ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए रुपये का अवमूल्यन कर दिया था। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे :

(1) **भारत की स्टलिंग क्षेत्र की सदस्यता—**यद्यपि 8 अप्रैल, 1947 को भारतीय रुपये का स्टलिंग से सम्बन्ध टूट चुका था तथापि भारत स्टलिंग क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता था। 18 सितम्बर, 1949 को जब स्टलिंग क्षेत्र के लगभग सभी सदस्यों ने अपनी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया था तब परिस्थितिवश भारत को भी इन देशों का अनुसरण करना आवश्यक हो गया था।

(2) **भारत का डालर संकट—**ब्रिटेन की भाँति भारत भी बुरी तरह से डालर संकट से पीड़ित था। युद्धोत्तरकाल में अमरीका के प्रति भारत का भुगतान-सन्तुलन बराबर विपक्ष में चला आ रहा था। इसका कारण यह था कि युद्धोत्तरकाल में अमरीका से भारत के आयातों में भारी वृद्धि हुई थी जबकि निर्यात उही मात्रा में नहीं बढ़ाये जा सके थे। परिणामतः भारत का भुगतान सन्तुलन विपक्ष में हो गया था और भारत के सामने डालर संकट की समस्या उत्पन्न हो गयी थी। सन् 1949 में डालर संकट ने अत्यन्त गम्भीर रूप धारण कर लिया था। भारत सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए नई कदम उठाये थे। उदाहरणार्थ, भारत सरकार ने स्टलिंग-निधि से कुछ स्टलिंग को डालरों में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष से रुपये के बदले में डालर सहीये, विश्व बैंक से डालर ऋण प्राप्त किये और अमरीका से भी विभिन्न समझौतों के अन्तर्गत डालर सहायता प्राप्त की। परन्तु इन सब प्रयत्नों के बावजूद भारत का डालर घाटा बराबर चलता रहा। अतः भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि अवमूल्यन के बिना डालर घाटे को काटना सम्भव नहीं था। इसीलिए भारत सरकार ने 19 सितम्बर, 1949 को रुपये का अवमूल्यन करने का निश्चय किया था।

(3) **भारत का स्टलिंग क्षेत्र व्यापार—**उक्त समय भारत का लगभग 75 प्रतिशत विदेशी व्यापार स्टलिंग क्षेत्र के देशों से था। इसलिए यदि भारत रुपये का अवमूल्यन न करता तो ऐसी परिस्थिति में स्टलिंग क्षेत्र के इन देशों में भारत का माल महँगा हो जाता। परिणामतः भारत के विदेशी व्यापार में कमी हो जाती।

(4) **भारत का अमरीका से व्यापार—**यदि भारत रुपये का अवमूल्यन न करता तो अवमूल्यन करने वाले स्टलिंग क्षेत्र के देशों के माल की तुलना से भारतीय माल अमरीका के लिए महँगा हो जाता। इससे भारत के अमरीका को जाने वाले निर्यातों में और भी कमी हो जाती।

(5) **भारत के स्टलिंग पावनों के मूल्य में कमी—**उक्त समय भारत की स्टलिंग निधि में लगभग 1,733 करोड़ रुपये की राशि थी। यदि भारत रुपये का अवमूल्यन न करता तो इस स्टलिंग-निधि का मूल्य कम हो जाता। इसका कारण यह था कि ब्रिटेन ने तो स्टलिंग का अवमूल्यन कर दिया था और यदि भारत रुपये का अवमूल्यन न करता तो रुपये की विनिमय दर 1 शिलिंग 6 पैसे से ऊपर चली जाती। परिणामतः भारत के स्टलिंग पावनों का मूल्य कम हो जाता।

(6) **भारत का कीमत-स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा—**सन् 1949 में भारत में अत्यधिक मुद्रा स्थिति के कारण देश का कीमत-स्तर अन्य देशों की अपेक्षा ऊँचा था। यदि भारत रुपये का अवमूल्यन नहीं करता तो भारत की वस्तुएँ अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में अवमूल्यन करने वाले देशों की वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर सकती थी। अतएव अन्तरराष्ट्रीय बाजारों को भारतीय माल के लिए सुरक्षित रखने हेतु रुपये का अवमूल्यन करना अनिवार्य हो गया था।

रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव—रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव इस प्रकार थे :

(1) भुगतान-सन्तुलन की अनुकूलता—रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत के भुगतान-सन्तुलन में प्रतिकूलता के स्थान पर अनुकूलता हो गयी। जबकि सन् 1949 में भारत के कुल निर्यातों का मूल्य लगभग 525 करोड़ रुपये था तब सन् 1950 में यह बढ़कर 540 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार, जबकि सन् 1949 में भारत के कुल आयातों का मूल्य लगभग 628 करोड़ रुपये था तब सन् 1950 में यह घटकर लगभग 500 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार, जबकि सन् 1949 में भारत के भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता लगभग 196 करोड़ रुपये थी, तब सन् 1950 में इसकी अनुकूलता लगभग 92 करोड़ रुपये के बराबर हो गयी। सन् 1949 में स्टालिन क्षेत्र से भारत का कुल घाटा 46 करोड़ रुपये का था, परन्तु सन् 1950 में यह घाटा लगभग 60 करोड़ रुपये की बचत में परिवर्तित हो गया। इसी तरह सन् 1949 में अमरीका से भारत के व्यापार-सन्तुलन का घाटा 56 करोड़ रुपये का था; परन्तु सन् 1950 में यह घाटा 29 करोड़ रुपये की बचत में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत के भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता ने पर्याप्त सुधार हो सका। (परन्तु स्मरण रहे कि भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता का उक्त सुधार पूर्णतः अवमूल्यन के कारण ही नहीं हुआ था। कुछ अन्य कारण भी कार्यशील थे।)

(2) कीमत-स्तर में वृद्धि—अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत के कीमत-स्तर में काफी वृद्धि हुई। डालर क्षेत्र से आयात किये गये माल की कीमतें अवमूल्यन के कारण लगभग 44 प्रतिशत बढ़ गयीं। इसी के कारण स्टालिन क्षेत्र से आने वाले माल और देश में उत्पादित माल की कीमतें भी बढ़ गयीं। इसके अतिरिक्त, भारत के बड़े हुए निर्यातों के कारण भी देश में आवश्यक वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो गया था। परिणामतः भारत के कीमत स्तर में और भी अधिक वृद्धि हुई थी।

(3) औद्योगिक उत्पादन की कमी—रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप देश के औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी हो गयी। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत की भाँति पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन करने से इन्कार कर दिया था। परिणामतः पाकिस्तान से आयात की जाने वाली कपास तथा जूट की कीमतें बढ़ गयी थीं। इससे देश में कपड़ा एवं जूट उद्योग के लिए सकट उत्पन्न हो गया था। पाकिस्तान द्वारा अपने रुपये का अवमूल्यन न करने के कारण भारत-पाकिस्तान व्यापार लगभग ठप्प हो गया था। इसके परिणामस्वरूप कपड़ा एवं जूट के उद्योगों के उत्पादन में भारी कमी हो गयी थी।

(4) देश के आर्थिक विकास में अडचनें—रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप अमरीका से आयात किया गया माल भारत के लिए बहुत महंगा हो गया था। भारत अमरीका से मुख्यतः मशीनों आदि का आयात किया करता था। अवमूल्यन के कारण भारत के लिए अमरीकी मशीनों पहले की अपेक्षा महँगी हो गयीं जिसके परिणामस्वरूप देश के आर्थिक विकास में बाधाएँ उपस्थित हो गयीं।

(5) स्टालिन पावनों के डालर भाग के मूल्य में कमी—रुपये के अवमूल्यन के कारण भारत के स्टालिन पावनों का वह भाग जो डालरों में परिवर्तनीय था, उसका मूल्य लगभग 30.5 प्रतिशत कम हो गया और इस प्रकार भारत को यह आर्थिक क्षति सहन करनी पड़ी।

(6) डालर ऋणों के भार में वृद्धि—भारत ने अमरीका तथा विश्व बैंक से जो डालर ऋण ले रखे थे, रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप उनका बोझ बढ़ गया। इसका कारण यह था कि डालर ऋणों का भुगतान करने के लिए अब पहले से अधिक रुपये की आवश्यकता पड़ती थी। अवमूल्यन से पहले 1 रुपया लगभग 31 सेण्ट के बराबर था, जबकि अवमूल्यन के उपरान्त यह केवल 21 सेण्ट के बराबर ही रह गया था। इस प्रकार भारत द्वारा लिये गये डालर ऋणों का बोझ लगभग 30.5 प्रतिशत बढ़ गया था।

(7) भारतीयों के जीवन-स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ा—अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत के लोगों के जीवन-स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इसका कारण यह था कि रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश में जीवन-निर्वाह-लागत (Cost of Living) बढ़ गयी थी। प्रथम, अमरीका से आयात किये गये खाद्य-पदार्थों की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी थी। दूसरे अवमूल्यन के परिणामस्वरूप सरकार ने उपभोग्य वस्तुओं के आयात पर बड़े प्रकार के प्रतिबन्ध

लगा दिये थे जिसके फलस्वरूप देश में उपभोग्य वस्तुओं का भारी अभाव हो गया था। तीसरे, पाकिस्तान से आयात की गयी कपास का मूल्य बढ़ जाने से सूती कपड़े की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी। इस प्रकार देश में जीवन निर्वाह-लागत अधिक मात्रा में बढ़ गयी थी। परन्तु श्रमिकों एवं वेतन-भोगी वर्गों की मजदूरियाँ तथा वेतन उसी अनुपात में नहीं बढ़े जिसमें जीवन-निर्वाह-लागत बढ़ी थी। परिणामतः देश की अधिकांश जनता के जीवन-स्तर पर अवमूल्यन का बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत की अर्थ व्यवस्था पर कुछ प्रभाव अच्छे पड़े और कुछ बुरे। परन्तु अवमूल्यन के कारण पड़ने वाले अच्छे प्रभाव प्रायः अल्पकालिक ही सिद्ध हुए। उदाहरणार्थ, रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत के भुगतान-सन्तुलन में होने वाली अनुकूलता चिरकालीन सिद्ध न हो सकी और कुछ ही समय बाद भारत का भुगतान सन्तुलन पुनः प्रतिकूल हो गया था।

अवमूल्यन की नीति को अधिक कारगर बनाने के लिए सरकारी उपाय

अवमूल्यन की नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने हेतु भारत सरकार ने 5 अक्टूबर, 1949 को एक अष्टसूत्री योजना (Eight Point Programme) की घोषणा की थी। इसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार थीं :

(1) कीमत-स्तर में कमी—इस योजना का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों तथा अन्य तैयार शुद्ध माल की कीमतों में 10 प्रतिशत कमी करना था।

(2) निवेश को प्रोत्साहन—इस योजना का दूसरा उद्देश्य राष्ट्रीय बचतों को प्रोत्साहन देकर निवेश (investment) की मात्रा में वृद्धि करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के प्रामोण्य क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना था।

(3) विदेशी विनिमय उपाजनों (Earnings) में वृद्धि—इस योजना का तीसरा उद्देश्य दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर अधिक निर्यात कर लगाना था, ताकि उनसे अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय उपाजित की जा सके।

(4) आयातों में कमी—इस योजना का चौथा उद्देश्य यह था कि आयातों में अधिकतम मात्रा में कमी हो जाय ताकि विदेशी विनिमय कम से कम मात्रा में खर्च हो।

(5) सरकारी व्यय में बचत—इस योजना का पाँचवाँ उद्देश्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के व्यय में अधिक से अधिक बचत करना था।

(6) साख सुविधाओं का नियन्त्रण—इस योजना का छठवाँ उद्देश्य कीमतों में सट्टे की प्रवृत्ति को रोकना था। अतएव इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासकीय एवं वैधानिक उपाय अपनाकर साख सुविधाओं का नियन्त्रण करना था।

(7) करों के ऐच्छिक भुगतान की व्यवस्था इस योजना के अन्तर्गत उन उद्योगपतियों को आयकर के भुगतान में कुछ विशेष रियायतें दी गयीं जिन्होंने अपने लाभों (profits) को छिपा कर युद्ध काल में आयकर की बौरी की थी। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य छिपी हुई आय को बाहर निकालकर देश के औद्योगिक विकास में लगाना था।

(8) अधिमूल्यित मुद्रा वाले देशों से कच्चे माल का आयात—इस योजना का अन्तिम उद्देश्य यह था कि अधिमूल्यित मुद्रा वाले देशों से कच्चे माल का आयात करके इसके मूल्यों में कमी करने का प्रयत्न किया जाय।

इस प्रकार सरकार की उक्त अष्टसूत्री-योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक ओर तो इस योजना का उद्देश्य रुपये के अवमूल्यन से आन्तरिक कीमत स्तर की वृद्धि पर नियन्त्रण लगाना और दूसरी ओर इस योजना का उद्देश्य देश में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना था। परन्तु स्मरण रहे कि सरकार की यह अष्टसूत्री-योजना पर्याप्त रूप में सफल न हो सकी।

रुपये का पुनर्मूल्यन
(Revaluation of the Rupee)

सितम्बर 1949 में रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश के कीमत-स्तर में बहुत

वृद्धि हो गयी और इस बढ़ते हुए कीमत-स्तर को नियंत्रित करने हेतु 5 अक्टूबर, 1949 को भारत सरकार ने अष्टसूत्री योजना की घोषणा भी की थी। परन्तु ऊपर जैसा कहा गया है, सरकार की इस योजना को कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी और कीमत-स्तर निरन्तर बढ़ता ही चला गया। परिणामतः अवमूल्यन के लगभग एक वर्ष पश्चात् ही भारत में रुपये के पुनर्मूल्यन की चर्चा शुरू हो गयी। फरवरी 1951 में भारत पाक रुपये की समता स्वीकार कर ली गयी थी। इसके बाद तो रुपये के पुनर्मूल्यन की भाँग और भी तीव्र हो गयी। जुलाई 1951 में डॉ० जॉन मथाई (Dr. John Mathai) ने एक प्रतिद्वि लेख में यह मत व्यक्त किया था कि भारत को रुपये का पुनर्मूल्यन कर देना चाहिए अर्थात् रुपये की विनिमय-दर में वृद्धि कर देनी चाहिए। उन्होंने इसका मुख्य कारण यह बताया था कि सरकार के भरसक प्रयत्नों के बावजूद देश में मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण स्थापित नहीं किया जा सका था। अतएव मुद्रा-स्फीति को प्रभावपूर्ण ढङ्ग से नियंत्रित करने के लिए रुपये के पुनर्मूल्यन के सिवाय अब देश के लिए कोई चारा नहीं था। डॉ० मथाई के इस लेख के उपरान्त तो रुपये के पुनर्मूल्यन के प्रश्न पर देश में एक भारी वाद-विवाद छिड़ गया।

अप्रैल 1951 में भारत के तत्कालीन वित्तमन्त्री डॉ० सी० डी० देशमुख (Dr. C. D. Deshmukh) ने अन्तिम रूप में यह घोषणा कर दी कि भारत सरकार किसी भी दशा में रुपये का पुनर्मूल्यन करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने बताया कि उस समय भारत को विदेशी विनिमय की बहुत अधिक आवश्यकता थी। चूंकि भारत विदेशी मुद्रा आयातों को कम और निर्यातों को बढ़ाकर ही कमा सकता था, इसलिए रुपये का पुनर्मूल्यन करना उचित नहीं था। 31 जुलाई 1955 को पाकिस्तान ने भी अपने रुपये का अवमूल्यन कर दिया था। इसके बाद रुपये के पुनर्मूल्यन की आवश्यकता लगभग समाप्त सी हो गयी और पुनर्मूल्यन का यह विवाद अन्तिम रूप में शान्त हो गया।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1 सितम्बर 1949 में किन कारणों से भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ था? इस अवमूल्यन से भारतीय आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? स्पष्ट समझाइए।
(आगरा, वी० कॉम० 1961)

अथवा

ये कौन-से कारण थे जिन्होंने 1949 में रुपये का अवमूल्यन करने के लिए सरकार को विवश किया था? इसके आर्थिक परिणामों पर प्रकाश डालिये।

(जीवाजी, न्वातिगर, 1971)

[संकेत—प्रथम भाग में, अवमूल्यन का संक्षेप में अर्थ समझाते हुए बताइए कि सितम्बर 1949 में भारत में किन कारणों से रुपये का अवमूल्यन किया था। इस सम्बन्ध में स्टूडिंग के अवमूल्यन की भी संक्षेप में चर्चा कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि रुपये के अवमूल्यन से भारत की अर्थ व्यवस्था पर क्या-क्या प्रभाव पड़े थे।]

- 2 अवमूल्यन के आर्थिक प्रभाव क्या हैं?

(विक्रम, 1969)

[संकेत—अवमूल्यन का अर्थ बताने के पश्चात् आप इसके ऋणपरमक एवं घनात्मक प्रभावों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत कीजिए। इस सन्दर्भ में आपको जून 1966 में किये गये भारतीय रुपये के अवमूल्यन के प्रभावों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करना है। देखिए, अध्याय 28]

28

भारतीय रुपये का अवमूल्यन (१) (Devaluation of the Indian Rupee-2)

जैसा पिछले अध्याय में कहा गया है, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् पहली बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन 19 सितम्बर, 1949 को किया गया था। लगभग 17 वर्ष पश्चात् 6 जून, 1966 को भारतीय रुपये का पुनः अवमूल्यन कर दिया गया। इसकी सूचना 5 जून की मध्यरात्रि को तत्कालीन वित्तमन्त्री श्री शचीन्द्र चौधरी द्वारा एक विशेष रेडियो प्रसारण में दी गयी और कुछ ही घण्टे बाद 6 जून रात के 2 बजे सरकार का यह निर्णय लागू कर दिया गया। सरकार को इस घोषणा के अनुसार भारतीय रुपये का विदेशी मूल्य पुनः निर्धारित किया गया। स्वर्ण के रूप में रुपये का नया मूल्य (new par value) 0.118517 ग्राम सोने के बराबर निश्चित किया गया, जबकि रुपये का पुराना सम मूल्य 0.186621 ग्राम सोने के बराबर था। इस प्रकार स्वर्ण के रूप में रुपये का 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन हो गया। इस अवमूल्यन के परिणामस्वरूप रुपये की डालर के साथ विनिमय-दर इस प्रकार निर्धारित की गयी—1 अमरीकी डालर=7.50 भारतीय रुपये, जबकि पुरानी विनिमय-दर थी—1 अमरीकी डालर=4.76 भारतीय रुपये। इसी तरह रुपये की पौण्ड स्टलिंग के साथ नयी विनिमय-दर 1 ब्रिटिश पौण्ड स्टलिंग=21 भारतीय रुपये निर्धारित की गयी जबकि पुरानी विनिमय-दर थी—1 ब्रिटिश पौण्ड स्टलिंग=13.33 भारतीय रुपये था। लेकिन 18 नवम्बर, 1967 को ब्रिटेन द्वारा पौण्ड का 14.3 प्रतिशत अवमूल्यन किये जाने के पश्चात् अब भारतीय रुपये की पौण्ड स्टलिंग के साथ नयी विनिमय-दर निश्चित की गयी है। 1 ब्रिटिश पौण्ड स्टलिंग 18 भारतीय रुपये के बराबर है। रूबल (Rouble) के साथ भारतीय रुपये की नयी विनिमय-दर 1 रूबल=8.33 रुपये निर्धारित हुई जबकि पुरानी दर 1 रूबल=5.22 रुपये थी। स्वर्ण के रूप में तो भारतीय रुपये का अवमूल्यन 36.1 प्रतिशत ही हुआ था लेकिन विदेशी मुद्राओं के रूप में रुपये का मूल्य 57 प्रतिशत गिर गया था। कहा जाता है कि प्रारम्भ में विश्व बैंक ने भारतीय रुपये का विदेशी मूल्य 75 प्रतिशत कम करने की सिफारिश की थी लेकिन बाद में यह 57 प्रतिशत अवमूल्यन से ही सहमत हो गया था।

वास्तव में, विश्व बैंक तो सन् 1965 से ही भारत सरकार पर यह दबाव डाल रहा था कि वह रुपये का यथाशीघ्र अवमूल्यन कर दे। सन् 1965 में विश्व बैंक के बेल-मिशन (Bell Mission) ने अपनी रिपोर्ट बैंक को प्रस्तुत करते समय इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि रुपये का अवमूल्यन नहीं किया जाता। इसी आधार पर विश्व बैंक निरन्तर भारत सरकार पर दबाव डालता रहा कि रुपये का अवमूल्यन यथाशीघ्र कर दिया जाय लेकिन भारत के भूतपूर्व वित्तमन्त्री श्री कृष्णामाचारी ने सदैव इसका विरोध किया और रुपये का अवमूल्यन नहीं होने दिया। किन्तु ऐसा प्रतीत होता

² दिसम्बर, 1971 में अमरीकी सरकार ने डालर का 7.9 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया था। इस पर भारत सरकार ने भारतीय रुपये का 3 प्रतिशत पुनर्मुल्यन कर दिया। परिणामतः अब 7.79 रुपये एक अमरीकी डालर के बराबर हैं।

है कि विश्व बैंक ने भी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और आलोचकों के अनुसार बैंक ने यह शर्त लगा दी कि जब तक भारत सरकार रुपये का अवमूल्यन नहीं करती तब तक भारत को विदेशी सहायता नहीं दी जायगी। अन्त में भारत सरकार ने विषय होकर बैंक के प्रस्ताव को मान ही लिया यद्यपि रुपये का अवमूल्यन भारत के व्यापक हितों में नहीं था। मार्च 1966 में प्रकाशित की गयी भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में तो स्पष्टतः स्वीकार किया गया था कि रुपये का अवमूल्यन भारत की अर्थ-व्यवस्था के लिये हानिकारक सिद्ध होगा। अन्तिम समय तक भारत सरकार के मन्त्री एव प्रवक्तृगण यही कहते रहे कि रुपये के अवमूल्यन का सरकार का कोई इरादा नहीं है। यहाँ तक कि यह विषय सरकार के विचाराधीन भी नहीं है। लेकिन 6 जून को की गयी सरकारी घोषणा से देशवासी चकित रह गये यद्यपि विदेशों में अवमूल्यन के बारे में चर्चा सन् 1965 से ही हो रही थी। इससे स्पष्ट है कि सरकार का उक्त निर्णय विदेशी दबाव के ही कारण हुआ था।

रुपये के अवमूल्यन की घोषणा करते समय वित्तमन्त्री ने सरकार के कुछ अन्य निर्णयों से भी देशवासियों को अवगत कराया। प्रथम, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयातित खाद्यान्नों, मिट्टी का तेल, रासायनिक साद, डीजल तेल आदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया जायगा। वैसे तो अवमूल्यन के कारण इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ जानी चाहिए लेकिन सरकार यही प्रयास करेगी कि इनकी कीमतें यथासम्भव अवमूल्यन पूर्व स्तर पर ही बनी रहे। इसके लिए सरकार अपनी ओर से उपदान (subsidies) देगी। दूसरे, सभी सत्कालीन निर्यात प्रोत्साहन परियोजनाएँ (export incentive schemes) समाप्त कर दी जायेंगी, अर्थात् अब सरकार अपनी ओर से निर्यातकर्ताओं को निर्यात वृद्धि हेतु उपदान देना बन्द कर देगी क्योंकि अब इनकी आवश्यकता नहीं रही। तीसरे, कुछ निर्यातों पर (जिन्हें अवमूल्यन की आवश्यकता नहीं थी) निर्यात-कर (export duties) लगा दिये जायेंगे। चौथे, आयातों पर लगाये गये प्रति-बन्धों को ढीला कर दिया जायगा और उनके प्रति सरकारी नीति की उदार बना दिया जायगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आयात-करों (import duties) में भी संशोधन किये जायेंगे।

रुपये का अवमूल्यन क्यों किया गया?—वित्त मन्त्री ने अपने रेडियो ब्रॉडकास्ट में अवमूल्यन के कारणों पर भी प्रकाश डाला था। प्रथम, सरकार के अनधिक प्रयासों के बावजूद देश के निर्यातों में वृद्धि नहीं हो रही थी। यद्यपि सरकार निर्यात-वृद्धि हेतु करोड़ों रुपये उपदानों (subsidies) पर व्यय कर रही थी तथापि निर्यात स्तर में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही थी। इसका मुख्य कारण यह था कि भारतीय निर्यातों की कीमतें अन्तरराष्ट्रीय कीमतों से ऊँची थी और सरकारी उपदानों के बावजूद भारतीय निर्यात विदेशी बाजारों में अन्य देशों की वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसके विपरीत, भारी आयात-करों के बावजूद विदेशी माल भारत में भारतीय माल की तुलना में सस्ता बिक रहा था। फलतः आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम (import substitution programme) को क्रियान्वित करने में भारी कठिनाई अनुभव की जा रही थी। दूसरे, आयातों पर पड़े प्रतिबन्धों के कारण भारत के कतिपय उद्योगों को आवश्यक मात्रा में कच्चा माल एव कल पुर्जें उपलब्ध नहीं हो रहे थे, जिसके कारण इन उद्योगों का उत्पादन बहुत गिर चुका था। इनमें से कुछ उद्योग तो पूर्णतः ठप हो चुके थे और शेष अपनी पूर्ण क्षमता तक उत्पादन नहीं कर रहे थे। इससे देश के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिफल प्रभाव पड़ रहा था। तीसरे भारत के भुगतान सन्तुलन (balance of payments) के निरन्तर कई वर्षों तक प्रतिफल रहने के फलस्वरूप देश की विदेशी मुद्रा निधि (foreign exchange reserves) में भारी गिरावट आ चुकी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में इस निधि में लगभग 785 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा थी लेकिन मार्च 1966 में यह गिरकर केवल 184 रुपये के बराबर रह गयी। चौथे, विगत 10 वर्षों में रुपये के आन्तरिक मूल्य में भारी गिरावट आयी थी क्योंकि इस अवधि में कीमत-स्तर में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यद्यपि रुपये के आन्तरिक मूल्य में इतनी गिरावट आयी थी लेकिन इसका बाह्य मूल्य विगत दस वर्षों में अपरिवर्तित ही रहा था। रुपये के आन्तरिक एव बाह्य मूल्य के इस अन्तर के कारण ही बड़े पैमाने पर देश में तस्करी व्यापार (smuggling) हो रहा था जिससे सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही थी। पाँचवें, भारत में विदेशी निवेशकर्ता (foreign investors) अभाव की स्थिति से

लाभ उठाकर भारी मुनाफे कमा रहे थे और अतिमूल्यित रुपये (over valued rupee) के कारण बड़े पैमाने पर उन मुनाफों को विदेशों में भेज रहे थे। इससे देश की विदेशी मुद्रा-निधि पर अनुचित दबाव पड़ रहा था। छुटे, विगत कुछ वर्षों से भारत के अदृश्य उपायजनों (invisible earnings) में भारी गिरावट आ चुकी थी। वित्तमन्त्री के अनुसार उपरोक्त कारणों से स्थिति को यथास्थिर बनाये रखना सम्भव नहीं था। अतः रुपये का अवमूल्यन अनिवार्य हो गया था।

अवमूल्यन के पक्ष में तर्क (Arguments for Devaluation)—सरकार की ओर से अवमूल्यन के समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये थे —

(1) निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन—अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारतीय निवेशकर्ताओं के लिए निर्यात उद्योगों (export industries) का आकर्षण बढ़ जायगा अर्थात् पहले की अपेक्षा भारतीय निवेशकर्ता निर्यात उद्योगों में अधिक पूंजी लगाना पसन्द करेंगे। इससे निर्यात उद्योगों में उत्पादन बढ़ जायगा और निर्यात को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि अवमूल्यन के उपरान्त गैर निर्यात उद्योगों (non-export industries) में कीमती के बढ़ने की ओर भी अधिव सम्भावना है। अतः भारतीय निवेशकर्ताओं के लिए गैर-निर्यात उद्योगों का आकर्षण और भी बढ़ जायगा। घरेलू बाजार में उन्हे किसी भी देश से प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता जबकि अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में उन्हे विभिन्न देशों से स्पर्धा का मुकाबला करना पड़ता है। इस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय बाजारों की तुलना में घरेलू बाजार को वे अब भी वरीयता (preference) देंगे अर्थात् गैर निर्यात उद्योगों का आकर्षण उनके लिए बराबर बना रहेगा और निर्यात उद्योगों में उत्पादन के बढ़ने की कोई विघ्न सम्भावना नहीं होगी।

(2) आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम को बढ़ावा—अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश में आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम (import substitution programme) को वियान्वित करने में बहुमूल्य सहायता मिलेगी। जैना विदित है इस समय भारत सरकार ने एक आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम बना रखा है। इससे अभिप्राय यह है कि विदेशों से मशीनें एवं बल पुर्जें आयात करने के बजाय देश में ही उनका उत्पादन किया जाय। सरकार का कहना है कि अब तक यह कार्यक्रम देश में अधिक प्रगति नहीं कर पाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारी आयात करों के बावजूद विदेशी मशीनें भारतीय मशीनों की तुलना में सस्ती पड़ती हैं। अवमूल्यन के फलस्वरूप विदेशी मशीनें और अधिक महंगी हो जायेंगी और भारतीय मशीनें सुगमता से उनका मुकाबला कर सकेंगी। फलतः आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम को सरलतापूर्वक त्रियान्वित किया जा सकेगा।

चिन्तु इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति तो अन्य तरीकों से भी की जा सकती थी। इसके लिए अवमूल्यन जैसे क्रांतिकारी कदम की क्या आवश्यकता थी? आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम की वियान्वित करने के लिए सरकार विदेशी मशीनों पर और अधिक भारी कर लगाकर उनकी कीमतों को बढ़ा सकती थी। कुछ विशेष प्रकार की मशीनों का आयात पुनः बन्द भी किया जा सकता था, यदि सरकार का उद्देश्य वैसी भारतीय मशीनों को प्रोत्साहन देना था। कहने का तात्पर्य यह है कि आयात प्रतिस्थापन के लिए अवमूल्यन कोई अनिवार्य औपधि नहीं थी।

(3) भारतीय रुपये का मूल्य यथार्थ हो जायगा—इससे भारतीय रुपये को अपना यथार्थ मूल्य (realistic value) प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सरकार के कथनानुसार बाह्य क्षेत्र में भारतीय रुपये का मूल्य यथार्थ नहीं था। अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपया सरकार द्वारा निर्धारित दर से कहीं कम कीमत पर विक्रित रहा था। दूसरे शब्दों में, रुपये की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत वास्तविक नहीं थी। सरकार का दावा है कि अवमूल्यन से भारतीय रुपये का मूल्य अपने सही वास्तविक स्तर पर पहुँच जायगा।

इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था एक नियोजित अर्थ व्यवस्था (Planned Economy) है। नियोजित अर्थ व्यवस्था में कीमत पूर्णतः मौम एवं पूर्ति की शक्तियों की दया पर नहीं छोड़ी जा सकती हैं। उन्हे भी नियोजित करना पड़ता है। मुद्राओं की विनिमय-दर भी एक प्रकार की कीमत ही होती है। अन्य कीमतों की भाँति उते भी बाजारी शक्तियों पर

नहीं छोड़ा जा सकता। यदि रुपये के बाह्य मूल्य को बाजारी शक्तियों के आधार पर ही निर्धारित करना है तो फिर देश के आन्तरिक कीमत स्तर का सरकारी नियन्त्रण रखने की बात क्यों की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा के बाह्य मूल्य को बाजारी-शक्तियों द्वारा निर्धारित नहीं होने दिया जाता। इसके विपरीत, देश का आयोगना आयोग (Planning Commission) देशी मुद्रा का बाह्य मूल्य इस ढंग से निर्धारित करता है कि उससे अर्थ-व्यवस्था को अधिकतम लाभ होता है।

(4) बेश का उत्पादन बढ़ेगा—सरकार का दावा है कि अवमूल्यन से देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा और स्फीति का मुकाबला करने में बहुमूल्य सहायता मिलेगी। कहा जाता है कि इस समय देश में अनेक उद्योग ऐसे हैं जो कच्चे माल एवं कल पुर्जों के अभाव के कारण अपनी पूर्ण क्षमता तक उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ उद्योग तो ऐसे हैं जिनमें उत्पादन कार्य पूर्णतः ठप्प हो चुका है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप ये उद्योग-धन्धे विदेशों से कच्चा माल, कल पुर्जों आदि का सरलतापूर्वक आयात कर सकेंगे। इस तरह औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। इनमें से कुछ उद्योग तो विदेशों को भी माल निर्यात करते हैं। इससे निर्यातों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

लेकिन इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि कच्चे माल एवं कल पुर्जों का आयात तो बिना अवमूल्यन के भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। यदि ऐसी वस्तुओं के आयात पर सरकार आयात-कर हटा देती है अथवा कम कर देती है और आयातकर्ताओं को माल आयात करने हेतु पर्याप्त विदेशी मुद्रा मुहैया करती है तो निश्चय ही इन वस्तुओं के आयात में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए अवमूल्यन जैसे दूरगामी कदम उठाने की क्या आवश्यकता है।

(5) भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ेगा—सरकार के कथनानुसार अवमूल्यन का एक अन्य लाभ यह होगा कि इसके फलस्वरूप विदेशों से भारत की ओर प्रेषणाएँ (remittances) प्रोत्साहित होंगी और भारत से विदेशों की ओर प्रेषणाएँ निरूत्साहित होंगी। अर्थात् विदेशों से भारत की ओर पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा लेकिन भारत से पूंजी का बहिर्गमन हतोत्साहित होगा। विदेशी पूंजीपतियों के लिए भारत में पूंजी लगाना लाभदायक हो जायगा और पहले की अपेक्षा वे भारत में अधिक पूंजी लगा सकेंगे। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अवमूल्यन से पूर्व एक अमरीकी निवेशकर्ता 1 डालर से भारत में 4 76 रु० की पूंजी लगा सकता था। अब अवमूल्यन के फलस्वरूप उसी एक डालर से वह भारत में 7 50 रु० की पूंजी लगा सकता है। दूसरे शब्दों में, विदेशी निवेशकर्ताओं की पूंजी का रुपया मूल्य (rupee value) बढ़ जायगा। इससे आकर्षित होकर वे भारत में अधिकाधिक मात्रा में पूंजी लगायेंगे।

लेकिन हमारा विगत अनुभव हमें बताता है कि विदेशी पूंजीपति केवल अवमूल्यन के तत्कालिक लाभ से प्रभावित होकर पूंजी नहीं लगाते, बल्कि वे अन्य कई प्रकार की रियायतों की भी माँग करते हैं। इसके अलावा यह भी एक विचारणीय विषय है कि भारत जैसी नियोजित अर्थ व्यवस्था में विदेशी पूंजी को अन्धाधुंध नियन्त्रण देना कहीं तक उचित है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत से विदेशों को जाने वाली प्रेषणाएँ (remittances) निरूत्साहित होंगी। विदेशी पूंजीपतियों द्वारा भारत में कमाये गये मुनाफों को बाहर भेजने की विदेशी मुद्रा के रूप में लागत पहले की अपेक्षा कम हो जायगी। इससे देश के विदेशी मुद्रा के रूप में साधनों पर कम भार पड़ेगा। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अवमूल्यन से पूर्व विदेशी पूंजीपतियों की 1 डालर प्राप्त करने के लिए 4 76 रुपये देने पड़ते थे। अब अवमूल्यन के फलस्वरूप उसी 1 डालर को प्राप्त करने के लिए उसे 7 50 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इस प्रकार देश के विदेशी मुद्रा साधनों पर तो भार कम हो जायगा लेकिन विदेशियों को अपने मुनाफों को विदेशी मुद्रा में बदलने के लिए अधिक रुपये चुकाने होंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि इससे विदेशों को जाने वाली प्रेषणाएँ निरूत्साहित होंगी और विदेशियों द्वारा कमाये गये मुनाफों का देश में पुनः निवेश कर दिया जायगा।

लेकिन इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि अवमूल्यन के बावजूद विदेशी पूंजीपति अपने मुनाफों को स्वदेश भेजना वन्द अवकाश कम नहीं करेंगे और मुनाफों को विदेशी मुद्रा में

बदलने की बड़ी हुई रकमा लागत (rupee cost) को वे अपने माल के दाम बढ़ाकर पूरा कर लेंगे। अतः सरकार के उक्त तर्क में कोई अधिक सार प्रतीत नहीं होता है।

(6) पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा—सरकार द्वारा अवमूल्यन के समर्थन में यह भी कहा गया है कि इसके फलस्वरूप भारत के पर्यटन उद्योग (tourist industry) को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा अर्थात् पहले की अपेक्षा अब अधिक सख्या में पर्यटक भारत आना पताब करेंगे। इससे भारत के विदेशी मुद्रा उपार्जनो (foreign exchange earnings) में वृद्धि हो जायगी। इसमें सन्देह नहीं कि अवमूल्यन से हमारे विदेशी मुद्रा उपार्जनो में अवश्य ही कुछ वृद्धि होगी लेकिन इस सम्बन्ध में किसी अधिक वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती। इसके दो कारण हैं प्रथम, जहाँ तक समुद्री जहाजों एवं हवाई जहाजों के भाड़े का सम्बन्ध है, वे तो विदेशी पर्यटक साधारणतः अपने देश की कम्पनियों को अपनी मुद्रा में ही चुकाते हैं। इससे भारत को कोई लाभ नहीं होता। यदि अधिक सख्या में भारत आकर विदेशी पर्यटक अधिक व्यय करते हैं तो इससे निश्चय ही भारत के विदेशी मुद्रा-उपार्जनो में वृद्धि होगी। लेकिन, जैसा विदित है सन 1965 से भारत स्थित अमरीकी दूतावास ने अमरीकी पर्यटकों को डालरो के बदले भारतीय मुद्रा देने की व्यवस्था कर ली है। अमरीकी पर्यटकों को भारतीय मुद्रा पी० एल० 480 लेखे (P L 480 Fund) में से दी जा रही है। इस प्रकार भारत सरकार उन डालरो से वंचित हो गयी है जो वास्तव में उद्योग मिलने चाहिए थे। अतः जैसा ऊपर कहा गया है, अवमूल्यन से भारत के विदेशी मुद्रा उपार्जनो में पर्यटन के कारण कोई विशेष वृद्धि होने वाली नहीं है।

(7) तस्करी व्यापार कम हो जायगा—अवमूल्यन के समर्थन में एक तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि इससे तस्करी (smuggling) एवं अन्य गैर कानूनी तत्ता समाज विरोधी कार्यवाहियों (illegal and anti social practices) में कमी होगी। अवमूल्यन से पूर्व समाज विरोधी तत्त्वों द्वारा ये कार्यवाहियाँ बड़े पैमाने पर देश में की जा रही थी। उदाहरणार्थ, सोने पड़ियों कैमरो, ट्राविस्टरों आदि का तस्करी व्यापार बड़े पैमाने पर प्रचलित था। यात्री चेकों (travellers cheques) को चौर दाजार में ऊँचे दामों पर बेचा जाता था। व्यवसायियों द्वारा आयातों का वीजक मूल्य अधिक और निर्यातों का कम लगवाया जाता था (There was over-invoicing of imports and under invoicing of exports)। सरकार का दावा है कि अवमूल्यन के फल-स्वरूप इन गैर-कानूनी कार्यवाहियों में कमी हो जायगी क्योंकि रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् समाज-विरोधी तत्त्वों को इनके लिए विशेष आकर्षण नहीं रहेगा।

लेकिन इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि अवमूल्यन के उपरान्त भी कुछ भारतीय कीमतों एवं अन्तरराष्ट्रीय कीमतों में अन्तर बना रहेगा अर्थात् भारतीय कीमतें अन्तरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में ऊँची रहेंगी। उदाहरणार्थ सोने की भारतीय कीमत अन्तरराष्ट्रीय कीमत से निश्चय ही ऊँची रहेंगी। इसी प्रकार जिन वस्तुओं का आयात सरकार द्वारा पूर्णतः निषिद्ध (prohibited) कर दिया गया है, उनकी कीमत भी अन्तरराष्ट्रीय कीमतों से ऊँची रहेंगी। अतः तस्करी को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता और फिर तस्करी का उन्मूलन करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन का सहारा लेना बुद्धिमत्ता नहीं है।

(8) विदेशी मुद्रा-उपार्जनो में वृद्धि—अवमूल्यन के पक्ष में सरकार द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इसके परिणामस्वरूप भारत के विदेशी मुद्रा-उपार्जनो में वृद्धि होगी तथा देश को विदेशी मुद्रा-निधि (foreign exchange reserves) सुदृढ़ हो जायगी। इससे देश के वर्तमान प्रतिरूप भुगतान-सन्तुलन में निश्चय ही सुधार होगा। इसमें सन्देह नहीं कि मुद्रा अवमूल्यन से साधारणतः देश के निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और उसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा उपार्जनो में वृद्धि होती है। लेकिन जैसा आगे चलकर बताया जायगा, अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत के निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है। अतः यह आशा करना कि अवमूल्यन के फलस्वरूप भारत को विदेशी मुद्रा-निधि सुदृढ़ हो जायगी, बेकार है।

(9) निर्यात उपदान समाप्त करने से सरकार को करोड़ों रुपये की बचत होगी—जैसा ऊपर बताया गया है, रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् भारत सरकार ने सभी निर्यात प्रोत्साहन

परियोजनाओं (export incentive schemes) को समाप्त कर दिया है। भारत सरकार प्रतिवर्ष इन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये व्यय कर रही थी। इस रुपये से निर्यातकर्ताओं को उपदान (subsidies) दिये जा रहे थे। इन परियोजनाओं के समाप्त किये जाने पर अब भारत सरकार को करोड़ों रुपये की बचत हो गयी थी। इससे सरकार के कयानानुसार, बजट पर पड़ने वाला वित्तीय भार (financial burden) कम हो जायगा।

किन्तु इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि अबमूल्यन के बावजूद सरकार को कुछ वस्तुओं के निर्यात पर उपदान देने पड़ेगे। वास्तव में, अबमूल्यन के दो महीने बाद ही भारत सरकार ने कुछ वस्तुओं के निर्यात पर पुनः उपदान देने आरम्भ कर दिये थे।

(10) अबमूल्यन से अन्य देश लाभान्वित हुए हैं—अपने अबमूल्यन सम्बन्धी निर्णय का समर्थन करने के लिए सरकार ने दो अन्य देशों अर्थात् फ्रांस एवं यूगोस्लाविया के उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। वित्तमन्त्री के अनुसार इन दोनों देशों ने अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF.) के परामर्श पर, अपनी-अपनी मुद्राओं का अबमूल्यन कर दिया था। दोनों को ही मुद्रा-अबमूल्यन से लाभ हुआ और उनकी अर्थ-व्यवस्थाएँ निरन्तर आगे बढ़नी चली गयी हैं। इन्होंने सन्देह नहीं कि फ्रांस तथा यूगोस्लाविया दोनों को ही मुद्रा-अबमूल्यन से अधिक लाभ हुआ है। लेकिन भारत जैसे पिछड़े हुए एवं अर्द्ध-विकसित देश पर इन विकसित देशों का उदाहरण लागू करना उचित नहीं। भारत पर तो इण्डोनेशिया का उदाहरण सम्भवतः अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि भारत एवं इण्डोनेशिया दोनों ही अर्द्ध-विकसित देश हैं और दोनों की अर्थ-व्यवस्थाओं में काफी समानता भी पायी जाती है। कुछ वर्ष पूर्व इण्डोनेशिया में मुद्रा-अबमूल्यन किया गया था लेकिन इससे वहाँ पर जो विनाशकारी परिणाम दृष्टिगोचर हुए, उनसे सभी परिचित हैं। मुद्रा-अबमूल्यन से इण्डोनेशिया में सरपट स्फीति (galloping inflation) फूट पडी और देश की आर्थिक दशा निरन्तर गिरती चली गयी। सन् 1952 में इण्डोनेशिया पूर्व अमरीका के बीच की मुद्रा की दर 1 अमरीकी डालर=31.72 इण्डोनेशिया रुपये थी। यही विनियम दर सन् 1965 में 1 अमरीकी डालर=10,000 इण्डोनेशिया रुपये हो गयी थी। इससे स्पष्ट है कि मुद्रा-अबमूल्यन के लिए इण्डोनेशिया को कितनी भारी कीमत चुकानी पडी थी।

अबमूल्यन के विपक्ष में तर्क (Arguments Against Devaluation)—अबमूल्यन के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं

(1) निर्यातों में विशेष वृद्धि की सम्भावना नहीं है—आलोचकों के अनुसार रुपये के अबमूल्यन से देश के निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि होने वाली नहीं है। जैसा ऊपर कहा गया है, अबमूल्यन का मुख्य उद्देश्य देश के निर्यातों में वृद्धि करना है। यदि इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती तो अबमूल्यन बेकार सिद्ध होगा। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि अबमूल्यन के परिणामस्वरूप भविष्य में देश के निर्यातों में किसी विशेष वृद्धि के होने की सम्भावना नहीं है। प्रथम, हमारे परम्परागत निर्यात (traditional exports) तो पहले ही अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच चुके हैं, अबमूल्यन के फलस्वरूप उनके और अधिक बढ़ने की कम सम्भावना है। हाँ, अबमूल्यन से देश के नये निर्यातों की माँग में वृद्धि की कुछ सम्भावना अवश्य ही है। लेकिन यहाँ पर कठिनाई यह है कि निर्यात करने हेतु इन वस्तुओं का स्टॉक हमारे पास सीमित है अर्थात् हम इन वस्तुओं की बड़ी हुई माँग को मनुष्य करने में असमर्थ हैं। यदि हम इन वस्तुओं को घरेलू उपभोग (domestic consumption) में से निकालकर विदेशों को निर्यात करते हैं तो इससे देश की आन्तरिक स्फीतिव समस्या और भी गम्भीर हो जायगी अर्थात् घरेलू बाजार में इन वस्तुओं की कीमतें और भी अधिक बढ़ जायेंगी।

दूसरे, जैसा कि भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की सन् 1966-66 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है, सन् 1965 में भारत के निर्यातों का कुल मूल्य 807.5 करोड़ रुपये था। इसमें 82.8 प्रतिशत (अर्थात् 666.6 करोड़ रुपये के मूल्य के) निर्यात ऐसे थे जिन्हें अन्तर-राष्ट्रीय बाजारों में अन्तरराष्ट्रीय कीमतों पर ही बेचा गया था। दूसरे शब्दों में, इन निर्यातों पर सरकार की ओर से कुछ भी उपदान नहीं दिये गये और बिना सरकारी सहायता के ही इन

निर्यातों में विदेशी वस्तुओं का मुकाबला किया था। केवल 17.2 प्रतिशत (अर्थात् 140.9 करोड़ रुपये के मूल्य के) निर्यातों को ही सरकारी उपदान देने की आवश्यकता पड़ी थी क्योंकि इन वस्तुओं की आन्तरिक कीमतें अन्तरराष्ट्रीय कीमतों से 30 से लेकर 80 प्रतिशत ऊँची थी। रुपये के अवमूल्यन से इन निर्यातों को तो निश्चय ही प्रोत्साहन मिलेगा लेकिन शेष 82.8 प्रतिशत निर्यातों पर विदेशी मुद्रा के रूप में देश को हानि सहन करनी होगी। इस हानि से बचने के लिए यदि इन वस्तुओं के निर्यात पर सरकार निर्यात-कर लगाती है तो विदेशी आयातकर्ता इसे पसन्द नहीं करेंगे और खुलकर इनका विरोध करेंगे। जैसा ऊपर कहा गया है, अवमूल्यन का निर्णय करते समय सरकार ने परम्परागत निर्यातों पर निर्यात-कर लगा दिये हैं लेकिन अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

तीसरे, हमारे निर्यातों में कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनके निर्माण में विदेशी कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात ही इन वस्तुओं की लागतों में वृद्धि होगी और इनकी कीमतें बढ़ जायेंगी। इससे इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने में कठिनाई होगी। इस प्रकार समग्र रूप में कहा जा सकता है कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत के निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार अवमूल्यन के कारण भारत के वर्तमान निर्यातों को उनके पूर्व स्तर पर बनाये रखना भी कठिन होगा। उस समय, जैसा ऊपर कहा गया है, भारत के वर्तमान निर्यातों का कुल मूल्य लगभग 800 करोड़ रुपये था। अवमूल्यन के पश्चात् इसी स्तर को बनाने रखने के लिए देश को अपने निर्यातों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। चूंकि निर्यातों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना सरल कार्य नहीं है, इसलिए आलोचकों के कथनानुसार भारत के वर्तमान विदेशी मुद्रा उपाजनों (foreign exchange earnings) में गम्भीर कमी उत्पन्न हो जायगी।

(2) आयातित माल की कीमतें बढ़ जायेंगी—अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशों से किये गये आयातित माल की कीमतें बढ़ जायेंगी। इस समय भारत विदेशों से कच्चा माल, कल-पुर्जे एवं मशीनों का आयात कर रहा है। अनुमान लगाया गया है कि अवमूल्यन के फलस्वरूप इन वस्तुओं की कीमतें लगभग 34 से 38 प्रतिशत तक बढ़ जायेंगी। इससे देश की अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अवमूल्यन से पूर्व अमरीका से 1 डालर के मूल्य की वस्तु का आयात करने पर भारतीय आयातकर्ता को 4.76 रुपये देने पड़ते थे। अब अवमूल्यन के पश्चात् उसी वस्तु के लिए भारतीय आयातकर्ता को 7.50 रुपये देने पड़ेंगे। इसी प्रकार ब्रिटेन से 1 पाउंड स्टलिंग का माल आयात करने पर भारतीय आयातकर्ता को अवमूल्यन से पूर्व 13.33 रुपये चुकाने पड़ते थे। अब उसी वस्तु के लिए आयातकर्ता को 22 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार भारत में सभी प्रकार के विदेशी माल की कीमतें 34 से लेकर 38 प्रतिशत तक बढ़ जायेंगी।

इस सन्दर्भ में भारत के तत्कालीन वित्तमन्त्री श्री शचीन्द्र चौधरी का कहना है कि विदेशी माल की कीमतें तो निश्चय ही बढ़ेंगी, लेकिन ये कीमतें उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी जिसमें रुपये का अवमूल्यन किया गया है अर्थात् विदेशी वस्तुओं की कीमतें वृद्धि रुपये के अवमूल्यन के अनुपात से कम होंगी। उनका तर्क यह था कि विदेशी माल की वर्तमान कीमतें दुर्लभता के कारण पहले ही इतनी ऊँची है कि उनके और अधिक बढ़ने की सम्भावना नहीं है। विदेशी माल की आयातित लागत (imported cost) तो निश्चय ही बढ़ जायगी लेकिन आयातकर्ता अपने वर्तमान अत्यधिक मुनाफों को कम करके इसे तटस्थ कर देंगे। इस प्रकार उपभोक्तार्थों पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, आयातकर्ता अपने वर्तमान मुनाफों को कम करके आयातित माल की कीमतों में अधिक वृद्धि नहीं होने देंगे। वित्तमन्त्री के इस तर्क में कुछ भी सार प्रतीत नहीं होता। आयातकर्ताओं से यह आशा करना कि वे अपने मुनाफों को कम करके कीमतों को बढ़ने नहीं देंगे, वास्तविकता के विपरीत है। बल्कि उर तो इस बात का है कि आयातकर्ता अभाव की स्थिति का लाभ उठाते हुए कहीं विदेशी माल की कीमतों को रुपये के अवमूल्यन के अनुपात से भी अधिक न बढ़ा दें।

(3) घरेलू कीमत-स्तर में वृद्धि होगी—अवमूल्यन के परिणामस्वरूप घरेलू कीमत-स्तर में निश्चय ही वृद्धि हो जायेगी। जैसा ऊपर कहा गया है, अवमूल्यन के कारण विदेशी माल की कीमतें बढ़ जायेंगी। विदेशों से आयातित कच्चे माल, कल-पुर्जों तथा मशीनों आदि की कीमतों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप भारत में निर्मित माल की उत्पादन लागत भी बढ़ जायेगी। परिणामतः भारतीय माल की कीमतें बढ़े बिना नहीं रह सकती। इसके अलावा, विदेशों से आयात की जाने वाली कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जिनका छोटे पैमाने पर उत्पादन भारत में भी किया जा रहा है। अवमूल्यन के फलस्वरूप चूंकि विदेशी माल की कीमतें बढ़ जायेंगी, अतः इस प्रकार भारतीय माल की कीमतें भी बढ़े बिना नहीं रह सकती। इसके साथ ही साथ अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आन्तरिक कीमतें (internal prices) आयात-कीमतों (import prices) की देखादेखी बढ़ जाया करती हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कीमतों की सहानुभूतिक वृद्धि (sympathetic rise in prices) कहते हैं। अतः यह तो निश्चित ही है कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप घरेलू कीमत स्तर में वृद्धि हो जायेगी। इससे बँधी आय वाले वर्गों (fixed income groups) पर घुरा प्रभाव पड़ेगा। वे तो पहले ही ऊँची कीमतों के कारण पीड़ित हैं। अवमूल्यन से उनकी मुसीबतें और बढ़ जायेंगी और उनका जीवन स्तर और नीचे गिर जायेगा। यह सत्य है कि सरकार ने खाद्यान्नों, मिट्टी का तेल, वपड़े एवं कुछ अन्य वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने का निश्चय किया है। इसके लिए सरकार अपने बजट में से उपदान (Subsidies) देगी, लेकिन प्रश्न तो यह है कि इन उपदानों का भार भी तो अन्ततः जनता पर ही पड़ेगा। सरकार इस प्रकार के उपदान भी तो लोगों पर कर लगाकर ही दे सकेगी। फिर, इन गिनी-पुनी वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखकर भी सरकार घरेलू कीमत-स्तर को बढ़ने से नहीं रोक सकती।

(4) भारत पर विदेशी ऋण का भार बढ़ जायेगा—जैसा विदित है, भारत सरकार ने विगत 15 वर्षों में विदेशों से भारी मात्रा में ऋण लिये हैं, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप इन ऋणों का भार अत्यधिक बढ़ जायेगा। 31 मार्च, 1966 को भारत का कुल विदेशी ऋण लगभग 2 629 18 करोड़ रुपये था। एक विश्वसनीय अनुमान के अनुसार अवमूल्यन के कारण भारत का यह विदेशी ऋण अब बढ़कर 4,000 करोड़ रुपये हो जायेगा। केवल यही नहीं, इस ऋण पर प्रतिवर्ष चुकाया जाने वाला ब्याज भी इतनी अनुपात में बढ़ जायेगा। कुछ आलोचकों का कहना है कि कालान्तर में यह भार इतना बढ़ जायेगा कि इसे चुकाना सरकार की क्षमता से बाहर हो जायेगा और अन्त में, विवश होकर सरकार को अपना दिवालियापन घोषित करना पड़ेगा।

(5) चौथी पंचवर्षीय योजना पर प्रतिकूल प्रभाव—अवमूल्यन के फलस्वरूप देश की चौथी पंचवर्षीय योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा ऊपर बताया गया है, अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशी मशीनों की कीमतें बढ़ जायेंगी। हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में अनेक ऐसी परियोजनाएँ (projects) सम्मिलित हैं जिनको त्रियान्वित करने में बड़े पैमाने पर विदेशी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। इन मशीनों की कीमतों के बढ़ जाने से चौथी पंचवर्षीय योजना की वित्तीय लागत निश्चय ही बढ़ जायेगी। योजना आयोग के अनुसार चौथी योजना की कुल लागत 21,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 24,500 करोड़ रुपये हो जायेगी। सम्भवतः देश 3,000 करोड़ रुपये के इस अतिरिक्त भार को बहन न कर सकेगा। यदि सरकार चौथी योजना की कुल लागत (21,500 करोड़) को ही स्वीकार करने का निर्णय करती है तो निश्चय ही योजना के भौतिक लक्ष्यों (physical targets) में कटौती करनी पड़ेगी। यदि इस प्रकार योजना के भौतिक लक्ष्यों में कमी कर दी जाती है तो देश के लिए, वास्तव में, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी। इससे देश की आर्थिक प्रगति की दर जो पहले ही बहुत कम है और अधिक नीचे गिर जायेगी।

(6) भारत की साख को घबका लगेगा—अवमूल्यन के फलस्वरूप विदेशों में भारत की साख को आघात पहुँचेगा। कुछ समय पूर्व विदेशों में भारत की साख ऊँची हुआ करती थी और भारतीय रुपया अपनी स्थिरता (stability) के लिए सुविख्यात था। लेकिन अवमूल्यन ने भारत के इस सुन्दर चित्र को अब मिट्टी में मिला दिया है। वास्तव में, विदेशी दबाव में आकर भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके विनाशकारी परिणाम आगे चलकर दृष्टि-गोचर होंगे।

(7) घाटे की अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा—अवमूल्यन का एक दुष्परिणाम यह भी होगा कि इससे घाटे की अर्थ-व्यवस्था (deficit financing) को प्रोत्साहन मिलेगा। अर्थात् सरकार को और अधिक मात्रा में नोट छापने पड़ेंगे। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अवमूल्यन के फलस्वरूप सरकारी व्यय में भारी वृद्धि हो जायेगी। प्रथम, कतिपय वस्तुओं के उत्पादन एवं आयात पर सरकार को उपदान (subsidies) देने होंगे। दूसरे, देश में बढ़ती हुई महंगाई के कारण सरकार के प्रशासनिक व्यय में वृद्धि होगी। लेकिन, इसके विपरीत, सरकारी आय में वृद्धि होने की कोई सम्भावना नहीं है। कराधान तो पहले ही अपनी उच्चतम सीमा तक पहुँच चुका है। आन्तरिक ऋणों का क्षेत्र भी सीमित है। अतः सरकार को विवश होकर नोट ही छापने पड़ेंगे। इससे देश की आन्तरिक स्फीतिक समस्या और भी गम्भीर हो जायेगी और सरपट स्फीतिक के फूट पड़ने का खतरा पैदा हो जायेगा।

(8) भारत स्थित पी० एल० 480 अमरीकी निधि बढ़ जायेगी—जैसा विदित है, अमरीका से आयात किये गये खाद्यान्नों की कीमत पी० एल० 480 सन्धि के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रुपये में दी जाती है। इन भूखानों को अलग से एक विशेष निधि में जमा कर दिया जाता है जिसे पी० एल० 480 निधि (P L 480 Fund) कहते हैं। इस समय इस निधि में अरबों रुपये अमरीकी सरकार के नाम जमा हैं। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत सरकार को अमरीकी खाद्यान्नों के लिए अब 57 प्रतिशत अधिक रुपये इस निधि में जमा करना होगा, क्योंकि 1 डालर को ख़ुवाने के लिए भारत सरकार को 4.76 रुपये के बजाय अब 7.50 रुपये देने होंगे। इस प्रकार भारत की अर्थ-व्यवस्था पर पी० एल० 480 निधि का बोझ और भी बढ़ जायेगा। कुछ क्षेत्रों में यह आशंका प्रकट की जा रही है कि इस निधि का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।

(9) अवमूल्यन से आयातकर्ताओं, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को आकस्मिक लाभ हुए हैं—अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश के कुछ वर्गों जैसे आयातकर्ताओं, उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को अप्रत्याशित एवं आकस्मिक लाभ (unexpected and windfall profits) हुए हैं। इन वर्गों के पास पहले से ही विदेशी वस्तुओं के स्टॉक मौजूद थे। अवमूल्यन की घोषणा के साथ ही इनके पास पड़े स्टॉक की कीमतें 57 प्रतिशत बढ़ गयीं और एक ही रात में इन्हें करोड़ों रुपये का लाभ हो गया। सरकार की करनी देखिए कि जो वर्ग पहले ही समृद्ध थे, अवमूल्यन से और अधिक सम्पन्न हो गये हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय धन का वितरण जो पहले ही असमान था और अधिक असमान हो गया है। इसकी कोई आशा नहीं कि विशेष लाभ कर (Gain Tax) लगाकर सरकार इन वर्गों के अप्रत्याशित एवं अनर्जित (unearned) लाभ को समाप्त कर देगी।

(10) क्या रुपये का बाह्य मूल्य को विमुक्त आर्थिक आधारों पर निर्धारित करना उचित था?—ऊपर कहा जा चुका है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था (planned economy) में कीमतों को विमुक्त आर्थिक आधारों (pure economic considerations) अर्थात् माँग एवं पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित करना उचित नहीं होता। यदि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में भी माँग एवं पूर्ति के आधार पर कीमतों की निश्चित करना है तो फिर नियोजन (planning) की आवश्यकता ही क्या रह जाती है। क्यों न गैर नियोजित अर्थ-व्यवस्था को ही अपना लिया जाय? कहने का तात्पर्य यह है कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में विदेशी विनिमय दर (जो एक प्रकार से हमारी मुद्रा की विदेशी कीमत है) को माँग एवं पूर्ति के आधार पर नहीं, बल्कि देश के व्यापक हितों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से भारतीय रुपये का अवमूल्यन अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। यह निश्चय ही देश के व्यापक हितों के विपरीत है।

(11) क्या रुपये का अवमूल्यन आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम में सहायक होगा?—रुपये का अवमूल्यन करने में सरकार का मुख्य तर्क यही रहा है कि इससे देश के आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम (import substitution programme) में सहायता मिलेगी अर्थात् आयातित माल के स्थान पर देशी माल का अधिकाधिक प्रयोग किया जा सकेगा। अवमूल्यन के फलस्वरूप विदेशी माल (अर्थात् मशीनें एवं कल पुर्जे) महँगा हो जायेगा जिससे देश में भारतीय माल के उत्पादन को

प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार विदेशी मशीनों के स्थान पर देशी मशीनों का प्रयोग सम्भव हो सकेगा। लेकिन इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि अवमूल्यन के उपरान्त भी भारतवासियों का विदेशी माल के प्रति मोह ज्यों का त्यों बना रहेगा अर्थात् विदेशी माल के महंगे होने के बावजूद लोग उसे ही वरीयता (preference) देते रहेंगे। भारत के सम्पन्न एवं सभृद्ध कुछ वर्ग आज विदेशी माल के लिए जान देते हैं और विदेशी उपभोग वस्तुओं के लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। कारण यह है कि उनके पास असीमित मात्रा में ब्लैक का धन (black money) है। इसी प्रकार हमारे बड़े बड़े उद्योगपति भी स्वदेश निर्मित मशीनों की अपेक्षा विदेशी मशीनों को ही वरीयता देते हैं। उदाहरणार्थ, भारत के दुर्गापुर के स्थान पर एक खनिज मशीनें (mining machinery) तैयार करने वाला सरकारी कारखाना स्थापित किया गया है और इस समय इसमें उत्पादन भी हो रहा है। लेकिन हमारे खनिजपति इस कारखाने की मशीनों की तुलना में अमरीकी मशीनों को अधिक पसन्द करते हैं, यद्यपि अमरीकी मशीनों के लिए उन्हें अधिक कीमतें चुकानी पड़ती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक देश के कुछ वर्गों के पास असीमित मात्रा में ब्लैक का धन विद्यमान है, आयात-प्रतिस्थापन कार्यक्रम को सरलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत सरकार का अवमूल्यन सम्बन्धी निर्णय, वास्तव में देश के व्यापक हितों के विपरीत ही है। इसके प्रतिकूल परिणाम द्रोणे चलकर दृष्टिगोचर होंगे। भारत में लगभग सभी सुविधायत अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध किया है। डॉ० पी० सी० लोकनाथन के अनुसार, रुपये का अवमूल्यन देश की अर्थ व्यवस्था के हित में नहीं है। इससे स्त्रीतिक प्रवृत्तियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा तथा जीवन-निर्वाह सागत पहले की अपेक्षा और बढ़ जायगी। प्रो० ए० के० दास गुप्ता ने कहा है कि इससे हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना का वास्तविक आकार (real size) घट जायगा। डॉ० जानचन्द ने सरकार के अवमूल्यन सम्बन्धी निर्णय को 'खतरनाक जुए (dangerous gamble) की सज़ा दी है। डॉ० डी० के० रायनेकर के अनुसार, भारत सरकार ने रुपये का अवमूल्यन अमरीकी सरकार एवं विश्व बैंक के दबाव के अन्तर्गत किया है। भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से सम्भवतः डॉ० बी० आर० सिनोई ही ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने रुपये के अवमूल्यन का स्वागत किया है। उनके अनुसार रुपये का अवमूल्यन तो बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। डॉ० सिनोई ने स्पष्टतः कहा है कि रुपये का घोषित अवमूल्यन अब भी पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि भारतीय रुपये में अब भी अति मूल्य (over valuation) का थोड़ा अंश शेष है अर्थात् रुपये का थोड़ा और अवमूल्यन करने की आवश्यकता है। डॉ० सिनोई के उक्त मत से हमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि वह तो विगत कई वर्षों से निरन्तर रुपये के अवमूल्यन का समर्थन करते चले आ रहे हैं।

भारत सरकार की अवमूल्यनोपरान्त नीति (Post Devaluation Policy of the Govt of India)—रुपये का अवमूल्यन करते समय भारत सरकार ने देशवासियों को यह आश्वासन दिया था कि वह किसी भी रिश्ते में मूल्य रेखा (Price line) को और उपर नहीं चढ़ो देगी। अपन इस दृढ़ सत्कल्प को मूर्तरूप देने हेतु भारत सरकार ने कीमत-वृद्धि को रोकने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाये हैं जो निम्नलिखित हैं

(1) छायाजो, मिट्टी का तेल, डीजल तेल, पेट्रोल, रासायनिक खाद जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया जायगा। इनकी कीमतों को नियन्त्रण में रखने के लिए सरकार उपदान (subsidies) देगी और उत्पादन शुल्कों (excise duties) में भी फेर-बदल करेगी।

(2) चोर-बाजारियों, जखीरेबाजों एवं अन्य समाज-विरोधी तत्वों से निबटने के लिए सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) का सशोध्यन करके सरकार दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों को नियन्त्रित करने के लिए अधिक व्यापक अधिकार ग्रहण करेगी। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अतिरिक्त अधिकार (adduonal

powers) सौंपे हैं जिनके अन्तर्गत उत्पादन, पूति एवं कीमतों के बारे में आदेश जारी किये जा सकते हैं। जिला अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं कि जखीरेबाजी एवं मुनाफाखोरी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

(4) केन्द्र में एक नागरिक पूति-कमिश्नर (Civil Supply Commissioner) की नियुक्ति की गयी है। उसका मुख्य कार्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगाह रखना है। उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि वह कारखानों से प्रत्यक्ष आवश्यक वस्तुओं की पूति प्राप्त करके उन्हें अभावग्रस्त क्षेत्रों में भेज सकता है।

(5) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर दृष्टि रखने एवं उनके उचित वितरण की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की एक उपसमिति स्थापित की गयी है जो आवश्यक विषयों पर तत्काल निर्णय ले सकती है।

(6) मूल्य रेखा को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने उपभोग्य वस्तुओं के निर्माताओं का भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया है। इन निर्माताओं से कहा गया है कि वे अपने माल के यौक्त एवं सुदरा भाव निश्चित करें। व्यापारियों से कहा गया है कि अपनी सस्थाओं में उचित स्थान पर मूल्य प्रदर्शित करेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सरकार कतिपय वस्तुओं की कीमतें भी निर्धारित करेगी।

(7) सरकार ने समूचे देश में बड़े पैमाने पर उपभोक्ता भण्डार (Consumer Stores) खोलने की भी योजना बनायी है। योजना के अन्तर्गत बोर सहकारी उपभोक्ता भण्डारों (Wholesale Co operative Consumer Stores) की संख्या 300 से बढ़ाकर 700 और खुदरा भण्डारों (retail stores) की संख्या 7,000 से बढ़ाकर 20,000 की जायगी। यह भी निर्णय किया गया था कि सन 1966 में ये भण्डार देश के 20 प्रतिशत खुदरा व्यापार को अपने हाथ में ले लेंगे। इससे व्यापारियों के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिरोधक शक्ति (consumer resistance) बढ़ जायगी और वे व्यापारियों के हथकण्डों का दृढतापूर्वक मुकाबला कर सकेंगे।

(8) उपभोक्ताओं को मूल्य सम्बन्धी जानकारी देने हेतु ऑन इण्डिया रेडियो के सभी क्षेत्रीय स्टेशन प्रतिदिन पाँच मिनट के लिए एक विशेष बुलेटिन प्रसारित करेंगे जिसमें बाजार सम्बन्धी प्रवृत्तियों (Market trends) पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जायगी।

(9) कीमतों का बढ़ने से रोकन के लिए आवश्यक वस्तुओं का विदेशों से आयात भी किया जायगा। उदाहरणार्थ मिट्टी के तेल, रई एवं वनस्पति का आयात करने के प्रबन्ध कर लिये गये हैं।

(10) देश के 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों (priority industries) में उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए आवश्यक कच्चे माल वस्तुओं एवं मशीनों के आयात को पहले की अपेक्षा अधिक उदार (liberal) बना दिया गया है। ये उद्योग निर्यात वृद्धि में भी सहायक होंगे।

(11) कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करन के लिए बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद कोट नासक लौहचिचियों, गंधक एवं फॉस्फेट (phosphate) आदि के आयात का भी प्रबन्ध कर लिया गया है।

(12) कच्चे माल वस्तुओं एवं आवश्यक मशीनों पर लगे आयात करों में भी कुछ कमी कर दी गयी है। इससे देश में विद्यमान औद्योगिक उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग सम्भव हो सकेगा।

(13) विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों को अवमूल्यन के दुष्परिणामों से बचाने के लिए समुचित ऋण योजना (loan scheme) बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत, इन छात्रों को सरकार की ओर से आसान शर्तों पर ऋण दिये जायेंगे। इसी प्रकार, सरकार की ओर से दो जाने वाली छात्रवृत्तियों में भी समानुपातिक वृद्धि कर दी जायगी।

अवमूल्यन के अनाद्य (Effects of Devaluation)—जैसा स्पष्ट है, सरकार की अवमूल्यनोत्तर नीति के तीन मुख्य उद्देश्य थे प्रथम, कीमत वृद्धि रोकना, दूसरे कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, तीसरे निर्यातों को अधिकतम मात्रा में बढ़ाना। अवमूल्यन व

हुए कोई अधिक समय नहीं हुआ है। अतः यह कहना कठिन है कि उक्त तीनों उद्देश्यों की पूर्ति में सरकार को कितनी सफलता मिलेगी। लेकिन उपलब्ध सबूतों के अनुसार सरकार को अपने इन उद्देश्यों में सफलता प्राप्त होने की कम आशा दिखायी देती है।

जहाँ तक कीमत वृद्धि को रोकने का प्रश्न है, सरकार इस उद्देश्य में बुरी तरह असफल रही है। अवमूल्यन के उपरान्त देश के कीमत स्तर में 15 से लेकर 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और कीमत-वृद्धि का यह क्रम अब भी जारी है। सरकार द्वारा की गयी अवमूल्यनोपरान्त कार्यवाही का कीमत-स्तर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जीवन-निर्वाह-लागत में और अधिक वृद्धि हुई है।

अवमूल्यनोपरान्त नीति का दूसरा उद्देश्य भी बुरी तरह असफल रहा है। सरकार ने कच्चे माल, कल-पुर्जों एवं मशीनों के आयात को उदार बनाकर देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन इसमें भी सरकार को असफलता का मुँह टाकना पड़ा है। अवमूल्यनोत्तर-काव में औद्योगिक उत्पादन में उल्टे कमी हुई है। नये निवेशों (investments) की दर में भी कमी हुई है। यह सत्य है कि अवमूल्यन के उपरान्त सरकार ने उद्योगपतियों को कच्चे माल, कल-पुर्जों एवं मशीनों के आयात हेतु उदारता से लाइसेंस दिये हैं लेकिन इन लाइसेन्सों का प्रयोग ही कब हुआ है? भारतीय उद्योगपति तो अभाव की स्थिति को बनाये रखने में ही अपना हित समझते हैं। इसी से उहे अधिक मुनाफे कमाने के अवसर मिलते हैं। जहाँ तक कृषि-उत्पादन का सम्बन्ध है, उसमें भी सूखा के कारण भारी गिरावट आयी है।

सरकार अवमूल्यन के अपने तीसरे उद्देश्य में भी सफल नहीं हो सकी है। सरकार को आशा थी कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश के निर्यातों में वृद्धि होगी। लेकिन, दुर्भाग्यवश, सरकार की यह आशा भी पूरी न हो सकी। अवमूल्यन का उद्देश्य विशेषकर देश के गैर-परम्परागत (non-traditional) निर्यात (उदाहरणार्थ, रासायनिक पदार्थों एवं इजीनियरिंग वस्तुओं आदि), को बढ़ाना था किन्तु नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार इस प्रकार के निर्यातों में वृद्धि होने के बजाय उल्टे कमी हुई है। देश के कुछ निर्यातों में निश्चय कमी हुई है। सन् 1966 में भारत के निर्यातों का कुल मूल्य 1,582 मिलियन डालर था जो सन् 1965 को अपेक्षा 10 प्रतिशत कम था। हाँ, देश के कुछ निर्यातों को अवमूल्यन से निश्चय ही प्रोत्साहन मिला है। इनमें मछली, कच्ची छाले चमड़ा, काजू कच्चा लोहा, बेगनीज, लोहा एवं इस्पात, रासायनिक पदार्थ इत्यादि सम्मिलित हैं।

स्मरण रहे, अवमूल्यन करते समय सरकार ने निर्यातकर्ताओं को उस समय दिये जाने वाले उपदानों (subsidies) की पूर्णतः समाप्त कर दिया था और कहा था कि इससे सरकार को करोड़ों रुपये की बचत होगी। लेकिन अवमूल्यन किये जाने के दो महीने बाद ही सरकार को कुछ निर्यातों के सम्बन्ध में ये उपदान पुनः आरम्भ करने पड़े क्योंकि इन उपदानों के बिना निर्यातों में वृद्धि करना कठिन हो रहा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अवमूल्यन के मुख्य उद्देश्य (अर्थात् निर्यात-वृद्धि) में सरकार को सफलता नहीं मिली है।

लेकिन अवमूल्यन का सबसे बुरा प्रभाव तो भारत के पूर्वी यूरोपीय देशों से होने वाले व्यापार पर पड़ा है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप इस व्यापार को भारी आघात पहुँचा है। इन देशों के साथ व्यापार करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी हैं।

भारत के कुछ अर्थशास्त्री तो अवमूल्यन से उत्पन्न होने वाले प्रतिबल प्रभावों को आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। डॉ॰ शिनोई के अनुसार, रुपये के अवमूल्यन से यदि कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं तो इसलिए हुई हैं क्योंकि रुपये का अवमूल्यन पूर्ण नहीं था अर्थात् रुपये का जितना अवमूल्यन किया जाना चाहिए था, उतना नहीं किया गया। उनके कथनानुसार रुपये का यदि और अधिक अवमूल्यन किया जाता तो वर्तमान कठिनाइयाँ उत्पन्न न होती। सम्भवतः विश्व बैंक का भी यही विचार प्रतीत होता है। लेकिन हम इस विचार से कदापि सहमत नहीं हैं। रुपये के अवमूल्यन से पहले ही हमारी अर्थ व्यवस्था को क्षति पहुँची है। रुपये का अतिरिक्त अवमूल्यन करने से हमारी सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था चोपट हो जायेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के वित्तमन्त्री ने 21 नवम्बर, 1967 को अधिष्ठान घोषणा की थी कि ब्रिटिश पौण्ड-स्टैलिंग के अवमूल्यन के बावजूद भारतीय रुपये का और अधिक अवमूल्यन नहीं किया जायगा।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त सकेत

- 1 भारतीय रुपये के सन् 1966 के अवमूल्यन के फारसों की पूर्ण व्याख्या कीजिए। इसके प्रमुख अपेक्षित लाभ क्या थे ? (आगरा, 1967)

अथवा

जून 1966 में किन परिस्थितियोंका भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ ? इसके आर्थिक प्रभावों को समझाइए। (राजस्थान, 1968)

[सकेत—प्रथम भाग में यह बताइए कि देश के भूगतान सन्तुलन की त्रिकालीन प्रतिशुद्धता ने भारत सरकार को रुपये का अवमूल्यन करने के लिए बाध्य कर दिया था। विश्व बैंक ने भी भारत सरकार पर अवमूल्यन के लिए बहुत जोर दिया था। दूसरे भाग में, अवमूल्यन के फल में दिये गये तर्कों की विवेचना कीजिए।]

- 2 'अवमूल्यन' क्या है ? उसके लाभ एवं हानियाँ समझाइए। हाल ही में हुए पीण्ड स्टलिन के अवमूल्यन को लक्ष्य में रखते हुए क्या आपके विचार में भारतीय रुपये का भी अवमूल्यन करना चाहिए ? (इन्दौर, 1968)

[संकेत—इस प्रश्न के प्रथम एवं द्वितीय भाग के लिए अध्याय 27 का प्रारम्भिक भाग देखिए। हमारे विचार में भारतीय रुपये का और अधिक अवमूल्यन करना देश के हित में न होगा। पहले ही दो बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो चुका है— सितम्बर, 1949 और जून 1966 में। जून 1966 में रुपये का जो अवमूल्यन किया गया था उससे देश को लाभ कम और हानि अधिक हुई है। फिर अब तो धीरे धीरे भारत के व्यापार सन्तुलन में सुधार हो रहा है। अतः रुपये के और अधिक अवमूल्यन की आवश्यकता नहीं है।]

- 3 "रुपये का अवमूल्यन भारत में अतफन सिद्ध हुआ है।" व्याख्या सहित स्पष्ट कीजिए। (आगरा, 1974)

[सकेत—उक्त उद्धरण भारतीय रुपये के 6 जून, 1966 को किये गये अवमूल्यन से सम्बन्धित है। इस अवमूल्यन की चर्चा करते हुए इसके फल विपक्ष में दिये गये तर्कों को लक्ष्य में प्रस्तुत कीजिए। अन्त में, यह निष्कर्ष निकालिए कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल सिद्ध हुआ है। देखिये "अवमूल्यन के प्रभाव"]

भारत की कागजी मुद्रा-प्रणाली का इतिहास (History of the Paper Currency System of India)

भारतीय कागजी मुद्रा के इतिहास को निम्नलिखित अवधियों (Periods) में विभाजित किया जा सकता है .

- (1) प्रेसीडेंसी बैंको द्वारा मुद्रा का निर्गमन (सन् 1806 से 1861 तक),
- (2) भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा का निर्गमन (सन् 1861 से 1934 तक),
- (3) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा आनुपातिक कोप प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा का निर्गमन (सन् 1934 से 1956 तक),
- (4) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा न्यूनतम मुद्रा-कोप प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा का निर्गमन (सन् 1956 से अब तक) ।

1 प्रेसीडेंसी बैंको द्वारा कागजी मुद्रा का निर्गमन (सन् 1806 से 1861 तक)

सन् 1806 से पूर्व भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ करता था। सन् 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गयी और एक सरकारी आदेश के अन्तर्गत इस बैंक ने कागजी नोटों का प्रकाशन करना आरम्भ कर दिया। तदुपरान्त, सन् 1840 में बैंक ऑफ बम्बई तथा सन् 1843 में बैंक ऑफ मद्रास को भी कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार सन् 1861 तक भारत में कागजी मुद्रा का निर्गमन तीन प्रेसीडेंसी बैंको द्वारा ही किया जाता था।

इन बैंको द्वारा नोटों के वाहको की माँग पर भुगतान करना आवश्यक होता था परन्तु उनके द्वारा जारी किये गये नोटों का प्रचलन साधारणतः बलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के नगरो तक ही सीमित था। सरकार ने प्रत्येक प्रेसीडेंसी बैंक के लिए नोट जारी करने की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी थी और कोई भी बैंक उस सीमा से अधिक नोट जारी नहीं कर सकता था। प्रत्येक प्रेसीडेंसी बैंक को अपने द्वारा जारी किये गये नोटों के मूल्य का एक चौथाई भाग धातु सिक्कों के रूप में रखना पड़ता था। सरकार इन बैंको के प्रबन्ध पर अपना नियन्त्रण रखती थी। प्रेसीडेंसी बैंको द्वारा नोट जारी करने की यह प्रथा सन् 1861 तक प्रचलित रही थी।

2 सरकार द्वारा कागजी मुद्रा का निर्गमन (सन् 1861 से 1934 तक)

सन् 1861 में भारत सरकार ने प्रेसीडेंसी बैंको से नोट जारी करने का अधिकार वापस ले लिया और स्वयं नोटों का प्रकाशन करना आरम्भ कर दिया था। इस उद्देश्य के लिए सन् 1861 में एक कागजी मुद्रा कानून पारित किया गया। इसकी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार थी— (क) इस कानून के अन्तर्गत सरकार ने 10, 20, 50, 100, 500, 1000 तथा 10,000 रुपये के नोट प्रचलित किये थे। (ख) आरम्भ में, सरकार ने समूचे देश को कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के तीन निर्गमन-क्षेत्रों (issue circles) में विभाजित कर दिया था और प्रत्येक निर्गमन क्षेत्र से जारी

किये गये नोट केवल उसी क्षेत्र के भीतर ही विधिग्राह्य हुआ करते थे। परन्तु सन् 1910 में भारत सरकार ने निर्गमन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी थी। प्रत्येक क्षेत्र से जारी किये गये नोट केवल उसी क्षेत्र में ही विधिग्राह्य होते थे। इसके साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में इन नोटों को रुपये के सिक्कों में बदलने की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु जहाँ तक सरकारी भूगतानों को चुकाने का सम्बन्ध था, किसी भी क्षेत्र के नोटों में सरकार को भूगतान किया जा सकता था। (ग) सन् 1903 में 5 रुपये का नोट देश के सभी क्षेत्रों में असंमित विधिग्राह्य घोषित कर दिया गया। तदुपरान्त, सन् 1910 में 10 तथा 50 रुपये के नोटों और सन् 1911 में 100 रुपये के नोटों को समूचे देश में असंमित विधिग्राह्य घोषित कर दिया गया। (घ) भारत सरकार ने निश्चित विश्वास आश्रित निर्गमन प्रणाली (fixed fiduciary system) के आधार पर ही कागजी मुद्रा का निर्गमन किया था। 7 करोड़ रुपये के मूल्य तक के नोट सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर निकाले जा सकते थे। परन्तु इतने अधिक के प्रत्येक नोट के पीछे रुपये के सिक्कों, धातुओं तथा भारत सरकार की हथिया प्रतिभूतियों (rump securities) की शत-प्रतिशत आड़ रखना अनिवार्य था। आगे चलकर विश्वास आश्रित निर्गमन (fiduciary issue) की मात्रा को 7 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, भारत सरकार 20 करोड़ रुपये के मूल्य तक के नोट बिना धातु निधि रखे जारी कर सकती थी। परन्तु इसके ऊपर जितनी भी कागजी मुद्रा जारी की जाती थी, उसके पीछे शत प्रतिशत धातु की आड़ रखना आवश्यक था। भारत सरकार को यह अधिकार था कि वह धातु निधि का एक भाग सोने में रखे। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने धातु निधि के स्वर्ण भाग को लन्दन में रखने का निर्णय किया परन्तु रुपये के सिक्कों को धातु निधि के रूप में ही रखा गया।

निश्चित विश्वास-आश्रित निर्गमन प्रणाली के गुण—इस अवधि में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया निश्चित विश्वास आश्रित निर्गमन प्रणाली में तीन बड़े गुण पाये जाते थे—प्रथम, इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी थी। चूंकि कागजी मुद्रा के एक निश्चित भाग को छोड़कर शेष के पीछे शत-प्रतिशत धातु निधि की आड़ थी, इसलिए इस प्रणाली में किसी प्रकार की असुरक्षा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। द्वितीय, इस प्रणाली के अन्तर्गत अति निर्गमन (over issue) का कोई भय नहीं था, क्योंकि पर्याप्त धातु निधि रखे बिना कागजी मुद्रा का निर्गमन नहीं हो सकता था। अतः इस प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा-स्फीति की कोई सम्भावना नहीं थी। तीसरे चूंकि इस प्रणाली के अनुसार कागजी मुद्रा के पीछे पर्याप्त मात्रा में धातु निधि रखी जाती थी, इसलिए समूची कागजी मुद्रा धातु सिक्कों से परिवर्तनशील थी।

निश्चित विश्वास आश्रित निर्गमन प्रणाली के दोष—उक्त निश्चित विश्वास आश्रित निर्गमन प्रणाली में कुछ दोष भी पाये जाते थे—प्रथम, इस प्रणाली में स्वयंवाचकता का अभाव था और समय समय पर विश्वास आश्रित निर्गमन की मात्रा में सरकार को परिवर्तन करने पड़ते थे। दूसरे, इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार को अपनी धातु निधि कोपारो में बन्द करके रखनी पड़ती थी। इस प्रकार बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी कोषों में धातुएँ बेकार पड़ी रहती थी जबकि उन्हें अन्य लाभपूर्ण प्रयोगों में लगाया जा सकता था। तीसरे, इसके अन्तर्गत धातु निधि का अर्थ बहुत अधिक हुआ करता था और उसका अधिकांश भाग लन्दन में ही रखा जाता था। चौथे, इस प्रणाली में लोच का भी अभाव हुआ करता था और मुद्रा की मात्रा को व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार घटतना कठिन था।

प्रथम विश्व युद्ध तथा भारतीय कागजी मुद्रा-प्रणाली—प्रथम विश्व युद्ध का भारत की कागजी मुद्रा प्रणाली पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। युद्ध के छिड़ते ही भारत की साधारण जनता का कागजी नोटों में से विश्वास उठ गया और बड़े पैमाने पर कागजी नोट सिक्कों में बदलने के लिए सरकारी खजानों में प्रस्तुत किये गये। इसी काल में रुपये के सिक्कों के अभाव को दूर करने के लिए सरकार ने एक तथा दो रुपये के नोट जारी किये। ये नोट रुपये के सिक्कों में परिवर्तनशील नहीं थे।

कॉर्सी एक्ट, सन् 1923—प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् बैबिंगटन रिमय कमेटी (Babington Smith Committee) ने भारत की समूची मुद्रा-प्रणाली की जांच की थी। इस कमेटी के अनुसार भारत की कागजी मुद्रा प्रणाली में लोच का भारी अभाव था। अतएव कमेटी ने कागजी

मुद्रा प्रणाली के इस दोष को दूर करने के लिए कई प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किये थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर सन् 1923 में एक कर्सी कानून पारित किया गया। इस कानून की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार थीं—(क) कागजी मुद्रा के पीछे रखा जाने वाली निधि का कम से कम 50 प्रतिशत भाग धातुओं के रूप में होना चाहिए। (ख) निधि का शेष भाग 20 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के रूप में भारत में रखा जा सकता था और इससे ऊपर की निधि को अल्पकालीन प्रतिभूतियों के रूप में लन्दन में रखा जा सकता था। (ग) इस कानून के अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि 5 करोड़ रुपये की कीमत तक के नोट वह विनिमय बिन्दु की बाड़ पर निकाल सकती थी। (घ) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लन्दन में 50 लाख पौण्ड के मूल्य से अधिक का सोना नहीं रख सकता था।

सन् 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक (Imperial Bank) की स्थापना की गयी और इस बैंक की ही विनिमय विलों की बाड़ पर मुद्रा के निर्गमन का अधिकार दिया गया।

हिल्टन यंग समीक्षण की सिफारिशें—हिल्टन यंग समीक्षण ने भी कागजी मुद्रा प्रणाली में सुधार करने हेतु कुछ सुझाव सरकार के सम्मुख रखे थे प्रथम, सरकार को एक केन्द्रीय बैंक स्थापित करके उसे नोट निर्गमन का एकाधिकार दे देना चाहिए। दूसरे, सरकार की कागजी मुद्रा निधि (Paper Currency Reserve) तथा स्वर्णमान निधि (Gold Standard Reserve) को मिलाकर एक कागजी मुद्रा कोष का निर्माण करना चाहिए। तीसरे, देश के केन्द्रीय बैंक को आनुपातिक कोष निर्गमन प्रणाली (Proportional Reserve System) के आधार पर नोट जारी करने चाहिए। भारत सरकार ने हिल्टन यंग समीक्षण की उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उन्हें त्रिवान्वितभी किया था।

3. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा आनुपातिक कोष-निधि प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा का निर्गमन (सन् 1934 से 1956 तक)

1 अप्रैल, 1935 से नोट निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक ने अपने हाथों में ले लिया और आनुपातिक कोष निधि प्रणाली के आधार पर नोटों का प्रकाशन आरम्भ कर दिया था। इस प्रणाली की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार थीं—(क) भारत में नोट जारी करने का एकाधिकार रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। इस कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक नोट निगमन विभाग (Issue Department) का स्थापना की थी। (ख) भारत सरकार ने स्वर्णमान कोष और कागजी मुद्रा कोष—दोनों को मिलाकर रिजर्व बैंक के सुपुर्द कर दिया था। (ग) रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये नोट असीमित विधिग्राह्य होते थे तथा भारत सरकार अपनी ओर से उनकी परिवर्तनशीलता की गारण्टी दिया करती थी। दूसरे रिजर्व मुद्रा के दौरान, अर्थात् ऊपर कहा गया है—एक रुपये तथा दो रुपये के नोटों का भी निर्गमन किया गया था। परन्तु एक रुपये का नोट आरम्भ से ही अपरिवर्तनशील था। (घ) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया आनुपातिक कोष निधि प्रणाली के अन्तर्गत ही नोटों का प्रकाशन किया करता था। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट सन् 1934 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के लिए यह आवश्यक था कि वह जितने रुपये के नोट जारी करे, उनके कुल मूल्य का 40 प्रतिशत भाग सोने, सोने के सिक्कों, विदेशी प्रतिभूतियों एवं विदेशी मुद्राओं के रूप में रखे। (परन्तु यहाँ पर शर्त यह थी कि कुल निधि में कम से कम 40 करोड़ रुपये के सोने के सिक्के या सोना अवश्य ही होना चाहिए और इस स्वर्ण-निधि का $\frac{1}{3}$ भाग भारत में ही रहना चाहिए।) कागजी मुद्रा के शेष 60 प्रतिशत भाग के पीछे भारत सरकार को अपनी प्रतिभूतियों, स्वीकृत ट्रेजरी बिल, विनिमय बिल तथा चाँदी व चाँदी के सिक्के रखने चाहिए। इस सम्बन्ध में कानून में यह भी व्यवस्था कर दी गयी थी कि भारत सरकार की प्रतिभूतियों की मात्रा कुल कागजी मुद्रा निधि के 25 प्रतिशत या 50 करोड़ रुपये की कीमत से अधिक नहीं होनी चाहिए, परन्तु अमाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति से भारत सरकार की प्रतिभूतियों में 10 करोड़ रुपये की वृद्धि की जा सकती थी। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि विशेष परिस्थितियों में नोट निर्गमन सम्बन्धी नियमों में रिजर्व बैंक को ढील दी जा सकती थी, परन्तु ऐसा करने लिए राष्ट्रपति से पूर्व आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक था। इसके अनिश्चित, यदि रिजर्व बैंक निश्चित निर्गमन के ऊपर कागजी मुद्रा जारी करना चाहता था तो

ऐसी दशा में उसे सरकार को एक विशेष प्रकार का कर चुकाना पड़ता था। इस कर को दर निश्चित निर्गमन के ऊपर नोटों में की जाने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ बढ़ती जाती थी। इस प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत भारत में बैंकिंग सिद्धान्त पर आधारित आनुपातिक कोष-निधि प्रणाली को अपना लिया गया था।

आनुपातिक कोष निधि प्रणाली के गुण—यह प्रणाली भारत में सन् 1935 से 1956 तक प्रचलित रही थी। इस प्रणाली के मुख्य-मुख्य गुण इस प्रकार थे :—

(1) लोचकता (Elasticity)—इस प्रणाली में लोचकता का गुण पाया जाता था क्योंकि इसके अधीन विदेशी प्रतिभूतियों स्वीकृत विनिमय-द्विती एव प्रतिज्ञा-पत्रों की आड़ रखकर कागजी मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, कागजी मुद्रा के एक निश्चित भाग को जारी करने के लिए धातु निधि की आवश्यकता नहीं थी।

(2) बचतपूर्ण (Economical)—यह प्रणाली इस अर्थ में बचतपूर्ण थी कि इसके अन्तर्गत बहुत अधिक मात्रा में सोने व चाँदी को गोप में बन्द करके नहीं रखा पड़ता था अर्थात् सोने-चाँदी जैसी धातुओं को अन्य लाभपूर्ण उपयोगों में लगाया जा सकता था।

(3) सकटकालीन परिस्थितियों के लिए उपयुक्तता—यह प्रणाली सकटकालीन परिस्थितियों के लिए अत्यन्त उपयुक्त थी क्योंकि इसके अन्तर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से नोट निर्गमन सम्बन्धी नियमों में डीत भी दी जा सकती थी। इस प्रकार इस प्रणाली में कठोरता (rigidity) का दोष नहीं पाया जाता था।

आनुपातिक कोष निधि प्रणाली के दोष—इस प्रणाली के मुख्य मुख्य दोष इस प्रकार थे —

(1) नोटों के अत्यधिक निर्गमन का भय—इस प्रणाली का एक बड़ा दोष यह था कि इसमें नोटों के आवश्यकता से अधिक मात्रा में जारी किये जाने का सदैव भय रहना था। वास्तव में, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसी प्रणाली के कारण कागजी नोटों की अत्यधिक निकासी हुई थी और देश में मुद्रा-स्फीति का प्रादुर्भाव हुआ था।

(2) परिवर्तनशीलता का अभाव—चूँकि इस प्रणाली के अन्तर्गत रुपया स्टैबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ था और स्टैबिलिटी स्वयं सोने चाँदी में परिवर्तनशील नहीं था, इसलिए भारतीय कागजी मुद्रा भी अपरिवर्तनशील थी।

(3) स्वयंचालकता का अभाव (Lack of Automaticity)—वास्तव में, यह प्रणाली एक कृत्रिम एव प्रबन्धित (Managed) प्रणाली थी और इसे संचालित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ना था। इसमें स्वयंचालकता का पूर्ण अभाव था। इसके अन्तर्गत कागजी मुद्रा की मात्रा में देश की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करना कठिन था।

(4) आन्तरिक कीमत-स्तर में स्थिरता का अभाव—इस प्रणाली के अन्तर्गत रुपये के विदेशी मूल्य में तो स्थिरता बनी रही परन्तु रुपये के आन्तरिक मूल्य में भारी गिरावट आयी थी। दूसरे शब्दों में, यह प्रणाली आन्तरिक कीमत स्तर में स्थिरता बनाये रखने में असमर्थ रही।

(5) लोच का अभाव (Lack of Elasticity)—इस प्रणाली में समुचित लोचकता का भी अभाव था। इसके अन्तर्गत मुद्रा की मात्रा तथा देश की आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी आवश्यकताओं में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था, अर्थात् इस प्रणाली में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की मात्रा को घटाने-बढ़ाने का गुण नहीं पाया जाता था। यह प्रणाली आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि इसके अन्तर्गत एक ओर देश की मुद्रा और दूसरी ओर देश की आर्थिक आवश्यकताओं के बीच किसी प्रकार का समन्वय नहीं रहना था। अतएव आर्थिक विकास की दृष्टि से यह प्रणाली सन्तोषजनक नहीं थी।

4 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा न्यूनतम मुद्रा-कोष प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा का निर्गमन (सन् 1956 से अब तक)

सन् 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में संशोधन किया गया जिसके अनुसार आनुपातिक कोष-निधि प्रणाली (Proportional Reserve System) के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) को अपना लिया गया था। आनुपातिक कोष-निधि

प्रणाली के अधीन यह आवश्यक था कि रिजर्व बैंक जितने रुपये के कागजी नोट जारी करे, उनके कुल मूल्य का 40 प्रतिशत भाग सोने व चाँदी के सिक्कों तथा विदेशी प्रतिभूतियों एवं विदेशी मुद्राओं के रूप में रखे तथा शेष 60 प्रतिशत भाग सरकार की प्रतिभूतियों, स्वीकृत विनिमय-बिलों, इण्डिया तथा चाँदी व चाँदी के सिक्कों के रूप में रखे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान तो रिजर्व बैंक की यह व्यवस्था सुचारु ढंग से कार्य करती रही, परन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में इस व्यवस्था के कारण भारत सरकार के लिए कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयीं। जैसा विदित है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार को आर्थिक विकास हेतु बहुत बड़े निवेश (Investments) करने थे और भारत सरकार के पास इन निवेशों के लिए पर्याप्त धन-राशि नहीं थी। अतएव भारत सरकार इस वित्तीय कठिनाई को और अधिक नोट छापकर दूर करना चाहती थी। परन्तु रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की नोट सम्बन्धी उक्त व्यवस्था भारत सरकार के इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक सिद्ध हो रही थी। इसका कारण यह था कि तत्कालीन नोट निर्गमन सम्बन्धी व्यवस्था के अन्तर्गत नोट जारी करने से पूर्व रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त धातु-निधि का होना आवश्यक था। चूंकि रिजर्व बैंक के पास धातु निधि असीमित मात्रा में नहीं थी, इसलिए वह अधिक मात्रा में नोट छापने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन नोट निर्गमन सम्बन्धी व्यवस्था के अन्तर्गत विदेशी विनिमय साधनों का एक बहुत बड़ा भाग कागजी मुद्रा-कोष के रूप में बेकार पड़ा रहता था जबकि सरकार इसका विदेशों से पूंजीगत माल आयात करने के लिए प्रयोग कर सकती थी। इस प्रकार तत्कालीन व्यवस्था देश के आर्थिक विकास के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न कर रही थी। इन्हीं कारणों से सन् 1956 में कानून में संशोधन करके अनुपातिक कोष-निधि प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया था।

न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के लिए कागजी मुद्रा के पीछे 400 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा 115 करोड़ रुपये के मूल्य का सोना या सोने के त्रिवके रखना अनिवार्य कर दिया गया था। इस प्रकार अब रिजर्व बैंक को समूची कागजी मुद्रा के पीछे 515 करोड़ रुपये की धन राशि रखनी पड़ती थी। इस प्रणाली के लागू किये जाने से पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अपनी स्वर्ण निधि का मूल्यांकन 21 रुपये 13 आना 10 पाई प्रति तोला की दर से किया करता था और इस प्रकार इसकी स्वर्ण निधि का कुल मूल्य 40 01 करोड़ रुपये हुआ करता था, परन्तु अब रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपनी स्वर्ण-निधि का मूल्यांकन 62 50 रुपये प्रति तोला के हिसाब से करना आरम्भ कर दिया। इसका कारण यह था कि 62 50 रुपये प्रति तोला का मूल्य अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के द्वारा निर्धारित किया गया था। इस नये मूल्य पर स्वर्ण का मूल्यांकन करने से रिजर्व बैंक की स्वर्ण निधि 115 करोड़ रुपये के बराबर हो गयी थी। इसी कारण सन् 1956 में रिजर्व बैंक की स्वर्ण निधि की न्यूनतम सीमा 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 115 करोड़ रुपये कर दी गयी थी।

सन् 1957 का संशोधन—अक्टूबर 1957 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में पुनः संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दूसरी पंचवर्षीय योजना काल की विदेशी-विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में बड़े पैमाने पर पूंजीगत माल का आयात होने के फलस्वरूप विदेशी विनिमय का भारी अभाव उत्पन्न हो गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के विदेशी विनिमय कोष (Foreign Exchange Reserves) तेजी से घटते जा रहे थे। अतः विदेशी विनिमय के संकट का सामना करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में सन् 1957 में पुनः संशोधन करना पड़ा। इस संशोधन के अन्तर्गत नोटों के पीछे रखे जाने वाले सोने, सोने के सिक्कों तथा विदेशी प्रतिभूतियों के मूल्य को 515 करोड़ रुपये से घटाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया और यह व्यवस्था की गयी कि किसी भी समय कागजी मुद्रा के पीछे रखी जाने वाली आठ बी कीमत 200 करोड़ रुपये से कम नहीं हो सकेगी। इस 200 करोड़ रुपये की राशि में 115 करोड़ रुपये का सोना तथा 85 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ रखने की व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार सन् 1957 के संशोधन के अनुसार कागजी मुद्रा के पीछे रखे जाने वाले सोने का मूल्य तो 115 करोड़ रुपये ही रहा परन्तु विदेशी प्रतिभूतियों के मूल्य को घटाकर 85 करोड़ रुपये कर दिया गया था। कानून में यह भी व्यवस्था कर दी गयी कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति से विदेशी प्रतिभूतियों के मूल्य में और भी कमी की जा सकती है।

वर्तमान स्थिति—सन् 1975-76 में कागजी मुद्रा की कुल पूर्ति 6,572.62 करोड़ रु० के तुल्य थी। इस मुद्रा के पीछे लगभग 182.53 करोड़ रु० का स्वर्ण अथवा स्वर्ण के सिक्के, लगभग 271.74 करोड़ रु० के मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियाँ, 12.90 करोड़ रु० के रुपये के सिक्के तथा 6,105.45 करोड़ रुपये की भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ रिजर्व बैंक द्वारा आड (Cover) के रूप में रखी गयी थी।¹

न्यूनतम कोष प्रणाली के गुण—इसके गुण निम्नलिखित हैं :

(1) लोचकता—इस प्रणाली में लोचकता का गुण पाया जाता है। इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक केवल 200 करोड़ रुपये की निधि रखकर (इसमें से कम से कम 115 करोड़ रुपये का सोना तथा 85 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए) मनचाही मात्रा में कागजी मुद्रा का निर्गमन कर सकता है। चूंकि इस प्रणाली के अधीन कागजी मुद्रा की मात्रा तथा उसके पीछे रखी जाने वाली निधि में कोई वैधानिक सम्बन्ध नहीं होता, इसलिए रिजर्व बैंक व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है।

(2) विदेशी विनिमय के उपयोग में बचत—आनुपातिक कोष प्रणाली के अन्तर्गत जारी की गयी मुद्रा के पीछे बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जाती थी, परन्तु वर्तमान न्यूनतम कोष प्रणाली के अधीन 85 करोड़ रुपये के मूल्य की ही विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं। इस प्रकार विदेशी विनिमय को आवश्यक रूप में सरकारी कामों में खर्च करके नहीं रखा जाता, बल्कि आर्थिक विकास हेतु उसका लाभपूर्ण उपयोग किया जाता है।

(3) स्वर्ण के उपयोग में बचत—आनुपातिक कोष प्रणाली के अन्तर्गत बहुत बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा के पीछे सोना रखा जाता था परन्तु वर्तमान न्यूनतम कोष प्रणाली के अधीन इतनी बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा के पीछे स्वर्ण रखने की आवश्यकता नहीं है।

(4) आर्थिक विकास के लिए उपयुक्तता—न्यूनतम कोष प्रणाली देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से करने के लिए भी उपयुक्त सिद्ध हुई है क्योंकि इसने अन्तर्गत आर्थिक विकास हेतु मनचाही मात्रा में कागजी मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। वास्तव में, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने में इस प्रणाली में बहुमूल्य योग प्रदान किया है।

(5) संकटकाल में निधि सम्बन्धी नियमों में ढील—जैसा पूर्व कहा जा चुका है, इस प्रणाली के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि संकट के समय त्रोट निर्गमन सम्बन्धी नियमों में राष्ट्रगति की पूर्ण अनुमति से ढील की जा सकती है, इससे देश की मुद्रा-प्रणाली अत्यन्त लोचपूर्ण बन गयी है और किसी भी परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सकती है।

(6) रुपये की विनिमय दर में स्थिरता—इस प्रणाली के अन्तर्गत यद्यपि रुपये के आन्तरिक मूल्य में भारी गिरावट हुई है, परन्तु रुपये के विदेशी मूल्य में लगभग स्थिरता सी रही है।

(7) जनता का विश्वास—यद्यपि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत कागजी मुद्रा को सोने-चाँदी में बदला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक न्यूनतम निधि की व्यवस्था होने के कारण साधारण जनता का इस मुद्रा में विश्वास बना रहता है।

न्यूनतम कोष प्रणाली के दोष—इस प्रणाली के दोष इस प्रकार हैं

(1) मुद्रा स्फीति का प्रादुर्भाव—इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके कारण विगत कुछ वर्षों में देश में मुद्रा स्फीति का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है इस प्रणाली के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये के मूल्य की निधि रखकर रिजर्व बैंक मनचाही मात्रा में कागजी मुद्रा का निर्गमन कर सकता है। रिजर्व बैंक ने विगत कुछ वर्षों में इस व्यवस्था का पूर्ण उपयोग किया है जिसके फलस्वरूप देश में एक भयानक प्रकार की मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो गयी है।

¹ 31 जनवरी, 1969 तक रिजर्व बैंक में पड़े हुए स्वर्ण का मूल्य 53.58 रु० प्रति 10 ग्राम की दर पर आँका जाता था। लेकिन बैंक इस तिथि के बाद स्वर्ण का मूल्य 84.39 रु० प्रति 10 ग्राम आँका जाने लगा।

(2) आन्तरिक मूल्य स्तर में अस्थिरता—यद्यपि इस प्रणाली ने रुपये के बाह्य मूल्य में तो कुछ स्थिरता बनाये रखी है परन्तु यह प्रणाली रुपये के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता बनाये रखने में पूर्णतः असफल रही है। (स्मरण रहे कि 6 जून, 1966 को भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य में कमी कर दी गयी थी) यहाँ तक कि विगत कुछ वर्षों में रुपये के आन्तरिक मूल्य में निरन्तर कमी हुई है और सरकार के भरसक प्रयत्नों के बावजूद रुपये के आन्तरिक मूल्य को स्थिर बनाये रखना सम्भव नहीं हो सका है। दिसम्बर सन् 1974 में तो रुपये का आन्तरिक मूल्य गिर कर 27.4 पैसे ही रह गया था।

(3) जनता का अविश्वास—इस प्रणाली के अन्तर्गत, चूंकि कागजी मुद्रा के पीछे रखी जाने वाली निधि बहुत कम होती है, इसलिए कागजी मुद्रा में साधारण जनता का विश्वास प्राप्त करना कठिन होता है और सकटकाल में इसके टूट जाने की सदैव सम्भावना रहती है।

इस समय न्यूनतम कोष प्रणाली के सम्बन्ध में भारत के अर्थशास्त्रियों में भारी विवाद चल रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने (जिनमें डॉ० वी० के० आर० वी० राव भी हैं) इस पद्धति का बहुत समर्थन किया है। उनके अनुसार इस पद्धति से देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से करने में बहुत सहायता मिली है। अतएव इस प्रणाली को जारी रखना चाहिए। इसके विपरीत, कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने इस प्रणाली की कटु आलोचना की है। उनका कहना है कि यह प्रणाली देश के लिए अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसमें मुद्रा-स्फीति की सम्भावना सदैव सन्निहित रहती है। वास्तव में, विगत कुछ वर्षों में होने वाली मुद्रा-स्फीति ने स्पष्टतः सिद्ध कर दिया है कि अर्थशास्त्रियों के उपरोक्त भय निराधार नहीं है। इसके साथ ही इस प्रणाली के कारण भारत की अन्तरराष्ट्रीय साख पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. आजकल भारत में प्रचलित नोट निर्गमन प्रणाली के बारे में सविस्तार लिखिए। इस प्रणाली के गुण तथा दोष क्या-क्या हैं ?
[संकेत—प्रथम भाग में, भारत की वर्तमान नोट निर्गमन प्रणाली अर्थात् न्यूनतम कोष प्रणाली की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, इस प्रणाली के मुख्य गुणों एवं दोषों की विवेचना कीजिए।]
2. भारत में सन 1956 में नोट जारी करने की विधि आनुपातिक कोष प्रणाली से बदलकर निश्चित न्यूनतम प्रणाली क्यों की गयी थी ? भारतीय मुद्रा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ?
[संकेत—प्रथम भाग में, यह बताइए कि पंचवर्षीय योजनाओं को त्रिधातित करने के लिए ही न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया था। दूसरे भाग में, यह बताइए कि इसके कारण देश में मुद्रा-स्फीति का प्रादुर्भाव हुआ है।]

भारतीय बैंकिंग का इतिहास एवं समस्याएँ (History and Problems of Indian Banking)

भारतीय बैंकिंग का इतिहास

भारतीय बैंकिंग के इतिहास को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है :

1 प्रथम अवधि (सन् 1806 तक) — ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व भारत में बैंकिंग का कोई अधिक विकास नहीं हुआ था। बैंकिंग कार्य प्रायः महाजनो एवं साहूकारों द्वारा सम्पन्न किया जाता था। परन्तु ब्रिटिश शासनकाल में इन महाजनो एवं साहूकारों के व्यवसाय में बहुत कमी हो गयी थी। इसका मुख्य कारण है कि यह लोग अंग्रेजी भाषा एवं ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं थे। इनके स्थान पर धीरे-धीरे भारत में आधुनिक बैंकिंग का विकास होने लगा। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी (East India Company) ने बम्बई तथा कलकत्ता में कुछ एजेंसी-घरों (Agency Houses) की स्थापना की थी। ये एजेंसी-घर आधुनिक बैंकों की भाँति कार्य किया करते थे। इनके मुख्य कार्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सैनिक आवश्यकताओं के लिए रण्य उधार देना, कृषि उपज की बिक्री के लिए ऋण देना, कागजी मुद्रा का निर्माण करना तथा लोगों से निक्षेप (Deposits) स्वीकार करना था। इन घरों के पास प्रायः अपनी पूंजी नहीं हुआ करती थी। ये अपने बैंकिंग कार्य के लिए अंग्रेज अधिकारियों एवं व्यक्तियों से निक्षेप स्वीकार किया करते थे। अपने द्वारा दिये गये ऋणों पर ये एजेंसी-घर 10 से 12 प्रतिशत तक व्याज लिया करते थे। इस प्रकार सन् 1806 से पूर्व भारत में बैंकों का कार्य इन एजेंसी घरों द्वारा ही किया जाता था।

2 दूसरी अवधि (सन् 1806 से 1860 तक) — सन् 1813 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के वाणिज्य अधिकार समाप्त हो गये थे। परिणामतः एजेंसी-घरों का भी पतन होना आरम्भ हो गया था। इसके बाद तीन प्रेसिडेन्सी बैंकों की स्थापना की गयी। सन् 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, सन् 1840 में बैंक ऑफ बम्बे तथा सन् 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गयी। ये तीनों बैंक निजी शेरर होल्डरों के बैंक थे। इनके अधिकांश शेयर विदेशियों के हाथ में थे। परन्तु इन तीनों बैंकों की शेरर पूंजी में सरकार का भी कुछ हिस्सा था और इसी नाते सरकार इन बैंकों पर अपना नियन्त्रण रखती थी। साधारणतः इन बैंकों के उच्च अधिकारी भारतीय सिविल सर्विस (Indian Civil Service) के सदस्य ही हुआ करते थे। सन् 1852 से पूर्व इन बैंकों को नोट जारी करने का भी अधिकार हुआ करता था, परन्तु इस वर्ष के बाद भारत सरकार ने यह अधिकार उनसे वापस ले लिया। सरकारी बैंक होने के नाते सरकार द्वारा इनके कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे। उदाहरणार्थ, ये बैंक अबल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं दे सकते थे और न ही ये 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए ऋण दे सकते थे। इन्हे विदेशी विलों का ऋण विक्रय करने की भी आज्ञा नहीं थी। आगे चलकर सन् 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया (Imperial Bank of India) की स्थापना की गयी और 1 जुलाई, 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India) रखा गया था।

3 तीसरी अवधि (सन् 1860 से 1913 तक)—सन् 1860 में भारत सरकार ने एक बैंकिंग कानून पास किया। इसके अन्तर्गत, बैंको का सीमित देयता (Limited Liability) के आधार पर संगठन किया जा सकता था। इस कानून के कारण भारत में मिश्रित पूंजी वाले बैंको (Joint Stock Banks) की स्थापना में बहुत सहायता मिली थी। परिणामतः देश में अनेक मिश्रित पूंजी बैंक स्थापित हो गये। इस अवधि में जिन महत्त्वपूर्ण बैंको की स्थापना हुई, उनके नाम इस प्रकार हैं— इलाहाबाद बैंक (1865), एलाइन्स बैंक ऑफ शिमला (1881), दि पंजाब नेषनल बैंक (1894), पीपिल्स बैंक ऑफ इण्डिया (1901)। यद्यपि भारत में सन् 1900 तक बैंकिंग की विशेष प्रगति नहीं हो सकी थी परन्तु सन् 1906 के बाद बैंकिंग का देश में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। विशेषकर उत्तरी भारत में नये बैंको का एक जाल-सा बिछ गया था। इसका मुख्य कारण देश में स्वदेशी आन्दोलन (Swadeshi Movement) का आरम्भ किया जाना था। इस आन्दोलन के कारण लोगों ने अंग्रेजी बैंको का बहिष्कार करके भारतीय बैंको के साथ व्यवसाय करना आरम्भ कर दिया था। इससे भारतीय बैंको को बहुत प्रोत्साहन मिला। इस अवधि में स्थापित होने वाले मुख्य मुख्य बैंको के नाम इस प्रकार हैं। दि सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, दि बैंक ऑफ बड़ोदा, दि बैंक ऑफ इण्डिया तथा दि बैंक ऑफ मैसूर। इस प्रकार स्वदेशी आन्दोलन के कारण भारत में इस अवधि में अनेक छोटे और बड़े बैंक स्थापित हो गये थे।

4 चौथी अवधि (सन् 1913 से 1939 तक)—इस अवधि की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं

(क) सन् 1913-17 का काल भारत में बैंकिंग संकट (Banking Crisis) का काल माना जाता है। इस बैंकिंग संकट के मुख्य कारण इस प्रकार थे

(1) जैसा ऊपर कहा गया है, स्वदेशी आन्दोलन के कारण देश में अनेक छोटे-छोटे बैंक स्थापित हो गये थे जो अपने दैनिक कार्य में बैंकिंग के आधारभूत सिद्धान्तों की ही अवहेलना किया करते थे।

(2) उस समय भारतीय मुद्रा-बाजार (Indian Money Market) ठीक ढंग से संगठित नहीं हुआ करता था और न ही मुद्रा एव साख-श्रणाली लोचपूर्ण हुआ करती थी। परिणामतः संकट के समय बैंक एक दूसरे से सहायता प्राप्त करने में असमर्थ रहते थे।

(3) उस समय देश में केन्द्रीय बैंक का अभाव था जिसके कारण व्यापारिक बैंक संकट के समय वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकते थे।

(4) प्रथम विश्व युद्ध व प्रारम्भिक काल में भारतीय मुद्रा-बाजार में सरकार की नीतियों के फलस्वरूप मुद्रा की बहुत कमी हो गयी थी जबकि व्यावसायिक विस्तार (business expansion) के कारण मुद्रा की माँग में अत्यधिक वृद्धि हो गयी थी। परिणामतः व्याज की दरें बढ़ने लगी और बैंक ने अधिक लाभ कमाने के प्रलोभन में अपने निक्षेपों (जमाराशियों) के पीछे अर्थात् नकद-कोष (cash reserves) रखने आरम्भ कर दिये थे। इन अर्थात् नकद-कोषों के कारण ही वे संकट के समय निक्षेपधारियों (Depositors) की माँग को सन्तुष्ट करने में असमर्थ रहे। अतः इस अवधि में पीक्षियों बैंक अर्थात् नकद-कोषों के कारण फेल हो गये थे। बैंको की इस सामान्य असफलता (General Failure) के कारण निम्नलिखित हैं

(1) बैंको द्वारा बैंकिंग सिद्धान्तों की अवहेलना—जैसा ऊपर कहा गया है, स्वदेशी आन्दोलन के कारण देश में अनेक छोटे-छोटे एव दुर्बल बैंक स्थापित हो गये थे। इनमें से अधिकांश बैंक बैंकिंग के आधारभूत सिद्धान्तों तक की अवहेलना किया करते थे और यही इनकी असफलता का मुख्य कारण था।

(2) बैंकों द्वारा घोड़ेवाजी—इन बैंको के डायरेक्टर प्रायः घोड़ेवाजी की नीति अपनाया करते थे। वे प्रायः बैंक की चुकनी पूंजी (Paid up Capital) को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया करते थे। उनका हिसाब किताब भी ठीक ढंग से नहीं रखा जाता था और न ही उनका सही ढंग से ऑडिट (audit) किया जाता था। इससे साधारण जनता का बैंकिंग में से विश्वास उठ गया था।

(3) अयोग्य तथा अनुभवहीन सचालकों का होना—इन बैंको के सचालक एव प्रबन्धक

प्रायः अयोग्य एवं अनुभवहीन व्यक्ति हुआ करते थे जिनको बैंकिंग कार्य प्रणाली के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त, बैंको के शेयर होल्डर भी प्रायः बैंकिंग कार्य-प्रणाली से अपरिचित होते थे और न ही वे बैंको के प्रबन्ध में अधिक रुचि रखा करते थे। परिणामतः बैंको के सम्बन्ध में बहुत गड़बड़ी रहा करती थी, जिससे उनकी साख पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था।

(4) बैंकों के संचालक एवं प्रबन्धक बैंकों की पूंजी को उन्हीं व्यवसायों में लगाया करते थे जिनसे वे स्वयं सम्बन्धित होते थे प्रायः संचालक एवं प्रबन्धक बैंको की पूंजी को उन व्यवसायों में ही लगाते थे जिनमें उनका हिस्सा हुआ करता था या जिनसे वे सम्बन्धित होते थे। इस प्रकार वे बैंको से ऋण लेकर अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करते थे। जब किसी कारणवश उनके व्यवसाय फेल हो जाते थे, तब उनका पूर्ण बोझ बैंको के जमाकर्ताओं पर डाल दिया जाता था।

(5) अल्पकालीन जमाराशियों को दीर्घकालीन एवं जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगाना—उत्तम समय इन बैंको के निक्षेप प्रायः अल्पकाल के लिए ही हुआ करते थे, परन्तु बैंको के संचालक एवं प्रबन्धक इन अल्पकालीन निक्षेपों को दीर्घकालीन एवं जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगा दिया करते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि इस प्रकार के व्यवसायों से उन्हें अधिक व्याज उपलब्ध होना था। इस प्रकार अधिक व्याज के लालच में वे बैंको की सुरक्षा (Security) की बलि दे दिया करते थे क्योंकि सन्कट के समय इस प्रकार के उद्योगों में लगाये गये धन को वापस लेना सम्भव नहीं होता था। परिणामतः तरल परिसम्पत्ति (Liquid Assets) के अभाव के कारण बहुत-से बैंक फेल हो जाया करते थे। उदाहरणार्थ, पीपल्स बैंक ऑफ इण्डिया (People's Bank of India) इसी कारण फेल हो गया था।

(6) नकद-कोषों का कम प्रतिशत (Low Percentage of Cash Reserves)—अधिकांश छोटे-छोटे बैंक अधिक लाभ कमाने हेतु अपनी जमाराशियों को अधिक से अधिक मात्रा में व्यापारियों को ऋण के रूप में दे दिया करते थे और अपने पास बहुत ही कम मात्रा में नकद कोष रखा करते थे। कहा जाता है कि इस काल में अधिकांश बैंकों का नकद-कोष उनकी कुल देयताओं (Total Liabilities) के 11 प्रतिशत से भी कम हुआ करता था। परिणामतः सन्कट के समय नकद-कोषों की अपर्याप्तता के कारण वे बैंक फेल हो जाया करते थे।

(7) बैंको द्वारा सट्टा व्यवसाय (Speculative Business)—उत्तम समय अधिकांश छोटे-छोटे बैंक अधिक लाभ कमाने के लालच में अपना धन सट्टा व्यवसाय में लगा दिया करते थे। कभी कभी उन्हें सट्टे से बहुत हानि हुआ करती थी जिसके फलस्वरूप वे विवालिया हो जाते थे। उदाहरणार्थ, इण्डियन स्पेशी बैंक (Indian Specie Bank) की असफलता का मुख्य कारण सोने-चाँदी में सट्टा ही था।

(8) पूंजी तथा जमाराशियों में से लाभ का वितरण—अधिकांश छोटे छोटे बैंक पर्याप्त व्यवसाय न होने के कारण अधिक लाभ कमा सकने में असमर्थ रहते थे। परन्तु मुद्रा-बाजार में अपनी साख बनाये रखने के लिए व अपनी पूंजी तथा जमाराशि में से उच्च लाभांश (high dividends) का शेयर होल्डरों में वितरण किया करते थे। वास्तव में ऐसा करना उनके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे धीरे धीरे उनकी पूंजी में हास होना आरम्भ हो गया और कालान्तर में वे अपने दायित्वों (liabilities) का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण फेल हो गये। उदाहरणार्थ, इण्डियन स्पेशी बैंक ने अपनी पूंजी में से बहुत बड़ी मात्रा में धन निवालकर शेयरहोल्डरों में लाभांश के रूप में बाँट दिया था और यही उसकी विफलता का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ।

(9) केंद्रीय बैंक का अभाव—उत्तम समय देश में कोई केंद्रीय बैंक नहीं हुआ करता था। अतः जब कोई व्यापारिक बैंक सन्कट में फँस जाता था तो उसे आर्थिक सहायता देकर बचाने वाला कोई नहीं होता था। ऐसे समय पर सरकार का रवैया भी प्रायः तटस्थता का ही हुआ करता था। फलतः सामयिक सहायता के अभाव में बहुत से छोटे छोटे बैंक फेल हो जाया करते थे।

(10) बैंकिंग विधान का अभाव—इस अवधि में व्यापारिक बैंको को सही ढंग से नियंत्रित

करने हेतु कोई सुनिश्चित बैंक कानून भी नहीं हुआ करता था। परिणामतः अधिकांश बैंकों की अवस्था अत्यन्त वीथपूर्ण थी और इसी कारण ही वे फेल हो जाया करते थे।

(11) झूठी अफवाहें—कभी-कभी बैंक अपनी त्रुटियों के कारण नहीं, बल्कि झूठी अफवाहों के कारण फेल हो जाते थे। उदाहरणार्थ, एलायन्स बैंक ऑफ़ शिमला झूठी अफवाहों के कारण ही फेल हुआ, यद्यपि इसकी वित्तीय स्थिति पूर्णतः सन्तोषजनक थी। इसी प्रकार बैंक ऑफ़ अपर इण्डिया के ऊपर इसलिए सकट आया क्योंकि पीपिल्स बैंक के फेल हो जाने पर साधारण जनता ने इसके बारे में गलत, बेयुनियाद अफवाहें फैल गयी थी।

(ख) प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ काल में तो बैंकिंग सकट जारी रहा। बैंकिंग में सामान्य अविश्वास के कारण साधारण जनता न बैंकों से अपनी जमा राशियाँ वापस लेनी आरम्भ कर दी। परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया, लोगों का बैंकिंग में पुनः विश्वास जमता गया। देश में प्रचलित मुद्रा स्फीति के कारण लोगों के पास अधिक धन एकत्रित होने लगा। परिणामतः बैंकों की जमा राशियाँ बढ़ने लगी। कुछ नये बैंक भी स्थापित हो गये।

(ग) सन् 1921 में तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों (Presidency Banks) को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इण्डिया की स्थापना की गयी। बाद में चक्रवर्त सन् 1955 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया (State Bank of India) का नाम दिया गया।

(घ) सन 1929 में भारत सरकार ने बैंकिंग प्रणाली की जाँच करने के लिए केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति (Central Banking Enquiry Committee) की नियुक्ति की थी। इस समिति ने देश की बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने हेतु सरकार के सम्मुख कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे थे।

(ङ) इस अवधि में भारतीय बैंकिंग का विकास अत्यन्त असन्तुलित ढंग से हुआ था। देश के कुछ प्रान्तों (जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात) में तो बैंकों की वाढ़ सी आ गयी जबकि देश के अन्य भागों (जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश) में बैंकिंग का उचित ढंग से विकास नहीं हो सका। देशों रियासतों में बैंकिंग का विलकुल ही अभाव रहा।

5 पाँचवीं अवधि (सन 1939 से 1946 तक)—यह अवधि भारतीय बैंकिंग के विस्तार की अवधि (period of expansion) थी। इस काल में बैंकिंग का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। बैंकिंग सकट पूरा समाप्त हो गया। इस काल में भारतीय बैंकिंग के विस्तार के कई कारण थे। देश में प्रचलित मुद्रा स्फीति के कारण लोगों के पास अधिक धन आ गया था। फलतः सभी बैंकों के निक्षेप (deposits) बढ़ गये थे। इसी अवधि में व्यापार एवं उद्योग धंधों में विस्तार के कारण बैंक ऋणों की माँग बढ़ गयी थी जिसे सन्तुष्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ने उदार साख नीति का अनुसरण किया और बैंकों की अधिकाधिक मात्रा में जरूरतमन्द व्यापारियों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवधि में बैंकिंग पर पड़ने वाले प्रभावों का निम्नलिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है

(क) बैंकों के निक्षेपों में महान वृद्धि—दूसरे विश्व युद्ध के प्रारम्भ काल में तो बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। युद्ध के प्रारम्भ होते ही साधारण जनता ने बड़े पैमाने पर बैंकों से अपना रुपया निकालना आरम्भ कर दिया था। परन्तु धीरे-धीरे कालान्तर में जनता का बैंकों में पुनः विश्वास स्थापित हो गया और लोगों ने बैंकों से निकाला हुआ रुपया फिर से जमा करना आरम्भ कर दिया। जैसा ऊपर कहा गया है मुद्रा-स्फीति के कारण लोगों के पास अधिक धन आने लगा और परिणामतः बैंकों की जमा राशियाँ तेजी के साथ बढ़ने लगी। युद्ध के अन्तिम दिनों में तो बैंकों की जमा राशियों में बहुत वृद्धि हुई थी।

(ख) पुराने बैंकों द्वारा नये नये स्वतंत्रों पर शाखाओं की स्थापना—युद्धकाल में बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि का लाभ उठाने के लिए पुराने बैंकों ने नयी-नयी शाखाओं की स्थापना की। इस प्रकार इस काल में लगभग प्रत्येक बैंक की शाखाओं में वृद्धि हुई थी।

(ग) नये-नये बैंकों की स्थापना—इस काल में पुराने बैंकों का ही विस्तार नहीं हुआ। बल्कि अनेक नये नये बैंकों की भी स्थापना हुई थी। उदाहरणार्थ, भारत बैंक, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, हिन्दुस्थान कामर्शियल बैंक आदि कुछ ऐसे बैंक थे जिनकी स्थापना युद्धकाल में हुई थी।

(घ) बैंकिंग का असन्तुलित विकास—युद्धकाल में भारतीय बैंकिंग का विस्तार तो हुआ परन्तु सन्तुलित एवं आयोजित ढंग से नहीं हो सका। बैंको की नयी शाखाएँ प्रायः उन्हीं नगरों में खोली गयीं जहाँ पहले ही अन्य बैंको की शाखाएँ विद्यमान थीं। परिणामतः बैंको की आपसी प्रतियोगिता पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गयी। परन्तु युद्धकालीन बैंकिंग विकास से ग्रामीण क्षेत्रों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जैसा ऊपर कहा गया है, बैंको की अधिकांश शाखाएँ शहरों में ही खोली गयी थीं।

(ङ) बैंकों की निवेश-नीति में परिवर्तन—युद्धकाल में बैंको की निवेश-नीति (Investment Policy) में कुछ वाधारमूलक परिवर्तन हुए थे। प्रथम, सभी बैंको ने सरकारी प्रतिभूतियों में पहले की अपेक्षा अधिक धन लगाना आरम्भ कर दिया था। युद्ध से पूर्व भारत के अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) अपने निवेश योग्य धन का लगभग 54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया करते थे, परन्तु युद्धकाल में उन्होंने इसे बढ़ाकर 61 प्रतिशत कर दिया था। द्वितीय, भारतीय बैंको ने पहले की अपेक्षा अधिक नकद-कोष (cash reserves) रखने आरम्भ कर दिये थे। युद्ध से पूर्व वे अपने निक्षेपों का लगभग 11 प्रतिशत नकद रूपों के रूप में रखा करते थे परन्तु अब उन्होंने इसे बढ़ाकर 25% कर दिया था। वास्तव में, बैंको की निवेश नीति में होने वाले ये दोनों परिवर्तन जमाकर्तारों की दृष्टि से वाछनीय थे क्योंकि इनके फलस्वरूप उनके निक्षेप बैंको में अधिक सुरक्षित हो गये थे।

युद्धकालीन बैंकिंग विकास के दोष—यह सत्य है कि युद्धकाल में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का तेजी के साथ विकास हुआ था परन्तु यह विकास पूर्णतः दोषरहित नहीं था। इसके मुख्य दोष निम्नलिखित हैं

(1) बैंकिंग का विकास किसी पूर्व-योजना के आधार पर नहीं किया गया था—जैसा पूर्व कहा गया है युद्धकाल में बैंकिंग का द्रुतगति से विकास हुआ था परन्तु यह विकास किसी पूर्व निश्चित योजना के आधार पर नहीं किया गया था। नये बैंको की शाखाएँ प्रायः उन्हीं स्थानों पर खोली गयी थीं जहाँ पहले से ही पर्याप्त सख्या में बैंको की शाखाएँ थीं। ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे नगरों और कस्बों की पूर्ण उपेक्षा की गयी थी। परिणामतः युद्धकालीन बैंकिंग विकास अत्यन्त अव्यवस्थित एवं असन्तुलित ढंग से हुआ था।

(2) नये बैंकों की स्थापना प्रायः देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा की गयी थी—जैसा ऊपर कहा गया है, युद्धकाल में कई नये बैंको की स्थापना हुई किन्तु ये नये बैंक अधिकांशतः देश के प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा ही स्थापित किये गये थे। उदाहरणार्थ, भारत बैंक टालमिया, यूनाइटेड कॉमर्सियल बैंक विडला, हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक सिद्धानिया द्वारा स्थापित किये गये थे। वास्तव में, युद्धकालीन बैंकिंग विकास की यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय हितों के विपरीत थी क्योंकि इन बैंको में जमा धन का राष्ट्र के हितों में नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के हितों में प्रयोग किया जाता था।

(3) बैंको द्वारा अपने लाभों (Profits) का अनुचित उपयोग—युद्धकालीन आर्थिक समृद्धि के कारण सभी बैंकों ने अभूतपूर्व लाभ कमाये थे परन्तु दुर्भाग्यवश इन लाभों का बैंकों द्वारा सही उपयोग नहीं किया गया था। साधारणतः बैंको को इन लाभों का उपयोग अपनी प्रारक्षित निधियों को सुदृढ बनाने के लिए करना चाहिए था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इन लाभों को अपने शेयरहोल्डरों (Shareholders) में जैसे लाभांशों (High dividends) के रूप में वितरित करना अधिक अच्छा समझा। अतः इस अदूरदर्शिता के कारण उन्होंने अपनी प्रारक्षित निधियों (Reserve Funds) को सुदृढ बनाने का यह स्वर्ण अवसर खो दिया।

(4) योग्य एवं कार्यकुशल कर्मचारियों तथा अधिकारियों का अभाव—युद्धकाल में बैंकिंग के अत्यधिक विस्तार के कारण योग्य तथा कार्यकुशल कर्मचारियों और अधिकारियों का बहुत अभाव हो गया था। बड़े बड़े बैंको ने जैसे बेटनों का प्रलोभन देकर छोटे छोटे बैंको के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को अपने यहाँ खींच लिया था। परिणामतः छोटे बैंको में कार्यकुशलता का स्तर बहुत नीचे गिर गया था।

(5) बैंकों द्वारा सट्टा-कार्यों में धन लगाना—युद्धकाल में विभिन्न बैंको ने अपने लाभों को अधिक बढ़ाने हेतु अपने अतिरिक्त धन को सट्टा-कार्यों में लगाना आरम्भ कर दिया था। वास्तव

मे, यह एक अत्यन्त जोखिमपूर्ण प्रवृत्ति थी जिसको रोकने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कई विशेष कार्यवाही नहीं की गयी थी।

(6) बैंकों द्वारा खातों में हेर फेर—कुछ छोटे-छोटे बैंकों ने अपनी वास्तविक स्थिति को रिजर्व बैंक से छिपाने के लिए अपने खातों में हेर-फेर भी किया जो स्वस्थ बैंकिंग के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध था।

उपरोक्त दोषों के कारण मुद्राकाल में भी बैंकों की असफलता (failure) का क्रम निरन्तर जारी रहा। कई बैंक फेल हुए किन्तु फेलशुदा बैंकों की सहायता सन् 1913-39 अवधि की अपेक्षा कम थी।

6 छोटी अवधि (सन् 1947 से अब तक)—इस अवधि की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं

(क) सन् 1947 के विभाजन के परिणामस्वरूप देश की बैंकिंग व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। पंजाब तथा बंगाल का विभाजन होने के फलस्वरूप वहाँ के बैंकों को भी शरणार्थियों की भाँति भारत में शरण लेनी पड़ी थी। परिणामतः बहुत से बैंक फेल हो गये जिससे उनके जमाकर्ताओं को भारी क्षति हुई। जो बैंक विभाजन के आघात से बच गये, उन्हें भी बहुत हानि उठानी पड़ी। उनकी बहुत सी पूंजी परिचलित पाकिस्तान में ही रह गयी। विभाजन के प्रतिकूल प्रभावों से बैंकों को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने एक नयी योजना चासू की। इस योजना के अन्तर्गत असूचित बैंकों (Non scheduled Banks) को स्वीकृति प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक से ऋण देने की सुविधा प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त, शरणार्थी बैंकों (Refugee Banks) के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने एक करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की थी। इसके साथ ही एक सरकारी आदेश के अन्तर्गत दिल्ली तथा पूर्वी पंजाब में स्थित बैंकों के विरुद्ध तीन महीने तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार इस योजना से कई शरणार्थी बैंकों को फेल होने से बचा लिया गया था।

(ख) सन् 1947 में विभाजन के तुरन्त बाद बैंकों की जमा राशियाँ में बहुत कमी हो गयी थी और इसके साथ ही साथ बैंकों से ऋणों की माँग बहुत बढ़ गयी थी परन्तु धीरे धीरे उद्योगों तथा व्यापार के विकास के कारण बैंकों की जमा राशियाँ में वृद्धि होनी आरम्भ हो गयी।

भारतीय बैंकिंग की नवीन प्रवृत्तियाँ

इस अवधि में भारतीय बैंकिंग में होने वाली मुख्य मुख्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं

(1) रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण—इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण थी। रिजर्व बैंक को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और उस समय यह आशा की गयी कि रिजर्व बैंक देश के आर्थिक विकास में पहले की अपेक्षा अधिक सहयोग दे सकेगा। वास्तव में, राष्ट्रीयकरण के उपरान्त यह आशा पर्याप्त रूप में पूरी भी हुई है।

(2) सन् 1949 का बैंकिंग नियमन अधिनियम (Banking Regulation Act 1949)—भारतीय बैंकिंग का समुचित नियमन करने के लिए मार्च 1949 में एक बैंकिंग नियमन कानून पास किया गया। इस कानून के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किये गये। रिजर्व बैंक अब किसी भी समय किसी भी अनुसूचित बैंक के हिसाब किताब की जाँच पड़ताल कर सकता था। इसके अतिरिक्त इस कानून के अधीन कोई भी अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक की आज्ञा के बिना नयी शाखाएँ नहीं खोल सकता था। इस कानून में बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गयी थी। आगे चलकर सन् 1963 में इस एक्ट का संशोधन किया गया था।

(3) विलीनीकरण को प्रोत्साहन (Encouragement to Amalgamation) —इस अवधि में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ने बैंकों के विलीनीकरण का विशेष प्रोत्साहन दिया था। विलीनीकरण से अभिप्राय बैंकों के एक दूसरे से विलय अथवा मिल जाने से होता है। जब दो अथवा दो से अधिक छोटे बैंक आपस में मिल जाते हैं तब इनका व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो जाता है और नये बैंक का निर्माण हो जाता है। इसे बैंकों का विलीनीकरण कहते हैं।

विलीनीकरण से एक ओर तो बैंको की पारस्परिक प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और दूसरी ओर बैंको की कार्यकुशलता का स्तर बढ़ जाता है। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक छोटे मोटे बैंको के विलीनीकरण का समयन करते हैं। इसी नीति के अनुसार सन् 1950 में बंगाल के चार बैंको (कोमिना बैंकिंग कारपोरेशन कोमिला यूनिवर्सल बैंक, हुगली बैंक तथा दि बंगाल सेंट्रल बैंक) को मिलाकर एक नये बैंक, दि यूनिवर्सल बैंक ऑफ इण्डिया (The Union Bank of India) की स्थापना की गयी थी। इसी प्रकार मार्च 1951 में भारत बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की पुनर्संरचना योजना के अन्तर्गत ऐसे बस बैंको को, जो देशी रिबासतो के अधिकार में थे, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मिला दिया गया था।

(4) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का निर्माण—1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नाम से एक नये आधार पर पुनः संगठित किया गया। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों में नयी शाखाएँ खोलना था। इससे अतिरिक्त, यह बैंक सहकारी बैंको के विकास में भी विशेष सहायता देता है। सन् 1955 के बाद अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे छोटे कस्बों में नयी शाखाएँ खोली हैं जिससे बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार में उत्तरेखनीय प्रगति हुई है।

(5) बैंकिंग प्रशिक्षण का प्रबन्ध—विगत कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक ने बैंको के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (Indian Institute of Bankers) के कार्यक्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया है। इससे अतिरिक्त रिजर्व बैंक के संरक्षण में एक प्रशिक्षण कालेज स्थापित किया गया है जहाँ बैंको के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बैंकिंग के सिद्धान्तों एवं व्यवहार में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

(6) व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीयकरण—19 जुलाई, 1969 को भारत के प्रमुख 14 व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसका विस्तृत विवरण आगे चलकर इसी अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय बैंकिंग की वर्तमान स्थिति—सन् 1975-76 में भारत में भारतीय व्यापारिक अनुसूचित बैंको (Indian Commercial Scheduled Banks) की कुल संख्या 68 थी, जबकि सन् 1960-61 में यह संख्या 74 थी। विगत कुछ वर्षों से इन अनुसूचित बैंको की संख्या बराबर घटती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ छोटे अनुसूचित बैंको का बड़े अनुसूचित बैंको में विलय होता रहा है। इसी प्रकार विगत कुछ वर्षों से असूचित व्यापारिक बैंको (Non-scheduled Commercial Banks) की संख्या भी बराबर घटती जा रही है। सन् 1955-56 में इन बैंको की कुल संख्या 378 थी। सन् 1974-75 में यह घटकर केवल 7 ही रह गयी थी। इनकी संख्या में कमी का मुख्य कारण यह है कि बहुत से असूचित बैंको का अनुसूचित बैंको में विलय कर दिया गया है।

सन् 1975-76 में भारत के भारतीय व्यापारिक अनुसूचित बैंको के कुल निक्षेप (total deposits) 13 169 35 करोड़ रुपये थे। इनमें से 5 441 90 करोड़ रुपये माँग निक्षेप (demand deposits) थे और 7 727 45 करोड़ रुपये समय निक्षेप (time deposits) थे। इसी वर्ष में इन बैंको का नगद हीप निक्षेप अनुपात (cash deposits ratio) 6.56 प्रतिशत था।¹

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के दोष—सन् 1949 के बैंकिंग कम्पनीज एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली के दोषों को दूर कर उसे सुदृढ़ आधार पर विकसित करना था। इस कानून के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को अनुसूचित बैंको पर नियन्त्रण सम्बन्धी अधिक व्यापक अधिकार दिये गये थे। परिणामतः इस कानून से भारतीय बैंकिंग के उचित विकास में महत्वपूर्ण योग मिला है परन्तु ऐसा होते हुए भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अनेक दोष पाये जाते हैं। भारतीय बैंकिंग के मुख्य मुख्य दोष इस प्रकार हैं

(1) बैंकिंग-सुविधाओं की अपर्याप्तता (Inadequacy of Banking Facilities)—यद्यपि विगत कुछ वर्षों में भारत में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन फिर भी वर्तमान स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। भारत के आकार एवं जनसंख्या को देखते हुए भारतीय बैंकों की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं है। 30 जून, 1976 को भारत में बैंकिंग कार्यालयों की कुल संख्या केवल 21,220 थी।¹ आज भी भारत में अनेक स्थान हैं जहाँ पर बैंकिंग सुविधाओं का लगभग पूर्ण अभाव है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि देश में बैंकिंग सुविधाओं का और अधिक विस्तार किया जाय।

(2) भारतीय बैंकों का वर्तमान विकास असमान एवं असन्तुलित है—यह सत्य है कि विगत कुछ वर्षों में भारत में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है। नये नये बैंक स्थापित हुए हैं तथा पुराने बैंकों का विस्तार हुआ है। परन्तु, दुर्भाग्यवश, बैंकों की नयी शाखाएँ अधिकांशतः उन्हीं बड़े-बड़े व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्रों में खोली गयी हैं जहाँ बैंकिंग सुविधाएँ पहले ही पर्याप्त रूप में उपलब्ध थीं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे-छोटे कस्बों को बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। यह सत्य है कि सन 1955 के बाद स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने कुछ छोटे छोटे नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नयी-नयी शाखाएँ खोली हैं, परन्तु इसके बावजूद स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। आज भी संकड़ों छोटे छोटे नगर एवं कस्बे ऐसे हैं जहाँ पर बैंकिंग सुविधाओं का पूर्ण अभाव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय बैंकिंग का वर्तमान विकास अत्यन्त असमान एवं असन्तुलित है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा कृषि-सहाय की व्यवस्था करने के लिए इन क्षेत्रों में बैंकिंग का शीघ्रान्वित विस्तार किया जाय।

(3) बैंकों की कार्यशील पूंजी की कमी—भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक अन्य दोष यह है कि भारतीय बैंकों की कार्यशील पूंजी अन्य देशों के बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है। सन् 1975-76 के अन्त में भारत में केवल 96 ऐसे बैंक थे जिनकी चुकती पूंजी (paid-up capital) 5 लाख रुपये से अधिक थी। इस प्रकार भारतीय बैंकों के निक्षेप भी अन्य देशों के बैंकों की तुलना में बहुत कम हैं। जबकि अमरीका में प्रति व्यक्ति निक्षेप 2,923 रुपये हैं तब भारत में वह केवल 23 रुपये ही है। अतः इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय बैंकों की कार्यशील पूंजी कितनी कम है।

(4) भारतीय बैंकों में समन्वय का अभाव—जैसा विदित है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के दो मुख्य भाग हैं—संगठित भाग (Organised Sector) तथा असंगठित भाग (Unorganised Sector)। संगठित भाग में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया व्यापारिक बैंक तथा विदेशी विनिमय बैंक हैं। असंगठित भाग में साहूकार, महाजन एवं देशी बैंक हैं। दुर्भाग्यवश बैंकिंग व्यवस्था के इन दोनों भागों के बीच किसी भी प्रकार का सम्पर्क एवं सम्बन्ध नहीं है। अतः उनके कार्यों में किसी प्रकार के समन्वय वा प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(5) भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में विशिष्ट बैंकों (Specialised Banks) का अभाव—भारतीय बैंकिंग प्रणाली का एक प्रमुख दोष यह है कि इसमें सम्मिलित बैंक अधिकांशतः व्यापारिक बैंक ही हैं। औद्योगिक, कृषि, सेविंग्स एवं विदेशी विनिमय बैंकों का लगभग पूर्ण अभाव है। वास्तव में, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की यह एक भारी त्रुटि है। उदाहरणार्थ, कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है और भारत को लगभग 50 प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से ही उत्पन्न होती है लेकिन इसके बावजूद भारत के मिश्रित पूंजी बैंक कृषि की साक्ष सम्बन्धी आवश्यकताओं के केवल 4 प्रतिशत भाग को ही सन्तुष्ट कर पाते हैं। इसी प्रकार भारत के विदेशी व्यापार वा अर्थ प्रबन्ध (Finance) करने के लिए भारतीय बैंकों का लगभग पूर्ण अभाव है।

(6) भारत में बिल-बाजार का अभाव (Lack of Bill Market in India)—किसी भी देश के मुद्रा बाजार के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ पर बिल बाजार वा समुचित विकास हो, परन्तु, दुर्भाग्यवश, भारत में रिजर्व बैंक के भरसक प्रयत्नों के बावजूद अभी तक देश में बिल-

बाजार का समुचित विकास नहीं हो सका है। परिणामतः भारतीय व्यापारी एवं उद्योगपति सस्ती साध की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

(7) रिजर्व बैंक की साख नियन्त्रण नीति प्रभावपूर्ण नहीं है—जैसा ऊपर कहा गया है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के असंगठित तथा संगठित भाग हैं—असंगठित तथा संगठित। बैंकिंग व्यवस्था के असंगठित भाग पर रिजर्व बैंक का बिलकुल ही नियन्त्रण नहीं है। संगठित भाग पर भी रिजर्व बैंक का नियन्त्रण पूर्ण नहीं है। परिणामतः रिजर्व बैंक की साख नियन्त्रण नीति प्रभावपूर्ण नहीं है। दूसरे देशों में, केंद्रीय बैंक, बैंकिंग व्यवस्था के सभी भागों पर अपना प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखते हैं। परिणामतः उनकी साख-नियन्त्रण नीति भी सफल रहती है। परन्तु भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

(8) भारतीय बैंक अर्थात् जमानत पर ऋण देते हैं—भारतीय बैंकों की ऋण सम्बन्धी नीति विमुक्त बैंकिंग सिद्धान्तों के आधार पर आधारित नहीं होती। अधिकांश भारतीय बैंक अर्थात् जमानत के आधार पर ऐसी कम्पनियों एवं मस्याओं को ऋण देते हैं जिनमें बैंक के डायरेक्टरों का किसी न किसी रूप में स्वयं निहित होता है। परिणामतः बैंकों की वित्तीय-स्थिति दुर्बल हो जाती है।

(9) भारतीय बैंक अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण दे देते हैं—कुछ भारतीय बैंक अपने ग्राहकों को अचल सम्पत्ति के आधार पर भी ऋण दे देते हैं। वास्तव में, इस प्रकार के ऋण बैंकों के लिए अत्यन्त जोखिमपूर्ण (Risky) सिद्ध हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन एवं स्वामित्व निर्धारण जटिल समस्याएँ हैं। इसके अनिश्चित, ऋणी द्वारा ऋण का मुग्तान न करने की स्थिति में अचल सम्पत्ति को बाजार में बेचना भी अनुविज्ञानक होता है।

(10) कुछ भारतीय बैंक बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ अनुचित रूप में सम्बन्धित हैं—भारत के कुछ मिश्रित पूंजी बैंकों पर देश के बड़े बड़े उद्योगपति एवं व्यवसायी छाये हुए हैं। अधिकांश बैंकों के डायरेक्टर देश के बड़े बड़े उद्योगपति एवं व्यवसायी ही हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ये बैंक प्रायः अपनी पूंजी को उन्हीं उद्योगों एवं व्यवसायों में लगाते हैं जिनमें इनके डायरेक्टरों के र्वार्य निहित होने हैं। वास्तव में, भारतीय बैंकिंग के लिए यह खतरनाक परिस्थिति है जिसके परिणाम बैंकिंग व्यवस्था के लिए अत्यन्त गम्भीर सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन जुलाई, 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

(11) बैंकों द्वारा अमार्मक स्थिति-विवरण प्रस्तुत किया जाना—भारत के कुछ बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपाने के लिए रिजर्व बैंक को गलत स्थिति विवरण (Statement of Affairs) प्रस्तुत कर देते हैं जिससे रिजर्व बैंक को इनके बारे में सही मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है।

(12) देश में छोटे छोटे अनेक बैंकों का होना—कुछ बैंकों को छोड़कर भारत के अधिकांश बैंक छोटे आकार के हैं। वास्तव में, छोटे-छोटे बैंक देश की बैंकिंग व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं क्योंकि मन्दीकाल में ये बैंक प्रायः असफल हो जाते हैं और इनकी असफलता के कारण दूसरे बैंकों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

(13) भारतीय बैंकों की कार्यकुशलता का निम्न-स्तर—भारत के अधिकांश बैंकों में कार्य-कुशलता का स्तर बहुत निम्न है। इसका मुख्य कारण कुशल, योग्य एवं अनुभवी कर्मचारियों तथा अधिकारियों का अभाव है।

सन् 1949 में बैंकिंग नियमन अधिनियम पास किये जाने के बाद भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के उपरोक्त दोषों में कुछ सुधार हुआ है, परन्तु अब भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। अतः यह नितांत आवश्यक है कि रिजर्व बैंक आँक इण्डिया उक्त काल में अन्तर्गत मिले अपने अधिकारों का कड़ाई के साथ प्रयोग करे ताकि बैंकिंग व्यवस्था के दोषों एवं त्रुटियों को शीघ्रान्वेषीय दूर किया जा सके।

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सुधार के लिए सुझाव—भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :

(1) बैंकों की संख्या में वृद्धि की जाय—देश के उन भागों में जहाँ पर बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है—नये-नये बैंकों की स्थापना की जाय अथवा पुराने बैंकों की नयी-नयी शाखाएँ स्थापित की जायें ताकि देश के सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें। इसी से ही देश में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(2) बैंकिंग का सन्तुलित विकास किया जाय—इससे अभिप्राय यह है कि बैंकों की नयी नयी शाखाओं की केवल उन्हीं स्थानों पर खोला जाय जहाँ पर पहले ही बैंकों की शाखाएँ नहीं हैं, अर्थात् बैंकों की नयी शाखाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में एत्र छोटे-छोटे कस्बों में स्थापित किया जाय। इससे एक ओर तो इन स्थानों पर बैंकिंग सुविधाएँ हो सकेंगी और दूसरी ओर बैंकों की व्यापक प्रतियोगिता का नियमन (Regulation) भी हो सकेगा।

(3) बैंकों के वित्तीय साधनों में वृद्धि की जाय—भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का सुधार करने के लिए यह भी सुझाव दिया गया है कि बैंकों के वित्तीय साधनों में वृद्धि की जाय ताकि वे देश के आर्थिक विकास में अधिक सत्रिय भाग ले सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् 1949 के बैंकिंग कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि जो बैंक एक से अधिक राज्यों में व्यवसाय करता है उसकी चुकती पूँजी (Paid up Capital) एवं प्रारक्षित निधि (Reserve Fund) 5 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। यदि किसी बैंक की शाखाएँ बम्बई एवं कलकत्ता में भी हैं तब उसकी चुकती पूँजी एवं प्रारक्षित निधि 10 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंकों को छोटे-छोट करवों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नयी नयी शाखाएँ खोलकर अपने निक्षेपों (Deposits) को बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से बैंकों की कार्यशील पूँजी (Working Capital) में स्वत ही वृद्धि हो जायगी।

(4) बैंकों की ऋण नीति में सुधार किया जाय—भारतीय बैंकों को अपने निक्षेपों का केवल उचित भाग ही व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण के रूप में देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बैंकों को अपनी क्षमता से अधिक ऋण नहीं देने चाहिए, अन्यथा उनकी वित्तीय स्थिति दुर्बल हो जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को निजी व्यक्तियों को ऋण देने से पूर्व उनकी साख की भली भाँति जाच पडताल कर लेनी चाहिए। सन्देहात्मक साख वाले व्यक्तियों को तो किसी भी दशा में ऋण नहीं देना चाहिए। इसके अलावा बैंकों को अपर्याप्त जमानत के आधार पर भी ऋण नहीं देने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उनकी वित्तीय स्थिति जोखिमपूर्ण हो सकती है। अचल सम्पत्ति के आधार पर तो बैंकों को किसी भी दशा में ऋण नहीं देने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उनकी वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

(5) बैंकों की निवेश नीति (Investment Policy) में सुधार—बैंकों को यथासम्भव अपनी निवेश नीति में भी सुधार करना चाहिए और ऐसी कम्पनियों में शेरों में पूँजी नहीं लगानी चाहिए जिनमें उनके संचालकों के स्वार्थ निहित हों। बैंकों को चाहिए कि वे अपने धन को यथासम्भव सरकारी प्रतिभूतियों एवं ऋणपत्रों (Government Securities) में ही अधिक मात्रा में लगायें क्योंकि ऐसा करने से एक ओर तो बैंकों की परिसम्पत्तियों (Assets) में तरतता (Liquidity) बढ़ जायगी और दूसरी ओर उनके निवेश (Investment) भी सुरक्षित रहेंगे।

(6) बैंकों को पर्याप्त नकद कोष रखने चाहिए—सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के विकास के लिए बैंकों को समुचित मात्रा में अपने पास नकद कोष रखने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने जमाकर्ताओं की माँग को पूरा कर सकें। यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय बैंकों को अपने माँग तथा समय निक्षेपों का कम से कम 20 प्रतिशत भाग नकद कोषों के रूप में रखना चाहिए। इससे जनता का बैंकों में विश्वास अधिक बढ़ जायगा।

(7) लाभान्वित वितरण के सम्बन्ध में सुझाव—बैंकिंग व्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि बैंकों की प्रारक्षित निधियों (reserve funds) को सुदृढ़ बनाया जाय। अतः बैंकों को चाहिए कि वे अपने सम्पूर्ण लाभ को शेयरहोल्डरों में वितरित न कर दें, बल्कि उसका कुछ भाग प्रारक्षित निधियों में भी डालते चले जायें ताकि कालान्तर में उनकी प्रारक्षित निधियाँ सुदृढ़ हो जायें और सकटकाल में बैंक उनका उपयोग कर सकें। दुर्भाग्यवश, भारतीय

बैंक विशेषकर असूचित क्षेत्र अपने लाभ का अधिकांश भाग शेयरहोल्डरों में ही बाँट देते थे। परिणामतः उनकी प्रारक्षित निधियों में वृद्धि नहीं हो पाती थी। इसीलिए सन् 1949 के बैंकिंग कम्पनीज एक्ट में यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि प्रत्येक बैंक को अपने सम्पूर्ण लाभ का 20 प्रतिशत भाग प्रारक्षित निधि में अनिवार्य रूप से उस समय तक रखते चले जाना होगा, जब तक कि प्रारक्षित निधि बैंक की चुकती पूंजी के बराबर नहीं हो जाती। परन्तु बैंकिंग विशेषज्ञों का विचार है कि अपने सम्पूर्ण लाभ का केवल 20 प्रतिशत भाग ही प्रारक्षित निधि में डालने से किसी बैंक को सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए बल्कि जहाँ तक हो सके अपने लाभ का अधिकतम भाग प्रारक्षित निधि में डालना चाहिए, ताकि कालान्तर में बैंक की वित्तीय-स्थिति सुदृढ़ होती चली जाय।

(8) बैंकों के प्रबन्ध में सुधार—यह भी सुझाव दिया गया कि बैंकों के दैनिक-प्रतिदिन के प्रबन्ध में भी आवश्यक सुधार किये जायें। इसके लिए बैंकों में योग्य, कुशल, प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति की जाय ताकि बैंकों की कार्यकुशलता के स्तर में सुधार हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सचालकों द्वारा बैंक के कार्यों पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखा जाय।

(9) छोटे बैंकों का वित्तीयकरण (Amalgamation of Banks)—छोटी छोटी एवं गैर-आर्थिक बैंकिंग इकाइयों को मिलाकर बड़े बड़े बैंकों की स्थापना की जाय। इससे बैंकों की आपसी प्रतिस्पर्धिता दूर की जा सकती है और कार्यकुशलता के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है।

(10) बैंकिंग व्यवस्था के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाय—जैसा विदित है, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के दो मुख्य भाग हैं—संगठन तथा अंतर्गठन। दुर्भाग्यवश, इस समय इन भागों में सम्पर्क एवं सहयोग का पूर्ण अभाव है। परिणामतः बैंकिंग विकास के मार्ग में अनेक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही हैं। अतः भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के समुचित विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन दोनों भागों के बीच समुचित समन्वय स्थापित किया जाय।

(11) बैंकिंग कार्यविधि में सुधार किया जाय—भारतीय बैंकों को यथासम्भव अपनी कार्यविधि में भी सुधार करना चाहिए। जहाँ तक हो सके बैंकिंग सिद्धान्तों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सम्पूची अर्थ व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है।

बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट (Report of the Banking Commission)—भारत की बैंकिंग प्रणाली की जाँच करने हेतु 29 फरवरी, 1969 को भारत सरकार ने श्री आर० जी० सरैया (R. G. Saraya) की अध्यक्षता में एक बैंकिंग आयोग (Banking Commission) की नियुक्ति की थी। इस आयोग को व्यापारिक बैंकों की वर्तमान संरचना की जाँच के लिए कहा गया था। इसे यह भी कहा गया था कि इन बैंकों की कार्यशैली में सुधार करने हेतु समुचित सुझाव प्रस्तुत किये जायें। मार्च 1969 में इस आयोग ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1 फरवरी, 1972 को प्रस्तुत कर दी थी। इसकी मुख्य मुख्य सिफारिशों का सम्बन्ध व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों के पुनर्निर्माण, उनके कार्यक्षेत्र में विस्तार एवं उनकी कार्यकुशलता के स्तर में सुधार करने से था। इसके अलावा, बैंकिंग आयोग ने साक्ष्य नियोजन (credit planning), गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, देशी बैंकों, प्रबन्ध विकास, प्रशिक्षण एवं बैंकों में भरती के बारे में भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। सन् 1973-74 में भारत सरकार ने बैंकिंग आयोग की कतिपय सिफारिशों पर अपना निर्णय भी दे दिया था। 24 जुलाई, 1976 को भारत सरकार ने 5 सर्वस्योप दूसरा बैंकिंग आयोग भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्री मनुभाई शाह की अध्यक्षता में स्थापित किया था। इस आयोग का यह कहा गया था कि यह देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन पर विचार कर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करे।

भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Indian Banks)

इस समय भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बहुत ही विवादप्रस्त हो चुका है। जैसा विदित है, देश की अर्थ-व्यवस्था में बैंकिंग का बहुत महत्त्व होता है। कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि बैंकिंग जैसे महत्त्वपूर्ण व्यवसाय को निजी व्यक्तियों के हाथों में नहीं छोड़ देना

चाहिए, अर्थात् बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। इसके विपरीत, कुछ अन्य व्यक्तियों का यह मत है कि बैंकिंग व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे निजी व्यक्तियों के हाथों में रखना ही उचित है। इस प्रकार यह प्रश्न इस समय अत्यन्त विवादास्पद बन गया है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क—ये इस प्रकार हैं :

(1) राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग साख का उपयोग राष्ट्रहित में होगा—जैसा विदित है, बैंक साख का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं अर्थात् ये बड़े पैमाने पर साख का मूजन करते हैं। यदि बैंकों को निजी व्यक्तियों के हाथ में ही रखा जाय तो इससे उनके द्वारा मूजित साख का उपयोग राष्ट्रहित में नहीं हो सकता। इनका कारण यह है कि इस प्रकार की मूजित साख का उपयोग निजी व्यक्ति अपने ही हित में करेगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि बैंकिंग साख का उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जाय तो इनके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य प्रतीत होता है।

(2) राष्ट्रीयकरण से देश की अर्थ-व्यवस्था को व्यापार-चक्रों (Trade Cycles) से बचाया जा सकता है—जैसा विदित है, पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में प्रायः व्यापार-चक्र क्रियाशील रहते हैं। इनके फलस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में कभी मन्दी आती है और कभी तेजी। इस प्रकार के आर्थिक उच्चावचनों से देश की अर्थ-व्यवस्था को अपार हानि होती है। अब यह निम्न आश्चर्यक है कि देश की अर्थ-व्यवस्था के स्वस्थ विकास हेतु व्यापार-चक्रों पर उचित नियन्त्रण किया जाय। इसके लिए यह जरूरी हो जाना है कि बैंकों द्वारा मूजित की गयी साख की मात्रा पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखा जाय और यह तभी सम्भव हो सकता है जब बैंकों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।

(3) राष्ट्रीयकरण से बैंकों की आपसी प्रतियोगिता सफ़ल हो जायगी—जैसा विदित है, इस समय भारतीय बैंकों में बड़े पैमाने पर अव्ययपूर्ण प्रतियोगिता (Wasteful Competition) हो रही है जिसमें किसी पक्ष को भी किसी प्रकार का काई साम नहीं होता। यदि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो इन प्रकार की अव्ययपूर्ण प्रतियोगिता स्वयं ही समाप्त हो जायगी।

(4) राष्ट्रीयकरण से बैंकों की कार्यकुशलता का स्तर ऊँचा होगा—निजी बैंकों की तुलना में सरकारी बैंक अपने विस्तृत आर्थिक साधनों के कारण कुशल, प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारियों को आकर्षित करने में अधिक सफल रहते हैं। परिणामतः सरकारी बैंकों में कार्यकुशलता का स्तर स्वयं ही ऊँचा हो जाता है।

(5) राष्ट्रीयकरण से देश में बचतों को प्रोत्साहन मिलेगा—जैसा हम जानते हैं, साधारण जनता का निजी बैंकों की अपेक्षा सरकारी बैंकों में अधिक विश्वास होता है। इसलिए यदि देश में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो साधारण जनता अपने धन को निःसंकोच बैंक में जमा करने में तैयार हो जायगी। इससे जलाभा, बेचन सरकार ही छोटे छोटे बन्धों एवं ग्रामीण सेवा में बैंकों की साक्षात् खोज की स्थिति में है, क्योंकि निजी बैंक साधारणतः अपने स्वानों पर साक्षात् खोजना सामर्थ्य नहीं समझते। परन्तु सरकार अपने विस्तृत आर्थिक साधनों के कारण छोटे छोटे स्वानों पर भी बैंकिंग साक्षात् खाल करने में समर्थ होती है। परिणामतः राष्ट्रीयकरण बैंकों द्वारा देश की बचतों को एकत्रित कर आर्थिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(6) राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग लाभों का उपयोग लोकहित में किया जा सकता है—यदि वह निजी प्रवृत्ति में ही रहते हैं तो उनके द्वारा कमाया गया लाभ का उपयोग निजी हित में ही होगा, परन्तु यदि बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उनसे द्वारा कमाये गये लाभ निजी हित में नहीं बल्कि लोकहित में इस्तेमाल किये जायेंगे।

(7) राष्ट्रीयकरण से देश में विशिष्ट बैंकों का विकास सम्भव हो सकेगा—जैसा पूर्व कहा गया है, इन समय भारत में विशिष्ट बैंकों (Specialised Banks) का सर्वथा अभाव है। उदाहरणार्थ, इस समय भारत में कृषि, औद्योगिक एवं विदेशी विनिमय बैंकों का लगभग अभाव है। यदि समूची बैंकिंग व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में सरकार सक्षम हो कर विशिष्ट बैंकों का विकास करने के लिए अवश्य ही विशेष प्रयत्न करेगी।

(8) समाजवादी समाज की स्थापना के लिए भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य है—जैसा हम जानते हैं, भारत सरकार का उद्देश्य देश में समाजवादी समाज (Socialist Society) की स्थापना करना है। किन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि यदि बैंको को निजी हाथों में ही छोड़ दिया जाय तो इससे समाजवादी समाज की स्थापना में अनेक बाधाएँ उपस्थित हो जायेंगी, क्योंकि निजी बैंक सरकारी उद्योगों को साख सम्बन्धी समुचित सहायता देने में आनाकानी करेंगे।

(9) देश में आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए भी बैंको का राष्ट्रीयकरण आवश्यक प्रतीत होता है—जैसा विदित है, भारत सरकार देश के तीव्र आर्थिक विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं को त्रियान्वित कर रही है। स्पष्ट है कि इन योजनाओं की सफलता के लिए बड़ी मात्रा में धन जुटाने की आवश्यकता है। यदि देश में सभी बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो इससे भारत सरकार को पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने में बहुत बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकती है।

राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तर्क—ये इस प्रकार हैं

(1) राष्ट्रीयकरण से बैंको में कार्यकुशलता का स्तर गिर जायगा—राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इससे बैंकिंग व्यवस्था में कार्यक्षमता का स्तर नीचे गिर जायगा। इस सम्बन्ध में सरकारी उद्योगों एवं व्यवसायों का उदाहरण दिया जाता है, जहाँ पर राष्ट्रीयकरण के उपरान्त कार्यकुशलता के स्तर में ह्रास हुआ है। इस सम्बन्ध में विशेषकर जीवन बीमा विभाग (L I C) का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण के उपरान्त जीवन बीमा व्यवसाय में अकुशलता (Inefficiency), विलम्बता (Red tapism) एवं अपव्ययता (Wastage) बढ़ गयी है।

(2) बैंको का राष्ट्रीयकरण इस समय व्यावहारिक नहीं है—राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि इस समय देश में योग्य, कुशल, अनुभवी एवं ईमानदार बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारियों का बहुत अभाव है। ऐसी परिस्थिति में यदि बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है तो वह अन्ततः सफल नहीं हो सकेगा।

(3) राष्ट्रीयकरण से निजी व्यक्तियों एवं सत्याओं की वित्तीय गोपनीयता भंग हो जायगी—राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि इससे निजी व्यक्तियों एवं सत्यानों की वित्तीय गोपनीयता (Financial Secrecy) समाप्त हो जायगी, जिसके परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी।

(4) राष्ट्रीयकरण से निजी क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा—राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में दिया गया चौथा तर्क यह है कि अभी देश की अल्प व्यवस्था में निजी क्षेत्र (Private Sector) को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि उसके विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है। ऐसी परिस्थिति में बैंको का राष्ट्रीयकरण निजी क्षेत्र के विकास के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक प्रायः निजी व्यवसायों को ऋण देने में आनाकानी करते हैं।

(5) बैंकिंग अभी बैंकिंग का पूर्ण विकास नहीं हुआ है इसलिए बैंको के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता—राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में दिया गया अन्तिम तर्क यह कि अभी भारत में बैंकिंग का पूर्ण विकास नहीं हो सका है और जब तक किसी उद्योग एवं व्यवसाय का पूर्ण विकास नहीं हो जाता, तब तक उसका राष्ट्रीयकरण करना लाभदायक नहीं हो सकता। अतः ऐसी परिस्थिति में बैंको का राष्ट्रीयकरण देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

जैसा हमने ऊपर देखा है, बैंको के राष्ट्रीयकरण के पक्ष एवं विपक्ष में विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। यदि हम उनका सावधानी से अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जायगा कि राष्ट्रीयकरण के पक्ष में दिये गये तर्क विपक्ष के तर्कों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं और इस समय भारत में सभी बैंको का राष्ट्रीयकरण करना उपयुक्त ही होगा।

बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण (Social Control on Banks)

लेकिन ऐसा होते हुए भी भारत सरकार ने सन् 1968 में बैंको का राष्ट्रीयकरण न करने का निर्णय किया था। राष्ट्रीयकरण के स्थान पर भारत सरकार ने बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण लागू करने का निश्चय किया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने ससद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे बाद में चलकर पारित कर दिया गया था। इस कानून के मुख्य प्राविधान इस प्रकार था :

(1) रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंको के सचालक मण्डलो (Boards of Directors) का पुनर्गठन कर सकता था।

(2) रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक के पूर्णकालीन अध्यक्ष (Full-time Chairmen) की नियुक्ति कर सकता था। नियुक्ति करते समय रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता था कि व्यापारिक बैंको के अध्यक्ष एवं मुख्य अधिकारी पेशेवर बैंकर्स (professional bankers) ही हों।

(3) सचालक मण्डलो का पुनर्गठन करते समय रिजर्व बैंक इस बात का भी ध्यान रखता था कि लघु उद्योगो एवं कृषि से सम्बन्धित सभी हितो को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय। सचालक मण्डल के कम से कम दो सदस्य तो ऐसे होने चाहिए जिनका कृषि, लघु उद्योगो एवं सहकारिता संस्थाओ से निकट का सम्पर्क हो।

(4) इस कानून के अन्तर्गत बैंक किसी भी सचालक को अथवा उसके द्वारा संचालित किसी व्यावसायिक संस्थान (business firm) को बैंक द्वारा ऋण तथा अधिम (loans and advances) नहीं दिये जा सकते थे।

(5) इस कानून के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो एवं व्यवसायो के बीच साख के समुचित वितरण की भी व्यवस्था की गयी थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय साख परिषद (National Credit Council) की स्थापना की थी। भारत के वित्तमन्त्री इसके अध्यक्ष थे। समय समय पर इस परिषद की बैठकें होती थी। इस परिषद द्वारा व्यापारिक बैंको को प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो एवं व्यवसायो के बीच साख वितरण सम्बन्धी निर्देश दिये जाते थे।

(6) इस कानून में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि यदि कोई व्यापारिक बैंक उक्त सामाजिक नियन्त्रण की अवहेलना करता था तो सरकार ऐसे बैंको को मुआवजा देकर अपने अधिकार में ले सकती थी।

उक्त सामाजिक नियन्त्रण व्यापारिक बैंको पर लगभग 1 वर्ष तक लागू रहा था। लेकिन बैंको की कार्यशीलता पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा था। इस कानून के बावजूद बैंको में यथास्थिति (status quo) ही बनी रही। इस सन्दर्भ में रिजर्व बैंक ने भी एक पूर्ण दर्शक की ही भूमिका प्रस्तुत की थी। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो एवं कृषि को फिर भी पर्याप्त मात्रा में ऋण-सुविधाएँ उपलब्ध न हो सकी। बैंको का सामाजिक नियन्त्रण सम्बन्धी कानून पूर्णतया असफल रहा। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण यह है कि इंडियन आयरन एवं स्टील कम्पनी पर बन्जा करने के लिए भारत का एक प्रमुख उद्योगपति एक बड़े व्यापारिक बैंक से 10 करोड़ रुपये का ऋण लेने में सफल हो गया था। रिजर्व बैंक को इसकी जानकारी थी लेकिन उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसने बैंक को केवल यही परामर्श दिया था कि उस उद्योगपति को और अधिक धन न दिया जाय। एक ओर तो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे एवं किसान साख के लिए तरस रहे थे और दूसरी ओर एक ही व्यक्ति 10 करोड़ की मोटी धनराशि लेने में सफल हो गया था।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Banks)

जैसा ऊपर बताया गया है, बैंको के सामाजिक नियन्त्रण की नीति असफल सिद्ध हुई थी। बैंको की कार्यशीलता पर इसका कोई विशेष प्रभाव न पडा। बैंको पर अब भी निहित-स्वार्थ के

व्यक्तियों का प्रभुत्व जारी रहा। अतः 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बाद में चलकर 9 अगस्त, 1969 को इसी आशय का एक कानून संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इस कानून के अन्तर्गत भारत के 14 प्रमुख व्यापारिक बैंको को सरकार ने अपने स्वामित्व एवं प्रबन्ध में ले लिया था। इन बैंको के शेयरहोल्डरों को इसके बदले मुजाबजा (Compensation) देने की व्यवस्था भी कर दी गयी थी। ये 14 भारतीय बैंक इस प्रकार हैं

- 1 सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
- 2 बैंक ऑफ इण्डिया
- 3 पंजाब, नेशनल बैंक
- 4 बैंक ऑफ बड़ोदा
- 5 यूनाइटेड कॉमिश्नल बैंक
- 6 कनारा बैंक
- 7 यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
- 8 देना बैंक
- 9 यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया
- 10 दलाहाबाद बैंक
- 11 सिण्डिकेट बैंक
- 12 इण्डियन ओवरसीज बैंक
- 13 इण्डियन बैंक
- 14 बैंक ऑफ महाराष्ट्र

18 जुलाई 1969 को उपर्युक्त 14 बैंको के कुल निक्षेप (total deposits) 3,051 करोड़ रुपये थे। यदि इनमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं उसके सहायक बैंको के निक्षेपों को भी जोड़ दिया जाय (जो 1, 509 करोड़ रुपये थे) तो कुल मिलाकर 4,560 करोड़ रुपये हो जाते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त 14 बैंको के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप बैंकिंग उद्योग में सार्वजनिक खण्ड का भाग 27 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया था।

राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित उपर्युक्त बैंकिंग कानून के अन्तर्गत छोटे-छोटे भारतीय बैंको एवं विदेशी बैंको का सरकार ने राष्ट्रीयकरण नहीं किया है। अब 51 ऐसे अनुसूचित भारतीय बैंक हैं जो निजी खण्ड में कार्य करते रहेंगे। समूचे बैंकिंग व्यवसाय का लगभग $\frac{1}{3}$ भाग इन बैंको के हाथ में है। इसी प्रकार विदेशी बैंक भी देश की अर्थ व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं। उनके पास भी लगभग 400 करोड़ रुपये के निक्षेप हैं। लेकिन उपर्युक्त कानून से इन बैंको को मुक्त ही रखा गया है। अतः 19 जुलाई, 1969 को बैंको का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह आंशिक राष्ट्रीयकरण ही था पूर्ण नहीं। आंशिक मध्यनिर्देश की भाँति, बैंको का आंशिक राष्ट्रीयकरण भी कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करेगा। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि शेष भारतीय बैंको को भी जीवनक्षम इकाइयों (viable units) में संगठित करके सरकारी स्वामित्व एवं प्रबन्ध के अन्तर्गत लाया जाय।

राष्ट्रीयकरण के सम्भावित परिणाम (Probable Consequences of Nationalisation) — बैंको के राष्ट्रीयकरण को लेकर देश के कुछ वर्गों द्वारा बहुत ही हल्ला किया गया था। यहाँ तक कि इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। वास्तव में, ये लोग इन निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके हितों पर कानून ने कुठाराघात किया है। ये निहित-स्वार्थ इन बैंको पर छाये हुए थे और इनकी जमा राशियों का उपयोग अपने हितों में कर रहे थे। लेकिन जनसाधारण ने बैंको के राष्ट्रीयकरण का स्वागत किया है। भारत सरकार ने बैंको का राष्ट्रीयकरण करके कोई अनुचित बात नहीं की है। अनेक ऐसे पूँजीवादी देश हैं जिन्होंने अपनी बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण कर रखा है। फ्रांस में चार बड़े बैंको का राष्ट्रीयकरण किया है। इटली ने पाँच बड़े बैंको में से चार को सार्वजनिक खण्ड में स्थान दिया है। इसी प्रकार स्वीडन ने भी दो बड़े बैंको का राष्ट्रीयकरण कर रखा है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्भावित परिणाम निम्नलिखित हैं

(1) बैंकों में अधिक विश्वास (Greater Confidence in Banks)—बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक अच्छा परिणाम यह निकलेगा कि इससे लोगों का बैंकों में विश्वास बढ़ जायेगा। लोगों के निक्षेपों के पीछे सरकार की शत-प्रतिशत गारण्टी होगी। बैंकों के फेल होने का अब प्रश्न ही पैदा नहीं होता। स्मरण रहे अतीतकाल में भारत में बीसियों बैंक फेल हो चुके हैं जिनसे जनसाधारण को बहुत हानि हुई है। अब ऐसा कोई डर नहीं है। जमाकर्ताओं की जमाराशियाँ पूर्णतया सुरक्षित हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद बैंकों की जमाराशियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(2) बचतों में वृद्धि (Increase in Saving)—राष्ट्रीयकरण के उपरान्त अब बैंकों की शाखाएँ अधिकांश छोटे छोटे नगरों, कस्बों एव ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जायेंगी जिसके परिणाम स्वरूप जमाराशियों के रूप में अधिक धन एकत्रित किया जा सकेगा। बैंकों के साधनों में वृद्धि होगी जिन्हें वे देश के आर्थिक विकास में लगा सकेंगे। स्मरण रहे, निजी व्यापारिक बैंक छोटे-छोटे कस्बों एव ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ स्थापित करने में हिचकिचाते थे।

(3) बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Banking Facilities)—राष्ट्रीय कृत बैंकों का शासन विस्तार नीति के परिणामस्वरूप पिछड़े हुए क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों एव छोटे छोटे कस्बों को अब बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध होत लगेगी। इससे लोगों की बैंकिंग आदतें बनेंगी और देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।

(4) पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अधिक साधन उपलब्ध हो सकेंगे (More Resources Shall be Available for the Five year Plans)—भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अक्षयता का एक कारण यह है कि उन्हें नियमित रूप से लिए सरकार को पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन यह स्थिति कुछ सीमा तक दूर हो जायेगी। जैसा ऊपर कहा गया है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त सरकार का जनता के लगभग 3,051 करोड़ रुपये के निक्षेप प्राप्त हो गये हैं। इन निक्षेपों के कुछ भाग को निश्चय ही पंचवर्षीय योजनाओं के विनायन पर व्यय किया जा सकता है।

(5) बैंकों की ऋण-नीति को पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जा सकता है (The Loan Policy of Banks can be formulated in accordance with the objectives of Five year Plans)—राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीति पंचवर्षीय योजनाओं के अनुरूप होगी। इस योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी। अब तक बैंकों के अधिकांश ऋण बड़े बड़े व्यापारिक परानों एव बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता करते थे। छोटे छोटे व्यापारी उद्योगपति, किसान एव स्वनिर्भर व्यक्ति (self employed persons) ऋणों के लिए तरसते रहते थे। उनकी कोई पूछ नहीं थी, विशेषकर किसानों को ता इन बैंकों से न के बराबर ऋण मिलते थे। राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इन वर्गों को अधिक ऋण मिलने लगेगे। किसानों को अब ऋणों के लिए साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ेगा। आज की जाती है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण में ग्रामीण क्षेत्रों में चला रही हरी क्रांति (Green Revolution) को बल मिलेगा। बैंक ऋणों की सहायता से किसान अच्छे धान, रासायनिक खाद एव पर्याप्त खाद आदि खरीद सकेंगे।

(6) क्षेत्रीय असमानताएँ कम हो जायेंगी (Regional Inequalities will be minimized)—इस समय भारत में बड़ी-बड़ी क्षेत्रीय असमानताएँ पायी जाती हैं जो राष्ट्रीय एकता में बाधक सिद्ध होती हैं। भारत के कुछ क्षेत्र तो आर्थिक दृष्टि से काफी आगे बढ़ चुके हैं और कुछ आज भी मध्यकालीन युग में चल रहे हैं। इन अक्षय क्षेत्रीय असमानताओं से देश की एकता एव अखण्डता को आघात पहुँचना है। राष्ट्रीयकरण के उपरान्त अब आज की जाने लगी है कि य बैंक पिछड़े हुए क्षेत्रों के आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान देंगे और उन्हें विशेष ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ देने लगेगे।

(7) एकाधिकार एव धन के केन्द्रीयकरण को बुराइयों में कमी होगी (The Evils of Monopoly and Concentration of Wealth shall be Reduced) विगत कुछ वर्षों से

भारत में एकाधिकार एवं आर्थिक केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पनप रही है। अमर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब हो रहे हैं। इस कुप्रवृत्ति को निजी बैंकों ने बहुत प्रोत्साहित किया है। ये बैंक उन वर्गों एवं व्यक्तियों को ऋण देते थे जो पहले से ही समृद्ध एवं सम्पन्न थे। इससे आर्थिक केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन मिल रहा था। चन्द्र मुट्ठी-भर लोग देश की सम्पत्ति पर काबिज हो रहे थे। लेकिन अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण इस कुप्रवृत्ति पर रोक लगेगी। बैंक छोटे-छोटे वर्गों के व्यक्तियों को भी मिलेंगे। भारत के सुविख्यात अर्थशास्त्री, प्रो० के० एन० राज (K N Raj) के अनुसार बैंक राष्ट्रीयकरण आर्थिक दुर्लक्ष्य का निवारण करेगा। (Bank Nationalisation will serve as corrective to economic misdirection.)

(8) बैंकों की समाज-विरोधी एवं राष्ट्र-विरोधी क्रियाओं का अन्त होगा (Anti social and anti-national activities of Banks will come to an end) — समय समय पर विभिन्न जांच आयोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि किस प्रकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों एवं व्यापारियों की समाज-विरोधी एवं राष्ट्र-विरोधी क्रियाओं में निजी बैंकों ने उनकी सहायता की है। बिबियन बोस आयोग ने इस विषय पर प्रकाश डाला है। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक अब इन क्रियाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। वे लोगों की जमा राशियों की समुचित रक्षा करेंगे।

(9) सट्टे एवं सचयन पर रोक लगेगी (Speculation and Hoarding shall be Curbed)—राष्ट्रीयकरण से पूर्व निजी बैंक व्यापारी वर्ग को बड़ी उदारता से ऋण दिया करते थे। व्यापारी वर्ग इन ऋणों का प्रायः दुष्प्रयोग किया करता था। इन ऋणों का सट्टे के लिए प्रयोग किया जाता था। बैंकों को इसकी पूरी जानकारी रहती थी लेकिन फिर भी वे सट्टे को निरुत्साहित करने का कोई प्रयास नहीं करते थे। स्मरण रहे व्यापारियों की इस सट्टा प्रवृत्ति से कीमती में अनावश्यक वृद्धि होती थी। यही नहीं, वे बैंक व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं का सचयन करने के लिए भी ऋण देते थे। इसका परिणाम यह होता था कि आवश्यक वस्तुएँ बाजार में न जाकर गोदामों में बन्द रहती थी। इससे कीमती में अनावश्यक वृद्धि होती थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से अब व्यापारियों को सट्टे एवं सचयन के लिए ऋण न मिल सकेंगे और कीमत-वृद्धि का कम से कम एक कारण समाप्त हो जाएगा।

(10) करों का अपवचन रोक जा सकेगा (Tax evasion will be Checked)—राष्ट्रीयकृत बैंकों से आय-कर एवं बिजनेस-कर अधिकारियों को लोगों के खातों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। अब आय-करों के अपवचन को कुछ सीमा तक रोक जा सकेगा। यही नहीं काले धन (Black Money) की खोज करने में भी सहायता मिलेगी। अब हम समझते हैं कि कुल मिलाकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अच्छे परिणाम ही निकलेंगे और देश की समूची अर्थ-व्यवस्था को इससे लाभ होगा।

लेकिन आने वाले वर्षों में सरकार को गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं विदेशी बैंकों पर सतर्क दृष्टि रखनी होगी। इस बात की बहुत सम्भावना है कि धनिक वर्ग के लोग अपना धन राष्ट्रीयकृत बैंकों से निकालकर गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं विदेशी बैंकों में भर देंगे। यदि ऐसा होता है तो सरकार को इन बैंकों को भी अपने अधिकार एवं स्वामित्व में ले लेना चाहिए। अच्छा तो यही रहता कि सरकार सभी व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देती। इसका परिणाम यह होता कि देश की समूची साख संरचना (entire credit structure) सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाती।

सरकार की नयी बैंकिंग नीति (New Banking Policy of the Government)—30 सितम्बर, 1969 को नयी दिल्ली में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के सरलक अध्यक्षों की बैठक का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भारत सरकार की नव बैंकिंग नीति पर प्रकाश डाला था। इस नीति की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं

(1) राष्ट्रीयकृत बैंक अब छोटे छोटे व्यक्तियों, छोटे छोटे किसानों, व्यापारियों, उपक्रमियों एवं स्वनिर्भोजित व्यक्तियों को अधिकाधिक ऋण सुनिश्चाएँ देंगे। इस प्रकार के ऋणों की अवश्यता की गारंटी सरकार देगी। अब जमाकर्ताओं के हितों को कोई खतरा नहीं होगा।

(2) राष्ट्रीयकृत बैंक बड़े बड़े उद्योगों को भी ऋण देते रहे थे लेकिन उनकी केवल यथायथ आवश्यकताएँ ही पूरी की जायेंगी। इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि इस प्रकार के उद्योग ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हों जो समाज के लिये उपयोगी हों।

(3) राष्ट्रीयकृत बैंक समाज-विरोधी उद्देश्यों के लिए व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को ऋण न देंगे। यदि कोई फर्म अथवा व्यक्ति कम्पनियों के शेयरों अथवा आवश्यक वस्तुओं का संचयन करता है तो उसे बैंक ऋण उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

(4) राष्ट्रीयकृत बैंकों के वित्तीय साधनों का अधिकाधिक भाग अब सार्वजनिक अथवा सरकारी उपक्रमों (public enterprises) को दिया जायेगा।

(5) राष्ट्रीयकृत बैंक अब अपन साधनों का अधिकाधिक भाग पिछड़े एवं अल्प-विकसित क्षेत्रों में लगायेंगे ताकि इन क्षेत्रों का द्रुतगति से आर्थिक विकास हो सके।

(6) सरकारी खजानों से सम्बंधित काम का समुचित भाग राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिया जायेगा। अब तक यह काम स्टेट बैंक के अधिकार के क्षेत्र में ही था।

(7) राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी कार्य प्रणाली का समन्वय विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं (Specialised financial institutions) की क्रियाओं से करेंगे ताकि उद्योग-घट्टों की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन साख आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।

(8) राष्ट्रीयकृत बैंक अपने स्टाफ के साथ मधुर सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयास करेंगे।

(9) सरकारी नीति के व्यापक चोखटे के भीतर प्रत्येक बैंक को कुशलतापूर्वक अपना कार्य करने की स्वतन्त्रता होगी।

नयी नीति को क्रियान्वित करते समय सरकार को सतर्क रहना चाहिए। इस बात की सम्भावना है कि सरकार की नयी नीति के अन्तर्गत साख सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु बड़े बड़े व्यवसायी कहीं छोटे व्यवसायियों का रूप धारण न कर लें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रगति (Progress of Nationalised Banks)—30 जून, 1975
को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुए पूरे 6 वर्ष हो चुके थे। इन 6 वर्षों की अवधि में बैंकिंग क्रियाओं में अभूतपूर्व विस्तार हुआ था। बैंकों की जमा-राशियों में बड़ी तीव्र वृद्धि हुई थी। बैंक साख के वितरण में भी मूलभूत परिवर्तन हुआ था। अब बैंक ऋण अर्थ-व्यवस्था के उन छण्डों को भी मिलने लगे हैं जो कि पहले बैंकों की परिधि से बाहर थे।

(1) 30 जून, 1969 (बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व) को भारत में व्यापारिक बैंकों के कार्यालयों की कुल संख्या 8262 थी। लेकिन 30 जून, 1975 को यह संख्या बढ़कर 18,730 हो गई थी। अर्थात् बैंक कार्यालयों की संख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई थी। नये कार्यालयों का 46.5 प्रतिशत भाग ऐसे क्षेत्रों में खोला गया था जहाँ बैंकिंग सुविधाओं का पूर्ण अभाव था अथवा बैंकों की संख्या अपर्याप्त थी।

(2) सन् 1969-75 की अवधि में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की जमा-राशियों में लगभग 8,994 करोड़ रु० की वृद्धि हुई थी। जून 1975 में बैंकों की कुल जमा-राशियों 10,000 करोड़ रु० से भी अधिक हो गई थी। सन् 1969-75 की अवधि में बैंकों की जमा-राशियों की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर 17.9 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि में यह दर केवल 14.3 प्रतिशत ही थी।

(3) सन् 1969-75 की अवधि में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के अधिमो एवं निवेशों (advances and investments) में दुगुने से भी अधिक वृद्धि हुई थी। जून, 1975 में बैंक साख (Bank Credit) 9,769 करोड़ रु० हो गई थी जबकि जून 1969 में यह केवल 3,599 करोड़ रु० ही थी। इस प्रकार 6 वर्ष की अवधि में बैंक-साख में 6,170 करोड़ रु० की वृद्धि हुई थी।

(4) राष्ट्रीयकरण के उपरान्त प्राथमिकता प्राप्त खण्डों (priority sectors) को पहले की अपेक्षा अधिक साख प्राप्त होने लगी है। इसे अप्रसारणी में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी¹

बैंकिंग की प्रगति—चयनित सूचकांक

	19 जुलाई 1969	30 जून, 1975
बैंकिंग कार्यालयों की कुल संख्या	8321	18,730
(क) ग्रामीण केन्द्रों में	1860	6,886
(ख) अर्द्ध शहरी केन्द्रों में	3344	5,569
(ग) शहरी केन्द्रों में	1450	3,267
(घ) बड़े-बड़े नगरों में	1661	3,088
प्रति बैंकिंग कार्यालय जनसंख्या	65,000	27,000
प्राथमिकता प्राप्त खण्डों (priority sectors) को दिये गये ऋण (करोड़ रुपये में)		
कृषि प्रत्यक्ष वित्त (Direct Finance)	41 75	430
अप्रत्यक्ष वित्त (Indirect Finance)	129 35	193
छोटे उद्योग-धन्धे	239 3	625
सड़क एव जल परिवहन	6 89	131
फुटकर व्यापार एव अल्प व्यवसाय	19 37	118
पैसेवर एव स्वनियोजित व्यक्ति	1 91	38
शिक्षा	0 80	5
कुल	439 37	1540
बैंक साख में प्राथमिकता प्राप्त खण्डों का भाग (प्रतिशत)	14 9	28.2

सन् 1969 75 की अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों की मुख्य उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं

(1) बैंक-शाखाओं का विस्तार (Expansion of Bank Branches)—इस अवधि में बैंक शाखाओं का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ है। स्टेट बैंक सहित इन बैंकों ने अनेक नयी शाखाएँ खोली हैं। 19 जुलाई 1969 को भारत में बैंकिंग कार्यालयों की कुल संख्या 8321 थी लेकिन 30 जून, 1975 को यह बढ़कर 18,730 हो गयी थी। अधिकांश नयी शाखाएँ ग्रामीण केन्द्रों में खोली गयी थी (देखिए उपर्युक्त सारणी)। अतः इस शाखा विस्तार कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष लाभ पहुँचा है। अब उन्हें भी बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध होने लगी हैं।

(2) उपेक्षित वर्गों को वित्तीय सहायता (Financial Aid to the Neglected Sections)—राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंक अपने अधिकांश ऋण बड़े-बड़े व्यवसायियों, उद्योगपतियों, माल-सञ्चाहकों (hoarders) को ही दिया करते थे। किसानों, लघु उद्योगपतियों, फुटकर व्यापारियों, सड़क परिवहनकों (road transporters), छोटे-छोटे दुकानदारों एव स्वनियोजित व्यक्तियों (self employed persons) की उपेक्षा की जाती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि इन वर्गों के पास जमानत देने के लिए पर्याप्त परिसम्पत्ति (assets) नहीं होती थी। अतः बैंक इन्हें ऋण देने में आनाकानी किया करते थे। यद्यपि इन वर्गों में कल्पनाशक्ति अनुभव एव उपक्रम का अभाव नहीं था लेकिन फिर भी वित्तीय साधनों की कमी के कारण ये अधिक प्रगति नहीं कर पाते थे। बैंक इन वर्गों को उचित वित्तीय आवश्यकताओं की भी उपेक्षा कर देते थे। लेकिन राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इन वर्गों के प्रति बैंकों की नीति में परिवर्तन हुआ है। यद्यपि राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंक-साख का अधिकांश भाग अर्थ-व्यवस्था के संगठित खण्ड (organised sector) को ही मिला है लेकिन फिर भी किसानों, लघु उद्योगपतियों, छोटे-छोटे व्यवसायियों, सड़क परिवहनकों आदि जैसे असंगठित एव दुर्बल वर्गों को पहले की अपेक्षा अधिक ऋण मिले हैं। 19 जुलाई, 1969 को इन बैंकों द्वारा कुल 171 10 करोड़ रु० किसानों को ऋण के रूप में दिये गये थे लेकिन

1 (Source Annual Report and Trend and Progress of Banking in India 1975 76, p 49 (Issued by the Reserve Bank of India))

30 जून, 1975 को यह राशि बढ़कर 623 करोड़ रु० हो गयी थी। इसी प्रकार छोटे एव घरेलू उद्योगों को भी पहले की अपेक्षा अधिक ऋण दिये गये थे। 19 जुलाई, 1969 को ये बैंक इन उद्योगों को 239 90 करोड़ रु० के ऋण दे रहे थे लेकिन 30 जून, 1975 को यह राशि बढ़कर 625 करोड़ रु० हो गयी थी। इसी प्रकार अन्य उपेक्षित वर्गों (जैसे फुटकर व्यापारियों, सड़क परिव्याहको स्वनियोजित व्यक्तियों) को भी अधिक ऋण दिये गये थे। 19 जुलाई, 1969 को ये बैंक इन प्राथमिकता-प्राप्त खण्डों को अपनी कुल साख का 14 9 प्रतिशत ऋणों के रूप में देते थे लेकिन 30 जून 1975 को यह प्रतिशत बढ़कर 28 2 हो गया था। इस प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण से इन वर्गों के लिए आशा की एक नयी किरण दृष्टिगोचर हुई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को चाहिए कि वे इस आशा को वास्तविकता में बदल दें। जून, 1972 में भारत सरकार ने एक योजना तैयार की जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर ऋण दे सकेंगे। यह रियायती दर 4 प्रतिशत होगी। यह रियायत परिगणित जातियों के व्यक्तियों, छोटे छोटे दारिगरी, दबियों, रिक्शा वाले, जुता-निर्माताओं को दी जायगी। 31 मार्च, 1976 को रियायती व्याज दरों की योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को 24 58 करोड़ रुपये के ऋण दिये थे।

(3) बैंकिंग विकास हेतु जिलों का सर्वेक्षण (District Surveys for the Purpose of Banking Development)—देश के विभिन्न भागों में बैंकिंग का क्रमबद्ध एव समन्वित विकास करने हेतु रिजर्व बैंक ने एक नयी योजना बनायी है। इसे नेता बैंक योजना (Lead Bank Scheme) की सजा दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत देश के 338 जिलों को विभिन्न बैंकों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक जिला एक बैंक को सौंपा गया है। उस बैंक को Lead Bank कहा जाता है। उस बैंक का कर्तव्य यह है कि बैंकिंग विकास के दृष्टिकोण से वह उस जिले के साधनों एव उसकी सम्भावनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करे। उसी सर्वेक्षण के आधार पर उस जिले का बाव में बैंकिंग विकास किया जायेगा। लघुभग सभी जिलों के सर्वेक्षण-प्रतिवेदन तैयार हो चुके हैं।

ऊपर हमने बैंक राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियों का वर्णन किया है। लेकिन 6 वर्षों की अवधि में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ असफलताएँ भी दृष्टिगोचर हुई हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। ये इस प्रकार हैं

(1) पर्याप्त जमाराशियाँ जुटा पाने में असफलता (Failure to Mobilise Adequate Deposits)—यद्यपि 6 वर्ष की अवधि में बैंक शाखाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है लेकिन बैंकों की जमाराशियाँ उसी अनुपात में नहीं बढ़ी हैं। इस प्रकार नयी जमाराशियों को जुटाने में राष्ट्रीयकृत बैंकों का रेकार्ड (record) सन्तोषजनक नहीं है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूर्णतया दोषी नहीं ठहराया जा सकता। निस्सन्देह, इस अवधि में बैंक-साख (bank credit) का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ था। लेकिन इस बैंक-साख का अधिकांश भाग अर्थ व्यवस्था के कनिष्ठ एसे खण्डों (sectors) को दिया गया था जो बैंकिंग के अभ्यस्त नहीं थे। अर्थात् गिन्हे बैंकिंग आदतें (banking habits) नहीं थी। परिणामतः नव सृजित साख लौटकर पुन बैंकों के पास उसी मात्रा में न आ सकी। लेकिन बालान्तर में बैंकिंग आदतों का विकास होने पर यह वाट स्वतः ही समाप्त हो जायगी, अतः आवश्यकता इस बात की है कि नयी जमाराशियाँ जुटाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक सख्या में नयी शाखाएँ खोली जायें और इसके साथ ही साथ बैंकिंग आदतों को ग्रहण करने के लिए जनमत को उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जाय। केवल ऐसा करके ही जमाराशियाँ को बढ़ाया जा सकता है। भारत में जमाराशियों की अपर्याप्तता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस समय वे हमारी राष्ट्रीय आय का केवल 14 प्रतिशत हैं जबकि संयुक्त राज्य अमरीका में यह प्रतिशत 41 है और जापान में 69 है। हमारा प्रतिशत तो ईरान एव श्रीलंका जैसे देशों से भी कम है। अब भारत में जमाराशियाँ बढ़ाने की अभी काफी बड़ी मुँजाइश है और राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस दिशा में विशेष प्रयास करने चाहिए।

(2) पर्याप्त एव प्रशिक्षित बैंक-अमला जुटा पाने में असफलता (Failure to Provide Bank staff)—यद्यपि बैंक शाखाओं का विस्तार तो बड़े पैमाने पर हुआ है लेकिन इन नयी शाखाओं में प्रशिक्षित एव कार्यकुशल अमले की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा सकी है। यह तो

स्पष्ट ही है कि पर्याप्त एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के बिना बैंको का कार्य सुचारु ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता। बैंक अमल की समस्या इस समय बैंको के लिए एक गम्भीर समस्या बन गयी है। प्रशिक्षित अमला शहरो को छोड़कर ग्रामीण अथवा अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाता चाहता। लेकिन यह एक ऐसी समस्या नहीं है जिसका कि समाधान नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीयकृत बैंको को चाहिए कि अपने कार्यालयों में वे यथासम्भव स्थानीय युवकों का ही भरती करें और उन्हें समुचित प्रशिक्षण देने के बाद उसी स्थान पर नियुक्त करें। इससे दो लाभ होंगे। स्थानीय व्यक्तियों एवं स्थितियों की जानकारी होने के कारण वे युवक बैंको की अधिक जगाराशियाँ दिलाने में सहायक हो सकेंगे। दूसरे, इससे ग्रामीण एवं अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाने वाली बेरोजगारी की समस्या भी हल हो सकेगी।

(3) कीमत वृद्धि को रोकने में असफलता (Failure to Check Rise in the Price Level)—आलोचकों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक कीमत वृद्धि को रोकने में असमर्थ रहे हैं। कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि हाल में हुई कीमत वृद्धि बैंको के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप ही हुई है। हमारे विचार में राष्ट्रीयकृत बैंको पर यह आरोप लगाना उचित नहीं है। यह सही है कि राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंकों ने साख का विस्तार किया है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंको तो बोझ नहीं उठरामा जा सकता। यह वृद्धि तो अतिव्याप्य है। बैंको ने राष्ट्रीयकरण का एक मूल उद्देश्य गैर विशेष सुविधा प्राप्त वर्गों (under-privileged sections) की वित्तीय सहायता करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति बैंक साख का विस्तार करने की जा सकती थी। अतः राष्ट्रीयकृत बैंको को यह साख विस्तार करना पड़ा। लेकिन यह साख विस्तार रिजर्व बैंक को देखरख में ही किया गया था। सम्भव है कि इस साख-विस्तार से कीमत स्तर पर कुछ प्रभाव पड़ा हो। लेकिन यह कहना असत्य है कि कीमत-स्तर में हुई समूची वृद्धि इस साख विस्तार के कारण ही हुई थी। कीमत-वृद्धि का यह एक साधारण कारण हो सकता है। लेकिन एक कीमत-वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ी हुई माँग की तुलना में पिछड़ गया था। बाजार में अभाव की स्थिति (scarcity) उत्पन्न हो गयी थी। माँग अधिक और पूर्ति कम थी। अतः कीमत स्तर में वृद्धि होना स्वाभाविक ही था।

(4) प्राथमिकता प्राप्त वर्गों की उपेक्षा 19 जुलाई 1969 के तुरन्त बाद राष्ट्रीयकृत बैंको न प्राथमिकता प्राप्त खण्डों (उदाहरणार्थ छोटे किसानों व्यापारियों उद्योगपतियों सड़क परिवहनका) को उदार ढंग से एवं आसान शर्तों पर ऋण देने आरम्भ कर दिये थे। लेकिन दो वर्ष के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह उल्हास ठंडा पड़ गया था। एक बार वे पुनः अपने पुराने तौर-तरीकों पर लौट आये थे। अब उन्होंने पुनः बड़े-बड़े व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को विशाल मात्रा में ऋण एवं पेशगिर्षा देना आरम्भ कर दिया। वास्तव में, यह एक अस्वस्थ प्रवृत्ति है जिस पर शीघ्र रोक लगायी जानी चाहिए अन्यथा राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य ही पराजित हो जायगा। वान दरअसल यह है कि राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंको ने प्रथम एवं सगठनात्मक ढंग में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया है। वही पुराना ढर्रा चल रहा है और परम्परागत धिसी धिसी रीतियों का अनुसरण किया जा रहा है।

(5) जमाराशियों के लिए युद्ध (War for Deposits)—राष्ट्रीयकृत बैंको में प्रचलित एक अन्य अस्वस्थ प्रवृत्ति यह है कि लोगों की जमाराशियों को आकर्षित करने हेतु उनमें आपसी होड़ लगी है। छोटे छोटे नशरो एवं कस्बों में शाखाएँ खोलकर जमाराशियाँ जुटाने के बजाय वे बड़े बड़े नशरो में कतिपय बड़ी बड़ी पार्टियों की जमाराशियाँ को प्राप्त करने हेतु आपस में प्रति-योगिता कर रहे हैं। यहाँ तक कि जमाराशियाँ प्राप्त करने के लिए वे बड़ी बड़ी पार्टियों को निर्धारित ध्याज दरों से भी अधिक ध्याज देते हैं। ये ध्याज दरें काउन्टर के नीचे सुकृत्रिम रूप से कमीशन के रूप में जमाकर्तारों को दी जाती हैं जिससे वास्तव में ध्याज का सृजन होता है। रिजर्व बैंक इस कुप्रथा से भली भाँति परिचित है लेकिन इसे रोकने के लिए उसने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

बैंको के राष्ट्रीयकरण का उपर्युक्त तुलन पत्र (balance sheet) कोई अधिक उत्पादक

तो नहीं है। लेकिन 6 वर्ष की अल्प-अवधि के अनुभव के आधार पर किसी प्रकार का अन्तिम निर्णय देना हमारे लिए न तो उचित और नहीं न्याय संगत होगा।

फरवरी, 1972 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बैंकिंग आयोग ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय कृत बैंको को शीघ्र ही 2 अथवा 3 अखिल भारतीय बैंको (All India Banks) तथा 5 अथवा 6 प्रादेशिक बैंको (Regional Banks) में पुनर्गठित किया जाय। बड़े-बड़े नगरी में तो अखिल भारतीय बैंको तथा प्रादेशिक बैंको दोनों को ही शाखाएँ खोलने का अधिकार होगा चाहिए। बैंकिंग आयोग स्टेट बैंक में परिचर्तन करने के पक्ष में नहीं था। राष्ट्रीय बैंको द्वारा खोली जाने वाली नयी शाखाओं में डील नहीं आनी चाहिए। जहाँ राष्ट्रीयकृत बैंको की शाखाएँ अधिक हैं वहाँ युक्तिवर्ण की प्रक्रिया द्वारा सख्या में कमी की जानी चाहिए।

जमा बीमा निगम

(Deposit Insurance Corporation)

ऊपर हम देख चुके हैं कि समय समय पर भारत में बैंक फेल होते रहे हैं। सन् 1913 में तो बैंको को बड़े पैमाने पर असफलता का सामना करना पड़ा था। सन् 1947 के बाद भी का फेल होना पूर्णतः बन्द नहीं हुआ था। उदाहरणार्थ जून 1960 में महाराष्ट्र का लक्ष्मी बैंक (Lakshmi Bank) तथा अगस्त 1960 में केरल का पलाई सेंट्रल बैंक (Palai Central Bank) फेल हो गये थे। इन बैंको के फेल हो जाने से जनता के विश्वास को भारी धक्का लगा और बहुत से लोगों ने डर के मारे बैंको से अपने निक्षेप निकालने आरम्भ कर दिये थे। इस स्थिति का सामना करने एव छोटे तथा मध्यम-वर्ग के जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए 1 जनवरी, 1962 को भारत सरकार ने जमा बीमा निगम की स्थापना की थी।

निगम की अधिकृत एव चुकती-पूँजी 15 करोड़ रुपये थी। यह राशि निगम को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदान की गयी थी। 1 जनवरी 1975 को निगम की चुकती पूँजी को 15 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ ६० कर दिया गया था। निगम चाहे तो रिजर्व बैंक से 5 करोड़ रुपये तक ऋण ले सकता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर इस निगम का अध्यक्ष होता है। निगम के प्रबन्ध के लिए 5 सदस्यों का एक संचालक बोर्ड नियुक्त किया गया है। दिसम्बर 1968 के जमा बीमा निगम कानून में संसद द्वारा एक संशोधन किया गया था। इसके अनुसार निगम की अधिकृत पूँजी को 1 करोड़ ६० से बढ़ाकर 5 करोड़ ६० कर देने की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही संचालकों की सख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गयी है। यही नहीं, इस संशोधन के अनुसार जमा बीमा योजना को अब राष्ट्रीय एव केन्द्रीय सहकारी बैंको एव बड़ी-बड़ी प्राथमिक गैर कृषि सहकारी समितियों पर भी लागू कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, जमा बीमा योजना अब इन समस्याओं की जमाराशिओं पर भी लागू होगी।

देश के सभी व्यापारिक एव अन्य बैंको के लिए इस निगम का सदस्य बनना अनिवार्य है। निगम ने प्रत्येक बैंक में जमाकर्ता की जमाराशि (deposit) के बीमे की सीमा 20 000 रुपये निश्चित की है। दूसरे शब्दों में यद्यपि कोई बैंक फेल हो जाता है तो उसके सभी जमाकर्ताओं की 20,000 रुपये तक की सीमा की जमाराशि सुरक्षित रहती है। (लेकिन 1 जुलाई, 1976 से पूर्व यह जमाराशि 10 000 ६० ही हुआ करती थी।) इस प्रकार स्पष्ट है कि जमा बीमा निगम की स्थापना से छोटे एव अन्य मध्यम श्रेणी के जमाकर्ताओं के निक्षेप (deposits) सुरक्षित हो गये हैं। परन्तु स्मरण रह कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों तथा बैंकिंग कम्पनियों की जमाराशिओं पर यह योजना लागू नहीं होती। केन्द्रीय सरकार को पूर्व अनुमति से जमा बीमा निगम को बीमे की सीमा में वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार है। इस समय सदस्य बैंको से निगम प्रति 100 रुपये के लिए 4 पैसे प्रतिवर्ष बीमा शुल्क (Premium) के रूप में वसूल करता है। परन्तु निगम को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो इस शुल्क को बढ़ाकर 15 पैसे प्रतिवर्ष प्रति 100 रुपये कर सकता है। यदि कोई सदस्य बैंक अपने प्रीमियम (अथवा बीमा शुल्क) का भुगतान नहीं करता तो निगम उससे 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी-वसूल कर सकता है। जमा बीमा निगम की सफलता के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि

रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों के कार्यों का प्रभावपूर्ण निरीक्षण करे और उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएँ करने के अवसर न दे।

30 जून 1976 को निगम के सदस्य बैंकों की सख्या 79 थी। निगम ने सन् 1962 से लेकर 30 जून, 1975 तक 14 बैंकों से सम्बन्धित 113 04 लाख रुपये के दावे (claims) स्वीकार किये थे।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. भारत में समुक्त स्कन्ध अधिकारियों के विकास पर प्रकाश डालिए और यह बताइए कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति की उन्नति के लिए क्या किया है ?

(आगरा, बी० कॉम०, 1963)

[संकेत—प्रथम भाग में, भारत के समुक्त स्कन्ध अधिकारियों (अथवा मिश्रित पूंजी बैंकों) के इतिहास का संक्षेप में वर्णन कीजिए और स्पष्टतः बताइए कि भारतीय बैंकिंग किन-किन स्थितियों में से होकर गुजरी है। दूसरे भाग में, यह बताइए कि भारतीय बैंकों ने देश की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा योग दिया है। उन्होंने न केवल निजी उद्योगों एवं व्यवसायों को ऋणों के रूप में पंजी प्रदान की है, बल्कि सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर सरकारी प्रतिभूतियों में धन लगाया है। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि भारतीय बैंकिंग इस समय पूर्णतः दोषमुक्त है। वास्तव में, भारतीय बैंकिंग में इस समय भी कई प्रकार के दोष पाये जाते हैं। यदि भारतीय बैंकिंग को देश के आर्थिक विकास में अधिक सक्रिय भूमिका प्रस्तुत करनी है तो इन दोषों एवं त्रुटियों को शीघ्रातिशीघ्र दूर करना चाहिए।]

3. भारतीय बैंकिंग के मुख्य दोष क्या हैं ? सुधार के उपाय बताइए। (गोरखपुर, 1960)

[संकेत—प्रथम भाग में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के मुख्य दोषों एवं त्रुटियों की विस्तार-पूर्वक व्याख्या कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार इन दोषों एवं त्रुटियों के कारण भारतीय बैंकिंग के विकास में बाधाएँ उपस्थित हो रही हैं। दूसरे भाग में, यह बताइए कि उक्त दोषों एवं त्रुटियों को दूर करने के लिए समय-समय पर कौन-कौनसे सुझाव दिये गये हैं।]

3. भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक भूल है।" इसका विश्लेषण कीजिए।

(आगरा 1970)

[संकेत—यहाँ पर आपको बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में दिये गये तर्कों को प्रस्तुत करना है। इसके लिए उपर्युक्त अध्याय को देखिए।]

4. भारत में बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ ? इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आर्थिक प्रभाव बताइये।

(बिन्नम, 1971)

अथवा

भारत के 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था ? बैंकों के इस राष्ट्रीयकरण से देश को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए हैं ? (आगरा, 1975)

[संकेत—भारत के बड़े-बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया है क्योंकि उनमें अनेक दोष एवं त्रुटियाँ पायी जाती थी। यहाँ पर आप उपर्युक्त अध्याय में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में दिये गये तर्कों को प्रस्तुत कीजिए। दूसरे भाग के लिए आप उपर्युक्त अध्याय के "राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रगति" नामक उपविभाग को देखिए।]

31

भारतीय मुद्रा बाजार (Indian Money Market)

मुद्रा-बाजार का अर्थ

जिस प्रकार किसी वस्तु का बाजार होता है, ठीक उसी तरह मुद्रा का भी बाजार होता है। जिस तरह वस्तु बाजार में वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही होते हैं, ठीक उसी तरह मुद्रा-बाजार में भी मुद्रा के क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही होते हैं। मुद्रा के क्रेताओं से अभिप्राय उन ऋणियों, व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों से है जो उत्पादन कार्यों के लिए ऋण लेते हैं। मुद्रा के विक्रेताओं से अभिप्राय उन व्यक्तियों एवं ऋणदाताओं से है जो अपने धन को जरूरतमन्द व्यक्तियों एवं संस्थाओं को ऋण के रूप में देते हैं। जिस प्रकार वस्तु बाजार में वस्तु का निश्चित मूल्य होता है, ठीक उसी प्रकार मुद्रा-बाजार में मुद्रा का भी निश्चित मूल्य होता है। उसे ब्याज की दर कहा जाता है। जिस प्रकार वस्तु का मूल्य वस्तु के क्रेताओं द्वारा चुकाया जाता है, ठीक उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य (अर्थात् ब्याज) ऋणियों द्वारा दिया जाता है। मुद्रा का मूल्य अथवा ब्याज भी ठीक उसी प्रकार निर्धारित होता है जिस प्रकार कि वस्तु का मूल्य। दूसरे शब्दों में, ब्याज की दर वस्तु के मूल्य की भांति माँग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निश्चित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु-बाजार एवं मुद्रा बाजार में पूर्ण समानता पायी जाती है। मुद्रा बाजार की विभाया इस प्रकार की जाती है—मुद्रा बाजार से अभिप्राय उस समूचे क्षेत्र से होता है जहाँ पर मुद्रा के क्रेताओं एवं विक्रेताओं का एक दूसरे के साथ सम्पर्क होता है। मुद्रा-बाजार में मुद्रा क्रेताओं एवं विक्रेताओं की पारस्परिक प्रतियोगिता के आधार पर ही पूँजी की माँग एवं पूर्ति के सन्तुलन से ब्याज की दर निर्धारित होती है।

कभी कभी मुद्रा बाजार (Money market) तथा पूँजी-बाजार (Capital market) में भेद किया जाता है। विस्तृत अर्थ में मुद्रा बाजार एवं पूँजी-बाजार में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। परन्तु संकुचन अर्थ में मुद्रा बाजार तथा पूँजी बाजार में अन्तर किया जाता है। मुद्रा बाजार में मुद्रा का केवल अल्पकालीन लन देन ही होता है अर्थात् मुद्रा-बाजार में ऋणों का आदान-प्रदान केवल अल्पकाल के लिए ही होता है। इससे विपरीत पूँजी-बाजार में मुद्रा का लंबे देन दीर्घकाल के लिए होता है। दूसरे शब्दों में पूँजी बाजार में ऋण प्रायः लम्बे समय के लिये दिये जाते हैं। इस प्रकार मुद्रा बाजार तथा पूँजी बाजार में कोई आधारमूलक अन्तर नहीं होता।

विदेशी भी देश की अर्थ व्यवस्था के लिए एक सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित मुद्रा-बाजार का होना अत्यन्त आवश्यक होता है क्योंकि इससे विना देश की अर्थ व्यवस्था को सुचारु ढंग से नहीं चलाया जा सकता। मुद्रा बाजार के दो प्रमुख कार्य होते हैं—प्रथम मुद्रा-बाजार के माध्यम से विभिन्न वर्गों के उत्पादकों, व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों को अपनी उत्पादन सम्बन्धी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण उपलब्ध होते हैं। सरकार भी अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को मुद्रा बाजार के माध्यम से ही पूरा करती है। दूसरे, मुद्रा-बाजार के माध्यम

से ही देश की मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में समुचित समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार मुद्रा बाजार मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में समायोजन (Adjustment) स्थापित करके मुद्रा इकाई के मूल्य में स्थिरता ला सकता है।

भारतीय मुद्रा-बाजार

भारतीय मुद्रा बाजार के अंग (Constituents of Indian Money Market)—भारतीय मुद्रा-बाजार को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—प्रथम संगठित अथवा आधुनिक भाग (Organised or Modern Sector), दूसरे, असंगठित अथवा स्वदेशी भाग (Unorganised or Indigenous Sector)। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संगठित अथवा आधुनिक भाग में ये बैंक सम्मिलित किये जाते हैं—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मिश्रित पूंजी बैंक (अनुसूचित एवं असूचित) सहकारी बैंक तथा विदेशी विनिमय बैंक। मुद्रा-बाजार के असंगठित भाग में साहूकार, महाजन, मारवाडी, सराफे तथा शाह आदि सम्मिलित किये जाते हैं। भारतीय मुद्रा-बाजार में इन दोनों भागों का विस्तृत वर्णन आगे चलकर किया जायगा। इन दोनों भागों के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं और इनमें किसी प्रकार का सम्पर्क एवं सहयोग नहीं है। भारतीय मुद्रा-बाजार के संगठित भाग पर तो रिजर्व बैंक का लगभग पूर्ण नियन्त्रण है। परन्तु भारतीय मुद्रा-बाजार के असंगठित तथा स्वदेशी भाग पर रिजर्व बैंक का विलकुल भी नियन्त्रण नहीं है। भारत में व्यावसायिक साख का अधिकांश भाग स्वदेशी बैंकरो द्वारा ही प्रदान किया जाता है परन्तु इससे बावजूद उन पर रिजर्व बैंक का कोई नियन्त्रण नहीं है। वास्तव में, यह बहुत ही विचित्र स्थिति है।

भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएँ—ये इस प्रकार हैं

(1) जैसा ऊपर कहा गया है भारतीय मुद्रा बाजार के दो भाग हैं—संगठित एवं असंगठित। इन दोनों में किसी प्रकार का सम्पर्क एवं सहयोग नहीं है। परिणामतः इन दोनों भागों में प्रचलित व्याज की दरों में बड़ी विभिन्नता पायी जाती है।

(2) भारतीय मुद्रा-बाजार के संगठित भाग में दबे-दबे मिश्रित पूंजी बैंकों के अतिरिक्त अर्द्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएँ भी पायी जाती हैं। मुख्यतः ये संस्थाएँ उद्योग-धन्धों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं।

(3) भारतीय मुद्रा-बाजार की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर विकसित विल-बाजार का लगभग पूर्ण अभाव है। विगत कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक के भरसक प्रयत्नों के बावजूद देश में अभी तक विल बाजार का विकास सम्भव नहीं हो सका है। वास्तव में भारतीय मुद्रा बाजार के विकास में यह एक बड़ी बाधा है।

(4) भारतीय मुद्रा बाजार के असंगठित भाग पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। वास्तव में, देशी बैंकरो को अपना काम सम्पन्न करने में पूर्ण छूट दे दी गयी है। इस भाग के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों में कोई स्पष्ट भेद नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस भाग में व्याज की दरों में भी भारी विभिन्नता पायी जाती है।

(5) भारतीय मुद्रा बाजार में वट्टा-गृहो (Discount Causes) का पूर्ण अभाव है। इसका मुख्य कारण भारतीय मुद्रा-बाजार में व्यापारिक दिलों का लगभग पूर्ण अभाव है।

(6) भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग अन्तर्बैंक (inter bank) मुद्रा बाजार है। दूसरे शब्दों में मुद्रा बाजार के विभिन्न सदस्य आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे से ऋण ले सकते हैं।

भारतीय मुद्रा बाजार के दोष—ये इस प्रकार हैं

(1) मुद्रा बाजार के सदस्यों में संगठन एवं सहयोग का अभाव—(क) भारतीय मुद्रा बाजार, जैसा ऊपर कहा गया है दो मुख्य भागों में बँटा हुआ है—संगठित एवं असंगठित। संगठित भाग में रिजर्व बैंक स्टेट बैंक मिश्रित पूंजी बैंक सहकारी बैंक एवं विदेशी विनिमय बैंक आदि पाये जाते हैं। असंगठित भाग में साहूकारों, महाजनों सराफों आदि को सम्मिलित किया जाता है। दुर्भाग्यवश, मुद्रा बाजार के इन दो अंगों के बीच किसी प्रकार का सम्पर्क एवं सहयोग

नहीं है। कभी-कभी तो इन दोनों में अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता भी होती है वास्तव में, यह स्थिति देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए अत्यन्त हानिकारक है।

(ख) मुद्रा-बाजार के प्रत्येक भाग के सदस्यों में भी आपसी प्रतियोगिता होती है। जैसा ऊपर कहा गया है— भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सगठित एव असगठित अंगों में ही प्रतियोगिता नहीं होती, बल्कि इन दोनों अंगों के सदस्यों के बीच भी भारी प्रतियोगिता होती रहती है। उदाहरणार्थ, सगठित भाग के विभिन्न सदस्यों के बीच में भी प्रतियोगिता होती रहती है। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा मिश्रित पूंजी बैंक एक दूसरे को अपना प्रतियोगी समझते हैं। इस प्रकार बैंकिंग व्यवस्था के असगठित भाग के विभिन्न सदस्यों में भी आपसी प्रतियोगिता होती रहती है। इस अपव्ययपूर्ण प्रतियोगिता के कारण समूची बैंकिंग व्यवस्था को हानि होती है।

(ग) भारत में इस समय कोई अखिल भारतीय मुद्रा-बाजार नहीं है। इसके विपरीत, भारतीय मुद्रा-बाजार छोटे-छोटे एव स्थानीय टुकड़ों में बँटा हुआ है। उदाहरणार्थ, बम्बई, कलकत्ता एव मद्रास के मुद्रा-बाजारों का छोटे छोटे नगरों के मुद्रा-बाजारों से कोई विशेष सम्पर्क नहीं होता। इस प्रकार स्पष्ट है कि परस्पर सगठन एव सहयोग का अभाव भारतीय मुद्रा-बाजार की एक भारी त्रुटि है।

(2) मुद्रा बाजार में व्याज-दरों की विभिन्नता— परस्पर सहयोग एव सगठन के अभाव के कारण भारतीय मुद्रा बाजार के विभिन्न भागों में व्याज की दरों में भारी विभिन्नता पायी जाती है। बैंकिंग व्यवस्था के सगठित भाग में प्रचलित व्याज की दरें असगठित भाग में प्रचलित व्याज की दरों से भिन्न होती हैं। केवल यही नहीं, व्याज की दरों में स्थानीय विभिन्नता भी पायी जाती है। बड़े बड़े व्यापारिक एव औद्योगिक केन्द्रों में प्रचलित व्याज की दरें छोटे-छोटे नगरों एवं कस्बों में प्रचलित व्याज की दरों से भिन्न होती हैं। व्याज की दरों की यह विभिन्नता मौसमी (seasonal) भी होती है। वर्ष के कुछ महीनों में व्याज की दर बढ़ जाती है और अन्य महीनों में गिर जाती है। इस प्रकार भारतीय मुद्रा-बाजार में व्याज की दरों में भारी विभिन्नता पायी जाती है। पश्चिमी देशों के मुद्रा-बाजारों में व्याज की दरों में इतनी विभिन्नता नहीं पायी जाती जितनी कि भारतीय मुद्रा-बाजार में पायी जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मुद्रा-बाजार में विभिन्न व्याज-दरों में आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होगा और न ही बैंक दर का इन पर कोई विशेष प्रभाव ही पड़ता है। वास्तव में, यह भारतीय मुद्रा-बाजार के पिछड़ेपन का स्पष्ट प्रमाण है। ब्रिटेन तथा अमरीका जैसे विकसित देशों में बैंक-दर एव व्याज की अन्य दरों में एक निश्चित सम्बन्ध होता है और सभी व्याज की दरें अन्ततः बैंक दर पर ही निर्भर रहती हैं, परन्तु भारतीय मुद्रा-बाजार के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

(3) सगठित विल-बाजार का अभाव—किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए वहाँ पर एक सुव्यवस्थित विल बाजार का होना अत्यन्त आवश्यक होता है। परन्तु भारत में अभी तक विल बाजार का पूर्ण विकास सम्भव नहीं हो सका है पद्यपि विगत कुछ वर्षों में इस दिशा में रिजर्व बैंक ने भरसक प्रयत्न किये हैं। चूंकि भारत में सगठित विल-बाजार का अभाव है, इसलिए भारतीय मुद्रा-बाजार उत्तम एव सगठित ढंग से कार्य नहीं कर सकता। यह सत्य है कि प्राचीन काल से ही भारत में हुण्डियों का उपयोग होता चला आया है, परन्तु फिर भी भारतीय व्यापारियों के अधिकांश सौदे नकदी के रूप में ही किये जाते हैं। परिणामतः मुद्रा-बाजार में हुण्डियों का अभाव ही रहता है। यही कारण है कि भारतीय बैंक अपनी कुल जमा का केवल 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत भाग ही हुण्डियों में लगते हैं। भारत में विल-बाजार का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापारियों एव व्यवसायियों द्वारा बड़े पैमाने पर हुण्डियों का उपयोग किया जाय और रिजर्व बैंक भी अधिकाधिक मात्रा में सदस्य बैंकों को पुनः कटौती (Re-discounting) की सुविधाएँ प्रदान करे। विगत 10 वर्षों में रिजर्व बैंक भारत में विल-बाजार का विकास करने के प्रयत्न करता रहा है। परन्तु इसके बावजूद अभी तक भारत में विल-बाजार पूर्णतः विकसित नहीं हो सका है।

(4) मुद्रा की मौसमी कमी और व्याज की दरों में परिवर्तन— भारतीय मुद्रा-बाजार की एक त्रुटि यह भी है कि इसमें कुछ विशेष समयों पर मुद्रा की कमी हो जाती है, अर्थात् पूँति की

अपेक्षा मुद्रा की माँग अधिक हो जाती है। नवम्बर से जून तक फसलों की कटाई एवं उनके विपणन (Marketing) के कारण मुद्रा की माँग बढ़ जाती है। परन्तु उसकी पूर्ति में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती। परिणामतः इस अवधि में ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं। बाजार में मुद्रा का सामान्य अभाव उत्पन्न हो जाता है जिससे व्यापारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, जुलाई से अक्टूबर तक मुद्रा की माँग में कमी हो जाती है। परिणामतः ब्याज की दरों में भी कमी हो जाती है। इस प्रकार भारत में मुद्रा की पूर्ति प्रायः बेलाच ही रहती है। वास्तव में, मुद्रा की इस बेलाच पूर्ति के कारण देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यद्यपि रिजर्व बैंक व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न समयों पर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करता रहता है, परन्तु फिर भी मुद्रा की मौसमी कमी एवं ब्याज की दरों में होने वाले उच्चावचनों (Fluctuations) को पूर्णतः दूर नहीं किया जा सकता है।

(5) मुद्रा-बाजार में पूँजी का अभाव—भारतीय मुद्रा-बाजार में प्रायः धन का अभाव ही रहता है। बाजार में उपलब्ध मुद्रा पूर्ति व्यापार एवं उद्योग-धन्धों की धन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त रहती है। इसके कई कारण हैं—प्रथम, भारत की राष्ट्रीय आय बहुत कम है। परिणामतः प्रति व्यक्ति आय भी कम है। इसी कारण भारतीयों की बचत करने की शक्ति कम है। दूसरे, भारत में अब भी ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे-छोटे कस्बों में बैंकिंग सुविधाओं का लगभग अभाव है जिसके कारण बचतों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता। तीसरे, बैंकों के समय-समय पर फेल होने के कारण साधारण जनता का उनमें विश्वास अधिक सुदृढ़ नहीं है। चौथे, साधारण जनता में विशेषकर ग्रामीण जनता में अब भी धन का संचय (hoarding) करने की प्रवृत्ति पायी जाती है। ग्रामीण लोग प्रायः अपनी बचतों को भूमि में गाड़ देते हैं अथवा उनसे आभूषण आदि खरीद लेते हैं। इन सभी कारणों से भारत में पूँजी-निर्माण (Capital Formation) उचित मात्रा में नहीं होता। परिणामतः मुद्रा-बाजार में धन का सामान्य अभाव पाया जाता है।

(6) बैंकिंग सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण भारतीय मुद्रा बाजार पूर्णतः विकसित नहीं हो सका है—जैसा पूर्व कहा गया है भारत में अब भी ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे छोटे कस्बों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। यह सत्य है कि युद्धोत्तर काल में बैंकिंग शाखाओं में वृद्धि हुई है परन्तु ये नयी शाखाएँ अधिकांश बड़े बड़े व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्रों में ही खोली गयी हैं। जैसा स्पष्ट है—बैंकिंग के विकास के बिना मुद्रा-बाजार का विकास भी सम्भव नहीं हो सकता। बैंकिंग सुविधाओं की सामान्य कमी के कारण बचतों को भी आवश्यक प्रोत्साहन नहीं मिल पाता और न उपलब्ध बचतों का उत्पादक ढंग से उपयोग ही किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय मुद्रा बाजार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण बैंकिंग सुविधाओं की अपर्याप्तता ही है।

(7) मुद्रा बाजार में देशी बैंकों एवं महाजनों की अधिकता—जैसा हम पहले कह चुके हैं, भारतीय मुद्रा-बाजार में देशी बैंकों तथा महाजनों का महत्वपूर्ण स्थान है। संगठित भाग (Organised Sector) की अपेक्षा देशी बैंकर एवं महाजन व्यापारियों एवं व्यवसायियों को अधिक मात्रा में साख प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो देशी बैंकरों एवं महाजनों का लगभग पूर्ण एकाधिकार है। परन्तु ऐसा होते हुए भी देशी बैंकरों अथवा महाजनों पर रिजर्व बैंक द्वारा किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं किया जाता है। यही कारण है कि स्वदेशी बैंक एवं महाजन समय-समय पर मुद्रा-बाजार में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। स्पष्ट है कि भारतीय मुद्रा-बाजार के समुचित विकास के लिए देशी बैंकों एवं महाजनों की कार्यवाहियों पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण अवश्य ही करना पड़ेगा।

(8) मुद्रा-बाजार में विशिष्ट संस्थाओं का अभाव—भारत के मुद्रा-बाजार का एक दोष यही भी है कि इसमें विशिष्ट बैंकिंग संस्थाओं (Specialised Banking Institutions) का लक्ष्यपूर्ण अभाव है। उदाहरणार्थ भारत के मुद्रा बाजार में औद्योगिक बैंकों, बट्टा गृहों (Discount Houses), कृषि-बैंकों एवं विदेशी वित्तिय बैंकों का अभाव है। इन विशिष्ट बैंकिंग संस्थाओं के अभाव के फलस्वरूप भारतीय उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के सुझाव—यह सत्य है कि रिजर्व बैंक एव स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद मुद्रा-बाजार की दशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है परन्तु अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। मुद्रा बाजार के दोषों एव मुद्दियों को दूर करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के सुझाव दिये गये हैं वे इस प्रकार हैं।

(1) देशी बैंकों पर नियन्त्रण किया जाय—जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, भारतीय मुद्रा-बाजार में स्वदेशी बैंकों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है लेकिन ऐसा होते हुए भी इस समय उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। स्पष्ट है कि जब तक देशी बैंकों पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रखा जाता तब तक भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करना अत्यन्त कठिन है। अतः यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय मुद्रा बाजार के समुचित विकास के लिए देशी बैंकों पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण स्थापित किया जाय। इस सम्बन्ध में विगत वर्षों में रिजर्व बैंक ने कुछ प्रयत्न भी किये हैं। परन्तु देशी बैंकों की हठधर्मी के कारण ये प्रयत्न विफल हो गये हैं।

(2) हुण्डियों का मानकीकरण किया जाय—इस समय भारतीय मुद्रा बाजार में प्रचलित हुण्डियों में एकरूपता एव मानकीकरण (Standardisation) का पूर्ण अभाव है। ये हुण्डियाँ प्रायः क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इनके रूप तथा लेखन विधियों में भी भारी अन्तर पाये जाते हैं। परिणामतः इन हुण्डियों के आधार पर अखिल भारतीय मुद्रा-बाजार की स्थापना नहीं की जा सकती। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि अखिल भारतीय बाजार की स्थापना के लिए भारत में प्रचलित हुण्डियों की भाषा तथा लेखन-विधि में समानता लायी जाय।

(3) सगठित बिल-बाजार का विकास किया जाय—किसी भी देश के मुद्रा बाजार का समुचित विकास सगठित बिल-बाजार के बिना सम्भव नहीं हो सकता। वास्तव में, भारतीय मुद्रा-बाजार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण सगठित बिल बाजार का अभाव ही है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारतीय बैंकों द्वारा बिलों को पुनः भुनाने की सुविधाओं का विस्तार किया जाय। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकता है।

(4) धन-हस्तांतरण की सुविधाओं को बढ़ाया जाय—एक अच्छे मुद्रा-बाजार के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश के प्रमुख व्यापारिक, औद्योगिक एव वित्तीय केंद्रों में धन हस्तांतरण की सस्ती सुविधाएँ प्रदान की जायें। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक ने मिश्रित पूंजी बैंकों को पूर्णतः सुविधाएँ दे रखी हैं। परन्तु ये सुविधाएँ इस समय स्वदेशी बैंकों एव महाजनो को उपलब्ध नहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि धन हस्तांतरण की सस्ती सुविधाएँ स्वदेशी बैंकों एव महाजनो को भी उपलब्ध करायी जायें।

(5) समाशोधन गृहों की सख्या में वृद्धि तथा उनका पुनर्संयोजन—जैसा विदित है, भारत में इस समय समाशोधन-गृहों (Clearing Houses) की संख्या बहुत कम है और जो समाशोधन-गृह इस समय काम कर रहे हैं उनकी कार्य प्रणाली भी अत्यन्त दोषपूर्ण है। भारतीय मुद्रा-बाजार के समुचित विकास के लिए यह नितांत आवश्यक है कि देश में समाशोधन गृहों की संख्या बढ़ायी जाय और उनकी कार्य प्रणाली में भी आवश्यक सुधार किये जायें।

(6) लाइसेन्समुद्रा गोदामों की स्थापना—भारतीय मुद्रा बाजार के सुधार के लिए यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लाइसेन्समुद्रा गोदामों (Licensed Warehouses) की स्थापना की जाय ताकि किसान अपना अतिरिक्त माल इन गोदामों में जमा करा सकें। इन गोदामों में जमा किये गये माल को उन्हें रसीद मिल सकेगी जिसके आधार पर वे बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह सत्य है कि विगत कुछ वर्षों में भारत सरकार एव राज्य सरकारों ने गोदाम निगम (Warehousing Corporations) स्थापित किये हैं और इनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर गोदाम बनाये गये हैं परन्तु गोदामों की संख्या आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ही कम है। अतः इस दिशा में और सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।

(7) धातु की दरों की विभिन्नता को दूर किया जाय—जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, भारतीय मुद्रा-बाजार के विभिन्न भागों में व्यापार-दरों की बड़ी विभिन्नता पायी जाती है। वास्तव में, यह मुद्रा बाजार के समुचित विकास में एक बड़ी बाधा उपस्थित करती है। इसलिए सुझाव

दिशा गया है कि रिजर्व बैंक उचित मौद्रिक एवं साख्य उपायों को अपनाकर ब्याज-दरों की प्रचलित विभिन्नता यथासम्भव दूर करने का प्रयत्न करे।

सन् 1949 में बैंकिंग कम्पनीज एक्ट के पारित किये जाने के उपरान्त भारतीय मुद्रा बाजार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, परन्तु इसका यह अन्तिमप्राय नहीं कि भारतीय मुद्रा-बाजार पूर्णतः दोषमुक्त हो गया है। अब भी भारत के मुद्रा-बाजार में उपरोक्त दोष एवं त्रुटियाँ पायी जाती हैं।

भारत में बिल-बाजार (Bill Market in India)

किसी देश के बिल-बाजार से अन्तिमप्राय उदा क्षेत्र में होता है जिसमें बिलों के ज्ञेता एवं विक्रेता पाये जाते हैं। नैसा ऊपर हम देख चुके हैं किसी देश के मुद्रा बाजार के समुचित विकास के लिए सर्वांगित बिल-बाजार का होना अत्यन्त आवश्यक होता है, परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश में अभी तक बिल बाजार का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है।

भारत के बिल-बाजार के दोषों एवं त्रुटियों को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम पहले यह देखें कि बिल बाजार की कार्य-प्रणाली क्या होती है? जैसा विदित है बिलों का उपयोग प्रायः व्यापारियों द्वारा किया जाता है। जब कोई व्यापारी अपने माल को किसी अन्य व्यापारी को बेचना है तब वह अपने माल का मूल्य नकदी में तुरन्त प्राप्त नहीं करता, बल्कि माल खरीदने वाले व्यापारी को भुगतान करने के लिए कुछ समय देना है। माल बेचने वाला व्यापारी खरीदने वाले व्यापारी पर हुण्डी लिखता है। माल खरीदने वाला व्यापारी उस हुण्डी को स्वीकार करने के उपरान्त उसे माल बेचने वाले व्यापारी को लौटा देता है। ज्ञेता व्यापारी द्वारा स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त हुण्डी एक कानूनी प्रलेप (Legal Document) का रूप धारण कर लेती है और ज्ञेता व्यापारी माल के मूल्य की अदायगी करने के लिए वचनबद्ध हो जाता है। तदुपरान्त यदि माल बेचने वाले व्यापारी को तुरन्त नकदी की आवश्यकता पड़ जाती है तो वह उस हुण्डी को किसी बँक में ले जाकर उसे भुना सकता है। इसे बढ़ा या डिस्काउन्टिंग (Discounting) कहते हैं।

स्पष्ट है कि बिल-बाजार से व्यापारियों एवं व्यवसायियों को बहुत सुविधा रहती है। हुण्डी प्रथा के कारण ज्ञेता-व्यापारी को खरीदे हुए माल का तुरन्त भुगतान नहीं करना पड़ता। वह केवल अपने ऊपर लिखी गयी हुण्डी को स्वीकार करके विक्रेता व्यापारी से भुगतान के लिए कुछ समय प्राप्त कर लेता है। हुण्डी प्रथा से विक्रेता-व्यापारी को बहुत सुविधा रहती है। वह जिन समय चाहे स्वीकृत हुण्डी को बैंक में ले भुनाकर नकदी प्राप्त कर सकता है। बैंकों के लिए भी बिल बाजार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे अपनी अतिरिक्त धनराशि (Surplus funds) को अल्पकाल के लिए बिलों में निवेश (invest) कर सकते हैं। बिल-बाजार का इतना महत्त्व होते हुए भी स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व भारत में इसके विकास की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था यद्यपि सन् 1929 में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति ने इस सम्बन्ध में सरकार से जोरदार शब्दों में इसकी सिफारिश की थी। परन्तु तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस सिफारिश को कार्यरूप में परिणत नहीं किया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सन् 1952 में ही रिजर्व बैंक ने बिल बाजार के विकास की ओर कुछ ध्यान देना आरम्भ किया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक योजना भी बनायी थी।

रिजर्व बैंक की बिल बाजार सम्बन्धी योजना—रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी 1952 का अपना बिल बाजार योजना को कार्यरूप दिया था। इससे पूर्व रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को स्वीकृत एवं सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ही ऋण प्रदान किया करता था। परन्तु सन् 1952 की योजना के अन्तर्गत अनुसूचित बैंक मुदती प्रतिज्ञा-पत्रों (Usance Promissory Notes) के आधार पर रिजर्व बैंक से माँग-ऋण (demand loans) प्राप्त कर सकते थे। परन्तु स्मरण रहे कि रिजर्व बैंक इन प्रतिज्ञा पत्रों का पुनः बढ़ा (rediscounting) नहीं करता था, बल्कि उन्हें केवल जमागत के रूप में ही स्वीकार करता था। इन प्रतिज्ञा-पत्रों की एक आवश्यक शर्त यह थी कि वे 90 दिन के भीतर परिपक्व (mature) होने वाले हों अर्थात् 90 दिनों से

अधिक की अवधि में परिपक्व होने वाले प्रतिज्ञा-पत्रों पर रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को माँग-ऋण देने के लिए तैयार नहीं था और न ही रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को इस योजना के अन्तर्गत दर्शनी बिलों (Demand Bills) के आधार पर ऋण देने के लिए तैयार था। यदि कोई बैंक दर्शनी बिलों के आधार पर रिजर्व बैंक से ऋण लेना चाहता था तो उसे पहले दर्शनी बिलों को 90 दिन के भीतर परिपक्व होने वाले समय बिलों (Time Bills) में परिवर्तित कराना पड़ता था।

भारत के बिल बाजार के विदास को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक अपने ऋणों पर बैंक-दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम दर लिया करता था। इसके अतिरिक्त दर्शनी बिलों को समय-बिलों में परिवर्तित कराने के फलस्वरूप अनुसूचित बैंकों पर स्टाम्प ड्यूटी (Stamp duty) का जो भार पड़ता था उसका आधा भाग स्वयं रिजर्व बैंक वहन किया करता था। 1 मार्च, 1956 तक रिजर्व बैंक बिलों के आधार पर व्यापारिक बैंकों को बैंक दर से $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम दर पर ऋण देता रहा किन्तु इस तिथि के बाद यह दर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत कर दी गयी और आगे चलकर 21 नवम्बर 1956 को इसे बैंक दर के बराबर ही कर दिया गया। अर्थात् यह दर अब $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी गयी। 16 मई, 1957 को बैंक दर $3\frac{1}{2}$ से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दी गयी और इसके साथ-साथ अनुसूचित बैंकों के लिए ऋण की दर में भी इतनी ही वृद्धि कर दी गयी। परन्तु स्टाम्प ड्यूटी $\frac{1}{4}$ प्रतिशत रह जाने से समय-बिलों पर लिये जाने वाले ऋणों की वास्तविक दर $4\frac{1}{2}$ हो गयी। आगे चलकर सन् 1965-66 में इस दर को 6 प्रतिशत कर दिया गया था। 22 जुलाई, 1974 को रिजर्व बैंक ने इस दर को बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया था।

रिजर्व बैंक ने जनवरी 1952 में बिल-बाजार की योजना को क्रियान्वित करते समय इसे केवल उन अनुसूचित बैंकों तक ही सीमित रखा था जिनकी जमा राशियाँ (deposits) 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक थीं। तदुपरान्त जून 1953 में इस योजना को 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक जयाराशि वाले बैंकों पर लागू किया गया। जुलाई 1954 में इस योजना के अन्तर्गत उन सभी अनुसूचित बैंकों को सम्मिलित कर लिया गया जिनके पास बैंकिंग का कार्य करने के लाइसेंस थे। दूसरे शब्दों में, अब जमाराशि की शर्त पूर्णतः समाप्त कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने किसी बैंक द्वारा लिये जाने वाले ऋण की न्यूनतम सीमा को भी 25 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया ताकि अधिक से अधिक मात्रा में सदस्य बैंक इस योजना का लाभ उठा सकें। अक्टूबर 1958 में रिजर्व बैंक ने निर्यात बिलों (Export Bills) को भी इस योजना के क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया ताकि अनुसूचित बैंक निर्यातकर्ताओं को अधिक से अधिक मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें। सितम्बर 1962 में रिजर्व बैंक अधिनियम में सशोधन करके नव-विषय एव पुनः बट्टे के लिए निर्यात बिलों की अवधि 180 दिन तक बढ़ा दी गयी थी। इसके अतिरिक्त मार्च 1963 में निर्यात बिल साख योजना (Export Bills Credit Scheme) लागू की गयी थी। इसके अन्तर्गत अनुसूचित बैंक अपने अधिकार में रखे हुए निर्यात-बिलों की घोषणा कर देते हैं और रिजर्व बैंक को प्रतिज्ञा-पत्र लिख देते हैं। इस प्रतिज्ञा-पत्र के आधार पर रिजर्व बैंक उन्हें ऋण दे देता है। इस प्रकार अनुसूचित बैंक निर्यात बिलों की राशि केवल घोषणा करने पर ही रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

बिल-बाजार योजना की सफलता— रिजर्व बैंक द्वारा क्रियान्वित उक्त बिल-बाजार योजना को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों के प्राहक नकद साख प्रणाली (Cash Credit System) के लाभों के साथ-साथ विनियम बिलों के आधार पर भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु यह योजना अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से पुनः बट्टा (Rediscounting) की सुविधा के स्थान पर माँग-ऋण एव अग्रिम धन देने की सुविधा प्रदान करती है। वास्तव में, बैंकों के लिए यह योजना अधिक लाभदायक सिद्ध हुई है क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत बैंकों को व्याज की बचत ही जाती है। इसका कारण यह है कि इस योजना के अन्तर्गत विनियम बिलों के आधार पर बैंक अपनी आवश्यकतानुसार ही रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं जबकि पुनः बट्टा व्यवस्था के अन्तर्गत उन्हें विनियम बिलों की सम्पूर्ण राशि पर बट्टा दर देनी पड़ती है। इस प्रकार अनुसूचित बैंकों को व्याज की बचत हो जाती है। इस योजना की सफलता इस तथ्य से व्यक्त हो जाती है कि सन् 1951-52 में रिजर्व बैंक ने बिल-बाजार योजना के अन्तर्गत 81.45 करोड़ रुपये के ऋण अनुसूचित बैंकों को दिये थे।

बिल-बाजार योजना की आलोचना—इस योजना की निम्नलिखित आलोचनाएँ की जाती हैं

(1) इस योजना का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके अन्तर्गत देश में समूचित बिल-बाजार का पूर्ण विकास नहीं हो सका है। इसका कारण यह है कि इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को विनिमय बिलों के आधार पर माँग-ऋण एवं अग्रिम धन ही प्रदान करता है, विनिमय बिलों का पुन बट्टा नहीं करता। इस प्रकार समूचित बिल-बाजार के मुख्य उद्देश्य को ही इस योजना में समाप्त कर दिया गया है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को दर्शनी बिलों के आधार पर ऋण प्रदान नहीं करता है बल्कि ऋण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित बैंकों को अपने दर्शनी बिलों को मुदती बिलों में परिवर्तित करना पड़ता है। वास्तव में, यह अनुसूचित बैंकों के लिए बहुत ही अनुविधाजनक होता है। इसके अलावा, ऐसा करने में अनुसूचित बैंकों को स्टाम्प ड्यूटी का अतिरिक्त भार भी वहन करना पड़ता है।

(3) इस योजना में स्वदेशी बैंकों को कोई स्थान नहीं दिया गया है, यद्यपि देश की बैंकिंग व्यवस्था में उनका विशेष महत्व है। दूसरे शब्दों में, रिजर्व बैंक विनिमय बिलों के आधार पर स्वदेशी बैंकों को ऋण एवं अग्रिम धन देने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार देश की बैंकिंग व्यवस्था का बहुत बड़ा भाग इस योजना की परिधि से बाहर रह जाता है।

देश में बिल बाजार का विकास करने हेतु नवम्बर, 1970 में रिजर्व बैंक ने एक नई योजना लागू की थी। इसे बिल पुन बट्टा योजना (Bill Re discounting Scheme 1970) कहा गया था। इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक उन विनिमय बिलों का पुन बट्टा करने के लिये सहमत हो गया था जो सरकारी विभागों को माल सप्लाई करने से उत्पन्न होते थे। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार थी (i) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी लाइसेंस शुदा बैंक रिजर्व बैंक से विनिमय बिलों का पुन बट्टा करवाने के अधिकारी थे। (ii) विनिमय बिल यथायथ अथवा प्रामाणिक (genuine) होना चाहिये। दूसरे शब्दों में, विनिमय बिल वास्तविक विक्री सौदे पर आधारित होना चाहिये। विनिमय-बिल साधारणतः 90 दिन से अधिक की अवधि का नहीं होना चाहिये। (iv) विनिमय बिल पर कम से कम दो विश्वसनीय हस्ताक्षर होने चाहिये, (v) पुन बट्टा हेतु रिजर्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक विनिमय बिल की राशि 5000 रु० से कम नहीं होनी चाहिये। (vi) किसी एक समय पर रिजर्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत विनिमय बिलों की कुल राशि 50,000 रु० से कम नहीं होनी चाहिये।

अनुसूचित बैंकों से कहा गया है कि इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग करें और अपने द्वारा बट्टाकृत बिलों (Discounted Bills) का रिजर्व बैंक से पुन बट्टा करावें। यह धर्म की बात है कि इस योजना के अधीन अनुसूचित बैंकों ने अपने बट्टाकृत बिलों का अधिकाधिक पुन बट्टा कराया है। सन् 1971-72 के व्यस्त मौसम में अनुसूचित बैंकों ने इस योजना से विशेष लाभ उठाया था। 30 जून 1971 को बैंकों के पुन बट्टा-कृत बिलों का मूल्य 10 करोड़ रु० था लेकिन सितम्बर 1971 में यह बढ़कर 25 करोड़ रु० हो गया था। जून 1974 में पुन बट्टाकृत बिलों की कुल राशि बढ़कर 274 करोड़ रु० हो गई थी। लेकिन जून, 1975 में यह राशि घटकर 132 करोड़ रु० ही रह गई थी। इस धर्म में रिजर्व बैंक की नीति बिलों में पुन बट्टाकरण योजना के अन्तर्गत कम धन लगाने की थी। कारण यह था कि रिजर्व बैंक देश में पैली मुद्रा स्थिति को नियंत्रित करने हेतु साख सकुचन की नीति का अनुसरण कर रहा था। इसी कारण पुन बट्टा योजना को आपात पहुँचा था।

सन् 1974-75 के दौरान बिलों की पुन बट्टाकरण योजना के अन्तर्गत दो महत्वपूर्ण कदम रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गये थे। प्रथम अनुसूचित व्यापारिक बैंक अब अपने प्रमाणपुक्त विनिमय बिलों का पुन बट्टा (rediscounting) रिजर्व बैंक के अलावा निम्नलिखित संस्थाओं से भी कर सकते थे—अल्प व्यापारिक बैंक, जीवन बीमा निधम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया,

जनरल इश्यूरेस कारपोरेशन, इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (Industrial Credit and Investment Corporation of India), द्वितीय 1 अप्रैल 1975 से बिलो की पुन बट्टा सुविधाएँ रिजर्व बैंक के अहमदाबाद के कार्यालय से भी बी जाने लगी थी।

अपनी साख्त समुचन नीति (credit squeeze policy) को क्रियान्वित करने हेतु 11 सितम्बर, 1976 को रिजर्व बैंक ने घोषणा की थी कि प्रथम नवम्बर, 1976 से अनुसूचित बैंको का मूल पुन बट्टा कोटा (basic rediscount quota) निश्चित कर दिया गया है। यह कोटा अनुसूचित बैंको द्वारा 25 सितम्बर 1976 को खरीदे गये अथवा बट्टाकृत विनिमय बिलो के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत था। रिजर्व बैंक ने यह कदम देश में पुन उभरती हुई मुद्रा स्फीति पर रोक लगाने हेतु उठाया था।

भारत में सगठित बिल-बाजार के अभाव के कारण—विगत 12 वर्षों में रिजर्व बैंक के भरसक प्रयत्नों के बावजूद अभी तक भारत में बिल-बाजार का पूर्ण विकास सम्भव नहीं हो सका है। इसके मुख्य मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

(1) भारतीय बैंको द्वारा प्रथम श्रेणी की सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिकता का दिया जाना—चूँकि बैंकिंग व्यवस्था में जनता का सुदृढ़ विश्वास नहीं है, इसलिए भारतीय बैंको की प्राय बड़े पैमाने पर जमाकर्ताओं की माँग को सन्तुष्ट करने के लिए नकद कोष रखने पड़ते हैं। अतः अपनी परिसम्पत्तियों (assets) को तरल (liquid) रूप में रखने के लिए भारतीय बैंक विनिमय बिलो की अपेक्षा प्रथम श्रेणी की सरकारी प्रतिभूतियों में अपना धन लगाना अधिक पसन्द करते हैं। इससे उन्हें दो लाभ होते हैं—प्रथम उनकी परिसम्पत्तियाँ तरल रूप में रहती हैं। दूसरे, जनता का बैंको में विश्वास सुदृढ़ होता है। अतः भारतीय बैंक विनिमय बिलो में धन लगाना अधिक पसन्द नहीं करते। इसी कारण भारतीय बिल बाजार का विकास सम्भव नहीं हो सका है।

(2) विनिमय-बिलो को पुन भुनाने की कठिनाई—रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व इम्पीरियल बैंक विनिमय बिलो का पुन बट्टा (re-discounting) करने का कार्य किया करता था। चूँकि इम्पीरियल बैंक स्वयं एक व्यापारिक बैंक था और अन्य बैंको से प्रातःशोभिता करता था, इसलिए अधिकांश व्यापारिक बैंक इम्पीरियल बैंक से अपने बिलो का पुन बट्टा कराने में सकोच किया करते थे। परन्तु 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना के परिणामस्वरूप भारतीय बैंको की यह कठिनाई दूर हो गयी। लेकिन फिर भी भारत में सगठित बिल-बाजार का विकास सम्भव नहीं हो सका। इसके दो मुख्य कारण थे—प्रथम रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंको की स्वीकृत प्रतिभूतियों (Approved Securities) के आधार पर ही ऋण देना पसन्द करता था। रिजर्व बैंक इन बैंको को विनिमय बिलो का पुन बट्टा कराने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता था। दूसरे, भारत में विनिमय बिलो का भी बहुत अभाव था। इसका मुख्य कारण यह था कि लाइसेन्स शुदा गोदामों के अभाव के कारण कृषि बिलो की सख्या बहुत कम हुआ करती थी।

(3) स्वीकृति गृहों का अभाव—भारत में बिल-बाजार के विकसित न होने का एक कारण यह भी है कि यहाँ पश्चिमी देशों की भाँति निगम एव स्वीकृति-गृहों (Issue and Acceptance Houses) का पूर्ण अभाव है। पश्चिमी देशों में इन संस्थाओं द्वारा विनिमय बिलों को स्वीकार किया जाता है और ऐसे स्वीकृत बिलों का व्यापारिक बैंक पुन बट्टा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के बिलो का पुन बट्टा करने में उन्हें किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना पड़ता है, परन्तु जैसा ऊपर कहा गया है, भारत में इस प्रकार की संस्थाओं का पूर्ण अभाव है जिसके फलस्वरूप व्यापारिक बैंक विनिमय बिलों का पुन बट्टा करने में सकोच करते हैं।

(4) विनिमय बिलों की विविधता (Diversity of Exchange Bills)—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं—भारत में प्रचलित विनिमय बिलो अथवा हुण्डियों में बहुत विभिन्नता पायी जाती है। उनकी भाषा एवं लेखन विधियों में भारी अन्तर पाये जाते हैं। परिणामतः एक अखिल भारतीय बिल बाजार का विकास सम्भव नहीं हो सका है।

(5) व्यापारिक एवं गण-बिलों में अन्तर का अभाव—चूँकि भारत में व्यापारिक एवं अर्प-बिलों (Commercial and Accommodation Bills) में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं होता, इसलिए साधारणतः बैंक बिलों को भुनाने में हिचकिचाते हैं। बैंकों को व्यापारिक बिलों को भुनाने में तो कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि ये बिल वास्तविक, व्यापारिक सौदों के आधार पर लिखे जाते हैं। परन्तु अर्प-बिलों को भुनाने में बैंकों को आपत्ति होती है क्योंकि इस प्रकार के बिल वास्तविक व्यापारिक सौदों पर आधारित नहीं होते। ये बिल तो केवल ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से ही लिखे जाते हैं। इन दोनों प्रकार के बिलों में स्पष्ट अन्तर के अभाव के कारण बैंक प्रायः सभी बिलों को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। परिणामतः संगठित बिल-बाजार के विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं।

(6) बैंक प्रायः नकद ऋणों को प्राथमिकता देते हैं—बैंक साधारणतः विनिमय-बिलों का बट्टा करने की अपेक्षा अपने ग्राहकों को नकद ऋण देना अधिक अच्छा समझते हैं। इसका कारण यह है कि नकद ऋणों को तो बैंक अपने ग्राहकों से किसी भी समय वापस ले सकते हैं। परन्तु विनिमय-बिलों के बट्टे (डिस्काउण्टिंग) में लगाने गये धन को बैंक आवश्यकतानुसार वापस नहीं ले सकते। इसलिए विनिमय-बिलों के बट्टे (डिस्काउण्टिंग) की तुलना में बैंक अपने ग्राहकों को नकद ऋण देना अधिक पसन्द करते हैं।

(7) भारी स्टाम्प ड्यूटी (Heavy Stamp Duty)—भारत में मुद्रती विनिमय-बिलों के अभाव का एक कारण यह है कि इस प्रकार के बिलों पर सरकार की ओर से भारी स्टाम्प ड्यूटी लगायी जाती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि देश के विभिन्न भागों में स्टाम्प ड्यूटी ½ प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक होती है। इस भारी स्टाम्प ड्यूटी के कारण विनिमय-बिलों का प्रयोग स्वतः ही निरुत्साहित हो जाता है।

(8) कोषागार विपत्रों का निर्गमन—(Issue of Treasury Bills)—भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोषागार विपत्रों का निर्गमन करती हैं। ये विपत्र अल्पकालीन अवधि के होते हैं और प्रायः 33 से 90 दिन में पट्टिवन हो जाते हैं। भारतीय बैंक अपने अतिरिक्त धन को विनिमय-बिलों की अपेक्षा कोषागार विपत्रों में लगाना अधिक अच्छा समझते हैं। इसके दो कारण हैं—प्रथम, कोषागार विपत्र अत्यन्त सुरक्षित होते हैं और उनके पीछे सरकार की समूची साख होती है। दूसरे, ये विपत्र बहुत ही सरल होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बैंक इन्हें बाजार में बेचकर नकदी प्राप्त कर सकते हैं।

बिल-बाजार में सुधार करने हेतु दिये गये सुझाव—भारत में बिल बाजार के अभाव को दूर करने के लिये सन् 1929 में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये थे :

(1) केन्द्रीय बैंक की स्थापना—केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी ने बिल-बाजार का विकास करने के लिए भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना पर बहुत जोर दिया था और इसी सिफारिश के आधार पर ही सन् 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी थी, परन्तु दुर्भाग्यवश, लगभग 17 वर्ष तक रिजर्व बैंक ने बिल-बाजार के संगठन की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। जनवरी 1952 में ही रिजर्व बैंक ने अपनी बिल-बाजार योजना को कार्यरूप में परिणत किया था।

(2) स्टाम्प ड्यूटी में कमी होनी चाहिए—जैसा उपर कहा गया है, भारी स्टाम्प ड्यूटी के कारण ही भारत में मुद्रती विनिमय-बिलों का प्रयोग लोकप्रिय नहीं हो सका है। इसीलिए केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी ने भारत सरकार को स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने का सुझाव दिया था। सन् 1940 में स्टाम्प ड्यूटी में कुछ कमी भी कर दी गयी थी, परन्तु इसके बावजूद स्टाम्प ड्यूटी के भार में कोई विशेष कमी नहीं हुई है। वास्तव में, भारी स्टाम्प ड्यूटी बिल बाजार के विकास में भारी बाधा उपस्थित कर रही है।

(3) बट्टा-दर में कमी होनी चाहिए—केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी का यह भी विचार था कि भारत में बिलों का अधिक प्रचलन न होने का मुख्य कारण उच्च बट्टा-दर रही है। अतः बिल बाजार को विकसित करने के लिए यह निश्चिन्त आवश्यक है कि बट्टा-दर में पर्याप्त कमी की जाय।

(4) स्वीकृति-गृहों की स्थापना—देश में बिल-बाजार का समुचित विकास करने के लिए यह भी आवश्यक है कि बड़ी सख्या में देश के विभिन्न भागों में स्वीकृति-गृह (Acceptance Houses) खोले जायें। जैसा ऊपर कहा गया है—भारतीय बैंक बिलों का बट्टा करने में इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें बिलों के पत्तों (parties) के बारे में सही एवं विश्वसनीय जानकारी नहीं होती। स्वीकृति-गृह बैंकों को व्यापारियों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना देकर विनिमय-बिलों के प्रयोग को अधिक प्रचलित बना सकते हैं।

(5) समाशोधन-गृहों की स्थापना—केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी का यह भी विचार था कि विनिमय-बिलों का भुगतान सुविधाजनक बनाने के लिए देश में समाशोधन-गृहों की स्थापना की जाय और ये समाशोधन-गृह बिलों का भी ठीक उसी प्रकार भुगतान कराने में सहायता दें जिस तरह कि ये बैंकों के भुगतान में देते हैं।

(6) बिलों एवं हुण्डियों का मानकीकरण—जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, भारत में बिलों तथा हुण्डियों में भारी विभिन्नता पायी जाती है। इनकी भाषाएँ एवं लेखन-विधियाँ अलग-अलग होती हैं। इसी कारण इनका प्रयोग लोकप्रिय नहीं हो सका है। केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी ने यह सुझाव दिया था कि बिल बाजार का संगठित विकास करने के लिए भारत में प्रचलित सभी प्रकार के बिलों एवं हुण्डियों का मानकीकरण (Standardisation) कर दिया जाय।

(7) खड़ी फसलों के आधार पर लिखे गये बिलों की स्वीकृति—यह भी सुझाव दिया गया है कि खड़ी फसलों के आधार पर लिखे गये बिलों की स्वीकार किया जाय और उनकी जमानत पर बैंकों द्वारा ऋण देने की व्यवस्था की जाय। इससे कृषि बिलों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(8) अन्य सुझाव—बिल-बाजार के विकास के लिए समय-समय पर कुछ अन्य सुझाव भी दिये गये हैं जो इस प्रकार हैं

(क) स्वदेशी बैंकों की हुण्डियों के प्रयोग को बढ़ाया जाय—बिल बाजार के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि स्वदेशी बैंकों की हुण्डियों का प्रयोग भी अन्य बिलों की तरह बढ़ाया जाय, क्योंकि वे भी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग हैं।

(ख) लाइसेन्समुद्रा गोदामों की स्थापना को जाय—देश के विभिन्न क्षेत्रों में लाइसेन्समुद्रा गोदामों की स्थापना से बिलों के प्रयोग को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि तब कृषि-बिल गोदामों में रखे गये माल के आधार पर लिखे जायेंगे।

(ग) दर्शनी बिलों को मुदती बिलों में बदलने हेतु स्टाम्प ड्यूटी में कमी की जाय—जैसा ऊपर कहा गया है इस समय रिजर्व बैंक अनुसंधान बैंकों को केवल मुदती बिलों के आधार पर ही ऋण देना है, दर्शनी बिलों के आधार पर नहीं। इसलिए बैंकों को रिजर्व बैंक से ऋण लेने हेतु अपने दर्शनी बिलों को मुदती बिलों में बदलना पड़ना है। ऐसा करने के लिए उन्हें विशेष स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है जिसके फलस्वरूप वे ऋण लेने से निरुत्साहित होते हैं। अतः सरकार को बिलों के परिवर्तन पर से स्टाम्प ड्यूटी हटा देनी चाहिए।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. भारतीय मुद्रा-बाजार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसके दोषों पर दृष्टिपात करिए।

अथवा

भारतीय मुद्रा बाजार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

(इन्दौर, 1968)

[संकेत—प्रथम भाग में, मुद्रा बाजार का अर्थ बताते हुए भारतीय मुद्रा-बाजार की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का सविस्तर वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में, भारतीय मुद्रा-बाजार के दोषों एवं त्रुटियों की चर्चा कीजिए।]

2. भारतीय मुद्रा-बाजार की त्रुटियाँ क्या हैं? इन्हें दूर करने के लिए कोई निश्चित सुझाव (गोरखपुर, 1961)

कीजिए।

अथवा

भारतीय मुद्रा-बाजार के प्रमुख दोषों की विवेचना कीजिए। उचित सुधारों का सुझाव भी दीजिए।
(आगरा, 1968)

[सकेत—प्रथम भाग में, भारतीय मुद्रा बाजार के मुख्य दोषों एवं चूटियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। दूसरे भाग में, मुद्रा बाजार के दोषों एवं चूटियों को दूर करने हेतु जो सुझाव दिये जाते हैं, उनकी चर्चा कीजिए।]

3. भारत में बिल बाजार के न होने के क्या कारण हैं? जनवरी 1952 से इस सम्बन्ध में क्या किया गया है?
(आगरा, वी० काम०, 1962)

अथवा

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए

भारत का हुण्डी बाजार।

(आगरा, 1966)

[सकेत—प्रथम भाग में, भारत में संगठित बिल बाजार के अभाव के मुख्य मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में यह बताइए कि भारत में बिल बाजार का विकास करने हेतु जनवरी 1952 में, रिजर्व बैंक ने अपनी बिल-बाजार योजना को लागू कर दिया था। यहाँ पर रिजर्व बैंक की बिल-बाजार योजना का सविस्तार वर्णन कीजिए और बताइए कि इस योजना को कितनी सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही साथ इस योजना की आलोचनाओं की भी चर्चा कीजिए।]

4. 'मुद्रा बाजार' की परिभाषा कीजिए। क्या भारत में एक सुविकसित मुद्रा बाजार है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए।
(मेरठ, 1975)

[सकेत—मुद्रा बाजार की परिभाषा के लिये उपर्युक्त अध्याय के प्रारम्भ में 'मुद्रा बाजार का अर्थ' नामक शीर्षक को देखिए। दूसरे भाग में, यह बताइये कि भारत का मुद्रा बाजार सुविकसित नहीं है। इसमें कई प्रकार के दोष एवं चूटियाँ पायी जाती हैं। देखिए उपर्युक्त अध्याय।]

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India)

प्रस्तावना

सन् 1934 से पूर्व भारत में एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना के लिए समय-समय पर कई प्रयत्न किये गये थे। परन्तु ये प्रयत्न सफल नहीं हो सके। सन् 1921 में भारत सरकार ने देश में केन्द्रीय बैंक के अभाव को दूर करने के लिए इम्पीरियल बैंक (Imperial Bank) की स्थापना की थी। परन्तु केन्द्रीय बैंक के रूप में इम्पीरियल बैंक कोई अधिक सफल नहीं हो सका था। सन् 1925 में हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) को इस विषय पर अपना मत व्यक्त करने के लिये कहा गया था। इस कमीशन ने देश में एक नये केन्द्रीय बैंक की स्थापना के लिए बड़े जोरदार शब्दों में सिफारिश की थी। कमीशन के अनुसार, देश में मुद्रा तथा साख के नियन्त्रण को दो अलग-अलग संस्थाओं में रखना उचित नहीं था। स्मरण रहे कि रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व भारत सरकार मुद्रा का और इम्पीरियल बैंक साख का नियन्त्रण किया करते थे। हिल्टन यंग कमीशन के मतानुसार मुद्रा एवं साख पर यह दोहरा नियन्त्रण (Double Control) देश की मुद्रा प्रणाली के लिए उचित नहीं था। इसलिए कमीशन ने सरकार से सिफारिश की थी कि साख एवं मुद्रा का नियन्त्रण एक केन्द्रीय बैंक को सौंप दिया जाय। इसी कारण कमीशन ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने कमीशन की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्कालीन विधानसभा में एक बिल भी प्रस्तुत किया। परन्तु विधानसभा के सदस्यों में अत्यधिक मतभेद होने के कारण इस बिल को स्वीकार नहीं किया जा सका। परिणामतः भारत सरकार ने कुछ समय के लिए इस सम्बन्ध में कार्यवाही करना स्थगित कर दिया। परन्तु सन् 1929 में केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी (Central Banking Enquiry Committee) ने पुनः जोरदार शब्दों में रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। परिणामतः सन् 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पास कर दिया गया और 1 अप्रैल, 1935 से रिजर्व बैंक ने अपना काम करना प्रारम्भ कर दिया था।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना क्यों की गयी थी ?

रिजर्व बैंक की स्थापना के कारण निम्नलिखित थे

(1) मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय—जैसा ऊपर कहा गया है, रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व मुद्रा का निगमन भारत सरकार द्वारा और साख का नियन्त्रण इम्पीरियल बैंक द्वारा किया जाता था। इस प्रकार मुद्रा एवं साख पर दोहरा नियन्त्रण था। इसके कारण मुद्रा एवं साख की पूर्ति को देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार समन्वित करना बहुत कठिन हो गया था। इसके अतिरिक्त, मुद्रा एवं साख पर इस प्रकार का दोहरा नियन्त्रण देश की मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के समुचित विकास के हित में भी नहीं था। इसलिए यह अनुभव किया गया कि

देश में एक नये केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाय जो मुद्रा एवं साख में उचित समन्वय स्थापित कर सके।

(2) रुपये के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता—यह भी अनुभव किया गया कि रुपये के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्य में केन्द्रीय बैंक के बिना स्थिरता (Stability) स्थापित करना सम्भव नहीं था। रुपये के मूल्य में स्थिरता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि साख एवं मुद्रा पर एक ही सत्ता का नियन्त्रण हो ताकि देश की मुद्रा-मूल्य का विस्तार एवं संकुचन व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सके।

(3) बैंकों के नकद कोषों का केन्द्रीयकरण—रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व सभी बैंक अपने नकद कोष अलग रखा करते थे। परिणामतः इससे बैंकिंग व्यवस्था में जनता का विश्वास उत्पन्न नहीं होता था और न ही बैंकिंग प्रणाली में दृढ़ता आ पाती थी। अतः यह अनुभव किया गया कि सभी बैंकों के नकद कोषों के केन्द्रीयकरण के लिए अलग से एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाय।

(4) बैंकिंग का समुचित विकास—रिजर्व बैंक की स्थापना का एक कारण यह भी था कि देश की बैंकिंग व्यवस्था का समुचित विकास केन्द्रीय बैंक की सहायता के बिना सम्भव नहीं था क्योंकि यह बैंक ही अन्य बैंकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य कर सकता था।

(5) मुद्रा-बाजार का सगठन—रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व भारत के मुद्रा-बाजार का सगठन अत्यन्त दोषपूर्ण था। मुद्रा-बाजार के विभिन्न भागों में किसी प्रकार का सहयोग एवं सगन्वय नहीं हुआ करता था। मुद्रा-बाजार के इस दोष को दूर करने के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना अत्यन्त आवश्यक समझी गयी।

(6) कृषि साख की व्यवस्था—भारत एक कृषि-प्रधान देश है, परन्तु ऐसा होते हुए भी रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व कृषि-साख के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। अतः यह अनुभव किया गया कि कृषि-साख की व्यवस्था के लिए एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाय।

(7) विदेशों से मौद्रिक सम्पर्क—विदेशों से मौद्रिक सम्पर्क स्थापित करने के लिए भी एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता अनुभव की गयी थी। इसलिए रिजर्व बैंक की स्थापना का उचित समझा गया था।

इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक में क्यों नहीं परिवर्तित किया गया ?

रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व कुछ व्यक्तियों का यह मत था कि तत्कालीन इम्पीरियल-बैंक को ही केन्द्रीय बैंक में परिवर्तित किया जाय, अर्थात् एक नये केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता नहीं थी। उनका कहना था कि इम्पीरियल बैंक पहले ही केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्य सम्पन्न कर रहा था और उसे बिना किसी कठिनाई के एक पूर्ण केन्द्रीय बैंक में परिवर्तित किया जा सकता था, परन्तु भारत सरकार इस विचार से सहमत नहीं थी और उसने देश में एक विलकुल नये केन्द्रीय बैंक की स्थापना करना ही उचित समझा था। इसके दो मुख्य कारण थे—प्रथम, इम्पीरियल बैंक एक व्यापारिक बैंक था और अन्य व्यापारिक बैंकों से प्रतियोगिता किया करता था। अन्य व्यापारिक बैंक भी इसे अपना प्रतियोगी समझते थे और इसी कारण उन्हें इम्पीरियल बैंक में विश्वास नहीं था। वे प्रायः इम्पीरियल बैंक से अपने विलों का पुनः बट्टा कराने में भी सकोच किया करते थे। दूसरे, यदि इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक बना दिया जाता तो ऐसी परिस्थिति में इम्पीरियल बैंक को व्यापारिक बैंकिंग का कार्य अनिवार्य रूप से त्यागना पड़ता, क्योंकि कोई भी केन्द्रीय बैंक व्यापारिक बैंकिंग का कार्य नहीं कर सकता था। यह केन्द्रीय बैंकिंग के सिद्धान्तों के विपरीत था। इम्पीरियल बैंक उस समय अपने व्यापारिक बैंकिंग की किसी भी दशा में त्यागने के लिए तैयार नहीं थी। क्योंकि इससे उसे बहुत लाभ हो रहा था।

रिजर्व बैंक की वर्तमान व्यवस्था

इसकी हम निम्नलिखित उपशीर्षकों के अन्तर्गत विवेचना कर सकते हैं।

(1) पूंजी—रिजर्व बैंक की वर्तमान पूंजी 5 करोड़ रुपये है। इसे 100-100 रुपये वाले 5 लाख शेयरों में विभाजित किया गया है। इस समय रिजर्व बैंक के सभी शेयरों को भारत

सरकार ने खरीद रखा है अर्थात् रिजर्व बैंक अब एक सरकारी संस्था है। परन्तु जब रिजर्व बैंक सन् 1935 में स्थापित किया गया था उस समय यह निजी शेयर होल्डरों का बैंक (Private Shareholder's Bank) था। इसकी पूंजी उस समय भी 5 करोड़ रुपये थी और इसे 100-100 रुपये वाले 5 लाख शेयरों में विभाजित किया गया था। परन्तु 1 जनवरी, 1949 को भारत सरकार ने रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके अन्तर्गत, भारत सरकार ने निजी शेयरहोल्डरों के सभी शेयर स्वयं खरीद लिये थे। प्रत्येक 100 रुपये वाले एक शेयर के लिए भारत सरकार ने 118 62 रुपये मूल्य के रूप में दिये थे।

(2) प्रबन्ध—रिजर्व बैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय संचालक बोर्ड (Central Board of Directors) द्वारा किया जाता है। इस बोर्ड के 20 सदस्य हैं। ये इस प्रकार होते हैं : (क) एक गवर्नर और चार उप-गवर्नर्स (One Governor and four Deputy Governors)—इन पाँचों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है और इनके वेतन केन्द्रीय संचालक बोर्ड द्वारा भारत सरकार के परामर्श से तय किये जाते हैं। (ख) स्थानीय बोर्डों (Local Boards) में से मनोनीत चार संचालक—केन्द्रीय संचालक बोर्ड के अलावा रिजर्व बैंक के 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं। ये बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नयी दिल्ली में स्थित हैं। इन चारों बोर्डों में से भारत सरकार एक एक संचालक केन्द्रीय बोर्ड के लिए मनोनीत करती है। इन संचालकों की अवधि भी पाँच वर्ष की होती है। परन्तु यदि सरकार चाहे तो पाँच वर्षों के बाद उन्हें पुनः मनोनीत कर सकती है। (ग) दस अन्य संचालक—केन्द्रीय संचालक बोर्ड के दस अन्य संचालक भी भारत सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। इनकी अवधि 4 वर्ष की होती है। (घ) एक सरकारी अधिकारी—भारत सरकार केन्द्रीय संचालक बोर्ड में अपनी ओर से एक सरकारी अधिकारी भी नियुक्त करती है। यह सरकारी अधिकारी किसी भी अवधि तक कार्य कर सकता है, परन्तु इसे बोर्ड की बैठकों में मतदान का अधिकार नहीं होता।

केन्द्रीय संचालक बोर्ड की वर्ष में कम से कम छह बैठकें होना अनिवार्य है और प्रत्येक तीन महीने के बाद कम से कम एक बैठक तो अवश्य ही होनी चाहिए। रिजर्व बैंक का गवर्नर जब आवश्यक समझे, केन्द्रीय संचालक बोर्ड की बैठकें बुला सकता है। जैसा ऊपर बताया गया है—केन्द्रीय संचालक बोर्ड को परामर्श देने के लिए चार स्थानीय बोर्ड भी नियुक्त किये गये हैं। प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में कम से कम 4 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। भारत सरकार स्थानीय बोर्डों के सदस्यों की नियुक्ति इस ढंग से करती है कि सभी आर्थिक हितों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। स्थानीय बोर्ड, केन्द्रीय बोर्ड को न केवल परामर्श ही देते हैं, बल्कि केन्द्रीय बोर्ड द्वारा सौंपे गये कार्यों को भी करते हैं।

रिजर्व बैंक का गवर्नर बैंक का उच्चतम अधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए चार उप-गवर्नर्स भी नियुक्त किये जाते हैं। प्रत्येक उप-गवर्नर को कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है और वह उसके लिए पूर्ण उत्तरदायी होता है।

(3) बैंक के कार्यालय—रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय बम्बई में स्थित है। परन्तु अपने कार्यों को सुचारु ढंग से सम्पन्न करने के लिए इसने नयी दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, कानपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटना तथा नागपुर में अपने स्थानीय कार्यालय भी खोल रखे हैं। केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुमति से रिजर्व बैंक किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोल सकता है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक के स्थानीय कार्यालय नहीं हैं, वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया इसके अभिकर्ता (agent) के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक के विनिमय-नियन्त्रण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय नयी दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता तथा मद्रास में स्थित हैं।

(4) रिजर्व बैंक के विभाग (Departments of the Reserve Bank)—इस समय रिजर्व बैंक के 10 विभाग हैं। ये इस प्रकार हैं

(1) निर्गमन विभाग (Issue Department)—इस विभाग का मुख्य कार्य मुद्रा का निर्गमन करना है। अब यह विभाग नासिक प्रेस (Nasik Press) में छापे गये नोटों का सरकारी

खजानो में वितरण करता है और उसका हिसाब वित्ताव रखता है। इस विभाग की शाखाएँ बलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नागपुर, वानपुर, वगलौर, हैदराबाद, पटना तथा नयी दिल्ली में स्थित हैं।

(2) बैंकिंग विभाग (Banking Department)—यह विभाग 1 जुलाई, 1935 को स्थापित किया गया था। इस विभाग के दो मुख्य कार्य हैं—प्रथम, यह विभाग सरकारी लेन-देन (Govt Transactions) तथा सरकारी ऋणों (Public Debts) की व्यवस्था करता है। इसके साथ ही साथ यह सरकारी धन का स्थानांतरण भी करता है। द्वितीय, यह विभाग अनुसूचित बैंकों के नकद-कोष भी अपने पास जमा रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आवधिक सहायता भी देता है। इसके साथ ही अनुसूचित बैंकों की सहायतायं यह विभाग समाशोधन-गृह (Clearing House) का भी कार्य करता है।

(3) बैंकिंग विकास विभाग (Department of Banking Development)—यह विभाग सन् 1950 में स्थापित किया गया था। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना है। इसके साथ ही यह विभाग प्राचीण बचतों को भी प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता है। अनुसूचित बैंकों के अधिकारियों को बैंकिंग प्रशिक्षण देना भी इसी विभाग का उत्तरदायित्व है।

(4) बैंकिंग क्रियाओं का विभाग (Department of Banking Operations)—जस्त हम ऊपर कह चुके हैं—रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 तथा बैंकिंग कम्पनीज एक्ट 1949 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को बैंकिंग व्यवस्था के नियन्त्रण एवं नियमन के लिए व्यापक अधिकार दिये गये हैं। अतः यह विभाग अनुसूचित बैंकों का समय-समय पर निरीक्षण करता है और उनके द्वारा भेजे गये रिपोर्टों की जाँच करता है। नये बैंक खोलने के लिए लाइसेंस देता है तथा पुराने बैंकों को नयी शाखाओं की स्थापना से सम्बन्धित आवेदन पत्रों पर विचार करता है। कोई भी अनुसूचित बैंक इस विभाग की पूर्ण अनुमति के बिना अपनी पूँजी में वृद्धि नहीं कर सकता और न ही इस विभाग की स्वीकृति के बिना विभिन्न बैंकों का एकीकरण (Amalgamation) ही किया जा सकता है। यह विभाग अनुसूचित बैंकों के दिन प्रतिदिन के बैंकिंग कार्य में अपनी ओर से परामर्श भी दे सकता है।

(5) कृषि-साख विभाग (Agricultural Credit Department)—इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि साख से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन और उनके सम्बन्ध में विशेषज्ञों की सहायता से अनुसन्धान (research) करना है। यह विभाग रिजर्व बैंक की कृषि-साख सम्बन्धी नीति का निर्माण भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा राज्य सहकारी बैंकों को कृषि-साख सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रदान करता है। यह विभाग समय-समय पर कृषि-साख के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्टों को भी प्रकाशित करता है।

(6) विनिमय नियन्त्रण विभाग (Exchange Control Department)—इस विभाग की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने पर सितम्बर 1939 में की गयी थी। सन् 1947 में भारत सरकार द्वारा विदेशी विनिमय नियन्त्रण एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट के अन्तर्गत इस विभाग को विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में बहुत व्यापक अधिकार दिये गये थे। इस समय भारत में समस्त विदेशी विनिमय का न्यत्र विक्रय इसी विभाग द्वारा किया जाता है।

(7) औद्योगिक वित्त-विभाग (Industrial Finance Department)—इस विभाग की स्थापना सितम्बर 1957 में की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में छोटे छोटे तथा मध्यम धेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके साथ ही यह विभाग राज्य वित्त निगमों को भी परामर्श देता है।

(8) गैर-बैंकिंग कम्पनीज विभाग (Non-Banking Companies Department)—इस नये विभाग की स्थापना मार्च 1966 में कलकत्ता में की गयी थी। यह विभाग गैर-बैंकिंग कम्पनियों एवं वित्तीय संस्थाओं की देखभाल करता है।

(9) कानून विभाग (Legal Department)—इस विभाग की स्थापना सन् 1951 में की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों को कानूनी विषयों पर परामर्श देना है। यह विभाग समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों एवं विनियमों को भी तैयार

करता है। यह विभाग बैंकिंग से सम्बन्धित सभी कानूनों के उचित क्रियान्वयन के बारे में भी रिजर्व बैंक को परामर्श देता है।

(10) शोध एवं अर्थ विभाग (Department of Research and Statistics)—इस विभाग का मुख्य कार्य मुद्रा, साख, वित्त, उत्पादन आदि से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में खोज करना है। इसके अलावा, यह विभाग अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में आँकड़ों को भी एकत्रित करता है और उन्हें समय-समय पर सरकार की राहगुयतायें प्रकाशित करता है। इस प्रकार यह विभाग सरकार की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों के निर्माण में बहुमूल्य योग देता है। आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार इस विभाग से आर्थिक परामर्श भी ले सकती है।

रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य (Main Functions of the Reserve Bank)

देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक कई प्रकार के कार्य सम्पन्न करता है। इन कार्यों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—प्रथम, केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य। द्वितीय, साधारण बैंकिंग कार्य।

केन्द्रीय बैंकिंग सम्बन्धी कार्य (Central Banking Functions of the Reserve Bank)—ये इस प्रकार हैं

(1) रिजर्व बैंक कागजी मुद्रा का निर्गमन करता है—रिजर्व बैंक को देश में कागजी मुद्रा का निर्गमन करने का पूरा एकाधिकार है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए, रिजर्व बैंक ने जैसा ऊपर कहा गया है—एक पृथक विभाग स्थापित कर रखा है जिसे नोट निर्गमन विभाग कहते हैं। इस विभाग की लेनदारी तथा देनदारी बैंकिंग विभाग से बिल्कुल अलग रखी जाती है और इसका स्थिति विवरण (Statement of Affairs) भी प्रति सप्ताह अलग से प्रकाशित किया जाता है।

(क) जनता का कागजी मुद्रा में विश्वास बनाये रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में कागजी नोटों के पीछे प्रारक्षित निधि (Reserve Fund) रखने की व्यवस्था की गयी है। सन् 1956 तक रिजर्व बैंक कागजी मुद्रा का निर्गमन आनुपातिक कोष प्रणाली के आधार पर किया करता था। इस प्रणाली के अनुसार रिजर्व बैंक को कागजी नोटों के कुल मूल्य का कम से कम 40 प्रतिशत भाग सोने से सिक्कों तथा विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता था और इस सोने का मूल्यकन 21 रुपये 13 आने 10 पाई प्रति तोला की दर पर करना पड़ता था। नोटों के कुल मूल्य का शेष 60 प्रतिशत भाग रुपये, भारत सरकार की प्रतिभूतियों तथा स्वीकृत व्यापारिक बिलों के रूप में रखना पड़ता था।

(ख) परन्तु सन् 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में किये गये एक संशोधन के अनुसार बैंक द्वारा आनुपातिक कोष प्रणाली (Proportional Reserve System) का परित्याग कर दिया गया और इसके स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) को अपना लिया गया था। इस प्रणाली के अन्तर्गत नोटों के कुल मूल्य के पीछे कम से कम 400 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा 115 करोड़ रुपये का सोना तथा सोने के सिक्के रखना अनिवार्य था। इस संशोधन से पूरा रिजर्व बैंक अपने स्वर्ण कोष का मूल्यकन 21 रुपये 13 आने 10 पाई प्रति तोला की दर से किया करता था। परन्तु इस संशोधन के बाद स्वर्ण कोष का मूल्यकन 62 रुपये 8 आना प्रति तोला के हिसाब से किया जाने लगा। इसका कारण यह था कि भारत ने अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में रुपये का स्वर्ण मूल्य इसी दर के आधार पर तय किया था। परिणामतः रिजर्व बैंक के स्वर्ण कोष का मूल्य जो पहले 40 करोड़ रुपये हुआ करता था, अब बढ़कर 115 करोड़ रुपये हो गया।

(ग) 31 अक्टूबर, 1957 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में पुनः संशोधन किया गया। इसके अन्तर्गत, कागजी मुद्रा के पीछे रखी जाने वाली आड (Cover) अर्थात् सोना, सोने के सिक्के तथा विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम मात्रा 200 करोड़ रुपये निर्दिष्ट कर दी गयी। किसी भी समय यह आड 200 करोड़ रुपये से कम नहीं हो सकती थी। इसके अलावा, इस आड में सोने के सिक्कों का मूल्य कम से कम 115 करोड़ रुपये होना अनिवार्य था। इस प्रकार

सन् 1957 के संशोधन के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा को 400 करोड़ रुपये से घटा कर 85 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस संशोधन के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था कर दी गयी थी कि सकटकाल में भारत सरकार को पूर्व अनुमति से रिजर्व बैंक विदेशी प्रतिभूतियों की मात्रा 85 करोड़ रुपये से भी कम कर सकता था और आवश्यकता पड़ने पर इन्हे पूर्णतः समाप्त भी कर सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरानी आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अब बैंक द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली अपना ली गयी है। इससे भारत की वर्तमान कागजी मुद्रा प्रणाली में अधिक लोच उत्पन्न हो गयी है। वास्तव में, विकास की गति को अधिक तीव्र करने हेतु यह प्रणाली अत्यन्त उपयुक्त प्रतीत होती है।

सन् 1975-76 में रिजर्व बैंक की नोट-निर्गमन स्थिति इस प्रकार थी। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित नोटों का कुल मूल्य 6,572 62 करोड़ रुपये था। इसमें पीछे रखी गयी आठ इस प्रकार की। सोना एवं सोने के सिक्के—182 53 करोड़ रुपये, विदेशी प्रतिभूतियाँ—271-74 करोड़ रुपये, रुपये के सिक्के—12 90 करोड़ रुपये, भारत सरकार की रुपये सिक्यूरिटियाँ (Rupee Securities of the Govt of India)—6,105 45 करोड़ रुपये।

(2) रिजर्व बैंक सरकार का बैंकर है—रिजर्व बैंक का दूसरा मुख्य कार्य यह है कि यह भारत सरकार एवं राज्य सरकारों का बैंकर है और इसी नाते इन सरकारों के समस्त बैंकिंग कार्य रिजर्व बैंक द्वारा ही किये जाते हैं।

(क) रिजर्व बैंक सरकारों से धन प्राप्त करता है तथा इसका भुगतान करता है—रिजर्व बैंक भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से धन वसूल करता है और उनके आदेशानुसार इसका भुगतान भी करता है। परन्तु स्मरण रहे कि सरकारी जमादारियों (Govt Deposits) पर रिजर्व बैंक व्याज नहीं देता। 29 अगस्त, 1975 को रिजर्व बैंक के पास केन्द्रीय सरकार के 52 28 करोड़ और राज्य सरकारों के 10 91 करोड़ रुपये जमादारियों के रूप में जमा थे।

(ख) रिजर्व बैंक सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करता है—भारत सरकार एवं राज्य सरकारों रिजर्व बैंक के माध्यम से ही लोगों से ऋण प्राप्त करती हैं। रिजर्व बैंक इस कार्य के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के अभिकर्ता (agent) के रूप में काम करता है। यह उनके सार्वजनिक ऋणों का बाकायदा हिसाब किताब रखता है। उनसे सम्बन्धित व्याज व असल का समय-समय पर भुगतान भी करता है। रिजर्व बैंक भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण भी देता है, परन्तु यह 90 दिन के भीतर देय (repayable) होता है, अर्थात् रिजर्व बैंक सरकार को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए ऋण नहीं दे सकता। 29 अगस्त, 1975 को रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को 163 79 करोड़ रुपये के ऋण दे रखे थे। लेकिन इसी तिथि को भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से कुछ भी ऋण नहीं ले रखा था।

(ग) सरकारी कोषों का स्थानान्तरण—सरकार का बैंकर होने के नाते रिजर्व बैंक सरकारी कोषों का स्थानान्तरण भी करता रहता है।

(घ) विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना—रिजर्व बैंक भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के लिए विदेशी विनिमय की भी व्यवस्था करता है।

(ङ) सरकारों को आर्थिक परामर्श देना—रिजर्व बैंक भारत सरकार तथा अन्य सरकारों को मुद्रा, साख्त तथा अन्य आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में समय-समय पर परामर्श भी देता रहता है जिससे इन सरकारों को आर्थिक नीतियों के निर्माण में बहुत सहायता मिलती है।

उपर्युक्त सेवाओं के लिए रिजर्व बैंक भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से कोई शुल्क वसूल नहीं करता, क्योंकि उसके पास सभी सरकारों की बहुत बड़ी जमादारियाँ पडी रहती हैं जिन पर वह कुछ भी व्याज नहीं चुकाता।

(4) रिजर्व बैंक बैंकों का बैंकर है—केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक बैंकों का बैंकर है और इस सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर अनुसूचित बैंकों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है।

(क) रिजर्व बैंक अन्तिम ऋणदाता है (Reserve Bank is the Lender of the Last Resort)—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 1934 के अन्तर्गत प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी

मांग-देयताओं (Demand Liabilities) का 5 प्रतिशत तथा समय-देयताओं (Time Liabilities) का 2 प्रतिशत भाग नकद-कोष के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पटना था। परन्तु बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट, 1949 के अन्तर्गत यह व्यवस्था नर दी गयी थी कि अनुसूचित बैंकों की भाँति अनुसूचित बैंकों (Non-scheduled Banks) को भी रिजर्व बैंक के पास चासू खातों में नकद-कोष रखन पड़ेगे। सन 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में किय गये एक संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को यह आदेश दे सकता था कि वे अपनी मांग-देयताओं का 20 प्रतिशत भाग तथा समय-देयताओं का 8 प्रतिशत भाग उसके पास नकद कोष के रूप में जमा रखें। सितम्बर 1962 में बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट में किय गये एक अन्य संशोधन के अन्तर्गत अब अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल मांग देयताओं तथा समय-देयताओं का केवल 3 प्रतिशत भाग ही रिजर्व बैंक के पास जमा रखना अनिवार्य था, परन्तु रिजर्व बैंक का यह अधिकार दिया गया था कि यदि वह चाहे तो इस प्रतिशत को 3 से बढ़ाकर 15 कर सकता था। 14 अगस्त, 1973 को इस प्रतिशत को बढ़ाकर 7% कर दिया गया था लेकिन 29 जून 1974 को इसे पुन घटा कर 5% कर दिया गया था। इस प्रकार उपरोक्त विभिन्न संशोधनों का उद्देश्य रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों के नकद कोषों का कन्द्रीयकरण करना था और आवश्यकता पड़न पर रिजर्व बैंक इन्हीं केन्द्रीकृत नकद-कोषों के आधार पर अनुसूचित बैंकों को आर्थिक सहायता दे सकता है। उदाहरणार्थ यदि कोई बैंक किसी सवट में फँस जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उसे रिजर्व बैंक से आर्थिक सहायता माँगन का पूरा अधिकार है और रिजर्व बैंक भी अंतिम ऋणदाता के रूप में उसे सहायता देन से इन्कार नहीं कर सकता। सन् 1975-76 में रिजर्व बैंक ने अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को लगभग 798 43 करोड़ रुपये के ऋण दे रखे थे।

(ख) रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों की साख-नीति का नियन्त्रण करता है—केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों द्वारा मूजित की गयी साख पर नियन्त्रण रखता है और विभिन्न उपायों द्वारा समय-समय पर उसका नियन्त्रण करता रहता है। उदाहरणार्थ बैंक-दर, खुले बाजार की क्रियाओं तथा अन्य उपायों द्वारा रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों की साख-नीतियों को प्रभावित एवं नियमित करता रहता है।

(ग) रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों का सामान्य नियन्त्रण करता है—अनुसूचित बैंकों का नियन्त्रण करने हेतु सन् 1949 के बैंकिंग नियमन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को बहुत व्यापक अधिकार दिए गये हैं। रिजर्व बैंक जब चाहे किसी भी अनुसूचित बैंक का निरीक्षण कर सकता है। यदि किसी बैंक की कार्यविधि में त्रुटियाँ पायी जाती हैं तो वह उन्हें दूर करने के सुझाव दे सकता है। रिजर्व बैंक नये बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेन्स भी प्रदान करता है। कोई भी नया बैंक रिजर्व बैंक के लाइसेन्स के बिना स्थापित नहीं किया जा सकता और न ही रिजर्व बैंक की पूर्ण अनुमति के बिना पुराने बैंक नये स्थापनों पर शाखाएँ ही स्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बिना बैंकों का एकीकरण भी नहीं हो सकता। रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार है कि यदि वह किसी बैंक की आर्थिक स्थिति को दुबल समझता है तो वह उस कार्य बन्द करने के लिए आदेश दे। किसी बैंक को अपना निस्तारण (Liquidation) करने के लिए भी रिजर्व बैंक से आदेश लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों से उनका वार्षिक स्थिति विवरणों की माँग भी कर सकता है और सवट के समय उन्हें आर्थिक परामर्श भी दे सकता है। इसके साथ ही साथ रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों के लिए समाशोधन-नूह का कार्य भी करता है।

(4) रिजर्व बैंक रुपये की विनिमय-दर में स्थिरता बनाये रखना है—रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य रुपये की विनिमय-दर में स्थिरता बनाये रखना भी है। इसके लिए रिजर्व बैंक आरम्भ से ही निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय का त्रय विक्रय करता रहा है। मितम्बर 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के आरम्भ होते ही रिजर्व बैंक ने विनिमय नियन्त्रण विभाग की स्थापना कर दी थी और सभी विदेशी विनिमय सम्बन्धी काम इस विभाग द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। सन् 1947 में विदेशी विनिमय नियन्त्रण एक्ट के अन्तर्गत इस विभाग को और भी अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किये गये थे। 1 मार्च, 1947 को भारत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या सदस्य बन गया था। इसके पूर्व रिजर्व बैंक का विदेशी विनिमय विभाग 1 शिफिंग 6 पैसे की दर पर स्टैबिलिटी का ऋय विक्रय किया करता था, परन्तु 1 मार्च 1947 को भारत के अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के

सदस्य बन जाने पर भारतीय रुपये का स्टैलिग से वैधानिक सम्बन्ध टूट गया। सितम्बर 1949 तक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्वीकृति से रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपये का स्वर्ण-मूल्य 0.268691 ग्राम बनाये रखा। परन्तु सितम्बर 1949 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया और इसका स्वर्ण-मूल्य घटाकर 0.186621 ग्राम कर दिया गया था। ऐसा करने से भारतीय रुपये के स्टैलिग मूल्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। रुपये का स्टैलिग मूल्य पहले की भाँति 1 शिलिंग 6 पेंस ही बना रहा। इसका कारण यह था कि भारतीय रुपये का भी उभी अनुपात में अवमूल्यन किया गया था जिसमें सितम्बर 1947 में स्टैलिग का हुआ था। 6 जून, 1966 को भारतीय रुपये का पुनः अवमूल्यन कर दिया। अब रुपये का स्वर्ण मूल्य घटकर 0.118517 ग्राम सोने के बराबर हो गया। फरवरी, 1973 में डॉलर के अवमूल्यन के उपरान्त भारतीय रुपये को स्टैलिग के साथ 18.9677 ह० प्रति स्टैलिग की दर पर सम्बद्ध कर दिया गया था। लेकिन 24 सितम्बर, 1975 को भारत सरकार ने रुपये का स्टैलिग से सम्बन्ध तोड़ दिया था। इसके स्थान पर भारतीय रुपये को विदेशी मुद्राओं की एक टोकरी (Basket of Currencies) से जोड़ दिया गया था। अब भारतीय रुपये की विनिमय-दर इन विदेशी मुद्राओं की कीमतों में हुए परिवर्तनों के ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। इस समय रिजर्व बैंक स्टैलिग में अतिरिक्त उन सभी देशों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय करता है जो कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं। परन्तु रिजर्व बैंक इन सभी विदेशी मुद्राओं को उन दरों पर खरीदता व बेचता है जो समय-समय पर भारत सरकार तय करती है।

(5) रिजर्व बैंक साख का नियन्त्रण करता है—केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों द्वारा निमित्त की गयी साख की मात्रा पर नियन्त्रण रखता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाओं तथा अन्य उपायों का आश्रय लेता है।

(6) रिजर्व बैंक कृषि-साख की व्यवस्था करता है—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं रिजर्व बैंक ने प्रारम्भ से ही एक कृषि-साख विभाग की स्थापना कर दी थी। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि साख से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग कृषि साख का विकास करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों एवं सहकारी बैंकों को समय-समय पर परामर्श भी देता है। यह विभाग भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को दश के विभिन्न क्षेत्रों में गोदाम की स्थापना करने में भी सहायता एवं सहयोग प्रदान करता है।

(7) रिजर्व बैंक समाशोधन गृह का कार्य करता है—देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों के लिए समाशोधन-गृह के कार्य भी सम्पन्न करता है। इस प्रकार की सुविधाएँ देकर रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों में रुपये के स्वांतरण को सुविधाजनक बनाता है।

(8) रिजर्व बैंक आर्थिक आँकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है—रिजर्व बैंक मुद्रा साख, बैंकिंग, वित्त, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन आदि से सम्बन्धित आँकड़े एकत्रित करता है और उनके आधार पर निकाले गये निष्कर्षों को रिपोर्टों के रूप में प्रकाशित भी करता है। रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित आर्थिक आँकड़े देश की आर्थिक समस्याओं को समझने में बहुमूल्य सहायता प्रदान करते हैं।

रिजर्व बैंक के साधारण बैंकिंग कार्य (Ordinary Banking Functions of the Reserve Bank)—रिजर्व बैंक केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त कुछ साधारण बैंकिंग कार्य भी सम्पन्न करता है। ये इस प्रकार हैं

(क) निक्षेप स्वीकार करना—रिजर्व बैंक भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं निजी व्यक्तियों से निक्षेप स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। परन्तु इस प्रकार के निक्षेपों पर रिजर्व बैंक कुछ भी व्याज नहीं देता।

(ख) व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बिलों का क्रय-विक्रय करना—रिजर्व बैंक भारत में लिखे गये व्यापारिक एवं वाणिज्यिक बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों का क्रय-विक्रय करता है और उनकी पुनः कटौती (Re discounting) भी करता है। परन्तु यहाँ यह है कि इस प्रकार के बिल अधिक से अधिक 90 दिनों में परिपक्व (Mature) होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, 90 दिनों से अधिक अवधि वाले बिलों को रिजर्व बैंक स्वीकार नहीं करता। इस समय पुनः बट्टा की दर 9 प्रतिशत है।

(ग) कृषि-बिलो का श्रय-विक्रय करना—रिजर्व बैंक भारत में लिखे गये कृषि बिलो का भी श्रय विक्रय तथा पुनः कटौती करता है। परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के कृषि बिल अधिक से अधिक 15 महीनों की अवधि में परिपक्व होने चाहिए। स्मरण रहे कि रिजर्व बैंक कृषि बिलों के बारे में समय सम्बन्धी विशेष रियायत देता है। वाणिज्यिक एवं व्यापारिक बिलों की परिपक्वता 90 दिनों के भीतर ही होनी चाहिए। परन्तु कृषि बिलों की परिपक्वता के लिए रिजर्व बैंक 15 महीनों की अवधि तक देने को तैयार रहता है।

(घ) ऋण प्रदान करना (Ways & Means Advances)—रिजर्व बैंक भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को दिन-प्रतिदिन का काम चलाने के लिए ऋण भी देता है, परन्तु यह ऋण किसी भी दशा में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही इस प्रकार का ऋण स्वीकृत प्रतिभूतियों, सोने, चाँदी तथा बिलों व प्रतिज्ञा पत्रों की जमानत पर ही दिया जा सकता है अर्थात् बिना जमानत के रिजर्व बैंक सरकार को भी ऋण नहीं दे सकता।

(ङ) ऋण लेना—रिजर्व बैंक, यदि चाहे तो भारत में किसी भी अनुसूचित बैंक से अथवा किसी विदेशी केन्द्रीय बैंक से ऋण ले सकता है। परन्तु शर्त यह है कि यह ऋण 30 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही इस प्रकार का ऋण रिजर्व बैंक की शेयर पूंजी से भी अधिक नहीं होना चाहिए।

(च) विदेशी केन्द्रीय बैंकों से खाता खोलने का अधिकार—रिजर्व बैंक अपने काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय बैंक तथा अन्य विदेशी केन्द्रीय बैंकों में अपना खाता खोल सकता है और विदेशों में अपने अधिकृत बैंकों की भी नियुक्ति कर सकता है।

(छ) विविध काय रिजर्व बैंक कई प्रकार के विविध कार्यों को भी सम्पन्न करता है। यह सोने, चाँदी, हीरे, जवाहरात एवं प्रतिभूतियों को अपनी अभिरक्षा (Custody) में सुरक्षित रख सकता है। धरो सोने, चाँदी व सोने के सिक्कों को खरीदने व बेचने का भी अधिकार है। रिजर्व बैंक, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों को खरीद व बेच सकता है और अनुसूचित बैंकों से कम से कम 1 लाख रुपये के स्टैबिल का श्रय विक्रय भी कर सकता है।

रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्य (Prohibitions for the Reserve Bank)—देश का केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इन प्रतिबन्धों के दो मुख्य उद्देश्य हैं—प्रथम रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों के साथ प्रतियोगिता न कर सके। दूसरे, रिजर्व बैंक अपनी परिसम्पत्तियों (Assets) को पूर्णतः सुरक्षित रख सके। रिजर्व बैंक के कुछ निषिद्ध कार्य इस प्रकार हैं

(क) रिजर्व बैंक किसी व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में किसी तरह का भाग नहीं ले सकता और न ही वह इस प्रकार के व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग चन्धों को प्रत्यक्ष रूप में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दे सकता है।

(ख) रिजर्व बैंक न तो अपने शेयर खरीद सकता है और न ही यह अन्य किसी बैंक एवं व्यापारिक फर्म के शेयरों को ही खरीद सकता है। रिजर्व बैंक इस प्रकार के शेयरों की जमानत पर किसी को ऋण भी नहीं दे सकता है।

(ग) रिजर्व बैंक अपने लिए (कार्यालयों को छोड़कर) किसी प्रकार की अथवा सम्पत्ति को नहीं खरीद सकता और न ही इस प्रकार की सम्पत्ति के आधार पर ऋण ही दे सकता है।

(घ) रिजर्व बैंक किसी भी दशा में बिना किसी जमानत के किसी भी पार्टी को ऋण नहीं दे सकता है।

(ङ) रिजर्व बैंक अपने निक्षेपों पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दे सकता है।

रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा का नियमन (Regulation of Currency by the Reserve Bank)—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, रिजर्व बैंक को देश में कागजी मुद्रा के निर्माण का पूर्ण एकाधिकार है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए आरम्भ से ही रिजर्व बैंक ने एक प्रुषक नोट-निर्माण विभाग (Issue Department) की स्थापना कर दी थी। सन् 1956 तक रिजर्व बैंक अनुसूचित कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्माण करता रहा। परन्तु सन् 1956 में

आनुपातिक कोप प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोप प्रणाली की स्थापना की गयी थी। इस प्रणाली के अनुसार रिजर्व बैंक की कागजी मुद्रा के पीछे कम से कम 200 करोड़ रुपये की आड़ अवश्य ही रखनी पड़ती है। इसमें से 115 करोड़ रुपये का सोना अथवा सोने के भिन्ने होने चाहिए और शेष 85 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए। स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक की वर्तमान कागजी मुद्रा प्रणाली अत्यन्त सोचदार है, क्योंकि इसके अन्तर्गत केवल 200 करोड़ रुपये की आड़ रखकर रिजर्व बैंक असीमित मात्रा में नोट जारी कर सकता है। रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दिया गया है कि सकटकाल में यदि वह चाहे तो 85 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियों को भी कम अथवा पूर्णतः समाप्त कर सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक की कागजी मुद्रा-प्रणाली भारत जैसे एक विकासशील देश के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत कागजी नोटों के पीछे अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय को रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, विदेशी विनिमय कोपी का विदेशी से माल आयात करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।

रिजर्व बैंक द्वारा साख नियमन

(Regulation of Credit by the Reserve Bank)

केन्द्रीय बैंक होने के नाते रिजर्व बैंक को देश में साख का नियन्त्रण करने का अधिकार भी दिया गया है। साख का देश हित में नियन्त्रण करने हेतु रिजर्व बैंक निम्नलिखित उपायों को अपनाता है

(1) बैंक दर नीति (Bank Rate Policy)—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, बैंक दर से अभिप्राय उस दर से होता है जिस पर पर केन्द्रीय बैंक विनिमय बिलों को खरीदता है अथवा उनको पुनः भुनाता है या जिस दर पर केन्द्रीय बैंक सदस्य बैंकों को स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्रदान करता है। किसी देश में साख का बैंक-दर के माध्यम से प्रभावपूर्ण नियन्त्रण करने के लिए तीन शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक होता है—(क) देश की बैंकिंग सस्थाएँ पुनः कटौती के लिए केन्द्रीय बैंक पर आश्रित रहनी चाहिए। (ख) देश की बैंकिंग सस्थाएँ सकटकाल का सामना करने के लिए केन्द्रीय बैंक पर निर्भर होनी चाहिए। (ग) देश की बैंकिंग सस्थाओं के पास पर्याप्त मात्रा में साख-यन्त्र होने चाहिए जिन्हें वे केन्द्रीय बैंक से पुनः कटौती कराने के लिए तैयार हों। दुर्भाग्यवश, भारत में ये तीनों शर्तें पूरी तरह से सन्तुष्ट नहीं होतीं। यही कारण है कि भारत में रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति साख का नियन्त्रण करने में अधिक सफल नहीं हो सकी है।

(क) रिजर्व बैंक ने अपना कार्य 1 अप्रैल, 1935 को आरम्भ किया था। उस समय इसकी बैंक दर 3½ प्रतिशत थी। परन्तु 15 नवम्बर 1935 को इसे घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया था। सन् 1951 तक रिजर्व बैंक की बैंक-दर 3 प्रतिशत पर ही स्थिर रही। दूसरे शब्दों में, इस अवधि में रिजर्व बैंक ने सुलभ मुद्रा नीति (Cheap Money Policy) का ही अनुसरण किया था। इस नीति के फलस्वरूप देश में साख का असाधारण रूप से विस्तार हुआ, व्यापारिक क्षेत्रों में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला और देश के भूगतान सन्तुलन में घाटा उत्पन्न हो गया। सन् 1935 से 1951 की अवधि में रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध नहीं हो सकी। इसके कई कारण थे—(क) अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक से अधिक सहायता लेने के इच्छुक नहीं थे। (2) युद्ध और युद्धोत्तर काल में अनुसूचित बैंकों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो हो गया था। अतः उन्हें रिजर्व बैंक से ऋण लेने की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। (3) अनुसूचित बैंक विनिमय बिलों को अपेक्षा कोषागार विपत्तियों (Treasury Bills) में अपना धन लगाना अधिक अच्छा समझते थे क्योंकि इस प्रकार के विपत्तियों में सुरक्षा एवं तरलता के दोनों गुण पाये जाते थे। इस प्रकार सन् 1935 से 1951 तक की अवधि में रिजर्व बैंक को अपनी बैंक-दर नीति में कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी।

(ख) 15 नवम्बर, 1951 को रिजर्व बैंक ने अपनी बैंक दर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 3½ प्रतिशत कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में साख की मात्रा को सकुचित करना था। इसी वर्ष रिजर्व बैंक ने यह भी तय किया था कि साधारणतः अनुसूचित बैंकों से वह उनकी मौसमी

आवश्यकताओं को पूरित के लिए सरकारी प्रतिभूतियाँ नहीं खरीदेगा बल्कि उन्हें अपनी प्रचलित बैंक-दर पर सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण दिया करेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि अनुसूचित बैंको को दिये जाने वाले ऋणों में भारी कमी हो गयी। अतः सन् 1951-57 की अवधि में रिजर्व बैंक को अपनी बैंक दर नीति में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई।

(ग) 15 मई 1957 को रिजर्व बैंक ने अपनी बैंक-दर को $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया और आगे चलकर 2 जनवरी, 1963 को इसे 4 प्रतिशत से बढ़ाकर $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय प्रचलित मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित एवं नियमित करना था। बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रोकने के लिए 26 सितम्बर, 1964 तथा 17 फरवरी, 1965 को बैंक-दर बढ़ाकर क्रमशः 5 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत कर दी गयी थी। सन् 1971-72 में बैंक-दर 6 प्रतिशत पर ही स्थिर रही। 30 मई, 1973 को रिजर्व बैंक ने बैंक-दर को बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया था। 23 जुलाई, 1974 को बैंक-दर को और अधिक बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया था। इस प्रकार सन् 1957 के उपरान्त रिजर्व बैंक ने सुलभ मुद्रा के स्थान पर दुर्लभ मुद्रा की नीति (Dear Money Policy) का अनुसरण करना आरम्भ कर दिया था। ऐसा करके रिजर्व बैंक ने उचित ही कदम उठाया था, क्योंकि मुद्रा-स्फीति का सामना करने के लिए दुर्लभ मुद्रा नीति एक अत्यन्त प्रभावशाली अस्त्र सिद्ध होती है। इससे देश में बचतों को प्रोत्साहन मिलता है और विदेशी पूँजी भी आकर्षित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सन् 1951 से पूर्व रिजर्व बैंक की बैंक-दर नीति अधिक सफल नहीं हो सकी थी, परन्तु सन् 1951 के बाद रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति अधिक प्रभावपूर्ण हो गयी थी।

इस समय बैंक-दर 9 प्रतिशत है। यह दर पर्याप्त ऊँची है। इस ऊँची बैंक दर को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित व्यापारिक बैंक औद्योगिक एवं व्यापारिक खण्डों को दिये जाने वाले ऋणों पर 16.5 से लेकर 17.5% की ब्याज दर वसूल कर रहे हैं। यह ऊँची दर अर्थव्यवस्था में स्फीतिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाने हेतु वसूल की जा रही है। वास्तव में, यह ऊँची ब्याज दर रिजर्व बैंक की साख-सकुचन नीति के अनुरूप ही है।

इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक ने अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को 2 जुलाई, 1976 को यह आदेश भी दे दिया था कि नियमोत्तरी ऋणियों (errand borrowers) से वे दण्डात्मक ब्याज (penal interest) वसूल करें। ये दण्डात्मक ब्याज दरें सामान्य ब्याज दरों से 1 से लेकर 2.5 प्रतिशत अधिक निश्चित की गई थीं। लेकिन निम्न आय-वर्गों के ऋणियों अर्थात् किसानों, कृषि-मजदूरों, शिल्पियों इत्यादि को दण्डात्मक ब्याज दरों से छूट दे दी गयी थी।

(2) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)—देश में साख नियन्त्रण करने के लिए केन्द्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं सम्बन्धी नीति को भी अपनाया जाता है। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय खुले बाजार में केन्द्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों, प्रथम श्रेणी के बिलों एवं प्रतिज्ञा-पत्रों के क्रय-विक्रय से होता है। दूसरे शब्दों में, साख की मात्रा को नियन्त्रित करने के लिए देश का केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करता है। अन्य केन्द्रीय बैंकों की भाँति रिजर्व बैंक साख का नियन्त्रण करने के लिए भारतीय मुद्रा-बाजार में समय-समय पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करता है। दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व रिजर्व बैंक की खुले बाजार की क्रियाएँ केवल सीमित मात्रा में ही हुआ करती थीं। उस समय इन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य मुद्रा-बाजार में होने वाली मौसमी कमी को दूर करना था। युद्धकाल में भी खुले बाजार की क्रियाओं में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई किन्तु युद्धोत्तर-काल में साख की मात्रा का नियमन करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा बड़े पैमाने पर खुले बाजार की क्रियाओं को अपनाया गया था। अब भी रिजर्व बैंक समय-समय पर मुद्रा-बाजार की परिस्थितियों के अनुसार प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करता रहता सन् 1970-71 में रिजर्व बैंक ने 84 करोड़ रु० के मूल्य की प्रतिभूतियों को बेचा था।

(3) नकद-कोषों के अनुपात में परिवर्तन—रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के नकद-कोषों के अनुपात में परिवर्तन करने भी साख का नियन्त्रण करता है। सन् 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ

इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपनी काल-देयताओं का 2 प्रतिशत तथा माँग-देयताओं का 5 प्रतिशत नकद-कोषों के रूप में रखना पड़ेगा। सन् 1949 के बैंकिंग कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत यही व्यवस्था अनुसूचित बैंकों पर भी लागू कर दी गयी थी। उन्हें अपनी देयताओं का निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता था। सन् 1956 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में किये गये एक संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वह काल-देयताओं का प्रतिशत 2 से बढ़ाकर 8 तथा माँग-देयताओं का प्रतिशत 5 से बढ़ाकर 20 तक कर सकता था। सितम्बर, 1962 में बैंकिंग कम्पनीज एक्ट में किये गये एक अन्य संशोधन के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों को अपनी माँग एवं काल देयताओं का केवल 3 प्रतिशत भाग ही रिजर्व बैंक के पास नकद-कोषों के रूप में रखना होता है। परन्तु इस संशोधन के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि वह यदि चाहे तो इस प्रतिशत को 3 से बढ़ाकर 15 तक कर सकता है। 14 अगस्त, 1973 को इस प्रतिशत को बढ़ाकर 7 कर दिया गया था लेकिन 29, जून, 1974 को इसे पुनः घटाकर 5% कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यूनतम प्रतिशत के अलावा अनुसूचित बैंकों को कुछ और नकद-कोष जमा करने के लिए भी आदेश दे सकता है। रिजर्व बैंक ने साख नियन्त्रण के उद्देश्य से नकद कोषों में परिवर्तन करने की नीति का समय-समय पर उपयोग भी किया है। रिजर्व बैंक ने न्यूनतम कोषों के अलावा अनुसूचित बैंकों को अतिरिक्त नकद कोष जमा करने के लिए भी आदेश दिये हैं। इस प्रकार नकद कोषों सम्बन्धी परिवर्तन की नीति को रिजर्व बैंक ने समय-समय पर साख का नियन्त्रण करने के लिए अपनाया है।

रिजर्व बैंक ने कानूनी नकद कोष नीति को सन् 1976-77 में भी दृढ़तापूर्वक अपनाया था। यह इसकी साख संचयन नीति का प्रमुख अंग था। तीव्र मौद्रिक प्रसार के वस्तु कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को कम करने हेतु रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों की लगभग 160 करोड़ ₹० की धनराशि अवरोध (impound) कर दी थी। 13 नवम्बर, 1970 से लागू एक आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों से कहा गया था कि अब वे अपनी कुल माँग एवं समय देयताओं का 6 प्रतिशत भाग नकद कोषों के रूप में रखें। इससे पूर्व उन्हें अपनी कुल देयताओं का केवल 5 प्रतिशत भाग ही नकदों के रूप में रखना पड़ता था। सितम्बर 4, 1976 से पूर्व तो यह प्रतिशत 4 ही था। इस प्रकार 10 सप्ताहों से भी कम अवधि में नकद कोष अनुपात को 4 से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया था। अतः रिजर्व बैंक ने अपनी स्फीति विरोधी नीति के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों की लगभग 300 करोड़ ₹० की धनराशि को अवरोध कर दिया था। 13 जनवरी, 1977 को तो रिजर्व बैंक ने अपनी स्फीति विरोधी नीति के अन्तर्गत एक अत्यन्त कठोर कदम उठाने की घोषणा की थी। इसके अनुसार 14 जनवरी, 1977 एवं 1 अप्रैल 1977 के बीच अनुसूचित बैंकों को प्राप्त होने वाली नवीन जमापत्राणियों का 10 प्रतिशत भाग पूर्णतः अवरोध कर दिया गया था। लेकिन इन जमापत्राणियों पर रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को 55 प्रतिशत वार्षिक व्याज देने पर सहमत हो गया था।

(4) चयनात्मक साख नियन्त्रण (Selective Credit Control)—चयनात्मक साख नियन्त्रण से अभिप्राय उस साख नियन्त्रण से है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक केवल कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही सदस्य बैंकों को साख प्रदान करने के लिए आदेश देता है। दूसरे शब्दों में चयनात्मक साख नियन्त्रण के अन्तर्गत देश के सदस्य बैंक सभी प्रकार के उद्देश्यों के लिए व्यवसायियों को साख प्रदान नहीं करते। इसके विपरीत वे केवल कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए ही साख प्रदान करते हैं। वास्तव में, एक नियोजित विकासशील अर्थ व्यवस्था में चयनात्मक साख नियन्त्रण अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ऐसी अर्थ-व्यवस्था में कुछ उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। अतः ऐसे उद्देश्यों के लिए देश के सदस्य बैंकों को उदार मात्रा में साख देने के लिए कहा जाता है। देश का केन्द्रीय बैंक अनावश्यक एवं अवाञ्छनीय व्यवसायों के लिए सदस्य बैंकों को साख देने की मनाही कर सकता है।

अन्य केन्द्रीय बैंकों की भाँति रिजर्व बैंक भी विगत कुछ वर्षों से चयनात्मक साख नियन्त्रण का प्रयोग कर रहा है। उदाहरणार्थ, सन् 1956 में भारत में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को बहुत

प्रोत्साहन मिला था और इसी सटटेबाजी के कारण देश के कीमत-स्तर में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। अतः कीमन-वृद्धि को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को यह आदेश दिया था कि वह सटटेबाजी के लिए व्यवसायियों को साख प्रदान न करे। इसी तरह समय-समय पर भारतीय व्यवसायियों द्वारा खाद्य पदार्थों का संग्रह किये जाने की प्रवृत्ति भी पायी जाती है। इसको रोकने के लिए भी रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को आदेश दे रखे है कि वे खाद्य-पदार्थों की आड़ पर व्यापारियों को कम से कम मात्रा में ऋण एवं अग्रिम धन प्रदान करें। यदि वे खाद्य-पदार्थों के आधार पर ऋण देते भी हैं तो इसके लिए उन्हें ऋण देने समय आवश्यक सीमा (margin requirement) में वृद्धि कर देनी चाहिए। इसी प्रकार समय-समय पर रिजर्व बैंक ने अन्य वस्तुओं के संग्रह को रोकने के लिए भी अनुसूचित बैंकों को इनकी आड़ पर कम मात्रा में ऋण देने के लिए आदेश दिये हैं। सन् 1971-72 में चीनी गुड़ एवं खाडसारी के भावों में तेजी आयी थी। कीमतों की इस वृद्धि को रोकने एवं इन वस्तुओं के संग्रह को निरस्तारहित करने के लिए रिजर्व बैंक ने इन वस्तुओं के विरुद्ध दी जाने वाली पेशागियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये थे। इन वस्तुओं के विरुद्ध दी जाने वाली पेशागियों पर 65 प्रतिशत मार्जिन (margin) रखने का आदेश दिये गये थे। साथ ही व्याज की न्यूनतम सीमा 12 प्रतिशत निर्धारित की गयी थी।

भारत में कार्यशील वनमान स्फीतिक प्रवृत्तियों के सदर्भ में न्यूनतात्मक साख नियन्त्रण नीति का उपयोग रिजर्व बैंक द्वारा अधिनाधिक किया जा रहा है। 8 जुलाई, 1976 को कपास के विरुद्ध दिये जाने वाले ऋणों से सम्बन्धित मार्जिन (margins) बढ़ा दिये गये थे। 12 जनवरी, 1977 का तो रिजर्व बैंक ने सभी प्रकार की वस्तुओं के विरुद्ध दिये जाने वाले ऋणों से सम्बन्धित मार्जिनो में 10 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि कर दी थी। वास्तव में, यह बहुत ही कठोर कदम था।

(5) नैतिक प्रभाव की नीति—उपयुक्त उपायों के अनिश्चित रिजर्व बैंक अन्य केन्द्रीय बैंको की भांति, साख का नियन्त्रण करने के लिए सदस्य बैंको पर अपने नैतिक प्रभाव का उपयोग भी करता है। दूसरे शब्दों में, रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को समझा-बुलाकर अपनी निश्चित नीति का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक समय-समय पर अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधियों को सभाएँ बुलाता है तथा उन्हें अपनी निश्चित नीति का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक समय-समय पर अनुसूचित बैंकों को पत्र भेजकर भी उन्हें साख की मात्रा को नियमित करने का सुझाव देता रहता है। उदाहरणार्थ सितम्बर 1949 में रुपये के अवमूल्यन के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर ने देश के सभी प्रमुख बैंकों की मीटिंग बुलाई थी और उनसे अनुरोध किया था कि वे यथासम्भव सट्टे के लिए व्यवसायियों को साख प्रदान न करे।

रिजर्व बैंक की साख नियन्त्रण नीति के अप्रभावी होने के मुख्य कारण—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, रिजर्व बैंक को अपनी साख नियन्त्रण नीति में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इससे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

(1) स्वदेशी बैंकों पर रिजर्व बैंक के नियन्त्रण का अभाव—भारत की बैंकिंग व्यवस्था में स्वदेशी बैंकों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में देश की साख की अधिकांश पूर्ति स्वदेशी बैंकों द्वारा ही की जाती है। लेकिन इसके बावजूद रिजर्व बैंक का स्वदेशी बैंकों पर जितकुल नियन्त्रण नहीं है। इस प्रकार भारतीय मुद्रा-बाजार में एक महत्वपूर्ण अंग रिजर्व बैंक के नियन्त्रण की परिधि से बाहर ही रह जाता है। यही कारण है कि अपनी साख नियन्त्रण नीति में उसे अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है।

(2) देश में सुसंगठित मुद्रा-बाजार का अभाव—जैसा हम पहले कह चुके हैं प्राचीन मुद्रा बाजार का सुसंगठन अत्यन्त दोषपूर्ण है। इसके मुख्य दो भागों के बीच सम्पर्क एवं सहयोग का लगभग पूर्ण अभाव है। इसी कारण इसमें व्याज की दरों में भारी भिन्नता पायी जाती है। इसके अलावा, मुद्रा-बाजार की प्रचलित व्याज की दरों के साथ बैंक दर का कोई चलिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। परिणामतः बाजार की दरें बैंक दर में हुए पारिधियों के साथ ही साथ उनी अनुपात नहीं बदलती और इस प्रकार रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति निष्प्रभाव (ineffective) ही रह जाती है।

(3) देश में सुसंगठित बिल-बाजार का अभाव—जैसा कि हम पूर्व देख चुके हैं भारत में अभी बिल-बाजार का पूर्ण संगठन नहीं हो सका है। परिणामतः भारतीय मुद्रा बाजार में अच्छे बिलों का अभाव पाया जाता है। इसी कारण पुनः कटौती की व्यवस्था अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी है। वास्तव में यह बैंक दर के अग्रभावी होने का मुख्य कारण है।

(4) बैंकों के पास नकद-कोषों की बहुतायत—युद्ध और युद्धोत्तरकाल में मुद्रा-रफ़ोर्त के कारण भारतीय बैंकों की जमा-राशियाँ में भारी वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक के पास निश्चित अनुपात में नकद-कोष रखने के उपरान्त भी बैंकों के पास इनकी अधिक मात्रा में जमा-राशियाँ बनो रहती हैं कि इनकी सहायता से वे मनचाही मात्रा में साख़ वा निर्माण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अनु-सूचित बैंकों को ऋण आदि के लिए रिजर्व बैंक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अतएव ऐसी परिस्थिति में रिजर्व बैंक की बैंक-दर नीति अधिक सफल नहीं हो सकती।

(5) भारतीय अर्थ-व्यवस्था में लोच का अभाव—केन्द्रीय बैंक की साख़ नियन्त्रण नीति को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में लोच हानी चाहिए ताकि बैंक दर में किये गये परिवर्तनों के साथ कीमतों, मजदूरियों तथा व्याज की दरों में भी परिवर्तन हो सके। दुर्भाग्यवश भारतीय अर्थ-व्यवस्था में लोच का लगभग अभाव सा ही है, जिसके फलस्वरूप बैंक दर में किये गये परिवर्तनों के साथ कीमतों, मजदूरियों तथा व्याज की दरों में आनुपातिक परिवर्तन नहीं होते। यही कारण है कि रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति अधिक प्रभावपूर्ण नहीं हो सकी है।

साख़ नियन्त्रण नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपाय— अपनी साख़ नियन्त्रण नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने समय-समय पर कुछ उपाय किये हैं जिनमें से मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं।

(1) इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण—सन् 1955 में पूर्व इम्पीरियल बैंक की साख़ नीति रिजर्व बैंक की घोषित साख़ नीति के ठीक अनुकूल नहीं हुआ करती थी क्योंकि इम्पीरियल बैंक एक अलग साधन-सम्पन्न बैंक था और इसकी साख़-नीति रिजर्व बैंक की साख़-नीति से मेल नहीं खाती थी। इसलिये अपनी साख़ नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण का सुझाव प्रस्तुत किया था जो कि सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार रिजर्व बैंक की सकलता के मार्ग में स्पिन एक बड़ी बाधा को इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण द्वारा दूर कर दिया गया।

(2) अनुसूचित बैंकों के नकद-कोषों के अनुपात में वृद्धि—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1914 के अन्तर्गत प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी माँग-देयताओं का 5 प्रतिशत तथा काल-देयताओं का 2 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नकद-कोष के रूप में जमा करना पड़ता था। सन् 1956 में अपनी साख़ नियन्त्रण नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों के नकद-कोषों में वृद्धि के सुझाव को स्वीकार कर लिया। सितम्बर 1962 में रिजर्व बैंक ने बैंकों की कुल-देयताओं का और अधिक भाग अपने पास नकद-कोषों के रूप में रखने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार साख़ नियन्त्रण नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने समय-समय पर अनुसूचित बैंकों द्वारा रखे गये नकद-कोषों के अनुपात में वृद्धि की है।

(3) चयनात्मक साख़ नियन्त्रण नीति—जैसा हम ऊपर कह चुके हैं अपनी साख़ नियन्त्रण नीति को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने चयनात्मक साख़ प्रणाली का भी आश्रय लिया है। इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को यह आदेश दे सकता है कि वे किन-किन व्यवसायों के लिए ऋण दे सकते हैं और किन-किन व्यवसायों के लिए नहीं। इन प्रणाली के अनुसार रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को यह भी आदेश दे सकता है कि वे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए दिये गये ऋणों पर क्या-क्या सीमाएँ (margins) निर्धारित करें और उन पर कितनी कितना व्याज की दरें वसूल करें। वास्तव में चयनात्मक साख़ नियन्त्रण केन्द्रीय बैंक की साख़ नियन्त्रण नीति का एक शक्तिशाली अस्त्र होता है। परन्तु भारत में रिजर्व बैंक की चयनात्मक साख़ नियन्त्रण नीति को कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अनुसूचित बैंक

और व्यवसायी मिलकर कई तरीको से रिजर्व बैंक को इस नीति को निष्प्रभावी बना देते हैं। लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि रिजर्व बैंक को चयनात्मक साख नियन्त्रण नीति के परिणामस्वरूप सट्टेबाजी की प्रवृत्ति निरुत्साहित हुई है और व्यापारियों द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुओं के सग्रह (hoarding) का रोकने में सहायता मिली है।

(4) बैंक-दर में वृद्धि—देश की अर्थ-व्यवस्था में साख का समुचित नियन्त्रण करने हेतु रिजर्व बैंक ने समय-समय पर अपनी बैंक-दर में वृद्धि की है। जब रिजर्व बैंक का प्रारम्भ हुआ था तो उस समय रिजर्व बैंक की बैंक दर 3 प्रतिशत थी, परन्तु समय-समय पर साख की मात्रा का संकुचन करने के लिए बैंक-दर में वृद्धि की गयी है। 17 फरवरी, 1965 को रिजर्व बैंक की बैंक-दर 6 प्रतिशत थी। सन् 1966-67 में भी बैंक-दर 6 प्रतिशत पर ही स्थिर रही। लेकिन 2 मार्च, 1968 को रिजर्व बैंक ने इसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया था। सन् 1971-72 में बैंक-दर 6 प्रतिशत पर ही स्थिर रही। 30 मई, 1973 को रिजर्व बैंक ने बैंक-दर को बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया था। 23 जुलाई 1974 का बैंक-दर को और अधिक बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया था।

(5) बिल-बाजार योजना का क्रियान्वयन—16 जनवरी, 1952 को बिलों के प्रयोग को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने अपनी बिल-बाजार योजना को क्रियान्वित किया था। इस योजना के परिणामस्वरूप भारतीय मुद्रा-बाजार में बिलों की सत्या में कुछ वृद्धि ही गयी है जिसके कारण रिजर्व बैंक की बैंक दर नीति पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण बन गयी है।

(6) रिजर्व बैंक द्वारा साख सम्बन्धी सूचनाओं का आदान प्रदान—कुछ समय पूर्व भारतीय बैंक अपने ग्राहकों को दी जाने वाली साख की सूचना अन्य बैंकों को नहीं दिया करते थे जिसका परिणाम यह होता था कि चालाक व्यवसायी विभिन्न बैंकिंग सस्थाओं से कुल मिलाकर अपनी क्षमता से अधिक ऋण ले लिया करते थे। इस त्रुटि को दूर करने के लिये सन् 1962-63 से रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को साख सूचनाएँ देना प्रारम्भ कर दिया था। इस प्रकार की सूचनाओं की सहायता से अनुसूचित बैंकों को साख का समुचित नियन्त्रण करने में बड़ी सहायता मिलती है।

रिजर्व बैंक और स्वदेशी बैंकर्स

यद्यपि स्वदेशी बैंकर्स भारतीय मुद्रा-बाजार के महत्वपूर्ण अंग हैं तथापि उनके कार्यों पर रिजर्व बैंक का कोई नियन्त्रण नहीं है। परिणामतः रिजर्व बैंक की साख नियन्त्रण नीति अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो सकती है। सन 1934 में रिजर्व बैंक के निर्माणकर्ताओं ने इस बात को भलीभाँति अनुभव किया था कि अपनी साख नियन्त्रण नीति को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए रिजर्व बैंक को शीघ्रातिशीघ्र स्वदेशी बैंकरो पर अपना नियन्त्रण स्थापित करना चाहिए। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में यह वैधानिक व्यवस्था कर दी गयी थी कि अपनी स्थापना के 3 वर्षों के भीतर रिजर्व बैंक स्वदेशी बैंकरो पर अपना नियन्त्रण लागू करने सम्बन्धी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत करे। इस सम्बन्ध में सन् 1937 में रिजर्व बैंक ने एक योजना भी बनायी थी। इस योजना के अन्तर्गत स्वदेशी बैंकरो के कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे। परन्तु इनके साथ ही रिजर्व बैंक की ओर से उन्हें कुछ सुविधाएँ भी प्रदान की गयीं। दुर्भाग्यवश स्वदेशी बैंकरो ने इन योजना को स्वीकार नहीं किया। सन् 1938 में रिजर्व बैंक ने स्वदेशी बैंकरो को संगठित बैंकिंग व्यवस्था में लाने का पूरा प्रयास किया था किन्तु उसे भी अधिक सफलता न मिल सकी। सन 1941 में स्वदेशी बैंकरो को बैंकिंग व्यवस्था में सम्मिलित करने के लिए दूसरी योजना बन गयी। परन्तु दुर्भाग्यवश स्वदेशी बैंकरो ने इसे भी अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद रिजर्व बैंक द्वारा कोई अन्य प्रयास नहीं किया गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि स्वदेशी बैंकर्स आज भी रिजर्व बैंक के नियन्त्रण की परिधि से बाहर हैं। शायद ही, रिजर्व बैंक की साख नियन्त्रण नीति की असफलता का मुख्य कारण यही है।

रिजर्व बैंक और अनुसूचित बैंक

(Reserve Bank and Scheduled Banks)

भारत में व्यापारिक बैंकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है—(क) अनुसूचित

बैंक, (ख) असूचित बैंक (Non-Scheduled Banks)। अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जिन्हें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट की दूसरी सारणी में सम्मिलित कर लिया गया है। अनुसूचित बैंक वल वही बैंक हो सकता है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो

(1) उसकी चुकती-पूँजी (paid up capital) तथा प्रारक्षित निधि (reserves) 5 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) उसकी कार्य प्रणाली जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिरूप नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार, यदि किसी बैंक को चुकती पूँजी एवं प्रारक्षित निधि 5 लाख रुपये से कम है अथवा उसका निस्तारण (liquidation) हो जाता है अथवा यह बैंकिंग व्यवसाय करना बन्द कर देता है अथवा उसकी नीति जमाकर्ताओं के हितों के विपरीत सिद्ध होती है तो ऐसी परिस्थिति में रिजर्व बैंक उस बैंक का नाम द्वितीय सारणी से निकाल सकता है।

अनुसूचित बैंकों को अपनी जमा राशियों का एक निश्चिन्त भाग रिजर्व बैंक के पास नकद-कोष के रूप में रखना पड़ता है। यदि कोई अनुसूचित बैंक इस नियम की अवहेलना करता है तो रिजर्व बैंक दण्डनीय व्याज (Penalty interest) वसूल कर सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार को अपना साप्ताहिक विवरण-पत्र (weekly statement) भेजना पड़ता है। इस विवरण-पत्र में बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाती है।

रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है

(1) अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक से स्वीकृत व्यापारिक बिलों एवं प्रतिज्ञा-पत्रों की पुन कटौती करा सकते हैं।

(2) अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों, बिलों तथा सोने चाँदी के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(3) रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को समाशोधन-गृह (Clearing House) की सुविधाएँ प्रदान करता है।

(4) रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को सस्ती दरों पर स्थान्तरण सम्बन्धी सुविधाएँ (Remittance Facilities) प्रदान करता है।

(5) रिजर्व बैंक सकट के समय अनुसूचित बैंकों को उपयुक्त परामर्श एवं आर्थिक सहायता भी देता है।

रिजर्व बैंक तथा असूचित बैंक (Reserve Bank and Non-Scheduled Banks)— असूचित बैंक वे बैंक हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की दूसरी सारणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। असूचित बैंक प्रायः छोटे-छोटे स्थानीय-बैंक होते हैं जिनकी चुकती-पूँजी एवं प्रारक्षित निधि 5 लाख रुपये से कम होती है। साधारणतः इस प्रकार के बैंकों का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित होता है। परन्तु दक्षिणतः कर्नाटक एक्ट के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को इन बैंकों के साथ भी अपना सम्पर्क बनाये रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक स्वीकृत असूचित बैंकों (approved non scheduled banks) को स्थान्तरण सम्बन्धी सुविधाएँ (Remittance Facilities) भी प्रदान करता है। इन बैंकों को बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 के अन्तर्गत अपना मासिक विवरण (monthly statement) रिजर्व बैंक को अनिवार्य रूप से भेजना पड़ता है। इन्हें भी अपनी जमा राशियों का एक निश्चिन्त भाग रिजर्व बैंक के पास नकद-कोष के रूप में रखना पड़ता है।

रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

(Reserve Bank and State Bank of India)

जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, 1 जुलाई, 1955 को इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी थी। राष्ट्रीयकरण से पूर्व रिजर्व बैंक तथा इम्पीरियल बैंक के बीच हुए एक समझौते के अनुसार इम्पीरियल बैंक रिजर्व बैंक के एजेंट का काम करता

था। 1 जुलाई 1955 के बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया उन सभी स्थानों पर रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है जहाँ पर रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं हैं।

रिजर्व बैंक और कृषि-वित्त

(Reserve Bank and Agricultural Finance)

चूँकि कृषि भारत का प्रमुख धन्धा है, अतः रिजर्व बैंक ने कृषि-वित्त के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी है। प्रारम्भ से ही कृषि वित्त के विकास हेतु रिजर्व बैंक ने कृषि-साख विभाग की स्थापना कर दी थी। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि-वित्त से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन एवं अनुसन्धान करना है।

रिजर्व बैंक ने दो राष्ट्रीय कोषों की स्थापना की है

(क) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाएँ) कोष [National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund] 3 फरवरी, 1956 को स्थापित किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय कृषि साख (स्वाधीकरण) कोष [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund] को 30 जून 1956 को स्थापित किया गया था। दोनों ही कोषों की स्थापना देश में कृषि-वित्त की पूर्ति को बढ़ाने के लिए की गई थी।

स्मरण रहे, रिजर्व बैंक किसानों को कृषि-साख प्रत्यक्षत नहीं देता। रिजर्व बैंक प्रथमतः ऋण सहकारी संस्थाओं को देता है और वे आगे चलकर ये ऋण किसानों को देते हैं। राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाएँ) कोष की स्थापना 10 करोड़ रुपये की मूल राशि से की गई थी। रिजर्व बैंक ने भी 5 करोड़ ६० का अपना प्रथम वार्षिक अंशदान दिया था। राष्ट्रीय कृषि-साख (स्वाधीकरण) कोष की स्थापना 1 करोड़ ६० की मूल राशि से की गई थी। राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाएँ) कोष का उद्देश्य राज्य सरकारों को निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु ऋण देना है—(i) सहकारी बैंकों एवं प्रारम्भिक कृषि साख समितियों की शेयर पूंजी में भाग लेना—(ii) कृषि-उद्देश्यों के लिए राज्य सहकारी बैंकों को मध्यमकालीन ऋण देना (iii) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के ऋण-पत्रों (debentures) को खरीदना एवं उन्हें दीर्घकालीन ऋण देना।

इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि-साख (स्वाधीकरण) कोष का उद्देश्य राज्य सहकारी बैंकों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए मध्यमकालीन ऋण देना है (i) सूखा एवं बाढ़ आदि के समय किसानों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यमकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के लिए (ii) कृषि कार्यों का वित्तपोषण करने के लिए।

30 जून, 1975 को राष्ट्रीय कृषि-साख (दीर्घकालीन क्रियाएँ) कोष में कुल धनराशि 334 करोड़ ६० के तुल्य थी। इसी प्रकार इसी तिथि को राष्ट्रीय कृषि साख (स्वाधीकरण) कोष में 140 करोड़ रुपये की धनराशि थी। रिजर्व बैंक ने विगत 15 वर्षों में राज्य सरकारों का राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन क्रियाएँ) कोष में स पर्याप्त बड़े ऋण दिये हैं। ये ऋण उन्हें सहकारी साख संस्थाओं की शेयर पूंजी में भाग लेने के लिए दिये गये थे। सन् 1960-61 में इन ऋणों की कुल राशि 323 करोड़ रुपये थी लेकिन सन् 1974-75 में यह बढ़कर 837 करोड़ ६० हो गयी थी। इस बीच स से रियायती दरों पर मौसमी कृषि सम्बन्धी कार्यों एवं फसलों के विपणन का वित्तपोषण करने हेतु राज्य सहकारी बैंकों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण भी दिये गये हैं। अल्पकालीन ऋण बैंक-दर से 2 प्रतिशत कम की रियायती दर पर दिये गये थे जबकि मध्यमकालीन ऋण बैंक दर से $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम दर पर प्रदान किये गये थे। सन् 1960-61 में रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को दिये गये अल्पकालीन ऋणों की कुल राशि 1106 करोड़ रुपये थी लेकिन सन् 1974-75 में यह बढ़कर 48952 करोड़ ६० हो गयी थी। इसी प्रकार राज्य सहकारी बैंकों को दिये गये मध्यमकालीन ऋणों की राशि सन् 1960-61 में 468 करोड़ रुपये से बढ़कर सन् 1974-75 में 987 करोड़ रुपये हो गयी थी। कृषि का विकास का विपणन का वित्तपोषण करने के लिए भी रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को अल्पकालीन ऋण देना शुरू है। सन् 1974-75 में रासायनिक खाद की खरीद एवं उसके वितरण के लिए भी रिजर्व बैंक ने 28.20 करोड़ रुपये स्वीकार किये थे।

रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि साख (स्थायीकरण) कोष में से राज्य सहाकारी बैंको को मध्यमकालीन ऋण इन उद्देश्य के लिए दिये हैं कि सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में वे अपने द्वारा दिये गये अल्पकालीन ऋणों को मध्यमकालीन ऋणों में परिवर्तित कर सकें। सन् 1965-66 में इस कोष से दिये गये मध्यमकालीन ऋणों की कुल राशि 4.82 करोड़ रु० थी जो सन् 1974-75 में बढ़कर 81.32 करोड़ रु० हो गयी थी।

कृषि-उद्देश्यों के लिए दिये गये अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋणों के अतिरिक्त, रिजर्व बैंक विगत वर्षों में केन्द्रीय भूमि विपणन बैंको को दीर्घकालीन ऋण भी देता रहा है। रिजर्व बैंक उनके द्वारा जारी किये गये ऋण पत्रों (debentures) को खरीदता रहा है। 30 जून, 1975 को रिजर्व बैंक ने इन ऋण-पत्रों में 11 करोड़ रु० की धनराशि समा रली थी।

सन् 1963 में रिजर्व बैंक ने अपने तत्वावधान में कृषि पुनर्वित्त निगम स्थापित किया था। इस अब कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम (Agricultural Refinance and Development Corporation) कहा जाता है। इस निगम का उद्देश्य कृषि लघु सिंचाई, पशुपालन, मुर्गीपालन, मछलीपालन, दुग्ध डेयर्स आदि में स्वरित विकास हेतु मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण देना है। निगम इस प्रकार के ऋण या तो प्रत्यक्षतः और या पुनर्वित्त के माध्यम से प्रदान करता है। इस निगम की प्रदत्त-पूंजी 5 करोड़ रु० है। रिजर्व बैंक केन्द्रीय भूमि विकास बैंक, राज्य सहाकारी बैंक अनुसूचित बैंक जीवन बीमा निगम इसके अंशधारी (Shareholders) हैं। रिजर्व बैंक ने सन् 1974-75 में 40 करोड़ रु० एवं 1975-76 में 60 करोड़ रु० के दीर्घकालीन ऋण इस निगम का दिये थे।

रिजर्व बैंक ने दो अन्य एजेंसियों को स्थापित करने में भी पहल की थी—(1) सीमान्त किसान एवं कृषि श्रम एजेंसी (The Marginal Farmers and Agricultural Labour or MFAL) (2) लघु किसान विकास एजेंसी (The Small Farmers Development Agency SFDA)। ये दोनों ही एजेंसियाँ छोटे किसानों, भूमिहीन श्रमिकों एवं ग्रामीण समाज के अन्य कमजोर वर्गों को ऋण-सुविधाएँ देती हैं।

इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंको को भी प्रोत्साहित करता है कि कृषि विकास की परिचयोजना का वित्तपोषण करने में वे सक्रिय भाग लें। रिजर्व बैंक ने इन बैंको को इस बात के लिए भी राजी कर लिया है कि वे केन्द्रीय भूमि विकास बैंको के ऋण पत्रों में धन लगायें। सन् 1970 में रिजर्व बैंक ने एक योजना निकाली थी जिसके अन्तर्गत देश के 11 राज्यों में व्यापारिक बैंको को आदेश दिया गया था कि वे प्रारम्भिक कृषि साख समितियों को ऋण दें। 31 दिसम्बर 1975 को इस योजना में 22 व्यापारिक बैंक भाग ले रहे थे और उक्त सन् 1975 की खरीक फसल के लिए 12.6 करोड़ रु० और सन् 1975-76 की रबी फसल के लिए 2.4 करोड़ रु० के अल्पकालीन ऋण 1813 समितियों को दिये थे। इन बैंको ने 31 दिसम्बर, 1975 तक 70.9 लाख रु० के मध्यमकालीन ऋण भी दिये थे।

रिजर्व बैंक तथा औद्योगिक वित्त (Reserve Bank and Industrial Finance)

रिजर्व बैंक ने सन् 1957 में एक पुषक औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य देश में दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करने में सहायता देना है। अतएव इस विभाग ने दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं की स्थापना में बहुमूल्य सहयोग दिया है। औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation) की स्थापना में रिजर्व बैंक ने आर्थिक एवं सङ्गठनात्मक दोनों ही प्रकार की सहायता दी है। सन् 1975-76 में इसकी प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपये थी। इसमें रिजर्व बैंक का पर्याप्त अंशदान था। रिजर्व बैंक इस निगम को नीति सम्बन्धी विषयों पर भी परामर्श देता है। रिजर्व बैंक औद्योगिक वित्त निगम को अल्पकालीन मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन तीनों ही प्रकार के ऋण दे सकता है। सन् 1975-76 में इस निगम ने उद्योग क्षेत्रों को 221.98 करोड़ रु० ऋण एवं पेशगियों के रूप में दे रखे थे।

इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये राज्य वित्त निगमों (State Finance Corporations) की शेषर पूंजी में भी भाग लिया है। सन् 1974-75 में

इन निगमों की कुल चुकती पूंजी 29.07 करोड़ रु० थी। इन निगमों की चुकती-पूंजी में रिजर्व बैंक ने लगभग 2.43 करोड़ रुपये लगाये हैं। रिजर्व बैंक इन निगमों को अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करता है। सन् 1974-75 में रिजर्व बैंक ने इन निगमों को 9.8 करोड़ रु० के ऋण दे रखे थे। इस समय इन निगमों की सध्या 18 है। सन् 1974-75 में इन्होंने उद्योग-धन्धों को 275.83 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी थी।

उपर्युक्त निगमों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने पुनर्वित्त निगम (Refinance Corporation) तथा औद्योगिक साख एव निवेश निगम (Industrial Credit and Investment Corporation) की स्थापना में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया है। इन दोनों निगमों ने अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर रिजर्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त की है। 1 सितम्बर 1964 को पुनर्वित्त निगम का औद्योगिक विकास बैंक में विलय कर दिया गया था। औद्योगिक साख एव निवेश निगम की स्थापना, जनवरी 1955 में हुई थी। सन् 1975-76 में इसकी प्रदत्त पूंजी 15 करोड़ रुपये थी। इसका उद्देश्य निजी खण्ड में उद्योग-धन्धों को ऋण देना है। सन् 1975-76 में डालने उद्योग धन्धों को 242 करोड़ रु० के ऋण दे रखे थे। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को उदार साख सुविधाएं देकर उन्हें छोटे-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग-धन्धों को वित्तीय सहायता देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। 1 जुलाई, 1960 को भारत सरकार ने एक साख गारण्टी परियोजना (Credit Guarantee Scheme) लागू की थी। इसका उद्देश्य लघु-उद्योगों को ऋण देने वाली संस्थाओं को सम्भावित हानि के विरुद्ध गारण्टी देना है, ताकि लघु-उद्योगों को अधिकाधिक मात्रा में साख उपलब्ध हो सके। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक के प्रबन्ध में ही भारत सरकार की ओर से एक साख गारण्टी संगठन बनाया गया था। 30 जून, 1976 को साख गारण्टी योजना में भाग लेने वाले बैंकों की संख्या 233 थी। 30 जून 1975 को इस संगठन द्वारा दी गयी गारण्टियों का कुल मूल्य 1726 करोड़ रु० था। लेकिन 30 जून, 1976 को यह बढ़कर 1950 करोड़ रु० हो गया था। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि छोटे-छोटे उद्योगों को दी जाने वाली संस्थागत साख (institutional credit) के प्रवाह में निरन्तर वृद्धि हुई है।

जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India) की स्थापना की गयी थी। इस बैंक की कुल प्रारम्भिक पूंजी (जो 10 करोड़ रुपये थी) की व्यवस्था रिजर्व बैंक द्वारा ही की गयी थी। सन् 1975-76 में इसकी चुकती-पूंजी 50 करोड़ रु० थी। इस बैंक का उद्देश्य भी देश के औद्योगिक विकास में सहायता देना है। यह बैंक औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली अन्य एजेंसियों के कार्यों का समन्वय भी करता है। 1 सितम्बर 1964 को पुनर्वित्त निगम का इस बैंक में विलय (merge) कर दिया गया था। 16 फरवरी, 1976 को औद्योगिक विकास बैंक का रिजर्व बैंक से सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया गया था। इसे भारत सरकार के स्वायत्तत्व में एक स्वायत्त शासी (autonomous) निगम बना दिया गया था। इस बैंक द्वारा उद्योग धन्धों को दी गयी कुल ऋण-सहायता सन् 1975-76 में 411.26 करोड़ रु० थी।

इसके अतिरिक्त, सन् 1964-65 में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन द्वारा देश के बड़े उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक विशेष कोष स्थापित किया गया था जिसका नाम राष्ट्रीय औद्योगिक साख (दीर्घकालीन) कोष (National Industrial Credit Long Term Fund) रखा गया था। इस कोष में रिजर्व बैंक ने 15 करोड़ रुपये डालने की व्यवस्था की थी। इस कोष का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास बैंक को ऋण देना है। 30 जून, 1975 को इस कोष में दिये गये ऋणों की कुल राशि 264.64 करोड़ रु० थी।

फरवरी 1963 में यूनित ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (Unit Trust of India) की स्थापना की गयी थी। इसकी प्रारम्भिक पूंजी 2.5 करोड़ रुपये थी। यह समूची पूंजी रिजर्व बैंक ने दी थी। 16 फरवरी, 1976 से पूर्व यह ट्रस्ट रिजर्व बैंक से सम्बन्धित था। लेकिन इस तिथि से इसका सम्बन्ध भारत के औद्योगिक विकास बैंक से जोड़ दिया गया था। इसकी 2.5 करोड़ रु० की प्रारम्भिक पूंजी औद्योगिक विकास बैंक को सौंप दी गई है। यह ट्रस्ट दस-दस रुपये के यूनित वेबकर निवेशकर्ताओं के विभिन्न वर्गों में बचतों को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार लोगों से एकत्रित धन-राशि को यह ट्रस्ट उद्योग-धन्धों में लगाता है। यह ट्रस्ट न केवल यूनितों को बेचता है बल्कि एक

निश्चित कीमत पर उन्हें खरीद भी लेता है। सन् 1974-75 में ट्रस्ट ने 167 करोड़ रुपये के यूनिट बेचे थे जबकि पूर्वगामा वर्ष में यह राशि 303 करोड़ रु० थी। इस वर्ष ट्रस्ट ने यूनिट धारियों को 86 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की थी। सन् 1974-75 में U T I को काफी बड़े आघात का सामना करना पड़ा था। Units की बिक्री में कमी का मुख्य कारण यह था कि बैंकों की व्याज दरों में वृद्धि के कारण Units के आकर्षण में कमी हो गई थी। निम्न एवं मध्यम वर्गों में बचतों को प्रोत्साहित करने हेतु ट्रस्ट ने 1 जुलाई 1969 को एक नयी योजना लागू की थी, इसे ऐच्छिक बचत योजना (Voluntary Saving Plan) कहते हैं। इस योजना के अन्तर्गत निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग अपनी सुविधानुसार छोटी छोटी राशियाँ यूनिट खरीदने में लगा सकते हैं।

लेकिन 1975-76 में ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ था। यूनिटों की बिक्री में वृद्धि हुई थी। इस सुधार का मुख्य कारण यह था कि भारत सरकार ने यूनिट धारियों को यूनिटों में लगायी गयी पूंजी पर आय कर एवं सम्पत्ति कर से कुछ छूट देने की घोषणा की थी। 30 जून, 1975 को औद्योगिक, वित्तीय एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं सम्बन्धी व्यवसायों को इस ट्रस्ट ने 170 करोड़ रु० के ऋण दे रखे थे।

रिजर्व बैंक की सफलताएँ (Achievements of the Reserve Bank)

रिजर्व बैंक की स्थापना लगभग 42 वर्ष पहले हुई थी। इस अवधि में रिजर्व बैंक ने अपने कार्यक्षेत्र में कुछ सफलताएँ प्राप्त की हैं जो इस प्रकार हैं

(1) सुलभ मुद्रा नीति (Cheap Money Policy)—रिजर्व बैंक ने अपने जीवनकाल में यथासम्भव सुलभ मुद्रा नीति अपनाने का ही प्रयत्न किया है। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व बैंक दर को घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया था। सन् 1951 तक रिजर्व बैंक की बैंक दर 3 प्रतिशत पर ही स्थिर रही थी। वास्तव में इस सुलभ मुद्रा नीति से देश की अर्थ व्यवस्था को बहुत लाभ हुआ है। परन्तु सन 1951 में मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए बैंक दर को 3½ प्रतिशत कर दिया गया था। आगे चलकर समय-समय पर बैंक-दर में वृद्धि की गयी है। इस समय (1977) रिजर्व बैंक की बैंक-दर 9 प्रतिशत है। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह दर ऊँची नहीं कही जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ने विगत 42 वर्षों में यथासम्भव सुलभ मुद्रा नीति का ही अनुसरण किया है।

(2) नोट निर्गमन नीति (Note issue Policy)—सन् 1935 से लेकर सन् 1956 तक रिजर्व बैंक ने आनुपातिक नोट निर्गमन प्रणाली के आधार पर कागजी मुद्रा का निर्गमन किया था और इस प्रकार कागजी नोटों के पीछे पर्याप्त धातु कोष बनाये रखा परन्तु सन 1956 में रिजर्व बैंक ने आनुपातिक निर्गमन प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोष निधि प्रणाली को अपना लिया था। इस प्रणाली के अन्तर्गत देश की कागजी मुद्रा में पर्याप्त मात्रा में लोच (elasticity) उत्पन्न हो गयी है। वास्तव में यह प्रणाली भारत जैसे विकासशील देश के लिए अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध हुई है।

(3) स्फीति नियन्त्रण नीति (Inflation Control Policy)—विगत कई वर्षों से देश में प्रवृत्त मुद्रा-स्फीति को नियन्त्रित एवं नियमित करने के लिए भी रिजर्व बैंक ने समय-समय पर कई कदम उठाये हैं। इसमें विशेषकर चयनात्मक ऋण नियन्त्रण (Selective Credit Control) प्रणाली द्वारा देश के कीमत स्तर को नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया है। यह सत्य है कि रिजर्व बैंक को मुद्रा स्फीति का सामना करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। परन्तु यदि रिजर्व बैंक न होता तो मुद्रा स्फीति सम्बन्धी परिस्थिति और भी अधिक भयावह हो सकती थी।

(4) व्याज की दरों में स्थिरता—रिजर्व बैंक ने देश की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण का विस्तार एवं संकुचन करके व्याज की दरों में स्थिरता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। यह सत्य है कि भारतीय मुद्रा बाजार में आज भी व्याज की दरों में सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं परन्तु इन परिवर्तनों का अनुपात पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। इसका

श्रेय रिजर्व बैंक को ही है। लेकिन जुलाई सन् 1974 में देश की असाधारण स्फीतिक स्थिति को देखते हुए व्याज की दरों में असाधारण वृद्धि कर दी गई थी।

(5) **सावजनिक ऋण की व्यवस्था**—सरकार का अधिकर्ता (agent) होने के नाते रिजर्व बैंक ने सावजनिक ऋण का बहुत ही अच्छा एवं सराहनीय प्रबंध किया है। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक ने समय-समय पर अल्पकालीन ऋण देकर सरकार को वित्तीय कठिनाइयों से भी बचाया है।

(6) **रिजर्व बैंक ने बैंकों का बैंक होने के नाते भी सराहनीय कार्य किया है**—रिजर्व बैंक बैंकों का अन्तिम ऋणदाता है और सफट के समय उन्हें ऋण एवं अधिमो के रूप में सहायता भी प्रदान करता है। रिजर्व बैंक ने कई बैंकों को सफट के समय फेल होने से बचाया है।

(7) **औद्योगिक वित्त व्यवस्था**—रिजर्व बैंक ने छोट व बड़े उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं रिजर्व बैंक ने औद्योगिक वित्त निगम राज्य वित्त निगमों एवं औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना में सग-ठनात्मक एवं आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस तरह रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा-बाजार की एक भारी टूट को दूर करने का प्रयत्न किया है।

(8) **कृषि वित्त व्यवस्था**—रिजर्व बैंक ने अपन कृषि साख विभाग के माध्यम से कृषि साख के लिए विशेष व्यवस्था कराने का प्रयत्न किया है और इस कार्य में इसे पर्याप्त सफलता भी मिली है। वास्तव में रिजर्व बैंक ने विभिन्न राज्यों में सहकारिता आन्दोलन को पुनर्गठित एवं सुदृढ करने में महत्वपूर्ण योग दिया है।

(9) **घन के स्थान्तरण की सस्ती सुविधाएँ**—रिजर्व बैंक ने सरकार अनुसूचित बैंकों एवं राहकारी बैंकों को घन का स्थान्तरण करने सम्बन्धी सस्ती सुविधाएँ प्रदान की हैं। रिजर्व बैंक की सहायता से सदस्य बैंक बहुत कम व्यय पर रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज सकते हैं।

(10) **साख नियन्त्रण नीति** रिजर्व बैंक ने विभिन्न उपायों को अपनाकर देश में साख की मात्रा का नियन्त्रण एवं नियमन करने का प्रयत्न किया है और इस सम्बन्ध में इसे कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। विशेषकर रिजर्व बैंक ने चयनात्मक साख नियन्त्रण व कारण कृषि पदार्थों में किये जाने वाले सट्टे पर रोक लगी है और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियन्त्रित करने में भी कुछ सहायता मिली है।

(11) **रुपये के बाह्य मूल्य में स्थिरता**—विगत 42 वर्षों में रिजर्व बैंक रुपये के बाह्य मूल्य में स्थिरता स्थापित करने में पर्याप्त सफल हुआ है। जैसा विदित है भारतीय रुपये का स्टैबिलिटी मूल्य विगत कई वर्षों से 1 शिलिंग 6 पैसे की दर पर स्थिर रहा है। इसका श्रेय भी रिजर्व बैंक को ही है। लेकिन जैसा पूछ कहा गया है 6 जून 1966 को भारत सरकार ने अपनी ओर से निणय करके रुपये के बाह्य मूल्य को घटा दिया था।

(12) **बैंकिंग का विकास** रिजर्व बैंक ने देश में बैंकिंग का समुचित विकास करने में भी बहुमूल्य सहायता दी है। रिजर्व बैंक ने कानून के अन्तर्गत दिये गये अपने अधिकारों का उचित उपयोग करके देश में एक सुव्यवस्थित एवं सुदृढ बैंकिंग व्यवस्था की नींव रखी है। इसने दुर्बल एवं गैर आर्थिक बैंकों के एकीकरण (amalgamation) को प्रोत्साहित करके बैंकिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाने का प्रयत्न किया है।

(13) **बिल बाजार की स्थापना**—सन् 1952 में रिजर्व बैंक ने अपनी बिल-बाजार योजना को क्रियान्वित करके देश में एक सुमगठन बिल बाजार की स्थापना करने का प्रयत्न किया था और इसमें इस आंशिक सफलता भी प्राप्त हुई है।

(14) **समाशोधन व्यवस्था**—रिजर्व बैंक ने देश के लगभग 82 केन्द्रों में समाशोधन व्यवस्था (clearing arrangements) की है। इसमें बैंकों द्वारा लेन देन बहुत सरल एवं सुविधाजनक हो गया है। इस प्रकार रिजर्व बैंक देश में बैंकों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने में सफल हुआ है।

(15) आर्थिक आंकड़ों का सग्रह एवं प्रकाशन—रिजर्व बैंक ने मुद्रा, साख, बैंकिंग, सहकारिता, वृषि एवं औद्योगिक-उत्पादन से सम्बन्धित आंकड़ों एवं तथ्यों का सकलन करके समय-समय पर रिपोर्टों के रूप में उनका प्रकाशन किया है। वास्तव में रिजर्व बैंक का यह कार्य देश की आर्थिक समस्याओं को समझने एवं उनका समाधान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है।

रिजर्व बैंक की असफलताएँ (Failures of the Reserve Bank)

ये इस प्रकार हैं

(1) मुद्रा बाजार में समन्वय का अभाव—रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी असफलता यह है कि यह मुद्रा बाजार के दो मुख्य अंगों के बीच समन्वय एवं एकीकरण स्थापित करने में असफल रहा है। स्वदेशी बैंकर आज भी रिजर्व बैंक के नियन्त्रण की परिधि से बाहर हैं। वास्तव में, स्वदेशी बैंकों को वर्तमान पृथक्त्व की स्थिति भारत में बैंकिंग व्यवस्था में समुचित विकास के हित में नहीं है।

(2) व्याज की दरों में समानता का अभाव—मुद्रा बाजार में समन्वय एवं एकीकरण के अभाव के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में आज भी व्याज की दरों में भारी भिन्नता पायी जाती है। मुद्रा-बाजार के संगठित भाग के बाहर स्वदेशी बैंकर साहूकार एवं महाजन लोग बहुत ऊँची ऊँची दरों पर ऋण देने हैं और बैंक दर का इनकी व्याज-दरों पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में, यह रिजर्व बैंक की भारी असफलता ही मानी जा सकती है।

(3) बिल-बाजार के विकास में असफलता—यह सत्य है कि सन् 1952 में रिजर्व बैंक ने देश में बिल बाजार का विकास करने हेतु अपनी योजना को क्रियान्वित किया था। परन्तु इसके बावजूद भारत में बिल-बाजार का समुचित विकास नहीं हो सका है। आज भी मुद्रा-बाजार में अच्छे एवं कटौती-योग्य बिलों (Discountable Bills) का भारी अभाव पाया जाता है।

(4) कृषि-साख का अवर्षाप्त विकास—यद्यपि रिजर्व बैंक ने कृषि-साख में विस्तार के लिए अनेक कदम उठाये हैं, लेकिन फिर भी देश में कृषि साख की समुचित एवं पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जा सकी है। किसानों को आज भी उचित दरों पर तथा पर्याप्त मात्रा में कृषि कार्यों के लिए साख उपलब्ध नहीं होती।

(5) बैंकिंग सुविधाओं की अवर्षाप्तता—यद्यपि विगत कुछ वर्षों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ है और कई स्थानों पर बैंकों की शाखाएँ खोली गयी हैं लेकिन फिर भी देश के आकार एवं जनसङ्ख्या को देखते हुए वर्तमान बैंकिंग सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं। आज भी देश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बैंकों का पूर्ण अभाव है। रिजर्व बैंक इस कमी का पूणत दूर करने में सफल नहीं हो सका है।

(6) रुपये के आन्तरिक मूल्य में अस्थिरता—रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी असफलता तो रुपये के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता का अभाव है। विगत कई वर्षों में निरन्तर मुद्रा स्फीति के परिणामस्वरूप देश के कीमत स्तर में भारी वृद्धि अथवा रुपये के आन्तरिक मूल्य में भारी कमी हुई है। इस मुद्रा स्फीति का देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत नुरा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि रिजर्व बैंक ने कई प्रकार के स्फीति विरोधी उपाय (Anti-inflationary Measures) अपनाये हैं, लेकिन इनके बावजूद स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है और रुपये का आन्तरिक मूल्य निरन्तर गिरता जा रहा है।

(7) भारतीय बैंकों को विदेशी विनियम व्यवसाय में उचित भाग दिलाने में असफलता—यद्यपि विगत कुछ वर्षों से भारतीय मिश्रित पूँजी बैंक विदेशी विनियम व्यवसाय में प्रविष्ट होने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु अभी तक उन्हें इन दिशा में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। पहले की भांति विदेशी विनियम व्यवसाय में आज भी विदेशी बैंकों का लगभग पूर्ण एकाधिकार है। रिजर्व बैंक इस एकाधिकार को समाप्त करने तथा भारतीय बैंकों को विदेशी विनियम व्यवसाय में उनका उचित भाग दिलाने में लगभग असफल ही रहा है।

(8) बैंकिंग संकटों से बैंकों को बचाने में असफलता—जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो उस समय यह आशा की गयी थी कि रिजर्व बैंक, बैंकों को समय-समय पर जाने वाले बैंकिंग संकटों से बचाने का प्रयत्न करेगा, परन्तु दुर्भाग्यवश, यह आशा पूरी न हो सकी। रिजर्व बैंक की स्थापना के तुरन्त बाद ही ट्रावन्कोर नेशनल और त्रिवलन बैंक (Travancore National and Quilon Bank) फेल हो गया था। रिजर्व बैंक उसे फेल होने से न बचा सका। सन् 1939 से 1946 के बीच लगभग 444 छोटे बड़े बैंक फेल हुए और रिजर्व बैंक उन्हें बचाने में असमर्थ ही रहा। उस समय रिजर्व बैंक का तर्क यह था कि अपर्याप्त अधिकारों के कारण वह बैंकिंग संकट के समय बैंकों को असफल होने से नहीं बचा सकता था। बैंकिंग कम्पनीज एक्ट, 1949 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को निरीक्षण सम्बन्धी व्यापक अधिकार दिये गये, परन्तु इसके बावजूद भी वह हाल के वर्षों में प्लाई बैंक (Palai Bank) तथा लक्ष्मी बैंक को फेल होने से न बचा सका।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

3. रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यों पर प्रकाश डालिए।

(राजस्थान, 1971 इलाहाबाद, 1956, इन्दौर, 1968, मेरठ, 1975)

अथवा

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यों का पूरी तरह वर्णन कीजिए। आज के दिन भारत में बैंक-दर क्या है? (राजस्थान, 1969)

[संकेत—यहाँ पर रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों तथा साधारण कार्यों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों की व्याख्या करते समय यह भी बताइए कि रिजर्व बैंक किन किन उपायों द्वारा देश में साख का नियन्त्रण करता है और इस दिशा में उसे कितनी सफलता प्राप्त हुई है। आज भारत में बैंक-दर 9% है।]

2. स्थापना के समय से आज तक रिजर्व बैंक के कार्यवाहन की आलोचना कीजिए।

(राजस्थान, बी० कॉम०, 1955)

अथवा

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की कार्यशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (आगरा, पू, 1975)

[संकेत—यहाँ पर विगत 42 वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा किये गये कार्यों का वर्णन करते हुए इसकी मुख्य-मुख्य असफलताओं का उल्लेख कीजिए।]

3. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया मुद्रा व साख की पूर्ति का नियमन किस प्रकार करता है?

(विजय, बी० कॉम०, 1960)

अथवा

भारत में रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त मुद्रा एवं साख नियन्त्रण के विभिन्न तरीकों का विवरण दीजिए। (राजस्थान, 1967)

[संकेत—यहाँ पर पहले यह बताइए कि इस समय रिजर्व बैंक न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर मुद्रा का नियमन करता है। इस प्रणाली की मुख्य-मुख्य बातों को विस्तारपूर्वक लिखिए। तदुपरान्त यह बताइये कि रिजर्व बैंक देश में साख की मात्रा का नियन्त्रण किन-किन उपायों द्वारा करता है। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कीजिए कि साख के नियमन में रिजर्व बैंक को कहीं तक सफलता प्राप्त हुई है।]

4. भारत की बैंकिंग प्रणाली में रिजर्व बैंक का क्या स्थान है? यह देश में साख की मात्रा का नियन्त्रण किस प्रकार करता है?

(विजय, बी० कॉम० 1958)

अथवा

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में रिजर्व बैंक का स्थान निर्धारित कीजिए। (विजय, 1971)

[संकेत—प्रथम भाग में, यह बताइए कि रिजर्व बैंक भारत की बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सम्बन्ध में, संक्षेप में, रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों एवं साधारण

कार्यों की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, उन सभी उपायों का उल्लेख कीजिए जिनके द्वारा रिजर्व बैंक साख की मात्रा का नियन्त्रण करता है।]

- 5 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कृषि-साख समस्या को सुलझाने में क्या सहायता दी है ?
(आगरा, बी० कॉंग०, 1962)

[सकेत—यहाँ पर रिजर्व बैंक के कृषि-साख विभाग द्वारा किये गये कार्यों की विवेचना कीजिए और बताइए कि किस प्रकार रिजर्व बैंक साख के विषय में सहकारी संस्थाओं को रियायतें देता है ?]

- 6 अनुसूचित बैंक क्या हैं ? भारतीय रिजर्व बैंक इन बैंकों को किस प्रकार सहायता पहुँचाता है और उन पर कैसे नियन्त्रण करता है ?
(नागपुर, 1955)

[सकेत—यहाँ पर अनुसूचित बैंक की परिभाषा देते हुए यह स्पष्ट करिए कि किस प्रकार रिजर्व बैंक कृणों के रूप में उन्हें सहायता देता है तथा कैसे उनके कार्यों पर नियन्त्रण रखता है ?]

- 7 रिजर्व बैंक देश की साख-नीति पर किन तरीकों से नियन्त्रण करता है ? समझाइए।
(आगरा, 1968)

[सकेत—देखिए प्रश्न 3 और 4। यहाँ पर आपको रिजर्व बैंक द्वारा अपनाये गये पाँच उपायों की व्याख्या करनी है। यह भी स्पष्ट करना है कि साख-नियन्त्रण में रिजर्व बैंक कहाँ तक सफल हुआ है ?]

- 8 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के क्या कार्य हैं ? यह समुक्त पूंजी वाले बैंकों पर किस प्रकार नियन्त्रण करता है ?
(विश्रम, 1969)

[सकेत—प्रथम भाग के लिए प्रश्न 1 से उत्तर को देखिए। दूसरे भाग में आप यह बताइए कि समुक्त पूंजी वाले बैंकों पर रिजर्व बैंक कई प्रकार से नियन्त्रण करता है—प्रथम, समुक्त पूंजी वाले बैंक को रिजर्व बैंक के पास तकद-कोष रखने पड़ते हैं। दूसरे, रिजर्व बैंक समुक्त पूंजी वाले बैंकों की साख नीतियों पर नियन्त्रण रखता है। तीसरे, रिजर्व बैंक इन बैंकों से निरन्तर इनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहता है। चौथे, रिजर्व बैंक जब चाहे इन बैंकों का निरीक्षण कर सकता है।]

विकास करने के लिए भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया था। यह बैंक पुन कटौती (Re discounting) की अपेक्षा नकद-ऋणों (Cash loans) को प्राथमिकता दिया करता था। परिणामतः देश में बिल बाजार का समुचित विकास सम्भव नहीं हो सका था।

(5) केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों में असफलता—रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व इम्पीरियल बैंक द्वारा सम्पन्न किये गये केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों में भी इसे कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी थी। इसलिए उस समय भारत में एक नये केन्द्रीय बैंक की स्थापना का समर्थन किया जाता था।

इम्पीरियल बैंक के उपर्युक्त दोषों एवं त्रुटियों के कारण ही समय समय पर इसके राष्ट्रीयकरण की माँग की गयी थी। सन 1949 में भारत सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति (Rural Banking Enquiry Committee) को इम्पीरियल बैंक के प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण के विषय पर अपना मत व्यक्त करने के लिए बहा था। समिति ने इम्पीरियल बैंक की कार्य-प्रणाली में पाये जाने वाले अनेक दोषों एवं त्रुटियों के वातजुद इसका राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं समझा था। अगस्त 1951 में रिजर्व बैंक ने ग्रामीण साख व्यवस्था की जाँच करने के लिए एक अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (All India Rural Credit Survey Committee) की नियुक्ति की थी। इसके अध्यक्ष श्री ए० डी० गोरवाला (A D Gorwala) थे। इस समिति की रिपोर्ट दिसम्बर 1954 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में गोरवाला समिति ने इम्पीरियल बैंक की कार्यविधि की कड़ी आलोचना की थी। समिति का यह कहना था कि इम्पीरियल बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त शाखाएँ नहीं खोली थीं जिनके परिणामस्वरूप कृषि साख का समुचित विकास नहीं हो सका था। गोरवाला समिति ने सुझाव दिया कि शेयर पूँजी (Share Capital) को बढ़ाकर तथा अन्य राज्य सम्बन्धित बैंकों (State Associated Banks) का इनके साथ एकीकरण करके इम्पीरियल बैंक का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इम्पीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रखा जाना चाहिए। (परन्तु स्मरण रहे कि गोरवाला समिति ने इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का सुझाव नहीं दिया था।) भारत सरकार ने गोरवाला समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अप्रैल 1955 में लोकसभा में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बिल प्रस्तुत किया था। इसके स्वीकृत हो जाने पर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने अपना कार्य विधिवत शुरू कर दिया था।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के प्रमुख उद्देश्य

ये इस प्रकार हैं

(1) ग्रामीण साख व्यवस्था में सरकार की सहायता—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का मुख्य उद्देश्य सहायता साख व्यवस्था में सरकार की सहायता स्थापित करना है। अतः इस उद्देश्य को पूरित करने के लिए स्टेट बैंक राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए भी तैयार रहता है।

(2) लाइसेन्समुद्रा गोदामों की स्थापना में सहायता देना—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया देश के विभिन्न भागों में लाइसेन्समुद्रा गोदामों एवं बिक्री समितियों की स्थापना में आर्थिक सहायता देता है।

(3) छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता देना—स्टेट बैंक का एक उद्देश्य यह भी है कि देश में स्थापित किये गये छोटे छोटे उद्योगों को ऋणों के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

(4) वचनों को प्रोत्साहित करना—स्टेट बैंक ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे छोटे कस्बों में शर्खाएँ स्थापित करके वचनों को प्रोत्साहित करता है ताकि इन्हें एकत्रित करके देश के औद्योगिक विकास में लगाया जाय।

(5) धनराशि के स्थानान्तरण की सुविधाएँ देना—स्टेट बैंक विभिन्न साख संस्थाओं को धन के स्थानान्तरण की सरली सुविधाएँ देकर बैंकिंग के विकास में समुचित सहायता देता है।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

इसका हम निम्नलिखित षोषकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं

(1) पूँजी—स्टेट बैंक की अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) 20 करोड़ रुपये है। इसे 100-100 रुपये वाले 20 लाख शेयरों में विभाजित किया गया है। स्टेट बैंक का जारी पूँजी (Issued Capital) 562 करोड़ रुपये है। स्टेट बैंक को यह अधिकार है कि वह भारत सरकार को पूर्व अनुमति लिये बिना अपनी जारी पूँजी को 12.5 करोड़ रुपये तक बढ़ा सकता है। स्टेट बैंक की पूँजी में 55 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक का है और शेष 45 प्रतिशत भाग निजी शेयर-होल्डरों का है। किन्तु कोई भी निजी शेयर-होल्डर स्टेट बैंक के 200 से अधिक शेयर्स नहीं खरीद सकता।

(2) प्रबन्ध स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का प्रबन्ध एक केन्द्रीय संचालक बोर्ड (Central Board of Directors) के हाथों में है। इस बोर्ड के 20 सदस्य हैं। इनमें 1 अध्यक्ष (Chairman) 1 उपाध्यक्ष (Vice Chairman), 2 प्रबन्ध-संचालक (Managing Directors) तथा 16 संचालक (Directors) हैं। इन संचालकों में से 6 संचालक निजी शेयर होल्डरों (Private Shareholders) द्वारा चुने जाते हैं, 8 संचालक भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं शेष 2 संचालक सहकारिता तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विशेषज्ञ होते हैं। इनमें से 1 संचालक भारत सरकार द्वारा और दूसरा रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक अधिक से अधिक 5 वर्षों के लिए नियुक्त किये जाते हैं। परन्तु नियुक्त किये गये तथा निर्वाचित संचालकों की कार्य अवधि 4 वर्ष की होती है यद्यपि उन्हें दुबारा या नियुक्त अथवा चुना जा सकता है। केन्द्रीय संचालक बोर्ड के अतिरिक्त, बम्बई, कलकत्ता मद्रास, नयी दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल तथा पटना के 9 स्थानीय बोर्ड (Local Boards) भी हैं। ये समय-समय पर केन्द्रीय संचालक बोर्ड को परामर्श देते हैं।

(3) स्टेट बैंक के कार्यालय—स्टेट बैंक का प्रधान कार्यालय बम्बई में स्थित है। इसके 9 स्थानीय प्रमुख कार्यालय बम्बई, कलकत्ता मद्रास, नयी दिल्ली कानपुर हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल तथा पटना में हैं। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि 5 साल की अवधि में अर्थात् 30 जून 1960 तक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया देश के ग्रामीण क्षेत्रों एच छोटे-छोटे कस्बों में 400 नयी शाखाएँ खोलेगा। स्टेट बैंक ने समय से पूर्व ही नयी शाखाओं के इस लक्ष्य को पूरा कर लिया था। 30 जून 1975 को बैंक के कार्यालयों की संख्या 3475 थी।

(4) स्टेट बैंक के कार्य (Functions of the State Bank)—इन्हे हम तीन उप शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं

(क) केन्द्रीय बैंकिंग कार्य (Central Banking Functions)—यद्यपि स्टेट बैंक देश का केन्द्रीय बैंक नहीं है तथापि यह उन सभी स्थानों पर केन्द्रीय बैंक का ही कार्य करता है जहाँ पर रिजर्व बैंक की अपनी शाखाएँ नहीं हैं। इस नाते स्टेट बैंक दो महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करता है—
(अ) स्टेट बैंक सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। यह जनता से सरकार की ओर से धन बसूल करता है और सरकार के आदेशानुसार इसका भुगतान भी करता है। यह सरकार द्वारा लिये जाने वाले सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी करता है। (ब) यह बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। यह व्यापारिक बैंकों से निक्षेप स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण भी प्रदान करता है। यह व्यापारिक बैंकों के बिलों को पुनः कटौती करता है और रिजर्व बैंक की ओर से समाशोधन गृह का कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त, स्टेट बैंक व्यापारिक बैंकों को धन की स्थान्तरण सम्बन्धी सस्ती सुविधाएँ भी प्रदान करता है।

(ख) साधारण बैंकिंग कार्य (Ordinary Banking Functions)—इसके साधारण बैंकिंग कार्य इस प्रकार हैं

(अ) जनता से निक्षेप स्वीकार करना—अन्य व्यापारिक बैंकों की भाँति स्टेट बैंक साधारण जनता से विभिन्न प्रकार के निक्षेप स्वीकार करता है। 10 दिसम्बर, 1976 को स्टेट बैंक के कुल निक्षेप 4044 करोड़ रुपये थे। इनमें से 1609 करोड़ माँग निक्षेप (Demand Deposits) तथा 2,435 करोड़ रुपये समय-निक्षेप (Time Deposits) थे।

(भा) प्रतिभूतियों में निवेश करना—अन्य व्यापारिक बैंकों की भांति स्टेट बैंक अपने अतिरिक्त धन को भारत सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, रेलवे प्रतिभूतियों, अन्य कॉर्पोरेशनों की प्रतिभूतियों तथा कोषानार-विपत्रों (Treasury Bills) में लगाता है। 10 दिसम्बर, 1976 को स्टेट बैंक का प्रतिभूतियों में किया गया कुल निवेश 990 करोड़ रुपये था।

(इ) व्यवसायियों को ऋण आदि देना—स्टेट बैंक सरकारी प्रतिभूतियों, विनिमय-दिलों तथा स्वीकृत प्रतिज्ञा पत्रों, माल के अधिकार-पत्रों (Title Deeds) के आधार पर भी व्यवसायियों को ऋण प्रदान करता है। 10 दिसम्बर, 1976 को स्टेट बैंक ने व्यवसायियों को लगभग 2 889 करोड़ रुपये के ऋण दे रखे थे।

(ई) अन्य कार्य—स्टेट बैंक के अन्य कार्य इस प्रकार हैं—सोने-चाँदी के सिक्के सरीदना व बेचना लोगों की बहुमूल्य वस्तुओं को अपने अभिरक्षण (Custody) में रखना, ग्राहकों के लिए साख प्रमाणपत्र जारी करना, अपनी शाखाओं तथा सम्बन्धित बैंकों पर ड्राफ्ट आदि जारी करना, तार द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजना, विशेष परिस्थितियों में सहकारी बैंकों के एजेंट के रूप में कार्य करना, बैंकिंग कंपनियों के निस्तारण के रूप में कार्य करना तथा रिजर्व बैंक द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों को सम्पन्न करना। स्टेट बैंक लघु उद्योगों एवं सहकारी समितियों को विशेष ऋण सुविधाएँ देता है।

(ग) स्टेट बैंक के निषिद्ध कार्य (Prohibited Businesses of the State Bank) - स्टेट बैंक आफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें स्टेट बैंक नहीं कर सकता

(1) स्टेट बैंक शेयरों के आधार पर 6 महीने की अवधि से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता परन्तु सन् 1957 में किये गये एक सशोधन के अनुसार स्टेट बैंक उद्योग धन्धों की उनकी सम्पत्ति के आधार पर 7 वर्ष की अवधि के लिए ऋण प्रदान कर सकता है।

(2) स्टेट बैंक अपने कार्यालयों के अतिरिक्त किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति नहीं खरीद सकता।

(3) स्टेट बैंक ऐसे बिलों की पुन कटौती नहीं कर सकता अथवा उनके आधार पर ऋण नहीं दे सकता जिनकी परिपक्वता की अवधि (Period of Maturity) 6 महीने से अधिक की होती है। परन्तु रिजर्व बैंक की भांति स्टेट बैंक कृषि बिलों को विशेष रियायत प्रदान करता है। कृषि-बिलों की परिपक्वता की अवधि 15 महीने तक की हो सकती है।

(4) स्टेट बैंक उन बिलों की पुन कटौती नहीं कर सकता जिन पर कम से कम दो अच्छे हस्ताक्षर न हों।

(5) स्टेट बैंक किसी व्यक्ति अथवा फर्म को पूर्व निश्चित सीमा से अधिक न तो ऋण दे सकता है और न ही उनके बिलों की पुन कटौती ही कर सकता है।

(घ) सहायताकारी बैंक (Subsidiary Banks) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से नवम्बर 7 सहायताकारी बैंक भी हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सोराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रिपुनकोर स्टेट बैंक ऑफ दन्दीर। 30 जून, 1975 को इन बैंकों के कार्यालयों की संख्या 1739 थी। इनकी शुक्ती-पंजी एवं प्रारक्षण निधिर्षा 842 करोड़ रुपये थी। इनके कुल निक्षेप 471 करोड़ रुपये थे तथा इनके द्वारा दिये गये ऋण 378 करोड़ रुपये थे।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की सफलताएँ

(Achievements of the State Bank of India)

(1) बैंकिंग सुविधाओं का विकास—विगत कुछ वर्षों में देश में बैंकिंग सुविधाओं के विकास का अधिकार अथ स्टेट बैंक को ही है। जैसा पूर्व ह्य रह चुके हैं—स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि स्टेट बैंक 5 वर्ष की अवधि में अर्थात् 30 जून, 1960 तक पिछड़े हुए एवं अधिकसित ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी 400 नयी शाखाएँ स्थापित करेगा।

स्टेट बैंक ने समय से पूर्व ही अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया था। 30 जून, 1960 के उपरान्त स्टेट बैंक ने नयी शाखाओं को खोलने का एक दूबरा कार्यक्रम क्रियान्वित किया। इस पंचवर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट बैंक को 145 तथा उसके सहायक बैंकों को 155 नयी शाखाएँ खोलनी थीं। बाद में इस लक्ष्य को क्रमशः 151 और 221 कर दिया गया था। 30 जून, 1965 तक स्टेट बैंक के द्वारा 114 शाखाएँ तथा सहायक बैंकों द्वारा 190 शाखाएँ खोली गयी थी। इसके बाद स्टेट बैंक ने नयी शाखाएँ खोलने का तीसरा कार्यक्रम क्रियान्वित किया। इसके अन्तर्गत, दिसम्बर 1968 तक 319 शाखाएँ खोली जानी थीं। 30 जून 1975 को स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या 3475 और सहायक बैंकों की शाखाओं की संख्या 1739 हो चुकी थी। इस प्रकार स्टेट बैंक ग्रुप की शाखाओं की कुल संख्या 5214 थी। शाखाओं के दृष्टिकोण से स्टेट बैंक विश्व का सबसे बड़ा बैंक है। यह ब्रिटेन के बारक्ले बैंक (Barclay Bank) से भी बड़ा है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में नयी नयी शाखाएँ खोलकर स्टेट बैंक ने देश की अग्रहण सेवा का है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बचतों को प्रोत्साहन मिला है तथा कृषि एव उद्योगों के विकास में सहायता प्राप्त हुई है।

(2) ग्रामीण साक्ष की व्यवस्था—स्टेट बैंक ने ग्रामीण साक्ष के लिए विशेष व्यवस्था की है। इस सम्बन्ध में स्टेट बैंक निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करता है

(क) स्टेट बैंक सहकारी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण एव अग्रिम प्रदान करता है। इस प्रकार के ऋणों पर स्टेट बैंक अधिक से अधिक 3 प्रतिशत ब्याज ही लेता है। इस तरह स्टेट बैंक भारतीय कृषि के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) स्टेट बैंक सरकार द्वारा गारंटी दिये जाने पर सहकारी बैंकों से सम्बन्धित साक्ष समितियों को भी ऋण प्रदान करता है।

(ग) स्टेट बैंक विक्री एव निर्यात (Sale and Processing) सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देता है यदि वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि सहकारी बैंक इस प्रकार की समितियों को सस्ती दर पर ऋण देने में असमर्थ है।

(घ) स्टेट बैंक सहकारी चीनी मिलों (Co operative Sugar Mills) तथा सहकारी कपास गन्ने वाली समितियों (Co operative Cotton Ginning Societies) को भी उनके माल के आधार पर ऋण देता है।

(ङ) स्टेट बैंक केन्द्रीय भूमि ऋणक बैंकों (Central Land Mortgage Banks) के ऋणपत्रों (debentures) में पूंजी लगाता है और आवश्यकता पडने पर इनके ऋण पत्रों के आधार पर ऋण भी देता है। इस प्रकार स्टेट बैंक कृषि के लिए न केवल अल्पकालीन बल्कि दीर्घकालीन साक्ष की भी व्यवस्था करता है।

(च) स्टेट बैंक भारत सरकार एव राज्य सरकारों को लाइसेन्समुदा गोदाम स्थापित करने में भी सहायता देता है। इसके अलावा इन गोदामों में रखी गयी कृषि उपज के आधार पर बैंक किसानों को ऋण भी देता है।

(छ) स्टेट बैंक सहकारी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से प्रारम्भिक सहकारी उपभोक्ता भण्डारों (Primary Consumer Co operative Stores) को भी ऋण देता है। इसके अलावा यह बैंक औद्योगिक सहकारी समितियों को भी ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करता है।

(ज) स्टेट बैंक सहकारी वित्तीय संस्थाओं को धन के स्थानान्तरण की निशुल्क सुविधाएँ प्रदान करता है।

30 सितम्बर, 1974 को स्टेट बैंक ने लगभग 21 लाख किसानों को लगभग 153 करोड़ रु० के ऋण दे रखे थे।

(3) छोटे छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता—स्टेट बैंक छोटे छोटे उद्योग धंधों को भी वार्षिक सहायता प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार राज्य सरकारों, सहकारी बैंकों तथा राज्य वित्त निगमों के सहयोग से सन् 1956 में इसने एक योजना लागू की थी। इस योजना

के अन्तर्गत स्टेट बैंक छोटे-छोटे उद्योगों को उदार शर्तों पर ऋण एवं अग्रिम प्रदान करता है। जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, सन् 1957 में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार स्टेट बैंक उद्योग धन्धों की अचल सम्पत्ति के आधार पर 7 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण दे सकता है। इस प्रकार स्टेट बैंक छोटे-छोटे उद्योगों को समय सम्बन्धी विशेष रियायतें देने के लिए भी तैयार रहता है। इसके अतिरिक्त, स्टेट बैंक वित्तीय समस्याओं के शैयरो एवं ऋण-पत्रों में भी पूंजी लगा सकता है। जुलाई, 1960 में भारत सरकार ने छोटे-छोटे उद्योगों की सहायताएँ एक साथ गारण्टी योजना (Credit Guarantee Scheme) बनायी थी। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा गारण्टी दिये जाने पर व्यापारिक बैंक छोटे-छोटे उद्योगों को ऋण देते हैं। स्टेट बैंक ने भी इस योजना के अन्तर्गत छोटे-छोटे उद्योगों को पहले की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में ऋण प्रदान किये हैं। स्टेट बैंक ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Scale Industries Corporation) से एक समझौता कर रखा है, जिसके अन्तर्गत स्टेट बैंक छोटे-छोटे उद्योगों को अच्छा माल खरीदने के लिए ऋण प्रदान करता है।

स्टेट बैंक द्वारा सन् 1962 में एक नयी साख योजना आरम्भ की गयी थी। इसे किस्त साख योजना (Instalment Credit Scheme) कहा जाता है। इसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की उत्पादन-कार्य के लिए उधार देना है। उद्योगों को ऋण-राश का भुगतान सुविधाजनक किस्तों में करने की भी सुविधा दी गयी है।

30 सितम्बर, 1974 को स्टेट बैंक ने छोटे-छोटे उद्योगों से सम्बन्धित 34,000 सत्यानों को लगभग 338 करोड़ रुपये के ऋण दे रखे थे।

अभी हाल ही में स्टेट बैंक ने अपनी ओर से समाज के कमजोर वर्गों के लाभार्थ नई सेवाएँ प्रस्तुत की थीं। इन्होंने जनजातियों के सदस्यों (tribals) हरिजन, कैंदियों, विकलांग कामियों, अनाथों अथवा, कृषकरोपियों, गन्दी वस्तियों में रहने वाली एवं अन्य अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक परामर्श सहित वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

(4) विदेशी विनिमय व्यवस्था— स्टेट बैंक विश्व की 20 महत्वपूर्ण मुद्राओं का प्रय-विक्रय करता है जिससे विदेशी भुगतान में बहुत सहायता प्राप्त होती है। स्टेट बैंक विश्व के सभी देशों के लिए यात्री-बैंक (Traveller's Cheques, जारी करता है। निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत स्टेट बैंक निर्यातकर्ताओं को सुविधाजनक ऋण भी देता है।

(5) सरल स्थानान्तरण की सुविधाएँ— स्टेट बैंक अनुसूचित तथा सहकारी बैंकों को सप्ताह में दो बार निःशुल्क स्थानान्तरण सुविधाएँ प्रदान करता है। इससे इन बैंकों को विशेष लाभ हुआ है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि स्टेट बैंक ने अपने सक्रिय जीवनकाल में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसने कृषि एवं छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों की विशेष सहायता की है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यों की विवेचना कीजिए। (आगरा बी० बी०, 1962)

अथवा

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के आर्थिक महत्त्व को समझाइए। (विक्रम, 1968)

[संकेत यहाँ पर स्टेट बैंक का सशिष्य इतिहास देते हुए इसके केन्द्रीय बैंकिंग एवं साधारण बैंकिंग कार्यों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]

2. इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के रूप में क्यों परिवर्तित किया गया था? स्टेट बैंक के अतिरिक्त दायित्वों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या आप इस ओर कुछ सुधार के सुझाव दे सकते हैं? (मगध 196, आगरा, 1966)

[संकेत— प्रथम भाग में यह बताइए कि पुराने इम्पीरियल बैंक में पाये जाने वाले दोषों एवं त्रुटियों के कारण ही इसे स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया था। यहाँ पर उन दोषों एवं त्रुटियों का संक्षेप में उल्लेख भी कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि

देश में बैंकिंग का समुचित विकास करना, कृषि के लिए साख की विशेष व्यवस्था करना तथा छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों के लिए वित्त की व्यवस्था करना—स्टेट बैंक के अतिरिक्त दायित्व हैं। तीसरे भाग में, स्टेट बैंक की कार्यविधि से सम्बन्धित सुधार के सुझाव प्रस्तुत कीजिए।]

- 3 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए और बताइए कि कहां तक और किस प्रकार—(क) छोटे उद्योग-धन्धों, (ख) कृषि, (ग) सहकारी समितियों के सम्बन्ध में ये उद्देश्य पूरे किये गये हैं ?
(राजस्थान, बी० कॉम्प०, 1961)

[सकेत—प्रथम भाग में, स्टेट बैंक की स्थापना के मुख्य-मुख्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, विस्तारपूर्वक बताइए कि स्टेट बैंक कृषि, छोटे उद्योग-धन्धों तथा सहकारी सामितियों की किन-किन तरीकों से सहायता करता है। अन्त में, यह निष्कर्ष निकालिये कि अपने सक्षिप्त जीवनकाल में स्टेट बैंक ने इनके लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की है।]

भारत में व्यापारिक बैंक (Commercial Banks in India)

व्यापारिक बैंक क्या है ?

भारत में व्यापारिक बैंको से अभिप्राय उन बैंको से है जिनकी स्थापना इण्डियन कम्पनीज एक्ट (Indian Companies Act) के अन्तर्गत की गयी है। इन्हे कभी कभी मिश्रित पूंजी बैंक (Joint Stock Banks) भी कहा जाता है। यद्यपि इन्हे ऐसा कहना उचित प्रतीत नहीं होता। इसका कारण यह है कि स्टेट बैंक तथा विनिमय बैंक (Exchange Banks) भी मिश्रित पूंजी बैंक हैं किन्तु इन्हे व्यापारिक बैंको की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। स्टेट बैंक एक पब्लिक एक्ट के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। चूंकि इसको स्थापना इण्डियन कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत नहीं की गयी है, इसलिए इसे व्यापारिक बैंक नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार चूंकि विनिमय बैंक मुख्यतः विदेशी व्यापार का ही अर्थ-प्रबन्ध (Finance) करते हैं इसलिए इन्हे भी व्यापारिक बैंको की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः व्यापारिक बैंको से अभिप्राय उन्हीं बैंको से है जिनकी स्थापना इण्डियन कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत की गयी है और जो सभी साधारण बैंकिंग कार्य सम्पन्न करते हैं। भारत के महत्त्वपूर्ण व्यापारिक बैंको के कुछ नाम इस प्रकार हैं— बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ोदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक इत्यादि।

व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण

भारत में व्यापारिक बैंको को प्रायः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है - (क) अनुसूचित बैंक, (ख) अनुसूचित बैंक।

(क) अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks)—जसा हम पूर्व बता चुके हैं—अनुसूचित बैंक उन बैंको को कहते हैं जिनको रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारिणी (Second Schedule) में सम्मिलित कर रखा है। रिजर्व बैंक केवल उन्हीं को दूसरी सारिणी में सम्मिलित करता है जो निम्नलिखित शर्तों पूरी करते हैं

(1) इन बैंको की चुकती-पूँजी (Paid-up Capital) तथा प्रारक्षित निधि (Reserve Fund) मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपये के बराबर होनी चाहिए।

(2) इन बैंको को अपनी माँग-देयताओं (demand-liabilities) एवं काल देयताओं (time-liabilities) का 3 प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास नकद कोष के रूप में जमा करना पड़ता है। रिजर्व बैंक यदि चाहे तो इस प्रतिशत को 3 से बढ़ाकर 16 तक कर सकता है।

(3) इन बैंको को प्रति सप्ताह अपना स्थिति-विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है।

(4) इन बैंको को रिजर्व बैंक कुछ विशेष सुविधाएँ भी प्रदान करता है। उदाहरणार्थ ये बैंक स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक से ऋण ले सकते हैं अथवा अपनी इण्डियो को रिजर्व बैंक से पुनः कटौती करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक उन्हें धन स्थान-तरण सम्बन्धी सस्ती सुविधाएँ (cheap remittance facilities) भी प्रदान करता है।

(ख) असूचित बैंक (Non-Scheduled Banks)—असूचित बैंक उन बैंको को कहते हैं जिन्हें रिजर्व बैंक अपनी दूसरी सारिणी में सम्मिलित नहीं करता। इन बैंको की शुकती पूंजी एवं प्रारक्षित निधि 5 लाख रुपये से कम होती है। इन बैंको पर रिजर्व बैंक का कोई विशेष नियन्त्रण नहीं होता, यद्यपि इन्हे भी प्रति माह अपना स्थिति विवरण रिजर्व बैंक के पास भेजना पड़ता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि ये अपने निक्षेपों का निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास अथवा अपने पास नकद-कोष में रखें।

व्यापारिक बैंकों की वर्तमान स्थिति

सन् 1975-76 में भारतीय असूचित बैंको की कुल संख्या 68 थी जबकि सन् 1950-51 में इनकी संख्या 93 थी। इस कमी का प्रमुख कारण बैंको का एकीकरण (amalgamation) है। विगत कुछ वर्षों में भारतीय बैंको में विलीनीकरण अथवा एकीकरण की प्रवृत्ति कार्यशील रही है। छोटे छोटे एव दुर्बल बैंको का बड़े-बड़े बैंको के साथ एकीकरण हुआ है। सन् 1975-76 में असूचित बैंको के कुल निक्षेप 13,169.35 करोड़ रुपये थे। इनमें से 5441.9 करोड़ मांग-निक्षेप तथा 7727.45 करोड़ रु० समय-निक्षेप थे। इनके नकद-कोष 863.33 करोड़ रुपये थे। इस प्रकार इनका नकद-निक्षेप अनुपात (cash deposit ratio) 6.56 था।¹

असूचित बैंको की कुल संख्या सन् 1974-75 में 7 थी जबकि सन् 1955-56 में इनकी कुल संख्या 378 थी। इस कमी का मुख्य कारण इन बैंको का एकीकरण है। सन् 1974-75 में इनकी शुकती-पूंजी एव प्रारक्षित निधि 20.83 करोड़ रुपये थी। इनके कुल निक्षेप 19.29 करोड़ रुपये थे। इनमें से 7.60 करोड़ मांग-निक्षेप तथा 11.69 करोड़ रुपये समय-निक्षेप थे। इनके नकद कोष 74 लाख रुपये थे। इस प्रकार इनका नकद-निक्षेप अनुपात 3.8 प्रतिशत था।²

व्यापारिक बैंकों के कार्य

ये इस प्रकार हैं

(1) जनता से जमा पर रुपया प्राप्त करना—व्यापारिक बैंको का यह एक प्रमुख कार्य है। भारतीय बैंक लोगों से विभिन्न प्रकार के खातों में निक्षेप स्वीकार करते हैं। जैसे—निश्चित-कालीन खाता, चालू खाता तथा सेविंग्स बैंक खाता इत्यादि।

(2) ऋण प्रदान करना—ये बैंक अपने अतिरिक्त धन की व्यवसायियों एव उत्पादको को विभिन्न प्रकार की जमानतों के आधार पर उधार देते हैं। परन्तु स्मरण रहे कि ये बैंक अचल सम्पत्ति के आधार पर रुपया उधार नहीं देते क्योंकि ऐसा करना उनके लिए जोखिमपूर्ण (Risky) होता है। ये बैंक व्यक्तिगत जमानत (Personal security) पर भी रुपया उधार नहीं देते क्योंकि ऐसा करने से उनकी वित्तीय स्थिति खरों में पड़ सकती है। भारत में इस प्रकार की संस्थाएँ नहीं हैं जो व्यापारिक बैंको को उनके ग्राहको की आर्थिक स्थिति के बारे में सही-सही सूचना दे सकें। व्यापारिक बैंक अपना अनिश्चित धन अधिकांशतः व्यापारियों को ही अल्पकालीन ऋणों के रूप में दे देते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं—प्रथम, चूंकि व्यापारिक बैंको के निक्षेप अल्पकालीन होते हैं इसलिए वे इनको दीर्घकाल के लिए उद्योगपतियों को नहीं दे सकते। दूसरे, व्यापारियों को दिये गये ऋणों पर उन्हें अपेक्षाकृत ऊँची व्याज-दर प्राप्त होती है। अतः साधारणतः व्यापारिक बैंक उद्योग धन्धों की अपेक्षा व्यापार एव व्यवसाय की ही ऋण देना अधिक पसन्द करते हैं। चूंकि इस समय भारत के कतिपय उद्योगों को कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अतः देश में कार्यरत कुछ असूचित बैंको को रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि कुछ सीमा तक वे इन उद्योगों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को ऋण देकर पूरा करें। इन उद्योगों में बूट, सूती कपड़ा चीनी एव कागज उद्योग सम्मिलित हैं।

(3) एजेंट के रूप में कार्य—ये बैंक अपने ग्राहको के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। ये उनकी ओर से धन प्राप्त करते हैं और उनके आदेशानुसार उसका भुगतान भी करते हैं। इसके अतिरिक्त ये अपने ग्राहको की ओर से धन एव प्रतिभूतियों का कय विक्रय भी करते हैं। ग्राहको के लिए यात्री चेक (Travellers Cheques) भी जारी करते हैं।

1 Reserve Bank of India Bulletin, July, 1976

2 Ibid., p. 5646

(4) लॉकर्स सम्बन्धी सुविधाएँ—अधिकांश व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। इसके लिए वे उनसे थोड़ा शुल्क अवश्य लेते हैं।

(5) धन का स्थान्तरण—य बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए धन स्थान्तरण सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। ये अपनी शाखाओं अथवा अन्य बैंकों पर ड्राफ्ट भी जारी करते हैं।

व्यापारिक बैंकिंग की वर्तमान प्रवृत्तियाँ

(Present Trends in Commercial Banks)

विगत कुछ वर्षों में भारत के व्यापारिक बैंकों ने पर्याप्त प्रगति की है। इनकी वर्तमान प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं।

(1) निक्षेपों में वृद्धि (Increase in Deposits) — विगत कुछ वर्षों में भारतीय व्यापारिक बैंकों के निक्षेपों में भारी वृद्धि हुई है। सन् 1950-51 में अनुसूचित बैंकों के कुल निक्षेप 880.6 करोड़ रुपये थे जबकि सन् 1975-76 में ये बढ़कर 13,169.35 करोड़ रुपये हो गये थे। इसका मुख्य कारण देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का होना है। यद्यपि अनुसूचित बैंकों के निक्षेपों में वृद्धि हुई है लेकिन असूचित बैंकों के निक्षेपों में बराबर कमी हाती चली आ रही है। असूचित बैंकों के कुल निक्षेप सन् 1950-56 में 67.61 करोड़ रुपये थे लेकिन सन् 1975-76 में यह घटकर 19.29 करोड़ रुपये ही रह गये थे। इसका मुख्य कारण यह है कि इन वर्षों में अनेक छोटे छोटे बैंक बन्द हो गये अथवा बड़े अनुसूचित बैंकों में विलीन हो गये थे।

(2) अग्रिमों में वृद्धि (Increase in Advances)—विगत कुछ वर्षों में व्यापारिक बैंकों के अग्रिमों में बहुत वृद्धि हुई है। सन् 1950-51 में अनुसूचित बैंकों के अग्रिमों की कुल मात्रा 546.93 करोड़ रुपये थी। सन् 1975-76 में यह बढ़कर 10,893.39 करोड़ रुपये हो गयी थी। सन् 1950-51 में ये बैंक अपने कुल निक्षेपों का 62.1 प्रतिशत अग्रिमों में लगा रहे थे। सन् 1975-76 में यह प्रतिशत बढ़कर 77.37 हो गया था। जून 1969 में 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त दृष्टकों एवं छोटे-छोटे उद्योगपतियों को दिये जाने वाले अग्रिमों में भी वृद्धि हुई है।

(3) निवेशों में वृद्धि (Increase in Investments)—विगत कुछ वर्षों में व्यापारिक बैंकों के निवेशों में भी वृद्धि हुई है। सन् 1955-56 में व्यापारिक बैंकों ने लगभग 359.9 करोड़ रुपये सरकारी प्रतिभूतियों में लगाये थे। सन् 1975-76 में यह राशि बढ़कर 2,971.33 करोड़ रुपये हो गयी थी। यद्यपि निवेशों की मात्रा में वृद्धि हुई है लेकिन निवेश निक्षेप अनुपात पहले की अपेक्षा कम हो गया है। सन् 1955-56 में ये बैंक अपने कुल निक्षेपों का 34.5 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया करते थे। सन् 1975-76 में यह अनुपात गिरकर 22.56 प्रतिशत ही रह गया था।

(4) चुकती-पूँजी एवं प्रारक्षित निधि के निक्षेपों से अनुपात में कमी (Fall in the Ratio of Paid up Capital and Reserves to Deposits)—बैंकिंग विकास के प्रारम्भिक काल में चुकती-पूँजी एवं प्रारक्षित निधि का निक्षेपों से अनुपात ऊँचा होता है। इसका कारण स्पष्ट है। जनता में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने हेतु बैंकों को आधक चुकती पूँजी एवं प्रारक्षित निधि रखनी पड़ती है। प्रारम्भिक काल में प्रत्येक बैंक का यह लक्ष्य रहना है कि वह अपनी चुकती पूँजी के बराबर ही प्रारक्षित निधि निर्मित करे। अतः प्रारम्भिक अवस्था में चुकती पूँजी एवं प्रारक्षित निधि का निक्षेपों से अनुपात ऊँचा रहता है। लेकिन कालान्तर में जनता में बैंकों के प्रति विश्वास उत्पन्न होने के फलस्वरूप यह अनुपात धीरे धीरे घटता जाता है। भारत में भी बिलकुल ऐसा ही हुआ है। भारतीय बैंकों की चुकती-पूँजी एवं प्रारक्षित निधि में निक्षेपों के अनुपात में निरन्तर कमी हुई है जो इस बात की पुष्टि करती है कि भारतीय जनता का बैंकों में धीरे धीरे विश्वास कम रहा है।

सन् 1950-51 में अनुसूचित बैंकों की चुकती पूँजी एवं प्रारक्षित निधि का निक्षेपों से अनुपात 9 प्रतिशत था, लेकिन सन् 1975-76 में गिरकर यह 3 प्रतिशत ही रह गया था।

साधारणतः व्यापारिक बैंक अपने अग्रिम व्यापारियों को ही देते हैं, परन्तु विगत कुछ वर्षों से इन्होंने अपने अग्रिमों का कुछ भाग छाट व मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों को भी देना आरम्भ कर दिया है।

(5) शाखाओं की संख्या में विस्तार—विगत कुछ वर्षों में अनुसूचित बैंकों की शाखाओं में बहुत विस्तार हुआ है। यद्यपि अनुसूचित बैंकों की शाखाएँ कम हुई हैं। 30 जून, 1976 को अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 21 220 थी। इन बैंकों ने अपनी नयी शाखाएँ छोटे-नगरे एवं कस्बों में भी खोलना आरम्भ कर दिया है।

(6) नकद-कोषों के अनुपात में कमी (Fall in the Proportion of Cash Reserves)—यद्यपि अनुसूचित बैंकों की शाखाओं का विस्तार हुआ है और परिणामतः इनके निक्षेपों में भी वृद्धि हुई है तथापि विगत कुछ वर्षों में इनके नकद कोषों के अनुपात में कुछ कमी हुई है। सन् 1950-51 में इन बैंकों के नकद कोषों का अनुपात लगभग 10.6 प्रतिशत था जबकि सन् 1975-76 में यह गिरकर 6.56 प्रतिशत हो रहा गया था। वास्तव में, इन बैंकों के नकद कोषों के अनुपात में उक्त कमी किसी भी दृष्टि से वाञ्छनीय नहीं कही जा सकती। स्वस्थ बैंकिंग विकास के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि व्यापारिक बैंकों के नकद कापो का अनुपात अपेक्षाकृत ऊँचा होना चाहिए। भारत जैसे देश में जहाँ लोगों में बैंकिंग आदत अभी सुदृढ़ नहीं है, नकद-कोषों का कम अनुपात उनके लिए संकट का कारण बन सकता है।

(7) छोटे बैंकों का बड़े बड़े बैंकों में विलीनीकरण—विगत कुछ वर्षों में छोटे बैंकों की बड़े बैंकों में विलीनीकरण को प्रवृत्ति देखने में आयी है। छोटे-छोटे एवं गैर आर्थिक बैंक अधिकाधिक बड़े-बड़े बैंकों में मिलते जा रहे हैं। वास्तव में यह भारतीय बैंकिंग के समुचित विकास के लिए एक अत्यन्त वाञ्छनीय प्रवृत्ति है, क्योंकि इनके कारण देश में बैंकों का आकार बड़ा जायगा और वे बैंकिंग संकट का हड़ता से मुकाबला कर सकेंगे।

(8) परस्पर प्रतियोगिता में कमी—कुछ वर्ष पहले व्यापारिक बैंकों में निक्षेपों को आकर्षित करने के लिए आपस में नयी प्रतियोगिता हुआ करती थी। इसका परिणाम यह होता था कि प्रत्येक बैंक निक्षेप प्राप्त करने के लिए ऊँची से ऊँची ब्याज दरें देने की तैयार हो जाता था। इससे बैंकों में प्रतियोगिता बंद जाने से बैंकिंग के विकास को बाधात पहुँचता था, किन्तु विगत कुछ वर्षों में व्यापारिक बैंकों की इस प्रतियोगिता में बहुत कमी हुई है। अब बड़े बड़े बैंकों ने आपस में समझौता करके इस प्रतियोगिता को कम करने का प्रयत्न किया है। सर्वप्रथम, यह समझौता 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। इसके अन्तर्गत, बड़े-बड़े बैंकों ने निक्षेपों पर दी जाने वाली ब्याज की दरों को निश्चित कर दिया था। कोई भी बैंक इन निश्चित दरों से अधिक दरें प्राप्ति को नहीं दे सकता था।

(9) ब्याज की दरों में वृद्धि—विगत कुछ वर्षों में व्यापारिक बैंकों की ब्याज की दरों में आशातीत वृद्धि हुई है। यह वृद्धि निश्चितकालीन एवं सेविंग्स दोनों ही प्रकार के निक्षेपों में हुई है। इसका कारण यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप मुद्रा बाजार में ऋणों की माँग बढ़ गयी है। इस माँग की पूर्ति के लिए बैंकों को अधिक निक्षेप आकर्षित करने हेतु ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ी हैं। 23 जुलाई, 1974 से तो ब्याज की दरों में असाधारण वृद्धि की गई थी।

(10) बैंकों के आय-व्यय में वृद्धि (Increase in Income Expenditure of Banks) — विगत कुछ वर्षों में बैंकों के निक्षेपों ऋणों निवेशों एवं शाखाओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप उनकी आय एवं व्यय में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(11) बैंकों पर रिजर्व बैंक का अधिक नियन्त्रण—विगत कुछ वर्षों में बैंकिंग कम्पनीज एक्ट तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंकों का नियन्त्रण एवं नियमन करने सम्बन्धी व्यापक अधिकार प्रदान किये गये हैं। परिणामतः अब रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से नियन्त्रित एवं नियमित करने में समर्थ हो गया है।

व्यापारिक बैंकों के दोष एवं कठिनाइयाँ

इस प्रकार व्यापारिक बैंकों में कई प्रकार के दोष एवं कठिनाइयाँ पायी जाती हैं। इनके

अतिरिक्त उन्हें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में, ये दोष एव कठिनाइयाँ इन बैंकों की मन्द गति का मुख्य कारण हैं। पहले हम इन बैंकों के दोषों एवं न्यियों का अध्ययन करेंगे।

व्यापारिक बैंकों के दोष—ये निम्नलिखित हैं

(1) बैंकिंग का असन्तुलित विकास—व्यापारिक बैंकों की मन्द गति का मुख्य कारण वर्तमान बैंकिंग का असन्तुलित विकास है। देश के कुछ भाग ऐसे हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल आदि जहाँ पर बैंकों का अत्यधिक विकास हुआ है, परन्तु देश के कुछ अन्य भाग भी हैं जहाँ पर बैंकों का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है। इसके अलावा, युद्ध और युद्धोत्तर-काल में व्यापारिक बैंकों ने अपनी शाखाएँ प्रायः उन बड़े बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्रों में ही स्थापित की हैं जहाँ पर पहले ही अन्य बैंकों की शाखाएँ विद्यमान थीं। इस प्रकार बैंकों की परस्पर प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है जिससे बैंकिंग के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लेकिन जुलाई 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त अब बैंक अपनी शाखाएँ छोटे छोटे नगरों एवं कस्बों में भी खोल रहे हैं।

(2) पूँजी का अभाव—अधिकांश व्यापारिक बैंकों की चुकती पूँजी एवं प्रारक्षित निधि इतनी अपर्याप्त है कि वे अपने व्यवसाय को लाभपूर्ण तरीके से नहीं चला सकते।

(3) निवेश की दृष्टिपूर्ण नीति—अधिकांश व्यापारिक बैंकों ने अपने अतिरिक्त धन का बहुत बड़ा भाग सरकारी प्रतिभूतियों में लगा रखा है क्योंकि इनमें लगाया गया धन सुरक्षित एवं तरल होता है। साधारणतः इन बैंकों ने विनिमय-बिलों व हण्डियों की उपेक्षा की है, अर्थात् इनमें अपेक्षाकृत कम धन लगाया है। फलतः देश में एक सुसंगठित वित्त बाजार का विकास सम्भव नहीं हो सका है।

(4) व्यक्तिगत साख पर ऋणों का अभाव—पश्चिमी देशों के बैंकों की भाँति भारतीय बैंक प्रायः अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत जमानत पर ऋण नहीं देते। परिणामतः देश में साख सुविधाओं का उचित विस्तार नहीं हो पाता और व्यापारिक बैंकों की प्रगति भी अवरुद्ध हो रहती है।

(5) लाभांश की ऊँची दरें—अधिकांश व्यापारिक बैंक लाभांश वितरण को उचित नीति का अनुसरण नहीं करते। वे प्रायः अपनी प्रारक्षित निधि को सुदृढ़ बनाने के स्थापन पर ऊँची दर पर शेयर-होल्डरों में लाभांश वितरित कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी प्रारक्षित निधि को सुदृढ़ नहीं बना सकते हैं और तनिक-से संकट आने पर ही फेल हो जाते हैं। वास्तव में, यह व्यापारिक बैंकों की एक भारी त्रुटि मानी जाती है और देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है।

(6) अयोग्य एवं अनुभवहीन संचालक—व्यापारिक बैंकों के संचालक प्रायः अयोग्य एवं अनुभवहीन व्यक्ति होते हैं और वे बैंकिंग के सुदृढ़ सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं करते। ज्यादातर व्यापारिक बैंकों के संचालक प्रायः सट्टा व्यापार में बैंकों के धन का लगाकर अधिकतम लाभ कमाने की किराक में रहते हैं। फलतः बैंक संकट में पड़ जाते हैं और जनता का उनमें से विश्वास लुप्त जाता है।

(7) अकुशल बैंक कर्मचारी—व्यापारिक बैंकों के कर्मचारी एवं अधिकारी बैंकिंग काम में प्रायः अकुशल ही होते हैं। इसका कारण यह है कि नियुक्ति से पूर्व उन्हें वैज्ञानिक आधार पर बैंकिंग के सिद्धान्तों में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। परिणामतः इन बैंकों में कार्य-कुशलता का स्तर प्रायः निम्न श्रेणी का ही होता है।

(8) बैंकों की परस्पर प्रतिस्पर्धा—ये बैंक निक्षेपों को अधिकाधिक मात्रा में आकर्षित करने के लिए ऊँची से ऊँची व्याज की दरें देने के लिए तैयार रहते हैं। इससे बैंकों में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है जो देश में बैंकिंग के समुचित विकास के लिए हानिकारक होती है।

(9) बैंकों की असफलताएँ—जैसा हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं भारत में वित्त 60 वर्षों में बहुत-से बैंक फेल हुए हैं और उनके फेल होने का यह क्रम अभी निरन्तर जारी है।

परिणामत साधारण जनता का बैंको में से विश्वास उठ जाता है और वे अपनी बचतें बैंको में रखना पसन्द नहीं करते। यही कारण है कि भारत में प्रति व्यक्ति निक्षेप अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।

(10) अंग्रेजी भाषा का प्रयोग—भारतीय बैंक अपना काय प्राय अंग्रेजी भाषा में ही करते हैं। चूंकि भारत में अंग्रेजी भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है, इसलिए बैंकिंग के विकास में बाधाएँ उपस्थित होती हैं।

(11) यूरोपीय प्रणाली का प्रयोग—भारतीय बैंको ने बिना किसी प्रकार का सशोधन किये यूरोपीय प्रणाली को अपना लिया है। उन्होंने इस प्रणाली को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित करने का प्रयत्न ही नहीं किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंको में स्वदेशी बैंकरो की कार्य-प्रणाली की लोच का भी अभाव है।

व्यापारिक बैंको की कठिनाइयाँ—ये निम्नलिखित हैं

(1) निक्षेपो की अपर्याप्तता—भारतीय बैंको के निक्षेप पश्चिमी देशों के बैंको के निक्षेपो की तुलना में बहुत कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि पश्चिमी देशों की अपेक्षा भारत में प्रति-व्यक्ति औसत आय बहुत कम है। परिणामत बचत की राशि बहुत ही कम होती है।

(2) साधारण जनता में बैंकिंग आदत का अभाव—भारत में साधारण जनता में बैंकिंग की आदत का भी अभाव है जिसके परिणामस्वरूप गाँवों में अधिकांश व्यक्ति अपनी बचतों को बैंको में जमा करने के स्थान पर भूमि में गाड़ देना अधिक पसन्द करते हैं।

(3) सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति—दुर्भाग्यवश, भारतीय बैंको के समुचित विकास में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने कोई सहयोग नहीं दिया है। इन बैंको को सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी सस्थाओं की जमाराशियाँ प्राप्त नहीं होती। अतः सरकार की इस उपेक्षापूर्ण नीति के कारण इनका विकास अवसद्ध ही रहता है।

(4) विनिमय बैंको की प्रतिस्पर्धा—भारतीय बैंको को विदेशी विनिमय बैंको की प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों से विनिमय बैंको ने देश के भीतरी भागों में भी अपनी शाखाएँ स्थापित कर दी हैं। चूंकि विदेशी बैंको के साधन भारतीय बैंको की अपेक्षा अधिक होते हैं, इसलिए भारतीय बैंक उनका मुकाबला नहीं कर सकते।

व्यापारिक बैंकिंग में सुधार के सुझाव

भारतीय बैंको की कार्य-प्रणाली एवं व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं

(1) सरकार की नीति सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए—केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अपनी उपेक्षापूर्ण नीति का परित्याग करके व्यापारिक बैंको की सहायता करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह इन बैंको को वही सुविधाएँ प्रदान करे जो सरकारी बैंको को दी जाती हैं। सरकार का यह भी चाहिए कि सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी सस्थाओं को आदेश दे कि वे अपनी जमाराशियों का कुछ भाग इन बैंको को भी प्रदान करें। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं—इस समय सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी सस्थाओं के निक्षेप प्रायः स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में ही रक्के जाते हैं। इस नीति में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, व्यापारिक बैंको तथा स्टेट बैंक के बीच सरकार को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए।

(2) नयी शाखाओं की स्थापना में प्रोत्साहन—रिजर्व बैंक को छोटे-छोटे नगरों एवं कस्बों में शाखाएँ खोलने के लिए व्यापारिक बैंको को समुचित सहायता एवं प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि इन बैंको के निक्षेपो में वृद्धि की जा सके।

(3) विनिमय बैंको पर रोक—जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, व्यापारिक बैंको को विनिमय बैंको की अनुचित प्रतियोगिता (Unfair Competition) का सामना करना पड़ता है। अतः यह निश्चिन्त आवश्यक है कि विनिमय बैंको की अनुचित कार्यवाहियों पर रोक लगायी जाय और उन्हें यथासम्भव अपना कार्यक्षेत्र आयात-निर्मात व्यापार तक ही सीमित रखने के लिए कहा जाय।

(4) बैंको की आपसी प्रतियोगिता को दूर किया जाय—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, बैंकिंग विकास के माग में इस समय बैंको की आपसी प्रतियोगिता एक मुख्य बाधा है। बैंको को आपसी समझौते द्वारा इस प्रतियोगिता को दूर अथवा कम करने का प्रयत्न करना चाहिए।

(5) बैंको का एकीकरण—देश की बैंकिंग व्यवस्था के समुचित विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि छोटे एंव गैर-आर्थिक बैंको को बड़े-बड़े अनुसूचित बैंको से मिला दिया जाय। इससे देश की बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ करने में बहुत सहायता मिल सकती है क्योंकि छोटे-छोटे एंव गैर-आर्थिक बैंक, बैंकिंग प्रणाली के लिए सकट का कारण बन सकते हैं।

(6) अनुसूचित तथा अनुसूचित बैंको में सहयोग—इस समय, दुर्भाग्यवश, अनुसूचित तथा अनुसूचित बैंको में सम्बन्ध एंव सहयोग का लगभग पूर्ण अभाव है। परिणामतः मुद्रा बाजार में व्याज दरों की भारी भिन्नता पाई जाती है। इसे दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों प्रकार के बैंको में घनिष्ठतम सम्पर्क स्थापित किया जाय।

(7) प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति—बैंको की वर्तमान त्रुटियों को दूर करने तथा कार्यकुशलता का स्तर ऊँचा करने के लिए तत्काल आवश्यक है कि बैंको में प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों एंव अधिकारियों की नियुक्तियाँ की जायें। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बैंक कर्मचारियों के लिए वेतनों तथा सेवाओं की आवश्यक धनों में सुधार किये जायें।

(8) बैंकिंग काय प्रणाली में सुधार बैंको को यथासम्भव अपनी कार्यविधि में भी सुधार करना चाहिए। बैंकिंग काय में अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं का उपयोग करना चाहिए और हिसाब किताब रखने की रीतियों में सुधार होना चाहिए। बैंको को यथासम्भव अपनी प्रारक्षित निधि को सुदृढ बनाने का प्रयास करना चाहिए।

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks)

आपातकालीन स्थिति की घोषणा के उपरान्त 1 जुलाई 1975 को प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आसान शर्तों पर भूमिहीन किसानों एंव श्रमिकों को ऋण देने की व्यवस्था थी। इसके क्रियान्वित करने हेतु भारत सरकार ने समूचे देश में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित करने का निर्णय किया था। इन बैंको के दो प्रमुख उद्देश्य हैं प्रथम कृषि व्यापार वाणिज्य, उद्योगों तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। द्वितीय, छोटे छोटे साहसियों शिल्पकारों कृषि श्रमिकों तथा छोटे एंव अन्य सीमान्त किसानों के लिए साख एंव अन्य सुविधाएँ प्रदान करना। इन प्रादेशिक ग्रामीण बैंको की स्थापना करने हेतु 26 सितम्बर, 1975 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसका शीर्षक था The Regional Rural Bank Ordinance 1975 इस अध्यादेश के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ रु० थी लेकिन जारी अथवा प्रदत्त पूंजी (issue or paid up capital) केवल 25 लाख रुपये ही थी। इन बैंको की शेष पूंजी इस प्रकार एकत्रित की जानी थी केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकार 15 प्रतिशत तथा प्रायोजक व्यापारिक बैंक (Sponsoring Commercial Bank) 35 प्रतिशत।

प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक सरकार द्वारा निर्धारित स्थानीय सीमाओं के भीतर ही कार्य करता है इसका प्रबन्ध 9 सदस्यीय संचालक मण्डल द्वारा चलाया जाता है। संचालक मण्डल का अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रबन्ध चलाने समय संचालक मण्डल व्यावसायिक सिद्धान्तों एंव समय समय पर दिये गये सरकारी आदेशों से शासित होता है। सभी प्रादेशिक ग्रामीण बैंको को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की दूसरी सारणी में सम्मिलित कर दिया गया है। इस एक्ट में किये गये संशोधनों के अन्तर्गत रिजर्व बैंक इन बैंको को राष्ट्रीय कृषि साख (स्वायीकरण) कोष में से ऋण एंव पेशगिर्या देता है। रिजर्व बैंक की ओर से इन बैंको को एक रियायत भी दी गई है। अन्य अनुसूचित बैंको को अपनी कुल जमा-राशियों का 33 प्रतिशत तरल संपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है जबकि प्रादेशिक ग्रामीण बैंको के लिए यह प्रतिशत केवल 25 ही है। इसी प्रकार अनुसूचित बैंको को अपनी कुल मौद्रिक एंव समय देय-

ताजो का 6 प्रतिशत नकदी के रूप में रखना पड़ता है जबकि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अपनी देय-ताजो का केवल 3 प्रतिशत भाग ही नकदी में रखते हैं। यही नहीं, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा कमाये गये व्याज पर आय कर भी नहीं लगता।

प्रारम्भ में तो केवल पाँच बैंक ही स्थापित किये गये थे। इनकी स्थापना 2 अक्टूबर, 1975 को मुरादाबाद तथा गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), भिवानी (हरियाणा), जयपुर (राजस्थान) तथा मालवा (पश्चिमी बंगाल) में की गई थी। ये प्रादेशिक बैंक क्रमशः मिण्टीकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया पञ्जाब नगरपाल बैंक यूनाइटेड कॉमर्सियल बैंक तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रायोजित किये गये थे। ये नये प्रादेशिक बैंक मूलतः अनुसूचित वाणिज्य बैंक ही हैं लेकिन फिर भी वर्तमान वाणिज्यिक बैंको एव इन बैंको में कुछ अन्तर पाये जाते हैं।

(क) इनकी क्रियाएँ (Operations) एक निश्चित प्रदेश तक ही सीमित होती हैं। प्रदेश में एक अथवा अधिक जिले सम्मिलित होने हैं।

(ख) ये बैंक ऋण एवं अग्रिम विशेषकर छोटे तथा सीमान्त किसानों कृषि थ्रमिको, ग्रामीण गिरणकारों तथा व्यापार एवं अन्य उत्पादक वर्गों में लगे हुए छोटे साहसियों को देते हैं।

(ग) इन बैंको द्वारा ऋणों पर वसूल की जाने वाली धराज की दरें सहकारी समितियों की धराज-दरों से अधिक नहीं होती।

(घ) इन बैंको के कर्मचारियों के वर्तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा बलम से निर्धारित किये जाते हैं। ये वर्तमान राज्य सरकारों के कर्मचारियों के समतुल्य होते हैं।

9 जनवरी 1976 का भारत सरकार ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंको की संख्या को 50 से बढ़ाकर 60 करने का निर्णय लिया था। सरकार यह चाहती थी कि छोटे एवं सीमान्त किसानों, ग्रामीण शिल्पियों भूमिहीन श्रमिकों जैसे समाज के कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जायें। इसका कारण यह था कि इन वर्गों की सहकारी समितियों एवं व्यापारिक बैंको से पर्याप्त साध उपलब्ध नहीं हो रही थी।

30 नवम्बर, 1976 तक 33 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके थे। इन्होंने 372 शाखाएँ खोल रखी थीं। इनकी कुल जमा राशियाँ 4 65 करोड़ ₹० थीं। इन्होंने 77,400 खातों में 6 11 करोड़ ₹० के ऋण दे रखे थे।

इन बैंका का उद्देश्य ग्रामीण समाज में बैंकिंग जादनों को प्रासाहित करना एवं लोगों की बचता को जुटा कर देश के जायिक विकास में सहायता देना है। भाशा की जाती है कि कालान्तर में ये बैंक निजी साहकारों का स्थान ले लेंगे।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त सकेत

1. भारतीय सम्मिलित पूँजी वाले बैंकों की कमियाँ तथा कठिनाइयाँ क्या हैं? इनके सुधार के सुझाव दीजिए। (भागरा, वी० कॉम, 1964)
[सकेत—प्रथम भाग में व्यापारिक बैंको के दबाए एवं कठिनाइयों की स्पष्ट विवेचना कीजिए, दूसरे भाग में यह बताइए कि इन दोषों एवं कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है?]
2. भारतीय व्यावसायिक बैंकों के वर्तमान कार्यों पर प्रकाश डालिए। (भागरा, 1969)
[सकेत—भारतीय व्यावसायिक बैंक लगभग व सभी कार्य सम्पन्न करते हैं जो एक सम्मिलित पूँजीवाला बैंक करता है देखिए 'व्यापारिक बैंको के कार्य' नामक उपविभाग। इस सम्बन्ध में भारतीय व्यापारिक बैंको की वर्तमान स्थिति पर भी प्रकाश डालिए।]
3. व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। उद्योगों को यह किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? (विजय, 1968)
[सकेत—प्रथम भाग के लिए उपयुक्त अध्याय को देखिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि व्यापारिक बैंक उद्योग-धन्धों को कार्यकारी पूँजी हेतु अल्पकालीन ऋण दे सकते हैं। लेकिन स्मरण रह, व्यापारिक बैंक उद्योग-धन्धों का दीर्घकालीन ऋण देने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उनकी अपनी जमा राशियाँ अल्पकालीन होती हैं।]

भारत में विदेशी विनिमय बैंक (Foreign Exchange Banks in India)

विदेशी विनिमय बैंक क्या हैं ?

विदेशी विनिमय बैंको से अभिप्राय उन बैंकों से हैं जो विदेशी विनिमय का कार्य करते हैं अथवा विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्धन करते हैं। भारत में विदेशी विनिमय बैंको का इस समय महत्वपूर्ण स्थान है। इन बैंको का प्रारम्भ 19 वीं शताब्दी में हुआ था जबकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इन्हें कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की थी। तब से लेकर आज तक विदेशी विनिमय बैंको का भारत के विदेशी व्यापार में लगभग एकाधिकारात्मक स्थान (monopolistic position) चला आ रहा है। सन् 1947 से पूर्व भारतीय बैंको ने विदेशी विनिमय व्यवसाय में प्रविष्ट होने के प्रयत्न किये थे किन्तु उन्हें सफलता प्राप्त न हो सकी। उदाहरणार्थ, सर्वप्रथम सन् 1920 में एलाइन्स बैंक ऑफ सिम्ला (Alliance Bank of Simla) ने इस क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने का प्रयास किया था किन्तु इसे सफलता प्राप्त न हो सकी। इसी प्रकार सन् 1935 में सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (Central Bank of India) ने भी इस व्यवसाय में प्रविष्ट होने का असफल प्रयास किया था। भारतीय बैंको की इस असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(1) पूँजी का अभाव—विदेशी बैंको की तुलना में भारतीय बैंको की कार्यकारी पूँजी (Working Capital) बहुत कम थी। परिणामतः भारतीय बैंक अपनी पूँजी की अपर्याप्तता के कारण विदेशी बैंको का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

(2) शाखाओं की कमी—विदेशी बैंको की शाखाएँ लगभग सभी देशों में थी किन्तु भारतीय बैंको की शाखाएँ प्रिटेन को छोड़कर और कहीं नहीं थी। अतः भारतीय बैंक विदेशी विनिमय बैंको का मुकाबला नहीं कर सकते थे।

(3) सरकार की ओर से सुविधाएँ—सन् 1947 से पूर्व भारत सरकार विदेशी विनिमय बैंको को सभी प्रकार की सुविधाएँ दिया करती थी। किन्तु, दुर्भाग्यवश, ये सुविधाएँ भारतीय बैंको को उपलब्ध नहीं थी। इसके विपरीत, कभी-कभी विदेशी सरकारें उनके मार्ग में जान-बूझकर बाधाएँ पैदा कर दिया करती थी। यहाँ तक कि भारतीय बैंको को भारत सरकार से भी समुचित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती थी।

(4) विदेशी व्यापार पर विदेशियों का आधिपत्य—सन् 1947 से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार पर विदेशी व्यापारियों का ही आधिपत्य था और वे केवल विदेशी विनिमय बैंको द्वारा ही अपने व्यापार की वित्तीय व्यवस्था (finance) कराया करते थे। इस प्रकार भारतीय बैंको को दत्त व्यवस्था में प्रविष्ट होने के अवसर नहीं मिले जाते थे।

(5) योग्य तथा कुशल कर्मचारियों का अभाव—विदेशी बैंको की तुलना में भारतीय बैंको के कर्मचारी एवं अधिकारी कम योग्य तथा अकुशल होते थे। परिणामतः विदेशी बैंको की कार्य कुशलता का स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा हुआ करता था।

विदेशी विनिमय बैंकों के कार्य (Functions of Foreign Exchange Banks)

इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं

(1) आयात व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध (Financing Import Trade)— विदेशी विनिमय बैंक भारत के आयात व्यापार का बड़े पैमाने पर अर्थ प्रबन्ध करते हैं। बैंक आयात व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध कैसे करते हैं इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि भारतीय आयातकर्ता की लन्दन में अपनी एजेंसी है और वह ब्रिटेन से माल का आयात करता है। इस दशा में ब्रिटिश निर्यातकर्ता भारतीय आयातकर्ता पर विनिमय बिल लिखेगा और इसे आयातकर्ता की लन्दन स्थित एजेंसी से स्वीकार कराके लन्दन के किसी विनिमय बैंक से उसकी कटौती (discount) करा लेगा। इस प्रकार ब्रिटिश निर्यातकर्ता को अपने माल का मूल्य स्टर्लिंग के रूप में ब्रिटेन में ही प्राप्त हो जायगा। अब लन्दन में कटौती करने वाला विनिमय बैंक उस बिल को जहाजी रसीद समुद्री-बीमा तथा बीजक आदि प्रलेखों सहित भारत में स्थित अपनी शाखा को भेज देगा। बैंक की भारत स्थित शाखा 60 दिन की अवधि समाप्त होने पर उस बिल को आयातकर्ता के सम्मुख प्रस्तुत करके उसकी राशि प्राप्त कर लेगी और उसे अपने लन्दन कार्यालय में भेज देगी।

अब मान लीजिए कि भारतीय आयातकर्ता को लन्दन में अपनी एजेंसी नहीं है लेकिन फिर भी वह ब्रिटेन से माल का आयात करता है। इस दशा में ब्रिटेन का निर्यातकर्ता भारतीय आयातकर्ता पर विनिमय बिल लिखेगा और उसके साथ ही जहाजी रसीद समुद्री-बीमा रसीद तथा बीजक आदि जोड़कर लन्दन के किसी विनिमय बैंक से कटौती करा लेगा। लन्दन का वह बैंक तब इसे अपनी भारत स्थित शाखा में भेज देगा। भारत स्थित शाखा उस बिल को अधिकार पत्रों (Title Deeds) सहित भारतीय आयातकर्ता के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। यदि बिल शोधन-बिल (Document on Payment) है तब बैंक आयातकर्ता को बिल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद अधिकार पत्र सौंप देगा और जब बिल की परिपक्वता-अवधि (period of maturity) समाप्त हो जायगी, तब उस बिल को आयातकर्ता के सम्मुख पुनः प्रस्तुत करके उसकी रकम वसूल कर लेगा। स्मरण रहे कि उक्त दोनों ही अवस्थाओं में विनिमय-बिल स्टर्लिंग मुद्रा में लिखे जायेंगे।

(2) निर्यात व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध (Financing Export Trade) - विदेशी विनिमय बैंक निर्यात व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध भी बड़े पैमाने पर करते हैं। यह प्रायः विनिमय-बिलों की स्वीकृति तथा कटौती द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में विदेशी विनिमय बैंकों की कार्यविधि को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—मान लीजिए कि कोई भारतीय फर्म ब्रिटेन की किसी फर्म को माल का निर्यात करती है। तब वह ब्रिटिश फर्म पर अथवा उसके आदेश पर किसी बैंक पर विनिमय बिल लिखेगी और उस बिल को जहाजी रसीद, बीमा रसीद तथा बीजक सहित किसी विनिमय बैंक के माध्यम से ब्रिटिश फर्म को भेजेगी। विनिमय बैंक उस बिल पर ब्रिटिश आयातकर्ता फर्म की स्वीकृति प्राप्त करेगा। यदि भारतीय फर्म का विनिमय बैंक को यह आदेश है कि वह ब्रिटिश आयातकर्ता को जहाजी कम्पनी की रसीद केवल उसी परिस्थिति में दे जबकि ब्रिटिश आयातकर्ता उस बिल का पूर्ण भुगतान कर दे, तब ऐसे बिल को शोधन बिल (Document on Payment or D P) कहा जाता है। इसके विपरीत यदि भारतीय फर्म विनिमय बैंक को यह आदेश देती है कि वह केवल बिल पर ब्रिटिश आयातकर्ता की स्वीकृति प्राप्त करके जहाजी रसीद उसे सौंप दे, तब बिल को स्वीकृति-बिल (Document on Acceptance) कहा जाता है। स्वीकृत बिल साधारणतः लीन महीनों में शोधनीय (payable) होता है। भारत के अधिकांश निर्यात व्यापार का अर्थ प्रबन्ध प्रायः स्वीकृत बिलों द्वारा ही किया जाता है। जब ब्रिटिश आयातकर्ता बिल को स्वीकार करके विनिमय बैंक को लौटा देता है तब बैंक उस स्वीकृत बिल को अपनी भारत स्थित शाखा को भेज देता है और वह उसे भारतीय निर्यातकर्ता को लौटा देती है। भारतीय निर्यातकर्ता उस बिल को तब तक अपने पास रखता है जब तक वह परिपक्व (Mature) नहीं हो जाता। जब वह परिपक्व हो जाता है तो भारतीय निर्यातकर्ता उसे पुनः

विनिमय बैंक के माध्यम से ब्रिटिश आयातकर्ता को भुगतान प्राप्त करने हेतु भेज देता है, परन्तु साधारणतः भारतीय व्यापारी बिल के परिपक्व होने की प्रतीक्षा नहीं करता। वह उसे विनिमय बैंक से भुना (Discount) लेता है और विनिमय बैंक उस बिल को परिपक्व होने तक अपने पास रखता है। जब यह बिल परिपक्व हो जाता है तब विनिमय बैंक अपनी लन्दन स्थित शाखा द्वारा उस बिल की राशि ब्रिटिश आयातकर्ता से वसूल कर लेता है। इस प्रकार विनिमय बैंक भारतीय निर्यातकर्ता को बिल की राशि स्वयं से दे देता है और बिल के परिपक्व होने पर उसकी राशि स्टर्लिंग में ब्रिटिश आयातकर्ता से प्राप्त कर लेता है।

(3) आन्तरिक व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध (Financing Internal Trade)—विदेशी विनिमय बैंक केवल विदेशी व्यापार का ही अर्थ-प्रबन्ध नहीं करते, बल्कि विगत कई वर्षों से उन्होंने भारत के आन्तरिक व्यापार का भी अर्थ-प्रबन्ध करना आरम्भ कर दिया है। ये बैंक देश में बन्दरगाहों से भीतरी नगरों और भीतरी नगरों से बन्दरगाहों तक माल के लाने-ले जाने में अधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकांश विनिमय बैंकों ने देश के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में अपनी शाखाएँ खोल रखी हैं। इस प्रकार ये बैंक न केवल विदेशी व्यापार बल्कि आन्तरिक व्यापार का भी अर्थ-प्रबन्ध करते हैं, चूँकि इनके पास इस कार्य के लिए पर्याप्त साधन होते हैं, इसलिए ये आन्तरिक व्यापार में भारतीय व्यापारिक बैंकों से कहीं प्रतियोगिता करते हैं। इस प्रतियोगिता से भारतीय व्यापारिक बैंकों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समय देश के कुछ भागों में किये जाने वाले आन्तरिक व्यापार पर इन बैंकों का लगभग पूर्ण एकाधिकार है। जैसे काबुल के चमड़े के व्यापार तथा पश्चिमी बंगाल के जूट के व्यापार पर विदेशी विनिमय बैंक बुरी तरह से छाये हुए हैं।

(4) साधारण बैंकिंग कार्य (Ordinary Banking Functions)—कुछ विदेशी विनिमय बैंक साधारण बैंकिंग कार्य भी सम्पन्न करते हैं। वे लोगों से निक्षेप स्वीकार करते हैं, व्यापारियों को ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट (Overdraft) सम्बन्धी सुविधायें देते हैं, देशी एवं विदेशी बिलों की कटौती करते हैं। धन के स्थानांतरण की सुविधायें प्रदान करते हैं तथा अपने ग्राहकों की ओर से उनके एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। चूँकि इन बैंकों की साख एवं प्रतिष्ठा ऊँची होती है, इसलिए लोगों का उनमें अधिक विश्वास होता है। परिणामतः वे अपेक्षाकृत कम ब्याज की दरों पर निक्षेप आकर्षित करने में सफल हो जाते हैं।

विदेशी विनिमय बैंकों की वर्तमान परिस्थिति

इस समय भारत में 14 विदेशी विनिमय बैंक कार्य कर रहे हैं। कुछ प्रमुख विदेशी विनिमय बैंकों के नाम इस प्रकार हैं—चार्टर्ड बैंक (Chartered Bank), मरकेन्टाइल बैंक (Mercantile Bank), ईस्टर्न बैंक (Eastern Bank) हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन (Hongkong and Shanghai Banking Corporation), नेशनल एण्ड सिण्डिकेटेड बैंक (National and General Bank), फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक (First National City Bank), बैंक ऑफ अमेरिका (Bank of America), बैंक ऑफ टोकियो (Bank of Tokyo), बैंक नेशनल डी पेरिस (Banque National de Paris), एलजीमेन बैंक ऑफ नेदरलैंड (Algemeen Bank of Netherland), ब्रिटिश बैंक ऑफ दि मिडिल ईस्ट (British Bank of the Middle East) मितसुई बैंक (Mitsui Bank) इत्यादि। इनमें से कुछ बैंक बहुत लम्बे समय से भारत में कार्य करते आ रहे हैं। कुछ तो भारत के प्रमुख मिथिन पूँजी बैंकों की स्थापना से पहले ही देश में कार्य कर रहे थे। इन्होंने भारत में वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की नींव रखी थी। भारत में इन्होंने बैंकिंग आदत का विकास किया है तथा देश के विदेशी व्यापार की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, विदेशी व्यापार में आज भी विनिमय बैंकों का लगभग पूर्ण एकाधिकार है। रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार आयात बिलों में इन बैंकों का भाग लगभग 90 प्रतिशत है और निर्यात बिलों में इनका भाग लगभग 70 प्रतिशत है। विदेशी विनिमय बैंकों की सफलता के मुख्य कारण इस प्रकार हैं

(1) दीर्घकाल से कार्य—विदेशी विनिमय बैंक भारत में बहुत लम्बे समय से बैंकिंग कार्य

करते आ रहे हैं। अतः इनकी जड़ें अधिक मजबूत हो चुकी हैं। इनकी साख तथा प्रतिष्ठा बहुत ऊँची है। साधारणतः जनता का इनमें अधिक विश्वास होता है।

(2) विश्वास साधन—विदेशी विनिमय बैंको के वित्तीय साधन भारतीय बैंको की तुलना में कहीं अधिक हैं। इसका कारण स्पष्ट है। इन बैंको का विदेशी के मुद्रा-बाजारों से प्रत्यक्ष सम्पर्क रहता है जिसकी सहायता से ये अपने वित्तीय साधनों को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा सकते हैं।

(3) भारत में विदेशी व्यापार पर विदेशियों का आधिपत्य—सन् 1947 से पूर्व भारत के आयात-निर्यात व्यापार पर विदेशी व्यापारियों का आधिपत्य हुआ करता था और वे अपना विदेशी विनिमय व्यवसाय इन्हीं बैंको को दिया करते थे। परिणामतः भारतीय बैंको को विकसित होने का अवसर ही नहीं मिलता था। सन् 1947 के बाद भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय व्यापारियों का भाग बढ़ गया है लेकिन फिर भी विदेशी विनिमय बैंको की स्थिति में कोई आधारा-मूलक परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि भारतीय व्यापारी भी विदेशी व्यापार सम्बन्धी बैंकिंग व्यवसाय में विदेशी बैंको को ही प्राथमिकता देते हैं।

(4) बैंको का कुशल प्रबन्ध—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, भारतीय बैंको की तुलना में विदेशी विनिमय बैंको की कार्यकुशलता का स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा होता है। परिणामतः साधारण जनता का भारतीय बैंको की तुलना में विदेशी बैंको में अधिक विश्वास होता है।

(5) नियन्त्रण का अभाव—सन् 1947 से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने इन बैंको पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं लगाया था, बल्कि उन्हें कई प्रकार की सुविधाएँ दी जाती थीं जो भारतीय बैंको को उपलब्ध नहीं होती थी। फलतः इन बैंको की स्थिति भारतीय बैंको की तुलना में अधिक सुदृढ़ रहती थी।

विदेशी विनिमय बैंको की सख्या में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। सन् 1960-61 में इनकी सख्या 15 थी। सन् 1975-76 में यह सख्या 14 हो गई थी। लेकिन इनके निक्षेपों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सन् 1960-61 में इन बैंको के कुल निक्षेप 217 85 करोड़ रुपये थे लेकिन सन् 1975-76 में बढ़कर 853 46 करोड़ रुपये हो गये थे। इन बैंको के निक्षेप-नकदी अनुपात में अधिकांशतः ह्रास ही हुआ है। सन् 1960-61 में यह अनुपात 5 59 प्रतिशत था लेकिन सन् 1975-76 में यह बढ़कर 6 16 प्रतिशत हो गया था। इन बैंको के अधिमो एवं ऋणों में निरन्तर वृद्धि हुई है। सन् 1960-61 में इनके ऋण एव अधिम 233 95 करोड़ रुपये थे लेकिन सन् 1975-76 में ये बढ़कर 628 06 करोड़ रुपये हो गये थे।

विदेशी विनिमय बैंको के दोष

इनके दोष निम्नलिखित हैं

(1) भारतीय व्यापारिक बैंकों से अनुचित प्रतिस्पर्धा—विदेशी विनिमय बैंक भारतीय बैंको से अनुचित प्रतिस्पर्धा करते हैं। अपने विशाल वित्तीय साधनों का लाभ उठाते हुए वे भारतीय जनता से कम व्याज की दरों पर निक्षेप प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ये बैंक स्वयं को विदेशी व्यापार तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि आन्तरिक व्यापार में भी भारतीय बैंको से प्रतियोगिता करते हैं।

(2) भारतीय जमाकर्ताओं के हितों की उपेक्षा—सन् 1947 से पूर्व समुचित सरकारी नियन्त्रण के अभाव में ये बैंक भारतीय जमाकर्ताओं के हितों की उपेक्षा किया करते थे, परन्तु सन् 1949 के बैंकिंग नियमन अधिनियम के अन्तर्गत इन पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप भारतीय जमाकर्ताओं के हित अब इतने अमुरक्षित नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे।

(3) विदेशों में नीति-निर्धारण—इन बैंको के प्रधान कार्यालय विदेशों में स्थित होते हैं। अतः इनकी नीतियों का निर्धारण भी विदेशों में ही किया जाता है। इस प्रकार इन बैंको के नीति-निर्धारण में भारतीयों का कुछ भी भाग नहीं होता। इसके अलावा, इन बैंको की नीतियों का निर्धारण भारतीय हितों को सामने रखकर नहीं किया जाता।

(4) बैंकिंग नीति तथा कार्यों में गोपनीयता—सन् 1949 के बैंकिंग नियमन अधिनियम से पूर्व इन बैंकों की आधारमूलक नीतियाँ एवं बैंकिंग कार्य अत्यन्त गोपनीय रखे जाते थे। यहाँ तक कि इनके हिसाब-किताब का भारत में अकेक्षण (Auditing) तक नहीं होता था और न ही इनका वार्षिक स्थिति-विवरण प्रकाशित किया जाता था। परन्तु बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत अब यह दोष लगभग समाप्त कर दिया गया है।

(5) भारत में तफ़ार-कोषों का कम अनुपात रखना—विदेशी विनिमय बैंक अपने निक्षेपों का एक बहुत ही कम प्रतिशत तफ़ार-कोषों के रूप में भारत में रखते हैं। ये अपनी साख़ एवं प्रतिष्ठा के कारण इतना कम प्रतिशत बनाये रखने में भी सफल हो जाते हैं।

(6) भारतीय आयातकर्ताओं को शोधन-बिल स्वीकार करने के लिए विवश करना—ये बैंक भारतीय निर्यातकर्ताओं को तो स्वीकृत-बिलो (Document on Acceptance) के आधार पर माल का निर्यात करने के लिए विवश करते हैं, परन्तु भारतीय आयातकर्ताओं को विदेशों के माल का आयात शोधन-बिलो (Document on Payment) के आधार पर करने के लिए बहूते हैं। वास्तव में, इनकी यह नीति न्यायसंगत नहीं है।

(7) भारतीय व्यापारियों को आर्थिक स्थिति के बारे के झूठी सूचनाएँ देना—इन बैंकों के विरुद्ध यह भी कहा जाता है कि ये भारतीय व्यापारिक फर्मों को आर्थिक स्थिति के बारे में विदेशी व्यापारियों को गलत सूचनाएँ देते हैं। इस प्रकार भारतीय व्यापारिक फर्मों की प्रतिष्ठा एवं साख़ पर इन बैंकों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(8) विदेशी बीमा एवं जहाज़ी कम्पनियों को प्रोत्साहन देना—ये बैंक प्रायः विदेशी बीमा एवं जहाज़ी कम्पनियों को ही प्रोत्साहित करते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय व्यापारियों पर अनुचित दबाव डाला करते हैं कि वे विदेशी कम्पनियों की ही सेवाओं का प्राथमिकता दें। इस प्रकार इन बैंकों के कारण भारतीय बीमा तथा जहाज़ी कम्पनियों को हानि उठानी पड़नी है।

(9) भारतीय व्यापारियों से अनुचित दण्ड वसूल करना—विदेशी विनिमय बैंकों की यह आलोचना भी की जाती है कि वे भारतीय व्यापारियों द्वारा प्रसविदा की जर्तों की अवहेलना किये जाने पर उनसे भारी आर्थिक दण्ड वसूल करते हैं। वास्तव में, ये बैंक भारतीय व्यापारियों के साथ कई प्रकार का अनुचित भेदभाव करते हैं।

(10) भारतीय पूंजी का विदेशों में उपयोग करना—ये बैंक प्रायः भारतीय पूंजी को एकत्रित करके विदेशों में औद्योगिक तथा अन्य प्रतिष्ठितियों में लगाया करते थे। इस प्रकार इन बैंकों की नीतियाँ भारत विरोधी थीं।

(11) भारतीयों को उच्च पदों का न देना—ये बैंक भारतीयों को प्रायः ऊँचे पदों से वंचित रखा करते थे। परिणामतः भारतीय कर्मचारी विदेशी विनिमय व्यवसाय में उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ रहते थे। इसके अलावा, ये बैंक भारतीय कर्मचारियों के साथ पक्षपात का व्यवहार किया करते थे। परन्तु विगत कुछ वर्षों से सरकारी दबाव व कारण इन्होंने ऊँचे पदों का कुछ भारतीयकरण करना आरम्भ कर दिया है।

बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत विदेशी विनिमय

बैंकों पर लगाये गये प्रतिबन्ध

विदेशी विनिमय बैंकों के उपर्युक्त दोषों के ही कारण बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत इन पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाय गये हैं।

(1) रिज़र्व बैंक के पास पर्याप्त धनराशि जमा करना—प्रत्येक विदेशी विनिमय बैंक को 15 लाख रुपये की पुनर्नी पूंजी तथा प्रारम्भित निधि रिज़र्व बैंक के पास जमा रखना अनिवार्य है। यदि बैंक का व्यवसाय बम्बई तथा फलकता जैसे बड़े नगरों में भी होता है तब उसे 20 लाख रुपये की चुकती-पूँजी तथा प्रारम्भित निधि रिज़र्व बैंक के पास जमा करनी पड़ती है। इन बैंकों को यह छूट दी गयी है कि उक्त धनराशि वे रिज़र्व बैंक के पास नकदी अथवा स्वीकृत प्रतिष्ठितियों के रूप में रख सकते हैं।

36

भारत में देशी बैंकर्स (Indigenous Bankers in India)

देशी बैंकर की परिभाषा

जसा हम पूर्व देख चुके हैं—भारतीय मुद्रा बाजार में देशी बैंकरोँ तथा महाजनोँ का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति के अनुसार देशी बैंकर अथवा बैंक वह व्यक्ति अथवा निजी फर्म होती है जो निक्षेपो को स्वीकार करने ट्टुविद्यो का व्यवसाय करने अथवा ऋणो को देने का काम करती है। देशी बैंकरोँ को भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। पंजाब में इन्हे महाजन उत्तर प्रदेश में साहूकार मारवाड़ में सेठ महाराष्ट्र में सर्राफ तथा मद्रास में चेट्टी कहा जाता है। देशी बैंकर्स भारत में प्राचीन समय से बैंकिंग काम करते आ रहे हैं। इनका कामशेव मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे छोटे नगरों तथा कस्बों तक ही सीमित रहता है, यद्यपि देशी बैंकर्स बड़े बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्रों में भी पाये जाते हैं। देशी बैंकरोँ का मुख्य कार्य कृषि आन्तरिक व्यापार तथा छोटे उद्योग-धन्धों की वित्तीय व्यवस्था करना है।

देशी बैंकर तथा साहूकार में अन्तर

य इस प्रकार हैं

(1) देशी बैंकर न केवल ऋण ही देता है, बल्कि अपने ग्राहको से निक्षेप भी स्वीकार करता है। इसके विपरीत, साहूकार ग्राहको को केवल ऋण ही देता है, उनसे निक्षेप स्वीकार नहीं करता है।

(2) देशी बैंकर मुख्यतः व्यापार एवं उद्योग धन्धों के लिए ऋण देता है जबकि साहूकार कृषि एवं उपभोग्य उद्देश्यों (Consumption Purposes) के लिए ऋण देता है।

(3) देशी बैंकर साहूकार की अपेक्षा कम व्याज की दर पर ऋण देता है।

(4) देशी बैंकर मुख्यतः बैंकिंग कार्य ही करता है जबकि साहूकार ऋण देने के अलावा दुकानदारों अथवा व्यापार भी करता है।

देशी बैंकरोँ के काम (Functions of Indigenous Bankers)—देशी बैंकरोँ के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(क) बैंकिंग कार्य, (ख) गैर बैंकिंग कार्य।

(क) बैंकिंग कार्य (Banking Functions) — देशी बैंकरोँ के बैंकिंग कार्य निम्नलिखित हैं

(1) निक्षेप स्वीकार करना—देशी बैंकर अपने ग्राहको से निक्षेप भी स्वीकार करते हैं। ये निक्षेप दो प्रकार के होते हैं—प्रथम, वे निक्षेप जो माँग पर देय (Payable on Demand) होते हैं। दूसरे वे निक्षेप जो एक निश्चित अवधि के बाद देय होते हैं। साधारणतः देशी बैंकर व्यापारिक बैंको की अपेक्षा निक्षेपो पर ऊँची व्याज की दर देते हैं किन्तु उनके निक्षेपो को बैंको द्वारा नहीं निकाला जा सकता है।

(2) ऋणों का देना—वास्तव में यह देगो बैंकरो का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। देशी बैंकर लगभग सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। साधारणतः वे भूमि, फसल, सोना, चाँदी के आधार पर ऋण देते हैं। वे कभी कभी अपने ग्राहकों को वस्तुओं के रूप में भी ऋण देते हैं और उसे वस्तुओं के रूप में ही वसूल करते हैं। उदाहरणार्थ, ये कभी कभी कारी-गरो को कच्चा माल उधार देते हैं और तैयारशुद्ध माल उनसे लेते हैं। बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में देशी बैंकरो की कुछ बड़ा बड़ी फर्मों उद्योगपतियों को भी उचित प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देती हैं। देशी बैंकर व्यक्तिगत जमानत (Personal Security) पर भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं यद्यपि ऐसे ऋणों पर वे ऊँची व्याज की दर लेते हैं। साधारणतः अच्छी प्रतिभूतियों के आधार पर दिये गये ऋण के लिए वे 6 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत तक व्याज वसूल करते हैं किन्तु घटिया अथवा अपर्याप्त प्रतिभूतियों के आधार पर दिये गये ऋण पर वे कभी-कभी 50 प्रतिशत तक व्याज लेते हैं।

देशी बैंकरो की उधार देने की विधियाँ इस प्रकार हैं

(अ) प्रतिज्ञा-पत्र के आधार पर ऋण—साधारणतः देशी बैंकर प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर ही ऋण देते हैं। वे ऋणी से एक प्रतिज्ञा-पत्र लिखा लेते हैं जिसमें ऋणी एक निश्चित अवधि के बाद मूलधन को व्याज सहित लौटाने का वायदा करता है। इस प्रतिज्ञा-पत्र पर ऋणी के अलावा दो अन्य व्यक्तियों के जमानती हस्ताक्षर भी करा लिये जाते हैं।

(आ) रसीद के आधार पर ऋण—इसमें देशी बैंकर प्रतिज्ञा पत्र के स्थान पर ऋण लेने वाले व्यक्ति से केवल एक रसीद ही लिखवाता है। उसी रसीद में व्याज की दर भी लिख दी जाती है। वास्तव में, यह ऋण देने का बहुत ही सरल तरीका है।

(इ) तमस्सुक के आधार पर ऋण—कभी कभी देशी बैंकर ऋणी से तमस्सुक अथवा दस्तावेज लिखवा लेते हैं। ये दस्तावेज स्टाम्प के कागजों पर लिखे जाते हैं। इसमें ऋणी मूलधन को निश्चित व्याज की दर पर निश्चित अवधि के उपरान्त लौटाने का वचन देता है।

(ई) टिकट बही—इसके अन्तर्गत ऋण की रकम बैंकर की बही में लिख दी जाती है और उभने सामने सरकारी टिकट पर ऋणी के हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं। इसमें व्याज की दर तथा ऋण लौटाने की अवधि का उल्लेख नहीं किया जाता है। ये दोनों ऋणी तथा ऋणदाता में आपसी बातचीत द्वारा तय कर लिये जाते हैं। स्मरण रहे कि इस प्रकार के ऋणों को न्यायालय भी मान्यता देता है।

(उ) किस्त प्रणाली—किस्त प्रणाली के अन्तर्गत ऋणी मूलधन तथा व्याज को निश्चित किस्तों में चुकान का वचन देता है। पहली किस्त ऋण देते समय ही ऋण की राशि में से काट ली जाती है।

(ऊ) हाथ उधार—इसमें बिना किसी लिखित पत्र के ऋणदाता ऋणी को उधार दे देते हैं। कभी कभी उधार लेने वाला व्यक्ति ऋण को लौटाने की शपथ भी लेता है। परन्तु इस प्रकार के उधार में किसी प्रकार की लिखा पट्टी नहीं होती। स्पष्ट है कि इस प्रकार का उधार केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जिनमें ऋणदाता का विश्वास होता है।

(ए) गिरवी—इसमें ऋणदाता सोना चाँदी, जेवरात तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के आधार पर ऋण को ऋण देता है। दूसरे शब्दों में ऋणदाता इन वस्तुओं की आड रखकर ही ऋणी को ऋण प्रदान करता है। स्मरण रहे कि ऋणदाता प्रतिभूति के रूप में रखी गयी वस्तु का पूर्ण मूल्य ऋण के रूप में नहीं देता बल्कि अपनी सुरक्षा हेतु कुछ मार्जिन (margin) अवश्य रख लेता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई ऋणी जेवरात की जमानत पर ऋण लेना चाहता है तो ऋणदाता जेवरात के पूर्ण मूल्य को उसे ऋण के रूप में नहीं देगा बल्कि जेवरात के मूल्य का $\frac{1}{2}$ या $\frac{1}{3}$ ऋण के रूप में प्रदान करेगा।

(ऐ) रहन—इसके अन्तर्गत, ऋणदाता भूमि, मकान आदि अचल सम्पत्ति को अपने पास रखकर ऋणी को ऋण देता है। स्मरण रहे, यहाँ पर भी ऋणदाता अपनी सुरक्षा हेतु अचल सम्पत्ति

के मूल्य में कुछ माजिन अवश्य ही रख लेता है। गिरवी तथा रहन में अन्तर केवल इतना होता है कि गिरवी चल सम्पत्ति से और रहन अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित होता है।

(ओ) जिन्स के रूप में ऋण—गाँव का साहूकार कभी कभी किसानों को जिस के रूप में भी ऋण देता है, अर्थात् वह मुद्रा के रूप में न देकर अनाज के रूप में उन्हें ऋण देता है। इस प्रकार के ऋण किसानों द्वारा फसल तैयार हो जाने पर लौटा दिये जाते हैं। साधारणतः मूल ऋण का सवाया अथवा ड़ोडा साहूकार को लौटाया जाता है।

(3) हुण्डियों का व्यवसाय—देशी बैंकर उपर्युक्त दो कार्यों के अतिरिक्त हुण्डियों का व्यवसाय भी करते हैं। वे हुण्डियाँ लिखते हैं तथा उनका क्रय-विक्रय करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे व्यापारियों को हुण्डियों की कटौती (Discount) भी करते हैं। वास्तव में देशी बैंकरो का हुण्डी व्यवसाय उनके लिए बहुत ही लाभपूर्ण होता है।

(ख) गैर बैंकिंग कार्य (Non Banking Functions) इनके गैर बैंकिंग कार्य इस प्रकार हैं

(1) दुकानदारी—अधिकांश देशी बैंकर उपरोक्त बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त व्यापार एवं दुकानदारी भी करते हैं। कुछ बैंकरो का व्यापार तथा दुकानदारी इनके बैंकिंग कार्यों से भी अधिक लाभपूर्ण होता है। इस प्रकार अधिकांश देशी बैंकर बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग कार्यों को एक साथ करते हैं।

(2) व्यापारिक फर्मों के एजेंट के रूप में कार्य—कभी-कभी देशी बैंकर साधारण व्यापार के साथ साथ बड़ी बड़ी फर्मों के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। वे उनका माल बेचने हैं और उसके लिए उनसे निश्चित कमीशन प्राप्त करते हैं।

देशी बैंकरो की पूंजी—देशी बैंकर साधारणतः अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों की पूंजी से भी काम चलाते हैं। परन्तु कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर वे व्यापारिक बैंकों से भी उचित प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्राप्त करते हैं। व्यापारिक बैंक ऊँची साख एवं प्रतिष्ठा वाले देशी बैंकरो को ऋण देने के लिए सबै तैयार रहते हैं। ये इन्हें न केवल ऋण ही देते हैं बल्कि इनकी हुण्डियों की कटौती भी करते हैं। वे इन्हें सस्ती दरों पर घन स्थान्तरण सम्बन्धी सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं।

देशी बैंकरो की कार्य-प्रणाली के दोष एवं त्रुटियाँ

(1) बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग व्यवसायों का सम्मिश्रण—जैसा ऊपर कहा गया है, देशी बैंकर साधारणतः बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग व्यवसायों को एक साथ चलाते हैं। वास्तव में, यह प्रथा बैंकिंग के समुचित सिद्धान्तों के विपरीत है। एक अच्छे बैंकर को किसी भी दशा में गैर-बैंकिंग व्यवसाय नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसके बैंकिंग व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो इससे बैंकर को अपने बैंकिंग व्यवसाय में बहुत हानि हो जाती है।

(2) पूंजी का अभाव—देशी बैंकरो के पास पूंजी की कमी रहती है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी पूंजी सीमित होती है और अन्य स्रोतों से उन्हें पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध नहीं होती। परिणामतः उनका बैंकिंग व्यवसाय सीमित ही रहता है।

(3) बैंकिंग सिद्धान्तों की अवहेलना—देशी बैंकर साधारणतः समुचित बैंकिंग सिद्धान्तों का परिपालन नहीं करते हैं और अक्सर अपर्याप्त एवं घटिया विस्म की प्रतिभूतियों के आधार पर भी ऋण दे देते हैं। इसके अलावा वे प्रायः अचल सम्पत्ति के आधार पर भी ऋण देना स्वीकार कर लेते हैं जो समुचित बैंकिंग सिद्धान्तों के बिलकुल विपरीत है। यही नहीं, देशी बैंकर कभी-कभी व्यक्तिगत जमानत पर भी उधार दे देते हैं। इससे उन्हें कभी-कभी बहुत हानि उठानी पड़ती है।

(4) कार्यविधि में असमानता—देशी बैंकरो की कार्यविधियों में भारी अन्तर पाया जाता है। परिणामतः इनके बैंकिंग कार्यों का निरीक्षण एवं अवेक्षण (auditing) करना बहुत कठिन होता है।

(5) **हिस्साब-किताब की गोपनीयता**—देशी बैंकर अपने बैंकिंग कार्य सम्बन्धी हिस्साब-किताब को अत्यन्त गोपनीय रखते हैं। वे न तो हिस्साब किताब का अन्वेषण कराते हैं और न ही अपने वार्षिक विवरण-पत्रों को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार रिजर्व बैंक को उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में बिलकुल भी जानकारी नहीं होती है।

(6) **परस्पर प्रतियोगिता**—संगठित बैंकों की भाँति देशी बैंकरो में कड़ी प्रतियोगिता रहती है जिससे व्यवसाय में विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(7) **ऊँची व्याज की दरें**—साधारणतः देशी बैंकर ऋण देते समय अपने ग्राहकों से संगठित बैंकों की तुलना में बहुत ऊँची व्याज दरें वसूल करते हैं।

(8) **धोखाधड़ी**—छोटे छोटे देशी बैंकर एवं साहूकार बैंकिंग व्यवसाय में धोखाधड़ी करने भी बाज नहीं आते। इनमें ग्राहकों का लूटने की कई प्रकार की कुप्रथाएँ प्रचलित हैं। उदाहरणार्थ ऋण राशि में से अनुचित कटौतियाँ करना, ऋण की मात्रा को बढ़ाकर लिखना, ऋण प्राप्ति की रसीद न देना आदि।

देशी बैंकरो की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के सुझाव

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं

(1) **देशी बैंकरो की रिजर्व बैंक से सम्बन्धित करना**—प्रथम सुझाव यह दिया गया है कि देशी बैंकरो को रिजर्व बैंक से सम्बन्धित किया जाय। इसके फलस्वरूप देशी बैंकरो के दोष एवं त्रुटियाँ स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी और वे संगठित आधार पर बैंकिंग व्यवसाय करने लगेंगे। इसके अलावा, रिजर्व बैंक से सम्बन्धित होने के माते उन्हें सभी सुविधाएँ उपलब्ध होने लगेंगी जो इस समय अनुसूचित बैंकों को दी जाती हैं अर्थात् वे भी रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और अपने बिलों को पुनः कटौती करा सकेंगे।

(2) **देशी बैंकरो का बैंकिंग व्यवसाय उनके गैर-बैंकिंग व्यवसाय से पृथक् करना**—यह भी सुझाव दिया गया है कि देशी बैंकरो को या तो अपने गैर बैंकिंग व्यवसाय समाप्त कर देने चाहिए और यदि यह सम्भव न हो तो उन्हें अपने बैंकिंग व्यवसाय को गैर बैंकिंग व्यवसाय से बिलकुल अलग कर देना चाहिए। इससे उनकी काय प्रणाली में आवश्यक सुधार करने में बहुत सहायता मिलेगी।

(3) **उनके बैंकिंग कार्य को आधुनिक आधार पर संगठित करना**—तीसरा सुझाव यह दिया गया है कि देशी बैंकरो को अपना बैंकिंग कार्य आधुनिक प्रणाली के आधार पर संगठित करना चाहिए। उन्हें अपनी प्राचीन एवं परम्परागत कार्य प्रणाली का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। उन्हें अपने हिस्साब-किताब को वैज्ञानिक आधार पर रखना चाहिए और समय समय पर उनका अन्वेषण कराना चाहिए।

(4) **उन्हें असौमित देयता के आधार पर संगठित करना**—चौथा सुझाव यह दिया गया है कि देशी बैंकरो को असौमित देयता (Unlimited Liability) के आधार पर संगठित किया जाना चाहिए क्योंकि इसी प्रणाली के अन्तर्गत वे अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करेंगे और औखिमपूर्ण कार्यों से बचने का प्रयत्न करेंगे।

(5) **उनकी आपसी प्रतियोगिता को समाप्त करना**—इस सम्बन्ध में पाँचवा सुझाव यह दिया गया है कि देशी बैंकरो की आपसी प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए उनके मध्य बना दिये जायें अर्थात् छोटे छोटे देशी बैंकरो का विलय करके बड़ी बड़ी बैंकिंग फर्म स्थापित की जायें।

(6) **धोखाधड़ी की रोकथाम करना**—देशी बैंकरो की राख एवं प्रतिष्ठा को ऊँचा करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उनके द्वारा किये गये धोखाधड़ी के व्यवहार पर कानून बना कर उचित नियन्त्रण किया जाय।

यदि उपर्युक्त सुझावों को कार्यरूप में परिणत किया जाय तो देशी बैंकरो की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार किये जा सकते हैं और उन्हें देश की बैंकिंग प्रणाली का सम्मानित अंग बनाया जा सकता है।

देशी बैंकों को संगठित बैंकिंग प्रणाली में सम्मिलित करने की योजनाएँ

जैसा हम पूर्व कह चुके हैं—रिजर्व बैंक के निर्माणकर्ताओं ने रिजर्व बैंक एक्ट में ही यह व्यवस्था कर दी थी कि रिजर्व बैंक शीघ्रातिशीघ्र देशी बैंकों को देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली में सम्मिलित करने का प्रयत्न करेगा। इसी आदेशानुसार सन् 1937 में रिजर्व बैंक नए योजना बनायी थी जिसके अन्तर्गत कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ण करने पर देशी बैंकों को रिजर्व बैंक की स्वीकृत सूची में सम्मिलित किया जा सकता था। ये शर्तें इस प्रकार थीं।

(क) न्यूनतम व्यवसाय—केवल उसी बैंक को रिजर्व बैंक की स्वीकृत सूची में सम्मिलित किया जा सकता था जिसका व्यवसाय कम से कम 2 लाख रुपये का था और जो उम 5 वर्ष की अवधि में 5 लाख रुपये के बराबर करने को तैयार था।

(ख) गैर-बैंकिंग व्यवसाय की समाप्ति—प्रत्येक ऐसे देशी बैंक के लिए अपना गैर-बैंकिंग व्यवसाय पूर्णतः समाप्त करना आवश्यक था।

(ग) निरीक्षण एवं अन्वेषण—प्रत्येक ऐसे देशी बैंक को अपने हिसाब-किताब का अन्वेषण कराना अनिवार्य था। इसके अलावा, उसे समय-समय पर रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा अपने बैंकिंग कार्य का निरीक्षण कराना जरूरी था।

(घ) आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना—प्रत्येक ऐसे देशी बैंक के लिए यह भी आवश्यक था कि वह समय-समय पर अपने बैंकिंग कार्य से सम्बन्धित स्थिति-विवरण रिजर्व बैंक को भेजता रहे और निश्चित समयों पर उनका प्रकाशन भी करता रहे।

(ङ) सघो का निर्माण—जो देशी बैंक रिजर्व बैंक से सुविधाएँ प्राप्त करने के इच्छुक थे उनके लिए यह आवश्यक था कि वे अपने आपकी संघों में संगठित करें।

इन शर्तों के साथ ही साथ रिजर्व बैंक ने देशी बैंकों को वे सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था की जो अन्य अनुसूचित बैंकों की उपलब्ध थी। परन्तु इसके बावजूद भी देशी बैंकों ने रिजर्व बैंक की उक्त योजना की स्वीकार नहीं किया। इसके तीन कारण थे—प्रथम, देशी बैंक अपना गैर-बैंकिंग व्यवसाय अर्थात् व्यापार, दुकानदारी इत्यादि छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे वे अपने हिसाब-किताब का भी रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण कराने के विरुद्ध थे। तीसरे चूंकि उन्हें व्यापारिक बैंकों से पहले ही पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल रही थी, इसलिए उन्हें रिजर्व बैंक की योजना में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। अतः उन्होंने रिजर्व बैंक की योजना को अस्वीकार कर दिया था।

तदुपरान्त, सन् 1938 में रिजर्व बैंक ने अपनी योजना की शर्तों को और अधिक सरल बना दिया, लेकिन इसके बावजूद देशी बैंकों ने उसे स्वीकार नहीं किया। सन् 1941 में रिजर्व बैंक ने देशी बैंकों को संगठित बैंकिंग प्रणाली में सम्मिलित करने हेतु दूसरी योजना बनायी थी। परन्तु, दुर्भाग्य से, देशी बैंकों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया था। इसके उपरान्त, सन् 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक ने एक बार फिर इस दिशा में प्रयत्न किया लेकिन पहले की भाँति यह भी विफल हो गया। वर्तमान परिस्थिति यह है कि देशी बैंक आज भी रिजर्व बैंक के नियन्त्रण को परिधि से बाहर हैं। सन् 1949 का बैंकिंग कम्पनीज एक्ट उन पर लागू नहीं होता। भारत की बैंकिंग व्यवस्था में देशी बैंकों का पृथक अस्तित्व बना हुआ है। वास्तव में, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की यह एक भारी नुस्ति है। इसी के कारण ही रिजर्व बैंक साख को प्रभावपूर्ण ढंग से नियन्त्रित नहीं कर सकता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि देशी बैंकों को संगठित बैंकिंग प्रणाली में सम्मिलित करने का एक और प्रयास किया जाय।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग आयोग ने फरवरी, 1972 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि देशी बैंकों पर व्यापारिक बैंकों के माध्यम से नियन्त्रण स्थापित किया जाय। आयोग के अनुसार भारत की बैंकिंग व्यवस्था में देशी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करते हैं। वे व्यापार एवं उद्योगों में लगे छोटे-छोटे एवं मध्यम श्रेणी के व्यवसायियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उनकी कार्य प्रणाली अत्यन्त लचीली है। वे औपचारिकताओं पर अधिक जोर नहीं देते। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए बैंकिंग आयोग

ने सिफारिश की थी कि उन्हें भारत की समगठित बैंकिंग प्रणाली के भीतर लाया जाय और उन्हें व्यापारिक बैंको द्वारा बट्टे की सुविधाएँ प्रदान की जायें। लेकिन ये सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु उन्हें निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी

(i) वे बैंकिंग तक ही अपने आपको सीमित रखें। व्यापार करना छोड़ दें, (ii) वे अपने बैंकिंग व्यवसाय में कम से कम एक लाख रुपये की पूंजी लगायें, (iii) अपने हिसाब किताब को नियमित ढंग में रखें और उसका अवेक्षण (auditing) करायें, (iv) अपने व्यवसाय का वार्षिक विवरण रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें, (v) अपने भाषको एक सच में संगठित करें।

बैंकिंग आयोग ने यह स्वीकार किया था कि देशी बैंकरो का रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न तो आवश्यक है और न ही व्यावहारिक। रिजर्व बैंक की चाहिए कि व्यापारिक बैंको के माध्यम से ही उन पर नियन्त्रण लागू करे।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. देशी बैंकरो पर एक निबन्ध लिखिए और उनकी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए। उनके दोषों को दूर करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? (राजस्थान, 1958)

[संकेत—प्रथम भाग में, देशी बैंकरो की परिभाषा देते हुए उनकी कार्य-प्रणाली पर प्रकाश डालिए। तदुपरान्त, यह बताइए कि उनकी कार्य-प्रणाली में कौन-कौन से दोष एवं त्रुटियाँ पायी जाती हैं। इसके साथ ही यह बताइये कि उनके दोषों एवं त्रुटियों को दूर करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि उन्हें रिजर्व बैंक से सम्बन्धित कर दिया जाय। इसमें एक और ता रिजर्व बैंक उन पर नियन्त्रण रख सकेगा और दूसरी ओर उन्हें वे सब सुविधाएँ उपलब्ध हों लगेगी जो अन्य बैंको को मिलती हैं।]

2. देशी बैंकिंग प्रणाली को समाप्त करने के बजाय उसका सुधार करना अधिक अच्छा है। इसकी विवेचना कीजिए। (विन्धम, 1964)

[संकेत—यहाँ पर पहले देशी बैंकिंग प्रणाली द्वारा सम्भन्न किये गये कार्यों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तदुपरान्त इस प्रणाली के दोषों एवं त्रुटियों पर प्रकाश डालिए। दूसरे भाग में यह बताइए कि इस प्रणाली को समाप्त करना देश के हित में नहीं होगा क्योंकि इस समय यह प्रणाली देश की बैंकिंग व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर रही है। लगभग 80 प्रतिशत वित्त की पूर्ति इसी प्रणाली द्वारा की जा रही है। अतः इस प्रणाली में आवश्यक सुधार करके इसे बैंकिंग व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह बताइए कि इस प्रणाली में सुधार करने के लिये यह आवश्यक है कि देशी बैंकरो को रिजर्व बैंक के साथ जोड़ दिया जाय। इससे इस प्रणाली के दोष एवं त्रुटियाँ स्वतः ही दूर हो जायेंगी।]

3. भारतीय मुद्रा बाजार के मुख्य अंग क्या हैं? व्यापार एवं उद्योगों की वित्त व्यवस्था करने में उनका क्या महत्त्व है? (जीवाजी, ग्वालियर, 1971)

[संकेत—भारतीय मुद्रा बाजार का दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है—प्रथम, समगठित अथवा अधिनिक भाग। दूसरे असमगठित अथवा स्वदेशी भाग। प्रथम भाग में, रिजर्व बैंक स्टेट बैंक व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय बैंक सरकारी वित्तीय एजन्सियाँ, तथा सहकारी बैंक हैं। रिजर्व बैंक तथा सहकारी बैंको को छोड़कर य सभी बैंक व्यापार एवं उद्योग धन्धों की वित्त व्यवस्था करते हैं। असमगठित भाग में साहूकार, महाजन, सर्राफ इत्यादि मुख्यतः छोटे छोटे व्यापारियों एवं लघु उद्योगों की वित्त व्यवस्था करते हैं।]

भारत में बैंकिंग विधान (Banking Legislation in India,

जैसा विदित है, सभी देशों में अब अव्यवस्था-नीति (Laissez Faire) के दिन लद गये हैं। सभी देशों में अब सरकारें अधिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करती हैं। बैंकिंग भी इसका अपवाद नहीं है। यही कारण है कि लगभग सभी देशों में सरकार कानून द्वारा बैंकिंग प्रणाली में हस्तक्षेप करती है। भारत जैसे देश में तो बैंकिंग प्रणाली में सरकार का हस्तक्षेप और भी आवश्यक हो जाता है। इसके कई कारण हैं।

(1) बैंकों का अधिक संख्या में फेल होना जैसा हम देख चुके हैं, भारत में समय समय पर अनेक बैंक फेल हुए हैं और बैंकों के फेल होने का यह क्रम अब भी जारी है। स्पष्ट है कि बैंकों के फेल होने से जनता के विश्वास को आघात पहुँचता है और बैंकिंग विनास के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं। अतः बैंकों को फेल होने से बचाने तथा बैंकिंग के स्वस्थ विकास के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार कानून द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में हस्तक्षेप करे और बैंकों के प्रवर्धन एवं संचालन में आवश्यक सुधार करे।

(2) बैंकिंग का असन्तुलित विकास होना—जैसा हम देख चुके हैं—दुर्भाग्य से भारत में बैंकों का विकास असन्तुलित ढङ्ग से नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ, विभिन्न बैंकों की शाखाएँ बिना किसी योजना के अविवेकपूर्ण ढङ्ग से खोली गयी हैं। परिणामतः बैंकों में आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गयी है। जहाँ बड़े बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्रों में बैंकों की बहुत-सी शाखाएँ हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में एक छोटे-छोटे कस्बों में बैंकिंग सुविधाओं का लगभग पूर्णतः अभाव है। अतः वर्तमान स्थिति को सुधारने एवं बैंकिंग का सन्तुलित विकास करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि कानून द्वारा सरकार बैंकिंग क्षेत्र में हस्तक्षेप करे।

(3) स्वदेशी बैंकसं तय सगठित बैंकिंग में समन्वय का अभाव—जैसा हम देख चुके हैं, भारत में स्वदेशी बैंकरो तथा व्यापारिक बैंकों में सहयोग एवं समन्वय का पूर्ण अभाव है जिसके फलस्वरूप देश के बैंकिंग विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और साख का नियन्त्रण भी प्रभावपूर्ण ढङ्ग से नहीं हो पाता। अतएव इन दोनों भागों (sections) में समुचित समन्वय स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि कानून द्वारा सरकार बैंकिंग क्षेत्र में हस्तक्षेप करे।

भारत में बैंकिंग विधान का इतिहास

सन् 1913 से पूर्व भारत में बैंकों को नियन्त्रित करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं हुआ करता था। उस समय केवल एक ही कानून था जो अप्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग पर दोषा-बहुत नियन्त्रण करता था। वह था सन् 1881 का निगोशियेबिल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act)। परन्तु सन् 1905 में बैंकिंग सङ्घटन ने स्पष्ट कर दिया था कि उक्त कानून बैंकिंग का नियन्त्रण करने में असमर्थ था। परिणामतः सन् 1913 में इण्डियन कम्पनीज एक्ट (Indian Companies Act) में बैंकिंग कम्पनियों से सम्बन्धित अलग से व्यवस्था कर दी गयी थी। परन्तु यह कानून भी बैंकिंग को प्रभावपूर्ण ढङ्ग से नियन्त्रित करने में असफल सिद्ध हुआ था। इस

कानून के वावजूद देश में अनेक बैंक फेल हुए थे। इसके बाद सन् 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट पारित किया गया। इस कानून के अन्तर्गत बैंकों के नियन्त्रण हेतु रिजर्व बैंक को कई प्रकार के अधिकार दिये गये थे परन्तु इतने भी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। सन् 1936 में इण्डियन कम्पनीज एक्ट में पुनः संशोधन किया गया लेकिन इसके वावजूद बैंकिंग व्यवस्था में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका और बैंकों के सञ्चालकों के कुप्रबंध के कारण बक बराबर फेल होते रहते थे। सन् 1939 में रिजर्व बैंक ने सरकार के सामने यह सुझाव रखा कि स्थिति में सुधार करने के लिए इण्डियन कम्पनीज एक्ट से अलग एक बैंकिंग कानून बनाया जाय। परन्तु दूसरे विश्व युद्ध के छिड़ जाने के कारण भारत सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा सकी। सन् 1943-44 में सरकार ने इण्डियन कम्पनीज एक्ट में पुनः संशोधन किया और इसके अन्तर्गत बैंकों का नियन्त्रण करने हेतु रिजर्व बैंक को और अधिक अधिकार सौंपे गये। सन् 1946 में भारत सरकार ने एक अध्यादेश (Ordinance) जारी करके रिजर्व बैंक को बहुत ही व्यापक अधिकार दे दिये। इस अध्यादेश के अन्तर्गत रिजर्व बैंक किसी भी बैंक का किसी समय निरीक्षण कर सकता था। यदि कोई बैंक रिजर्व बैंक के आदेशों का पालन नहीं करता था तो रिजर्व बैंक को उसे अनुसूचित बैंकों की सूची से निकालने का पूर्ण अधिकार था। सन 1949 में सरकार ने यह अनुभव किया कि देश में बैंकिंग के स्वस्थ विकास के लिए एक नये एवं स्वतन्त्र बैंकिंग कानून की आवश्यकता थी। अतः मार्च 1949 में बैंकिंग कम्पनीज एक्ट (Banking Companies Act) पारित किया गया। इस समय भारतीय बैंकिंग प्रणाली का नियन्त्रण एवं नियमन रिजर्व बैंक द्वारा इसी कानून के अन्तर्गत किया जा रहा है। कानून में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन भी किये गये हैं। सितम्बर 1965 में किये गये एक संशोधन के अनुसार अब इस कानून का नाम बदलकर बैंकिंग नियमन अधिनियम (Banking Regulation Act) कर दिया गया है।

बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act 1949)

अब हम इस कानून का विस्तृत अध्ययन करेंगे

(1) बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के उद्देश्य—इस कानून के पारित होने से पूर्व भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में कई प्रकार के दोष एवं त्रुटियाँ पायी जाती थीं। मुख्य मुख्य दोष एवं त्रुटियाँ इस प्रकार थीं

(क) भारतीय बैंक कभी-कभी अपर्याप्त जमानत पर ऋण दिया करते थे जो उनके लिए आगे चलकर सकट का कारण बन सकते थे। इसी प्रकार कुछ बैंक अवल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर भी ऋण दिया करते थे। यह प्रथा भी मुहठ बैंकिंग सिद्धान्तों के विवरीत थी।

(ख) भारतीय बैंक प्रायः उन व्यवसायों एवं फर्मों को ऋण दे दिया करते थे जिनमें उनके संचालकों के स्वार्थे निहित होते थे।

(ग) भारतीय बैंक अपनी शाखाएँ जिना सोचे-समझे खोल दिया करते थे जिससे उनकी आपसी प्रतिযোগिता बढ़ जाती थी।

(घ) भारतीय बैंक अपना स्थिति-विवरण बनाते समय अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति छिपाने का प्रयत्न किया करते थे।

अतः बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में पाये जाने वाले दोषों एवं त्रुटियों को दूर करना था।

(2) बैंक की परिभाषा—बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में बैंक की परिभाषा इस प्रकार की गई है—बैंक उस कहते हैं जिसमें जनता को उधार देने के लिए अथवा निवेश करने के लिए निक्षेप स्वीकार किये जायें तथा उन निक्षेपों को बैंकों डापटो, आदेशों व अन्य तरीकों से निकाला जा सके तथा उन्हें माँग पर चकाया जा सके। इस कानून के अन्तर्गत कोई भी कम्पनी बैंकिंग व्यवसाय तब तब नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने नाम के सामने बैंकर अथवा बैंकिंग शब्द का प्रयोग न करे। इस प्रकार इस कानून के अन्तर्गत बैंक वह कम्पनी है जो बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार स्थापित की गयी है तथा बैंकिंग व्यवसाय करती है।

(3) बैंकों का व्यवसाय—इस कानून में दो सूचियाँ दी गयी हैं—प्रथम सूची में, उन सभी व्यवसायों की चर्चा की गयी है जो बैंक द्वारा किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, निक्षेप स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, हुण्डियों को भुनाना, विदेशी विनिमय-बिलों का क्रय-विक्रय करना, तोले-चाँदी की खरीदना व बेचना, साख प्रमाण पत्रों को जारी करना, बहुमूल्य वस्तुओं की अपने अभिरक्षण (Custody) में सुरक्षित रखना, शेयरों व अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों की खरीदना व बेचना, ग्राहकों की ओर से एजेंट के रूप में कार्य करना। दूसरी सूची में, उन सभी व्यवसायों का उल्लेख किया गया है जो बैंक द्वारा नहीं किये जा सकते। उदाहरणार्थ, बैंकिंग के सिवाय अन्य कोई व्यापार वे नहीं कर सकते। अपने कार्यालय की बिल्डिंग के सिवाय वे किसी अचल सम्पत्ति को 7 वर्ष से अधिक समय तक रिजर्व बैंक की पूर्व-अनुमति के बिना नहीं रख सकते। कोई बैंक अपनी सहायक कम्पनी स्थापित नहीं कर सकता। कोई बैंक किसी अन्य कम्पनी की चुकती-पूँजी के 20 प्रतिशत से अधिक अथवा अपनी स्वयं की चुकती-पूँजी के 30 प्रतिशत से अधिक रकम के शेयरों नहीं खरीद सकता।

बैंकों का प्रबन्ध—इस कानून के अन्तर्गत कोई भी बैंक प्रबन्ध के लिए मैनेजिंग एजेंट्स (Managing Agents) नियुक्त नहीं कर सकता और न ही बैंक किसी ऐसे व्यक्ति को संचालक नियुक्त कर सकता है जो किसी अन्य बैंक का भी संचालक हो। इस कानून में संचालकों की योग्यताओं का भी उल्लेख किया गया है। सन् 1956 में किये गये एक सशोधन के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह बैंकों के उच्च पदाधिकारियों एवं संचालकों की नियुक्ति, उनके वेतन तथा सेवा की शर्तें निश्चित करे।

बैंकों की चुकती पूँजी तथा प्रारक्षित निधि (Paid-up Capital and Reserves of the Banks)—बैंकिंग नियमन अधिनियम में इस सम्बन्ध में भी विस्तृत व्यवस्था की गयी है। यदि किसी भारतीय बैंक की शाखाएँ कलकत्ते या बम्बई या दोनों शहरों में हैं तब उनकी पूँजी तथा प्रारक्षित निधि मिलाकर कम से कम 10 लाख रुपये हानी चाहिए। यदि किसी भारतीय बैंक की सभी शाखाएँ एक राज्य में स्थित हैं परन्तु कुछ शाखाएँ बम्बई तथा कलकत्ते में भी हैं तब उस बैंक की चुकती-पूँजी तथा प्रारक्षित निधि-मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपये होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक विदेशी बैंक की चुकती पूँजी एवं प्रारक्षित निधि मिलाकर कम से कम 15 लाख रुपये होनी चाहिए। यदि उनकी शाखाएँ बम्बई या कलकत्ते में भी हैं तब उनकी चुकती-पूँजी एवं प्रारक्षित निधि मिलाकर कम से कम 20 लाख रुपये होनी चाहिए। विदेशी बैंकों के लिए यह भी आवश्यक है कि उन्हें यह राशि रिजर्व बैंक में जमा करानी पड़ती है। यदि बैंक फेल हो जाता है तो रिजर्व बैंक इस जमा की गयी राशि का उपयोग भारतीयों के निक्षेपों का भुगतान करने के लिए कर सकता है।

बैंकों की पूँजी तथा मतदान के अधिकार—इस कानून के अन्तर्गत किसी बैंक की स्वीकृत-पूँजी (Subscribed Capital) उसकी अधिकृत-पूँजी (Authorised Capital) के आधे से कम नहीं हो सकती और इसी प्रकार चुकती-पूँजी (Paid-up Capital) उसकी स्वीकृत-पूँजी (Subscribed Capital) के आधे से कम नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त कोई भी बैंक रिजर्व बैंक को पूर्व अनुमति के बिना अपनी पूँजी को नहीं बढ़ा सकता। प्रत्येक शेयर-होल्डर को उसके द्वारा दी गयी पूँजी के अनुपात में ही मतदान का अधिकार दिया जाता है परन्तु इस कानून के अन्तर्गत किसी भी शेयर-होल्डर को कुल मतदान के 1 प्रतिशत से अधिक मत देने का अधिकार नहीं होता।

बैंकों के लाभ-वितरण पर प्रतिबन्ध—सितम्बर 1962 के बैंकिंग नियमन सशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपने लाभ का कम से कम 10 प्रतिशत भाग प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप में प्रारक्षित निधि में जमा करना पड़ता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि बैंक की प्रारक्षित निधि उसकी चुकती पूँजी के बराबर नहीं हो जाती। इस सशोधन के अन्तर्गत विदेशी बैंकों को भी अनिवार्य रूप में अपनी भारतीय शाखाओं के वार्षिक लाभ का 20 प्रतिशत भाग प्रतिवर्ष रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है।

बैंकों के नफा-होश—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 1934 के अन्तर्गत प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी माँग-देयताओं का 5 प्रतिशत भाग और समय-देयताओं

का 2 प्रतिशत भाग नकद-कोष के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता था। किन्तु सन् 1956 में रिजर्व बैंक एक्ट में किये गये एक संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे दिया गया कि वह समय-देयताओं का प्रतिशत 2 से बढ़ाकर 8 तक तथा माँग देयताओं का प्रतिशत 5 से बढ़ाकर 20 तक कर सकता था। सितम्बर 1962 के बैंकिंग नियमन संशोधन अधिनियम के अनुसार अनुसूचित बैंकों को अपनी माँग तथा समय-देयताओं का केवल 3 प्रतिशत भाग ही रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। परन्तु रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह परिस्थितियों के अनुसार इस प्रतिशत को 3 से बढ़ा कर 15 तक निश्चित कर सकता है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो अनुसूचित बैंकों को निश्चित नकद-कोषों के अतिरिक्त और अधिक धनराशि जमा करने के लिए भी आदेश दे सकता है। इसी प्रकार बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों को भी अनुसूचित बैंकों की भाँति रिजर्व बैंक के पास एक चालू खाते में निश्चित अनुपात में नकद-कोष जमा करने पड़ते हैं परन्तु इन बैंकों को यह छूट दी गयी है कि यदि वे चाहे तो नकद कोष को रिजर्व बैंक के पास जमा करने के बजाय अपने ही पास रख सकते हैं।

बैंकों की परिसम्पत्ति (Assets of Banks)—इस कानून (बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949) के अन्तर्गत बैंकों की परिसम्पत्ति में तरलता बनाये रखने के लिये भी व्यवस्था की गयी है। इसके अनुसार प्रत्येक अनुसूचित तथा असूचित बैंक को अपनी समय देयताओं तथा माँग-देयताओं का कम से कम 20 प्रतिशत भाग तरल सम्पत्ति (Liquid Assets) के रूप में रखना अनिवार्य है। यहाँ पर तरल सम्पत्ति से अभिप्राय नकदी, सोना-चाँदी, स्वीकृत प्रतिभूतियाँ तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के पास जमा की गयी राशियाँ से है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपने ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में तरल सम्पत्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार विदेशी बैंकों को भी अपनी समय तथा माँग-देयताओं का कम से कम 75 प्रतिशत भाग तरल सम्पत्ति के रूप में भारत में रखना अनिवार्य कर दिया गया है।

ऋणों पर प्रतिबन्ध—बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 ने अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर भी कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं, प्रथम कोई भी बैंक अपने शेयरों की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता। दूसरे कोई भी बैंक बिना पर्याप्त जमानत के अपने संचालकों को ऋण नहीं दे सकता। तीसरे कोई भी बैंक किसी ऐसी फर्म अथवा कम्पनी को ऋण नहीं दे सकता जिसमें उसका कोई संचालक अथवा शेयर-होल्डर ऋण की प्राप्ति के लिए जमानतदार हो। चौथे रिजर्व बैंक यदि चाहे तो किसी भी बैंक को आरक्षित ऋण (Unsecured Loans) देने से मना कर सकता है। प्रत्येक बैंक को प्रतिमाह आरक्षित ऋणों का एक विवरण रिजर्व बैंक के पास भेजना पड़ता है। पाँचवें, इस कानून के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह यदि चाहे तो किसी भी बैंक को ऋण नीति सम्बन्धी आदेश दे सकता है।

बैंकों का एकीकरण—(Amalgamation of Banks) इस कानून (बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949) के अन्तर्गत बैंकों के एकीकरण की व्यवस्था भी कर दी गयी है। जब कोई बैंक किसी दूसरे बैंक के साथ मिलना चाहता है तब उस बैंक को सभी शेयरी-होल्डरों की बैठक बुलाकर बैंक के एकीकरण की योजना उसके समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती है। यदि शेयर-होल्डर बहुमत से योजना को स्वीकार कर लेते हैं तो इसे रिजर्व बैंक के पास भेज दिया जाता है। रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त होने पर एकीकरण की योजना क्रियान्वित की जा सकती है। इसके विपरीत, यदि बैंक का कोई शेयर-होल्डर एकीकरण योजना के विरुद्ध अपना मत देता है तो उसकी यह अधिकार हो जाता है कि वह बैंक से अपना शेयर वापस ले ले और बैंक को उसकी उचित क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है।

बैंकों की शाखाएँ—इस कानून (बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की पूर्ण अनुमति के बिना कोई भी बैंक किसी भी स्थान पर देश में अथवा विदेश में अपनी शाखा नहीं खोल सकता और न ही किसी शाखा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित कर सकता है। इसका उद्देश्य बैंकों में होने वाली परस्पर प्रतियोगिता को रोकना है।

बैंको का लाइसेंस (Licensing of Banks)—इस कानून के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक को बैंकिंग कार्य करने के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक निम्न शर्तों पूरी करने पर ही लाइसेंस प्रदान करता है।

(1) बैंक की वित्तीय स्थिति सतोपजनक होनी चाहिए अर्थात् जमाकर्ताओं की जमा-राशि माँग करने पर वापस करने की स्थिति में होना चाहिए।

(2) बैंक का प्रबन्ध एवं संचालन उसके जमाकर्ताओं के हित में किया जाना चाहिए।

(3) बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये सभी नियमों का पालन करना चाहिए।

यदि कोई बैंक उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं करता तो रिजर्व बैंक उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है।

सामयिक सूचनायें (Periodical Returns)—इस कानून के अन्तर्गत प्रत्येक बैंक को अनिवार्य रूप से अपने बैंकिंग कार्य के बारे में रिजर्व बैंक को सामयिक सूचनाएँ देनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक किसी बैंक को आदेश देकर किसी भी सम्बन्धित विषय के बारे में उससे सूचना प्राप्त कर सकता है।

बैंको का निरीक्षण—रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी बैंक के हिसाब-किताब का निरीक्षण कर सकता है। यदि रिजर्व बैंक उसकी कार्य-प्रणाली से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उसे सुधार सम्बन्धी आदेश दे सकता है।

बैंकों का निस्तारण—(Liquidation of Banks)—इस कानून के अन्तर्गत यदि कोई बैंक अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो रिजर्व बैंक की प्राथमता पर न्यायालय इस बैंक के निस्तारण की आज्ञा दे सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई बैंक अपने किसी कार्यालय पर जमाकर्ताओं की माँग को दो दिन तक रबीकार नहीं करता तो ऐसे बैंक को अपने ऋणों के भुगतान के अयोग्य समझ लिया जाता है। तब रिजर्व बैंक न्यायालय से उस बैंक के निस्तारण के लिए प्राथमता करता है। जब रिजर्व बैंक किसी बैंक के निस्तारण के लिए प्राथमता करता है तब न्यायालय रिजर्व बैंक को ही उस बैंक का सरकारी निस्तारक (Official Liquidator) नियुक्त कर देता है।

इस कानून के लागू होने से पूर्व भारतीय बैंको में ऐच्छिक निस्तारण (Voluntary Liquidation) की प्रवृत्ति पायी जाती थी अर्थात् कुछ विपरीत परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर जमाकर्ताओं के हितों की परवाह न करते हुए बैंक स्वच्छता से ही निस्तारण कर लिया करते थे। परन्तु इस कानून के अन्तर्गत अब वे ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी बैंक रिजर्व बैंक के सम्मुख अपनी ऋण भुगतान सम्बन्धी अयोग्यता प्रमाणित किये बिना निस्तारण नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में अब किसी भी बैंक का ऐच्छिक निस्तारण नहीं हो सकता।

बैंकिंग नियमन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अधिकार—जैसा हम ऊपर देख चुके हैं बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को अनेक अधिकार दिये गये हैं। अब हम उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे।

(1) **बैंकों को लाइसेंस देना**—कोई भी बैंक तब तक बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकता जब तक कि वह रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लेता। इस प्रकार का लाइसेंस पुराने तथा नये सभी बैंकों को लेना पड़ता है। रिजर्व बैंक यह लाइसेंस तभी देता है जब बैंक द्वारा कुछ निश्चिन्त शर्तों को पूरा किया जाता है। इन शर्तों का विवरण हम पहले ही देख चुके हैं। यह व्यवस्था विदेशी बैंको पर भी लागू होती है।

(2) **शाखाओं की स्थापना के बारे में स्वीकृति देना**—इस कानून के अन्तर्गत कोई भी बैंक देश अथवा विदेश में रिजर्व बैंक से पूर्व स्वीकृति लिये बिना नयी शाखा नहीं खोल सकता और न ही पुरानी शाखाओं का स्थानान्तरण ही कर सकता है। अपनी स्वीकृति देने से पूर्व रिजर्व बैंक स्थिति का निरीक्षण करके अपने आपको सन्तुष्ट कर लेता है कि नये स्थान पर बैंक की शाखा की आवश्यकता है अथवा नहीं।

(3) ऋण-नीति को निर्धारित करने का अधिकार—इस कानून के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंको की ऋण-नीति को निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है। यदि रिजर्व बैंक अनुभव करता है कि किसी बैंक की ऋण-नीति जमाकर्ताओं के हित में नहीं है तो रिजर्व बैंक उस बैंक को अपनी ऋण-नीति में परिवर्तन करने का आदेश दे सकता है। रिजर्व बैंक उस बैंक को यह भी आदेश दे सकता है कि वे कित-कितन व्ययसाधो को ऋण दे, प्रतिभूति की किन्नी सीमा (margin) निश्चित करे तथा ब्याज की कितनी दर समूल करे।

(4) बैंको का निरीक्षण करने का अधिकार—यदि किसी बैंक का कार्य सन्तोषजनक नहीं है तो रिजर्व बैंक उस बैंक के हिसाब-किताब की जाँच पड़ताल कर सकता है और उसे अपनी कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिए आदेश दे सकता है। यदि रिजर्व बैंक समझता है कि उस बैंक का अस्तित्व देश के हित में नहीं है तो वह उस बैंक को कार्य बन्द करने के लिए भी आदेश दे सकता है अथवा उसे जमाकर्ताओं से धन प्राप्त करने के लिए रोक सकता है।

(5) बैंको के एकीकरण को स्वीकार करने का अधिकार - इस कानून के अन्तर्गत कोई भी न्यायालय तब तक बैंको के एकीकरण की योजना को स्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि वह योजना रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार न की गई हो। रिजर्व बैंक को बैंको के एकीकरण की योजना को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

(6) बैंको से विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार—रिजर्व बैंक को सदस्य बैंको से उनके बैंकिंग कार्य के बारे में सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार है। रिजर्व बैंक उनसे माँग अथवा समय देयताओं, आरक्षित ऋणों अथवा उनकी सम्पत्ति के बारे में सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की सूचनाओं से रिजर्व बैंक को इस बात की जानकारी होती रहती है कि सदस्य बैंक उसके बनाये गये नियमों का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं।

(7) बैंको के निस्तारण करने का अधिकार—जब कोई बैंक अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तब रिजर्व बैंक न्यायालय को उस बैंक के निस्तारण के लिए प्रार्थना करता है और कानून के अन्तर्गत न्यायालय रिजर्व बैंक को ही उस बैंक का सरकारी निस्तारक नियुक्त कर देता है। इसी प्रकार कोई भी बैंक रिजर्व बैंक के सम्मुख अपने ऋणों का भुगतान करने की अयोग्यता को सिद्ध किये बिना अपना निस्तारण नहीं कर सकता।

(8) बैंको को परामर्श देने का अधिकार—इस कानून के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी समय किसी भी बैंक को उसके बैंकिंग कार्य से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में परामर्श दे सकता है और सम्बन्धित बैंक रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये परामर्श को उपेक्षा नहीं कर सकता।

अन्य अधिकार—रिजर्व बैंक को दिये गये अधिकार इस प्रकार हैं :

(1) रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को सदा के लिए अथवा कुछ निश्चित काल के लिए उक्त कानून की व्यवस्थाओं से मुक्त करने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से कर सकता है।

(2) रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को 10 वर्ष से अधिक समय के लिए अवल सम्पत्ति रखने की स्वीकृति दे सकता है।

(3) रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को चुकती पूंजी तथा प्रारक्षित निधि सम्बन्धी व्यवस्था से कुछ समय के लिए छूट दे सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंकिंग नियमन अधिनियम के अन्तर्गत बैंको के नियन्त्रण, नियमन एवं निरीक्षण करने हेतु रिजर्व बैंक को बहुत ही व्यापक अधिकार दिये गये हैं।

भारतीय बैंकिंग विधान में दोष

यद्यपि बैंकिंग नियमन अधिनियम के क्रियान्वित किये जाने पर भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के अनेक दोष दूर अथवा कम हो गये हैं, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि बैंकिंग विधान इस समय पूर्णतः दोषमुक्त है। भारतीय बैंकिंग विधान के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं :

(1) देशी बैंकों पर नियन्त्रण का अभाव—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, देशी बैंक देश की लगभग 80 प्रतिशत साख की पूर्ति करते हैं किन्तु इसके बावजूद उन पर रिजर्व बैंक का

बिलकुल ही नियन्त्रण नहीं है। वास्तव में, देशी बैंकरो पर बैंकिंग नियमन अधिनियम लागू ही नहीं होता है। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग रिजर्व बैंक के नियन्त्रण की परिधि से बाहर ही रह जाता है। परिणामतः रिजर्व बैंक की साख-नियन्त्रण नीति सफल नहीं हो सकती।

(2) सहकारी बैंको पर नियन्त्रण का अभाव—बैंकिंग नियमन अधिनियम केवल व्यापारिक बैंको पर ही लागू होता है सहकारी बैंको पर नहीं। वास्तव में, यह व्यापसगत नहीं है क्योंकि विगत कुछ वर्षों से सहकारी बैंको का व्यापार धीरे धीरे बढ रहा है और उन्होंने व्यापारिक बैंको से प्रति-योगिता करना भी आरम्भ कर दिया है। अतः न्याय की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम सहकारी बैंको पर भी लागू किया जाय।

(3) परिसम्पत्तियों की तरलता के सम्बन्ध में समुचित नियन्त्रण का अभाव—कुछ आलोचको का कहना है कि वर्तमान बैंकिंग विधान बैंको की परिसम्पत्तियों (Assets) की तरलता पर अधिक जोर नहीं देता। परिणामतः बैंको की परिसम्पत्तियों में पर्याप्त तरलता नहीं पायी जाती और इसके कारण बैंक कभी कभी जमाकर्ताओं की माँग को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः ऐसी परिस्थितियों में बैंकिंग विधान में परिसम्पत्तियों की तरलता के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(4) नगरो में बैंको के केन्द्रीयकरण को रोकने में असमर्थता वर्तमान बैंकिंग विधान की त्रुटि यह भी है कि यह नगरो में बैंको के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को रोकने में असमर्थ रहा है। जहाँ बड़े-बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्रों में बैंकिंग सुविधाओं की अधिकता है वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे छोटे कस्बों में बैंकिंग सुविधाओं का लगभग पूर्ण अभाव है।

यह तथ्य है कि भारतीय बैंकिंग विधान में अब भी कुछ दोष एवं त्रुटियाँ पायी जाती हैं परन्तु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बैंकिंग व्यवस्था के कुछ दोष व त्रुटियाँ दूर अथवा नम हो गयी हैं। उदाहरणार्थ अब भारतीय बैंक अथवा सम्पत्ति अथवा व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ऋण देने के लिए तैयार नहीं होते और न ही वे अपर्याप्त जमानत पर उन फर्मों अथवा कम्पनियों को ऋण देने के लिये तैयार रहते हैं जिनमें उनके संचालकों अथवा प्रबन्धकों के र्वार्थ निहित होते हैं। इसके साथ ही अब भारतीय बैंको ने समुचित प्रारंभित निधियों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देना आरम्भ कर दिया है और लाभ का वितरण करने से पूर्व उसका एक निश्चित भाग प्रारंभित निधि में खालने पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार उक्त कानून से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हुई है और साथ ही साथ बैंको को आर्थिक सकटों से कुछ राहत मिली है।

सन् 1963 का बैंकिंग नियम (विविध उपबन्ध) अधिनियम

[Banking Laws (Miscellaneous Provisions) Act 1963]

चूँकि इस अधिनियम के अन्तर्गत तीन अन्य कानूनों में संशोधन किये गये हैं इसलिए यह अधिनियम बड़े महत्व का है। इस अधिनियम की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं

(i) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में संशोधन (Amendment of the Reserve Bank of India Act)—सन् 1963 के अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में कुछ संशोधन कर दिये गये हैं। इन संशोधनों के अनुसार गैर-बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं (Non Banking and Financial Institutions) को भी रिजर्व बैंक के नियन्त्रण की परिधि में सम्मिलित कर दिया गया है। गैर बैंकिंग संस्थाएँ वे संस्थाएँ मानी गयी हैं जो लोगों से निक्षेप स्वीकार करती हैं परन्तु ऋण प्रदान नहीं करती। इसके विपरीत वित्तीय संस्थाएँ वे मानी गयी हैं जो निक्षेप तो स्वीकार नहीं करती किन्तु कुछ निश्चित प्रतिभूतियों के आधार पर व्यापारिक उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों को ऋण प्रदान करती हैं। जैसा ऊपर कहा गया है इन कानून के अन्तर्गत इस प्रकार की गैर बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं पर भी रिजर्व बैंक नियन्त्रण कर सकता है। प्रथम रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग संस्थाओं से उनके निक्षेपों के बारे में सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं से भी उनके ऋणों एवं अधिमो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरे इस कानून के अन्तर्गत रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं के हिसाब किताब की जाँच पड़ताल भी कर सकता है। तीसरे, रिजर्व बैंक इस प्रकार की संस्थाओं को उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में आदेश दे सकता है। 7 जनवरी 1966 को रिजर्व बैंक ने

गैर-बैंकिंग कम्पनियों को आदेश दिया था कि वे "माँग पर देय-निक्षेपो" (Deposits repayable on Demand) को जनता से स्वीकार न करे।

(2) बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन (Amendment in the Banking Regulation Act) - सन् 1963 के अधिनियम के अन्तर्गत बैंकिंग नियमन अधिनियम में भी कुछ संशोधन कर दिये गये हैं। इनके अनुसार व्यापारिक बैंको पर रिजर्व बैंक के अधिकारों को और अधिक व्यापक बना दिया गया है। प्रथम, इस कानून के अन्तर्गत व्यापारिक बैंको द्वारा अपने संचालकों को दिये जाने वाले आरक्षित ऋणों (unsecured loans) पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। दूसरे, व्यापारिक बैंको के किसी भी शेयर होल्डर को कुल मतदान के 1 प्रतिशत से अधिक मत देने का अधिकार नहीं है। तीसरे, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंको के किसी भी संचालक अथवा पदाधिकारी को उसके पद से हटा सकता है। चौथे, रिजर्व बैंक को किसी बैंक के संचालक बोर्ड में अपनी ओर से अधिक से अधिक 5 अतिरिक्त संचालक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

(3) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में संशोधन (Amendment in the State Bank of India Act)—इस संशोधन के अनुसार अब स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहायक बैंको के शेयर-होल्डरों के मत देने के अधिकार दूसरे बैंको के समान कर दिये गये हैं।

इस प्रकार सन् 1963 के अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को भारत की बैंकिंग, मौद्रिक, तथा वित्तीय प्रणाली को नियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु अत्यन्त व्यापक अधिकार दिये गये हैं।

सन् 1965 का बैंकिंग नियम अधिनियम (Banking Laws Act of 1965)—यह अधिनियम 1 मार्च 1966 को लागू किया गया था। इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक अधिनियम तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम के कुछ उपबन्धों को राज्य सहकारी बैंको (State Co-operative Banks) पर लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सहकारी बैंको को भी रिजर्व बैंक की दूसरी सारणी में सम्मिलित किया जा सकता है। उन्हें वे सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी जो अनुसूचित बैंको को प्राप्त हैं। इसी प्रकार बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1944 के कुछ महत्वपूर्ण उपबन्ध राज्य सहकारी बैंको पर भी लागू किये गये हैं। दूसरे शब्दों में इन बैंको पर भी रिजर्व बैंक लगभग वही नियन्त्रण लागू कर सकता है जो अनुसूचित बैंको पर लगाया जाता है।

बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण (Social Control on Banks)—सन् 1968 में भारत सरकार ने सामाजिक नियन्त्रण सम्बन्धी कानून व्यापारिक बैंको पर लागू किया था। इस कानून का विस्तृत वर्णन अध्याय 31 में प्रस्तुत किया गया है।

बैंको का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Banks)—19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। इसे Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance 1969 कहा गया था। इसके अन्तर्गत 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। (स्मरण रहे इनमें से प्रत्येक बैंक की जमारालियाँ 50 करोड़ अथवा उससे अधिक थीं।) विदेशी बैंको को अध्यादेश के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया था। आगे चलकर उपर्युक्त अध्यादेश को Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह कानून 19 जुलाई, 1969 से ही लागू मान लिया गया था।

उपर्युक्त कानून में बैंको का राष्ट्रीयकरण करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार व्यक्त किये गये हैं "अर्थ व्यवस्था की चौंटियों पर नियन्त्रण करना (to control the heights of the economy), और उसकी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करना।" राष्ट्रीय कृत बैंको का सांस्कृतिक कार्य यह है कि वे व्यापक पैमाने पर नयी नयी जमारालियों को बूटायें और सभी प्रकार के उत्पादक ऋणों के लिए उदार ऋण दें। अर्थ व्यवस्था के दुर्बल खण्डों (Weak Sectors) को तो विशेष आसान शर्तों पर ऋण दिये जायें। ऋण देते समय ऋणी के सामाजिक स्तर (social status) पर अधिक ध्यान न दिया जाये। यदि ऋणी कोई उत्पादक ऋण चला रहा है तो उसे ऋण दिया जाना चाहिए, चाहे उसका सामाजिक स्तर निम्न ही क्यों न हो। इस कानून के अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की देखभाल का कार्य परिचरक (Custodian) को सौंप

दिया गया था। राष्ट्रीयकरण से पूर्व चले आ रहे प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के अध्यक्ष को ही परि-रक्षक नियुक्त किया गया था। अध्यक्ष को प्राप्त सभी अधिकार परि-रक्षक को हस्तांतरित कर दिये गये थे। उपर्युक्त कानून के अन्तर्गत नीति सम्बन्धी विषयों पर भारत सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करने के उपरान्त इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को निर्देश जारी कर सकती है। प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक का एक संचालक मण्डल (Board of Directors) होगा। उसमें जमाकर्ताओं, उस बैंक के कर्मचारियों, किसानों शिल्पकारों एवं श्रमिकों के प्रतिनिधि होंगे।

उपर्युक्त कानून के पारित किये जाने के बाद इसकी वैधता की चुनौती देन हेतु सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ (writ petitions) दायर की गयीं। कानून के कतिपय प्राविधानों को त्रिपलान्वित करने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने रोधनादेश (stay order) जारी कर दिया था। 10 फरवरी, 1970 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक निर्णय प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दो आधारों पर सरकारी कानून को अवैध घोषित कर दिया था। प्रथम, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध भेदभाव किया गया है क्योंकि राष्ट्रीयकरण के उपरान्त इन बैंकिंग कम्पनियों को बैंकिंग कार्य पुनः करने से रोक दिया गया है जबकि अन्य बैंकों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। दूसरे, सरकार द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति (compensation) से सम्बन्धित जो सिद्धान्त एवं रीतियाँ कानून में सम्मिलित की गयी थीं वे अवैध थीं। इन्हीं दो कारणों से कानून को अवैध घोषित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून को अवैध घोषित किये जाने का परिणाम यह हुआ कि वे 14 बैंक अराष्ट्रीयकृत (denationalised) हो गये। 14 फरवरी 1970 को भारत सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया। इसे Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance 1970 की सहायता दी गयी थी। इसके अन्तर्गत 14 बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बाद में चल कर इस अध्यादेश के स्थान पर Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 पारित किया गया था। 31 मार्च 1970 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और 19 जुलाई 1969 से ही इस प्रभावी मान लिया गया। इस नये कानून के अन्तर्गत 14 निजी बैंकों पर पुनः बैंकिंग व्यवसाय करने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है। दूसरे, इन बैंकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को इस कानून की दूसरी अनुसूची में व्यक्त किया गया है। इस कानून में यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई बैंकिंग कम्पनी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र देती है तो उसे यह क्षतिपूर्ति 60 दिन के भीतर ही दे दी जायगी। क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित तीन विकल्प इन बैंकिंग कम्पनियों के समक्ष रखे गये थे। (i) वे क्षतिपूर्ति नकदी (cash) के रूप में ले सकती थीं। (ii) वे क्षतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार के 10 वार्षिक ऋणपत्रों के रूप में ले सकती थीं। इन ऋणपत्रों पर 4½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय थी। (iii) वे क्षतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार के 30 वार्षिक ऋणपत्रों के रूप में भी ले सकती थीं। इन पर 5½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय थी। बैंकिंग कम्पनियों को यह भी छूट दी गयी थी कि वे क्षतिपूर्ति अथवा नकदी और अथवा ऋणपत्रों के रूप में ले सकती थीं। दा बैंकिंग कम्पनियों ने तो अपनी समूची क्षतिपूर्ति नकदी में वसूल की थी। शेष 12 कम्पनियों ने यह क्षतिपूर्ति अथवा नकदी व अथवा ऋणपत्रों के रूप में प्राप्त की थी।

नये कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि इन 14 बैंकों के लिए वह अलग अलग संचालक मण्डल नियुक्त कर सकती है। प्रत्येक संचालक मण्डल में सात से अधिक संचालक नहीं होंगे। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए 18 जुलाई 1970 को भारत सरकार ने इन 14 बैंकों के लिए अलग-अलग संचालक मण्डल नियुक्त कर दिये थे।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट में संशोधन (Amendment of the Reserve Bank of India Act 1974) — 13 दिसम्बर 1974 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (संशोधन) एक्ट, 1974 को राष्ट्रपति की स्वीकृत प्राप्त हुई थी। उसी तिथि से यह संशोधित कानून लागू हो गया था। इससे अन्तर्गत—

(क) अनुसूचित बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों को पुनः वित्त सुविधाएँ (Refinance Facilities) देने व रिजर्व बैंक के अधिकारों को और अधिक व्यापक बना दिया गया था।

(ख) कानून द्वारा स्थापित निगमों (कृषि पुन वित्त निगम एव भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) की आर से बाण्डो (Bonds) को जारी करने हेतु रिजर्व बैंक को एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था ।

(ग) रिजर्व बैंक के निगमन विभाग (Issue Department) में नोटों के विरुद्ध रखी जाने वाली विदेशी प्रतिभूतियों की सूची में वृद्धि कर दी गई थी अर्थात् अब अतिरिक्त विदेशी प्रतिभूतियाँ भी नोटों की आवरण (Cover) में रखी जा सकती थी ।

(घ) जनता से जमा राशियाँ प्राप्त करने वाली गैर-बैंकिंग कम्पनियों पर रिजर्व बैंक के नियन्त्रण को और अधिक व्यापक बना दिया गया था ।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1 भारत में मिश्रित पूँजी बैंकों के लिए हाल में ही बनाये गये बैंकिंग विधानों का परीक्षण कीजिए ।
(बिहार बी० कॉम० 1960)

अथवा

भारत में सन् 1948 के बाद बैंकिंग के क्षेत्र में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों को उनके उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताओं सहित बताइए ।
(आगरा बी० कॉम० 1960)

[संकेत यहाँ पर बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 एव बैंकिंग एक्ट (विविध उपबन्ध, 1963) की विभिन्न व्यवस्थाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए ।]

“The adventure of full employment in a free society is not like the directed flight of an aircraft on a beam. It is a voyage among shifting and dangerous currents. All that can be done is to see that the craft is well found, and that the pilot has all the necessary controls and instruments to guide his use of them.”

—WILLIAM H BEVERIDGE

षष्ठम् खण्ड
रोजगार एवं राष्ट्रीय आय
(EMPLOYMENT AND NATIONAL INCOME)

- अध्याय 38 वचन एवं निवेदन
अध्याय 39 पूर्ण रोजगार की समस्या
अध्याय 40 राष्ट्रीय आय

कुछ स्मरणीय उद्धरण

- 1 'Every supply creates its own demand' —*J B Say*
- 2 "To Keynes, the waste of economic resources through unemployment seemed nonsensical. He concentrated more of his energies on the solution of this problem than any other" —*Seymour E Harris*
- 3 full employment is the point beyond which output proves inelastic in response to a further increase in effective demand" —*Dudley Dillard*
- 4 "The labour and capital of a country, acting upon its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities material and immaterial, including services of all kinds. And net income on account of foreign investments must be added to this is the true net annual income or revenue of the country or the national dividend" —*Alfred Marshall*
- 5 'National dividend is that part of the objective income of the community, including of course, income derived from abroad, which can be measured in money' —*A C Pigou*
- 6 'National dividend or income consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environments' —*Irving Fisher*

38

बचत एवं निवेश (Saving and Investment)

पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। किन्तु क्लासीकल अर्थशास्त्रियों ने इस समस्या को कोई विशेष महत्व नहीं दिया था। उनके अनुसार पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या कोई विशेष महत्व की समस्या नहीं होती और कालान्तर में यह समस्या अपने आप ही हल हो जाती है। अतः इस सम्बन्ध में सरकार को किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के अनुसार पूँजीवाद के अन्तर्गत बेरोजगारी की समस्या अपने आप हल नहीं हो सकती। इसके विपरीत, इसका समाधान करने के लिए पूँजीवाद का उन्मूलन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के कथनानुसार बेरोजगारी की समस्या की समाजवाद की स्थापना द्वारा ही हल किया जा सकता है। प्रो० जे० एम० केन्ज ((J. M Keynes) के अनुसार पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण माँग (effective Demand) पर निर्भर रहता है। जितनी प्रभावपूर्ण माँग अधिक होती है, उतना ही रोजगार का स्तर ऊँचा होता है। अतः प्रो० केन्ज ने बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए प्रभावपूर्ण माँग की वृद्धि पर जोर दिया है। प्रो० केन्ज के अनुसार किसी देश में प्रभावपूर्ण माँग उस देश के उपभोग एवं निवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार प्रो० केन्ज ने प्रभावपूर्ण माँग के सदर्भ में बचत एवं निवेश के अध्ययन को विशेष महत्व दिया है। प्रो० केन्ज ने अपने महान ग्रन्थ "जनरल थ्योरी" (General Theory) में बचत तथा निवेश को विशेष प्रकार से परिभाषित किया है। अब हम प्रो० केन्ज द्वारा बचत तथा निवेश की दी गयी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे।

बचत की परिभाषा (Definition of Saving)

कैजियन दृष्टि से बचत का अर्थ बहुत ही साधारण है। कुल आय में से उपभोग ध्यय को निकाल देने पर जो कुछ शेष बच रहता है उसे बचत कहते हैं अथवा उपभोग वस्तुओं पर किये गये व्यय तथा आय के अन्तर को बचत कहते हैं। बचत की यह परिभाषा व्यक्ति एवं समुदाय दोनों पर लागू होती है। व्यक्तिगत बचत का अर्थ यह है कि व्यक्ति की आय उसके उपभोग-व्यय से अधिक हो। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 2,000 रुपये है और उसका कुल उपभोग-व्यय 1,800 रुपये है तो उसकी वार्षिक बचत 200 रुपये होगी। इसी प्रकार किसी समुदाय अथवा राष्ट्र की बचत का अर्थ उसकी कुल आय तथा उपभोग ध्यय के अन्तर से होता है। इस प्रकार व्यक्तिगत और सामुदायिक बचत में पूर्ण समानता होती है। सामुदायिक बचत (Communal Saving) व्यक्तिगत बचतों का एक समूह मात्र होती है और प्रथम दृष्टि में यह प्रतीत होता है कि समस्त व्यक्तियों की बचत में वृद्धि अन्ततः सामुदायिक बचत की वृद्धि का कारण बनती है। वास्तव में, क्लासीकल अर्थशास्त्रियों को यही विश्वास था। उनका यह दृढ़ विश्वास था

औसतन 5 लाख रुपये की लागत का स्टॉक है अपने स्टॉक को 10 लाख रुपये तक बढ़ा देता है तो हम कह सकते हैं कि उसने अपने निवेश को दुगुना कर दिया है। इस प्रकार का निवेश वास्तविक निवेश कहा जायगा क्योंकि अपने निवेश का दुगुना करके उसने माल की नयी माँग उत्पन्न कर ली है। माल की यह माँग थन तथा अन्य साधनों को अधिक रोजगार प्रदान करने पूरी की जायगी। इसके विपरीत, यदि एक व्यापारी अपने स्टॉक को पहले की अपेक्षा आधा कर देता है तो कहा जायगा कि उसने निनिवेश (disinvestment) किया है जिसके फलस्वरूप थन तथा अन्य साधनों की माँग कम हो जायगी। परिणामतः उनके (साधनों के) रोजगार के अवसर भी कम हो जायेंगे।

कभी-कभी निवेश एव उपभोग में स्पष्ट अन्तर कर सकने में कठिनाई होती है। वास्तव में, कुछ मर्चे ऐसी होती हैं जिनको हम सरलता से निवेश और उपभोग दोनों के वर्ग में रख सकते हैं। उदाहरणार्थ, कारखानों, धरो तथा दफ्तरो का निर्माण स्पष्ट रूप से निवेश होता है जबकि भोजन तथा वस्त्र आदि की वस्तुएँ उपभोग के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं। किन्तु मोटरगाड़ियों, प्रशीतको (refrigerators) तथा टेलीविजन सेटों (Television Sets) आदि जैसी कुछ ऐसी टिकाऊ उपभोग वस्तुएँ होती हैं जिनका वर्गीकरण करना सरल नहीं होता।

वचत एवं निवेश में अन्तर

(Distinction Between Saving and Investment)

उपर हम बचत एव निवेश दोनों शब्दों की व्याख्या कर चुके हैं। अब हम इन दोनों के अन्तर को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। वचन प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों पर निर्भर रहती है। किन्तु निवेश राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों पर केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्भर रहता है। वचत एव राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि के फलस्वरूप वचत में केवल तनिक-सी वृद्धि होती है और वचत की वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में भी तनिक-सी वृद्धि होती है। सत्य तो यह है कि राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों के फलस्वरूप वचत में इतना कम परिवर्तन होता है कि अल्पकाल में इसको स्थिर मान लेना ही उचित है। किन्तु इसके विपरीत, राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों द्वारा निवेश केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित होता है। जब विभिन्न व्यक्तियों की आमदनियाँ बढ़ती हैं तो उनसे उनका उपभोग थोड़ा-सा बढ़ सकता है जिसके फलस्वरूप उपभोग वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है। परिणामतः उपभोग वस्तुओं के उद्योगों के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जनसंख्या की वृद्धि, टेक्नोलोजिकल प्रगति, अनुकूल अवसर आदि अन्य कतिपय तत्त्वों के कारण भी निवेश प्रभावित होता है। इन तत्त्वों में परिवर्तनों के फलस्वरूप निवेश भी परिवर्तित होता है। इस प्रकार निवेश की अपेक्षा वचत अधिक स्थिर रहती है। निवेश की अस्थिरता के कारण ही व्यपार में उतार-चढ़ाव और आर्थिक सकट आते रहते हैं।

वचत एवं निवेश की समानता

(Equality of Saving and Investment)

आय के विश्लेषण के लिए प्रो० केन्ज की वचत एव निवेश की नियाएँ (functions) उतनी ही महत्त्वपूर्ण हैं जितनी कि कीमतों के विश्लेषण में डा० मार्शल द्वारा प्रतिपादित पूँति एव माँग वक्र। वास्तव में, वचत एव निवेश प्रो० केन्ज के रोजगार के सिद्धान्त के दो मुख्य स्तम्भ हैं। सन्तुलन की दशा के लिए दोनों की समता आवश्यक है। प्रो० केन्ज की 'जनरल थ्योरी' (General Theory) में कुल निवेश सदैव कुल वचतों के बराबर रहा है। राष्ट्रीय आय का कोई भी स्तर इस समता क विना टिक नहीं सकता। इस प्रकार प्रो० केन्ज बचत एव निवेश की समता पर बहुत जोर देते थे। वनासीकल अर्थशास्त्रियों का भी यही विश्वास था कि वचत एव निवेश दोनों बराबर होते हैं। किन्तु वनासीकल अर्थशास्त्रियों एव प्रो० केन्ज के मध्य कुछ अन्तर भी था। प्रथम, वनासीकल अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि वचत एव निवेश की समता व्याज की दर के कारण उत्पन्न होती है। यदि किसी समय वचत एव निवेश असमान भी हो जायें हैं तो व्याज की दर में परिवर्तन कर देने से शीघ्र ही इन दोनों के बीच समानता स्थापित की जा सकती है। इस प्रकार वनासीकल अर्थशास्त्रियों के मानानुसार व्याज की दर एक ऐसा संयंत्र (mechanism) है,

ओ बचत एवं निवेश के बीच समानता बनाये रखता है। परन्तु इस सन्दर्भ में प्रो० केन्ज के विचार क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के विचारों के बिलकुल विपरीत थे। उनका मत यह था कि बचत एवं निवेश की समता व्याज की दर से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों से स्थापित होती है अथवा राष्ट्रीय आय ही बचत एवं निवेश में समता स्थापित करने वाला सगन्त्र है। दूसरे, बनासी कल अर्थशास्त्री यह मानते थे कि बचत एवं निवेश की समता पूर्ण रोजगार के बिन्दु पर ही सम्भव होती है। क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वे पूर्ण रोजगार की विद्यमानता को अर्थ-व्यवस्था की एक सामान्य दशा मानते थे। किन्तु प्रो० केन्ज क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के उक्त विचार से सहमत नहीं थे। उनका कथन था कि बचत एवं निवेश पूर्ण रोजगार से कम बिन्दु पर भी सामान्यतः एक दूसरे के बराबर रह सकते हैं।

जैसा विदित है, बचतकर्ता एवं निवेशकर्ता (investors) साधारणतया भिन्न-भिन्न व्यक्ति हात हैं और एक-दूसरे से परामर्श किये बिना ही वे अपने बचत एवं निवेश सम्बन्धी निर्णय लेते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी समाज में बचत एवं निवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं। निश्चय ही यह कुछ विचित्र सा प्रतीत होना है। अभी हम देखेंगे कि बचत एवं निवेश में यह समानता किस प्रकार स्थापित होती है। जैसा हम जानते हैं, श्रम के कार्य के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन (National Output) अथवा राष्ट्रीय आय (National Income) की उत्पत्ति होती है। ये दोनों धारणाएँ एक ही होती हैं। ये एक-दूसरे के बिलकुल बराबर होती हैं। राष्ट्रीय उत्पादन में दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन सम्मिलित होना है—(क) उपभोग की वस्तुएँ (Consumption Goods) (ख) निवेश की वस्तुएँ (Investment Goods)। अब हम राष्ट्रीय उत्पादन को O , उपभोग की वस्तुओं को C और निवेश की वस्तुओं का I मानकर चलेंगे। तब हमारा समीकरण $O = C + I$ होगा। इस प्रकार राष्ट्रीय आय को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(क) उपभोग (ख) बचत अर्थात् आय का एक भाग उपभोग पर व्यय किया जाता है भोग शेष भाग बचा लिया जाता है। अब हम राष्ट्रीय आय को Y , उपभोग को C और बचत को S मान लेते हैं। अब समीकरण $Y = C + S$ होगा। यह पहले ही कहा जा चुका है कि $O = Y$ । इस प्रकार $C + S = C + I$ होगा। C दोनों ओर उभयनिष्ठ है। अतः $I = S$

बचत एवं निवेश की समानता को अन्य प्रकार से भी स्थापित किया जा सकता है। चूंकि उपभोग्य वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर व्यय किये गये द्रव्य को निवेश कहते हैं, अतः निवेश राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उपभोग के अन्तर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार निवेश को I आय को Y , और उपभोग को C मान लेने पर परिणाम $I = Y - C$ होगा। इसके विपरीत, आय और उपभोग के अन्तर को बचत कहते हैं। इसलिए $S = Y - C$ अथवा $I = S$ ही होगा।

अब हमें इस बात पर विचार करना है कि त्रियात्मक रूप में बचत और निवेश में समानता किस प्रकार स्थापित होती है। इसे स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि बचत और निवेश में समानता राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों द्वारा स्थापित की जाती है। जैसा पहले ही सकेन किया जा चुका है आय के परिवर्तन संतुलन सगन्त्र (Equilibrating Mechanism) का कार्य करते हैं। प्रो० केन्ज के अनुसार निवेश बचत को उसी मात्रा में बढ़ा देता है जिसमें कि वह स्वयं बढ़ता है। अब प्रश्न यह है कि जब आरम्भ में निवेश बढ़ता है तो इससे क्या परिणाम निकलता है। निवेश की वृद्धि के परिणामस्वरूप पूंजीगत उद्योगों (Capital Goods Industries) में उत्पादन बढ़ जाता है और उनमें अधिक सख्ता में श्रमिक लगाने पड़ते हैं। उनकी आय बढ़ती है और स्वभावतः वे उपभोग्य वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं जिसका प्रभाव यह होता है कि उपभोग उद्योगों (Consumer Goods Industries) में रोजगार की माशा बढ़ जाती है और लोगों की आय में सर्वांगीण (all round) वृद्धि होती है जिससे वे अधिक बचत कर सकते हैं। इस प्रकार बढ़ी हुई बचत अन्ततः बड़े हुए निवेश के ही बराबर हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न यह है कि यदि निवेश कम हो जाय तो फिर क्या होगा? निवेश की कमी का परिणाम यह होगा कि पूंजीगत उद्योगों का उत्पादन घट जायगा, रोजगार कम होगा, उपभोग उद्योगों के माल की माँग घट जायगी, सभी उद्योगों में उत्पादन कम हुआ हो जयगा लोगों की आय गिर जायगी और उनके साथ ही उनकी बचत-शक्ति भी घट जायगी। अन्ततः बचतें घटे हुए निवेश के बराबर हो जायँगी।

यहाँ तक तो हम मानकर चले हैं कि निवेश के परिवर्तन उद्यमियों के निर्णयों के

प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं और ऐसे परिवर्तनों के पश्चात् तुरन्त ही बचतों में भी उतने ही परिवर्तन हो जाते हैं। किन्तु कभी-कभी निवेश के परिवर्तन ऐच्छिक नहीं होते अर्थात् वे उद्यमियों के निर्णय के कारण न होकर, अनैच्छिक ही होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यापारी का स्टॉक मन्दी के कारण इकट्ठा हो जाता है और इच्छा के विरुद्ध उसका निवेश भी बढ जाता है तो निवेश की इस प्रकार की वृद्धि अनैच्छिक कहलायेगी। परन्तु इस परिस्थिति में भी बचत निवेश की मात्रा के अनुसार ही बढ़ेगी। वास्तव में ये दोनों ही प्रक्रियाएँ एक-दूसरे के साथ-साथ चलती रहती हैं। अब प्रश्न यह है कि बचतें समान सीमा तक कैसे बढ़ती हैं? यह स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता व्यय नहीं करते तो बचत होती है। अतः निवेश के अनैच्छिक परिवर्तन के साथ ही बचत में भी ऐसा ही परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त सकेत

- 1 बचत और विनियोग से क्या अभिप्राय है? इनके परस्पर सम्बन्ध की विवेचना कीजिए।
[सकेत—प्रथम भाग में, बचत एव विनियोग (निवेश) की परिभाषाएँ प्रस्तुत करते हुए उदाहरण सहित उनकी व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि किस प्रकार प्रान्. केन्ज के अनुसार बचत एव विनियोग एक-दूसरे के बराबर होते हैं।]
- 2 समाज के विनियोग तथा आय के सम्बन्ध की विवेचना कीजिए। (आगरा, 1964)
[सकेत—यहाँ पर यह बताइए कि विनियोग से आय उत्पन्न होती है और बचायी हुई आय से विनियोग किया जाता है अर्थात् जब आय, उपभोग व्यय से अधिक होती है तो वह बचत का रूप धारण करके विनियोग में सहायता देती है।]
- 3 "एक व्यक्ति बचत कर सकता है लेकिन राष्ट्र नहीं।" इस कथन को विस्तारपूर्वक समझाइए। (आगरा, 1971)
[सकेत—उपर्युक्त उद्धरण में बचत के प्रति केन्ज के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। केन्ज के अनुसार एक व्यक्ति तो बचत कर सकता है किन्तु राष्ट्र बचत नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति बचत करता है तो वह ऐसा दूसरे की बचत-शक्ति को कम करके ही करता है। जब कोई व्यक्ति बचत करता है अथवा व्यय में कमी करना है तो वह दूसरे की आय में कमी कर देता है। इस प्रकार उनकी बचत करने की शक्ति पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। उपर्युक्त अध्याय में 'बचत की परिभाषा' नामक उपशीर्षक को देखिए।]

पूर्ण रोजगार की समस्या (Problem of Full Employment)

बेरोजगारी पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है। पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था शान्तिपूर्ण समयों में सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में असमर्थ रहती है। इसके विपरीत, समाजवादी अर्थ व्यवस्था शान्तिपूर्ण समयों में भी सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है। पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था तो केवल युद्ध के समय ही पूर्ण रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः इस दृष्टिकोण से समाजवादी अर्थ-व्यवस्था श्रेष्ठ प्रतीत होती है। बेरोजगारों के कारण धर्म तथा समाज के अन्य उपादक साधनों का पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं होता। इस प्रकार बेरोजगारी से सम्बन्धित समाज को हानि हाती है।

बेरोजगारी का अर्थ

बेरोजगारी से अभिप्राय उस परिस्थिति से है जिसमें देश के स्वस्थ योग्य क्षमतावान तथा उपयुक्त व्यक्ति भंडारों की प्रचलित दरों पर अपनी इच्छानुसार काम प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं माना जा सकता जिनमें कोई शारीरिक वृद्धि अथवा दोष पाया जाता है। उदाहरणार्थ अपहीनता (disability) के कारण यदि किसी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अथवा आलस्य के कारण काम नहीं करना चाहता जबकि उसके लिए काम उपलब्ध है तो ऐसा व्यक्ति भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ साधु तन्यासियों को हम बेरोजगार नहीं कह सकते क्योंकि काम उपलब्ध होने पर भी वे इसे करना स्वीकार नहीं करते।

बेरोजगारी के भेद

(Types of Unemployment)

बेरोजगारी के विभिन्न रूप होते हैं जो निम्नलिखित हैं

(1) **अस्थायी बेरोजगारी (Casual Unemployment)**—जैसा विदित है, श्रम की माँग व्युत्पन्नित माँग (derived demand) होती है अर्थात् श्रम की माँग उत्पादन की मात्रा पर निर्भर रहती है। यदि उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके साथ श्रम की माँग भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब उत्पादन की मात्रा घट जाती है तो श्रम की माँग भी उसके साथ घट जाती है। वही कमी उद्योग धंधों में उत्पादन की मात्रा अस्थायी तौर पर कम हो जाती है। परिणामतः उनमें लगे हुए श्रमिकों की संख्या में कमी हो जाती है अर्थात् वे बेरोजगार हो जाते हैं किन्तु इस प्रकार की बेरोजगारी स्थायी नहीं होती। उत्पादन की मात्रा में पुनः वृद्धि हो जाती है। उदाहरणार्थ, कभी कभी निर्यातों की मात्रा में अस्थायी कमी के कारण निर्यात-उद्योगों में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है किन्तु इस प्रकार की बेरोजगारी अस्थायी ही होती है।

(2) **मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)**—जैसा विदित है, कृषि एवं कुछ उद्योग धंधों में मौसमी स्वरूप के होते हैं। अतः ऐसे व्यवसायों में लगे हुए श्रम की माँग भी

मौसमी होती है, अर्थात् श्रम की माग किसी विशेष मौसम में ही उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ, चीनी उद्योग मौसमी उद्योग है। चीनी के कारखाने केवल एक विशेष मौसम में ही कार्य करते हैं और उस मौसम की समाप्ति पर इन कारखानों में काम बन्द हो जाता है। परिणामतः मजदूर बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ ऐसे गौण उद्योगों (Subsidiary Industries) का विकास किया जाना चाहिए जिनमें बेरोजगार मजदूरों को मन्दी-काल में रोजगार मिल सके।

(3) शैल्पिक बेरोजगारी (Technological Unemployment)—आधुनिक उद्योग-धन्धे प्रायः प्रारंभिक (dynamic) होते हैं। उनमें समय-समय पर नये-नये आविष्कार होते रहते हैं। पुरानी मशीनों के स्थान पर नयी मशीनों का उपयोग होता रहता है। उत्पादन की विधियों में भी सुधार होते रहते हैं। जब उद्योग-धन्धों में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं तब इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कुछ मजदूर बेकार हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, कारखानों में नयी नयी मशीनों के लगने से मजदूरों की छँटनी होगी है। इस प्रकार शैल्पिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हुई बेरोजगारी को शैल्पिक बेरोजगारी कहते हैं।

(4) सघर्षक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)—सघर्षक बेरोजगारी से अभिप्राय उस परिस्थिति से होता है जब श्रम-बाजार की अपूर्णताओं (Imperfections of the Labour Market) के कारण मजदूरों को कुछ समय के लिए काम उपलब्ध नहीं होता। सघर्षक बेरोजगारी के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ कच्चे माल का अभाव, मशीनों का दूट जाना नयी उत्पादन-विधियों का अपनाया जाना। जब कच्चे माल के अभाव के कारण कारखाने बन्द कर दिने जाते हैं और परिणामतः मजदूर बेकार हो जाते हैं तो इस प्रकार की बेरोजगारी को सघर्षक बेरोजगारी कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी कारखानों में नयी उत्पादन-विधियों को लागू करने से भी उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण यह है कि मजदूरों को नयी उत्पादन-विधियों को सीखने में कुछ समय अवश्य ही लगता है। अतः कुछ समय के लिए वे बेकार हो जाते हैं। स्मरण रहे कि सघर्षक बेरोजगारी पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं में पायी जाती है। सर विलियम बेवरेज (Sir William Beveridge) के अनुसार प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था में कम से कम 3 प्रतिशत सघर्षक बेरोजगारी तो होनी ही है। उनका कहना है कि सघर्षक बेरोजगारी को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, यद्यपि इसको कम अवश्य ही किया जा सकता है। यदि मजदूरों को पर्याप्त मात्रा में नयी उत्पादन-विधियों को सीखने की प्रशिक्षण सुविधाएँ दी जाएँ अथवा उनके लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा (Social Security) की व्यवस्था की जाय तो निश्चय ही सघर्षक बेरोजगारी में कमी की जा सकती है।

(5) स्वैच्छिक बेरोजगारी (Voluntary Unemployment)—स्वैच्छिक बेरोजगारी उस समय होती है जब मजदूर प्रचलित मजदूरी अथवा प्रचलित मजदूरी से कुछ कम मजदूरी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। उदाहरणार्थ यदि मजदूर मजदूरी की प्रचलित दर से सन्तुष्ट न होकर हड़ताल कर देते हैं तो इस प्रकार की बेरोजगारी को स्वैच्छिक बेरोजगारी ही कहा जायगा। इसका कारण यह है कि मजदूरों को प्रचलित दर पर काम तो उपलब्ध है परन्तु वे उस प्रचलित दर से सन्तुष्ट नहीं हैं और स्वेच्छा से ही बेरोजगार रहना पसन्द करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा अथवा आलस्य के कारण बेकार रहना पसन्द करता है तो वह भी स्वैच्छिक बेरोजगारी का ही उदाहरण होगा। साधु सन्वासी स्वेच्छा से ही बेकार रहते हैं।

(6) अनिच्छिक बेरोजगारी (Involuntary Unemployment) क्लासीकल अर्थ-शास्त्रियों के अनुसार अनिच्छिक बेरोजगारी सम्भव ही नहीं हो सकती क्योंकि उनका यह दृढ़ विश्वास था कि पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में मदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। परन्तु प्रो० केन्ज उनके इस विचार से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में अनिच्छिक बेरोजगारी लक्ष्मण सदैव विद्यमान रहनी है। प्रो० केन्ज के अनुसार अनिच्छिक बेरोजगार व्यक्ति वह है जो प्रचलित वास्तविक मजदूरी दर से कम वास्तविक मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार है चाहे वह कम भौतिक मजदूरी स्वीकार करने के लिए तैयार न हो। प्रायः बेरोजगार व्यक्ति मजदूरी की प्रचलित दर से कम मजदूरी पर काम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं परन्तु

उन्हे सफलता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार अनैच्छिक बेरोजगारी मजदूरी की दृष्टि के कारण नहीं बल्कि काम के अभाव के कारण होती है। प्रो० केन्ज के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी प्रभावपूर्ण माँग (Effective Demand) की कमी के कारण होती है। अतः इसको दूर करने के लिए प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करने हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि उपभोग तथा निवेश की मात्रा को यथासम्भव बढ़ाया जाय।

(7) चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)—जैसा विदित है, पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में सदैव व्यापार-चक्र (Trade Cycle) क्रियाशील रहता है। फलतः व्यापार में समय-समय पर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। कभी तेजी (Boom) आती है और कभी मन्दी (Slump)। जब तेजी के उपरान्त मन्दी आती है तो कीमतें गिरने लगती हैं। परिणामतः उत्पादन में कमी हो जाती है और रोजगार की मात्रा घट जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। उदाहरणार्थ, सन् 1931 में महामन्दी के कारण विभिन्न देशों में जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई थी उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जा सकता है। चक्रीय बेरोजगारी को दूर करने की सर्वोत्तम विधि यह है कि व्यापार चक्र की क्रियाशीलता को प्रभावपूर्ण ढंग से नियन्त्रित किया जाय। प्रो० केन्ज ने व्यापार चक्र को नियन्त्रित करने के लिए मौद्रिक (Monetary) एवं राजकोषीय (Fiscal) उपायों का सुझाव दिया था।

बेरोजगारी के सिद्धान्त

बेरोजगारी के सम्बन्ध में हम तीन मुख्य सिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे

(1) बेरोजगारी का क्लासीकल सिद्धान्त (The Classical Theory of Unemployment)—क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में स्थायी आधार पर बेरोजगारी हो ही नहीं सकती। इन अर्थशास्त्रियों का दृढ़ विश्वास था कि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है और यदि किसी समय बेरोजगारी हो भी जाती है तो वह विशुद्धतः अस्थायी स्वरूप की ही होती है और कुछ समय पश्चात् वह स्वतः ही दूर हो जाती है। क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के उक्त सिद्धान्त का आधार जे० बी० से (J B Say) का बाजारों का नियम (Law of Markets) था। जे० बी० से एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। उनके नियम के अनुसार सामान्य अति-उत्पादन (General Over-production) अथवा सामान्य बेरोजगारी की दशाएँ हो ही नहीं सकती। जे० बी० से के कथनानुसार, "पूति स्वतः ही अपनी माँग को उत्पन्न करती है" (Supply creates its own demand)। उनका कथन है कि उत्पादन ही माल के लिए बाजार का सृजन करता है। 'से' के अनुसार माँग का मुख्य स्रोत उत्पादन के विभिन्न साधनों को प्राप्त होने वाली आय होती है। यह आय उत्पादन-प्रक्रिया से स्वतः ही उत्पन्न होती है। जब कभी उत्पादन की कोई नवीन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है और उसके परिणामस्वरूप एक निश्चित मात्रा में उत्पादन उपलब्ध होता है तो उत्पादन के साथ ही साथ वस्तु की माँग इसलिए बढ़ती है कि उत्पादन में लगे हुए साधनों को पारिश्रमिक मिलता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक उत्पादन की मात्रा के परिणामस्वरूप देश के परिचलन (Circulation) में उतनी ही मात्रा की क्रय शक्ति भी प्रविष्ट हो जाती है। फलतः जितना माल तैयार होता है, वह स्वतः ही बिक्र जाता है। इस प्रकार अतिरिक्त अथवा अति उत्पादन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उदाहरणार्थ एक मोटरकार के निर्माण के परिणामस्वरूप मजदूरी, लाभ आदि के रूप में इतनी क्रय-शक्ति परिचलन में आ जाती है कि अन्ततः मोटरकार स्वतः ही बिक्र जाती है। इस प्रकार जे० बी० से के अनुसार किसी भी वस्तु का अति उत्पादन नहीं हो सकता। जे० बी० से यह तो मानते हैं कि किसी वस्तु विशेष की पूर्ति अस्थायी रूप में किसी विशेष उद्योग की गतत गणनाओं (Calculations) के कारण माँग से अधिक हो सकती है, किन्तु जे० बी० से के अनुसार सामान्य अति-उत्पादन सम्भव नहीं है।

जे० बी० से के इसी नियम के आधार पर क्लासीकल अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में सामान्य बेरोजगारी नहीं हो सकती। उनके अनुसार पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में कुछ सघर्षक बेरोजगारी तो हो सकती है परन्तु वह विशुद्धतः अस्थायी होती है। अतः क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में सामान्य अनैच्छिक बेरोजगारी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

इसके बावजूद यदि किसी पूंजीवादी देश में किसी समय बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है तो क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसका उत्तरदायित्व स्वयं मजदूरों पर ही होता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि मजदूरों के सघ (Trade Unions) अपनी सौदा-शक्ति के कारण कारखानेदारों की धमकी सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity of Labour) से अधिक मजदूरी देने के लिए विवश कर देते हैं। साधारणतः कोई भी कारखानेदार मजदूरों को उनकी सीमान्त उत्पादकता से अधिक मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं होता। यदि उसे सीमान्त उत्पादकता से अधिक मजदूरी देने के लिए विवश किया जाता है तो कुछ समय पश्चात् वह अपने कारखाने को ही बन्द कर देता है। परिणामतः मजदूरों में बेरोजगारी फैल जाती है। इस प्रकार क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में प्रचलित अनैच्छिक बेरोजगारी के लिए मजदूर स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं। यदि वे अपनी सीमान्त उत्पादकता के अनुसार ही मजदूरी स्वीकार कर लें तो क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के कथनानुसार पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः क्लासीकल अर्थशास्त्रियों का यह निष्कर्ष था कि श्रमिक सघ वस्तुतः बेकार सरघाएँ होती हैं। परन्तु जैसा हम आगे चलकर देखेंगे प्रो० केन्ज ने इस विचारधारा का सफलतापूर्वक खण्डन किया है।

(2) प्रो० केन्ज का बेरोजगारी का सिद्धान्त (Prof. Keynes' Theory of Unemployment)—जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी का मुख्य कारण श्रमिक-सघों द्वारा ऊँची मजदूरी की माँग करना है। यदि श्रमिक सघ ऊँची मजदूरी की माँग न करें अथवा मजदूरी दर में कटौती को स्वीकार कर लें तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न ही नहीं हो सकती।

प्रो० केन्ज ने क्लासीकल अर्थशास्त्रियों के इस दृष्टिकोण का दो मुख्य आधारों पर तीव्र विरोध किया है। प्रथम प्रो० केन्ज ने मजदूरी-कटौती की नीति को सिद्धान्तिक आधार पर अनुचित बताया है। प्रो० केन्ज के कथनानुसार पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में प्रचलित अनैच्छिक बेरोजगारी ऊँची मजदूरियों के कारण नहीं, बल्कि प्रभावपूर्ण माँग की कमी के कारण होती है। अतः रोजगार की मात्रा को बढ़ाने के लिए मजदूरियों में कटौती करने के बजाय प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रो० केन्ज के अनुसार यदि मजदूरियों में कटौती कर दी जाती है तो इससे मजदूरों की आय स्वतः ही कम हो जायेगी। परिणामतः उनकी क्रय करने की शक्ति भी कम हो जायेगी। यदि मजदूरों की न्यून शक्ति कम हो जाती है तो प्रभावपूर्ण माँग में कमी अनिवार्य हो जायेगी। अन्ततः रोजगार की मात्रा भी घट जायेगी। इस प्रकार प्रो० केन्ज के अनुसार, बेरोजगारी की समस्या का समाधान मजदूरियों में कटौती करना नहीं है। इसके विपरीत रोजगार की मात्रा को बढ़ाने के लिए समुदाय की प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करना आवश्यक है। दूसरे प्रो० केन्ज ने व्यावहारिक आधार पर भी मजदूरी कटौती का विरोध किया है। उनके अनुसार सभी देशों में श्रमिक-सघ स्थापित हो चुके हैं तथा उन्हें अर्थ इस अवस्था में समाप्त कर देना किसी भी दृष्टिकोण से व्यावहारिक नहीं है। इसी प्रकार लगभग सभी देशों में न्यूनतम मजदूरी नियम (Minimum Wage Laws) बनाये जा चुके हैं। इन नियमों को समाप्त कर देना भी व्यावहारिक नीति नहीं है।

इस प्रकार प्रो० केन्ज मजदूरी कटौती के कट्टर विरोधी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि मजदूरी कटौती से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस समस्या का समाधान करने के लिए तो समुदाय की प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि की जानी चाहिए। जैसा प्रो० केन्ज ने बताया है किसी समुदाय की प्रभावपूर्ण माँग उसके उपभोग एवं निवेश की मात्राओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार यदि किसी देश में रोजगार की मात्रा में वृद्धि करनी है तो स्पष्टतः ऐसे देश को अपने उपभोग और निवेश की मात्राओं में वृद्धि करनी होगी। चूँकि अल्पकाल में उपभोग की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, इसलिए प्रो० केन्ज के अनुसार रोजगार की मात्रा को बढ़ाने के लिए निवेश वृद्धि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है।

(3) कार्ल मार्क्स का बेरोजगारी सिद्धान्त (Karl Marx's Theory of Unemployment)—कार्ल मार्क्स ने अपने पूंजीवादी सचय के सामान्य नियम (General Law of Capita

list Accumulation) की विवेचना करते हुए स्पष्टतः कहा है कि पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी एक प्रकार से अनिवार्य ही होती है। दूसरे शब्दों में, बेरोजगारी पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। कार्ल मार्क्स के अनुसार बेरोजगारी की मात्रा पूंजीवाद के विकास के स्तर पर निर्भर रहती है। पूंजीवाद जितना अधिक विकसित होता चला जाता है, बेरोजगारी को मात्रा भी उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाती है।

कार्ल मार्क्स के कथनानुसार पूंजी सचय (Capital Accumulation) में वृद्धि के साथ ही साथ परिवर्तनीय पूंजी (Variable Capital) एवं स्थिर-पूंजी (Constant Capital) दोनों में ही वृद्धि होती है किन्तु परिवर्तनीय-पूंजी उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिसमें स्थिर पूंजी बढ़ती है, अर्थात् कालान्तर में स्थिर पूंजी की तुलना में परिवर्तनीय पूंजी पीछे रह जाती है। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप उत्पादन की शैलिक विधियों में सुधार होते रहते हैं। नयी नयी मशीनों का प्रयोग होता रहता है। परिणामतः परिवर्तनीय पूंजी स्थिर-पूंजी से प्रति-स्थापित होती रहती है। परिवर्तनीय पूंजी के पिछड़ जाने के कारण ही पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होती है। स्मरण रहे, कार्ल मार्क्स के अनुसार परिवर्तनीय पूंजी में से ही मजदूरों को मजदूरियाँ चुकायी जाती हैं, जबकि स्थिर-पूंजी का प्रयोग मशीनों आदि कृत्रिम में किया जाता है। इस प्रकार जब कालान्तर में परिवर्तनीय पूंजी का अनुपात स्थिर-पूंजी की तुलना में गिर जाता है तो बेरोजगारी स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण स्पष्ट है, परिवर्तनीय-पूंजी के अनुपात में ह्रास के परिणामस्वरूप मजदूरों को रोजगार के अवसर उस मात्रा में उपलब्ध नहीं होते जिसमें पहले हुआ करते थे। फलतः मजदूरों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल जाती है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स का दृढ़ विश्वास था कि पूंजीवाद के कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अतः बेरोजगारी की इस समस्या का समाधान करने के लिए पूंजीवाद का उन्मूलन आवश्यक हो जाता है।

पूर्ण रोजगार का अर्थ—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, बेरोजगारी पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है। इसके कारण देश के साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो सकता। पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में बड़ी संख्या में मजदूर सदैव बेरोजगार रहते हैं। उदाहरणार्थ, अमरीका जैसे समृद्ध पूंजीवादी देश में भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पायी जाती है। बेरोजगारी के कारण न केवल मजदूरों की आर्थिक क्षति ही होती है, बल्कि उनका नैतिक स्तर भी गिर जाता है। यही कारण है कि आजकल लगभग सभी देशों की सरकारों ने पूर्ण रोजगार की नीति को अपना लक्ष्य बना रखा है। पूंजीवादी देशों में सरकारें यथासम्भव पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने का प्रयत्न करती रहती हैं।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पूर्ण रोजगार से अभिप्राय क्या है? पूर्ण रोजगार से अभिप्राय उस दशा से नहीं होता जिसमें देश के सभी स्वस्थ योग्य एवं क्षमतावान् व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है। पूर्ण रोजगार का अर्थ यह नहीं कि देश के सभी नागरिकों को काम मिलने लगे। पूर्ण रोजगार का अभिप्राय देश में अनैच्छिक बेरोजगारी के अभाव से होता है। अर्थात् पूर्ण रोजगार वाले समाज में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। परन्तु जैसा ऊपर कहा गया है—पूर्ण रोजगार का अर्थ यह नहीं है कि सभी देशवासियों को रोजगार मिल जाय। इसके विपरीत, पूर्ण रोजगार की अवस्था में भी कुछ अंश तक बेरोजगारी विद्यमान रहती है। उदाहरणार्थ, पूर्ण रोजगार की अवस्था में भी स्वैच्छिक बेरोजगारी (Voluntary Unemployment) सम्भव हो सकती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक देश में कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य होते हैं जो स्वैच्छा अथवा आलस्य के कारण प्रचलित मजदूरी की दरो पर काम करना पसन्द नहीं करते। इसी प्रकार पूर्ण रोजगार की अवस्था में कुछ अंश तक सघर्षक बेरोजगारी (Frictional Unemployment) भी सम्भव हो सकती है। जैसा सर विलियम बेवरेज (Sir William Beveridge) ने कहा है—प्रत्येक अर्थ व्यवस्था में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक सघर्षक बेरोजगारी अवश्य ही होती है। इस प्रकार पूर्ण रोजगार से अभिप्राय देशवासियों के शत प्रतिशत रोजगार से नहीं है अर्थात् पूर्ण रोजगार वाले समाज में भी 95 से लेकर 97 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। स्मरण रहे कि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था केवल युद्धकाल में ही पूर्ण रोजगार प्रदान

कर सकती है। शान्तपूर्ण समयों में पंजीवादी अर्थ व्यवस्था पूर्ण रोजगार प्रदान करने में प्रायः असमर्थ हो रहती है।

= पूर्ण रोजगार की नीति (Policy of Full Employment)

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, आदर्श प्रत्येक सरकार ने पूर्ण रोजगार को अपना लक्ष्य बना रखा है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रो० केन्ज के अनुसार रोजगार का स्तर देश की प्रभावपूर्ण माँग पर निर्भर करता है। अतः यदि देश की प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि कर दी जाय तो रोजगार का स्तर स्वतः ही बढ जायगा। अब प्रश्न यह है कि देश की प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि कैसे की जाय? प्रो० केन्ज के अनुसार प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करने के दो मुख्य उपाय हैं—प्रथम देश के उपभोग को प्रोत्साहित किया जाय। दूसरे देश के निवेश की मात्रा में वृद्धि की जाय।

(1) देश के उपभोग को प्रोत्साहित किया जाय—प्रो० केन्ज के अनुसार उपभोग को प्रोत्साहित करने की सर्वोत्तम विधि यह है कि देश की उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) को बढ़ाया जाय। जैसा विदित है, अमीरों की अपेक्षा गरीबों की उपभोग प्रवृत्ति ऊँची होती है। इसका कारण स्पष्ट है। अमीरों की लगभग सभी आवश्यक आवश्यकताएँ पहले से ही सन्तुष्ट होती हैं। अतः यदि अमीरों की आय में वृद्धि होती है तो वे उसे उपभोग पर व्यय न करके बचाना अधिक पसन्द करते हैं। इस प्रकार, अमीरों की उपभोग प्रवृत्ति कम होती है। इसके विपरीत, गरीबों की बहुत सी आवश्यकताएँ प्रायः वसन्तुष्ट ही रहती हैं। यदि उनकी आय में थोड़ी-सी वृद्धि हो जाती है तो वे तुरन्त ही उसे उपभोग-पदार्थों पर व्यय कर देते हैं। इस प्रकार, अमीरों की अपेक्षा गरीबों की उपभोग प्रवृत्ति अधिक ऊँची होती है। यदि देश के उपभोग स्तर में वृद्धि करनी है तो इसके लिए यह निताम्न आवश्यक है कि गरीबों की आय में वृद्धि की जाय। इसके लिए प्रो० केन्ज ने यह सुझाव दिया है कि अमीरों पर भारी आयकर लगाया जाय और इस प्रकार प्राप्त की गयी आय को सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण हेतु व्यय किया जाय। उदाहरणार्थ, सरकार गरीबों के लिए सस्ते अनाज, सस्ते मकान, निशुल्क शिक्षा एवं डॉक्टरों की सहायता की व्यवस्था कर सकती है। इसी प्रकार प्रो० केन्ज ने यह भी सुझाव दिया था कि उपभोग के स्तर को उठाने के लिए सरकार गरीबों पर लगभग गये परोक्ष करों (Indirect Taxes) में कमी करे। इनके साथ ही प्रो० केन्ज ने यह सुझाव दिया था कि मन्दो-काल में सरकार बेरोजगार-मजदूरों को बेरोजगारी भत्ते (Unemployment Allowances) प्रदान करे ताकि वे अपने उपभोग स्तर को पूर्ववत् बनाये रख सकें। स्मरण रहे कि प्रो० केन्ज ने उपभोग को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण पर कोई अधिक जोर नहीं दिया था, क्योंकि वह स्वयं पूंजीवाद के समर्थक थे और किसी भी दशा में इसे समाप्त नहीं करना चाहते थे। वह तो केवल पूंजीवाद में आवश्यक सुधार ही करना चाहते थे।

(2) देश के निवेश की मात्रा में वृद्धि की जाय—जैसा प्रो० केन्ज ने कहा है देश की प्रभावपूर्ण माँग को बढ़ाने की दूसरी विधि यह है कि निवेश की मात्रा में आवश्यक वृद्धि की जाय। र्किक अल्पकाल में उपभोग की मात्रा लगभग स्थिर ही रहती है, इसलिए रोजगार की वृद्धि के लिए प्रो० केन्ज ने उपभोग वृद्धि की अपेक्षा निवेश वृद्धि पर अधिक जोर दिया था। जैसा विदित है, निवेश दो प्रकार का होता है—(क) निजी निवेश (Private Investment) (ख) सरकारी निवेश (Public Investment)। प्रो० केन्ज के अनुसार रोजगार वृद्धि के लिए इन दोनों प्रकार के निवेश में वृद्धि करना आवश्यक है। पहले हम देखेंगे कि निजी निवेश में कैसे वृद्धि की जा सकती है।

(क) निजी निवेश में वृद्धि—प्रो० केन्ज के अनुसार पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में निजी निवेश की मात्रा दो बातों पर निर्भर रहती है प्रथम पूंजी की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Efficiency of Capital), दूसरे ब्याज की दर। निजी निवेशकर्ता निवेश करने से पूर्व इन दोनों की तुलना कर लेते हैं अर्थात् वे निवेश उसी दशा में करते हैं जब कि पूंजी की सीमान्त उत्पादकता ब्याज दर की तुलना में अधिक होती है। यदि पूंजी की सीमान्त उत्पादकता ब्याज-दर से कम

होती है तो ऐसी परिस्थिति में निजी निवेशकर्ता निवेश करना पसन्द नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें हानि उठानी पड़ती है। अतः निजी निवेश के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता ब्याज की दर से ऊँची होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि या तो पूँजी की सीमान्त उत्पादकता को बढ़ा दिया जाय और यदि यह सम्भव न हो तो ब्याज की दर को कम कर दिया जाय। चूँकि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता को बढ़ाना किसी के हाथ में नहीं होता, इसलिए निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रो० केन्ज ने निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है

(1) सुलभ मुद्रा नीति (Cheap Money Policy)—निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सुलभ मुद्रा नीति वा सुझाव दिया गया है। इससे अभिप्राय यह कि ब्याज दर को केन्द्रीय बैंक के हस्तक्षेप द्वारा कम कर दिया जाय। ब्याज-दर के कम हो जाने से उद्यमियों को नये-नये निवेश करने में स्वतः ही प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार, देश की निवेश दर बढ़ जायगी। नये नये कारखाने स्थापित होंगे और मजदूरों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होने लगेंगे।

(2) कराधान में कमी—निवेश की मात्रा को बढ़ाने का दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि उद्यमियों पर लगाये गये प्रत्यक्ष करों (direct taxes) में कमी कर दी जाय। उदाहरणार्थ, आयकर की दर में कमी कर दी जाय। इससे उद्यमियों को अधिक मात्रा में निवेश करने का स्वतः ही प्रोत्साहन मिलेगा।

(3) एकाधिकार विरोधी नीति (Anti-Monopoly Policy) निजी निवेश की मात्रा में वृद्धि करने के लिए एकाधिकार विरोधी नीति के अनुसरण का भी सुझाव दिया गया है। जैसा विदित है, एकाधिकारी व्यवसाय प्रायः नये-नये उद्यमियों को क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं होने देते तथा उनके मार्ग में तरह-तरह की बाधाएँ उपस्थित करते हैं। अतः निवेश-वृद्धि के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार एकाधिकारी व्यवसायों की इस प्रवृत्ति पर नियन्त्रण करे।

(4) विदेशी पूँजी को आमन्त्रित करना—देश में निवेश की मात्रा को बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि विदेशों से पूँजी को आमन्त्रित किया जाय। विदेशी पूँजी के निवेश का रोजगार के स्तर पर लगभग वही प्रभाव पड़ता है जो घरेलू पूँजी के निवेश का होता है, अर्थात् विदेशी पूँजी भी रोजगार के स्तर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। परन्तु विदेशी पूँजी को आमन्त्रित करते समय देश के हितों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

(ख) सरकारी निवेश में वृद्धि—जैसा हम जानते हैं, मन्दी काल में उद्यमियों में प्रायः निराशा की लहर दौड़ जाती है। इस निराशापूर्ण मनोवृत्ति के कारण वे ऐसे समय नये व्यवसायों में अपनी पूँजी लगाना पसन्द नहीं करते। कभी-कभी तो ब्याज की दर में कमी कर देने से भी निजी निवेश प्रोत्साहित नहीं होता। जैसी अपेक्षा में कहावत है 'चोड़े को आप पानी की ओर ले जा सकते हैं परन्तु उसे पीने के लिए विवश नहीं कर सकते (You can take a horse to water but cannot make him drink)। इसी प्रकार, सरकार ब्याज की दर तो कम कर सकती है किन्तु उद्यमियों को अधिक निवेश करने के लिए विवश नहीं कर सकती। सन् 1931 की महान् मन्दी के दौरान यह देखा गया था कि बहुत से देशों में ब्याज की दर में अत्यधिक कमी के बावजूद निजी निवेश में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो सकी थी। अतः ऐसी परिस्थिति में रोजगार की मात्रा बढ़ाने के लिए सरकारी निवेश का आश्रय लेना पड़ता है। इसीलिए प्रो० केन्ज ने मन्दी काल में जहाँ निजी निवेश को प्रोत्साहन देने का समर्थन किया था, वहाँ साथ ही साथ उन्होंने सरकारी निवेश की भी जोरदार शब्दों में वकालत की थी। वास्तव में, मन्दी काल में सरकारी निवेश एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता है। रोजगार की मात्रा को बढ़ाने के लिए निजी निवेश पर ही पूर्णतः निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसी कारण प्रो० केन्ज ने मन्दी के समय सरकारी निवेश का समर्थन किया था। उनके कथनानुसार मन्दी के समय सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यों (Public Works) को हाथ में लेना चाहिए। ऐसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निर्माण कार्यों का एक व्यापक कार्यक्रम रियानित करना चाहिए। उदाहरणार्थ, ऐसे समय सड़कों, नहरों, पाकों, स्कूलों, अस्पतालों एवं मकानों का बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा स्वयं निर्माण किया जाना चाहिए। इससे बेरोजगार मजदूरों का रोजगार

के नये-नये अवसर उपलब्ध होंगे। उनके हाथ में क्रय-शक्ति बढ़ेगी। परिणामतः प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होगी और गुणक (Multiplier) की त्रिगुणशीलता के कारण रोजगार की मात्रा में वृद्धि हो जायेगी। प्रो० केन्ज ने यह सुझाव दिया था कि ऐसे समय के लिए सरकार को सांख्यिक निर्माण-कार्यों की पहले से ही योजना तैयार रखनी चाहिए और जैसे ही मन्दी के संकेत मिलें, वैसे ही इस योजना को क्रियान्वित कर देना चाहिए। इससे बेरोजगारी की मात्रा को नियन्त्रित करने में बड़ी सहायता मिल सकती है।

परन्तु सरकार द्वारा निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वेधल उन्ही उद्योगों में निवेश किया जाय जिनमें निजी उद्योगपति धन लगाने में सकोच करते हैं। दूसरे शब्दों में, सरकार को किसी भी दशा में निजी उद्योगपतियों से प्रतिযোগिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि सरकार निजी उद्योगपतियों से प्रतियोगिता करती है तो इससे रोजगार-वृद्धि का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि मन्दी काल में सांख्यिक निर्माण-कार्यों के लिए वित्त कहाँ से प्राप्त किया जाय? वास्तव में, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पष्ट है कि ऐसे समय सरकार को सन्तुलित बजट नीति (Balanced Budget Policy) का अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब देश की अर्थ-व्यवस्था स्वयं असन्तुलित दशा में हो तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के लिए सन्तुलित बजट नीति का अनुसरण करना उचित नहीं होगा। अतः ऐसे समय तो सरकार को असन्तुलित बजट नीति (Unbalanced Budget Policy) का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात् सरकार को घाटे की अर्थ-व्यवस्था (Deficit Budgeting) क्रियान्वित करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, सरकार का बजट घाटे का बजट (Deficit Budget) होना चाहिए। सरकार को अपनी आय की तुलना में व्यय अधिक करना चाहिए। परन्तु प्रश्न यह है कि बजट के इस घाटे को पूरा कैसे किया जाय? स्पष्ट है कि बजट के घाटे को निजी उद्यमियों पर नये-नये कर लगाकर पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से निजी निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उसके परिणामस्वरूप रोजगार की मात्रा बढ़ने के बजाय घट सकती है। इसलिए बजट के घाटे को नये कर लगाकर पूरा करना उचित न होगा। प्रो० केन्ज का सुझाव यह था कि बजट सम्बन्धी घाटे को पूरा करने के लिए लोगों से ऋण लिया जाय। लेकिन ऋण लेते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाय कि ऋण उन लोगों से न लिया जाय जो अपने धन को स्वयं ही उत्पादन की वृद्धि में लगाना चाहते हैं। इस प्रकार लोगों से ऋण लेकर रोजगार की मात्रा में वृद्धि करने के लिए सरकारी निवेश को बढ़ाया जा सकता है। संक्षेप में, प्रो० केन्ज के अनुसार रोजगार की मात्रा में वृद्धि करने के लिए उपभोग एवं निवेश दोनों में ही वृद्धि करनी चाहिए।

परन्तु प्रो० केन्ज द्वारा प्रस्तावित उपर्युक्त कार्यक्रम रोजगार की मात्रा बढ़ाने में तभी सफल हो सकता है जबकि श्रमिकों में पूर्ण गतिशीलता पायी जाय। यदि श्रमिकों में पूर्ण गतिशीलता का अभाव है अर्थात् वे एक स्थान से दूसरे स्थान को अथवा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को जाने में सकोच करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में प्रो० केन्ज के उपर्युक्त कार्यक्रम के द्वारा पूर्ण रोजगार की दशा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे समय सरकार को श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उदाहरणार्थ, सरकार रोजगार कार्यालय (Employment Offices) खालकर मजदूरों की गतिशीलता को बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त, मजदूरों को अधिकाधिक प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ देकर भी सरकार उनकी गतिशीलता में सुधार कर सकती है।

पूर्ण रोजगार नीति की आलोचना

यद्यपि प्रो० केन्ज की उपर्युक्त पूर्ण रोजगार नीति के विश्व कुछ कह सकना कठिन है लेकिन फिर भी कुछ रुढ़िवादी अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित आधारों पर इसकी आलोचना की है।

(1) मुद्रा स्फीति का भय—आलोचकों का कहना है कि प्रो० केन्ज की उक्त पूर्ण रोजगार नीति को क्रियान्वित करने से देश में मुद्रा स्फीति की दशा उत्पन्न हो सकती है। इसका कारण यह बताया गया है कि देश के मुद्राधिकरण (Monetary Authority) द्वारा ब्याज की दर को

कम करने के लिए मुद्रा की मात्रा में विस्तार करना आवश्यक हो जाता है। प्रो० केन्ज ने मन्दी काल में स्वयं ही मुद्रा की मात्रा में विस्तार करने का सुझाव दिया था। चूंकि अब स्वर्णमान टूट चुका है और लगभग सभी देशों में कागजी मुद्रामान क्रियाशील है, इसलिए मुद्रा की मात्रा में विस्तार करने से अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आलोचकों के अनुसार मुद्रा स्फीति का यह भय भ्रष्टान्तिक नहीं है।

(2) सार्वजनिक ऋण के भार में वृद्धि—प्रो० केन्ज की उक्त पूर्ण रोजगार नीति के विरुद्ध आलोचकों की दूसरी आपत्ति यह है कि इसके कारण देश के सार्वजनिक ऋण के भार में अत्यधिक वृद्धि हो जायगी और आने वाली पीढ़ियों पर इसका अनुचित बोझ पड़ेगा। जैसा हम देख चुके हैं, सार्वजनिक निर्माण कार्यों की योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रो० केन्ज ने सार्वजनिक ऋण लेने का सुझाव प्रस्तुत किया है। उससे निश्चय ही सार्वजनिक ऋण की मात्रा में वृद्धि हो जायगी। परन्तु इस आलोचना के प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि यदि सार्वजनिक ऋण उत्पादक उद्देश्यों के लिए लिया जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि सरकार द्वारा लिये गये ऋण से सार्वजनिक कार्यों का निर्माण किया जाता है तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। इससे एक ओर तो देश की सम्पत्ति में वृद्धि होती है और दूसरी ओर रोजगार की मात्रा बढ़ जाती है। देश की इस अतिरिक्त सम्पत्ति में से उत्पन्न होने वाली आय का सार्वजनिक ऋणों पर दिये जाने वाले व्याज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अतः उत्पादक सार्वजनिक ऋण (productive public debt) का भावी पीढ़ियों पर कोई बोझ नहीं पड़ता है।

(3) सुलभ मुद्रा नीति की प्रभावपूर्णता—आलोचकों का कहना है कि मन्दी काल में प्रो० केन्ज द्वारा सुझायी गयी सुलभ मुद्रा नीति प्रभावपूर्ण सिद्ध नहीं होती। दूसरे शब्दों में, व्याज की दर को कम कर देने से भी निजी निवेश में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। जैसा हम ऊपर बता चुके हैं मन्दी के समय निराशापूर्ण वातावरण के कारण पूँजी की सीमान्त उत्पादकता व्याज-दर से भी नीचे गिर जाती है। यहाँ तक कि कभी-कभी यह गुन्य के बराबर हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में व्याज की दर में अत्यधिक कमी करने पर भी निजी निवेश प्रोत्साहित नहीं होता। वास्तव में, सन् 1930 में अमरीका में ऐसा ही हुआ था। सरकार द्वारा व्याज की दर में अत्यधिक कमी कर देने के बावजूद निजी निवेश में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो सकी थी। इसमें सन्देह नहीं कि आलोचकों के इस तर्क में अवश्य ही कुछ सार है किन्तु स्मरण रहे कि प्रो० केन्ज ने मन्दी का सामना करने एवं रोजगार की मात्रा में वृद्धि करने के कार्यक्रम में सुलभ मुद्रा नीति को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया था, बल्कि कालान्तर में तो वह इसके प्रति कुछ उदासीन भी हो गये थे।

(4) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन—आलोचकों का यह भी कहना है कि प्रो० केन्ज की उक्त पूर्ण रोजगार नीति को क्रियान्वित करने से लोगों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अवश्य ही हनन होगा। जैसा ऊपर हम देख चुके हैं, पूर्ण रोजगार की नीति को क्रियान्वित करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में सरकार को बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। सरकार न केवल विभिन्न तरीकों से निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है बल्कि रोजगार की मात्रा में वृद्धि करने के लिए स्वयं निवेश के क्षेत्र में भी उतर आती है। कभी-कभी तो मन्दी का सामना करने के लिए सरकार का नियमित रूप में आर्थिक नियंत्रण करना पड़ना है। इससे निश्चय ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता थोड़ी सीमित हो जाती है। परन्तु प्रश्न यह है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को थोड़ा सीमित करने से यदि रोजगार की मात्रा में वृद्धि का जा सकता है तो इसमें बुरी बात क्या है? और फिर जैसा प्रो० केन्ज ने स्पष्ट कहा था कि मन्दी-काल में सरकार को केवल उन्हीं उद्योगों में निवेश करना चाहिए जिनमें निजी उद्योगपति धन लगाना नहीं चाहते, अर्थात् सरकार को किसी भी दशा में निजी उद्योगपतियों से प्रतिযোগिता नहीं करनी चाहिए। अतएव आलोचकों के इस तर्क में कोई विशेष सार नहीं है।

भारत में रोजगार की समस्या

भारत आर्थिक दृष्टि से एक अल्प विकसित एवं पिछड़ा हुआ देश है। भारत के प्राकृतिक साधनों का अभी समुचित विकास सम्भव नहीं हो सका है, किन्तु इसके साथ ही देश की जन-

सख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। फलतः इस समय देश में बेरोजगारी की समस्या ने भीषण रूप धारण कर रखा है। वास्तव में, बेरोजगारी इस समय देश की सबसे गम्भीर समस्या बन गयी है।

यद्यपि बेरोजगारी की समस्या भारत के लिए इतनी गम्भीर है, लेकिन फिर भी इसने बारे में सही-सही एवं विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस समय देश में बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में विश्वसनीय आँकड़ों का लगभग पूर्ण अभाव है। शहरी बेरोजगारी (Urban Unemployment) के बारे में तो फिर भी कुछ थोड़ी-बहुत जानकारी उपलब्ध है क्योंकि शहरो में सरकार द्वारा रोजगार क दफ्तर स्थापित किये गये हैं और उनके माध्यम से शहरी बेरोजगारी के बारे में थोड़े बहुत आँकड़े उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन ग्रामीण बेरोजगारी (Rural Unemployment) के बारे में तो हमें बिलकुल ही जानकारी नहीं है, क्योंकि इससे सम्बन्धित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं और न ही सरकार की ओर से इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने का कोई योजनाबद्ध प्रयास किया गया है।

रोजगार के दफ्तरों द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़ों से प्रतीत होता है कि विगत कुछ वर्षों में शहरी बेरोजगारी में बहुत वृद्धि हुई है। इसके कारण स्पष्ट है—प्रथम, शहरो में शिक्षा के प्रसार के परिणामस्वरूप शिक्षित व्यक्तियों की सख्या अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। परिणामतः शहरो में शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी की कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी है। दूसरे विगत कुछ वर्षों से देहात में रहने वाले लोग भी रोजगार की तलाश में अधिकाधिक सख्या में शहरो में आये हैं। इसमें शहरी बेरोजगारी की समस्या ओर भी जटिल हो गयी है। यद्यपि ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की मात्रा बहुत बढ़ गयी है। द्वितीय कृषि-श्रम जांच (Second Agricultural Labour Enquiry) के अनुसार सन 1951 से 1956 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की सख्या में काफी वृद्धि हुई थी; इसके साथ ही इस अवधि में मज दूरी की दगे में कोई सुधार नहीं हुआ था। अतः हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त गम्भीर बन चुकी है।

क्या भारत में पूर्ण रोजगार की स्थिति सम्भव है ?

कभी-कभी कहा जाता है कि भारत जैसे विस्तृत आकार एवं विशाल जनसख्या वाले देश में पूर्ण रोजगार की दशा को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। परन्तु हमारी राय में ऐसा कहना उचित प्रतीत नहीं होता। यह सत्य है कि भारत एक अति जनसख्या वाला देश है और इस समय इसकी जनसख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है। वर्षों की दासता एवं अन्य कारणों से भारत के प्राकृतिक साधनों का उचित शोषण सम्भव नहीं हो सका है। यदि भारत के इन साधनों का योजनाबद्ध विकास किया जाय तो निश्चय ही देश के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। दूसरे इस दृष्टिकोण से समर्थन में यह भी तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी यदि युद्धकाल में भारत के पूर्ण रोजगार की दशा स्थापित की जा सकती थी तो कोई कारण नहीं कि अब योजनाबद्ध विकास द्वारा देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न न की जा सके। वास्तव में, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश में पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करना है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि देश में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए क्या-क्या कदम उठाये जायें। इस सन्दर्भ में अर्थशास्त्रियों द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं

(1) बचतों में वृद्धि—इस समय भारत में राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचतों का स्तर बहुत कम है। इसी कारण देश के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पूँजी उपलब्ध नहीं होती। अतः पूँजी के अभाव को कठिनाई को दूर करने के लिए यह तो नितान्त आवश्यक है कि देश में बचतों की मात्रा में अधिकतम वृद्धि की जाय। इस उद्देश्य के लिए सरकार को सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए व्याज दर में और अधिक वृद्धि कर दी जाय।

(2) कृषि का विकास—भारतीय कृषि इस समय बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में है। भारतीय किसान आज भी उन्ही विधियों और औजारों का प्रयोग करता है जो सैकड़ों वर्ष पूर्व प्रयुक्त किये जाते थे। परिणामतः प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम होती है। अतः देश के आर्थिक विकास के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि भारतीय कृषि का शीघ्रान्तिशीघ्र समुचित विकास किया जाय। ब्रिटेन जैसी के औजारों, उत्तम बीजों तथा रासायनिक खाद आदि का प्रयोग करके प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाया जाय। इसके साथ ही साथ बेकार पड़ी भूमि को कृषि के अधीन लाया जाय। इससे निश्चय ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मात्रा में वृद्धि होगी।

(3) उद्योगों का विकास—पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भारत आज भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है। पूँजीगत एवं आधारमूलक उद्योगों का सर्वथा अभाव है। उपभोक्ता उद्योग भी अभी पूर्णतः विकसित नहीं हो सके हैं। लघुस्तरीय उद्योगों की वर्तमान दशा भी सन्तोषजनक नहीं है। अतः देश में रोजगार की मात्रा को बढ़ाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि योजनाबद्ध आधार पर उद्योग धन्धों का समुचित विकास किया जाय। वर्तमान उपभोक्ता उद्योगों का विस्तार किया जाय। नये-नये उद्योग स्थापित किये जायें तथा आधारमूलक उद्योगों को और विशेष ध्यान दिया जाय। इससे निश्चय ही बड़े-बड़े उद्योग धन्धों में लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे साथ ही देश में छोटे छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों का भी शीघ्रान्तिशीघ्र विकास किया जाना चाहिए। वास्तव में, छोटे छोटे उद्योगों की रोजगार प्रदान करने की शक्ति बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, उनके लिए अधिक पूँजी की भी आवश्यकता नहीं होती और न ही उन्हें विकसित करने में अधिक समय ही लगता है। अतः भारत जैसे पिछड़े हुए देश को छोटे छोटे उद्योगों के विकास को अधिक महत्त्व देना चाहिए।

(4) परिवहन का विकास—भारत में इस समय परिवहन के विभिन्न साधन भी लगभग अविकसित दशा में ही हैं। रेलों का वर्तमान विकास देश के आकार एवं जनसंख्या को देखते हुए अपर्याप्त है। इसी प्रकार सड़क परिवहन भी पूर्णतः विकसित नहीं हो सका है। आन्तरिक जल परिवहन तो लगभग पूर्णतः अविकसित ही है। यही कारण है कि भारत के आन्तरिक व्यापार का विकास नहीं हो सका है। इसलिए यदि देश में पूर्ण रोजगार की दशा को प्राप्त करना है तो परिवहन के विभिन्न साधनों का और अधिक विकास करना होगा। इससे देश के आन्तरिक व्यापार की स्वतः ही वृद्धि होगी और लोगों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

(5) विदेशी व्यापार में वृद्धि—इस समय भारत का विदेशी व्यापार भी अधिक विकसित अवस्था में नहीं है। विशेषकर समानशायी देशों के साथ भारत का व्यापार अभी अधिक प्रगति नहीं कर सका है। विदेशी व्यापार के विस्तार से लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सभी सम्भव उपाय किये जायें।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार की व्यवस्था

दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय भारत में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या 53 लाख थी। दूसरी योजना का लक्ष्य लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना था। पर न दुर्भाग्यवश, सरकार को इतना सफलता नहीं मिल सकी। दूसरी योजना के दौरान केवल 80 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सका। इसमें से 15 लाख व्यक्तियों को कृषि में और 65 लाख व्यक्तियों का गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार दिया गया। इस प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में योजना के निर्धारित लक्ष्य से 20 लाख कम व्यक्तियों को रोजगार मिला था। परिणामतः दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर लगभग 90 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे।

योजना आयोग के अनुमानानुसार तीसरी योजना के दौरान दश की श्रम-शक्ति में 1 करोड़ 70 लाख की वृद्धि होने की सम्भावना थी। इसमें यदि पहले से चले आ रहे 90 लाख बेरोजगार व्यक्तियों को भी जोड़ दिया जाय तो तीसरी योजना में लगभग 2 करोड़ 60 लाख व्यक्तियों के

लिए रोजगार के नये अवसर खोज निकालना आवश्यक था। किन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना में 35 लाख व्यक्तियों को कुपि में और 1 करोड़ 5 लाख व्यक्तियों को गैर-कुपि क्षेत्रों में रोजगार दिलाने की व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार, कुल मिलाकर तीसरी योजना में 1 करोड़ 40 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई थी। अतः 1 करोड़ 20 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध होंगे, इस विषय पर योजना प्रलेख (Plan Document) कुछ भी प्रकाश नहीं डालता है। प्रथम तीन योजनाओं में इस प्रकार के अनुमान प्रस्तुत किये गये थे। लेकिन चौथी योजना में इस प्रकार के अनुमान प्रस्तुत करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। हाल ही में योजना आयोग ने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्ति की थी और उसे बेरोजगारी की संख्या के अनुमान प्रस्तुत करने से लिए कहा गया था। लेकिन अपनी रिपोर्ट में समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि बेरोजगारी की संख्या से सम्बन्धित अनुमान प्रस्तुत करना उसके लिए सम्भव नहीं है। इसका कारण यह बताया गया था कि बेरोजगारी से सम्बन्धित विषयसन्धी आँकड़े कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं और न ही इस विषय से सम्बन्धित कोई गहन अध्ययन ही किया गया है। योजना आयोग ने समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और चौथी योजना में बेरोजगारी सम्बन्धित आँकड़े प्रस्तुत नहीं किये थे। वास्तव में, यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। आँकड़ों के बिना स्थिति का हमें सही सही आभास ही नहीं हो सकता। लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि बेरोजगारी की समस्या, वास्तव में, एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है। निकट भविष्य में इसके समाधान की कोई सम्भावना नहीं है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम (Rural Works Programme) को विशेष महत्त्व दिया गया था। श्रम-प्रधान उद्योगों (labour intensive industries) की प्राथमिकता दी जायगी, कुटीर उद्योगों के विकास में पहले से भी अधिक धन जुटाया जायगा, टेकनीकल प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जायगी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (प्राक्ष्य) में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने तथा आर्थिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने पर विशेष जोर दिया गया है।

भारत में रोजगार-सम्बन्धी वर्तमान स्थिति (Present Employment Situation in India)—नवीनतम आँकड़ों के अनुसार 30 जून, 1974 को भारत के सार्वजनिक खण्ड (Public Sector) में लगभग 125.49 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। इनका वितरण निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी

	(लाखों में)
रोजगार की शाखा	30 जून, 1974
सार्वजनिक खण्ड की शाखानुसार	
केन्द्रीय सरकार	29.44
राज्य सरकारें	46.96
अर्ध-सरकारी (Semi Government) सरथाएँ	29.75
स्थानीय निकाय (Local Bodies)	29.34
कुल	125.49

(लाखों में)

औद्योगिक वर्गीकरण द्वारा	
कृषि, पशुपालन, वन तथा मछली पालन	3 17
खाने एवं खदान	6 44
उद्योग-धन्धे	10 34
निर्माण कार्य (construction)	9 94
बिजली, गैस, जलपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाएँ	5 42
व्यापार एवं वाणिज्य	4 55
परिवहन, गोदाम एवं संचार	23 22
सेवाएँ (Services)	62 42
कुल	12 550

इसी प्रकार, 30 जून, 1974 को भारत के निजी खण्ड (Private Sector) में लगभग 66 61 लाख व्यक्ति लगे हुए थे। इनका वितरण निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है

सारणी

(लाखों में)

उद्योग-व्यवसाय	30 जून 1974
कृषि पशुपालन, वन तथा मछली पालन	8 50
खाने एवं खदान	1 18
उद्योग धन्धे	40 32
निर्माण-कार्य	1 14
बिजली गैस जलपूर्ति एवं स्वच्छता सेवाएँ	0 41
व्यापार, एवं वाणिज्य	3 13
परिवहन, गोदाम एवं संचार	0 78
सेवाएँ	11 15
कुल	66 61

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि निजी खण्ड में उद्योग-धन्धे श्रमिकों को अधिकतम रोजगार देते हैं। दूसरा स्थान सेवाओं का है। उनसे 11 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि पशुपालन, वने तथा मछली पालन का तीसरा स्थान है।

सन् 1960 के अधिनियम 'The Employment Exchanges Compulsory Notification of Vacancies Act' के अन्तर्गत ऐसे सभी कारखानों एवं कार्यालयों को जिनमें 25 लघुवा 25 से अधिक व्यक्ति काम करते रहते हैं, रोजगार-दिलाऊ दफ्तरों (Employment Exchanges) को खाली स्थानों की सूचना अनिवार्य रूप में देनी पड़ती है। रोजगार-दिलाऊ दफ्तरों को सर्वप्रथम वे अपने वे उद्योग-धन्धे श्रमिकों को नियुक्त करने के शक्त किया गया है

सारणी¹

	1950	1976
1 नाम दिलाऊ दफ्तरों की संख्या	123	500
2 रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या	1,210,358	6,45,000
3, नोकरियाँ दी गयी	331,193	4,29,000
4 Live Registers में दर्ज किये गये अभ्याथियों की संख्या	300,743	97,40,000

(Source : Economic Times, 7th February, 1977)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि सभी रजिस्टर्ड बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिलाया जा सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि रोजगार के अवसरों की संख्या सीमित है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. पूर्ण रोजगार को परिभाषा दीजिए। पूर्ण रोजगार स्थापित करने के लिए राज्य को किस नीति का पालन करना चाहिए ? (आगरा, 1963)

[संकेत—प्रथम भाग में, उदाहरण सहित पूर्ण रोजगार की परिभाषा दीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइये कि प्रो० केन्ज के अनुसार देश में उपभोग एवं निवेश की मात्रा को बढ़ाकर रोजगार में वृद्धि की जा सकती है।]

2. रोजगार के संस्थापित सिद्धान्त को समझाइए तथा उसकी केन्ज के सिद्धान्त से तुलना कीजिए। (आगरा, 1962)

[संकेत—प्रथम भाग में, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के रोजगार सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। तदुपरान्त, इस सिद्धान्त की प्रो० केन्ज द्वारा की गयी आलोचना की चर्चा कीजिए। दूसरे भाग में, प्रो० केन्ज के रोजगार सिद्धान्त की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।]

3. “पूर्ण-वृत्ति” का क्या अर्थ है ? भारत में पूर्णवृत्ति को प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले प्रयत्नों की व्याख्या कीजिए। (आगरा, 1969)

अथवा

पूर्ण रोजगार क्या है ? क्या यह भारत में सम्भव है ? (आगरा, 1970)

अथवा

पूर्ण रोजगार क्या है ? यह भारत जैसे अर्द्ध-विकसित देश में कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? (आगरा, 1971)

[संकेत—प्रथम भाग के लिए देखिए, “पूर्ण रोजगार का अर्थ” नामक उपविभाग। दूसरे भाग के लिए देखिए, “क्या भारत में पूर्ण रोजगार की स्थिति सम्भव है ?” नामक उपविभाग।]

40

राष्ट्रीय आय (National Income)

साधारणतः किसी देश में एक वर्ष में जितना कुल उत्पादन होता है (चाहे भौतिक पदार्थों का हो अथवा सेवाओं का) वही उस देश की राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों से ही देश की आर्थिक स्थिति का आभास होता है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इसके विपरीत, यदि उसकी राष्ट्रीय आय में कमी हो रही है तो हम कह सकते हैं कि उस देश की आर्थिक स्थिति असन्तोषजनक है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण सूचक (Indicator) है।

राष्ट्रीय आय की परिभाषा

राष्ट्रीय आय की मुख्य मुख्य परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं

(क) डॉ० मार्शल की परिभाषा—डॉ० मार्शल ने राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है, "किसी देश का श्रम व पूँजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध योग (Net Aggregate) उत्पन्न करते हैं, वह ही देश की निवल (शुद्ध) वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश है।" ¹ डॉ० मार्शल की इस परिभाषा के अनुसार यदि हम देश के सभी उत्पादन कार्यों की शुद्ध उत्पत्तियों (Net Outputs) का जोड़ करें तो हमें देश की निवल उत्पत्ति का पता चल सकता है। इसी कुल निवल उत्पत्ति का ही देश के विभिन्न साधनों में वँटवारा होता है। डॉ० मार्शल ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रतिवर्ष लगाया जाता है। डॉ० मार्शल इस तथ्य से भी अपरिचिन नहीं थे कि उत्पादन कार्य में मशीनों तथा अन्य पूँजीगत वस्तुओं का मूल्य-ह्रास (Depreciation) होता है और राष्ट्रीय आय की गणना में इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः एक अन्य स्थान पर डॉ० मार्शल ने कहा है "यदि हम देश की आय को विविष्ट रूप से देखते हैं तो हमें उन स्रोतों के मूल्य-ह्रास (जिनसे आय प्राप्त होती है) को राष्ट्रीय आय में से घटा देना चाहिए।" ² इस प्रकार, डॉ० मार्शल वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल उत्पादन में से उत्पादन क्रिया में मशीनों तथा पूँजीगत माल के होने वाले मूल्य-ह्रास को घटाना आवश्यक समझते हैं।

- 1 "The labour and capital of the country acting on its natural resources, produce annually a certain net aggregate of commodities, material, and immaterial, including services of all kinds. This is the true net annual income or revenue of the country or the national dividend" —Marshall
- 2 "If we look chiefly at the income of a country, we must allow for depreciation of the sources from which it is derived" —Ibid.

डॉ० मार्शल की परिभाषा की आलोचना—सैद्धांतिक दृष्टिकोण से डॉ० मार्शल द्वारा की गयी परिभाषा अत्यन्त वैज्ञानिक है और उसका सहज खण्डन नहीं किया जा सकता। किन्तु आलोचकों के अनुसार डॉ० मार्शल की परिभाषा में कुछ बृटियाँ भी पायी जाती हैं। उदाहरणार्थ, यदि इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाय तो राष्ट्र की कुल उत्पत्ति की गणना कर सकता सहज नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, मार्शल के दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय लाभांश का सही-सही मापकन करना सम्भव नहीं है। इसका कारण यह है कि व्यावहारिक जीवन में विशेषकर पिछड़े हुए एवं अल्प-विकसित देशों में बहुत सी वस्तुएँ तथा सेवाएँ ऐसी होती हैं जिनका विनिमय ही नहीं होता। इसके अतिरिक्त, कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हो सकती हैं जो मुद्रा के प्रत्यक्ष सम्पर्क में नहीं आती। फलतः, उनका मूल्य-निर्धारण ही नहीं हो पाता। इस प्रकार ये वस्तुएँ मार्शल की परिभाषा के आधार पर राष्ट्रीय लाभांश में सम्मिलित नहीं हो सकती।

(ख) प्रो० पीगू की परिभाषा—प्रो० पीगू की परिभाषा डॉ० मार्शल की परिभाषा से थोड़ा भिन्न है। प्रो० पीगू के अनुसार, 'राष्ट्रीय आय किसी समुदाय की वस्तुनिष्ठ आय (जिसमें विदेशों से कमायी गयी आय भी सम्मिलित है) का वह भाग है जिसे द्रव्य के रूप में नापा जा सकता है।'¹ प्रो० पीगू की इस परिभाषा में दो बातों पर जोर दिया गया है—(क) देशवासियों द्वारा विदेशों में लगायी गयी पूँजी पर प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। (ख) केवल उची आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है जिसे द्रव्य के रूप में नापा जा सकता है। यदि कोई ऐसी सेवा अथवा कार्य किया जाता है जिसका द्रव्य मूल्य नहीं है अर्थात् जिसके बदले में द्रव्य नहीं चुकाया जाता है तो ऐसी सेवा अथवा कार्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, यदि कोई माता अपने बच्चे के लिए सेवा कार्य करती है तो इस प्रकार के सेवा कार्य की राष्ट्रीय आय में गणना नहीं की जा सकती। प्रो० पीगू राष्ट्रीय लाभांश की माप के सम्बन्ध में एक अन्य स्वयं पर लिखते हैं कि "वही वस्तुएँ एवं सेवाएँ (उनकी दो बार गणना न करते हुए) राष्ट्रीय आय में सम्मिलित का जानी चाहिए जिनका, वास्तव में, मुद्रा के बदले में विक्रय होता है।"²

प्रो० पीगू की परिभाषा की आलोचना—प्रो० पीगू की परिभाषा भी दोषरहित नहीं मानी जा सकती। आलोचकों के अनुसार इस परिभाषा द्वारा प्रो० पीगू ने राष्ट्रीय आय के क्षेत्र को संकुचित कर दिया है। दूसरे शब्दों में, प्रो० पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किये जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपनी नौकरानी को उसकी सेवाओं के बदले 100 रुपये प्रति माह चुकाता है तो उस नौकरानी की सेवाएँ राष्ट्रीय आय में सम्मिलित की जायँगी क्योंकि उसकी सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया है। यदि वह व्यक्ति उस नौकरानी से विवाह कर लेता है तो उसकी सेवाएँ अब राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जायँगी क्योंकि अब उन सेवाओं के बदले उसे 100 रुपये प्रति माह नहीं चुकाया जा रहा है। परिणामतः प्रो० पीगू की परिभाषा राष्ट्रीय आय के क्षेत्र को कुछ अनिश्चित सा बना देती है। नौकरानी की सेवाएँ वही हैं लेकिन कभी तो वे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होती हैं और कभी नहीं। इस प्रकार, प्रो० पीगू का राष्ट्रीय आय सम्बन्धी दृष्टिकोण अस्पष्ट एवं अनिश्चित है।

(ग) प्रो० फिशर की परिभाषा—प्रो० इरविंग फिशर (Irving Fisher) ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा उत्पादन के बजाय उपभोग के आधार पर की है। फलतः प्रो० फिशर की परिभाषा मार्शल तथा पीगू की परिभाषाओं से बिलकुल भिन्न है। जहाँ मार्शल तथा पीगू ने वार्षिक उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है, वहीं प्रो० फिशर वार्षिक उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा करते हैं। प्रो० फिशर के शब्दों में 'राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में केवल अन्तिम उपभोक्ताओं के द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं का (नाहें उनकी प्राप्ति भौतिक अथवा मानवीय परिवरण से हुई ही) समावेश होता है। इस प्रकार एक पिथानी अथवा

1 "National income is that part of the objective income of a community including income earned in foreign countries which can be measured in money" —Pigou
2 "those goods and services should be included (double counting of course, being avoided) and only those that are actually sold for money" —Pigou

एक ओवरकोट जिसका निर्माण मेरे लिए इस वर्ष में हुआ है, मेरी इस वर्ष की आय का अंश न होकर, पूंजी में वृद्धि-मात्र है। केवल इन वस्तुओं के द्वारा मेरे लिए सम्पन्न की गयी सेवाएँ ही इस वर्ष की आय हैं।” इस प्रकार, प्रो० फिशर के अनुसार किसी देश की आय उस देश के वास्तविक उत्पादन से नहीं, बल्कि वास्तविक उपभोग से निर्दिष्ट होती है। प्रो० फिशर द्वारा प्रस्तुत किया गया पिआनों का उदाहरण लीजिये। मान लीजिए कि सन् 1967 में दो हजार रुपये के मूल्य का एक पिआनो तैयार किया जाता है। अब मार्शल तथा पीगू के अनुसार समूचे दो हजार रुपये की सन् 1967 की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जायगा। लेकिन प्रो० फिशर समूचे 2 हजार रुपये की सन् 1967 की राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते। उनके अनुसार सन् 1967 की राष्ट्रीय आय में उस वर्ष में किये गये पिआनों के उपभोग के मूल्य का ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि पिआनों का जीवनकाल 20 वर्ष है। अब सन् 1967 में किये गये पिआनों के उपभोग का मूल्य 100 रुपये होगा। इसलिए सन् 1967 की राष्ट्रीय आय में केवल 100 रुपये ही जोड़ने चाहिए, 2 हजार रुपये नहीं। इस प्रकार हम दखते हैं कि प्रो० फिशर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने समय वस्तुओं के उपभोग-मूल्य को ही सम्मिलित करते हैं।

प्रो० फिशर की परिभाषा की आलोचना—देखने में तो प्रो० फिशर की परिभाषा मार्शल और पीगू की परिभाषाओं की तुलना में अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होती है क्योंकि फिशर के अनुसार किसी वर्ष में वस्तुओं के उपभोग-मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रो० फिशर की परिभाषा का कोई विशेष महत्त्व नहीं है; इसका कारण यह है कि वास्तविक जीवन में सभी वस्तुओं के वास्तविक उपभोग मूल्य की निकालना बहुत ही कठिन कार्य है। इसके लिए पहले तो सभी वस्तुओं के जीवनकाल को निर्दिष्ट करना होगा और फिर यह तय करना होगा कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक उपभोग-मूल्य किस आधार पर निकाला जाय। इस प्रकार प्रो० फिशर की परिभाषा को स्वीकार करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

कौनसी परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है?—अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उपर्युक्त तीन परिभाषाओं में कौन-सी परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ मार्शल और पीगू ने राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ उत्पादन के आधार पर की हैं, वहाँ प्रो० फिशर ने राष्ट्रीय आय की माप के लिए उपभोग के आधार को स्वीकार किया है। इन दोनों दृष्टिकोणों में कौन-सा दृष्टिकोण श्रेष्ठ है, यह बताना सहज नहीं है। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, प्रो० फिशर की परिभाषा मार्शल एवं पीगू की परिभाषाओं की तुलना में अधिक वैज्ञानिक प्रतीत होती है। इस परिभाषा के माध्यम से किसी देश के लोगों के जीवन-स्तर के विषय में सही अनुमान लगाना सरल हो जाता है। किन्तु जैसा हम ऊपर कह चुके हैं प्रो० फिशर की परिभाषा को स्वीकार करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। अब प्रश्न यह है कि मार्शल और पीगू की परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा श्रेष्ठ है। यह सत्य है कि मार्शल की परिभाषा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से अत्यन्त वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण है। परन्तु इस परिभाषा में मुख्य कठिनाई यह है कि उनके द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय का सही मापान नहीं किया जा सकता। जैसा हम पूर्व कह चुके हैं बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ होती हैं जो विनि-मय क्षेत्र में प्रविष्ट नहीं होतीं। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पीगू की परिभाषा ही सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, यद्यपि यह परिभाषा भी पूर्णतः दोषमुक्त नहीं है। पीगू की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किये जा सकते हैं।

कुल राष्ट्रीय आय (Gross National Income)

कुल राष्ट्रीय आय को तीन भिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। कुल राष्ट्रीय आय सभी प्रकार की आय का जोड़ होती है। यह सभी प्रकार के व्ययों का भी जोड़ होता है और

1 “National dividend or Income, consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environments. Thus a piano or an overcoat made for me this year is not a part of this year's income but an addition to capital. Only the services rendered to me during this year by these things are income.”
—Irving Fisher

यह समस्त उत्पादन को मुद्रा मूल्य में व्यक्त भी करती है। इस प्रकार, कुल राष्ट्रीय आय के तीन विभिन्न रूप होते हैं। इन तीनों में से हम किसी भी रूप को अपना सकते हैं किन्तु परिणाम एक ही होगा। इसका कारण यह है कि अब व्यवस्था में किया गया व्यय सर्वत्र अर्थ-व्यवस्था की आय के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, सभी प्रकार की आय का जोड़ सभी प्रकार के व्ययों के जोड़ के बराबर होता है। इसका कारण यह है कि अब वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचा जाता है तो उनके बदले विक्रेताओं को उतना ही धन प्राप्त होता है जितना कि क्रता उनके लिए चुकाते हैं अर्थात् विक्रेताओं की कुल आय क्रताओं के कुल व्यय के बराबर होती है। इसी प्रकार, कुल आय अथवा कुल व्यय उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बराबर होता है जो खरीदी अथवा बेची जाती हैं।

उपर्युक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित तीन रीतियों द्वारा मापा जा सकता है किन्तु इन तीनों रीतियों से परिणाम एक ही निकलता है

(क) किसी समय विशेष में उत्पादन के साधनों को जो पारिश्रमिक (remuneration) अथवा आय प्राप्त होती है उन सभी का जोड़ चाहे वह आप साधनों को नकदी के रूप में मिले अथवा वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में मिले।

(ख) किसी समय विशेष में राष्ट्र के सभी उत्पादन क्षेत्रों में होने वाली शुद्ध-उत्पत्तियों (net outputs) का जोड़।

(ग) किसी समय विशेष में उपभोक्ताओं तथा सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर किये गये व्ययों तथा पूंजीगत वस्तुओं पर किये गये शुद्ध व्ययों का जोड़।

प्रथम विधि के अनुसार तो सभी प्रकार की आय को जोड़ लिया जाता है। दूसरी विधि के अन्तर्गत देश की सभी शुद्ध उत्पत्तियों को जोड़ लिया जाता है। तीसरी विधि के अन्तर्गत उपभोक्ताओं एवं सरकार द्वारा किये गये सभी प्रकार के व्ययों को जोड़ लिया जाता है। जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, राष्ट्रीय आय की इन तीनों विधियों में से किसी को हम अपना सकते हैं परन्तु प्रत्येक दशा में परिणाम एक ही निकलेगा। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इन तीनों विधियों में से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कौन-सी विधि को अपनाया जाय। इसका हम कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकते। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान किस उद्देश्य से लगाया जा रहा है। अतः उद्देश्य के अनुसार ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की विधि का भी चयन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आय सम्बन्धी मुख्य धारणाएँ

राष्ट्रीय आय के विशेषज्ञों ने इससे सम्बन्धित पाँच मुख्य धारणाओं (concepts) का प्रतिपादन किया है। ये इस प्रकार हैं—(क) कुल राष्ट्रीय उत्पादन (ख) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, (ग) राष्ट्रीय आय (घ) वैयक्तिक आय (ङ) उपभोग्य आय। अब इनका हम एक-एक करके विस्तृत विवरण देंगे।

(क) कुल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product or G N P)—इससे अभिप्राय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल जोड़ से है। इसे कभी कभी अर्थ व्यवस्था की समस्त पूर्ति (Aggregate Supply of the Economy) भी कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार की गई है—किसी अर्थ व्यवस्था से एक वर्ष की अवधि में जितनी भी अन्तिम वस्तुएँ तथा सेवाएँ उत्पादित की जाती हैं, उन सभी का बाजार मूल्य के कुल जोड़ को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं—प्रथम इसमें किसी देश में वर्ष में भर उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में जोड़ा जाता है। दूसरे कुल राष्ट्रीय उत्पादन में केवल अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं (final goods and services) को ही सम्मिलित किया जाता है। तीसरे कुल राष्ट्रीय उत्पादन में अनुपादक सौदों (non productive transactions) को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को मुद्रा के रूप में क्यों व्यक्त किया जाता है। इसका उत्तर स्पष्ट है। जैसा हम जानते हैं, प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था में सैकड़ों किस्म की वस्तुएँ तथा सेवाएँ उत्पन्न की जाती हैं। ये वस्तुएँ तथा सेवाएँ भिन्न-भिन्न तौलों व नापों में व्यक्त की जाती हैं। उदाहरणार्थ, कपड़े को मीटरों में, कोयले को मीट्रिक टनों में, पेट्रोल को लिटरों में व्यक्त किया जाता है। यदि इन वस्तुओं तथा सेवाओं को मुद्रा के रूप में व्यक्त न किया जाय तो देश की राष्ट्रीय आय के बारे में हमें कुछ भी अन्दाज़ नहीं हो सकता और न ही हमें यह पता चल सकता है कि राष्ट्रीय आय, वास्तव में, बढ़ रही है अथवा कम हो रही है। यदि हमें दो वर्षों की राष्ट्रीय आय की तुलना करनी है तो हमें दोनों ही वर्षों के उत्पादनों को मुद्रा में परिणत करने उनकी तुलना करनी होगी। इसे हम निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।

सारणी

वर्ष	वार्षिक उत्पादन	वार्षिक उत्पादन का बाजार मूल्य
1966	100 मीटर कपड़ा + 100 क्विंटल गेहूँ + 50 लिटर दूध।	100 मीटर कपड़ा 2 रु० प्रति मीटर + 100 क्विंटल गेहूँ 40 रुपये प्रति क्विंटल + 50 लिटर दूध 1 रुपया प्रति लिटर = 200 + 4000 + 50 = 4250 रुपये।
1967	80 मीटर कपड़ा + 60 क्विंटल गेहूँ + 75 लिटर दूध।	80 मीटर कपड़ा 2 रुपये प्रति मीटर + 60 क्विंटल गेहूँ 40 रुपये प्रति क्विंटल + 75 लिटर दूध 1 रु० प्रति लिटर = 160 + 2400 + 75 = 2635 रुपये।

मान लीजिए कि सन् 1966 में कुल उत्पादन 100 मीटर कपड़ा, 100 क्विंटल गेहूँ तथा 50 लिटर दूध है। सन् 1967 में उत्पादन की मात्रा बदलकर 80 मीटर कपड़ा, 60 क्विंटल गेहूँ, 75 लिटर दूध हो जाती है। अब इन दोनों वर्षों के उत्पादनों की तुलना का सम्भव तरीका यही है कि उन्हें किसी एक ही मात्रा में बदल दिया जाय। वह तरीका यह है कि दोनों वर्षों के उत्पादनों को मुद्रा के रूप में परिणत कर दिया जाय। उपर्युक्त सारणी में ऐसा ही किया गया है। सन् 1966 के उत्पादन का कुल मूल्य 4250 रुपये और सन् 1967 के उत्पादन का कुल मूल्य 2635 रुपये है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सन् 1967 का उत्पादन सन् 1966 के उत्पादन की तुलना में कम हो गया है। इस प्रकार, मुद्रा के उपयोग से दो वर्षों के उत्पादनों की तुलना करना सम्भव हो जाता है।

परन्तु आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि दोनों वर्षों में कीमतें एकसमान क्यों हैं? इसका उत्तर यह है कि हमने उदाहरण को सरल बनाने की दृष्टि से ही एकसमान कीमतों का उपयोग किया है। वास्तव में कीमतें एकसमान नहीं रहती, बल्कि उनमें थोड़ा-बहुत फेर-बदल अवश्य ही होता रहता है। अब कीमतों के फेर-बदल के परिणामस्वरूप यह सम्भव है कि एक वर्ष में दूसरे वर्ष की अपेक्षा सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन भले ही बढ़ गया हो किन्तु यदि कीमतें गिर जाती हैं तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्वतः ही कम हो जायगा। इसी प्रकार, इसके विपरीत भी होगा। यह सम्भव हो सकता है कि किसी वर्ष में दूसरे वर्ष की तुलना में कुल उत्पादन घट गया हो परन्तु कीमतों के बढ़ जाने से कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो जायगी। राष्ट्रीय आय के विशेषज्ञों ने इस कठिनाई का एक हल ढूँढ़ निकाला है। उनके अनुसार एक आधार-वर्ष (Base Year) चुन लिया जाता है और उस वर्ष की प्रचलित कीमतों के सामान्य स्तर को 100 के बराबर मान लिया जाता है। अब यदि हमें किसी वर्ष के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हम उस वर्ष की कीमतों का सामान्य-स्तर ज्ञात करके उसकी आधार-वर्ष की कीमतों के सामान्य स्तर के साथ तुलना करेंगे। इस प्रकार, हमें पता चल जायगा

कि कीमतों के सामान्य-स्तर में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है। तदुपरान्त, उस वर्ष के कुल राष्ट्रीय उत्पादन को उसी अनुपात में घटा दिया जायगा जिसमें कि उस वर्ष में आधार वर्ष की अपेक्षा कीमत स्तर में वृद्धि हुई है। इस प्रकार कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण कुल राष्ट्रीय उत्पादन में समायोजन (adjustment) कर दिया जाता है।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में स्मरणीय दूसरी मुख्य बात यह है कि इसमें केवल अन्तिम वस्तुओं एवं अन्तिम सेवाओं के मूल्यों को ही सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका कारण यह है कि यदि सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की कुल उत्पादन में सम्मिलित कर लिया जाय तो इससे प्रत्येक वस्तु एवं सेवा कई बार गिनी जायगी। परिणामतः हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में सही अनुमान नहीं लगा सकेंगे। अधिकांश वस्तुएँ उपभोक्ता के पास उपभोग हेतु पहुँचने से पहले उत्पादन की कई अवस्थाओं (stages) में से गुजरती हैं और कई बार बेची तथा खरीदी जाती हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के अनुमान में दोहरी गिनती (double counting) से बचने के लिए हमें केवल अन्तिम वस्तुओं (final goods) तथा अन्तिम सेवाओं (final services) के मूल्यों को ही इनमें जोड़ना चाहिए, माध्यमिक वस्तुओं (intermediate goods) तथा सेवाओं के मूल्यों को नहीं।

अब प्रश्न यह है कि अन्तिम वस्तुएँ एवं सेवाएँ क्या होती हैं? जैसा स्पष्ट ही है— अन्तिम वस्तुएँ एवं सेवाएँ वे होती हैं जिनका प्रयोग अन्तिम उपयोग में उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण में प्रयोग नहीं किया जाता। इसके विपरीत माध्यमिक वस्तुएँ एवं सेवाएँ वे होती हैं जो अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। इस प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को अन्तिम उपभोक्ताओं के पास पहुँचने से पूर्व कई प्रकार की अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है।

स्मरण रहे कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान लगाते समय हमें केवल अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मुद्रा मूल्य को ही सम्मिलित करना है माध्यमिक वस्तुओं एवं सेवाओं के मुद्रा-मूल्य को नहीं। जैसा कि हमें उपर कह चुके हैं यदि हम माध्यमिक वस्तुओं एवं सेवाओं को कुल राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित करते हैं तो इससे एक वस्तु अथवा सेवा कई बार गिनी जायगी। परिणामतः हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन का सही सही अनुमान नहीं लगा सकेंगे।

इस बात को एक उदाहरण द्वारा और स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक रेडीमेड बुशर्ट (ready made bush shirt) चार अवस्थाओं में से होकर गुजरती है। पहली अवस्था में किसान कपास पैदा करता है। दूसरी अवस्था में किसान द्वारा बेची गयी कपास कारखाने में कपड़े के रूप में परिणत की जाती है। तीसरी अवस्था में कारखाने में बनाया गया कपड़ा रेडीमेड गारमेण्ट फर्म (ready made garment firm) द्वारा बुशर्ट के रूप में परिणत कर दिया जाता है। चौथी अवस्था में यह फर्म रेडीमेड बुशर्ट को रिटेलर (retailer) के हाथों बेच देता है और अन्त में रिटेलर यह रेडीमेड बुशर्ट उपभोक्ता द्वारा खरीद ली जाती है। अब इस बुशर्ट के विषय में उन सभी चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए, अन्यथा इसके अनुमान में दोहरी गिनती हो जायगा। इसे निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट या जा किञ्चकता है

सारणी

अनेक अवस्थाओं (stages) वाले उत्पादन-क्रिया में मूल्य-वृद्धि

उत्पादन का स्टेज	वस्तु का विधी मूल्य	मूल्य वृद्धि
1 कपास पैदा करने वाला किसान	3 रुपये	3 रुपये
2 कपड़े बनाने वाला कारखाना	10 रुपये	7 रुपये
3 रेडीमेड गारमेण्ट फर्म	15 रुपये	5 रुपये
4 रिटेलर	17 रुपये	2 रुपये
योग	45 रुपये	17 रुपये

उपयुक्त सारणी में यदि हम सभी स्टेजों की कीमतों का जोड़ कर लें तो यह 45 रुपये हो जाता है जबकि उपभोक्ता को उसके लिए केवल 17 रुपये ही चुकाने पड़ते हैं। अर्थात् यहाँ पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 45 रुपये न जोड़कर केवल 17 रुपये ही जोड़ने चाहिए क्योंकि यही अन्तिम वस्तु (बुशशर्ट) का मूल्य है। इस प्रकार यदि हम सभी स्टेजों की कीमतों को जोड़ते हैं तो इससे अनुमान गलत हो जायगा। इस गलती से बचने के दो तरीके हैं—प्रथम, हम केवल अन्तिम वस्तु के मूल्य को सम्मिलित करें जो उपयुक्त सारणी में 17 रुपये है। दूसरा, प्रत्येक स्टेज पर उत्पादनकर्ता की सेवा के परिणामस्वरूप वस्तु के मूल्य में जितनी वृद्धि हुई है, उन सभी मूल्य-वृद्धियों का जोड़ कर लिया जाय। उपयुक्त सारणी में हम देखते हैं कि दूसरे स्टेज पर कपड़ा बनाने वाले कारखाने ने 3 रुपये की कपास लेकर उस पर इतना काम किया है कि वह 10 रुपये के मूल्य के बराबर हो गयी है, अर्थात् कपड़ा बनाने वाले कारखाने ने उसमें 7 रुपये की मूल्य-वृद्धि की है। इसी प्रकार कपड़े से बुशशर्ट बनाने वाली फ़र्में ने कपड़े को बुशशर्ट में परिवर्तित करने में 5 रुपये की मूल्य-वृद्धि की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल्य-वृद्धि वाले तरीके से भी हम उसी परिणाम पर पहुँचते हैं जिस पर कि अन्तिम वस्तुओं के मूल्यों के जोड़ से। परन्तु यहाँ पर यह कह देना उचित होगा कि अन्तिम वस्तुओं के मूल्यों के जोड़ने वाली विधि मूल्य वृद्धि वाली विधि की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें गलती होने की सम्भावना अपेक्षाकृत कम रहती है।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में तीसरी बात यह है। इसमें अनुत्पादक सोदों (unproductive transactions) को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अद्य-व्यवस्था में कई प्रकार के अनुत्पादक सोदे होते हैं। उदाहरणार्थ, वित्तीय सोदे (financial transactions) तथा पुरानी वस्तुओं को बेचने के सोदे। वित्तीय सोदे से अभिप्राय वर्तमान स्टॉक्स एव शेयर्स के प्रय-विश्रय से होता है। ये स्टॉक्स एव शेयर्स पहले से ही चले आ रहे होते हैं। इन स्टॉक्स एव शेयर्स में घन लगाने से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। अतः इस प्रकार के वित्तीय सोदों को कुल राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। दूसरे, पुरानी वस्तुओं की बिन्नी से सम्बन्धित सोदों को भी कुल राष्ट्रीय उत्पादन में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएँ विगत वर्षों में उत्पादित की गयी थी तथा इन्हें पिछले वर्षों में ही गिना जा चुका है। अब यदि इन्हें पुनः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित किया जाता है तो इससे दोहरी गिनती हो जायगी और राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान सही नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था (social security schemes) के अन्तर्गत बेरोजगार श्रमिकों, वृद्धों तथा विधवाओं की सहायतायें सरकार द्वारा भत्ते भी दिये जाते हैं। इन भत्तों को हस्तांतरण भुगतान (transfer payments) कहा जाता है। चूँकि ये भत्त किसी उत्पादक कार्य के बदले नहीं दिये जाते, इसलिए उन्हें कुल राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अब हम यह देखेंगे कि किसी देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान कैसे लगाया जाता है। मुख्यतः इसका अनुमान लगाने के दो तरीके हैं। परन्तु इन दोनों का परिणाम एक ही होता है।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन का व्यय अथवा उत्पादन के दृष्टिकोण से अनुमान

इसके अन्तर्गत, हम बाजार कीमतों पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान निम्नलिखित राशियों को जोड़कर लगाते हैं

(क) वैयक्तिक उपभोग व्यय (Personal Consumption Expenditure)—इससे अभिप्राय समूचे व्यय से है जो किसी देश के लोग अपने निजी उपभोग पर करते हैं।

(ख) कुल देशी निजी निवेश (Gross Domestic Private Investment)—इससे अभिप्राय उस व्यय से है जो निजी व्यवसायों (Private enterprises) द्वारा नये निवेश पर किया जाता है।

(ग) शुद्ध विदेशी निवेश (Net Foreign Investment)—इससे अभिप्राय देश के शुद्ध निर्यात आधिव्यय (net export surplus) से है। दूसरे शब्दों में, जितनी राशि दूसरे देश उस देश की वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने पर लगाते हैं वह उस देश द्वारा विदेशों से आयात की गयी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से कितनी अधिक है।

(स) सरकार द्वारा किये गये क्रय (Government Purchases)—इससे अभिप्राय उस व्यय से है जो सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय पर किया जाता है।

इस प्रकार, स्पष्ट है कि यदि अर्थ-व्यवस्था के कुल उत्पादन को बाजार मूल्य पर खरीद लिया जाय तो वह देश की कुल राष्ट्रीय आय होगी। दूसरे शब्दों में, देश के कुल उत्पादन को खरीद लेने पर जो व्यय होता है वह कुल राष्ट्रीय आय कहलाती है। इस प्रकार, कुल राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए हम उपर्युक्त चार राशियों का जोड़ करना पड़ता है।

कुल राष्ट्रीय उत्पादन का आय दृष्टिकोण से अनुमान

अर्थ व्यवस्था में उत्पादित की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है, वही परिवारों (households) की जेबों में मजदूरी, किराया तथा लाभ आदि के रूपों में आय बन जाता है। किन्तु अर्थ व्यवस्था में किये गये कुल व्यय में दो ऐसे तत्व (elements) भी सम्मिलित होते हैं, जो परिवारों की आय के रूप में उपलब्ध नहीं होते—प्रथम वस्तुओं तथा सेवाओं पर सरकार द्वारा लगाये गये परोक्ष कर (indirect taxes)। दूसरे, पूँजीगत वस्तुओं मकानों आदि की घिसाई-पिटाई के कारण हुआ ह्रास (depreciation)। वस्तुओं और सेवाओं पर परिवारों द्वारा जो व्यय किये जाते हैं उनमें परोक्ष कर भी सम्मिलित होते हैं। इन करों की आय परिवारों के पास आय के रूप में न जाकर सरकार के कोष में जाती है। इसी प्रकार, अर्थ व्यवस्था की कुल आय की गणना करते समय हम इसमें पूँजीगत वस्तुओं एवं मशीनों के मूल्य-ह्रास को भी सम्मिलित कर लेते हैं परन्तु यह भी परिवारों की आय के रूप में प्राप्त नहीं होता। अतः आय दृष्टिकोण से जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान लगाते हैं तो यह व्यय दृष्टिकोण में लगाये गये अनुमान की तुलना में कम बैठता है। इसलिए आय दृष्टिकोण से कुल राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान लगाते समय इसमें परोक्ष करों तथा मशीनों आदि के मूल्य-ह्रास को जोड़ना पड़ता है। इस बात को निम्न सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है

सारणी

कुल राष्ट्रीय उत्पादन के आय तथा व्यय दृष्टिकोण

व्यय अथवा उत्पादन दृष्टिकोण	आय अथवा विभाजन दृष्टिकोण
परिवारों द्वारा उपभोग पर किये गये व्यय	मजदूरी
+	+
सरकार द्वारा खरीदी गयी वस्तुएँ तथा सेवाएँ	किराया
+	+
निजी व्यवसायों द्वारा निवेश पर किये गये व्यय	व्याज
+	+
विदेशियों द्वारा किये गये शुद्ध व्यय	लाभ
	+
= कुल राष्ट्रीय उत्पादन (G N P)	परोक्ष कर
	+
	पूँजीगत वस्तुओं का मूल्य ह्रास
	= कुल राष्ट्रीय उत्पादन (G N P)

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन

(Net National Product)

जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, जब देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो इसमें पूँजीगत वस्तुओं अर्थात् मशीनों आदि की घिसाई-पिटाई के कारण मूल्य-ह्रास होता है। इस प्रकार के मूल्य ह्रास को कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से निकाल दिया जायगा।

शेष शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बच रहता है। इस प्रकार यदि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी प्रकार की अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार-मूल्यों के जोड़ से मशीनों आदि के मूल्य ह्रास को निकाल दिया जाय तो शेष शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बच रहता है। इसे बाजार-मूल्यों पर राष्ट्रीय आय (National Income at Market Prices) भी कहते हैं।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन अथवा बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय = कुल राष्ट्रीय उत्पादन — मशीनों की घिसाई-पिटाई के कारण हुआ मूल्य-ह्रास (Net National Product or National Income at Market Prices = Gross National Product — Depreciation)।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन की धारणा की अपेक्षा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की धारणा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके अन्तर्गत पूँजीगत वस्तुओं के मूल्य-ह्रास की उचित व्यवस्था की जाती है।

राष्ट्रीय आय अथवा साधन-लागत पर राष्ट्रीय आय (National Income At Factor Cost)

अब हम यह देखेंगे कि एक वर्ष की अवधि में जितना शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है, उसे उत्पादित करने के बदले उत्पादन के विभिन्न साधनों ने कितनी आय कमायी है अर्थात् भू-स्वामी को भूमि के बदले कितना लगान, पूँजीपति को पूँजी के बदले कितना ब्याज, श्रमिकों को श्रम के बदले कितनी मजदूरी तथा उद्योगियों को उद्यम के बदले कितना लाभ प्राप्त हुआ है? दूसरे शब्दों में, उत्पादन-लागत पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय यह है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की व्यवस्था करने के लिए विभिन्न साधनों को कितनी आय प्राप्त हुई है अथवा उनकी सेवाओं के बदले उन्हें कितना पारिश्रमिक चुकाया गया है। स्पष्ट है कि जो पारिश्रमिक अथवा आय उत्पादन के साधनों को उपलब्ध होती है, उसमें सरकार द्वारा लगाये गये परोक्ष कर सम्मिलित नहीं होते। जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के अन्तर्गत देश के शुद्ध उत्पादन का बाजार-मूल्यों पर मापाकत किया जाता है। परन्तु जब हमें साधन-लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना होता है तो बाजार-मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से सरकार द्वारा लगाये गये परोक्ष करों को निकाल देना पड़ेगा। इसी प्रकार कर्षकों को कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर सरकार द्वारा उपदान (subsidy) दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, इन वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्पादन-लागत तो अधिक होती है परन्तु सरकार द्वारा उपदान दिये जाने के कारण इन्हें बाजार में उत्पादन-लागत से कम मूल्य पर बेचा जाता है। इस प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को बाजार में भले ही कम कीमतों पर बेचा जाता है, किन्तु इन्हें उत्पादित करने वाले साधनों को अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि हमें विभिन्न साधनों की आय ज्ञात करनी है तो हमें उत्पादन के बाजार-मूल्य में सरकार द्वारा दिये गये उपदान की राशि को जोड़ना होगा।

इन दोनों परिस्थितियों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई विशेष प्रकार का कपड़ा बाजार में 3 रुपये प्रति मीटर की दर से विक्रता है। यह भी मान लीजिए कि इस कपड़े पर 50 पैसे प्रति मीटर उत्पादन कर लगाया जाता है। यद्यपि ग्राहक द्वारा इस कपड़े का मूल्य तीन रुपये प्रति मीटर चुकाया जाता है किन्तु इसमें से उत्पादन के साधनों को केवल दो रुपये पचास पैसे ही मिलते हैं। इस प्रकार, कपड़े की साधन-लागत ज्ञात करने के लिए हमें इसके बाजार-मूल्य में से इस पर लगाये गये परोक्ष कर को घटा देना होगा।

अब मान लीजिए किसी विशेष प्रकार के कपड़े पर सरकार उपदान देनी है जिसके परिणामस्वरूप उस कपड़े का बाजार-मूल्य साधन-लागत (factor cost) से भी कम हो जाता है। मान लीजिए कि सरकार किसी विशेष प्रकार के कपड़े पर 50 पैसे प्रति मीटर उपदान प्रदान करती है और वह कपड़ा बाजार में 2 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से विक्रता है। यद्यपि वह कपड़ा उपभोक्ता को 2 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से मिलता है लेकिन उस कपड़े की साधन-लागत वास्तव में 2 रुपये 50 पैसे + 50 पैसे = 3 रुपये प्रति मीटर है। अतः स्पष्ट है कि इस कपड़े की साधन-लागत ज्ञात करने के लिए हमें इसके बाजार-मूल्य में उपदान जोड़ना पड़े

है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रीय आय अथवा साधन-लागत पर राष्ट्रीय आय = शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन — परोक्ष कर + उपदान [National Income or National Income at Factor Cost = Net National Product (or National Income at Market Prices) — Indirect Taxes + Subsidies] ।

वैयक्तिक आय

(Personal Income)

किसी देश में एक वर्ष की अवधि में सभी व्यक्तियों अथवा परिवारों द्वारा जितनी आय वास्तव में प्राप्त की जाती है, उसे वैयक्तिक आय कहते हैं। स्मरण रहे कि एक वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधनों द्वारा जो आय कमाई जाती है वह सारी को सारी उन्हे उपलब्ध नहीं होती। इसका कारण यह है कि इसमें से कई प्रकार की कटौतियाँ की जाती हैं। उदाहरणार्थ, मिश्रित पूंजी कम्पनी के शेयर होल्डरों को जो आय प्राप्त होती है उसका कुछ अंश उन्हे सरकार को आय-कर के रूप में चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार, श्रमिकों एवं अन्य वेतनभोगी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा हेतु (जैसे प्रॉवीडेंट फण्ड आदि के लिए) अपने वेतनों में से कुछ अंशदान करना पड़ता है। इसके विपरीत, वेरोजगार मजदूरों, वृद्ध व्यक्तियों एवं विधवाओं को सरकार द्वारा भत्ते दिये जाते हैं। इस प्रकार के भत्ते किसी उत्पादक-कार्य के बदले नहीं दिये जाते हैं। इन्हे हस्तान्तरण भुगतान (Transfer Payments) कहा जाता है। अतः जब हमें राष्ट्रीय आय से वैयक्तिक आय निकालनी होती है तो हमें साधनों की आय का वह भाग (जैसे प्रॉवीडेंट फण्ड आदि) जो उन्हे उपलब्ध नहीं होता, राष्ट्रीय आय में से घटा देना पड़ता है। इसके विपरीत, विभिन्न व्यक्तियों को जो हस्तान्तरण भुगतान किये जाते हैं, उन्हे राष्ट्रीय आय में जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार वैयक्तिक आय = राष्ट्रीय आय — विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कटौतियाँ + हस्तान्तरित राशियाँ (Personal Income = National Income — Social Security Contributions + Transfer Payments) ।

उपभोग्य आय

(Disposable Income)

किसी देश में व्यक्तियों तथा परिवारों को जो वैयक्तिक आय उपलब्ध होती है, वह सारी की सारी उपभोग पर व्यय नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि वैयक्तिक आय का एक भाग व्यक्तियों तथा परिवारों को वैयक्तिक करों (personal taxes) के रूप में सरकार को चुकाना पड़ता है। वैयक्तिक आय में से सरकार द्वारा लगाये गये वैयक्तिक करों को निकाल देने से जो भाग शेष बच रहता है, उसे उपभोग्य आय कहते हैं, क्योंकि यह आय ही उपभोग पर व्यय की जा सकती है। अतः उपभोग्य आय = वैयक्तिक आय — वैयक्तिक कर (Disposable Income = Personal Income — Personal Taxes) । परन्तु यह आवश्यक नहीं कि उपभोग्य आय पूर्णतः उपभोग पर ही व्यय की जाय। प्रायः व्यक्ति अपनी उपभोग्य आय का एक बड़ा भाग तो उपभोग पर व्यय करते हैं और शेष बचा सेते हैं। इस प्रकार, उपभोग्य आय = उपभोग + बचत (Disposable Income = Consumption + Saving) ।

राष्ट्रीय आय का महत्व

प्रत्येक देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का बड़ा महत्व होता है। इसे हम निम्नलिखित बातों से स्पष्ट कर सकते हैं।

(1) देश की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षिक महत्व—राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के अध्ययन से हमें किसी देश की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, यदि हम भारत की राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का अवलोकन करें तो हमें पता चलेगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 48.2 प्रतिशत भाग कृषि से उत्पन्न होता है और केवल 16.9 प्रतिशत भाग खानों एवं उद्योग-धन्धों से उपलब्ध होता है।

(2) लोको के रहन-सहन के बारे में ज्ञान—किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के अध्ययन से उस देश के लोको के रहन-सहन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम होने के कारण भारतवासियों का रहन-सहन का स्तर विश्व में निम्नतम है।

(3) सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायता—राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से देश की सरकार को अपनी आर्थिक नीति के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। प्रत्येक देश की सरकार अपनी साख, मुद्रा, निवेश, रोजगार एवं बजट सम्बन्धी नीति का निर्माण राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के आधार पर करती है।

(4) आर्थिक नियोजन के लिए विशेष महत्त्व—नियोजित अर्थ व्यवस्था (planned economy) के लिए राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का विशेष महत्त्व होता है क्योंकि इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता (priority) देने का प्रश्न उत्पन्न होता है। इस समस्या के समाधान में राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़े सहायक सिद्ध होते हैं।

(5) आर्थिक प्रगति के मार्ग में उपस्थित होने वाली बाधाओं का आभास—किसी देश की आर्थिक प्रगति में उपस्थित होने वाली बाधाओं का ज्ञान उस देश की राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित आँकड़ों से हो जाता है। अतः सरकार इस प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए नियोजित आधार पर कार्यवाही कर सकती है।

(5) कर-व्यय योग्यता का अनुमान—राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित आँकड़ों का अध्ययन करने से लोको की कर-व्यय क्षमता (taxable capacity) के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकती है और इसके आधार पर सरकार अपनी कराधान प्रणाली का निर्माण कर सकती है।

(7) देश के आर्थिक कल्याण का सूचक—राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक कल्याण पर गहरा प्रभाव डालती है। अतः किसी देश के आर्थिक कल्याण की अधिकता अथवा न्यूनता उस देश की आय की मात्रा पर निर्भर रहती है। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय अधिक है तो उस देश का आर्थिक कल्याण भी अधिक होगा। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का आकार देश के आर्थिक कल्याण का सूचक (indicator) होता है।

भारत की राष्ट्रीय आय

अभी कुछ वर्षों पूर्व तक भारत सरकार ने देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया था। कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाये गये थे, परन्तु इनको किसी भी तरह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता था। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगाने के महत्त्व को अनुभव किया है। सन् 1949 में भारत सरकार ने वित्त-मन्त्रालय के अधीन राष्ट्रीय आय का विश्वसनीय अनुमान लगाने हेतु राष्ट्रीय आय इकाई (National Income Unit) की स्थापना की थी। तदुपरांत शीघ्र ही इस इकाई का पथ प्रदर्शन करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee) की नियुक्ति की और इसे राष्ट्रीय आय के अनुमान से सम्बन्धित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। प्रो० महालानोबिस (Prof Mahalanobis) इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति की प्रथम रिपोर्ट सन् 1951 में और अन्तिम रिपोर्ट फरवरी 1954 में प्रकाशित की गयी थी। समिति की प्रथम रिपोर्ट में सन् 1948-49 में भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान दिये गये थे और अन्तिम रिपोर्ट में सन् 1948-49 की राष्ट्रीय आय के संशोधित अनुमान तथा सन् 1949-50 एवं 1950-51 में राष्ट्रीय आय के अनुमान दिये गये थे। इसके बाद राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation) को सौंपा गया था। अब वह संगठन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय पर श्वेत-पत्र (White Paper) प्रकाशित करता है।

भारत की राष्ट्रीय आय में प्रवृत्तियाँ (Trends in India's National Income)—भारत की राष्ट्रीय आय में प्रचलित प्रवृत्तियों को अग्रकित सारणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

शुद्ध राष्ट्रीय आय 1974-75
(सन् 1960-61 की कीमतों पर)

(राष्ट्रीय एवं खण्डीय आय करोड रुपये में)

निम्नलिखित तालिका में स्थिर कीमतों (सन् 1960-61 की कीमतों) के आधार पर केन्द्रीय सांख्यिकी समिथन (Central Statistical Organisation) द्वारा तैयार किये गये सन् 1974-75 की राष्ट्रीय आय के तुरन्त अनुमान (Quick Estimates) प्रस्तुत किये गये हैं

सारणी*

खण्ड	1972-73	1973-74	1974-75
1 कृषि	7,284	7,945	7,607
2 वन एवं लकड़ी उद्योग	285	281	281
3 मछली उद्योग	118	124	133
4 खानें एवं खदान	232	237	256
प्रारम्भिक उप-योग (Sub-total)	7 919	8 587	8,277
5 निर्माण (Manufacturing)	3,265	3,387	3,421
5 1 रजिस्टर्ड	2,085	2,185	2,192
5 2 गैर रजिस्टर्ड	1,180	1,202	1,229
6 निर्माण-कार्य (Construction)	1,151	1 044	1 096
7. खजली, गैस, जलपति	227	240	252
गोण उप-योग (Sub total)	4,643	4,67	4 769
8. परिवहन, गोदाम एवं संचार	1,035	1,049	1 091
8 1 रेल परिवहन	432	405	4 1
8 2 अन्य परिवहन	463	494	524
8 3 संचार	140	150	156
9 व्यापार, होटल, रेस्तरा	2,126	2,166	2,2 6
परिवहन संचार व्यापार उप योग(Sub-total)	3,161	3,215	3,297
10 बैंकिंग एवं बीमा	369	368	373
11 वास्तविक सम्पदा (Real Estate)	491	498	503
एवं मकानादि का स्वामित्व			
पित्त और वास्तविक सम्पदा का उप-योग (Sub total)	860	866	876
12 सार्वजनिक प्रशासन एवं सुरक्षा	1,367	1,484	1,571
13 अन्य सेवाएँ	1,320	1,356	1,396
सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं का उप-योग (Sub total)	2,687	2 840	2 967
14 साधन लागत पर कुल राष्ट्रीय आय (Total National Income at Factor Cost)	19,270	20,179	20,186

* (Source : Report on Currency and Finance 1975-76, p 17, issued by the Reserve Bank of India)

उपर्युक्त सारणी का अवलोकन करने से पता चलता है कि स्थिर कीमतों अर्थात् सन् 1960-61 की कीमतों पर सन् 1974-75 में सर्वाधिक आय (अर्थात् 7,607 करोड़ रुपये की आय) कृषि से हुई थी। कृषि भारत का प्रमुख धन्य है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि कृषि से होने वाली आय सर्वाधिक हो। उद्योग-धन्धों (बड़े तथा छोटे) से उसी वर्ष 3,421 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी। व्यापार तथा वाणिज्य का तीसरा स्थान था। इनसे 2,206 करोड़ रुपये की आय हुई थी। चौथा स्थान सार्वजनिक प्रशासन एवं सुरक्षा का था जहाँ से 1,571 करोड़ रु० की आय हुई थी। इसी प्रकार अन्य खण्डों (sectors) से भी आय प्राप्त हुई थी। उपर्युक्त सारणी से भारत की अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न खण्डों का सापेक्षिक महत्त्व भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है।

जैसा कि उपरोक्त सारणी में व्यक्त किया गया है, सन् 1974-75 में भारत की कुल राष्ट्रीय आय 20,186 करोड़ रुपये थी। सन् 1973-74 में देश की राष्ट्रीय आय 20,179 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार 1974-75 में भारत की राष्ट्रीय आय में साधारण सी ही वृद्धि हुई थी। स्थिर कीमतों (अर्थात् 1960-61 की कीमतों) पर सन् 1960-61 में भारत की राष्ट्रीय आय 13,294 करोड़ रुपये ही थी। इस प्रकार 14 वर्षों की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय में 6,892 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकी थी। इसी प्रकार 1960-61 की कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय सन् 1974-75 में 341.4 रुपये थी जबकि 1973-74 में यह 340 रुपये थी। इस प्रकार सन् 1974-75 में भारत की प्रति व्यक्ति आय में 1973-74 की तुलना में कुछ वृद्धि हो गयी थी। सन् 1960-61 में यह प्रति व्यक्ति आय 306.3 रुपये थी। इस तरह 14 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में केवल 35.1 रुपये की अल्प वृद्धि ही हो सकी थी। देश में प्रति व्यक्ति आय की इस धीमी प्रगति का मुख्य कारण जनसंख्या की तीव्र गति से बढ़ना है।

सन् 1974-75 में भारत की राष्ट्रीय आय में (सन् 1960-61 की कीमतों पर) सन् 1973-74 की अपेक्षा केवल 0.2 प्रतिशत की वृद्धि ही हुई थी। जबकि सन् 1973-74 में सन् 1972-73 की अपेक्षा 5.0 की वृद्धि हुई थी। जैसा कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, सन् 1973-74 में भारत की कुल राष्ट्रीय आय 20,179 करोड़ रु० थी लेकिन सन् 1974-75 में यह बढ़कर 20,186, करोड़ रु० हो गई थी। इस नाम मात्र की वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि सन् 1974-75 में खाद्य उत्पादन 104.7 मिलियन टन (सन् 1973-74) से घट कर 101.1 मिलियन टन रह गया था। इससे कृषि खण्ड के उत्पादन में 4.3 प्रतिशत की गिरावट हुई थी। निश्चय ही अर्थ-व्यवस्था के अन्य खण्डों में उत्पादन वृद्धि हुई थी लेकिन यह वृद्धि खाद्य-उत्पादन में गिरावट को तटस्थ न कर सकी। अन्य खण्डों में होने वाली वृद्धियाँ इस प्रकार थी—मछली पालन 7.3%, खनिज 8.0% निर्माण कार्य बिजली गैस जलपूर्ति प्रत्येक में 5% की वृद्धि रेलों को छोड़ कर परिवहन के अन्य साधनों में 6.1% सावजनिक प्रशासन 5.9%।

राष्ट्रीय आय की धीमी प्रगति तथा देश की जनसंख्या में होने वाली 2 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप सन् 1974-75 में भारत की प्रति व्यक्ति आय में थोड़ी-सी वृद्धि हुई थी। सन् 1974-75 में प्रति व्यक्ति आय 341.4 रु० थी जबकि सन् 1973-74 में यह 340 रु० थी।

उपर्युक्त अध्ययन से एक स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। भारत की अर्थ-व्यवस्था अब भी कृषि-प्रधान है। कृषि से अब भी भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक अंश प्राप्त होता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि अन्य खण्डों का विकास करके भारत की अर्थ-व्यवस्था का विविधीकरण किया जाय।

भारत की राष्ट्रीय आय की विशेषताएँ—ये इस प्रकार हैं

(1) **कृषि पर अत्यधिक निर्भरता**—जैसा कि विदित है, भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 48.2 प्रतिशत भाग कृषि से उत्पन्न होता है इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का जितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में, इतना स्थिति को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कृषि एक अत्यन्त अनिश्चय धन्य है। वर्षों की विफलता के कारण यह पूर्णतः चौपट हो जाता है।

(2) राष्ट्रीय आय का असमान वितरण—दुर्भाग्यवश, भारत की राष्ट्रीय आय का वितरण अत्यन्त असमान है। एक अनुमान ने अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 30 प्रतिशत भाग केवल 5 प्रतिशत लोगों के हाथ में केन्द्रित रहता है। परिणामतः देश में राष्ट्रीय आय सम्बन्धी भारी विषमताएँ पायी जाती हैं। विलगत 15 वर्षों में ये विषमताएँ और भी बढ़ गयी हैं।

(3) राष्ट्रीय आय की वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि से अधिक नहीं है—जैसा सर्वविदित है, भारत की जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से (लगभग 22 प्रतिशत वार्षिक की दर से) बढ़ रही है किन्तु राष्ट्रीय आय की वृद्धि भी लगभग इसी दर पर हो रही है। परिणामतः देश की प्रति व्यक्ति आय में बहुत ही कम सुधार हो रहा है।

(4) राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग छाछ-पदार्थों पर व्यय किया जाता है राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 53 प्रतिशत छाछ-पदार्थों पर व्यय किया जाता है। यह हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का स्पष्ट प्रमाण है। यही कारण है कि भारत में बचत एवं निवेश दर बहुत कम है।

भारत की राष्ट्रीय आय के कम होने के कारण जैसा सर्वविदित है, अन्य देशों की तुलना में भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

(1) आर्थिक कारण—(क) बचत एवं निवेश की न्यून दर—अन्य देशों की तुलना में भारत में बचत एवं निवेश दर बहुत ही कम है। इस समय राष्ट्रीय आय का लगभग 11 प्रतिशत लोगों द्वारा बचाया जा रहा है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय का लगभग 14 प्रतिशत निवेश पर लगाया जा रहा है। स्पष्ट है कि भारत की न्यून बचत एवं निवेश दर ही राष्ट्रीय आय की न्यूनता के लिए उत्तरदायी है।

(ख) कृषि पर अत्यधिक निर्भरता—भारत की राष्ट्रीय आय कम होने का यह प्रमुख कारण है। जैसा विदित है कृषि एक अत्यन्त अनिश्चित पन्धा है। कृषि पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहती है। यदि दुर्भाग्यवश किसी वर्ष मानसून फेल हो जाते हैं तो भारतीय कृषि भी चौपट हो जाती है। परिणामतः राष्ट्रीय आय में भारी कमी हो जाती है।

(ग) अपर्याप्त औद्योगिक विकास—भारत की निर्धनता का मुख्य कारण देश के औद्योगिक विकास की अपर्याप्तता है। जैसा हम जानते हैं औद्योगिक दृष्टि से भारत एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ पर भारी एवं आधारभूतक उद्योगों का सब्धा अभाव है। उपभोक्ता-उद्योगों का भी पूर्ण विकास सम्भव नहीं हो सका है। इसी कारण दूसरे देशों की तुलना में भारत की राष्ट्रीय आय कम है।

(घ) परिवहन का अपर्याप्त विकास—दुर्भाग्यवश भारत में परिवहन के विभिन्न साधनों का भी पूर्ण विकास सम्भव नहीं हो सका है। विशेषकर सड़क परिवहन एवं आन्तरिक जल परिवहन अत्यन्त अविकसित दशा में हैं। परिणामतः देश के व्यापार के विस्तार में बाधाएँ उपस्थित हो रही हैं।

(ङ) जनसंख्या की तीव्र वृद्धि—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं भारत की जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के कारण देश की राष्ट्रीय आय में जो थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है वह जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण पूर्णतः तटस्थ हो गयी है। भारत की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय (Money Income Per Capita) में थोड़े ही सुधार हुआ हो लेकिन वास्तविक प्रति व्यक्ति आय (Real Income Per Capita) में पहले की अपेक्षा कमी हो गयी है।

(2) सामाजिक कारण—(क) भारत की कतिपय सामाजिक संस्थाएँ (जाति प्रथा एवं संयुक्त परिवार प्रणाली) राष्ट्रीय आय पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं; वास्तव में दोनों प्रथाएँ देश की जायिक प्रगति के मार्ग में भारी बाधाएँ उपस्थित करती हैं।

(क) भारत में अनसाधारण का भाग्यवादी दृष्टिकोण (Fatalistic Outlook) भी देश की आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे लोग प्रायः निराशावादी हो जाते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं।

(ख) भाग्य में लोगों की अगिज्ञा एवं अज्ञानता भी बड़ी मात्रा में देश के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है।

(3) राजनीतिक कारण—भारत में दीर्घकालीन विदेशी शासन भी देश के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी था। हमारे ब्रिटिश शासकों ने जानबूझकर देश को अविकसित देश में रखा था। उनका मुख्य उद्देश्य भारत में कच्चा माल खरीदना और ब्रिटेन के तैयारशुदा माल को भारत में बेचना था। अतएव उन्होंने अपनी स्वार्थभूमि के लिए भारत में उद्योगों का विकास नहीं होने दिया।

भारत की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए मुझाव—भारत की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित मुझाव प्रस्तुत किए गए हैं

(1) वृत्त एवं निवेश की दर में वृद्धि की जाय—भारत की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि देश में निवेश की मात्रा में अधिकतम वृद्धि की जाय। इस समय राष्ट्रीय आय का केवल 14 प्रतिशत भाग ही निवेश पर लगाया जा रहा है। मुझाव दिया गया है कि इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाय। इसमें देश की आर्थिक प्रगति की गति स्वतः ही तीव्र हो जायगी।

(2) कृषि का विकास किया जाय—राष्ट्रीय आय का दायन के लिए यह भी मुझाव दिया गया है कि भारतीय कृषि का शीघ्रान्विशीघ्र विकास किया जाय। देश में बचकर पड़ी भूमि को खेती में आगे लाया जाय। बटिया किसम के औजारों उत्तम बीजों और रासायनिक खाद का प्रयोग करके कृषि को बढ़ाया जाय।

(3) उद्योगों का विकास किया जाय—राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए बड़े एवं छोटे उद्योगों का शीघ्रान्विशीघ्र विकास किया जाय। विविध प्रकार के उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए छोटे उद्योगों में छोटे ही मध्यम म उत्पन्न करके बढ़ाया जा सकता है।

(4) परिवहन का विकास किया जाय—देश की आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए सभी प्रकार के परिवहन माध्याम का शीघ्रान्विशीघ्र विकास किया जाय। इससे देश के आन्तरिक व्यापार में स्वयं ही वृद्धि हो जायगी।

(5) जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाय—राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए यह भी आवश्यक है कि नियोजित परिवर्द्धन प्रणाली द्वारा जनसंख्या की वर्तमान तीव्र वृद्धि को नियंत्रित किया जाय।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. राष्ट्रीय आय की परिभाषा कीजिए।

(आगरा 1970)

अथवा

राष्ट्रीय आय की परिभाषा कीजिए और इसके संगणन के विभिन्न ढंग बताइये।

(आगरा, 1976)

[संकेत—प्रथम भाग में, मार्गण, पाठ्य एवं विश्व द्वारा प्रस्तुत की गयी राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में राष्ट्रीय आय की गणना करने की दो मुख्य विधियों की विवेचना कीजिए।]

2. देश की राष्ट्रीय आय के घाटे में लिपिए। यह इतनी कम क्यों है? (आगरा, 1961)

[संकेत - प्रथम भाग में, भारत की राष्ट्रीय आय के घाटे में लगाये गये अनुमानों के सम्बन्ध में लिखिए और राष्ट्रीय आय की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। दूसरे भाग में, भारत की राष्ट्रीय आय के कम होने के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों की विवेचना कीजिए।]

3. आय के वितरण में परिवर्तन का आय की वृद्धि-दर पर और रोजगार (employment) पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (आगरा, 1966)

[संकेत—इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। कारासीकृत अर्थशास्त्रियों का मत था कि आय वितरण में समानता स्थापित करने पर पूंजी-निर्माण की दर में गिरावट होगी। परिणामतः राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर एवं रोजगार की मात्रा में ह्रास होगा। इसके विपरीत, समाजवादी अर्थशास्त्रियों का विचार है कि आय-वितरण में समानता स्थापित करने से आय की वृद्धि-दर एवं रोजगार की मात्रा बढ़ जायगी क्योंकि आय के न्यायपूर्ण वितरण से श्रमिकों में नवीन उत्साह उत्पन्न होगा। वे पहले की अपेक्षा अधिक कार्य करेंगे, उत्पादन, आय एवं रोजगार में वृद्धि होगी।]

"Public Finance deals with the provision, custody and disbursement of resources needed for the conduct of public or governmental functions"

—H I. LUTZ

सप्तम् खण्ड
राजवित्त
(PUBLIC FINANCE)

- अध्याय 41 राजवित्त
अध्याय 42 राजवित्त का सिद्धांत
अध्याय 43 सार्वजनिक आय
अध्याय 44 करवाह्यता (करपात) की समस्या
अध्याय 45 सार्वजनिक व्यय
अध्याय 46 सार्वजनिक ऋण
अध्याय 47 वित्तीय प्रशासन
अध्याय 48 भारतीय राजवित्त
अध्याय 49 भारत सरकार का वित्त
अध्याय 50 राज्य सरकारों का वित्त
अध्याय 51 स्थानीय वित्त
अध्याय 52 भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण

कुछ स्मरणीय उद्धरण

- 1 Public Finance is one of those subjects that lie on the borderline between Economics and Politics. It is concerned with the income and expenditure of Public Authorities and with the adjustment of the one to the other. The principles of Public Finance are the general principles which may be laid down with regard to these matters."
—Dalton
- 2 'A tax is a compulsory contribution or payment for the support of Government or other public purposes. Taxes may be employed to raise revenues to regulate certain activities or promote social objectives or for both revenue and regulation.'
—Buhler
- 3 'The best system of taxation from the economic point of view is that which has the best or the least bad, economic effects.'
—Dalton
- 4 'Direct and Indirect Taxes are two attractive sisters between whom I have to be perfectly impartial because, as Chancellor of the Exchequer it is not only allowable but an act of duty to pay my address to them both.'
—Gladstone
- 5 Taxable capacity is the limit of squeezability—it is the taxability of a nation, the maximum amount of taxation that can be raised and spent to produce the maximum economic welfare in the community.'
—Findlay Shirras
- 6 "The main objective of public expenditure is to direct the productive resources in such a way that there may be maximum production of economic welfare."
—Dalton
- 7 'I hold it to be true that a tax levied in any place is like a pebble falling into and making circles in a lake till one circle produces and gives motion to another, and the whole circumference is agitated from the centre.'
—Lord Mansfield

41

राजवित्त

(Public Finance)

राजवित्त की परिभाषा

प्रत्येक देश में सरकार को कुछ विशेष कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है (क) आवश्यक कार्य (Obligatory Functions), तथा (ख) ऐच्छिक कार्य (Optional Functions)।

विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना, देश के भीतर शान्ति और व्यवस्था स्थापित करना, सरकार के आवश्यक कार्य हैं। परन्तु शिक्षा की व्यवस्था करना, अस्पतालों की स्थापना करना आदि ऐच्छिक कार्य हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए सरकार को धन व्यय करना पड़ता है और इसलिए सरकार को धन की आवश्यकता पड़ती है। अतः जो विज्ञान सरकार के धन प्राप्त करने तथा धन व्यय करने की क्रियाओं का अध्ययन करता है उसे राजवित्त कहते हैं। प्रो० फिण्डले गिराज (Findlay Shirras) राजवित्त की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि "राज्यसत्ता द्वारा साधनों की प्राप्ति तथा व्यय से सम्बन्धित सिद्धान्तों का अध्ययन ही राजवित्त कहलाता है।" ¹ डा० डाल्टन (Dr Dalton) के कथनानुसार राजवित्त उन विषयों में से एक है जो कि अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। इसका सम्बन्ध राज्य सत्ता की आय तथा व्यय और उनके पारस्परिक समीकरण से है। ² प्रो० लुट्ज (Prof Lutz) के शब्दों में, 'राजवित्त का विषय राजकीय एवं जनहित कार्यों के लिए आवश्यक साधनों को एकत्रित करना उनके संरक्षण तथा व्यय का अध्ययन है।' ³

उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है, केवल शब्दों का हेर फेर है। जहाँ तक आधारमूलक विचारों का सम्बन्ध है, वे सभी में एक जैसे हैं।

राजवित्त को विज्ञान (Science) तथा कला (Art) दोनों ही कहा जा सकता है। जब हम सरकारी आय एवं व्यय के सिद्धान्तों तथा नीतियों का अध्ययन करते हैं तब यह राजवित्त का वैज्ञानिक रूप होता है किन्तु जब हम इन सिद्धान्तों का प्रयोग सरकार की वित्तीय समस्याओं का समाधान करने के लिए करते हैं तब यह कलात्मक रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार राजवित्त का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक महत्त्व है।

1 "the study of the principles underlying the spending and raising of funds by public authorities"
—Findlay Shirras

2 "It is one of those subjects which lie on the borderline between Economics and Politics. It is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of the one to the other"
—Dalton

3 "Public Finance deals with the provision, custody and disbursement of resources needed for the conduct of public or governmental functions"
—Lutz

राजवित्त की विषय-सामग्री (Subject matter of Public Finance)

राजवित्त के निम्नलिखित चार भाग हैं

(1) सार्वजनिक आय (Public Revenues)—राजवित्त के इस विभाग में हम उन सभी स्रोतों का अध्ययन करते हैं जिनसे सरकार को आय प्राप्त होना है। इस विभाग में हम कराधान के सिद्धान्त का विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही साथ इस विभाग में कराधानता (Incidence of Tax) का समझना का भी अध्ययन किया जाता है।

(2) सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)—इस विभाग में हम सार्वजनिक व्यय के मुख्य सिद्धान्तों का अध्ययन करते हैं और यह भी स्पष्ट है कि सरकार किस प्रकार अपने व्यय का नियंत्रण करती है।

(3) सार्वजनिक ऋण (Public Debt)—जिस प्रकार एक निजी व्यक्ति का ऋण का आवश्यकता पड़ना है ठीक उसी तरह सरकार का भी कुछ विशेष परिस्थितियों में (जैसे युद्ध, ज्वान या आदि में) ऋण का आवश्यकता पड़ना है। इसका कारण यह है कि एक समय पर सरकार को व्यय उसका आय का तुलना में बड़ा हो जाता है। अतः बजट के घाट को पूरा करने के लिए सरकार को ऋण लेना पड़ता है। आधुनिक सरकारों द्वारा अधिक विकास के लिए भी ऋण लेना है। उदाहरणार्थ भारत सरकार पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वित करने के लिए बड़े पैमाने पर ऋण ले रही है।

(4) वित्तीय प्रशासन (Financial Administration) इस विभाग में हमें पता होना चाहिए कि सरकार वित्त प्रबंधन कैसे करती है बजट कैसे तैयार किया जाता है और उसमें क्या-क्या नियंत्रण किया जाता है। सरकार का व्यय पर कौन-कौन से नियंत्रण रखे जाते हैं और व्यय तथा आय का कौन-कौन-सा अन्वेषण (Auditing) किया जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि वित्तीय प्रशासन का राजवित्त का एक विभाग नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह स्वयं एक विज्ञान है। परन्तु अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मत है कि वित्तीय प्रशासन का राजवित्त का ही एक अभिन्न अंग मानना चाहिए।

निजी वित्त तथा राजवित्त में अन्तर (Differences between Private Finance and Public Finance)

सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि निजी वित्त एवं राजवित्त के आधारभूत सिद्धान्त एक जैसे ही हैं। दोनों में आय-व्यय का समन्वयन (Adjustment) किया जाता है। दोनों का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। जिस प्रकार एक निजी व्यक्ति अपने व्यय में अधिकतम उपयुक्तता प्राप्त करना चाहता है ठीक उसी तरह सरकार भी अपने व्यय में अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करती है किन्तु इन समानताओं के साथ-साथ निजीवित्त एवं राजवित्त में कुछ अन्तर भी पाये जाते हैं।

(1) आय तथा व्यय का समन्वयन—निजी वित्त तथा राजवित्त में आय-व्यय का समन्वयन एक-दूसरे के समान ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति यथामुम्भव अपना व्यय अपने आय के अनुसार ही करता है अर्थात् निजी व्यक्ति का व्यय उसका आय से समान होता है। निजी व्यक्ति के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह अपने व्यय को अपने आय के अनुसार ही करता है—जैसे 'Cut your coat according to your cloth' परन्तु सरकारी व्यय पर यह बात लागू नहीं होती। सरकार अपने व्यय का अनुमान लगाती है और उसके अनुसार ही व्यय के अनुसार ही अपना आय का प्रयत्न करती है।

परन्तु निजी वित्त और राजवित्त के अन्तर में कुछ अतिशक्ति का तब ही सकता है। कभी-कभी निजी व्यक्ति को कुछ विशेष परिस्थितियों में अपना व्यय अपने आय से अधिक व्यय कर सकता है। उदाहरणार्थ भारत में किसान सामाजिक-उत्सवों पर अपने साधनों से भी अधिक व्यय कर पाते हैं। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति का व्यय उसका आय से अधिक हो जाता है तब वह अपना व्यय को अपने आय का प्रयत्न करता है। अतः यह कहना सही ठीक नहीं होगा कि निजी व्यक्ति अपने व्यय पर पसारता है जिनका कि उमका चोकर होता है। इस प्रकार सरकार के बारे में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपने व्यय के अनुसार ही आय का प्रयत्न

करती है। व्यय का कारण यह है कि कोई भी सरकार अपनी आय का असीमित मात्रा में नहीं बढ़ा सकती। जत व्यय करते समय सरकार को अपनी आय को सीमितता का सदैव ध्यान रखना पड़ता है।

(2) साख शक्ति का अंतर—एक निजी व्यक्ति और सरकार की साख शक्ति में भी बड़ा अंतर होता है। निजी व्यक्ति का साख सीमित होता है। वह केवल सामित मात्रा में और सीमित समय के लिए ही उधार ले सकता है। इसके विपरीत सरकार को साम्य ंगभय असीमित होती है। सरकार जिस मात्रा में चाहे जागो स ऋण ले सकती है। सरकार न बढन जपन नागरिका स वलिक विदेशियो स भी ऋण प्राप्त कर सकती है।

(3) नोट छापने का अधिकार—सरकार के पास आय का एक ऐसा साधन होता है जो एक निजी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता। सरकार नोट छाप सकती है और उमक द्वारा छाप गये नोटा का सभी व्यक्तिया द्वारा कानूनन स्वीकार करना पडता है। अधिक सकट एव युद्ध क समय जाधनिक सरकारें नोट छापकर जपन पय का पूरा करना ह लेकिन एक निजा व्यक्ति का नोट छापन का अधिकार नहा है।

(4) समसीमात उपयोगिता नियम का परिपालन—एक निजा व्यक्ति अपना व्यय मम सीमात उपयोगिता नियम के अनुसार करने का प्रयत्न करता है अथात वह अपनी आय का विभिन्न मन्त पर इस ढग में व्यय करता है कि प्रत्येक मद में उपलब्ध हानी वाली सीमान्त उपयोगिता समान होती है क्यकि ऐसा करने से ही उस अपन व्यय में अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो सकती है। एक निजी व्यक्ति अपनी आय का उपभोग तथा वचत में भी इस ढग में वितरित करता है कि दाना की सीमात उपयोगिताए बराबर होती हैं। दूसरे शब्दा में एक निजी व्यक्ति यथासम्भव समसीमात उपयोगिता नियम का पालन करने का प्रयत्न करता है किन्तु सरकार समसीमात उपयोगिता नियम का इतना महत्व नहीं देती जितना कि एक निजा व्यक्ति देता है। विज्ञापक प्रजातान्त्रिक देशों में कभी कभी सरकारें इस प्रकार के व्यय भी कर डालती हैं जिनका कोई विशेष लाभ नहा होता। व ऐसा कवल कुछ वर्गों का सतुष्ट करने के लिए ही करता है। इससे अति रिक्त एक निजी व्यक्ति की अपक्षा सरकार अतमान की तुलना में भविष्य का अधिक महत्व देती है। निजी व्यक्ति भविष्य को इतना महत्व नहा देता जितना कि अतमान को क्यकि निजी व्यक्ति से कुछ समय के लिए जीवित रहता है जबकि राष्ट्र सदैव जीवित रहता है।

(5) बजट का स्वरूप—एक निजी व्यक्ति के लिए वचत वाला बजट (Surplus Budget) सन्व अच्छा होता है अथात एक व्यक्ति के अपनी आय का तुलना में व्यय कम करना चाहिए। परन्तु सरकार के लिए वचत वाला बजट अब अच्छा नहा समझा जाता। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि वचत वाला बजट सरकार के लिए उपयुक्त नहा जाता। उनसे अनुसार यदि किसी सरकार का बजट वचतपूर्ण होता तबसे दा अर्थ नगाय जा सकते हैं— प्रथम सरकार जागो पर आवश्यकता से अधिक कर लगा रही है। दूसरे सरकार राष्ट्र कयाणकारी कार्या पर कलना व्यय नहा कर रही जितना कि उस करना चाहिए। जे० केज (Keynes) ने सदा काल में लिए घाटे वाले सरकारी बजट (Deficit Government Budget) का समर्थन किया था। इस प्रकार एक निजी व्यक्ति के लिए तो वचत वाला बजट सन्व अच्छा रहता है किन्तु सरकार के बारे में ऐसा नहा कहा जा सकता है।

(6) बजट की गोपनीयता (Secrecy of the Budget)—एक निजी व्यक्ति का बजट गोपनीय होता है इसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति के बारे में दूसरों का जानकारी देना पसंद नहीं करता क्योंकि इससे उसका साख पर कुप्रभाव पड सकता है। तबसे विपरीत सरकारी बजट के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अजातान्त्रिक देशों में तो सरकार अपने बजट को अधिक से अधिक प्रचार करता है बजट का संसद में प्रस्तुत किया जाता है उस पर काफी बहस होती है भाल चनाए की जाता है तथा सुचाव प्रस्तुत किया जात है। इस प्रकार सरकारों बजट के बारे में गोपनीयता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(7) वित्त की लोचकता—निजा वित्त की अपक्षा राजवित्त अधिक लाचदार होता है। निजी वित्त में परिवर्तन की विशेष गुणादेश नहा हानी जबकि राजवित्त में बहुत बड़े परिवर्तन

किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, एव निजी व्यक्ति अपनी आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं कर सकता और न ही वह अपने व्यय में विशेष परिवर्तन कर सकता है। इसके विपरीत, सरकार अपनी आय को नये करों द्वारा पर्याप्त मात्रा में बढ़ा सकती है और अपने व्यय में भी आवश्यकता-नुसार समय-समय पर परिवर्तन कर सकने में समर्थ होती है।

(8) उद्देश्य का अन्तर—निजी वित्त तथा राजवित्त के उद्देश्यों में आधारमूलक अन्तर है। निजी वित्त का उद्देश्य स्वार्थ-हितो की पूर्ति करना है जबकि राजवित्त का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना होता है।

राजवित्त का महत्व

19वीं शताब्दी में राजवित्त का कोई विशेष महत्व नहीं हुआ करता था। इसका कारण यह था कि उस समय सरकार आर्थिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। सरकार का कार्य केवल देश को विदेशी आक्रमणों से बचाना एवं आन्तरिक सुरक्षा की व्यवस्था करना हुआ करता था। अतः इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए सरकार थोड़ी ही मात्रा में करों द्वारा लोगों से धन एकत्रित किया करती थी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में अव्यय नीति (Laissez-Faire) के कारण राजवित्त को कोई विशेष महत्व प्राप्त नहीं था।

किन्तु 20वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की धारणा के उदय के परिणामस्वरूप सरकार का राजवित्त के प्रति दृष्टिकोण पूर्णतः बदल गया है। अब सरकारें आर्थिक विषयों में अधिक हस्तक्षेप करने लगी हैं। परिणामतः राजवित्त का महत्व बढ़ गया है। इस समय राजवित्त के महत्व का निम्नलिखित बातों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

(1) देश में आवश्यक वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योग-धन्धों को सरकार द्वारा उपदान (Subsidies) दिये जाते हैं। पिछड़े हुए अल्प-विकसित देशों में तो उपदानों का सरकारी व्यय में विशेष महत्व होता है।

(2) देश में हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन को निरस्त/साहित करने के लिए सरकार द्वारा वस्तु-कर लगाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, शराब, गाँजा आदि हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन पर भारी कर लगाये जाते हैं। इनका उद्देश्य इन वस्तुओं के उपयोग को कम करना होता है।

(3) अल्पविकसित एवं पिछड़े हुए देशों में शिशु-उद्योगों को प्रशुल्क-नीति द्वारा विदेशी प्रतिযোগिता से संरक्षण दिया जाता है, अर्थात् विदेशी माल के आयात पर सरकार भारी कर लगा कर देशी उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देती है।

(4) राजवित्त देश के योजनाबद्ध आर्थिक विकास में भी बहुमूल्य सहायता प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, भारत में पञ्चवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक धन करों द्वारा लोगों से प्राप्त किया जाता है। फिर प्रही धन देश की विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में लगाया जाता है।

(5) रोजगार के आधुनिक सिद्धान्त में भी राजवित्त का महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरणार्थ मन्दी काल में किसी देश में रोजगार की मात्रा को बढ़ाने के लिए असन्तुलित बजट अनावश्यक होता है, अर्थात् ऐसे समय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार को यथा-सम्भव सार्वजनिक निर्माण-कार्यों (Public Works) पर अधिकाधिक मात्रा में धन व्यय करना चाहिए। इसी प्रकार मन्दी काल में बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ते भी दिये जाने चाहिए ताकि वे अपने उपभोग-स्तर को बनाये रख सकें।

(6) पूँजीवादी देशों में धन वितरण सम्बन्धी विषयमताओं को दूर करने में भी राजवित्त का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तव में, ऐसे देशों में राजवित्त सरकार के हाथ में एक ऐसा यन्त्र होता है जिसकी सहायता से वह आय सम्बन्धी विषयमताओं को दूर अथवा कम कर सकती है। उदाहरणार्थ, सरकार धनी व्यक्तियों पर भारी कर लगाकर प्राप्त होने वाली आय का निर्धनों पर व्यय कर सकती है। सरकार निर्धनों को कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान कर सकती है। जैसे, सस्ता अनाज, सस्ते मकान, निःशुल्क डाक्टर की सहायता तथा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। इस प्रकार राजवित्त की सहायता से सरकार धन को अमीरों से लेकर गरीबों को हस्तान्तरित कर सकती है। परिणामतः सरकार आय सम्बन्धी असमानताओं को कम कर सकती है।

(7) समाजवादी तथा साम्यवादी देशों में तो राजवित्त का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार के देशों में राजवित्त की सहायता से ही समूचे आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का निर्माण किया जाता है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1) सावजनिक राजस्व से क्या तात्पर्य है ? व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक राजस्व में क्या कोई आधारभूत अन्तर है ? मतीभाति समझाइए।
(आगरा, 1963)

[संकेत—प्रथम भाग में सावजनिक राजस्व (राजवित्त) की परिभाषा देते हुए इसका अर्थ की व्याख्या कीजिए। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा की गयी राजवित्त की परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। दूसरे भाग में यह बताना कि यद्यपि व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक राजस्व में कोई समानताएँ हैं तथापि इन दोनों के बीच कोई आधारभूत अन्तर भी है। तदुपरान्त इन आधारभूत अन्तरों का उदाहरणसहित स्पष्ट कीजिए।]

- 2) योजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था में राजस्व के महत्त्व एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए।
(दिल्ली 1961)

[संकेत—पहले यहाँ पर यह बताइए कि 20वीं शताब्दी में कितने कारणों से राजस्व का महत्त्व बढ़ गया है। तदुपरान्त यह बताना कि योजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था में राजस्व का क्या महत्त्व है और इसके द्वारा किन किन कार्यों का सम्पन्न किया जाता है।]

42

राजवित्त का सिद्धान्त (Doctrine of Public Finance)

राजवित्त का अध्ययन करने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि राजवित्त का आधारभूत उद्देश्य क्या होता है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। अब हम उन सिद्धान्तों का एक-एक करके वर्णन करेंगे।

(1) न्यूनतम कर सिद्धान्त (Principle of Minimum Taxation)

यह राजवित्त का प्राचीनतम सिद्धान्त माना जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार को अपना व्यय न्यूनतम रखना चाहिए और लोगों पर कम से कम कर लगाने चाहिए। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे० बी० से० (J B Say) के अनुसार राजवित्त का सबसे सुन्दर प्रबन्ध वह है जिसमें व्यय नहीं के बराबर होता है। इसी प्रकार सभी करों में उन्मत्त कर वह है जिसकी मात्रा न्यूनतम होती है। 19वीं शताब्दी के अधिकांश अर्थशास्त्री इसी विचारधारा के समर्थक हुआ करते थे। इस विचारधारा के 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय होने के दो मुख्य कारण थे— प्रथम, उस समय साधारण जनता में व्यक्तिवाद (Individualism) की भावना बहुत प्रबल हुआ करती थी। अधिकांश लोगों का यह विचार था कि सरकार को आर्थिक विषयों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जहाँ तक आर्थिक क्षेत्र का सम्बन्ध है—साधारण जनता को उसमें प्रविष्ट होने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। दूसरे उस समय, अधिकांश अर्थशास्त्रियों का यह विचार हुआ करता था कि सरकारी व्यय सदैव अनुत्पादक होता है। अतः इसे न्यूनतम रखा जाना चाहिए।

किन्तु वर्तमान समय में ये दोनों धारणाएँ गलत प्रतीत होती हैं। जैसा ज़िदित है, पुरानी अव्यय नीति (Laissez-Faire) अब अप्रचलित (obsolete) हो गयी है। सरकार के कार्य क्षेत्र की परिधि अब विस्तृत हो गयी है। वर्तमान समय में सरकारें आर्थिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करती हैं। अतः "न्यूनतम कर" सिद्धान्त अब केवल ऐतिहासिक महत्त्व का ही रह गया है। दूसरे, "न्यूनतम कर" सिद्धान्त के अनुसार सरकार द्वारा लगाया गया प्रत्येक कर बुरा होता है परन्तु आज यह बात सत्य नहीं है। सरकार द्वारा लगाये गये कुछ कर अवश्य ही ऐसे हैं जिन्हें किसी भी दृष्टि से बुरा नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, शराव अफीम, जैसी हानिकारक वस्तुओं पर लगाये गये कर बुरे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनके फलस्वरूप इन वस्तुओं का उपभोग हतोत्साहित होता है। तीसरे, न्यूनतम कर सिद्धान्त के अनुसार सरकारी व्यय सदैव अनुत्पादक होता है, किन्तु यह कहना भी उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि सरकार के कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी दृष्टि से अनुत्पादक नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, शिक्षा, बिक्रिस्ता, कृषि तथा उद्योग-धंधों पर किये गये सरकारी व्यय अनुत्पादक नहीं माने जा सकते। इन्हीं प्रकार यह कहना भी उचित नहीं है कि व्यक्तिगत व्यय सदैव उत्पादक होता है। अनेक ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जहाँ व्यक्तियों द्वारा किये गये व्यय किसी भी दृष्टिकोण

से उत्पादक नहीं माने जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, शराब, जुए आदि पर किया गया व्यक्तिगत व्यय उत्पादक व्यय नहीं है।

(2) न्यूनतम सामूहिक त्याग सिद्धान्त (Principle of Minimum Collective Sacrifice)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन भी 19वीं शताब्दी के कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था। इस सिद्धान्त के अनुसार सरकारी व्यय का भार समाज पर इस प्रकार वितरित किया जाय कि समूचे समाज को ओर उसकी विभिन्न इकाइयों को न्यूनतम त्याग (minimum sacrifice) करना पड़े। इसीलिए इस सिद्धान्त को "न्यूनतम सामूहिक त्याग सिद्धान्त" कहा जाता है। पहले सिद्धान्त की भाँति यह सिद्धान्त भी इस विचारधारा पर आधारित है कि प्रत्येक कर आवश्यक रूप से बुरा होता है। अतः सरकार को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम मात्रा में कर लगाने चाहिए। इस प्रकार "न्यूनतम कर" सिद्धान्त तथा "न्यूनतम सामूहिक त्याग" सिद्धान्त में बहुत बड़ी समानता पायी जाती है।

परन्तु प्रथम सिद्धान्त की भाँति इस सिद्धान्त को भी वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके दो कारण हैं— प्रथम, आधुनिक समय में सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। आधुनिक सरकारें कई प्रकार के ऐसे कार्य सम्पन्न करती हैं जो 19वीं शताब्दी में इनकी कार्य-परिधि से बाहर माने जाते थे। चूँकि अब सरकार का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है, अतः सरकार को अपने विस्तृत कार्यों को भलीभाँति करने के लिए अधिक मात्रा में कर लगाने पड़ते हैं। दूसरे, यह सिद्धान्त एक पूर्ण सिद्धान्त नहीं माना जा सकता। यह तो केवल आय-पक्ष पर ही जोर देता है, व्यय-पक्ष की उपेक्षा करता है, जबकि राजवित्त का सिद्धान्त तो ऐसा होना चाहिए जो आय तथा व्यय दोनों से ही सम्बन्धित हो। इस दृष्टिकोण से यह एक अधूर्त सिद्धान्त ही है।

(3) मितव्ययता का सिद्धान्त (Principle of Economy)

19वीं शताब्दी के कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार सरकार अपने व्यय में प्रामाण्य उतनी सावधान एवं सतर्क नहीं हो सकती जितना कि एक निजी व्यक्ति होता है। सरकार के अधिकांश व्यय अनावश्यक एवं अविवेकपूर्ण होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि अपने व्यय की व्यवस्था करते समय सरकार मितव्ययता के सिद्धान्त को अपने सम्मुख रखे। इस प्रकार इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों ने सरकारी व्यय में मितव्ययता की आवश्यकता पर अधिक बल दिया है।

किन्तु उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों की भाँति यह सिद्धान्त भी कुटिपूर्ण प्रतीत होता है—प्रथम, यह महत्ता उचित नहीं है कि सरकार व्यय करते समय सदैव असावधान रहती है। हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर सरकार ने अपने व्यय को अत्यन्त सावधानी एवं सतर्कता से किया है। वास्तव में, सरकारी व्यय पर दत्तने नियन्त्रण होते हैं कि उनमें किसी प्रकार की असावधानता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। दूसरी प्रकार यह कहना भी उचित नहीं है कि निजी व्यक्ति अपने व्यय में सदैव सावधान ही रहता है। हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर निजी व्यक्तियों ने व्यय करते समय अपने हितों की पूर्ण उपेक्षा की है। दूसरे, उपर्युक्त सिद्धान्त की भाँति यह सिद्धान्त भी एक-पक्षीय सिद्धान्त (one sided theory) है, अर्थात् यह सिद्धान्त राजवित्त के व्यय पक्ष पर ही जोर देता है और आय-पक्ष की पूर्ण उपेक्षा करता है। इस तरह यह सिद्धान्त भी एक अधूर्त सिद्धान्त ही है।

(4) अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त (Principle of Maximum Social Advantage)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० डाल्टन द्वारा किया गया है। उनके अनुसार राजवित्त की सर्वोत्तम प्रणाली वह होती है जिससे सरकार अपने कार्यों द्वारा अधिक-

तम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करती है। डा० डाल्टन के अनुसार प्रत्येक सरकार का अपनी आय की व्यवस्था एवं व्यय का निर्धारण करते समय इस सिद्धान्त का ध्यान में रखना चाहिए।


जैसा कि विदित है, सरकार अपने वित्तीय-कार्यों (financial activities) द्वारा देश के सभी वर्गों को प्रभावित करती है। एक आर तो सरकार कुछ वर्गों पर कर लगाती है और दूसरी ओर उन्हीं वर्गों से प्राप्त हान वाली आय को कुछ अन्य वर्गों पर व्यय करती है। आधुनिक सरकारें प्रायः धनिक वर्गों पर लूंचे कर लगाती हैं और इनसे प्राप्त होने वाली आय निम्न वर्गों पर व्यय की जाती है। उदाहरणार्थ निम्न वर्गों का मस्ताना अनाज मन्ते गकान तथा शिक्षा सम्बन्धी कई प्रकार की रियायतें दी जाती हैं। इस प्रकार आधुनिक सरकार अमीरों से धन एकत्रित करके उसे गरीबों का हस्तान्तरित करती है। इस प्रकार की प्रक्रिया (process) स अमीरों को तो कुछ कष्ट होता है किन्तु गरीबों का अवश्य ही लाभ होता है। इसका कारण स्पष्ट है, जब अमीरों पर कर लगाये जाते हैं तो उनसे उनकी मुद्रा से उपलब्ध हान वाली सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है। स्पष्ट है कि जब उन पर कर लगाय जाते हैं तो उनके मुद्रा स्टॉक (money stock) में कमी आ जाती है और इसके परिणामस्वरूप उनकी सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है। दूसरे शब्दों में, जब अमीरों पर कर लगाय जाते हैं तो वे ही कष्ट का अनुभव करते हैं। इस प्रकार कराधान से अमीरों को अवश्य ही कष्ट होता है। दूसरी ओर जब यही धन गरीबों को सुविधाएँ प्रदान करने में व्यय किया जाता है तो उन्हें दोगले उपयोगिता प्राप्त होती है, किन्तु जब यह धन अधिकाधिक मात्रा में गरीबों पर व्यय किया जाता है तब इससे उनकी सीमान्त उपयोगिता घटती शुरू हो जाती है।

इस प्रकार इस प्रक्रिया से दो घटनाएँ एक साथ घटित हाने हैं—एक आर तो अमीरों पर भारी कर लगान के कारण उनकी सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जाती है और दूसरी ओर गरीबों पर अधिक धन व्यय होने के कारण उनकी सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है। डा० डाल्टन (Dr Dalton) के अनुसार यह प्रक्रिया सरकार द्वारा तब तक प्रचलित रखी जानी चाहिए जब तक कि वन्ती हुई अमीरों की सीमान्त उपयोगिता गरीबों की घन्ती हुई सीमान्त उपयोगिता के बराबर नहीं आ जाती। अर्थात् सरकार का यह प्रक्रिया उम विन्दु तक जारी रखनी चाहिए जहाँ पर अमीरों द्वारा अनुभव किया गया कष्ट (अनुपयोगिता) गरीबों द्वारा अनुभव किये गये लाभ (उपयोगिता) के बराबर नहाना जाय। वास्तव में यही अधिकतम सामाजिक लाभ का विन्दु है। यदि किसी कारणवश अमीरों का कष्ट गरीबों के लाभ से अधिक रहता है तो सामाजिक लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि गरीबों का लाभ अमीरों द्वारा अनुभव किये गये कष्ट से अधिक रहता है तो भी अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। अधिकतम सामाजिक लाभ तो क्वल उमी विन्दु पर प्राप्त किया जा सकता है जिम पर एक आर अमीरों का सीमान्त कष्ट एवं त्याग (Marginal Sacrifice) गरीबों के सीमान्त लाभ (Marginal Benefit) के बराबर हाना है। इस एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। निम्नांकित सारणी में दो स्तम्भ दिये गये हैं। पहले स्तम्भ में कराधान (Taxation) की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न होने वाले कष्ट को दिखाया गया है। दूसरे स्तम्भ में सरकारों के व्यय का प्रत्येक इकाई से उत्पन्न हान वाला लाभ का दिखाया गया है

सारणी

इकाई	कर की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न होने वाला कष्ट	व्यय की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न होने वाला लाभ
1	5	40
2	8	32
3	12	28
4	16	26
5	23	23
6	30	15
7	38	10

उक्त सारणी को हम एक रेखाकृति द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इस रेखाकृति में ल व वक्र सरकारी व्यय की प्रत्येक इकाई से क्रमशः घटते हुए सीमान्त लाभ (उपयोगिता) को व्यक्त करता है और त व वक्र कर की प्रत्येक इकाई से क्रमशः बढ़ता हुआ त्याग (अनुपयोगिता) सूचित करता है। दोनों वक्र एक-दूसरे को प बिन्दु पर काटते हैं। यह साम्य बिन्दु है। इस बिन्दु पर सामाजिक त्याग एवं सामाजिक लाभ एक-दूसरे के बराबर होते हैं। इस प्रकार रेखाकृति से स्पष्ट है कि कुल कराधान अ म से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि यह अधिक होता है तो सामाजिक लाभ अधिकतम नहीं हो सकता।



अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यहाँ पर सामाजिक लाभ से अभिप्राय क्या है? डा० डाल्टन

के अनुसार सामाजिक लाभ दो बातों पर निर्भर करता है। प्रथम, उत्पादन में वृद्धि। दूसरे, उत्पादित धन के वितरण में समानता। डा० डाल्टन के कथनानुसार उत्पादन में वृद्धि से अभिप्राय यह है कि उत्पादन-शक्ति में वृद्धि हो और मजदूर पहले की अपेक्षा कम धन से अधिक उत्पादन कर सकें। इसका यह भी अभिप्राय है कि उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले सभी प्रकार के अपव्यय को न्यूनतम किया जा सके। इसी प्रकार धन के वितरण में सुधार से अभिप्राय यह है कि आय सम्बन्धी विषमताओं का यथासम्भव कम किया जा सके। अतः सरकार को अपनी आय-व्यय नीति में इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति पर समुचित ध्यान देना चाहिए।

अब हमें यह देखना है कि अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति के लिए सरकार की कराधान नीति (taxation policy) कैसी होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं—प्रथम, सरकार की कराधान नीति ऐसी होनी चाहिए कि उससे करदाताओं के उपभोग तथा बचत करने की शक्ति एवं इच्छा पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके विपरीत, यदि सरकार की कराधान नीति के फलस्वरूप करदाताओं के उपभोग एवं बचत करने की शक्ति एवं इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इससे सामाजिक लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। अतएव इस प्रकार की कर-नीति अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहेगी। दूसरे, सरकार की कराधान नीति ऐसी होनी चाहिए कि उससे फलस्वरूप देश में प्रचलित आय सम्बन्धी विषमताओं को दूर अथवा कम किया जा सके। इसी से ही अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति के लिए सरकार को किस प्रकार की व्यय-नीति अपनानी चाहिए। इस सम्बन्ध में तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं— प्रथम, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार को अपनी आय विभिन्न मदों पर इस दृष्टि से व्यय करनी चाहिए कि इन सबसे प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर हों, क्योंकि ऐसा करने से ही अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि विभिन्न मदों पर किये गये व्ययों से सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर नहीं होती हैं तो सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रह जायगी। उदाहरणार्थ यदि सरकार शिक्षा की अपेक्षा सुरक्षा (defence) पर अधिक व्यय करती है तो इससे सुरक्षा की सीमान्त उपयोगिता शिक्षा की सीमान्त उपयोगिता की तुलना में कम हो जायगी और सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगी। दूसरे सरकार का व्यय अनुत्पादक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि सरकार का व्यय अनुत्पादक मदों पर किया जाता है तो इससे अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, गुद्ध पर किया गया व्यय उत्पादक नहीं माना जा सकता। परिणामतः इससे सामाजिक लाभ में वृद्धि नहीं हो सकती। तीसरे, सरकार की व्यय-नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि उससे देश की उत्पादन-शक्ति को प्रोत्साहन मिले। उदाहरणार्थ, यदि सरकार अपना अधिकांश व्यय आर्थिक नियोजन पर करती है तो इससे निश्चय ही देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगी और सामाजिक लाभ अधिकतम होगा।

अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त की व्यावहारिक कठिनाइयाँ

निम्नेहूँ इस सिद्धान्त का सैद्धान्तिक मूल्य बहुत अधिक है, किन्तु जब इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप में परिणत किया जाना है तो अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं—प्रथम, इस सिद्धान्त के अनुसार जब देश के कुछ वर्गों पर कर लगाये जाते हैं तो निश्चय ही उन्हें कुछ कष्ट का अनुभव होता है, अर्थात् वे कुछ त्याग करते हैं। किन्तु यहाँ कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि इस प्रकार के त्याग को कैसे मापा जाय। इसे मापना असम्भव नहीं तो कठिन जवम्ब ही है। दूसरे, जब सरकारी व्यय के परिणामस्वरूप देश के कुछ वर्गों का लाभ होता है तो उस लाभ का भी यहाँ-यहाँ मापना एक अत्यन्त कठिन कार्य होता है। तीसरे, जब सरकारी करों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले लाभ को मापना ही कठिन है तो इन दोनों की तुलना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। स्पष्ट है कि जब इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती तब अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धि का पता लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. 'सांख्यिक वित्त की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपनी क्रियाओं द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करती है।' विवेचना कीजिए। (बिन्स, 1961)

अथवा

अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त को बनाइए और इसकी व्याख्या कीजिए। (आमर 1966)

अथवा

सांख्यिक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए। (राजस्थान, 1964)

अथवा

राजस्व में अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। (राजस्थान, 1969)

[संकेत—यहाँ पर अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या कीजिए और यह भी बताइए कि इस व्यावहारिक रूप में परिणत करने पर क्या-क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।]

43

सार्वजनिक आय (Public Revenue)

एक व्यक्ति की भाँति सरकार को भी व्यय करना पड़ता है। इसी कारण व्यक्ति को तरह तरह का आय प्राप्त करनी होती है। सार्वजनिक आय का विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया गया है।

सार्वजनिक आय का वर्गीकरण (Classification of Public Revenue)

सार्वजनिक आय के मुख्य वर्गीकरण निम्नलिखित हैं।

(1) एडम स्मिथ का वर्गीकरण (Adam Smith's Classification)—एडम स्मिथ के अनुसार सार्वजनिक आय को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—(क) प्रत्यक्ष आय (Direct Revenue)—इससे अभिप्राय उस आय से है जो सरकार को सार्वजनिक उद्योगों, उपहारों एवं जफिनगो (forfeitures) से उपलब्ध होती है। (ख) व्युत्पन्न आय (Derivative Revenue)—इससे अभिप्राय उस आय से है जो सरकार को करों, शुल्कों, जुर्मानों आदि से प्राप्त होती है। (ग) प्रत्याशित आय (Anticipatory Revenue)—इससे अभिप्राय उस आय से है जो सरकार को राजकोषीय विपनों (treasury bills) तथा अन्य प्रकार के ऋणों से प्राप्त होती है।

(2) प्रो० सैलिगमैन का वर्गीकरण (Prof Seligman's Classification)—प्रो० सैलिगमैन ने सार्वजनिक आय को तीन भागों में विभाजित किया है—(क) निःशुल्क आय (Gratuitous Revenue)—इससे अभिप्राय उन सभी प्रकार के उपहारों, चन्दों आदि से है जो सरकार को बिना माँग किये लोगों द्वारा स्वेच्छा से दिये जाते हैं। इनके लिए सरकार लोगों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालती। उदाहरणार्थ, युद्ध के समय लोग द्वारा दिये गये ऐच्छिक चन्दे इसी श्रेणी में सम्मिलित किये जा सकते हैं। (ख) व्यापार द्वारा आय (Contractual Revenue)—इससे अभिप्राय उस आय से है जो सरकार को सरकारी उद्योगों, मकानों एवं भूमि से प्राप्त होती है। (ग) अनिवार्य आय (Compulsory Revenue)—इससे अभिप्राय उन करों से है जो सरकार अनिवार्य रूप से नागरिकों से एकत्रित करती है। कोई भी नागरिक इस प्रकार के करों को चुकाने में इन्कार नहीं कर सकता।

(3) प्रो० वेस्टविल का वर्गीकरण (Prof Westville's Classification)—प्रो० वेस्टविल ने सार्वजनिक आय को दो भागों में विभाजित किया है—पहले भाग में, वह उस आय को सम्मिलित करते हैं जो सरकार को एक बड़ा कॉरपोरेशन होने के नाते उपलब्ध होती है। इस प्रकार की आय और एक साधारण व्यापारिक फर्म की आय में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता। दूसरे भाग में प्रो० वेस्टविल उन आय को सम्मिलित करते हैं जो सरकार अपनी राजनीतिक सत्ता (political power) के कारण लोगों से वसूल करती है। ऐसे करों को इसी श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है।

(4) प्रो० लुट्ज का वर्गीकरण (Prof Lutz's Classification)—प्रो० लुट्ज के अनुसार सार्वजनिक आय को छह भागों में विभाजित किया जा सकता है—(क) व्यापारिक आय, (ख) कर, (ग) प्रबन्ध सम्बन्धी आय, (घ) मौद्रिक अनुदान, (ङ) सार्वजनिक ऋण और (च) बहीखाता सम्बन्धी आय ।

उपर्युक्त वर्गीकरणों के अध्ययन से स्पष्ट है कि सार्वजनिक आय के आठ मुख्य साधन हैं—

(1) कर, (2) शुल्क, (3) कीमत, (4) विशेष कर-निर्धारण, (5) जुर्माना, (6) उपहार, (7) महसूल, और (8) सरकारी सम्पत्ति ।

(1) कर (Tax)—कर से अभिप्राय उस अनिवार्य भुगतान से होता है जो सरकार द्वारा अपने कार्यों का व्यय चलाने के लिए लोगों से वसूल किया जाता है । प्रो० डाल्टन के शब्दों में कर किसी सार्वजनिक अधिकरण द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अशदान होता है । यह आवश्यक नहीं कि करदाता को कर के बदले में निश्चित मात्रा में सेवाएँ प्राप्त हो और न ही कर किसी कानूनी अपराध की सजा के रूप में लगाया जाता है । यदि प्रो० डाल्टन की इस परिभाषा का विश्लेषण किया जाय तो इसमें तीन मुख्य बातें पायी जायेंगी । प्रथम, कर एक अनिवार्य भुगतान (Compulsory payment) होता है, ऐच्छिक (optional) नहीं । दूसरे शब्दों में, जब कर लगाया जाता है तो लोगों को इसे चुकाना ही पड़ता है और यदि वे इसे चुकाने में आनाकानी करते हैं तो इसके लिए उन्हें दण्डित भी किया जा सकता है । दूसरे, करदाता कर के बदले में सरकार से किसी विशेष व्यक्तिगत लाभ की माँग नहीं कर सकता, अर्थात् कर चुकाने के बदले करदाता को सरकार की ओर से कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं किया जाता । कोई भी करदाता कर चुकाने से इस आधार पर इन्कार नहीं कर सकता कि उसके बदले में उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता । तीसरे, करदाता द्वारा चुकाये गये कर तथा सरकारी व्यय से उत्पन्न होने वाले लाभ के बीच कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं होता । इसके विपरीत, सरकार कर द्वारा आय प्राप्त करके इससे सभी नागरिकों की समान रूप से सेवा करती है ।

(2) शुल्क (Fee)—शुल्क से अभिप्राय उस भुगतान से होता है जो सरकार उन नागरिकों से वसूल करती है जिनके लिए वह कुछ विशेष प्रकार की सेवाएँ करती है, अर्थात् शुल्क नागरिकों द्वारा किसी विशेष सरकारी सेवा के बदले ही चुकाया जाता है । स्मरण रहे कि शुल्क सभी नागरिकों द्वारा नहीं चुकाया जाता । शुल्क तो केवल उन्हीं नागरिकों द्वारा चुकाया जाता है जो सरकार द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं का लाभ उठाते हैं । उदाहरणार्थ, लाइसेंस फीस केवल उन्हीं नागरिकों से वसूल की जाती है जो सरकार से लाइसेंस प्राप्त करते हैं । कर और शुल्क में तीन मुख्य अन्तर है—प्रथम कर नागरिकों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए दिया जाता है जबकि शुल्क सरकार द्वारा की गयी किसी सेवा के बदले चुकाया जाता है । दूसरे, शुल्क नागरिकों द्वारा तभी दिया जाता है जब वे सरकार द्वारा की गयी सेवाओं का लाभ उठाते हैं किन्तु कर तो नागरिकों को अनिवार्यतः देना पड़ता है चाहे उसके बदले उन्हें लाभ प्राप्त हो अथवा नहीं । तीसरे, शुल्क तथा लाभ में आपसी सम्बन्ध होता है । प्रायः शुल्क लाभ की मात्रा के अनुसार ही निश्चित किया जाता है । परन्तु कर और लाभ में किसी प्रकार का कोई आपसी सम्बन्ध नहीं होता ।

(3) कीमत (Price)—आधुनिक सरकारें कई प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करती हैं । इन सेवाओं एवं वस्तुओं के बदले सरकार को प्राप्त होने वाले भुगतान को कीमत कहते हैं । उदाहरणार्थ सरकार नागरिकों से रेल तथा बसों के भाड़े वसूल करती है और इनके बदले उन्हें परिवहन सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करती हैं । कीमत केवल उन्हीं नागरिकों को चुकानी पड़ती है जो सरकार द्वारा की गयी किन्हीं विशिष्ट सेवाओं का लाभ उठाते हैं । इस प्रकार कीमत और लाभ में स्पष्ट सम्बन्ध होता है । नागरिकों द्वारा प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा में अनुसार ही कीमत निश्चित की जाती है । अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि शुल्क एवं कीमत में अन्तर क्या है ? बैसे तो ये दोनों ही सरकार द्वारा की गयी सेवाओं के बदले लिए जाते हैं । किन्तु जहाँ शुल्क गैर-आर्थिक सेवाओं (non economic services) के बदले लिया जाता है, वहाँ कीमत सरकार द्वारा केवल आर्थिक सेवाओं के बदले ही ली जाती है ।

कीमत और कर में भी अन्तर होना है । कर सार्वजनिक लाभ के लिए लिये जाते हैं जबकि कीमत नागरिकों से किसी विशेष सेवा के बदले ली जाती है । दूसरे, कर में अनिवार्यता (compul-

sion) का अंग होना है अर्थात् कर सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से चुकाने पड़ते हैं। इसके विपरीत, कीमत में अनिवार्यता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कीमत तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा चुकायी जाती है जो सरकार द्वारा की गयी आर्थिक सेवाओं का लाभ उठाते हैं।

(4) विशेष कर-निर्धारण (Special Assessment)—किसी स्थान विशेष के निवासियों द्वारा उनको दी गयी विशेष सुविधाओं के बदले में जो भूगतान सरकार को दिया जाता है, उसे विशेष-कर निर्धारण कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि नगरपालिका पक्की सड़कें बनवाती है, या किसी विशेष स्थान पर जल तथा बिजली की व्यवस्था करती है जिसके फलस्वरूप उस स्थान पर जाय-दाद का विशेष मूल्य बढ़ जाता है तो नगरपालिका उस स्थान के निवासियों पर विशेष कर लगा सकती है। इसका कारण यह है कि नगरपालिका द्वारा दी गयी सुविधाओं के फलस्वरूप उस स्थान में स्थित जायदाद एवं सम्पत्ति की कीमत बढ़ जाती है। परिणामतः वहाँ के लोगों को अनाजित लाभ (unearned increment) प्राप्त होता है। अतः यह व्यापगत ही है कि उस अनाजित लाभ में से कुछ अंश नगरपालिका को भी विशेष कर के रूप में दिया जाय, क्योंकि उसके द्वारा दी गयी सुविधाओं के कारण ही सम्पत्ति का मूल्य बढ़ा।

(5) जुर्माना (Fines)—सरकार प्रायः उन व्यक्तियों से जुर्माना भी वसूल करती है जो समय-समय पर सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं। जुर्माने का उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि लोगों में कानून तोड़ने से हतोत्साहित करना होना है। इस शीत से सरकार को बहुत ही साधारण आय प्राप्त होती है।

(6) उपहार (Gifts)—कभी-कभी सरकार को उपहारों के रूप में भी कुछ आय उपलब्ध होती है परन्तु इसकी मात्रा बहुत ही सीमित होती है। वास्तव में, आधुनिक सरकारों की आय का यह मुख्य साधन नहीं माना जाता।

(7) महसूल (Duties)—महसूल प्रायः ऐसी वस्तुओं पर लगाये जाते हैं जिनके उपभोग से सामाजिक हानि होती है। उदाहरणार्थ, शराब, अपीम आदि पर लगाये गये महसूल इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आय कमाना नहीं, बल्कि इन वस्तुओं के उपभोग को निरस्त/ह्रासित करना है।

(8) सरकारी सम्पत्ति (Government Property)—आधुनिक सरकारें अपनी सम्पत्ति से पर्याप्त आय प्राप्त करती हैं। उदाहरणार्थ, खानों की रायल्टी, जंगल/त के ठेके तथा भूमि के किरायों से उपलब्ध होने वाली आय इस श्रेणी में रखी जा सकती है।

कराधान के सिद्धान्त (Canons of Taxation)

जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, कराधान सरकार की आय का मुख्य साधन है। अब हम यह देखेंगे कि कर लगाते समय सरकार को किन-किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना पड़ता है। अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ (Adam Smith) ने चार प्रमुख सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जो निम्नलिखित हैं।

(1) समता का सिद्धान्त (Canon of Equity)—एडम स्मिथ के शब्दों में, "प्रत्येक राष्ट्र की प्रजा को अपनी योग्यता के अनुपात में सरकार को कर देना चाहिए।" दूसरे शब्दों में, राज्य-व्यय के लिए सरकार को प्रत्येक व्यक्ति से उनकी योग्यता के अनुपात में ही कर लेना चाहिए। किन्तु एडम स्मिथ के उपर्युक्त शब्दों में कुछ अस्पष्टता पायी जाती है। यही कारण है कि इस सिद्धान्त के अर्थ के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में कुछ मतभेद पाया जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उपर्युक्त शब्दों से एडम स्मिथ का अभिप्राय आनुपातिक कराधान (Proportional Taxation) से था, अर्थात् उनके अनुसार एडम स्मिथ आनुपातिक कराधान के समर्थक थे। अपने इस मत के समर्थन में इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि स्मिथ ने अपनी उपर्युक्त परिभाषा में 'अनुपात' शब्द पर बहुत जोर दिया है। अतः उनका विचार है कि एडम स्मिथ आनुपातिक कराधान का ही समर्थन करना चाहते थे। परन्तु अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्री इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि एडम स्मिथ का स्पष्ट संकेत आरोही कराधान (Progressive

Taxation) की ओर था। इस सम्बन्ध में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'वैल्य ऑफ नेशन्स' (Wealth of Nations) में एडम स्मिथ ने स्पष्टतः लिखा है, "धनी व्यक्तियों द्वारा कर अपनी आय के अनुपात में नहीं, बल्कि अनुपात से अधिक देना उचित होगा।" अतः इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि एडम स्मिथ आरोही कराधान के ही समर्थक थे।

(2) निश्चितता का सिद्धान्त (Canon of Certainty)—इस सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए स्मिथ ने लिखा है, करदाता को जो कर चुकाना आवश्यक है, वह निश्चित होना चाहिए। अन्याय (arbitrariness) नहीं। करदाता को इस बात की सही-सही जानकारी होनी चाहिए कि उसे कितना कर, किस समय तथा किस रूप में चुकाना है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक कर में निश्चितता का गुण होना चाहिए, अर्थात् प्रत्येक करदाता को पहले से ही यह पता होना चाहिए कि उसे कितना कर चुकाना है। यदि कर में निश्चितता है तो कर अधिकारी (Tax official) करदाता का किसी तरह से शोषण नहीं कर सकता। इसी प्रकार यह भी निश्चित होना चाहिए कि करदाता को कर किस समय चुकाना है और किस रूप में चुकाना है। कर की इस निश्चितता से करदाता एवं सरकार दोनों को ही लाभ होता है। यदि कर निश्चित है तो करदाता पहले से ही उसके चुकाने की व्यवस्था कर सकता है। इसी प्रकार यदि कर निश्चित है तो सरकार को भी पहले से ही पता चल सकता है कि उसे कर से कितनी आय प्राप्त होने वाली है। एडम स्मिथ ने तो कराधान में समता (equity) की अपेक्षा निश्चितता (certainty) को अधिक महत्त्व दिया था, क्योंकि निश्चितता के कारण करदाता द्वारा कर के भार की चुभन (pinch) को अनुभव नहीं किया जाता इसलिए यह कहा जाता है कि पुराना कर कोई कर नहीं होता (An old tax is no tax)। इसका कारण स्पष्ट है। करदाता प्रायः पुराने कर के आदी हो जाते हैं। परिणामतः वे इसकी चुभन को महसूस नहीं करते।

(3) सुविधा का सिद्धान्त (Canon of Convenience)—इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक कर को इस ढंग से तथा ऐसे समय पर लगाना चाहिए कि करदाता को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। इस सिद्धान्त के अनुसार चूंकि करदाता चुकाते समय त्याग (sacrifice) करता है, अतः सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो। यही कारण है कि आधुनिक सरकारें कर वसूली करते समय करदाताओं की सुविधा की ओर विशेष ध्यान देती हैं। उदाहरणार्थ भारत सरकार वेतनभोगी करदाताओं से आय कर प्रत्येक माह की पहली तारीख को एकत्रित कर लेती है क्योंकि उस समय करदाताओं के लिए आय-कर चुकाने में कठिनाई नहीं होती। इसी प्रकार भारत में किसानों से भूमि-कर (Land Revenue) दो किश्तों में उस समय एकत्रित किया जाता है जबकि व फसल की कटाई के बाद उसे चुकाने की स्थिति में होते हैं।

(4) मितव्ययता का सिद्धान्त (Canon of Economy)—इस सिद्धान्त के अनुसार कर द्वारा प्रकार का होना चाहिए कि करदाताओं से वसूल की जाने वाली रकम का अधिकतम भाग सरकारी कोष में जमा हो सके। दूसरे शब्दों में कर-संग्रह (Tax Collection) की लागत न्यूनतम होनी चाहिए। यदि किसी कर से प्राप्ति होगी आय का अधिकांश उसकी वसूली पर ही व्यय हो जाता है तो इस प्रकार का कर अच्छा कर नहीं माना जा सकता। अतः जहाँ तक सम्भव हो सके सरकारी कोष में उतनी ही रकम आनी चाहिए जितनी कि करदाताओं से वसूल की गयी है।

एडम स्मिथ के उपर्युक्त मितव्ययता सिद्धान्त का कुछ अर्थशास्त्रियों ने दूसरा अर्थ भी लगाया है। उनके अनुसार यदि कोई कर देश की उत्पादन-शक्ति अर्थात् व्यापार एवं उद्योग धन्धों पर बुरा प्रभाव डालना है तथा लोगों की वचन शक्ति को निरस्त कर देता है तो इस प्रकार का कर मितव्ययी (economical) नहीं माना जा सकता। उदाहरणार्थ भारतीय आय कर मितव्ययता की दृष्टि से एक अच्छा कर नहीं है क्योंकि इससे उद्योग धन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कराधान के अन्य सिद्धान्त (Other Canons of Taxation)

एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त चार सिद्धान्तों के अतिरिक्त अर्थशास्त्रियों ने कुछ अन्य सिद्धान्तों का भी उल्लेख किया है जो निम्नलिखित हैं।

(1) लोचकता का सिद्धान्त (Canon of Elasticity)—इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक कर में लोच का अण होना चाहिए अर्थात् इसमें देश की आवश्यकताओं के अनुसार घटने-बढ़ने की शक्ति होनी चाहिए। उदाहरणार्थ यदि सकट के समय सरकार को अधिक आय का आवश्यकता पड़ती है तो कर की दर को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना सम्भव होना चाहिए। आय कर में यह गुण विशेष तौर पर पाया जाता है। युद्ध के समय सरकार आय कर की दर को बढ़ाकर अथवा इसके ऊपर सरचार्ज (surchage) लगाकर अपनी आय बढ़ा लेती है।

(2) उत्पादकता का सिद्धान्त (Canon of Productivity)—इस सिद्धान्त के अनुसार कर का प्रकार का होना चाहिए कि इससे सरकार का पर्याप्त आय उपलब्ध हो सके। यदि किसी कर से सरकार को थोड़ी सी आय प्राप्त होती है तो इस प्रकार के कर को उत्पादक कर नहीं माना जा सकता। इस सिद्धान्त के अनुसार बहुत से अनुत्पादक कर लगाने के बजाय सरकार को केवल थोड़े-से उत्पादक कर लगाकर ही सन्तुष्ट रहना चाहिए। इसका कारण यह है कि बहुत से अनुत्पादक कर लगाने से परेशानी तो बढ़ जाती है किन्तु आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। इस सिद्धान्त का यह भी अर्थ लगाया गया है कि कर का समाज की उत्पादन शक्ति एवं वचत शक्ति पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई कर उत्पादन शक्ति एवं वचत शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो ऐसे कर का लगाना समाज के लिए हानिकारक होगा।

(3) अनेकरूपता का सिद्धान्त (Canon of Variety)—फिजियोक्राट्स (Physiocrats) के कथनानुसार सरकार का केवल एक ही कर अर्थात् भूमि-कर लगाना चाहिए किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार देश को कर प्रणाली में कई प्रकार के करों का सम्मिश्रण होना चाहिए अर्थात् कर प्रणाली में व्यक्तिगत एवं वस्तु-कर, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर सभी प्रकार के करों का सम्मिश्रण होना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि सरकार द्वारा एक ही कर लगाया जाता है तो करदाताओं के लिए उससे बच सकना सरल हो जाता है। किन्तु यदि कई प्रकार के कर लगाये जाते हैं तो उनके लिए इनसे बचना कठिन होता है। परिणामतः प्रत्येक करदाता अपनी चकाने की योग्यता के अनुसार ही सरकार को कर चुकाता है।

(4) सरलता का सिद्धान्त (Canon of Simplicity)—इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक कर सरल एवं सादा होना चाहिए ताकि प्रत्येक करदाता विशेषज्ञों (Experts) की सहायता के बिना ही उसे समझ सकने में समर्थ हो सके। यदि कर सरल है तो फिर प्रत्येक करदाता आसानी से समझ जायगा कि उस कितना कर चुकाना है। इसके विपरीत यदि कर पेचीदा है तो इसे समझने के लिए वकीला आदि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के अवसर भी बढ़ जायेंगे। दुर्भाग्यवश इस दृष्टि से भारतीय आय-कर कोई अधिक वाछनीय कर नहीं है क्योंकि इसकी जटिलताओं के कारण साधारण व्यक्तियों के लिए इसे समझना कठिन है।

(5) वाछनीयता का सिद्धान्त (Canon of Expediency or Desirability)—इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक कर किसी ऐसे आधार पर लगाया जाना चाहिए जिससे उसका औचित्य स्वयं ही सिद्ध हो जाय। दूसरे शब्दों में, करदाताओं को कर के औचित्य के बारे में सन्देह नहीं होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से नये करों की अपेक्षा पुराने कर अधिक अच्छे समझे जाते हैं क्योंकि लोग पुराने करों का बचाने के आदी होते हैं। अतः जब तक कोई समुचित आधार न हो सरकार को नया कर नहीं लगाना चाहिए और न ही पुराने कर की वृद्धि करनी चाहिए। प्रजातान्त्रिक देशों में तो कराधान के इस सिद्धान्त का विशेष महत्त्व है।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि कोई भी कर प्रणाली उक्त सभी सिद्धान्तों का पालन नहीं कर सकती। किसी कर प्रणाली में वा किसी सिद्धान्त को महत्त्व दिया जाता है और किसी अन्य प्रणाली में किसी अन्य सिद्धान्त को। वास्तव में आज तक किसी ऐसी कर प्रणाली का आविष्कार नहीं किया जा सका है जो उपरोक्त सभी सिद्धान्तों की सन्तुष्टि करती हो। परन्तु इस सम्बन्ध में यह कहना उचित ही होगा कि सरकार को अपनी कर प्रणाली का निर्माण करते समय उपर्युक्त सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ही अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है।

करों का वर्गीकरण (Classification of Taxes)

करों का वर्गीकरण तीन मुख्य आधारों पर किया जाता है (क) आनुपातिक आरोही अवरोही तथा अधोगामी (ख) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष (ग) विक्रिय तथा मूल्यानुसार।

(क) आनुपातिक कर (Proportional Tax)—आनुपातिक कर के अंतर्गत सभी प्रकार की आय पर कर समान दर पर लगाया जाता है। आय चाहे थोड़ी हो अथवा अधिक परन्तु कर की दर एक ही होती है। उदाहरणार्थ यदि कर की दर 5 प्रतिशत है तो 100 रुपये की आय वाले व्यक्ति को 5 रुपये 200 रुपये का आय वाले व्यक्ति का 10 रुपये तथा 300 रुपये की आय वाले व्यक्ति को 15 रुपये कर के रूप में देने पड़ेंगे। इस प्रकार आय के घटन अथवा वृद्धि में कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। आनुपातिक कर के कई गुण हैं।

1 आनुपातिक कर अत्यंत सरल एवं सादा हान है। साधारण स साधारण व्यक्ति भी उन्हें बिना किसी कठिनाई के समझ सकता है।

2 आनुपातिक करों के अधीन प्रत्येक करदाता अपने द्वारा चुकायी जाने वाली कर की रकम का अनुमान आसानी से लगा सकता है।

3 आनुपातिक करों के फलस्वरूप समाज के धन के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि प्रत्येक करदाता का एक समान दर पर ही कर चुकाना पड़ता है।

इसके विपरीत आनुपातिक करों में दो मुख्य दोष भी पाये जाते हैं।

(1) आनुपातिक करों के कारण अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर कर का भार अधिक पड़ता है। इसका कारण यह है कि जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो उसकी मुद्रा से प्राप्त हानि वाली सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में अमीरों की मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होती है जबकि गरीबों की मुद्रा से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। यदि अमीरों तथा गरीबों पर एकसमान दर से कर लगाया जाता है तो स्पष्ट है कि अमीरों की अपेक्षा गरीबों को अधिक त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार योग्य तथा समानता की दृष्टि से आनुपातिक कर प्रणाली उचित नहीं मानी जा सकती।

(2) आनुपातिक करों के कारण वितरण सम्बन्धी विषमताओं को कम नहीं करते बल्कि उन्हें उन्हीं का लोच बनाए रखते हैं। वहीँलिए ये ग्राह्यपूर्ण नहीं माने जा सकते हैं।

आरोही (प्रगतिशील अथवा बढ़तमान) कर (Progressive Tax)—इस कर में आय की वृद्धि के साथ-साथ कर की दर में वृद्धि होती जाती है। इस कर की दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ—प्रथम इमम कर माफी (Tax Exemption) की सीमा निश्चिन्त कर दी जाती है। वे सभी व्यक्ति तिनका आय उस सीमा से कम होती है कर के भुगतान से मुक्त कर लिये जाते हैं। उदाहरणार्थ भारत में 10,000 रुपये वार्षिक से कम आय वाले व्यक्तियों को आय-कर से मुक्त कर दिया गया है। दूसरे आय की वृद्धि के साथ-साथ कर की दर में भी वृद्धि होती जाती है। उदाहरणार्थ करदाताओं की आय को कुछ कर शिवाओं (Tax slabs) में विभाजित कर दिया जाता है जैसे—1000 रुपये तक की आय 2000 रुपये तक की आय 3000 रुपये तक की आय आदि। तदुपरांत प्रत्येक कर शिवा की एक दर निर्धारित कर दी जाती है। यह दर आय की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती जाती है। चकि इस कर के अंतर्गत आय को विभिन्न शिवाओं में विभाजित करके उन पर विभिन्न दरों पर कर लगाया जाता है इसलिए आरोही कर का कभी कभी क्रमवर्धी कर (Graduated Tax) भी कहते हैं।

आरोही कर के गुण—आज विश्व के प्रायः सभी देशों में आरोही करों का अत्यंत लोकप्रिय हो चुका है। इसका कारण यह है कि आरोही करों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं।

(1) यह कर चुकाने की योग्यता पर आधारित होता है—यह कर करदाता की कर चुकाने की योग्यता पर आधारित होता है। कर चुकाने की योग्यता आय की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती जाती है। इसीलिए आय की वृद्धि के साथ-साथ कर की दर में वृद्धि होती जाती है। चकि

यह कर "चुकाने की योग्यता" पर आधारित होता है, इसलिए करदाता के मन में किसी प्रकार का विरोध अथवा वैमनस्य उत्पन्न नहीं होता।

(2) धन के वितरण में समानता—इस प्रणाली के अन्तर्गत समाज में धन के वितरण को अधिक समान बनाया जा सकता है, क्योंकि धनी व्यक्तियों से निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ऊँची दरों पर कर वसूल किया जाता है। डॉ० मार्शल एच प्रो० पीगू ने इसी आधार पर आरोही कराधान का समर्थन किया था।

(3) आरोही कर उत्पादक होता है—इस कर से सरकार अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि कर सकती है। सकटकालीन परिस्थितियों में सरकार कर की दर को बढ़ाकर अपनी आय बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा सकती है। उदाहरणार्थ, भारत सरकार ने सुरक्षा पर बड़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए आय-कर की दर को बढ़ाकर अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि कर ली है।

(4) आरोही कर कम खर्चीला होता है—आरोही कर इस अर्थ में मितव्ययी होता है कि इसकी दरों को बढ़ाने से सरकार की आय में वृद्धि तो हो जाती है किन्तु इसकी वसूल करने की लागत लगभग पूर्ववत् ही रहती है।

(5) यह कर लोचदार होता है—यह कर लाचदार होता है, क्योंकि इसकी दरों में थोड़ी वृद्धि अथवा कमी करने से आय में बहुत वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है।

(6) नैतिक औचित्य—नैतिक दृष्टि से भी यह कर उचित माना जाता है। जैसा चिदित है, राजवित्त के सिद्धान्त के अनुसार सबसे शक्तिशाली कंधों को सबसे अधिक बोझ उठाना चाहिए (The broadest shoulders should bear the heaviest burden)। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार निर्धनों की अपेक्षा धनिकों का कर का अधिक भार वहन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जिन व्यक्तियों की वर चुकाने की क्षमता अधिक है, उन्हें कर का अधिक भार वहन करना चाहिए। अतः आरोही कर नैतिक औचित्य पर आधारित है।

आरोही कर के दोष— इसके दोष निम्नलिखित हैं

(1) कर लगाने में मनमानी (Arbitrariness in Taxation)—इस कर-प्रणाली के अन्तर्गत करों की दरें प्रायः मनमाने ढंग से निश्चित की जाती हैं। जब सरकार को सकट के समय अधिक आय की आवश्यकता पड़ती है तो वह मनमाने ढंग में कर की दरों को बढ़ा देती है।

(2) बचतें निरस्त/रहित होती हैं—आरोही कर सदैव बचतों को निरस्त/रहित करता है। इसका कारण यह है कि इसका भार प्रायः उन्हीं व्यक्तियों पर पड़ता है जो बचत करने की स्थिति में होते हैं। परिणामतः इससे देश में पूँजी संचय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(3) कर-वचन की गुआइश (Scope for Tax-Evasion)—आरोही कर में प्रायः वचन की बहुत गुआइश रहती है। करदाता वर अधिकारियों के सामने झठा हिसाब-किताब पेश करके कर में वच निकलने की चेष्टा करते हैं।

उपर्युक्त दोषों के होते हुए भी आरोही कराधान आज सर्वत्र लोकप्रिय हो गया है। प्रत्यक्ष मुख्य कारण यह है कि इसके अन्तर्गत धन सम्बन्धी विषयगतियों को दूर अथवा कम किया जा सकता है। यही कारण है कि डॉ० मार्शल तथा प्रो० पीगू जैसे महान् अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक न्याय के आधार पर इसका समर्थन किया था। प्रो० केन्ज ने भी अपने रोजगार सिद्धान्त (Theory of Employment) में आरोही कर पर विशेष बल दिया था। आरोही कर की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण इस प्रकार है

(1) 'त्याग की समानता' का सिद्धान्त—इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी करदाताओं द्वारा किये गये त्याग (sacrific) में समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। चूँकि गरीबों की अपेक्षा अमीरों की भुज्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होती है इसलिए उन पर ऊँची दरों पर कर लगाया जाता है। इस प्रकार अमीरों तथा गरीबों द्वारा किये गये त्याग को समान बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

(2) "कर चुकाने की योग्यता" का सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति की आय के बढ़ने के साथ-साथ उसकी कर चुकाने की योग्यता में भी वृद्धि हो जाती है। यही कारण

है कि इस कर-प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों की अपेक्षा अमीरों पर अधिक ऊँची दर पर कर लगाया जाता है।

(3) मितव्ययता एवं उत्पादकता का सिद्धान्त—आरोही कराधान इस सिद्धान्त की भी सन्तुष्टि करता है। यह न केवल मितव्ययी, बल्कि उत्पादक भी होता है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ-साथ इस कर से उपलब्ध होने वाली आय स्वयं ही बढ़ती जाती है।

उपर्युक्त कारणों से आरोही कराधान आज विश्व के सभी देशों की कर प्रणालियों का अभिन्न अंग बन गया है।

आरोही (प्रतिगामी) कर (Regressive Tax)—यह कर आरोही कर-प्रणाली के विलकुल विपरीत होता है। जबरोही कर के अन्तर्गत धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों से ऊँची दरों पर कर वसूल किया जाता है। जैसे-जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे कर की दर घटती जाती है। इस प्रकार इस कर-प्रणाली के अन्तर्गत निर्धनों पर कर-भार अधिक और धनिकों पर कर-भार कम पड़ता है। यह कर-प्रणाली न्यायमग्न नहीं है। इसलिए इसे सर्वत्र त्याग दिया गया है। कुछ वर्ष पूर्व भारत में नमक पर लगाया गया कर आरोही कर का एक उदाहरण था, क्योंकि इसका भार धनिकों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता था।

अधोगामी कर (Degressive Tax)—इस प्रकार का कर एक निश्चित सीमा तक तो प्रगतिशील होता है परन्तु उसके बाद यह आनुपातिक कर बन जाता है। दूसरे शब्दों में एक निश्चित सीमा तक तो कर की दर आय वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है किन्तु उस सीमा के उपरान्त कर की दर सभी प्रकार की आय के लिए एक समान हो जाती है। इस प्रकार अधोगामी कर आरोही तथा आनुपातिक कर का सम्मिश्रण होता है। इस कर का यह परिणाम होता है कि अधिक आय वाले व्यक्तियों को कम आय वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कम त्याग (sacrifice) करना पड़ता है।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर (Direct and Indirect Tax)—करों को प्रायः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है—(क) प्रत्यक्ष कर, (ख) अप्रत्यक्ष कर।

(क) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)—अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भार वही व्यक्ति वहन करता है जिस पर कि वह लगाया जाता है। इसका भार अन्य किसी व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता है। उदाहरणार्थ, आय-कर एक प्रत्यक्ष कर है और इसका भार उरी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जो इसे चुकाता है।

(ख) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)—अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो एक व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है किन्तु जिसका भार दूसरे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है। वह व्यक्ति जो प्रथमतः कर वा चुकाता है वह इसके भार को दूसरे व्यक्ति के कंधों पर डाल देता है। उदाहरणार्थ, माटर कार पर लगाया गया कर प्रथमतः आयतकर्ता द्वारा चुकाया जाता है पर अन्ततः वह उसे ग्राहक के कंधों पर डाल देता है। आयतकर्ता कर को मोटर कार के मूल्य में सम्मिलित कर देता है तथा उसे ग्राहक व वसूल कर लेता है। इस प्रकार सभी अप्रत्यक्ष कर ग्राहकों द्वारा वहन किये जाते हैं यद्यपि ये प्रथमतः व्यापारियों द्वारा ही चुकाये जाते हैं।

व भी कभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के अन्तर का स्पष्ट करने के लिए कर देयता (impact) और कर वाह्यता (incidence) शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर वह होता है जिसमें कर-देयता तथा कर-वाह्यता एक ही व्यक्ति पर होते हैं। इसके विपरीत, अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कर देयता और कर वाह्यता अलग-अलग व्यक्तियों पर होते हैं। कर की देयता उस व्यक्ति पर होती है जो इसे पहले चुकाता है किन्तु कर की वाह्यता उस व्यक्ति पर होती है जो अन्ततः इसके भार को वहन करता है। वह व्यक्ति जिस पर कर-देयता होती है उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह कर भार को वहन भी करे। उदाहरणार्थ, आयत कर की देयता तो आयतकर्ता पर होती है, परन्तु आयत कर का भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है। इसलिए आयत कर अप्रत्यक्ष कर होता है। इससे विपरीत, प्रत्यक्ष कर में कर-देयता तथा कर वाह्यता दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं। उदाहरणार्थ, आय कर एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि इसे चुकाने वाला व्यक्ति ही इसके भार को वहन करता है।

प्रत्यक्ष करों के लाभ—य निम्नलिखित हैं

(1) प्रत्यक्ष कर नागरिक जागरूकता उत्पन्न करते हैं— आय कर जैसा प्रत्यक्ष कर चुकाने वाला व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से चुभता है और वह तत्काल ही अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाता है। वह इस बात का भी ध्यान रखता है कि सरकार द्वारा करा से एकत्रित निधे हुए धन का उपयोग न हो और उसे फिजूल की योजनाओं पर व्यय न किया जाय। परिणाम तमक सरकारी व्यय पर एक प्रकार का नियंत्रण हा जाता है।

(2) प्रत्यक्ष कर किसानपूण (बचतपूण) होते हैं—प्रत्यक्ष कर का जम के बचनपू है। है कि उनकी वसूल करने की तागत कम होती है। आय कर जैसा प्रत्यक्ष कर प्रायः उदाहरण (Source) पर ही वसूल कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ केलनभोगा प्रतियोगिता पर लगाया गया आय-कर उनका धनतो म स ही वसूल कर लिया जाता है।

(3) प्रत्यक्ष कर समतापूण होते हैं—प्रत्यक्ष करा म समता का गुण पाया जाता है। इसलिए व न्यायसगत होते हैं। इनके अतगत कोई व्यक्ति जितना अधिक धनी होता है उतना ही वह कर का भार अधिक वहन करता है। इसके विपरीत जिन व्यक्तियों को आय एक निश्चित सीमा से कम होती है उन पर कर का भार पड़ता ही नहीं है क्योंकि उन्हें कर भुगतान से मुक्त कर दिया जाता है।

(4) प्रत्यक्ष कर निश्चित होते हैं—प्रत्यक्ष करा न बार म करदाताया का पहले ही जानकारी हा जाती है कि उसका कितना कर लिया जायगा तथा किस भयम पर लिया जायगा। फलतः व अपने लिए पहलू स हा पर्याप्त व्यवस्था कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष करा स सरकार या भा मुविधा रहती है क्योंकि इनकी निश्चितता न कारण सरकार त्तमे प्राप्ता होन वाली जाय वा सहा अनुमान लगा सकती है।

(5) प्रत्यक्ष कर लोचदार होते हैं—प्रत्यक्ष करों म राधकता का गुण भी पाया जाता है अथात आवश्यकता पडन पर उनस अधिन आय प्राप्त की जा सकती है। सबकाल म बड हाण सरकारी व्यय का पुरा करन क लिए त्रा की वडि द्वारा करा स और अधिक आय प्राप्त की जा सकती है।

प्रत्यक्ष करों के दोष—य निम्नलिखित हैं

(1) प्रत्यक्ष कर अनुविधापूण होते हैं—दुनिया मकस वडा अबतुण यह है कि यह करदाताया के लिए अत्यन्त अनुविधापूण हात है। कभी-कभी करदाता का कर की वसूल करन एक ही किरा म चराने व लिए आदेश दिया जाता है जिसेसे उसे बहुत कट हाता है। इसका अतिरिक्त कर दाता का कर अधिकारी का सतुष्टि के लिए विस्तृत रूप म अपना हिसाब विताव प्रस्तुत करना पडता है और वह प्रकार के पचीदा प्रपत्र भरने पडते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय आय कर से व्यवसायिका का बहुत बडी अनुविधा रहती है। यहा तक कि कर पडति की उनकता का समझन क लिए विशेष षे से परामर्श लेना पडता है।

(2) प्रत्यक्ष कर कभी-कभी गर आर्थिक भी होते हैं—कुछ प्रत्यक्ष करों को वसूल करने का तागत बहुत उची होती है विशेषकर उन अवस्था में जब करदाताया की सत्पा बहुत अधिक होती है और कर न रूप म वे छाटी छाटी रकमें अदा करते हैं। उदाहरणार्थ भारत में भूमि कर अधक मानगुजारी का वसूल करने की लाभत बहुत उची है। अतः इसे नितव्ययी (Economic) कहा गया जा सकता है।

(3) प्रत्यक्ष करों के अतगत कर वचन की सम्भावना रहती है—प्रत्यक्ष करा का तागत कर वचन (Tax-evasion) की सदैव सम्भावना रहती है यथा क करदाता इस प्रकार के करों स आसानी स दब जाते हैं। उदाहरणार्थ भारत म अनेक व्यवसाया अपनी आय का ठीक ठीक हिसाब विताव न करके जाय कर से दब जाते हैं। उन पर या तो आय कर लगता ही नहीं और यदि लगता भी है तो बहुत कम दर पर। यास्तम म राजकल भारत म व्यापारिया द्वारा बड पमाने पर आय कर की चोरी की जा रही है।

(4) प्रत्यक्ष कर प्रायः मनमाने ढंग स लगाये जाते हैं—प्रत्यक्ष करा के विरुद्ध प्रायः यह अपत्ति की जाती है कि वे सरकार द्वारा मनमाने ढंग स लगाये जाते हैं और उनकी दरों की

निर्धारित करते समय किसी निश्चित सिद्धान्त को ध्यान में नहीं रखा जाता। इससे सामाजिक न्याय को ठेस पहुँचती है।

(5) प्रत्यक्ष कर लोकप्रिय नहीं होते—चूँकि प्रत्यक्ष कर करदाताओं द्वारा स्वयं ही चुकाये जाते हैं, इसलिए वे इनकी चुभन को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं। यही कारण है कि प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष करों की तुलना में कम लोकप्रिय होते हैं।

(6) प्रत्यक्ष करों से गरीब लोग प्रायः बच जाते हैं—प्रत्यक्ष करों का भार प्रायः अमीरों पर ही पड़ता है और गरीब उनसे लगभग पूर्णतः मुक्त कर दिये जाते हैं। कुछ लोगों की दृष्टि में यह उचित नहीं है, उनका कहना है कि राज्य-व्यय के भार का सभी नागरिकों द्वारा अपनी-अपनी चुकाने की योग्यता के अनुसार वहन किया जाना चाहिए किन्तु प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत निर्धन-वर्ग अपना उचित अंशदान (Contribution) करने से बच जाता है।

अप्रत्यक्ष करों के लाभ—ये निम्नलिखित हैं

(1) अप्रत्यक्ष कर सुविधापूर्ण होते हैं—अप्रत्यक्ष कर सामान्य वस्तुओं पर लगाये जाते हैं तथा वे उपभोक्ताओं द्वारा उस समय चुकाये जाते हैं जबकि वस्तुओं का क्रय किया जाता है। कर की रकम को वस्तु की कीमत में सम्मिलित कर दिया जाता है तथा उपभोक्ता किसी चुभन को अनुभव किये बिना ही उसे चुका देता है। उपभोक्ता तो जानते ही नहीं कि वे कर चुका रहे हैं। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर करदाताओं द्वारा उस समय दिये जाते हैं जबकि उनके पास उनके चुकाने के लिए पर्याप्त साधन होते हैं।

(2) अप्रत्यक्ष करों का बचन नहीं किया जा सकता—अप्रत्यक्ष करों से करदाता बच नहीं सकते, क्योंकि वे उनसे खरीद की हुई वस्तुओं के लिए ऊँची कीमतों के रूप में वसूल किये जाते हैं जब वस्तुएँ खरीदी जाती हैं, तब उन पर कर चुकाना ही पड़ता है। इसलिए ऐसे करों से बच निकलने की कोई सम्भावना नहीं होती।

(3) अप्रत्यक्ष कर उत्पादक एव लोचदार होते हैं—अप्रत्यक्ष कर जब गेहूँ तथा नमक जैसी जीवन की अनिवार्यताओं पर लगाये जाते हैं तब वहन लोचदार सिद्ध होते हैं। कर की दर को बढ़ाने पर इनसे प्राप्त आय को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे करों से प्राप्त होने वाली आय जनसंख्या तथा उत्पादन की वृद्धि के साथ बढ़ती है।

(4) प्रत्यक्ष कर सामाजिक दृष्टिकोण से लाभकारी होते हैं—धरान, अफीम गाँजा आदि नशीली वस्तुओं पर लगाये गये अप्रत्यक्ष कर उनके उपभोग को सीमित करते हैं जिससे सम्पूर्ण समाज को लाभ होता है।

(5) अप्रत्यक्ष कर समतलपूर्ण होते हैं—अप्रत्यक्ष करों द्वारा लोगों के सभी वर्गों से अंशदान प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि सभी लोग वस्तुएँ खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त विनाशिता की वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाकर धनी वर्गों से भी उनका अंशदान प्राप्त कर सकती है।

अप्रत्यक्ष करों के दोष—ये निम्नलिखित हैं

(1) असमानता—अप्रत्यक्ष कर प्रायः सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर लगाये जाते हैं और ऐसी वस्तुओं का उपभोग करने वाले निर्धन व्यक्ति को भी उतना ही चुकाना पड़ता है जितना कि एक धनी व्यक्ति को। स्पष्टतः यह न्यायसंगत नहीं है। इसलिए अप्रत्यक्ष कर एक प्रकार से अवरोही कर (regressive taxes) होते हैं।

(2) अप्रत्यक्ष कर समाज में आर्थिक असमानताओं को बढ़ाते हैं—जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, अप्रत्यक्ष कर अधिकांश अनिवार्यताओं पर लगाये जाते हैं। चूँकि एक निर्धन व्यक्ति धनी व्यक्ति की अपेक्षा अपनी आय का अधिकांश अनिवार्यताओं पर व्यय करता है इसलिए वह धनी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कर-भार वहन करता है। परिणामतः ये अवरोही कर बन जाते हैं और समाज में आर्थिक असमानताओं को बढ़ाने में सहायक होते हैं।

(3) अप्रत्यक्ष कर गैर-आर्थिक होते हैं—अप्रत्यक्ष करों को वसूल करने की लागत ऊँची होती है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कर के फलस्वरूप वस्तु का मूल्य कर के अनुपात से भी अधिक बढ़ा दिया जाता है। परिणामतः साधारण जनता को इससे आर्थिक नुक़ होता है।

(4) अनिश्चितता—अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली आय सरकार द्वारा सही-सही आवी नहीं जा सकती। जैसे ही किसी वस्तु पर कोई कर लगाया जाता है, वैसे ही उस वस्तु की कामत घट जाती है और उसके फलस्वरूप उसकी मांग में कमी हो जाती है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वस्तु की मांग किस सीमा तक घट जायगी। अतः कर से प्राप्त होने वाली आय अनिश्चित ही रहती है।

(5) अप्रत्यक्ष कर नागरिक जागरूकता उत्पन्न नहीं करते—बैंकिं बरदाता वस्तुओं को खरीदते समय यह अनुभव नहीं करते कि वे कर चुका रहे हैं, इसलिए उनमें किसी प्रकार की नागरिक जागरूकता उत्पन्न नहीं होती। वे प्रायः नागरिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहते हैं तथा सरकार द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं (financial irregularities) पर कोई सजग दृष्टि नहीं रखते।

निष्कर्ष—जब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में से कौन-सा श्रेष्ठ है। वास्तव में, इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही करों के गुण एवं दोष होते हैं। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों द्वारा अप्रत्यक्ष करों पर अधिक जोर दिया जाता था, किन्तु अब 20वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करों पर अधिक बल दिया जा रहा है। वास्तव में, एक अच्छी कर-प्रणाली में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही करों का उचित सम्मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना से प्रत्यक्ष करों के दाप अप्रत्यक्ष करों के गुणों से दूर हो जाते हैं। फिर भी विपक्षित देशों में प्रत्यक्ष करों पर जोर दिया जाता है जबकि पिछड़े हुए एवं अर्द्ध-विपक्षित देशों में अप्रत्यक्ष करों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित प्रधानमन्त्री ग्लेडस्टोन (Gladstone) ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की दो सुन्दर बहनों के साथ तुलना की है जिनमें किसी प्रकार का पक्षपात करना वह अनुचित समझते थे। उनके शब्दों में यह केवल धाम्य ही नहीं, बल्कि एक पुनीत कर्तव्य है कि इन दोनों बहनों का एक जैसा ही सत्कार किया जाय।

विशिष्ट तथा मूल्यानुसार कर—कभी-कभी करों का वर्गीकरण विशिष्ट करों तथा मूल्यानुसार करों में भी किया जाता है।

(क) विशिष्ट कर (Specific Tax)—जब किसी वस्तु पर उसके वजन के अनुसार अथवा उसकी इकाई के आकार के अनुसार कर लगाया जाता है, तब इसे विशिष्ट कर कहते हैं। उदाहरणार्थ, जब चीनी पर उत्पादन-कर प्रति क्विण्टल के हिसाब से लगाया जाता है अथवा कपड़े पर उत्पादन-कर प्रति मीटर के हिसाब से लगाया जाता है, तब इसे विशिष्ट कर कहते हैं। विशिष्ट कर का मुख्य गुण यह है कि इसे वसूल करना आसान एवं सुविधाजनक होता है, क्योंकि यह वस्तु के वजन के अनुसार अथवा उसकी इकाई के आकार के अनुसार ही एकत्रित किया जाता है। किन्तु यह समता के सिद्धान्त का पालन नहीं करता, क्योंकि अमीरों की अपेक्षा निर्धनों पर इसका बोझ अधिक पड़ता है। इसका कारण यह है कि अमीरों की अपेक्षा गरीबों की मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता अधिक होती है।

(ख) मूल्यानुसार कर (Ad-Valorem Tax)—जब किसी वस्तु पर उसके मूल्य के अनुसार कर एकत्रित किया जाता है, तब इसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। इस कर के अन्तर्गत वस्तु का वजन एवं आधार चाहे कुछ भी हो किन्तु कर उसके मूल्य के अनुसार ही लिया जाता है। आयात की गयी कई प्रकार की वस्तुओं पर आयात कर वजन के अनुसार नहीं, बल्कि वस्तु के मूल्य के अनुसार लिया जाता है। मूल्यानुसार कर का मुख्य गुण यह है कि इसका भार गरीबों की अपेक्षा अमीरों पर अधिक पड़ता है। अतः इस दृष्टि से यह कर न्यायसंगत है। परन्तु इस कर की मुख्य कठिनाई यह है कि इसे लागते समय वस्तु के वास्तविक मूल्य को जानना कठिन होता है। प्रायः व्यवसायी लोग वर से बचने के लिए बीजकों (Invoices) में वस्तु के मूल्य को कम करके दिखाते हैं। वास्तव में, विशिष्ट कर तथा मूल्यानुसार कर में चयन करना कठिन है। एक अच्छी कर-प्रणाली में इन दोनों को ही उचित स्थान दिया जाना चाहिए।

एक अथवा अनेक कर-प्रणाली (Single Versus Multiple Tax System)

कर-प्रणाली प्रायः दो प्रकार की होती है (क) एक कर-प्रणाली, (ख) अनेक कर-प्रणाली। एक कर-प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसके अन्तर्गत सरकार अपनी समूची आय केवल एक कर लगाकर ही प्राप्त करती है। इसके विपरीत, अनेक कर-प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें सरकार की आय किसी एक कर से नहीं, बल्कि कई प्रकार के करों से प्राप्त होती है। इस विषय पर अतीत काल में अर्थशास्त्रियों ने बहुत मतभेद रहा है। उदाहरणार्थ, फिजियोक्रैट्स (Physiocrats) जैसे फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों ने एक कर-प्रणाली का ही समर्थन किया था। उनके मतानुसार सरकार को तो केवल एक कर से ही अपनी समूची आय प्राप्त करनी चाहिए। एक कर-प्रणाली के समर्थकों ने निम्नलिखित कर्तव्य का भिन्न-भिन्न समयों पर समर्थन किया है

(1) भूमि-कर (Land-Tax)—फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों (जिन्हें फिजियोक्रैट्स कहा जाता है) ने भूमि के आधिक्य लगाने पर एकमात्र कर लगाने का सुझाव प्रस्तुत किया था। आगे चलकर उनके इस प्रस्ताव का समर्थन अमरीका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हेनरी जॉर्ज (Henry George) ने किया था। हेनरी जॉर्ज के मतानुसार सरकार को कर लगाकर भूमि का समूचा लगाने अथवा भूमि के मूल्य में होने वाली समूची अनाजित वृद्धि (Unearned Increment) को ग्रहण कर लेना चाहिए। परन्तु भूमि-कर की एकाकी-कर प्रणाली में कई दोष पाये जाते हैं—प्रथम, यदि भूमि पर ही कर लगाया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका भूमि से नहीं कमाते वे कर से पूर्णतः बच जायेंगे। दूसरे, इस प्रणाली के अनुसार कर का भार समाज के केवल एक वर्ग पर ही पड़ेगा, जबकि अन्य वर्ग इससे बिल्कुल बच जायेंगे। नैतिक दृष्टि से यह उचित प्रतीत नहीं होता। तीसरे, भूमि के मूल्य में समय-समय पर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। अतः यदि एकाकी भूमि-कर के सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सरकार को कर लगाने से पूर्व प्रतिवर्ष भूमि का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसने अतिरिक्त, सरकार के लिए अनाजित लाभ (Unearned Benefit) की मात्रा का अनुमान लगाना भी कठिन हो जायगा। चौथे, एकाकी भूमि-कर से सरकार को पर्याप्त आय उपलब्ध नहीं हो सकेगी और विविध होकर सरकार को अन्य कर लगाने ही पड़ेंगे।

(2) आय-कर (Income Tax)—कुछ समाजवादी अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि सरकार का केवल लोगों की आय पर ही कर लगाना चाहिए, अर्थात् सरकार को अपनी समूची आय केवल आय-कर से ही प्राप्त करनी चाहिए। इस सुझाव के समर्थन में उल्लेख करना है कि इससे सरकार सभी प्रकार की आय वाले व्यक्तियों पर कर लगाकर पर्याप्त आय प्राप्त करने में समर्थ हो जायगी। इसके अतिरिक्त, इससे कर के भार का वितरण भी प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी चूकाने की योग्यता के अनुसार किया जा सकेगा। परन्तु इस प्रकार के कर में भी कई प्रकार के दोष पाये जाते हैं—प्रथम, छोटी छोटी आय वाले व्यक्तियों से आय-कर की वसूली करना कठिन होगा। इसके अतिरिक्त, कर-वसूली का व्यय भी बढ़ जायगा। दूसरे, इस प्रकार के कर से देश की बचतें निरुत्साहित होंगी जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तीसरे, कर-संग्रह से कुछ अन्य लाभपूर्ण साधन सरकार को उपलब्ध नहीं होंगे, जैसे पूँजी कर एवं उत्तराधिकार कर आदि।

(3) सम्पत्ति-कर (Property Tax)—कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि आय-कर के स्थान पर सरकार को केवल सम्पत्ति-कर ही लगाना चाहिए। किन्तु इस प्रकार के कर में दो मुख्य दोष पाये जाते हैं—प्रथम, सम्पत्ति-कर केवल उन्हीं लोगों पर लगाया जा सकता है जिनके पास सम्पत्ति होती है। इस कर से बचने के लिए लोग सम्पत्ति एकत्रित करना ही बन्द कर देंगे। दूसरे, सम्पत्ति-कर लगाने के लिए सम्पत्ति का मूल्य जानना आवश्यक होता है। जैसा विदित है, सम्पत्ति का ठीक-ठीक मूल्यांकन करना बहुत कठिन कार्य है।

वास्तव में, एक कर-प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है कि आज की परिस्थितियों में इसका अपना जाना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव भी है। प्रथम, एक कर-प्रणाली के अन्तर्गत कर से बचना बहुत सरल हो जाता है जबकि अनेक कर-प्रणाली के अन्तर्गत करों से बचना इतना सरल

नहीं होता। दूसरे, एक कर-प्रणाली के अन्तर्गत सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय एकत्रित नहीं कर सकती। तीसरे, एक कर-प्रणाली के अन्तर्गत समाज में आर्थिक विषमताएँ उत्पन्न हो जायेंगी जबकि अनेक कर-प्रणाली में इस प्रकार की सम्भावना बहुत कम रहती है। अतः जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, एक कर प्रणाली के अब अपनाये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। वास्तव में, आजकल विश्व के सभी देशों में अनेक कर-प्रणाली को अपना रखा है। इस प्रणाली में, कुछ तो बड़े-बड़े कर होते हैं, जिनका भार धनी वर्गों पर पड़ता है और कुछ छोटे-छोटे कर होते हैं जिनका बोझ समाज के निम्न वर्गों पर पड़ता है। अनेक कर-प्रणाली से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। प्रथम, इसके अन्तर्गत कर बचन (Tax Evasion) को रोका जा सकता है। दूसरे, इसके अन्तर्गत अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सरकार पर्याप्त आय प्राप्त कर सकती है। तीसरे, इसके अधीन एक कर नी बुराइयों को दूसरे कर्गों के गुणों द्वारा दूर अथवा कम किया जा सकता है।

एक अच्छी कर-प्रणाली की विशेषताएँ (Characteristics of a Good Tax System)

एक अच्छी कर-प्रणाली की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(1) समता (Equity)—एक अच्छी कर-प्रणाली में करों का जनता पर पड़ने वाला भार न्यूनतम होना चाहिए और इसके साथ देश के विभिन्न वर्गों पर इसका भार न्यायपूर्ण ढंग से वितरित किया जाना चाहिए। सबसे चौड़े बन्धों पर सबसे अधिक बोझ पड़ना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि कर-प्रणाली में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का उचित सम्मिश्रण होना चाहिए। जैसा विदित है, प्रत्यक्ष करों का भार गरीबों की अपेक्षा अमीरों पर अधिक पड़ता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष करों का भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। इस परिस्थिति में यदि इनमें में किसी एक—प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष—कर की प्रधानता है तब देश की कर-प्रणाली न्यायसन्त नहीं मानी जा सकती। अतः कर-प्रणाली में समता स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों का होना आवश्यक है।

(2) उत्पादकता (Productivity)—एक अच्छी कर-प्रणाली की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता उसकी उत्पादकता होती है। उत्पादकता के यहाँ पर दो अर्थ लगाये जाते हैं—प्रथम, देश की कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उससे सरकार को अपना व्यय पूरा करने के लिए पर्याप्त आय उपलब्ध हो सके। दूसरे, कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उस देश की उत्पादन शक्ति पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, अर्थात् कर-प्रणाली यथासम्भव अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन-शक्ति को प्रोत्साहित करे।

(3) लोचकता (Elasticity)—एक अच्छी कर प्रणाली की तीसरी विशेषता यह है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में लोचकता का अंश विद्यमान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उसमें करों में उपलब्ध होने वाली आय को सरलता से घटाया-बढ़ाया जा सके। उदाहरणार्थ यदि सकटकाल में सरकार को अधिक आय की आवश्यकता पड़ती है तो कर्गों की दरों में थोड़ी वृद्धि करके सरकार के लिए अधिक मात्रा में आय प्राप्त करना सम्भव होना चाहिए। विशेषकर युद्ध के समय तो कर-प्रणाली में लोचकता का होना अत्यन्त आवश्यक समझा जाता है। कर-प्रणाली में लोचकता लाने के लिए दो बातें आवश्यक हैं—प्रथम, उसमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का उचित सम्मिश्रण होना चाहिए। दूसरे, सरकार को आय के कुछ साधन केवल सकटकाल के लिए ही सुरक्षित रखने चाहिए अर्थात् इन साधनों का प्रयोग केवल सकटकाल में ही किया जाना चाहिए।

(4) सुविधा—देश की कर-प्रणाली का निर्माण करते समय करदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। चूँकि करदाता कर चुकाने समय त्याग करते हैं, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें करों के परिणामस्वरूप किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कर-प्रणाली निश्चितता एवं भित्तिबन्धिता के सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कर-प्रणाली इतनी सरल और सादा होनी चाहिए कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी विशेषज्ञों की सहायता के बिना इसे समझने में समर्थ हो सके।

(5) कर-बचन का अभाव (Absence of Tax-Evasion)—देश की कर-प्रणाली को

निर्माण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि उसमें कर-वचन की गुंजाइश न्यूनतम हो, अर्थात् कर-दाना करो से बच सक्ने में समर्थ न हो सके। दूसरे शब्दों में, कर-प्रणाली में सभी प्रकार के करों का समुचित सम्मिश्रण होना चाहिए। इससे कर-वचन की गुंजाइश स्वतः ही कम हो जायेगी।

(6) अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति—डा० डाल्टन (Dr Dalton) के अनुसार सबसे बड़िया कर-प्रणाली वह है जो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त पर आधारित होती है। दूसरे शब्दों में, कर-प्रणाली का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना होना चाहिए। अतः इनके लिए आवश्यक है कि देश की कर-प्रणाली के कारण उत्पादन-शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि एक अच्छी कर-प्रणाली को यथासम्भव कराधान के सभी सिद्धान्तों की पूर्ति करनी चाहिए। वास्तव में, ऐसी कर प्रणाली का निर्माण करना कठिन है जो कराधान के सभी सिद्धान्तों की सन्तुष्टि करती हो। इसलिए सरकार का यह प्रयत्न होना चाहिए कि देश की कर-प्रणाली यथासम्भव अधिक से अधिक सिद्धान्तों की सन्तुष्टि करे।

करदान सामर्थ्य (Taxable Capacity)

प्रत्येक देश के वित्तमन्त्री के लिए करदान सामर्थ्य का बहुत महत्त्व हाता है। नये कर लगाने समय अथवा पुराने करों की दरों का बढ़ाते समय वित्तमन्त्री को देश की करदान सामर्थ्य को सदैव ध्यान में रखना पड़ता है। यदि कोई वित्तमन्त्री देश की करदान सामर्थ्य से अधिक कर लगाता है तो इससे लोगों में अव्यय ही असन्तोष फैल जायगा और वे इस प्रकार के प्रयास का कडा विरोध करेंगे। इसके विपरीत यदि कोई वित्तमन्त्री करदान सामर्थ्य से कम कर लगाता है तो स्पष्ट है कि वह सरकार का करो के रूप में मिलन वाली उचित आय से वंचित रखता है। अतः ऐसी परिस्थिति में वित्तमन्त्री को देश की करदान सामर्थ्य के अनुसार ही कर लगाने चाहिए।

परन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि करदान सामर्थ्य से अभिप्राय क्या है? वास्तव में, यह शब्द अर्थशास्त्रियों में विवाद का विषय रहा है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने करदान सामर्थ्य के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाये हैं। अब हम विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा करदान सामर्थ्य की की गयी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे।

(1) प्रो० फिण्डले शिराज की परिभाषा—फिण्डले शिराज (Findlay Shirras) ने करदान सामर्थ्य की व्याख्या दो उप-शीर्षकों के अन्तर्गत की है—(क) निरपेक्ष करदान सामर्थ्य, (ख) सापेक्ष करदान सामर्थ्य। निरपेक्ष करदान सामर्थ्य (Absolute Taxable Capacity) से अभिप्राय कर-भार की उस मात्रा से है जो देश के आर्थिक सगठन द्वारा वहन की जा सकती है अर्थात् इसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि देश में कर की कुल मात्रा कितनी होनी चाहिए। सापेक्ष करदान सामर्थ्य (Relative Taxable Capacity) से अभिप्राय एक देश की दूसरे देश की तुलना में सामुदायिक बाय के लिए अक्षदान करने की क्षमता से हाता है।

करदान सामर्थ्य के ऊक्त दोनों अर्थों की ध्यान में रखते हुए प्रो० फिण्डले शिराज ने इसकी परिभाषा इन शब्दों में की है, 'करदान सामर्थ्य वह समूची वचन है जो कि उत्पादन में से उस न्यूनतम उपभोग का, जो कि इस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, घटाकर उपलब्ध होती है, बशर्ते कि रहन-सहन के स्तर में कोई परिवर्तन न हो।' इस प्रकार प्रो० शिराज कुल उत्पादन में से न्यूनतम उपभोग का निवालेकर करदान सामर्थ्य का प्राप्त करते हैं। किन्तु स्मरण रह कि उनका अनुसा न्यूनतम उपभोग में दो चीजें सम्मिलित हानी हैं— प्रथम, लोगों की न्यूनतम आजीविका। दूसरे, व्यापार एवं उद्योग को उत्पत्ति के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था। कुल उत्पादन में से इन दोनों मात्राओं का घटाकर ही करदान सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है।

(2) प्रो० जोसाया स्टैम्प की परिभाषा—जोसाया स्टैम्प (Josiah Stamp) के शब्दों में, "यह वह अधिकतम धन है जो किसी देश के लोग सार्वजनिक व्यय की पूर्ति के हेतु अपने जीवन को नीरस एवं दुखी बनाये बिना तथा आर्थिक सगठन में उथल-पुथल किये बिना सरकार को देने के लिए तैयार हो जाते हैं।" प्रो० स्टैम्प की यह परिभाषा बिले तो ठीक प्रतीत होती है किन्तु इनमें

भोजन-आनिश्चितता का अर्थ पाया जाता है। इसके कारण यह है कि "नीरस तथा दुर्जी जीवन" की कोई सही-सही माप उपलब्ध नहीं है।

(3) प्रो० फ्रेजर की परिभाषा—प्रो० फ्रेजर (Fraser) के अनुसार, "करदान सामर्थ्य उस समूचे आधिक्य द्वारा व्यक्त होती है जो उत्पादन और न्यूनतम उपभोग में (जो कि उस उत्पादन के लिए आवश्यक होता है) अन्तर के रूप में प्रकट होती है।" प्रो० स्टैम्प की परिभाषा की भाँति यह परिभाषा भी कुछ अनिश्चित-सी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें न्यूनतम उपभोग का कोई विस्लेषण नहीं किया गया, अर्थात् प्रो० फ्रेजर ने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं बताया है कि न्यूनतम उपभोग से अभिप्राय क्या है।

(4) डॉ० डाल्टन की परिभाषा—प्रो० शिराज की भाँति डॉ० डाल्टन (Dr Dalton) ने भी करदान सामर्थ्य को दो अर्थों में लिया है। प्रथम, किसी एक राष्ट्र की निरपेक्ष करदान सामर्थ्य। दूसरे, दो अथवा दो से अधिक राष्ट्रों की सापेक्षिक करदान सामर्थ्य। डॉ० डाल्टन के अनुसार, किसी राष्ट्र की निरपेक्ष करदान सामर्थ्य को तोपा नहीं जा सकता। अतः इसका अध्ययन महत्त्वहीन है। किन्तु डॉ० डाल्टन ने अनुसार सापेक्ष करदान सामर्थ्य से अभिप्राय तुलनात्मक कर देने की योग्यता से है। उनके कथनानुसार सापेक्षिक करदान सामर्थ्य को किसी न किसी तरह *अव्यक्त ही माप जा सकता है। डॉ० डाल्टन के शब्दों में मेरा माशररुण निष्कर्ष यह है कि तुलनात्मक करदान योग्यता एक यथार्थता है जो कि उचित रूप से दूसरे शब्दों में ध्यतः की जा सकती है परन्तु निरपेक्ष करदान योग्यता एक कल्पित कथा है जिसको स्वीकार करने से भयानक परिणाम निकल सकते हैं।*

(5) प्रो० एलिंगर की परिभाषा—प्रो० एलिंगर (Ellinger) ने करदान सामर्थ्य की परिभाषा इन शब्दों में की है जब करदानाओं में इतना कर वसूल किया जाता है कि उनके उत्पादन का उत्साह ठण्डा पड़ जाता है और जब आवश्यक पूँजी (जो कि धिमाई के कारण समाप्त हो चुकी है अथवा बढ़ती हुई जनसंख्या के नये श्रमिकों के लिए आवश्यक है) प्राप्त नहीं हो सकती तो हम समझ लेना चाहिए कि कराधान सीमा तक पहुँच चुका है। दूसरे शब्दों में जब कर-भार अधिकता के कारण व्यवसायियों का उत्साह क्षीण पड़ जाता है तथा धिखी हुई पूँजी परिसम्पत्ति का समुचित प्रतिस्थापन (Substitution) सम्भव नहीं होना, तब समझ लेना चाहिए कि सरकार लोगों की करदान सामर्थ्य के ठीक बराबर कर एकत्रित कर रही है। प्रो० एलिंगर की यह परिभाषा भी पृथक् दोषमुक्त नहीं है क्योंकि अन्य परिभाषाओं की भाँति यह भी अनिश्चित-सी प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि इस परिभाषा में करदान सामर्थ्य की परिसीमाओं का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है।

(6) भारतीय कराधान जांच कमेटी की परिभाषा—भारतीय कराधान जांच कमेटी (Indian Taxation Enquiry Committee) ने करदान सामर्थ्य की परिभाषा इन शब्दों में की है, "करदान सामर्थ्य समता के सिद्धान्त की भाँति एक सापेक्षिक विचार है। आर्थिक दृष्टिकोण से समाज के विभिन्न वर्गों की करदान सामर्थ्य उनके कर चुकाने की उस सीमा में प्रदर्शित होती है, जिस पर पहुँचकर उत्पादन-शुश्रूषा तथा प्रयास प्रायः क्षीण होने लगते हैं।" प्रो० एलिंगर की भाँति भारतीय कराधान जांच कमेटी ने भी करदान सामर्थ्य की परिसीमाओं का वर्णन किया है और बताया है कि करदान सामर्थ्य की समूची राशि को करों के रूप में ग्रहण करने से देश की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं।

(7) करदान सामर्थ्य के अन्य अर्थ—करदान सामर्थ्य के दो अन्य अर्थ भी लगाये जाते हैं—प्रथम, करदान सामर्थ्य से अभिप्राय बिना कष्ट के कर देने की शक्ति से है। दूसरे करदान सामर्थ्य से अभिप्राय कष्ट की उपेक्षा करते हुए कर चुकाने की शक्ति से है। यदि हम करदान सामर्थ्य के प्रथम अर्थ को स्वीकार करते हैं तो उस दशा में देश की करदान सामर्थ्य शून्य के बराबर हो जायगी। इसका कारण यह है कि कोई भी कर ऐसा नहीं होता जिसको चुकाने में करदाता को कुछ न कुछ कष्ट न होता हो। यदि हम करदान सामर्थ्य के दूसरे अर्थ को स्वीकार करते हैं तो हमसे करदाताओं की कर चुकाने की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं रहेगी। इसका कारण यह है कि दूसरे अर्थ के अनुसार कर चुकाने समय करदाताओं द्वारा अनुभव किये गये कष्ट का ध्यान में नहीं रखा जाता है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि करदान सामर्थ्य की धारणा के बारे में अर्थशास्त्रियों में मतभेद नहीं है। वास्तव में करदान सामर्थ्य की धारणा एक ऐसी धारणा है जिस पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद नहीं हो सकता। यह एक ऐसा अस्पष्ट विचार है कि इसको सही सही सीमांकित नहीं किया जा सकता। इसलिए डॉ० डाल्टन ने यह सुझाव दिया है कि राजस्व के सभी गम्भीर विवेकनी में से करदान सामर्थ्य की धारणा को बाहर निकाल देना चाहिए।

यसा होते हुए भी करदान सामर्थ्य की सामान्य तौर पर इस प्रकार परिभाषा की जाती है, करदान सामर्थ्य से अभिप्राय उस वचन से है जो राष्ट्रीय आय में से कुल व्यय को घटा देने से प्राप्त होता है। कुल व्यय से बचा पर अभिप्राय लोगों की कायकुशलता एवं पूँजी परिस्मृति की कायक्षमता का यथावत बनाय रखन पर किय गये व्यय से है। जब इस प्रकार के व्यय का कुल राष्ट्रीय आय से घटा दिया जाता है तो शेष करदान सामर्थ्य बच रहती है। सरकार इस प्रकार की बचन को पूर्णरूप में वसूल करने की अधिकारी होती है किन्तु ध्ववहार में सरकार द्वारा इस बचन को करा से पूर्णरूप में ग्रहण नहीं किया जाता। इसके विपरीत सरकार इस बचन का कुछ अंश ही करा से रूप में लागू में ग्रहण करती है। स्पष्ट है कि यदि सरकार इस बचन को पूर्णरूपेण ग्रहण कर लेती है तो इससे लोगों में निश्चय ही असन्तोष पैदा जायगा। अतः लोगों को सन्तुष्ट रखन के लिए सरकार इस बचन का अंश ही करों के रूप में ग्रहण करती है।

किन्तु करदान सामर्थ्य के उक्त परिभाषण को स्वीकार करने में भी दो मुख्य कठिनाइयाँ हैं— प्रथम, यह कैसे जाना जाय कि लागू की कायक्षमता का यथावत बनाय रखन पर कितना व्यय आवश्यक है। दूसरे, यह जानना भी कठिन है कि पूँजी परिस्मृति के मूल्य ह्रास की किस आधार पर व्यवस्था की जाय। वास्तव में करदान सामर्थ्य की यह धारणा अत्यन्त अस्पष्ट है और इसका कोई अधिक व्यावहारिक महत्त्व भी नहीं है। वस्तुतः इसकी सही माप करन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

करदान सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व—किसी देश की करदान सामर्थ्य अनेक तत्वों द्वारा प्रभावित होती है।

(1) **करदाताओं की मनोवृत्ति (Psychology of Tax payers)**—किसी देश की करदान सामर्थ्य उस देश के करदाताओं की मनोवृत्ति पर निर्भर रहती है। उदाहरणार्थ युद्ध के समय लोग प्रायः देश के हित के लिए अधिक त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। अक्टूबर 1962 में जब चीनियों ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय देशभक्ति के उत्साह के फलस्वरूप साधारण जनता की करदान सामर्थ्य बढ़ गयी थी और लोग स्वतः ही सरकार का अधिक कर देने के लिए तैयार हो गये थे।

(2) **देश की प्रशासन व्यवस्था (Administrative Set up of the Country)**—किसी देश की करदान सामर्थ्य उस देश की प्रशासन व्यवस्था पर भी निर्भर रहती है। उदाहरणार्थ एक मुलाम देश में लोगों की करदान सामर्थ्य सदैव शून्य रहती है। इसका कारण यह है कि लोग बिना किसी सरकार का सदस्य की दृष्टि से देखते हैं और अधिक मात्रा में कर देने के लिए तैयार नहीं होते। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों की करदान सामर्थ्य इसी कारण कम हुआ करती थी।

(3) **देश के आर्थिक विकास की स्थिति**—किसी देश का करदान सामर्थ्य बहुत बड़ी सीमा तक उस देश के आर्थिक विकास की स्थिति से निश्चित होता है। उदाहरणतः औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों की करदान सामर्थ्य पिछड़े तथा अविश्वसित देशों की करदान सामर्थ्य की अपेक्षा ऊँची होती है।

(4) **देश की कर प्रणाली का स्वरूप**—यदि किसी देश की कर प्रणाली का निर्माण वैज्ञानिक आधार पर किया गया है तो निश्चय ही उस देश की करदान सामर्थ्य ऊँची होगी। स्मरण रहे कि वैज्ञानिक कर प्रणाली में सरकार द्वारा लगाय गये कर निश्चित मरत एवं सुविधा पूर्ण होते हैं। अतः देश की करदान सामर्थ्य स्वतः ही ऊँची हो जाती है। यह भी स्मरण रहे

कि यदि देश की कर-प्रणाली उत्पादन-शक्ति पर बुरा प्रभाव डालती है तो इससे करदान सामर्थ्य निश्चय ही क्षीण पड जायगी ।

(5) सरकारी व्यय का स्वरूप—देश की करदान सामर्थ्य सरकारी व्यय के स्वरूप पर भी निर्भर करती है । यदि सरकार अपने व्यय का अधिकांश भाग धनोत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा लोगों की काम-कुशलता के स्तर को ऊँचा उठाने पर करती है तो इससे करदान सामर्थ्य स्वत ही ऊँची उठेगी । जब सरकार अपना अधिकांश व्यय कृषि-विकास, औद्योगिक विकास, परिवहन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर करती है तो इससे देश की करदान सामर्थ्य में वृद्धि होती है । इसके विपरीत, यदि सरकार अपने व्यय का अधिकांश भाग अस्त्रों के निर्माण एवं युद्ध की तैयारी के लिए करती है तो इससे निश्चय ही देश की करदान सामर्थ्य घट जाती है ।

(6) देश में धन का वितरण—किसी देश में धन का वितरण जितना अधिक असमान होता है, उतनी ही उसकी करदान सामर्थ्य अधिक होती है । इसका कारण यह है कि सरकार धनी वर्ग से करो द्वारा आसानी से पर्याप्त आय प्राप्त कर सकती है । इसके विपरीत, किसी देश में धन का वितरण जितना अधिक समान होता है उतनी ही उसकी करदान सामर्थ्य कम होती है । इसका कारण यह है कि धन के वितरण में समानता होने के कारण अधिकांश निर्धन लोग अपनी आय को अनिवार्यताओं की मनुष्टि पर ही व्यय कर देने हैं । परिणामत उनकी करदान सामर्थ्य कम हो जाती है ।

(7) जनसंख्या में वृद्धि—साधारणतः किसी देश की करदान सामर्थ्य उस देश की जन-संख्या के आकार पर भी निर्भर रहती है । अन्य बातें समान रहते हुए, देश की जनसंख्या में जितनी अधिक वृद्धि होती है, उतनी ही उस देश की करदान सामर्थ्य कम हो जाती है । इसका कारण यह है कि जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोग पर किये जाने वाले व्यय में भी वृद्धि हो जाती है । परिणामत देश की करदान सामर्थ्य घट जाती है । परन्तु स्मरण रहे कि यदि जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ देश की उत्पादन-शक्ति में उन्नी अनुपात में वृद्धि होती है तो लोगों की करदान सामर्थ्य में कमी नहीं होगी ।

(8) लोगों का रहन-सहन स्तर—देश की करदान सामर्थ्य पर लोगों के रहन-सहन स्तर का भी प्रभाव पड़ता है । यदि किसी देश का रहन-सहन स्तर ऊँचा है तो निश्चय ही वहाँ के लोगों की उत्पादन-शक्ति अधिक होगी । परिणामत उनकी आय भी अधिक होगी जिसके फल-स्वरूप उनकी कर देने की योग्यता ऊँची होगी ।

(9) आय की स्थिरता—राष्ट्रीय आय की स्थिरता भी देश की करदान सामर्थ्य को प्रभावित करती है । ब्रिटेन तथा अमरीका जैसे विकसित देशों में राष्ट्रीय आय प्रायः स्थिर ही रहती है, अर्थात् उसमें भारी उतार-चढ़ाव नहीं होता किन्तु भारत जैसे देश में राष्ट्रीय आय में स्थिरता का अभाव पाया जाता है । यहाँ पर अधिकांश लोगों का व्यवसाय खेती है जो लगभग पूर्णतः मानसून पर निर्भर रहती है । यदि मानसून ठीक समय पर तथा उचित मात्रा में आते है तो खेती अच्छी हो जाती है और परिणामत राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है । इसके विपरीत, दुर्भाग्यवश यदि किसी वर्ष मानसून फल ही आते है अथवा सूखा पड जाता है तो इससे खेती चौपट हो जाती है और राष्ट्रीय आय में कमी हो जाती है । अतः राष्ट्रीय आय की इस अस्थिरता के कारण सरकार के लिए किसी वैज्ञानिक कर-प्रणाली का निर्माण कर सकना कठिन हो जाता है । परिणामत देश की करदान सामर्थ्य न्यून ही रहती है ।

(10) मुद्रा-स्फीति (Inflation)—किसी देश की करदान सामर्थ्य का अध्ययन करते समय मुद्रा-स्फीति की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि मुद्रा स्फीति करदान सामर्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है । मुद्रा-स्फीति के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है किन्तु साधारण जनता को द्रव्य आय लगभग पूर्ववत् ही रहती है । इस प्रकार उनकी वास्तविक आय में कमी हो जाती है और परिणामत उनकी करदान सामर्थ्य भी घट जाती है ।

अतः किसी देश की करदान सामर्थ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है ।

कराधान में न्याय की समस्या (Problem of Justice in Taxation)

वाम्ताय मे, यद् कराधान की मुख्य समस्या मानी जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि देश की कर प्रणाली न्यायसम्भव न्याय पर आधारित हानी चाहिए। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऋर भार के वितरण को न्यायसगत कैसे बनाया जाय ? कराधान मे न्याय के आदर्श को प्राप्ति के लिए समय-समय पर अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। इनमे से मुख्य मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है

(1) **कर-निर्धारण का लाभ सिद्धान्त (Benefit Theory of Taxation)**—इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक नागरिक से उतना ही कर लेना चाहिए जितना कि उसे सरकार द्वारा की गयी सेवाओं से लाभ प्राप्त होना है। अर्थात् जिन नागरिकों का अधिक लाभ प्राप्त होता है उन्हें अधिक कर भर वृत्त करना चाहिए। इनके विपरीत जिन नागरिकों को कम लाभ प्राप्त होता है उन्हें कम कर देना चाहिए। जैसा विदित है नागरिकों के लिए सरकार कई प्रकार की सेवाएँ करती है। उदाहरणार्थ देश की शासन व्यवस्था पुलिस तथा मेदा तथा देश की न्याय प्रणाली में विभिन्न नागरिकों का भिन्न-भिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक नागरिक का सरकार द्वारा की गयी सेवाओं से प्राप्त होने वाले लाभ के अनुपात में ही कर चुकाना चाहिए।

किन्तु इस सिद्धान्त की दो आधारों पर आलोचना की गई है—प्रथम, इन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपन द्वारा प्राप्त किये गये लाभ व अनुपात में ही कर चुकाना चाहिए। किन्तु प्रश्न यह है कि लाभ की इस मात्रा को कैसे नापा जाय ? हमारे पास कोई ऐसा यन्त्र नहीं है जिसकी सहायता से हम नागरिकों द्वारा प्राप्त किये गये लाभ को सही-सही माप सकें। दूसरे, आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में सरकार द्वारा की गयी सेवाओं से अमीरों की अपेक्षा गरीबों का अधिक लाभ होता है। उदाहरणार्थ सरकार गरीबों के लिए सस्ते अनाज सस्ते मकान निःशुल्क शिक्षा एवं डॉक्टरी सहायता की व्यवस्था करती है। यदि इन सिद्धान्त का स्वीकार कर लिया जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर करों का भार अधिक पड़ना चाहिए क्योंकि उनका अमीरों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होता है। स्पष्टतः यह न्यायसगत नहीं है। अतः इन सिद्धान्त को स्वीकार करना कठिन है। लेकिन इसके बावजूद कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते समय सरकार इन सिद्धान्त का ध्यान में रखती है। उदाहरणार्थ जब सरकार नागरिकों का पानी विजली गैस आदि आवश्यक वस्तुएँ सप्लाई करती है तो वह इनकी कोमलें लाभ सिद्धान्त के अनुसार ही निश्चित करती है।

(2) **कर निर्धारण का सेवा को लागत का सिद्धान्त (Cost of Service Theory of Taxation)**—कुछ अर्थशास्त्रियों ने कर-भार के वितरण का निर्धारण करते समय इन सिद्धान्त का ध्यान में रखने की सिफारिश की है। इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार द्वारा की गयी सेवाओं की जो कुल लागत होती है उसे ही लोगों पर कर लगाया जाना चाहिए। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं—सरकार नागरिकों के लिए कई प्रकार की सेवाओं का प्रवन्ध करती है। इस सिद्धान्त के अनुसार इन सेवाओं पर आने वाली कुल लागत का ध्यान में रखते हुए विभिन्न व्यक्तियों में कर लिये जाने चाहिए। परन्तु स्मरण रह कि सरकार का उक्त सेवाओं की व्यवस्था न लाभ न हानि (No Profit No Loss) के सिद्धान्त पर करनी होगी।

इस सिद्धान्त की भी कई आधारों पर आलोचना की गयी है—प्रथम सरकार द्वारा की गयी सभी सेवाओं की कुल लागत निकालना ही कठिन कार्य है। यदि सेवाओं की कुल लागत का हिसाब लगाना ही कठिन है तो फिर उन नागरिकों पर वितरित करण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय कि सरकार द्वारा की गयी सेवाओं की कुल लागत सही सही निकाली जा सकती है तो फिर दूसरी कठिनाई यह उत्पन्न होगी है कि प्रत्येक नागरिक के प्रति की गयी सेवा की लागत का अनुमान कैसे लगाया जाय ? क्या इसका यह अर्थ है कि कुल लागत का सभी नागरिकों में बराबर-बराबर वित्त दिया जाय ? हमारे शब्दों में क्या इसका अर्थ

यह कि सभी नागरिकों पर एक समान पोल-टैक्स (Poll-Tax) लगा दिया जाय। स्पष्ट है कि इस प्रकार का कोई भी मुत्ताब स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरे, आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में सरकार अमीरों की अपेक्षा गरीबों के लिए अधिक सेवाएँ करती है। उदाहरणार्थ, गरीबों के लिए बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पे-शन, निशुल्क डाक्टरों सहायता, आदि की व्यवस्था की जाती है। यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाय तो अमीरों की अपेक्षा सरकार को गरीबों से अधिक कर वसूल करने चाहिए, क्योंकि उनके प्रति की गयी सरकारी सेवाओं की लागत अपेक्षाकृत ऊँची होती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की स्थिति अत्यन्त हास्यास्पद होगी। लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति करते समय इस सिद्धान्त को अवश्य ही ध्यान में रखा जाता है। उदाहरणार्थ, रेल टिकट, पानी तथा बिजली की दम निर्दिष्ट करते समय सेवा की लागत के सिद्धान्त का अवश्य ही उपयोग किया जाता है, यद्यपि यहाँ पर भी सेवा की लागत का ठीक-ठीक अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है।

(3) 'कर चुकाने की योग्यता' का सिद्धान्त (Ability to Pay Theory of Taxation) - इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक नागरिक को सरकारी व्यय की पूर्ति के लिए अपनी योग्यता के अनुसार कर चुकाना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति सरकार को अपनी क्षमता के अनुसार कर चुकाता है तो इससे न्यायपूर्ण और कोई कर-व्यवस्था नहीं हो सकती।

परन्तु इस सिद्धान्त की मुख्य कठिनाई यह है कि व्यक्ति की कर चुकाने की योग्यता का कैसे नापा जाय? इस कठिनाई का दूर करने के लिए अथवा कर चुकाने की योग्यता का सही मूल्यांकन करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने इस विषय पर दो पहलुओं से विचार किया है—
(क) विषयीगत अथवा आन्तरिक पहलू। (ख) विषयगत अथवा बाह्य पहलू।

(क) विषयीगत अथवा आन्तरिक पहलू (Subjective Aspect)—कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार करदाता की कर चुकाने की योग्यता का अनुमान उसकी वृष्ट उठाने एवं त्याग करने की शक्ति से लगाया जा सकता है अर्थात् किसी करदाता की वृष्ट सहन करने की शक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही उसकी करदान सामर्थ्य भी अधिक होती है। अतः इन अर्थशास्त्रियों का विचार है कि कर देने की योग्यता को त्याग (Sacrifice) द्वारा नापा जा सकता है। त्याग के सम्बन्ध में तीन मुख्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है—(अ) समान त्याग का सिद्धान्त, (ब) आनुपातिक त्याग का सिद्धान्त, (इ) न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धान्त।

(अ) समान त्याग का सिद्धान्त (Principle of Equality of Sacrifice)—इस सिद्धान्त के अनुसार कर के मोट्रिक-भार (Money Burden) को विभिन्न करदाताओं पर इस ढंग से वितरित करना चाहिए कि प्रत्येक करदाता को बराबर का त्याग करना पड़े। दूसरे शब्दों में, देश की कर-प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रत्येक करदाता को समान अथवा बराबर त्याग करना पड़े। इस सिद्धान्त के अनुसार देश की कर-प्रणाली समानुपातिक (Proportional) होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, सरकार द्वारा लगाय गये कर आनुपातिक होने चाहिए। सभी करदाताओं के लिए कर की प्रतिशत दर एक ही होनी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि आय-कर की दर 5 प्रतिशत है तो 100 रुपये आय वाले व्यक्ति को 5 रुपये, 200 रुपये आय वाले व्यक्ति को 10 रुपये तथा 300 रुपये आय वाले व्यक्ति को 15 रुपये कर के रूप में चुकाने पड़ेंगे। इस प्रकार आय की वृद्धि के साथ कर की मात्रा तो बढ़ जायगी किन्तु कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परन्तु इस सिद्धान्त की मुख्य कठिनाई यह है कि प्रत्येक करदाता द्वारा किये गये त्याग का सही-सही अनुमान लगाना कठिन होता है।

(ब) आनुपातिक त्याग का सिद्धान्त (Principle of Proportional Sacrifice)—इस सिद्धान्त के अनुसार करदाताओं पर पड़ने वाले कर का भार समान नहीं होता चाहिए, बल्कि उनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय के समानुपातिक होना चाहिए। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार कर-निर्धारण आनुपातिक (Proportional) न होकर, आरोही (Progressive) होना चाहिए। इस प्रकार की कर-प्रणाली में व्यक्ति की आय में वृद्धि के साथ ही साथ कर की दर में भी वृद्धि होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि जैसे-जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे उसकी त्याग करने की शक्ति भी बढ़ती जाती है क्योंकि कम आय वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक आय वाले व्यक्ति की मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होती है। अतः यदि अमीरों को

अपनी आय के अनुरूप ही त्याग करना है तो स्पष्ट है कि उन पर कर की दर अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार अमीरों को न केवल कर की कुल मात्रा ही अधिक देनी चाहिए, बल्कि उन्हें कर की प्रतिशत दर भी अधिक देनी चाहिए।

(इ) न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धान्त (Principle of Least Aggregate Sacrifice)— डा० माशेल, प्रो० पीग तथा डा० डाल्टन जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार द्वारा कर-निर्धारण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी करदानाओं द्वारा किये गये त्याग की कुल मात्रा न्यूनतम हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के सभी नागरिकों से कर वसूल न किया जाय बल्कि आय की एक न्यूनतम सीमा निश्चित कर दी जाय। जिन व्यक्तियों की आय इस सीमा से नीची होती है, उन्हें कर से मुक्त कर दिया जाय। केवल उन्हीं व्यक्तियों से कर वसूल किया जाय जिनकी आय इस सीमा से ऊपर होता है और इन व्यक्तियों से प्रगतिशील दरों (Progressive Rates) पर कर की वसूली की जाय। अर्थात् निश्चित सीमा के ऊपर जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे-वैसे ही कर की दर भी बढ़ती जानी चाहिए। इसका कारण स्पष्ट है। गरीबों की अपेक्षा अमीरों की मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होती है। परिणामतः अमीरों द्वारा कर चुकाने पर उन्हे गरीबों की अपेक्षा कम त्याग करना पड़ता है। अतः यदि गरीबों को कर से मुक्त कर दिया जाय और कर की समूची आय को अमीरों से ही वसूल किया जाय तो निश्चय ही कर के परिणामस्वरूप किया जाने वाला कुल त्याग न्यूनतम होगा। स्मरण रहे कि जब धनी वर्ग से कर लिया जाता है तब वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का त्याग नहीं करते बल्कि उन्हे अपनी कुछ विद्यासिताओं का ही त्याग करना पड़ता है। इसके विपरीत जब गरीबों से कर लिया जाता है तो उन्हें विवश होकर अपनी अनिवार्यताओं की ही बलि देनी पड़ती है। अतः स्पष्ट है कि अमीरों से कर-वसूली करने पर कुल त्याग न्यूनतम होता है।

परन्तु इस सिद्धान्त के आधार पर कर निर्धारण कर्म में एक कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि इससे बचते पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि श्रमिका पर उंची दर पर कर लगाया जाता है तो निश्चय ही उनकी बचत करने की शक्ति एवं इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब बचते निरस्त्याहित होती है तो देश की राष्ट्रीय आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो त्याग का सिद्धान्त उचित ही प्रतीत होता है परन्तु इसकी मुख्य कठिनाई यह है कि इसे व्यवहार में परिणत करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसका कारण यह है कि त्याग एक मनोवैज्ञानिक तत्त्व (Psychological factor) है और इसे मही सही नापना असम्भव नहीं ना कठिन अवश्य ही है। इसीलिए कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि करदान सामर्थ्य को नापने के लिए त्याग का आधार उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः इसका परित्याग ही कर देना चाहिए।

(ख) विषयगत अथवा बाह्य पहलू (Objective Aspect)— कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार कर देने की योग्यता को कुछ बाह्य तत्वों द्वारा नापा जा सकता है— (अ) व्यक्ति का व्यय (आ) व्यक्ति की सम्पत्ति (इ) व्यक्ति की आय।

(अ) व्यक्ति का व्यय—कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि व्यक्ति की कर देने की योग्यता को उसके व्यय द्वारा नापा जा सकता है। जिस व्यक्ति का व्यय अधिक है उसकी कर देने की योग्यता भी अधिक होगी। अतः उस पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति का व्यय उसकी कर चुकाने की योग्यता का अच्छा माप माना जाता है। किन्तु आलोचकों के अनुसार व्यक्ति की कर देने की योग्यता की यह माप वास्तव में, बहुत ही दृष्टिपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति अधिक व्यय करता है तो उसका यह अभिप्राय नहीं है कि उसकी कर देने की योग्यता भी अधिक है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति बड़ा परिवार होने के कारण अधिक व्यय करता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी कर चुकाने की योग्यता भी अधिक है। अतः व्यक्ति का व्यय उसकी कर चुकाने की योग्यता की उचित माप नहीं है।

(आ) व्यक्ति की सम्पत्ति—कुछ अर्थशास्त्रियों ने व्यक्ति की सम्पत्ति या उसकी कर देने की योग्यता की अच्छी माप बताया है। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति के पास जिनकी

अधिक सम्पत्ति है उतनी ही उसकी कर चुकाने की योग्यता अधिक होती है। परन्तु आलोककों के अनुसार सम्पत्ति भी कर चुकाने की योग्यता का उचित आधार नहीं मानी जा सकती। प्रथम, समाज में बहुत-से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी आय तो अधिक होती है, परन्तु उनके पास सम्पत्ति नहीं होती। इन प्रकार के व्यक्ति स्वतः ही कर से मुक्त हो जायेंगे। स्पष्ट है कि यह न्यायसंगत नहीं है। दूसरे, यदि सम्पत्ति को कर चुकाने की योग्यता का आधार मान लिया जाय तो एक अन्य कठिनाई उत्पन्न होती है। इस बात की कोई गारण्टी नहीं कि समान आकार-प्रकार की सम्पत्ति से समान आय ही प्राप्त होगी। वा व्यक्तियों के पास समान प्रकार की सम्पत्ति हो सकती है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन दोनों की आय भी एकसमान ही होगी। दूसरे शब्दों में, समान सम्पत्ति होना पर भी इन व्यक्तियों की कर चुकाने की योग्यता समान नहीं होगी। तीसरे, सम्पत्ति को आधार मान लेने पर एक अन्य कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि सम्पत्ति पर कर कैसे लगाया जाय। क्या सम्पत्ति के विक्रय-मूल्य पर कर लगाया जाय अथवा इतने प्राप्त होने वाली वार्षिक आय पर कर लगाया जाय? इस सिद्धान्त के समर्थकों में इस विषय को अस्पष्ट ही रखा है। चौथे यदि सम्पत्ति को कर चुकाने की योग्यता का आधार मान लिया जाय तो अधिकांश लोग सम्पत्ति रखना ही पसन्द नहीं करेंगे। उपरोक्त कठिनाइयों के कारण सम्पत्ति को कर चुकाने की योग्यता का समुचित आधार नहीं माना जा सकता।

(इ) व्यक्ति की आय—कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि व्यक्ति की मौद्रिक आय उसकी कर चुकाने की योग्यता की अच्छी माप है। परन्तु इसे भी कर चुकाने की योग्यता की सन्तोषजनक माप नहीं माना जा सकता। हो सकता है कि दो व्यक्तियों की मौद्रिक आय एक-समान हो किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि उन दोनों की कर चुकाने की योग्यता भी एक-समान होगी। यह सम्भव है कि उनमें से एक का बड़ा परिवार होने के कारण उरका व्यय भी अधिक हो। अतः व्यक्ति की आय कर चुकाने की योग्यता का कोई विश्वसनीय आधार नहीं है किन्तु प्रो० जोसाया स्टैम्प (Josiah Stamp) के अनुसार अन्य आधारी की तुलना में आय का आधार कर चुकाने की योग्यता का श्रेष्ठ प्रमाण है। अतः उनके अनुसार व्यक्ति की आय को ही कर चुकाने की योग्यता का आधार बनाया जाना चाहिए। किन्तु ऐसा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए—प्रथम, कर लगाते समय एक न्यूनतम आय सीमा (minimum income limit) निश्चित कर देनी चाहिए। जिन व्यक्तियों की आय उस सीमा से कम है, उन्हें कर के भुगतान से मुक्त कर देना चाहिए। दूसरे, कर लगाते समय करदाता के परिवार के आकार को ध्यान में रखना चाहिए। छोटे परिवार वाले करदाता पर कर की दर अधिक तथा बड़े परिवार वाले करदाता पर कर की दर कम होनी चाहिए। तीसरे, कर लगाते समय अर्जित (earned) एवं अर्जित आय (unearned income) में भेद किया जाना चाहिए। व्यक्ति द्वारा अर्जित आय पर कर की दर कम होनी चाहिए जबकि उरकी अर्जित आय पर कर की दर अधिक होनी चाहिए। चौथे कर लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बचतों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले। उदाहरणार्थ, कर लगाते समय करदाता द्वारा बीमे के लिए चुकाये गये प्रीमियम (Premium) की रकम पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बचतें हतोत्साहित होगी। पाँचवे, कर लगाते समय करदाता की पूंजी परिसम्पत्ति के मूल्य ह्रास के व्यय को उसकी आय में से घटा देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कर कुल आय (Gross income) पर नहीं बल्कि शुद्ध आय (Net income) कर लगाया जाना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1 प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों के अन्तर को समझाइए। प्रत्यक्ष करों के गुणों तथा अवगुणों का वर्णन कीजिए। (आगरा, 1962)
[संकेत—प्रथम भाग में, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों की परिभाषाएँ प्रस्तुत करते हुए उदाहरण सहित उनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों के गुणों एवं अवगुणों की व्याख्या कीजिए।]
- 2 क्या आप एकाकी कर-प्रणाली के पक्ष में हैं या बहुकर-प्रणाली के पक्ष में। सकारण उत्तर दीजिए। (नोरखपुर, 1963)

[संकेत—प्रथम भाग में, एकाकी तथा बहुकर-प्रणाली की परिभाषाएँ प्रस्तुत करते हुए इनके अन्तर का स्पष्ट करिए। दूसरे भाग में, यह बताइए कि वर्तमान युग में एकाकी कर-प्रणाली के अपनाये जाने की तनिक भी सम्भावना नहीं है। इसके साथ ही बहुकर-प्रणाली के पक्ष में दिने गने नकों की विवेचना कीजिए।]

- 3 कर देने की क्षमता से आप क्या समझते हैं? विस्तारपूर्वक बताइये। समाज में इसको निर्धारित करते समय आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे?

(गोरखपुर, 1961, सागर 1963)

[संकेत—प्रथम भाग में कर देने की क्षमता की विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गयी परिभाषाओं की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्त्वों का विलुप्त वर्णन कीजिए।]

- 4 'करारोपण में न्याय' का सिद्धान्त समझाइए। (नागपुर, 1960)

[संकेत—आरम्भ में, कर-निर्धारण में न्याय उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समय-समय पर अर्थशास्त्रियों द्वारा जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है उनकी उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तदुपरान्त यह बताइये कि इनमें कर चुकाने की योग्यता का सिद्धान्त अपनाने से ही करारोपण में न्याय किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी बताइये कि कर चुकाने की योग्यता की नापने के मध्यम में अर्थशास्त्रियों द्वारा क्या-क्या मुद्दाव प्रस्तुत किये गये हैं।]

- 5 अच्छी कर-प्रणाली के गुणों की विवेचना कीजिए। (बिनाम, 1963)

[संकेत—यहाँ पर अच्छी कर-प्रणाली में पाये जाने वाले विभिन्न गुणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। देखिए, उपर्युक्त अध्याय।]

- 6 कराधान के मुख्य सिद्धान्त क्या हैं? आपकी राय में आय-कर तथा विक्री-कर इन सिद्धान्तों की कहीं तक मनुष्युष्टि करते हैं? (राजस्थान, 1963)

[संकेत—प्रथम भाग में, कराधान के मुख्य सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइये कि आय-कर तथा विक्री-कर समता, निश्चितता, सुविधा तथा मितव्ययता के सिद्धान्तों की मनुष्युष्टि नो करते हैं किन्तु सरलता, उत्पादकता आदि सिद्धान्तों का पालन नती करते।]

- 7 (क) कर की परिभाषा बताइये तथा इसकी विशेषताएँ समझाइए।

(ख) कर के सिद्धान्तों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। (आगरा, 1966)

[संकेत—प्रथम भाग में, कर की परिभाषा देते हुए इसकी दो मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए—(क) यह अनिवार्य भुगतान होता है, (ख) यह किसी विशेष सेवा के बदले नहीं चकाया जाना। दूसरे भाग में कराधान के मुख्य सिद्धान्तों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।]

44

करवाह्यता (करापात) की समस्या (Problem of the Incidence of Taxation)

करवाह्यता का अर्थ (Meaning of Tax Incidence)

करवाह्यता से अभिप्राय कर के मौद्रिक भार से होता है। जब कोई कर लगाया जाता है तो उसका मौद्रिक भार अवश्य ही किसी न किसी व्यक्ति पर पड़ता है। अतः करवाह्यता के अन्तर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि कर का भार कहाँ और किस व्यक्ति पर पड़ता है। कभी-कभी करदेयता (कराघात) तथा करवाह्यता (करापात) में अन्तर किया जाता है। करदेयता (Impact of Tax) से अभिप्राय उस व्यक्ति की देयता से होता है जो कि प्रथमतः कर चुकाता है लेकिन, जैसा हम देख चुके हैं, यह आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति कर चुकाता है वह वास्तव में कर का भार स्वयं ही वहन करता है। अर्थात् यह आवश्यक नहीं कि करदेयता एवं करवाह्यता एक ही व्यक्ति पर हो। उदाहरणार्थ, जब सरकार चीनी पर उत्पादन-कर लगाती है तो उस कर को प्रथमतः मिल मालिक द्वारा चुकाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि करदेयता मिल मालिक पर है किन्तु मिल मालिक उस कर को चीनी के मूल्य में सम्मिलित करके उपभोक्ताओं के कंधों पर ढकेल देता है। अतः चीनी पर लगाये गये कर का भार (करवाह्यता), वास्तव में, उपभोक्ताओं पर हाता है। इस प्रकार चीनी पर कर लगाने से उपभोक्ताओं की आय में जितनी कमी हो जाती है, वह चीनी कर का भार है। स्मरण रहे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर लगे कर के भार को यथासम्भव अन्य व्यक्तियों के कंधों पर ढकेलने का प्रयत्न करता है। इसी कारण करवाह्यता की समस्या राजवित्त की एक महत्वपूर्ण समस्या बन गयी है।

‘करवाह्यता’ तथा ‘कर-प्रभावों’ में अन्तर

वास्तव में “करवाह्यता” (कर का भार) तथा ‘कर के प्रभाव’ दो अलग विषय हैं। करवाह्यता से अभिप्राय तो कर के मौद्रिक भार से होता है और करवाह्यता का अध्ययन करते समय हम यह देखते हैं कि कर का मौद्रिक भार कहाँ तथा किन-किन व्यक्तियों पर पड़ा है किन्तु ‘कर प्रभाव’ शब्द का अर्थ अधिक विस्तृत रूप में लिया जाता है। स्मरण रहे कि जब कोई कर लगाया जाता है तो उसके मौद्रिक भार के अतिरिक्त अन्य भी कई प्रभाव होते हैं। उदाहरणार्थ, जब चीनी पर उत्पादन-कर लगाया जाता है तो उसका उपभोक्ताओं पर मौद्रिक भार तो पड़ता ही है किन्तु इससे अलावा उसके अन्य भी कई प्रभाव हो सकते हैं। जैसे चीनी के उपभोग में कमी, उत्पादन में कमी, उत्पादकों के लाभ में कमी आदि। इस प्रकार कर-प्रभाव एक विस्तृत शब्द है और इसमें करो से उत्पन्न होने वाली आर्थिक तथा गैर-आर्थिक सभी प्रकार की समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है।

करवाह्यता के अध्ययन का महत्व

वास्तव में, आजकल करवाह्यता की समस्या के अध्ययन का महत्व बहुत बढ़ गया है। प्रत्येक देश के वित्तमन्त्री के लिए करवाह्यता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक

होता है। जब सरकार कोई कर लगाती है तो ऐसा करते समय उसका उद्देश्य कर का भार किसी विशेष वर्ग के कन्धों पर डालना होता है। किन्तु यह नितान्त सम्भव है कि उस वर्ग के चालाक व्यक्ति उस कर का बोझ अपने ऊपर से उठाकर दूसरों के कन्धों पर ढकेल दें। उदाहरणार्थ, भारत में विक्री-कर (Sales Tax) राज्य-सरकारों द्वारा दुकानदारों पर लगाया गया है। वास्तव में, यह कर उनकी विक्री पर लगाया गया है और इसका बोझ उन्हीं के कन्धों पर पड़ना चाहिए। लेकिन जैसा सर्वविदित है अधिकांश दुकानदार विक्री कर का भार ग्राहकों के कन्धों पर ढकेल देते हैं। इसलिए यह मुझाव दिया गया है कि विक्री-कर को खरीद-कर (Purchase Tax) कहना न्यायोचित होगा। इस प्रकार सरकार के लिए करवाह्यता का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, जैसा पूर्व कहा गया है सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करना है। उस उद्देश्य का प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि अमीरों पर गरीबों की अपेक्षा कर-भार अधिक होना चाहिए। अतः सरकार को इस दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक न्याय की दृष्टि में भी करवाह्यता का विशेष महत्त्व है।

कर-विवर्तन (अथवा कर ढकेलना) (Shifting of Tax)

जब किसी कर के आर्थिक भार को करदाता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर ढकेल दिया जाता है, तब इसे कर-विवर्तन अथवा कर का ढकेलना कहते हैं। जैसा हम पूर्व कह चुके हैं—प्रत्येक करदाता कर का भार दूसरे व्यक्तियों के कन्धों पर ढकेलने का प्रयत्न करता है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह अपने इस प्रयास में सर्वद्वय सफल हो जाता है। कर-विवर्तन भी दो प्रकार का होता है—(क) एक बिन्दु कर-विवर्तन (Single Point Shifting) (ख) बहु-बिन्दु कर-विवर्तन (Multi-Point Shifting)। जब कोई व्यापारी अपनी वस्तु पर लगे कर को उपभोक्ता के कन्धों पर ढकेल देता है तब इसे एक-बिन्दु कर विवर्तन कहते हैं (स्मरण रहे कि व्यापारी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर कर की मात्रा को उपभोक्ता के कन्धों पर डाल देते हैं) इसके विपरीत, जब किसी कर के भार को एक बिन्दु से अन्य कई बिन्दुओं तक विवर्तित किया जाता है तो इसे बहु-बिन्दु विवर्तन कहते हैं। उदाहरणार्थ जब सरकार चीनी पर उत्पादन-कर लगाती है तो प्रथमतः वह कर मिल मालिक द्वारा चुकाया जाता है परन्तु बाद में मिल मालिक कर को धोक-व्यापारी पर और धोक व्यापारी उस कर के भार को फुटकर विक्रेता पर डाल देता है और अन्ततः फुटकर विक्रेता उस कर-भार को उपभोक्ता पर ढकेल देता है।

कर-विवर्तन की दिशा (Direction of Tax Shifting)—दिशा के आधार पर कर-विवर्तन को दो भागों में विभाजित किया जाता है—(क) अग्रगामी कर-विवर्तन (Forward Tax Shifting) (ख) प्रतिगामी कर विवर्तन (Backward Tax Shifting)। अग्रगामी कर-विवर्तन से अधिप्राय कर के भार को आगे की ओर ढकेलने से है। उदाहरणार्थ, जब व्यापारी वस्तु पर लगे कर के भार को उपभोक्ता पर ढकेल देता है तब उसे अग्रगामी कर-विवर्तन कहते हैं। किन्तु कभी-कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि व्यापारी कर के भार को उपभोक्ता पर ढकेलने में असमर्थ होता है। उदाहरणार्थ यदि वस्तु की माँग लोचदार है और व्यापारी कर का भार वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर डालते हैं तो शीघ्र ही उपभोक्ता उस वस्तु की खरीद को कम कर देंगे और अन्ततः व्यापारी को हानि उठानी पड़ेगी। अतः ऐसी परिस्थिति में व्यापारी कर का भार उपभोक्ताओं पर—हावन का प्रयत्न नहीं करेगा। इसके विपरीत, अब वह कर भार का मिल मालिक के कन्धों पर ढकेलने का प्रयास करेगा अर्थात् वह मिल मालिक को वस्तु का मूल्य कम करने के लिए विवश करेगा और यदि मिल मालिक उसके दबाव के अन्तर्गत वस्तु के मूल्यों में कमी कर देता है, तो निश्चय ही कर का भार मिल मालिक पर पड़ेगा। इस प्रकार के कर विवर्तन को प्रतिगामी कर-विवर्तन (अथवा कर को पीछे ढकेलना) कहते हैं। परन्तु कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि व्यापारी कर के भार को न तो उपभोक्ता पर और न ही मिल मालिक पर ढकेल सकता है। ऐसी दशा में कर-भार उसे स्वयं ही वहन करना पड़ता है।

कर ढकेलने के रूप (Forms of Tax Shifting)—एक व्यापारी कर के भार को उप-

भोक्ता पर दा तारीकी से ढकेल सकता है—प्रथम, वह वस्तु के मूल्य को कर की मात्रा के बराबर बढ़ा देगा जिसके परिणामस्वरूप कर का समूचा भार उपभोक्ता के कन्धो पर पडगा। दूसरे, यदि किसी वारणबश व्यापारी वस्तु का मूल्य बढ़ाने में असमर्थ रहता है तो वह वस्तु के गुणो को घटा देगा अर्थात् उपभोक्ता को घटिया किस्म का माप सप्लाई करेगा।

कर के ढकेलने की मात्रा (Quantum of Tax Shifting)—उपर हमने देखा है कि व्यापारी कर के भार का या तो पूर्णतः उपभोक्ताओं पर और या पूर्णतः मिल मालिको पर ढकल देता है किन्तु कुछ परिस्थितियों में वह ऐसा कर सकने में समर्थ नहीं होता अथवा कर के भार को वह न तो पूर्णतः उपभोक्ताओं पर और न ही पूर्णतः मिल मालिका पर ढकेल सकता है। ऐसी परिस्थिति में कर का भार का तीन पक्षों में विभाजित करना पडता है अर्थात् व्यापारी, मिल मालिक तथा उपभोक्ता तीनों को ही कर का कुछ न कुछ अंश वहन करना पडता है।

कर-विवर्तन तथा 'कर-वचन' में अन्तर—कर-विवर्तन तथा कर-वचन में स्पष्ट अन्तर है। कर-विवर्तन से अभिप्राय जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कर के भार को अन्य व्यक्तियों के कन्धो पर ढकेलने से है। दूसरे शब्दा में करदाता सरकार को कर तो चुका देता है परन्तु उसके भार को वह अन्य व्यक्तियों के कन्धो पर डाल देता है। इसके विपरीत, कर-वचन से अभिप्राय तो कर से बचने से है। अर्थात् करदाता कर चुकाने से बच जाता है। उदाहरणार्थ भारत में लाखा व्यक्ति द्यूटे हिसाब वित्तीय पक्ष करके आय कर से बच जाते हैं। स्पष्टतः कर-वचन अत्यन्त आपत्तिजनक है और अवैधानिक भी है किन्तु कर-विवर्तन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता।

कर का मौद्रिक भार तथा वास्तविक भार—कर का भार दो प्रकार का होता है मौद्रिक भार तथा वास्तविक भार। मौद्रिक भार से अभिप्राय उस रकम से है जो सरकार को उस कर से उपलब्ध होती है। अर्थात् कर के मौद्रिक भार का अर्थ लोगों की आय के उस भार से है जिससे वे कर के लगने के कारण वंचित रह जाते हैं। इसके विपरीत, कर के वास्तविक भार से अभिप्राय कर के परिणामस्वरूप लोगों के आर्थिक कल्याण में होने वाली कमी से है। उदाहरणार्थ जब सरकार चीनी पर उत्पादन-कर लगाती है तो इससे चीनी का मूल्य बढ़ जाता है और परिणामतः लोभा द्वारा बिये जाने वाला चीनी का उपयोग कम हो जाता है। फलतः उसी मात्रा में जगता का आर्थिक कल्याण कम हो जाता है। यही कर का वास्तविक भार है। स्मरण रहे कि करवाह्यता का अध्ययन करते समय हम केवल मौद्रिक भार को देखते हैं वास्तविक भार को नहीं।

करवाह्यता के सिद्धान्त (Theories of Tax Incidence)

करदाता क सम्बन्ध में दो मुख्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है—(क) सकेन्द्रण सिद्धान्त और (ख) विकेन्द्रण अथवा सम-मिश्रण सिद्धान्त।

(क) सकेन्द्रण सिद्धान्त (Concentration Theory) —फ्रांस के निर्वाहवादी अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि सरकार द्वारा लगाये गये सभी प्रकार के कर अन्त में भूमि की शुद्ध आय पर केन्द्रित हो जाते हैं। उनके कथनानुसार कृषि ही एकमात्र उत्पादक धन्या है और इसी से ही आधिक्य (surplus) की उत्पत्ति होती है। अतः उनका यह विचार था कि कर चाह किसी व्यक्ति अथवा वस्तु पर लगाये जायें किन्तु विवर्तन के माध्यम से अन्ततः वे भूमि पर ही केन्द्रित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि सभी प्रकार के कर का उन्मूलन करके केवल कृषि से उत्पन्न होने वाली शुद्ध आय पर ही एकमात्र कर लगाना चाहिए। परन्तु आनौचको द्वारा इस सिद्धान्त को इस आधार पर आलोचना की गयी है कि कृषि ही केवल एकमात्र उत्पादक धन्या नहीं है अन्य धन्ये भी उत्पादक होते हैं। अतः यह मान लेना कि कृषि से ही केवल शुद्ध आय उत्पन्न होती है सबथा तथ्यों के विपरीत है।

(ख) विकेन्द्रण अथवा सम-मिश्रण का सिद्धान्त (Diffusion Theory)—इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक कर का भार विवर्तन के माध्यम से अपने आप समूचे समाज में वितरित हो जाता है। लार्ड मैन्सफील्ड (Lord Mansfield) के शब्दों में, कर उतः कन्ड की भाँति है जिसको यदि झील में फेंका जाय तो यह गिरते ही अपने इर्द गिर्द एक घेरा-सा बना लेता है। इस घेरे से दूसरा घेरा बनता है और इस प्रकार घेरे पर घेरे बनते ही जने जाते हैं और अन्ततः पारम्भिक घेरा

समूची शील में फैल जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार करों के अन्तर्गत भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब सरकार किसी स्थान अथवा बिन्दु पर कर लगाती है तब इस कर का भार केवल उस स्थान अथवा बिन्दु तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि चारों ओर फैल जाता है। इसलिए इस सिद्धान्त को विकेंद्रण सिद्धान्त कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कर का समूचे समाज में वितरण स्वतः ही हो जाता है और कर के भार को किसी एक बिन्दु पर निश्चित करना सम्भव नहीं रहता। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार करवाह्यता की समस्या का अध्ययन करने से कोई लाभ नहीं होता।

परन्तु आलोचकों ने इस सिद्धान्त को दो आधारों पर अस्वीकृत कर दिया है—प्रथम, आलोचक इस बात से सहमत नहीं हैं कि सरकार द्वारा लगाया गया कर प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी क्षमता के अनुसार ही पड़ता है। वास्तव में कई बार सरकार द्वारा लगाये गये कर का भार व्यक्ति पर उसकी क्षमता से भी अधिक पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप समाज में असन्तोष फैल जाता है। दूसरे, आलोचक इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि करवाह्यता की समस्या का अध्ययन करने से कोई लाभ नहीं होता। जैसा हम पूर्व देख चुके हैं, आधुनिक सरकार का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करना है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार को यह देखना पड़ता है कि करों का भार सभी वर्गों पर उनकी क्षमता के अनुसार वितरित होता है अथवा नहीं। इसलिए करवाह्यता की समस्या की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं है।

कर-भार

(Incidence of Tax)

वस्तु-कर का भार (Incidence of a Commodity Tax)—जैसा कि विदित है प्रत्येक व्यापारी अपनी वस्तु पर लगाय गये कर के भार को उपभोक्ताओं के कंधों पर ढकेलने का प्रयत्न करता है। परन्तु इस प्रयास में वह कहीं तब सफल होता है यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है।

(1) वस्तु की माँग एवं पूर्ति की लोच—जिसी वस्तु पर लगाये गये कर का भार मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु की माँग एवं पूर्ति की लोच का स्वरूप क्या है। यदि वस्तु की माँग लोचदार (Elastic) है तो कर का भार व्यापारी पर पड़ेगा। इसका कारण यह है कि यदि व्यापारी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर कर को उपभोक्ताओं के कंधों पर ढकेलने का प्रयास करता है तो उपभोक्ता शीघ्र ही उस वस्तु की खरीद को बन्द अथवा कम कर देंगे। परिणामतः व्यापारी को हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए वह वस्तु के मूल्य को नहीं बढ़ायेगा बल्कि कर के भार को स्वयं ही बहन करेगा। इसके विपरीत यदि वस्तु की माँग बेलोच (inelastic) है तो व्यापारी आसानी से कर का भार उपभोक्ताओं के कंधों पर ढकेल सकता है। वह तुरन्त ही वस्तु का मूल्य कर की मात्रा तक बढ़ा देगा और उपभोक्ताओं को वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य चुवाना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी माँग बेलोच है। अतः हम कह सकते हैं कि अनिवायताओं पर लगाये गये कर का भार पूर्णरूपेण उपभोक्ताओं पर ढकेला जा सकता है क्योंकि इन वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापारी की स्थिति अधिक सुदृढ़ होती है। इसके विपरीत विलासिताओं पर लगाये गये करों का भार प्रायः व्यापारियों को ही सहना पड़ता है क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने की अधिक गुंजाइश नहीं होती।

दूसरी प्रकार यदि वस्तु की पूर्ति बेलोच है (अथवा वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली है) तो ऐसी परिस्थिति में वस्तु पर लगाय गये कर का भार व्यापारी पर ही पड़ेगा। इसका कारण यह है कि वस्तु के नष्ट होने के कारण व्यापारी उसे अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकता। अतः उपभोक्ता की तुलना में उसकी स्थिति अपेक्षाकृत दुबल होती है। ऐसी परिस्थिति में कर का पूर्ण भार व्यापारी के कंधों पर ही पड़ेगा। इसके विपरीत, यदि वस्तु की पूर्ति लाचदार है (अथवा वस्तु शीघ्र नष्ट होने वाली नहीं है) तो ऐसी परिस्थिति में कर का भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा क्योंकि वस्तु के शीघ्र नष्ट होने के कारण उपभोक्ता की तुलना में व्यापारी की स्थिति अपेक्षाकृत नष्ट होती है और वह कर के भार को आसानी से उपभोक्ताओं पर ढकेल सकता है। यदि किसी वस्तु की पूर्ति की लोच माँग की लोच के बिल्कुल बराबर होती है तो ऐसी परिस्थिति में

कर का भार बराबर मात्रा में व्यापारी एवं उपभोक्ता पर पड़ेगा। डॉ० डाल्टन (Dr. Dalton) के अनुसार प्रत्येक व्यापारी वस्तु की पूर्ति को कम करके कर के भार को उपभोक्ता पर डालना चाहता है। इसी प्रकार प्रत्येक उपभोक्ता अपनी माँग को कम करके कर का भार व्यापारी पर ढकेलना चाहता है। अतः व्यापारी तथा उपभोक्ता के बीच कर के भार का वितरण उनकी तुलनात्मक सौदा-शक्ति के अनुसार होता है।

(2) स्थानापन्न वस्तुओं को उपलब्धता (Availability of Substitutes)—कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि बाजार में उनके पूर्ण अथवा लगभग पूर्ण स्थानापन्न पदार्थ उपलब्ध होते हैं। जैसे चाय तथा कॉफी अथवा मक्खन तथा मारशीन। उदाहरणार्थ, यदि सरकार चाय पर कर लगा देती है तब चाय का विनैता इस कर के भार को उपभोक्ताओं पर नहीं ढकेल सकता। इसका कारण यह है कि यदि वह चाय के मूल्यों को बढ़ाकर कर के भार को उपभोक्ताओं पर डालने का प्रयत्न करता है तो उपभोक्ता शीघ्र ही चाय के स्थान पर कॉफी का उपयोग प्रारम्भ कर देगे। परिणामतः चाय की बिजली कम हो जायेगी और विनैता को हानि उठानी पड़ेगी। अतः ऐसी स्थिति में विनैता चाय पर लगाये गये कर के भार को उपभोक्ताओं पर ढकेलने का श्वास नहीं करेगा, बल्कि कर के भार को स्वयं ही बहान करेगा।

उत्पादन के नियमों का प्रभाव—किसी कर के भार का अध्ययन करते समय उत्पादन के नियमों को भी ध्यान में रखा जाता है अर्थात् इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वस्तु का उत्पादन किस नियम के अन्तर्गत हो रहा है—वर्धमान प्रतिफल नियम (Law of Increasing Returns) ह्रासमान प्रतिफल नियम (Law of Diminishing Returns) तथा आनुपातिक प्रतिफल नियम (Law of Constant Returns)।

अब हम पहले उस उदाहरण को लेगे जिसमें वस्तु का उत्पादन वर्धमान प्रतिफल नियम के अन्तर्गत होता है। मान लीजिए कि ऐसी वस्तु पर सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। तब ऐसी परिस्थिति में इस कर का वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्पष्ट है कि यदि सरकार इस प्रकार की वस्तु पर कर लगाती है तो इसके फलस्वरूप होने वाली मूल्य वृद्धि कर की मात्रा से अधिक होगी। मान लीजिए कि कोई फर्म किसी वस्तु की 100 इकाइयाँ उत्पन्न कर रही है और वस्तु की प्रति इकाई लागत (सामान्य लाभ सम्मिलित करते हुए) 5 रुपये है। अब मान लीजिए कि इस वस्तु पर सरकार 50 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से कर लगा देती है। इस कर के लगाने से वस्तु का मूल्य तुरन्त ही 5 रुपये 50 पैसे हो जायगा। मूल्य के बढ़ने के फलस्वरूप वस्तु की माँग स्वभावतः ही घट जायेगी और माँग के घट जाने के कारण फर्म को अपने उत्पादन में भी कमी करनी पड़ेगी। चूँकि वस्तु का उत्पादन वर्धमान प्रतिफल नियम के अन्तर्गत ही रहा है अतः उत्पादन के कम होने से उसकी लागत स्वतः ही बढ़ जायेगी (स्मरण रहे कि वर्धमान प्रतिफल नियम के अन्तर्गत यदि वस्तु का उत्पादन कम कर दिया जाता है तो उसकी लागत बढ़ जाती है। इतने विपरीत, यदि वस्तु का उत्पादन बढ़ा दिया जाता है तो उसकी लागत कम हो जाती है)। चूँकि यहाँ पर माँग के कम होने से उत्पादन कम कर दिया जाता है, इसलिए वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। मान लीजिए कि वस्तु की उत्पादन लागत 5 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 5 रुपये 25 पैसे प्रति इकाई हो जाती है। यदि इसमें 50 पैसे प्रति इकाई का कर सम्मिलित कर दिया जाय तो वस्तु का मूल्य 5 रुपये 75 पैसे होगा। स्पष्ट है कि वस्तु का मूल्य कर की मात्रा से अधिक बढ़ गया है। कर की मात्रा तो केवल 50 पैसे ही है किन्तु वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि 75 पैसे है।

अब हम दूसरा उदाहरण लेगे जिसमें वस्तु का उत्पादन ह्रासमान प्रतिफल नियम के अन्तर्गत होता है। मान लीजिये कि ऐसी वस्तु पर सरकार कर लगा देती है। तब ऐसी परिस्थिति में वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि कर की मात्रा से कम होगी। मान लीजिए कि किसी फर्म में इस वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है और उसकी प्रति इकाई लागत 5 रु० है। अब मान लीजिए कि सरकार इस वस्तु पर 50 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से कर लगा देती है। तब ऐसी परिस्थिति में वस्तु का मूल्य तुरन्त ही 5 रुपये 50 पैसे हो जायगा। वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने के कारण इसकी माँग में कमी होगी और परिणामतः उत्पादन में भी कमी

करती पड़ेगी। चूँकि वस्तु का उत्पादन ह्रासमान प्रतिफल नियम के अन्तर्गत हो रहा है, इसलिए उत्पादन में कमी करने के कारण प्रति इकाई लागत घट जायगी (स्मरण रहे कि जब इस प्रकार की वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तो इसकी प्रति इकाई लागत घट जाती है। इसके विपरीत, जब वस्तु के उत्पादन में कमी की जाती है तो उसकी प्रति इकाई लागत घट जाती है)। अब मान लीजिए कि उत्पादन में कमी करने के कारण वस्तु की प्रति इकाई लागत 5 रुपये से घटकर 4 रुपये 75 पैसे हो जाती है। यदि इसमें 50 पैसे प्रति इकाई का कर सम्मिलित कर दिया जाय तो वस्तु का मूल्य 5 रुपये 25 पैसे हो जायगा। स्पष्ट है कि यहाँ पर वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर की मात्रा से कम हुई है। वस्तु की मौलिक लागत 5 रुपये प्रति इकाई थी और 50 पैसे प्रति इकाई का कर उसमें जोड़ने से उसका मूल्य 5 रुपये 50 पैसे होना चाहिए था किन्तु ह्रासमान प्रतिफल नियम की क्रियाशीलता के कारण वस्तु की मूल्य-वृद्धि कर की मात्रा से कम होती है।

अब हम तीसरा उदाहरण लेंगे जिसमें वस्तु का उत्पादन आनुपातिक प्रतिफल नियम के अन्तर्गत होता है। मान लीजिए कि ऐसी वस्तु पर सरकार कर लगा देती है। तब वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि कर की मात्रा के बराबर होगी। मान लीजिए कि किसी फर्म में इस वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है और उसकी प्रति इकाई लागत 5 रुपये है। अब मान लीजिए सरकार इस वस्तु पर 50 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से कर लगा देती है, तब इस वस्तु का मूल्य तुल्य ही 5 रुपये 50 पैसे हो जायगा। वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने के कारण इसकी माँग में कमी हो जायगी और परिणामतः उत्पादन में भी कमी करनी पड़ेगी। चूँकि वस्तु का उत्पादन आनुपातिक प्रतिफल नियम के अधीन किया जा रहा है, इसीलिए उत्पादन लागत में न तो कमी और न ही वृद्धि होगी अर्थात् उत्पादन लागत यथास्थिर ही रहेगी। परिणामतः वस्तु का मूल्य 5 रुपये 50 पैसे ही बना रहेगा। दूसरे शब्दों में वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि कर की मात्रा के ठीक बराबर ही होगी।

इस प्रकार किसी वस्तु पर कर लगाने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य के बढ़ने पर उसकी माँग में कमी हो जाती है। माँग में कमी होने के कारण उत्पादन में कमी करनी पड़ती है। और उत्पादन में कमी होने पर वस्तु की प्रति इकाई लागत उत्पादन नियमों के अनुसार कम अथवा अधिक हो जाती है अथवा समान रहती है। अन्त में कर का भार इस मूल्य-वृद्धि के अनुसार ही वितरित होता है। साधारणतः जो वस्तुएँ ह्रासमान प्रतिफल नियम के अन्तर्गत निमित्त की जाती हैं उन्हें कराधान के लिए अच्छी वस्तुएँ समझा जाता है। इसके विपरीत, जिन वस्तुओं का उत्पादन वर्धमान प्रतिफल नियम के अन्तर्गत होता है, वे आर्थिक उत्पादन (economic subsidies) के लिए अच्छी वस्तुएँ समझी जाती हैं।

(4) कर की राशि तथा कर-प्रणाली—कर की राशि का भी वस्तु की करवाह्यता पर प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार द्वारा लगाये गये कर की मात्रा बहुत कम है तब ऐसी परिस्थिति में विक्रेता उसे उपभोक्ता के कन्धों पर डालने का प्रयास नहीं करता। इसका कारण यह है कि वह इस छोटे-से कर के कारण अपने ग्राहकों को ताराज नहीं करना चाहता। किन्तु यदि कर की मात्रा अधिक है तो विक्रेता अवश्य ही उसे ग्राहकों के कन्धों पर ढकेलने का प्रयास करेगा।

(5) पूँजी की गतिशीलता—पूँजी की गतिशीलता का भी करवाह्यता पर प्रभाव पड़ता है। यदि पूँजी पूर्णतः गतिशील है तो ऐसी परिस्थिति में उत्पादक कर के भार को उपभोक्ताओं के कन्धों पर डाल सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि उत्पादक अपने द्वारा लगायी गयी पूँजी का व्यवसाय में से सुगमता से निकाल सकता है तो वह सरकार द्वारा लगाये गये कर को उपभोक्ताओं पर डालने की स्थिति में होता है। इसके विपरीत, यदि उत्पादक न व्यवसाय में अधिक मात्रा में पूँजी लगा रखी है और इसे वह सरलता से नहीं निकाल सकता तब ऐसी परिस्थिति में वह कर के भार को उपभोक्ताओं के कन्धों पर डालने में असमर्थ रहेगा और कर का भार उसे स्वयं ही सहन करना पड़ेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि करवाह्यता की समस्या एक अत्यन्त जटिल समस्या है और इसका अध्ययन करते समय कई प्रकार की बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।

एकाधिकार पर कर का भार (Incidence of Tax on Monopoly)—अब हम यह देखेंगे कि एकाधिकारी व्यवसाय पर लगाय गये कर का भार किस पर पड़ता है? जैसा कि उन्न-विहित है—एकाधिकारी का उद्देश्य अपन व्यवसाय में से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। एकाधिकारी उत्पादन की मात्रा को उस सीमा तक बढ़ाता चला जाता है जहाँ पर उसकी सीमान्त आय (Marginal Revenue) उसकी सीमान्त लागत (Marginal Cost) के बराबर होती है। इस प्रकार सीमान्त आय और सीमान्त लागत के बीच समानता स्थापित करके ही एकाधिकारी अधिकतम लाभ कमा सकता है। सरकार एकाधिकारी व्यवसाय पर दो तरीकों से कर लगा सकती है। प्रथम एकाधिकारी के लाभ पर कर। दूसरे उत्पादन की मात्रा के आधार पर कर।

अब हम यह देखेंगे कि एकाधिकारी लाभ पर लगाय गये कर का भार किस पर पड़ता है। सरकार एकाधिकारी लाभ पर दो तरीकों से कर लगा सकती है—प्रथम, सरकार एकाधिकारी से उसने लाभ पर एक मुश्त रकम (lump sum) कर के रूप में प्राप्त कर सकती है। दूसरे, सरकार एकाधिकारी में उसने लाभ का एक निश्चित भाग कर के रूप में प्राप्त कर सकती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में लगाये गये कर का भार एकाधिकारी के कन्धों पर ही पड़ता है। एकाधिकारी इस भार को ग्राहकों के कन्धों पर नहीं ढकेल सकता। पहली अवस्था में जब सरकार एकाधिकारी से उसका लाभ पर एकमुश्त रकम प्राप्त करती है तो एकाधिकारी इसके भार को ग्राहकों पर नहीं ढकेल सकता। इसका कारण यह है कि उसने तो अपनी वस्तु का मूल्य पहले से ही एक ऐसे स्तर पर निश्चित कर रखा है जिसमें उसे अधिकतम आय प्राप्त हो रही है। अब यदि वह कर के भार को मूल्य बढ़ाकर ग्राहकों पर डालता है तो इसमें निश्चय ही उसका लाभ कम हो जायगा क्योंकि एक निश्चित मूल्य पर ही एकाधिकारी का लाभ अधिकतम होता है। यदि उस निश्चित मूल्य में थोड़ा सा भी फेर-बदल कर दिया जाय तो लाभ की मात्रा घट जाती है। अतः एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम बनाय रखने के लिए अपने पूर्व निश्चित मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेगा अर्थात् कर का भार वह स्वयं ही वहन करेगा। दूसरी अवस्था में भी जब सरकार एकाधिकारी के लाभ का एक निश्चित प्रतिशत भाग कर के रूप में लेती है तो एकाधिकारी को इसका भार स्वयं ही वहन करना पड़ता है और वह उसे ग्राहकों पर नहीं डाल सकता। यहाँ पर भी वही कारण त्रियाशील होता है जो कि पहली अवस्था में लागू होता है। दूसरे शब्दों में यदि कर ने परिणामस्वरूप एकाधिकारी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करता है तो इससे उसने लाभ में अवश्य ही कमी हो जायगी। इसका कारण जैसा हम पहले ही बता चुके हैं यह है कि एकाधिकारी एक निश्चित मूल्य पर ही अधिकतम लाभ कमा सकता है और उसने वह मूल्य पहले से ही निर्धारित कर रखा है। इस मूल्य में थोड़ी-सी भी वृद्धि करने पर उसकी आय में कमी हो जायगी। अतः ऐसी परिस्थितियों में वह कर का भार स्वयं ही वहन करेगा।

जब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें सरकार एकाधिकारी व्यवसाय पर उत्पादन की मात्रा के आधार पर कर लगाती है। ऐसी दशा में वस्तु की उत्पादन लागत स्वयं ही बढ़ जायगी। इसका कारण यह है कि कर की पूर्ण मात्रा उत्पादन लागत में सम्मिलित हो जायगी। इसके फलस्वरूप सीमान्त लागत तथा सीमान्त आय के बीच की समानता अब किसी ऊँचे मूल्य पर ही स्थापित हो सकेगी अर्थात् कर लागू होने पर वस्तु का मूल्य बढ़ जायगा। परन्तु अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वस्तु का मूल्य किस मात्रा में बढ़ेगा। यह दो बातों पर निर्भर करता है—(क) वस्तु की माँग तथा पूर्ति की लोच। (ख) उत्पादन के नियमों का प्रभाव।

(क) वस्तु की माँग तथा पूर्ति की लोच—यदि वस्तु की माँग बन्वोच है अर्थात् इसका मूल्य में वृद्धि होने पर भी दूसरी माँग में कोई विशेष कमी नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति में कर का समूचा भार ग्राहकों के कन्धों पर ही पड़ेगा। इसके विपरीत यदि वस्तु की माँग लोचदार है अर्थात् वस्तु के मूल्य में थोड़ी वृद्धि होने पर इसकी माँग में बहुत कमी हो जाने का भय है तब ऐसी परिस्थिति में कर का समूचा भार एकाधिकारी के कन्धों पर ही पड़ेगा। अर्थात् एकाधिकारी वस्तु के मूल्य को नहीं बढ़ायगा। इसी प्रकार यदि वस्तु की पूर्ति वेलोच है, तब कर का भार एकाधिकारी पर ही पड़ेगा। इसका कारण यह है कि वस्तु की पूर्ति वेलोच होने के फलस्वरूप एकाधिकारी की स्थिति ग्राहकों की तुलना में दुर्बल होगी है और वह कर-भार उन पर नहीं डाल

सकता। इसके विपरीत यदि वस्तु की पूर्ति लोचदार है तब कर का भार ग्राहको पर पड़ेगा क्योंकि ऐसी दशा में एकाधिकारी की परिस्थिति ग्राहको की तुलना में अधिक सुदृढ़ होती है।

यदि वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक लाचदार है तब कर का भार ग्राहका की अपेक्षा एकाधिकारी पर अधिक पड़ेगा। इसका विपरीत यदि वस्तु की मांग पूर्ति का अपेक्षा कम लोचदार है तब ऐसी परिस्थिति में कर का भार एकाधिकारी की अपेक्षा ग्राहका पर अधिक पड़ेगा।

(ख) उत्पादन के नियमों का प्रभाव—यदि वस्तु का उत्पादन वर्धमान प्रतिफल नियम के अन्तर्गत होता है तब कर लगाने से वस्तु की लागत बढ़ जायेगी। इसका कारण यह है कि कर लगाने से उत्पादन की मात्रा में कमी हो जाती है। अब उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है तो वस्तु की लागत वर्धमान प्रतिफल नियम की क्रियाशीलता के कारण बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में एकाधिकारी वस्तु की पुरानी लागत का यथास्थिर रखते हुए कर का समूचा भार स्वयं ही वहन करेगा। इसके विपरीत यदि वस्तु का उत्पादन ह्रासमान प्रतिफल नियम के अन्तर्गत होता है तब कर लगाने के परिणामस्वरूप वस्तु की लागत कम हो जायेगी। इसका कारण यह है कि कर लगाने के फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा में कमी हो जाती है। जब उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है तो ह्रासमान प्रतिफल नियम की क्रियाशीलता के कारण वस्तु की लागत में भी कमी हो जाती है। ऐसी दशा में एकाधिकारी वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर कर को ग्राहका पर टकेल देगा।

आयात निर्यात करों का भार (Incidence of Import Export Taxes)—पहले हम यह देखेंगे कि किसी वस्तु पर लगाय गये आयात कर का भार किस पर पड़ता है आयातकर्ता देश अथवा निर्यातकर्ता देश पर। इस सम्बन्ध में वस्तु की मांग की लोच महत्वपूर्ण तथ्य हो जाती है अर्थात् कर के भार का वितरण वस्तु की मांग की लोच के अनुसार होता है। मान लीजिए कि आयात की जाने वाली वस्तु की मांग आयातकर्ता देश के लिए बलोच है। दूसरे शब्दों में आयातकर्ता देश इस वस्तु को अन्य देशों से प्राप्त करने में असमर्थ है। इसके साथ यह भी मान लीजिए कि आयातकर्ता देश की इस वस्तु की मांग बहुत ही तीव्र है। ऐसी परिस्थिति में वस्तु पर लगाय गये आयात-कर का समूचा भार आयातकर्ता देश पर ही पड़ेगा। इस सम्बन्ध में विदेशी मशीनरी का उदाहरण दिया जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए विदेशी मशीनरी की मांग बहुत ही तीव्र है। अतः मशीनरी पर लगाय गये आयात कर का समूचा भार भारत को ही वहन करना पड़ता है।

इसके विपरीत यदि वस्तु की मांग आयातकर्ता देश के लिए लोचदार है अथवा आयातकर्ता देश के लिए वस्तु की मांग बहुत कम तीव्र है तब ऐसी परिस्थिति में आयात कर का भार निर्यातकर्ता देश पर पड़ेगा। परन्तु साधारणतः इस प्रकार की परिस्थिति बहुत ही कम हुआ करती है और अधिकांश आयात करों का भार आयातकर्ता देश पर ही पड़ता है।

अब हम देखें कि निर्यात कर का भार किस पर पड़ता है—निर्यातकर्ता देश पर अथवा आयातकर्ता देश पर। यहाँ पर भी कर का भार निर्यात की जाने वाली वस्तु की मांग तथा पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। यदि आयातकर्ता देश की वस्तु के लिए होने वाली मांग बलाच है अर्थात् आयातकर्ता देश की मांग बहुत ही तीव्र है तो ऐसी परिस्थिति में निर्यात कर का भार आयातकर्ता देश पर ही पड़ेगा निर्यातकर्ता देश पर नहीं। उदाहरणार्थ ब्रिटेन तथा अमरीका की भारतीय चाय की मांग लक्ष्मण बलाच है। अतः चाय के निर्यात पर लगाय गये कर का भार ब्रिटिश तथा अमरीकी आयातकर्ताओं पर ही पड़ता है। इसका विपरीत यदि निर्यातकर्ता देश की वस्तु की पूर्ति बलाच है तो ऐसी परिस्थिति में निर्यात कर का भार निर्यातकर्ता देश पर ही पड़ता है आयातकर्ता देश पर नहीं। किन्तु स्मरण रखें कि साधारणतः अधिकतर निर्यात करों का भार निर्यातकर्ता देश पर ही पड़ता है।

आय कर का भार (Incidence of Income Tax) जैसा विदित है आय कर एक प्राथमिक कर है और इस नाते इसका भार करदाता पर ही पड़ता है और वह इस कर के भार पर टकनन में असमर्थ होता है। अब हम चेतना मजदूरियों तथा व्यावसायिक लाभ पर लगाय गये आय कर का अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि चेतना तथा मजदूरियों पर लगाये गये आय कर का भार किस पर पड़ता है। स्पष्ट है कि चेतना एवं मजदूरियों पर लगाय गये आय कर का भार

वेतन भागो व्यक्तियों एवं धर्मिका पर ही पड़ता है आर वे किसी भी दशा में इसके भार को अपने मालिका पर नहीं डाल सकते। जैसा विदित है वतन अथवा मजदूरी धर्मिका की सीमान्त उत्पादकता के बराबर होती है। कोई भी मिन मालिक मजदूरी का उनकी सीमान्त उत्पादकता से अधिक मजदूरी देन न किए तैयार नहीं होता। स्पष्ट है कि जब धर्मिक आय-कर चुकाते हैं तो इससे उनकी उत्पादकता में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। परिणामतः मिल मालिक उसकी मजदूरी में किसी प्रकार की वृद्धि करने के लिए तैयार नहीं होगा। अन्ततः आय-कर का भार मजदूरों पर ही पड़ेगा।

जब हम यह देखें कि व्यावसायिक नाम पर लगाये-गये आय-कर का भार किस पर पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि आय-कर का भार व्यवसायियों द्वारा उपभोक्ताओं को बंधों पर डाल दिया जाता है। किन्तु वास्तव में यह सत्य नहीं है। व्यवसायी लोग अपने लाभ पर लगाये गये आय-कर के भार को उपभोक्ताओं पर नहीं धकेल सकते। इसके दो कारण हैं—प्रथम व्यवसायियों में धारणी प्रतियोगिता होती है आर इसके साथ ही सभी व्यवसायी आय-कर नहीं चुकाते। व इस वस्तुओं के मूल्य बढ़ाकर उपभोक्ताओं के कानों पर नहीं डालेंगे। अब व्यवसायियों का एक बड़ा आय-कर का भार का उपभोक्ताओं पर नहीं डालता तो स्पष्ट है कि तीव्र प्रतियोगिता हान के कारण आय-कर चुकाने वाले व्यवसायी भी इसके भार को उपभोक्ताओं पर डालने में असमर्थ हो जायेंगे। इसका कारण यह है कि यदि वे आय-कर का भार उपभोक्ताओं पर डालने का प्रयास करते हैं तो शीघ्र ही उनमें व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरे यदि व्यवसायी वस्तुओं के मूल्य बढ़ाकर आय-कर के भार को उपभोक्ताओं पर डालते हैं तो इसके साथ ही साथ उनके लाभ की मात्रा बढ़ जायेगी आर अन्त में उनका पहले की अपेक्षा अधिक आय-कर चुकाना पड़ेगा। अतः ऐसी परिस्थिति में वे आय-कर के भार को उपभोक्ताओं पर डालना पसन्द नहीं करेंगे।

बिक्री-कर का भार (Incidence of Sales Tax)—बिक्री-कर के भार का अध्ययन करते समय भी वस्तु की मांग को ध्यान में रखा जाता है। यदि वस्तु की मांग बेरोच है अर्थात् इसका मूल्य बढ़ाया जान पर भी इसकी मांग में कोई विशेष कमी नहीं होती तब बिक्री-कर का समूचा भार उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। इसके विपरीत यदि वस्तु की मांग लम्बदार है अर्थात् वस्तु का मूल्य बढ़ाया जान पर इसकी मांग में पर्याप्त कमी हो जाती है तब ऐसी परिस्थिति में बिक्री-कर का समूचा भार विक्रेता पर ही पड़ेगा। साधारणतः बिक्री-कर का भार उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। जैसा विदित है भारत के सभी राज्यों में बिक्री-कर लगाया गया है और इसका लगभग समूचा भार उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। इसीलिए कुछ लोगों ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि इसे बिक्री-कर कहने के बजाय खरीद-कर (Purchase Tax) कहना उचित होगा।

पेशेवर कर का भार (Incidence of Professional Tax)—कर्मो-कर्मो सरकार द्वारा कुछ विशेष पेशा में लोग हुए व्यक्तियों पर पेशेवर कर लगाया जाता है। यह प्रत्यक्ष कर होता है। अतः इसका भार करदाता के कंधों पर ही पड़ता है। परन्तु यदि कर का भार बहुत अधिक है तब ऐसी परिस्थिति में उन पेशा में सलग्न व्यक्ति उस कर के कुछ भार को अपनी सेवाओं का उपभोग करने वाले व्यक्तियों पर डालने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरणार्थ यदि डाक्टरों पर भारी पेशेवर कर लगाया जाता है तो निश्चय ही वे इस कर के कुछ भार को अपने मरीजों पर डकलने का प्रयत्न करेंगे।

मृत्यु कर का भार (Incidence of Death Duty)—मृत्यु कर से अभिप्राय उस कर से है जो मृतक व्यक्ति द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति पर लगाया जाता है। मृत्यु कर दो प्रकार में लगाया जा सकता है—(क) सम्पत्ति कर (ख) उत्तराधिकारी कर। इन दोनों में मुख्य अन्तर यह है कि सम्पत्ति कर मृतक व्यक्ति की समूची सम्पत्ति पर लिया जाता है जबकि उत्तराधिकारी कर उत्तराधिकारियों में उनका द्वारा प्राप्त किये गये सम्पत्ति के भाग पर ही लिया जाता है। मृत्यु कर चाहे सम्पत्ति कर अथवा उत्तराधिकारी कर के रूप में ही इसका भार दूसरों पर आताभी वे डकलने नहीं जा सकता। इस कर का भार तो उन व्यक्तियों पर ही पड़ता है जो मृतक व्यक्ति की जायदाद का हिस्सा प्राप्त करते हैं।

भूमि-कर का भार (Incidence of Land Tax)—भूमि-कर प्रायः तीन प्रकार से लगाया जा सकता है। प्रथम इस भूमि के लगान पर लगाया जा सकता है। पुराने क्लासिकल अर्थशास्त्री इस प्रकार के भूमि-कर के पक्ष में थे। उनके कथनानुसार लगान पर भूमि कर लगाना ही चाहिए क्योंकि लगान को व एक प्रकार का आधिक्य (surplus) अथवा अनर्जित आय (Unearned Income) समझते थे। स्पष्ट है कि इस प्रकार का भार भूस्वामियों के कंधे पर ही पड़ता है। और व इसके भार का दूसरा पर विवतन (shifting) नहीं कर सकते। दूसरे भूमि कर कृषि भूमि में लगायी गयी पंजा पर भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार कर का भार प्रथमतः तो भूस्वामियों पर ही पड़ता है और परिणामतः व भूमि में अधिक पूँजी लगाना बंद कर देते हैं। उनके ऐसा करने से किसानों को हानि होती है और विवश होकर व इस कर का भार वाहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरे भूमि कर भूमि के उत्पादन पर भी लगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में भूमि-कर का भार किस पर पड़ेगा यह कृषि पदार्थ की मांग की तौल पर निर्भर करता है। यदि कृषि पदार्थ की मांग बेलाच है तो इस प्रकार के भूमि कर का भार उपभोक्ताओं के कंधे पर पड़ेगा। इसके विपरीत यदि कृषि पदार्थ का मांग लाचदार है तो इसका भार किसानों पर ही पड़ेगा।

मकानों पर कर का भार (Incidence of House Tax)—मकानों पर लगाया गया कर का भार का अध्ययन करते समय हम मकानों की मांग की तौल का ध्यान में रखना पड़ता है। यदि किसी नगर में मकानों की कमी का कारण उसका मांग बलोच है तब ऐसा परिस्थिति में मकानों पर लगाया गया कर का भार किरायेदारों के कंधे पर ही पड़ेगा। इसका कारण यह है कि परिस्थिति का लाभ उठाते हुए मकान मालिक कर के समूचे भार का मकान के किराये में सम्मिलित कर देगा। चूंकि मकानों की मांग बलाच है अतः विवश होकर किरायेदारों का कर का भार वाहन करना ही पड़ेगा। वास्तव में भारत में आजकल परिस्थिति यही पायी जाती है। इसके विपरीत यदि किसी देश में मकानों की मांग लाचदार है अथवा मकानों की पूर्ति मांग से अधिक है तब ऐसी परिस्थिति में कर का समूचा भार मकान मालिकों पर पड़ता है।

यदि किरायेदार कोई वस्तु विक्रता है और उसकी वस्तु की मांग बलोच है तो वह किराये का कुछ अंश वस्तु के मूल्य में सम्मिलित कर के खरीददारों के कंधे पर डाल देगा। परन्तु इसमें कोई अधिक सफलता मिनन की आशा नहीं है क्योंकि विवशताओं में प्रायः तीव्र पारस्परिक प्रति योगिता होती है।

करों के आर्थिक प्रभाव (Economic Effects of Taxation)

करों का आर्थिक प्रभावों का अध्ययन हम तीन शीषकों के अंतर्गत कर सकते हैं—(क) करों का उत्पादन पर प्रभाव (ख) करों का वितरण पर प्रभाव (ग) करों के अन्य प्रभाव।

(क) करों का उत्पादन पर प्रभाव (Effects of Taxation on Production) इस प्रभाव का हम तीन उप शीषकों के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं—(अ) काम करने तथा बचान की क्षमता पर प्रभाव (आ) काम करने तथा बचान की इच्छा पर प्रभाव (इ) आर्थिक साधनों के विभिन्न व्युत्पन्न तथा क्षमता में वितरण पर प्रभाव।

(अ) काम करने तथा बचाने की क्षमता पर प्रभाव—प्रत्येक कर का करणाना का काम करने तथा बचाने का क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है जब कर लगाया जाता है तो इससे करदाता का आय में कमी हो जाती है। परिणामतः उसका काम करने में उत्साह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसके फलस्वरूप उसकी कार्यकुशलता का स्तर गिर जाता है। इसीलिए यह सुझाव दिया गया है कि कम आय वाले व्यक्तियों पर कर नहीं लगाया चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उनकी काम करने तथा बचाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(आ) काम करने तथा बचाने की इच्छा पर प्रभाव—किसी कर का व्यक्ति की काम करने तथा बचाने की इच्छा पर पड़ने वाला प्रभाव कराधान के परिणामस्वरूप हानि वाली उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी अप्रत्याशित स्रोत (unexpected source) से अकस्मात् ही कोई बड़ी आय प्राप्त होती है (जैसे ताट्टा निकलने पर अथवा किसी

दूर के रिश्तेदार की मृत्यु पर) और सरकार इस प्रकार की प्राप्त की गयी आय पर कर लगाने की तब इस प्रकार के कर का उस व्यक्ति को काम करने की इच्छा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कारण यह है कि उस व्यक्ति ने इस आय को प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम नहीं किया था।

इसी प्रकार विन्नी एकाधिकारी पर लगाया गया कर भी उसकी काम करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी ने अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए पहले से ही वस्तु का मूल्य निश्चित कर रखा है और यदि वह कर के लागू होने पर मूल्य में वृद्धि करता है तो उसकी आय में स्वतः ही कमी हो जायगी।

किसी व्यक्ति की आय की मात्रा की मात्रा का भी उसकी काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की आय की मात्रा बेलाच है अर्थात् उसके परिवार का आकार बड़ा है तब कर लगाने पर वह ज़िद्वि काम करेगा। इसका कारण यह है कि अपन परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब उसे पहले की अपेक्षा अधिक आय कमाने पड़ेगी। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति की आय की मात्रा लाचदार है अर्थात् उसके परिवार का आकार छोटा है तब कर लगाने के फलस्वरूप उसकी काम करने की इच्छा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार कर के स्वरूप का भी व्यक्ति की काम करने तथा बचत की इच्छा पर प्रभाव पड़ता है। माधारण अत्यधिक प्रगतिशील आय-कर से लोग की काम करने की इच्छा पर प्रभाव पड़ता है।

(इ) आर्थिक साधनों के विभिन्न व्यवसायों तथा क्षेत्रों में वितरण पर प्रभाव—यहां पर स्पष्ट रूप से यह कहना कि अमुक कर का आर्थिक साधनों के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा बहुत बठिन है। यदि किसी व्यवसाय में बड़ी मात्रा में पूंजी लगायी गयी है और इसका विशिष्टीकरण (specialisation) हो चुका है तब ऐसा परिस्थिति में उस व्यवसाय पर कर लगाने पर भी पूंजी उस व्यवसाय में निकल नहीं सकती अर्थात् उस पूंजी का अन्य व्यवसायों में हस्तान्तरण नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि उस व्यवसाय में पूंजी का विशिष्टीकरण नहीं हुआ है तो निश्चय ही कर लगाने पर पूंजी उस व्यवसाय से अन्य व्यवसायों में हस्तान्तरित हो जायगी। उदाहरणार्थ यदि सरकार मकानों पर भारी कर लगा देती है तो निश्चय ही लोग मकानों का निर्माण करना कम कर देंगे और अपने आंतरिक पूंजी का अन्य व्यवसायों में लगाना पसन्द करेंगे।

(ख) करों का वितरण पर प्रभाव—जैसा कि विद्वान ह आय सम्बन्धी अन्तर्गतताओं का दूर करण के लिए कराधान का उपयोग किया जाता है। आवश्यक सभा देश में आरोही कराधान (Progressive taxation) द्वारा प्रचलित आर्थिक विपरीताओं का कम करण के प्रयत्न किये जा रहे हैं। कराधान जितना अधिक आरोही होगा उतनी ही अधिक आर्थिक विपरीताओं को कम करण में सहायता मिलेगी। इसके विपरीत कराधान जितना अधिक प्रतिगामी होगा उतनी ही आर्थिक विपरीताएँ बढ़ती चली जायगी। इसलिए आधुनिक सरकार प्रायः प्रतिगामी करों का बहुष्कार करती हैं और यथासम्भव आरोही करों का ही लगाने का प्रयत्न करती हैं।

(ग) करों के अन्य प्रभाव—करों का आय प्रभावों का हम दो शीपकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं—(अ) करों का रोजगार पर प्रभाव (आ) करों का आर्थिक जीवन पर प्रभाव।

(अ) करों का रोजगार पर प्रभाव—कुछ लोग न यह विचार है कि कराधान के परिणामस्वरूप देश में बेरोजगारी फैलती है और काम मिलन में अवसर में कमी होती है। यदि सरकार द्वारा कर न लगाय जायें तो व्यापारियों को हीन वाला बचत को उद्योग धंधा में लगाया जा सकता है जिसके फलस्वरूप लोग को अधिकाधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध हो सकता है। परन्तु इस प्रकार का तर्क वास्तव में श्रुतिपूर्ण है। इसका कारण यह है कि कराधान के माध्यम से एकत्रित की गयी आय सरकार द्वारा व्यय में बचाव नहीं की जाती बल्कि उसे विकासात्मक कार्यों पर लगाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार की मात्रा में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा किया गया व्यय रोजगार की मात्रा में वृद्धि करने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है।

(आ) करों का आर्थिक जीवन पर प्रभाव—कराधान के माध्यम से सरकार देश के आर्थिक जीवन को नियन्त्रित भी कर सकती है। मुद्रा-स्फीति एवं तेजी के समय सरकार कराधान द्वारा आवश्यक ऋण-शक्ति को लोगों से लेकर मूल्य वृद्धि की रोकथाम कर सकती है। इसके विपरीत, मुद्रा-अवस्फीति एवं मन्दी के समय सरकार करों के भार में कमी करके व्यवसाय एवं उद्योग को प्रोत्साहन दे सकती है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- करापात और कराघात में भेद स्पष्ट कीजिए। करापात का निर्धारण कैसे होता है ?
(जबलपुर, 1961)

[संकेत—प्रथम भाग में, करापात (करवाह्यता) और कराघात (करदेयता) के अन्तर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में, यह बताइये कि वस्तु-कर के भार का निर्धारण करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है।]

- कर-भार की परिभाषा लिखिए। कर-भार के विभिन्न सिद्धान्त समझाकर लिखिए।
(विन्नाम, 1961)

अथवा

कर-भार का क्या अर्थ है ? विक्री-कर तथा गृह-कर के 'कर-भार' की विवेचना करिए।
(राजस्थान, 1961)

[संकेत—प्रथम भाग में, कर-भार (करवाह्यता) की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। दूसरे भाग में, करवाह्यता के दो मुख्य सिद्धान्तों अर्थात् सक्वेन्द्रण तथा विकेन्द्रण सिद्धान्तों की आलोचना सहित विवेचना कीजिए। विक्री-कर एवं गृह-कर के 'कर-भार' के बारे में उपर्युक्त अध्याय को देखिए।]

- सम्पत्ति के उत्पादन एवं वितरण पर करों का महत्त्वपूर्ण प्रभाव बताइए। (विन्नाम, 1961)
[संकेत—यहाँ पर करों के सम्पत्ति के उत्पादन एवं उसके वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तृत विवेचना कीजिए।]

सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)

प्रस्तावना—प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय की ओर बहुत कम ध्यान दिया था। इसका कारण यह था कि उस समय अधिकांश देशों की सरकारों ने अव्यय नीति (Laissez-Faire Policy) को अपना रखा था। इस नीति के अन्तर्गत सरकार का कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित हुआ करता था। सरकार प्रायः सुरक्षा एवं नागरिक प्रशासन जैसे प्राथमिक कार्यों को ही सम्पन्न किया करती थी। विकासात्मक कार्यों में सरकार अधिक रुचि नहीं लिया करती थी। परिणामतः सरकार का व्यय बहुत कम हुआ करता था। यही कारण था कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय की ओर अधिक ध्यान देना उचित नहीं समझा था। किन्तु आजकल परिस्थिति पूर्णतः बदल गयी है। वर्तमान सरकारें न केवल सुरक्षा एवं नागरिक प्रशासन जैसे प्राथमिक कार्यों को ही सम्पन्न करती हैं बल्कि विकासात्मक विषयों में भी अधिक रुचि लेती हैं। यही कारण है कि आजकल सरकारों के व्यय में इतनी अधिक वृद्धि हुई गयी है। परिणामतः आधुनिक अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय की उपेक्षा नहीं कर सकते। यही कारण है कि आजकल सार्वजनिक व्यय की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।

सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण

आधुनिक सरकारों के व्यय में होने वाली वृद्धि के मुख्य-मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

(1) सरकारों द्वारा किये जाने वाले विकासात्मक कार्य—जैसा ऊपर कहा गया है, वर्तमान सरकारें सुरक्षा एवं नागरिक प्रशासन के अतिरिक्त कई प्रकार के विकासात्मक कार्यों को सम्पन्न कर रही हैं। उदाहरणार्थ, भारत में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें कई प्रकार के विकासात्मक कार्यों को सम्पन्न कर रही हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश की सर्वांगीण आर्थिक उन्नति के लिए भारी-भरकर प्रयत्न किये जा रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में कारोबार, श्रम, कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए लगाये जा चुके हैं। परिणामतः सार्वजनिक व्यय में बहुत वृद्धि हुई है।

(2) जनसंख्या में वृद्धि—आजकल प्रायः सभी देशों में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए सरकारी को पटने की अपेक्षा अधिक व्यय करना पड़ रहा है। जितनी जनसंख्या बढ़ती है लगभग उसी अनुपात में ही सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है।

(3) कीमती में वृद्धि—गुद्ध एवं युद्धोत्तर काल में लगभग सभी देशों में कीमती में भारी वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप सरकारों के व्यय बढ़ गये हैं। इसका कारण यह है कि निजी व्यक्तियों की भाँति सरकार को भी वस्तुओं का क्रय करना पड़ता है। बढ़ी हुई कीमती के कारण सरकारी व्यय में वृद्धि का होना अनिवार्य ही है।

(4) प्रजातन्त्र का उदय—विभिन्न देशों में प्रजातन्त्र के उदय के परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। जैसा विहित है, प्रजातान्त्रिक देशों में सत्तारूढ़ दल अपनी स्थिति को

बनाये रखने के लिए यथासम्भव जनता की सद्भावना को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए वे उन्हे तरह-तरह की सुविधाएँ एवं सेवाएँ प्रदान करते हैं। परिणामतः सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है।

(5) युद्ध पर व्यय—विगत सात दशाब्दियों में दो विश्वयुद्ध हो चुके हैं। इन युद्धों के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों को बड़े पैमाने पर व्यय करना पड़ा है। युद्धों प्राचीन समयों में भी हुआ करते थे किन्तु वे इतने खर्चीले नहीं होते थे जितने कि आधुनिक युद्ध है। इस प्रकार इन युद्धों के कारण भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है।

(6) आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा पर अधिक व्यय—वर्तमान युग में देश की आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा को बनाये रखने के लिए प्रत्येक सरकार को पहले की अपेक्षा अधिक व्यय करना पड़ रहा है। जैसा विदित है इस समय विश्व दो सैनिक गुटों में बँटा हुआ है और इन गुटों के बीच लम्बे समय से शीत युद्ध होता चला आ रहा है। प्रत्येक गुट अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अधिकाधिक व्यय कर रहा है।

विश्व में इस बड़े हुए सार्वजनिक व्यय को देखकर यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या सार्वजनिक व्यय की कोई सीमा भी है। वास्तव में, यह एक जटिल प्रश्न है और इसका उत्तर देना सरल नहीं है। यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है कि अमुक देश के लिए सार्वजनिक व्यय की उच्चतम सीमा क्या होनी चाहिए। वास्तव में, किसी देश के सार्वजनिक व्यय की सीमा उस देश की आर्थिक सम्पन्नता, करदान क्षमता, जनसंख्या के आकार एवं विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं, जैसी अनेक बातों से निश्चित होती है।

सार्वजनिक व्यय तथा व्यक्तिगत व्यय में अन्तर

(Distinction Between Public and Private Expenditure)

इनके मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं

(1) व्यक्तिगत व्यय व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है किन्तु सार्वजनिक व्यय सरकार की आय पर प्रत्यक्षतः निर्भर नहीं होता। एक निजी व्यक्ति अपनी आय को ध्यान में रखकर ही व्यय करता है किन्तु सरकार पहले अपने व्यय का अनुमान लगाती है और तदुपरान्त, उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त आय का प्रबन्ध करती है।

(2) व्यक्तिगत व्यय पर किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता जबकि सार्वजनिक व्यय पर अनेक व्यक्तियों वर्गों एवं राजनीतिक दलों का प्रभाव पड़ता है।

(3) व्यक्तिगत व्यय में सार्वजनिक व्यय की अपेक्षा मितव्ययता (Economy) की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है अर्थात् निजी व्यक्ति सरकार की तुलना में अपने व्यय को अधिक मितव्ययतापूर्ण ढंग से करता है।

(4) निजी व्यक्ति प्रायः अपनी आय ऐसी मरदो पर व्यय करता है जिनसे कुछ लाभ प्राप्त होता है, किन्तु सरकारें कभी कभी ऐसे मरदो पर भी व्यय करती हैं जिनसे उन्हें कोई तुरन्त लाभ प्राप्त नहीं होता।

सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण

(Classification of Public Expenditure)

सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद नहीं है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न आधारों पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया है। अब हम सार्वजनिक व्यय के कुछ महत्त्वपूर्ण वर्गीकरणों का अध्ययन करेंगे।

(1) प्रो० प्लेहान का वर्गीकरण (Prof Plehan's Classification)—प्रो० प्लेहान ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण लोकहित के आधार पर किया है। उनके अनुसार सार्वजनिक व्यय को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—प्रथम वह व्यय जिससे सभी लोगों को साधारण लाभ होता है जैसे देश की सुरक्षा पर किया गया व्यय। दूसरे वह व्यय जिसमें कुछ विशेष वर्गों को उनकी अयोग्यता (Disability) के कारण विशेष लाभ होता है जैसे वृद्धावस्था पेन्शन, अश्विनी व्यक्तियों को दी गयी आर्थिक सहायता आदि। तीसरे वह व्यय जिसमें सभी

लोगों को लाभ होता है, किन्तु कुछ व्यक्तियों अथवा कुछ वर्गों को उससे विशेष लाभ होता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी क्षेत्र में सरकार द्वारा सड़क बनायी जाती है तो इससे सभी लोगों को लाभ होगा, किन्तु उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इससे विशेष लाभ होगा। चौथे, वह व्यय जिसका लाभ केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को ही होता है। उदाहरणार्थ, सरकार जब कुछ उद्योग-पतियों को आर्थिक सहायता देती है तो इससे केवल उन्हें ही लाभ प्राप्त होता है। प्रो० प्लेहन के अनुसार आदर्श सार्वजनिक व्यय यह है जिससे देश में सभी लोगों को लाभ प्राप्त होता है और जिसमें विशेष लाभ की मात्रा न्यूनतम होती है। वास्तव में, प्रो० प्लेहन का उपर्युक्त वर्गीकरण अत्यन्त वैज्ञानिक प्रतीत होता है किन्तु व्यवहार में उपर्युक्त चार प्रकार के व्ययों का अन्तर स्पष्टतम ममज्ञाना कठिन हो जाता है।

(2) प्रो० निकलसन का वर्गीकरण (Prof Nicholson's Classification)—प्रो० निकलसन ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण राज्य को प्राप्त होने वाले लाभ के आधार पर किया है। प्रो० निकलसन ने भी सार्वजनिक व्यय को चार भागों में विभाजित किया है—पहले वर्ग में, वह व्यय सम्मिलित किया जाता है जिससे सरकार को कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होता। उदाहरणार्थ, जब सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो इससे सरकार को स्वयं कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। दूसरे वर्ग में, वह व्यय सम्मिलित किया जाता है जिससे सरकार को कोई प्रत्यक्ष आय तो उपलब्ध नहीं होती किन्तु परोक्ष रूप से उसे कुछ लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, जब सरकार निशुल्क शिक्षा पर व्यय करती है तो इससे सरकार को स्वयं तो कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होता किन्तु दीर्घकाल में अप्रत्यक्ष लाभ अवश्य ही होता है। इसका कारण यह है कि निशुल्क शिक्षा के फलस्वरूप नागरिकों की कार्यकुशलता का स्तर एव उत्पादन शक्ति अधिक बढ़ जाती है। परिणामतः उनकी करदान क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तीसरे वर्ग में, वह व्यय सम्मिलित किया जाता है जिससे राज्य को आर्थिक रूप में ही प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, जब सरकार शिक्षा पर व्यय करती है और इसके बदले शिक्षा-धियों से शुल्क वसूल करती है तो इससे उसको आर्थिक रूप में प्रत्यक्ष लाभ अवश्य ही होता है। चौथे वर्ग में, वह व्यय सम्मिलित किया जाता है जिससे सरकार न केवल अपने व्यय को पूरा कर लेती है बल्कि इससे कुछ अतिरिक्त आय भी उपलब्ध होती है। उदाहरणार्थ, जब सरकार कृषि एवं उद्योग धन्धों जैसे क्रियात्मक कार्यों पर व्यय करती है तब इसे अपने द्वारा किये गये व्यय के अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है।

प्रो० निकलसन द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त वर्गीकरण उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि सार्वजनिक व्यय का अन्तिम उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता के कल्याण में वृद्धि करना है।

(3) प्रो० एडम का वर्गीकरण (Prof Adam's Classification)—प्रो० एडम ने कार्यों के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया है। प्रथम वर्ग में, उन्होंने ऐसे व्यय को सम्मिलित किया है जिसका सम्बन्ध देश के नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा को बनाये रखने से है। इस प्रकार के व्यय को वह सुरक्षात्मक व्यय (Defence Expenditure) कहते हैं। दूसरे वर्ग में, प्रो० एडम ने ऐसे व्यय को सम्मिलित किया है जो देश के व्यापार एवं औद्योगिक विकास के लिये किया जाता है। इस प्रकार के व्यय को उन्होंने वाणिज्य व्यय (Commercial Expenditure) की संज्ञा दी है।

तीसरे वर्ग में, उन्होंने ऐसे व्यय को सम्मिलित किया है जिसका सम्बन्ध विकासात्मक कार्यों से होता है। उदाहरणार्थ, शिक्षा, चिकित्सा आदि पर किया गया व्यय इस वर्ग में सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार के व्यय को विकासात्मक व्यय (Development Expenditure) कहा गया है। प्रो० एडम के इस वर्गीकरण में प्रमुख कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि विभिन्न प्रकार के व्यय एक-दूसरे में समाविष्ट हो जाते हैं और एक प्रकार के व्यय को दूसरी प्रकार के व्यय से पृथक् करना कठिन हो जाता है। उदाहरणार्थ, व्यापार आदि के विकास पर किये गये व्यय को वाणिज्य व्यय एवं विकासात्मक व्यय दोनों के ही अन्तर्गत रखा जा सकता है।

(4) प्रो० फिण्डले शिर्राज का वर्गीकरण (Prof Findlay Shirras's Classification)—प्रो० फिण्डले शिर्राज ने राज्य कर्तव्य के आधार पर सार्वजनिक व्यय को दो वर्गों में विभाजित

किया है—(1) प्राथमिक व्यय (Primary Expenditure), (2) गौण व्यय (Secondary Expenditure)। प्राथमिक व्यय के अन्तर्गत वह व्यय सम्मिलित किया जाता है जो देश की सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था तथा ऋणों के भुगतान आदि पर किया जाता है। इसके विपरीत, गौण व्यय के अन्तर्गत वह व्यय सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक सेवाओं तथा विकासवात्मक कार्यों पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, प्रा० पिण्डले शिराज के अनुसार विकासवात्मक कार्यों पर किया गया सरकारी व्यय प्राथमिक न होकर गौण ही ममज्ञा जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रो० शिराज का यह वर्गीकरण अत्यन्त सरल है, लेकिन इसमें कठिनाई यह है कि दोनों प्रकार के व्ययों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग करना सम्भव नहीं और फिर अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि औद्योगिक विस्तार पर किया गया व्यय प्राथमिक न होकर गौण ही माना है। वर्तमान युग में जायिक विकास पर किया गया व्यय किसी भी दृष्टि से गौण नहीं ममज्ञा जा सकता है।

(5) डा० डाल्टन का वर्गीकरण (Dr Dalton's Classification)—डा० डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय को दो वर्गों में विभाजित किया है—(1) अनुदान (Grants) प्रत्यक्ष अथवा पराक्ष, (2) क्रय मूल्य (Purchase Price)। जब सरकार अपने साधनों का इस प्रकार जनता में हस्तान्तरित करती है कि उस हस्तान्तरण से उस शत प्रतिशत (Quid Pro Quo) लाभ प्राप्त नहीं होता तब उसे अनुदान कहते हैं। उदाहरणार्थ वृद्धावस्था पेन्शन वेराजगारी भत्ते निशुल्क शिक्षा आदि पर किए गये व्यय का अनुदान ही समझा जायगा। डा० डाल्टन के अनुसार अनुदान भी दो प्रकार का होता है—प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष। जब सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का लाभ उन व्यक्तियों अथवा वर्गों तक ही सीमित रहता है जिनके लिए वह दिया गया है, तब इस प्रत्यक्ष अनुदान कहते हैं। इसके विपरीत, जब सरकार द्वारा दिये गये अनुदान का लाभ उन व्यक्तियों तथा वर्गों तक सीमित न रहकर अन्य व्यक्तियों तथा वर्गों को हस्तान्तरित हो जाता है तब ऐसे अनुदान को परोक्ष अनुदान कहते हैं। जब सरकार व्यक्तियों अथवा वर्गों का अपने साधनों का हस्तान्तरण इस ढंग से करती है कि वे उन्हें अपनी सदाओं के बदले में ही प्राप्त करते हैं, तब इस प्रकार के हस्तान्तरण का क्रय-मूल्य कहा जाता है। उदाहरणार्थ, जब सरकार लोगों को किसी वस्तु अथवा सेवा के बदले उचित मूल्य व बराबर भुगतान करती है तब उसे क्रय मूल्य कहते हैं।

(6) प्रो० रॉबिन्सन का वर्गीकरण (Prof Robinson's Classification)—प्रो० रॉबिन्सन ने सार्वजनिक व्यय का दो वर्गों में विभाजित किया है—(1) उत्पादक व्यय (2) अनुत्पादक व्यय। उत्पादक व्यय वह है जिसमें देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ कृषि उद्योग-धंधों के विकास पर किया गया व्यय उत्पादक व्यय होता है। इसके विपरीत, अनुत्पादक व्यय वह है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती। उदाहरणार्थ युद्ध पर किया गया व्यय अनुत्पादक व्यय ही माना जा सकता है।

(7) प्रो० पीगू का वर्गीकरण (Prof Pigou's Classification)—प्रो० पीगू ने भी सार्वजनिक व्यय का दो वर्गों में विभाजित किया है (1) हस्तान्तरण व्यय (Transfer Expenditure) (2) अहस्तान्तरण व्यय (Non Transfer Expenditure)। हस्तान्तरण व्यय से अभिप्राय उस सरकारी व्यय से है जो सरकार द्वारा नागरिकों के लाभार्थ किया जाता है। जैसे वृद्धावस्था पेन्शन वेराजगारी भत्ते निशुल्क डाक्टरी सहायता आदि पर किया गया व्यय हस्तान्तरण व्यय कहलाता है। इसके विपरीत, अहस्तान्तरण व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जो सरकार द्वारा अपने लाभार्थ किया जाता है। उदाहरणार्थ प्रशासन पर किया गया सरकारी व्यय अहस्तान्तरण व्यय कहलाता है। परन्तु प्रो० पीगू के उक्त वर्गीकरण में मुख्य कठिनाई यह उत्पन्न होती है कि दोनों वर्गों में बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती।

(8) सार्वजनिक व्यय का एक अन्य वर्गीकरण—कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय को प्रशासन इकाई के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया। प्रथम, केन्द्रीय सघीय अथवा राष्ट्रीय व्यय (Central, Union or National Expenditure)। इसमें अभिप्राय उस व्यय से है जो देश की केन्द्रीय अथवा सघीय सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ, भारत सरकार द्वारा सुरक्षा पर किया गया व्यय केन्द्रीय अथवा सघीय व्यय कहलाता है। दूसरे प्रांतीय अथवा

राज्यीय व्यय (Provincial or State Expenditure) : इससे अभिप्राय उस व्यय से है जो देश की प्रान्तीय अथवा राज्य सरकारी द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ, कृषि, पुलिस, न्याय, शिक्षा आदि पर किया गया व्यय प्रान्तीय अथवा राज्यीय व्यय कहलाता है। तीसरे, स्थानीय व्यय (Local Expenditure)—इससे अभिप्राय उस व्यय से है जो स्थानीय निकायो (local bodies) द्वारा किया जाता है। जैसे नगरपालिकाओं, जिला परिषदों एवं पंचायतों द्वारा किये गये व्यय को स्थानीय व्यय की संज्ञा दी जाती है।

सार्वजनिक व्यय के सिद्धान्त (Canons of Public Expenditure)

प्रत्येक सरकार को अपना व्यय निश्चित करते समय निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए।

1 **लाभ का सिद्धान्त (Canon of Benefit)**—इसमें अभिप्राय यह है कि अपना व्यय निश्चित करते समय सरकार को अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात् सरकार का अपना व्यय इस ढंग से निर्धारित करना चाहिए कि उससे अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में, सरकारी व्यय से अधिक से अधिक लोगों को लाभ होना चाहिए। इसका यह भी अभिप्राय है कि सरकारी व्यय के परिणामस्वरूप देश के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि होनी चाहिए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह वितान्त आवश्यक है कि अपना व्यय निश्चित करते समय सरकार यथासम्भव समसीमान्त उपयोगिता नियम (Law of Equi-marginal Utility) का पालन करे। दूसरे शब्दों में, सरकार को विभिन्न मदों पर अपना व्यय इस ढंग से वितरित करना चाहिए कि प्रत्येक मद पर किये गये व्यय से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिताएँ बराबर हो न्योकि ऐसा करने से ही अधिकतम सामाजिक लाभ के लक्ष्य की पूर्ति सम्भव हो सकती है। सरकार को भी एक निजी व्यक्ति की भाँति इस नियम का पालन करना चाहिए। जैसा विदित है, एक निजी व्यक्ति अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न मदों पर अपना व्यय इस ढंग से वितरित करता है कि प्रत्येक मद से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता बराबर होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निजी व्यय एवं सरकारी व्यय में एक प्रकार की समानता पायी जाती है क्योंकि अन्ततः दोनों प्रकार के व्यय समसीमान्त उपयोगिता नियम पर ही आधारित होते हैं। परन्तु इस नियम को व्यावहारिक रूप देते समय सरकार के सम्मुख एक कठिनाई उत्पन्न होती है। यह यह है कि विभिन्न मदों पर किये गये व्ययों की सीमान्त उपयोगिताओं को कैसे ज्ञात किया जाय। जैसा डॉ॰ डाल्टन ने कहा है "सरकार के लिए विभिन्न मदों पर किये गये व्ययों की सीमान्त उपयोगिताओं का सही सही अनुमान लगाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य ही है।"

इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति के लिए भी यह आवश्यक है कि सरकार को यथासम्भव अपना व्यय किसी विशेष व्यक्ति अथवा वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सर्वसाधारण के लिए करना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि सरकार किसी विशेष वर्ग को सन्तुष्ट करने के लिए कोई व्यय करती है तो निश्चय ही इस प्रकार का व्यय लाभ के सिद्धान्त की अवहलना करेगा। इस सिद्धान्त का यह भी अभिप्राय है कि सरकार को अपने व्यय को माध्यम द्वारा यथासम्भव देश में प्रचलित आय सम्बन्धी असमानताओं को कम करना चाहिए। अर्थात् अपना व्यय निश्चित करते समय सरकार को उद्देश्य की पूर्ति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

2 **मितव्ययता का सिद्धान्त (Canon of Economy)**—इस सिद्धान्त से अभिप्राय यह है कि सरकार का व्यय यथासम्भव मितव्ययतापूर्ण होना चाहिए, अर्थात् उससे किसी प्रकार का अपव्यय (wastage) नहीं होना चाहिए। सरकार को व्यय करते समय इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि करदाताओं से प्राप्त किये गये धन का किसी भी तरह अपव्यय न हो। यह भी आवश्यक है कि अपव्यय को रोکنे के लिए सरकारी व्यय में किसी प्रकार का दोहराव (duplication) न हो। मितव्ययता सिद्धान्त का यह भी अभिप्राय है कि सरकारी व्यय से देश के उत्पादन पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात् सरकारी व्यय किसी भी तरह से उत्पादन को निरूत्साहित न करे। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि सरकारी

व्यय के परिणामस्वरूप लोगों की बचत करने की इच्छा एव शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वित्त मन्त्री को इस सम्बन्ध में विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। दुर्भाग्यवश, भारत में राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय इस सिद्धान्त को पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं करता। इससे कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता कि अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा व्ययों को उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सरकारी विभागों में कई प्रकार के अपव्यय हो रहे हैं।

3 स्वीकृति का सिद्धान्त (Canon of Sanction)—इसका अभिप्राय यह है कि व्यय करने से पूर्व सरकार को समुचित अधिकरण सत्ता (proper authority) से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए अर्थात् बिना उचित स्वीकृति के किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जाना चाहिए। प्रजातान्त्रिक देशों में प्रति बजट सरकार अपना बजट विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत करती है और उसकी स्वीकृति के बिना एक पैसा भी व्यय नहीं कर सकती। इसका यह भी अभिप्राय है कि सरकारी विभागों में भी बिना उचित स्वीकृति के किसी प्रकार का व्यय न किया जाय और न ही एक मद के लिए स्वीकृत धन को दूसरी मद के लिए व्यय किया जाय। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि ऋणों द्वारा प्राप्त किया गया धन सरकार द्वारा उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए जिनके लिए ऋण लिया गया है। स्वीकृति सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सरकारी व्यय का अन्वेषण (auditing) भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार के अनुचित व्यय की सम्भावना ही न रहे।

4 लोच का सिद्धान्त (Canon of Elasticity)—इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि सार्वजनिक व्यय में यथासम्भव अधिक से अधिक मात्रा में लोच का अङ्ग होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आवश्यकताओं के अनुसार सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन की गुंजायमान होनी चाहिए। उदाहरणार्थ सकट के समय सार्वजनिक व्यय में कटौती की गुंजायमान होनी चाहिए क्योंकि ऐसे समय सरकार की आय में प्रायः कमी हो जाती है।

5 आय-व्यय के सन्तुलन का सिद्धान्त (Canon of Balanced Income and Expenditure)—इस सिद्धान्त से अभिप्राय यह है कि सरकार की आय तथा व्यय में यथासम्भव सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए अर्थात् सरकार के बजट में न तो बचत और न ही घाटा होना चाहिए। यदि सरकार के बजट में बचत होती है तो इसका अभिप्राय यह है कि सरकार आवश्यकता से कम व्यय कर रही है। इसके विपरीत यदि सरकार के बजट में घाटा होता है तो इसका अभिप्राय यह है कि सरकार आवश्यकता से अधिक व्यय कर रही है। इस दृष्टिकोण से आय बजट यह हाता है जिसमें आय तथा व्यय का सन्तुलन किया जाता है।

— सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव (Economic Effects of Public Expenditure)

सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभावों का अध्ययन हम तीन उप शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं—(1) सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव (2) सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव (3) सार्वजनिक व्यय का अन्य प्रभाव।

1 सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव—डा० डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक व्यय के उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनका अध्ययन हम तीन उप शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं

(क) कार्य करने तथा बचत करने की शक्ति पर प्रभाव—सार्वजनिक व्यय का कुछ भाग अवश्य ही ऐसा होता है जिससे लोगों की कार्य करने तथा बचत करने की शक्ति में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ, जब सरकार शिक्षा, चिकित्सा सस्ते मकानों आदि की व्यवस्था पर व्यय करती है तो इससे निश्चय ही लोगों की कार्यकुशलता में सुधार होता है। परिणामतः उसकी कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है और अंत में, उनकी आय में भी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार लोगों की बचत करने की शक्ति में भी सुधार होता है। इसी तरह जब सरकार कृषि, उद्योग धंधों पर खर्च करती है तो उस व्यय से देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि

होती है और लोगों की आय बढ जाती है। परिणामतः उनकी वचत करने की शक्ति में भी वृद्धि होती है। अतः इस प्रकार व्यय का उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

(ख) कार्य करने तथा वचत करने की इच्छा पर प्रभाव—सार्वजनिक व्यय का कुछ भाग लोगों को सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने पर भी किया जाता है। उदाहरणार्थ, आजकल लगभग सभी देशों में श्रमिकों के लिए सामाजिक बीमा (social insurance) की व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत, मजदूरों को वृद्धावस्था में पेन्शन दी जाती है, बेकारी भत्ते दिये जाते हैं तथा अरबवस्था एवं बीमारी के दौरान उन्हें निःशुल्क डाक्टरों सहायता भी दी जाती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के सार्वजनिक व्यय से मजदूरों को कार्य तथा वचत करने की इच्छा पर प्रतिबल प्रभाव पड़ता है। जब सरकार मजदूरों के लिए इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर देती है तो निश्चय ही वे अपने भविष्य के बारे में उदासीन हो जाते हैं और वचत करना बन्द कर देते हैं, किन्तु यदि इन प्रकार की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था केवल असहाय एवं अशहीन श्रमिकों के लिए ही की जाती है तो इनमें साधारण मजदूरों को काम करने तथा वचत करने की इच्छा पर प्रतिबल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों में उत्पादन के साधनों के वितरण पर प्रभाव—सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार विभिन्न व्यवसायों एवं उद्योगों के साधनों के वितरण को भी प्रभावित कर सकती है। उदाहरणार्थ, यदि सरकार उत्पादन के साधनों को किसी विशेष उद्योग में आकर्षित करना चाहती है तो वह ऐसे उद्योगों को आर्थिक सहायता देना आरम्भ कर देगी। अर्थात् ऐसे उद्योग-धन्धों को सरकार उपदान (subsidy) देना आरम्भ कर सकती है। इस प्रकार की रियायतों से प्रोत्साहित होकर निश्चय ही उद्योगपति उस उद्योग में अपनी पूँजी लगाना आरम्भ कर देंगे। इसी प्रकार यदि सरकार उत्पादन के साधनों को किसी विशेष क्षेत्र में आकर्षित करना चाहती है तो वह उन्हें कई प्रकार के प्रोत्साहन देना आरम्भ कर देगी। उदाहरणार्थ, यदि सरकार किसी पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास करना चाहती है तो वह ऐसे क्षेत्र में उद्योग गतिमें को कई प्रकार की रियायतें देकर आकर्षित कर लेगी। इस प्रकार एक मुनियोजित सार्वजनिक व्यय प्रणाली द्वारा सरकार उत्पादन के साधनों की गतिशीलता को प्रभावित कर सकती है।

2 सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, प्रत्येक सरकार अपने सम्मुख अधिकतम सामाजिक लाभ का लक्ष्य रखती है और यथासम्भव इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयत्न करती है। इसमें सन्देह नहीं कि इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती है जबकि देश में प्रचलित आय सम्बन्धी असमानताओं को दूर अथवा कम किया जाय। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि देश में प्रचलित आर्थिक विषमताओं में यथासम्भव कमी की जाय। वास्तव में, सार्वजनिक व्यय इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए आदर्श साधन प्रस्तुत करता है। सरकार को चाहिए कि वह धनिक वर्गों पर अधिकाधिक मात्रा में कर लगाये क्योंकि ऐसे वर्गों की करदान क्षमता निश्चय ही अधिक होती है। इस प्रकार के कराधान से प्राप्त होने वाली आय को निधन वर्गों पर व्यय किया जाय। सरकार को चाहिए कि निधन वर्गों को शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा अत्याज, सस्ते मकान, वृद्धावस्था पेन्शन तथा बेरोजगारी भत्तों जैसी सुविधाएँ प्रदान करे। ऐसा करने में देश में राष्ट्रीय आय का स्वतः ही पुनर्वितरण हो जायगा। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय आय का निधन वर्गों की ओर हस्तान्तरण होगा। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय आर्थिक विषमताओं को दूर अथवा कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकता है। यही कारण है कि आजकल सभी देशों की सरकारें सार्वजनिक व्यय के माध्यम से राष्ट्रीय आय के वितरण में यथासम्भव समानता स्थापित करने का प्रयत्न करती हैं।

3 सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रभाव—सार्वजनिक व्यय के आर्थिक जीवन पर अन्य प्रभाव भी पड़ते हैं। उदाहरणार्थ, सार्वजनिक व्यय रोजगार को माना को नियमित एवं नियन्त्रित करने का अच्छा साधन है। मन्दीकाल में सरकार को चाहिए कि वह अपने व्यय में पर्याप्त वृद्धि कर दे। ऐसा करने से रोजगार की मात्रा में स्वतः ही वृद्धि हो जायगी। सरकारी व्यय के परिणामस्वरूप बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के नये-नये अवसर प्राप्त होंगे। इसके विपरीत, तेजी काल में सरकार को चाहिए कि वह अपने व्यय में पर्याप्त कमी कर दे। ऐसा करने से सरकार देश को

मुद्रा-स्फीति के कुप्रभावों से बचा सकेगी। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय के मन्त्र द्वारा रोजगार की मात्रा में स्थायित्व लाया जा सकता है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त सकेत

- 1 वे सिद्धान्त बताइये जिनके द्वारा राजकीय व्यय निर्धारित होता है। राजकीय व्यय किस प्रकार सामाजिक कल्याण बढ़ा सकते हैं? समझाइए। (आगरा, 1963)
[सकेत—प्रथम भाग में, सार्वजनिक व्यय के पाँच मुख्य सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए। दूसरे भाग में, बताइए कि काम करने तथा वचत करन की शक्ति को बढ़ाकर सार्वजनिक व्यय सामाजिक कल्याण में वृद्धि कर सकता है।]
- 2 सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत व्यय में क्या अन्तर है? सार्वजनिक व्यय सम्बन्धी सिद्धान्तों का वर्णन करिए। (जबलपुर, 1965)
[सकेत—प्रथम भाग में, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत व्यय के अन्तर को स्पष्ट कीजिए। दूसरे भाग में, सार्वजनिक व्यय के मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।]
- 3 आधुनिक वर्षों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। (रांची, 1963)

[सकेत—यहाँ पर विगत वर्षों में जिन कारणों से सार्वजनिक व्यय की वृद्धि हुई है, उनकी सविस्तार विवेचना कीजिए। देखिए उपर्युक्त अध्याय।]

46

सावजनिक ऋण (Public Debt)

प्रस्तावना जब सरकार अपने बजट के घाटे का पूरा करने के लिए लोगों से ऋण लेती है तब इस सावजनिक ऋण कहते हैं। जैसा विदित है एक निजी व्यक्ति की भांति सरकार का भी अपना व्यय पूरा करने के लिए लोगों से ऋण लेना पड़ता है। 19वीं शताब्दी से पूरा सावजनिक ऋण का कोई विशेष महत्त्व नहीं हुआ करता था। यह ठीक है कि उस समय राजा लोग युद्ध लड़ने के लिए अपनी प्रजा से ऋण लिया करते थे। परन्तु इस प्रकार के लिए लगे हुए ऋणों की मात्रा बहुत कम हुआ करती थी। आधुनिक युग में सावजनिक ऋण का आकार बहुत बढ़ गया है। इस समय शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी जिसने लोगों से ऋण न ले रखा हो। वर्तमान युग में सावजनिक ऋण की अत्यधिक वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं

(1) अव्यय नीति का परित्याग (Abandonment of Laissez Faire)—आजकल लगभग सभी सरकारों ने अव्यय नीति का परित्याग कर दिया है और वे आवश्यकतानुसार देश के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करती हैं। उदाहरणार्थ देश के आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाओं का निर्माण किया जाता है और इन योजनाओं को क्रियार्थित करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर लोगों से ऋण लेना पड़ता है।

(2) करों के विरोध से बचने के लिए—जब सरकार जनता पर नया कर लगाती है अथवा पुराने करों का बढ़ावा दे तो निश्चय ही उस जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। कभी कभी सरकार जनता के इस विरोध से बचने के लिए सावजनिक ऋण का सुगम माग अपना लेती है।

(3) दबो विपत्तियों का सामना करने के लिए—कभी कभी सरकार अकाल बाढ़ भूकम्प आदि जैसी दबो विपत्तियों का सामना करने के लिए भी लोगों से ऋण प्राप्त करती है यद्यपि इन प्रकार के ऋण का आकार अधिक बड़ा नहीं होता।

(4) युद्ध लड़ने के लिए—जैसा विदित है विगत 70 वर्षों में दो भयंकर विश्व युद्ध हो चुके हैं। इन युद्धों के दौरान लगभग सभी सरकारों ने बड़े पैमाने पर लोगों से ऋण प्राप्त किये थे। वस्तुतः सावजनिक ऋण की आधुनिक वृद्धि का यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। युद्ध को तयारो करने के लिए भी सरकारों को सावजनिक ऋण का आश्रय लेना पड़ता है।

(5) बजट में अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए—जब कभी सरकार का बजट में अस्थायी घाटा हो जाता है और सरकार उस घाटे का पूरा करने के लिए नया कर लगाना उचित नहीं समझती तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को सावजनिक ऋण का सहारा लेना पड़ता है।

व्यक्तिगत ऋण तथा सार्वजनिक ऋण में अन्तर (Distinction Between Individual Debt and Public Debt)

व्यक्तिगत ऋण तथा सार्वजनिक ऋण में निम्नलिखित अन्तर पाये जाते हैं

- (1) सरकार ऋण का ऋण देने के लिए विवश हो सकती है किन्तु एक निजी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का ऋण देने के लिए बाध्य नहीं हो सकता।
- (2) सरकार लोण से प्राप्त किया गया ऋण का वापस लेना स इन्कार कर सकती है जबकि एक निजी व्यक्ति किसी अन्य शक्ति से लिए गए ऋण का वापस लेना से इन्कार नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- (3) सरकार लोण से लिया गया ऋण पर ब्याज की दर में एकपक्षीय कटौती (Unilateral Reduction) कर सकती है अर्थात् सरकार लोण में ऋण लेने के बाद भी ब्याज की दर में यदि चाहें तो कमी कर सकता है। किन्तु एक निजी व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ होता है। उस को ब्याज की वही दर चुकानी पड़ती है जिसके लिए वह अपने आप का पहले से ही बाध्य कर चुका है।
- (4) सरकार लोण में दीर्घकालीन ऋण ले सकती है जबकि एक निजी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बहुत कम समय के लिए ऋण प्राप्त नहीं कर सकता। यही कारण यह है कि सरकार निरन्तर चलना रहती है जबकि एक निजी व्यक्ति मरणशील होता है।
- (5) सरकार भीतरी तथा बाहरी दोनों प्रकार के साधनों से ऋण ले सकती है अर्थात् सरकार लोण से ऋण ले सकती है और अपने आप में भी ऋण ले सकती है। जब सरकार नोट छापकर बजट समझौते प्राप्त का पूरा करती है तब वह अपने आप से ऋण लेती है किन्तु एक निजी व्यक्ति ऋण केवल बाहरी साधनों से ही ले सकता है भीतरी साधनों से नहीं।
- (6) सार्वजनिक ऋण प्रायः ऋणदाताओं के कल्याण के लिए ही व्यय किया जाता है। उदाहरणार्थ जब सरकार लोण से लिए गए ऋण को विकासार्थक कार्यों पर व्यय करती है तो उससे सभी लोण के कर्ताओं में वृद्धि होता है अर्थात् ऋणदाताओं का भाव इससे लाभ पहुँचता है। इसके विपरीत निजी ऋण प्रायः ऋणदाताओं के हित में व्यय नहीं किया जाता।
- (7) सार्वजनिक ऋण के अन्तर्गत ऋणदाता अपने ऋण-पत्र का बचकर अपना पत्रा बसूल कर सकता है जबकि व्यक्तिगत ऋणदाता ऐसा नहीं कर सकता।
- (8) सार्वजनिक ऋण का दावा व उत्पन्न तथा वितरण पर सरकार प्रभाव पड़ता है जबकि व्यक्तिगत ऋण का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता।
- (9) सरकार सरकार का मात्र उच्च होता है इसलिए सार्वजनिक ऋण व्यक्तित्व ऋण का तुलना में कम व्याज की दर पर उपलब्ध होता है।
- (10) सार्वजनिक ऋण का भ्रान्तन सरकार जनता से धन लेकर करता है और इस प्रकार के धन में ऋणदाताओं का भाव अपना अशुभान चकाना पड़ता है। अर्थात् सार्वजनिक ऋण का भार ऋणदाताओं द्वारा भा वहन किया जाता है। इसके विपरीत व्यक्तिगत ऋण के अन्तर्गत ऋण का भार ऋणदाताओं द्वारा वहन नहीं किया जाता।
- (11) सार्वजनिक ऋण प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए व्यय किया जाता है जबकि व्यक्तिगत ऋण उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए व्यय किया जाता है।

सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण (Classification of Public Debt)

सार्वजनिक ऋण का निम्न आधार पर वर्गीकरण किया गया है

1. उत्पादक (सक्रिय) तथा अतुत्पादक (सतभार ऋण) [Productive Debt and Unproductive (Dead weight) Deb]—उत्पादक ऋण वह ऋण होता है जिससे प्राप्त रकम को सरकार द्वारा उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है जैसे—सिंचाई योजनाएँ, सड़कों का विस्तार, रेलों का निर्माण इत्यादि। इस प्रकार के ऋण से सरकार की आय बढ़ जाती है और इस वजह से इस ऋण पर व्याज चकाना होता है। उत्पादक ऋणों से देश के उत्पादन में

वृद्धि होती है। उत्पादक ऋणों के पीछे जतनी ही रकम की परिसम्पत्त (assets) होती है। अतः ऐसे ऋणों का लौटाना सरल होता है। इसके विपरीत अनुत्पादक ऋण वह ऋण होता है जिससे प्राप्त रकम को सरकार द्वारा उत्पादक कार्यों पर व्यय नहीं किया जाता। अर्थात् ऐसे ऋणों से देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि नहीं होती। इसलिए इस प्रकार के ऋण का बोझ अधिक होता है और इसे वापस लौटाना और भी अधिक कठिन होता है। अतः इस ऋण का मृतभार ऋण (Deadweight Debt) कहते हैं। इस प्रकार के ऋण प्रायः युद्ध लड़ने तथा दैवी विपत्तियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा लिये जाते हैं।

2 ऐच्छिक ऋण तथा बलात ऋण (Voluntary Debt and Forced Debt)—अब लग अपनी इच्छा से सरकार को ऋण देते हैं तो ऐसे ऋण को ऐच्छिक ऋण कहा जाता है। साधारणतः सावजनिक ऋण ऐच्छिक आधार पर ही लोगों से लिया जाता है। लेकिन कभी-कभी सरकार लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध भी ऋण लेती है। उदाहरणार्थ सकट के समय सरकार लोगों से उनकी इच्छा के विरुद्ध भी ऋण लेने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार के ऋण को बलात ऋण कहते हैं। उदाहरणार्थ भारत सरकार ने सन् 1964 में लोगों से अनिवार्य निक्षेप (Compulsory Deposits) लेने का निश्चय किया था, *कालव* से यह भी एक प्रकार का बलात ऋण ही था किंतु जनता के कड़े विरोध के कारण आगे चलकर भारत सरकार का इसका परित्याग करना पड़ा था। साधारणतः सरकार लोगों से ऐच्छिक आधार पर ही ऋण लेती है। वास्तव में बलात ऋण और कर में कोई अधिक अंतर नहीं होता। सरकार के लिए बलात ऋण लेने की अपेक्षा कर लगाकर धन एकत्रित करना अधिक लाभदायक होगा क्योंकि ऐसा करने से सरकार को न तो ऋण चुकाने का भार ही वहन करना पड़ता और न ही उसे नियंत्रित ऋण पर व्याज ही चुकाना होगा।

3 आन्तरिक ऋण एवं बाह्य ऋण (Internal Debt and External Debt)—आन्तरिक ऋण से अभिप्राय उस ऋण से होता है जो सरकार द्वारा देशवासियों से ही लिया जाता है। इसके विपरीत बाह्य ऋण से अभिप्राय उस ऋण से होता है जो सरकार विदेशी सरकारों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से लेती है। उदाहरणार्थ ब्रिटिश शासनकाल में भारत सरकार दो प्रकार के ऋण लिया करती थी। प्रथम रुपया ऋण (Rupee Loan)—यह वह ऋण था जो भारत सरकार भारतवासियों से लिया करती थी। दूसरे स्टर्लिंग ऋण (Sterling Loan)—यह वह ऋण था जो भारत सरकार ब्रिटेन से लिया करती थी। बाह्य ऋण की अपेक्षा आन्तरिक ऋण श्रेष्ठ होता है। इसके दो कारण हैं—प्रथम जब ऋण विदेशों से लिया जाता है तो प्रतिव्यय उस ऋण पर ऋणी देश को व्यय चुकाना पड़ता है। इस प्रकार प्रतिव्यय देश से विदेशों को धन का हस्तान्तरण होता है। दूसरे बाह्य ऋण से देश की आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर कुछ देशों ने विदेशी ऋणों के कारण ही अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को खो दिया था।

4 कोषित ऋण तथा अकोषित ऋण (Funded Debt and Unfunded Debt)—कोषित ऋण वह ऋण होता है जिसके भुगतान के लिए सरकार एक पृथक कोष स्थापित कर देती है। सरकार प्रतिव्यय इस कोष में कुछ रकम जमा करती जाती है और ऋण की अवधि समाप्त हो जाने पर इसी कोष में से उसका भुगतान कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ उत्पादक कार्यों के लिए लिये गये ऋण को कोषित ऋण कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के ऋण के भुगतान की व्यवस्था अलग से एक कोष से की जाती है। इसके विपरीत अकोषित ऋण से अभिप्राय उस ऋण से होता है जिसके भुगतान के लिए सरकार कोई अलग कोष स्थापित नहीं करती। इस प्रकार के ऋण के व्याज का भुगतान सरकार अपनी साधारण आय में ही करती है और ऋण की अवधि समाप्त हो जाने पर इसके मूलधन का भुगतान लोगों से अथवा ऋण लेकर किया जाता है। इसीलिए इस प्रकार के ऋण को कभी-कभी प्रचलित ऋण (Floating Debt) कहते हैं। ध्यान रहे कि कोषित ऋण का दीर्घकालीन ऋण (Long term Debt) भी कहते हैं और अकोषित ऋण को अल्पकालीन ऋण (Short Period Debt) कहते हैं। इसका कारण यह है कि कोषित ऋण दीर्घकाल के लिए लिया जाता है जबकि अकोषित ऋण छोटे समय के लिए ही

त्रिया जाता है। उदाहरणार्थ, ट्रेजरी बिलों का अकोपित ऋण ही समझा जायगा, क्योंकि वे कबच अव्ययान के लिए ही होते हैं।

5 शोध्य ऋण तथा अशोध्य ऋण (Redeemable Debt and Non redeemable Debt)—शोध्य ऋण में अतिप्राय उस ऋण में होता है जिसका मूलधन सरकार निश्चित अवधि के उपरान्त लौटा देती है। सरकार इस प्रकार के ऋणों का नियमित ब्याज देती है और जब ऋण की अवधि समाप्त हो जाती है तो उनका मूलधन का चुका देती है। इसलिए उसे शोध्य ऋण कहा जाता है। शोध्य ऋण के लिए प्रायः सरकार एक शोध्य निधि (Sinking Fund) का निमाण कर देती है और प्रतिवर्ष कुछ धन जमा करती रहती है। ऋण की समाप्ति पर इस निधि से ऋण का मूलधन चुका दिया जाता है। इसके विपरीत, अशोध्य ऋण वह ऋण होता है, जिसका मूलधन सरकार द्वारा कभी भी नहीं लौटाया जाता। अशोध्य ऋण निरन्तर चलता रहता है। इस प्रकार के ऋण पर सरकार नियमित ब्याज देती रहती है, परन्तु इसका मूलधन कभी नहीं चुकाया जाता।

सार्वजनिक ऋण से लाभ

इसके लाभ निम्नलिखित हैं

(1) सार्वजनिक ऋण के कारण देश की पूनी अधिक उत्पादक हो जाता है। जैसा विदित है, सार्वजनिक ऋण प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ही लिया जाता है। इस प्रकार के ऋण से देश के प्राकृतिक संपत्तियों का शोषण किया जाता है और उत्पादन की मात्रा का वृद्धि होता है।

(2) सार्वजनिक ऋण से देश के आर्थिक विकास की गति का तीव्र करने में बड़े-बड़े महायत्न प्रदान करना है। जैसा विदित है, आपत्तियों सरकारों द्वारा से ऋण लेकर विनाशकारी राज्यों में प्रेषित की जाती है। इससे निश्चय ही देश के आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है।

(3) सार्वजनिक ऋण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने में महायत्न मिलती है। उदाहरणार्थ, अकाल, जल एवं महामारी जैसी विपत्तियों का सामना करने के लिए सरकार कभी कभी ऋण से सहायता लेती है।

(4) सार्वजनिक ऋण से युद्ध के सफलतापूर्वक लड़ने में भी महायत्न मिलती है। जैसा विदित है, आपत्तियों युद्ध लड़ने के लिए ही है और सरकारें सार्वजनिक ऋण से विनाशकारी युद्ध सफलतापूर्वक लड़ सकती हैं।

(5) सार्वजनिक ऋण से परम्परागत अतिरिक्त पूंजी वाले देश (Surplus Capital Countries) का अपनी पूंजी को निर्याती (outlet) के लिए नया-नया अवसर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कम पूंजी वाले देश (Capital Deficit Countries) का भी सार्वजनिक ऋण से सहाय्य में उन्निहत मात्रा में पूंजी उपलब्ध होती है।

सार्वजनिक ऋण से हानियाँ

य निम्नलिखित हैं

(1) यदि सरकार का जनता से ऋण लेने में बाधा बढिनाई नहीं होता, इसलिए सरकार कभी-कभी अपनी आवश्यकता में भी अधिक ऋण लेती है जिससे कारण देश में चरकर वित्तीय स्थितिनाश हो जाता है।

(2) यदि सरकार का ऋण लेने में बाधा विनाश नहीं होता, इसलिए ऋण द्वारा प्राप्त की गयी रकम का उपयोग प्रायः मितव्ययितापूर्ण रूप में नहीं किया जाता। अतः इस प्रकार के ऋण से प्रायः अप्रत्यक्ष ही हानियाँ होती हैं और सरकार की योजनाओं पर इससे बुरा प्रभाव पड़ता है।

(3) विदेशी ऋणों के कारण प्रतिवष बड़ी-बड़ी रकमें व्याज के रूप में बाहर चली जाती हैं जिससे देश का आर्थिक हानि होती है।

(4) अनुत्पादक ऋणों का लौटाना कठिन होता है क्योंकि उनके पीछे कोई परिमम्पति (assets) नहीं होती। उदाहरणार्थ युद्ध लड़ने के लिए प्राप्त किये गये अनुत्पादक ऋण का बोझ देश पर अत्यधिक पड़ता है।

(5) विदेशी ऋणों के कारण देश की स्वतन्त्रता को भी खतरा हो सकता है। जैसा हम कह चुके हैं विदेशी ऋणों के कारण ही कुछ देशों ने अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता को खो दिया है।

सार्वजनिक ऋण तथा कराधान में अन्तर

(Distinction Between Public Debt and Taxation)

सावजनिक ऋण तथा कराधान में निम्नलिखित अन्तर पाये जाते हैं।

(1) सरकार द्वारा लिखा गया ऋण वापस लौटाया जाता है जबकि करा द्वारा प्राप्त की गयी आय को वापस नहीं लौटाया जाता।

(2) ऋणों से प्राप्त धन के व्यय में प्रायः अमितव्ययता हो जाती है जबकि करों से प्राप्त आय में ऐसा कम ही होता है।

(3) ऋण दत्तवासियों एवं विदेशियों को दाना से ही लिये जाते हैं जबकि कर केवल देशवासियों से ही वसूल किये जाते हैं।

(4) सावजनिक ऋण सरकार की आय का असाधारण स्रोत (extraordinary source) है अर्थात् सरकार केवल असाधारण उद्देश्यों के लिए ही लागू से ऋण लेती है। इसके विपरीत कर सरकार की आय का एक नियमित स्रोत है अर्थात् कर साधारण उद्देश्यों के लिए लिये जाते हैं।

(5) ऋण का भार आने वाली पीढ़ियों (future generations) पर पड़ता है जबकि करा का भार वर्तमान पीढ़ियों द्वारा वहन किया जाता है।

किन किन परिस्थितियों में सरकार को ऋण लेना चाहिए ?

(1) युद्ध के समय—युद्ध के समय सरकार का व्यय असाधारण रूप से बढ़ जाता है और आय के साधारण साधनों से पूरा नहीं किया जा सकता। अतः सरकार को सावजनिक ऋण का आश्रय लेना चाहिए।

(2) मन्दी के काल में—जैसा ज्ञात है मन्दी के काल में प्रभावपूर्ण माँग कम हो जाने के फलस्वरूप देश में बेरोजगारी फैल जाती है। अतः इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को ऋण लेकर सावजनिक कार्यों (Public works) का बड़े पैमाने पर निर्माण करना चाहिए। इनसे लोगों का स्वस्थ हाँ रोजगार के अत्यधिक अवसर प्राप्त होंगे।

(3) बिकसामक कार्यों के लिए—देश के आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए भी सरकार को ऋण लेना चाहिए। इस प्रकार के ऋणों की सहायता से कृषि उद्योग धंधों परियोजनाएँ एवं संचार के साधनों का विकास किया जाना चाहिए।

(4) सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए—सरकार की सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए भी ऋण लेना चाहिए अर्थात् शिक्षा चिकित्सा भवन आदि की व्यवस्था के लिए सरकार को ऋण लेना चाहिए। इस प्रकार के ऋण अन्ततः उत्पादक ही सिद्ध होते हैं क्योंकि इनसे लोगों की उत्पादक शक्ति में वृद्धि होती है।

(5) अकस्मात् आवश्यकता पड़ने पर—कभी-कभी सरकार के बजट में अप्रत्याशित रूप से घाटा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के अस्थायी घाटे का पूरा करने के लिए भी सरकार को ऋण लेना चाहिए।

सार्वजनिक ऋण का भार (Incidence of Internal Debt)

अब हम आन्तरिक ऋणा तथा बाह्य ऋणों से उत्पन्न होने वाले भार का अध्ययन करेंगे ।

1 आन्तरिक ऋणों का भार (Incidence of Internal Debt)—इसका हम चार उपशीपका व अन्तगत अध्ययन कर सकते हैं

(क) प्रत्यक्ष द्रव्य-भार (Direct Money Burden)—वास्तव में आन्तरिक ऋण का प्रत्यक्ष द्रव्य भार कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसके अन्तगत केवल न्य शक्ति का हस्तान्तरण ही होता है । न्य शक्ति एक बग से दूसरे बग को हस्तांतरित होती है । उदाहरणार्थ जब सरकार आन्तरिक ऋण लेती है तो न्य शक्ति ऋणदाताओं से सरकार की ओर हस्तान्तरित होती है । सरकार इसे पुन उत्पादक कार्यों पर व्यय करती है जिसके परिणामस्वरूप यह न्य शक्ति उत्पादका ठेकदारों मजदूरों एवं कर्मचारियों को हस्तान्तरित होती है ।

(ख) अप्रत्यक्ष द्रव्य भार (Indirect Money Burden)—जब सरकार लोगों से लिये गये ऋण को विकासात्मक कार्यों पर व्यय करती है तो इससे अनेक वस्तुओं की माग म वृद्धि हो जाती जिसके फलस्वरूप उनकी कीमता म भी वृद्धि हो जाती है । यही आन्तरिक ऋण का अप्रत्यक्ष द्रव्य भार है ।

(ग) प्रत्यक्ष वास्तविक भार (Direct Real Burden)—जैसा विदित है सरकार आन्तरिक ऋण के मूलधन एवं व्याज को लाभा से धन प्राप्त करके चुकाती है । अर्थात् सरकार इस प्रकार के ऋण को अपनी ओर से नहीं—बल्कि ऋणदाताओं से एकत्रित किये गये धन से ही चुकाती है । साधारणतः ऋणदाता निधन व्यक्ति होते हैं जबकि ऋणदाता धनी व्यक्ति होते हैं । जब सरकार ऋणदाता से धन एकत्रित करके ऋणदाताओं को मूलधन एवं व्याज चुकाती है तो निश्चय ही इससे न्य शक्ति निधन वर्गों से धनी वर्गों की ओर हस्तांतरित होती है । परिणामतः राष्ट्रीय धन के वितरण म असमानताएँ बढ़ जाती हैं । इसके अतिरिक्त ऋणदाता प्राय सक्रिय (active) व्यक्ति होते हैं जबकि ऋणदाता प्राय अक्रिय (inactive) व्यक्ति ही होते हैं । आन्तरिक ऋण के भुगतान का अंतिम परिणाम यह होता है कि सक्रिय व्यक्तियों से अक्रिय व्यक्तियों का धन का हस्तांतरण होता है । वास्तव में यह राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है । यही आन्तरिक ऋण का प्रत्यक्ष वास्तविक भार है ।

(घ) अप्रत्यक्ष वास्तविक भार (Indirect Real Burden)—जैसा हम ऊपर कह चुके हैं ऋणा का भगनान करने के लिए सरकार को लोगों पर अतिरिक्त कर लगाने पड़ते हैं जिसके परिणामस्वरूप दश म आर्थिक विपत्ताएँ और अधिक बढ़ जाती हैं । इससे लोगों की काम करने तथा बचत करने का क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है अर्थात् वह कम हो जाती है । इसके परिणाम स्वरूप दश की उत्पादन शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है । वास्तव में यही आन्तरिक ऋण का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार है ।

2 बाह्य ऋणों का भार (Incidence of External Debt)—इसका हम चार उपशीपका के अन्तगत अध्ययन कर सकते हैं ।

(क) प्रत्यक्ष द्रव्य भार (Direct Money Burden)—बाह्य ऋण के अन्तगत ऋणों देश द्वारा विदेशी ऋणदाता दश को प्रतिवष व्याज का भुगतान करना पड़ता है और ऋण की अवधि की समाप्ति पर उसके मूलधन को भी भुगतान करना पड़ता है । परिणामतः देश स बड़ी मात्रा में धन बाहर जाता है । यही बाह्य ऋण का प्रत्यक्ष द्रव्य भार है ।

(ख) अप्रत्यक्ष द्रव्य-भार (Indirect Money Burden)—कभी-कभी बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला व्याज वस्तुओं के रूप में दिया जाता है । अर्थात् ऋणी देश का वडे पैमाने पर वस्तुओं का ऋणदाता दश को निर्यात करना पड़ता है । इससे परिणामस्वरूप दश म ऐसी वस्तुओं की कीमता बढ़ जाती है और लोग के आर्थिक कल्याण म कमी हो जाती है । यही बाह्य ऋण का अप्रत्यक्ष द्रव्य भार है ।

(ग) प्रत्यक्ष वास्तविक भार (Direct Real Burden)—बाह्य ऋण का चुकाने के लिए

सरकार बहुधा लोगों पर नये-नये कर लगाती है। साधारणतः इन करों का भार धनिकों की ओर धरना पड़ता है। यही बाह्य ऋण का प्रत्यक्ष वास्तविक भार है।

(घ) अप्रत्यक्ष वास्तविक भार (Indirect Real Burden)—जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, बाह्य ऋणों को चुकाने के लिए भी सरकार लोगों पर कर लगाती है। इन करों के फलस्वरूप साधारणतः लोगों की काम करने तथा बचाने की क्षमता कम हो जाती है। अन्ततः उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बाह्य ऋण का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार है।

यथा बाह्य ऋण लेने चाहिए?—वास्तव में, यह एक विवादास्पद विषय है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि बाह्य ऋण लाभदायक होते हैं। बाह्य ऋणों के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं।

(1) बाह्य ऋणों की सहायता से देश के आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि बाह्य ऋणों से विदेशी मशीनों का आयात किया जा सकता है। जैसा कि विदित है—विदेशी मशीनों के साथ ही साथ टेक्नीकल जानकारों का आयात भी होता है। इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में बहुमूल्य सहायता मिलती है।

(2) बाह्य ऋण युद्ध की सफलतापूर्वक लड़ने में भी सहायता करते हैं। बाह्य ऋणों से युद्ध-सामग्री विदेशों से खरीदी जा सकती है। उदाहरणार्थ, ग्रेट ब्रिटेन ने दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर अमरीका से ऋण प्राप्त किये थे।

(3) विदेशी ऋणों से युद्धव्यतिरिक्त देशों के पुनर्निर्माण में भी बहुमूल्य सहायता मिलती है। इन ऋणों की सहायता से विदेशों से मशीनरी तथा साज-सज्जा खरीद कर युद्ध-विनष्ट देशों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, दूसरे विश्वयुद्ध के उपरान्त यूरोप के बहुत-से देशों ने अमरीका से ऋण लेकर युद्ध-विनष्ट अर्थ-व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण किया था।

(4) बाह्य ऋणों की सहायता से देश की विदेशी विनिमय-दर को स्थिर करने में भी बड़ी सहायता मिलती है। उदाहरणार्थ, यदि किसी देश की विनिमय दर विदेशी मुद्रा के अभाव के फलस्वरूप अधिक बढ़ जाती है तो बाह्य ऋण लेकर उसे उसके पूर्व स्तर पर स्थिर किया जा सकता है।

बाह्य ऋणों के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं।

(1) बाह्य ऋणों का सबसे अधिक दोष यह है कि उनके कारण प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी मात्रा में धन ब्याज के रूप में बाहर चला जाता है जिससे परिणामस्वरूप देश की आर्थिक हानि होती है।

(2) बाह्य ऋणों से देश की राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतन्त्रता को भी खतरा पैदा हो जाता है। जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, कुछ देशों ने विदेशी ऋणों के कारण ही अपनी प्रभुसत्ता (Sovereignty) को खो दिया है।

यदि हम विदेशी ऋणों के लाभों को तुलना उनकी हानियों से करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनसे उत्पन्न होने वाले लाभ उनकी हानियों की तुलना में कहीं अधिक हैं। अतः समग्र रूप से बाह्य ऋण हानिकर नहीं कहे जा सकते, विशेषकर पिछड़े एवं अल्प-विकसित देशों के लिए तो बाह्य ऋण बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। इनकी सहायता से इन देशों के आर्थिक विकास में गति लायी जा सकती है।

सार्वजनिक ऋण के शोधन की विधियाँ

(Methods of Redemption or Repayment of Public Debt)

सार्वजनिक ऋण के भुगतान की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं।

(1) बजट में बचत का उपयोग—जब किसी सरकार के बजट में कुछ बचत होती है तो सरकार इस बचत का उपयोग अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए करती है। साधारणतः इस बचत से सरकार बाजार में अपने बॉण्ड्स अथवा ऋणपत्रों को खरीदना आरम्भ कर देती है। इससे सार्वजनिक ऋण का धीरे-धीरे भुगतान हो जाता है। वास्तव में, यह एक प्राचीन विधि है, परन्तु आजकल इस विधि का कोई विशेष प्रयोग नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि आधुनिक सरकारों के बजटों में प्रायः इतनी अधिक बचत नहीं होती कि वे इससे अपने ऋणों का भुगतान कर सकें।

पूँजी-कर के अन्तर्गत धनी एवं सम्पत्तिवान् व्यक्तियों पर भारी कर लगाया जाता है। इसके लिए एक छूट की सीमा (exemption limit) भी निश्चित कर दी जाती है। जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति इस सीमा से नीचे होती है, इन्हें पूँजी-कर में मुक्त कर दिया जाता है किन्तु जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति इस सीमा से ऊपर होती है, उन पर अधिकाधिक प्रगतिशील दरों पर कर लगाया जाता है। इस प्रकार पूँजी-कर का उद्देश्य यह है कि बड़ी मात्रा में धनिक वर्गों से धन प्राप्त करके युद्धकालीन ऋण को भुगतान कर दिया जाय। पूँजी-कर के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं।

(क) पूँजी-कर के समर्थन में प्रथम तर्क यह दिया जाता है कि युद्धकाल में धनिक वर्ग, उदाहरणार्थ उद्योगपति व्यापारी एवं व्यवसायी भारी लाभ कमाते हैं। युद्धकाल में प्रायः कीमतें बढ़ जाती हैं और लाभ की मात्रा में भारी वृद्धि हो जाती है। वास्तव में, यद्यपि युद्ध से अनूचित लाभ कमाते हैं। इसीलिए यह तर्क दिया गया है कि युद्धकालीन ऋण के भुगतान के लिए इन लोगों के युद्धकालीन लाभ पर भारी कर लगाया जाना चाहिए।

(ख) पूँजी-कर के समर्थन में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि युद्धकालीन ऋण का भार प्रायः अल्पव्यय वर्गों पर पड़ता है। यदि युद्ध के बाद उसे तुरन्त नहीं चुकाया जाता तो समय बीतने पर उसके भार में तेजी से वृद्धि होती चली जायगी। इसलिए युद्धकालीन ऋण को युद्ध के बाद तुरन्त ही चुका देना चाहिए और ऐसा करने का केवल एक ही तरीका है कि धनिक वर्गों पर पूँजी-कर लगा दिया जाय।

(ग) पूँजी-कर के समर्थन में तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि यह वारसपत्र के सिद्धान्त (Canon of Equity) पर आधारित होता है अर्थात् इसका बोझ उन्हीं कंधों पर पड़ता है जो इसे वहन करने की स्थिति में होते हैं। अतः इन दृष्टिकोण से पूँजी-कर एक अच्छा कर माना जाना चाहिए।

(घ) पूँजी-कर के समर्थन में चौथा तर्क यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि इसे लगाकर युद्धकालीन ऋण का तुरन्त भुगतान नहीं कर दिया जाता तो समाज पर इसका बोझ निरन्तर जारी रहेगा। ऐसी परिस्थिति में सरकार सामाजिक कल्याण की वृद्धि पर अधिक व्यय करने में असमर्थ रहती।

पूँजी-कर के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं।

(क) पूँजी कर से बचतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि जब सरकार पूँजी कर लगाती है तो इससे बचतें निरस्तार्हित होती हैं और देश के उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ख) पूँजी कर से सरकार के प्रति जनता का विश्वास उठ जायगा और अपनी पूँजी देश में रखने के बजाय विदेशों को स्थानान्तरित कर देगे जिसके परिणामस्वरूप देश के आर्थिक विकास को बड़ी क्षति पहुँचेगी।

(ग) पूँजी कर में प्रशासन में भी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति की आय अत्यधिक है परन्तु उसके पास सम्पत्ति नहीं है तो वह पूँजी-कर से बच जायगा। स्पष्टतः यह न्यायसंगत न होगा।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पूँजी कर के पक्ष एवं विपक्ष में कई प्रकार के तर्क हैं किन्तु यदि उनकी तुलना की जाय तो पूँजी-कर के पक्ष में प्रस्तुत किये गये तर्क इसके विपक्ष में दिये गये तर्कों से अधिक प्रभावशाली हैं। अतः समग्र रूप में पूँजी-कर देश के युद्धकालीन ऋण को चुकाने का एक अच्छा साधन है।

सार्वजनिक ऋण की सीमाएँ (Limits of Public Debt)

कुछ व्यक्तियों का कहना है कि सरकार को साख की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि राष्ट्र के समूचे साधन उसके अधिभार में होते हैं, परन्तु इससे यह अभिप्राय नहीं है कि सरकार लोगों से असीमित मात्रा में ऋण प्राप्त कर सकती है। इसका कारण यह है कि सरकार द्वारा लिया गया

ऋण कुछ समय बाद चुकाना ही पड़ना है। इसलिए कोई भी सरकार ऋण लेते समय अपनी शासन क्षमता (repaying capacity) की उपेक्षा नहीं कर सकती अर्थात् ऋण लेते समय सरकार को अपनी शोधन क्षमता अवश्य ही ध्यान में रखनी पड़ती है। यही कारण है कि सरकार असंमित मात्रा में लोगों से ऋण नहीं ले सकती। सार्वजनिक ऋण के विभिन्न रूपों की सीमाएँ निम्नांकित हैं।

(1) विदेशी ऋण—किरी देश द्वारा निये गये विदेशी ऋण की दो महत्वपूर्ण सीमाएँ होती हैं—प्रथम, विदेशों में उस देश की साख। यदि विदेशों में उस देश की साख ऊँची नहीं है तो उसे पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। दूसरे विदेशी ऋण आजकल राजनीतिक कारणों से भी शासित होते हैं। ऋणदाता देश प्रायः राजनीतिक आधार पर ही ऋणी देशों को ऋण प्रदान करते हैं।

(2) आन्तरिक ऋण—विदेशी ऋण की भाँति आन्तरिक ऋण की सीमाएँ होती हैं। उदाहरणार्थ आन्तरिक ऋण अतत लोगों की बचत करने की क्षमता से सीमित होते हैं। दूसरे शब्दों में सरकार लोगों की बचत करने की क्षमता के अनुसार ही उनसे ऋण ले सकती है। लेकिन यहाँ भी ऋण लेते समय सरकार लोगों की बचत करने की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं करती। इसका कारण यह है कि यदि सरकार लोगों की बचत करने की क्षमता का पूर्ण उपयोग करती है तो इससे देश के उद्योग धन्धों तथा व्यापार आदि के लिए कुछ भी धन नहीं बच सकेगा। इसलिए सरकार लोगों की बचत करने की क्षमता से कम ही ऋण लेती है।

(3) मुद्रा स्फीति—सरकार मुद्रा स्फीति के माध्यम से भी लोगों से ऋण ले सकती है। यद्यपि ऐसे ऋण को बलात् ऋण (forced loan) ही कहा जा सकता है। लेकिन मुद्रा-स्फीति के माध्यम से भी सरकार अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि यदि मुद्रा का प्रसार अत्यधिक मात्रा में किया जाता है तो उससे कीमत स्तर में वृद्धि हो जायेगी और देश की अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार की ऋण लेने की शक्ति प्रायः सीमित ही होती है।

युद्ध का अर्थ-प्रबन्ध (War Finance)

युद्ध के समय सरकार के सामने प्रायः यह समस्या उपस्थित होती है कि युद्ध का व्यय चलाने के लिए धन कैसे एकत्रित किया जाय। अधशास्त्रियों के अनुसार युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए सरकार तीन विधियों का आश्रय लेती है

(1) कराधान (Taxation)—कुछ अधशास्त्रियों का मत है कि युद्ध व्यय को पूर्ति के लिए सरकार को कराधान का आश्रय लेना चाहिए अर्थात् युद्ध व्यय को पूरा करने के लिए लोगों पर नये-नये कर लगाकर आय प्राप्त की जानी चाहिए। इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं

(क) युद्धकाल में करों के लगने से लोगों के आवश्यक उपभोग में कमी हो जायेगी और इसके परिणामस्वरूप युद्ध हेतु सरकार को अधिक साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

(ख) कराधान से मुद्रा स्फीति पर स्वतः ही रोक लग जायेगी और इसके परिणामस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो सकेगी।

(ग) युद्धोत्तर काल में सरकार पर ऋणा का बोझ नहीं पड़ेगा और न ही उनके भुगतान के लिए नये कर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी।

(घ) कराधान के कारण युद्ध व्यय में होने वाले अपव्यय की प्रवृत्ति पर भी रोक लग जायेगी।

इस प्रकार इन अधशास्त्रियों का कहना है कि युद्ध व्यय का पर्याप्त धन करा से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।

परन्तु कुछ अधशास्त्रियों ने कराधान के विपक्ष में भी तर्क प्रस्तुत किये हैं

(क) आधुनिक युद्ध इतने गंभीर होते हैं कि उनका समूचा व्यय करा द्वारा पूरा नहीं

किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, देश की करदान क्षमता भी प्रायः सीमित ही होती है। परिणामतः युद्ध व्यय को केवल करों द्वारा ही पूरा कर लेना सम्भव नहीं है।

(ख) युद्धकाल में भारी कर लगने से देश की उत्पादन एवं बचत शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, युद्ध के समय तो उत्पादन को बढ़ाना नितान्त आवश्यक होता है लेकिन यदि ऐसे समय भारी कर लगाये जाते हैं तो उत्पादन शक्ति बढ़ने के बजाय कम हो जायगी।

(ग) अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि युद्धकाल में नये-नये कर लगाकर सरकार की आय को तुरन्त नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि करों को लागू करने तथा वसूल करने में कुछ समय अवश्य ही लगता है। अतः ऐसी परिस्थितियों में सरकार को सार्वजनिक ऋण का आश्रय लेना ही उचित होगा।

(2) सार्वजनिक ऋण—कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि सरकार को युद्ध का व्यय पूरा करने के लिए केवल सार्वजनिक ऋण का ही आश्रय लेना चाहिए। इसके समर्थन में विम्ब-लिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं

(क) साधारण जनता को दृष्टि से करों की तुलना में ऋण श्रेष्ठ रहते हैं। इसका कारण यह है कि करों द्वारा प्राप्त की गयी आय तो सरकार द्वारा नहीं लौटायी जाती किन्तु सरकार द्वारा लिये गये ऋण अवश्य ही व्याज सहित लौटाये जाते हैं। अतएव साधारण जनता करों की अपेक्षा ऋणों को अधिक पसन्द करती है।

(ख) कर चुकाने समय करदाता को प्रायः अपने उपभोग में कमी करनी पड़ती है जिसकी चुभन को वह अवश्य ही अनुभव करता है। इसके विपरीत, ऋण प्रायः बचतों से दिया जाता है। परिणामतः ऋण का ऋणदाता के उपभोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए जनता करों की अपेक्षा ऋणों को अधिक पसन्द करती है।

(ग) करों के लगने से देश के उद्योग-धन्धों, व्यापार तथा बचतों की मात्रा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऋणों का व्यापार, उद्योग-धन्धों एवं बचत की मात्रा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अतः अर्थ-व्यवस्था के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को यथासम्भव युद्ध-व्यय की पूर्ति ऋणों द्वारा ही करनी चाहिए।

(घ) यदि सरकार को ऋणों द्वारा पर्याप्त आय उपलब्ध हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उसे मुद्रा-स्फीति का आश्रय लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

कुछ अर्थशास्त्रियों ने युद्ध-व्यय की पूर्ति ऋणों द्वारा करने का विरोध किया है।

(क) उनका कहना है कि कराधान की भांति ऋणों की भी एक सीमा होती है अर्थात् सरकार लोगों से एक निश्चित मात्रा में ही ऋण ले सकती है। इसका कारण यह है कि लोगों की बचत करने की क्षमता प्रायः सीमित होती है। अतः ऐसी परिस्थिति में युद्ध का समूचा व्यय ऋणों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता।

(ख) यदि सरकार युद्ध का व्यय ऋणों द्वारा पूरा करने का प्रयत्न करती है तो इससे सार्वजनिक ऋण का आकार बहुत बढ़ जायगा तथा लोगों पर इसका अत्यधिक बोझ पड़ेगा।

(ग) यदि युद्ध के व्यय को ऋणों द्वारा पूरा किया जाता है तो इससे युद्ध का भार वर्तमान पीढ़ियों पर न पड़कर भावी पीढ़ियों (Future generations) पर पड़ेगा। वास्तव में, इसे न्याय-संगत नहीं माना जा सकता। इसका कारण यह है कि युद्ध का उत्तरदायित्व वर्तमान पीढ़ियों का है और उन्हें ही इसके भार को वहन करना चाहिए। परन्तु यदि युद्ध के व्यय को ऋण लेकर पूरा किया जाता है तो इससे युद्ध का भार भावी पीढ़ियों पर पड़ेगा।

(3) मुद्रा-स्फीति—कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि युद्ध के व्यय को पूरा करने के लिए मुद्रा-स्फीति का आश्रय लिया जाना चाहिए। अर्थात् युद्ध के व्यय को नये नोट छापकर पूरा किया जाना चाहिए। इसके समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आधुनिक युद्ध अत्यन्त लचीले होते हैं और उनके व्यय को कराधान और ऋणों द्वारा ही पूरा नहीं किया जा सकता। अतः ऐसे समय सरकार को नये नोट छापकर युद्ध का व्यय करना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि मुद्रा-स्फीति आय प्राप्त करने का सरलतम उपाय है, क्योंकि जनता द्वारा हमका कोई भी माल

विरोध नहीं किया जाता है। यदि सरकार कर लगाती है तो जनता द्वारा इसका विरोध किया जाता है। परन्तु यदि सरकार नया नोट छापती है तो इसका कोई सक्रिय विरोध नहीं किया जाता यद्यपि इसका प्रभाव 'योग' के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है।

इसमें सन्देह नहीं कि युद्ध व्यय को पूरा करने में मुद्रा स्फीति बहुमूल्य योग प्रदान कर सकती है किन्तु जैसा संशयित है मुद्रा स्फीति की भी एक सीमा हुआ करती है। जब तक मुद्रा स्फीति उस सीमा व भीतर रहती है तब तक ता देश की अर्थ-व्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु यदि मुद्रा स्फीति उस सीमा का उल्लंघन करती है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में भयंकर परिणाम दृष्टिगोचर होन ह। दश के बीमत् स्तर में तेजी के साथ वृद्धि होती है आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं का मांग में अभाव हा जाता है मृदु की प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन मित्रता है उपभोक्ताओं को हानि होती है आर्थिक असमानताएँ बढ़ जाती हैं और देश की समूची अर्थ व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। इसका अतिरिक्त मुद्रा स्फीति का सबसे बड़ा दाप यह है कि मुद्रा स्फीति और अधिक मुद्रा स्फीति को जन्म देती है और इस प्रकार दश की अर्थ व्यवस्था एक विपन्न चक्र में पँस जाती है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि युद्ध अर्थ प्रवर्धन में उपयुक्त तीन उपायों में से कराधान सर्वोत्तम है और मुद्रा स्फीति सबसे बुरी है। इसलिए प्रत्येक सरकार को युद्ध का व्यय यथासम्भव कराधान से ही पूरा करना चाहिए। यदि युद्ध का समूचा व्यय कर धान से पूरा नही होता तो ऐसी परिस्थिति में ऋणों का आश्रय लेना चाहिए। किन्तु मुद्रा स्फीति का तभी अपनाना चाहिए कि जब कराधान तथा सावजनिक ऋण दोनों से ही पर्याप्त आय उपलब्ध नहीं होती अथवा मुद्रा स्फीति का युद्ध जगप्रवर्धन का अन्तिम अस्तमानना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1 सावजनिक ऋण से क्या अनिर्प्राय है ? सावजनिक ऋण लेने को विभिन्न विधियों को चर्चा कीजिए। सावजनिक ऋण कैसे चुकाया जाता है।

[संकेत— प्रथम भाग में सावजनिक ऋण की परिभाषा दीजिए। दूसरे भाग में यह उताएँ कि सावजनिक ऋण मुख्यतः तीन प्रकार की विधियों से लिया जाता है—(क) आन्तरिक ऋण तथा बाह्य ऋण (ख) एन्डोव्ज ऋण तथा बन्दाव ऋण (ग) सरकारी ऋण तथा वाटरी ऋण। तामरे भाग में यह बनावट कि सावजनिक ऋण के जीवन की विभिन्न विधियाँ क्या क्या होती हैं।]

- 2 युद्ध व्यय का अधिकतम सम्भव भाग अतिरिक्त कर द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और इस कर का भार उन वर्गों पर रखा जाना चाहिए जो वहन करने के सर्वाधिक योग्य हों।

[संकेत— हम उक्त कथन में पणन महत्त्व है। युद्ध-व्यय का अधिकतम सम्भव भाग अतिरिक्त कर (विशेषकर पजीकर) लगाकर पूरा किया जाना चाहिए। प्रथम युद्ध में अधिकतम लाभ पूजीपतियों का हानना है क्योंकि युद्ध के दौरान कीमतें बढ़ती हैं और उनके साथ साथ मुनाफ़ भी बढ़ने हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि पूजीपति युद्ध-व्यय का भार को भी वहन करें। दूसरे, पूजीपति अतिरिक्त कर को वहन करने की स्थिति में भी हानि है उनका कच्चे अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा मत है।]

वित्तीय प्रशासन (Financial Administration)

वित्तीय प्रशासन की परिभाषा

वित्त प्रशासकीय मशीन का ईंधन समझा जाता है। प्रशासन चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय प्रशासन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सरकार की आय को न्यायसंगत रीति में एकत्रित किया जाय और सरकार के व्यय का मितव्ययतापूर्ण ढंग से किया जाय। अतः वित्तीय प्रशासन का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रो० जेज (Geze) के अनुसार

वित्तीय प्रशासन सरकार के संगठन का वह भाग है जिसके द्वारा सार्वजनिक आय का संग्रह, सुरक्षण तथा वितरण होता है। इसके द्वारा सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय का समन्वय होता है, सरकार की राख सम्बन्धी क्रियाओं का प्रबन्ध होना है और सरकार के वित्त सम्बन्धी कार्यों का नियन्त्रण होता है।¹ यदि प्रो० जेज की उक्त परिभाषा का विश्लेषण किया जाय तो इसमें निम्नलिखित चार बातें स्पष्ट दिखायी देंगी—(1) सार्वजनिक आय का संग्रह, सुरक्षण तथा वितरण (2) सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय का समन्वय (3) सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध (4) सरकार की वित्त सम्बन्धी कार्यवाहियों का नियन्त्रण। इस प्रकार वित्तीय प्रशासन में इन चारों बातों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। स्मरण रहे कि आधुनिक सरकारें उपरोक्त चारों कार्यों को बजट के माध्यम द्वारा सम्पन्न करती हैं। अतः वित्तीय प्रशासन में बजट का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है।

वित्तीय प्रशासन के सिद्धान्त

(Principles of Financial Administration)

वित्तीय प्रशासन के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं

(1) **संसद के नियन्त्रण का सिद्धान्त (Principle of Parliamentary Control)**— प्रजातान्त्रिक देशों में राजवित्त पर संसद का पूर्ण नियन्त्रण होता है। संसद की इच्छानुसार ही सरकारी आय का संग्रह किया जाता है और उसके आदेशानुसार ही उसका व्यय किया जाता है। जैसा विदित है सरकार को अपने आय-व्यय सम्बन्धी मामलों में संसद की पूर्ण अनुमति लेनी पड़ती है। बजट प्रणाली द्वारा संसद अपने इस अधिकार का प्रयोग करती है।

(2) **प्रभावपूर्ण सरकारी नियन्त्रण का सिद्धान्त (Principle of Effective Govt Control)**— इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि संसद के अतिरिक्त सरकार के शासन विभाग को भी सार्वजनिक व्यय पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिए। किसी सरकारी विभाग में समुचित

¹ Financial Administration is that part of government organisation which deals with the collection and distribution of public funds with the co-ordination of public revenue and expenditure with the management of credit operations on behalf of the State and with the general control of the financial affairs of the public household

अधिकरण (Proper Authority) की अनुमति के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मद पर विवेक गण व्यय का समुचित अवलोकन (Proper Auditing) किया जाना चाहिए ताकि सरकार का व्यय में गबन आदि की कोई सम्भावना न रहे।

(3) सरलता का सिद्धान्त (Principle of Simplicity)—इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि देश के वित्तीय प्रशासन में सरलता तत्परना एवं नियमितता के गुण होने चाहिए। वित्तीय प्रशासन प्रणाली इतनी सरल होनी चाहिए कि माधारण शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी उसे समझने में समर्थ हो सके। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन में विचित्र एवं डील टाल के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

बजट (Budget)

बजट की परिभाषा (Definition of Budget)—वित्तीय प्रशासन में बजट का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तव में सरकार का बजट वित्तीय प्रशासन की धुरी होती है। सरकार की सभी वित्तीय कार्यवाहियाँ बजट से ही निर्धारित होती हैं। अतः यह जान लेना आवश्यक है कि बजट से अभिप्राय क्या है। प्रा० स्टार्न (Storn) के शब्दों में बजट वह प्रपत्र है जिसमें मावजनिक् आय एवं मावजनिक् व्यय की स्वीकृत व्यवस्था दी जाती है। इस प्रकार के बजट व दो पक्ष होते हैं—एक ओर तो सरकार की प्रत्याशित आय (Expected Income) दी जाती है और दूसरी ओर सरकार के प्रत्याशित व्यय (Expected Expenditure) को व्यक्त किया जाता है। वार्षिक आगामी वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है अर्थात् बजट में आने वाले वर्ष की सरकारी प्रत्याशित आय एवं प्रत्याशित व्यय को व्यक्त किया जाता है। प्रजातन्त्रिक देशों में प्रति वर्ष सरकार के बजट को समद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। समद की स्वीकृति प्राप्त होने पर बजट में सम्मिलित प्रस्तावों के अनुसार ही कार्य किया जाता है।

बजट का महत्त्व (Importance of Budget)—जैसा ऊपर कहा गया है देश की अर्थ-व्यवस्था में बजट का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। वास्तव में, देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत मात्रा में सरकार के बजट से ही प्रभावित होती है। इसलिए प्रति वर्ष बजट की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा की जाती है। सरकार के बजट का महत्त्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जायगा

1. देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति बहुत बड़ी मात्रा में सरकार के बजट पर ही निर्भर करती है। देश के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कई प्रकार के प्रस्ताव सम्मिलित किये जाते हैं।

2. देश का उत्पादन स्तर भी बहुत बड़ी मात्रा में बजट से प्रभावित होता है। बजट में वार सम्बन्धी अनेक प्रकार की गिरावटों एवं प्रोत्साहन देकर सरकार उत्थान की मात्रा को बढ़ा सकती है।

3. बजट की सहायता से सरकार देश में प्रचलित मुद्रा स्फीति का उपचार कर सकती है। जैसा विदित है, साधारणतः सरकार नया वर उगाकर तथा जनता से ऋण लेकर उमकी शक्ति में वमी कर देती है जिससे अर्थ में हा कमन स्तर पर रोक लग जाती है।

4. बजट की सहायता में देश में कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना भी की जा सकती है। उदाहरण के लिये बजट में निम्न वर्गों को इस प्रकार की रियायतें एवं सुविधाएँ देकर सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना में योग दे सकती है। जैसा विदित है आधुनिक सरकारें बजट के माध्यम से देश में मजदूरी एवं कम आय वाले ध्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करती हैं।

5. बजट की सहायता में देश में प्रचलित आर्थिक असमानताओं को दूर धयवा कम किया जा सकता है। सरकार धनिक वर्गों पर भी कर लगाकर प्राप्त की गयी आय का निम्न वर्गों पर व्यय कर सकती है। इस प्रकार आर्थिक विषमताओं में कमी हो जाती है।

बजट के सामान्य नियम (General Principles of Budget Making)—बजट को तैयार करते समय सरकार को कुछ सामान्य नियमों का ध्यान में रखना पडना है। ये नियम निम्नलिखित हैं

(1) सरकार के बजट में आगामी वर्ष की प्रत्याशित आय एवं प्रत्याशित व्यय को ही व्यक्त करना चाहिए।

(2) बजट के अनुमान सम्पूर्ण आधार (gross basis) पर ही बनाये जाने चाहिए, शुद्ध आधार (net basis) पर नहीं। अर्थात् यदि किसी कर में प्राप्ति होने वाली आय को एकत्र करने में कुछ व्यय होता है तो उस व्यय को आय में से घटाकर बजट में नहीं दिखाना चाहिए। इसमें विपरीत, बजट में एक ओर तो उस धर से उपलब्ध होने वाली सम्पूर्ण आय को दिखाना चाहिए और दूसरी ओर उस आय का प्राप्ति करने में किये गये व्यय को व्यक्त करना चाहिए।

(3) जैसा ऊपर बताया गया है, सरकार का बजट वार्षिक आधार पर बनाया जाना है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी वर्ष की 31 मार्च तक चलता है। बजट में स्वीकार की गयी व्यय की मरदों पर व्यय समाप्ति नियम (Doctrine of Lapse) प्रियोग्य होता है। इससे अभिप्राय यह है कि यदि बजट में स्वीकार की गयी किसी मद पर व्यय 31 मार्च तक नहीं किया जाता तो ऐसी परिस्थिति में व्यय समाप्ति नियम लागू हो जायगा और उस मद का शेष व्यय स्वतः ही समाप्त हो जायगा। दूसरे शब्दों में उस मद के शेष व्यय का आगामी वर्ष में नहीं ले जाया जा सकता। वित्तीय नियन्त्रण की दृष्टि से तो यह अच्छा सिद्धान्त है क्योंकि इसके अन्तर्गत प्रत्येक मद के लिए बजट में स्वीकार किया गया व्यय वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही जाना चाहिए परन्तु यह सिद्धान्त व्यय के दीर्घकालीन नियोजन (long-term planning of expenditure) की दृष्टि से अच्छा सिद्धान्त नहीं है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के कारण ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अर्थात् 31 मार्च से पहले सरकारी विभागों में प्रायः अनावधानी से व्यय किया जाता है। कभी-कभी तो इतने अव्यय भी हो जाता है।

(4) देश की वित्तीय स्थिति का वास्तविक विवरण प्रस्तुत करने के लिए बजट में सभी प्रकार की आय और व्यय अर्थात् माधुरण एवं अमाधुरण आय-व्यय का सम्मिलित करना चाहिए।

(5) बजट बनाने के समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि राज्य सरकारों का अपने लेखे (account) ठीक उन्हीं आधारों पर रखना चाहिए जिन पर केन्द्रीय सरकार रखती है, अन्यथा विभिन्न राज्य सरकारों में बजटों की तुलना करते समय कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी। इसीलिए भारत में विभिन्न लेखों के रूप में महाअवेक्षण (Auditor General) द्वारा निश्चित किये जाते हैं ताकि सभी सरकारों के बजटों में एकसूत्रता स्थापित की जा सके।

(6) बजट में प्रस्तुत किये गये आय व्यय सम्बन्धी अनुमान यथामध्य ठीक होने चाहिए, जथान अनुमानित जाय-नाय एवं वास्तविक आय व्यय में कोई अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह नितान्त आवश्यक है कि बजट सम्बन्धी अनुमान लगाते समय सरकारी अधिकारियों का बड़ी सावधानी एवं सतकना से काम लेना चाहिए। दुर्भाग्यवश भारत में बजट के अनुमानित आय व्यय एवं वास्तविक आय व्यय में कभी-कभी भारी अन्तर उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें देशवासियों के लिए अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ यदि सरकार अपने व्यय का आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाती है तो उस व्यय को पूरा करने के लिए उस बजट में नये-नये करों के प्रस्ताव भी सम्मिलित करने पड़ेंगे। इससे देशवासियों पर अनावश्यक ही करों का भार बढ़ जायगा। इसीलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि अनुमान तैयार करते समय सरकार का बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए।

बजट कैसे तैयार किया जाता है ? (How is the Budget Prepared ?)—जैसा विद्वान् है सरकार का शासन विभाग (executive) ही बजट को तैयार करता है। इसका कारण यह है कि शासन विभाग ही करों से होने वाली आय का एकत्रित करता है और इसे व्यय की विभिन्न मदों पर खर्च करता है। भारत में सरकार का बजट इस तरह तैयार किया जाता है—प्रतिवर्ष सितम्बर के महीने में सरकार अपना बजट सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ कर देती है। सभी स्थानीय विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों के आगामी वर्ष में होने वाले आय व्यय के अनुमानों का तैयार करते हैं। ये अनुमान प्रायः दो भागों में विभाजित किये जाते हैं। प्रथम भाग में, ये अनुमान प्रायः वर्तमान साधनों से प्राप्त होने वाली आय तथा वर्तमान मदों पर होने वाले व्यय का दिखाते हैं। दूसरे भाग में, आय के नये साधनों एवं व्यय की नयी मदों को दिखाया जाता है। प्रत्येक सरकारी

सरकार उसका लिए ससद व सम्मुख मापनिक माग (Token Demand) रख सकती है। किन्तु ऐसा करते समय सरकार को उस मद से सम्बन्धित पूरा विवरण ससद के सामने रखना पड़ता है। इसी प्रकार जब किसी मद पर स्वीकृत रकम से अधिक व्यय हो जाता है तब सरकार उसका मुक्तिकरण (Rationalisation) करने के लिए अनुदान प्रणाली का आश्रय लेती है।

जब सरकार के सभी मन्त्रालयों द्वारा प्रस्तुत की गयी माँगों को ससद द्वारा पास कर दिया जाता है तब उन्हें कानूनी रूप देने के लिए सरकार ससद व सम्मुख विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) प्रस्तुत करती है। इस विधेयक का उद्देश्य सरकार का भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में से धन निकालने का अधिकार देना होता है। इसके बाद भारत के विभिन्न मन्त्रालय विनियोग विधेयक में दी गयी मदों व अनुसार ही आगामी व्यय में अपना अपना व्यय करते हैं।

भारत व सविधान के अंतर्गत दश में एक आपातकालीन निधि (Contingency Fund) की भी स्थापना की गयी है। यदि सरकार को किसी समय धन की अचानक आवश्यकता आ पड़ती है और बजट में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होनी तो ऐसा परिस्थिति में सरकार आश्रय के धन आपातकालीन निधि में से निकाल सकती है किन्तु यथाशक्ति सरकार को ससद से इस व्यय की स्वीकृति लेनी पड़ती है। जब ससद इस प्रकार के व्यय का स्वीकृति दे देती है तब उतना ही धन भारत की संचित निधि में से निकालकर आपातकालीन निधि में जमा कर दिया जाता है।

द्रव्य बिल तथा अर्थ-बिल (Money Bill and Finance Bill)—भारत में द्रव्य बिल एक अर्थ बिल में अंतर किया जाता है। द्रव्य बिल में केवल वर जोर व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव ही होते हैं जबकि अर्थ बिलों में इन दोनों व अन्तर्गत कई अन्य बातों भी सम्मिलित होंगी हैं। भारतीय ससद में द्रव्य बिल का पास करना एक अलग प्रक्रिया निर्दिष्ट की गयी है। द्रव्य बिल का पहला लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके द्वारा पास किया जाने के उपरांत इस राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि राज्यसभा द्रव्य बिल को उसी रूप में पास कर देती है तब काइ कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। परंतु यदि राज्यसभा उसमें संशोधन कर देती है तब उस संशोधित द्रव्य बिल का पुनः लोकसभा में पेश किया जाता है। यदि लोकसभा संशोधित बिल को स्वीकार नहीं करती तब राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और बिल अपने पहले रूप में ही पास कर दिया जायगा। इसके विपरीत अर्थ बिल को पास कराने की प्रक्रिया इससे भिन्न होती है। द्रव्य बिल की भांति अर्थ बिल भी पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। उपरांत इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि बिल के सम्बन्ध में दोनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तब दोनों सदस्यों की एक संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत से अर्थ बिल का पास कर दिया जाता है। इस प्रकार अर्थ बिल राज्यसभा का अनुमति के बिना ही पास कराया जा सकता है।

सार्वजनिक व्यय का प्रशासन (Administration of Public Expenditure)—जब बजट पास हो जाता है और विनियोग विधेयक को भी ससद द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तब सरकार का शासन विभाग बजट में स्वीकार की गयी योजना के अनुसार व्यय करना आरम्भ करता है। प्रत्येक मन्त्रालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों का उसके लिए बजट में स्वीकार किये गये अनुदानों की सूचना दे देता है। जैसा विदित है प्रत्येक मन्त्रालय द्वारा की गयी मांग के अंतर्गत कई प्रकार के उपशीर्षक (Sub heads) होते हैं। प्रत्येक विभागध्यक्ष को उसके विभाग के लिए स्वीकृत किये गये धन की सूचना दे दी जाती है और वह आगामी व्यय में उस स्वीकृत राशि के अनुसार ही व्यय करता है। कोई भी विभागध्यक्ष अपने विभाग में स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय नहीं कर सकता तब तक कि वह सरकार से इसकी पूर्व अनुमति प्राप्त न करे। इसी प्रकार कोई भी विभागध्यक्ष किसी निश्चित उद्देश्य के लिए स्वीकार किये गये अनुदान का किसी दूसरे उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि वह इसके लिए सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता।

सार्वजनिक ऋण का प्रशासन (Administration of Public Debt)—सरकार का सार्वजनिक ऋण देने से पूर्व ससद से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। ससद यह तय करती है कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लोगों से कितना और किन किन शर्तों पर ऋण लिया जाय। सार्वजनिक ऋण लोगों से भारत की संचित निधि के आधार पर लिया जाता है। ससद इस बात

का भी ध्यान रखनी है कि सरकार द्वारा लिया गया ऋण उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसके लिए वह ऋण प्राप्त किया जाता है।

भारत में वित्तीय नियंत्रण (Financial Control) in India)

निम्नलिखित सभाया द्वारा भारत में वित्त नियंत्रण का कार्य किया जाता है

(1) अनुमान समिति (Estimates Committee)—इस समिति में सदस्य द्वारा मनायीत सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। यह समिति प्रायः वित्तीय विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। वित्त मंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है। जब वित्त मंत्रालय सरकार का वार्षिक बजट तैयार कर लेता है तब इसे विचाराधीन अनुमान समिति के सम्मुख पेश किया जाता है। यह समिति बजट प्रस्तावों का अध्ययन करती है और सरकार को अपनी राय से जवाबत करती है। स्मरण रहे कि इस समिति का कार्य सरकार को केवल परामर्श देना ही है। जब समिति बजट सम्बन्धी प्रस्तावों का पूरा जांच कर लेती है तब बजट को समद में पेश किया जाता है। इस प्रकार अनुमान समिति के माध्यम से ससद बजट के निर्माण पर अपना नियंत्रण रखती है।

(2) अकेक्षण विभाग (Auditing Department)—अकेक्षण विभाग का उद्देश्य सरकारी लेखों का जांच पड़ताल करना है। यह विभाग महाअकेक्षक (Auditor General) एवं अकेक्षक के निदेशन में कार्य करता है। इस विभाग को भारतीय संविधान के अंतर्गत अकेक्षण की पूरा स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। अकेक्षण कार्य दो भागों में विभाजित किया गया है—(क) आय का अकेक्षण (ख) व्यय का अकेक्षण। अकेक्षण विभाग सरकार के उन विभागों के लेखों की भी जांच-पड़ताल करता है जिनके पास सरकारी भण्डार तथा स्टॉक रहते हैं। आय की जांच करते समय अकेक्षण विभाग यह भी देखता है कि प्रत्येक करदाता से सही मात्रा में कर एकत्रित किया गया है। यह विभाग यह भी देखता है कि जितना धन कसूल किया गया है वह वास्तव में टैजरी तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया में जमा भी कर दिया गया है अथवा नहीं। इसी प्रकार यह विभाग सरकार द्वारा किये गये व्यय की भी जांच पड़ताल करता है और यह देखता है कि बजट में स्वीकृत अनुदान उन्हीं कार्यों पर व्यय किये गये हैं जिनके लिए उनकी व्यवस्था की गयी थी। इसी तरह यह विभाग सरकार लेखों की शुद्धता एवं सच्चाई की भी जांच-पड़ताल करता है। अकेक्षण कार्य के दौरान जो गणुद्धियाँ उस उपबन्ध होती हैं उनका आधार पर एक रिपोर्ट बनायी जाती है और उस रिपोर्ट का प्रकाशित कर दिया जाता है। उसके साथ ही सम्बंधित अधिकारियों से उनके द्वारा का गयी गणुद्धियों एवं नियम विन्वैधी बातों के बारे में स्पष्टीकरण मागे जाते हैं।

(3) सार्वजनिक लेखा समिति (Public Accounts Committee)—यह समिति भी ससद द्वारा नियुक्त की जाती है। इस समिति का मुख्य कार्य महाअकेक्षक द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की विस्तृत जांच करना होता है। इस समिति का यह भी कर्तव्य होता है कि यह देखे कि ससद द्वारा स्वीकृत अनुदानों से अधिक का व्यय नहीं किया गया है। यह समिति अपनी रिपोर्ट ससद के सम्मुख रखती है। इस प्रकार इस समिति के माध्यम से ससद सरकारी व्यय पर भी अपना नियंत्रण रखती है।

(4) सार्वजनिक उपक्रम समिति (Public Undertakings Committee)—विगत कुछ वर्षों में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ है और कई प्रकार के सरकारी व्यवसाय (Govt Enterprises) स्थापित कर दिये गये हैं। इन व्यवसायों पर वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए ससद ने एक विशेष समिति बना दी है जिसे सार्वजनिक उपक्रम समिति कहा जाता है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्यवसायों के लेखों पर उचित नियंत्रण करना है।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त उत्तर

1) भारतीय आय व्ययक का तात्पर्य क्या है? भारतीय आय व्ययक किस प्रकार बनाया तथा कार्यवाहीत किया जाता है?

(आगरा 1964)

[संकेत—प्रथम भाग में आय व्ययक (बजट) की परिभाषा दीजिए और स्पष्ट कीजिए कि भारतीय आय व्ययक में किन किन मदों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे भाग में विस्तारपूर्वक बताइए कि भारतीय बजट कैसे तैयार किया जाता है उसे कैसे ससद द्वारा पास कराया जाता है और अंत में उसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है।]

48

भारतीय राजवित्त (Indian Public Finance)

भारतीय राजवित्त की विशेषताएँ

भारत के राजवित्त की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

1. सघोष स्वरूप (Federal Character)—भारत के सन् 1935 के संविधान के अन्तर्गत केन्द्र एवं प्रान्तों को कर-सम्बन्धी अलग-अलग अधिकार प्रदान किये गये थे अर्थात् केन्द्र एवं प्रान्तों के कराधान सम्बन्धी क्षेत्र स्पष्टतः अलग-अलग कर दिये गये थे। जिन प्रान्तों की वित्तीय दशा दुर्बल होती थी उन्हें केन्द्र की ओर से विशेष अनुदान देने की व्यवस्था की गयी थी। सन् 1950 के स्वतन्त्र भारत के नये संविधान में इसी वित्तीय ढाँचे को स्वीकार कर लिया गया और सघोष एवं राज्य सरकारों के कर लगाने सम्बन्धी अधिकार स्पष्टतः अलग-अलग निश्चित कर दिये गये थे।

2. आय के गैर-कर साधनों का अभाव (Paucity of Non-Tax Sources of Income)—भारत में सरकारी आय में गैर-कर साधन प्रायः अतिकमिता ही है। भारत में सरकारी आय का केवल 10 प्रतिशत भाग ही गैर-कर साधनों (Non-Tax Sources) से उपलब्ध होता है। यह आय रत्नों, डाक, तार, सिंचाई के साधनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का अभी पर्याप्त विकास सम्भव नहीं हो सका है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जैसे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का विकास होता चला जाएगा, वैसे ही वैसे सरकार की गैर-कर सम्बन्धी आय में वृद्धि होती चली जाएगी।

3. भारत में राजवित्त का अविकसित स्वरूप (Undeveloped Character of Indian Public Finance)—भारत में राजवित्त का अभी समुचित विकास सम्भव नहीं हो सका है। इसका मुख्य कारण देश का आर्थिक पिछड़ापन है। जैसा कहा गया है, हमारे देश में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं की कुल आय देश की राष्ट्रीय आय का केवल 13 प्रतिशत ही है, जब कि अन्य देशों में सरकारी आय राष्ट्रीय आय का 25 से लेकर 35 प्रतिशत तक होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में राजवित्त कितना अविकसित है। सरकारी आय की सीमितता के कारण ही विभिन्न सरकारें अपने कार्य को भलीभाँति सम्पन्न नहीं कर पाती।

4. भारतीय वित्त-व्यवस्था में अप्रत्यक्ष करों की प्रधानता—भारत की कर-प्रणाली में प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष कर अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। वास्तव में, यह भारतीय कर-प्रणाली के पिछड़ेपन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसा ज्ञात है, विकसित देशों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली आय लगभग समान होती है किन्तु हमारे देश में अप्रत्यक्ष करों की ही प्रधानता है। प्रत्यक्ष कर तो केवल नाममात्र को ही है। यह सत्य है कि विगत कुछ वर्षों से सम्पत्ति कर, उपहार-कर एवं मृत्यु-कर जैसे प्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं। लेकिन इनके बावजूद हमारी कर प्रणाली में अप्रत्यक्ष करों की ही प्रधानता है।

5 भारतीय राजवित्त में अनिश्चितता—भारतीय राजवित्त में अनिश्चितता का अर्थ पाया जाता है। जैसा कि प्रायः कहा जाता है, भारतीय बजट वास्तव में मानसून में जुड़ा है (Indian Budget is a Gamble in the Monsoons)। इसका कारण यह है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय अर्थ व्यवस्था बहुत बड़ी मात्रा में कृषि पर ही निर्भर करती है। किन्तु श्रमान्यवश भारतीय कृषि मानसून हवाओं पर ही लगभग पूर्णतः निर्भर रहती है। मानसून हवाओं का फेल हो जाना पर कृषि फसलें भी फेल हो जाती हैं और देश की पूण अर्थ व्यवस्था चापट हो जाती है। परिणामतः सरकार का बजट भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत सघीय वित्त व्यवस्था

जैसा कि विदित है भारत एक सघात्मक राज्य है। भारत के नवीन संविधान के अन्तर्गत सघाय एवं राज्य सरकारों के बीच कर्षों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन ठीक वैसा ही है जैसा सन 1935 के संविधान के अन्तर्गत हुआ करता था। किन्तु नवीन संविधान के अन्तर्गत शेष अधिकार (residuary powers) सघीय सरकार को ही सौंपे गये हैं। इस संविधान के अधिन आय के साधनों के वितरण की व्यवस्था इस प्रकार की गयी है—(क) आय के सघीय साधन (Union Sources of Income)—रेडिओ, टेलीफोन प्रसारण (Broadcasting) सीमा कर, निगम कर आदि सघीय सरकार के पास रहते हैं। (ख) आय के राज्यीय साधन (State Sources of Income)—भूमि कर, कृषि आय कर, नशीली वस्तुओं पर उत्पादन कर, विद्युत कर, माटर गाडों के मनारजन कर आदि साधना से प्राप्त हान वाली आय राज्य सरकारों के पास रहती है। इन करों की लगान का पूण अधिकार राज्य सरकारों को है। (ग) वे कर जो सघीय सरकार द्वारा लगाये एवं एकत्रित किये जाते हैं परन्तु जिनसे प्राप्त की गयी आय सघीय एवं राज्य सरकारों के बीच बांटी जाती है वे कर इस प्रकार हैं—आय कर, उत्पादन कर। (घ) वे कर जो सघीय सरकार द्वारा लगाये एवं एकत्रित किये जाते हैं परन्तु जिनकी सम्पूर्ण आय राज्य सरकारों को सौंप दी जाती है वे कर इस प्रकार हैं—मृत्यु कर, रेलमार्ग, समुद्री मार्ग एवं वायुमार्ग द्वारा आन वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर सीमान्त कर। (ङ) वे कर जो सघीय सरकार द्वारा लगाये जाते हैं किन्तु उन्हें राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है और उनकी आय भी राज्य सरकारों को ही उपलब्ध होती है। उदाहरणार्थ स्टाम्प शुल्क तथा औपधिया पर लगाये गये उत्पदन कर।

नये संविधान के अन्तर्गत इन बातों की भी व्यवस्था का गयी है—(क) आय कर तथा उत्पादन कर से प्राप्त हान वाली आय को सघाय एवं राज्य सरकारों में बांटने की व्यवस्था की गयी है। (ख) सघीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को सहायक अनुदान (Grants in aid) देने की व्यवस्था की गयी है। ये अनुदान भारत को सघीय निधि (Consolidated Fund of India) में से दिये जाते हैं और इनकी मात्राएँ विभिन्न राज्यों की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित की जाती हैं। सघीय सरकार अतिभार (Surcharge) लगाकर किसी भी कर में वृद्धि कर सकता है जो राज्य सरकारों में विभाजित किया जाना चाहिए। इन अतिभारों में उपलब्ध होने वाली आय पूर्णतः सघीय सरकार के पास रहती है।

देशमुख नियम (Deshmukh Award)—सन 1948 में भारत सरकार द्वारा किये गये वित्तीय पुनर्वितरण की राज्य सरकारों द्वारा बड़ी आलोचना की गयी थी यद्यपि यह पुनर्वितरण कानून दो वर्षों के लिए ही था। इसलिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों का समुचित करों के लिए आदेशमुख का सम्बन्ध के रूप में नियुक्त किया और उनमें कहा गया कि वह वित्तीय पुनर्वितरण के सम्बन्ध में अपने सुझाव सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करे। श्री देशमुख द्वारा दिये गये सुझाव का देशमुख नियम के नाम से सम्बोधित किया जाता है। देशमुख नियम के अन्तर्गत तमिळुनाडु (अब महाराष्ट्र) मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा राज्यों के भागों का यथारिधर हो रखा गया। किन्तु पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के भाग क्रमशः 15 तथा 50 प्रतिशत घटा दिये गये। तमिळुनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रमशः 0.5 व 10 और 0.5 प्रतिशत घटा दिये गये। जूट उत्पन्न करने वाले राज्यों के सम्बन्ध में श्री देशमुख ने उन्हें विशेष अनुदान देने का

गुवाब दिया। इन राज्यों के अनुदान इस प्रकार थे—पश्चिमी बंगाल 105 लाख, असम 40 लाख बिहार 35 लाख, उड़ीसा 6 लाख रुपये।

प्रथम वित्त आयोग (First Finance Commission)—सविधान की धारा 280 के अन्तगत राष्ट्रपति का प्रति 5व वर्ष एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 21 नवम्बर 1951 को श्री के.सी. नियोगी (K. C. Neogy) की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति की थी। सविधान के अन्तगत प्रस्तावित इस प्रकार के वित्तीय आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं—(क) मधीय एवं राज्य सरकारों के बीच उन करा की शुद्ध प्राप्ति का वितरण जिन्हे उनका बीच विभाजित किया जाता है। (ख) इन करा में प्रत्येक राज्य सरकार के हिस्से का निर्धारण करना। (ग) उन सिद्धान्तों का निर्धारण करना जिनके आधार पर राज्य सरकारों का सहायक अनुदान (grants in aid) दिये जाने चाहिए। इस प्रकार प्रति पांच वर्ष उपरोक्त विषयों पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है प्रथम वित्त आयोग 21 नवम्बर 1951 को नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 31 दिसम्बर 1952 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की थी। प्रथम वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं।

1 **आय-कर की प्राप्ति का वितरण**—उस समय तक (अर्थात् 1952 तक) आय-कर से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का 50 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों में बांट दिया जाता था परन्तु अब वित्त आयोग ने यह सिफारिश की कि भविष्य में आय कर की शुद्ध आय का 55 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों में बांटा जाय। इसके साथ ही वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की कि आय-कर की विभाज्य धनराशि का 80 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों के जनसंख्या के आधार पर और शेष 20 प्रतिशत भाग आय कर के सापेक्षिक सभ्यता (relative collections) के आधार पर राज्य सरकारों में वितरित किया जाय। इसी मूल के अन्तगत विभिन्न राज्य सरकारों के हिस्से वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किये गये थे। बम्बई (अब महाराष्ट्र) राज्य का सबसे अधिक अर्थात् 17.5 प्रतिशत और पम्पू राज्य (अब यह पंजाब राज्य में मिला दिया गया है) का सबसे कम अर्थात् 0.75 प्रतिशत हिस्सा दिया गया था।

2 **सधीय उत्पादन करों का वितरण**—इस सम्बन्ध में वित्त आयोग ने दियासलाई वनस्पति तेल तथा तम्बाकू पर लगान वाले सधीय उत्पादन करों का राज्य सरकारों में वितरित करने की सिफारिश की थी। आयोग ने यह सुझाव दिया था कि इन तीनों सधीय उत्पादन करों की विशुद्ध आय का 40 प्रतिशत भाग को राज्य सरकारों में उनकी सापेक्षिक जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाय। इस मूल के अन्तगत उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अर्थात् 18.23 प्रतिशत और पम्पू (अब इस पंजाब राज्य में मिला दिया गया है) को सबसे कम अर्थात् 1.0 प्रतिशत भाग हिस्से के रूप में मिला था।

3 **जूट निर्यात कर के बदले में सहायक अनुदान**—वित्त आयोग ने जूट निर्यात कर के बढ़ाने में पश्चिमी बंगाल असम बिहार तथा उड़ीसा राज्यों का क्रमशः 150 लाख 65 लाख 75 लाख 15 लाख रुपये की वार्षिक सहायता अनुदान के रूप में देने की सिफारिश की थी।

4 **राज्यों को सहायक अनुदान**—वित्त आयोग ने केन्द्रीय बजट से राज्य सरकारों को सहायक अनुदान देने की सिफारिश की थी। असम को सबसे अधिक अर्थात् 100 लाख तथा पंजाब को सबसे कम अर्थात् 25 लाख रुपये देने की सिफारिश की गयी थी।

5 **प्रारम्भिक शिक्षा अनुदान** शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए कुछ राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार के लिए आयोग ने विशेष अनुदान देने की सिफारिश की थी। इस सम्बन्ध में बिहार को सबसे अधिक और पम्पू (पंजाब) को सबसे कम अनुदान दिया गया था।

भारत सरकार ने प्रथम वित्त आयोग की सभी सिफारिशों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया था।

कर जांच आयोग (Taxation Enquiry Commission 1953-1954)—अप्रैल 1953 में भारत सरकार ने उत्कलसीन कर प्रणाली को जांच करने के लिए जांच आयोग की

नियुक्ति की थी। इस आयोग को कर-प्रणाली से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए कहा गया था। उदाहरणार्थ, इस आयोग को केन्द्रीय, राज्तीय एवं स्थानीय करों के भार का अध्ययन करने तथा देश की पञ्चवर्षीय योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने एवं देश में धन के वितरण की असमानताओं को कम करने और तत्कालीन कर-प्रणाली में सुधार करने आदि विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। डा० जॉनमथाई (Dr John Mathai) इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग ने दिसम्बर 1954 में सरकार के सम्मुख अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं

(क) कराधान से सरकारी आय बढ़ाने के लिए परोक्ष करों की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों को अधिक महत्व दिया जाय।

(ख) वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक वस्तुओं पर कर समाप्त नहीं किये जा सकते।

(ग) जनता की करदान क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि अतिरिक्त कराधान द्वारा प्राप्त की गयी आय किन प्रकार व्यय की जाती है।

(घ) विकास योजनाओं के लिए वित्त प्राप्त करने हेतु कराधान एवं सार्वजनिक ऋण में वृद्धि की जाय।

(ङ) जब तक सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय राष्ट्रीय आय के अनुपात में कम है तब तक कर-प्रणाली का आय तथा धन सम्बन्धी विषयमात्रों को कम करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता।

सन् 1955-56 के बजट में भारत सरकार ने कर जाँच आयोग के कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया था। तदुपरान्त सरकार ने अन्य सुझावों का धीरे-धीरे क्रियान्वित करने का, निर्णय किया था।

प्रो० काल्डर की रिपोर्ट (Professor Kaldor's Report)—दूसरी पञ्चवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार ने देश की कर-प्रणाली का पुनः निरीक्षण एवं सुधार करना आवश्यक समझा था। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो० निकोलस काल्डर (Nicholas Kaldor) को देश की कर-प्रणाली का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। प्रो० काल्डर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत की तत्कालीन कर-प्रणाली अत्यन्त अनुशूल एवं अन्यायपूर्ण थी। प्रो० काल्डर के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 200 से 300 करोड़ रुपये का कर-अपवचन (tax evasion) हो रहा था। इसके ही साथ प्रो० काल्डर ने यह भी बताया कि भारतीय कर-प्रणाली में आवश्यक गति का अभाव था। यही कारण था कि राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ करों से उपलब्ध होने वाली आय में वृद्धि नहीं हो रही थी। अतः इस दाप का दूर करने के लिए और कर-प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रो० काल्डर ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि भारत की कर-प्रणाली के आधार को अधिक विस्तृत किया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने व्यक्तिगत व्यय कर, वार्षिक पूंजी कर, पूंजी लाभ कर तथा उपहार कर लगाने की सिफारिश की थी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आय-कर की दर 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। अपनी रिपोर्ट में प्रो० काल्डर ने देश में बड़े पैमाने पर होने वाले कर-अपवचन को रोकने के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किये थे। प्रो० काल्डर के उक्त सुझाव भारत सरकार द्वारा सन् 1957-58 तथा सन् 1958-59 के बजटों में सशोधित रूप में स्वीकार कर लिए गए थे।

द्वितीय वित्त आयोग (Second Finance Commission)—भारतीय संविधान की धारा 270 के अन्तर्गत मई 1956 को राष्ट्रपति ने श्री के० सन्थानम (K. Santhanam) की अध्यक्षता में दूसरे वित्त आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग को भी लगभग वही कार्य सौंपा गया था जो कि प्रथम वित्त आयोग को दिया गया था, अर्थात् आयोग को विभाज्य करों में सघीय एवं राज्य सरकारों के बीच वितरण, प्रत्येक राज्य सरकार के हिस्से का निर्धारण तथा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले केन्द्रीय सहायक अनुदानों के वितरण के सम्बन्ध में सिद्धान्तों का निर्धारण करने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही जूट तथा जूट के पदार्थों पर लगने वाले निर्यात-कर भी आय में से असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल को दिये जाने वाले सहायक

अनुदानों का निर्धारण करने के लिए भी आयोग को कहा गया था। इसके अलावा, आयोग को आस्ति कर (Estate Duty) से उपलब्ध आय को राज्य सरकारों के बीच वितरित करने के सिद्धान्तों का निर्धारण करने के लिए भी कहा गया था। वित्त आयोग को सौंपे गये अन्य विषय इस प्रकार थे (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों को दिये जाने वाले सहायक अनुदानों की मात्रा का निर्णय करना। (ख) रेलगाड़ी के यात्रियों पर लगाये जाने वाले करों की शुद्ध आय के वितरण के सिद्धान्तों का निर्धारण करना। (ग) सन् 1947 से सन् 1956 के बीच भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों की वापसी की शर्तों एवं ब्याज की दरों के सम्बन्ध में आवश्यक सशोधन करने के बारे में सुझाव देना। दूसरे वित्त आयोग ने अन्तिम रिपोर्ट सितम्बर 1957 में भारत सरकार ने सम्मुख प्रस्तुत की थी। वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय राज्य सरकारों की आधारभूत एवं विकसनीय दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा था। आयोग की मूल्य सिफारिशें इस प्रकार थीं

(1) आय-कर का वितरण—आयोग ने यह सिफारिश की थी कि आय-कर से उपलब्ध होने वाली आय का राज्य सरकारों का हिस्सा 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया जाय। स्मरण रहे कि प्रथम वित्त आयोग ने आय-कर से प्राप्त होने वाली आय का केवल 55 प्रतिशत भाग ही राज्य सरकारों में बाँटने की सिफारिश की थी परन्तु दूसरे वित्त आयोग ने इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर देने की सिफारिश की थी। आय-कर के विभाज्य हिस्से को राज्य सरकारों में वितरित करने के सम्बन्ध में वित्त आयोग ने राज्यों की जनसंख्या को ही मुख्य आधार स्वीकार किया था। आयोग ने राज्यों के हिस्सों का 90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर तथा 10 प्रतिशत सापेक्ष सङ्ग्रह (Relative Collections) के आधार पर निश्चित करने का सुझाव दिया था। आयोग के इस सूत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अर्थात् 16.36 प्रतिशत तथा जम्मू और कश्मीर को सबसे कम अर्थात् 1.13 प्रतिशत हिस्सा मिला था।

(2) सघीय उत्पादन करों का वितरण—दूसरे वित्त आयोग ने दियासलाई, तम्बाक तथा धनस्पति तेल के अतिरिक्त चीनी काँफ़ी कायज तथा अनावश्यक तेलों (non-essential oils) से सघीय उत्पादन करों की आय को भी राज्य सरकारों में वितरित करने का सुझाव दिया था। परन्तु उसके साथ ही वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि इन करों से राज्य सरकारों को दिया जाने वाला हिस्सा कुल आय के 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत कर दिया जाय। जहाँ तक इन करों से होने वाली आय का राज्य सरकारों के बीच वितरण का सम्बन्ध था वित्त आयोग ने जनसंख्या के आकार को ही इसका मुख्य आधार माना। वित्त आयोग के इस सूत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अर्थात् 15.94 प्रतिशत और जम्मू तथा कश्मीर को सबसे कम अर्थात् 1.75 प्रतिशत हिस्सा दिया गया था।

(3) निर्यात-कर के स्थान पर सहायक अनुदान—द्वितीय वित्त आयोग ने सन् 1959-60 तक जूट उत्पादक राज्यों अर्थात् असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को जूट निर्यात कर के स्थान पर सहायक अनुदान देने की सिफारिश की थी। ये अनुदान क्रमशः इस प्रकार थे 75 लाख 152.69 लाख 72.3 लाख 15 लाख रुपये।

(4) राज्य सरकारों को सहायक अनुदान—दूसरे वित्त आयोग ने राज्य सरकारों की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनमें लिए पहले से अधिक सहायक अनुदानों की सिफारिश की थी।

(5) आस्ति कर का वितरण—आस्ति कर भारत सरकार द्वारा चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियाँ पर लगाया जाता था। इसका सङ्ग्रह भी भारत सरकार द्वारा किया जाता था किन्तु इस कर से उपलब्ध होने वाली समूची आय राज्य सरकारों में वितरित कर दी जाती थी। द्वितीय वित्त आयोग ने इस प्रकार की आय को राज्य सरकारों में वितरित करने के लिए दो मुख्य आधारों का सुझाव दिया था। प्रथम अचल सम्पत्ति से होने वाली आय के कुछ भाग को राज्य सरकारों में सम्पत्ति की स्थिति (Location) के आधार पर बाँटने का सुझाव दिया अर्थात् प्रत्येक राज्य सरकार को उसके क्षेत्र में स्थित अचल सम्पत्ति का मूल्य के अनुपात में हिस्सा

दने की सिफारिश की गयी थी। अचन सम्पत्ति से उपलब्ध आय के शेष भाग को राज्य सरकारों में उनके क्षेत्र में जनसंख्या के आकार के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया गया। इस प्रकार आयोग के सूत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अर्थात् 17.71 प्रतिशत तथा जम्मू और कश्मीर को सबसे कम अर्थात् 1.24 प्रतिशत हिस्सा दिये जाने की सिफारिश की गयी थी।

(6) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये ऋण—जैसा कि पूर्व कहा गया है मई 1947 एव 1956 के बीच भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ऋण के बड़े पैमाने पर कई प्रकार के ऋण दिये थे किन्तु इन ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज एव उनकी बढ़ावों की शर्तों में भारी अंतर था। परिणामतः भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों में कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयी थी। इनको दूर करने के लिए हमारे वित्त आयोग ने सभी ऋणों के एकीकरण तथा ब्याज एव उनके भगतान की शर्तों के समानिकरण की एक योजना सरकार के सम्मुख रखी थी।

(7) अतिरिक्त उत्पादन करों का विकास—भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से यह निर्णय किया था कि भिलाई में दाने मूली कपड़े चीनी तथा नमूनाकू पर राज्य सरकार वित्तों को समाप्त कर दें। उनके स्थान पर भारत सरकार उक्त वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पादन कर लगाये और इन करों से उत्पन्न होने वाली समूची आय का राज्य सरकारों में वितरित कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में वित्त आयोग ने इन करों से प्राप्त होने वाली आय का राज्य सरकारों में वितरित करने सम्बन्धी सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था।

(8) रेल भाडों पर लगाये जाने वाले कर की आय का वितरण—मई 1957 में भारत सरकार ने रेलवाग्री भाड़ा पर कर लगा दिया था। इस प्रकार का सग्रह भारत सरकार द्वारा किया जाता था परन्तु उससे उपलब्ध होने वाली समूची आय का राज्य सरकारों में बाँट दिया जाता था। इस सम्बन्ध में वित्त आयोग ने यह सिफारिश की कि इस कर से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का $\frac{1}{3}$ प्रतिशत भाग केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रख दिया जाय और शेष धनराशि को राज्य सरकारों में उनकी सीमा के भीतर की गयी रेलवाग्री के आधार पर वितरित कर दिया जाय।

दूसरे वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को 140 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की गयी जबकि प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत भारत सरकार केवल 93 करोड़ रुपये ही प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को दिया करती थी। भारत सरकार ने ऋण सम्बन्धी सिफारिशों का छोड़कर आयोग की शेष सभी सिफारिशों स्वीकार कर ली।

तीसरा वित्त आयोग (Third Finance Commission)—तृतीय वित्त आयोग की नियुक्ति संविधान की धारा 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 2 दिसम्बर 1960 को की गयी थी। भारत के भूतपूर्व महाअध्याक्ष श्री अण्णोऊ कुमार चांग इस समिति के अध्यक्ष थे इस समिति को इन विषयों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों देने के लिए कहा गया (क) आय कर का वितरण (ख) मूल सहाय उत्पादन करों का वितरण (ग) अतिरिक्त उत्पादन करों का वितरण (घ) सहाय धान का धारा 275 की धारा के अंतर्गत राज्य सरकारों को दिये जाने वाले सहाय अनुदानों का निर्धारण (ङ) आरिज कर से उपलब्ध होने वाली आय का राज्य सरकारों में वितरण (च) 12.5 करोड़ रुपये की राशि का राज्य सरकारों में वितरण—यह वह राशि थी जो रेलवाग्री भाड़ा पर के हटाय जाने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा देय थी तृतीय वित्त आयोग ने 14 दिसम्बर 1961 को अपनी जर्नल रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की थी। आयोग की सभी सिफारिशों सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी थी। आयोग ने राज्य सरकारों का सड़क परिवहन के विकास के लिए सहायता देने की सिफारिश की थी उसी में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। रेलवाग्री भाड़ा पर के सम्बन्धित हानिपूर्ति के रूप में देने जाने वाली राज्य सरकारों की सहायता का छोड़कर भारत सरकार ने वित्त आयोग की सभी सिफारिशों का केवल 4 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 1 अप्रैल 1962 से 31 मार्च 1966 तक के लिए स्वीकार किया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नौवाँ पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय वित्त आयोग के सुझावों का क्रियान्वित किया जा सके।

तीसरे वित्त आयोग की मुख्य मुख्य सिफारिशों इस प्रकार थी

(1) आय-कर का वितरण—आयोग ने निगम कर (Corporation Tax) का छोड़कर आय कर को आय में स राज्य सरकारों का हिस्सा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 66 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत कर दिया। था आयोग ने आय कर की विभाज्य आय में प्रत्येक राज्य के हिस्से के निर्धारण में राज्यों में कर के संग्रह को पहले की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान किया। इस प्रकार आयोग ने आय-कर की विभाज्य आय में से राज्यों को 80 प्रतिशत भाग को उनकी सापेक्षिक जनसंख्या के आधार पर तथा शेष 20 प्रतिशत भाग को उनके द्वारा विये गए आय कर के सापेक्षिक महत्त्व के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की। स्मरण रहे कि अब तक आय कर की विभाज्य आय में से 90 प्रतिशत भाग का वितरण राज्यों की सापेक्षिक जनसंख्या के आधार पर तथा शेष 10 प्रतिशत भाग का वितरण राज्यों में विये गये सापेक्षिक संग्रह के आधार पर किया जाता था। आयोग के इस सूत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अर्थात् 14.42 प्रतिशत और जम्मू व कश्मीर को सबसे कम अर्थात् 0.7 प्रतिशत भाग दिया गया था।

(2) मूल सघीय उत्पादन करों का वितरण—आयोग ने मूल सघीय उत्पादन करों की आय में राज्यों का हिस्सा 25 प्रतिशत में घटाकर 20 प्रतिशत कर देने की सिफारिश का लेकिन आयोग ने दियासलाई तम्बाकू वनस्पति काफ़ी चीनी आदि वस्तुओं के अतिरिक्त 27 अन्य वस्तुओं के सघीय उत्पादन करों की आय का भी राज्य सरकारों में वितरण करने की सिफारिश की। इनमें से मुख्य मुख्य उत्पादन कर इस प्रकार हैं मिट्टी या तेल डीजन आयल सूती रेशमी तथा ऊनी वस्त्र सीमण्ट मोटर गाड़िया जूते आदि वस्तुओं पर उत्पादन कर। इन उत्पादन करों की आय में विभिन्न राज्यों के हिस्सों के निर्धारण के सम्बन्ध में वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों की सापेक्षिक जनसंख्या वित्तीय क्षमता तथा पिछड़ी एवं अछूत जातियों की विकास आवश्यकताओं आदि को विशेष महत्त्व देने का सिफारिश की थी। इन करों की विभाज्य आय में सबसे अधिक हिस्सा अर्थात् 11.5 प्रतिशत बिहार को और सबसे कम हिस्सा अर्थात् 2.20 प्रतिशत जम्मू व कश्मीर को दिया गया था।

(3) अतिरिक्त उत्पादन करों का वितरण—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं सन 1957 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से मिनी के को नूती वस्त्र चीनी तथा तम्बाकू पर राज्यों की विक्री कर (State Sales Tax) के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन कर (Additional Excise Duty) लगा दिया था। दूसरे वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इन अतिरिक्त उत्पादन करों का 1 प्रतिशत भाग कन्द्र शासित क्षेत्रों को तथा 1 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत भाग जम्मू व कश्मीर राज्य को दिया जाय और शेष आय अन्य राज्यों के बीच वितरित कर दी जाय। प्रथम राज्य सरकारों का इन वस्तुओं के विक्री कर से जितनी आम हुजा करती थी उतनी ही उन्हें दी जाय और शेष राशि का वितरण राज्यों में सापेक्षिक उपभोग तथा जनसंख्या के आधार पर किया जाय। तीसरे वित्त आयोग ने इस व्यवस्था में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की। चूकि 1 अप्रैल 1961 को रेशमी वस्त्रों पर भी विक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त कर लगा दिया गया था इसलिए राज्य सरकारों का विक्री कर के स्थान पर भारत सरकार द्वारा गारण्टी की गयी आय 32.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 32.54 करोड़ रुपये कर दी गयी थी। तीसरे वित्त आयोग ने अतिरिक्त उत्पादन करों से प्राप्त होने वाली आय में से 1 प्रतिशत भाग केंद्र शासित क्षेत्रों तथा 1 $\frac{2}{3}$ प्रतिशत भाग जम्मू व कश्मीर को देने की सिफारिश की थी। राज्यों को गारण्टी की गयी राशि देने के उपरांत शेष रकम को राज्यों में अर्थात् उनकी सापेक्षिक जनसंख्या तथा अर्थात् सन 1957-58 में उनकी विक्री कर से होने वाली आय के आधार पर वितरित करने का सुझाव दिया गया था। आयोग द्वारा इस सूत्र के अन्तर्गत अतिरिक्त उत्पादन करों से महाराष्ट्र का सबसे अधिक हिस्सा अर्थात् 63 करोड़ अंशम की सबसे अर्थात् 85 लाख रुपये विये गये थे।

(4) आस्तिक कर की आय का वितरण—तीसरे आयोग ने आस्तिक कर की आय के वितरण के सम्बन्ध में किसी विशेष परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया गया था। आयोग ने सन 1961 की जनगणना के आकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य के हिस्से को निर्धारित किया था। तीसरे आयोग

न राज्या म आस्ति कर क वितरण स सम्बन्धित दूमरे वित्त आयाग वा मुनाब भी मान लिया था कि अचन सम्पत्ति स हान वात्री आय क कुछ भाग का राज्या म स्थिति (Location) के आधार पर वितरित किया जाय जार अचन सम्पत्ति म उपलब्ध जय आय तथा चन सम्पत्ति म हान वाला समुदाय आय का राज्या म नका मापक्षिक जनसंख्या क आज़ा पर वितरित किया जाय । आयाग क नम मूत्र के अतगत आस्ति कर की आय म न उत्तर प्रश्न को नवम अधिक हिस्सा जयान । 10 प्रतिशत और जन्म व कश्मार का नवम कम हिस्सा जयान 0.83 प्रतिशत दिया गया ।

(5) रेलगाडी माडा-कर के हटाये जाने के परिणामस्वरूप राज्यों को सहायता— असा कि पूव कहा गया है सन 1957 म भारत सरकार न रनयात्री भाग कर लगाया था और इस कर स प्राप्त हान वाला आय को राज्य सरकारा म वाट दिया जाता था । किन्तु अप्रैल 1961 म भारत सरकार न रण कर का हटा दिया था जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारा को हानि उठाना पदा थी । अतः तामरे वित्त आयाग न दम हानि पूर्ति हेतु प्रतिवष राज्य सरकारो का 125 करोड़ रुपय का सहायता न की सिफारिश की । दम राशि म मभा राज्य सरकारा के हिस्से निर्धारित कर लिये गए । उत्तर प्रश्न को सबसे अधिक हिस्सा जयान 234 करोड़ रुपय आर उनीमा का नवम कम हिस्सा जयान 22 लाख रुपय लिखे गए थे ।

(6) राज्य सरकारो को सहायक अनुदान— तामरे वित्त आयाग न भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारा का विस्तृत सहायक अनुदान लिये जान की सिफारिश भी की थी । अब तक राज्य सरकारा का 390 करोड़ रुपय क वार्षिक सहायक अनुदान दिये जाते थे । तामरे आयाग म यह सिफारिश की कि महाराष्ट्र का छात्र कर अय 10 राज्या को 110.25 करोड़ रुपय के वार्षिक अनुदान लिये जाय । ये अनुदान राज्य सरकारा को दो उद्देश्या क लिए लिये जान चाहिए । प्रथम राज्य सरकारो की वित्तीय कसा का पूरा करन क लिए । दूसरे राज्य सरकारा की विकासमक योजनाओ की पूर्ति क लिए । भारत सरकार न वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रथम आज़ा को ता स्वीकार कर लिया किन्तु दमरे प्रस्तावित आधार क वाग म भागन सरकार न अपनी अममवना प्रकट की ।

(7) राज्य सरकारो को सड़क परिवहन के विकास के लिए सहायक— तीसरे वित्त आयोग न राज्य सरकारा का सड़क परिवहन क विकासार्थ विशेष अनुदान देन का सिफारिश की थी । भारत सरकार न वित्त आयाग का नम सिफारिश का स्वीकार कर लिया था क्योंकि उपका यह विचार था कि विशेष अनुदान क बिना तीसरा योजना का अवधि म सड़क परिवहन के क्षेत्र म पर्याप्त प्रगति नह न सकेगा । वित्त आयाग का सिफारिश क स्वीकार किये जान क परिणाम स्वरूप आंध्र जमम त्रिपुर गुजरात जम्मू व कश्मीर केरल मध्य प्रश्न उनीमा तथा राजस्थान का लगभग 9 करोड़ रुपय प्रतिवष अनुदान के रूप म लिखे गए थे ।

उपरोक्त जययन म यह स्पष्ट है कि तामरे वित्त आयाग ने राज्य सरकारो की वन्ती हुई वित्तीय आवश्यकताओ का जयान म रखत हुए —ह अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया था किन्तु नमक साथ हा साथ वित्त आयोग न यह भी ध्यान रखा था कि भारत सरकार को नाय ग अधिक कमा न हाने पाये । आयाग न आय-कर स उपलब्ध हान वाला आय का 66.2 प्रतिशत भाग राज्य सरकारा म वितरित करन का सिफारिश की थी । जय तक वितरण क आधार का सम्बन्ध था आयाग न मापक्षिक मूल्या को पहन का जपेक्षा जित्त महत्व दिया था । परिणामन महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल जय औद्योगिक राज्या का आय-कर म स पहन का जय ता अधिक हिस्सा उपलब्ध हाने लगा । दम मय है कि आयाग न मधाय उत्पादन करा की आय का अचन 20 प्रतिशत भाग हा राज्या म वितरित करन का सिफारिश की थी जबकि पहन यह हिस्सा अचन आय का 25 प्रतिशत जया करला था । किन्तु नमक साथ हा वित्त आयोग न 8 वस्तुओ क स्थान पर 35 वस्तुओ क मधीय उत्पादन करा की आय का राज्या म वाटन का सिफारिश की था अतः तामरे वित्त आयाग की सिफारिश क परिणामस्वरूप राज्य सरकारा क वित्तीय माधना म पर्याप्त वृद्धि नह था ।

चौथा वित्त आयोग (Fourth Finance Commission) चौथा वित्त आयाग मई 1964 म नियुक्त किया गया था जय जगन्ने 1965 म अपने रिपोर्ट सरकार का प्रस्तुत की थी ।

इस आयोग के अध्यक्ष डा० पी० वी० राजामनार (Dr P V Rajamannar) थे। आयोग की मुख्य मुख्य सिफारिश इस प्रकार था

(1) आय-कर का वितरण—आयोग ने आय कर की आय में से राज्य सरकारों का हिस्सा 66% प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रत्येक राज्य का आय कर में से हिस्सा 80 प्रतिशत जनसंख्या और 20 प्रतिशत कर संग्रह (Tax Collection) के आधार पर निर्धारित किया जाय जैसा कि पूर्व किया जाता रहा है। आयोग के इस सूत्र के अन्तगत उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अर्थात् 14.60 प्रतिशत और नागा लैण्ड को सबसे कम अर्थात् 0.07 प्रतिशत भाग दिया गया था। आयोग की इस सिफारिश के परिणामस्वरूप राज्या का चापी पचवर्षीय योजना की अवधि में लगभग 800 करोड़ रुपये मिले थे।

(2) सघीय उत्पादन करों का वितरण—दस सम्बन्ध में आयोग ने सिफारिश की थी कि 35 वस्तुओं के स्थान पर 68 वस्तुओं का उत्पादन करों का 20 प्रतिशत भाग राज्यों में वितरित किया जाय (स्मरण रह तीसरे वित्त आयोग ने केवल 35 वस्तुओं पर लगे उत्पादन-करों में से राज्य सरकारों को हिस्सा देने की सिफारिश की थी।) आयोग की इस सिफारिश के अन्तगत मधीय उत्पादन करों की विभाज्य आय में से उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अर्थात् 14.98 प्रतिशत और नागालैण्ड का सबसे कम अर्थात् 2.21 प्रतिशत भाग दिया गया था। चौथी पचवर्षीय योजना की अवधि में इस सत्र में से राज्य सरकारों को लगभग 100 करोड़ रुपये मिले थे।

(3) अतिरिक्त उत्पादन करों का वितरण जैसा कि पूर्व कहा गया है सन 1957 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से मिले में जो सूती कपड़े चानी तथा तम्बाकू पर राज्याय वित्त कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन कर लगा लिये थे। चौथे आयोग ने सिफारिश की थी कि इन अतिरिक्त उत्पादन-करों से उपलब्ध होने वाली आय का 97.45 प्रतिशत राज्य सरकारों में बांट दिया जाय। यह बँटवारा दो आधारों पर किया जाय। प्रथम राज्य सरकारों का इन वस्तुओं का वित्त-कर से जितनी आय हुआ करती थी उतनी की ही उन्हें गारण्टी दी जाय अर्थात् उतनी आय को उन्हें मिलनी ही चाहिए। दूसरे राज्यों को गारण्टीशुदा राशि दिये जाने के पश्चात् शेष रकम का उन्हें उनके द्वारा संग्रहीत वित्त कर के अनुपात में दिया जाय।

आयोग के इस सूत्र के अन्तगत गारण्टीशुदा आय का सबसे अधिक हिस्सा अर्थात् 637.77 लाख महाराष्ट्र की और सबसे कम अर्थात् 85.1 लाख असम को लिये गये थे। गारण्टीशुदा राशि चुकाने के बाद शेष रकम का राज्य सरकारों में उनके द्वारा संग्रहीत वित्त-कर के अनुपात में वितरित करने का व्यवस्था की गयी। इसमें सबसे अधिक हिस्सा अर्थात् 11.93 प्रतिशत पश्चिमी बंगाल को और सबसे कम अर्थात् 1.98 प्रतिशत असम का दिया गया था।

(4) आस्ति-कर की आय का वितरण—इस सम्बन्ध में चौथे आयोग की यह सिफारिश थी कि आस्ति कर से उपलब्ध होने वाली आय का 98 प्रतिशत राज्य सरकारों में वितरित किया जाय। आस्ति-कर की विभाज्य आय में से सबसे अधिक हिस्सा 17.08 प्रतिशत उत्तर प्रदेश और सबसे कम अर्थात् 0.9 प्रतिशत जम्मू एवं कश्मीर को दिया जाय।

(5) रेलयात्री भाड़ा कर के उन्मूलन के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों की सहायता—जैसा कि पूर्व कहा गया है 1 अप्रैल 1961 से भारत सरकार ने रेलयात्री भाड़ा कर हटा दिया था। इसके फलस्वरूप राज्य सरकारों का हानि उठानी पड़ी थी। अतः तीसरे वित्त आयोग ने इस हानि पूति हेतु प्रतिवर्ष राज्य सरकारों को 12.5 करोड़ रुपये की सहायता देने की सिफारिश की थी। चौथे आयोग ने इस राशि को राज्य सरकारों में वितरित करने के बारे में प्रत्येक राज्य के प्रतिशत हिसके निर्धारित कर दिये थे। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का हिस्सा सबसे अधिक अर्थात् 18.23 प्रतिशत और नागालैण्ड का सबसे कम अर्थात् 0.01 प्रतिशत निश्चित किया गया था।

(6) राज्य सरकारों की सहायक अनुदान—तीसरे आयोग की भांति चौथे आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायक अनुदान दिये जायें। कुल मिला कर राज्य सरकारों को 10.61 करोड़ रुपये का अनुदान लिये जाने की सिफारिश की गयी थी।

(7) राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों की अदायगी—केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दिये गये ऋणों के बारे में चौथे वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) नियुक्त की जाय। यह समिति इन ऋणों पर लिए जाने वाले व्याज तथा मूलधन को लौटाने की अवधि के बारे में सिफारिश प्रस्तुत करेगी।

भारत सरकार ने चौथे आयोग की लगभग सभी मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इन सिफारिशों को स्वीकार करने के फलस्वरूप चौथी योजना की अवधि में राज्यों को लगभग 780 करोड़ रुपये का अनिश्चित धन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई थी।

चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों में राज्यों सरकारों में विभिन्न प्रकार का असन्तुष्ट नही होना चाहिए। वास्तव में आय-कर एवं उत्पादन-करों में से राज्यों का भाग निश्चित करते समय आयोग ने उदारता का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया है। आयोग ने राज्य सरकारों के वार्षिक अनुदानों को भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ा दिया है। इन सिफारिशों से राज्य-सरकारों का गैर-योजना आय घाटा (non-plan revenue deficit) लगभग समाप्त हो जायगा। कुछ राज्यों की तो बचत (surplus) भी होन लगी जिसका उपयोग वे योजना-व्यय की पूर्ति के लिए कर सकेंगे।

चौथे वित्त आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि उत्पादन-करों में विभिन्न राज्यों का भाग निश्चित करते समय न केवल उनकी जनसंख्या के आकार, बल्कि उनके आर्थिक पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा जाय। इसका परिणाम यह होगा कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य अधिक तेजी से प्रगति कर सकेंगे। पिछड़े एवं विकसित राज्यों के बीच की खाई को पाटा जा सकेगा। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना सुदृढ़ हो सकेगी।

पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिशें (Recommendations of the Fifth Finance Commission)—पाँचवाँ वित्त आयोग श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। 26 जुलाई, 1969 को भारत सरकार ने इस आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

इस आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत सन् 1969-70 से लेकर सन् 1973-74 की पाँच वर्षों की अवधि में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों का 4,266 करोड़ रुपये की धनराशि का हस्तान्तरण करेगी। चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से केवल 2 885 86 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। इस प्रकार पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से 1380 14 करोड़ रु० की अधिक धनराशि प्राप्त हो रही थी। 4 266 करोड़ रु० की यह धनराशि राज्य सरकारों को केन्द्र की ओर से दो शीर्षकों के अन्तर्गत उपलब्ध होगी। 637 85 करोड़ रु० के तो सहायता अनुदान (grants-in-aid) राज्य सरकारों को दिये जायेंगे और 3,628 करोड़ रु० उन्हें केन्द्रीय करों में उनके हिस्से के रूप में दिये जायेंगे।

1. आयोग ने यह सिफारिश की है कि संविधान की धारा 275 के अन्तर्गत सन् 1973-74 में सात राज्यों को सहायता अनुदान नहीं दिये जाने चाहिए, क्योंकि तब तक इनकी वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जायगा। इन राज्यों के नाम इस प्रकार हैं—बिहार, गुजरात हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश।

2. आय-कर में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करने के आधार (Basis) में पाँचवें आयोग ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है। तीसरे एवं चौथे आयोगों ने यह सिफारिश की थी (जिसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था) कि आय-कर में से राज्यों का हिस्सा दो आधारों पर निर्धारित किया जाय—80 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत उस राज्य में दिये गये कर-संग्रह (tax collection) के आधार पर। पाँचवें आयोग ने जनसंख्या के आधार को 80 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया है। इसका उद्देश्य औद्योगिक दृष्टि में पिछड़े हुए राज्यों को सहायता देना है।

3 आय-कर को राज्यों में वितरित करने हेतु पाँचवें आयोग ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किये थे

(क) आय-कर से राश्ट्र आय का 2.6 प्रतिशत भाग सघीय क्षेत्रों (Union Territories) में वितरित कर दिया जाये।

(ख) शेष राशि का 75 प्रतिशत निम्न प्रतिशत-आधार पर राज्यों में वितरित कर दिया जाये—आन्ध्र—8.01 प्रतिशत, असम—2.67 प्रतिशत, बिहार—9.99 प्रतिशत, गुजरात—5.13 प्रतिशत, हरियाणा 1.78 प्रतिशत, जम्मू एव कश्मीर—0.79 प्रतिशत, केरल—3.83 प्रतिशत, महाराष्ट्र—7.09 प्रतिशत, कर्नाटक—5.40 प्रतिशत, नागालैण्ड—0.08 प्रतिशत, उड़ीसा—3.75 प्रतिशत पंजाब—2.55 प्रतिशत राजस्थान—4.34 प्रतिशत तमिलनाडु—8.18 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश—1.61 प्रतिशत पश्चिमी बंगाल—9.11 प्रतिशत।

4 पाँचवें आयोग ने सन् 1966-67 तक संचित हुए अग्रिम कर (advance tax) की वितरण समस्या का भी अध्ययन किया है। इसके अनुसार वर की यह राशि 371.12 करोड़ रुपये थी। आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इस राशि का 2.5 प्रतिशत सघीय क्षेत्रों में वितरित करने के उपरान्त शेष राज्य सरकारों में बाँट दिया जाये। बाँटने का आधार वह होना चाहिए जो सन् 1967-68 में आय कर के वितरित करने का था।

5 सघीय उत्पादन करों (Union Excise Duties) के वितरण से सम्बन्धित आधार में भी पाँचवें आयोग ने कुछ परिवर्तन करने की सिफारिश की है। चौथे आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इन करों का वितरण योग्य भाग राज्य सरकारों में दो आधारों पर बाँटा जाना चाहिए, (i) 80 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर (ii) 20 प्रतिशत पिछड़ेपन (backwardness) के आधार पर। पाँचवें आयोग ने प्रथम आधार को तो स्वीकार कर लिया है लेकिन दूसरे आधार में कुछ संशोधन कर दिया है। इस 20 प्रतिशत का दो तिहाई भाग उन राज्यों में वितरित किया जायेगा जिनकी प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति (All India Per capita Income) से कम है और शेष एक-तिहाई राज्यों में पिछड़ेपन के एक विलयित सूचकांक (integrated index of backwardness) के अनुसार बाँटा जायेगा। इस सूचकांक में अनुसूचित जातियों की संख्या, मिल मजदूरों की संख्या, संचित क्षेत्र, रेल एवं सड़क मार्ग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तथा अस्पतालों में जग्याओं (beds) की संख्या इत्यादि सम्मिलित की जायेगी।

6 भविष्य में जो नये उत्पादन कर लगाये जायेंगे, उनके बारे में आयोग ने यह सिफारिश की है कि उनका वितरण-योग्य भाग राज्य सरकारों में दो आधारों पर वितरित किया जाना चाहिए (i) 50 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर, (ii) 50 प्रतिशत राज्यों में किये गये बिक्री-कर सत्रहों के आधार पर। लेकिन यह दूसरा आधार जम्मू व कश्मीर, नागालैण्ड एव सघीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इनके हिस्से जनसंख्या के आधार पर ही निर्धारित किये गये हैं।

7 जहाँ तक नये करों का सम्बन्ध है, पाँचवें आयोग ने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया था कि वह समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों पर कर लगाने की व्यावहारिकता पर सोच-विचार करे।

8 राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वह नये-नये कर लगाकर अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करें। आयोग ने सिफारिश की है कि वे कुपि कर, सिंचाई कर, बिजली वर अतिरिक्त कर आदि लगायें और कर यसूली एवं ऋण यसूली की ओर विशेष ध्यान दें।

यह सही है कि पाँचवें आयोग की सिफारिशों के अनुसार अगले पाँच वर्षों में राज्य सरकारों को केन्द्र से 4.266 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारों आयोग द्वारा की गयी व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, पंजाब एव तमिलनाडु ने तो अपना असंतोष व्यक्त कर ही दिया था। केवल हरियाणा आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान ही ऐसे तीन राज्य थे जो आयोग की सिफारिशों से सन्तुष्ट थे।

वांचू समिति रिपोर्ट (Wanchoo Committee Report)—मार्च, सन् 1970 में भारत सरकार ने प्रत्यक्ष कर जाँच समिति (Direct Taxes Enquiry Committee) नियुक्त की थी।

इसके अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व मुख्यन्यायाधीश श्री के० एन० वाचू ये । मार्च, सन् 1972 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी ।

इस समिति ने यह कहा गया था कि वह काले धन (Black Money) एव कर-अपवचन (tax evasion) के कारणों की खोज करे और उनकी दूर अथवा कम करने हेतु अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे ।

1 समिति के अनुसार काले धन ने देश की अर्थ-व्यवस्था में भयानक रूप धारण कर रखा है । काला धन देश के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है । इसने बचत एव निवेश पर भी बुरा असर डाला है ।

2 समिति ने यह अनुमान लगाया था कि सन् 1968-69 में काले धन से सम्बन्धित सौदा का मूल्य लगभग 700 करोड़ रु० था ।

3 समिति का यह दृढ़ मत था कि काले धन एव कर-अपवचन में घनिष्ठ सम्बन्ध है । ये दोनों एक दूसरे को जन्म देते हैं ।

4 समिति ने यह अनुमान लगाया था कि सन् 1968-69 में लगभग 1400 करोड़ रु० की आय पर आय कर की चोरी की गयी थी और आय-कर की यह चोरी लगभग 470 करोड़ रु० थी ।

5 समिति के अनुसार आय-कर की चोरी के मुख्य कारण इस प्रकार थे प्रत्यक्ष करों की ऊँची दरें, वस्तुओं का सामान्य अभाव एव वितरण सम्बन्धी नियन्त्रण, नियमों का गैर-प्रभावी क्रियान्वयन, सरकारी अधिकारियों एव कर्मचारियों में रिश्वत का प्रचलन इत्यादि ।

6 आय-कर की चोरी को रोकने हेतु समिति ने कई प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किये थे (क) समिति ने यह सुझाव दिया कि सरचार्ज (surcharge) सहित आय-कर की अधिकतम दर 97.75 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दी जाय ।

(ख) आय-कर की चोरी करने वालों को बैंकों द्वारा ऋण आदि की सुविधाएँ न दी जायें । टमके साथ ही साथ कर-अपवचनकर्ता का सामाजिक बहिष्कार भी किया जाय ।

(ग) आय-कर विभाग को आय-करदाताओं के घरों आदि की तलाशी लेने के विस्तृत अधिकार दिये जायें ।

(घ) गैर-ऋपि आय की भाँति ऋपि आय पर भी समान दर से कर लगाया जाय ।

(ङ) धर्मार्थ ट्रस्टों को दिये गये गुमनाम दान पर 75 प्रतिशत कर लगाया जाय ।

(च) धर्मार्थ एव धार्मिक ट्रस्टों की कार्यशीलता को कानून द्वारा नियन्त्रित किया जाय । किसी भी ट्रस्ट को अपनी निधि व्यापार एव व्यवसाय में न लगाने दी जाय ।

(छ) कर-बकाया (Tax arrears) की वसूली के लिए आय-कर विभाग द्वारा कठोर कदम उठाये जायें । बकाया कर न देने वालों को जेल भेजा जाय ।

भारत सरकार ने वाँचू समिति की कतिपय सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इस आशय का एव विधेयक समद में मई 1973 में प्रस्तुत किया गया था ।

राज समिति रिपोर्ट (Raj Committee Report)—हाल ही के वर्षों में ऋपि पदार्थों की कीमतों की वृद्धि के कारण बड़े-बड़े जमींदारों एव मध्यम श्रेणी के किसानों की कर-देय योग्यता में वृद्धि हुई है लेकिन वे अपनी बड़ी हुई कर-देय योग्यता के अनुसार सरकार को कर नहीं चुका रहे थे । ऋपि-क्षेत्र से अधिक वित्तीय साधन जुटाने हेतु भारत सरकार ने फरवरी '972 में सुविख्यात अर्थशास्त्री प्रो० के० एन० राज की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की थी । इस समिति से कहा गया था कि वह ऋपि-आय एव ऋपि सम्पत्ति-पर भये कर लगाने हेतु सरकार के समक्ष सुझाव प्रस्तुत करे । राज समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष नवम्बर, 1972 में प्रस्तुत की थी ।

1 समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची कि हाल ही के वर्षों में ऋपि पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप ऋपि-क्षेत्र में अरिरीक्त आय का आविर्भाव हुआ है । उसका कुछ अंश सरकार द्वारा कर के रूप में अग्रगृहीत किया जाना चाहिए ।

2 समिति ने सुझाव दिया कि कृषि क्षेत्र में साधारण किंतु प्रगतिशील कृषि जोत-कर (agricultural holding tax) लगाया जाना चाहिए। लेकिन यह कर केवल उन्हीं जमीनों पर लगाया जाय जिनका मूल्य 5000 रु० अथवा उससे अधिक हो। इस प्रकार 5000 रु० से कम मूल्य वाली जमीन पर यह कर नहीं लगाया अर्थात् छोटी जमीन का किसान इस कर से मुक्त हो रहेगा।

3 बड़ा जोती पर यह कर जोता के आकार में उनका उत्पादकता के अनुसार लगाया जायगा। दूसरे शब्दों में यह कर प्रगतिशील होगा।

4 कृषि जोत-कर से राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष 200 करोड़ रु० की आय प्राप्त होगा।

5 समिति सभी प्रकार की आय (कृषि एवं गैर कृषि आय) पर एक ही आय-कर लगाने का पक्ष में नहीं थी। लेकिन समिति ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि उन बरदाताओं का आय को एकीकरण (integration) कर दिया जाय जो इस समय विभिन्न स्रोतों (कृषि एवं गैर कृषि स्रोतों) से आय प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार शहरों में रहने वाले धनी व्यवसायियों का अपनी कृषि आय पर कर चुकाना पड़ेगा।

6 समिति ने यह भी सुझाव दिया कि कर निर्धारण हेतु परिवार का एक इकाई मान लिया जाय अर्थात् पति तथा पत्नी दोनों का आय जोड़ (club) कर उस पर कर लगाया जाय।

राज समिति की रिपोर्ट के समय भारत सरकार के विचाराधीन है।

छठ वित्त आयोग की सिफारिश (Recommendations of the Sixth Finance Commission)—छठा वित्त आयोग भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री के. ब्रह्मानन्द रेड्डी (Brahmanand Reddy) की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। 18 दिसम्बर 1973 को भारत सरकार ने इस आयोग का सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

(i) इस आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों का 9 608 85 करोड़ रु० नवीन वित्तीय साधन हस्तांतरित किया गया है जबकि पंचवर्षीय वित्त आयोग ने 5 315 करोड़ रु० के वित्तीय साधनों के हस्तांतरण का सिफारिश की थी। इस प्रकार छठ वित्त आयोग ने राज्य सरकारों का अधिक वित्तीय साधन देने की सिफारिश की थी।

(ii) उपयुक्त नवीन वित्तीय साधन राज्य सरकारों का पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए दिए जायेंगे। ये साधन केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को हस्तांतरित किए जायेंगे।

(iii) आय-कर तथा कर्तव्य उत्पादन कर में राज्य सरकारों का हिस्सा पांच वर्षों का अवधि के लिए 7 099 24 करोड़ रु० होगा।

(iv) आय कर में सं राज्य सरकारों का हिस्सा 75% से बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। पट्टन की भांति आय कर के विभाज्य भाग में से प्रत्येक राज्य का हिस्सा 90% जनसंख्या तथा 10% कर निर्धारण के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(v) भूत संघीय उत्पादन करों की आय को राज्य सरकारों में वितरित करने की पुरानी प्रक्रिया में काइ परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले का भांति वन कर से प्राप्त होने वाली आय का 70% राज्य सरकारों में बांटा जायेगा। लेकिन वितरण के आधार में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले विभाज्य आय में से प्रत्येक राज्य का हिस्सा 80% जनसंख्या तथा 20% पिछड़पन के आधार पर निर्धारित किया जाता था। अब प्रत्येक राज्य का हिस्सा 70% जनसंख्या तथा 20% पिछड़पन के आधार पर निर्धारित होगा। शेष 5% उन राज्यों में वितरित किया जायेगा जिनकी प्रति व्यक्ति आय उच्चतम प्रति व्यक्ति आय से कम है।

(vi) आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि सहायक उत्पादन कर (Auxiliary Excise Duties) में से भी राज्य सरकारों का हिस्सा दिया जाय। यह सिफारिश सन 1976-77 से लागू की जानी है क्योंकि राज्य सरकारों को 97 86 करोड़ रु० की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

(vii) आयोग ने राज्य सरकारों को केंद्र से लिये गये ऋणों को जमापत्ती में भी राहत (relief) दी है। ऋणों का बटवें खाते में लाने की बात नहीं उठाना गया है किन्तु इनकी अवधि की शर्तों

एवं अदायगी की अवधि का अधिक उदार बना दिया गया है। इस सिफारिश के परिणामस्वरूप राज्यों को 1 970 करोड़ रु० की राहत मिलेगी।

(viii) पाचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य सरकारों का 2,310 करोड़ रु० के सहायक अनुदान (Grants in-Aid) दिये जायेंगे।

(ix) छोटे आयोग ने सूखे एवं बाढ़ आदि में राज्यों को राहत देने सम्बन्धी राष्ट्रीय निधि स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। इसके विपरीत आयोग ने यह सिफारिश की थी कि सूखे एवं बाढ़ होने से निवारण हेतु उदार वित्तीय व्यवस्था की जाये।

जैसा कि ऊपर कहा गया है भारत सरकार ने छोटे आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1 नवीन विधानानुसार केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय साधनों के विभाजन की विवेचना कीजिए।

[संकेत—यहाँ पर केन्द्र और राज्यों के बीच सन्विधान के अन्तर्गत वित्तीय साधनों के वितरण की की गयी व्यवस्था की विवेचना कीजिए और यह बताइए कि विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा की गयी सिफारिशों का इस व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था ?]

भारत सरकार का वित्त (Finances of the Government of India)

इस अध्याय में हम भारत की आय व मुख्य साधनों एवं व्यय की मुख्य मद्दा का अध्ययन करेंगे।

भारत सरकार की आय के मुख्य साधन

भारत सरकार की आय व साधना का दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(क) आय व कर साधन (Tax Sources of Income) (ख) आय व गैर कर-साधन (Non tax Sources of Income)। आय व कर साधना में आयकर निगम व सम्पत्ति कर उपहार वर आस्ति कर आयात निर्यात वर एवं सधीय उत्पादन कर सम्मिलित किये जा सकते हैं। आय व गैर-कर साधना में राज्यों का दिये गये ऋणा पर ब्याज नागरिक प्रशासन नागरिक निमाण वाय रेल डाक तार तथा करसी व टक्साव आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं।

भारत व सविधान के अन्तर्गत भारत सरकार का इन मद्दा पर कर लगान का अधिकार दिया गया है—(क) कृषि की आय को छाड़कर अन्य प्रकार की आय पर कर। (ख) नशीली वस्तुओं का छाड़कर भारत में उत्पन्न की जाने वाली अन्य वस्तुओं पर उत्पादन कर तथा परि सम्पत्ति व पूजीगत मूल्य पर कर तथा सम्पत्तियाँ की रजि पर कर। (ग) कृषि सम्बन्धी भूमि को छाड़कर अन्य प्रकार की सम्पत्ति पर कर। (घ) निगम कर (ङ) सीमान्त कर (च) शायर वात्रारा के वायद के सौदा पर कर। (छ) विनिमय विना साख विपत्रा डिबेन्चरो वीम की पालिमिया आदि पर कर। (ज) समाचार पत्रा की वित्री तथा उनमें प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों पर कर। किन्तु उक्त करों में से कुछ एस कर भी हैं जो भारत सरकार द्वारा लगाये जाते हैं परन्तु उनमें उपलब्ध होने वाली आय राज्य सरकारों में बाँट दी जाती है।

भारत सरकार की आय व मुख्य कर साधन एवं गैर-कर साधन निम्नलिखित हैं

भारत सरकार की आय के कर-साधन—भारत सरकार की आय व मुख्य मुख्य कर साधन इस प्रकार हैं।

1) आयकर (Income Tax) —आयकर भारत सरकार की आय का प्रमुख साधन है। आयकर विसा व्यक्ति की कुल आय पर नहीं लगाया जाता बल्कि उराकी निवत आय (Net income) पर ही लगाया जाता है। भारतीय आयकर व मुख्य गुण इस प्रकार हैं

(क) भारतीय आयकर की एक निश्चित कर मुक्ति सीमा (Tax exemption limit) होती है। जिन व्यक्तियों की आय इस सीमा से नीचे होती है उन्हें आयकर व भुगतान से मुक्त कर दिया जाता है। जिन व्यक्तियों की आय कर मुक्ति सीमा से ऊँची होती है उन पर प्रगतिशील दरों पर कर लगाया जाता है। इस प्रकार भारतीय आयकर एक आरोही वर (Progressive tax) है।

(ख) चर्च भारतीय आयकर एक आरोही कर है अतः इस कर से आय सम्बन्धी असमानताओं का दूर व कम करण में बड़ी सहायता मिलती है।

(ड) चूंकि भारतीय आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, अतः इसके भार का विवर्तन (Shifting) अन्य व्यक्तियों पर नहीं हो सकता। इस कर का भार तो उसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जिसके ऊपर यह लगाया जाता है।

(ई) आयकर का भार करदाता की आय के सीमान्त उपयोग पर ही पड़ता है। यद्यपि दूसरे करों की भांति आयकर भी करदाता की वित्तीय शक्ति को कम कर देता है परन्तु दूसरे करों के समान आयकर करदाता को किसी विशेष मद पर किये जाने वाले व्यय में कमी करने के लिए विवश नहीं करता।

(उ) आयकर एक अत्यन्त उत्पादक कर है और जैसा कि कहा गया है, यह भारत सरकार की आय का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

(ऊ) भारतीय आयकर में लोचकता का गुण भी पाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर आयकर की दर में थोड़ी वृद्धि करके इससे प्राप्त होने वाली आय को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जा सकता है।

(ए) चूंकि आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, अतः इसके कारण करदाताओं में राजनीतिक चेतना (political consciousness) उत्पन्न होती है और करदाता राजनीतिक विषयों में अधिक हस्ति लेने लगते हैं।

भारतीय आयकर के मुख्य दोष इस प्रकार हैं

(अ) भारतीय आयकर बचत एवं निवेश की प्रेरणा को हतोत्साहित करता है। जैसा कि विदित है, बचत एवं निवेश की प्रेरणा देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक होती है। अतः इस दृष्टिकोण से भारतीय आयकर अच्छा कर नहीं है।

(आ) जैसा कि प्रो० काल्डर (Kaldor) का कहना है किसी व्यक्ति की चुकाने की योग्यता का केवल उसकी आय से ही नहीं नापा जा सकता है। अतः इस दृष्टिकोण से भी आयकर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

(इ) भारतीय आयकर में कई प्रकार की त्रुटियाँ भी पायी जाती हैं जिनका लाभ उठाने हुए करदाता कर चुकाने से बच जाते हैं। यही कारण है कि भारत में बड़े पैमाने पर कर-अपवचन (Tax evasion) होता है।

भारत में आयकर सर्वप्रथम सन् 1860 में लगाया गया था। उस समय भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को बड़े पैमाने पर वित्तीय साधनों की आवश्यकता अनुभव हुई थी। अतः ब्रिटिश सरकार ने वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिए लोगों पर आयकर लगा दिया था। प्रारम्भिक काल में आयकर भारत सरकार की आय का ही साधन हुआ करता था, परन्तु कालान्तर में इसे विभाजित शीर्षक (divided head) बना दिया गया। जैसा कि हम पूर्व कह चुके हैं, प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आयकर से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का 55 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों में बाँट दिया जाता था। दूसरे वित्त आयोग ने सन् 1957 में इस प्रतिशत को 55 से बढ़ाकर 60 कर दिया था। तीसरे वित्त आयोग ने इस प्रतिशत को 60 से 66½ प्रतिशत कर दिया था। चौथे वित्त आयोग ने इस प्रतिशत को 66½ से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया है। आरम्भ में आयकर की दर 2 प्रतिशत ही हुआ करती थी। परन्तु सन् 1939 में शिला पद्धति (Slab System) लागू कर दी गयी। 1955-56 में आयकर के सम्बन्ध में विभिन्न मदों पर छूट देने की व्यवस्था की गयी थी। उदाहरणार्थ जीवन बीमा के चुकाये गये प्रीमियम एवं मशीनों तथा यन्त्रों की फिसावट पर छूट दी जाने लगी।

आयकर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस समय बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा उसकी चोरी की जा रही है। प्रो० काल्डर के अनुमान के अनुसार आयकर की इस चोरी के कारण प्रतिवर्ष भारत सरकार को 200 से 300 करोड़ रुपये तक की क्षति होती है। वाचू समिति के अनुसार सन् 1968-69 में आयकर की चोरी लगभग 470 करोड़ रु० के बराबर थी। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि आयकर की चोरी को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जायें। प्रो० काल्डर ने यह भी सुझाव दिया था कि वर्तमान आयकर तथा अतिकर (Super-Tax) के स्थान पर केवल एक ही एकाकी आयकर ही लगाया जाय। यह कर 25 हजार तक की आय के

लिए आरोही होना चाहिए और इस स्तर से ऊपर सभी धामदानियों पर रुपये में 43 फीस की दर पर आयकर लगाया जाय। परन्तु भारत सरकार ने प्रॉ० काल्डर के इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि भारत सरकार को यह डर था कि इस सुझाव को स्वीकार करने से आयकर की आय में पर्याप्त कमी हो जायगी। वाच समिति ने भी आयकर की बोरी को रोकने के अनेक सुझाव दिये हैं। अक्टूबर, 1975 में बरदादाओ की गुप्त आय का पता लगाने हेतु भारत सरकार ने स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (Voluntary Disclosure Scheme) जारी की थी। इस योजना को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। लगभग 1500 करोड़ ₹० की गुप्त आय लोगों द्वारा प्रकट की गयी थी। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार आयकर में लगभग 957 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी। इसमें से राज्य सरकारों का देय हिस्सा 649 करोड़ ₹० था।

(2) निगम कर (Corporation Tax)—निगम कर से अभिप्राय उस अतिकर (Super-Tax) से है जो व्यावसायिक कम्पनियों की आय पर लगाया जाता है। यह कर कम्पनियों द्वारा चुकाया जाता है। निगम कर और आयकर में अन्तर यह है कि निगम कर तो व्यावसायिक कम्पनियों द्वारा अदा किया जाता है जबकि आय कर निजी व्यक्तियों द्वारा चुकाया जाता है। प्रत्येक व्यावसायिक कम्पनी के वार्षिक लाभ पर निगम कर लगाया जाता है और इस कर को चुकाने के बाद जो लाभ बच रहता है, वही कम्पनी के शेयर होल्डरों में लाभांश (Dividend) के रूप में वितरित किया जाता है। शेयर होल्डर पुनः अपने लाभांश पर आयकर चुकते हैं। आलोचकों का कहना है कि निगम कर व्यावसायिक कम्पनियों के शेयर होल्डरों की आय पर दो बार लगाया जाने वाला कर है। प्रथम, तो यह कर कम्पनी के सम्पूने लाभ पर लगाया जाता है और इसके बाद जब कम्पनी ने लाभ को शेयर होल्डरों में वितरित कर दिया जाता है तो उनके लाभांश पर पुनः आयकर लगाया जाता है। इन प्रकार शेयर होल्डरों ने एक ही आय पर दो बार कर चुकाना पड़ता है। परन्तु निगम कर की यह आलोचना उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि कम्पनी का अपना पृथक् अस्तित्व होगा है और उन्हीं नाते उसके कुल लाभ पर निगम कर लगाया जाता है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि निगम कर कम्पनी के शेयर होल्डरों की आय पर दो बार लगने वाला कर है। निगम कर भारत सरकार की आय का मुख्य माध्यम है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को निगम कर में लगभग 1025 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(3) आस्ति-कर (Estate Duty)—जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है, सविधान के अन्तर्गत भारत सरकार को कृषि-भूमि छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति पर आस्ति-कर लगाने तथा इसका संग्रह करने का अधिकार है। परन्तु आस्ति-कर में उपलब्ध होने वाली आय पूर्णतः राज्य सरकारों में वितरित कर दी जाती है। स्मरण रहे कि कृषि-भूमि पर आस्ति-कर लगाने तथा इसका संग्रह करने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है किन्तु यदि राज्य सरकारें चाहे तो अपना यह अधिकार वे भारत सरकार को सौंप सकती हैं।

मृत्यु-कर के दो प्रमुख रूप होते हैं—(क) आस्ति-कर (Estate Duty), (ख) उत्तराधिकारी कर (Inheritance Tax)। आस्ति कर वह होता है जो व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त हस्तान्तरण की जाने वाली सम्पत्ति पर लगाया जाता है। इसके विपरीत उत्तराधिकारी कर वह कर होता है जो व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त की गयी सम्पत्ति पर लगाया जाता है। उत्तराधिकारी कर की तुलना में आस्ति कर श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसके प्रशासन में अधिक सरलता रहती है। इसके अनिश्चित, उत्तराधिकारी कर की अपेक्षा आस्ति कर अधिक उत्पादक (productive) भी होता है।

भारत में आस्ति-कर—भारत में सर्वप्रथम आस्ति-कर 15 अक्टूबर, 1911 को लागू किया गया था। बाद में चतुर्दश सन् 1958 में इसमें कुछ समोधित किये गये थे। भारतीय आस्ति कर की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(क) आस्ति-कर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उत्तरी चतुर्दश अक्षर सम्पत्ति पर लगाया जाता है। (ख) चल तथा अचल सम्पत्ति में कई प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित की गयी हैं जैसे—भूमि मकान नकदी, गैरमं प्रतिभूतियाँ, आभूषण, फर्नीचर इत्यादि। (ग) व्यक्ति की मृत्यु के दो वर्ष पूर्व तक उसके सम्बन्धियों एवं मित्रों को दिये गये उपहारों पर भी आस्ति-कर लागू होता है। (घ) आस्ति-कर का निर्धारण करने के लिए मृतक की

सम्पत्ति का मूल्यांकन बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। (ख) आस्ति कर क भुगतान का दायित्व मरने वाले व्यक्ति व उत्तराधिकारिया पर डाला गया है। (च) यदि अविभाजित हिंदू परिवार (Undivided Hindu Family) में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक सम्पत्ति में मृतक व्यक्ति के हिस्से पर ही आस्ति-कर लगाया जाता है।

आस्ति कर प्रगतिशील दरों पर लगाया जाता है। इसकी न्यूनतम दर मुक्ति की सीमा 50 हजार रुपये निश्चिन्त की गयी है अर्थात् 50 हजार रुपये की सम्पत्ति तक आस्ति-कर लागू नहीं होता। किन्तु इससे अधिक मूल्य का सम्पत्ति पर आस्ति कर प्रगतिशील दरों पर लगाया जाता है। यहाँ तक कि 20 लाख रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति पर आस्ति-कर की दर 40 प्रतिशत हो जाती है।

आस्ति-कर लगाते समय कुछ वस्तुओं को इसमें मुक्त भी कर दिया जाता है—(क) मृतक व्यक्ति की विदेशों में स्थित चल एवं अचल सम्पत्ति। (ख) 2500 रुपये तक का मूल्य के धरलू सामान। (ग) 2500 रुपये तक का मूल्य का ऐसा उपकरण एवं औजार जिनका उपयोग मृतक द्वारा आजीविका बमान के लिए किया जाता था। आस्ति-कर के निर्धारण से पूर्व सम्पत्ति के मूल्य में से कुछ कटौतियाँ भी की जाती हैं। उदाहरणार्थ मृतक व्यक्ति का ऋण सम्पत्ति के मूल्य में से निकाल लिया जाता है। मृतक व्यक्ति का दाह-मस्कार के लिए 1000 रुपये तक कटौती भी की जा सकती है।

आस्ति कर का पक्ष एवं विपक्ष में कई प्रकार के तर्क दिये गये हैं। आस्ति कर के पक्ष में दिये गये तर्क इस प्रकार हैं।

(क) आस्ति कर का भार उत्तराधिकारियों द्वारा अथवा व्यक्तियों के कर्जों पर नही डाला जा सकता।

(ख) आस्ति-कर कर चुकान की योग्यता व अनुकूल ही होना है अर्थात् जिस व्यक्ति का पान आस्त सम्पत्ति होती है उसे मृत्यु के पश्चात् अधिक कर चुकाना पड़ता है। अतः इस दृष्टि कोण से आस्ति कर योग्यसंगत है।

(ग) आस्ति कर से देश में प्रचलित जाधिक विपमनाओं का दूर अथवा कम करने में बहुत सहायता मिलती है।

आस्ति कर का विपक्ष में दिये गये तर्क इस प्रकार हैं

(क) आस्ति-कर पूजा-सन्धय का हतोत्साहित करता है और काम करने तथा बचत करने का प्रेरणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

(ख) आस्ति कर का कारण बड़े आकार की उत्पादन इकाइयों को छोटे छोटे आकार की उत्पादन इकाइयों में बँटने जाती है। उदाहरणार्थ जब किसी व्यवसाय के उद्यमकता की मृत्यु हो जाता है तो आस्ति कर का भुक्तान के लिए उस व्यवसाय का आंशिक रूप में बेचना पड़ता है।

(ग) आस्ति कर का अंततः सम्पत्ति का मूल्यांकन का प्रक्रिया अत्यंत नुतिपूर्ण है। इसमें अन्ततः अतिशय वा अधिक अधिकार दिये गये हैं जिनके दुस्प्रयोग की सदैव सम्भावना बनी रहती है।

सन् 1976-77 का बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार का आस्ति कर से लगभग 8 करोड़ रुपये का आय प्राप्त होने की आशा थी। इसमें से 7 करोड़ रु० राज्य सरकारों का दिये जाने थे।

(4) उपहार कर (Gift Tax)—उपहार कर से जाशय उम २५ वर्ष है या किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल में दिये गये एक निश्चित मूल्य से अधिक का उपहार पर लगाया जाता है। उपहार कर लगाने का दा मृत्यु उद्देश्य है—प्रथम आस्ति कर से प्रचलन पर राक्ष लगाना दूसरे दान में प्रचलित धन सम्बन्धी असमानताओं का कम करना। सन्-प्रथम प्रा० कांडर न रस कर का लगाने का सुनाव भारत सरकार का दिया था।

भारत में उपहार कर सबसे प्रथम सन् 1958 में लगाया गया था। इसके अनुसार निम्न व्यक्तियों हिंदू अविभाजित परिवारों निजी धार्मिक संस्थानों एवं व्यावसायिक कम्पनियों द्वारा दिये गये उपहारों

पर कर लगाया जाता है। उपहार कर उपहार देने वाले व्यक्ति के द्वारा चकाया जाता है। उपहार कर प्रगतिशील दरों पर लगाया जाता है। किमी भी एक वर्ष में 10 हजार रुपये मूल्य तक के उपहारों का कर के भुगतान से मुक्त कर दिया गया है। यदि किसी वर्ष उपहारों का मूल्य 10 हजार रुपये से अधिक हो जाता है तब केवल उस अतिरिक्त धनराशि पर ही उपहार कर बमूल किया जाता है। उपहार कर के अन्तर्गत कर-मुक्तियों की भी व्यवस्था की गयी है। उदाहरणार्थ, सरकार को दिये गये उपहारों पर यह कर लागू नहीं होता।

जैसा कि पूर्व कहा गया है उपहार कर आरित कर से बचन पर रोक लगा देता है अर्थात् उस कर के कारण लाभ आरित कर से बचन में अन्तर्गत हो जाते हैं। इसके अलावा उपहार कर धन सम्बन्धी असमानताओं को दूर करने में भी सहायता देता है। सन 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार का उपहार कर से 5 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(5) सम्पत्ति कर (Wealth Tax)—सम्पत्ति कर में अभिप्राय उस वार्षिक कर से है जिसे व्यक्ति की सम्पत्ति धन अथवा पूंजी के कुल मूल्य पर लगाया जाता है। सम्पत्ति कर एक आवर्ती कर है अर्थात् यह प्रतिवर्ष लगाया जाता है जबकि आसि कर व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त केवल एक ही बार लगाया जाता है। प्रो० वाल्डर के अनुसार सम्पत्ति कर और आयकर एक साथ लगाय जान चाहिए क्योंकि ऐसा करने से एक तो कर प्रशासन में सुविधा रहती है और दूसरे कर-वचन को प्रभावपूर्ण ढंग से राका जा सकता है।

भारत में सम्पत्ति कर सवप्रथम सन 1957 में ही लगाया गया था। यह कर निजी व्यक्तियों हिन्दू अविभाजित परिवारों तथा निजी व्यावसायिक कम्पनियों की विद्युद्ध सम्पत्ति पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। यह कर आराही दरों पर लगाया जाता है। जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति का मूल्य दो लाख अथवा दो लाख रुपये से कम है उन्हें इस कर के भुगतान से मुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार अविभाजित हिन्दू परिवारों के सम्बन्ध में कर मुक्ति की सीमा 4 लाख रुपये निश्चित की गयी है। निजी व्यक्तियों पर कर मुक्ति की सीमा के ऊपर प्रथम 10 लाख रुपये तक कर की दर 4 प्रतिशत अगले दस लाख रुपये पर 1 प्रतिशत तथा इसके ऊपर 1½ प्रतिशत है। अविभाजित हिन्दू परिवारों के सम्बन्ध में कर मुक्ति की सीमा के ऊपर 9 लाख रुपये तक की दर 3 प्रतिशत है और इसके ऊपर की दरें ठीक वैसे ही हूँ जैसी कि निजी व्यक्तियों के लिए। निजी व्यावसायिक कम्पनियों के सम्बन्ध में कर मुक्ति की सीमा 5 लाख रुपये निश्चित की गयी है। इसके ऊपर की दर 1 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। कर लगाते समय सम्पत्ति का मूल्य बाजारों दरों के आधार पर लगाया जाता है। सम्पत्ति कर के निधारण में कुछ विशेष प्रकार की सम्पत्तियों का कर के भुगतान से मुक्त कर दिया गया है। उदाहरणार्थ धर्माथ एवं धार्मिक न्यासा (Charitable Trusts) से सम्बन्धित सम्पत्तियाँ बीमा पॉलिसियों तथा प्रोवीडेंट फण्ड को कर से मुक्त कर दिया गया है।

सम्पत्ति कर का पक्ष में दिये जाने वाले तर्क इस प्रकार हैं—(क) सम्पत्ति कर व्यक्ति को करदान क्षमता के अनुसार ही लगाया जाता है। वास्तव में आयकर व्यक्ति को करदान क्षमता की सही-सही माप नहीं है। उदाहरणार्थ दो व्यक्तियों की आय समान हो सकती है लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि दोनों की करदान क्षमता भी एकसमान है। हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास पचास सम्पत्ति हो और दूसरा पणन सम्पत्तिहीन हो। ऐसी परिस्थिति में पहले व्यक्ति की करदान क्षमता दूसरे व्यक्ति की करदान क्षमता से अधिक होगी। जहाँ आयकर की इस त्रुटि को दूर करने के लिए सम्पत्ति कर अत्यन्त आवश्यक है (ख) सम्पत्ति कर आयकर की अपेक्षा अधिक न्यायसंगत होता है। इससे देश में प्रचलित आय सम्बन्धी असमानताओं का दूर व कम करने में बड़ी महत्त्वना मिलती है। इससे अलावा आयकर के वचन का रोकने के लिए भी सम्पत्ति कर अत्यन्त आवश्यक है। (ग) सम्पत्ति कर से सरकार का पचास आय उपलब्ध होती है।

सम्पत्ति कर का विपक्ष में दिये गये तर्क इस प्रकार हैं—(क) सम्पत्ति कर से बचता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पूंजी-संचय में कमी हो जाती है। (ख) सम्पत्ति कर लगाते समय सम्पत्ति के मूल्य निधारण में बड़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और कर-अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कर लगाने की सम्भावना बनी रहती है। (ग) अन्य देशों में सम्पत्ति कर वैयक्तिक सम्पत्ति

पर ही लगाया जाता है जबकि भारत में सम्पत्ति कर निजी व्यवसायिक कम्पनियों पर भी लगा दिया गया है।

सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को सम्पत्ति कर से 52 करोड़ रुपय की आय प्राप्त होने की आशा थी।

केन्द्रीय उत्पादन कर (Central Excise Duties)—केन्द्रीय उत्पादन करों से अभिप्राय उन करों से है जो भारत सरकार द्वारा देश के भीतर वस्तुओं के उत्पादन पर लगाये जाते हैं। वास्तव में, उत्पादन कर दो प्रकार के होते हैं—प्रथम, वे उत्पादन कर जो शराब, अफीम, गाँग जैसी नशीली वस्तुओं एवं औषधियों पर राज्य सरकार द्वारा लगाये जाते हैं। इनसे प्राप्त होने वाली आय राज्य सरकारों के पास ही रहती है दूसरे वे उत्पादन कर जो भारत सरकार द्वारा लगाये जाते हैं। जैसा हम पूर्व कह चुके हैं केन्द्रीय उत्पादन करों से उपलब्ध होने वाली आय को भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच बाँट दिया जाता है। प्रथम वित्त आयोग की सिफारिश का अनुसार तम्बाकू, दियासलाई तथा वनस्पति तेल पर लगाये गये केन्द्रीय उत्पादन करों की आय का 40 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों में बाँट दिया जाता था। दूसरे वित्त आयोग ने चीनी, चाय, कॉफी, कागज और वनस्पति के अनावश्यक तेलों का भी इस सूची में सम्मिलित कर दिया था। किन्तु आयोग ने इन 8 करों से प्राप्त होने वाली आय का केवल 25 प्रतिशत भाग ही राज्य सरकारों में वितरित करने की सिफारिश की थी। दूसरे शब्दों में, आयोग ने इन उत्पादन करों का विभाज्य हिस्सा 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था। तीसरे वित्त आयोग ने उत्पादन करों के इस विभाज्य हिस्से को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया, किन्तु 27 अन्य वस्तुओं पर लगे उत्पादन करों को भी इस सूची में जोड़ दिया। चौथे वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि 35 वस्तुओं के स्थान पर 68 वस्तुओं के उत्पादन करों का 20 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों में वितरित किया जाय। तीसरे वित्त आयोग ने केवल 35 वस्तुओं पर सगे उत्पादन करों में से राज्य सरकारों को हिस्सा देने की सिफारिश की थी।

जैसा विदित है उत्पादन करों के प्रायः दो मुख्य उद्देश्य हुआ करते हैं—प्रथम, सरकार के लिए आय प्राप्त करना दूसरे वस्तुओं के उपयोग की मात्रा में कमी करना। मुद्रा स्थिति के समय सरकार प्रायः भारी उत्पादन कर लगाकर आवश्यक वस्तुओं के उपभोग में कमी कर देती है।

उत्पादन करों का पक्ष में दिये जाने वाले तर्क इस प्रकार हैं—(क) उत्पादन कर प्रायः सुविधाजनक होते हैं। इनका संग्रह उस समय किया जाता है जबकि उपभोक्ता वस्तुओं का न्यून करते हैं। चूँकि उत्पादन कर वस्तुओं के मूल्य में सम्मिलित होते हैं, अतः कई बार तो उपभोक्ताओं को पता ही नहीं चलता कि वे कर चुका रहे हैं। (ख) उत्पादन करों से हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर रोक लगायी जा सकती है। (ग) जब उत्पादन कर बिलासिताओं पर लगाये जाते हैं तब उनका बाजार धनिक वर्गों पर ही पड़ता है। इस प्रकार देश की आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायता मिलती है। (घ) उत्पादन कर प्रायः अधिक उत्पादक (productive) होते हैं और इनसे सरकार को पर्याप्त आय उपलब्ध होती है।

उत्पादन करों के विषय में दिये गये तर्क इस प्रकार हैं—(क) उत्पादन कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अतः इनका भार अधिकांशतः निम्न वर्गों पर ही पड़ता है। इस प्रकार वे कर न्याय-संगत नहीं हैं। उत्पादन करों का वस्तुओं के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि जब उत्पादन कर लगाये जाते हैं तब वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। परिणामतः वस्तुओं की माग कम हो जाती है और विदेश होकर उत्पादकों का उत्पादन में कमी करनी पड़ती है।

सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार केन्द्रीय उत्पादन करों से भारत सरकार को 4100 करोड़ रुपय की आय प्राप्त होने की आशा थी। इनमें से राज्य सरकारों का देय हिस्सा 970 करोड़ रु० था।

सीमा शुल्क (Customs Duties)—सीमा-शुल्को से अभिप्राय उन करों से है जो सरकार द्वारा देश के आयातों एवं निर्यातों पर लगाये जाते हैं। जैसा स्पष्ट है, सीमा कर दो प्रकार के होते हैं—आयात कर तथा निर्यात कर। आयात करों (Import Duties) से अभिप्राय उन करों से है जो देश में की गयी आयातित वस्तुओं पर लगाये जाते हैं। इसके विपरीत, निर्यात कर (Export Duties) वे कर होते हैं जो देश से विदेशों को निर्यात की गयी वस्तुओं पर लगाये जाते हैं। सीमा शुल्कों के प्राय दो मुख्य उद्देश्य हुआ करते हैं—प्रथम, सरकार को आय में वृद्धि करना। दूसरे, देशी उद्योग-धन्धों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करना। सीमा-शुल्क दो आधारों पर लगाये जाते हैं—वस्तु के मूल्य के आधार पर तथा वस्तु के परिमाण के आधार पर। वस्तु के मूल्य के अनुसार लगाया गया सीमा-शुल्क आरोही (Progressive) होता है जबकि वस्तु के परिमाण के अनुसार लगाया गया सीमा-शुल्क अवरोही (Regressive) होता है।

भारत में सीमा-शुल्क प्राचीन समय से लगाये जाते रहे हैं। सन् 1857 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए आयात-निर्यात करों की दरों को 5 प्रतिशत में बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया था। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अधिक आय की प्राप्ति के लिए सीमा-शुल्कों में और अधिक वृद्धि कर दी गयी थी। सन् 1922 तक सरकार द्वारा लगाये गए सीमा-शुल्कों का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए अधिक आय प्राप्त करना ही था किन्तु सन् 1922 में भारत सरकार ने विवेकपूर्ण संरक्षण की नीति (Policy of Discriminating Protection) को अपनाया था। इस नीति का उद्देश्य भारतीय उद्योग-धन्धों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करना था। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार की आयात की गयी वस्तुओं पर सीमा-शुल्क लगाये गये थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत सरकार ने संरक्षण नीति का और भी बड़े पैमाने पर अपनाने का निर्णय किया था। इस नीति के अन्तर्गत लगभग सभी आयातित वस्तुओं पर भारी आयात कर लगा दिये गये थे। इस समय परिस्थिति यह है कि चायद ही कोई ऐसी वस्तु है जिस पर आयात कर न लगाया जाता हो। इसी प्रकार देश में निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर भी निर्यात कर लगा दिये जाते हैं। वस्तुएँ इस प्रकार हैं—चाय, कॉफी, कार्बोमिर्ब, मैंगनीज, जूट, ऊन, सूती कपड़ा, सिगरेट आदि। फरवरी, 1965 में भारत सरकार ने सभी आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा-शुल्क लगा दिया था। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को सीमा-शुल्कों से 1508 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

व्यय-कर (Expenditure Tax)—यह कर भारत सरकार द्वारा प्रो० कान्डर के सुझाव पर 1 अप्रैल 1958 को लगाया गया था। इसके अन्तर्गत, यदि किसी व्यक्ति का वार्षिक व्यय 30,000 रुपये से अधिक है तो उस पर यह लागू हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी संयुक्त हिन्दू सरकार का व्यय (वार्षिक) 36,000 रु० से अधिक है तो उस पर भी यह कर क्रियाशील हो जाता है। व्यय-कर आरोही कर है और विभिन्न व्यय-शिताओं के अनुसार बसूल किया जाता है। इस कर में यह आशा की गयी थी कि इससे बचत करने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही इससे सरकार को आय भी प्राप्त होगी। परन्तु इन उद्देश्यों की पूर्ति में असफलता ही मिली है।

व्यय कर की दो मुख्य आधाराएँ पर आलोचना की जाती है। प्रथम, यह कर इनका आरोही (Progressive) है कि 80,000 रु० से अधिक व्यय पर कर की दर शत-प्रतिशत हो जाती है। दूसरे, इस कर से वास्तविक प्रशासन में भी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ प्रत्येक करदाता के व्यय का ठीक-ठीक जानना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य ही है। चूंकि इस कर में भारत सरकार को कोई अधिक आय उपलब्ध नहीं होती थी, अतः 1962-63 में इसे स्थागित कर दिया गया था। परन्तु 1964-65 में भारत सरकार ने इसे पुनः लागू कर दिया। 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को व्यय कर से कुछ भी आय नहीं हुई थी।

अब तक हमने भारत सरकार की आय के कर-साधनों का ही अध्ययन किया है। अब हम भारत सरकार की आय के गैर-कर साधनों का अध्ययन करेंगे।

भारत सरकार की आय के गैर-कर साधन—ये इस प्रकार हैं।

(1) ऋण सेवाएँ (Debt Services)—भारत सरकार ने राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को काफी बड़ी सख्या में ऋण दे रखे हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार को इन ऋणों से व्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। सन् 1976-77 के बजट के अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को ऋण सेवाओं से 1056 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(2) करेंसी और टकसाल (Currency and Mint)—जैसा विदित है, भारत सरकार को नोट छापने एवं सिक्के ढालने का पूर्ण अधिकार है। इसमें भी भारत सरकार को प्रतिवर्ष कुछ आय प्राप्त होती है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को करेंसी एवं टकसाल से 48 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(3) सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाएँ (Social and Development Services)—भारत सरकार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं शिक्षा से सम्बन्धित अनेक प्रकार की सामाजिक सेवाएँ प्रस्तुत करती है। इन सेवाओं से भी सरकार को कुछ आय उपलब्ध होती है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को इससे 77 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(4) सार्वजनिक निर्माण कार्य (Public Works)—भारत सरकार कई प्रकार के सार्वजनिक निर्माण कार्य भी सम्पन्न करती है। उदाहरणार्थ, सड़क निर्माण, पुलों का निर्माण इत्यादि। इस प्रकार के निर्माण कार्यों में भी सरकार को कुछ आय प्राप्त होती है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यों से 9 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(5) बहुद्देशीय नदी घाटी योजनाएँ (Multi-purpose River Valley Schemes)—विगत कुछ वर्षों में भारत सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों ने सिंचाई, विजली, बाढ़-नियन्त्रण इत्यादि अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की नदी-घाटी योजनाएँ त्रियाम्बित की हैं। यद्यपि इन योजनाओं से सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को केवल 17 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की सम्भावना थी परन्तु निम्न भविष्य में निश्चय ही इस स्रोत से सरकार की आय बढ़ाने वाली है।

(6) प्रशासनिक सेवाएँ (Administrative Services)—भारत सरकार केन्द्र शासित क्षेत्रों में न्याय, शान्ति-व्यवस्था, नागरिक प्रशासन आदि के रूप में कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती है। इन सेवाओं में भी भारत सरकार को थोड़ी-बहुत आय प्राप्त हो जाती है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार को प्रशासनिक सेवाओं से लगभग 120 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार की आय 8,227 करोड़ रुपये थी।

भारत सरकार का व्यय

(Expenditure of the Government of India)

भारत सरकार के व्यय का दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है—प्रथम, राजस्व स्रोतों का व्यय (Revenue Expenditure) दूसरे, पूंजीगत स्रोतों का व्यय (Capital Expenditure)। राजस्व स्रोतों के व्यय की पूर्ति करों, रेल, डाक, तार विभाग एवं नागरिक निर्माण कार्यों द्वारा की जाती है। पूंजीगत स्रोतों के व्यय की पूर्ति मुरयन सार्वजनिक ऋणों से की जाती है। राजस्व स्रोतों के व्यय के अन्तर्गत मुख्य मर्दे इस प्रकार हैं—(क) प्रतिरक्षा व्यय (Defence Expenditure), (ख) अर्थनिक व्यय (Civil Expenditure)। इनमें राजस्व की प्रत्यक्ष मांग, अर्थनिक प्रशासन, सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाएँ, ऋण सेवाएँ तथा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले सहायक अनुदान सम्मिलित हैं। पूंजी स्रोतों के व्यय के अन्तर्गत मुख्य मर्दे इस प्रकार हैं—(क) सार्वजनिक ऋणों का भुगतान, (ख) प्रतिरक्षा, विमान-चालन, रेल, डाक-तार, औद्योगिक विकास सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएँ आदि।

भारत सरकार के व्यय की मुख्य मर्दे—भारत सरकार के व्यय की मुख्य मर्दे निम्न-लिखित हैं

(1) प्रतिरक्षा सेवाएँ (Defence Services)—यह भारत सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है। इसमें सेना, नौसेना तथा वायुसेना पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित किया गया है। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय नेता सरकार के ऊँचे प्रतिरक्षा व्यय की कटु आलोचना किया करते थे। अतः सन् 1947 के पश्चात् यह आशा की गयी थी कि सरकार के प्रतिरक्षा व्यय में आवश्यक कमी की जायगी। परन्तु कई कारणों से यह सम्भव न हो सका। प्रथम, भारत की प्रतिरक्षा सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण (modernisation) पर अधिक व्यय करना पड़ा। दूसरे, कश्मीर के मामले पर भारत के पाकिस्तान से सम्बन्ध बिगड़ गये। तीसरे, अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत के साथ विश्वासघात करते हुए उस पर आक्रमण कर दिया था। इन कारणों से भारत का अपने प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि करनी पड़ी थी। आशा की जाती है कि भविष्य में प्रतिरक्षा व्यय और अधिक बढ़ेगा। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत का प्रतिरक्षा व्यय 2,286 करोड़ रुपये था।

(2) प्रशासनिक सेवाएँ (Administrative Services)—इस मद के अन्तर्गत समद, नचिवालय, राष्ट्रमन्त्रि, मन्त्रिमण्डल एवं विभिन्न मन्त्रालयों पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित है। विगत कुछ वर्षों से प्रशासनिक सेवाएँ सम्बन्धी व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है। कुछ आलोचकों का कहना है कि प्रशासनिक सेवाओं पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जा रहा है। उनमें अनुसार प्रशासनिक सेवाओं पर इतना अधिक व्यय राष्ट्र के हित में नहीं है। वास्तव में, प्रशासनिक सेवाओं के स्थान पर सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय अधिक वांछनीय होता है, क्योंकि इनसे देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बहुमूल्य सहायता मिलती है। इसीलिए आलोचकों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि प्रशासनिक सेवाओं पर यथासम्भव कम व्यय किया जाना चाहिए, तैन्तिल भारत सरकार की बरती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए वर्तमान प्रशासनिक व्यय अनिवार्यता ही प्रतीत होगा है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार प्रशासनिक सेवाओं पर भारत सरकार ने 361 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया था।

(3) सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाएँ (Social and Development Services)—इस मद के अन्तर्गत शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कृषि, उद्योग-धन्धे, पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण आदि सेवाएँ सम्मिलित हैं। चूँकि नये संविधान के अन्तर्गत भारत में एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है इसलिए विगत कुछ वर्षों से सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाओं पर भारत सरकार का व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है और भविष्य में इसके और अधिक बढ़ने की आशा है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार इस मद पर भारत सरकार ने 1746 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया था।

(4) ऋण सेवाएँ (Debt Services)—भारत सरकार ने सिंचाई, विजली रेलों तथा उद्योग धन्धों आदि के विकास के लिए समय-समय पर देशवासियों एवं विदेशियों से ऋण लिए हैं। विशेषकर 'वर्षवर्षीय योजनाओं' के अन्तर्गत तो भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर ऋण लिए हैं। इस प्रकार के ऋणों पर प्रतिवर्ष भारत सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में व्याज चुकाना पड़ता है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार इस मद पर भारत सरकार ने 1352 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया था।

(5) कर-संग्रह व्यय (Collection of Taxes)—जैसा हम ऊपर दख चुके हैं भारत सरकार की आय का बहुत बड़ा हिस्सा करा से ही प्राप्त होता है। विगत कुछ वर्षों में 'वर्षवर्षीय योजनाओं' के लिए अधिक धन जुटाने हेतु भारत सरकार द्वारा कई प्रकार के नये कर लगाये गये हैं। स्पष्ट है कि इन करा का एवत्रित करने के लिए भारत सरकार को बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं अधिकारियों नियुक्त करने पड़ते हैं। इन पर किया गया व्यय कर-संग्रह व्यय कहा जाता है। विगत कुछ वर्षों में भारत सरकार के कर संग्रह व्यय में काफी वृद्धि हुई है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार इस मद पर भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव किया था।

(6) राज्य सरकारों को अनुदान—प्रतिवर्ष भारत सरकार वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित सिद्धान्तों के आधार पर राज्य सरकारों को सहायक अनुदान (grants-in-aid) प्रदान करती है। इन

अनुदानों से राज्य सरकारें अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को 785 करोड़ रुपये के अनुदान देन का प्रस्ताव किया था।

(7) केन्द्रीय उत्पादन करों में राज्यों का हिस्सा—जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत भारत सरकार को कुछ उत्पादन करों से प्राप्त होने वाली आय का एक निश्चित हिस्सा राज्य सरकारों में बांटना पड़ता है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार न केन्द्रीय उत्पादन करों की आय से राज्य सरकारों को 970 करोड़ रुपये देन का प्रस्ताव दिया था।

(8) सार्वजनिक निर्माण कार्य (Public Works)—जैसा विदित है, कुछ राष्ट्रीय महत्व की सड़कों एवं पुलों आदि की भरसम्त की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और इन पर प्रतिवर्ष भारत सरकार को कुछ न कुछ व्यय करना ही पड़ता है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार इस मद पर भारत सरकार न 50 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया था।

(9) परिवहन एवं संचार व्यवस्था (Transport and Communications)—परिवहन एवं संचार व्यवस्था को बनाय रखने के लिए भी भारत सरकार को प्रतिवर्ष कुछ व्यय करना पड़ता है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार इस मद पर भारत सरकार ने 99 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया था।

(10) करेंसी एवं टकसाल (Currency and Mint)—यद्यपि करेंसी एवं टकसाल भारत सरकार की आय का एक साधन भी है तथापि प्रतिवर्ष भारत सरकार को इस मद पर कुछ व्यय भी करना पड़ता है। सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार इस मद पर भारत सरकार ने 30 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया था।

सन् 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार भारत सरकार का कुल व्यय 7,690 करोड़ ₹० था। इस प्रकार भारत सरकार को 537 करोड़ ₹० की बचत प्राप्त हुई थी।

परीक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. भारत में केन्द्रीय सरकार की आय के प्रमुख साधनों और मुख्य व्ययों का विवरण दीजिए। [संकेत यहाँ पर पहले भारत सरकार की आय के मुख्य साधनों का उल्लेख कीजिए और बताइए कि इनमें से लगभग कितनी आय उपलब्ध होती है। तदुपरान्त विभिन्न मदों पर भारत सरकार द्वारा किये गये व्यय की चर्चा कीजिए। यहाँ पर आय-व्यय सम्बन्धी नवीनतम आंकड़ प्रस्तुत कीजिए।]
2. भारत सरकार के व्यय की मुख्य मदों का वर्णन कीजिए। क्या हम रक्षा पर बहुत अधिक खर्चा कर रहे हैं?

[संकेत प्रथम भाग के लिए प्रश्न 1 के उत्तर का देखिए। दूसरे भाग में, आप यह बताइए कि रक्षा पर हम अधिक खर्चा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए यह खर्चा वास्तव में कम है। हमारे दो शत्रु देश—चीन और पाकिस्तान हमारे ऊपर मिल्कर आक्रमण करने की सोच रहे हैं। इसलिए रक्षा पर तो व्यय और अधिक बढ़ाना चाहिए यद्यपि इसमें देर पर बाधा पड़ेगी।]

50

राज्य सरकारों का वित्त (Finances of the State Government)

इस अध्याय में हम राज्य सरकारों की आय के मुख्य स्रोतों तथा व्यय की मुख्य मदों का अध्ययन करेंगे।

राज्य सरकारों की आय के मुख्य स्रोत

राज्य सरकारों की आय के मुख्य स्रोतों को पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(क) कर एवं शुल्क, (ख) नागरिक प्रशासन एवं विविध कार्य, (ग) केन्द्रीय उस्तादन करो, आय-कर एवं आस्ति-कर में से राज्य सरकारों को मिलने वाला हिस्सा, (घ) भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों को मिलने वाले गृहयुक्त अनुदान, (ङ) सरकारी व्यवसायों से आय। अब हम पहले राज्य सरकारों की आय के मुख्य कर साधनों का अध्ययन करेंगे।

(1) मालगुजारी (Land Revenue)—मालगुजारी सरकार की आय का प्राचीनतम साधन है। हिन्दू एवं मुस्लिम शासनकाल में भी सरकार द्वारा किसानों से मालगुजारी वसूल की जाती थी और यह उस समय सरकार की आय का प्रमुख साधन हुआ करती थी। ब्रिटिश सरकार ने भी मालगुजारी प्रथा को जारी रखा। लॉर्ड कॉर्नवालिस (Lord Cornwallis) ने बंगाल, बिहार, असम एवं उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में स्थायी बन्दोबस्त (Permanent Settlement) लागू किया था। इसके अन्तर्गत, जमींदारों द्वारा चुकायी जाने वाली मालगुजारी सदा के लिए निश्चित कर दी गयी थी। अन्य प्रांतों में ब्रिटिश सरकार ने अस्थायी बन्दोबस्त (Temporary Settlement) की प्रणाली को क्रियान्वित किया था। इसके अन्तर्गत, कृषकों द्वारा चुकायी जाने वाली मालगुजारी 30 या 40 वर्ष के लिए ही निर्धारित की जाती थी। इस अवधि के उपरान्त मालगुजारी का पुनः निर्धारण किया जाता था। जैसा विदित है, स्थायी बन्दोबस्त प्रणाली के अन्तर्गत सरकार को बहुत हानि हुई थी। इसका कारण यह था कि कृषि उपज की कीमतें तो बढ़ गयी थी, किन्तु सरकार द्वारा ली जाने वाली मालगुजारी स्थिर ही रही। सन् 1947 के बाद कांग्रेस सरकार ने विभिन्न राज्यों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया था जिससे काश्तकारों को कुछ राहत मिल गयी।

इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में मालगुजारी का निर्धारण विभिन्न विधियों से किया जा रहा है। अफ्रीकाश राज्यों में मालगुजारी किसान की शुद्ध आय के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। उदाहरणार्थ, कुछ राज्यों में सरकार किसान की शुद्ध आय का 25 प्रतिशत भाग मालगुजारी के रूप में वसूल करती है। इसके विपरीत, कुछ अन्य राज्यों में मालगुजारी का निर्धारण व्यावहारिक आधार पर ही किया जाता है। स्मरण रहे कि अकाल, बाढ़ अथवा किसी अन्य दैवी विपत्ति के समय में सरकार किसानों को मालगुजारी के भुगतान से मुक्त कर देती है। जैसा विदित है, इस समय मालगुजारी राज्य सरकारों की आय का एक प्रमुख साधन है। धिरे-धीरे के बाद मालगुजारी का दूसरा स्थान है। सन् 1976-77 में राज्य सरकारों को मालगुजारी से लगभग 1997 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

मालगुजारी के गुण—मालगुजारी में तीन मुख्य गुण पाये जाते हैं—प्रथम, मालगुजारी निश्चिन्ता के नियम की सन्तुष्टि करती है। मालगुजारी की दर पहले से ही निश्चित होती है और किसानों से मालगुजारी वसूल करते समय सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की मनमानी नहीं की जा सकती। इस निश्चितता के कारण सरकार मालगुजारी से प्राप्त होने वाली आय का मही-मही अनुमान लगा सकती है। दूसरे, मालगुजारी सुविधा के नियम की सन्तुष्टि करती है। मालगुजारी सरकार द्वारा किसानों से फसलों की कटाई के बाद ही वसूल की जाती है और किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस दो किश्तों में एकत्रित किया जाता है, पहली किश्त रबी की फसल के बाद और दूसरी किश्त खरीफ की फसल के बाद एकत्रित की जाती है। इसके अलावा, दैवी विपत्ति के समय मालगुजारी से छूट एवं मुक्ति भी प्रदान की जाती है। तीसरे, मालगुजारी में उत्पादना का गुण भी पाया जाता है। जैसा पूर्व कहा गया है, मालगुजारी एक समय विनी-कर को छोड़कर राज्य सरकारों की आय का प्रमुखतम साधन है।

मालगुजारी के दोष—इनके दोष निम्नलिखित हैं

(क) मालगुजारी समता के सिद्धान्त को सन्तुष्ट नहीं करती। जैसा विदित है, मालगुजारी एक प्रकार का अनुपातिक कर है। सभी किसानों के लिए मालगुजारी की एक ही दर होती है जिसका परिणाम यह होता है कि गरीब किसानों पर धनी किसानों की अपेक्षा अधिक बोझ पड़ता है। इसके अलावा मालगुजारी की कोई मुक्ति-सीमा नहीं है अर्थात् सभी किसानों को मालगुजारी चुकानी पड़ती है।

(ख) मालगुजारी में लोभ का अभाव है। जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, स्थायी बन्दोबस्त प्रणाली के अन्तर्गत मालगुजारी को किसी भी दशा में बढ़ाया नहीं जा सकता था। इसी प्रकार ही अस्थायी बन्दोबस्त प्रणाली के अन्तर्गत भी 30 या 40 वर्ष तक मालगुजारी में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा सकती थी।

(ग) मालगुजारी में मितव्ययता (economy) का अभाव है। इसको वसूल करने में सरकार को बहुत व्यय करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि छोटे-छोटे किसानों में मालगुजारी वसूल करने के लिए बड़ी सहाय में कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है।

(घ) मालगुजारी सरलता के सिद्धान्त को भी सन्तुष्ट नहीं करती। मालगुजारी का निर्धारण जटिल आधार पर किया जाता है जो एक साधारण किसान की समझ से बाहर होता है। इसके अतिरिक्त, मालगुजारी के वार्षिक प्रशासन में भी कई प्रकार की त्रुटियाँ पायी जाती हैं।

कराधान जाँच आयोग (1953-54) ने मालगुजारी व्यवस्था का पुनर्गठन करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये थे—(क) सभी राज्यों में मालगुजारी की दरें एक समान होनी चाहिए। (ख) प्रत्येक दस वर्ष के बाद कृषि फसलों की कीमतों के आधार पर मालगुजारी की दरों में मशौघान किया जाना चाहिए। (ग) स्थानीय सस्थाओं (Local Bodies) को अधिक वित्तीय साधन प्रदान करने के लिए उन्हें मालगुजारी पर अधिभार (Surcharge) लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। (घ) राज्य सरकारों को मालगुजारी से उपलब्ध होने वाली आय का 15 प्रतिशत भाग स्थानीय सस्थाओं को देना चाहिए। (ङ) मालगुजारी-भार की असमानताओं को कम करने के लिए कृषि आयकर लगाया जाना चाहिए।

(1) कृषि-आयकर (Agricultural Income Tax)—यह कर सरकार द्वारा किसानों की कृषि-आय पर लगाया जाता है। कर लगाने से पूर्व किसान की आय में से कुछ कटौतियाँ कर दी जाती हैं। उदाहरणार्थ सरकार को भदा की राशि मालगुजारी, सिंचाई पर किया गया व्यय, स्थानीय कर आदि। इन भदा को किसान को चुक जाय में से निकालकर जो शेष बच रहता है, उसी पर कृषि-आयकर लगाया जाता है। आजकल कृषि-आयकर असम, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु राजस्थान और केरल राज्यों में लगाया जाता है। विभिन्न राज्यों में कृषि-आयकर की दरें एक-दूसरे की तीमारों जग-अलग हैं। उदाहरणार्थ बिहार, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में 3000 रुपये की आय तक कृषि आयकर नहीं लगाया जाता। उड़ीसा तथा राजस्थान में कर मुक्ति सीमा क्रमशः 5000 तथा 3000 रुपये है। कृषि-

आय की विभिन्न शिलाओं (Slabs) पर कृषि-आयकर विभिन्न दरों से लगाया जाता है। इस प्रकार कृषि-आयकर एक आरोही कर है। बिहार उत्तर प्रदेश केरल तमिलनाडु तथा राजस्थान में कृषि आय पर अतिकर भी लगाया जाता है।

कृषि-आयकर के पक्ष में तर्क—य इस प्रकार है

(व) जैसा विदित है मालगुजारी का भार अभीय किसानों की अपेक्षा गरीब किसानों पर अधिक पड़ता है क्योंकि मालगुजारी एक आनुपातिक कर है। मालगुजारी के भार को असमानताओं को दूर करने अथवा कम करने के लिए कृषि आयकर लगाना अत्यन्त आवश्यक ही जाता है।

(ख) कृषि-आयकर से सरकार को उमकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक आय उपलब्ध हो सकती है।

(ग) शहरों में रहने वाले व्यक्तियों पर आय कर लगाया जाता है तो कोई कारण नहीं कि गाँव में रहने वाले समृद्ध किसानों पर आय-कर क्यों न लगाया जाय।

कृषि-आयकर के विपक्ष में तर्क—य इस प्रकार हैं

(क) आलोचकों का कहना है कि कृषि-आयकर लगाने से किसानों पर दोहरा कराधान (Double Taxation) हो जाता है अर्थात् उनकी आय पर दो बार कर लगता है। एक बार तो उन्हें मालगुजारी चकानी पड़ती है और दूसरी बार उन्हें आयकर बदा करना पड़ता है। परन्तु इस तर्क में कोई विशेष सार नहीं है। इसका कारण यह है कि कृषि आयकर सभी किसानों द्वारा चुकाना नहीं जाता। अधिकांश किसान तो कृषि आयकर में मुक्त हो जाते हैं। कृषि-आयकर तो केवल समृद्धशाली किसानों पर ही लगाया जाता है।

(ख) आलोचकों का दूसरा तर्क यह है कि किसान वग प्राय निधन होता है और वह कृषि आयकर के भार को वहन करने में असमर्थ होता है। किन्तु इस तर्क में भी कोई विशेष सार प्रतीत नहीं होता। यह सत्य है कि अधिकांश किसान गरीब होते हैं और कृषि-आयकर के भार को वहन करने की स्थिति में नहीं होते। परन्तु जैसा हम ऊपर कह चुके हैं कृषि-आयकर तो केवल समृद्धशाली किसानों पर ही लगाया जाता है। वास्तव में कृषक वग में प्रचलित आय सम्बन्धी असमानताएँ दूर करने के लिए कृषि-आयकर अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है।

(ग) आलोचकों का तीसरा तर्क यह है कि कृषि आयकर के वास्तविक प्रशासन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ एवं जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश किसान अशिक्षित होते हैं और अपनी आय व्यय का समुचित हिसाब किताब नहीं रखते। परिणामतः कृषि आयकर के दर निर्धारण में बहुत कठिनाई होती है। परन्तु इसके प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि शहरों में भी बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी आय व्यय का समुचित हिसाब किताब रखते हैं अथवा नहीं रखते हैं। किन्तु उन्हें भी आयकर चुकाना पड़ता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि आयकर के विपक्ष में दिये गये तर्क प्रायः सारहीन ही हैं। अतः कृषि-आयकर का लगाया जाना वर्तमान कृषि व्यवस्था में आवश्यक प्रतीत होता है। सन् 1976-77 में राज्य सरकारी का कृषि आयकर में लगभग 172 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

कृषि-आयकर में सुधार करने हेतु कराधान जाँच आयोग ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये थे

(क) यद्यपि आय की दृष्टि से यह कर कोई अधिक उत्पादक तो नहीं है परन्तु न्याय की दृष्टि से इसे लगाना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है।

(ख) 2000 रुपये प्रतिवर्ष की आय से ऊपर वाली आय पर किसानों पर यह कर लगाया जाना चाहिए। लैबी आय वाले किसान पर यह ऊँची दर पर लगाया जाना चाहिए।

(ग) विभिन्न राज्यों में कृषि आयकर की दरों एवं छूट की सीमाओं की वर्तमान असमानताओं को यथासम्भव कम किया जाना चाहिए।

कृषि-क्षेत्र से राज्य सरकारों की आय बढ़ाने हेतु राज समिति ने कृषि-जोत कर का सुझाव दिया था। इससे प्रतिवष 200 करोड़ रु० की आय होगी।

(3) राज्य उत्पादन कर (State Excise Duties)—भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारों का शराब अफीम, भांग, गाँजा तथा अन्य नशीली वस्तुओं एवं औषधियों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इन करों को लगाने के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं—प्रथम, राज्य सरकारों के लिए आय उपलब्ध करना। दूसरे, नशीली वस्तुओं में उपभोग को इतनासाहित करना। सन् 1947 के बाद राज्य सरकारों ने नशीली वस्तुओं पर भारी उत्पादन कर लगा दिये थे। इससे अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने मद्य निषेध की नीति (Policy of Prohibition) का भी अपनाया है। इस समय महाराष्ट्र, गुजरात आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु पूर्ण मद्य निषेध की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा, असम, कर्नाटक केरल और पंजाब में आंशिक मद्य निषेध की नीति को अपनाया गया है। मद्य निषेध की इस नीति के कारण राज्य सरकारों की इस स्रोत से होने वाली आय में पर्याप्त कमी हो गयी है। सन् 1976-77 में राज्य सरकारों की उत्पादन करों में लगभग 4493 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

मद्य-निषेध नीति के पक्ष में तर्क—इसने पक्ष में दिये गये तर्क निम्नलिखित हैं

(क) नैतिक उत्थान—देश के नैतिक उत्थान के लिए मद्य-निषेध नीति अत्यन्त आवश्यक होती है।

(ख) स्वास्थ्य की उन्नति के लिए—स्वास्थ्य को समुन्नत बनाने के लिए भी मद्य निषेध नीति का समर्थन किया जाता है क्योंकि मदिरापान के कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(ग) जन कल्याण में वृद्धि—मद्य निषेध नीति के कारण मदिरापान करने वाले व्यक्तियों के व्यय में कमी आ जाती है और इस प्रकार की गयी बचत को अन्य आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर व्यय करने कल्याण में वृद्धि की जाती है।

(घ) सामाजिक बुराइयों का अन्त—समाज में अधिकांश बुराइयों मदिरापान के कारण ही उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ मदिरापान एवं अपराध-प्रवृत्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

(ङ) आयिक साधनों का कल्याणकारी उपयोगों में स्थानान्तरण—मद्य निषेध नीति के फलस्वरूप नशीली वस्तुओं के उत्पादन में कमी आती है और इस प्रकार इन उद्योगों में लगे हुए साधनों को वहाँ से निकालकर अन्य कल्याणकारी उद्योगों में लगाया जा सकता है।

मद्य-निषेध नीति के विपक्ष में तर्क—ये निम्नलिखित हैं

(क) सरकार को वित्तीय क्षति—मद्य निषेध नीति के कारण सरकार की वित्तीय क्षति होती है। इसका कारण यह है कि एक आर तो उत्पादन करों से आय कम होती जाती है और दूसरी ओर मद्य-निषेध नीति को क्रियान्वित करने पर सरकार को अधिक व्यय करना पड़ता है।

(ख) प्रशासनिक कठिनाइयाँ—मद्य-निषेध नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने में जनक प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि मद्य निषेध के फलस्वरूप मदिरा लोगो द्वारा खुप छिपकर बनायी जाती है और अदृश्य तरीकों से इसका उपभोग भी किया जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए सरकार को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(ग) कानून तथा नैतिकता की अवन्ति—जहाँ जहाँ भी मद्य निषेध की नीति अपनायी गयी है, वहाँ पर कानून एवं नैतिकता के स्तर में अवन्ति ही हुई है। लोगों का प्रायः कानून से प्रति आदर भाव कम हो गया है और वे खूबमखूब कानून की अवहेलना करते हैं। परिणामतः उनके नैतिक स्तर में भी गिरावट आ जाती है।

बिक्री-कर (Sale Tax)—बिक्री-कर से अभिप्राय उस कर से है जो राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है। बिक्री-कर और ख़रीद-कर (Purchase Tax) में अन्तर स्पष्ट है। बिक्री-कर सरकार द्वारा विक्रेताओं पर लगाया जाता है और उन्हीं से वसूल किया जाता है, जबकि ख़रीद-कर ख़रीदकों पर लगाया जाता है और उन्हीं से वसूल किया जाता है।

ह। बिना-कर के अनेक स्वरूप है—(क) चयनात्मक विक्री कर (Selective Sale Tax)—जब परिवार केवल कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर ही कर लगाती है तो इस चयनात्मक विक्री कर कहते हैं। (ख) सामान्य विक्री कर (Gross Sale Tax)—जब विक्री-कर कुछ वस्तुओं का छोड़कर शेष सभी वस्तुओं पर लगा दिया जाता है तब इसे सामान्य विक्री कर कहते हैं। (ग) कुल प्राप्ति कर (Gross Receipts Tax)—जब विक्री कर वस्तुओं पर ही नहीं बल्कि सेवाओं के विनय पर भी लगा दिया जाता है तब इस कुल प्राप्ति कर कहते हैं। (घ) एकस्तरीय विक्री कर (Single Point Tax)—जब विक्री कर विक्री के केवल एक ही स्तर पर लगाया जाता है तब इसे एकस्तरीय विक्री-कर कहते हैं। उदाहरणार्थ जब विक्री कर ज्वेलर उत्पादक द्वारा लगी गयी वस्तुओं को विक्री पर लगाया जाता है अथवा जब विक्री कर छदरा व्यापारी द्वारा लगी गयी विक्री पर लगाया जाता है तब यह एकस्तरीय विक्री कर कहते हैं। (ङ) बहुस्तरीय विक्री कर (Multi Point Sale Tax)—जब विक्री कर विभिन्न स्तरों पर लगी गयी विक्री पर लगाया जाता है तब इसे बहुस्तरीय विक्री कर कहते हैं। इसके अन्तर्गत जितनी धार वस्तुओं की विक्री होती है उतनी ही धार उन पर विक्री कर लगाया जाता है। इस प्रकार राजप्रभाव यह कर उस समय भाग लगाया जाता है जब उत्पादक अपना माल बाजार व्यापारी को बेचता है फिर यह कर उस समय भी लगाया जाता है जब थोक व्यापारी अपना माल खुदरा व्यापारी को बेचता है। अन्त में यह कर पुनः तब लगाया जाता है जब खुदरा व्यापारी अपना माल अन्तिम उपभोक्ता को बेचता है। इस प्रकार बहुस्तरीय विक्री कर विक्री के विभिन्न स्तरों पर लगाया जाता है और एक ही वस्तु पर कई बार बिना-कर लगता है।

विक्री कर के पक्ष में तर्क—य इस प्रकार है

(क) उत्पादकता (Productivity) उत्पादकता की दृष्टि में विक्री कर राज्य सरकारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। जसा हम पृथक् पृथक् कुछ राज्यों में बिना कर मानभुजारा से भा अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

(ख) लोचकता (Elasticity) विक्री-कर के पक्ष में दिया गया दूसरा तर्क यह है कि इसमें लोचकता का अर्थ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। विक्री-कर का दर में थोड़ी सी वृद्धि करने और विक्री कर के अन्तर्गत सम्मिलित की जाने वाले वस्तुओं की संख्या में थोड़ी सी वृद्धि करने पर इससे उपर-ध होन वाली आय का पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जा सकता है।

(ग) विस्तृत करवाह्यता (Wide Incidence)—विक्री कर के पक्ष में तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि इसका भार किमा विशेष वर्ग पर न पड़कर समुदाय के सभी वर्गों पर पड़ता है।

विक्री कर के दोष—य इस प्रकार है

(क) अवरोहीपन (Regressiveness)—विक्री कर का प्रथम दोष इसका अवरोहीपन स्वरूप है। इसका कारण यह है विक्री कर की दर सभी वर्गों के लिए एकसमान होती है। परिणामतः अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर विक्री कर का अधिक भार पड़ता है।

(ख) अंतरराज्यीय व्यापार पर बुरा प्रभाव—चूंकि विभिन्न राज्यों में विक्री-कर की दर अलग अलग निश्चिता की गयी है इसीलिए अंतरराज्यीय व्यापार (Inter State Trade) में एकावट उपाय हो जाती है। परिणामतः अंतरराज्यीय व्यापार में बिना-कर पर बुरा असर पड़ता है। विक्री कर की इस कठिनाई को दूर करने के लिए सन 1956 में एक कानून के अंतर्गत भारत सरकार ने तोयने सूची कपड़े वगैरे वस्तुओं लिखने जट तथा तोड़ा अस्वात जादि वस्तुओं को अंतरराज्यीय व्यापार के महत्व की वस्तुएँ घोषित कर दिया था और इस प्रकार की वस्तुओं पर विक्री कर लगाने का अधिकार भारत सरकार ने अपने-हाथ में ले लिया था। सन 1957 में भारत सरकार ने मिना में बने सूची कपड़े चीनी और तम्बाकू पर राज्यीय विक्री-कर के स्थान पर अंतिम वित्त उत्पादन कर लगा दिया था। सन 1967 में रेखनी कपड़े का भी वग सूची में सम्मिलित कर दिया गया था किन्तु इस प्रकार के अतिरिक्त उत्पादन कर से उपलब्ध होन वाली आय को राज्य सरकारों में बांट दिया जाता है।

(ग) प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयाँ—विक्री कर के वास्तविक प्रशासन में भी कई प्रकार

की उलझने उत्पन्न होती हैं, क्योंकि साधारणतः विक्री-कर कई स्तरों पर लगाया जाता है। इससे व्यापारियों को भी बहुत असुविधा एवं परेशानी होती है। उन्हें विक्री-कर सम्बन्धी विस्तृत हिसाब-किताब रखने पड़ते हैं।

(घ) कर-बंचन (Tax Evasion)—विक्री-कर की एक समस्या यह भी है कि व्यापारियों द्वारा इसका बड़े पैमाने पर वंचन किया जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए बराधान जाँच आयोग ने यह सुझाव दिया था कि छोटे-छोटे व्यापारियों को विक्री कर से मुक्त कर देना चाहिए। आय में होने वाली इस कमी का वृत्तनीय विक्रीकर लगाकर पूरा कर लेना चाहिए। इसके साथ ही आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि विभिन्न राज्यों में विक्री-कर की दरों में वर्तमान असमानताओं में आवश्यक कमी की जानी चाहिए।

(ङ) सग्रह की ऊँची लागत—विक्रीकर की एक अन्य नुति यह भी है कि इसे व्यापारियों से वसूल करने की लागत बहुत ऊँची होती है। इसका कारण यह है कि अनेक छोटे-छोटे व्यापारियों के हिमात्र-किताब की जाँच-पड़ताल करने के लिए सरकार को बड़ी सत्या में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है।

(च) विक्री-कर का स्फीतिक प्रभाव (Inflationary Effect of Sale Tax)—विक्री-कर के विपक्ष में यह भी कहा जाता है कि इसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और देश की अर्थ-व्यवस्था में स्फीतिक दशा उत्पन्न हो जाती है।

सन् 1935 के संविधान के अन्तर्गत वस्तुओं पर विक्री-कर लगाने का अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दिया गया था। भारत के नये संविधान के अन्तर्गत भी विक्री-कर लगाने एवं इसे एकत्रित करने का अधिकार राज्य सरकारों को ही दिया गया है। यद्यपि, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, कुछ अन्तरराज्यीय व्यापार के महत्त्व की वस्तुओं पर भारत सरकार को भी विक्री-कर लगाने का अधिकार है। सर्वप्रथम सन् 1939 में मद्रास सरकार ने बहुस्तरीय विक्री-कर लगाया था। इसके बाद अन्य सरकारों ने भी विक्री-कर लगाया। आज विक्री-कर सभी राज्यों में लगाया जा रहा है यद्यपि इसकी दरों में बृहत् विभिन्नता पायी जाती है। साधारणतः विक्री-कर की दो दरें होती हैं—प्रथम व दरें जो सामान्य वस्तुओं की विक्री पर लगायी जाती हैं, और दूसरे, वे दरें जो विनासिताओं पर लगायी जाती हैं।

जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, विक्री कर राज्य सरकारों की आय का अत्यन्त उत्पादक साधन है। सन् 1976-77 में राज्य सरकारों को विक्री-कर से लगभग 21658 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(5) स्टाम्प शुल्क (Stamp Duties)—राज्य सरकारों द्वारा लिये जाने वाले स्टाम्प शुल्क दो प्रकार के होते हैं—अदालती एवं गैर अदालती। अदालती शुल्कों से अभिप्राय उन शुल्कों में है जो कांटे फीस एवं अदालती स्टाम्पों के रूप में लोगों से लिये जाते हैं। गैर अदालती शुल्क व शुल्क हैं जो दण्डियों तथा अन्य दस्तावेजों पर लगाने वाले स्टाम्पों की विक्री से प्राप्त होते हैं। सन् 1976-77 में राज्य सरकारों को स्टाम्प शुल्कों से 1518 करोड़ रु० की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(6) रजिस्ट्रेशन (Registration)—इसमें अभिप्राय उस फीस से है जो दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराते समय या उनकी नक्ल प्राप्त करते समय सरकार द्वारा लोगों से ली जाती है। सन् 1976-77 में राज्य सरकारों को रजिस्ट्रेशन से लगभग 100 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(7) मनोरंजन कर (Entertainment Tax)—इसमें अभिप्राय उस कर से है जो राज्य सरकारों द्वारा सिनेमाओं, थियेटरों आदि को देखने वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है। सन् 1976-77 में इस कर से राज्य सरकारों को लगभग 1559 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(8) मोटर वाहनों पर कर—राज्य सरकारों को मोटर गाड़ियों के विक्रय एवं पेट्रोल के विक्रय पर भी कर लगाने का अधिकार है। सन् 1976-77 में इस कर से राज्य सरकारों को लगभग 2262 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(ए) नगरिक प्रशासन एवं विविध कार्य—इस मद के अंतर्गत जेल एवं न्याय विभागों से उत्पन्न होने वाली आय को सम्मिलित किया जा सकता है। इसक अतिरिक्त, राज्य सरकारों का शिक्षा माध्यमिक स्वास्थ्य चिकित्सा कृषि पशुपालन सहकारिता उद्योग धन्या जाँट से जा घाटी बंधूत आय प्राप्त होती है वह भी इसी मद के अंतर्गत शामिल की जाती है। इन प्रकार सरकार किसानों उद्योगपतियों दिव्यापिता तथा सहकारी सहाया का दिव्य मये कणों पर व्याज भी बमाती है। यह भी इसी मद में सम्मिलित किया जाता है। सन 1976-77 में नागरिक प्रशासन से राज्य सरकारों का 1672 करोड़ ₹० की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन-करों आयकर एवं आस्ति कर में से राज्य सरकारों को मिलने वाला भाग—जैसा हम पूव कह चुके हैं आयकर से उपलब्ध होने वाली आय का एक निश्चित भाग भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों में बाँट दिया जाता है। सन 1976-77 में राज्य सरकारों का आयकर से मिलने वाला हिस्सा 649 करोड़ रुपये था। इसी तरह केंद्रीय उत्पादन कर से प्राप्त होने वाली आय का एक निश्चित भाग भी राज्य सरकारों में बाँट दिया जाता है। "गंगा हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। सन 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकारों का केन्द्रीय उत्पादन करों की आय में से 970 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया गया था। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा लघु आय आस्ति-कर में से राज्य सरकारों को उनका हिस्सा दिया जाता है। सन 1976-77 में आस्ति कर की आय में लगभग 7 करोड़ ₹० राज्य सरकारों का हिस्सा प्रस्ताव किया गया था।

(घ) राज्य सरकारों को भारत सरकार से मिलने वाले सहायक अनुदान—जैसा हम पूव कह चुके हैं अनिवार्य भारत सरकार राज्य सरकारों का वित्त आयाग की सिफारिशों का आधार पर बहुत बड़ी मात्रा में सहायक अनुदान देती है। ये अनुदान राज्य सरकारों द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित विद्यमान विकासकार्यक कार्यक्रमों का क्रियान्वित करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। सन 1976-77 के बजट के अनुमानों के अनुसार राज्य सरकारों को 1258.2 करोड़ ₹० का राशि सहायक अनुदानों के रूप में देने का प्रस्ताव किया गया था।

(ङ) सरकारों से प्राप्त होने वाली आय—सरकारी आय का एक निश्चित हिस्सा

(1) वन (Forests)—भारतीय संविधान के अंतर्गत वन विभाग राज्य सरकारों के अधीन है। वना में कई प्रकार की वृक्षों एवं अन्य प्रकार का उपज प्राप्त होती है। राज्य सरकारें वना में पर्याप्त आय प्राप्त करती हैं। किंतु दुर्भाग्यवश इस समय वना का समुचित विकास नहीं हो पाया है। यदि वना के विकास हेतु सरकार द्वारा अधिक निवेश किया जाय तो अधिकतर से इतना लाभ आय बढ़ायी जा सकती है। सन 1976-77 में सभी राज्य सरकारों को वना से 35 करोड़ ₹० की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(2) सिंचाई—भारतीय संविधान के अंतर्गत सिंचाई विभाग भी राज्य सरकारों के अधीन है। राज्य सरकारें नहरों एवं नलक्या द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करती हैं और इससे वृद्धि उनके पानी दर (water rates) वसूल करती हैं। विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकारों ने बहुउद्देश्यीय नदी घाटी योजनाओं पर बहुत व्यय किया है जिसके परिणामस्वरूप सिंचाई में होने वाली आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। लेकिन सन 1976-77 में सभी राज्य सरकारों का सिंचाई से आय होने के बजाय उल्टे 50 करोड़ ₹० का हानि हुई थी। क्योंकि सिंचाई पर व्यय अत्यधिक बढ़ गया।

(3) सार्वजनिक निर्माण कार्य (Public Works)—राज्य सरकारों को सार्वजनिक निर्माण कार्य अर्थात् सरकारी भवनों का किराया तथा सड़क आदि पर लगाय गया शान्ति टैरिफों में भी कुछ आय प्राप्त होती है। सन 1976-77 में सभी राज्य सरकारों का इस बात से 100 करोड़ ₹० की आय प्राप्त होने की आशा थी।

(4) ऋण सेवामें (Debt Services)—जैसा निर्दिष्ट है राज्य सरकारें किसानों को ऋण-कार्यों के लिए सहायक ऋण प्रदान करती हैं। इसी प्रकार व्यापारिकों एवं उद्योगपतियों को

भी व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण दिये जाते हैं। इन ऋणों पर राज्य सरकार का प्रतिवध व्याज के रूप में कुछ आय प्राप्त होती है। सन 1976-77 में इस खाते से राज्य सरकार को 49 करोड़ ₹० की आय प्राप्त होने की आशा थी।

सन 1976-77 के बजटों के अनुसार राज्य सरकारों की कुल आय 8 401 4 करोड़ रुपये थी।

राज्य सरकारों के व्यय की मुख्य मदें

राज्य सरकारों के व्यय की मुख्य मदें इस प्रकार हैं

(1) राजस्व की प्रत्यक्ष माँगें (Direct Demands on Revenue)—राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के करा की बसुली पर पर्याप्त व्यय करती हैं। उदाहरणार्थ राज्य सरकारों का विनी-कर उत्पादन कर मालगुजारी सिवार्ड-कर कृषि-आयकर स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रेशन शुल्क माटर वाहन एवं मत्तारजन आदि को एकत्रित करने के लिए बड़ी सरप्रास में कमचारियों एवं अधिकारियों का नियुक्ति करनी पड़ती है और इन्हें बतन तथा भत्ता के रूप में पर्याप्त बड़ी राशि चुकानी पड़ती है। इस प्रकार का व्यय राजस्व की प्रत्यक्ष माँगों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है। सन 1976-77 में सभी राज्य सरकारों ने इस मद पर लगभग 102 4 करोड़ ₹० व्यय करने की व्यवस्था की थी। जैसा हम पूर्व देख चुके हैं एक अच्छी कर प्रणाली में मितव्ययता का गुण दिखमान होना चाहिए अर्थात् करा की बसुली पर अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु दुभाग्यवश भारतीय कर प्रणाली में इस गुण का सबंध अभाव है और करा की बसुली पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है।

(2) सुरक्षा सेवाएँ (Security Services)—इस मद के अंतर्गत सामान्य प्रशासन न्याय जेल पुलिस आदि सम्मिलित किये जाते हैं। सन 1947 से पूर्व इस मद पर प्रांतीय सरकारों की आय का एक बहुत बड़ा भाग व्यय किया जाता था। उस समय कांग्रेसी नेता प्रांतीय सरकारों के इस बड़े हुए व्यय की आलोचना किये करते थे। अतः सन 1947 के बाद यह आशा की गयी थी कि इस मद पर होने वाले व्यय में कमी हो सकेगी। किंतु दुभाग्यवश यह आशा पूरी नहीं हो सकी। इसके विपरीत प्रतिवध सुरक्षा सेवाओं पर राज्य सरकारों का व्यय निरंतर बढ़ता ही चला गया है। आलोचकों का कहना है कि कल्याणकारी राज्य में सुरक्षा सेवाओं पर अधिक व्यय नही होना चाहिए। उनका कहना है कि कल्याणकारी राज्य में सुरक्षा सेवाओं के बजाय सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाओं पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए। वास्तव में ऐसा कहना उचित ही है कि तु भारत में कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण राज्य सरकारों के लिए सुरक्षा सम्बंधी सेवाओं का व्यय में कमी करना सम्भव नहीं हो सका है और न ही भविष्य में सुरक्षा सेवाओं पर होने वाले व्यय में कमी किये जाने की कोई सम्भावना है। सन 1976-77 में राज्य सरकारों ने सुरक्षा सेवाओं पर 960 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की थी। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत चार मुख्य भाग रख जा सकते हैं

(क) सामान्य प्रशासन (General Administration) इसमें अभिप्राय उस व्यय से है जो सरकार को राज्य का सामान्य प्रशासन चलाने हेतु प्रतिवध करना पड़ता है।

(ख) न्याय (Justice)—इससे अभिप्राय उस व्यय से है जो राज्य सरकारों का अदालतों आदि पर करना पड़ता है।

(ग) जेल—राज्य सरकारों का जेलों पर भी प्रतिवध कुछ व्यय करना पड़ता है।

(घ) पुलिस—भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारों का पुलिस विभाग पर पर्याप्त राशि व्यय करनी पड़ती है। विगत कुछ वर्षों से सभी राज्यों में पुलिस पर होने वाले व्यय में निरंतर वृद्धि होती चली आ रही है। इसका कारण यह है कि इस समय देश बहुत ही नाजुक परिस्थिति में से होकर गुजर रहा है जबकि समाज विराधी तात्वा की सरगमियाँ में निरंतर वृद्धि होती चली आ रही है। परिणामतः पुलिस व्यय में वृद्धि करना अनिवार्य हो रहा है।

(3) सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाएँ (Social and Development Services) जैसा विदित है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत का उद्देश्य एक समाजवादी समाज

(Socialist Society) की स्थापना करना है। अतएव इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार को सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाओं पर अधिकारित माना में व्यय करना पड़ता है। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाओं पर किये जाने वाले व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सन् 1976-77 में राज्य सरकारों ने सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाओं पर 51366 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की थी। इस मद के अन्तर्गत कृषि, सहकारिता उद्योग एवं पशुपालन सांख्यिक स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं।

(क) कृषि वास्तव में कृषि राज्य सरकारों के व्यय की एक महत्वपूर्ण मद है। राज्य सरकारें कृषि के सुधार एवं उत्थान के लिए प्रतिवचन बहुत समय करती हैं। किसानों का सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं प्रदान की जानी है इन्हें सस्ती दरों पर अच्छे बीज वटियाँ और रासायनिक खाद आदि उपलब्ध किये जाते हैं। सन् 1976-77 में कृषि पर 1103 करोड़ रुपये का व्यय की व्यवस्था की गयी थी।

(ख) सहकारिता—राज्य सरकारें कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों के उत्थान के लिए सहकारिता आन्दोलन का बड़ा महत्व देती हैं। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गाँवों एवं नगरों में सहकारी समितियाँ स्थापित की गयी हैं। सन् 1976-77 में इस मद पर 60 करोड़ रुपये का व्यय की व्यवस्था की गयी थी।

(ग) पशुपालन (Animal Husbandry)—राज्य सरकारें पशुओं की चिकित्सा के लिए गाँवों में पशु चिकित्सकियाँ एवं अस्पताल खोलती हैं। पशुओं को महामारियों से बचाने के लिए उन्हें पशुपालन विभाग द्वारा निरोधन नेत्र भी लगाय जाते हैं। सन् 1976-77 में राज्य सरकारों ने कृषि सहकारिता एवं पशुपालन पर 80 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की थी।

(घ) उद्योग-धन्धे—राज्य सरकारें छोटे छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों का भी सभा प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करती हैं। उद्योगपतियों का नष्ट नष्ट किये जाते हैं इन्हें कच्चा माल सप्लाई किया जाता है और तैयार हुआ माल की बिक्री में उनकी सहायता की जाती है। सन् 1976-77 में सभी राज्य सरकारों ने उद्योग धन्धों पर 1135 करोड़ रुपये व्यय किये थे।

(ङ) सांख्यिक स्वास्थ्य (Public Health)—सांख्यिक स्वास्थ्य की देखभाल करना भी राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

(च) चिकित्सा—राज्य सरकारें उच्च नगरों एवं छोटे छोटे कस्बों में बीमार लोगों के उपचार के लिए अस्पताल एवं डिस्पेंसरी स्थापित करती हैं। सन् 1976-77 में राज्य सरकारों ने चिकित्सा एवं सांख्यिक स्वास्थ्य पर लगभग 6863 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की थी।

(छ) शिक्षा—बच्चा एवं नवयुवकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना भी राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारें न केवल सामान्य बालिक टैरनीकल शिक्षा की भी व्यवस्था करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा पर हानि या नुकसान व्यय निरन्तर घटता ही चला जा रहा है। सन् 1976-77 में सभी राज्य सरकारों ने शिक्षा पर 17672 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की थी।

(ज) सांख्यिक निर्माण-कार्य (Public Works)—जैसा विस्तृत है राज्य सरकारें प्रति वर्ष सड़कों भवनों आदि पर भी व्यय करती हैं। सन् 1976-77 में राज्य सरकारों द्वारा इस मद पर 300 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गयी थी।

(झ) सिंचाई—जैसा हम पूरे पहले हैं किसानों के लिए नहरों सिंचाई की व्यवस्था करना भी राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। सन् 1976-77 में सभी राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई पर 80 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गयी थी।

(ञ) सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (Community Development Projects)—प्रधानों के अधिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए सन् 1952 से राज्य सरकारों ने

विक्रान कायन्तम नियाचित किया ह । सन 1976 77 म सभा राज्य सरकारो न इरा मद पर 190 कराड रुपय व्यय करन की व्यवस्था की थी ।

(4) ऋण सेवाए (Debt Services)—पचवर्षीय धाजनाआ का नियाचित करन व तिए राज्य सरकार सधाय सरकार से बडे पैमान पर ऋण प्राप्त करती ह । अत उह प्रतिबध इन ऋणा पर ध्याज अदा करना पडता ह । सन 1976 77 म सभी राज्य सरकारा ने ऋण सेवाओ पर 934 5 कराड रुपय व्यय करन का व्यवस्था की थी ।

सन 1976 77 क बजटा क अनुसार राज्य सरकारा का कुल व्यय 7783 6 कराड रुपय था ।

राज्यीय वित्त मे नवीन प्रवृत्तिया (Recent Trends in State Finances)

बिगन 20 वषा म राज्यीय वित्त मे कई प्रकार क परिवर्तन हुए है । राज्यीय वित्त म प्रचलित नवीन प्रवृत्तिया निम्नलिखित है

(1) राज्य सरकारा की आय एव व्यय म भारी वृद्धि हुई है । विगत कुछ वर्षों म राज्य सरकारा न कई प्रकार के नय कर लगाय है जिनक परिणामस्वरूप उनकी आय म पर्याप्त वृद्धि हुई ह । एना प्रकार पचवर्षीय योजनाओ क कारण विगत कुछ वर्षों मे राज्य सरकारो क व्यय म भी पर्याप्त वृद्धि हुए ।

(2) विगत कुछ वर्षों म विनी-कर राज्य सरकारो का आय का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया ह । सन 1939 40 स पूव राज्यों म विनी कर नही हुआ करता था । वित्त अत यह राज्य सरकारा की आय का प्रमुखन साधन हो गया है । सन 1976 77 म राज्य सरकारा का विनी कर से लगभग 2165 8 करोड रुपय की आय प्राप्त हुई था ।

(3) विगत कुछ वर्षों म राज्याय वित्त के अवरोहण (recessiveness) म वृद्धि हुई है विगपकर विना कर लगान स तथा स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मनारजन कर तथा राज्य उत्पादन करा म वृद्धि हान से राज्यीय वित्त म अवरोहण का अश पहल की अपक्षा बन गया ह ।

(4) विगत कुछ वषा म मद्य निषध (Prohibition) की नीति के वारण उत्पादन करो स राज्य सरकारा की आय बढती जा रहा है । दूसर विश्व युद्ध क दारान उत्पादन करो स राज्य सरकारा का आय बन्त बन गया था परंतु युद्ध क पश्चात राज्य सरकारा द्वारा मद्य निषध की नीति अपनाय जान क फलस्वरूप एन स्रात से राज्यों का आय म पर्याप्त वमी हुई है । भविष्य म इस स्रात म हान वाली आय म आर भी अधिक कमी हान की सम्भावना है । तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र जम राज्या न ता मद्य निषध का नीति का पूरण रूप मे अपनाया है जबकि कुछ अन्य राज्या म एम आंशिक रूप म ही अपनाया गया है । मद्य निषध की नीति के परिणामस्वरूप राज्य सरकारा का वित्ताय स्थिति म बहुत कठिनाइया उत्पन्न हा गयो है और दूसरा आर मद्य निषध नीति का नियाचिन करन पर उह अधिक व्यय करना पड रहा है ।

(5) पचवषाय योजनाओ का नियाचित करन हेतु राज्य सरकारा का भारत सरकार स मितन बाता वित्ताय नहायता म वृद्धि हुई है । अत राज्य सरकारो को जायकर आस्ति कर तथा उत्पादन करा म म पन्न की अपक्षा भारत सरकार स अत्रिक हिस्सा मिलता है । इसक साथ ही साथ राज्य सरकारो का केन्द्र स मितने बात सहायन अनुगना म भा पर्याप्त वृद्धि हुई है । सन 1956 57 म राज्य सरकारा को केन्द्र से 373 करोड रुपय की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी । सन 1976 77 मे यह बढकर 1258 2 कराड रुपय हा गया थी ।

(6) विगत कुछ वर्षों स राज्य सरकारो क बजटा म निरंतर घाट का प्रवृत्ति नियाशील रहा ह अथात राज्य सरकारा क व्यय उनका आय की तुलना म अधिक रह ह । इसके दो मुख्य कारण ह प्रथम राज्य सरकारा को पचवर्षीय योजनाआ पर पर्याप्त राशि व्यय करनी पडता ह । दूसर राज्य सरकारा का पटन का अपभा क मचारिया एव अधिकागिया का अधिध वेतन एव भत्त देने पड रह है ।

(7) विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकारों की नकद निधियों (cash reserves) में गृहण हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं को नियमित करने के लिए राज्य सरकार अपनी नकद निधियों में से पहले की अपेक्षा अधिक धन निकाल रही हैं। कुछ सरकारों ने तो अपनी नकद निधियों का पूणत समाप्त ही कर लिया है।

(8) विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकारों के विकासात्मक व्यय में अपभ्रांक्षित अधिक वृद्धि हुई है। इसमें संदेह नहीं कि सामान्य प्रशासन पर भी पहले की अपेक्षा राज्य सरकारों का व्यय बढ़ गया है। तबिन यह वृद्धि उस अनुपात में नहीं हुई जिसमें विकासात्मक व्यय का वृद्धि हुई है। अपान विकासात्मक व्यय सामान्य प्रशासन व्यय की अपेक्षा अधिक तजी से बढ़ा है।

(9) विगत कुछ वर्षों में विकासात्मक परियोजनाओं को नियमित करने के लिए राज्य सरकारों को मुद्रा-बाजार से अधिकाधिक मात्रा में दीधकालीन ऋण लेने पड़े हैं।

(10) विगत कुछ वर्षों में राज्तीय वित्त में विविधीकरण (diversity) का प्रवृत्ति भा कायशील रही है। कई प्रकार के नय-नय कर लगाये गये हैं। इनमें से मनोरजन कर भूमि सुधार कर गाडियों पर कर मानगुजारी पर सरचाज तथा शिक्षा-कर (Education Cess) उल्लेखनीय हैं।

राज्य वित्त की मुटियाँ (Shortcomings of State Finances)

य इस प्रकार हैं

(1) राज्य सरकारों की बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं को दस्त दिए उनकी आय के वतमान साधन न केवल अपायान स्थिर एवं तेजाब भी हैं। उदाहरणार्थ मालगुजारी एवं स्टाम्प शुल्कों से राज्य सरकारों का हान वाली आय लगभग स्थिर ही है। इसी प्रकार राज्य सरकारों की उत्पादन करा से हान वाली आय में निरंतर ह्रास हो रहा है। वास्तव में राज्य सरकारों की वतमान वित्तीय स्थिति दुभाग्यपूर्ण है। संविधान व अतगत राज्य सरकारों को जो काम सौंप गये हैं वानान्तर में उन पर अधिकाधिक व्यय की आवश्यकता पड़ती है परंतु राज्य सरकारों का आय के जा साधन साध गये हैं व अतिव्याप्त स्थिर एवं वनोचर है। परिणामतः राज्य सरकारों को अपन शक्ति का निभाने व विष केंद्रीय सरकार से ऋण एवं सहायक अनुदान लेने के लिए विवश होना पड़ता है।

(2) राज्तीय कराधान का भार समुदाय व विभिन्न वर्गों पर समानता व आधार पर वितरित नहीं किया गया है। हुगर श्रवण में राज्तीय कराधान का मुख्य भार धनिका की अपेक्षा निधनों पर अधिक पड़ता है। मालगुजारी मिचार्ड कर स्टाम्प शुल्क एवं विनी कर का मुख्य भार गरीबों पर ही अधिक पड़ता है।

(3) राज्य सरकारों का वित्तीय नीति जन्तुन एवं नकिमानसी है। व आय के साधनों का विकास वरन व बजाय व्यय में कमी करना अधिक अच्छा समगती है। उदाहरणार्थ बना का विकास करने के लिए राज्य सरकार अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि कर सकती हैं परंतु दुभाग्यवश अधिकांश राज्यों में ऐसा करने का प्रयास नहीं किया है।

(4) विभिन्न राज्यों की कर संरचनाओं (tax structures) में एकसूपता का अभाव है। विभिन्न राज्यों व प्रति व्यक्ति कराधान में भी बहुत विभिन्नता पाया जाती है। मुख्यतः यह विभिन्नता राज्यों के विकास स्तरों की भिन्नता के कारण ही है। उदाहरणार्थ पान व्यक्ति करा धान महाराष्ट्र में सबसे अधिक तथा उडसा में सबसे कम है। परंतु विगत कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति कराधान में होने वाली असमानताओं का कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(5) राज्य सरकारों का व्यय का वितरण भी असन्तोषजनक है। राज्य सरकारों की आय का मुख्य भाग राजस्व की प्रत्यक्ष मांगा एवं सुरक्षा सेवाओं द्वारा हूष लिया जाता है। सामाजिक एवं विकासात्मक सेवाओं के लिए बहुत कम बच रहता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों का व्यय गरीबों की अपेक्षा अमीरों को अधिक लाभान्वित करता है।

राज्यीय वित्त में सुधार का सूत्राव

राज्याय वित्त के उपरोक्त दाया एवं नुटियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुचाव प्रस्तुत किय गये हैं

(1) राज्य सरकारों की आय को अपघातता का दूर करने के लिए समुचित नये कर लगाने और कर साधना का विकास करने (अथवा आधुनिक एवं व्यापारिक उद्यम स्थापित करने) तथा कर प्रशासन में आवश्यक सुधार करने के सूत्राव प्रस्तुत किय गये हैं।

(2) राज्याय वित्त के अवरोहीपन (regressiveness) का दूर करने के लिए सुचाव दिया गया है कि राज्य सरकार कृषि आय पर आरोही कर लगायें और इसका साथ ही साथ धनी वर्ग द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर ऊँचे कर लगाये जायें।

(3) राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अपने कुछ विशेष करों का नुटिया को यथासम्भव दूर करने का प्रयत्न करें। उदाहरणार्थ उन्हें मालगुजारी में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने चाहिए। विशेषकर गैर आर्थिक जमा (Uneconomic Holdings) के स्वामियों को मालगुजारी में भुगतान से मुक्त कर देना चाहिए। इसके साथ ही विनीकरण का आवश्यक युक्तिकरण (rationalisation) करने की आवश्यकता है।

(4) राज्य सरकारों को यथासम्भव अपना कर-संरचना का विविधीकरण करना चाहिए अर्थात् उन्हें मालगुजारी एवं विनीकरण पर ही निर्भर न रहकर आय के अन्य स्रोतों का विकास करना चाहिए।

(5) राज्य सरकारों का यथासम्भव नागरिक प्रशासन व्यय में कमी करनी चाहिए। विशेषकर शिक्षण प्रशासन की लागत को कम करना तो अत्यंत आवश्यक है।

(6) राज्याय एवं म्थानाय वित्त में समुचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन की ये दोनों इकाइयाँ मिल जुलकर लोगों को आवश्यक सामाजिक सेवाएँ प्रदान कर सकें।

भारतीय कर प्रणाली के दोष

(Defects of the Indian Tax System)

जब तक हमें भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के वित्त का विस्तृत अध्ययन किया है। जब हम भारतीय कर प्रणाली का समग्र रूप में अध्ययन करेंगे। इस प्रणाली के मुख्य दोष निम्न लिखित हैं।

(1) भारतीय कर प्रणाली किसी पूर्व निर्धारित योजना पर आधारित नहीं है अर्थात् इसका विकास किसी ब्रह्मानिक आधार पर नहीं किया गया है। इसे तो मुख्यतः सामयिक आवश्यकताओं के अनुसार ही ताला गया है। इस प्रणाली का निर्माण करते समय दण्ड में उत्पादन एवं वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

(2) इस कर प्रणाली में प्रयोजिता एवं लाभकता का भाव अभाव है। दूसरे शब्दों में सरकार की आय के साधन न केवल अपर्याप्त बल्कि विलोभ भी हैं। देश की सामाजिक सेवाओं सम्बंधी आवश्यकताओं का खर्चे हुए के द्रीय एवं राज्य सरकारों की आय के साधन सीमित प्रतीत होते हैं।

(3) इस कर प्रणाली में अप्रत्यक्ष करों की अधिकता = भारत में कर प्रणाली में प्रत्यक्ष कर अधिक मात्रा में नहीं पाये जाते। यह प्रणाली अधिकांशतः अप्रत्यक्ष करों पर ही निर्भर रहती है। इसमें संदेह नहीं कि लागत कुछ वर्षों में अन्तिम कर सम्पत्ति पर उपहार कर एवं व्यय कर—जैसे कुछ प्रयत्न कर लगाये गये हैं। परंतु इनसे उत्पन्न होने वाली आय बहुत कम है। राज्याय एवं केंद्रीय सरकारों की आय का मुख्य भाग अप्रत्यक्ष करों से ही उपलब्ध होता है।

(4) इस कर प्रणाली का अवरोही स्वरूप अत्यंत आपत्तिजनक है। दूसरे शब्दों में भारतीय कर प्रणाली समता प्रणियम को संतुष्ट नहीं करती। भारत में अमीरों की अपभवा गरीबों पर करों का भार अधिक पड़ता है। आयकर का छोड़कर शेष सभी कर अवरोही ही हैं। मालगुजारी

तो सबसे अधिक अवरोधी कर है। इसी प्रकार सीमा शुल्को उत्पादन करो स्टाम्प शुल्को आदि का भार अमीरा की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। विगत कुछ वर्षों में विन्डी-कर तथा वनस्पति चाय तम्बाकू सुपारी एवं शीडिया पर लगने वाले उत्पादन करों से भारतीय कर प्रणाली का अवरोधीपन में और अधिक वृद्धि हुई है।

(5) भारतीय कर प्रणाली परम्परागत (traditional) और अनुदाग (conservative) है। इसमें मालगुजारी एवं उत्पादन कर जैसे अवरोधी कर आज भी विद्यमान हैं जबकि सभी दिशाओं में उनकी आधुनिकता की गयी है। आस्ति-कर उगहार कर एवं सम्पत्ति कर जैसे प्रगतिशील कर हाल ही में कुछ वर्षों में लागू किये गये हैं।

(6) सपीय सरकार राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों (local bodies) के बीच आय माधना का अंतर अत्यन्त वृद्धिपूर्ण है। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं राज्य सरकारों के दायित्वों में निरन्तर वृद्धि होती चली जा रही है किन्तु इन दायित्वों की निभाने हेतु उच्च आय के जो माधन सीपे गये हैं वे न उच्च अपर्याप्त बल्कि बेतुल्य भी हैं। इसी प्रकार स्थानीय निकायों को भी सीपे गये आय का साधन अत्यन्त अपर्याप्त एवं तुल्यकारक है यद्यपि उनमें कार्यो में निरन्तर वृद्धि जारी चली जा रही है। माधना की इस अपर्याप्तता के ही कारण स्थानीय निकाय अपने उत्तरदायित्व को उचित ढंग से निभाने में असमर्थ रहते हैं।

(7) भारतीय कर प्रणाली में कुशांतरता का भी अभाव है। विशेषकर सरकार के कर प्रशासन में कई प्रकार की त्रुटियाँ पायी जाती हैं। यही कारण है कि भारत में बड़े पैमाने पर कर अपवचन (tax evasion) किया जा रहा है। प्रो० कार्डर (Kaldor) के अनुमान के अनुसार इस अपवचन की वार्षिक मात्रा 20% से 300 करोड़ रुपये तक की है।

विगत-कुछ वर्षों में व्यवसायी एवं उद्योगपति वर्गों द्वारा नये करों की तीव्र आलोचना की गयी है। उन्होंने सरकार की नये कर नीति के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रगाथ हैं।

(1) नये करों ने निजी क्षेत्र (Private Sector) में पूंजी संचय तथा आर्थिक विकास की गति को धीमा कर दिया है जिससे व्यवसायिक एवं उद्योगपतियों पर इनका प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है।

(2) नये करों से प्राप्त होने वाली आय लगभग नगण्य है जबकि इसको एकत्रित करने की लागत अपेक्षाकृत अधिक है। जतन्य दृष्टिकोण में नये कर कोई अच्छे कर सिद्ध नहीं हुए हैं।

(3) कराधान के समता उद्देश्य पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यद्यपि सम्पत्ति एवं आय के वितरण में समानता का होना वांछनीय ही प्रतीत होता है तथापि सामाजिक न्याय की इस इच्छा का समुचित सीमाओं के भीतर ही रखा जाना चाहिए क्योंकि समता पर अत्यधिक जोर देने से आर्थिक विकास की तीव्र गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(4) विगत कुछ वर्षों में कराधान के अपेक्षित ऊँचे स्तर के कारण विदेशी पूंजी का प्रवाह हतोत्साहित हुआ है। इसका कारण यह है कि ऊँचे करों के परिणामस्वरूप विदेशी पूंजी पर न्याय जाने वाले लाभ में ह्रास हुआ है।

(5) भारत में कराधान देश के दीर्घकालीन आर्थिक विकास को समुन्नत करने में सहायक सिद्ध नहीं हुआ है। सरकार की कराधान नीतियों में समन्वय का अभाव है और न ही सरकार ने अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी समुचित दीर्घकालीन कराधान नीति का अनुसरण ही किया है। सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के ही कर लगाये जाते हैं।

सुधार के सुझाव—वर्तमान कर प्रणाली का दोषा एवं त्रुटियों को दूर करने हेतु निम्न लिखित सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

(1) मालगुजारी सिंचाई कर आवश्यक वस्तुओं पर नये उत्पादन कर तथा विन्डी-कर आदि अवरोधी करों का समाप्त किया जाना चाहिए। विलासिताओं पर अधिक ऊँची करा पर कर लाने चाहिए ताकि कर प्रणाली का वर्तमान अवरोधी स्वरूप में सभी को जा सके।

(2) वर्तमान कर प्रणाली में प्रत्यक्ष करों पर अधिक वल दिया जाना चाहिए। विगत कुछ

वर्षों में लगाये गये नये कर (जैसे आस्ति-कर सम्पत्ति कर व्यय कर उपहार कर एव कृषि आयकर) बाम्बव म उचित ही है। इनके अतिरिक्त अप्रत्याशित सम्पत्तिया की प्राप्ति पर भी प्रगतिशील दरा पर कर लगाय जान चाहिए।

(3) कर-अपवचन स होने वाली बतमान क्षति को बडाइ क माय राक्षना चाहिए। इस उन्ध्य की पूर्ति के लिए कर प्रशासन प्रणानी का सुदृष्ट बनाना नितान्त आवश्यक ह।

(4) अधिक आय प्राप्ति के लिए विभिन्न करा क क्षत्रा का विस्तत किया जाना चाहिए।

(5) अतिरिक्त कोत्र म सावजनिक ध्यय म परिवतन करके कर प्रणाली की नुटिया को दूर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्द म नागरिक प्रशासन पर हान वात्रे व्यय मे कमा करके सामाजिक एव विकामामक सेवाआ पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

- 1 भारत मे राज्य सरकारो की आय के मुख्य स्रोतो एव व्यय की मुख्य मद्दो की विवेचना कीजिए। (आगरा 1965)

अथवा

भारत मे राज्य सरकारो के बजटो की मुख्य विशेषताए बताइए। (राजस्थान 1967)

[संकेत—प्रथम भाग म राज्य सरकारा का आय क मुख्य स्रोता की चर्चा कीजिए और दूसर भाग म उनके व्यय की मुख्य मद्दो का वर्णन कीजिए। आय एव व्यय की मुख्य मद्दो का विवेचना करते समय नवीनतम आकडे भी प्रस्तुत कीजिए]

- 2 राज्याय वित्त मे होने वाली हाल को प्रवर्तियो की चर्चा कीजिए। (जवन्पुर 1962)

[संकेत—यहा पर राष्ट्रीय वित्त की महत्वपूर्ण प्रवर्तियो की चर्चा कीजिए और संक्षेप म यह भी बताए कि राष्ट्रीय वित्त की मुख्य नुटियो को कस दूर किया जा सकता है।]

- 3 यहा पर कर प्रणाली के मुख्य दोष क्या-क्या हैं और उहे कसे दूर किया जा सकता है?

(पंजाब 1965)

[संकेत प्रथम भाग म भारतीय कर प्रणानी का मुख्य नुटियो की विवेचना कीजिए और दूसर भाग म संक्षेप म यह बताइए कि उहे कसे दूर किया जा सकता है।]

51

स्थानीय वित्त (Local Finance)

स्थानीय वित्त का अर्थ

स्थानीय वित्त से अभिप्राय स्थानीय निकाया के वित्त से है। जैसा कि विदित है, भारत में हम समय-वार प्रचार के स्थानीय निकाय (Local Bodies) हैं—ग्राम पंचायत जिला परिषद नगरपालिकाएँ तथा नगर निगम। स्थानीय वित्त में अभिप्राय इन संस्थानों के वित्त से है। वास्तव में, ये स्थानीय संस्थाएँ देश की प्रशासन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही सम्पन्न किये जा सकते हैं, जैसे मृत्तु की निर्माण एवं मरम्मत, जन और शिक्षण की पूर्ति सफाई एवं चिकित्सा तथा प्राथमिक शिक्षा आदि। राज्य सरकारों की अपेक्षा स्थानीय संस्थाएँ इन कार्यों को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग में सम्पन्न कर सकती हैं।

ग्राम पंचायत—इस समय भारत के सभी राज्या में ग्राम पंचायत बन चुकी हैं। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2 12 398 है और देश की कुल ग्रामीण संख्या का 99 प्रतिशत भाग इनके अंतर्गत आता है। प्रायः प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती है परंतु कभी-कभी छोटे गांवों को पंच के बड़े गांव से मिलाकर एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत रखा जाता है। ग्राम पंचायतें विभिन्न प्रकार के कार्य सम्पन्न करती हैं। इनके मुख्य कार्य पंचायतघरों का निर्माण करना पीन के पानी की व्यवस्था करना गांव में सड़कों तथा नालियों का निर्माण करना, रोगियों की व्यवस्था करना प्राथमिकी स्कूल एवं डिस्पेंसरी का निर्माण करना तथा जय और मृत्यु दर के आँकड़ों को एकत्रित करना कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की देखभाल करना है। इन कार्यों का सम्पन्न करने हेतु पंचायत द्वारा भूमि माली तथा वस्तुओं की विनी पर कर लगाते हैं। उन्हें वस्तुओं पर चर्पी-कर लगाने का भी अधिकार है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को कुछ अदानों एवं पुलिस सम्बन्धी अधिकार भी दिये गये हैं।

जिला परिषद—प्रत्येक जिले में जिला परिषद गठित किया गया है। इसके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले मुख्य मुख्य कार्य इस प्रकार हैं—(क) जिले की सड़कों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत (ख) मनुष्यों तथा पशुओं के लिए जल पूर्ति की व्यवस्था करना (ग) सफाई का प्रबंध करना (घ) अस्पतालों एवं चिकित्सालयों आदि की स्थापना करना और उनकी देखभाल करना (ङ) वृक्षों का लगाना (च) सफाई की व्यवस्था तथा बीमारियों की रोकथाम करना (छ) प्राथमिकी स्कूलों एवं पुस्तकालयों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना।

नगरपालिकाएँ (Municipalities)—प्रत्येक नगर में एक नगरपालिका होती है। इसके कार्य भी लगभग वही होते हैं जो जिला परिषद के हात में हैं। नगरपालिका का प्रमुख कार्य इस प्रकार है—(क) सड़कों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत करना (ख) सड़कों पर रोगियों की व्यवस्था करना (ग) नगर में सफाई का व्यवस्था करना (घ) नगर में जल पूर्ति एवं बिजली पूर्ति की व्यवस्था करना (ङ) अस्पतालों एवं डिस्पेंसरी का निर्माण तथा उनकी देखभाल करना

(च) प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था करना (छ) नालियों का निर्माण करना (ज) उद्यानो एव कार्यों की व्यवस्था करना (झ) मेलो तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना ।

नगर निगम (Municipal Corporations)—बड़े बड़े शहरों में नगरपालिकाओं के स्थान पर निगम संगठित किये गये हैं । इनके कार्य नगरपालिकाओं की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं । यह नगरपालिकाओं की अपेक्षा सरकारी नियंत्रण से भी अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता प्राप्ति हैं । नगरपालिकाओं की तुलना में इनको अधिक विस्तृत वरदान सम्बन्धी अधिकार दिये गये हैं । जहाँ तक साधारण कार्यों का सम्बन्ध है, नगर निगमों के कार्य लगभग वही हैं जो नगरपालिकाओं द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं ।

स्थानीय सस्थाओं की वित्त व्यवस्था

स्थानीय सस्थाओं के साधना को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(क) आय के स्रोत (Tax Sources of Revenue) (ख) आय के गैर-कर स्रोत (Non Tax Sources of Revenue) । स्थानीय सस्थाओं के कर स्रोतों को आगे चलकर दो उपविभागों में विभाजित किया जा सकता है—(अ) स्थानीय सस्थाओं द्वारा लगाय गये कर (आ) राज्य सरकार द्वारा लगाये गये तथा एकत्रित किये गये करों में से स्थानीय सस्थाओं को प्राप्त होने वाला हिस्सा । इसी प्रकार गैर कर स्रोतों का भी तीन उपविभागों में विभाजित किया जा सकता है—(अ) राज्य सरकार से उपलब्ध होने वाले सहायक अनुदान (आ) ऋण तथा उपदान (Subsidies) (इ) अन्य साधन । अब हम स्थानीय सस्थाओं के मुख्य वित्तीय साधनों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

(1) **कराधान (Taxation)**—स्थानीय सस्थाओं द्वारा कई प्रकार के कर लगाये जाते हैं—(अ) ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के कर लगाये जाते हैं किन्तु सम्पत्ति कर (Property Tax) लगभग सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है । बहुत से राज्यों में पंचायतों को सेवा कर (Service Tax) मानगुजारी पर अधिभार (Surcharge on Land Revenue) विभिन्न पेशों तथा औद्योगिकों पर कर पशुओं एव गाड़ियों पर कर लगाने का अधिकार है । इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में पंचायत चूरी यात्रीकर माल की बिनी पर कर, मेना तथा प्रदर्शनियों पर कर तथा विशाहों पर भी कर लगा सकते हैं । किन्तु ऐसा करने के लिए उन्हें राज्य सरकारों से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है । (ब) ग्राम पंचायतों की भाँति जिना परिषदों को भी कर लगाने के अधिकार दिये गये हैं यद्यपि ये अधिकार इतने व्यापक नहीं हैं जितने कि ग्राम पंचायतों के हैं । जिना परिषदों द्वारा लगाया जान वाला सबसे महत्वपूर्ण कर भूमि उप कर (Land Cess) है । इसके अतिरिक्त जिना परिषदें सम्पत्ति हस्तांतरण कर, सम्पत्ति कर वृत्ति कर आदि भी लगा सकती हैं । जैसा कि स्पष्ट हो है, जिना परिषदों द्वारा लगाये जाने वाले अधिकारों पर प्रायः स्थिर एवं वेलेचदार ही हैं । (द) नगरपालिकाओं को भी कर लगाने का अधिकार दिया गया है । नगरपालिकाएँ भवना तथा भूमि पर कर सेवा कर, सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कर वृत्तिकर (Profession Tax) सम्पत्ति कर चूरी तथा सीमांत कर पाशों तथा गाड़ियों पर कर आदि लगा सकती हैं । किन्तु नगरपालिकाओं की आय के प्रमुख साधन चूरी तथा सीमांत कर (Octro and Terminal Tax) ही हैं यद्यपि सम्पत्ति कर भी इनकी आय का एक महत्वपूर्ण साधन है । (इ) नगरपालिकाओं का भाँति नगर निगम भी कई प्रकार के कर लगा सकते हैं । नगर निगमों द्वारा लगाये जाने वाले कर लगभग वही होते हैं जो नगरपालिकाओं द्वारा लगाये जाते हैं किन्तु नगर निगमों को इस प्रकार के कर लगाने का नगरपालिकाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्रता प्राप्ति है ।

(2) **करों के हिस्सों का वितरण**—कुछ कर ऐसे हैं जो राज्य सरकारों द्वारा लगाये तथा एकत्रित किये जाते हैं । परन्तु उनका आय का कुछ भाग स्थानीय सस्थाओं में वितरित कर दिया जाता है । प्रायः सभी राज्यों में मोटर वाहन कर (Motor Vehicle Tax) की आय का एक निश्चित भाग स्थानीय सस्थाओं में वांट दिया जाता है । इसी प्रकार कुछ राज्यों में मानगुजारी से होने वाली आय का निश्चित भाग ग्राम पंचायतों तथा जिना परिषदों में वितरित कर दिया जाता है । कुछ राज्यों में मनोरंजन कर (Entertainment Tax) का कुछ भाग स्थानीय सस्थाओं में वितरित कर दिया जाता है । कराधान आब जायोग की विभागों के अनुसार मानगुजारी

का कम से कम 15 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों में अवश्य ही वितरित कर दिया जाना चाहिए।

(3) स्थानीय संस्थाओं को मिलने वाले सहायक अनुदान—सभी राज्यों में स्थानीय संस्थाओं को राज्य सरकारों की आर से सहायक अनुदान दिये जाते हैं, किन्तु ये अनुदान इन संस्थाओं की आय का कोई महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। ये सहायक अनुदान दो प्रकार के होते हैं— सामान्य अनुदान (General Grants) तथा विशिष्ट अनुदान (Specific Grants)। सामान्य अनुदान वे होते हैं जो स्थानीय संस्थाओं को सामान्य उद्देश्यों के लिए दिये जाते हैं। इसके विपरीत, विशिष्ट अनुदान वे होते हैं जो स्थानीय संस्थाओं को कुछ विशिष्ट व्ययों की पूर्ति के लिए दिये जाते हैं। वास्तव में सहायक अनुदानों का स्थानीय संस्थाओं के लिए बड़ा महत्व है— प्रथम, इन अनुदानों से स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने में गृहयोजना मिलती है। दूसरे, सहायक अनुदानों के माध्यम से राज्य सरकार स्थानीय संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों में एकरूपता स्थापित कर सकती है।

(4) ऋण एवं उपदान (Loans and Subsidies)—नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों को सड़क निर्माण नालियाँ की व्यवस्था गर्दो वस्तियाँ की सफाई तथा जल एवं विद्युत-पूर्ति आदि अनेक योजनाओं के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। चूँकि इन संस्थाओं की साख अधिक ऊँची नहीं होती इसलिए उन्हें मुद्रा बाजार में ऋण लेना कठिन ही होती है। अतः कराधान जीव आयोग ने यह सुझाव दिया कि राज्य सरकारों का नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों की गारन्टी चाहिए। यदि फिर भी ये ऋण उपयोजन हो ता राज्य सरकारों को मन्ती व्याज-दरों पर अपनी ओर से इन्हें ऋण देना चाहिए। कुछ विशेष परिणामों के लिए तो राज्य सरकारों का उपदान (Subsidies) भी देने चाहिए।

(5) आय के गैर-कर स्रोत—जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, स्थानीय संस्थाओं की आय के कुछ गैर-कर स्रोत भी हैं, यद्यपि ये उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि उनकी आय के कर स्रोत। बड़े-बड़े नगरों में कुछ नगरपालिकाएँ एवं नगर निगम नगरवासियों के लिए विजली, पानी तथा मोटर-परिवहन आदि की व्यवस्था भी करते हैं। इन उद्योगों से भी उन्हें आय प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त नगरपालिकाओं को भवनों एवं भूमि के किराये से भी आमदनी प्राप्त होगी है। ग्राम पंचायत तथा जिला परिषदों, मेलों एवं प्रदर्शनियों में दुकानों तथा स्टालों को किराये पर देकर भी कुछ आय प्राप्त करती है।

कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय कर—ये निम्नलिखित हैं

(1) सम्पत्ति कर (Property Tax)—स्थानीय करों में सम्पत्ति कर का महत्वपूर्ण स्थान है। सम्पत्ति कर मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं—(क) मकानों पर कर, (ख) सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर—(ग) भूमि पर उपकर (घ) सुधार कर (Betterment Levy)। मकानों पर लगाये जाने वाले सम्पत्ति कर के भी दो मुख्य रूप होते हैं— सामान्य कर तथा सेवा कर (Service Tax) सामान्य सम्पत्ति कर से अभिप्राय उस कर में है जो सम्पत्ति के वार्षिक किराया मूल्य (annual rental value) पर लगाया जाता है। इसके विपरीत, सेवा कर वह कर है जो जल-पूर्ति, सड़कों की सफाई एवं शिक्षा आदि के लिए नागरिकों पर लगाया जाता है। सेवा कर भी सम्पत्ति के वार्षिक किराया मूल्य पर ही लगाया जाता है। सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर भी कर नगरपालिकाओं द्वारा लगाये जाते हैं। कुछ राज्यों में जिला परिषदों तथा ग्राम पंचायतों को भी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। भूमि उपकर (Land Cess) जिला परिषदों द्वारा लगाया जाता है और यह इनकी आय का प्रमुख साधन है। वास्तव में, भूमि उपकर मालगुजारी पर एक प्रकार का अधिभार होता है। राज्य सरकारें इसे किसानों से मालगुजारी के साथ ही एकत्रित करती हैं। परन्तु बाद में इसे जिला परिषदों में वितरित कर दिया जाता है। सुधार कर से अधिप्राय उस कर से है जो स्थानीय संस्थाओं द्वारा नियमित की गयी सुधार योजना के परिणामस्वरूप भूमि एवं सम्पत्ति के मूल्यों में होने वाली वृद्धि पर लगाया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी क्षेत्र में सड़क-निर्माण, जल-पूर्ति एवं विजली-पूर्ति की योजनाओं के परिणामस्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति पर कर लगाने का नगरपालिका को पूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसकी सुधार योजनाओं के

फलस्वरूप ही उस क्षेत्र में सम्पत्ति के मूल्यों में वृद्धि हुई है। कराधान जाँच आयोग ने सिफारिश की थी कि स्थानीय सन्स्थाओं को अधिकाधिक माना में सुधार कर लगाकर अपनी आय में वृद्धि करनी चाहिए।

(2) वृत्तियों एवं पेशों पर कर (Profession Tax)—कुछ राज्यों में स्थानीय सन्स्थाओं का कुछ विशेष पेशों, वृत्तियों व्यापारों आदि में सलग्न व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। यह कर विभिन्न वृत्तियाँ तथा पेशों पर विभिन्न दरों पर लगाया जाता है। किन्तु म्मरण रहे, यह कर स्थानीय सन्स्थाओं की आय का कोई महत्त्वपूर्ण साधन नहीं है।

(3) टोल टैक्स (Toll Tax)—कुछ राज्यों में नगरपालिकाएँ तथा जिला परिषदें दोनों से टोल टैक्स भी वसूल करती हैं। टोल टैक्स से अभिप्राय नुस कर से है जो किसी विशेष क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अथवा किसी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों से वसूल किया जाता है। उदाहरणार्थ, पहाड़ी स्थानों को जाने वाले पर्यटकों को टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार कुछ विशेष सड़कों एवं पुलों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों, पशुओं तथा मोटर वाहनों पर भी टोल टैक्स लगाया जाता है। इस प्रकार की टोल टैक्स केवल उन्हीं सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर लगाया जाता है जिनकी लागत 5 लाख रुपये से अधिक होती है, परन्तु आर्थिक दृष्टि में टोल टैक्स एक अच्छा कर नहीं है क्योंकि इसका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। इसके अतिरिक्त टोल टैक्स परिवहन के प्रवाह में भी बाधक सिद्ध होता है।

(4) पशुओं तथा गाड़ियों पर कर—कुछ राज्यों में स्थानीय सन्स्थाओं को पशुओं एवं मोटर वाहनों पर भी कर लगाने का अधिकार दिया गया है किन्तु अधिकांश राज्यों में मोटर वाहनों पर राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है यद्यपि इसकी आय का एक निश्चित भाग स्थानीय सन्स्थाओं को दे दिया जाता है।

(5) चुंगी एवं सीमान्त कर (Octroi and Terminal Tax)—कुछ राज्यों में चुंगी तथा सीमान्त कर नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों की आय का महत्त्वपूर्ण भाग है। चुंगी कर से अभिप्राय उस कर से है जो किसी स्थानीय क्षेत्र में आयात किये गये पदार्थों पर लगाया जाता है। इसके विपरीत, सीमान्त कर वह कर होता है जो किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र में आने वाले वस्तुओं पर लगाया जाता है। भारत में आर्थिक दृष्टि से चुंगी एवं सीमान्त कर दोनों ही अच्छे कर नहीं हैं क्योंकि इनका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। इसके अतिरिक्त, कुछ तीर्थस्थानों पर आने वाले यात्रियों पर तीर्थयात्री कर (Pilgrim Tax) भी लगाया जाता है।

स्थानीय सन्स्थाओं की वित्त समस्या

जैसा हम पूर्व कह चुके हैं, स्थानीय सन्स्थाओं को कई प्रकार के कार्य सौंपे गये हैं किन्तु, दुर्भाग्यवश, इन कार्यों को भलीभाँति सम्पन्न करने हेतु उन्हें आय के पर्याप्त एवं लोचदार साधन नहीं दिये गये हैं। स्थानीय सन्स्थाओं को दिये गये वर्तमान आय के साधन न केवल अपर्याप्त बल्कि बेलोचदार भी हैं। परिणामतः स्थानीय सन्स्थाएँ अपने कार्यों को भलीभाँति सम्पन्न नहीं कर पाती। उन्हें आर्थिक साधनों के लिए राज्य सरकारों के अनुदानों पर निर्भर रहना पड़ता है। दुर्भाग्यवश ये अनुदान न केवल अनिश्चित बल्कि अपर्याप्त भी होते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों को स्थानीय सन्स्थाओं के कार्यक्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का भी अवसर मिल जाता है। इसके विपरीत, विदेशों में स्थानीय सन्स्थाओं की वित्तीय स्थिति बहुत ही अच्छी है। उन्हें आय के महत्त्वपूर्ण एवं लोचदार साधन प्रदान किये गये हैं। यही कारण है कि विदेशों में स्थानीय सन्स्थाओं का कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है। इसके अतिरिक्त, विदेशों की स्थानीय सन्स्थाएँ अपने कार्यों को भी अधिक अच्छे ढंग से सम्पन्न करती हैं। अतः हम हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत में स्थानीय सन्स्थाओं की मुख्य समस्या वास्तव में वित्तीय साधनों की स्वल्पता है।

स्थानीय सन्स्थाओं की वर्तमान शोचनीय वित्त व्यवस्था के कारण

भारत में स्थानीय सन्स्थाओं की वर्तमान शोचनीय वित्त व्यवस्था के मुख्य कारण हम प्रकार हैं

(1) जैसा हम पूर्व कह चुके हैं आय के उत्पादक (productive) एवं लोचदार साधन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अपने लिये ही सुरक्षित रख छोड़े हैं। स्थानीय सस्थाओं को केवल अनुत्पादक एवं बेलाचदार साधन ही प्रदान किये गये हैं वास्तव में, स्थानीय सस्थाओं की शोचनीय वित्त व्यवस्था का यही मुख्य कारण है।

(2) भारत में स्थानीय सस्थाओं ने अपने कराधान सम्बन्धी अधिकारों का पूरा उपयोग भी नहीं किया है। इसका कारण यह है कि इन सस्थाओं के निर्वाचित सदस्य जनता को अपने पक्ष में रखने के उद्देश्य से करा की दरों एवं सख्या में वृद्धि करना पसन्द नहीं करते अर्थात् वे जनता पर अधिक कर लगाकर उसका विरोध मोल नहीं लेना चाहते।

(3) भ्रान्त के नगरिका की वरदान क्षमता भी सीमित ही है। परिणामतः स्थानीय सस्थाओं के लिए अधिक कर लगाने की गुंजाइश भी नहीं है।

(4) भारत की अधिकांश स्थानीय सस्थाओं में उचित निष्पन्नण एवं निरीक्षण के अभाव के कारण धन का बहुत बड़ा पैमाने पर अपव्यय भी होता है। वास्तव में यह भी इनकी वित्तीय कठिनाइयों का एक प्रमुख कारण है।

(5) स्थानीय सस्थाओं को राज्य सरकारों से मिलने वाले महापक्क अनुदान न केवल अनिश्चित एवं अनियोजित बल्कि अपर्याप्त भी होते हैं।

स्थानीय सस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के सुझाव

स्थानीय सस्थाओं की वित्तीय समस्याओं का अध्ययन दो सरकारी समितियों द्वारा किया गया है— प्रथम स्थानीय वित्त जांच समिति (Local Finance Enquiry Committee) दूसरे कराधान जांच आयोग (Taxation Enquiry Committee)। इन दोनों ही समितियों ने स्थानीय सस्थाओं की वित्तीय समस्याओं का गहन अध्ययन करने के उपरान्त उन्हें सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये हैं। स्थानीय वित्त जांच समिति (सन 1951) द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं

(1) भारत सरकार को रेलमार्ग समुद्रीमार्ग तथा वायुमार्ग के यात्रियों पर सीमान्त कर (Terminal Tax) लगाकर उससे प्राप्त होने वाली आय को स्थानीय सस्थाओं में वितरित कर देना चाहिए।

(2) राज्य सरकारों को भूमि उपकर, बिजली विक्रय कर, मनोरंजन कर आदि से प्राप्त होने वाली आय को स्थानीय सस्थाओं में बाँट देना चाहिए।

(3) राज्य सरकारों को मोटर वाहन कर से प्राप्त होने वाली आय का कुछ भाग स्थानीय सस्थाओं को दे देना चाहिए।

(4) चूँकि स्थानीय सस्थाओं केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर स्थानीय कर नहीं लगा सकती हैं अतः इसके बदले में केन्द्रीय सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ राशि स्थानीय सस्थाओं को देनी चाहिए।

(5) स्थानीय सस्थाओं को अपने कराधान सम्बन्धी अधिकारों का समुचित एवं पूर्ण उपयोग करके अपनी आय में वृद्धि करनी चाहिए।

कराधान जांच आयोग (सन 1954) ने स्थानीय सस्थाओं की आय में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये थे

(1) राज्य सरकारों को अपने करों से उपलब्ध होने वाली आय का एक निश्चित भाग स्थानीय सस्थाओं में वितरित करना चाहिए।

(2) राज्य सरकारों को जल पूर्ति, बिजली पूर्ति, नदी बस्तियों की सफाई, सड़क निर्माण तथा मोटर परिवहन आदि के लिए स्थानीय सस्थाओं को ध्याज की सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करने चाहिए। इस प्रकार के उद्योगों से स्थानीय सस्थाओं को आय के नये साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

(3) नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों को विज्ञापन कर (Advertisement Tax) लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

(4) स्थानीय सस्थाओं को विवाहो के रजिस्ट्रेशन पर कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

(5) राज्य सरकारों को मनोरंजन कर से उपलब्ध होने वाली आय का कुछ भाग स्थानीय सस्थाओं को देना चाहिए।

(6) राज्य सरकारों को मोटर वाहन कर से उपलब्ध होने वाली आय का 25 प्रतिशत भाग नगरपालिकाओं, नगर निगमों तथा जिला परिषदों में बाँट देना चाहिए।

(7) राज्य सरकारों को सहायक अनुदान देने समय स्थानीय सस्थाओं के मापेक्षिक क्षेत्र, जनसंख्या के आकार तथा वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। राज्य सरकारों को सामान्य अनुदानों के अलावा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान देने की व्यवस्था भी करती चाहिए।

(8) पंचायतों की स्थापना के बाद कुछ वर्षों तक उन्हें राज्य सरकारों से उदार सहायक अनुदान मिलने चाहिए। इसके अलावा, पंचायतों को आरम्भ में केवल कुछ चुने हुए और स्पष्ट कार्य ही दिये जाने चाहिए, ताकि वे उन्हें भलीभांति सम्पन्न कर सकें।

परिक्षा-प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. भारत में स्थानीय वित्त की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोषों का संकेत करते हुए सुधारों के सुझाव दीजिए। (आगरा, 1959)

[संकेत—प्रथम भाग में, ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, नगरपालिकाओं तथा नगर निगमों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए और बताइए कि ये सस्थाएँ अपने व्यय की पूर्ति आय के विन-किन साधनों द्वारा करती हैं अर्थात् सस्थाओं की आय के मुख्य साधनों की विस्तृत चर्चा कीजिए। दूसरे भाग में, इन सस्थाओं की शोचनीय वित्त-व्यवस्था के मुख्य कारणों की चर्चा करते हुए बताइए कि इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में स्थानीय वित्त जाँच समिति तथा कराधान जाँच आयोग की मुख्य सिफारिशों की चर्चा कीजिए।]

2. भारत में स्थानीय वित्त के स्रोत-स्रोत से स्रोत है? उन्हें किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? (आगरा 1967)

[संकेत—प्रथम भाग में स्थानीय सस्थाओं (local bodies) के कर एवं गैर-कर साधनों की चर्चा कीजिए। दूसरे भाग में स्थानीय वित्त के स्रोतों की बढ़ाने के जो सुझाव स्थानीय वित्त जांच समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये थे उनका विवरण दीजिए।]

भारत का सावजनिक ऋण (India's Public Debt)

प्रस्तावना: भाग्यीय सविधान के अंतगत समद की अनुमति से भारत सरकार समय समय पर अपनी आवश्यकतानुसार लोगों से ऋण ले सकती है। इस प्रकार के ऋण भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) की जमानत (Security) के आधार पर लिये जाते हैं। इसी प्रकार विधानमण्डलो की पूव अनुमति से राज्य सरकार भी लोगों से अपनी आवश्यकतानुसार ऋण ले सकती है। यदि किसी राज्य सरकार को भारत सरकार का कोई ऋण वापस करना बाकी है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार भारत सरकार की पूव अनुमति के बिना नागा से नया ऋण नहीं ले सकती।

भारत के सावजनिक ऋण का इतिहास

भारत का सावजनिक ऋण का इतिहास काका लम्बा है। सबसे प्रथम ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने नागा से ऋण लिये थे क्योंकि 18वीं शताब्दी में इस कम्पनी का फ्रांसीसा तथा डच कम्पनियाँ से अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु युद्ध करना पडा था। अतः उस समय सावजनिक ऋण मुख्यतः युद्ध खर्च के उद्देश्य से ही किया गया था। परंतु 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश सरकार ने नहरो तथा रेलों का निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने पर नागा से ऋण लेने आरम्भ कर दिये थे। 19वीं शताब्दी के अन्त में भारत सरकार का सावजनिक ऋण 271 करोड़ रुपये था। 20वां शताब्दी के आरम्भ में भारत सरकार ने निर्माण कार्यों के लिए और भी अधिक बड़े पैमाने पर नागा से ऋण लिया था। इसके उपरान्त सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण भारत सरकार का और भी अधिक बड़ा पैमाने पर ऋण लेना पडा था। सन 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण भारत सरकार के बजट में घाटा उत्पन्न हो गया था और इस घाटे की पूर्ति भारत सरकार ने लोगों से ऋण लेकर की थी। परिणामतः भारत सरकार का सावजनिक ऋण सन 1934 में 1224 करोड़ रुपये हो गया था। इसके बाद सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के सावजनिक ऋण में और भी अधिक तेजी से वृद्धि हुई थी। सन 1944 में भारत सरकार का कुल ऋण लगभग 1860 करोड़ रुपये हो गया था। इसमें से लगभग 35 करोड़ रुपये विदेशी ऋण अर्थात् स्टर्लिंग ऋण (Sterling Debt) और शेष 1825 करोड़ रुपये आंतरिक तथा रुपये ऋण (Rupee Debt) थे। वृद्धिकारणों में भारत के सावजनिक ऋण की संरचना (Composition) में एक महान परिवर्तन हुआ था। युद्ध से पूर्व भारत का सावजनिक ऋण में विदेशी ऋण का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था किन्तु युद्ध के उपरान्त विदेशी ऋण का महत्व कम हो गया। सन 1947 में विभाजन के परिणामस्वरूप भारत सरकार की सम्पत्तियों (Assets) एवं देवदारियों (Liabilities) का भी भारत और पाकिस्तान के बीच बँटवारा किया गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 12 दिसम्बर 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक वित्तीय समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतगत भारत सरकार ने विभाजन से पूर्व समूचे सावजनिक ऋण को चकाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था और पाकिस्तान सरकार ने अपने हिस्से के ऋणों का 300 करोड़ रुपये भारत

सरकार को 3 प्रतिशत ब्याज की दर पर 50 वार्षिक किश्तों में देने का इकरार किया था। इन किश्तों का भुगतान सन् 1952 से प्रारम्भ होना तय किया गया था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक ऋण का लक्ष्य 520 करोड़ रुपये निश्चित किया गया था। इनमें से 115 करोड़ रुपये बाजार ऋणों (Market loans) से, 270 करोड़ रुपये अल्प बचतों (Small Savings) से तथा 135 करोड़ रुपये अन्य स्रोतों से प्राप्त करने की योजना बनायी गई थी, परन्तु प्रथम योजनाकाल में सरकार लोगों से केवल 360 करोड़ रुपये ही आन्तरिक ऋण के रूप में प्राप्त कर सकी थी। इनमें से 60 करोड़ रुपये बाजार ऋणों से, 242 करोड़ रुपये अल्प बचतों से तथा 58 करोड़ रुपये अन्य स्रोतों से प्राप्त किये गये थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1200 करोड़ रुपये आन्तरिक ऋण के रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था। इसमें से 700 करोड़ रुपये बाजार ऋणों से तथा 500 करोड़ रुपये अल्प बचतों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार 800 करोड़ रुपये विदेशी ऋणों तथा अनुदानों से प्राप्त करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था। परन्तु, वास्तव में, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 780 करोड़ रुपये बाजार ऋणों से, 400 करोड़ रुपये अल्प बचतों से तथा 1,090 करोड़ रुपये विदेशी ऋणों तथा अनुदानों से प्राप्त किये गये थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 600 करोड़ रुपये बाजार ऋणों से, 600 करोड़ रुपये अल्प बचतों से तथा 2,200 करोड़ रुपये विदेशी ऋणों तथा अनुदानों के रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था। लेकिन तीसरी योजना की अवधि में सरकार ने बाजार ऋणों के लक्ष्य को न केवल पूरा ही कर लिया बल्कि उससे थोड़ा आगे भी बढ़ गयी। सरकार ने जनता में 915 करोड़ रुपये के बाजार ऋण प्राप्त किये जबकि लक्ष्य 800 करोड़ रुपये का ही था। इसी प्रकार विदेशी सहायता भी सरकार को निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुई थी। योजना की अवधि में सरकार को लगभग 2455 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हुई जबकि लक्ष्य 2200 करोड़ रु० का था। लेकिन सरकार अल्प बचतों के लक्ष्य की पूर्ति न कर सकी। अल्प बचतों के रूप में सरकार को 585 करोड़ रुपये ही उपलब्ध हुए जबकि निर्धारित लक्ष्य 600 करोड़ रुपये का था।

चाथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये गये लक्ष्य इस प्रकार थे—बाजार ऋण 1415 करोड़ रु०, अल्प बचतें 769 करोड़ रु०, विदेशी सहायता 2614 करोड़ रु०।

भारत सरकार के ऋण की संरचना (Composition of the Debt of the Govt of India)—भारत सरकार के ऋण की संरचना को पृष्ठ 720 की सारिणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। भारत सरकार का ऋण दो प्रकार का है आन्तरिक तथा बाह्य—आन्तरिक ऋण को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—(i) चालू बाजार ऋण, (ii) अन्य, (iii) कोषागार विपन्न, (iv) विशेष चल ऋण। चालू बाजार ऋणों (Current Market Loans) से अभिप्राय उन ऋणों से है जो भारत सरकार ने प्रत्यक्षतः देश के मुद्रा बाजार से प्राप्त किये हैं। अन्य ऋणों के अन्तर्गत Prize Bonds, Premium Prize Bonds Banks Compensation Bonds तथा मृत ऋणों (Expired loans) की शेष राशियों को सम्मिलित किया गया है। कोषागार विपन्न (Treasury Bills)—ये उस ऋण को व्यक्त करते हैं जो भारत सरकार द्वारा देश के भीतर बैंकों आदि से अल्पकाल के लिए प्राप्त किया जाता है। कोषागार विपन्न प्रायः 90 दिन में परिपक्व हो जाते हैं। सरकार को उनका मूलधन ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। इस प्रकार कोषागार विपन्न अल्पकालीन ऋण ही होते हैं। विशेष चल ऋण (Special Floating Loans) कतिपय विशेष रूपया प्रतिभूतियों (Special Rupee Securities) में निहित देयताओं (Liabilities) को व्यक्त करते हैं। ये विशेष रूपया प्रतिभूतियाँ भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संधि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अपना अक्षदान अथवा चन्दा देने हेतु जारी की जाती हैं। 31 मार्च 1976 को इस प्रकार के ऋणों की कुल राशि 996 करोड़ रु० थी। इसी तिथि को भारत का कुल आन्तरिक ऋण 13, 349 करोड़ रु० था। इस प्रकार 1971-76 की अवधि में भारत के आन्तरिक ऋण में 5686 करोड़ रु० की वृद्धि हुई थी (देखिए पृष्ठ 720 पर सारणी)।

इसी प्रकार भारत सरकार के बाह्य (विदेशी) ऋण में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह ऋण सन् 1971 में 6485 करोड़ रु० से बढ़कर सन् 1976 में 7102 करोड़ रु० हो गया था। इस विदेशी ऋण में विभिन्न देशों के अक्षदान इस प्रकार थे—संयुक्त राज्य अमरीका 2079 करोड़ रु०,

ब्रिटेन 985 करोड़ रु०, पश्चिमी जर्मनी 505 करोड़ रु०, जापान 398 करोड़ रु०, सोवियत संघ 231 करोड़ रु०, कनाडा 228 करोड़ रु०, स्वीडन 58 करोड़ रु०, अन्तर्राष्ट्रीय विकास मण्डल (International Development Association), विश्व बैंक 193 करोड़ रु०, अन्य देश 325 करोड़ रु०। इस प्रकार 31 मार्च 1976 को भारत का कुल विदेशी ऋण 7102 करोड़ रु० के तुल्य था।

भारत ने आन्तरिक एवं बाह्य ऋण का योगफल सार्वजनिक ऋण (Public Debt) कहलाता है। विगत कुछ वर्षों में इसमें भारी वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 1971 को भारत का कुल सार्वजनिक ऋण 14,148 करोड़ रु० था। 31 मार्च 1976 को यह बढ़कर 20,451 करोड़ रु० हो गया था। इस प्रकार पाँच वर्षों की अवधि में इस ऋण में 6303 करोड़ रु० की वृद्धि हो गयी थी।

अन्य देयताओं (Other Liabilities) को दो उपशीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया गया है।

(1) अकोपित ऋण (Unfunded Debt)

(2) रिजर्व कोष एवं जमा राशियाँ (Reserve Funds and Deposits)

अकोपित ऋण के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं

(क) अल्प बचते—भारत की अन्य देयताओं में अल्प बचतों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अन्तर्गत पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक जमा राशियाँ, नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट्स डिफेंस डिपोजिट सर्टिफिकेट्स, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट्स इत्यादि सम्मिलित हैं। सन् 1971-76 की अवधि में अल्प बचतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 31 मार्च सन् 1971 को इनकी कुल राशि 2 209 करोड़ रुपये थी लेकिन 31 मार्च 1976 को यह बढ़कर 3903 करोड़ रु० हो गयी।

राज्य भविष्य निधियों (State Provident Funds) में सार्वजनिक भविष्य निधि भी सम्मिलित है। ये निधियाँ भारत सरकार की देयताएँ हैं। इनमें पडा हुआ एवं राज्य कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों का है। 31 मार्च, 1971 को इन निधियों की कुल राशि 841 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 1976 को यह बढ़कर 1520 करोड़ रुपये हो गयी थी। PL 480 जमा राशियों का सन् 1974 से महत्व सामान्य हो गया है। अन्य अकोपित ऋणों में भी वृद्धि हुई है।

सन् 1971-76 की अवधि में भारत सरकार की कुल देयताओं में भारी वृद्धि हुई है। 31 मार्च 1971 को ये देयताएँ 19 864 करोड़ रु० थी लेकिन 31 मार्च, 1976 को यह राशि बढ़कर 29,674 करोड़ रु० हो गयी थी। यदि इस अवधि में से पाकिस्तान द्वारा देय ऋण अर्थात् 300 करोड़ रु० का घटा दिया जाय तो भारत सरकार की विशुद्ध देयताएँ 29,374 करोड़ रु० रह जाती हैं।

भारत के सार्वजनिक ऋण के कम अनुपात के कारण

विदेशों की तुलना में भारत का सार्वजनिक ऋण अपेक्षाकृत कम है। सन् 1976 में भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 30% प्रतिशत ही था, जबकि ब्रिटिश सरकार का सार्वजनिक ऋण ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का 114.5 प्रतिशत था। अतः स्पष्ट है कि भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण ब्रिटेन की तुलना में अभी बहुत कम है। भारत के सार्वजनिक ऋण के अपेक्षाकृत कम होने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं

(1) चूंकि भारत की जनता पर करों का भार अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए उसके पास सरकार को ऋण देने के लिए पर्याप्त राशि नहीं बचती है।

(2) विगत कुछ वर्षों में निरन्तर मुद्रा-स्फीति के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। परिणामतः लोगों की सरकार को ऋण देने की क्षमता का ह्रास हो गया है।

(3) विगत कुछ वर्षों में दृष्टि-उपज की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय का पर्याप्त भाग गाँवों में केन्द्रित हो गया है। गाँवों में बचत-सुविधाओं के अभाव के कारण ग्रामीणों की बचतों का उचित उपयोग नहीं किया जा सका है।

(4) विगत 30 वर्षों में सरकार द्वारा अपनायी गयी सुलभ द्रव्य नीति (Cheap Money Policy) के कारण लोग को बचत के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल सका है।

भारत के सार्वजनिक ऋण की विशेषताएँ (Characteristics of India's Public Debt)

य इस प्रकार है

(1) जैसा हम ऊपर कह चुके हैं अन्य देशों की तुलना में भारत के सावजनिक ऋण का आकार अपेक्षाकृत छोटा है।

(2) भारत सरकार का सावजनिक ऋण प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। एचवर्षीय योजनाओं का त्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार का प्रतिवर्ष अधिकाधिक मात्रा में ऋण लेना पड़ रहा है।

(3) भारत के सावजनिक ऋण में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के ऋण सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में भारत सरकार न तो केवल देशवासियों से बल्कि विदेशियों से भी ऋण प्राप्त करिये है। पंचवर्षीय योजनाओं के कारण विगत कुछ वर्षों में विदेशी ऋणों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(4) सन 1947 से पूर्व भारत के सावजनिक ऋणों में स्टॉकिंग ऋणों का भारी महत्व हुआ करता था परन्तु सन 1947 के बाद भारत के सावजनिक ऋणों में डालर ऋणों का महत्व बढ़ता जा रहा है।

(5) भारत के सावजनिक ऋणों में अन्य बचतों का महत्वपूर्ण स्थान है। अल्प बचतें नगण्य सविम्म सर्टिफिकेट्स एवं पोस्ट ऑफिस सविम्म बैंक के रूप में निम्न तथा मध्यम श्रेणी के लोगों से प्राप्त की जाती हैं।

(6) भारत का अधिकांश सावजनिक ऋण उत्पादक है। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं भारत के सावजनिक ऋण का बहुत कम भाग अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए लिया गया है। भारत का अधिकांश सावजनिक ऋण विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं के लिए लिया गया है। इस प्रकार भारत सरकार की सावजनिक ऋण स्थिति बहुत सुदृढ़ है।

राज्य सरकारों का ऋण (Debt of the State Governments)—राज्य सरकारों की ऋण स्थिति की निम्न सारणी द्वारा व्यक्त किया जा सकता है

जैसा आगे प्रस्तुत की गयी सारणी से स्पष्ट है राज्य सरकारों के ऋणों का तीन अंग है—
I आन्तरिक ऋण II केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण III भविष्य निधिगत।

राज्य सरकारों के आन्तरिक ऋण में तीन प्रकार के ऋण सम्मिलित हैं—(क) बाजार ऋण एवं बाण्ड्स (Market Loans and Bonds) (ख) रिजर्व बैंक से प्राप्त अल्पकालीन ऋण (ग) बैंक एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण। बाजार ऋणों से अभिप्राय उन ऋणों से है जो राज्य सरकार सीधे बाजारों से प्राप्त करती हैं अर्थात् जनता से प्राप्त करती हैं। बाण्ड्स (Bonds) से तात्पर्य उन क्षतिपूर्ति बाण्डों (Compensation Bonds) से है जो राज्य सरकारों ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करते समय जमींदारों का दिव्य है। ये दीर्घकालीन बाण्ड्स हैं जिन पर राज्य सरकारें प्रति वर्ष व्याज चुकाती हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत अन्य प्रकार के बाण्डों को भी सम्मिलित किया गया है। विगत वर्षों में इस मूल में वृद्धि हुई है। 31 मार्च 1971 का राज्य सरकारों के बाजार ऋणों एवं बाण्ड्स की कुल मात्रा 1233 करोड़ ₹ थी लेकिन 31 मार्च 1976 को यह बढ़कर 2103 करोड़ रुपये हो गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार आनश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक से अल्पकालीन ऋण भी लेती हैं। 31 मार्च 1971 का राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋणों की कुल राशि 375 करोड़ ₹ थी लेकिन 31 मार्च 1976 को यह राशि घटकर 132 करोड़ रुपये हो गयी थी। राज्य सरकारें बैंकों एवं अन्य संस्थाओं से भी समय समय पर ऋण प्राप्त करती रहती हैं। 31 मार्च, 1971 को राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त ऋण राशि 239 करोड़ ₹ थी लेकिन 31 मार्च 1976

सारणी
राज्य सरकारों की ऋण स्थिति
प्रति वर्ष 31 मार्च को

वर्ष	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
						संगोधित अनुमान	(वर्जट अनुमान)
I आन्तरिक ऋण (क से ग तक)	1847	2211	1859	2155	2416	2738	2,953
(क) बाजार ऋण एवं बाण्ड (1 से II)	1233	1332	1465	1625	1836	2103	2,306
(I) बाजार ऋण	1143	1245	1380	1543	1758	2028	2,227
(II) क्षतिपूर्ति एवं अन्य बाण्डस	90	87	85	82	78	75	79
(ख) रिजर्व बैंक से प्राप्त अल्पकालीन ऋण	375	621	78	188	181	132	132
(ग) बैंको एवं अन्य संस्थाओं से ऋण	239	258	316	342	399	503	515
II केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण	6,365	6732	7960	8,579	9149	9712	10,433
III भविष्य निर्धिया (Provident Funds)	537	627	726	857	1001	1165	1,354
IV मुद्रा ऋण (I से III तक)	8,749	9,570	10,545	11,591	12,566	13,615	14,740

का यह बढ़कर 503 करोड़ ₹० हो गया थी। राज्य सरकारों का कुल आन्तरिक ऋण 31 मार्च 1971 को 1857 करोड़ ₹० था लेकिन 31 मार्च 1976 को यह ऋण बढ़कर 2738 करोड़ ₹० (अनुमानित) हो गया था।

केन्द्रीय सरकार भी समय-समय पर राज्य सरकारों को वज्र देती रहती है। विगत कुछ वर्षों में इन ऋणों में विशेष वृद्धि हुई है। 31 मार्च 1971 का इन ऋणों की कुल मात्रा 6365 करोड़ ₹० थी लेकिन 31 मार्च 1976 को यह बढ़कर 9712 करोड़ ₹० हो गयी थी। यह राशि राज्य सरकारों के कुल ऋणों की तीन चौथाई से भी अधिक है। केन्द्रीय सरकारों द्वारा राज्य सरकारों का ये ऋण पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वित करने हेतु देती रहती है।

राज्य सरकारों के ऋणों का तीसरा अंग है भविष्य निधियाँ (Provident Funds)। ये भविष्य निधियाँ राज्य कर्मचारियों की हैं और राज्य सरकारों की देयताएँ (Liabilities) हैं। इन राशियों पर राज्य सरकारें ध्यान देती हैं। 31 मार्च 1971 को इन भविष्य निधियों की कुल मात्रा 537 करोड़ ₹० थी लेकिन 31 मार्च 1976 को यह राशि बढ़कर 1165 करोड़ ₹० हो गयी थी। इसका कारण यह था कि राज्य सरकारों ने कर्मचारियों का बढ़ता हुआ महंगाई भत्ता नकद न देकर प्राविडण्ट फण्ड में जमा कर दिया था।

विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकारों के कुल ऋणों में भारी वृद्धि हुई है। 31 मार्च 1971 को इस ऋणों की कुल मात्रा 8749 करोड़ ₹० थी लेकिन 31 मार्च 1976 को यह बढ़कर 13615 करोड़ ₹० हो गयी थी।

परीक्षा प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त संकेत

1. सावजनिक ऋण क्या है? भारतीय सावजनिक ऋण की वर्तमान स्थिति तथा प्रवृत्ति क्या है? (आगरा 1960)

अथवा

भारत के सावजनिक ऋण पर टिप्पणी लिखिए। (आगरा 1966)

[संकेत—प्रथम भाग में सावजनिक ऋण की परिभाषा प्रस्तुत की जाए और यह भी बताया कि सावजनिक ऋण कितने प्रकार का होता है। दूसरे भाग में भारत के सावजनिक ऋण के मुख्य अंगों की आकड़ों सहित विवेचना की जाए। अंत में यह स्पष्ट की जाए कि भारत के सावजनिक ऋण का अधिकतम भाग उत्पादक है और भविष्य में भी इसी प्रवृत्ति के जारी रहने की सम्भावना है।]

परिशिष्ट

परीक्षा भवन में अच्छा उत्तर कैसे लिखें

परीक्षा में उच्च स्तर के अंक प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र का विस्तृत व गहन अध्ययन ही पर्याप्त नहीं। विद्यार्थियों को सही, प्रासंगिक (relevant) तथा मनुलिन उत्तर लिखने की कला से भी परिचित होना आवश्यक है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी अर्थशास्त्र में बड़ा तथा निरन्तर परिश्रम करने के बावजूद परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे प्रश्नोंतर लिखने की विधि से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं। अतः विद्यार्थियों को सुनिश्चया से लिए नीचे हम कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करेंगे जिनकी ओर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए।

(1) प्रश्न-पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए—परीक्षा भवन में प्रश्न-पत्र मिलने ही इसे धीरे-धीरे ध्यानपूर्वक पढ़िए। तत्पश्चात् प्रश्न-पत्र में दिये गये नोट को सावधानी से पढ़िए। जितने प्रश्न करने का आदेश दिया गया हो उतने ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न-पत्र सावधानी से पढ़ने पर जिन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह याद हो उनके सामने निश्चान लगा बीजिए। जो प्रश्न सबसे अच्छी तरह याद हों उसे उत्तर-पुस्तिका में सबसे पहले कीजिए।

(2) समय का उचित वितरण कीजिए—अक्सर ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी प्रथम प्रश्न के उत्तर का लिखने में आवश्यकता से अधिक समय देते हैं। परिणामतः शेष प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं बचता विशेषकर अन्तिम प्रश्न का उत्तर तो केवल धमीटा ही जाता है। इससे विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि समय का उचित वितरण किया जाय। प्रायः परीक्षा में पाँच प्रश्न करने को कहा जाता है और निर्धारित समय 3 घण्टे होता है। इस समय का उपयोग इस ढंग से करना चाहिए कि पाँचों प्रश्न 3 घण्टे के भीतर किये जा सकें। प्रायः 10 मिनट तो प्रश्न-पत्र को दो बार धीरे धीरे पढ़ने में ही लग जाते हैं और 15-20 मिनट उत्तरों का दोहराने के लिए रख लेने चाहिए। इस प्रकार 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए लगभग द्वादश घण्टे बचते हैं। अतः प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने में केवल 20 मिनट ही दिये जा सकते हैं। यदि कोई प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह याद है तो उसका उत्तर लिखने में आप 35 मिनट तक का समय भी दे सकते हैं परन्तु इससे अधिक समय देने पर शेष प्रश्नों के लिए पर्याप्त समय नहीं बचेगा।

(3) प्रश्नों का उचित चुनाव कीजिए—हार्डस्कूल इण्टरमीडिएट तथा बी० ए० की परीक्षाओं में प्रायः तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं—(1) व्याख्यात्मक (Explanatory) प्रश्न—ऐसे प्रश्नों में परीक्षार्थियों को अर्थशास्त्र के किसी सिद्धान्त अथवा नियम की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है या किसी महत्वपूर्ण उद्धरण (quotation) की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। यदि परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी व्याख्या सही है तो उसे अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। प्रायः ऐसे प्रश्नों में अधिक लिखना भी नहीं पड़ता और जैसा कहा गया है, अंक भी अच्छे मिलते हैं परन्तु जहाँ यह है कि व्याख्या पूर्णतः सही होनी चाहिए। यदि व्याख्या करते समय कहीं किसी पंक्ति पर भ्रष्टि या कमी रह जाती है तो इससे आपको के कट जाने की आशंका भी रहती है। अतः परीक्षार्थी को ऐसे प्रश्न तभी चुनने चाहिए जब सम्बन्धित विषय पर उसका ग्रहण (grasp) मूर्ध्द ही अव्यथा स्थाय के बजाय हानि की अधिक सम्भावना रहती है।

(2) वर्णनात्मक प्रश्न—ऐसे प्रश्नों में तो परीक्षार्थी को केवल तथ्यों की चर्चा ही करनी पड़ती है। किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य तो केवल परीक्षार्थी की स्मरण-शक्ति की परीक्षा करना ही होता है। अतः विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्नों के उत्तर तभी देने चाहिए जब उन्हें सभी आवश्यक तथ्य कण्ठस्थ हों। प्रायः ऐसे प्रश्नों में लिखना बहुत पड़ता है और अक भी अपेक्षाकृत कम प्राप्त होते हैं क्योंकि लिखने समय अक्षर परीक्षार्थी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भूल जाते हैं। परन्तु उत्तीर्ण होने योग्य अक प्रायः इन प्रश्नों में मिल ही जाते हैं।

(3) संक्षिप्त टिप्पणी प्रश्न—प्रायः प्रत्येक प्रश्न-पत्र में इस प्रकार का एक प्रश्न अवश्य होता है। परीक्षार्थी को यह प्रश्न जहाँ तक हो सके नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उगमें अपेक्षाकृत अधिक अक प्राप्त होते हैं यद्यपि लिखना भी अधिक पड़ता है।

संक्षिप्त टिप्पणी वाले प्रश्न के अलावा विद्यार्थी को व्याख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों प्रकार के प्रश्नों को करना चाहिए। यदि परीक्षार्थी सभी व्याख्यात्मक प्रश्न ही करता है तो ऐसा करने में थोड़ा-ना जोखिम (risk) अवश्य रहता है कि कहीं किसी पग पर किसी अगुद्धि अथवा त्रुटि के कारण अक कट नहीं जाये। इसके विपरीत, यदि परीक्षार्थी सभी वर्णनात्मक प्रश्न करता है तो कुछ आवश्यक व महत्वपूर्ण तथ्यों को भूल जाने से अच्छे अंकों को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। अतः बुद्धिमत्ता इसी में है कि दोनों प्रकार के प्रश्नों को उचित सम्मिश्रण में किया जाय।

(4) उत्तर न तो अधिक विस्तृत और न ही अधिक संक्षिप्त होता चाहिए—प्रायः विद्यार्थी पूछते हैं कि उत्तर का आकार (size) क्या होना चाहिए अर्थात् उत्तर कितने पृष्ठों का होना चाहिए। इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह तो प्रश्न के स्वभाव (nature) तथा विद्यार्थी की लेखन-शैली (style of writing) पर निर्भर करता है। सभी प्रश्नों के उत्तर समान आकार के नहीं होते। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि उनका सही तथा प्रासंगिक उत्तर केवल 3 या 4 पृष्ठों में दिया जा सकता है और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनका उचित उत्तर देने के लिए 8 या 10 पृष्ठों की आवश्यकता पड़ती है। अतः उत्तर के आकार में बारे में कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता। यह इसलिए भी कठिन है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की लेखन-शैली एक जैसी नहीं होती। कुछ विद्यार्थी बड़े-बड़े तथा मोटे अक्षरों में लिखते हैं और बीच में स्थान भी अधिक छोड़ते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए उत्तर का आकार स्वभावतः ही बड़ा होगा। इसके विपरीत छोटे तथा बारीक अक्षर लिखने वाले विद्यार्थी के लिए उत्तर का आकार निश्चित रूप से छोटा होगा। परन्तु लेखन-शैली साधारण होते हुए (अर्थात् न बहुत बड़ और न बहुत छोटे अक्षरों का उपयोग होने पर) साधारणतः किसी प्रश्न का उत्तर छह-सात पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके द्वारा दिये गये प्रथम प्रश्न का उत्तर 8 पृष्ठों तक वा भी हो सकता है। संक्षिप्त टिप्पणी में दो-दोई पृष्ठ ही पर्याप्त है। स्मरण रहे कि उत्तर के आकार को बढ़ाने या विस्तृत करने से कोई लाभ नहीं होता। उल्टे इससे अपने बहुमूल्य समय का अपव्यय (wastage) ही होता है।

(5) उत्तर को तीन भागों में विभाजित कीजिए—प्रायः प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है—(1) प्राक्कथन या परिचय (Introduction)—उत्तर का प्रारम्भ प्राक्कथन या परिचय से होना चाहिए, परन्तु ध्यान रहे कि प्राक्कथन या परिचय अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए अन्यथा समय का अपव्यय होगा और कोई विशेष लाभ नहीं होगा। प्राक्कथन को प्रायः एक या दो अनुच्छेदों (paras) में ही समाप्त कर देना चाहिए। इसको प्रायः किसी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के उद्धरण से आरम्भ करना बेहतर होगा। यदि प्रश्न किसी उद्धरण के रूप में है तो उसकी व्याख्या तो अवश्य ही उद्धरण से आरम्भ करनी चाहिए। (2) मुख्य भाग (main body)—जैसा स्पष्ट है, यह उत्तर का मुख्य तथा महत्वपूर्ण भाग होता है। अतः इसके लिखने में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। इसको लिखने से पूर्व विद्यार्थी को अपने मन में इसकी पूर्ण योजना बना लेनी चाहिए और उसी योजना के अनुसार उत्तर लिखना चाहिए। इस भाग में प्रायः किसी विषय के कारणों, उपयोग, गुणों व दोषों की विवेचना की जाती है। अतः इनका लिखने समय वाक्यांश क्रम वार नम्बर देकर लिखना चाहिए। इस भाग में महत्वपूर्ण नुक्तियों (points) की व्याख्या करते समय उदाहरण व रेखाचित्रों का

उदारतापूर्ण प्रयोग करना चाहिए। विषय सामग्री को छोटे छोटे अनुच्छेदों में विभाजित कर उन्हें रेखांकित शीपोंकी और उपशीपकों के अंतर्गत लिखना चाहिए। इसमें परीक्षक को उत्तर पुस्तिका जाचन में कठिनाई नहीं होगी। उत्तर के इस भाग में एक या दो प्रतिद्वय अथशास्त्रियों के उद्धरण देना उचित रहेगा। परंतु उद्धरण देते समय ध्यान रहे कि इसमें किसी प्रकार की भ्रमोद्धि नहीं होनी चाहिए और इसे मयासम्भव लेखक की भाषा में ही दिया जाना चाहिए। यदि आपकी लेखक के शब्द सही-सही याद न हों तो गलत उद्धरण देने के बजाय उनका सारांश अपने ही शब्दों में व्यक्त कीजिए। लेखक का नाम भी सही जानना चाहिए। लेखक का नाम गलत लिखने में परीक्षक पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। चकि हिंदी भाषा में अग्रशास्त्र की शब्दावली अभी मानकित (standardised) नहीं हो पायी है अतः विद्यार्थियों का पारिभाषिक शब्द देने समय कोष्ठकों में उनके अंग्रेजी पर्यायवाची अवश्य देने चाहिए। उत्तर के इस भाग को प्रायः 3-4 पृष्ठों में समाप्त कर देना चाहिए और किसी प्रकार की अप्रासंगिक (non relevant) सामग्री नहीं देनी चाहिए। (3) निष्कर्ष (Conclusion)—उत्तर के मध्य भाग में दो गयी मुख्य मुख्य बातों का सार यहाँ पर लिखिए और शब्दों में अपने निजी विचार भी प्रकट कीजिए। प्रायः निष्कर्ष आधे पृष्ठ से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे अन्त में एव अनुच्छेद (Para) में लिखना चाहिए।

(6) लिखाई (Hand writing) सुन्दर आकर्षक तथा सुगमता से पढ़ी जा सके—यह अत्यन्त आवश्यक है कि आपका लेख सुन्दर आकर्षक तथा आसानी से पढ़ा जा सके। बहुधा विद्यार्थी अपनी लिखाई की ओर विशेष ध्यान नहीं देते और ऐसा भद्दा लिखत हैं कि परीक्षक के लिए उसको पढ़ना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्रायः परीक्षक क्षुब्ध होकर उत्तर पढ़ना ही बन्द कर देता है और यही (impression) के अनुसार अंक देता है जिससे परीक्षार्थी को प्रायः हानि ही होगी है। अतः यह आवश्यक है कि आपका लेख परीक्षक द्वारा सुगमता से पढ़ा जा सके। इसलिए जरूरी है कि आप मोटा (परंतु बहुत मोटा नहीं) अक्षरों में तथा उनके बीच कुछ स्थान छोड़कर लिखें। पहले व बारीक अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई होगी है।

(7) अन्य बातें—वे इस प्रकार हैं

- (क) परीक्षार्थी का अपनी उत्तर पुस्तिका के बायीं ओर। एक चौड़ा हाशिया अवश्य छोड़ना चाहिए।
- (ख) प्रश्न का उत्तर आरम्भ करने से पूर्व हाशिये में उस प्रश्न का नम्बर अवश्य देना चाहिए। ध्यान रहे यह नम्बर वही होना चाहिए जो प्रश्न पत्र में दिया गया है।
- (ग) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का आरम्भ एक नये पृष्ठ से होना चाहिए।
- (घ) परीक्षा भवन में लिखने समय गाड़ी व चमकीली सतहों का इस्तेमाल किया जाये ताकि परीक्षक को पढ़ने में असुविधा न हो।
- (ङ) रेखाचित्रों को नोकदार पेंसिल व स्केल से खीना जाय।